



भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट 2013-14

वित्त मंत्रालय
(बजट प्रभाग)

विषय - सूची

पृष्ठ संख्या

प्रस्तावना

V

अध्याय - I

आर्थिक कार्य विभाग

1. आर्थिक प्रभाग	1
2. बजट प्रभाग	4
3. पूंजी बाजार प्रभाग	9
4. अवसंरचना और ऊर्जा प्रभाग	31
5. निवेश प्रभाग	42
6. बहुपक्षीय संस्था प्रभाग	46
7. बहुपक्षीय संबंध प्रभाग	55
8. सहायता लेखा और लेखा-परीक्षा प्रभाग	56
9. प्रशासन प्रभाग	57
10. द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग	65
11. एकीकृत वित्त प्रभाग	76
12. करेंसी निदेशालय (सी एंड सी)	77
संगठन चार्ट	79

अध्याय - II

व्यय विभाग

1. संस्थापना प्रभाग	81
2. वेतन अनुसंधान एकक	81
3. एकीकृत वित्त एकक	81
4. प्रापण नीति प्रभाग	82
5. योजना वित्त-I प्रभाग	82
6. वित्त आयोग प्रभाग	87
7. योजना वित्त-II प्रभाग	88
8. कर्मचारी निरीक्षण एकक	89
9. महालेखा नियंत्रक	90
10. मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय	95
11. राजभाषा हिन्दी का प्रयोग	99
12. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)	100
13. राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.एम.)	105
संगठन चार्ट	115

अध्याय - III

राजस्व विभाग

1. संगठन एवं कार्यकलाप	117
2. राजस्व मुख्यालय प्रशासन	118
3. स्वापक नियंत्रण (एनसी) प्रभाग	119
4. राज्य कर अनुभाग	136
5. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत न्याय निर्णयन प्राधिकरण	140
6. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अपील अधिकरण	140
7. समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण	140
8. गैर-कानूनी रूप से अर्जित सम्पत्ति के संपहरण के लिए व्यवस्था	141
9. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड	142
10. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण	191
11. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग	192
12. अग्रिम विनिर्णयन (के०उ०शु०, सीमा शुल्क एवं सेवा कर) प्राधिकरण	192
13. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	195
14. आयकर समझौता आयोग	293
15. अग्रिम विनिर्णयन प्राधिकरण (आयकर)	294
16. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो	295
17. प्रवर्तन निदेशालय	301
18. भारत वित्त आसूचना एकक-भारत (एफ आई यू-इंड)	307
19. एकीकृत वित्त प्रभाग	308
20. सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए राष्ट्रीय समिति द्वारा संचालित महत्वपूर्ण मुद्दों का सार	310
21. राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान	311
22. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	311
23. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	313
संगठनात्मक चार्ट	316
अनुबंध-I अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व	317
अनुबंध-II अशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व	324
अनुबंध-III लेखा-परीक्षा टिप्पणियों के सार के संबंध में की गई कार्रवाई नोट की स्थिति	327

अध्याय - IV

विनिवेश विभाग

1. कार्य	331
2. दृष्टिकोण	331
3. उद्देश्य	331
4. संगठनात्मक ढांचा	331

5. विनिवेश संबंधी नीति तथा कार्य पद्धति	331
6. विनिवेश के लाभ	332
7. सुधारात्मक उपाय तथा नीतिगत पहल	332
8. कार्यनिष्पादन/उपलब्धियां	332
9. विनिवेश से प्राप्तियाँ	334
10. विनिवेश प्राप्तियों का उपयोग	334
11. राजभाषा नीति	334
12. ई-गवर्नेन्स	334
13. शिकायत निवारण तंत्र	334
14. अशक्त व्यक्तियों, अ.जा., अ.ज.जा. और अन्य पि.व. के व्यक्तियों के लिए की गई पहल	335
15. सतर्कता तंत्र	335
16. सूचना का अधिकार, अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	335
17. परिणाम ढांचा दस्तावेज 2013-14	335
18. लेखापरीक्षा पैराग्राफ/आपत्तियां	335
19. एकीकृत वित्त इकाई	335
संगठन चार्ट	336

अध्याय - V

वित्तीय सेवाएं विभाग

1. बैंकिंग परिचालन तथा खाते	340
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	341
3. वित्तीय समावेशन	342
4. कृषि ऋण लक्ष्य	343
5. ऋण वसूली अधिकरण	345
6. अनुपयोज्य आस्तियां (एनपीए)	345
7. वित्तीय संस्थाएं	346
8. ऋण नीति	349
9. सतर्कता	351
10. पेंशन सुधार	353
11. लोगो की शिकायतों का निपटान	354
12. बीमा क्षेत्र	354
13. लेखापरीक्षा पैरा	364
संगठन चार्ट	399

प्रस्तावना

यह मंत्रालय पांच विभागों से मिलकर बना है अर्थात:—

- ❖ आर्थिक कार्य विभाग
- ❖ व्यय विभाग
- ❖ राजस्व विभाग
- ❖ विनिवेश विभाग और
- ❖ वित्तीय सेवाएं विभाग

1. आर्थिक कार्य विभाग

आर्थिक विकास

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी अनंतिम अनुमानों के अनुसार, उपादान लागत पर स्थिर (2004-05) मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2013-14 में 4.7 प्रतिशत होने का अनुमान है, जिसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 4.7 प्रतिशत, 0.4 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद में संगत वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत थी, जिसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 1.4 प्रतिशत, 1.0 प्रतिशत और 7.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

2013-14 की पहली तिमाही एवं दूसरी तिमाही के लिए स.घ.उ. वृद्धि दर क्रमशः 4.7 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि पिछले वर्ष की इन्हीं तिमाहियों के दौरान यह 4.5 प्रतिशत और 4.6 प्रतिशत थी। 2013-14 की तीसरी और चौथी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर प्रत्येक में 4.6 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि पिछले वर्ष की इन्हीं तिमाहियों में यह प्रत्येक में 4.4 प्रतिशत थी।

बचत और निवेश संबंधी सूचना वर्ष 2012-13 तक की ही उपलब्ध है। वर्तमान बाजार मूल्यों पर, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में सकल घरेलू बचत 2012-13 में 30.1 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि 2011-12 में यह 31.3 प्रतिशत रही। 2012-13 में वर्तमान मूल्यों पर सकल पूंजी निर्माण, सकल घरेलू उत्पाद का 34.8 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि 2011-12 में यह 35.5 प्रतिशत था।

कृषि

वर्ष 2013 के दक्षिण पश्चिमी मानसून (जून-सितंबर) के दौरान, देश में, समग्र रूप से वर्षा इसके दीर्घावधिक औसत (एलपीए) की 106 प्रतिशत हुई है। मौसमी वर्षा, उत्तर पश्चिम भारत में इसके एलपीए का 109 प्रतिशत, मध्य भारत में इसके एलपीए का 123 प्रतिशत, दक्षिणी प्रायद्वीप में इसके एलपीए का 115 प्रतिशत और उत्तर पूर्वी भारत में इसके एलपीए का 72 प्रतिशत हुई। देश में, समग्र रूप से, और चार प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में हुई दक्षिण पश्चिम मानसूनी (जून से सितम्बर, 2013 तक) वर्षा अधोलिखित सारणी में दी गई है:

क्षेत्र	वास्तविक (मि.मी.)	दीर्घावधिक औसत (एलपीए) (मि.मी.)	एलपीए का वास्तविक प्रतिशत
अखिल भारत	936.7	886.9	106
उत्तर पश्चिम भारत	671.8	615.0	109
मध्य भारत	1195.3	974.2	123
प्रायद्वीपीय भारत	1037.9	1437.8	72
पूर्वोत्तर भारत	825.6	715.7	115

वर्ष 2013 (जून-सितंबर) के दौरान, कुल 36 मौसम विज्ञान उपप्रभागों में से, 14 में अधिक मौसमी वर्षा हुई, 16 उप-प्रभागों में सामान्य मौसमी वर्षा और 6 उप-प्रभागों में कम मौसमी वर्षा हुई है।

कृषि मंत्रालय द्वारा 14 फरवरी, 2014 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, खाद्यानों और दूसरी मुख्य फसलों का उत्पादन अधोलिखित सारणी में दिया गया है। क्षेत्र में विस्तार के कारण, ये उत्पादन अनुमान, विगत वर्ष की तुलना में, उच्चतर स्तरों पर हैं।

फसल	2012-13 (द्वितीय अग्रिम अनुमान)	2013-14 (द्वितीय अग्रिम अनुमान)	उत्पादन में परिवर्तन
चावल	101.80	106.19	4.39
गेहूं	92.30	95.60	3.30
मोटे अनाज	38.47	41.64	3.17
कुल दलहन	18.34	19.77	1.43
कुल खाद्यान्न	250.14	263.20	13.06
तिलहन	29.46	32.98	3.52
कपास	33.80	35.60	1.80
गन्ना	334.54	345.92	11.38

2013-14 के दौरान खाद्यान्नों के तहत समग्र क्षेत्र समावेश 1247.02 लाख हेक्टेयर है जबकि 2012-13 के दौरान यह 1207.76 लाख हेक्टेयर था। यह, विगत वर्ष की तुलना में, विस्तार क्षेत्र में 39.27 लाख हेक्टेयर की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। 2013-14 के दौरान, चावल के तहत 12.01 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, मोटे अनाजों, दलहनों के तहत 5.85 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र विस्तार रहा। तिलहनों के तहत, 17.99 लाख हेक्टेयर विस्तार क्षेत्र से यह 282.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अनुमानित है, जो अधिक है, गन्ने के क्षेत्र में मामूली वृद्धि हुई और यह बढ़कर 50.32 लाख हेक्टेयर हो गया और कपास के तहत क्षेत्र समावेश मामूली रूप में कम हो गया।

उच्चतर निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित करने, तथा उचित मूल्यों पर आपूर्ति उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से, कृषि वस्तुओं की मूल्य समर्थन नीतियां घोषित

की जाती हैं। प्रमुख कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा बढ़ाए गए हैं ताकि उत्पादकों को उचित मूल्य मिलना, और ऐसा करके कृषि फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

उद्योग

2013-14 के दौरान, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) आधारित औद्योगिक वृद्धि का सूचकांक, पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त

1.1 प्रतिशत वृद्धि दर की तुलना में, (-)0.1 प्रतिशत रहा। तीन प्रमुख क्षेत्रों में से 2013-14 के दौरान यद्यपि बिजली क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है, वहीं इस अवधि के दौरान खनन तथा विनिर्माण क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। बिजली क्षेत्र में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 4.0 प्रतिशत थी। तथापि, खनन और विनिर्माण क्षेत्र में क्रमशः 0.6 प्रतिशत तथा 0.8 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि पिछले वर्ष क्रमशः (-)2.3 प्रतिशत और 1.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।

मार्च, 2014 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (प्रतिशत) आधार 2004-05 = 100

उद्योग समूह	भारांश	मार्च, 2013	मार्च, 2014	अप्रैल-मार्च	
				2012-13	2013-14
खनन	141.57	-2.1	0.3	-2.3	-0.6
विनिर्माण	755.27	4.3	-1.3	1.3	-0.8
बिजली	103.16	3.5	5.4	4.0	6.1
उपयोग आधारित औद्योगिक समूह द्वारा वृद्धि					
बुनियादी वस्तुएं	456.82	3.2	4.0	2.4	2.1
पूंजीगत वस्तुएं	88.25	9.6	-11.6	-6.0	-3.6
मध्यवर्ती वस्तुएं	156.86	2.1	1.6	1.6	3.1
उपभोक्ता वस्तुएं	298.08	1.8	-2.1	2.4	-2.7
टिकाऊ वस्तुएं	84.60	-4.9	-11.8	2.0	-12.2
गैर-टिकाऊ वस्तुएं	213.47	7.3	5.0	2.8	5.0
सामान्य सूचकांक	1000	3.5	-0.1	1.1	-0.1

2013-14 के दौरान, उपयोग आधारित उद्योग समूहों में, यद्यपि बुनियादी वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु तथा उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तु सेक्टर ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की, वहीं पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं जिसमें उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं शामिल हैं, में इसी अवधि में ऋणात्मक वृद्धि परिलक्षित हुई है। पूंजी वस्तु क्षेत्र में 2013-14 (-3.6 प्रतिशत) तथा 2012-13 (-6.0 प्रतिशत) दोनों वर्षों के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही साथ, 2013-14 के दौरान मध्यवर्ती वस्तु सेक्टर में 3.1 प्रतिशत विकास दर रही, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 1.6 प्रतिशत थी। बुनियादी वस्तु क्षेत्र में, 2013-14 के दौरान, वृद्धि दर 2.1 प्रतिशत थी, जबकि 2012-13 में यह 2.4 प्रतिशत दर्ज की गई थी। उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में, समतुल्य विकास दरें क्रमशः (-)2.7 प्रतिशत और 2.4 प्रतिशत थी। इसी प्रकार, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु क्षेत्र में, 2013-14 के दौरान, वृद्धि दर (-)12.2 प्रतिशत थी जबकि 2012-13 में यह 2.0 प्रतिशत थी। इसके विपरीत, उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तु क्षेत्र में समतुल्य वृद्धि दरें क्रमशः 5.0 प्रतिशत और 2.8 प्रतिशत थीं।

उद्योगों के संदर्भ में, विनिर्माण क्षेत्र में बाइस (22) उद्योग समूहों में से दस (10) (2-अंक एनआईसी-2004 के अनुसार) में, विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, 2013-2014 के दौरान ऋणात्मक-वृद्धि दर्ज की गई। उद्योग समूह 'रेडियो, टीवी और संचार

उपकरण/साजो-सामान' में सबसे अधिक (-) 27.3 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्शायी गयी है। इसके बाद कार्यालय, लेखाकरण और संगणक मशीनरी (-) 15.7 प्रतिशत, और फर्नीचर विनिर्माण में (-) 13.8 प्रतिशत रही है। दूसरी ओर, उद्योग समूह "परिधान, वस्त्र और फर की रंगाई" ने सबसे अधिक 20.7 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की है। इसके बाद यह इलैक्ट्रिक मशीनरी एवं उपकरण में 14.5 प्रतिशत तथा "रसायन और रसायन उत्पादों" में 9.0 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है।

अवसंरचना

2013-14 के दौरान, आठ प्रमुख उद्योगों (जिसमें, आईआईपी सूचकांक में 37.90 प्रतिशत के संयुक्त भारांश के साथ कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल हैं) के सूचकांक में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि 2012-13 के दौरान 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की गयी थी। इसी दौरान, आठ प्रमुख उद्योगों में से छह उद्योगों नामशः बिजली (5.6 प्रतिशत), इस्पात (4.9 प्रतिशत), सीमेंट (3.0 प्रतिशत), परिशोधक उत्पाद (1.7 प्रतिशत), उर्वरक (1.5 प्रतिशत) और कोयला (0.7 प्रतिशत) में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गयी थी। शेष दो सेक्टरों अर्थात कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, में क्रमशः 0.2 प्रतिशत और 13.0 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर अंकित की गयी।

कीमतें और मुद्रास्फीति

थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मापी गयी औसत हेडलाइन मुद्रास्फीति का 2013-14 में गिरना जारी रहा। यह 2011-12 में 8.94 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 7.35 प्रतिशत तथा 2013-14 में और घटकर 5.98 प्रतिशत रह गई। मुद्रास्फीति में यह गिरावट, खाद्य-भिन्न स्फीति में गिरावट के कारण आयी, क्योंकि खाद्य-मुद्रास्फीति की इस अवधि के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति जारी रही।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान अनाज, अण्डा, मांस और मछली, विशेषतया अंतर्देशीय मछली, तथा फल एवं सब्जियों में उच्च मुद्रास्फीति की वजह से, उच्च खाद्य स्फीति रही। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंधी आंकड़ों में यही परिलक्षित हुआ है जिसे अधोलिखित सारणी से देखा जा सकता है:-

चुनिदा समूहों/उप समूहों में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति (%)				
	भारांश (%)	2011-12	2012-13	2013-14
हेडलाइन मुद्रास्फीति	100.00	8.94	7.35	5.98
खाद्य	24.31	7.24	9.28	9.43
अनाज	3.37	3.86	13.42	12.84
चावल	1.79	3.05	12.69	16.51
गेहूँ	1.12	-1.84	15.51	9.20
फल और सब्जियाँ	3.84	6.45	8.33	23.11
सब्जियाँ	1.74	-1.95	17.20	40.16
प्याज	0.18	-28.09	24.56	107.40
अंडे, मांस और मछली	2.41	12.73	14.08	12.77
अंतर्देशीय मछली	0.57	29.67	21.07	26.18
खाद्य-भिन्न	75.69	9.60	6.63	4.65

चुनिदा समूहों/उप समूहों में थोक मूल्य सूचकांक (नई श्रृंखला) मुद्रास्फीति(%)			
	भारांश (%)	2012-13	2013-14
सामान्य मुद्रास्फीति	100.00	10.21	9.49
खाद्य	47.58	11.88	11.15
अनाज और उत्पाद	14.59	10.54	13.21
मांस, मछली, आदि	2.89	12.19	12.06
दुग्ध और दुग्ध उत्पाद	7.73	10.45	8.66
सब्जियाँ	5.44	20.63	25.96
फल	1.89	7.45	11.23
खाद्य-भिन्न	52.42	8.71	7.95

यद्यपि हेडलाइन मुद्रास्फीति कम हुई है, फिर भी सरकार खाद्य मुद्रास्फीति पर लगातार नजर रखे हुए है। खाद्य महंगाई बढ़ने के कारकों में मौसमी और संरचनात्मक दोनों कारक शामिल रहे हैं। सरकार द्वारा लागू की गई कृषकों के हितों के संरक्षण के उद्देश्य वाली अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी कतिपय विवेकपूर्ण नीतियों से भी खाद्य स्फीति बढ़ी है। ऐसी नीतियों के अलावा, कुछ मौसमी कारकों के कारण भी खाद्य स्फीति बढ़ी है, विशेषकर सब्जियों में। खासकर, प्याज की कीमतों में मौसमी कारकों की वजह से बहुत-अधिक घट-बढ़, बहुत अधिक अलोचशील मांग और प्याज को अल्प समय तक रखने के कारण, इसकी कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता रही। इससे खाद्य स्फीति पर प्रभाव पड़ा और थोक मूल्य सूचकांक में

इसके भारांश से अधिक स्फीति बढ़ी।

खाद्य स्फीति को नियंत्रित करने और समाज के कमजोर वर्गों को महंगाई से बचाने के लिए, सरकार ने अनेक वित्तीय और प्रशासनिक उपाय किए हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, गेहूँ और चावल का निर्गम मूल्य जुलाई, 2002 से ज्यों का त्यों रखा हुआ है। सरकार डीजल, केरोसीन और एलपीजी की लागत का एक बड़ा भाग वहन करती आ रही है ताकि उपभोक्ताओं पर इसके कारण कुछ ही प्रभाव पड़े। मुनाफाखोरी रोकना/उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए वस्तु-विशिष्ट वित्तीय और प्रशासनिक उपाय किए गए हैं। स्फीति कम करना और स्फीति की संभावना को काबू में रखना, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य रहा है।

2013-14 के दौरान मौद्रिक प्रवृत्तियां और घटनाक्रम

मुद्रास्फीति के दबाव को अवंदित करके भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई उत्तरोत्तर मौद्रिक-सहजता की प्रक्रिया, बड़ी मात्रा में पूंजी के, विशेषकर ऋण खण्ड में, बाहर चले जाने तथा परिणामस्वरूप रुपए के तीव्र अवमूल्यन के कारण, रुक गयी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका से संकेत मिलने पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने, 3 मई, 2013 को दिए गए अपने वार्षिक मौद्रिक नीति विवरण में घोषित अपनी स्थिति में उलटफेर करते हुए, अनेक अल्पावधिक उपाय किए ताकि प्रमात्रात्मक सम्पन्नता धीरे-धीरे कम किया जाए, जिसके पूंजी बहिर्वाह और विनिमय दर की अस्थिरता बढ़ गई।

- * 15 जुलाई, 2013 को, भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमांत स्थायी सुविधा दर 200 आधार बिंदु बढ़ाकर 10.25 प्रतिशत की।
- * 24 जुलाई, 2013 को, नकदी समायोजन सुविधा के अंतर्गत उधार प्रत्येक बैंक की निवल मांग और सावधि देनदारी के 0.5 प्रतिशत पर सीमित कर दिया गया, इसके द्वारा सीमांत स्थायी सुविधा दर प्रभावी नीति दर के रूप में बनाई गई।
- * केश रिजर्व, अनुपात (सीआरआर) के दैनिक रख-रखाव की राशि में लचीलापन समाप्त कर दिया गया। पखवाड़ा-वार औसत आधार पर और दैनिक आधार पर 70 प्रतिशत पर सीआरआर बनाए रखने की अपेक्षा से बैंकों को दैनिक आधार पर आवश्यकता के 99 प्रतिशत पर सीआरआर बनाए रखनी थी।
- * नकदी सहजता से उपलब्ध न हो, इसके लिए नकदी प्रबंध हण्डियां जारी की गईं।

इन उपायों का असर मुद्रा बाजार दरों पर शीघ्र पड़ा और कड़ी नकदी दशाओं का प्रभाव ऋण देने और जमा राशि की दरों पर आंशिक रूप से परिलक्षित हुआ। आकस्मिक उपाय के रूप में और म्यूचुअल फंड पर मोचन दबावों की प्रत्याशा में, भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंडों को नकदी सहायता देने के लिए 250 बिलियन रुपए की अधिसूचित राशि के लिए एक समर्पित विशेष रेपो बिंडो खोली।

जैसे ही पूंजी बहिर्वाह धीमा पड़ा और विनिमय दर कुछ स्थिर हुई, भारतीय रिजर्व बैंक ने, 20 सितंबर, 2013 को तिमाही समीक्षा से विशिष्ट नकदी उपायों के अंशांकित वापसी की प्रक्रिया शुरू की। सीमांत स्थायी सुविधा दर, 10.25 प्रतिशत से घटाकर 9.5 प्रतिशत करके, 75 आधार बिंदु कम की गई और सीआरआर का न्यूनतम दैनिक अनुसूचन अपेक्षा के 99 प्रतिशत से कम करके 95 प्रतिशत किया गया, जो 21 सितंबर, 2013 से आरंभ हुए पखवाड़ा से लागू हुआ। तथापि, स्फीति में बढ़ोत्तरी और रुपए के आंतरिक मूल्य को बनाए रखने में मदद हेतु मामूली अंकुश लगाने तथा स्थायी विकास के पुनरुद्धार हेतु अनुकूल माहौल तैयार के लिए, रेपो दर, 25 आधार बिंदु बढ़ाकर, 7.5 प्रतिशत कर दी गई।

उभरती नकदी स्थिति के मद्देनजर और 7 अक्टूबर, 2013 को इस अंशांकित ढील को जारी रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने

सीमांत स्थायी सुविधा दर, और 50 आधार बिंदु घटाकर, 9.5 प्रतिशत से 9.0 प्रतिशत कर दी। 11 अक्टूबर, 2013 से शुरू करके प्रत्येक शुक्रवार को परिवर्तनीय दर नीलामी के जरिए, बैंकिंग प्रणाली के 0.25 प्रतिशत एनडीटीएल के समतुल्य अधिसूचित राशि के लिए 7 दिवस और 14 दिवसीय टेनोर के सावधि रेपो के माध्यम से अतिरिक्त नकदी की व्यवस्था करने की भी घोषणा की गयी थी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने, 29 अक्टूबर, 2013 की अपनी दूसरी तिमाही समीक्षा में, सीमांत स्थायी सुविधा दर, में और 25 आधार बिंदु कम करके 9.00 प्रतिशत से 8.75 करके, विशिष्ट उपायों में अंशांकित ढील जारी रखी। म्यूचुअल फंड्स के लिए विशेष रेपो बिंडो जुलाई, 2013 में शुरू की गई थी ताकि बैंक म्यूचुअल फंडों की नकदी आवश्यकता पूरी कर सके, इसे भी समाप्त कर दिया गया। आगामी महीनों में थोक और उपभोक्ता मूल्य, दोनों में स्फीति के अधिक बने रहने की संभावना के कारण, मुख्य नीति रेपो दर, 25 आधार बिंदु बढ़ाकर, 7.50 प्रतिशत से 7.75 प्रतिशत की गयी। नकदी स्थिति सामान्य बनाने के लिए प्रणाली में नकदी लगाने की दृष्टि से, सीमांत स्थायी सुविधा दर में कमी करने के अलावा, 7 दिवसीय और 14 दिवसीय टेनोर के सावधि रेपो के जरिए प्रदत्त नकदी, बैंकिंग प्रणाली के एनडीटीएल के 0.25 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत थी। इन उपायों का उद्देश्य, बढ़ते स्फीतिकारक दबावों को कम करना और कमजोर आर्थिक वृद्धि की स्थिति में महंगाई संभावनाओं को साधना था।

भारतीय रिजर्व बैंक ने, 28 जनवरी, 2014 की अपनी मौद्रिक नीति की तीसरी तिमाही समीक्षा में, रेपो रेट, मुद्रास्फीति के बढ़ते जोखिमों के कारण, 25 आधार बिंदु बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दी ताकि मुद्रास्फीति की संभावना को कम किया जा सके और दूसरे सामान्य प्रभावों को रोका जा सके। इसका आशय अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रूप से अवस्फीति पथ पर अग्रसर करना था जैसाकि अर्जित पटेल समिति द्वारा अनुशंसित किया गया था।

2013-14 के दौरान, आरक्षित मुद्रा में वृद्धि दर 12.6 प्रतिशत (28 मार्च, 2014 तक) रही, जबकि स्थूल मुद्रा (एम3) वृद्धि 13.5 प्रतिशत (21 मार्च, 2014 तक) हुई। वर्षानुवर्ष खाद्य-भिन्न ऋण 17.8 प्रतिशत (21 मार्च, 2014 तक) बढ़ा है।

2013-14 के दौरान भुगतान शेष घटनाक्रम

वर्ष 2011-12 और 2012-13 में उच्च स्तर पर बने रहने के बाद, चालू खाता घाटा 2013-14 में कम हुआ। यह मुख्यतया सोना जैसी गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात को नियंत्रित करने हेतु किए गए उपायों की सफलता से हुआ।

वर्ष 2013-14 के दौरान, पण्य वस्तु निर्यात (भुगतान शेष आधार पर) 3.9 प्रतिशत बढ़कर 318.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जबकि 2012-13 में यह 306.6 बिलियन अमरीकी डालर था। वर्ष 2013-14 में आयात 7.2 प्रतिशत घटकर 466.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जबकि 2012-13 में यह 502.2 बिलियन अमरीकी डालर था। निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी के कारण, व्यापार घाटा तेजी से कम हुआ और 2013-14 में 147.6 बिलियन अमरीकी डालर (स.घ.उ. का 7.9 प्रतिशत) पर आ गया, जबकि

2013-13 में यह 195.7 बिलियन अमरीकी डालर (स.घ.उ. का 10.5 प्रतिशत) था। निवल अदृश्य प्राप्तियां, 7.2 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में 115.2 बिलियन अमरीकी डालर पहुंच गई, जबकि 2012-13 में ये 107.5 बिलियन अमरीकी डालर थी। निवल अदृश्य प्राप्तियों में वृद्धि से व्यापार घाटे में गिरावट आने से, चालू खाता घाटे में कमी आई। यह 2012-13 में रहे 88.2 बिलियन अमरीकी डालर (स.घ.उ. का 4.7 प्रतिशत) से कम होकर, 2013-14 में 32.4 बिलियन अमरीकी डालर (स.घ.उ. का 1.7 प्रतिशत) रह गया। तथापि, निवल पूंजी प्रवाह, 2012-13 की तदनुसूची अवधि में 92.0

बिलियन अमरीकी डालर (स.घ.उ. का 4.9 प्रतिशत) से कम होकर 2013-14 में 47.9 बिलियन अमरीकी डालर (स.घ.उ. का 2.6 प्रतिशत) रह गया। यह, अपेक्षाकृत कम निवल पोर्टफोलियो प्रवाहों और अल्पावधिक ऋण की निवल अदायगियों के कारण हुआ। भुगतान शेष आधार पर, विदेशी मुद्रा भंडार में 2013-14 में 15.5 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई, जबकि 2012-13 में यह 3.8 बिलियन अमरीकी डालर बढ़ा था।

भुगतान शेष के घटनाक्रमों की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण अधोलिखित सारणी में दिया गया है:

सारणी: भुगतान शेष का संक्षिप्त विवरण (मिलियन अमरीकी डालर)			
क्र.सं.	मद	2012-13 आंशिक संशोधित	2013-14 अनंतिम
1	निर्यात	306581	318607
2	आयात	502237	466216
3	व्यापार संतुलन	-195656	-147609
4	अदृश्य मद	107493	115212
5	चालू खाता शेष	-88163	-32397
6	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	19819	21564
7	पोर्टफोलियो निवेश	26891	4822
8	विदेशी सहायता	982	1032
9	विदेशी वाणिज्यिक उधार	8485	11777
10	अल्पावधिक ऋण	21657	-5044
11	बैंकिंग पूंजी	16570	25449
12	अन्य प्रवाह	-5105	-10813
13	भूल-चूक	2689	-882
14	पूंजी खाता शेष (भूल-चूक सहित)	91989	47905
15	समग्र शेष	3826	15508
16	आरक्षित निधि में घट-बढ़ वृद्धि(-)कमी(+)	-3826	-15508
अ: आरंभिक अं.सं.: अशत: संशोधित नोट: पूर्णांकित करने के कारण, जोड़ शायद मेल न खाएं।			
		स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक।	

विदेशी मुद्रा भंडार

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए), स्वर्ण, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित अंश (आरटीपी) से मिलकर बनता है। वित्त वर्ष 2013-14 में, विदेशी मुद्रा भंडार 275.5 बिलियन अमरीकी डालर से 304.2 बिलियन अमरीकी डालर के बीच रहा। मार्च, 2014 की समाप्ति पर, विदेशी मुद्रा भंडार 304.2 बिलियन अमरीकी डालर था, जबकि मार्च, 2013 की समाप्ति पर, यह 292.0 बिलियन अमरीकी डालर था, जो 12.2 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि परिलक्षित करता है।

रुपए की विनिमय दर

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, रुपए की मासिक औसत विनिमय दर (भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर) प्रति अमरीकी डालर 54.38 रुपए से 63.75 रुपए के बीच रही। रुपए की दैनिक विनिमय दर अगस्त, 2013 में प्रति अमरीकी डालर 68 रुपए के स्तर को पार कर गई (28 अगस्त, 2013 को 68.36 रुपए प्रति अमरीकी डालर)।

तथापि, यह सुधरकर, 28 मार्च, 2014 को 60.10 रुपए प्रति अमरीकी डालर पर आ गई। यह, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चालू खाता घाटे को कम करने और पूंजी प्रवाहों में बढ़ोतरी

करने के लिए सरकार द्वारा उठाए कदमों, तथा यू.एस. फेडरल रिजर्व टेपर के संबंध में अधिक स्पष्टता आने से संभव हुआ। रुपए के मूल्य में 10.8 प्रतिशत की गिरावट आई, इसका मूल्य मार्च 2013 में 54.40 रुपए प्रति अमरीकी डालर से घटकर, मार्च 2014 में 61.01

रुपए प्रति अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गया था।

वर्ष 2013-14 में, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले रुपए की मासिक विनिमय दर अधोलिखित सारणी में दर्शाई गई है:

सारणी : प्रत्येक विदेशी मुद्रा के मुकाबले रुपए की मासिक औसत विनिमय दर*				
माह	अमरीकी डालर	पाउंड स्टर्लिंग	यूरो	जापानी येन**
मार्च 2013	54.40	82.02	70.60	57.44
अप्रैल 2013	54.38	83.20	70.77	55.71
मई 2013	55.01	84.11	71.38	54.51
जून 2013	58.40	90.47	77.07	59.99
जुलाई 2013	59.78	90.78	78.20	60.00
अगस्त 2013	63.21	97.87	84.18	64.57
सितंबर 2013	63.75	101.10	85.12	64.27
अक्टूबर 2013	61.62	99.20	84.10	63.00
नवंबर 2013	62.63	100.88	84.53	62.63
दिसंबर 2013	61.91	101.40	84.82	59.83
जनवरी 2014	62.07	102.27	84.56	59.68
फरवरी 2014	62.25	102.97	84.97	61.02
मार्च 2014	61.01	101.41	84.36	59.65
स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक *आरबीआई की संदर्भ दर ** प्रति 100 येन				

विदेशी ऋण

भारत का विदेशी ऋण स्टॉक, मार्च, 2014 की समाप्ति पर 440.6 बिलियन अमरीकी डालर था। यह, मार्च, 2013 की समाप्ति के स्तर से, 31.2 बिलियन अमरीकी डालर अधिक है। भारत के विदेशी ऋण के परिपक्वता अवधि विन्यास से यह इंगित होता है कि इसमें दीर्घकालिक उधारों की अधिकता है। इस अवधि के दौरान विदेशी ऋण में वृद्धि, दीर्घकालिक ऋण, विशेषकर एनआरआई जमाराशियों, के कारण हुई। एनआरआई जमाराशियों में तीव्र वृद्धि, सितंबर-नवंबर 2013 के दौरान स्वैप स्कीम के अंतर्गत जुटायी गई नई एफसीएनआर(बी) जमाओं के प्रभाव को परिलक्षित करती है। मार्च, 2014 की समाप्ति पर, दीर्घकालिक विदेशी ऋण 351.4 बिलियन अमरीकी डालर था, जो मार्च, 2013 की समाप्ति के स्तर 312.7 बिलियन अमरीकी डालर से 12.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। मार्च, 2014 की समाप्ति पर, दीर्घकालिक विदेशी ऋण, कुल विदेशी ऋण का 79.7 प्रतिशत था जबकि मार्च, 2013 की समाप्ति पर यह 76.4 प्रतिशत था।

मार्च, 2014 की समाप्ति पर, अमरीकी डालर अंकित ऋण का हिस्सा विदेशी ऋण स्टॉक में 61.8 प्रतिशत पर सर्वाधिक बना रहा, इसके पश्चात भारतीय रुपया (21.1 प्रतिशत), एसडीआर (6.9 प्रतिशत), जापानी येन (5.1 प्रतिशत), और यूरो (3.4 प्रतिशत) रहे। मार्च 2014 की समाप्ति पर, सरकारी विदेशी ऋण की राशि 81.5

बिलियन अमरीकी डालर थी। भारत के कुल विदेशी ऋण में सरकारी विदेशी ऋण का भाग, मार्च, 2014 की समाप्ति पर रहे 20.0 प्रतिशत से घटकर मार्च, 2013 की समाप्ति पर 18.5 प्रतिशत रह गया।

मार्च, 2014 की समाप्ति पर, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने विदेशी ऋण स्टॉक का 69.0 प्रतिशत कवर किया है (मार्च, 2013 की समाप्ति पर 71.3 प्रतिशत)। मार्च, 2014 की समाप्ति पर, विदेशी मुद्रा भंडार में अल्पावधिक विदेशी ऋण का अनुपात 29.3 प्रतिशत था, जबकि मार्चांत, 2013 में यह 33.1 प्रतिशत था। कुल विदेशी ऋण में रियायती ऋण का अनुपात, मार्चांत, 2013 के 11.1 प्रतिशत से घटकर मार्च, 2014 की समाप्ति पर 10.5 प्रतिशत रह गया, जो गैर-सरकारी ऋण के बढ़ते हिस्से को परिलक्षित करता है।

भारत सरकार द्वारा अनुकरण की जा रही विदेशी ऋण प्रबंध नीति में दीर्घावधिक और अल्पावधिक ऋण की निगरानी रखने, रियायती शर्तों पर दीर्घावधिक परिपक्वता वाले ऋण जुटाने, अंतिम प्रयोग, समग्र लागत एवं परिपक्वता प्रतिबंधों के माध्यम से विदेशी वाणिज्यिक उधारों को विनियमित करने और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाओं पर लगने वाले ब्याज की दरों को युक्तियुक्त बनाने पर बल दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, विदेशी ऋण नियंत्रणीय सीमाओं के भीतर रहा है।

वाणिज्यिक व्यापार

गत वर्षों के दौरान, विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा क्रमिक रूप से बढ़ा है। 2000 में, वैश्विक निर्यात और आयात में भारत का

अंशदान क्रमशः 0.7 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत था। यह बढ़कर 2013 में 1.7 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत हो गया है। प्रमुख निर्यातक और आयातक देशों की श्रेणी में भी इसका स्थान 2000 में 31 और 26 था, जो बढ़कर 2012 में क्रमशः 19 और 10 हो गया है।

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत का कुल वाणिज्यिक व्यापार भी 2004-05 के 29.5 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 43.8 प्रतिशत हो गया है।

2010-11 में 40.5 प्रतिशत की उच्च निर्यात वृद्धि के बाद, यह, प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप 2011-12 में घटकर, 21.8 प्रतिशत तथा और घटकर 2012-13 में (-)1.8 प्रतिशत रह गया। तथापि, 2013-14 में, भारत के निर्यात का मूल्य 312.6 बिलियन अमरीकी डालर था, जो पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में, 4.1 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

2013-14 में भारत द्वारा 450.1 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का आयात किया गया जो, 2012-13 में भारत द्वारा किए गए आयात की तुलना में, 8.3 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। 2013-14 में, पेट्रोलियम, ऑइल और लुब्रिकेंट का 165.1 बिलियन अमरीकी डालर का आयात किया गया, जो 0.7 प्रतिशत अधिक रहा, तथा पेट्रोलियम, ऑइल और लुब्रिकेंट से भिन्न अन्य पदार्थों का 284.9 बिलियन अमरीकी डालर का आयात किया गया। यह, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.8 प्रतिशत कम रहा।

स्वर्ण और चांदी का आयात मूल्य, 2010-11 के 42.6 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2011-12 में 61.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। सरकार द्वारा किए गए उपायों के परिणामस्वरूप, स्वर्ण और चांदी का आयात मूल्य 2012-13 में घटकर 55.8 बिलियन अमरीकी डालर और 2013-14 में और घटकर 33.4 बिलियन अमरीकी डालर रह गया।

व्यापार घाटे में 27.8 प्रतिशत की तेज गिरावट अंकित की गई। यह, 2012-13 के 190.3 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर, 2013-14 में 137.5 बिलियन अमरीकी डालर रह गया।

सेवा व्यापार

वाणिज्यिक सेवाओं के वैश्विक निर्यात और आयात में भारत का हिस्सा, 2000 के 1.2 प्रतिशत और 1.4 प्रतिशत से बढ़कर 2012 में 3.4 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत हो गया। 2012 में अग्रणी निर्यातकों और आयातकों में इसका 7वां स्थान था।

2013-14 के दौरान, सेवा निर्यात, पिछले वर्ष की तुलना में, 4.0 प्रतिशत बढ़कर 151.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। 78.5 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का सेवा आयात किया गया, जो 2012-13 की तुलना में 2.8 प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धि दर्शाता है। निवल सेवा व्यापार 73.0 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का हुआ जो 2012-13 की तुलना में 12.4 प्रतिशत अधिक है।

सामाजिक क्षेत्र का विकास

वर्ष 2008 में उत्पन्न वित्तीय संकट, और हाल के वैश्विक वित्तीय संकट से भारत सहित, विश्व के सभी देश प्रभावित हुए हैं।

इस प्रकार की आकस्मिकताओं का सामना करने के लिए, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को ठीक से बनाए जाने की आवश्यकता है। गरीबों के लिए सरकार की ऐसी लक्षित नीतियों से परिव्यय को परिणामों में बेहतर ढंग से बदलने में सहायता मिल सकती है जिनमें क्षतियां कम से कम हों। इससे लोगों, विशेषकर गरीबों, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिला जैसे दुर्बल वर्गों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार सुनिश्चित होगा। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि तेंदुलकर समिति के अनुमानों के अनुसार, देश में गरीबी अनुपात 2004-05 में 37.2 प्रतिशत था, जो घटकर 2011-12 में 21.9 प्रतिशत आ गया है। निरपेक्ष अर्थों में, गरीबों की संख्या 2004-05 में 407.1 मिलियन थी, जो घटकर 2011-12 में 269.3 मिलियन रह गई है। 2004-05 और 2011-12 के बीच, गरीबी अनुपात में औसत वार्षिक कमी प्रति वर्ष 2.2 प्रतिशत अंकों की आई। यह, 1993-94 से 2004-05 की अवधि के दौरान गरीबी अनुपात में हुई कमी की तुलना में, लगभग तीन गुना अधिक है। चूंकि सरकार के एजेंडे में समावेशी विकास उच्च प्राथमिकता पर है, अतः सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मानव विकास के मुद्दों और अन्य सामाजिक-आर्थिक उत्थान के उपायों पर ध्यान केंद्रित करके एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए, सरकार द्वारा चलायी जा रही कुछ महत्वपूर्ण स्कीमों का वर्णन इस प्रकार है:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा):

इस स्कीम के लिए 2013-14 के बजट में 33,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2013-14 के दौरान (20.06.2014 की स्थिति के अनुसार एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया गया व्यय 38,632.06 करोड़ रुपए है। यह, उपलब्ध 42,345.22 करोड़ रुपए की निधियों का 91.0 प्रतिशत बैठता है (जिसमें आरंभिक शेष 3 केंद्र द्वारा जारी राशि 3 राज्य द्वारा जारी राशि और विभिन्न प्राप्तियां शामिल हैं) तथा 4.78 करोड़ परिवारों को इस अवधि के दौरान सृजित 219.86 करोड़ जन दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया है। इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं का हिस्सा क्रमशः 23 प्रतिशत, 17 प्रतिशत और 53 प्रतिशत है। कुल सृजित जन दिवसों में महिलाओं की हिस्सेदारी इस अधिनियम के अनुसार 1/3 के निबंधन से काफी अधिक है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई): वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3,500 वास स्थानों को सड़कों से जोड़ने तथा 27,000 कि.मी. सड़कों का निर्माण करने के लिए 21,700 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। सितंबर, 2013 तक, 2069 वास स्थानों को जोड़ा गया है, 8,476.28 कि.मी. लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है तथा कुल 5,015.96 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इस योजना को आरंभ किए जाने के बाद से, राज्यों द्वारा 2,34,402 कि.मी. लंबी नई सड़कें बनाई गई हैं तथा 1,48,165 कि.मी. सड़कों को स्तरीय बनाया गया है (अगस्त 2013 तक)।

इंदिरा आवास योजना (आईएवाई): वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, ग्रामीण आवास-निर्माण हेतु 15,184 करोड़ रुपए की राशि

आबंटित की गयी है। इसमें से, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 24.81 लाख मकानों के निर्माण हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के लिए 13,894.90 करोड़ रुपए की राशि निश्चित की गयी है। सितंबर, 2013 तक, 6,697.06 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई तथा 1162 मकान बनाए गए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम): स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) फिर से बनाकर 2011-12 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में कार्यान्वित की गई है। समर्पित मिशन आधारभूत ढांचा और संबंधित व्यवस्था प्रणालियां तैयार करने के बाद, 24 राज्यों ने इस मिशन को अपना लिया है। शेष राज्यों द्वारा इसे चालू वित्त वर्ष के दौरान अपना लिए जाने की आशा है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, इस मिशन के लिए कुल 4000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है, जबकि 30 सितंबर, 2013 तक, कुल 858.41 करोड़ रुपए की राशि जारी की गयी है। इस मिशन के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों की कुल संख्या 13,15,437 है। इनमें से, 2,19,061 (या 17 प्रतिशत) को इस वित्त वर्ष में कार्यप्रवृत्त किया गया है। 16,799 स्व-सहायता समूहों को 34.16 करोड़ रुपए की राशि परिक्रामी निधि के रूप में प्रदान की गई है। 1,704 ग्रामीण संगठनों (स्व-सहायता समूहों की प्राथमिक स्तरीय संघीय संरचना) को सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) के रूप में 7.53 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जबकि 199 ग्रामीण संगठनों को असमर्थता निवारण निधि के रूप में 6.20 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई): 1 दिसंबर 1997 को शुरू की गई स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रह रहे बेरोजगार तथा अल्प रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को लाभदायक रोजगार प्रदान करने के लिए उन्हें स्वरोजगार उद्यमों को स्थापित करने या वैतनिक रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध कराना है। वर्ष 2013-14 के दौरान इस योजना के लिए 950.0 करोड़ रुपए का वार्षिक बजटीय प्रावधान किया गया था और इसमें से, 380.57 करोड़ रुपए 1 नवंबर 2013 तक जारी कर दिए गए हैं। 2013-14 के दौरान 31 अक्टूबर 2013 की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम से कुल 4,42,850 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम): राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एक उप-मिशन के रूप में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के एक अन्य उप मिशन के साथ, 2013 में शुरू किया गया था। वर्ष 2013-14 के दौरान ग्रामीण और शहरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु 20,999 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में, ग्रामीण व्यक्तियों, विशेषकर समाज के दुर्बल वर्गों को सुगम्य, वहनीय और स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किए जाने का उल्लेख है। इस मिशन को आरंभ किए जाने से अब तक, राज्यों को लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। समुदाय तथा स्वास्थ्य तंत्र के बीच कड़ी का काम करने के लिए एनआरएचएम के अंतर्गत 8.89 लाख से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। इन कार्यकर्ताओं को मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता

(आशा) कहा जाता है। एनआरएचएम ने राज्यों को, संविदा आधार पर, लगभग 1.56 लाख अतिरिक्त स्वास्थ्य मानव संसाधन, जिनमें 8,129 जीडीएमओ, 2007 विशेषज्ञ, 70,608 एएनएम और 34,605 स्टाफ नर्स शामिल हैं, उपलब्ध कराकर मानव संसाधन की कमी को पूरा करने का प्रयास किया है। एनआरएचएम के अंतर्गत, देश के 640 जिलों में से, 427 जिलों को 2028 संचल चिकित्सा यूनिटें (एमएमयू) उपलब्ध करायी गयी हैं। एनआरएचएम स्वास्थ्य सुविधाओं में आयुष सेवाएं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल को एक स्थान पर लाने में भी सहायक है। एनआरएचएम की वित्तीय सहायता से, राज्यों में कुल 11,925 आयुष चिकित्सक तैनात किए गए हैं। अब तक, 13,373 और 16,452 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उपमंडलीय अस्पताल और जिला अस्पतालों का निर्माण और उन्नयन किया गया है।

मध्याह्न भोजन (मिड डे मील): शिक्षा क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों अर्थात् मध्याह्न भोजन स्कीम से समर्थित सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। मध्याह्न भोजन स्कीम के अंतर्गत, 2012-13 के दौरान, देश के 12.12 लाख स्कूलों में पढ़ रहे 10.68 करोड़ बच्चों को गरम खाना उपलब्ध कराया गया। 2012-13 के दौरान, स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन तैयार करने और परोसने के लिए 12.13 लाख स्कूलों को रसोईघर में प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरण उपलब्ध कराए गए और राज्यों द्वारा 25.48 लाख रसोइया व सहायक नियुक्त किए गए हैं। बच्चों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा तथा उन्हें स्वास्थ्यवर्धक एवं पोषक भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए, 6.26 लाख रसोई-सह-भंडार गृह निर्मित किए गए हैं। मध्याह्न भोजन स्कीम के अंतर्गत, वर्ष 2013-14 के लिए 13,215 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई): इस योजना के अंतर्गत, 30.04.2014 की स्थिति के अनुसार, 3.71 करोड़ से अधिक बीपीएल परिवारों के पास आरएसबीवाई सक्रिय स्मार्ट कार्ड हैं। बीपीएल परिवारों के अतिरिक्त, आरएसबीवाई का विस्तार असंगठित कामगारों की विभिन्न अन्य श्रेणियों के लिए भी किया गया है। सरकार का प्रयास है कि आरएसबीवाई को चरणबद्ध तरीके से सभी असंगठित कामगारों तक पहुंचाया जाए। व्यावसायिक समूहों अर्थात् साफ-सफाई के काम से जुड़े श्रमिकों, रिकशाचालकों, कचरा चुनने वालों, खदान श्रमिकों और ऑटो/टैक्सी चालकों को जून 2013 में इस योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

जेंडर बजटिंग : आर्थिक वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को अलग-थलग नहीं किया जा सकता है और उनकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती है तथा इस ओर नीति निर्माताओं द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, इसके विषय में विभिन्न योजना स्कीमों के अंतर्गत योजना व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। कुल बजट के प्रतिशत के रूप में जेंडर-बजटिंग के लिए धन का आबंटन बढ़ गया है। यह 2005-06 में 2.79 प्रतिशत था, जो बढ़कर 2012-13 में 5.91 प्रतिशत हो गया है।

2. व्यय विभाग

व्यय विभाग, केन्द्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्य वित्त से संबंधित मामलों की निगरानी के लिए नोडल विभाग है। इस विभाग के प्रमुख क्रिया-कलापों में प्रमुख स्कीमों/परियोजनाओं (योजना और गैर योजना व्यय दोनों) का संस्वीकृति-पूर्व मूल्यांकन, राज्यों को अंतरित अधिकांश केन्द्रीय बजट संसाधनों का प्रबंधन, वित्त और केन्द्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों को लागू करना, वित्त सलाहकारों के साथ इंटरफेस के माध्यम से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में व्यय प्रबंधन का निरीक्षण करना तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों/अभ्युक्तियों की मॉनिटरिंग के माध्यम से वित्तीय नियमों/विनियमों/आदेशों का प्रशासन, केन्द्र सरकार के लेखे तैयार करना, केन्द्र सरकार में कार्मिक प्रबंधन के वित्तीय पहलुओं की व्यवस्था करना, सार्वजनिक सेवाओं की लागत एवं मूल्य नियंत्रण में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की सहायता करना, स्टाफिंग पद्धति एवं ओ एंड एम अध्ययनों की समीक्षा करके संगठनात्मक पुनर्संरचना में सहायता करना और सार्वजनिक व्यय के इष्टतम आउटपुट और परिणामों के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना शामिल है। यह विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित मामलों में समन्वय भी करता है जिसमें मंत्रालय का संसद से संबंधित कामकाज शामिल है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.एम.), फरीदाबाद इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

विभाग को आबंटित कार्य इसके स्थापना प्रभाग, योजना वित्त-। एवं ॥ प्रभाग, वित्त आयोग प्रभाग, कर्मचारी निरीक्षण एकक, मुख्य सलाहकार लागत, महालेखा नियंत्रक कार्यालय और केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के माध्यम से किए जाते हैं।

3. राजस्व विभाग

1. राजस्व विभाग संघ सरकार के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से संबंधित राजस्व के संबंध में नियंत्रण का कार्य करता है। विभाग को केन्द्रीय बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क तथा अन्य संगत आर्थिक संविधियों से संबंधित अधिनियमनों में दिए गए विनियामक उपायों के प्रशासन तथा प्रवर्तन का कार्य भी सौंपा गया है। अफीम और उसके उत्पादों के उत्पादन तथा निपटान का नियंत्रण भी विभाग के पास है।

2. यह विभाग राज्यों के सहयोग से माल एवं सेवा के लिए अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में भी कराधान सुधारों को सुकर बना रहा है। इसकी परिधि व्यापक है जिसमें पूर्ववर्ती राज्य बिक्री कर से मूल्य वर्धित कर में अन्तरण, केन्द्रीय बिक्री कर का समापन और विशेष महत्व के माल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क का युक्तिकरण तथा अन्ततोगत्वा दोहरे माल और सेवा कर के लिए दिशा निर्धारित करना शामिल है।

3. देश के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने, अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि सुनिश्चित करने, बृहत आर्थिक स्थिरता और सामाजिक क्षेत्र में निवेशों के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन देने के लिए सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने हेतु कर नीतियाँ बनाई जाती हैं। बजट 2013-14 के लिए कर प्रस्तावों की मूलाधार विषयवस्तु प्रत्यक्ष कर की ओर और अप्रत्यक्ष कर की ओर दोनों में कर कानूनों में स्पष्टता, स्थिर कर तंत्र, गैर-विरोधात्मक कर प्रशासन और विवाद निपटान के लिए निष्पक्ष तंत्र रहा है। इसलिए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की दरों में परिवर्तनों को कतिपय राहत उपायों के अलावा राजकोषीय समेकन, घरेलू निर्माताओं/कृषकों के संरक्षण, घरेलू मूल्य वर्धन को प्रोत्साहन, निर्यात संवर्धन, युक्ति-युक्त बनाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तक सीमित रखा गया था। इन परिवर्तनों के ब्यौरे पैराग्राफ 9.3 और 13.9 में दिए गए हैं।

4. सामाजिक आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के सरकार के दृढ़ निश्चय को देखते हुए तस्करी, कर अपवंचन आदि के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2013-2014 के दौरान देश भर में अभियान जारी रहा। इस वर्ष अन्य देशों की आसूचना/प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय के प्रयास भी जारी रहे।

5. आयकर विभाग के देश भर में स्थित कार्यालयों के द्वारा कर अपवचकों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहा। वित्तीय वर्ष 2013-2014 के दौरान (दिसम्बर, 2013 तक) 3069 (अनन्तिम) तलाशी वारंट जारी किए गए जिसके परिणामस्वरूप 559.04 (अनन्तिम) करोड़ रुपए मूल्य की परिसंपत्तियाँ जब्त की गईं। वित्तीय वर्ष के दौरान (दिसम्बर, 2013 तक) 3263 सर्वेक्षण (अनन्तिम) किए गए जिनसे 6968.82 करोड़ रुपये (अनन्तिम) की अघोषित आय उद्घाटित हुई थी। जहां तक निर्धारितियों का संबंध है, वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान (28.02.2014 तक) 4,94,846 लाख नये निर्धारिती जोड़े गए।

6. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों ने भी शुल्क अपवंचन के विरुद्ध अपने अभियान को जोर-शोर से जारी रखा। वित्तीय वर्ष 2013-2014 के दौरान (दिसम्बर, 2013 तक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन के 2654 मामलों का पता चला जिनमें 7486.16 करोड़ रुपये का शुल्क शामिल था। जहां तक सेवा कर के मामलों का संबंध है, उसी अवधि में 19328.21 करोड़ रुपए के कर अपवंचन के 10094 मामलों का पता चला व जांच के दौरान 2073.86 करोड़ रुपए की कर राशि वसूल की गई। सीमा शुल्क अपवंचन के संबंध में उसी अवधि के दौरान 4656.96 करोड़ रुपये के शुल्क के 896 मामलों का पता चला। तस्करी के विरुद्ध अभियान निर्बाध रूप से चलता रहा है। देश में और देश के बाहर, दोनों जगह निषिद्ध माल की तस्करी को रोकने के लिए तटों, भू-सीमाओं से सटे सभी आयुक्तालयों एवं अन्तरराष्ट्रीय विमान पत्तनों के प्रभारी पूरी तरह से सतर्क रहे। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल-दिसम्बर, 2013 के दौरान एकमुश्त तस्करी के 7561 मामलों में 25535.71 करोड़ रुपए मूल्य के निषिद्ध माल की जब्ती की गई।

4. विनिवेश विभाग

विनिवेश विभाग की स्थापना 10 दिसम्बर, 1999 को एक अलग विभाग के रूप में की गई थी और बाद में 06 सितम्बर, 2001 को इसका नाम बदलकर विनिवेश मंत्रालय कर दिया गया था। 27 मई, 2004 से विनिवेश विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग है।

5. वित्तीय सेवाएं विभाग

वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) मुख्यतया सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) तथा वित्तीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली, अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक (सीएमडी) तथा कार्यकारी निदेशक (ईडी) की नियुक्ति, विधायी मामले, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संबंध, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर/उप-गवर्नर की नियुक्ति, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाडी), एग्रीकल्चर फाइनेंस कारपोरेशन, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), ग्रामीण/कृषि ऋण, वित्तीय समावेशन, बीमा क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कार्य निष्पादन से संबंधित मामले, विभिन्न बीमा अधिनियमों का अभिशासन, नई पेंशन योजना (एनपीएस) सहित पेंशन सुधार, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से संबंधित विधायी तथा अन्य मुद्दों इत्यादि के साथ उनके नीतिगत मामलों के लिए उत्तरदायी है।

आर्थिक कार्य विभाग

1. आर्थिक प्रभाग

1.1 आर्थिक प्रभाग आर्थिक नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामलों में सरकार को विशिष्ट सलाह देता है। यह प्रभाग घरेलू और वैदेशिक आर्थिक घटनाक्रम पर नजर रखता है और अर्थव्यवस्था में बृहत-प्रबंधन से संबंधित नीतिगत उपायों पर सलाह देता है।

1.2 अपने नियमित कार्यकलाप के रूप में, आर्थिक प्रभाग वार्षिक आर्थिक समीक्षा तैयार करता है, जो केन्द्र सरकार के बजट प्रस्तुत किए जाने से पूर्व संसद में प्रस्तुत की जाती है। आर्थिक समीक्षा में अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण घटनाओं की व्यापक समीक्षा की जाती है। इसमें हाल की आर्थिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण तथा नीतियों का गहन मूल्यांकन भी किया जाता है। पिछले वर्षों में आर्थिक समीक्षा ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वार्षिक कार्यनिष्पादन का एक प्रामाणिक स्रोत और उपयोगी सार संग्रह का दर्जा प्राप्त कर लिया है। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के अनुसार वित्त मंत्रालय से अपेक्षा की जाती है कि बजट के संबंध में प्राप्ति और व्यय की प्रवृत्तियों की प्रत्येक तिमाही में समीक्षा करे और इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे। इस कवायद के अंतर्गत आर्थिक प्रभाग संसद के समक्ष रखने के लिए प्रत्येक वर्ष की दूसरी तिमाही में मध्य वर्षीय समीक्षा तैयार करता है। इसके अतिरिक्त, पहली और तीसरी तिमाही की समाप्ति पर एक वृहत-आर्थिक पूर्वपीठिका विवरण तैयार किया जाता है और तिमाही प्राप्ति और व्यय की पुनरीक्षा में अंतर्विष्ट करने के लिए इसे बजट प्रभाग को उपलब्ध कराया जाता है।

1.3 यह प्रभाग केन्द्र सरकार के बजट का आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण भी प्रकाशित करता है जो संसद के माननीय सदस्यों को परिचालित किया जाता है। इसमें मुख्य कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत केन्द्र सरकार तथा इसके विभागीय उपक्रमों की बचतों, सकल पूंजी निर्माण तथा विकास और उपभोग संबंधी व्यय के परिमाण का अनुमान प्रस्तुत किया जाता है।

1.4 अर्थव्यवस्था की स्थिति के संबंध में इस प्रभाग की रिपोर्ट में वर्तमान आर्थिक स्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है और इससे अर्थव्यवस्था के निष्पादन को मॉनीटर करने में सहायता मिलती है। यह रिपोर्ट मंत्रिमंडल तथा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में परिचालित की जाती है। यह प्रभाग “मासिक आर्थिक रिपोर्ट” नामक सारांश भी तैयार करता है, जिसमें अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित अद्यतन आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। इस प्रभाग द्वारा समय-समय पर अवसंरचना क्षेत्र के निष्पादन और कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन, कर वसूली की प्रवृत्तियों, भुगतान शेष और मौद्रिक स्थिति के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणियां भी तैयार की जाती हैं। यह साप्ताहिक आधार पर मूल्य-स्थिति को भी मॉनीटर करता है। इसके अलावा यह प्रभाग प्रमुख आर्थिक परिवर्ती घटकों के संबंध में अल्पावधिक पूर्वानुमान लगाने का कार्य भी करता है।

1.5 अपने सलाहकारी कार्यों के अंतर्गत आर्थिक प्रभाग महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर विश्लेषणात्मक टिप्पणियां और पृष्ठभूमि प्रलेख तैयार करता है और सरकार द्वारा गठित परामर्शदात्री समितियों और कार्य दलों की बैठकों के लिए सारांश भी तैयार करता है। आर्थिक प्रभाग के अधिकारी अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.), विश्व बैंक एवं डब्ल्यू.टी.ओ. आदि जैसी अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से आए हुए विभिन्न शिष्टमंडलों के साथ परामर्श में हिस्सा लेते हैं। यह प्रभाग भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और उनके मंत्रालयों के आर्थिक एवं सांख्यिकीय स्कंधों के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करता है। आर्थिक प्रभाग द्वारा 11 एवं 12 दिसम्बर, 2013 को “आगामी पांच वर्षों के लिए एजेंडा” पर दिल्ली इकॉनोमिक कॉन्फ्लेव-2013 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत तथा विदेश के अनुसंधानकर्त्ताओं, नीति-निर्माताओं, उद्योग के नेताओं, बैंकों एवं अर्थशास्त्रियों और अकादमीशियनों ने हिस्सा लिया।

1.6 आर्थिक प्रभाग का कार्य निम्नलिखित एककों के अंतर्गत किया जाता है:-

- भुगतान संतुलन, वैश्विक वित्तीय बाजार और संस्थाएं
- उद्योग तथा अवसंरचना
- बृहत संकेतक
- कृषि और खाद्य प्रबंधन
- मुद्रा एवं वित्तीय मध्यस्थता
- लोक वित्त
- कीमतें
- सामाजिक क्षेत्र
- व्यापार एवं सेवाएं,
- जलवायु परिवर्तन वित्तपोषण एकक
- समन्वय प्रभाग
- आईईएस प्रभाग

1.7 यह एकक विदेशी क्षेत्रों में हुए घटनाक्रमों के विश्लेषण तथा संबंधित पहलुओं पर नीतिगत सलाह देने के लिए उत्तरदायी है। यह एकक भुगतान शेष के संसूचकों में हुए परिवर्तनों पर विशेष निगरानी समूह के संस्थागत ढांचे के माध्यम से पैनी नजर रखता है, जिसमें वित्त मंत्रालय, अन्य संबंधित मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक से संबद्ध स्टेकहोल्डर शामिल किए जाते हैं। यह एकक रुपये की विनिमय दर में परिवर्तन पर नजर रखता है तथा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और विदेशी ऋण की स्थिति पर निगरानी रखता है। यह एकक वैश्विक वित्तीय बाजारों तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ.), विश्व बैंक आदि जैसी संस्थाओं से संबंधित विषयों पर निगरानी रखता है और उनका विश्लेषण करता है। यह एकक अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ.) के विशेष आंकड़ा प्रसार मानकों (एसडीडीएस) और विश्व बैंक के तिमाही विदेशी ऋण सांख्यिकी (क्यूईडीएस) का अनुसरण करते हुए विदेशी ऋण के आंकड़ों के संग्रहण, संकलन और

उनके त्रैमासिक प्रकाशन के कार्य में संलग्न है। यह यूनिट भारत के विदेशी ऋण के संबंध में एक वार्षिक स्थिति रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। इस एकक में विदेशी ऋण प्रबंध संबंधी प्रबंध सूचना प्रणाली का कार्य तथा राष्ट्र मंडल सचिवालय ऋण अभिलेखन तथा प्रबंध प्रणाली (सीएस-डीआरएमएस) की सहायता, लेखा परीक्षा एवं लेखा नियंत्रक के कार्यालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समन्वयन से संबंधित कार्य किया जाता है।

1.8 उद्योग और अवसंरचना एकक बृहत् और क्षेत्रक दोनों स्तरों पर उद्योग क्षेत्र से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है। यह एकक सतत आधार पर औद्योगिक विकास एवं निवेश, औद्योगिक क्षेत्र में हुए घटनाक्रम, सरकारी क्षेत्र का निवेश/वित्तपोषण, औद्योगिक संबंधों एवं रुग्णता को मॉनीटर तथा उनकी समीक्षा करता है। यह एकक महत्वपूर्ण अवसंरचना उद्योगों के उत्पादन में व्याप्त रुझानों को मॉनीटर करने के लिए भी जिम्मेदार है। यह अवसंरचना नीति, निवेश और वित्तपोषण संबंधी घटनाक्रम का विश्लेषण करता है और अवसंरचना क्षेत्र के नीतिगत मुद्दों पर सलाह देता है।

1.9 बृहत् एकक बृहत्-आर्थिक मापदंडों अर्थात् उत्पादन, बचतों और निवेश आदि बृहत्-आर्थिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने, उन पर नजर रखने तथा आईएमएफ के एसडीडीएस के लिए देशगत समन्वय करने, मासिक आर्थिक रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, मध्यवार्षिक समीक्षा आदि तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। बृहत् एकक “बृहत् आर्थिक ढांचा विवरण” भी तैयार करता है, जो केंद्रीय बजट का एक भाग होता है और वार्षिक बजट बनाने के लिए स.घ.उ. का पूर्वानुमान लगाता है। यह एकक त्रैमासिक एफआरबीएम विवरण हेतु बृहत् आर्थिक पृष्ठभूमि भी प्रदान करता है। इन्हें हर तिमाही में संसद में प्रस्तुत किया जाता है। 2013-14 के दौरान यह एकक अन्य एककों के कुछ अधिकारियों के साथ राज्यों का संयुक्त विकास सूचकांक तैयार करने के लिए गठित समिति (जिसका गठन डॉ. रघुराम जी राजन की अध्यक्षता में की गई है) की रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। बृहत् आर्थिक मॉडलिंग कार्य भी एकक में शुरू किए गए हैं।

1.10 कृषि और खाद्य प्रबंधन एकक कृषि, पशुपालन और संबद्ध सेक्टरों खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित नीतिगत विषयों पर सरकार को सलाह देता है। यह लगातार कृषि विकास और निवेश, कृषि अनुसंधान, कृषि उत्पाद, मानसून की प्रगति और जल संसाधन के जलाशय भंडारण मुख्य रबी और खरीफ फसलों का मूल्य निर्धारण, कृषि ऋण एवं बीमा को मॉनीटर और मूल्यांकन करता है। यह एकक डेयरी, कुक्कुट और मत्स्यिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के विकास संबंधी विषयों की जांच करता है और नीतियों की सिफारिश करता है। यह एकक सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा, सरकारी खरीद, बप्फर स्टॉक के मानदंडों, केंद्रीय निर्गम मूल्य, खुला बाजार बिक्री की स्कीम, भण्डारण और भण्डागार से संबंधित विषयों के लिए भी जिम्मेदार है। यह एकक कृषि और संबद्ध सेक्टरों, खाद्य प्रबंध और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित प्रस्तावों की विवेचनात्मक जांच करता है। यह हालिया घटनाक्रम का विश्लेषण करता और उपयुक्त नीतिगत निर्देश देता है।

1.11 मुद्रा एकक मुद्रा बाजार में व्याप्त प्रवृत्तियों, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति में हो रहे घटनाक्रम और ऋण प्रवाहों की समग्र प्रवृत्तियों का मॉनीटर करने के लिए जिम्मेदार है। यह मौद्रिक मापदंडों में हो रही घट-बढ़ तथा सरकारी प्रतिभूतियों/राजकोषीय हंडियों, मांग, मुद्रा दरों एवं नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के प्रचालनों में होने वाले उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करता है।

1.12 लोक वित्त एकक लोक वित्त और केन्द्र सरकार के बजटीय कार्य प्रचालन से जुड़े मामलों पर कार्यवाई करता है। यह केन्द्र सरकार के बजट के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण, लोक वित्त संबंधी सांख्यिकी विवरण (भारतीय लोक वित्त सांख्यिकी) जिनमें केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बजटीय लेन-देन शामिल हैं, को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। यह राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे, सकल व्यय, केंद्रीय आयोजना परिव्यय, संसाधनों और व्यय से संबंधित नीतियों जैसे केंद्रीय राजकोषीय मापदंडों को मॉनीटर करता है। यह राजकोषीय स्थिति की समीक्षा और राजकोषीय मुद्दों का विश्लेषण करता है। यह एकक कर संबंधी उपायों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों/सुधारों तथा प्रमुख केन्द्रीय करों को मॉनीटर करता तथा उनका विश्लेषण करता है।

1.13 मूल्य एकक थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और अंतर्राष्ट्रीय वस्तु मूल्य का मॉनीटर करने और उनके आंकड़ाधार रखने तथा तथा मूल्य संबंधी विषयों पर नीतिगत सलाह देने के लिए जिम्मेदार है।

1.14 सामाजिक क्षेत्र एकक गरीबी, रोजगार, ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम इत्यादि जैसे सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित अन्य विषयों पर विश्लेषणात्मक टिप्पणियां तैयार करता है। यह एकक सरकार को सामाजिक क्षेत्रों में विशिष्ट नीतिपरक मामलों पर सलाह भी देता है।

1.15 व्यापार एवं सेवाएं एकक, भारत के विदेश व्यापार का मॉनीटर करने, वस्तु संघटन तथा व्यापार-दिशा का विश्लेषण करने, विदेश व्यापार नीति का मॉनीटर करने, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित मसलों और सेवा क्षेत्र संबंधी मुद्दों से संबंधित कार्यवाई करता है।

1.16 जलवायु परिवर्तन वित्त एकक वित्त मंत्रालय में जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी वित्तीय मामलों में नोडल इकाई के रूप में कार्य करता है। यह जलवायु परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन विषय पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क अभिसमय (यूएनएफसीसी) जी-20, रियो+20 आदि में स्थायी विकास के वित्त पोषण पर भारत की स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायता करता है। यह एकक भारत की ओर से प्रस्तुति तैयार करने और इन मंचों पर अन्य देशों की प्रस्तुति का आकलन करने के लिए भी जिम्मेदार है। इसके कार्यों में जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के संबंध में पर्यावरण और वन मंत्रालय को लगातार सुझाव देना और स्थिति पत्र तैयार करके तथा तकनीकी विषयों और नीतिगत विकल्पों का विश्लेषण करके स्थायी विकास के लिए हरित विकास, नवोन्मेषी वित्त पोषण विकल्पों जैसे उभरते मुद्दों के संबंध में क्षमता विकास हेतु प्रयास करना शामिल है।

1.17 समन्वयन एकक वित्त मंत्री के साथ विभिन्न स्टेक होल्डर समूहों जैसेकि कृषि क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र से संबंधित समूहों, उद्योग तथा व्यापार क्षेत्र, ट्रेड यूनियनों, बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं, तथा अर्थशास्त्रियों की बजट पूर्व परामर्श बैठक आयोजित करने का काम करता है। यह एकक दिल्ली इकॉनोमिक्स कान्क्लेव (डीईसी) आयोजित करने के लिए भी उत्तरदायी है। इस एकक द्वारा आर्थिक समीक्षा तथा मध्यवार्षिक आर्थिक विश्लेषण से संबंधित विवरण तैयार करने तथा संसद के समक्ष प्रस्तुत करने से संबंधित प्रशासनिक तथा समन्वय कार्य भी किए जाते हैं। इस एकक द्वारा विभिन्न अवसरों पर वित्त मंत्री द्वारा दिए जाने वाले भाषणों के लिए तथा विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एशियाई विकास बैंक (एडीबी) तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की वार्षिक/स्प्रिंग बैठकों के लिए इनपुट/सामग्री, आर्थिक संपादकों की बैठक, परामर्शदात्री समिति की बैठकों और संसदीय स्थायी समिति की बैठकों के लिए सार संग्रहण तथा संकलन से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। इन कार्यों के अतिरिक्त यह एकक प्रशासनिक तथा संसद से संबंधित सभी मामलों को भी देखता है।

आई ई एस प्रभाग

1.18 आई ई एस प्रभाग भारतीय आर्थिक सेवा (आई ई एस) संवर्ग प्रबंधन के सभी पहलुओं से संबंधित कार्यवाही करता है अर्थात् भर्ती, प्रशिक्षण, प्रोन्नति, तैनाती, स्थानांतरण, वरिष्ठता, प्रतिनियुक्ति और विदेश सेवा, अध्ययन छुट्टी और इस सेवा के अधिकारियों के सतर्कता एवं अनुशासनिक मामले, आई ई एस के सेवा मामलों से संबंधित अदालती मामलों के अलावा, इन मामलों पर आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना मुहैया कराना। आई ई एस संवर्ग को मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय आई ई एस बोर्ड द्वारा महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर सलाह दी जाती है। यह सेवा संवर्ग, सेवा नियमों और भारत सरकार के इस समय प्रवृत्त मौजूदा अनुदेशों के अनुसार संचालित किया जाता है। विभिन्न ग्रेडों में संवर्ग की कुल प्राधिकृत नफरी 516 है जिसमें 476 ड्यूटी पद और 40 रिजर्व पद हैं।

1.18.1 आई ई एस परीक्षा 2011 के सफल उम्मीदवारों (27) की आरंभिक स्तर का परिवीक्षा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद 25.11.2013 को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में औपचारिक तैनाती कर दी गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, “डॉ. एमसीआरएचआरडी इन्स्टीट्यूट ऑफ एपी”, हैदराबाद (फाउंडेशन कोर्स); “नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी”, दिल्ली; “नेशनल सेंटर फॉर एग्रिकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी”, नई दिल्ली; “इन्स्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ”, दिल्ली; “इन्स्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट”, नई दिल्ली; “नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट”, फरीदाबाद; “भिलाई स्टील प्लांट”, छत्तीसगढ़; “इंडियन स्कूल ऑफ कैपिटल मार्केट वाशी” मुम्बई; “नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी”, बंगलौर; “सिविल सर्विस कॉलेज”, सिंगापुर; “इंडियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट”, कोलकाता; “रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज”, चेन्नई; “इंडियन मारीटाइम यूनिवर्सिटी”, चेन्नई; “इन्स्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ”, नई दिल्ली (चरण -II) शामिल हैं। परिवीक्षाधीन आईईएस अधिकारियों ने दो

महीने तक जिला अटैचमेंट कार्यक्रम में 16.09.2013 से 08.11.2013 तक भाग लिया, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य सरकारों के साथ जिला स्तरीय अटैचमेंट था; ताकि वे प्रशासन के विभिन्न स्तरों के कार्यों की वास्तविकता जान सकें और समझ सकें। इसके अलावा वर्ष के दौरान परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए मॉनीटरिंग और मूल्यांकन, आर्थिक मॉडलिंग, देशीय विशिष्टीकरण जैसे विशेष मॉड्यूल्स का आयोजन किया गया। आईएमएफ इन्स्टीट्यूट ऑफ कैपासिटी डेवलपमेंट, सिंगापुर के साथ मिलकर आईईजी दिल्ली में दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह भी वर्ष के दौरान लिया गया एक और नया कदम था।

1.18.2 वर्ष के दौरान आईईएस परीक्षा 2012 में 31 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया। तथापि, आईईएस के कनिष्ठ समयमान पर 30 उम्मीदवारों को नियुक्ति की पेशकश की गई। इन 30 उम्मीदवारों में से 29 उम्मीदवारों ने अंततः 2013-14 में सेवारंभ की। इन 29 उम्मीदवारों में से फाउंडेशन कोर्स समाप्त करने के पश्चात 18 उम्मीदवारों ने 02.09.2013 को कार्य आरंभ किया, फाउंडेशन कोर्स डॉ एमसीआर एचआरडी, हैदराबाद में आयोजित किया गया था। जिन 9 परिवीक्षाधीन अधिकारियों को फाउंडेशन कोर्स से छूट दी गई थी, उन्होंने भी 16.12.2013 को शेष बैच के साथ प्रशिक्षण में भाग लिया। इसके अलावा 18 अधिकारियों को फीडर संवर्ग से आईईएस में प्रवेश दिया गया। इन अधिकारियों को भी 7 सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण दिया गया।

1.18.3 संस्थांतर्गत प्रशिक्षण नीति को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रशिक्षण नीति संस्थांतर्गत अधिकारियों हेतु क्रियान्वित की जा रही है। इस नीति के अंतर्गत, आईईएस अधिकारियों के लिए अनिवार्य मिड-कैरियर प्रशिक्षण क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रत्येक मिड-कैरियर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम छह सप्ताह की अवधि का है, जिसमें चार सप्ताह देश में प्रशिक्षण प्राप्त करने और दो सप्ताह विदेश में प्रशिक्षण का घटक शामिल है। 2013-14 में भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ के जरिए एक मिड-कैरियर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 20 आई ई एस अधिकारियों के बैच के लिए आयोजित किया गया।

1.18.4 इसके अलावा सेवारत आईईएस अधिकारियों के लिए विभिन्न संस्थानों में नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए गए जैसेकि (i) अंतरराष्ट्रीय अनुभव और हाई-टेक एग्रीकल्चर इग्रो प्रोसेसिंग आदि हेतु “बैंकर्स इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट”, लखनऊ, (ii) परियोजना मूल्यांकन और जोखिम प्रबंध हेतु “ड्यूक यूनिवर्सिटी”, डरहम, यूएसए और (iii) अवसरचना विनियमन हेतु “इंडियन मारीटाइम यूनिवर्सिटी”, चेन्नई (iv) बृहद आर्थिक नीति संबंधी “एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया”, हैदराबाद (v) बैंकिंग कानून, संविदा कानून आदि के लिए “नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी”, बंगलौर। उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष के दौरान लिया गया एक नया कदम था।

1.18.5 वर्ष 2013-14 के दौरान सेवा के विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नतियों की गई हैं। 6 अधिकारियों को उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड तथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नत किया गया। 5 अधिकारियों को गैर

कार्यात्मक चयन ग्रेड और 24 कनिष्ठ अधिकारियों को प्रशासनिक ग्रेड में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया। 26 कनिष्ठ समय-मान अधिकारियों को वरिष्ठ समयमान में शामिल किया गया है। रिक्ति वर्ष 2013-14 के लिए शीर्ष समयमान में पदोन्नति के लिए प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।

1.18.6 छठे वेतन आयोग की सिफारिशों और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों की तर्ज पर 1981 बैच के 16 अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक आधार पर एचएजी में अपग्रेड किया गया और 1992 और इससे पहले के बैच के 13 अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक आधार पर एसएजी में अपग्रेड किया गया।

1.18.7 अधिकारियों की कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता की जरूरत के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसरण में, आईईएस के संवर्ग प्राधिकारी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कारगर कदम उठाए हैं कि आईईएस अधिकारियों की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) में कार्य निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में मंत्रालय/विभाग द्वारा अधिकारियों को सूचित किया जाए। आईईएस अधिकारियों के संबंध में मूल्यांकन की समीक्षा के लिए एपीएआर प्रारूप को संशोधित किया गया और एपीएआर के साथ स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (40 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों के लिए) जोड़ा जाना अनिवार्य बनाया गया।

1.18.8 2005 से भारतीय आर्थिक सेवा की सामान्य सूची प्रत्येक वर्ष प्रकाशित की जा रही है जिसमें अधिकारियों की सेवा संबंधी मूल जानकारी दी जाती है। 1.4.2013 की सामान्य सूची जो सातवां संस्करण है, प्रकाशित हो चुका है। इस प्रकाशन में पिछले 5 वर्षों के दौरान अधिकारियों की तैनाती का ब्यौरा तथा अधिकारियों के ई-मेल पते दिए गए हैं।

1.18.9 अधिकारियों को पारदर्शिता लाने की आवश्यकता महसूस करते हुए तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों की अनुपालना में आईईएस संवर्ग में अपनी वेबसाइट पर आईईएस अधिकारियों की अचल संपत्ति संबंधी विवरणियां प्रस्तुत करने हेतु मॉड्यूल विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे संवर्ग को अधिकारियों हेतु सतर्कता क्लियरेंस देने में भी सहायता मिलेगी, जो प्रतिनियुक्ति, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति आदि के लिए आवेदन करते हैं।

1.18.10 दो वेबसाइट अर्थपीडिया (यह सूचना वेबसाइट www.arthapedia.in) और भारत की आर्थिक नीति में उपयोग में लाई गई अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था और शासन को सरलता से समझने का पोर्टल है और सेवा संबंधी वेबसाइट (www.ies.gov.in) जो इस सेवा के स्वर्ण जयन्ती समारोह में आरंभ की गई थी, इन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

2. बजट प्रभाग

2.1 बजट प्रभाग केन्द्रीय सरकार तथा राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों की सरकारों के वार्षिक बजट (रेलवे को छोड़कर), अनुदानों की पूरक मांगें और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें तैयार करने तथा उन्हें संसद के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग

लोक ऋण, केन्द्रीय सरकार के बाजार ऋणों, राज्य सरकारों द्वारा लिए और दिए गए उधारों, भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटियों तथा भारत की आकस्मिकता निधि से संबद्ध मामलों का निपटान करने के लिए भी जिम्मेदार है। इस प्रभाग का उत्तरदायित्व उस अनुदान में बचतों के पुनर्विनियोजन के लिए जहां वित्त मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होता है, वहां अन्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रवाई करके सरकारी व्यय के प्रवाह को विनियमित करने का भी है। यह प्रभाग राष्ट्रीय बचत संस्थान (एनएसआई) तथा अल्प बचत योजनाओं, राष्ट्रीय रक्षा निधि से संबंधित मामलों का भी निपटान करता है। धर्मार्थ निधि कोषपाल से संबंधित कार्य भी बजट प्रभाग द्वारा किया जाता है।

2.2 यह प्रभाग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों, केन्द्र के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संसद के सम्मुख पेश करने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने का कार्य भी करता है। 1 जनवरी, 2013 से 31 मार्च 2014 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 33 रिपोर्टें संसद के सम्मुख पेश की गईं और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को विभिन्न निकायों की लेखा परीक्षा सौंपने/पुनः सौंपने से संबंधित 63 मामले इस प्रभाग द्वारा निपटाए गए।

2.3 बजट प्रभाग राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रशासन हेतु भी जिम्मेदार है। इसे 5 जुलाई, 2004 को लागू किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों को भी उसी तारीख से प्रभावी बनाया गया। मध्यावधि समीक्षा सहित तिमाही समीक्षा, एफआरबीएम अधिनियम की शर्तों के अनुसार संसद में प्रस्तुत की गयी थीं।

2.4 इसके अलावा, यह प्रभाग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में 'लिंग आधारित बजट व्यवस्था' आदि के कार्यान्वयन का निरीक्षण/सरलीकरण भी करता है।

2.5 भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत रखे गए लेखा फार्म संबंधी कार्य को यह प्रभाग देखता है। सरकार की नई स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु तैयार गणना प्रक्रिया और सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के वर्गीकरण पर इस प्रभाग द्वारा सलाह भी दी जाती है।

2.6 राष्ट्रीय लघु बचत

2.6.1 लघु बचत योजना

वर्तमान में चालू लघु बचत योजनाएं हैं : डाकघर बचत खाता, डाकघर सावधि जमा (1,2,3 व 5 वर्ष) डाकघर आवर्ती जमा, डाकघर मासिक आय खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वां-निर्गम), राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (9वां निर्गम) और लोक भविष्य निधि।

2.6.2 लघु बचत संग्रहण

पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान, 175719.38 करोड़ रुपए की जमाराशि की तुलना में, 2013-14 (जनवरी, 2014 तक) के दौरान

विभिन्न लघु बचत योजनाओं के तहत सकल जमा राशियां 184575.01 करोड़ रुपए रही। मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मंडल सहित) को निवल लघु बचत संग्रहणों के हिस्से के रूप में, पिछले वर्ष में अन्तरित 25277.92 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में 19031.00 करोड़ रुपए की राशि (बजट अनुमान 2014-15) के लिए अंतरित किए जाने का प्रस्ताव है।

2.6.3. राष्ट्रीय लघु बचत निधि

केन्द्र सरकार की लघु बचत योजनाओं के तहत समस्त मौद्रिक संव्यवहारों के हिसाब-किताब को एक स्थान पर लाने के लिए भारतीय लोक लेखा में 1 अप्रैल, 1999 से राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) की स्थापना की गयी थी। लघु बचत योजनाओं में निवल उपचयों को विभिन्न राज्य संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल सहित)/केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) से उधार लेने का राज्यों का

न्यूनतम दायित्व 100 प्रतिशत से घटाकर निवल संग्रहण का 50 प्रतिशत कर दिया गया है जो 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी है।

2.6.4 लघु बचत लिखतों पर ब्याज दरें

- (i) लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर को दो अपवादों के साथ 25 आधार बिन्दुओं (बीपीएस) के विस्तार के साथ सरकारी क्षेत्र की उसी परिपक्वता वाली दरों के बराबर किया जाएगा। 10-वर्षीय एनएससी (नई लिखत) का विस्तार 50 बीपीएस और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना का विस्तार 100 बीपीएस होगा। प्रत्येक वित्त वर्ष की ब्याज दरें उस वर्ष की 1 अप्रैल से पहले अधिसूचित होंगी।
- (ii) चक्रवद्धि ब्याज/योजनाओं में भुगतान के आधार पर चालू वित्त वर्ष की विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर नीचे दर्शायी गयी है।

लिखत	1.12.2011 के पहले ब्याज की दर का प्रतिशत	1.12.2011 के पश्चात् ब्याज की दर का प्रतिशत	1.4.2012 के पश्चात् ब्याज की दर का प्रतिशत	1.4.2013 के पश्चात् ब्याज की दर का प्रतिशत	1.4.2014 के पश्चात् ब्याज की दर का प्रतिशत
बचत जमा राशि	3.50	4.0	4.0	4.0	4.0
1-वर्षीय सावधि जमा	6.25	7.7	8.2	8.2	8.4
2-वर्षीय सावधि जमा	6.50	7.8	8.3	8.2	8.4
3-वर्षीय सावधि जमा	7.25	8.0	8.4	8.3	8.4
5-वर्षीय सावधि जमा	7.50	8.3	8.5	8.4	8.5
5-वर्षीय आवर्ती जमा	7.50	8.0	8.4	8.3	8.4
5-वर्षीय वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)	9.00	9.0	9.3	9.2	9.2
5-वर्षीय मासिक आय योजना (एमआईएस)	8.00 (6-वर्षीय एमआईएस)	8.2	8.5	8.4	8.4
5-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (एनएससी)	8.00 (6-वर्षीय एनएससी)	8.4	8.6	8.5	8.5
10-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (एनएससी)	नई लिखत	8.7	8.9	8.8	8.8
लोक भविष्य निधि (पीपीएफ)	8.00	8.6	8.8	8.7	8.7

2.7 सरकारी उधार

2.7.1 केन्द्र सरकार सामान्यतः वित्तपोषण के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए उधार लेती है। राजकोषीय घाटा ब.अ. 2013-14 में 5,79,000 करोड़ रुपए (सकल) तथा 4,84,000 करोड़ रुपए (निवल) अनुमानित था।

2.7.2 वर्ष के दौरान सरकार ने अपनी प्रमुख उधार आवश्यकताओं के आधार पर छमाही निर्देशात्मक बाजार उधार कैलेण्डर की नीतिगत घोषणा को जारी रखा।

2.7.3 भारत औसत आय तथा 2013-14 (अप्रैल 2013 से मार्च, 2014) के दौरान जारी दिनांकित प्रतिभूतियों की परिपक्वता समग्र

रुप से क्रमशः 8.48% तथा 14.28 वर्ष थी, जबकि वित्त वर्ष 2012-13 की उसी अवधि में यह 8.36% तथा 13.50 वर्ष थी।

2.7.4 सरकार के मौजूदा ऋण और देयताओं का विस्तृत विश्लेषण 2010-11 तथा 2011-12 और 2013-14 के दौरान वार्षिक ऋण दस्तावेजों में प्रकाशित किया गया है। (ये www.finmin.nic.in में उपलब्ध हैं)

2.8 राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) प्रकोष्ठ।

2.8.1 राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम (एफआरबीएम), 2003 का प्रशासन और इसके तहत बनाए गए

नियम एफआरबीएम का कार्य है। यह अधिनियम पर्याप्त राजस्व अधिशेष प्राप्त कर और राजकोषीय स्थायित्व के अनुरूप मौद्रिक नीति और विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन के प्रभावी संचालन में राजकोषीय अड्चनों को दूर कर राजकोषीय प्रबंधन और दीर्घावधि वृहद-आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करने की केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी की व्यवस्था करता है। यह अधिनियम केन्द्र सरकार के उधारों, ऋण और घाटों, केन्द्र सरकार के राजकोषीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता और मध्यावधिक फ्रेमवर्क में राजकोषीय नीति के संचालन और उससे संबंधित और तत्संबंधी प्रासंगिक मामलों में सीमा निर्धारण करता है।

एफआरबीएम अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में एफआरबीएम प्रकोष्ठ निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन करता है।

- एफआरबीएम रिपोर्ट बनाना जिसमें तीन नीतिगत विवरणी जैसे मध्यावधि वित्तीय नीति विवरणी, राजवित्तीय नीति कार्यनीति विवरणी और स्थूल आर्थिक ढांचा विवरणी होती हैं। यह रिपोर्ट वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान मांगों के साथ संसद में पेश की जाती है।
- सत्र जिसमें बजट प्रस्तुत किया गया हो, के तत्काल बाद संसद सत्र में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए संशोधित एफआरबीएम अधिनियम के तहत यथा अपेक्षित मध्यावधि व्यय रूपरेखा (एमटीईएफ) विवरणी तैयार करना।
- बजट के संबंध में आय और व्यय में रूझानों की तिमाही समीक्षा संबंधी विवरणियां तैयार करना।
- सार्वजनिक विवरणियां जैसे आस्ति रजिस्टर, बढ़ाये लेकिन चुकाए न गए कर राजस्व, गैर-कर राजस्व का बकाया। ये विवरणियां प्राप्ति बजट में समाहित करने के लिए होती हैं।

तदनुसार, एफआरबीएम अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर, 2013 की अवधि के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज तैयार किए गए और संसद में प्रस्तुत किए गए थे।

(i) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण 2013-14	}	बजट के साथ प्रस्तुत किया गया। 2013-14
(ii) राजकोषीय नीति कार्यनीति विवरण 2013-14		
(iii) बृहद-आर्थिक फ्रेमवर्क विवरण 2013-14		
(iv) प्रकटन विवरण, यथा	}	बजट 2013-14 में शामिल किया गया।
(क) राजस्व बढ़ाया गया लेकिन वसूल नहीं किया गया		
(ख) गैर कर राजस्व के बकाया		
(ग) परिसंपत्ति रजिस्टर		

- (v) बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा संबंधी तिमाही विवरण
- (क) वर्ष 2012-13 की तीसरी तिमाही
- (ख) वर्ष 2012-13 की चौथी तिमाही
- (ग) वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही रिपोर्ट
- (घ) वर्ष 2013-14 की मध्य-वर्षीय समीक्षा
- (vi) मध्यावधिक व्यय ढांचा विवरण (एमटीईएफ) बजट सत्र के बाद आयोजित सत्र में संसद में प्रस्तुत किया गया है।

1 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के दौरान, एफआरबीएम प्रकोष्ठ ने सभी आवश्यक कार्य किए और वर्ष 2014-15 के संबंध में उपर्युक्त में i) से ii) तक विवरणियां/दस्तावेज तैयार किए और इन्हें अंतिम बजट 2014-15 के साथ संसद में प्रस्तुत किया।

2.8.2 वर्ष 2013-14 के दौरान राजकोषीय निष्पादन का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:

सारणी 1.2

राजकोषीय संकेतक/वर्ष	2013-14 (बी.ई.)	2013-14 (आर.ई.)
राजकोषीय घाटा (स.घ.उ.का.%)	4.8	4.6
राजस्व घाटा (स.घ.उ.का.%)	3.3	3.3
प्रभावी राजस्व घाटा (स.घ.उ.का.%)	1.8	2.2
वर्ष की समाप्ति पर कुल बकाया देयताएं (स.घ.उ.का.%)	45.7	46.0

* ये आंकड़े अंतरिम बजट 2014-15 में भी दिए गए हैं।

2.8.3 मध्यावधि के दौरान वित्तीय समेकन भारत की वित्तीय कार्यनीति का प्रमुख उद्देश्य है और सरकार एफआरबीएम अधिनियम/नियमों के द्वारा यथा अपेक्षित वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2.8.4 उपर्युक्त अवधि के दौरान, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियम भी संशोधित किए गए थे और दिनांक 7-5-2013 को अधिसूचित किए गए थे।

2.8.5 "एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 3 में संशोधन किया गया है जिससे कि सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों में मध्यावधि व्यय रूप रेखा (एमटीईएफ) नामक विवरण संसद के उस सत्र में, जिसमें बजट प्रस्तुत किया गया है, के तुरंत बाद प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

2.8.6 एमटीईएफ में अंतर्निहित पूर्वानुमान और जोखिम के विशेष विवरण के साथ व्यय संकेतकों के लिए तीन-वर्षीय चल लक्ष्य बताया जाएगा। एमटीईएफ का उद्देश्य बजट और एफआरबीएम विवरणों के बीच गहन एकीकरण प्रदान करना है और राजकोषीय समेकन के संबंध में सरकार की वचनबद्धता को आगे बढ़ाना है।

2.8.7 तदनुसार, एमटीईएफ विवरण संसद के दोनों सदनों में 23 अगस्त, 2013 को रखा गया। अगले दो वर्ष अर्थात् 2014-15 और 2015-16 के अनुमानों का ब्यौरा सारणी 1.3 में दर्शाया गया है।

सारणी सं. 1.3
मध्यावधि-व्यय रुपरेखा

क. मध्यावधि-व्यय अनुमान

(करोड़ रुपए)

	संशोधित अनुमान 2012-13	बजट अनुमान 2013-14	अगले दो वर्षों के अनुमान	
			2014-15	2015-2016
राजस्व व्यय				
1. वेतन	72282	78873	86578	95107
2. व्याज	316674	370684	414350	457648
3. पेंशन	63836	70726	77799	85578
4. सब्सिडियां				
क. उर्वरक	65975	65972	62274	63628
ख. खाद्य	85000	90000	120000	135000
ग. पेट्रोलियम	96880	65000	35000	20000
5. राज्यों को अनुदान हेतु केन्द्रीकृत प्रावधान	129900	154416	168731	187829
6. रक्षा	108925	116931	125116	133875
7. डाक संबंधी घाटा	5838	6717	6247	5810
8. विदेश मामले	6846	8801	9475	10084
9. गृह मामले	12635	15681	16801	17808
10. कर प्रशासन	2253	11965	12922	13698
11. वित्त	13748	15225	16360	17418
12. शिक्षा	57620	69688	81439	90212
13. स्वास्थ्य	23256	29492	33575	39420
14. सामाजिक कल्याण	27134	34280	37600	42051
15. कृषि एवं संबद्ध कार्य	22775	27612	30094	33569
16. वाणिज्य एवं उद्योग	12770	13966	15748	17331
17. शहरी विकास	2052	2803	3016	3306
18. ग्रामीण विकास	71978	102428	112008	124540
19. पूर्वोत्तर विकास	1557	1832	1979	2147
20. योजना निर्माण एवं सांख्यिकी	5701	11677	7379	8005
21. वैज्ञानिक विभाग	7880	9650	10402	11243
22. उर्जा	5707	12411	12268	14462
23. परिवहन	18453	15315	16300	17527
24. सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार	2900	6137	6433	6749
25. संघ राज्य क्षेत्र	5541	6388	6823	7333
26. अन्य	16955	21499	22913	24589
जोड़ - राजस्व व्यय	1263072	1436169	1549629	1685966
जिसमें से पूंजीगत				
परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	124275	174656	233345	304185

	संशोधित अनुमान 2012-13	बजट अनुमान 2013-14	अगले दो वर्षों के अनुमान	
			2014-15	2015-2016
पूँजी व्यय				
1. रक्षा	69579	86741	94547	103057
2. गृह मामले	6741	9269	9870	10891
3. वित्त	15424	38015	23649	26067
4. शिक्षा	0	0	0	0
5. स्वास्थ्य	1501	2887	3318	3914
6. वाणिज्य एवं उद्योग	1673	2217	2370	2633
7. शहरी विकास	5891	7531	8373	9550
8. योजना निर्माण एवं सांख्यिकी	279	916	989	1118
9. वैज्ञानिक विभाग	2203	3973	4365	4932
10. उर्जा	8487	6709	7561	8610
11. परिवहन	36189	48902	52945	63554
12. सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार	1740	2690	2832	2997
13. राज्यों को ऋण	11000	11000	11880	13306
14. संघ राज्य क्षेत्र	1238	1906	2102	2383
15. अन्य	5807	6373	6661	7169
जोड़ पूँजी व्यय	167753	229129	231462	260180
कुल व्यय	1430825	1665297	1781091	1946146

2.9 सरकारी ऋण

2.9.1 केन्द्र सरकार में नकद प्रबंधन प्रणाली में सुधार की दृष्टि से एक आशोधित नकद प्रबंधन प्रणाली जिसमें राजकोष नियंत्रण आधारित व्यय प्रबंधन प्रणाली शामिल है, 46 अनुदान मार्गों में कार्यान्वयनाधीन है। संशोधित दिशानिर्देशों जो 1 अप्रैल 2007 को लागू हुए, में यह व्यवस्था है कि मासिक व्यय योजनाएं (एमईपी) तैयार की जाएं ताकि व्यय में और अधिक समानता सुनिश्चित की जा सके और वर्ष की समाप्ति पर अथवा निधि नियोजन में व्यय के दबाव की समस्या को कम किया जा सके। यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी अनुदान मांगे, चाहे वे नकद प्रबंधन प्रणाली के अन्तर्गत शामिल हों अथवा न हो, तैयार की जानी तथा मासिक व्यय योजनाओं को भेजी जानी आवश्यक हैं और तिमाही व्यय आबंटनों की बेहतर मानीटरिंग तथा व्यय प्रबंधन संबंधी वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु नकद प्रबंधन प्रकोष्ठ को भी भेजी जानी आवश्यक है। दिशानिर्देशों में यह भी व्यवस्था है कि वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय बजट अनुमान के 335 से अधिक नहीं हो। यह भी व्यवस्था है कि मार्च माह में व्यय समग्र त्रैमासिक उच्चतम सीमा के भीतर बजट अनुमान के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

2.10 ऋण प्रबंधन कार्यालय

2.10.1 सरकार ने स्वतंत्र ऋण प्रबंधन कार्यालय (संघ बजट 2007-08) स्थापित करने की घोषणा के परिणामस्वरूप आर्थिक कार्य विभाग में मिडिल ऑफिस (एमओ) स्थापित किया है। मिडिल ऑफिस का मुख्य फोकस पूर्णतः कार्यशील ऋण प्रबंधन कार्यालय के लिए अपेक्षित क्षमता निर्माण और विशेषज्ञता विकसित करने पर है। मिडिल ऑफिस के मुख्य कार्यों में 'भारत की सरकारी ऋण प्रबंधन एजेंसी,' का विधान बनाना, ऋण प्रबंधन कार्यनीति विकसित करना,

सरकारी प्रतिभूतियों के लिए कलेंडर जारी करना, नकदी व उधार आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना, ऋण संबंधी सूचना तैयार करना एवं उसका प्रचार करना शामिल है।

2.10.2. मिडिल ऑफिस केन्द्र सरकार के ऋण संबंधी नियमित ऋण आंकड़ों व सरकारी ऋण प्रबंधन के संबंध में तिमाही रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। यह सरकारी ऋण के संबंध में स्थिति पत्र (स्टेटस पेपर) का प्रकाशन भी करता है। 2013-14 (नवम्बर, 2013) केन्द्र सरकार के ऋण संबंधी आंकड़ों की हस्तपुस्तिका का प्रकाशन भी किया जा रहा है।

2.11 चौदहवें वित्त आयोग का गठन:

2.11.1 वित्त आयोग (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) के प्रावधानों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के खण्ड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. वी.वी.रेड्डी की अध्यक्षता में चौदहवें वित्त आयोग का गठन किया गया है। इस संबंध में दिनांक 2 जनवरी, 2013 के का.आ. 31 (अ) के जरिये भारत के राजपत्र (आसाधारण) में अधिसूचना प्रकाशित की गई है। आयोग से 1 अप्रैल, 2015 से आरंभ होने वाले पांच वर्ष की अवधि को कवर करते हुए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 2014 को पेश करने के लिए कहा गया है।

2.11.2 आंध्र प्रदेश पुनः गठन अधिनियम, 2014 के अनुसरण में वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य को दो राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश और तैलंगाना में पुनर्गठित किया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री ने दिनांक 31.3.2014 को चौदहवें वित्त आयोग के लिए विचारार्थ विषयों हेतु मंत्रिमंडल का अनुमोदन मांगा है।

2.12 हिंदी शाखा

2.12.1 सभी बजट दस्तावेज संसद में हिन्दी व अंग्रेजी में पेश किए जाते हैं। हिन्दी शाखा ने बजट दस्तावेजों के अलावा विदेशी ऋण के आर्थिक वर्गीकरण और स्थिति रिपोर्ट का हिन्दी संस्करण भी तैयार किया जिन्हें संसद के समक्ष रखा गया था।

2.11.2 विचाराधीन वर्ष के दौरान हिन्दी शाखा द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 और इसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा परिकल्पित अन्य दस्तावेजों का अनुवाद कार्य किया गया। इनमें विदेशी सरकारों व अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ करार, मंत्रिमंडल हेतु नोट, संसदीय प्रश्न/आशवासन, अधिसूचनाएं, स्थायी समिति संबंधी कागजात, मंत्रिमंडल हेतु मासिक संक्षेप, बाह्य सहायता रिपोर्ट आदि शामिल हैं।

3. पूंजी बाजार प्रभाग

3.1 प्राथमिक बाजार

3.1.1 प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014

- प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 की संख्या 8) 18 जुलाई, 2013 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया था। यह अध्यादेश अन्य बातों के साथ-साथ सेबी की शक्तियां बढ़ाने को उपबंधित था ताकि सामूहिक निवेश योजना में कथित विनियमन संबंधी अंतरों का फायदा उठाने से अनैतिक निकायों को रोका जा सके, तलाशी और जब्ती की जा सके और यह स्पष्ट संदेश दिया जा सके कि सरकार प्रतिभूति बाजारों में व्याप्त अनियमितताओं और धोखेबाजी को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाएगी।
- प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 को प्रतिस्थापित करने के लिए 12 अगस्त, 2013 को मानसून सत्र के दौरान लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। चूंकि संसद का मानसून सत्र उक्त विधेयक पर बिना विचार-विमर्श किए और पारित किए बिना समाप्त हो गया था, प्रतिभूति विधि (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2013 16 सितम्बर, 2013 को प्रख्यापित किया गया था। प्रतिभूति विधि (संशोधन) दूसरा अध्यादेश 2013 शीतकालीन सत्र के प्रारंभ की तिथि 5 दिसम्बर, 2013 से छः सप्ताहों के अवसान के बाद 16 जनवरी, 2014 को व्यपगत हुआ। प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2013, 15वीं लोक सभा के कार्यकाल के अंत में व्यपगत हो गया।
- प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 28 मार्च, 2014 को प्रख्यापित किया गया ताकि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) अधिनियम और संबंधित अधिनियम जो 18 जुलाई, 2013 को प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का 8) के प्रख्यापन से प्रवृत्त हुए तथा वित्त संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों एवं सेबी से प्राप्त अतिरिक्त प्रस्तावों के आधार पर कुछ अतिरिक्त संशोधनों को भी लागू किया जा सके। प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश 2014 में प्रवर्तित अतिरिक्त संशोधनों में ऐसा

उपबंध है कि अध्यक्ष तलाशी और जब्ती का आदेश जारी करते समय लिखित कारण दर्ज करेगा, प्राधिकृत अधिकारी तलाशी और जब्ती में अपनी सहायता के लिए किसी पुलिस अधिकारी या केंद्र सरकार के किसी अधिकारी की सेवाएं ले सकता है और अधिनिर्णयन अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति को वापस लेने और उसे बढ़ाने हेतु बोर्ड को शक्ति दी जाए।

- मंत्रिमंडल ने 27.03.2014 को आयोजित अपनी बैठक में प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 के स्थान पर प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 को विधायी विभाग के परामर्श से प्रारूपण या परिणामी स्वरूप के परिवर्तनों के, यदि कोई हो के अध्यक्षीन प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया था। उक्त विधेयक को संसद के आगामी सत्र में मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार पुरःस्थापित किए जाने की जरूरत है। प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश के स्थान पर कोई अधिनियम नहीं लाए जाने से वह अपने जारी किए जाने की तारीख (28 सितम्बर, 2014) से छः महीनों या संसद के प्रथम सत्र के बुलाए जाने की तारीख से 6 सप्ताहों के अंदर व्यपगत हो जाता।

3.1.2 घरेलू निवेशकों और बाजार विकास के लिए पहलकदमियां

सरकार ने घरेलू स्रोतों से भारतीय पूंजी बाजार में अधिक निवेशों को आकृष्ट करने के संगठित प्रयत्न किए हैं। खुदरा निवेशकों सहित घरेलू निवेशकों को व्यापक भागीदारी प्रोत्साहित करने के लिए, किए गए चंद मुख्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- (i) म्यूचुअल फंड योजनाओं से वसूल किए जाने वाले व्ययों की लोचशीलता और सीमाएं बढ़ाना ताकि एएमसी वितरकों को अधिकतर अग्रिम आढ़तों का भुगतान कर सके।
- (ii) छोटे शहरों तक पहुंच बढ़ाने के लिए म्यूचुअल फंडों में उच्च कुल व्यय अनुपात की अनुमति देना।
- (iii) वितरक प्रमाणन और पंजीकरण क्रियाविधि को सरल करना एवं एमएफ वितरकों के लिए प्रविष्टि लागतें घटाना।
- (iv) स्टॉक एक्सचेंजों (इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ) के राष्ट्रव्यापी दलाल जालतंत्र के जरिए आईपीओ में खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ाना, अवरूद्ध धनराशि से समर्थित प्रयोज्यता का दायरा बढ़ाना और आईपीओ में शेयरों का न्यूनतम आवंटन प्रत्येक खुदरा आवेदक के लिए सुनिश्चित करना।
- (v) 15 करोड़ रुपए के न्यूनतम औसत करपूर्व परिचालन लाभ केवल निर्गमकर्ताओं को देने की अनुज्ञा देकर बाजार में ईमानदारी एवं निवेशकीय आत्मविश्वास बढ़ाना ताकि 'लाभप्रद मार्ग' के जरिए पूंजी बाजार तक पहुंचा जा सके।
- (vi) खराब गुणता वाले प्रारूपीय पेशकश से जुड़े दस्तावेजों को नामंजूर करने का तंत्र स्थापित करना, आईपीओ क्रियाविधि में किसी स्तर पर गैर खुदरा निवेशकों की बोलियों के

किसी प्रत्याहरण या उनकी मात्रा घटाने की अनुमति नहीं देना और निर्गम की मात्रा के 25 प्रतिशत तक निर्गम के उद्देश्य के रूप में “जनरल कारपोरेट पर्पज” को सीमित करते हुए पूंजी जुटाव में पारदर्शिता बढ़ाना।

- (vii) प्रत्येक खुदरा आवेदक को आईपीओ में शेयरों का न्यूनतम आबंटन सुनिश्चित करना।

3.1.3 कारपोरेट बांड बाजार के विकास हेतु उपाय

कारपोरेट बांड बाजार की वृद्धि को तेज करने तथा नियामक पद्धति में सुधार करने के लिए आरबीआई, सेबी, एमसीए तथा आईआरडीए के परामर्श के साथ विभिन्न नितिगत उपाय किए गए हैं। सक्रिय रूप से अनुशीलित किए गए सुधार के नीतिगत उपायों में निम्नलिखित शामिल थे :

- (i) कारपोरेट ऋण के बैंक शासित वित्तीयन से हटकर कारपोरेट बांड आधारित व्यवस्था अपनाना।
- (ii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, सारफेसी अधिनियम और आयकर अधिनियम द्वारा निरूपित नियमों/ विनियमों में संशोधन करके कारपोरेट ऋण के नियमन की कानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना।
- (iii) पेंशन निधियों, भविष्य निधियों, बीमा निधियों आदि से जुड़े निवेशगत दिशानिर्देशों में ढील देना ताकि निवेशकों का दीर्घकालिक और स्थायी वर्ग समाविष्ट किया जा सके।
- (iv) नए उत्पादकों को उतारना या हालिया उत्पादों जैसे कि बीमित बांडों, निगम बांडों, ऋण चूक अदला-बदलियों, ऋण बढ़तों एवं प्रतिभूतिकरण प्राप्तियों से संबंधित कानूनी या विनियामक अड़चनों को हटाना।
- (v) समर्थकारी नकदी, कीमत की जानकारी में पारदर्शिता और व्यापार की मात्रा में वृद्धि के उत्प्रेरण के लिए बाजार की अवसरचना में सुधार करना।

3.2 सुधार संबंधी हालिया कार्यान्वित उपाय

- कंपनी (निक्षेप स्वीकारना) नियमावली, 1975 में निक्षेप की परिभाषा में संशोधन
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना भी 21 मार्च, 2013 को जारी की है जिसमें आस्तियों की श्रेणियों का जिनके लिए ऋणपत्रों को प्राप्त करने हेतु प्रभार सृजित किया जा सकता है, विस्तार करने के लिए सार्वजनिक निक्षेप की परिभाषा में संशोधन किया गया है :
 - कंपनी (निक्षेप स्वीकारना) नियमावली, 1975 नियम 2, खंड (ख)(x) के अंतर्गत कंपनी की अमूर्त आस्तियों को छोड़कर या उन्हें कंपनी के शेयरों में परिवर्तित करने के विकल्प पर अधिनियम की अनुसूची-VI में उल्लिखित किन्हीं नियत आस्तियों के बंधक नामे से प्राप्त बांडों या ऋणपत्रों के निर्गम से कोई धनराशि जुटाना;

- बशर्ते कि अमूर्त आस्तियों को छोड़कर अधिनियम की अनुसूची VI में उल्लिखित किन्हीं नियत आस्तियों के बंधक नामा से प्राप्त ऐसे बांडों या ऋणपत्रों के मामले में इन बांडों या ऋणपत्रों की धनराशि ऐसी अचल आस्तियों के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगी।

- इस परिवर्तन से पूर्व अचल संपत्ति पर 100 प्रतिशत प्रभार से अप्राप्त कोई ऋणपत्र/बांड सार्वजनिक निक्षेप के रूप में विनियमित किया जाएगा न कि ऋणपत्र/बांड के रूप में।

● प्रतिभूतिकृत ऋण की कराधान नीति में स्पष्टता सुनिश्चय से प्रतिभूतिकृत ऋण बाजार का विकास।

- जैसाकि बजट अभिभाषण 2013-14 में उद्घोषणा की गई है, एक विशेष प्रयोजनी उपाय के जरिए वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूतिकरण को सुकर बनाने के लिए प्रतिभूतिकरण न्यास को आयकर से छूट दी गई है। प्रतिभूतिकरण न्यास कंपनियों के मामले में 30 प्रतिशत की दर पर और किसी व्यक्ति या एचयूएफ के मामले में 25 प्रतिशत की दर पर आय के वितरण के समय ही कर लगाएगा। कोई अतिरिक्त कर प्रतिभूतिकरण न्यास से निवेशकों द्वारा प्राप्त आय पर नहीं लगेगा। इस घोषणा पर अमल करने के लिए आयकर अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन कर दिया गया है।

● सरकारी प्रतिभूतियों और कंपनी बांडों के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों पर विदहोलिंग कर को तर्कसंगत बनाना।

- वित्त अधिनियम, 2013 में एक नई धारा 194ठघ जोड़ी गई है जिसमें किसी भारतीय कंपनी और सरकारी प्रतिभूतियों के रूपया मूल्य वर्गीकृत बांड में किए गए निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को प्रदत्त ब्याज पर 5 प्रतिशत की ह्रासित दर पर विदहोलिंग कर की व्यवस्था की गई है।

● कारपोरेट बांडों में बीमा/पेंशन निधियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ऐसी निधियों के प्रोत्साहन हेतु उनके निवेश से जुड़े मानदंडों में ढील देना।

- पूर्व के विनियमनों के अनुसार बीमाकर्ताओं से अपेक्षा थी कि वे सरकारी और अनुमोदित प्रतिभूतियों को जो “ककक” या समतुल्य रेटिंग की होनी चाहिए, छोड़कर ऋण लिखतों के 75 प्रतिशत से अनधिक का निवेश करें। इरडा (इरडा निवेश (पांचवां संशोधन) विनियमन, 2013 तारीख 16 फरवरी, 2013) द्वारा किए गए नवीनतम संशोधनों में, सरकारी प्रतिभूतियों और अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेशों को 75 प्रतिशत की सीमा का हिसाब लगाते हुए शामिल किया जाता है। यह संशोधन जीवन बीमाकर्ताओं को “एए” रेटिंग वाले कंपनी बांडों में 12.5 प्रतिशत से अधिक की निधियां निवेशित करने की अनुज्ञा प्रभावी ढंग से देता है।

- निवेश के बांडों की पात्रता बढ़ाने हेतु बीमा कंपनियों द्वारा अवसररचना बांडों में निवेश संबंधी न्यूनतम अवधि का प्रतिबंध दस वर्ष से घटाकर पांच वर्ष किया गया।
 - इरडा [इरडा निवेश (पांचवां संशोधन) विनियमन, 2013, तारीख 16 फरवरी, 2013] द्वारा किए गए नवीनतम संशोधनों में यह उल्लेख है कि किसी अवसररचना निवेशिती कंपनी में ऋण लिखतों की बकाया अवधि निवेश के समय 5 वर्षों से अल्प नहीं होनी चाहिए।
- अवसररचना कंपनी की परियोजना लागत पर आधारित बांडों में बीमा कंपनियों द्वारा निवेश के लिए निवेश संबंधी मानदंडों के निर्धारण को अनुमत करना।
 - संशोधित विनियमों [इरडा निवेश (पांचवां संशोधन) विनियम, 2013, तारीख 16 फरवरी, 2013] के अनुसार कोई बीमाकर्ता समूह/प्रवर्तक ऋण मानदंडों को पूरा करते हुए निवेश के समय अवसररचना क्षेत्र में प्रतिबद्ध सरकारी लिमिटेड विशेष प्रयोजनी संस्था की परियोजना लागत (सक्षम निकाय द्वारा यथा निर्णीत) के अधिकतम 20 प्रतिशत या विनियमन 9(ख)(i) के तहत उल्लिखित धनराशि का, जो भी अल्पतर हो, निवेश यथा विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों के अध्यधीन अनुमोदित निवेशों के भाग के रूप में कर सकता है।
- बैंकों द्वारा टायर-II पूंजी जुटाने के कारपोरेट बांडों के सार्वजनिक निर्गमन को प्रोत्साहित करना विशेषकर इसलिए कि सार्वजनिक निवेशगण बैंकों पर ज्यादा भरोसा करते हुए देखे जाते हैं।
 - रिजर्व बैंक के दिनांक 24 जनवरी, 2013 के परिपत्र भारतीय रिजर्व बैंक सं. 2012-13/392-डीबीओडी.बीपी.बीसी.संख्या 72/21.01.002/2012-13 के अवलोकन से वर्धित परचुनिया भागीदारी के जरिए भारत में कंपनी बांड बाजार के सघनीकरण की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी कि टायर-II पूंजी जुटाने के लिए गौण ऋण जारी करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि वे परचुनिया निवेशकों को सार्वजनिक निर्गम के जरिए ऐसी निधियां जुटाने के विकल्प पर विचार करें।
- बीमा कंपनियों को नकदी बढ़ाने हेतु रिपो बाजार में भागीदारी करने की अनुमति दी जा सकती है।
 - बीमा और बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण ने 4 दिसम्बर, 2012 के परिपत्र/दिशानिर्देशों के तहत रिपो बाजार में बीमा कंपनियों द्वारा भागीदारी करने की अनुज्ञा दी। ऐसा ही परिपत्र म्यूचुअल फंडों के मामले में 15 नवम्बर, 2012 को सेबी द्वारा जारी किया गया है।
- कारपोरेट बांडों पर पुनः खरीद पर हेयर-कट में न्यूनीकरण
 - भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 जनवरी, 2013 के परिपत्र आईडीएमडी पीसीडी 09/14.3.02/2012-13 के तहत एएए/एए३/एए रेटिंग वाले कंपनी बांडों के लिए कारपोरेट ऋण रिपो में न्यूनतम हेयर-कट अपेक्षा विद्यमान 10 प्रतिशत/12 प्रतिशत/15 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत/8.5 प्रतिशत/10 प्रतिशत तक कर दी है।
 - कारपोरेट ऋण में रिपो की अनुज्ञा एक वर्ष से अल्प की मूल परिपक्वता के वाणिज्यिक पत्रों, निक्षेप प्रमाणपत्रों और गैर परिवर्तनीय ऋणपत्रों पर भी दी जाएगी।
- बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंडों को सीडीएस बाजार में बाजार निर्माताओं के रूप में भाग लेने की अनुमति दी गई ताकि इस उत्पाद का कारबार बढ़ सके।
 - 15 नवम्बर, 2012 के परिपत्र के जरिए म्यूचुअल फंडों को सीडीएस में, कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में प्रयोगकर्ताओं के रूप में भाग लेने की अनुज्ञा सेबी द्वारा दी गई थी। म्यूचुअल फंड केवल नियत परिपक्वता आयोजना (एफएमपी) स्कीमों जिनकी अवधि एक वर्ष से अधिक के पोर्टफोलियो के अंतर्गत गठित संबंधित बाध्यताओं के रूप में पात्र प्रतिभूतियों के लिए सीडीएस में प्रयोगकर्ता के रूप में भागीदारी कर सकते हैं।
 - इरडा ने सीडीएस के प्रयोक्ताओं के रूप में बीमा कंपनियों को अनुज्ञा देने के लिए दिनांक 27 नवम्बर, 2012 का परिपत्र जारी किया।
 - आरबीआई ने दिनांक 7 जनवरी, 2013 के परिपत्र के तहत कारपोरेट बांडों की ऋण चूक अदला-बदली संबंधी दिशानिर्देश संशोधित किए हैं।
- कारपोरेट ऋण हेतु विदेशी संस्थागत निवेशक की नीलामी प्रक्रिया का पुनरावलोकन
 - जिन विदेशी संस्थागत निवेशकों/उप-खातों के लिए 03 जनवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार किसी प्रकार की ऋण निवेश सीमाएं लागू नहीं होती और जिन्होंने उसके बाद ऋण निवेश सीमाओं में खरीद की उन्हें प्रचालन नम्यता मुहैया कराने के इरादे से सेबी ने दिनांक 1 जनवरी, 2013 का परिपत्र जारी किया जिसमें कैलेंडर वर्ष 2013 के दौरान किसी समय पर अधिकतम ऋण धारिता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचयी पुनर्निवेश सुविधा की अनुमति दी गई।
 - इसके अलावा, सेबी ने एक परिपत्र 01 अप्रैल, 2013 को जारी किया है और कारपोरेट बांड की नीलामी व्यवस्था 01 अप्रैल, 2013 से समाप्त कर दी गई है और कारपोरेट बांड की समग्र सीमा "ऑन टैप सिस्टम" पर रही है।

- स्टॉक एक्सचेंज में कारपोरेट बांडों के व्यापार के लिए सेंट्रल काउंटर पार्टी की स्थापना करना और कारबार हेतु कारबार गारंटी निधि सृजित करना;
- सुनिश्चित सुविधा से निवल रोकड़ आधार पर भुगतान कर सकने के लिए कक से ऊपर की रेटिंग वाले नगदी बांडों का डीवीपी- III तंत्र शुरू करना।
 - सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों में समर्पित ऋण खंड शुरू करने के लिए दिनांक 24 जनवरी, 2013 के अपने परिपत्र के जरिए दिशानिर्देशों जारी किए। इन दिशानिर्देशों में व्यापार, समाशोधन और निपटान, जोखिम प्रबंधन, बाजार निर्माण की रूपरेखा साथ-साथ ऋण खंड के लिए सदस्यता की अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट की गई हैं।
 - इन दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट है कि किसी स्टॉक एक्सचेंज का ऋण खंड संस्थागत बाजार तथा खुदरा बाजार के लिए पृथक प्लेटफार्म उपलब्ध कराएगा। संस्थागत बाजार के व्यापारों के समाशोधन और निपटान के लिए डीवीपी-I आधार पर टी+1 चल समझौता होगा जिसमें समाशोधन निगम को आरबीआई आरटी जीएस खाते का उपयोग किया जाएगा।
 - स्टॉक एक्सचेंज/समाशोधन निगम समुचित जोखिम प्रबंधन तंत्र को स्थापित करने के बाद भविष्य में डीवीपी II या डीवीपी III आधार पर समाशोधन तथा भुगतान कराने का विकल्प चुन सकते हैं। खुदरा बाजार में व्यापार समाशोधन निगम द्वारा भुगतान की गारंटी दिए जाते हुए डीवीपी III आधार पर टी+2 चल समझौता के तहत निपटाए जाएंगे।
 - सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज में ऋण खंड बनाए जाने के लिए तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, प्राथमिक डीलरों, पेंशन निधियों, भविष्य निधियों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंडों आदि जैसी विनिर्दिष्ट संस्थाओं को ऋण खंड में “मालिकाना व्यापारकर्ता सदस्य” के रूप में सीधे-सीधे व्यापार करने के लिए समर्थ बनाने के लिए 05 अप्रैल, 2013 को दलाल विनियमन संशोधित कर उसे अधिसूचित किया है
 - बाजार की प्रतिपुष्टि के आधार पर, सेबी बोर्ड ने 25 जून, 2013 को आयोजित अपनी बैठक में सेबी (स्टॉक दलाल और उपदलाल) विनियमन, 1992 में हुए संशोधनों पर विचार करके उसे अनुमोदित किया ताकि स्टॉक एक्सचेंजों के ऋण खंड के संबंध में सदस्यों की पात्रता हेतु निवल मूल्य संबंधी मापदंड को युक्तिसंगत बनाया जा सके तथा सदस्यता हेतु वार्षिक शुल्कों और जमाराशि को कम किया जा सके।
 - ऋण भाग में बृहत्तर संस्थागत भागीदारी को समर्थ बनाने और कारपोरेट बांड बाजारों का विकास करने

के उद्देश्य से, सेबी बोर्ड ने म्यूचुअल फंड द्वारा एएमसी को केवल ऐसे म्यूचुअल फंडों की योजनाओं के प्रबंधन के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के ऋण भाग में प्रत्यक्ष रूप से व्यापार करने के लिए, ऐसे म्यूचुअल फंड की ओर से “स्वामित्व ट्रेडिंग सदस्य” (पीटीएम) श्रेणी के तहत, स्टॉक एक्सचेंजों की सदस्यता लेने के लिए समर्थ बनाने हेतु सेबी म्यूचुअल फंड विनियमनों में संशोधन को अनुमोदित किया।

● वार्तातय लेन-देन प्रणाली (एनडीएस) की तर्ज पर ट्रेडिंग प्लेटफार्म (आदेश मिलान प्रणाली) को शुरू अथवा विस्तृत करना - ओएम

- सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों में समर्पित ऋण भाग को समर्थ करने और ऋण भाग में बैंकों और अन्य संस्थागत भागीदारों (जैसाकि उनके क्षेत्रीय विनियामकों द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है) की प्रत्यक्ष सदस्यता को समर्थ करने के लिए 24 जनवरी, 2013 को परिपत्र जारी किया। उक्त परिपत्र के अनुसार, ऋण भाग आदेश मिलान, भाव हेतु अनुरोध, वार्तातय व्यापारों आदि के लिए इलेक्ट्रॉनिक, स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग उपलब्ध कराएगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, प्रमुख व्यापारी, पेंशन निधियां, भविष्य निधियां, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड्स, आदि जैसी संस्थाएं ऋण भाग में पंजीकृत ट्रेडिंग सदस्यों के ग्राहकों के रूप में अथवा केवल स्वामित्व आधार पर ट्रेडिंग सदस्यों के रूप में प्रत्यक्ष रूप से कारोबार कर सकती हैं।
- सेबी ने ऋण भाग शुरू करने हेतु एनएसई आवेदन को अनुमोदित कर दिया है और एनएसई ने 13 मई, 2013 को समर्पित ऋण भाग शुरू किया है। समर्पित ऋण भाग शुरू करने हेतु एमसीएस और बीएसई के आवेदनों की जांच-पड़ताल भी की जा रही है।

● दो-तरफा भाव उपलब्ध कराने हेतु बाजार संतुलनकार्य योजना (मार्केट मेकिंग स्कीम) शुरू करना।

- सेबी ने दिनांक 24 जनवरी, 2013 के परिपत्र द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों में समर्पित ऋण भाग की स्थापना करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं। परिपत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा गया है कि बाजार में नकदी उतारने के उद्देश्य से, बाजार संतुलनकर्ता ऋण भाग में अनुमोदित किए जाएंगे। बाजार संतुलन कार्य श्रेष्ठी बैंकों, दलालों अथवा किसी अन्य निकाय, जैसा भी विनिर्दिष्ट किया गया हो, के माध्यम से जारीकर्ता द्वारा किया जा सकता है। बाजार संतुलन कार्य हेतु नियम सेबी के अनुमोदन से स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

● **नकदी बाजार भाग में सूचीबद्ध और ट्रेडिड कारपोरेट बांडों हेतु जोखिम प्रबंधन रूपरेखा**

- स्टॉक एक्सचेंजों में ऋण भाग शुरू करने के पश्चात, बाजार प्रतिपुष्टि विभिन्न मुद्दों पर प्राप्त की गई है जिसमें कारपोरेट बांड व्यापारों में डीवीपी-3 निपटान की आवश्यकता शामिल है। कारपोरेट बांड व्यापारों में डीवीपी-3 आधार पर निपटान करने हेतु, उचित जोखिम प्रबंधन रूपरेखा का कार्यान्वयन आवश्यक है। स्टॉक एक्सचेंजों ने जोखिम प्रबंधन रूपरेखा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और इन पर द्वितीयक बाजार पर परामर्शी समिति में चर्चा की गई थी। विचार-विमर्शों के आधार पर, यह तय किया गया है कि कारपोरेट बांड कारोबारों के लिए जोखिम प्रबंधन रूपरेखा इसमें यथाविनिर्दिष्ट होगी।
- उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सेबी ने दिनांक 12 सितम्बर, 2013 की परिपत्र संख्या सीआईआर/एमआरडी/डीपी/27/2013 जारी की है जो स्टॉक एक्सचेंज में समर्पित ऋण भाग के लिए जोखिम प्रबंधन रूपरेखा से संबंधित है।

● **कारपोरेट बांड बाजारों में दो-तरफा भाव की पेशकश करने के लिए बैंकों को अनुमति देना।**

- सेबी ने 5 अप्रैल, 2013 को इसके सेबी (स्टॉक ब्रोकर्स और सब-ब्रोकर्स) विनियमन, 1992 में संशोधन किया है जिसके द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के ऋण भाग में बैंकों, पेंशन निधियों, भविष्य निधियों और अन्य संस्थागत भागीदारों (उनके क्षेत्रीय विनियामकों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट) को प्रत्यक्ष सदस्यता हेतु समर्थ बनाने की व्यवस्था की गई है। इन विनियमों में ऋण भाग में ट्रेडिंग सदस्य/स्वामित्व ट्रेडिंग सदस्य/समाशोधन सदस्य/स्व-समाशोधन सदस्य के पंजीकरण की व्यवस्था की गई है।
- सेबी ने दिनांक 24 जनवरी, 2013 के अपने परिपत्र द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों में समर्पित ऋण भाग उपलब्ध कराने हेतु दिशानिर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। ये दिशानिर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ, व्यापार, समाशोधन और निपटान, जोखिम प्रबंधन रूपरेखा और ऋण भाग के लिए सदस्यता अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करते हैं।
- सेबी परिपत्र और संशोधित विनियम, भारतीय रिजर्व बैंक को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिए गए हैं।

● **बीमा कंपनियों, पीएफ और पेंशन निधियों द्वारा निवेश के लिए पात्र होने हेतु न्यून निवेश ग्रेड बांडों को अनुमति**

देकर विभिन्न संस्थाओं जिनमें बैंक शामिल हैं, ऋण वृद्धि की उपलब्धता में बढ़ोतरी।

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 29 अक्टूबर, 2013 को जारी की गई मौद्रिक नीति 2013-14 की दूसरी तिमाही में यह कहा गया है कि भारत में कारपोरेट बांड बाजार में, वर्तमान में, पर्याप्त गंभीरता और नकदी की कमी है। परिणामस्वरूप, कारपोरेट महत्वपूर्ण रूप से बैंक वित्तपोषण पर निर्भर हैं। इसलिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि बैंकों को गारंटी उपलब्ध न कराकर, कारपोरेट को ऋण सुविधाएं और नकदी सुविधाएं उपलब्ध कराकर कारपोरेट बांडों में आंशिक ऋण वृद्धि की पेशकश करने की अनुमति दी जाए। बैंकों द्वारा कारपोरेट बांड में आंशिक ऋण वृद्धि पर मसौदा दिशानिर्देश सार्वजनिक टीका-टिप्पणी हेतु 30 जून, 2014 तक भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

● **कीमत कम करके, ई-निर्गमन का संवर्धन करके और बांडों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने को प्रोत्साहित करके बांडों के सार्वजनिक निर्गमन का प्रोत्साहन करना।**

- सेबी ने दिनांक 27 जुलाई, 2012 के परिपत्र द्वारा ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था पहले ही कर दी है।
- बांडों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की अनिवार्यता के संबंध में, सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्ध करना) विनियमन, 2008 के अनुसार ऋण प्रतिभूतियों के निजी नियोजन, जिनका सूचीबद्ध होना प्रस्तावित किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में होने चाहिए। सार्वजनिक निर्गमों के मामले में, निर्गमकर्ता को ऋण प्रतिभूतियां जिनका सार्वजनिक रूप से निर्गमन किया जाना प्रस्तावित है, के इलेक्ट्रॉनिक रूप में होने के लिए निक्षेपागार के साथ प्रतिबद्धता करनी चाहिए। निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 8 के अनिवार्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, निर्गमकर्ता द्वारा पेश की गई प्रतिभूतियों का अभिदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को विकल्प दिया गया है कि जारी की गई प्रतिभूति चाहे तो भौतिक रूप में अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे, निर्गमकर्ता निवेशकों को उनके प्रमाणपत्र भौतिक रूप में प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध कराता है। इसी तरह की पद्धति सेबी के आईसीडीआर विनियमनों के तहत इक्विटी के सार्वजनिक निर्गम के मामले में लागू होती है।

- सूचना के विखंडन को दूर करने के लिए बकाया धनराशि, निपटान मूल्य और व्यापार की मात्रा पर कारपोरेट बांडों के संबंध में केंद्रीकृत डाटाबेस
 - सेबी ने, विभिन्न हितधारकों से परामर्श के अनुसरण में, 22 अक्टूबर, 2013 को परिपत्र जारी किया है और कारपोरेट बांडों के संबंध में केंद्रीकृत डाटाबेस तैयार किया है जो सार्वजनिक प्रसार हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है। दोनों निक्षेपागार अर्थात् एनएसडीएल और सीडीएसएल, संयुक्त रूप से, कारपोरेट बांडों/ डिबेंचरों से संबंधित सूचना के संग्राहक होंगे।
- मानकीकरण के लिए एकीकृत बाजार परम्पराओं का अधिदेश प्रयोग
 - मानकीकरण हेतु एकीकृत बाजार परम्पराओं के अधिदेश प्रयोग को जारी करने के संबंध में, यह कहा गया है कि बाजार भागीदारों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए, सेबी ने 29 अक्टूबर, 2013 को परिपत्र जारी किया है जिसमें निर्गमकर्ता को पेशकश दस्तावेज/ प्रकटन दस्तावेज में लाभांश भुगतान से नकद प्रवाह निर्गम का प्रकटन करने का निर्देश दिया गया है।
- स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफार्म पर संपार्श्विक कारपोरेट बांड प्राप्तियों (सीसीबीआर) के व्यापार को अनुमति देना

स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफार्म पर संपार्श्विक कारपोरेट बांड प्राप्तियों (सीसीबीआर) के व्यापार को अनुमति देने के संबंध में, यह निर्धारित किया गया था (7 जनवरी, 2013 का निर्णय) की निम्नलिखित के मुद्देनजर प्रस्ताव को अभी टाल दिया जाए :

 - लिखित की प्रासंगिक पेचीदगी (तथापि, सीबीएलओ एक समान लिखित के रूप में वर्णित किया गया था, जो भारत में मुद्रा बाजार में सफल रहा है);
 - हालिया पहलों से (जैसे बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंडों को कारपोरेटों के लिए पुनर्खरीद बाजार में अनुमति देना, पुनर्खरीद पर हेयरकट में कमी) कारपोरेट बांडों के लिए पुनर्खरीद बाजार में नकदी अंतर्वाह का अनुमान है।

निजी नियोजन और सार्वजनिक निर्गम के लिए कारपोरेट बांड के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

कारपोरेट बांडों का निजी नियोजन								
	केवल एनएसई में सूचीबद्ध		केवल बीएसई में सूचीबद्ध		एनएसई और बीएसई दोनों में सूचीबद्ध		कुल	
वर्ष	निर्गमों की संख्या	धनराशि (करोड़ रुपए)	निर्गमों की संख्या	धनराशि (करोड़ रुपए)	निर्गमों की संख्या	धनराशि (करोड़ रुपए)	निर्गमों की संख्या	धनराशि (करोड़ रुपए)
2010-11	774	153370.26	591	525905.3	39	12824.63	1404	218785.41
2011-12	1152	189803.32	783	56974.22	18	14505.11	1953	261282.65
2012-13	1295	206187.25	1094	72473.84	100	82800.91	2489	361462.00
2013-14	837	140713.04	997	78805.14	90	56536.00	1924	276054.18
2014-15*	94	9122.80	194	10651.75	12	3800	300	23574.55

*अप्रैल, 2014 में

वर्ष	सार्वजनिक निर्गम	
	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई धनराशि (करोड़ रुपए में)
2010-11	10	9451.17
2011-12	20	35,610
2012-13	20	16,982
2013-14	35	42382.97
2014-15#	01	264.70#

स्रोत : सेबी # - प्रारंभिक पञ्च निर्गम रिपोर्ट के अनुसार

3.3 सूचीबद्ध कंपनियों हेतु न्यूनतम सरकारी शेयरधारिता में वृद्धि करना

- i प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 में सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए गैर-संवर्धक, सरकारी शेयरधारिता 25 प्रतिशत होने की व्यवस्था की गई है (केवल सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़कर जहां सीमा 10 प्रतिशत है)। सेबी ने एससीआरआर के नियम 19(2)(ख) और 19क के अनुसार एमपीएस अपेक्षा को पूरा करने हेतु निम्नलिखित प्रणालियां शुरू की हैं :

- क. विवरण पत्रिका के जरिए लोगों को शेयरों का निर्गमन;
- ख. विवरण पत्रिका के जरिए लोगों को संवर्धकों द्वारा धारित शेयरों की बिक्री की पेशकश;
- ग. द्वितीयक बाजार अर्थात स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ओएफएस के जरिए संवर्धकों द्वारा धारित शेयरों की बिक्री;
- घ. संस्थागत नियोजन कार्यक्रम (आईपीपी) :
- ड. सार्वजनिक शेयरधारकों को राइट्स निर्गम, जिसमें संवर्धक/संवर्धक समूह शेयरधारक अपने राइट्स हकदारी का परित्याग करे।
- च. सार्वजनिक शेयरधारकों का बोनस निर्गम; जिसमें संवर्धक/संवर्धक समूह शेयरधारक अपनी बोनस हकदारी का परित्याग करें।
- छ. मामला-दर-मामला आधार पर, सेबी द्वारा यथाअनुमोदित कोई अन्य प्रणाली।
- ii. पूर्णकालिक सदस्य सेबी द्वारा 04 जून, 2013 को 105 गैर-अनुवर्ती निजी कंपनियों के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं :
- क. जब तक ये कंपनियां न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता अपेक्षा का अनुपालन नहीं करती उस समय तक उक्त वर्णित गैर-अनुवर्ती कंपनियों में अधिक अनुपाती संवर्धक/संवर्धकों के समूह के संबंध में वोटिंग अधिकार और लाभांश, राइट्स, बोनस शेयर, विखंडन आदि जैसे कारपोरेट लाभों पर रोक का निर्देश;
- ख. इन गैर-अनुवर्ती कंपनियों के संवर्धकों/संवर्धक समूह और निदेशकों द्वारा क्रय करने, विक्रय करने अथवा अपनी संबंधित कंपनियों की प्रतिभूतियों में अन्यथा लेन-देन करने, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे जो भी तरीका हो, केवल न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता अपेक्षा के अनुपालन के प्रयोजन को छोड़कर ऐसे समय तक प्रतिबंधित करना जब तक कि ये कंपनियां न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता अपेक्षा का अनुपालन नहीं करती।
- ग. गैर-अनुवर्ती कंपनियों में संवर्धक/संवर्धक समूह में आने वाले शेयरधारकों पर किसी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक के रूप में नया पद धारण करने पर उस समय तक रोक, जब तक ये कंपनियां न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता अपेक्षा का अनुपालन नहीं करती हैं।
- घ. गैर-अनुवर्ती कंपनियों के निदेशकों पर किसी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक के रूप में कोई नया पद धारण करने पर उस समय तक रोक, जब तक ये कंपनियां न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता अपेक्षा का अनुपालन नहीं करती हैं।
- iii. निकाय/व्यक्ति जिनके विरुद्ध यह आदेश पारित किया जा रहा है, अपना उत्तर, यदि कोई हो, इस आदेश की तारीख से 21 दिनों के भीतर दायर कर सकते हैं।
- iv. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के लिए भी न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता अपेक्षा का अनुपालन करने का समय 8 अगस्त, 2013 तक था। 2012 से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के जरिए जुटाए गए संसाधन निम्नानुसार हैं :

	30 जून, 2012 से अनुपालन कर रही कुल कंपनियों की संख्या*	निर्गमों की कुल संख्या**	30 जून, 2012 से 12 सितम्बर, 2013 तक धनराशि (करोड़ रुपए में)***
निजी रूप से सूचीबद्ध कंपनियां	115	97	10457.67
पीएसयू सूचीबद्ध कंपनियां	15	9	8341.66
कुल	130	106	18799.33

स्रोत : सेबी

- * जून, 2012 में एमएसपी अपेक्षा का अनुपालन नहीं करने वाली 216 कंपनियां थीं। इन 216 कंपनियों में से कुछ कंपनियों के लिए अंतिम समय-सीमा 3 जून, 2013 के बाद थी।
- ** निर्गमों की कुल संख्या में शामिल नहीं हैं - गैर-सूचीबद्ध होना, विशेष राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) और जहां शेयरधारिता पद्धति गलत ढंग से प्रकट की गई थी।
- *** शामिल नहीं हैं - अनुषंगी बाजार में शेयरों की बिक्री, ईएसपीएस और विशेष एनआईएफ

3.4 आदर्श निधियां (रैंजल फंड)

3.4.1 आदर्श निवेशक पूल पर केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु बजट में की गई घोषणा को प्रभावी करते हुए, बोर्ड ने सेबी (अनुकल्पित निवेश निधियां) विनियमन, 2012 ("एआईएफ विनियमन") में संशोधन को अनुमोदित किया है। इस संशोधन द्वारा श्रेणी-1 - उद्यम पूंजी निधियों के तहत उप-श्रेणी "आदर्श निधियां" के अधीन आदर्श पूल के पंजीकरण और विनियमन हेतु रूपरेखा की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में सेबी ने 16 सितम्बर, 2013 को अधिसूचना जारी की है।

3.5 वित्तीय साक्षरता

3.5.1 सक्रियात्मक तरीके से वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, एफएसडीसी उप-समिति के तत्वाधान में वित्तीय शिक्षा पर राष्ट्रीय रणनीति का मसौदा तैयार किया गया है तथा इस पर सार्वजनिक परामर्श भी लिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस समय कक्षा 8 से 12 तक स्कूल के पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा को समेकित करने के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तैयार कर रहा है।

3.5.2 इसके अतिरिक्त, सेबी ने 23 जनवरी, 2014 की प्रेस विज्ञप्ति द्वारा सूचित किया है कि 11 और 12 जनवरी, 2014 को, देश भर से कक्षा VIII से X के विद्यार्थी पहले राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनएफएलएटी) में उपस्थित हुए। राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता केंद्र (एनसीएफसी) की प्रतिक्रिया अपरिहार्य रही थी। इसके लिए देश भर से लगभग एक लाख विद्यार्थी और 2,000 विद्यालयों ने पंजीकरण किया था। एनसीएफसी की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए और एफएमसी की सहायता से राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) के अधीन की गई है।

3.6 द्वितीयक बाजार

3.6.1 राजीव गांधी इक्विटी बचत स्कीम (आरजीईएसएस) के क्षेत्र का विस्तार:

3.6.1.1 वर्ष 2012-13 के केंद्रीय बजट की घोषणा के अनुसारण में, सरकार ने 23 नवंबर, 2012 को, अनन्य रूप से प्रतिभूति बाजारों में, प्रथम बारगी खुदरा निवेशकों के लिए राजीव गांधी इक्विटी बचत स्कीम "(आरजीईएसएस)" नामक एक नई कर बचत स्कीम अधिसूचित की है। यह स्कीम फरवरी, 2013 में प्रारंभ की गई थी और निक्षेपागारों के माध्यम से क्रियान्वित की गई थी। आरजीईएसएस को केंद्रीय बजट 2013-14 में और उदारीकृत किया गया है ताकि प्रथम बारगी निवेशक सूचीबद्ध मुचुअल फंडों और इक्विटी में एक वर्ष के वर्तमान प्रावधान के स्थान पर तीन लगातार वर्षों के लिए निवेश करने में सक्षम हो सकें। आरजीईएसएस लाभार्थियों पर लागू आय सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया है। इस संबंध में अधिसूचना राजस्व विभाग द्वारा 18 दिसंबर, 2013 को जारी की गई है।

3.6.2 प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) में कटौती:

3.6.2.1 2012-13 के केंद्रीय बजट की घोषणा के अनुकरण में, नकदी बाजार में सुपुर्दगी आधारित लेनदेनों के लिए एसटीटी के दर

को 1 जुलाई, 2012 से 0.125 प्रतिशत से 20 प्रतिशत घटाकर 0.1 प्रतिशत कर दिया है।

3.6.2.2 केंद्रीय बजट 2013-14 में लेनदेन कर को और अधिक मुक्तिसंगत किया है। अन्य बातों के साथ-साथ जून, 2013 से इक्विटी वायदा सौदों के लिए एसटीटी को 0.017 प्रतिशत से घटाकर 0.01 प्रतिशत कर दिया है।

3.6.3 प्रारंभिक लोक प्रस्ताव दिए बिना लघु एवं मझले उद्योगों (एसएमई) की एक्सचेंज में संस्थागत व्यापार प्लेटफॉर्म पर लघु एवं मझले उद्योगों की विशिष्ट प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करना:

3.6.3.1 एसएमई के लिए पृथक व्यापार प्लेटफॉर्म प्रारंभ किए गए थे और जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर क्रमशः मार्च, 2012 और सितंबर, 2012 में कार्यरत हो गए हैं। प्रारंभिक कंपनियों सहित लघु एवं मझले उद्योगों को प्रारंभिक लोक प्रस्ताव (आईपीओ) देने की आवश्यकता के बिना ही एसएमई एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की अनुमति देने के लिए एक आवश्यक ढांचे की घोषणा केंद्रीय बजट 2013-14 में की गई थी। तथापि, यह अनुमति सुविज्ञ निवेशकों तक ही सीमित है। यह सुविधा मौजूदा एसएमई प्लेटफॉर्म जिसमें किसी प्रारंभिक लोक प्रस्ताव के माध्यम से और वृहत्तर निवेशक भागीदारी के साथ सूचीबद्ध हुआ जा सकता है, के अतिरिक्त होगी। भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड(सेबी) ने 8 अक्टूबर, 2013 को सेबी (संस्थागत व्यापार प्लेटफॉर्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का सूचीकरण)विनियम, 2013 जारी किया है और 24 अक्टूबर, 2013 को एक्सचेंजों को परिपत्र जारी किया है।

3.6.4 निवेश सलाहकार विनियम:

3.6.4.1 विभिन्न क्षेत्रीय विनियामकों और मंत्रालय के परामर्श से सेबी ने 21 जनवरी, 2013 को सेबी(निवेश सलाहकार) विनियमन 2013 जारी किया है जिसके माध्यम से निवेश सलाहकारों के पंजीकरण और विनियम के लिए रूपरेखा प्रदान की गई है। इस नियम के परिणामस्वरूप निवेशक को बेहतर संरक्षण मिलेगा और इसमें निवेशकों के लिए और अधिक निवेश संबंधी विशेषज्ञ सलाह अपेक्षित है।

3.6.5 कंपनियों के निलंबन से संबंधित संशोधित रूपरेखा :

3.6.5.1 सूचीकरण संबंधी शर्तों के गैर-अनुपालन पर एक्सचेंज सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के व्यापार को निलंबित करते रहे हैं, जिससे प्रवर्तकों की अपेक्षा गैर-प्रवर्तकों के हित कहीं अधिक प्रभावित हुए क्योंकि इन निवेशकों के लिए व्यापार निलंबित होने के बाद बाहर निकलने का मार्ग बंद हो जाता था। अतः इस मुद्दे को सुलझाने और अल्पसंख्यक/लघु/गैर-प्रवर्तक शेयर होल्डरों के संरक्षण के लिए एक उपयुक्त ढांचे के निर्माण की आवश्यकता अनुभव की गई।

3.6.5.2 सेबी ने 30 सितंबर, 2013 के परिपत्र के तहत, निदेश दिया है कि एक्सचेंज गैर-अनुपालक कंपनियों के मामले में, कंपनी के शेयरों को निलंबित करने से पहले अर्थ-दंड लगाना, प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह के शेयरों पर रोक लगाना, कंपनी के शेयरों में होने

वाले व्यवसाय को पृथक श्रेणी में स्थानांतरित करना इत्यादि जैसे अन्य विभिन्न उपायों का सहारा लेगा। तदनुसार, सूचीकरण करार की कतिपय महत्वपूर्ण सूचीकरण संबंधी शर्तों जैसे कि खंड 35, खंड 41, खंड 49 के गैर-अनुपालन पर सूचीबद्ध निकायों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की निरंतरता और एकरूपता बनाए रखने के लिए सेबी ने शेयरों के व्यापार के निलंबन और निलंबन के निरसन के लिए मानक प्रचालन पद्धति (एसओपी) का सुझाव दिया है और एक्सचेंजों के बीच समान अर्थ-दंड ढांचे को लागू किया है।

3.6.6 प्रतिभूति और पण्य बाजारों के बीच समानता:

3.6.6.1 केंद्रीय बजट 2013-14 के तहत, गैर-कृषि पण्य वायदा कारोबार संविदाओं पर उसी दर से ईक्विटी वायदा कारोबार पर लागू है, प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) के समान ही 1 जुलाई, 2013 से पण्य लेनदेन कर (सीटीटी) लगाया गया है।

3.6.7 निक्षेपागारों के निवेशक संरक्षण कोषों को आयकर से दी गई छूट:

3.6.7.1 स्टॉक/कमोडिटी एक्सचेंज के निवेशक संरक्षण कोषों को इस समय आयकर से जो छूट दी जा रही है उसे अब केंद्रीय बजट 2013-14 तहत उन कोषों को भी दिया जा रहा है जिनकी इन्हीं उद्देश्यों से निक्षेपागारों ने स्थापना की है। इससे निवेशक संरक्षण और जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा।

3.7 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग खंड

3.7.1 सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग अभिकरण

- 1) भारत के सॉवरेन ऋण की प्रायः छः मुख्य सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग अभिकरणों द्वारा समीक्षा की जाती है। ये हैं-फिच रेटिंग, मूडी इन्वेस्टर सर्विस, स्टैंडर्ड एंड पूअर, डामिनियन बान्ड रेटिंग सर्विस, जैपनीस क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी तथा रेटिंग एंड इनवैस्टमेंट इन्फार्मेशन इन्का, टोक्यो (आरएण्डआई)। इन अभिकरणों द्वारा जारी की गई अद्यतन समीक्षा निम्नानुसार है:-

रेटिंग एजेंसी	रेटिंग की प्रविष्टि की तारीख	विदेशी मुद्रा		स्थानीय मुद्रा	
		रेटिंग	आउटलुक	रेटिंग	आउटलुक
मूडी	05.12.2013	बीएए3	स्थिर	बीएए3	स्थिर
फिच	12.06.2013	बीबीबी- (एलटी) एफ3 (एसटी)	स्थिर (नकारात्मक से परिवर्तित)	बीबीबी-	स्थिर
एस एंड पी	17.05.2013	बीबीबी- (एलटी) ए-3 (एसटी)	नकारात्मक	स्थानीय मुद्रा में कोई नेटिंग नहीं दी गई।	
जेसीआरए	13.12.2013	बीबीबी+	नकारात्मक (स्थिर से परिवर्तित)	बीबीबी+	नकारात्मक (स्थिर से बढ़ते हुए)
आरएण्डआई	31.01.2014	बीबीबी (एलटी) ए-2 (एसटी)	स्थिर	स्थानीय मुद्रा में कोई नेटिंग नहीं दी गई।	
डीबीआरएस	30.09.2013	बीबीबी (न्यून) (एलटी) आर-2 एम (एसटी)	एलटी और एसटी दोनों के लिए स्थिर	बीबीबी (न्यून) (एलटी) आर-2 एम (एसटी)	एलटी और एसटी दोनों के लिए स्थिर

एलटी - दीर्घावधि, एसटी - अल्पावधि

- 2) एस. एण्ड पी. ने भारत के सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग की वार्षिक समीक्षा के लिए अप्रैल 25, 2013 को भारत का दौरा किया तथा 17 मई, 2013 को अपना अद्यतन रिसर्च अपडेट जारी किया। अपनी रिपोर्ट में एस. एण्ड पी ने अपनी बी.बी.बी(-) दीर्घावधि तथा ए-3 लघु अवधि सॉवरेन रेटिंग ऑन इण्डिया की पुष्टि की तथा नकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखा।
- 3) हाल ही में फिच रेटिंग ने भी 12 जून, 2013 को प्रैस रिलीज जारी की है जिसमें भारत की विदेशी मुद्रा दीर्घावधि रेटिंग को बी.बी.बी.- तथा एफ.सी. लघु अवधि रेटिंग की एफ-3 के रूप में नकारात्मक से स्थिर होने के दृष्टिकोण होने की पुष्टि की है।
- 4) 05 दिसम्बर, 2013 को मूडी इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के सम्बन्ध में अपने स्थिर दृष्टिकोण की पुष्टि की है। उन्होंने विदेशी मुद्रा तथा स्थानीय मुद्रा की भी बीएए3 स्तर पर पुष्टि की है।
- 5) डी.बी.आर.एस. ने दिनांक 26 जुलाई, 2013 को वित्त मंत्रालय का दौरा किया। उनकी रिपोर्ट 30 सितम्बर, 2013 को जारी की गई जिसमें भारत की दीर्घावधि की विदेशी और स्थानीय मुद्रा की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को स्थिर आऊटलुक के साथ बीबी(न्यून) पर दिखाया गया।
- 6) आर. एण्ड आई. ने 31 अक्टूबर, 2013 को मंत्रालय का दौरा किया। उनकी रिपोर्ट 31 जनवरी, 2014 को जारी की

गई थी जिसमें भारत की दीर्घावधि विदेशी मुद्रा सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को स्थिर आउटलुक के साथी बीबीबी रेटिंग की पुष्टि की गई है।

- 7) हाल ही में 13 दिसम्बर, 2013 को जे.सी.आर.ए. ने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने भारत की विदेशी मुद्रा तथा स्थानीय दीर्घावधि मुद्रा को बीबीबी3 रेटिंग के रूप में पुष्टि करते हुए आउटलुक को नकारात्मक स्थिर से हटाकर नकारात्मक कर दिया है।

भारत के सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- 8) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से भारत को स्वायत्त क्रेडिट रेटिंग के सुधार के तर्क को मजबूती मिलने की संभावना है। इन सुधारों में वित्तीय समेकन, सरकारी खर्चों की क्षमता में सुधार, दीर्घावधि वृद्धि की संभावना में सुधार तथा निवेश परिवेश में सुधार करने के उपाय सम्मिलित हैं।

- 9) पिछले दो वर्षों में सरकार ने भारत के सावरेन क्रेडिट रेटिंग में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (एससीआरए) के साथ व्यवहार करने के लिए उपागम तथा प्रणाली की जांच के लिए एएस की अध्यक्षता में **एक अंतः विभागीय समिति की संस्थापना।**

(ख) उनको जिस भी सूचना की आवश्यकता हो उसे प्रदान करने के लिए एससीआरए के साथ संरचनात्मक पारस्परिक प्रक्रिया का प्रारंभ भारत की सॉवरेन रेटिंग की एससीआरए द्वारा की जाने वाली वार्षिक समीक्षा के लिए उनके द्वारा आर्थिक कार्य विभाग के साथ मुलाकात के दौरान, सचिव (ईए) प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हैं बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पारस्परिक सम्मेलनों की श्रृंखला चलती है। इन सभाओं के दौरान सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बारे में अपने दृष्टिकोण को एससीआरए के समक्ष प्रस्तुत करती है तथा सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों के बारे में बताती है। हम एससीआरए को भारतीय अर्थव्यवस्था के दीर्घावधि क्रेडिट के सकारात्मक पहलुओं पर विचार करने और इस प्रकार के सकारात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत के स्वायत्त ऋणों की रेटिंग में सुधार करने पर विचार के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं।

ग) मुख्य अर्थव्यवस्था सूचकांकों पर भारत और समान रूप से रेटिड अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलनात्मक स्थिति के बारे में **व्यापक (क्रॉस-कंट्री) प्रस्तुतिकरण** भी एससीआरए के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

घ) आर्थिक कार्य विभाग ने स्पष्टीकरण और नवीनतम सूचनाएं देने के लिए अधिक सतत आधार पर **टेलीकान्फ्रेंसिस और ई-मेलों** के माध्यम से एससीआरए के साथ तालमेल बैठाना भी शुरू कर दिया है।

- 10) इन कदमों ने नकारात्मक से स्थायी दृष्टिकोण को प्राप्त करने में सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, हम एससीआरए को हमारी अर्थव्यवस्था के सकारात्मक पहलुओं का विवरण देने के लिए अधिक सकारात्मक भाषा प्रयोग करने तथा सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को अधिक सकारात्मक रूप से प्रदर्शित करने में सफल रहे हैं।

एनआईपीएफपी-आर्थिक कार्य विभाग कार्यक्रम

11. आर्थिक कार्य विभाग के हित के विविध क्षेत्रों में नीतिपरक शोध शुरू करके उसका उपयोग करने के विचार से इस विभाग ने पूंजी प्रवाहों और उनके परिणामों पर एनआईपीएफपी आर्थिक कार्य विभाग शोध कार्यक्रम तैयार करने के लिए राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) के साथ अगस्त, 2007 में सहयोग शुरू किया। तदुपरांत, शोध कार्यक्रम जारी रहा जिसके दौरान वित्तीय और मौद्रिक नीति के विविध आयामों में नई अंतर्दृष्टियां प्राप्त करने पर ध्यान मूलतः केंद्रित रहा।

12. तीसरे शोध कार्यक्रम के लिए दो वर्षों की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन आर्थिक कार्य विभाग और एनआईपीएफपी के बीच 7 मार्च, 2012 को हस्ताक्षरित हुआ। एनआईपीएफपी और आर्थिक कार्य विभाग के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार, एनआईपीएफपी ने ग्यारह अध्ययन पत्र और तैंतीस नीति नोट (31.03.2014 की स्थिति के अनुसार) प्रस्तुत किए हैं। कार्यक्रम के तहत बारह मासिक सम्मेलन और चार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किए गए हैं।

13. चौथे अनुसंधान कार्यक्रम हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए आर्थिक कार्य विभाग और एनआईपीएफपी के बीच नए समझौता ज्ञापन पर 3 अप्रैल, 2014 को हस्ताक्षर किए गए थे। एनआईपीएफपी और आर्थिक कार्य विभाग के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार, एनआईपीएफपी निम्नलिखित को छोड़कर एफएसएलआरसी सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित मुख्य कार्य करेगा :

- प्रतिवर्ष कम से कम तीन मात्रात्मक पत्र और तीन नीति पत्र;
- प्रतिवर्ष कम से कम दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन;
- आर्थिक कार्य विभाग द्वारा यथा अनुरोधित विभिन्न प्रकार की नीतियों का विश्लेषण और कार्यान्वयन;
- आईईएस अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण।

3.8 वैदेशिक बाजार

3.8.1 परिचय

3.8.1.1 पद्धति के प्रचालन, नए बाजारों/लिखतों की शुरुआत, लेनदेन लागतों में कटौती, समाशोधन, निपटान और प्रकटीकरण पद्धति में सुधार, निवेशक वर्गों की अधिक भागीदारी तथा विनियामक/ संस्थागत ढांचे की दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार, भारत पूंजीगत बाजार में सुधार का अनुशीलन करती है। पिछले कुछ माह से, उभरती बृहद-आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिसमें उच्च चालू खाता घाटा और इसका वित्तपोषण, अस्थिर बाजार परिस्थितियाँ, अमरीकी डालर - भारतीय रुपए विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता, यूएस फेड क्यूई टैपरिंग के सूचकांकों के कारण पोर्टफोलियो निवेशों का आह्वान आदि शामिल हैं, सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी के परामर्श से सम्मिलित प्रयास किए गए हैं और आफ-शोर पोर्टफोलियो निवेश को आकर्षित करने के लिए और निवेशकों की भूख में सुधार करने हेतु कई उपाय किए हैं। ये कदम निम्नानुसार हैं :-

3.8.2 एफआईआई ऋण सीमाओं में बढ़ोतरी :

3.8.2.1 सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके, भारत के उभरते बृहद आर्थिक परिदृश्य, निवेश के स्थान के रूप में इसकी बढ़ती लोकप्रियता तथा अपनी मौद्रिक नीति को संतुलित करते हुए भारत के बढ़ते हुए निजी कारपोरेट क्षेत्र के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता के मद्देनजर, घरेलू ऋण (जी-सैक तथा कारपोरेट ऋण) में एफआईआई निवेश की सीमा प्रगामी रूप से बढ़ा दी है। इसके अतिरिक्त एफआईआई निवेश की सीमाएं भी बढ़ा दी गई हैं ताकि एफआईआई की व्यापक भागीदारी हो, पर्याप्त नकदी सुनिश्चित हो तथा घरेलू ऋण बाजार को जड़े पर्याप्त मजबूत हो। **एफआईआई की ऋण सीमा को पूर्व की 66 बिलियन (कारपोरेट बांड यूएसडी 46 बिलियन और जी सैक्टर यूएसडी 20 बिलियन) की सीमा से बढ़ाकर 81 बिलियन कर दिया गया है (कारपोरेट बांड यूएसडी 51 बिलियन और जी सैक्टर यूएसडी 30 बिलियन)।**

3.8.3 एफआईआई ऋण सीमा ढांचे का एकीकरण तथा सरलीकरण

3.8.3.1 भारतीय रुपए की प्रधानता वाले ऋण लिखत में अधिक विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए तथा रुपया ऋण बाजारों को विकसित होने में सहायता देने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न उप-सीमाओं की व्यापक श्रेणियों अथवा जी. सैक तथा कारपोरेट बांड में एकीकृत करके तथा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की सभी श्रेणियों के लिए समूची सीमा खोलने तथा सीमाओं के आबंटन के लिए आन-टैप प्रणाली अंगीकार करते हुए एफआईआई ऋण सीमाओं को सरलीकृत किया गया है/ युक्तियुक्त बनाया गया है। एकीकृत ऋण ढांचे की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :-

- (i) ऋण सीमा को निम्नलिखित दो व्यापक श्रेणियों में विलयित कर दिया गया है :

- (क) सरकार की 30 बिलियन यूएस डालर की प्रतिभूतियाँ (सरकार की पुरानी प्रतिभूतियों तथा सरकार की दीर्घावधिक प्रतिभूतियों का विलय करके)

- (ख) 51 बिलियन यूएस डालर के कारपोरेट बांड (क्यूएफआई के लिए एक बिलियन यूएस डालर, एफआईआई के लिए 25 बिलियन यूएस डालर तथा दीर्घावधि इन्फ्रा बांड के लिए 25 बिलियन यूएस डालर का विलय करके)

- (ii) सरकारी प्रतिभूतियों के लिए 30 बिलियन यूएस डालर की सीमा में से, राजकोषीय हुंडियों जैसे लघु अवधि पत्रों में निवेश 5.5 बिलियन यूएस डालर की उप-सीमा तक सीमित होगा। समीक्षा करने पर, दीर्घावधि प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए, अब यह निर्णय लिया गया है कि आरएफपीआई सहित सभी पात्र निवेशकों द्वारा विदेशी निवेश अब से सरकार की उन दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए होगा जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता अवधि एक वर्ष और इससे अधिक होगी तथा टी-बिल्स तथा एक वर्ष से कम समय की अवशिष्ट परिपक्वता वाली सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में मौजूदा निवेश को परिपक्वता/बिक्री पर कम कर देने (टेपर आफ) की अनुमति दी जाएगी।

- (iii) इसी प्रकार, कारपोरेट बंधपत्रों के लिए 51 बिलियन अमरीकी डालर की सीमा के मामले में, वाणिज्यिक पत्रों जैसे लघु अवधि के पत्रों में निवेश 3.5 बिलियन अमरीकी डालर की उप-सीमा तक सीमित था। समीक्षा करने पर, दीर्घ अवधि के निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए अब 14 फरवरी, 2014 से 3.5 बिलियन अमरीकी डालर की वर्तमान वाणिज्यिक पत्र उप-सीमा को कम करके 2 बिलियन अमरीकी डालर करने का निर्णय लिया गया है। तथापि, शेष 1.5 बिलियन अमरीकी डालर 51 बिलियन अमरीकी डालर की कुल निगम ऋण सीमा का हिस्सा बना रहेगा और कारपोरेट बंधपत्रों में निवेश के लिए पात्र विदेशी निवेशकों के लिए उपलब्ध होगा।

- (iv) सम्पूर्ण सीमा (जी-सैक और कारपोरेट बंधपत्र) को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के सभी श्रेणियों के लिए खोल दिया गया है।

- (v) जी-सैक के साथ-साथ कारपोरेट बंधपत्रों की सम्पूर्ण सीमा के लिए ऑन-टैप प्रणाली अपनाई गई है।

3.8.4 विदेशी निवेशकों के लिए केवाईसी का सरलीकरण और जोखिम आधारित केवाईसी का अंगीकरण :

- 3.8.4.1 सेबी ने दिनांक 12 सितम्बर, 2013 के अपने परिपत्र के जरिए पीआईएस मार्ग के माध्यम से निवेश करने वाले पात्र विदेशी

निवेशकों की विस्तृत केवाईसी आवश्यकताओं का ब्यौरा दिया है। ये आवश्यकताएं श्री के. एम. चन्द्रशेखर की अध्यक्षता में “निवेश मार्गों का युक्तिकरण एवं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों की निगरानी पर समिति” की संस्तुतियों पर आधारित हैं। जोखिम आधारित केवाईसी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:

- i. पात्र विदेशी निवेशकों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। श्रेणी I में सरकारी या सरकार से संबंधित संस्थाएं शामिल हैं। श्रेणी II संस्थाएं अन्य क्षेत्राधिकारों में विनियमित संस्थाएं हैं। श्रेणी III गैर विनियमित संस्थाएं हैं।
- ii. परिपत्र में न्यूनतम प्रलेखन अपेक्षाओं की व्यवस्था है।
- iii. लाभार्थी स्वामी, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की फोटो पहचान, पते का प्रमाण प्राप्त करने के लिए आवश्यकता या किसी अन्य दस्तावेजी आवश्यकताओं को श्रेणी I और II के पात्र विदेशी निवेशकों के लिए हटा दिया गया है।
- iv. नए केवाईसी दृष्टिकोण में यह व्यवस्था भी है कि कोई रिपोर्टिंग संस्था उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन तीसरे पक्षकार की सत्यनिष्ठा पर विश्वास कर सकता है।

3.8.4.2 नियमों में सरलीकरण से पात्र विदेशी निवेशकों का सुचारु आगमन होने और देश में और अधिक अंतर्वाह होने की आशा है।

3.8.5 के. एम. चन्द्रशेखर समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

3.8.5.1 पोर्टफोलियो निवेश के विभिन्न मार्गों को सुसंगत बनाने और विभिन्न केवाईसी मानकों की समाभिरूपता तथा केवाईसी के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण के अंगीकरण के लिए सेबी द्वारा गठित के. एम. चन्द्रशेखर समिति ने 12 जून, 2013 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तदनंतर केएमसी सिफारिशों के आधार पर प्रारूप विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक विनियमन 2013 तैयार किया गया और उसे 5 अक्टूबर, 2013 को सेबी बोर्ड द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। नए विनियमन अधिसूचित कर दिए गए हैं और ये 1 जून, 2014 से प्रभावी हैं। नए एफपीआई विनियमनों की मुख्य बातें निम्नवत हैं:

- (i) एफपीआई को निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में पंजीकरण कराने की आवश्यकता होगी:
 - (क) “श्रेणी I विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक” जिसमें सरकारी या सरकार से संबंधित विदेशी निवेशक आदि शामिल होंगे;
 - (ख) “श्रेणी II विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक” जिसमें समुचित रूप से विनियमित व्यापक आधार वाली निधियां, समुचित रूप से विनियमित संस्थाएं, वयापक आधार वाली निधियां जिसका निवेश प्रबंधक समुचित रूप से विनियमित

है, विश्वविद्यालय निधियां, विश्वविद्यालय से संबंधित दान, पेंशन निधियां आदि शामिल होंगी।

- (ग) “श्रेणी III विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक” जिसमें वे अन्य सभी शामिल होंगे जो श्रेणी I और श्रेणी II विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के अन्तर्गत पात्र नहीं हैं।

(ii) वर्तमान सभी एफआईआई और उपखाते वर्तमान एफपीआई व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिभूति की खरीद बिक्री या अन्य कारोबार के मामले में यथावत चलते रहेंगे।

(iii) वर्तमान सभी अर्ह विदेशी निवेशक (क्यूएफआई) इस विनियम के अधिसूचित किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिभूति की खरीद, बिक्री या अन्य कारोबार करते रह सकेंगे। इस बीच वे डीडीपी के माध्यम से एफपीआई पंजीकरण करा सकते हैं।

(iv) सेबी की ओर से डीडीपी द्वारा एफपीआई को दिया गया पंजीकरण यदि सेबी इसे स्थगित या निरस्त नहीं करता है तो स्थायी प्रकृति का होगा।

(v) एफपीआई को उन सभी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति होगी जिनमें विदेशी संस्थागत निवेशकों को निवेश करने की अनुमति है।

(vi) वर्ग I और वर्ग II के एफपीआई को यह अनुमति है कि वे आफशोर डेराइवेटिव इंस्ट्रूमेंट (ओडीआई) को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जारी कर सकते हैं या उसके साथ अन्य कोई संव्यवहार कर सकते हैं। हालांकि एफपीआई को इस बात से संतुष्ट होना जरूरी है कि ऐसे व्यक्ति को ही ओडीआई जारी करे जो कि यथोचित विदेशी विनियामक प्राधिकरण के द्वारा विनियमित होते हों। ऐसा यह सुनिश्चित करके किया जाना चाहिए कि आप अपने ग्राहक को जानते हैं।

3.8.6 नामित निक्षेपागार भागीदारों (डीडीपी) की भूमिका और उत्तरदायित्व

(i) डीडीपी एक प्राधिकृत डीलर वर्ग 1 बैंक होगा जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किया गया होगा। साथ ही यह सेबी में पंजीकृत प्रतिभूतियों के निक्षेपागार भागीदार और अभिरक्षक भी होगा।

(ii) डिपॉजिटरी डीडीपी के आवेदन को अपनी सिफारिशों के साथ सेबी के पास अग्रसारित करेगा ताकि इन पर अनुमोदन दिया जा सके।

- (iii) सेबी में पंजीकृत प्रतिभूति अभिरक्षक भी डीडीपी माने जाएंगे बशर्ते कि विनियमनों में यथानिर्धारित शुल्क जमा कर दिया जाए।
- (iv) ऐसे अर्ह निक्षेपागार अभिरक्षक जो सेबी से तो अनुमोदित है लेकिन डीडीपी के मानदंडों के पूरा नहीं करते हैं केवल एक वर्ष के लिए डीडीपी के रूप में काम कर सकते हैं।
- (v) डीडीपी सभी जरूरी सावधानी बरतेंगे और एफपीआई का पंजीकरण करने से पूर्व यथोचित घोषणा और वचनबद्धता प्राप्त करेंगे।

3.8.7 सूची में गैर शामिल कंपनियों को विदेशों की सूची में शामिल होने की अनुमति देना और उनपर घरेलू सूची में शामिल होने की पूर्व शर्त या साथ-साथ शामिल होने की शर्त न लगाना।

- (i) सूची में शामिल न होने वाली कंपनियां भी बाहर से पूंजी उठा सकती है और उनको भारत के अंदर सूची में शामिल होने की पूर्ण शर्त या बाद से शामिल होने की शर्त का पालन करना जरूरी नहीं होगा।
- (ii) इस योजना को इसके अधिसूचित होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक के लिए प्रायोगिक आधार पर चलाया जाएगा। दो वर्ष की प्रारंभिक अवधि के बाद इस व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। विदेशों की सूची में शामिल होने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना जरूरी है :

- (क) सूची में शामिल न होने वाली कंपनियों को विदेशों की सूची में शामिल होने की अनुमति तभी दी जाएगी जब वे आईओएससीओ/एफएटीएफ का अनुपालन करने वाले क्षेत्राधिकार के एक्सचेंज में शामिल हो अथवा उन क्षेत्राधिकार में हो, जिनके साथ सेबी का द्विपक्षीय समझौता हुआ हो;
- (ख) कंपनियां प्रस्तावित एक्सचेंज/विनियामक में जो रिटर्न भरेंगी उसकी एक प्रति पीएमएलए के लिए सेबी को भी देनी पड़ेगी। विदेशों की सूची में शामिल होने के पूर्व शर्त के अनुपालन के अलावा वे सेबी के प्रकटीकरण की शर्तों को भी पूरा करेंगी;
- (ग) विदेशों से संसाधन इक्छा करने में सूचीबद्ध कंपनियां लागू एफडीआई नीति का पूर्णतः अनुपालन करेगी;
- (घ) विदेश से सृजित की गई पूंजी का उपयोग विदेशों के कर्ज को चुकाने और विदेश में कामकाज जैसे कि खरीद फरोख्त में की जा सकती है।
- (ङ.) यदि विदेश में सृजित किए गए धन का उपयोग विदेश में नहीं हो पाता है तो ये कंपनियां उक्त धन को 15

दिनों के भीतर भारत भेज देंगी और ऐसे धन को केवल उन एडी वर्ग के बैंक में ही जमा किया जा सकता है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त हो और इसका स्वदेश में उपयोग किया जा सकता है।

3.8.7.1 इसे सरकार द्वारा सा.का.नि. सं. 684(अ) दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

3.8.7.2 इसके अनुकरण में, अब इस विभाग ने “वे विदेश में सूचीबद्ध होने से पूर्व प्राथमिक एक्सचेंज की प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं के साथ-साथ सेबी की प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं का भी अनुपालन करेंगे” शब्दों के स्थान पर “वे भारत में सूचीबद्ध होने के लिए आवेदन करते समय सेबी की प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे” शब्दों को प्रतिस्थापित करते हुए विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) को जारी करने संबंधी (संशोधन) स्कीम, 2014 नामक स्कीम को अब संशोधित कर दिया है।

3.8.7.3 इस स्कीम के इस संशोधन को सा.का.नि. 282(अ) दिनांक 15 अप्रैल, 2014 के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है।

3.8.8 एडीआर/जीडीआर स्कीम की समीक्षा

3.8.8.1 विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्रों और साधारण शेयरों को (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) जारी करने संबंधी स्कीम को भारत सरकार द्वारा 1993 में अधिसूचित किया गया था। स्कीम में अनेक संशोधन हो चुके हैं। स्कीम के विभिन्न प्रावधान विभिन्न दस्तावेजों में अलग-अलग उल्लिखित थे और यह स्कीम निगम क्षेत्र के साथ-साथ विनियामकों के लिए बोझिल और अबोध्य हो गई थी।

3.8.8.2 वित्तीय बाजारों में नए कंपनी कानून और हाल ही के विधानों, समाप्ति आर्थिक परिस्थिति और वित्तीय बाजारों को विकसित करना; भारतीय कंपनियों और विदेशी निवेशकों की जरूरतों; तथा स्कीम के सरलीकरण और विधिक स्पष्टता को ध्यान में रखते हुए 1993 की एडीआर/जीडीआर स्कीम की समीक्षा करने के लिए एक समिति स्थापित की गई थी। समिति ने 27 नवम्बर, 2013 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। आगे की अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। तथापि, इस बीच, निम्नलिखित से संबंधित ढांचे की समीक्षा करने के लिए साहू समिति के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है :

- क. विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और एफसीसीबी
- ख. भारतीय निक्षेपागार प्राप्ति (आईडीआर)

- ग. भारतीय कंपनियों का सीधे विदेश में सूचीबद्ध होना;
- घ. भारतीय कंपनियों का दोहरे रूप से सूचीबद्ध होना;
- ङ. निवास आधारित कराधान बना स्रोत आधारित कराधान; ऐसे साधनों के संबंध में और
- च. भारत में प्राधिकरणों और विदेशी क्षेत्राधिकार के बीच संबंध।

3.8.9 आईएफसी विदेशी बंधपत्र कार्यक्रम :

3.8.9.1 विश्व बैंक समूह के एक सदस्य आईएफसी ने भारत के पूंजी बाजारों को सुदृढ़ करने के लिए 1 बिलियन डालर का विदेशी बंधपत्र कार्यक्रम - विदेशी रुपया बाजार में अपनी तरह का सबसे बड़ा ढ़ प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम के तहत, आईएफसी रुपए से जुड़े बंधपत्रों को जारी करेगा और इससे होने वाली आगमों का उपयोग देश के निजी क्षेत्र के निवेश को वित्तपोषित करने में करेगा। आईएफसी के विदेशी बंधपत्र कार्यक्रम से विदेशी रुपया बाजार में गहराई और विभिन्नता लाने में मदद मिलेगी और भारतीय कंपनियों के लिए वित्तपोषण के एक वैकल्पिक स्रोत का मार्ग प्रशस्त होगा। इस कार्यक्रम से भारत के पूंजी बाजारों को सुदृढ़ करने और विश्व भर में आर्थिक अनिश्चितता के पुनरुद्धार के समय और अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। यह भारत में विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बचतों की मध्यस्थता के लिए एक नई पहल है। इससे भारत में पूंजी बाजारों को और व्यापकता प्रदान करने और विदेशी बाजारों में भारतीय रुपए का एक मानदंड स्थापित करने में मदद मिलेगी। 19 नवम्बर, 2013 को आईएफसी ने अपने 1 बिलियन अमरीकी डालर के वैश्विक रुपया बंधपत्र कार्यक्रम के तहत 161 मिलियन अमरीकी डालर का प्रथम भाग जारी किया। इस अग्रणीय बंधपत्र निर्गम को आश्चर्यजनक अनुक्रिया मिली और यह तथ्य कि 161 मिलियन अमरीकी डालर की लक्षित राशि की तुलना में इसका दुगुना अत्यधिक अभिदान हुआ, वैश्विक निवेशकों के लिए भारतीय रुपए के कागज की गुणवत्ता के प्रति आकर्षण को दर्शाता है। अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए अत्यधिक बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए, डालर के वित्तपोषण के एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में विदेशी रुपया बाजार को विकसित करना भारत के लिए अतिमहत्वपूर्ण है। इस नए निर्गम की सफलता से भावी निर्गम के लिए मूलभूत कार्य तैयार होता है और यह हमारे विदेशी और स्वदेशी दोनों तरह के ऋण पूंजी बाजारों को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

3.8.10 रुपए में होने वाली अत्यधिक अस्थिरता को समाप्त करने के लिए उठाए गए कदम

3.8.10.1 फोरेक्स मार्केट तथा भारतीय मद्रा में अत्यधिक अस्थिरता पर नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए गए हैं जो इस प्रकार हैं :

- (i) मुद्रा व्युत्पन्नों के लिए सीमांत आवश्यकताओं में वृद्धि तथा स्तरीय सीमा को कम करना।

- (ii) करेंसी फ्यूचर्स/विनिमय व्यापारित मुद्रा विकल्प बाजारों में मालिकाना व्यापार से एडी बैंकों पर प्रतिबंध लगाना।
- (iii) एमएसएफ, एलएएफ तथा ओएमओ के माध्यम से नकदी का प्रबंधन।
- (iv) स्वर्ण की आयात योजना को युक्तियुक्त बनाना।
- (v) गैर-आवासीय (विदेशी) रुपए जमाओं पर ब्याज दर का अविनियमन।
- (vi) सार्वजनिक क्षेत्र की विपणन कंपनियों के लिए फोरेक्स स्वैप विंडों को प्रारंभ करना।

3.8.11 फोरेक्स के अंतर्वाहों को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम।

- (i) एफआईआई ऋण सीमा में वृद्धि
- (ii) एफसीएनआर (बी) जमाओं पर ब्याज दर में वृद्धि
- (iii) एफसीएनआर (बी)/एनआरई जमाओं के पर सीआरआर/एसएलआर को बरकरार रखने से छूट
- (iv) एफसीएनआर (बी) डालर फंड को आकर्षित करने के लिए स्वैप विंडों को प्रारंभ करना
- (v) अक्षत श्रेणी 1 पूंजी की 50 प्रतिशत विदेशी उधार सीमा को 100 प्रतिशत तक बढ़ाना और आरबीआई में इसकी अदला-बदली की सुविधा मुहैया कराना।

3.8.12 ईसीबी नीति का उदारीकरण/युक्तिकरण :

3.8.12.1 अवसंरचना विकास पर विशेष जोर देते हुए दीर्घावधि कम लागत की निधियों की उपलब्धता सुकर करने के लिए ईसीबी के मुख्य घटकों, जैसे कि राशि एवं परिपक्वता, ऑल इन कास्ट और स्वीकृत अंतिम उपयोगों आदि का क्रमिक उदारीकरण और यौक्तिकीकरण किया गया है।

- (i) अवसंरचना क्षेत्र के लिए नए ईसीबी के 25 प्रतिशत तक के रूपये ऋणों को पुनर्वित्तपोषित करने के लिए ईसीबी की अनुमति दी गई है।
- (ii) कम लागत की/वहनीय आवासीय परियोजनाओं के ईसीबी की अनुमति दी गई है।
- (iii) ईसीबी पर ब्याज भुगतान पर विदहोल्लिंग कर की दर 20 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत कर दी गई है।
- (iv) सरकार को सीमित समय अवधि के भीतर प्रत्यक्ष रूप से भुगतान की जाने वाली निधियों की विशाल मात्रा को ध्यान में रखते हुए, 2जी स्पैक्ट्रम नीलामी/आबंटन के लिए ईसीबी के संबंध में छूट प्रदान की गई हैं।

- (v) स्वतः मार्ग के तहत एनबीएफसी-आईएफसी के लिए, ईसीबी की सीमा को बकाया ईसीबी सहित उनकी खुद की निधियों के 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 75 प्रतिशत कर दिया गया है।
- (vi) सिडबी के कतिपय शर्तों के अध्यक्षीन एमएसएमई क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए ईसीबी प्राप्त करने के लिए एक पात्र उधारकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है।
- (vii) भारत में कार्यरत बहुराष्ट्रिक कंपनियों की सहायक कंपनियों को आरबीआई द्वारा यथानिर्धारित शर्तों के अध्यक्षीन सामान्य नैगम उद्देश्यों के लिए कम से कम 7 वर्षों की न्यूनतम औसत परिपक्वता के साथ उनकी मूल कंपनी से अनुमोदन के माध्यम से ईसीबी उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है।
- (viii) प्रारंभिक व्यापार ऋण संविदा अवधि को मौजूदा 15 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया है।
- (ix) इसके अतिरिक्त, सभी क्षेत्रों के लिए पूंजी वस्तुओं के आयात के कारोबार ऋणों की अवधि को बढ़ाकर 3 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया है।

3.8.13 अन्य पहले :

- (i) विदेशी निवेशकों के लिए जीएएआर/भूतलक्षी कराधान मामलों का संतोषजनक समाधान।
- (ii) ईसीबी, जी-सैक तथा कारपोरेट बांडों के लिए डब्ल्यूएचटी को 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत तक करना।
- (iii) विशेषज्ञों की स्थायी परिषद को भारतीय वित्तीय क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा पर विश्लेषण करने और सलाह देने के लिए गठित किया गया है।

3.8.13.1 सरकार विकास को पुनःप्रवर्तित करने, निवेश को बढ़ाने, व्यवसाय हितैषी वातावरण सृजित करने, बाजारों की दक्षता व अभिगम्यता में सुधार लाने, निवेशकों की भागीदारी को और व्यापक बनाने तथा विनियामक व संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वृहत्तर निवेशों का मार्ग प्रशस्त और भारतीय अर्थव्यवस्था की संभाव्य वृद्धि को हासिल किया जा सके।

3.9 पण्य व्युत्पाद बाजार

3.9.1 दिनांक 05.09.2013 मंत्रिमंडलीय सचिवालय अधिसूचना के तहत उपभोक्ता मामले विभाग से आर्थिक कार्य विभाग में इसके अंतरण के बाद वायदा संविदाओं/पण्य व्युत्पाद से संबंधित कार्य को व्यवस्थित करना।

3.9.1.1 भारत सरकार (कारोबार का आबंटन) नियमावली, 1961 में संशोधन द्वारा वायदा संविदा तथा वायदा बाजार आयोग से संबंधित

कार्य को 06.09.2013 से उपभोक्ता कार्य विभाग से हटाकर आर्थिक कार्य विभाग में दिनांक 5 सितम्बर, 2013 की मंत्रिमंडलीय सचिवालय अधिसूचना सं. डीओसी सीडी-600/2013 के तहत स्थानांतरित कर दिया गया है। विभाग में स्थानांतरित कार्य पर कार्रवाई करने हेतु पण्य व्युत्पाद अनुभाग गठित किया गया है। तब से, स्थानांतरित कार्य के संबंध में बहुत कार्य किया गया है।

3.9.2 वायदा बाजार आयोग का सुदृढीकरण

3.9.2.1 वायदा बाजार आयोग के लिए एक बाजार विनियामक के तौर पर उपयुक्त संगठनात्मक संरचना बनाकर अपने दायित्वों को वहन करने की पर्याप्त प्रचालनात्मक स्वतंत्रता देने की पहल से महसूस की गई जरूरत को देखते हुए, आयोग को, सरकार/वायदा बाजार आयोग के हितों की रक्षा करने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदत्त की गई थीं जिनमें उपयुक्त विधि फर्मों/कानूनी विशेषज्ञों को नियोजित करने की स्वतंत्रता भी शामिल है।

3.10 एनएसईएल भुगतान संकट

3.10.1 एनएसईएल/किसी सहयोगी कंपनी/किसी भागीदार द्वारा विधि और विनियमनों के उल्लंघन की जांच करने के लिए और ऐसे उपाय सुझाने के लिए जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनएसईएल घटनाओं का कोई प्रणालीगत प्रभाव नहीं हो सके, सचिवों का विशेष दल (एसटीएस) तैयार किया गया था। समिति की संस्तुतियों के अनुसरण में, विभिन्न अभिकरणों ने कार्रवाई करनी प्रारंभ कर दी है जिसमें इस मामले में बरती गई अविनियमताओं की जांच शामिल है।

3.10.2 अभी तक, सचिवों की विशेष टीम की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए सचिव (आर्थिक कार्य) की अध्यक्षता में दो बैठकें 09.12.2013 तथा 24.03.2014 को हुई हैं। एसटीएस के परामर्शों पर अनुवर्ती कार्रवाई को शीघ्र पूरा करने के लिए कतिपय निर्णय लिए गए थे।

3.10.3 इसी बीच, एनएसईएल तथा अन्य नेशनल स्पाट एक्सचेंजों को प्रदान की गई छूट को वापस लेने के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श से जांच भी की जा रही है।

3.11 पण्य व्युत्पाद बाजार की समीक्षा

3.11.1 डॉ. डी. एस. कोलमकर, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन 26 दिसम्बर, 2013 को यह पता लगाने को किया गया कि क्या मूल्य अन्वेषण और जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य जो पण्य वायदा बाजार के उदारीकरण हेतु मूलभूत निर्णय को प्रेरित करते थे, पूरे हो गए हैं। समिति के विचारार्थ विषय निम्नवत हैं:

- i. यह पता लगाना कि क्या भारत में पण्य वायदा बाजार ने मूल्य अन्वेषण और जोखिम प्रबंधन के अपने लक्ष्य पूरे कर लिए हैं।

- ii. भारत के वायदा बाजारों द्वारा झेली गई उन अड़चनों, यदि कोई हों, का पता लगाना जिनसे मूल्य अन्वेषण और जोखिम प्रबंधन के कार्य को प्रभावी ढंग से निपटाने में इसकी दक्षता को क्षति पहुंचती है; और
- iii. उन्हें दूर करने के उपाय सुझाना।
- (घ) वायदा बाजारों के संगठन और कामकाज में आम तौर पर सुधार लाने के विचार से अनुशंसाएं करना;
- (ङ) जब कभी वायदा बाजार आयोग द्वारा आवश्यक समझे जाने पर किसी मान्य संघ या पंजीकृत संघ या ऐसे संघ के किसी सदस्य के खातों एवं दस्तावेजों का निरीक्षण करना।

3.12 बजट और वार्षिक योजना

3.12.1 वायदा बाजार आयोग की वर्धित जिम्मेदारी के मद्देनजर, आयोग का बजटीय आबंटन भी उचित रूप से बढ़ा दिया गया है। आर्थिक कार्य विभाग के बजट अनुमान में वायदा बाजार आयोग के लिए 50.00 करोड़ रुपए वर्ष 2014-15 हेतु अनुमोदित किए गए हैं जबकि वर्ष 2013-14 में यह आबंटन 14.58 करोड़ रुपए था। इसके अलावा, वायदा बाजार आयोग को व्यय के बिलों का स्थानीय रूप से स्वयं मुंबई में भुगतान करने देने के लिए, टकसाल मुद्रणालय स्थित वेतन और लेखा कार्यालय को अधिकृत किया गया है कि वह वायदा बाजार आयोग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बिलों का भुगतान करें।

3.13 वायदा बाजार आयोग

3.13.1 संगठन के कृत्य और कार्यकरण:

3.13.1.1 मुंबई स्थित वायदा बाजार आयोग भारत में पण्य वायदा बाजार का विनियामक प्राधिकरण है। यह वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है।

3.13.1.2 वायदा बाजार आयोग के कृत्य निम्नवत् हैं:-

- (क) किसी संगठन को मान्यता देने या उससे मान्यता वापस लेने के संदर्भ में वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के प्रशासन से उत्पन्न किसी अन्य मामले के संबंध में केन्द्र सरकार को सलाह देना।
- (ख) वायदा बाजारों पर दृष्टि रखना और उनसे संबंधित ऐसी कार्यवाई करना जो इसे सुपुर्द या इस अधिनियम के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे आवश्यक लगे।
- (ग) जिन मालों पर अधिनियम का कोई उपबंध लागू होता हो, उनके बारे में व्यापार की शर्तों से जुड़ी सूचना जिसमें आपूर्ति, मांग और कीमतों से संबंधित सूचना भी शामिल हो, एकत्र करना और आयोग द्वारा आवश्यक समझे जाने पर उसे प्रकाशित करना; और केन्द्र सरकार को वायदा बाजारों के काम-काज पर ऐसे मालों से जुड़ी आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करना;

इस अधिनियम में ऐसा उपबंधित है कि इस आयोग में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त कम से कम दो परंतु अधिक से अधिक चार सदस्य होंगे जिनमें से एक सदस्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा नामित होगा। फिलहाल आयोग में इसके अध्यक्ष श्री राकेश अभिषेक और सदस्य के रूप में डॉ. एम. मतिशेखरन और श्री नगेंद्र परख शामिल हैं।

3.14 योजना स्कीम - “वायदा बाजार आयोग का सुदृढीकरण”

3.14.1 योजना स्कीम - “वायदा बाजार आयोग का सुदृढीकरण” के तहत घटकवार ठोस उपलब्धियां नीचे दी गई हैं।

- i. जागरूकता और विकास कार्यक्रम;
- ii. क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण/परामर्श कार्य;
- iii. एक्सचेंजों तथा इसके सदस्यों की खाता बहियों का निरीक्षण करना;
- iv. कृषि उत्पाद बाजार समितियों/ डाकघरों/ग्रामीण बैंक की शाखाओं/सहकारी समितियों/ग्राम विस्तार केन्द्रों /ब्लगमार्क नेट और अन्य विपणन जालतंत्रों के साथ पण्य एक्सचेंजों की भावी कीमतों के प्रचार-प्रसार के लिए संपर्कता।

वास्तविक उपलब्धियां (1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक)

जागरूकता कार्यक्रम	क्षमता निर्माण कार्यक्रम	मूल्य घड़ी बोर्डों का संस्थापन	हित धारकों से परामर्श	नेशनल एक्सचेंजों के सदस्यों की खाता-बहियों का निरीक्षण
1027 एनईआर में 93	103 एनईआर में 15	267	15 *	300

3.15 महत्वपूर्ण घटनाक्रम/नीतिगत निर्णय

3.15.1 व्यापार के परिमाण और मूल्य पर सीटीटी का प्रभाव: पण्य व्युत्पाद लेनदेनों पर जुलाई, 2013 से सीटीटी लगाने के परिणामस्वरूप पण्य एक्सचेंजों के टर्नओवर में 2012 की जुलाई की तुलना में 2013 की जुलाई में 40 प्रतिशत तक और जून, 2013 की तुलना में 33 प्रतिशत तक गिरावट रही जैसा कि नीचे की तालिका से इंगित होता है:-

तालिका: पण्य वायदा बाजार में व्यापार

जिंस	जून, 2012		जुलाई, 2012		जून, 2013		जुलाई, 2013	
कृषि पण्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
सराफा	335.14	156833.78	535.83	267431.16	255.39	113972.42	310.91	121304.53
धातुएं	0.72	759822.61	0.52	603791.35	0.55	586035.99	0.30	355149.33
ऊर्जा	106.79	255816.49	115.73	242916.80	146.76	267294.87	80.80	159560.62
अन्य	798.74	308494.61	910.47	378920.97	738.43	362027.06	459.95	247751.65
कुल	-	1.237						
	1241.41	1480968.74	1562.57	1493060.30	1141.15	1329330.35	851.98	883766.14

(व्यापार का परिमाण लाख टन में और मूल्य करोड़ में)

टिप्पणी: तापन तेल और गैसोलिन अन्य पण्यों के कुल परिमाण में शामिल नहीं है।

कोष्ठकीय आंकड़े संबंधित समूह के व्यापार के कुल परिमाण और मूल्य के प्रतिशत हैं।

3.15.2 भुगतान गारंटी कोष: आयोग ने भुगतान गारंटीकोष (एसजीएफ) की स्थापना संबंधी दिशानिर्देश 2007 में जारी किए थे। यह कोष 2013 में कार्य करने लगा है और एक्सचेंजों ने 31.3.2014 तक 460.13 करोड़ का एसजीएफ में अंतरण किया है। यह अति महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन पहलकदमी है जिससे बाजार सहभागियों में अधिक भरोसा उत्पन्न हुआ है।

3.15.3 कारपोरेट अभिशासन: नेशनल कमोडिटी एक्सचेंजों के कंपनीनुमा अभिशासन के सुदृढीकरण हेतु आयोग ने एक्सचेंज के निदेशकों के मंडल में शेयरधारकों को सभी वर्गों का व्यापकता आधारित प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। एक्सचेंजों के निदेशकों के मंडल के कम से कम 50 प्रतिशत निदेशकगण स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। निदेशकगण मंडल के अध्यक्ष को वायदा बाजार आयोग के अनुमोदन से नियुक्त स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। आयोग के पूर्वानुमोदन से नियुक्त लेखा परीक्षा समिति तथा हरजाना समिति के दो तिहाई सदस्यों को स्वतंत्र निदेशकगण और इन समितियों के अध्यक्ष को स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। शेयरधारक निदेशकों को भी आयोग के अनुमोदन से नियुक्त किया जाना चाहिए और कम से कम आधे शेयरधारक निदेशकगण संस्थागत हितधारकों के प्रतिनिधि होंगे। मंडल में अन्य शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व शेयरधारक की शेयरधारिता के अनुपात में होगा। इससे गैर-संस्थागत शेयरधारकों के दबदबे को दूर करते हुए एक्सचेंजों में कंपनी अभिशासन सुधरेगा और निदेशकगण मंडल अधिक सक्रिय और व्यापक आधार वाला बनेगा।

3.15.4 एफटीआईएल और 3 अन्य की उचित और उपयुक्त हैसियत: आयोग ने फायनेंशियल टेक्नालाजिज इंडिया लिमिटेड (एफटीआईएल) तथा 3 अन्य निदेशकों का “उचित और उपयुक्त”, हैसियत संबंधी आदेश 17 दिसम्बर, 2013 को पारित किया। ऐसा एनएसईएल की नियंत्रक कंपनी जो अपनी जिम्मेदारियों में चूक गई, के रूप में एफटीआईएल तथा संबंधित निदेशकों की भूमिका की पृष्ठभूमि में किया गया।

3.15.5 माल गोदाम सुविधाओं का सुदृढीकरण: आयोग ने निर्णय लिया कि एक्सचेंजों से प्रत्यायित सभी विद्यमान माल गोदाम भाण्डागार विकास और विनियामक प्राधिकरण में समयबद्ध ढंग से पंजीकृत किए जाएंगे। इससे पण्य वायदा बाजार में मालगोदाम सुविधा मजबूत होगी।

3.15.6 जोखिम प्रबंधन समूह: जोखिम प्रबंधन समूह का गठन पण्य व्युत्पाद बाजार के लिए जोखिम प्रबंधन नीतियां एवं दिशानिर्देश निरूपित करने में वायदा बाजार आयोग की सहायता करने हेतु किया गया। जोखिम प्रबंधन समूह के अध्यक्ष प्रो. जे.आर. वर्मा, आईआईएम, अहमदाबाद हैं। जोखिम प्रबंधन समूह की प्रथम बैठक वायदा बाजार आयोग के दफ्तर में 18 नवम्बर, 2013 को आयोजित हुई जिसमें पोजीशन सीमाओं, प्रतिरक्षकों के प्रोत्साहनों, भुगतान गारंटी निधि की तंगी का परीक्षण, मार्जिनो आदि सरीखे मुद्दों पर विचार किया गया। जोखिम प्रबंधन समूह की दूसरी बैठक 3 जनवरी, 2014 को आयोजित हुई। इस बैठक में विचारित मुद्दे दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक वीएआर पर आधारित प्रारंभिक मार्जिन के निर्णायक मानदंड, तंगहाली जांच के निष्कर्ष और भुगतान गारंटी कोष की पर्याप्तता, सतत संविदा अनुमोदन तथा प्रदाय केन्द्रों पर आधारित संविदाएं गैर कृषि पण्यों के सममूल्य पर कृषि पण्यों में सर्किट फिल्टर, पोजीशन सीमाएं/ हेज पोजीशन सीमाएं थीं।

3.15.7 हेजरों को प्रोत्साहन: वायदा बाजार आयोग ने बाजार की प्रतिरक्षा दक्षता सुधारने के अनेक उपाय किए। अतिरिक्त प्रदाय केन्द्र उपलब्ध कराए गए हैं ताकि मक्का, सोयाबीन आदि की कीमत के जोखिमों से वास्तविक बाजार सहभागियों को बचाने के लिए उन्हें शक्त बनाया जाए। नई जिंस संविदाएं कपास बीज और बाजरा में लाई गई।

3.15.7.1 हेज लागत घटाने के लिए बाजार सहभागियों को प्रारंभिक, अतिरिक्त और विशेष मार्जिनो से छूट दी गई है, यदि वे बेची गई और

वार्षिक रिपोर्ट | 2013-2014

प्रदाय के लिए उद्दिष्ट सभी संबंधित भावी संविदाओं के स्थान पर एक्सचेंज प्रमाणित माल गोदाम में प्रमाणित माल जमा कर चुके हों। ऐसे सहभागी प्रदाय मार्जिनों के संदाय से छूट प्राप्त बने रहेंगे।

3.15.8 मार्जिन रिपोर्टिंग: सदस्यों द्वारा मार्जिनों का एकत्रण नियमित रूप से अनुवीक्षित करने तथा उनके ग्राहकों से मार्जिनों के एकत्रण के लिए सदस्यों को पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए आयोग ने मार्जिनों के अल्प एकत्रण/ गैर-एकत्रण विषयक अपनी पूर्व हिदायतें 14 मार्च, 2014 को संशोधित कर ली हैं। संशोधित हिदायतों के अनुसार, सदस्यों के पास अपने ग्राहकों से मार्जिन (आरंभिक मार्जिन को छोड़कर) एकत्र करने के लिए 'टी+2' कार्य दिवसों तक का सकल समय रहेगा और सदस्य ग्राहकों से सभी मार्जिनों के अल्प एकत्रण/गैर-एकत्रण के वास्तविक आंकड़े 'टी+5' दिवस को एक्सचेंज में रिपोर्ट करेंगे।

3.15.9 निरंतर आधार पर भावी संविदाओं का अनुमोदन: कीमत जोखिम प्रबंधन, हेजरो और हितधारकों खासकर किसानों द्वारा मूल्य अन्वेषण से संबंधित भारतीय जिस वायदा बाजार के कामकाज को दक्षतापूर्ण बनाए रखने के लिए आयोग ने वार्षिक आधार पर भावी संविदाओं में व्यापार की अनुज्ञा देने के वर्तमान ढर्रे के स्थान पर भावी संविदाओं में व्यापार का निरंतर अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया है।

3.15.10 वैश्विक स्तर पर जुड़े हुए पण्यों में संध्या व्यापार करने देना: देशी बाजार सहभागीदार शाम के समय कतिपय कृषि जिसों में अंतर्राष्ट्रीय कीमत उतार-चढ़ाव से जुड़े अपने कीमत जोखिम से पर्याप्त रूप में बचाव करने में प्रायः असमर्थ होते हैं। वैश्विक स्तर पर जुड़ी जिसों में अंतर्राष्ट्रीय कीमत के उतार-चढ़ावों के साथ देशी भावी कीमतों का बेहतर तालमेल बैठाने के लिए संध्या व्यापार की अनुमति ऐसी दस जिसों में 1 अप्रैल, 2014 से दी गई है।

3.15.11 शनिवारों को व्यापार स्थलों को बंद करना: कृषि भावी संविदाओं को कृषीतर भावी संविदाओं की बराबरी पर लाने के लिए आयोग ने सभी भावी संविदाओं अर्थात् कृषि और कृषीतर संविदाओं के व्यापार स्थलों को 1 अप्रैल, 2014 से शनिवारों को बंद रखने का निर्णय लिया। इससे एक्सचेंजों को अनन्य रूप से आंतरिक लेखा कार्य और व्यवस्था, अभिलेख रख-रखाव के लिए समस्त दिन का उपयोग करने और अनुपालन मामलों आदि पर कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।

3.15.12 उपभोक्ता संरक्षण: एफएसएलआरसी की गैर विधायी सिफारिशों के भाग के रूप में वायदा बाजार आयोग ने वर्धित उपभोक्ता संरक्षण उपाय अंगीकृत किए हैं जिनमें सदस्यों की ओर से पेशेवर अध्यक्षीय की अपेक्षा करना और वित्तीय संविदाओं में अनुचित शर्तों से उपभोक्ताओं का संरक्षण शामिल है।

वायदा बाजार आयोग भारत सरकार मुंबई

योजना
(रु. लाख में)

क्र. सं.	लेखा मद	01.04.2013 से 31.03.2014 तक व्यय
1	घरेलू यात्रा व्यय	40.61
2	विदेश यात्रा व्यय	41.99
3	कार्यालय व्यय	29.33
4	किराया दर एवं कर	0
5	अन्य प्रशासनिक व्यय	3.39
6	विज्ञापन और प्रचार	287.00
7	व्यावसायिक सेवाएं	153.59
8	सहायता अनुदान	8.57
9	पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान	62.58
10	आईओएससीओ	18.90
11	अन्य प्रकार	175.68
12	कार्यालय - आईटी	102.00
13	पेशेवर व्यय- आईटी	0
कुल		923.00

वायदा बाजार आयोग भारत सरकार मुंबई

आयोजना-भिन्न
(रु. लाख में)

क्र. सं.	लेखा मद	01.04.2013 से 31.03.2014 तक व्यय
1	वेतन	505.94
2	समयोपरि भत्ता	0
3	चिकित्सा उपचार	5.50
4	घरेलू यात्रा व्यय	9.50
5	विदेश यात्रा व्यय	0
6	कार्यालय व्यय	59.99
7	पेशेवर सेवाएं	23.40
8	गुप्त सेवा व्यय	0
9	कार्यालय व्यय -आईटी	13.38
कुल		617.71

वायदा बाजार आयोग, मुंबई																	अनुबंध - I	
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व																		
पिछले कैलेण्डर वर्ष में की गई नियुक्तियों की संख्या																		
समूह	कर्मचारियों की संख्या					सीधी भर्ती द्वारा					प्रोन्नति द्वारा			अन्य प्रणाली द्वारा			अनुसूचित जनजातियां	अनुसूचित
	कुल	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां	अन्य पिछड़े वर्ग	अन्य पिछड़े वर्ग	कुल	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां	अन्य पिछड़े वर्ग	अन्य पिछड़े वर्ग	कुल	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां	अनुसूचित	कुल	अनुसूचित जातियां		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
समूह क	32	3	1	3	--	--	--	--	--	--	--	9	2	--				
समूह ख	14	1	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
समूह ग	22	5	--	2	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--				
समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	5	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
समूह घ (सफाई कर्मचारी)	2	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
कुल	75	11	2	10	--	--	--	--	2	--	--	9	2	--				

वायदा बाजार आयोग, मुंबई																	अनुबंध - II	
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व																		
समूह	कर्मचारियों की संख्या				सीपी भर्ती								प्रोन्नति					
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	आरक्षित वीएच	आरक्षित एचएच	आरक्षित ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	आरक्षित वीएच	आरक्षित एचएच	आरक्षित ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
समूह क	32	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
समूह ख	14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
समूह ग	22	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	5	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
समूह घ (सफाई कर्मचारी)	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
कुल	77	2	-	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
टिप्पणी: (i) वीएच से दृष्टिक विकलांगता इंगित है। (दृष्टिहीनता या कमजोर नजर से ग्रस्त व्यक्ति) (ii) एचएच से श्रव्य विकलांगता इंगित है (श्रवण क्षति से ग्रस्त व्यक्ति) (iii) ओ एच से अस्थि विकलांगता (लोकोमोटर निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त व्यक्ति) इंगित है।																		

टिप्पणी: (i) वीएच से वृष्टिक विकलांगता इंगित है। (वृष्टिहीनता या कमजोर नजर से ग्रस्त व्यक्ति)
(ii) एचएच से श्रव्य विकलांगता इंगित है (श्रवण क्षति से ग्रस्त व्यक्ति)
(iii) ओ एच से अस्थि विकलांगता (लोकोमोटर निशक्तता या सेब्रल पाल्सी से ग्रस्त व्यक्ति) इंगित है।

3.16 वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग

3.16.1 अधिदेश

3.16.1 एफएसएलआरसी प्रभाग सलाहकार (एफएसएलआरसी) के माध्यम से अपर सचिव (निवेश) को रिपोर्ट करने वाले नये प्रभागों में से एक है। इसका अधिदेश निम्नलिखित है :

- (क) एफएसएलआरसी की सिफारिशों की जांच-पड़ताल करना और कार्रवाई करना;
- (ख) वित्तीय क्षेत्र विनियामकों, संबंधित विभाग और मंत्रालयों, हितधारकों और आम आदमी से परामर्श करना;
- (ग) एफएसएलआरसी की यथा-अनुमोदित सिफारिशों का कार्यान्वयन करना; और
- (घ) संसदीय प्रश्नों, आश्वासनों, अतिविशिष्ट व्यक्तियों के संदर्भों, आरटीआई प्रश्नों आदि पर कार्रवाई करना।

3.16.2 वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) प्रभाग एफएसएलआरसी की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए गठित किया गया था। आयोग की रिपोर्ट दो खंडों में है :

- (क) खंड 1 में सुसंबद्ध व्याख्या और तर्क दिए गए हैं जो वित्तीय क्षेत्र के लिए मसौदा संहिता में सन्निहित मुख्य निर्णयों की ओर ले जाते हैं।
- (ख) खंड 2 में आयोग के कार्य द्वेकेमुख्य निष्कर्ष निहित हैं - मसौदा “भारतीय वित्तीय संहिता” । यह मसौदा संहिता विद्यमान वित्तीय विधि के अधिकांश को प्रतिस्थापित करता है।

3.16.3 प्रारंभ की गई/की गई कार्रवाइयां

3.16.3.1 वित्त मंत्री के 2013-14 के बजट भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि सरकार एफएसएलआरसी की सिफारिशों की जांच करना चाहती है तथा जल्दी से और निर्णायक रूप से कार्य करना चाहती है ताकि वित्तीय क्षेत्र सुनियंत्रित, कार्यक्षम और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सके और मजबूत विधिक आधारों पर खड़ा हो सके।

3.16.3.2 उपर्युक्त के अनुसरण में, 3 जून, 2013 को आयोजित एफएसडीसी की 7वीं बैठक में एफएसएलआरसी सिफारिशों पर चर्चा की गई थी और तब सिद्धांततः यह सहमति हुई थी कि विनियामक अभिकरण ऐसी एफएसएलआरसी सिफारिशों की पहचान करेंगे जिन्हें विधायी परिवर्तन के बिना लागू किया जा सके।

3.16.3.3 आर्थिक कार्य विभाग ने एफएसएलआरसी की रिपोर्ट की जांच-पड़ताल की है। मोटे तौर पर, आयोग की सिफारिशों को दो भागों में बांटा जा सकता है, विधायी पक्ष और गैर-विधायी पक्ष।

3.16.3.4 सिफारिशों का विधायी पक्ष गैर-क्षेत्रीय, सिद्धांत आधारित अवधारणा द्वारा और विद्यमान विनियामक अभिकरणों की पुनर्संरचना

द्वारा तथा जहां कहीं आवश्यक हो नये अभिकरणों का गठन करके वित्तीय क्षेत्र विनियामक संरचना की विधायी रूपरेखा का पुनर्गठन करने से संबंधित है।

3.16.3.5 एफएसएलआरसी सिफारिशों का गैर-विधायी पक्ष मोटे तौर पर अभिशासन को बेहतर बनाने वाले सिद्धांतों के स्वरूप का है, जिनमें उपभोक्ता संरक्षण बेहतर करना, उनकी रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार वित्तीय क्षेत्र विनियामकों की कार्यप्रणाली में बृहत्तर पारदर्शिता लाना, विनियामक निकायों के साथ उनके संबंधों में अधिक स्पष्टता लाना और अनिवार्य सार्वजनिक परामर्श, लागत लाभ विश्लेषण के समावेशन आदि के जरिए विनियमन तैयार करने की प्रक्रिया में बृहत्तर पारदर्शिता लाना शामिल हैं।

3.16.3.6 विनियामकों के कार्य को सुविधाजनक बनाने और अभिशासन को बेहतर करने वाले गैर-विधायी सिद्धांतों के बारे में एकसमान तर्कसंगत सहमति का विकास करने में सहायता करने के उद्देश्य से, “एफएसएलआरसी सिफारिशों के गैर-विधायी पक्ष पर विस्तृत दिशानिर्देश पुस्तिका” तैयार की गई और वित्तीय क्षेत्र विनियामकों को प्रेषित की गई, तथा इसे वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था। दिशानिर्देश पुस्तिका में आवश्यक रूप से अभिशासन को बेहतर बनाने वाले प्रावधानों/सिफारिशों, उनके तर्क, वैश्विक सुअभिशासन प्रचालनों के उपयुक्त उदाहरणों और कार्यान्वयन पर मार्गदर्शन को शामिल किया गया है। इन सिफारिशों में उपभोक्ता संरक्षण, खुदरा ग्राहकों के लिए उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण पर विनियमनों के लिए समय-सीमा, विनियमों को तैयार करने की अपेक्षाएं, विनियमित निकायों को नोटिस, बोर्ड बैठकों में पारदर्शिता, रिपोर्टिंग, अनुमोदन, जांच, अधिनियमन, शास्ति अधिरोपित करने और क्षमता विनिर्माण से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

3.16.3.7 24 अक्टूबर, 2013 को आयोजित एफएसडीसी की 8वीं बैठक में परिषद ने निर्णय किया कि विनियामक उन अभिशासन सुधार सिफारिशों को स्वेच्छा से अंगीकार कर सकते हैं जिनके लिए उचित आगामी समय-सीमा के अंदर विधायी परिवर्तन अपेक्षित नहीं है। नये अभिकरणों जैसे समाधान निगम (आरसी), वित्तीय क्षेत्र अपीलीय अभिकरण (एफएसएटी), लोक ऋण प्रबंधन अभिकरण (पीडीएमए) और वित्तीय डाटा प्रबंधन केंद्र (एफडीएमसी) की स्थापना के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु परियोजना अभिधारणा वाला कार्य दल तैयार करने का भी निर्णय लिया गया है।

3.16.3.8 विनियामकों के बीच समन्वयन सुनिश्चित करने के लिए ताकि परिचालन स्तर पर सहबद्धता सुनिश्चित किया जा सके, एफएसएलआरसी सिफारिशों के गैर-विधायी पक्ष पर अंतर विनियामक तकनीकी समूह (आईआरटीजी) में भी चर्चा की गई थी जो भारतीय रिजर्व बैंक में अवस्थित है।

3.16.3.9 विनियामकों के साथ-साथ वित्त मंत्रालय के भी अधिकारियों/स्टाफ के लिए भी क्षमता विनिर्माण उपाय शुरू किए गए ताकि इन्हें वित्तीय विनियामक अभिशासन में नवीनतम घटनाओं और जानकारी तथा वित्तीय क्षेत्र विनियमन को सुसंगत बनाने के लिए आवश्यक सामान्य सिद्धांतों के बारे में एक समान जानकारी होने में

सहायता की जा सके। 26 नवम्बर, 2013 को “भारत में समाधान पद्धति” पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें सभी वित्तीय क्षेत्र विनियामकों के प्रतिनिधियों और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया था। उसी तरह 8-9 मई, 2014 को एफएसएलआरसी सिफारिशों के गैर विधायी पक्षों पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें वित्तीय विनियामक और वित्त मंत्रालय से मध्य से लेकर वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया था। इस कार्यशाला का शुभारंभ माननीय वित्त मंत्री द्वारा किया गया था।

3.16.3.10 आर्थिक कार्य विभाग ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के साथ मिलकर देश भर में विभिन्न जगहों जैसे नई दिल्ली, मुंबई, पटना, चेन्नई आदि में एफएसएलआरसी पर कई सेमिनार आयोजित किए हैं। एफएसएलआरसी रिपोर्ट सभी विभागों, मंत्रालयों और राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रदेशों को प्रेषित कर दी गई है।

3.16.4 आगामी कार्यवाई

3.16.4.1 सरकार का विचार है कि आगे चलकर, समाधान निगमों, एफएसएटी और एफडीएमसी तथा पीडीएमए पर कार्यदलों के जरिए और एफएसएलआरसी सिफारिशों के विधायी पक्षों पर कार्यवाई द्वारा भारतीय वित्तीय संहिता (आईएफसी) में सुधार करके, उपर्युक्त योजना की सामंजस्यता में उनके निर्बाध समेकन के लिए विभिन्न अभिकरणों/विनियामकों के कार्य का समन्वयन करके, क्षमता विनिर्माण के लिए तकनीकी कार्यक्रमों का प्रबंधन करके और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के सुदृढीकरण द्वारा संस्थागत संरचना को मजबूत किया जाए।

3.17 वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) सचिवालय

3.17.1 वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी)

- सरकार ने वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) का गठन दिसम्बर, 2010 में किया। इसके सदस्य वित्तीय क्षेत्रक विनियामक प्राधिकरणों के प्रमुख और संबंधित विभागों के सचिव हैं। परिषद विशाल वित्तीय समूहों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था के वृहत विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण करती है तथा वित्तीय समझ और वित्तीय समावेशन से जुड़े मसलों सहित अंतर विनियामक समन्वयन और वित्तीय क्षेत्रक विकास मसलों पर ध्यान देती है।
- 2013-14 के दौरान परिषद ने 3 जून को, 24 अक्टूबर, 2013 को और 4 फरवरी, 2014 को तीन बैठकें कीं। इन बैठकों में परिषद ने देश में बैंकिंग व्यवस्था की आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता की स्थिति, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कार्यशैली, वित्तीय क्षेत्रक विधायी सुधार आयोग की सिफारिशों, संयुक्त राज्य अमरीका में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करने की नीति समाप्त करने के प्रभाव और किए जाने वाले

निवारक उपायों, कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा निर्धारित कारपोरेट संकट समाधान तंत्र को सुसाध्य बनाने के लिए विनियामकों/सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों, विदेशी क्षेत्रक की कमियों का मूल्यांकन, बैंकों द्वारा बाज़ेल-स्तर अनुपालक पूंजी लिखतों का निर्गम आदि की समीक्षा की। परिषद ने अब तक कुल 9 बार बैठकें की हैं।

- भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में गठित एफएसडीसी की उपसमिति की बैठक संपूर्ण समिति की बैठक की तुलना में प्रायः अधिक होती है। एफएसडीसी के सभी सदस्य उपसमिति के सदस्य भी होते हैं। आरबीआई का वित्तीय स्थिरता एकक उप-समिति का सचिवालय है। वर्ष के दौरान, उप-समिति ने 7 अगस्त, 2013, 12 दिसम्बर, 2013 और 7 मार्च, 2014 को तीन बैठकें कीं। कुल मिलाकर अब तक उपसमिति की 12 बैठकें हुई हैं।

3.17.2 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी)

- वित्तीय स्थिरता बोर्ड की स्थापना राष्ट्रीय प्राधिकरणों, मानक निर्धारण निकायों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को एकजुट करते हुए जी-20 के तत्वावधान में 2009 में की गई ताकि दोषों पर ध्यान दिया जा सके तथा वित्तीय स्थिरता के पक्ष में सख्त विनियामक, पर्यवेक्षी और अन्य नीतियां ईजाद करके लागू की जा सकें। भारत एफएसबी का सक्रिय सदस्य है और इसके पूर्ण अधिवेशन में इसकी तीन सीटें हैं जिनका प्रतिनिधित्व सचिव (आर्थिक कार्य), डिप्टी-गवर्नर-आरबीआई तथा सेबी अध्यक्ष करते हैं। एफएसबी के साथ नियमित संवाद आवधिक सम्मेलनों और बैठकों के आयोजन के जरिए किया जाता है। एफएसबी के सदस्यों के अधिभार के साथ अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं एवं मानकों के अनुसार सूचना का आदान-प्रदान बारंबार किया जाता है। आर्थिक कार्य विभाग में एफएसडीसी सचिवालय एफएसबी के साथ भारत के विचारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन्न वित्तीय क्षेत्रक नियमाकों एवं अन्य संबंधित अभिकरणों के साथ समन्वय करता है।

3.17.3 वित्तीय क्षेत्रक मूल्यांकन कार्यक्रम

- 1999 में स्थापित वित्तीय क्षेत्रक मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएलएपी) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के संयुक्त कार्यक्रम के रूप में किसी देश के वित्तीय क्षेत्र का व्यापक और गहन विश्लेषण करता है।
- डिप्टी गवर्नर, आरबीआई और वित्त सचिव, भारत सरकार की सह-अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति ने 2009 में स्व-मूल्यांकन किया था जिसका प्रतिवेदन भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया था। सितम्बर, 2010 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्रों वाले भारत सहित 25 अधिकार क्षेत्रों के लिए इसे अनिवार्य किया ताकि एफएसएपी के तहत वित्तीय स्थिरता मूल्यांकन प्रत्येक पांच वर्ष में कराए जा सकें।

- भारत का पूर्णकालिक एफएसएपी 2011-12 के दौरान आयोजित किया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ, मिशन के उद्देश्य वित्तीय स्थिरता, वित्तीय विकास और वित्तीय क्षेत्र निगरानी रूपरेखा से संबंधित संस्तुतियों की जांच करना और तैयार करना था।
- आईएमएफ द्वारा भारत के लिए एफएसएपी रिपोर्ट - वित्तीय प्रणाली स्थिरता मूल्यांकन (एफएसएसए) अपडेट - 15 जनवरी, 2013 को प्रकाशित की गई थी। इसके बाद आरबीआई ने 16 जनवरी 2013 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की। तत्पश्चात, प्रत्येक वित्तीय क्षेत्र जैसे बैंकिंग, प्रतिभूति बाजार और बीमा क्षेत्र के संबंध में भी आईएमएफ द्वारा विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्टें (डीएआर) 29 अगस्त, 2013 को प्रकाशित की गई थीं। बाद में इन रिपोर्टों में किए गए मूल्यांकन पर अपनी स्थिति को दर्शाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, आईआरडीए और सेबी द्वारा प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं। इन सिफारिशों में की गई सिफारिशों की गहन जांच की जा रही है।
- एफएसबी, बीसीबीएस और आईएमएफ के सदस्य के रूप में, भारत सक्रिय रूप से जी-20 के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय विनियामकों और पर्यवेक्षी रूपरेखा के संकट के बाद के सुधारों में भागीदारी कर रहा है। भारत, जहां कहीं भी आवश्यक हो, एक चरणबद्ध और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नपे-तुले तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और उत्कृष्ट व्यवहारों को ग्रहण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

3.17.4 संकट निवारण और प्रबंधन संरचना (सीपीएमएफ)

- एफएसडीसी उप-समिति के निर्णय के अनुसरण में, संपूर्ण वित्त मंत्रालय के लिए संकट निवारण और प्रबंधन संरचना (सीपीएमएफ) वित्त मंत्रालय के सभी विभागों के परामर्श से एफएसडीसी सचिवालय द्वारा तैयार की गई थी और 1 अक्टूबर, 2012 से परिचालित की गई थी। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय और वृहत आर्थिक स्थिरता के उभरते संकटों को चिह्नित करने और उन्हें कम करने में विनियामक प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करना और सहायता करना; तथा संकट की घड़ी में, वित्तीय बाजारों के अलावा स्थावर क्षेत्र पर इसके प्रभावों को कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करना शामिल है। यह “निवारण” पहलू को “प्रबंधन” पक्ष से अलग करके विशिष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। “प्रमुख” प्रभागों को निगरानी करने, विश्लेषण करने, नीतिगत विकल्प सृजित करने और अपने संबंधित क्षेत्रों में उभरती कमियों पर कार्रवाई करने को दायित्व दिया गया है।
- मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में वृहत वित्तीय निगरानी समूह (एमएफएमजी) गठित किया गया है और इसमें वित्त मंत्रालय के सभी विभागों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यह समूह वृहत अर्थव्यवस्था और वित्तीय घटनाक्रम पर नज़र रखने के लिए, कमियों को चिह्नित करने, और पूर्व

चेतावनी संकेत उपलब्ध कराने के लिए बैठकें करता है। अभी तक इस समूह ने 12 बैठकें की हैं।

3.18 वित्तीय कार्रवाई कार्यदल

3.18.1 भारत जून, 2010 से वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) का सदस्य रहा है। वर्ष के दौरान भारत ने एफएटीएफ को दी गई कार्रवाई योजना को सफलतापूर्वक पूरा किया है जिसके फलस्वरूप अनुवर्तन प्रक्रियाओं से भारत को छूट मिली।

3.18.2 भारत दिसम्बर, 2010 में यूरोएशियन ग्रुप ऑन काम्बैटिंग मनी लॉड्रिंग एंड फाइनेंसिंग टेरोरिज्म (ईएजी) का सदस्य बना। नवम्बर, 2013 में भारत 2 वर्ष की अवधि के लिए यूरोएशियन ग्रुप ऑन काम्बैटिंग मनी लॉड्रिंग एंड फाइनेंसिंग टेरोरिज्म (ईएजी) के अध्यक्ष के रूप में बिना किसी विरोध के चुना गया था।

3.19 यूटीआई और जेपीसी

3.19.1 वित्तीय बाजार प्रभाग में यूटीआई अनुभाग निम्नलिखित से संबंधित कार्य करता है :

- भारतीय यूनिट ट्रस्ट निरसन अधिनियम, 2002
- भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम (सूटी)
- भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (धारा 20)

3.19.2 भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम (सूटी) का निर्माण भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 के द्वारा किया गया है। तब से यूटीआई निरसन अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार सूटी पूर्ववर्ती भारतीय यूनिट ट्रस्ट की विभिन्न योजनाओं के तहत इसकी आस्तियों और देयताओं का संचालन कर रहा है। सूटी का प्रबंधन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक करता है।

3.19.3 सूटी ने एक्सिस बैंक लिमिटेड के 4.22 करोड़ की अपनी शेयरधारिता की बिक्री कर दी है, इससे लगभग 5557 करोड़ रुपए की वसूली हुई है और इसने खर्चों को घटाकर इस राशि को 26 मार्च, 2014 को भारत की संचित निधि में जमा करा दिया है।

3.19.4 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 जनवरी, 2014 को सूटी को समाप्त करने और इसकी आस्तियों एवं देनदारियों को एक नई कंपनी को अंतरित करने के अपने दिनांक 23 मार्च, 2012 के पूर्ववर्ती निर्णय के कार्यान्वयन को आस्थगित करने का निर्णय लिया और इस तरह सूटी पहले की तरह सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपने महत्वपूर्ण आस्तियों की बिक्री करना जारी रख सकता है। इस निर्णय से सूटी यूटीआई निरसन अधिनियम, 2002 के तहत विनिर्दिष्ट दायित्वों को पूरा करते हुए अपनी आस्तियों से लाभ उठाने, उनकी प्रबंध व्यवस्था करने और इष्टतम उपयोग करने के लिए यूटीआई निरसन अधिनियम, 2002 के तहत इसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में समर्थ हो सकेगा।

4. अवसंरचना और ऊर्जा प्रभाग

अवसंरचना और ऊर्जा प्रभाग के मुखिया संयुक्त सचिव हैं जिनकी सहायता निदेशक(अवसंरचना), निदेशक(पीपीपी), निदेशक(अवसंरचना वित्त) और संयुक्त निदेशक(ऊर्जा) करते हैं। इस प्रभाग के चार अनुभाग हैं, नामतः

- अवसंरचना (नीति) अनुभाग
- सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रकोष्ठ
- अवसंरचना वित्तपोषण अनुभाग
- ऊर्जा प्रकोष्ठ

4.1 अवसंरचना (नीति) अनुभाग

4.1.1 अनुभाग के कार्य/कार्यकरण में निम्नलिखित शामिल हैं:

- संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा आर्थिक कार्य विभाग को भेजे गए सड़क, पत्तन, पोत परिवहन, अंतर्देशीय जल परिवहन, रेलवे, दूरसंचार, नागर विमानन, विद्युत, शहरी विकास क्षेत्र से संबंधित मंत्रिमंडल टिप्पणियों, निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति की टिप्पणियों और अन्य अवसंरचना नीतियों से जुड़ी जानकारी देना।
- दक्षिण कोरिया और चीन के बाह्य क्षेत्र प्रभार से संबंधित सभी मुद्दे।
- उपर्युक्त अवसंरचना क्षेत्रों में उनकी व्यवहार्यता और न्यायोचितता हेतु ईएफसी/पीआईबी/सीसीईए का अनुमोदन मांगने वाले निवेश प्रस्तावों का विश्लेषण करना।
- अंतर-मंत्रालयी समितियों, उच्च स्तरीय समितियों, मंत्रियों के समूह, अधिकारप्राप्त मंत्रियों के समूह आदि जैसे क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों हेतु गठित इन समितियों को सेवा देना और ऐसे मुद्दों पर आर्थिक कार्य विभाग का दृष्टिकोण बनाने के लिए जानकारीयां उपलब्ध कराना।
- वित्त मंत्री/सचिव(आ. का.) के प्रयोग हेतु संक्षिप्त टिप्पणी/बातचीत के बिंदु तैयार करना।
- इन विषयों पर पीएमओ/वीआईपी/एमपी संदर्भ और संसदीय प्रश्न संभालना।
- इन क्षेत्रों संबंधी जानकारीयां दूसरे प्रभागों/विभागों/मंत्रालयों को उपलब्ध कराना।
- प्रभागाध्यक्ष के अनुमोदन से इन क्षेत्रों से जुड़े मंत्रालयों/योजना आयोग/संघों द्वारा बुलाई गई बैठकों/चर्चाओं में भाग लेना।

4.1.2 अवसंरचना अनुभाग ने उन मंत्रिमंडल/ आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति/निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति हेतु टिप्पणियों में शामिल करने के लिए उपरोक्त क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण नीतिगत जानकारीयां उपलब्ध कराई। वर्ष 2013 के दौरान अवसंरचना

अनुभाग में विश्लेषित मंत्रिमंडल/आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति/निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति हेतु टिप्पणियों की सूची **अनुबंध-1** में दी गई है।

4.1.3 अवसंरचना अनुभाग में 2013 के दौरान निपटाये गये बड़े मुद्दों की कुछ मुख्य विशेषताएं **अनुबंध-II** में दी गई हैं।

4.2 सरकारी निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) प्रकोष्ठ

4.2.1 भारत सरकार आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना की परिसंपत्तियों के सृजन तथा गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराने में निजी क्षेत्र की क्षमताओं को बढ़ावा देने में प्रभावी साधन के रूप में सरकारी निजी भागीदारियों को प्रोत्साहित कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा की गई अनेक नीतिगत व संस्थागत पहलों के कारण भारत हाल के वर्षों में विश्व में अग्रणी पीपीपी बाजारों में से एक के रूप में उभरा है।

4.2.2 पीपीपी प्रकोष्ठ, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र की पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन व अनुमोदन हेतु सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति हेतु सचिवालय और अर्थक्षमता अंतराल निधिपोषण सहायता और भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि हेतु प्रस्तुत की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सशक्त संस्था है। पीपीपी प्रकोष्ठ नीति, स्कीम, कार्यक्रम और क्षमता निर्माण सहित सरकारी निजी भागीदारियों से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है।

4.2.3 भारत सरकार ने अवसंरचना विकास हेतु स्वीकार्य पीपीपी परियोजनाओं के विकास के संवर्धन के लिए विभिन्न पहलें की हैं। ये पहलें पीपीपी परियोजनाओं के विकास, मूल्यांकन और अनुमोदन हेतु संस्थागत तंत्र के विकास से लेकर ज्ञान उत्पादों व कार्यक्रमों को बनाने में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाली हैं। ये विभिन्न पहलें निम्नानुसार हैं:

4.2.4 केंद्रीय क्षेत्र की पीपीपी परियोजनाओं का अनुमोदन

4.2.4.1 पीआईबी की तर्ज पर केन्द्रीय क्षेत्र में पीपीपी परियोजनाओं हेतु मूल्यांकन तंत्र और मार्गनिर्देशों की स्थापना हेतु आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन से पीपीपीएसी गठित की गई है। पीपीपीएसी की अध्यक्षता आर्थिक कार्य विभाग के सचिव द्वारा की जाती है और सदस्यों के रूप में व्यय विभाग, विधायी कार्य विभाग, योजना आयोग और प्रायोजक मंत्रालय/विभाग के सचिव होते हैं। जनवरी 2006 में इसके गठन से अब तक 307,228.47 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाले 275 केन्द्रीय परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया है।

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	कुल परियोजना लागत	क्षेत्रवार हिस्सा (संख्या के संदर्भ में %)
राजमार्ग	225	247,917.73	81.16
रेलवे	01	8500.00	0.36
पत्तन	33	43362.70	9.42
नागर विमानन	02	1000.00	0.72
पर्यटन	01	148.87	0.36
आवास	08	7299.00	6.16
खेल स्टेडियम	05	2475.00	1.81

4.2.5 पीपीपी परियोजनाओं हेतु अर्थक्षमता अंतराल निधिपोषण

4.2.5.1 अवसंरचना परियोजनाओं की विशिष्टता है कि परियोजनाओं के कारण सकारात्मक बहिर्मुखताओं को केवल परियोजना राजस्वों द्वारा अधिकार में नहीं लिया जा सकता। इसलिए कोई परियोजना आर्थिक रूप से अनिवार्य परंतु वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य हो सकती है। ऐसी परियोजनाएं, जो मामूली रूप से व्यवहार्य या अव्यवहार्य हैं, अनुदान के जरिए वित्तीय रूप से आकर्षक बनाई जा सकती हैं। अवसंरचना में पीपीपी को वित्तीय सहायता की स्कीम (अर्थक्षमता अंतराल निधिपोषण स्कीम) परियोजना की कुल परियोजना लागत के 20 प्रतिशत तक पीपीपी परियोजनाओं को वीजीएफ सहायता

उपलब्ध कराती है। इसकी स्थापना के बाद से इस स्कीम के अंतर्गत 88,696.67 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली 178 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है और इस स्कीम के अंतर्गत 16,893.61 करोड़ रुपये की वीजीएफ सहायता दी गई है और अर्थक्षमता अंतराल निधिपोषण के रूप में 1455.47 करोड़ रुपये संवितरित किये गये हैं। परियोजनाओं के प्रायोजक प्राधिकरणों द्वारा इंगित जरूरतों और परियोजनाओं के पहले ही दिये गये अनुमोदन की संख्या के आधार पर 2014-15 के बजट अनुमान में 670.00 करोड़ रुपये और 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए 10,000.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

वीजीएफ स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित क्षेत्रवार परियोजनाएं

क्रम सं.	क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	कुल परियोजना लागत(करोड़ रुपये)	वीजीएफ(करोड़ रुपये)
1.	सड़क	147	65240.79	12239.15
2.	शिक्षा	13	253.90	50.78
3.	विद्युत	3	2364.70	472.94
4.	मेट्रो	2	19474.00	3894.08
5.	वायुपत्तन	1	354.65	70.93
6.	स्वास्थ्य	1	326.40	65.28
7.	साइलॉस	10	314.52	62.91
8.	जलापूर्ति और स्वच्छता	1	187.71	37.54
	जोड़	178	88696.67	16893.61

फिलहाल, अवसंरचना में पीपीपी को वित्तीय सहायता स्कीम के अंतर्गत वीजीएफ अनुदान हेतु निम्नलिखित क्षेत्र पात्र हैं(वीजीएफ स्कीम):

- (क) सड़कें और पुल, रेलवे, पोत पत्तन, हवाई अड्डे, अंतर्देशीय जलमार्ग;
- (ख) विद्युत
- (ग) शहरी यातायात, जल आपूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी क्षेत्रों में अन्य भौतिक अवसंरचना;
- (घ) विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाएं और राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों में आंतरिक अवसंरचना;
- (ङ) अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय केन्द्र और अन्य पर्यटन अवसंरचना परियोजनाएं;
- (च) शीत श्रृंखला ओर फसलोत्तर भंडारण सहित आधुनिक भंडारण क्षमता के सृजन में पूंजी निवेश;
- छ) बिना वार्षिकी प्रावधान शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास;
- (ज) तेल/गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलपीजी) भंडारण सुविधा (शहरी गैस वितरण नेटवर्क सहित);
- (झ) तेल और गैस पाईप लाईनें (शहरी गैस वितरण नेटवर्क सहित);

- (ञ) सिंचाई (बांध, चैनल, पुश्ते, इत्यादि);
- (ट) दूरसंचार (स्थिर नेटवर्क) (ब्राडबैंड/इंटरनेट प्रदान करने वाले ऑप्टिक फाइबर/तार/केबल नेटवर्क सहित);
- (ठ) दूरसंचार टावर;
- (ड) टर्मिनल बाजार;
- (ढ) कृषि बाजारों में सामान्य अवसंरचना; और
- (ण) मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं।

चिकित्सा महाविद्यालयों के बारे में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी 4 नवंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या 3सी/1/2012-पीपीपी के अनुसार वीजीएफ तभी स्वीकार्य होगा यदि प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत चिन्हित पिछड़े जिलों में से किसी एक जिले में स्थित हो और वह भी इस शर्त के साथ कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा वीजीएफ के सिद्धांततः अनुमोदन की तारीख को उस जिले में कोई चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है।

4.2.6 भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ)

‘भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि’ (आईआईपीडीएफ) हेतु स्कीम पीपीपी परियोजनाओं के विकास पर आने वाली लागत के वित्तपोषण के लिए शुरू की गई है। आईआईपीडीएफ

परियोजना विकास खर्च के 75 प्रतिशत तक की सहायता करती है। आईआईपीडीएफ स्कीम के अंतर्गत 2013-14 में 4 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

4.2.7 पीपीपी प्रायोगिक कार्यक्रम

4.2.7.1 आर्थिक कार्य विभाग ने एशियाई विकास बैंक की सहायता से 2010 में पीपीपी प्रायोगिक परियोजना कार्यक्रम शुरू किया है जहां पीपीपी परियोजनाओं की संरचना की प्रक्रिया चुनौती वाले क्षेत्रों में प्रदर्शनीय पीपीपी परियोजनाएं बनाने के लिए केंद्र सरकार के हाथ में है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संतुलित पीपीपी परियोजनाएं तैयार करना और संबंधित क्षेत्रों में उनकी प्रतिकृति क्षमता की स्थापना हेतु उनकी सफल बोली लगाना है। यह कार्यक्रम फिलहाल चौथे वर्ष में है और सभी क्षेत्रों में ये परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं और इनमें वे परियोजनाएं शामिल हैं जो वर्तमान में बोली प्रक्रिया में हैं, ऐसी परियोजनाएं जहां बोली दस्तावेज बाजार में डालने के लिए तैयार हैं और वे परियोजनाएं जहां हम इन्हें बनाने/योजना बनाने के चरण में हैं। कुछ परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. **24X7 आपूर्ति हेतु लोनावाला जलापूर्ति परियोजना:** लोनावाला एक प्रायोगिक परियोजना है जो आर्थिक कार्य विभाग की पहल के अंतर्गत राजस्व-भिन्न जल (एनआरडब्ल्यू) घटाने और 24X7 जलापूर्ति के लिए विकसित की जा रही है। चालू एनआरडब्ल्यू लगभग 45% है। परियोजना के कार्यक्षेत्र में 2 जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) की पुनर्संरचना, नए डब्ल्यूटीपी का निर्माण, वितरण तंत्र की पुनर्संरचना, 100% मीटरिंग तथा एनआरडब्ल्यू घटाना शामिल है। परियोजना को प्रयोक्ता प्रभागों पर आधारित अद्वितीय पीपीपी संरचना के साथ डीबीएफओटी के रूप में संरक्षित किया गया है।
2. **राजस्व-भिन्न जल(एनआरडब्ल्यू) घटाने के लिए इचलकरांजी जलापूर्ति परियोजना:** इचलकरांजी एक जलापूर्ति प्रायोगिक परियोजना है जो चालू एनआरडब्ल्यू के रूप में विकसित की जा रही है और इसके तहत प्रत्येक 2 अथवा 3 दिनों में एक बार 2 घंटे के लिए जलापूर्ति सहित लगभग 71% पानी की आपूर्ति की जाएगी। परियोजना के कार्य क्षेत्र में 20 कि.मी. की वितरण पाइपलाइन की पुनर्संरचना, 100% मीटरिंग, डब्ल्यूटीपी तथा आईटी प्रणाली की पुनर्संरचना, बिलिंग तथा संग्रहण तथा एनआरडब्ल्यू दक्षता बेंचमार्क शामिल हैं। परियोजना की संरचना डीबीएफओटी मॉडल के रूप में है जिसमें टैरिफों का संकलन पीपीपी आपरेटरों द्वारा किया जाएगा तथा उसे परिषद को विप्रेषित किया जाएगा।
3. **ओपा जल परियोजना:** एनआरडब्ल्यू घटाने तथा 24X7 जलापूर्ति प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देने के लिए ओपा जलापूर्ति योजना तैयार करने हेतु आर्थिक कार्य विभाग गोवा सरकार को सहायता प्रदान कर रहा है। इसके कार्यक्षेत्र में जलापूर्ति के सभी घटकों का ओएंडएम, सर्विस कनेक्शन तथा सर्विस स्तर की जरूरतों को पूरा करना, उपभोक्ता कनेक्शनों की मीटरिंग को सुनिश्चित

करना तथा पहले मीटरों की संस्थापना आदि शामिल हैं। परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट तथा मसौदा आरएफक्यू तैयार कर लिए गए हैं तथा राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

4. **मुंबई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन(एमएसडब्ल्यू) तथा ऊर्जा हेतु अपशिष्ट (डब्ल्यूटीई) परियोजना:** ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा निपटान हेतु प्रायोगिक परियोजना वृहत मुंबई में विकसित की जा रही है। परियोजना का कार्यक्षेत्र डब्ल्यूटीई संयंत्र का निर्माण करना तथा 1000 टन प्रतिदिन उपचार के लिए लक्षित संयुक्त क्षमता वाले वैज्ञानिक लैंडफिल बनाना है। परियोजना के लिए आरएफक्यू फरवरी, 2014 में शुरू किया गया था।
5. **हिमाचल प्रदेश में सेबों के लिए नियंत्रित जलवायु भंडारण:** आर्थिक कार्य विभाग पीपीपी के जरिए हिमाचल प्रदेश में सेबों के लिए नियंत्रित जलवायु भंडारण की स्थापना हेतु प्रायोगिक परियोजना की आरंभिक अवधारणा का विकास करने में कानकोर की सहायता कर रहा है। डीबीएफओटी/बीओटी तरीके के जरिये 6000 मी0 टन क्षमता वाली परियोजना बनाई जाएगी।
6. **खाद्य भंडारण क्षेत्र:** आर्थिक कार्य विभाग वीजीएफ मार्ग के जरिये पीपीपी आधार पर आधुनिक खाद्य भंडारण सिलोस (सिलोस) के निर्माण के लिए रूपरेखा तैयार कर रहा है जिसमें जमीन निजी विकासकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल के अंतर्गत बिहार में दो प्रायोगिक परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। जमीन की लागत के वित्तपोषण हेतु, जमीन के भुगतान पर विचार करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा बांड के निर्गमन की जांच की जा रही है।
7. **सियारमल ओपनकास्ट कोलफील्ड परियोजना:** आर्थिक कार्य विभाग विद्युत उत्पादकों तथा अन्य उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए कोयले के उत्पादन को बढ़ाने हेतु पीपीपी नीति की रूपरेखा तैयार कर रहा है। महानदी कोलफील्ड्स (एमसीएल), ओडीशा, जो ओपनकास्ट कोलफील्ड्स (सियारमल परियोजना) है, में प्रायोगिक परियोजना तैयार की जा रही है। इस परियोजना के लिए पीपीपी हेतु प्रारंभिक अवधारणा संरचना तैयार की गई है।
8. **हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पन और सौर ऊर्जा परियोजना:** आर्थिक कार्य विभाग और नवीन व नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय के बीच संयुक्त रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पीपीपी हेतु अवधारणा दस्तावेज तैयार किया गया है। पीपीपी से 2 मेगावाट का पन और सौर उर्जा संयंत्र बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है।
9. **गंगा कार्य योजना:** आसपास के उद्योगों से बहिःस्राव के बहाव के कारण गंगा नदी का प्रदूषण खतरनाक समस्या है। गंगा नदी के साथ-साथ औद्योगिक बहिःस्राव उपचार संयंत्र

बनाने के लिए पीपीपी अभिगम तैयार करने हेतु आर्थिक कार्य विभाग राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रायोगिक कार्यक्रम बना रहा है।

10. **पीयूआरए (ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की व्यवस्था):** ग्रामीण अवसंरचना विकास में सरकारी निजी भागीदारी शुरू करने के लिए पीयूआरए एक नवोन्मेषी योजना है। चयनित निजी भागीदारियों को निर्धारित सेवा मानकों के अनुरूप जीविका के अवसर, शहरी सुविधाएं तथा अवसंरचना संबंधी सुविधाएं विकसित करनी हैं और ये 10 वर्षों की अवधि तक इनके रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। पीयूआरए की प्रायोगिक परियोजनाएं दो चरणों में विकसित की जा रही हैं। चरण 1 में 8 परियोजनाएं चयनित की गई हैं। चरण 2 के लिए बोली संबंधी दस्तावेजों को मंत्रालय में अंतिम रूप दिया जा रहा है।

4.2.8 राष्ट्रीय पीपीपी क्षमता निर्माण कार्यक्रम

4.2.8.1 राज्य तथा नगर पालिका स्तर पर जन कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण को तेज करने तथा व्यापक बनाने और राज्य स्तर पर निरंतर कार्यक्रमों में पीपीपी संबंधी क्षमता निर्माण कार्यक्रम को समाहित करने के लिए दिसंबर, 2010 में वित्त मंत्री द्वारा राष्ट्रीय पीपीपी क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था जो पिछले वर्ष 15 राज्यों तथा 2 केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों अर्थात् भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में शुरू किया गया है। संबंधित संस्थानों में यह कार्यक्रम 2011-12 से शुरू हुआ। अभी तक 145 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 160 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये गए हैं जिन्होंने 5004 जन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है जो अपने क्षेत्रों में पीपीपी का कार्य करते हैं। अगस्त, 2013 में राज्य के कर्मचारियों के लिए संचालित पीपीपी संबंधित उन्नत पाठ्यक्रम के साथ हाल ही में इस कार्यक्रम के अंतर्गत केरल को शामिल किया गया था। कार्यक्रम 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुआ। संशोधित कार्यसूची के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का दूसरा चरण अभी शुरू किया जाना है।

4.2.9 ज्ञान संसाधन

4.2.9.1 पीपीपी के बारे में जानकारी के प्रसार हेतु व्यापक प्रयासों के भाग के रूप में आर्थिक कार्य विभाग ने पीपीपी क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के प्रयोग हेतु निम्नलिखित सूचना श्रृंखला विकसित की है:-

- आर्थिक कार्य विभाग ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में पीपीपी परियोजनाओं हेतु ग्रीन बुक तैयार की है। ये सांचागत करार हैं जो पीपीपी परियोजनाओं के प्रभावी संविदा निर्माण हेतु निजी भागीदारी और कार्यान्वयन एजेंसी के बीच जोखिम के इष्टतम आवंटन हेतु सांचे का कार्य करेंगे।
- सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से अवसंरचना के विकास को सुसाध्य बनाने के लिए सरकार की विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों पर सूचना के प्रसार हेतु सरकारी

निजी भागीदारी-राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए एक समर्थकारी वातावरण का सृजन शीर्षक से एक दस्तावेज भी विकसित किया गया है।

‘सरकारी निजी भागीदारी मामलों के अध्ययन का सारांश’ का शीर्षक वाला दस्तावेज प्रकाशित किया गया है। यह सारांश भारत में पंद्रह चुनिंदा सरकारी-निजी भागीदारी परियोजनाओं का मामला अध्ययन प्रस्तुत करता है। ये मामला अध्ययन अब तक हुए अनुभव और ली गई सीखों को दिखाने के लिए तैयार किये गये हैं और भावी पीपीपी प्रक्रियाओं और संरचनाओं के ढांचे को प्रभावित करेंगे ताकि पीपीपी परियोजनाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। मामला अध्ययनों का चयन सभी विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराएगा विभिन्न पीपीपी परियोजना संरचनाओं को कवर करेगा, पीपीपी के जीवन-चक्र के विभिन्न चरणों में परियोजनाओं को शामिल करेगा और इसमें जटिलता के विभिन्न चरणों वाली परियोजनाएं हैं।

5 क्षेत्रों के लिए आन लाइन टूल किट्स विकसित किये गये हैं जिनको वित्त मंत्री ने प्रारंभ किया था। ये इस विभाग की पीपीपी संबंधी वेबसाइट www.pppinindia.com पर उपलब्ध हैं। पीपीपी टूलकिट एक वेब-आधारित संसाधन है जो भारत में पीपीपी की अवसंरचना हेतु निर्णय लेने में सहायता करने और भारत में क्रियान्वित की जा रही पीपीपी अवसंरचना की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बनाई गई है। पिछले वर्षों में बहुत से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रयोक्ताओं ने बेहतर पीपीपी परियोजना बनाने के लिए इस वेब आधारित संसाधन का लाभ उठाया है।

पीपीपी संबंधी दो वेबसाइट, www.pppinindia.com व www.pppindiadatabase.com विकसित की गई हैं जो वीजीएफ तथा आईआईपीडीएफ योजना एवं पीपीपी मूल्यांकन समिति के अंतर्गत पीपीपी प्रकोष्ठों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति एवं नीतिगत मार्गनिर्देशों सहित भारत में पीपीपी की जानकारी उपलब्ध कराती हैं।

4.2.10 अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियां:

- भारत-यूके आर्थिक वित्तीय वार्ता (ईएफडी) के अंतर्गत डीएफआईडी के साथ हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के तहत तकनीकी सहायता कार्यक्रम जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों और संबंधित मंत्रालयों व राज्य-सरकारों के साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रायोगिक परियोजनाएं और विश्लेषणात्मक कार्य किए जाएंगे।
- केन्या के साथ जानकारी का आदान-प्रदान: आर्थिक कार्य विभाग ने केन्या सरकार के साथ (2-6 दिसंबर, 2013) पीपीपी संबंधी अनुभव बांटने के लिए एक कार्यशाला (पीपीपी एक्सचेंज और आउटरीच कार्यक्रम) आयोजित की थी। इस कार्यशाला का प्रयोजन भारत के पीपीपी कार्यक्रम का सिंहावलोकन करना था।

- अन्य अफ्रीकी देशों के साथ जानकारी का आदान-प्रदान: भारत ने अफ्रीकी विकास बैंक के साथ उसके सदस्य देशों में प्रचार हेतु सर्वोत्तम परंपराओं और मार्गनिर्देशों, टूलकिटों, मानकीकृत प्रलेखनों और अन्य ई-टूल्स जैसे ज्ञान साधनों को बांटने के लिए इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कार्यक्रम में क्षमता निर्माण कार्यशालाएं और स्थलों के दौरे भी शामिल हैं।

4.2.11 शुरू की जा रही नई पहलें:

- **संविदा प्रबंधन रूपरेखा:** आर्थिक कार्य विभाग 2-3 अवसंरचना क्षेत्रों में पीपीपी संविदा प्रदान करने के बाद के प्रबंधन में सुधार लाने के लिए मार्गदर्शन सामग्री विकसित कर रहा है जिनका निम्नलिखित क्षेत्रों: राज्य राजमार्ग, पत्तन, शहरी जलापूर्ति तथा स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा शहरी परिवहन में आर्थिक कार्य विभाग तथा विश्व बैंक के परामर्श से पता लगाया जाएगा तथा उन्हें अंतिम रूप दिया जायेगा। इसके भविष्य के संदर्भ में, मार्गदर्शन सामग्री निम्नलिखित अवधियों/चरणों अर्थात् संविदा को अंतिम रूप देना, पूर्व निर्माण, निर्माण तथा प्रचलन के माध्यम से संविदा प्रदान करने के बाद की समूची अवधि अर्थात् प्रदान करने के पत्र की तारीख से छूट-समापन तारीख तक, को कवर करेगी।
- **संविदाओं को फिर से तय करने के लिए रूपरेखा:** आर्थिक कार्य विभाग पीपीपी संविदाएं फिर से तय करने के लिए रूपरेखा विकसित करने के प्रयास कर रहा है। कार्य परामर्शी टीम राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संविदा तथा इसी प्रकार की पीपीपी के पर्याप्त तथा सफल ट्रैक रिकार्ड सहित कम से कम 2-3 देशों के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के दस्तावेज तथा उनको फिर से तय करने का अध्ययन करेगी जिनमें (क) जो उन रियायतों का आधार हैं, वे जोखिम बांटने वाले प्रबंध हैं तथा वे भारतीय पीपीपी रियायतों के साथ कहीं ठहरते हैं; (ख) वे प्रधान कारक जिनके कारण फिर से संविदाएं तय की गई हैं और जो स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि क्या उनकी कल्पना रियायती प्रबंधों में की गई थी अथवा अन्यथा, और (ग) संविदाओं को फिर से तय करने के लिए सिद्धांतों, फार्मूलों और/अथवा संस्थागत कार्य प्रणालियों का विस्तृत विवरण शामिल है।

4.3 अवसंरचना वित्तपोषण अनुभाग:

4.3.1 हाल ही में अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास ने वास्तविक अवसंरचना जैसे बिजली, रेलवे, सड़क, हवाई अड्डों, सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर वर्धमान दबाव डाला है, जिसमें से सभी ने क्षमताओं और

दक्षताओं के संदर्भ में पर्याप्त घाटा उठाया है। समावेशी विकास का पैटर्न केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है यदि अवसंरचना संबंधी घाटे पर काबू पाया जाए और उच्च विकास की सहायता के लिए पर्याप्त निवेश हो और शहरी तथा ग्रामीण दोनों समुदायों के लिए जीवन की उन्नत गुणवत्ता हो। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे के दस्तावेज में योजना अवधि(2012-17) के दौरान अवसंरचना में 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर के निवेश का प्रस्ताव है जिसमें से आधा निजी क्षेत्र से लिया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात है कि इस प्रकार के निवेशों के वित्तपोषण में कुछ विद्यमान नीतियों की समीक्षा की जरूरत होगी ताकि सभी आवेदनों पर समयबद्ध निर्णयों के साथ नियमों और पद्धतियों के सरलीकरण को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं वित्तीय परिव्यय तथा उत्पादन से पूर्व की लंबी अवधि द्वारा लक्षित होती हैं। अतः निवेशों को आकर्षित करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि इन क्षेत्रों में विभिन्न स्वीकृतियों/अनुमोदनों के संबंध में निर्णय लेने के लिए पद्धति संबंधी न्यूनतम विलंब हो।

4.3.2 अवसंरचना क्षेत्रों में अवसंरचना वित्तपोषण तथा निवेशों के संवर्धन के संबंध में नई पहलों को आगे बढ़ाने तथा उन पर विचार करने के उद्देश्य से अवसंरचना और ऊर्जा प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के भाग के रूप में अवसंरचना वित्तपोषण अनुभाग का सृजन किया गया है। यह अनुभाग निम्नलिखित कार्य करता है:-

- अवसंरचना संबंधी मुद्दों (पीपीपी के अलावा) तथा अवसंरचना वित्तपोषण के संबंध में सभी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क।
- बहरीन, ओमान, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई, यमन, इजराइल, जोर्डन तथा लेबनान का विदेशी प्रभार।
- उपरोक्त क्षेत्रों में उन प्रस्तावों की जांच करना जिनमें अर्थक्षमता और औचित्य के लिए ईएफसी/पीआईबी/सीसीईए/सीओएस/सीसीआई का अनुमोदन अपेक्षित है तथा निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति से संबंधित सभी नीतिगत मामले।
- तकनीकी और आर्थिक सहयोग हेतु भारत-सऊदी अरब संयुक्त आयोग।
- तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) का निदेशक मंडल, ओएनजीसी-विदेश लिमिटेड (ओवीएल) आईआईएफसीएल तथा आईआरएफसी निदेशक मंडल में सरकारी नामांकित के रूप में।

4.3.3 सरकार ने इस दिशा में चालू वर्ष के दौरान कई प्रमुख नीतिगत पहलें/सुधारात्मक उपाय प्रारंभ किए हैं। 2013-14 के

दौरान अनुभाग में संपन्न किये गये कुछ कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-

- अवसंरचना संबंधी बड़ी परियोजनाओं के संबंध में स्वीकृतियों और निर्णयों पर शीघ्रता से कार्रवाई करने के लिए 02.01.2013 को स्थापित प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीआई) ने फरवरी, 2014 के अंत तक 6,95,437 करोड़ रुपये के समग्र निवेश वाली 303 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है।
- अवसंरचना ऋण निधियां जो भारत सरकार की नई पहल है, से ऋणवर्धन के नवीन साधनों के जरिये आशा है कि वे दीर्घावधिक बचतों के संसाधनों जैसे बीमा निधि, पेंशन निधि तथा संप्रभु धन निधि, जो भारत में अवसंरचना वित्तपोषण में तुलनात्मक रूप से सीमित भूमिका रखती है, का पता लगाकर अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक कम लागत के ऋण प्रदान करेंगी। अवसंरचना ऋण निधियों, जिनका उद्देश्य देश में अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के निधियन के लिए दीर्घावधिक ऋण के प्रवाह को त्वरित करना और बढ़ाना है तथा भारत में अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के पुनर्वित्तपोषण को कम लागत के दीर्घकालिक ऋण से सक्षम बनाना है, को प्रचलित किया गया है। 2 आईडीएफ-एमएफ तथा 5 आईडीएफ-एनबीएफसी स्थापित की गई हैं तथा अंतरण वित्तपोषण भी प्रारंभ किया गया है।
- **माडल त्रिपक्षीय करार (एमटीए):** भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार, अवसंरचना ऋण निधियां जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में स्थापित की गई हैं, को रियायतग्राही तथा रियायत प्रदायी प्राधिकरण के बीच त्रिपक्षीय करार करना होगा। माडल त्रिपक्षीय करार सड़कों/राजमार्गों के क्षेत्र और पत्तन क्षेत्र के लिए किये जा चुके हैं। वायुपत्तन क्षेत्र के लिए इसी प्रकार के करार पर इस विभाग में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।
- **कर मुक्त बांड्स:** अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं को कम ब्याज दर पर वित्तपोषण की अधिक राशि मार्गीकृत करने के लिए सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कर मुक्त बांड्स जारी करने के लिए 13 प्रतिष्ठानों को अनुमति प्रदान की थी। कर मुक्त बांड्स जारी करने के मार्गनिर्देशों की पुनर्संरचना। तथा योजना के सक्रिय संवर्धन की वजह से वित्तीय वर्ष में कर मुक्त बांड्स के लिए अभी तक का अधिकतम अभिदान प्राप्त हुआ था।
- i. सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अन्य वैध प्रतिष्ठानों जैसे ट्रस्ट, भागीदारी वाली फर्मों को कर मुक्त बांड्स खरीदने की अनुमति प्रदान की गई है।
- ii. अवसंरचना विकास के संवर्धन के लिए कर मुक्त बांड्स जारी करने हेतु अधिक क्षेत्रों/सार्वजनिक क्षेत्र के नए उपक्रमों को अनुमति प्रदान की गई है।
- iii. सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 20 वर्ष के कार्यकाल के विकल्प की अनुमति प्रदान की गई है। इससे पहले केवल आईआईएफसीएल को 20 वर्ष के कार्यकाल की अनुमति प्राप्त थी।
- iv. कंपनी अधिनियम की धारा 372 क (3) के अंतर्गत एमसीए द्वारा जारी स्पष्टीकरण कारपोरेटों को कर मुक्त बांड्स के लिए आवेदन करने हेतु अनुमति प्रदान करता है यदि प्रभावी आय (प्रतिफल की प्रभावी दर) प्रचलित बैंक दर पर आय की अपेक्षा अधिक है।
- v. गौण बाजार विकास के संवर्धन के लिए खुदरा निवेशकों को बांड्स के अंतरण की अनुमति प्रदान की गई है।
- vi. ट्रांशों, प्रबंधकर्ताओं की संख्या, क्यूआईबी/ मर्चेन्ट बैंकर्स को पेश की गई राशि जैसे मुद्दों के लिए विस्तृत औपचारिकताओं पर निर्णय लेने संबंधी मुद्दों में लचीलापन।
- **नगरपालिका उधार:** अवसंरचना वित्तपोषण के लिए बांड बाजारों को व्यापक बनाने हेतु भारत में नगरपालिका बांड्स जारी करने के लिए मार्गनिर्देशों/रूपरेखा का मसौदा तैयार किया गया है।
- **वित्त संवाद/ निवेशक रोड शो/द्विपक्षीय सहबद्धता:**
 - (क) ओटावा, टोरंटो तथा न्यूयार्क (14-15 अप्रैल, 2013) में रोड शो।
 - (ख) वित्त मंत्री के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल की 26 मई, 2013 को यूएई में संप्रभु धन निधियों के साथ बैठक।
 - (ग) 6-7 नवंबर, 2013 को सऊदी अरब के साथ 9वें भारत सऊदी संयुक्त आयोग (जेसीएम) की दूसरी समीक्षा बैठक।
 - (घ) 13 नवंबर, 2013 को कुवैत निवेश प्राधिकरण(केआईए) तथा अन्य निवेशकों/निधियों के साथ बैठक।
 - (ङ) आर एंड डी पर भारत-इजराइल संयुक्त कार्यकारी समूह की प्रथम बैठक, तेल अवीव (21 जनवरी, 2014)।

* कर मुक्त बांड्स की पुनर्संरचना में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (च) 10वीं भारत-सऊदी संयुक्त आयोग बैठक, रियाध (27-28 जनवरी, 2014)।
- (छ) कतर के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ बैठक, नई दिल्ली (25-26 मार्च, 2014)।

4.4 ऊर्जा प्रकोष्ठ:

4.4.1 ऊर्जा प्रकोष्ठ ऊर्जा अर्थात् पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला, परमाणु ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े नीतिगत मुद्दों को संभालता है। यह प्रकोष्ठ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, भेषज विभाग और उर्वरक विभाग), कोयला मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जैसे उन मंत्रालयों, जिनका क्षेत्रक प्रभार इसके पास है, के ईएफसी/पीआईबी/सीसीईए/सीओएस/सीसीआई हेतु प्रस्तावों का विश्लेषण करने के लिए उत्तरदायी है। ऊर्जा प्रकोष्ठ में नीतिगत के साथ-साथ आर्थिक दृष्टिकोणों से प्रस्तावों और नीतिगत दस्तावेजों का विश्लेषण किया जाता है।

4.4.2 ऊर्जा प्रकोष्ठ के पास प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन संबंधी समिति (सीएनआर) की स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की मॉनिटरिंग का प्रभार भी है।

- (i) **प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन संबंधी समिति(सीएनआर):** भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकार द्वारा किये जा सकने वाले उपायों संबंधी मंत्रियों के समूह ने 21 जनवरी, 2011 को अन्य बातों के साथ-साथ, त्वरित आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए देश की जरूरतों के अनुरूप प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग में पारदर्शिता, प्रभावशीलता और धारणीयता बढ़ाने के मुद्दों पर विचार विमर्श करने का निर्णय लिया था। तदनुसार, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा पूर्व वित्त सचिव श्री अशोक चावला की अध्यक्षता में प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन संबंधी समिति गठित की गई थी। इस समिति ने 31 मई, 2011 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। मंत्रियों के समूह की सहायता कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) कर रहा है। तथापि, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकार द्वारा लिए जा सकने वाले उपायों पर विचार करने हेतु मंत्रियों के समूह की 2 मार्च, 2012 की दूसरी रिपोर्ट में मंत्रियों के समूह ने सिफारिश की है कि वित्त मंत्रालय(आर्थिक कार्य विभाग) इस कवायद को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा सीएनआर की स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनिटरिंग करेगा। मंत्रियों के समूह ने अपनी

अंतिम रिपोर्ट में कहा है कि सीएनआर की सिफारिशों के संदर्भ में आगे प्रगति की नियमित रूप से मॉनिटरिंग किए जाने की जरूरत है तथा तदनुसार, यह सिफारिश की जाती है कि वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) निश्चित समय सीमा के अंदर इन लंबित सिफारिशों पर उपयुक्त अंतिम निर्णय लेने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ मामले को उठा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन संबंधी समिति की स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक मॉनिटरिंग समिति मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा स्थापित की गई है। मॉनिटरिंग समिति की दूसरी बैठक मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में 6 फरवरी, 2014 को आयोजित की गई थी।

4.4.3 कुछ मुख्य बातें:

4.4.3.1 **भूमि के हस्तांतरण संबंधी नीति:** सरकार तथा सरकार के नियंत्रणाधीन सांविधिक प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि के अंतरण अथवा हस्तांतरण संबंधी नीति पर पर्याप्त अंतर-मंत्रालयी परामर्श/सीओएस विचार-विमर्शों के बाद मंत्रिमंडल टिप्पणी तैयार की गई है तथा अनुमोदन के लिए सीसीईए के समक्ष रखने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजी गई है। यह नीति विशिष्ट शर्तों के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सक्षम तथा सुसज्जित संस्थागत संरचना जैसे **“सरकारी भूमि प्रबंधन समिति”** के गठन का प्रस्ताव रखती है जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि होंगे। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से भूमि के आदान-प्रदान, अंतरण, बिक्री, पट्टे अथवा लाइसेंसिंग हेतु व्यापक नीतिगत मार्गनिर्देश जारी किये जाएंगे।

4.4.3.2 नोडल मंत्रालयों द्वारा शुरू किये निम्नलिखित नीतिगत कार्यकलापों को वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया।

4.4.3.2.1 तेल तथा गैस अन्वेषण नीति:

- (क) **एक समान अनुज्ञापत्र नीति** वर्तमान एनईएलपी और सीबीएम नीतियों को सम्मिलित करेगी और अंतर-मंत्रालयी परामर्श के अधीन भविष्य में ‘पेट्रोलियम’ और ‘प्राकृतिक गैस’ के अन्वेषण और उत्पादन के लिए रकबा प्रदान करने के लिए लागू होगी।

- (ख) **शेल गैस संबंधी नीति:** दिनांक 24 सितंबर, 2013 को आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने नामांकन पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा गैस और तेल की बिक्री के अन्वेषण और दोहन पर विचार किया और उसकी पुष्टि की।

(ग) **प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण नीति:** सीसीईए ने घरेलू उत्पादित गैस के मूल्य निर्धारण के दिशा-निर्देशों पर 2013 में डा. सी. रंगराजन समिति की सिफारिशों को 27 जून, 2013 को पाँच वर्षों के लिए अनुमोदित कर दिया जो 01.04.2014 को प्रभावी होगी। सीसीईए के 27 जून, 2013 के अनुमोदन के बाद कुछ मुद्दे प्रकाश में आए जो अंतर मंत्रालयी परामर्शों की निम्न प्रक्रिया द्वारा अलग सीसीईए टिप्पणी के माध्यम से निपटाए गए। वित्त मंत्रालय और स्थायी समीति द्वारा उठाये गये मुद्दों का निरीक्षण करके सीसीईए ने प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देशों को विशेष क्षेत्रों में लागू मूल्य में परिवर्तन के साथ 19 दिसंबर, 2013 को अनुमोदित कर दिया।

(घ) **एनईएलपी ब्लाक:** 40 एनईएलपी ब्लाकों में से 31 ब्लाकों को ई एंड पी कार्यकलापों हेतु स्वीकृत कर दिया गया है। शेष 9 ब्लाकों को छोड़ दिया गया है।

(ङ) **दाभोल, महाराष्ट्र में 5 एमएमटीपीए एलएनजी टर्मिनल 2013-14 में पूर्ण रूप से चालू होंगे:** दिनांक 10.01.2013 को चालू हुए आरजीपीपीएल टर्मिनल के 25 वर्षों तक व्यवसायिक प्रयोग के लिए जीएआईएल के साथ एक करार किया। दाभोल महाराष्ट्र में 5 एमएमटीपीए एलएनजी टर्मिनल को 2014 में पूर्ण रूप से चालू करने का लक्ष्य था। सभी प्रणालियाँ और सुविधाएँ उपयोग के लिए तैयार हैं। तथापि, टर्मिनल की पूरी क्षमता का उपयोग केवल तभी हो सकता है जब विद्युत संयंत्र को गैस भेजने के लिए समेकित निम्न दाब की प्रणाली कार्यरत हो तथा मानसून अवधि के दौरान एलएनजी जहाजों में लाने के लिए ब्रेकवाटर का निर्माण पूरा हो चुका हो। ब्रेकवाटर निर्माण प्रक्रिया, जो दिल्ली उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में अभियोग के कारण रुका हुआ था, जो अब स्वीकृत हो गया है और संविदा प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और कार्य 2016 तक पूरा होना अपेक्षित है।

4.4.3.2.2 स्वतंत्र कोयला नियामक: मंत्रिमंडल ने अपनी 27.06.2013 को आयोजित बैठक में कोयला मंत्रालय के कोयला क्षेत्र के लिए स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव पर विचार किया और प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। यह ध्यान में रखते हुए कि कानून के अधिनियमन में कुछ समय लगेगा, मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि विधि कार्य विभाग के परामर्श से आवश्यक समझे गये संशोधन करने के बाद उपयुक्त कार्यकारी आदेश के जरिये एक गैर सांविधिक विनियामक स्थापित किया जाय। जबकि 13.12.2013 को लोकसभा में कोयला विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2013 पेश किया गया है,

तथापि मंत्रिमंडल ने 20 फरवरी, 2014 को अंतरिम व्यवस्था के रूप में कार्यकारी आदेश के जरिये गैर सांविधिक विनियामक स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

4.4.3.2.3 कोयला मूल्य निर्धारण/घरेलू कोयले के साथ आयातित कोयले के मूल्य को एकसमान रखना: आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने आयातित कोयले के साथ मूल्य को एकसमान रखने के बारे में कोयला मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार किया और यह निर्देश दिया है कि कोयला 4660 मेगावाट क्षमता वाले विद्युत संयंत्रों तथा इसी प्रकार के उन संयंत्रों को भेजा जा सकता है जिनके पास कोई ईंधन नहीं है बशर्ते कि कोयला उपलब्ध हो तथा यह भी शर्त होगी कि ऐसी आपूर्ति 78000 मेगावाट क्षमता के चिन्हित संयंत्रों के लिए कोयले की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले।

4.4.3.2.4 कोयला ब्लाकों की नीलामी: आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 24 सितंबर, 2013 को आयोजित अपनी बैठक में कोयला मंत्रालय से प्राप्त कोयला ब्लाकों की नीलामी के प्रस्ताव पर विचार किया और प्रस्ताव को अनुमोदित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) अपनाई जाने वाली बोली लगाने की कार्यप्रणाली (ii) अपनाया जाने वाला चयन का मानदंड तथा (iii) न्यूनतम/आरक्षित मूल्य निश्चित करने के लिए कार्यप्रणाली शामिल हैं। संबंधित मंत्रालयों/विभागों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श से माडल कोयला खान विकास और उत्पादन करार किया गया है।

कोयला खान नियमावली, 2012 की प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाकर नीलामी के नियम 3 के अंतर्गत, कोयला मंत्रालय ने मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद नीलामी आधार पर तीन ज्ञात कोयला ब्लाकों के लिए बोलियाँ/एनआईए आमंत्रित किए हैं।

4.4.3.2.5 नवीकरणीय तथा स्वच्छ ऊर्जा का संवर्धन: भारत सरकार समय-समय पर विभिन्न उपायों/प्रोत्साहनों के जरिए नवीकरणीय तथा स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देती रही है। अन्य बातों के साथ-साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय(एमएनआरई) की ऑफ ग्रिड सोलर प्रयोग योजना नामक योजना है तथा उसका वित्तपोषण जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के जरिये किया गया है।

(क) बजट घोषणा 2010 के बाद वित्त मंत्रालय ने **राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)** स्थापित की थी जिसके अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान और विकास को अपनाने के लिए नई पद्धतियों से संबंधित परियोजनाएँ/योजनाएँ, ऋण अथवा अर्थक्षमता अंतराल निधियन के रूप में वित्तपोषण के लिए पात्र होंगी। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, 1477.65 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली 14 परियोजनाएँ आईएमजी द्वारा अनुमोदित की गई।

(ख) मंत्रिमंडल ने 20 सितंबर, 2013 को स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच को सुसाध्य बनाने के लिए नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग के संबंध में **भारत गणराज्य की सरकार तथा संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन** पर हस्ताक्षर करने के लिए एमएनआरई से प्राप्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया था।

(ग) वित्त मंत्री के अनुमोदन से, इस विभाग ने **अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए ओपेक निधि (ओएफआईडी) से 200,000 अमरीकी डालर के विकास अनुदान** के लिए कार्रवाई की थी। अनुदान मुख्यतः हरित ऊर्जा/ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसमें फासिल ईंधन, बायोमास विद्युतीकरण, वेस्ट टू एनर्जी आदि शामिल हैं। अनुदान उपरोक्त क्षेत्रों में पीपीपी आधारित परियोजनाओं का पता लगाने, उनको विकसित करने तथा उनकी संरचना करने में सहायता करेगा।

(घ) **व्यवहार्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को आगे उधार देने के लिए इरेडा को राष्ट्रीय स्वच्छ निधि से दी जाने वाली कम ब्याज की निधियां:** इरेडा के जरिए पुनर्वित्तपोषण की योजना चलाने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से कम लागतवाली निधियों (12,500 करोड़ ₹ के समतुल्य अनुदान) तक पहुँच बनाने वाली एक योजना आईएमजी द्वारा अनुमोदित की गई है। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि चिन्हित की गई है।

(ङ) **पवन ऊर्जा परियोजनाओं को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन:** उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (जीबीआई) की घोषणा कर दी गई है। नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय(एमएनआरई) ने 2012-13 के दौरान स्थापित पवन परियोजनाओं के लिए जीबीआई के लिए प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए इरेडा को 230 करोड़ रुपये जारी किए हैं। मंत्रालय की वजह से 740 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

4.4.3.2.6 भेषज नीति: मंत्रिमंडल ने 30.10.2013 को भेषज क्रय नीति (पीपीपी) को अनुमोदित कर दिया है। नीति 5 वर्ष की अवधि के लिए 103 दवाओं हेतु लागू होगी। यह नीति केवल फार्मा सीपीएसई तक विस्तारित की जाएगी तथा लागत आधारित फार्मूला के आधार पर एनपीपीए द्वारा कीमतें निर्धारित की जाएंगी और इसके साथ डब्ल्यूपीआई से जुड़ी कीमतों के वार्षिक संशोधन का प्रावधान होगा।

अवसंरचना अनुभाग में जनवरी, 2013 - मार्च, 2014 के दौरान विश्लेषित मंत्रिमंडल टिप्पणियां

1. सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्यूफैक्चरिंग सुविधा की स्थापना।
2. डीएमआरसी जैसी मेट्रो रेल कंपनियों को भूमि आवंटन हेतु सीपीएसयू के साथ समान 50:50 के संयुक्त स्वामित्व का व्यवहार।
3. वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित क्षेत्र में मोबाईल सेवा प्रदान करने की सेवा दायित्व निधि(यूएसओएफ) की योजना।
4. झारखंड में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) की भूमि का मुद्दा।
5. हवाई जहाज द्वारा दुलाई (संशोधन विधेयक, 2012) हवाई जहाज द्वारा दुलाई अधिनियम, 1972 में संशोधन। का.ज्ञा. संख्या एवी 11012/9/1997-ए, दिनांक 26.04.2013
6. नेताजी नगर, कस्तुरबा नगर और त्यागराज नगर, दिल्ली के सामान्य पूल आवासीय मकानों का पूर्ण विकास।
7. टीआरएआई अधिनियम, 1997 जो 2000 में संशोधित किया गया, में संशोधन का प्रस्ताव।
8. विभिन्न मुख्य पत्तनों पर विकास परियोजना के लिए जमीन हेतु लाइसेंस पर देना/पट्टे पर देना।
9. स्वतंत्र रेल शुल्क प्राधिकरण की स्थापना।
10. मधेपुरा में ईएलई और मरहोवरा, बिहार में डीएलएफ स्थापित करने के संबंध में नए पूर्व-अर्हकता आवेदन आमंत्रित करने के लिए मंत्रिमंडल से अनुमोदन लेना।
11. विभिन्न संगठनों को भूमि आवंटन।
12. लुटियन बंगला जोन में सरकारी बंगलों का पुनर्निर्माण।
13. भारत और स्लोवेनिया के बीच वायुसेवा करार में संशोधन।
14. मधेपुरा इलेक्ट्रानिक रेल ईजन परियोजना और मरहोवरा डीजल रेल ईजन परियोजना के लिए आरएफपी और संशोधित पीसीएमए का अनुमोदन।
15. भारत और वियतनाम के बीच वायुसेवा करार।
16. अमृतसर-कोलकाता इण्डिया कोरीडोर की स्थापना और एकेआईसी विकास निगम की स्थापना का अनुमोदन।
17. बीएसएनएल और एमटीएनएल को उनके द्वारा ब्राड बैंड वायरलेस एक्सस (बीडब्ल्यूए) स्पैक्ट्रम को सौंपने पर उनके द्वारा ऐसे स्पैक्ट्रम के लिए भुगतान किये गये अग्रिम मूल्य को वापस करते हुए वित्तीय सहायता।

18. टेलीविजन मूल्यांकन एजेंसियों के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश।
 19. विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश पर वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2013 के संशोधन का प्रस्ताव।
 20. ऊर्जा प्रणाली विकास निधि के परिचालन के लिए स्कीम।
 21. मसौदा नियामक सुधार विधेयक, 2013
 22. बंकर अभिसमय, 2001, नरोबी रेक रिमुवल अभिसमय, 2007 से संबंधित उपबंध शामिल करने के लिए मर्चेट नौवहन अधिनियम, 1958 में संशोधन का प्रस्ताव।
 23. व्यापारिक नौपरिवहन अधिनियम, 1958 में संशोधन और आईएलओ के समुद्रीय श्रम अभिसमय, 2006 का अनुसमर्थन।
 24. केंद्र सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गये राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के परियोजनार्थ एनएचएआई को रक्षा भूमि का अंतरण।
 25. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन रेलवे सुरक्षा आयोग में मेट्रो रेलवे सुरक्षा के दो सर्कल आफिसों का सृजन।
 26. भारत और नामिबिया के बीच वायुसेवा करार पर हस्ताक्षर करना।
 27. अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर चलाने के लिए अनुसूचित वायुयानों के पात्रता मानदंडों की समीक्षा।
 28. भारत और श्रीलंका के बीच वायु सेवा करार पर हस्ताक्षर करना।
 29. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और कोरिया गणतंत्र के भूमि, अवसंरचना और परिवहन मंत्रालय के बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग के क्षेत्र में सहयोग की रूप-रेखा।
 30. शुल्क नीति में संशोधन।
 31. भारत सरकार और कोरिया गणतंत्र के बीच आय पर कर के संबंध में दोहरे कराधान और राजकोषीय अपवंचन से बचने के लिए संशोधित करार।
 32. बीएसएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारियों के खर्चों में वित्तीय सहायता से कटौती। दूरसंचार विभाग से।
 33. विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन। ऊर्जा मंत्रालय से।
 34. भारतीय वायु सेना की नागपुर सिविल एयरपोर्ट पर 288.74 एकड़ भूमि के स्वामित्व का एएआई को हस्तांतरण। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से।
 35. एएआई से एएनएस को अलग करने पर एयर नेवीगेशन सर्विसेज कारपोरेशन आफ इंडिया का सृजन : नागर विमानन मंत्रालय से।
 36. भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच अंतर-सरकार करार, कर मामलों पर सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान के लिए सामान्य रिपोर्टिंग स्तर का कार्यान्वयन। राजस्व विभाग से।
 37. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अधीन विनियामक/ प्राधिकरण का गठन। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से।
- वर्ष जनवरी, 2013 - मार्च, 2014 के दौरान अवसंरचना अनुभाग में विश्लेषित सीसीआई टिप्पणियां।**
1. पंचायतों के लिए ब्राडबैंड कनेक्टिविटी राष्ट्रीय आप्टिकल फाईबर नेटवर्क।
 2. अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) के लिए पर्यावरण स्वीकृति।
 3. जयगढ़ पत्तन और डिग्नि स्टेशन पर संयुक्त उपक्रम के माध्यम से नई ब्राडगेज रेल लाइन।
 4. पूर्वी और पश्चिमी फ्रेट कारिडोर परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत और वित्तीय तथा कार्यान्वयन योजना।
 5. दिनांक 21.06.2013 के सीसीईए के निर्णय के संबंध में वर्तमान स्थिति/किये गये कार्यों के संबंध में। विद्युत मंत्रालय से।
 6. ताप विद्युत परियोजना आदि के वन विपथन प्रस्तावों की प्रक्रिया में विलंब। विद्युत मंत्रालय से।
 7. टीबीसीबी मार्ग के अंतर्गत विकसित निष्पक्ष केन्द्रीय परियोजनाओं को अंतर-राज्य पारिषद परियोजनाएं मानना। विद्युत मंत्रालय से।
- जनवरी, 2013 से मार्च, 2014 तक अवसंरचना अनुभाग में विश्लेषित सचिवों की समिति की टिप्पणियां**
1. केन्द्र सरकार द्वारा एनएचएआई को राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के कार्य पूरा करने के उद्देश्य से रक्षा भूमि एनएचएआई को हस्तांतरित करने के संबंध में भूमि मामलों पर चर्चा के लिए सचिवों की समिति की बैठक।
 2. जम्मू और कश्मीर राज्य में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 6 परियोजनाओं के संबंध में अतिरिक्त बजटीय सहायता पर चर्चा के लिए सचिवों की समिति की बैठक।
- जनवरी, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान अवसंरचना अनुभाग में विश्लेषित सीसीईए टिप्पणियां**
1. भुवनेश्वर के नजदीक आईटी निवेश क्षेत्र (आईटीआर) स्थापित करने का ओडीसा सरकार का प्रस्ताव।
 2. हैदराबाद में आईटीआईआर स्थापित करने का आंध्र-प्रदेश सरकार का प्रस्ताव।
 3. बेंगलुरु में आईटीआईआर स्थापित करने का कर्नाटक सरकार का प्रस्ताव।

4. शहरी अवसंरचना और जेएनएनयूआरएम के सरकारी उप-मिशन के अधीन राज्यों द्वारा सुधारों का कार्यान्वयन और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) की रूकी हुई 10% राशि जारी करना।
5. भारत सरकार की 86.36% शेयर धारिता में से एनएचपीसी की 11.36% चुकता इक्विटी पूंजी का विनिवेश।
6. आईटीडीसी और एसटीसी में विनिवेश।
7. 12वीं योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) का जारी रहना।
8. जेएनएनयूआरएम के अधीन भारत में सभी शहरों/कस्बों/शहरी समूह के लिए 10,000 बसों और सहायक अवसंरचना की सरकारी खरीद के लिए वित्तपोषण।
9. झारखंड, बिहार, आंध्र-प्रदेश और कर्नाटक के लिए एफआरपी की निर्दिष्ट तारीख 31.03.2013 तक बढ़ाने के संबंध में।
10. पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि. का सार्वजनिक पेशकश और विनिवेश का अनुगमन करना।
11. मेट्रो रेल परियोजनाओं, विशेषकर जो पीपीपी माध्यम से हैं, के निष्पादन की स्थिति और इन परियोजनाओं में अधिक सुधारात्मक उपाय।
12. निभर्या निधि के अंतर्गत निश में सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा योजना का वित्तपोषण।
13. क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन के लिए संस्थागत ढांचा - राष्ट्रीय सीमा के साथ राजमार्ग को चौड़ा करना।
14. मानक गैस आधारित उत्पादन क्षमता के उपयोग में सुधार।
15. कोचीन पत्तन न्यास और इसके प्रबंधन द्वारा भारत सरकार से लिए गये ऋणों पर शासित ब्याज की माफी तथा कार्यकरण।
16. न्यू मोतीबाग जीपीआरए परिसर में आवासीय, गैर-आवासीय भवनों और सेवाओं का वार्षिक रखरखाव और कोई अतिरिक्त लघु/बड़ा निर्माण कार्य करना - निलंब लेख खाते में अथशेष निधि में खर्च वहन करने का अनुमोदन।
17. जेएनएनयूआरएम चरण-II का अनुमोदन और जेएनएनयूआरएम के चालू चरण में यूआईजी और यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत परियोजनाओं और सुधारों को पूरा करने के लिए एक वर्ष का विस्तार देना।
18. एनटीपीसी सिम्हद्री रेलवे साईडिंग के समानांतर एचएनपीसीएल विद्युत संयंत्र को जोड़ने वाली एचएनपीसीएल की रेलवे साईडिंग के निर्माण हेतु वाणिज्यिक शर्तों पर एनटीपीसी के कब्जे की भूमि एचएनपीसीएल को लाइसेंस पर देना। विद्युत मंत्रालय से
19. न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाने से उत्पन्न देनदारी के कारण एमटीएनएल को वित्तीय सहायता। दूरसंचार विभाग से।

जनवरी, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान अवसंरचना अनुभाग में विचारित अन्य महत्वपूर्ण विषय

1. दिल्ली मेट्रो का कालिंदी कुंज से बोटनीकल गार्डन, नोएडा (उ.प्र.) तक विस्तार संबंधी डीपीआर।
2. दिल्ली मेट्रो के नोएडा सिटी सेंटर से सेक्टर-62 नोएडा, (ऊ.प्र.) तक विस्तार संबंधी डीपीआर।
3. विभिन्न संगठनों को भूमि का आवंटन।
4. दिल्ली मेट्रो के मनीपुर-मुकुंदपुर मेट्रो संपर्क हेतु डीपीआर।
5. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन चरण-II संबंधी ईएफसी ज्ञापन।
6. केन्द्र सरकार की संपत्तियों पर स्थानीय निकायों द्वारा सेवा प्रभार लगाने के लिए समुचित कानून का प्रस्ताव।
7. शहरी रेल प्रणाली में माडल करार।
8. अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता औद्योगिक गलियारे संबंधी आईएमजी।
9. बंगलुरु - मुंबई आर्थिक गलियारा।
10. डीएमआईसी परियोजना में ट्रंक अवसंरचना एकीकृत इंडिया टाऊनशिप ग्रेटर नोएडा, उ.प्र. के विकास हेतु अनुमोदन।
11. डीएमआईसी परियोजना में विहराम उद्योगपुरी, उज्जैन के पास एकीकृत टाउनशिप हेतु ट्रंक अवसंरचना के विकास हेतु अनुमोदन।
12. कोरिया और भारत के बीच चौथी वित्त मंत्री स्तर की बैठक।
13. छठी चीन-भारत वित्तीय वार्ता।
14. भारत-आस्ट्रेलिया द्विपक्षीय मुद्दे।
15. परियोजना संविदाकार के चयन के तरीके के बारे में सचिवों की समिति की टिप्पणी और शहरी विकास मंत्रालय के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि के पुनर्विकास से जुड़ी परियोजना का वित्तपोषण
16. दिल्ली में श्रीनिवासपुरी, मोहम्मदपुर और सरोजिनी नगर कालोनियों के पुनर्विकास संबंधी ईएफसी ज्ञापन का मसौदा।
17. नागपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु डीपीआर।

पीआईबी

1. चिनाब वेली पावर प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड (मैसर्स सीवीपीपीएल) द्वारा जम्मू और कश्मीर में पकलडल हाईड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना (1000 मेगावाट) के निर्माण हेतु पीआईबी ज्ञापन।
2. वी. ओ. चिदम्बरनर पत्तन, तूतीकोरिन में 463.97 करोड़ रुपये की लागत की नार्थ कार्गो बर्थ-II के सामने तलकर्षण और शैलो ड्राट बर्थ के दो नगों के संबंध में पीआईबी बैठक।

5. निवेश प्रभाग

5.1 राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)

5.1.1 राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने, जिसके निर्माण की घोषणा 2008-09 के बजट भाषण के (पैरा 101) में की गई थी, 2009-10 में कार्य करना शुरू किया। एनएसडीसी द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या 2014 में समाप्त हुए वर्ष के दौरान 150 तक पहुंच गई। 158 प्रस्तावों की संचयी प्रतिबद्धता में अप्रैल, 2014 तक अनुमोदित 129 प्रशिक्षण प्रस्तावों एवं 29 एसएससी प्रस्तावों के लिए 2204.31 करोड़ रुपए हैं। समग्र आधार पर 20,07,446 से अधिक लोगों ने कौशल प्रशिक्षण में प्रमुख रोजगार अखिल भारत में प्राप्त किए। इनमें से 63 प्रतिशत लोग काम पर रखे गए हैं। 2013-14 के दौरान एनएसडीसी के सहभागियों ने 366 जिलों में स्थित 2,856 अचल एवं चल प्रशिक्षण सुविधा केंद्रों के जरिए प्रस्तुत 723 पाठ्यक्रमों के द्वारा स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन, आतिथ्य एवं यात्रा, बैंकिंग, वित्तीय सेवा, फुटकर व्यवसाय, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, चमड़ा, हस्तकला एवं कृषि संबंधी स्वचालन, कोल्ड चैन और प्रशीतन जैसे विविध क्षेत्रों की व्यापक सूची में 10,05,074 लोगों को प्रशिक्षित किया। इसके अलावा, युवकों को कौशल विकास संस्थाओं में स्वैच्छिक रूप से नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने की एक योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपये अलग से रखने तथा कौशलों के लिए मनोरथ का भाव पैदा करने हेतु मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 10,000 रुपए का प्रोत्साहन मुहैया कराने के निर्णय की घोषणा 2013 के बजट में वित्त मंत्री द्वारा की गई।

5.2 मानक प्रशिक्षण मूल्यांकन और पुरस्कार (एसटीएआर) योजना

5.2.1 एनएसडीसी राष्ट्रीय कौशल प्रमाणीकरण और पुरस्कार योजना (मानक प्रशिक्षण मूल्यांकन और पुरस्कार) के कार्यान्वयन का नेतृत्व भी करती है। एसटीएआर मौद्रिक पुरस्कार की परिकल्पना करेगी जो नए कौशल को हासिल करने या अपने कौशल को उच्च स्तर का करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता देगी। एसटीएआर योजना 1000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ 16 अगस्त, 2013 को आरंभ की गई थी और एक मिलियन युवाओं को इस कार्यान्वयन वर्ष के दौरान व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने की अपेक्षा की जाती है। एनएसडीसी योजना को कार्यान्वित करने वाली नामित एजेंसी है और विभिन्न सेक्टर कौशल समितियों, प्रशिक्षण प्रदान करने वाली और मूल्यांकन एजेंसियों के माध्यम से कार्य करती है।

5.3 राष्ट्रीय कौशल विकास निधि/न्यास (एनएसडीएफ/टी)

5.3.1 एनएसडीएफ/टी भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अधीन सरकारी 995.10 करोड़ रुपये के अंशदान से आधारभूत निधि के साथ एक न्यास के रूप में शुरू की गई, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कंपनियों, बहुपक्षीय/द्विपक्षीय और दूसरे दाता जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) को इसके उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निधि प्रदान करते हुए निधि वितरण के निधान के रूप में कार्य करेगी। इस संबंध में 23/12/2008 के लोक न्यास करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। न्यास का प्रबंधन न्यासियों बोर्ड के द्वारा किया जाता है, जिसमें तीन न्यासी, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, सचिव योजना आयोग, अध्यक्ष एनएसडीसी शामिल हैं। सचिव, आर्थिक कार्य विभाग

एनएसडीएफ/टी के पदेन अध्यक्ष हैं। एनएसडीएफ/टी 2011-12 में आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 119(2) 12क और 12कक के अंतर्गत पंजीकृत भी किया गया है।

5.3.2 एनएसडीएफ/टी और एनएसडीसी 27/03/2009 विनियम प्रबंधन करार (आईएम) में प्रवेश किया। एनएसडीएफ से आवश्यकता के आधार पर एनएसडीसी में निधि हस्तांतरण करता है।

5.4 अन्य मुख्य विशेषताएं

5.4.1 निवेशित निधियों को कर-मुक्त करने का मुद्रा राजस्व विभाग के समक्ष उठाया गया था। उक्त धारा की उप-धारा(3) के खण्ड (iii) के उप-खण्ड (च) के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय कौशल विकास निधि अधिसूचित करते हुए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194क की उप-धारा (3) के खण्ड (iii) के उप-खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व विभाग के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24/01/2013 को राजपत्र अधिसूचना संख्या 272 (अ) जारी की है।

5.5 द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार (बिपा)

5.5.1 1991 में प्रारंभ किए गए आर्थिक सुधार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, सरकार विदेशी निवेश नीति उदारीकृत की गयी और अनेक देशों को बिपा से जुड़ने से जुड़ने के लिए वार्ताएं प्रारंभ की गई। बिपा का उद्देश्य निवेशकों के हितों को पारस्परिक आधार पर संवर्धित एवं संरक्षित करना है। मार्च, 2014 के अनुसार, भारत सरकार ने 83 देशों (अंतिम हस्ताक्षर यूएई की सरकार के साथ किए गए हैं) के साथ बिपा पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें से 72 बिपा पहले ही प्रवृत्त हो गए हैं।

अभी तक हस्ताक्षरित किए गए बिपा में महत्वपूर्ण उपबंध निम्नवत रूप से विद्यमान हैं—

- Å विदेशी निवेशकों के निवेशों के साथ निष्पक्ष और न्यायोचित बरताव होने देना;
- Å विदेशी निवेश पर राष्ट्रीय बरताव अर्थात् घरेलू निवेश और विदेशी निवेश के साथ बराबरी का बरताव करना;
- Å अधिकतम अनुकूलित राष्ट्र के साथ बरताव अर्थात् अन्य विदेशी निवेशकों के साथ बराबरी का बरताव करना;
- Å प्रतिफलों का बिना अनुचित विलंब के और निर्विघ्न परिवर्तनीय मुद्रा में अंतरण का अधिकार देना;
- Å कानून के अनुसार, भेदभाव रहित आधार और क्षतिपूर्ति का भुगतान करने पर सरकारी प्रयोनार्थ के सिवाय स्वामित्वहण के विरुद्ध अधिकार
- Å विदेशी निवेशक और मेजबान साकार के बीच तथा दो संविदाकर्ता सरकारों के बीच विस्तृत विवाद समाधान तंत्र;

5.5.2 किन्तु हालिया घटनाक्रमों और डब्ल्यूआईएल में प्रतिकूल विवाचन पंचाट और प्रतिकूल विधिक विवक्षाओं तथा बिपा के संदर्भ में भारत सरकार को प्रेषित विविध प्रकार की विवादास्पद नोटिसों के आधार पर भारत सरकार बिपा के आदर्श पाठ की समीक्षा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में करते हुए इन संधियों के तहत मांगों

और दायित्वों के सटीक स्वरूप को समझने की चेष्टा कर रही है। समीक्षा अंतर मंत्रालयीन परामर्शों के स्तर पर है और इसके शीघ्र पूरे होने की संभावना है। आर्थिक कार्य विभाग निर्वचन संबंधी उन विवरणों को भी अंतिम रूप भी दे रहा है जिन्हें उन देशों के साथ वार्ता करके साझा किया जाएगा जिनके साथ भारत बिपा का करार पहले ही कर चुका है।

5.5.3 यूएई के साथ बिपा : यद्यपि बिपा संबंधी आदर्शपाठ की प्रक्रिया समीक्षाधीन है, तथापि भारत ने यूएई सरकार के साथ वार्ता करने का निर्णय लिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ स्टैंड अलोन आधार पर बिपा को अंतिम रूप दिया और इस पर 12 दिसम्बर, 2013 को हस्ताक्षर किया गया। भारत और यूएई के बीच बिपा पर हस्ताक्षर होना दरअसल लंबे और विस्तृत परामर्शों का परिणाम था। यूएई के साथ बिपा पर चर्चा वर्ष 1994 में, अर्थात् यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत की प्रथम निवेश संधि के हस्ताक्षरित किए जाने से भी पूर्व शुरू हुई। व्यापक चर्चा के बाद 2007 में दोनों पक्ष सहमत हुए और प्रारूप पाठ को आद्यक्षरित किया जिसमें केवल तीन मुख्य मुद्दे शेष रहे। यूएई के साथ वार्ताएं उस प्रारूप पाठ के आधार पर आगे बढ़ी जिसपर पारस्परिक रजामंदी हुई थी और जिसे 2007 में आद्यक्षरित किया गया था। गहन वार्ताओं के बाद, उसे अंतिम रूप दिया गया और दिसम्बर, 2013 में हस्ताक्षरित किया गया। यह करार दस (10) वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा। इस अवधि में और 01-01-2016 के अपश्च दोनों संविदाकर्ता पक्षकार इस करार की अवधि पर पुनः वार्ताएं शुरू करेंगे और युक्तियुक्त मीयाद के भीतर संशोधित या नया करार निष्पादित करने की कोशिश करेंगे। संशोधित या नए करार पर दोनों संविदाकारी पक्षकारों के सहमत होने पर वह करार प्रवृत्त होने की तिथि से वर्तमान करार का स्थान लेगा।

5.6 एफआईपीबी यूनित

5.6.1 विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी प्रस्तावों के लिए एकल समाशोधन मार्ग है तथा यह आर्थिक कार्य विभाग, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, लघु उद्योग मंत्रालय, राजस्व विभाग, वाणिज्य विभाग, विदेश मंत्रालय तथा अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के सचिवों के कोर समूह से संघटित है और, जैसे और जब आवश्यक हो, केंद्र सरकार के सचिवों और वित्तीय संस्थानों, बैंकों के शीर्ष कर्मचारियों और उद्योग और वाणिज्य के पेशेवर विशेषज्ञों को सहयोजित करता है। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष आर्थिक कार्य विभाग के सचिव हैं और इसकी बैठकें 3-4 सप्ताह के अंतराल पर नियमितता से होती हैं।

5.6.2 एफआईपीबी अनुमोदन के लिए अनुरोध करने वाले विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्ताव इस विभाग द्वारा निपटाए जाते हैं और अनिवासी भारतीय निवेश, विदेशी प्रौद्योगिकी अंतरण व्यापार चिह्न करार और 100 प्रतिशत आर्थिकोन्मुखी यूनितों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों पर कार्रवाई औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी आंकड़े भी औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा रखे जाते हैं।

5.6.3 एफआईपीबी द्वारा 1 जनवरी, 2013 से 31 मार्च, 2014 के बीच प्रकमित प्रस्तावों का पक्ष कथन निम्नवत है :

1 जनवरी, 2013 से 31 दिसम्बर, 2013 तक की अवधि में, 15

बैठकें आयोजित की गईं जिनमें 390 प्रस्तावों पर विचार किया गया तथा तकरीबन 60326.20 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश/ अनिवासी भारतीय के अंतर्वाह वाले 198 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। इसी प्रकार, 1 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि में, कुल चार बैठकें हुईं जिनमें 98 प्रस्तावों पर विचार किया गया तथा तकरीबन 10545.90 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश/ अनिवासी भारतीय के अंतर्वाह वाले 48 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

5.7 विदेशी निवेश एकक

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का केंद्रीय विभाग है। एफआईयू अनुभाग डीआईपीपी को प्रत्यक्ष विदेशी निवेशगत नीति के बारे में टिप्पणियों/विचारों को अपने आप उपलब्ध कराता है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरत के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेशगत वर्तमान नीति को अद्यतन/संशोधित/संवर्धित किया जा सके। भारत के निवेश के माहौल को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की दृष्टि से सुधारने के उपाय भी इसके द्वारा सुझाये जाते हैं।

5.8 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति

5.8.1 भारत सरकार ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करने और वैश्वीकरण प्रक्रिया में एक अहम खिलाड़ी के रूप में उभरने की दृष्टि से 1991 के मध्य से प्रमुख आर्थिक सुधार प्रारंभ किए गए हैं। किए गए सुधारों में कठोर विनियामक प्रक्रिया से उद्योगों के नियंत्रण को हटाना; निवेश प्रक्रियाविधियों को सरल बनाना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का संवर्धन, मुद्रा नियंत्रण का उदारीकरण, करों का यौक्तिकीकरण और सरकारी क्षेत्र का निर्निहितीकरण शामिल है।

5.8.2 मौजूदा नीति के अनुसार, अधिकांश क्षेत्रों/ कार्यकलापों में स्वतः मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। स्वतः मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन अपेक्षित नहीं है। निवेशकों से केवल यह अपेक्षित है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आवक विप्रेषणों की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अधिसूचित करें और विदेशी निवेशकों को शेयरों के निर्गम के 30 दिनों के भीतर उस कार्यालय में अपेक्षित दस्तावेज फाइल करें।

5.8.3 सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत, अनिवासी भारतीयों से प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु आवेदनों और 'एकल ब्रांड' उत्पाद खुदरा व्यापार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु प्रस्तावों को छोड़कर, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बहु ब्रांड खुदरा कारोबार (एम बी आर टी) में प्रस्तावों के लिए आवेदन आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में प्राप्त किए जाते हैं। 'एकल ब्रांड' उत्पाद खुदरा व्यापार में और अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु प्रस्ताव औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, में प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद इन प्रस्तावों पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है जो आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत है।

5.8.4 पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी की इक्विटी पूंजी में विदेशी निवेश, भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के पृथक विनियमों द्वारा अभिशासित होते हैं।

5.8.5 निरंतर आधार पर नीति की समीक्षा करके और स्वतः मार्ग के अंतर्गत अधिक उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देकर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का प्रगामी रूप से उदारीकरण किया गया है। वर्ष 2000, 2006 और 2007-08 में तीन मुख्य समीक्षाएं की गईं। अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश को परिभाषित करते हुए एक प्रमुख नीतिगत निर्णय वर्ष 2009 में लिया गया था जिसमें विदेशी स्वामित्व वाली या नियंत्रित कंपनियों द्वारा अधोप्रवाही निवेशों के लिए दिशानिर्देशों तथा साथ ही संवेदी क्षेत्रों में निवासियों से अनिवारियों को स्वामित्व के अंतरण हेतु दिशानिर्देशों और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गणना का विस्तृत खुलासा किया गया था।

5.8.6 मौजूदा नीति के अनुसार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रतिषिद्ध है :

(i) लॉटरी व्यवसाय

- (ii) जुआ खेलना और सट्टेबाजी
- (iii) चिट फंड का व्यवसाय
- (iv) निधि कंपनी
- (v) अंतरणीय विकास अधिकारों (टीडीआर) में व्यापार
- (vi) स्थावर सम्पदा व्यवसाय या फार्म हाऊसों का निर्माण
- (vii) सिगारों, चुर्रुट, सिगारिलोज तथा सिगरेट का, तम्बाकू का या तम्बाकू के प्रतिस्थापकों का विनिर्माण
- (viii) निजी क्षेत्र निवेश के लिए न खोले गए क्रियाकलाप/क्षेत्र जिनमें परमाणु ऊर्जा तथा रेलवे परिवहन (जन द्रुत परिवहन प्रणाली को छोड़कर) शामिल हैं।

5.8.7. वे क्षेत्र, जिनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी उच्चतम सीमाएं मौजूद हैं :-

क्र.सं.	क्षेत्र	क्षेत्रक उच्चतम सीमा/मार्ग
1	रक्षा उत्पादन	26 प्रतिशत एफआईपीबी (एफडीआई अनुमत नहीं)। 26 प्रतिशत से अधिक, यदि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी परिकल्पित हो, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन के जरिए
2	नागर विमानन	
	(i) नियत हवाई परिवहन सेवाएं/ घरेलू नियत यात्री एयरलाइंस	49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (अनिवासी भारतीयों के लिए 100 प्रतिशत) स्वतः मार्ग
	(ii) अनियत हवाई परिवहन सेवा/ अनियत एयरलाइंस और कार्गो एयरलाइंस	74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (अनिवासी भारतीयों के लिए 100 प्रतिशत) स्वतःमार्ग (अब विदेशी हवाई कंपनियां भी निवेश करने हेतु अनुमोदित हैं)
	(iii) भूतल संचालन सेवायें	100 प्रतिशत अनिवासी भारतीयों के लिए स्वतःमार्ग 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (अनिवासी भारतीयों के लिए 100 प्रतिशत) 49 प्रतिशत से आगे एफआईपीबी
3	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां	100 प्रतिशत (एफडीआई+एफआईआई)-49 प्रतिशत से आगे एफआईपीबी
4	बैंकिंग निजी क्षेत्र	74 प्रतिशत (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश+विदेशी संस्थागत निवेश) 49 प्रतिशत से आगे एफआईपीबी
	बैंकिंग सरकारी क्षेत्र	20 प्रतिशत (एफडीआई+एफआईआई) एफआईपीबी
5	प्रसारण	
	(i) एफएम(एफएम रेडियो)	26 प्रतिशत (एफडीआई + एफआईआई) एफआईपीबी
	(ii) केबल नेटवर्क	49 प्रतिशत (एफडीआई + एफआईआई) स्वतः मार्ग
	(iii) (डीटीएच) डायरेक्ट टू होम	
	(iv) हैडेंड इन दि स्काई (हिट्स)	74 प्रतिशत (एफडीआई + एफआईआई) 49 प्रतिशत से आगे एफआईपीबी
	(v) हार्डवेयर सुविधाओं को तैयार करना; अपलिकिंग, हब, आदि	
	(vi) टीवी चैनलों पर समाचारों और सामयिक मामलों को अपलिक करना	26% (एफडीआई+एफआईआई) एफआईपीबी
6.	कमोडिटी एक्सचेंज	49 प्रतिशत (26 प्रतिशत एफडीआई + 23 प्रतिशत एफआईआई) स्वतः मार्ग
7.	ऋण सूचना कंपनियां (सी आई सी)	74 प्रतिशत स्वतः मार्ग (केवल 24 प्रतिशत एफआईआई)
8.	बीमा	26 प्रतिशत स्वतः मार्ग
9.	स्टॉक एक्सचेंज, निक्षेपागार और समाशोधन निगम	49 प्रतिशत (26 प्रतिशत एफडीआई + 23 प्रतिशत एफआईआई) स्वतः मार्ग

क्र.सं.	क्षेत्र	क्षेत्रक उच्चतम सीमा/मार्ग
10.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परिष्करण	49 प्रतिशत एफडीआई पीएसयू के मामले में स्वतः मार्ग
11.	समाचार और सम-सामयिक विषयों संबंधी समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन	26 प्रतिशत (एफडीआई + एफआईआई) एफआईपीबी
12.	निजी सुरक्षा अभिकरण	49 प्रतिशत एफआईपीबी
13.	उपग्रह-स्थापना और संचालन	74 प्रतिशत एफआईपीबी
14.	एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार	100 प्रतिशत 51 प्रतिशत से आगे उद्गम शर्तों के अध्वधीन; 49 प्रतिशत से आगे एफआईपीबी
15.	बहु ब्रांड खुदरा व्यापार	51 प्रतिशत एफआईपीबी-विभिन्न शर्तों के अध्वधीन
16.	दूरसंचार सेवाएं	100 प्रतिशत एफडीआई-एफआईपीबी 49 प्रतिशत के आगे; दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंस और सुरक्षा संबंधी तय की गई शर्तों के अध्वधीन
17.	भेषज क्षेत्र	100 प्रतिशत एफआईपीबी 8 नवम्बर, 2011 से प्रभावी
18.	पावर एक्सचेंज	49 प्रतिशत (26 प्रतिशत एफडीआई + 23 प्रतिशत एफआईआई) स्वतः मार्ग

5.8.8 अन्य क्षेत्रों में, एफडीआई, लागू होने वाले कानूनों/विनियमों, सुरक्षा और अन्य शर्तों के अध्वधीन, स्वतः मार्ग से 100 प्रतिशत तक अनुमत है।

5.8.9 जुलाई-अगस्त, 2013 में, मंत्रिमंडल ने निम्नानुसार एफडीआई अधिकतम सीमाओं/मानकों में परिवर्तन को अनुमति दी है, ये उपर्युक्त सारणी में पहले से ही अंतर्वेशित की गई हैं :-

- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, (विद्यमान पीएसयू में किसी विनिवेश अथवा घरेलू इक्विटी को कम किये बिना) : स्वतः मार्ग पर रखा गया।
- कमोडिटी एक्सचेंज: स्वतः मार्ग पर रखे गए
- पावर एक्सचेंज स्वतः मार्ग पर रखे गए
- स्टॉक एक्सचेंज, निक्षेपागार और समाशोधन निगम: स्वतः मार्ग पर रखे गए
- आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी: अधिकतम सीमा बढ़ाई गई और 49 प्रतिशत तक स्वतः मार्ग पर रखी गयी
- क्रेडिट सूचना कंपनियां : अधिकतम सीमा बढ़ाई गई और 49 प्रतिशत तक स्वतः मार्ग पर रखी गयी
- चाय क्षेत्र चाय बागान सहित: विनिवेश शर्त हटाई गयी
- एकल - ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार : 49 प्रतिशत तक स्वतः मार्ग पर रखा गया और सोर्सिंग शर्तों में ढील दी गई
- टेस्ट मार्किटिंग: खण्ड विलोपित चूंकि यह अब प्रासंगिक नहीं रहा।
- दूरसंचार सेवाएं : अधिकतम सीमा बढ़ाकर 100 प्रतिशत की गई
- कूरियर सेवाएं : स्वतः मार्ग पर रखी गई
- यदि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी शामिल हो तो रक्षा क्षेत्र में 26 प्रतिशत से आगे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत किया। सुरक्षा

संबंधी मंत्रिमंडल समिति के जरिये अनुमोदन।

13) बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार: सोर्सिंग संबंधी शर्तें उदारीकृत की गई।

5.8.10 अस्पष्टता दूर करने और व्यापार और निवेश को सहज बनाने के लिए, सरकार ने कई उपाय किए हैं। कुछ प्रमुख उपाय निम्नानुसार हैं :-

(i) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट 4/2013 के जरिए “नियंत्रण” को पुनर्परिभाषित किया गया है नामशः “नियंत्रण” में बहुसंख्यक निदेशकों की नियुक्ति करने अथवा उनकी शेरधारिता अथवा प्रबंधन अधिकारों या शेरधारक करारों अथवा वोटिंग करारों के आधार पर प्रबंधन अथवा नीतिगत निर्णयों का नियंत्रण करने का अधिकार शामिल हैं”।

(ii) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट 2/2013 के जरिए “समूह कंपनी को इस प्रकार परिभाषित किया है समूह कंपनी का अर्थ है दो या दो से अधिक उद्यम जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस स्थिति में हो कि

(क) दूसरे उद्यम में 26 प्रतिशत या उससे अधिक मताधिकार रखते हों; अथवा

(ख) दूसरे उद्यम के निदेशक मंडल में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों को नियुक्त कर सकें।

(iii) असूचीबद्ध कंपनियों को विस्तार आदि, के लिए पूंजी प्राप्त करने हेतु राहत प्रदान करने के लिए, सरकार ने प्रेस नोट सं. 7/2013 के जरिए असूचीबद्ध कंपनियों को कतिपय शर्तों के अध्वधीन शुरू में दो वर्षों की अवधि के लिए भारत में पूर्वतः और अनुवर्ती सूचीयन की अपेक्षा के बिना विदेश में पूंजी जुटाने के लिए अनुमत किया है।

5.8.11 सरकार ने बजट 2013-14 में वित्त मंत्री की उद्घोषणा के मद्देनजर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) की परिभाषा को तर्कसंगत बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है कि “एफडीआई और एफआईआई क्या है,

इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जहाँ निवेशक का किसी कंपनी में 10 प्रतिशत अथवा इससे कम का हिस्सा है, यह एफआईआई के रूप में समझा जाएगा और जहाँ निवेशक का किसी कंपनी में 10 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा है, यह एफडीआई के रूप में समझा जाएगा।” समिति अपनी रिपोर्ट जल्द ही प्रस्तुत करेगी।

5.9 एफडीआई अंतर्वाह

5.9.1 अप्रैल, 2000 से सितम्बर, 2013 तक कुल संचयी एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह की राशि 3,06,889 मिलियन अमरीकी डालर है। अप्रैल, 2000 से सितम्बर, 2013 तक संचयी एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह की राशि 2,04,658 मिलियन अमरीकी डालर (9,63,795 करोड़ रुपए) है।

5.9.2 वित्तीय वर्ष 2013-14 में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह अप्रैल, 2013 से सितम्बर, 2013 की अवधि में 2012 की इसी अवधि के दौरान 12,846 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 11,376 मिलियन अमरीकी डालर है।

5.9.3 मौजूदा कैलेंडर वर्ष 2013 में, एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह पहली जनवरी, 2013 से 30 सितम्बर, 2013 तक 2012 में इसी अवधि के दौरान 18,689 मिलियन अमरीकी डालर (99,486 करोड़ रुपए) की तुलना में 16,853 मिलियन अमरीकी डालर (97,086 करोड़ रुपए) है। यह डालर के संदर्भ में 9.82 प्रतिशत की गिरावट और रुपए के संदर्भ में 2.41 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है।

6. बहुपक्षीय संस्था प्रभाग

6.1 परिचय

6.1.1 बहुपक्षीय संस्था प्रभाग विश्व बैंक समूह की संस्थाओं, आईएमएफ, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक तथा कृषि विकास सम्बन्धी अंतर्राष्ट्रीय निधि जैसी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं के नीतिगत मामलों से सम्बद्ध है। एम.आई. प्रभाग, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और आई.एफ.ए.डी. की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है विदेशी वित्त पोषित परियोजनाओं (सम्पूर्ण भारत की केंद्रीय और राज्य परियोजनाएं) को सुकर बनाने तथा निगरानी करने का नोडल बिंदु है। इसके अतिरिक्त, यह वैश्विक टीके के लिए एलायंस अतिरक्षण (जीएवीआई) एड्स से निपटने के लिए वैश्विक निधि, टीबी और मलेरिया (जीएफएटीएम), कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (आईएफएडी) और वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) को संचालित करता है।

6.2 विश्व बैंक समूह:

6.2.1 विश्व बैंक ऋण, गारंटी, जोखिम प्रबंधन उत्पादों, और (गैर उधार) विश्लेषणात्मक और सलाहकार सेवा के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देकर गरीबी से लड़ने और विकासशील देशों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए एक मिशन के साथ दुनिया की अग्रणी विकास संस्थानों में विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसियों में एक है। विश्व बैंक स्थायी गरीबी में कमी लाने के उद्देश्य से सहस्रत्राब्दि विकास लक्ष्यों तक पहुंचने पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किए हुए है।

6.2.2 भारत विश्व बैंक की चार संस्थाओं, अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, (आईबीआरडी) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) और बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण (एमआईजीए), का सदस्य है। भारत विभिन्न विकासात्मक परियोजना के लिए विश्व बैंक (विशेषकर आईबीआरडी और आईडीए के माध्यम से) से धन प्राप्त कर रहा है। विश्व बैंक समूह से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने तथा विश्व बैंक (आई.बी.आर.डी. और आई.डी.ए.) की सहायता से परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में विश्व बैंक समूह की बैठकों में प्रतिनिधित्व करने के लिए एम.आई. प्रभाग, भारत का मुख्य (केंद्र) बिंदु है।

6.3 विश्व बैंक में सुधार

6.3.1 आई.बी.आर.डी. (बरसंत बैठक, अप्रैल 2010) में हाल ही में पूंजी बढ़ने से भारत को (सामान्य पूंजी वृद्धि और चयनात्मक पूंजी में वृद्धि के माध्यम से) अतिरिक्त 24,092 शेयर आवंटित किए गए। नतीजतन भारत 2.91% की वोटिंग शक्ति के साथ आईबीआरडी में 7वीं सबसे बड़ा शेयरधारक बन जाएगा। इस संशोधन से पहले, भारत की मतदान शक्ति 2.77% शेयरधारकों के बीच 11वें स्थान पर थी। एक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में चार देशों को शामिल कर - (भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान) भारत की मतदान शक्ति मौजूद 3.14% से 3.26% तक की वृद्धि हुई। भारत की 2010 सुधारों के बाद आवंटित अतिरिक्त शेयरों की अपनी सदस्यता शुरू हो गई है। 2013-14 के दौरान भारत आईबीआरडी ने 5151 शेयरों का अभिदान किया था। नतीजतन 30 दिसंबर 2013 की स्थिति के अनुसार, भारत के पास 7466.1 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के 61,890 शेयर हैं।

6.4 विश्व बैंक भारत पोर्टफोलियो

6.4.1 भारत में मौजूदा विश्व बैंक समूह परियोजनाओं के पोर्टफोलियो से 20.83 बिलियन अमरीकी डालर की निवल प्रतिबद्धता की कुल 76 परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थाओं, सिंचाई, जलापूर्ति, शहरी और परिवहन में फैली हुई है।

6.5 वर्ष 2013 में विश्व बैंक से संबंधित मुख्य कार्यकलाप

6.5.1 देश साझेदारी रणनीति:- अप्रैल, 2013 में विश्व बैंक समूह ने भारत (2013-17) के लिए नई देश साझेदारी रणनीति (सीपीएस) अपनाई। नई सीपीएस 3 बिलियन अमरीकी डालर से 5 बिलियन अमरीकी डालर का उधार कार्यक्रम 2017 तक प्रदान करता है। नई सीपीएस तीन विशेष क्षेत्रों पर केंद्रित हैं, कम आय वाले राज्यों के एकीकरण, रूपांतरण और समावेशन।

6.5.2 दिनांक 12 सितंबर, 2013 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को 4.3 बिलियन अमरीकी डालर से एकल उधार की सीमा से अधिक अतिरिक्त उधार लेने में सक्षम बनाने के लिए आईबीआरडी के साथ विशेष दीर्घ नियोजन बांड व्यवस्था में प्रवेश करने का अनुमोदन कर दिया। अतिरिक्त उधार स्पेस भारत सरकार को विश्व बैंक (आईबीआरडी सहायता) के साथ नई परियोजनाएं शुरू करने में सक्षम बनाएगा।

6.5.3 अच्छे पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए, विश्व बैंक परियोजनाओं के लिए क्षेत्रवार त्रिदल समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान ओड़िसा राज्य की समीक्षा भी आयोजित की गई, उत्तराखंड उत्तरप्रदेश को भी आधुनिक सुविधा भी परियोजनाओं की धीमी संवितरण के लिए की गई।

6.5.4 "लुक ईस्ट पालिसी" के भाग के रूप में म्यांमार और बंगलादेश को जोड़ने के लिए 107 मिलियन अमरीकी डालर विश्व बैंक से वित्तपोषण वाली मिजोरम सड़क परियोजना के आंशिक रूप (क्षेत्रीय आईडीए मार्ग के माध्यम से जो देश के अतिरिक्त है) पर विचार-विमर्श किया गया है।

6.5.5 लघु और मध्यम उपक्रम परियोजना की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक में वृद्धि करने हेतु 200 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व बैंक निधीयन के लिए वार्तालाप की गई है। यह 15 नए अत्याधुनिक यंत्र कक्ष की स्थापना के लिए है।

6.6 ऋण संवितरण और वार्तालाप

6.6.1 2836 मिलियन अमरीकी डालर वाली 11 परियोजनाओं के विश्वबैंक निधीयन हेतु वार्ताएं की गई थीं। 2013 के दौरान 1372.7 मिलियन अमरीकी डालर वाली 8 परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2013 के दौरान 2964.07 मिलियन अमरीकी डालर संवितरण विश्व बैंक परियोजनाओं के लिए प्राप्त किया गया था।

6.7 उत्तराखंड संकटकालीन अनुक्रिया और पुनर्संरचना परियोजना:

6.7.1 उत्तराखंड आपदा पुनरुद्धार परियोजना के लिए 250 मिलियन अमरीकी डालर वाली नई परियोजना पर 3 अक्टूबर, 2013 को विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श किया गया था, उत्तराखंड आपातकालीन सहायता परियोजना के लिए 200 मिलियन अमरीकी डालर वाली नई परियोजना पर भी एडीबी के साथ विचार-विमर्श किया गया था।

6.8 आईडीए में पुनःप्राप्ति हेतु अंशदान और अन्य न्यास निधि पुनःप्राप्ति

6.8.1 आईडीए 17 पुनःप्राप्ति भारत के दृष्टिकोण से बेहद सफल रही थी। बैठक के दौरान भारत के लिए आईडीए अवस्थांतर सहायता पर एक मत से सहमति दी गई थी। यह परिणाम अपने आप में असाधारण है क्योंकि यह आईडीए के 52 वर्ष के इतिहास में नियम का अपवाद है। इससे भारत में, यद्यपि यह आईडीए 17 में चरणबद्ध तरीके से होता है (01 जुलाई, 2014 से शुरू), यदि यह चरणबद्ध तरीके से नहीं किया गया है तो जो इसका साधारण आवंटन रहा होगा उसका दो तिहाई प्राप्त होगा। उससे भारत को आईडीए 17 में 3.3 बिलियन अमरीकी डालर (बैंक के वित्तीय वर्ष 2015-17) जो मुख्य रूप से कम आय वाले राज्यों में परियोजनाओं के लिए नियोजित किया जाएगा। शर्तें आईडीए की तुलना में अधिक कठोर होगी, लेकिन समकक्ष नियत आईबीआरडी की तुलना में 100 बेसिस प्वाइंट कम होगी।

6.8.2 समग्र रूप से आईडीए 17 वार्ताएं भी 51.96 बिलियन अमरीकी डालर की सुदृढ़ पुनःप्राप्ति के चलते सफल रही है, जो 49.2 बिलियन अमरीकी डालर की आईडीए 16 पुनःप्राप्ति से 5.5% अधिक है और 50 बिलियन अमरीकी डालर पर तरजीही परिदृश्य जिसका वाशिंगटन में हुई पिछली बैठक में प्रतिनिधियों ने पक्ष लिया था। उससे

लगभग 1.96 बिलियन अमरीकी डालर अधिक है। भारत में प्राप्त आईडीए ऋणों की त्वरित पुनर्अदायगी की "मुख्य विकल्प" की हमारी पसंद को इंगित करके सुदृढ़ आईडीए 17 पुनःप्राप्ति को सुनिश्चित करने में संरचनात्मक भूमिका अदा की थी। इसके लिए भारत को अफ्रीकी उधारकर्ता प्रतिनिधियों और प्रमुख दाताओं से व्यापक प्रशंसा मिली।

6.9 फंड बैंक की बैठकें

6.9.1 विश्व बैंक की और आईएमएफ की 2013 की स्प्रिंग बैठक तथा दूसरी सम्बद्ध बैठकें, अप्रैल, 2013 में हुईं तथा इसके पश्चात अक्टूबर 2013 में वार्षिक बैठकें हुईं। भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने किया। बैठक की मुख्य बातों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल था - वैश्विक नीति कार्य सूची के मुद्दे पर विचार-विमर्श, आईएमएफ में शासन और कोटा सुधार, विश्व बैंक समूह रणनीति, वैश्विक अवसंरचना निधि का विकास, विश्व बैंक द्वारा ऋण देने की शर्तें, प्रापण सुधार, वायस रिफार्म, जलवायु परिवर्तन तथा दीर्घावधि रणनीतिक मुद्दे।

6.10 अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी)

6.10.1 अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) जो कि भारत का महत्वपूर्ण विकास-साझेदार है, भारत में गैर-सम्प्रभु कार्य करता है। यह नीजि क्षेत्रों में सलाह अथवा सेवाओं के माध्यम से भारत का महत्वपूर्ण विकास साझेदार बन गया है। जून 30, 2013 के अनुसार, आईएफसी का भारत में वचनबद्धता का हिस्सा 4.5 बिलियन डालर था तथा औसत वार्षिक निवेश लगभग 1.0 मिलियन अमरीकी डालर था, जिससे भारत, आईएफसी का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो एक्सपोजर बन गया। परियोजनाओं की, आधारभूत क्षेत्र, निर्माण उत्पादन, वित्तीय बाजार, कृषि कारोबार, एसएमई तथा पुनःनवीकृत उर्जा के क्षेत्रों में बहुतायत है। विश्व बैंक की भारत में, देश-साझेदारी रणनीति के साथ अनुरूपता बनाते हुए, आईएफसी, भारत में कम आय वाले राज्यों पर ध्यान दे रहा है।

6.10.2 भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के 1 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के अपतट रूपया बांड कार्यक्रम को प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। आईएफसी ने 19 नवंबर, 2013 को 161 मिलियन अमेरिकी डालर (10 बिलियन भारतीय रुपये) मूल्य के अपतट रूपये बांड कार्यक्रम के प्रथम भाग को प्रारंभ कर दिया है। बांड को जारी रखने पर अच्छी अनुक्रिया प्राप्त हुई है और ये दो बार अतिपूर्वक्रित हुए हैं, जिनके 20 बिलियन भारतीय रुपये मूल्य के आदेश मिले हैं। विश्व भर में 27 निवेशकों जिनमें एशिया, यूरोप और अमरीका से केंद्रीय और निजी बैंकों, परिसंपदा प्रबंधकों, पेंशन निधियों इत्यादि शामिल हैं द्व ने भाग लिया है। बांड की अवधितीन वर्ष है और कूपन की दर 7.75 प्रतिशत है। बांड की प्राप्तियों को घरेलू स्पाट एक्सचेंज बजार में भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जायेगा और भारत में प्रयोग किया जाएगा। इस कार्यक्रम से भारत में निवेश का एक वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने की आशा है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय पूंजी बाजार और अधिक व्यापक भी होगा। इस कार्यक्रम की प्रोत्साहनात्मक अनुक्रिया से संभवतः भारत में निवेशक का आत्मविश्वास बढ़ेगा।

6.10.3 कार्यक्रम का एक दूसरा प्रयोजन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रूपये के वर्चस्व वाले बांडों को लाना (निवेशकों को विनिमय जोखिम देते हुए) और प्राप्तियां भारत में निवेश के लिए लाना है।

6.11 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

6.11.1 भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य है, जिसे एक सहकारी और स्थायी वैश्विक आर्थिक ढांचे को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। फिलहाल, आईएमएफ के 188 राष्ट्र सदस्य हैं। जब से आईएमएफ को संस्थापित किया गया है, तब से इसके उद्देश्य नहीं बदले हैं परंतु इसके प्रचालन- जिनमें निगरानी, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता शामिल हैं द्वि विकासोन्मुखी विश्व अर्थव्यवस्था में इसके सदस्य देशों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित हो गये हैं। आईएमएफ के बांड आफ गवर्नर्स में एक गवर्नर और प्रत्येक सदस्य देश से एक वैकल्पिक गवर्नर शामिल है। भारत की ओर से, वित्त मंत्री आईएमएफ के बोर्ड आफ गवर्नर्स के पदेन गवर्नर हैं। आईएमएफ में भारत के क्षेत्र में तीन अन्य देश नामतः बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भारत की ओर से वैकल्पिक गवर्नर हैं।

6.12 बोर्ड आफ गवर्नर्स की बैठकें

6.12.1 बोर्ड आफ गवर्नर्स संबंधित संस्थानों नामतः आईएमएफ की स्प्रिंग बैठकें और वार्षिक बैठकें तथा विश्व बैंक के कार्य पर चर्चा करने के लिए प्रायः एक वर्ष में दो बार बैठकें बुलाता है। सभा के केंद्र में आईएमएफ की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय समिति (आईएमएफसी) में भारत का प्रतिनिधित्व माननीय वित्त मंत्री ने किया) और संयुक्त विश्व बैंक, आईएमएफ विकास समिति, जो आईएमएफ और विश्व बैंक के कार्य की प्रगति पर चर्चा करती है, की बैठकें आयोजित होती है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निधि और विश्व बैंक समूह की 2013 की स्प्रिंग बैठक 19-21 अप्रैल, 2013 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुई थी। आईएमएफ और विश्व बैंक की अंतिम वार्षिक बैठक वाशिंगटन डीसी में 11-13 अक्टूबर, 2013 के दौरान आयोजित हुई थी। आईएमएफसी जो 24 आईएमएफ गवर्नर्स, मंत्रियों, या समतुल्य बैंक के अन्य कर्मचारियों से बनी एक परामर्शदाता निकाय है, की 28वीं बैठक 12 अक्टूबर, 2013 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुई थी।

6.13 भारत का कोटा और रैंकिंग

6.13.1 भारत का आईएमएफ में वर्तमान कोटा 2.44 की शेयरधारिता के साथ एसडीआर (विशेष आहरण अधिकार) 5821.50 मिलियन है। मतदाता हिस्से के आधार पर, 24 निर्वाचन क्षेत्रों की सूची में भारत (इसके निर्वाचन क्षेत्र के देशों नामतः बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के साथ) 17वीं रैंक पर है।

6.13.2 आईएमएफ पांच वर्षों में एक बार सदस्य देशों के कोटे की समीक्षा करता है और इस तरह की अंतिम समीक्षा दिसंबर, 2010 में की गई थी। भारत ने 2010 के समीक्षा के अधीन अपने कोटे में वृद्धि पर सहमति दे दी है और 2010 की कोटा समीक्षा प्रभावी होने के उपरांत भारत की कोटे में हिस्सेदारी 2.44 से बढ़कर 2.75 हो जाएगी जिससे भारत आईएमएफ में आठवां सर्वाधिक कोटा धारक देश बन जाएगा। 2010 की कोटा समीक्षा 2013 के दौरान प्रभावी होनी अपेक्षित थी। तथापि यह अभी लंबित है क्योंकि इसके प्रभावी होने के लिए शर्तें पूरी नहीं हुई हैं।

6.14 आईएमएफ की उधार व्यवस्थाओं में भारत की भागीदारी

6.14.1 यह कोष उधारी व्यवस्थाओं के माध्यम से अस्थायी तौर पर अपने कोटा स्ट्रोंतों की भी अनुपूर्ति करता है। जुलाई 2010 में, भारत ने उधारी के लिए नई व्यवस्था (एनएबी) हेतु अधिकतम 14 बिलियन अमरीकी डालर की प्रतिबद्धता व्यक्त की है जिसमें पूर्व के नोट क्रय करार (एनपीए) को जोड़ दिया गया है। यह प्रतिबद्धता भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये वचन पदों या प्रतिभूतियों के रूप में है जिन्हें आईएमएफ द्वारा आकस्मिक वित्तपोषण की स्थिति में जब और जैसे भी आहरित किया जा सकता है। 2010 की कोटा वृद्धि के प्रभावी होने के उपरांत भारत की एनएबी प्रतिबद्धता के 7.0 बिलियन अमरीकी डालर तक आने की संभावना है। ये नोट तबतक नकद खर्च का रूप नहीं ले सकते हैं जब तक की आईएमएफ भारत से इसकी अपील नहीं करता। 14 बिलियन अमरीकी डालर की अधिकतम प्रतिबद्धता में से वर्ष 2010 से अबतक, भारत पर लगभग 2 बिलियन अमरीकी डालर के दावे किये गये हैं। इन उधारियों को भारत की आरक्षित निधि के हिस्से के रूप में माना जाता है।

6.14.2 वर्तमान में चल रहे यूरोजोन आर्थिक संकट के परिदृश्य में, आईएमएफ ने आर्थिक संकट के निवारण और आईएमएफ के सभी सदस्यों की संभावित वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों को संवर्द्धित करने के लिए एक द्विपक्षीय उधारी कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है। आईएमएफ के कुल कोटे के तीन-पांचवें भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले 37 सदस्यों ने आईएमएफ के संसाधनों को 456 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाने के लिए अंशदान देने के प्रतिज्ञा की है। 19 जून, 2012 को आयोजित जी-20 देशों के लोस काबोस सम्मेलन में, ब्रिक्स देशों ने अपने अंशदानों की घोषणा की है जिसमें भारत, ब्राजील और रूस प्रत्येक द्वारा 10 बिलियन अमरीकी डालर और चीन द्वारा 43 बिलियन अमरीकी डालर तथा दक्षिण अफ्रीका द्वारा 2 बिलियन अमरीकी डालर की घोषणा शामिल है। आईएमएफ ने वचन दिया है कि इन नए संसाधनों को केवल तभी आहरित किया जाएगा जब कोटे के पहले ही उपलब्ध संसाधनों और मौजूदा उधारी व्यवस्थाओं का पर्याप्त रूप से उपयोग कर लेने के बाद सुरक्षा के दूसरे विकल्प के रूप में इनकी आवश्यकता हो। यदि आहरित कर लिए गए हों तो इन्हें ब्याज सहित लौटाया जाएगा।

6.14.3 यह स्पष्ट किया गया है कि कोटा संसाधन निधि वित्तपोषण के बुनियादी स्रोत बने रहेंगे और यह कि उधारी की भूमिका कोटा संसाधनों की अस्थायी रूप अनुपूर्ति करने की है। नया उधारी कार्यक्रम सदस्य देशों द्वारा वचन पत्रों के जारी करने पर आधारित है जोकि इन देशों की प्रतिभूतियां हैं जिनका आईएमएफ द्वारा आवश्यकता पड़ने पर नकदीकरण किया जा सकता है। ये नोट क्रय करार विशेष आहरण अधिकारों (एसडीआर) में मूल्यांकित किया जाता है और नकद/दुर्लभ मुद्रा को कोई भी खर्च तक अपरिहार्य नहीं होगा जब तक कि प्रतिभूतियों के हिस्से के नकदीकरण के लिए आईएमएफ द्वारा न कहा जाए। इसके अतिरिक्त, इन नोटों को जारी करने वाले देश की आरक्षित निधियों के हिस्से के रूप में माना जाता है। और इसलिए ये जारीकर्ता की आरक्षित निधियों की धारिता पर प्रभाव नहीं डालते।

6.14.4 इस उधार कार्यक्रम के लिए करार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ

परामर्श से अंतिम रूप दे दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक और आईएमएफ के बीच नोट क्रय करार पर 19.9.2013 को हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच 19 दिसंबर, 2013 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

6.14.5 आईएमएफ के करार के अनुच्छेदों के अनुच्छेद IV के तहत आईएमएफ सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए आमतौर पर प्रत्येक वर्ष सदस्यों के साथ द्विपक्षीय परिचर्चा करता है। अनुच्छेद IV परामर्श प्रायः दो चरणों में आयोजित किया जाता है। इस कवायद के दौरान आईएमएफ मिशन भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के विभिन्न संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के साथ चर्चा करता है। अनुच्छेद IV परामर्श वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ कार्यकारिणी बोर्ड की बैठक के साथ समाप्त होते हैं जो अनुच्छेद IV रिपोर्ट पर चर्चा करता है। भारत में आईएमएफ स्टॉफ के साथ वार्षिक अनुच्छेद IV परामर्श का अंतिम दौर 20-26 नवम्बर, 2013 के दौरान आयोजित किया गया।

6.15 वित्तीय लेन-देन योजना (एफटीपी):

6.15.1 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की वित्तीय लेन-देन योजना ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से यह कोष अपने सदस्यों को ऋण देने और पुनर्भुगतान करने संबंधी अपने प्रचालकों का वित्तपोषण सामान्य संसाधन खाते में करता है। कोष के सदस्य अपने कोटे के अनुसार निर्धारित सीमा के भीतर आईएमएफ से ऋण ले सकते हैं। आईएमएफ अपने सदस्यों को विदेशी मुद्रा और एसडीआर दोनों रूपों में ऋण देता है। विदेशी मुद्रा में दिए गए ऋण का वित्तपोषण आईएमएफ के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए कोटा संसाधनों से किया जाता है। इससे लेनदार लाभान्वित होता है क्योंकि उसकी स्थिति में संवर्द्धन होता है। जब ऋण एसडीआर में दिया जाता है तो आईएमएफ आरक्षित आस्तियों को सामान्य संसाधन खाते में अपनी स्वयं की एमडीआर धारिताओं के नाम पर आहरित करते हुए सीधे उधार लेने वाले सदस्य को हस्तांतरित कर देता है।

6.15.2 भारत आईएमएफ की सितंबर-नवंबर, 2012 की तिमाही से प्रभावी एफटीपी में भाग लेने के लिए सहमत हो गया है। एफटीपी में प्रभावी भागीदारी से भारत आईएमएफ का एक लेनदार देश बन गया है। इसके अधीन, भारत को एफटीपी के तहत क्रय (ऋण जारी करने) या पुनः क्रय (हमारे देनदार द्वारा ऋण की अदायगी) करने के लिए कहा गया है। एफटीपी में भागीदारी से, भारत दुर्लभ मुद्रा के लिए आईएमएफ को भारत के कोटा अंशदान के हिस्से के रूप में अपनी रुपये धारिताओं का नकदीकरण करने की अनुमति दे रहा है जिसे फिर आईएमएफ के देनदार अन्य सदस्य देशों को उधार दिया जाता है।

6.16 एशियाई विकास बैंक

6.16.1 भारत एशियाई विकास बैंक (एडीबी) का संस्थापक सदस्य है जिसे 1966 में स्थापित किया गया था। यह बैंक एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसके विकासशील सदस्य देशों (डीएमसी) की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहित करने में लगा हुआ है। एडीबी का

अधिकृत एवं अभिदत्त पूंजी स्टॉक 163.12 बिलियन अमरीकी डालर है जिसमें से भारत का अभिदान 10.3 बिलियन अमरीकी डालर है। भारत के पास कुल 672,030 शेयरों और 5.384 प्रतिशत मताधिकार के साथ शेयरों का 6.357 प्रतिशत है। अक्टूबर, 2013 में जीसीआई-V की चौथी किस्त के रूप में एडीबी को नकद में 17,295,198.68 अमरीकी डालर (प्रति अमरीकी डालर 61.5185 रु. की दर से 106,39,74,680/रु.) और 172,83,09,203/- रु. (प्रति अमरीकी डालर 66.62 रु. की दर से 25,942,798.02 की अमरीकी डालर के समकक्ष के वचनपत्र का भुगतान किया गया।

6.16.2 एडीबी बोर्ड द्वारा अक्टूबर, 2013 में पांच वर्ष की अवधि (2013 से 2017) को शामिल करते हुए भारत के लिए सीपीएस स्वीकृत किया गया। सीपीएस 2013-2017 का लक्ष्य 12वीं योजना के तहत परिकल्पित त्वरित, और अधिक सम्मिलित और स्थायी विकास के सरकार के सपने को सहायता देना है। स्वायत्त कार्यक्रमों के लिए सूचक संसाधन आवरण लगभग 2 बिलियन अमरीकी डालर प्रति वर्ष है। तकनीकी सहायता कार्यक्रम की राशि लगभग 8 मिलियन डालर प्रति वर्ष होगी। एडीबी के गैर-स्वायत्त कार्यक्रमों सीपीएस प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के समान होंगे और अवसंरचना और वित्तीय क्षेत्रों को सहायता देना जारी रखेंगे।

6.16.3 भारत ने 2-5 मई, 2013 के दौरान एडीबी की 46वीं वार्षिक बैठक नई दिल्ली में सफलतापूर्वक आयोजित की। वार्षिक बैठकें एडीबी की प्रशासनिक, वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी निर्देशों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एडीबी सदस्यों के गवर्नरों के लिए सांविधिक अवसर है। वार्षिक बैठक के विषय - 'सशक्तीकरण के माध्यम से विकास' - ने हितधारकों को विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार-विमर्श करने का एक अवसर प्रदान किया जो सभी के लिए व्यापक आधार वाले लाभों और अवसरों को प्राप्त करने में सहायता करेगा। ज्ञान साझा करने और साझेदारी घटना कार्यक्रम में विख्यात वक्ताओं ने भाग लिया और इसने विकास एवं आर्थिक विषयों के क्षेत्र में काफी अधिक रुचि और उत्साह पैदा किया। बैठक में सभी 67 सदस्य देशों से वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंक-संचालकों, नीति निर्माताओं, व्यापार नेताओं, नामी विद्वानों, सिविल सोसाइटी संगठनों और मीडिया सहित लगभग पांच हजार सहभागियों ने भाग लिया।

6.17 भारत के साथ एडीबी का पोर्टफोलियो

6.17.1 भारत के लिए एडीबी सहायता 1986 में शुरू हुई। औसत वार्षिक ऋण 1986-96 में 586 मिलियन डालर से बढ़कर 1997-2002 में 905 मिलियन डालर, 2003-07 में 1.094 बिलियन डालर, 2008-13 में लगभग 2 बिलियन डालर हो गया। 2241.5 मिलियन डालर की एडीबी सहायता को 2013 में निपटाया गया।

6.17.2 पिछले दशक में, एडीबी ने विद्युत, परिवहन और शहरी क्षेत्रों से परे वित्तीय समावेशन और सुस्थिर आजीविकाओं का सृजन (उदाहरण के लिए ग्रामीण सहकारी क्षेत्र, खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र एवं सूक्ष्म-लघु एवं मध्यम उद्यम); कौशल विकास, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन

पर ध्यान केंद्रित करते हुए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (सिंचाई के लिए सहायता, तटीय क्षेत्र प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण सहित); कृषि-व्यवसाय अवसंरचना विकास; और पर्यटन पर केंद्रित क्षेत्रों में कार्यकलापों का विस्तार किया है। एडीबी सहायता का विस्तार आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, ओडिशा, उत्तराखण्ड एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे राज्यों में भी किया गया है जो गरीबी, सामाजिक विकास के कम स्तर, खराब क्षमता और अपर्याप्त अवसंरचना के कारण लाचारी महसूस कर रहे हैं।

6.17.3 तकनीकी सहायता (टीए) कार्यक्रम ऋण कार्यक्रम के समान विकसित हुआ है। टीए सहायता का प्रयोग क्षमता निर्माण, परियोजना तत्परता और कार्यान्वयन में सुधार, सरकार की पीपीपी पहलों को सहायता देने तथा कार्यक्षेत्र अध्ययन और ज्ञान उत्पाद प्रारंभ करने के लिए किया जा रहा है। पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय संपर्क वाली सड़कों के लिए एशियाई विकास बैंक (देशीय आवंटन के अतिरिक्त) से 300 मिलियन अमरीकी डालर की पहली ट्रांश के साथ 500 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण को निपटाया गया। यह सामान्य देशीय आवंटन के अतिरिक्त होगा।

6.17.4 राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण का प्रबंध किया गया है। इसमें से 200 मिलियन अमरीकी डालर स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि (सीटीएफ) से लिए जायेंगे। सीटीएफ के अंतर्गत भारत के लिए यह पहला ऋण है। 150 मिलियन अमरीकी डालर की ये पहली ट्रांश के लिए जिसमें सीटीएफ से लिए गए 88 मिलियन अमरीकी डालर होंगे; ऋण का निपटारा पूरा कर लिया गया है।

6.18 पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि की योजना (एसएफयूआरटीआई)

6.18.1 134 मिलियन अमरीकी डालर की एडीबी ऋण सहायता के लिए एसएफयूआरटीआई परियोजना एडीबी को प्रस्तुत की गई है। एसएफयूआरटीआई योजना का उद्देश्य अधिक क्षेत्रीय समभिन्नता तथा परियोजना के बाद संप्रेषणीयता को सुनिश्चित करते हुए कारीगरों व अन्य हितधारकों की प्रभावी भागीदारी के जरिए सुदृढ़ संस्थागत प्रबंधों द्वारा भारत में पारंपरिक उद्योगों के 800 समूहों को विकसित करना है। इसका उद्देश्य समूहों को विकसित करना है ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धी, बाजार चालित, दक्ष बनाया जा सके, पारंपरिक कौशल/प्रौद्योगिकी को सुधारना है, प्रक्रियाओं, बाजार आसूचना तथा पीपीपी के नए मॉडलों को उन्नत बनाना है, ताकि ऐसे ही मॉडलों का अनुकरण किया जा सके।

6.19 आईआईएफसीएल के लिए पीसीजी सुविधा

6.19.1 एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा आईआईएफसीएल को आंशिक ऋण गारंटी (पीसीजी) सुविधा का उद्देश्य अवसंरचना परियोजना बांडों के समर्थन के लिए ऋण प्रोत्साहन उत्पाद को विकसित करना है। बांड्स पीपीपी औपचारिकता के जरिए विकसित अवसंरचना परियोजना एसपीबी द्वारा जारी विशेष रूप के बांड्स होंगे। इसका उद्देश्य परियोजना

बांड्स की रेटिंग को बढ़ाना है ताकि विनियमकारी मार्गनिर्देशों के अनुसार बीमा तथा पेंशन निधियों से वित्तपोषण को उत्तेजित किया जा सके। एडीबी पहले के प्रायोगिक लेनदेनों के लिए आईआईएफसीएल की आधारभूत परियोजना जोखिम के 50 प्रतिशत तक की गारंटी देगी। एडीबी की वचनबद्धता परियोजनाओं के प्राथमिक देय श्रम को प्रारंभ करने में आईआईएफसीएल की सहायता करने के लिए तथा आधारभूत ऋण जोखिम के मूल्य निर्धारण में सहायता करने के लिए है। जबकि आईआईएफसीएल एडीबी के साथ कार्य करके तथा आंतरिक क्षमता विकास पहलों, दोनों के द्वारा इन क्षेत्रों में इसकी क्षमता को बढ़ाता है।

6.19.2 आईआईएफसीएल ऋण वृद्धि योजना से संबंधित किसी मांग को पूरा करने के लिए भारत में 128 मिलियन अमरीकी डालर के आईएनआर संसाधन जुटाने के लिए एडीबी को अनुमति देने के लिए भारत सरकार की सहमति भी संप्रेषित कर दी गयी है।

6.20 टीएसएफ में अंशदान

6.20.1 एडीबी ने बाह्य वित्तीयन के प्रभावी प्रयोग को सुकर करने के लिए परियोजनाओं के निरूपण, डिजाइन और कार्यान्वयन में क्षमता निर्माण विकास के लिए विकासशील सदस्य देशों (डीएमसी) को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु तकनीकी सहायता विशेष निधि (टीएसएफ) की स्थापना की है। भारत 1970 से टीएसएफ में स्वैच्छिक रूप से अंशदान दे रहा है और 2012-13 तक 12.03 करोड़ रु. का अंशदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 1 करोड़ रु. का अतिरिक्त अंशदान किया जाएगा।

6.21 अफ्रीकी विकास बैंक

6.21.1 भारत 6 दिसम्बर, 1983 को अफ्रीकी विकास बैंक का सदस्य बना। भारत 1974 से अफ्रीकी विकास निधि में अंशदान कर रहा है। भारत ने अफ्रीकी विकास बैंक के 200 प्रतिशत सामान्य पूंजी वृद्धि - VI का अंशदान दिया जिससे बैंक की पूंजी 23.47 बिलियन यूए से 67.687 बिलियन यूए (यूए = खाते की इकाई, 1 यूए = 1 एसडीआर) हो गया। इसके फलस्वरूप, भारत को 97,630,000 यूए के पूंजीगत मूल्य के 9,763 नए शेयर (586 प्रदत्त एवं 9177 प्रतिदेय) आवंटित किए गए। भारत को 732500 यूए (10,94,003 अमरीकी डालर के बराबर) की आठ वार्षिक किस्तों का भुगतान करना है। इस संबंध में, तीसरी किस्त का भुगतान नवम्बर, 2013 में किया गया।

6.21.2 एडीएफ-12 तक निधि में भारत के अंशदान की राशि, एडीएफ में 0.180 प्रतिशत के मताधिकार के साथ 79,297,898 यूए है (सितम्बर, 2013 तक)। भारत एडीएफ की बहुपक्षीय ऋण राहत पहलों (एमडीआरआई) में भी योगदान देता है। 2006-2054 की सामूहिक अवधि में कुल प्रतिबद्ध राशि 14.11 मिलियन यूए है (1 यूए = 1 एसडीआर)। 2006-2014 के दौरान भारत की भागीदारी का 10.614 करोड़ रु. का भुगतान किया गया।

6.22 अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)

6.22.1 भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) के नौवें पुनर्भरण चक्र हेतु 30 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के अंशदान की वचनबद्धता की है। परिणामस्वरूप, वित्तवर्ष 2013-14 के दौरान 10 मिलियन अमरीकी डालर की दूसरी किस्त का भुगतान किया गया। वित्त वर्ष 2013-14 तक, आईएफएडी ने भारत के कम आय वाले राज्यों में कृषि, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला सशक्तिकरण, प्राकृतिक स्रोत प्रबंधन तथा ग्रामीण वित्त क्षेत्र में 26 परियोजनाओं में सहायता प्रदान की है। वित्त वर्ष 2013-15 के चालू कार्य निष्पादन आधारित आवंटन प्रणाली चक्र के अंतर्गत दो नई परियोजनाओं का चयन किया गया है।

6.23 एड्स, क्षयरोग और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक निधि (जीएफएटीएम)

6.23.1 भारत ने 2 दिसंबर, 2013 में आयोजित चौथे स्वैच्छिक पुनःपूर्ति सम्मेलन में एड्स, क्षयरोग और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक निधि (जीएफएटीएम) में अंशदान करने की प्रतिज्ञा की घोषणा की। वर्ष 2013 से 2016 तक आर्थिक कार्य विभाग के बजट में से 16.5 मिलियन अमरीकी डालर अंशदान किया जाएगा।

6.24 वैक्सीन और प्रतिरक्षण के लिए वैश्विक गठबंधन(जीएवीआई)

6.24.1 भारत वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक वैक्सीन और प्रतिरक्षण के लिए वैश्विक गठबंधन(जीएवीआई) में प्रतिवर्ष 1 मिलियन अमरीकी

डालर का अंशदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जो गरीबी देशों में प्रतिरक्षण की पहुंच को बढ़ाने के द्वारा बच्चों का जीवन बचाने तथा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध एक सरकारी निजी वैश्विक स्वास्थ्य भागीदारी है।

6.25 विविध

6.25.1 आर्थिक कार्य विभाग, योजना तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, एएफडीबी के कार्यकारी निदेशकों तथा सलाहकारों/वरिष्ठ सलाहकारों का पहला सम्मेलन एमआई प्रभाग द्वारा नई दिल्ली में दिनांक 21-22 अगस्त, 2013 को आयोजित किया गया है।

6.25.2 भारत ने नई दिल्ली में 9-10 सितंबर, 2013 के दौरान जीईएफ VI की दूसरी बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया। पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत ने जीईएफ पुनःपूर्ति बैठक की मेजबानी की। विकसित देश में आयोजित होने वाली यह प्रथम पुनःपूर्ति बैठक थी। भारत ने जीईएफ के प्रायोगिक चरण में 6 मिलियन अमरीकी डालर का तथा जीईएफ की 5 पुनःपूर्तियों में, प्रत्येक में 9 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान किया है।

6.25.3 वित्त वर्ष 2013-14 में, भारत ने दक्षिण-दक्षिण अनुभव आदान-प्रदान न्यास निधि में 500,000 अमरीकी डालर का अंशदान करने का निर्णय लिया है जिसका भुगतान दो समान किस्तों (प्रत्येक 1.36 करोड़ भारतीय रुपये की) में किया जाएगा। ऐसी पहली किस्त 27 नवम्बर, 2013 को विश्व बैंक को अदा की जा चुकी है।

अनुबंध - I

भारत में विश्व बैंक का पोर्टफोलियो

सारणी I: वर्ष 2013 में भारत में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का क्षेत्रवार पोर्टफोलियो निम्नानुसार है:

क्र. स.	सेक्टर	ऋणों की संख्या	मिलियन अमरीकी डालर	प्रतिशत(%)
1.	कृषि	8	1264.5	11%
2.	आपदा प्रबंधन	2	475	3%
3.	शिक्षा	3	1080	4%
4.	ऊर्जा	6	3603.4	8%
5.	पर्यावरण	6	1335.5	8%
6.	वित्त	3	582.4	4%
7.	स्वास्थ्य	6	1294.8	8%
8.	सिंचाई और जल	10	2826	13%
9.	पीआरआई	4	604	5%
10.	ग्रामीण विकास	8	2729.1	11%
11.	ग्रामीण जलापूर्ति	5	693.9	7%
12.	परिवहन	11	3464.3	14%
13.	शहरी	4	875.4	5%
	जोड़	76	20828.2	100%

सारणी 2: वर्ष 2013 के दौरान विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षरित परियोजनाओं की सूची:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	हस्ताक्षर की तारीख	आईबीआरडी की प्रतिबद्ध राशि (मिलियन डालर)	आईडीए की प्रतिबद्ध राशि (मिलियन डालर)	जोड़ (मिलियन डालर)
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना (अतिरिक्त वित्तपोषण)	21.01.2013	61.7	0.0	61.7
2.	कर्णाटक जलसंभर-II	11.02.2013	0.0	60.0	60.0
3.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सहायता परियोजना	18.06.2013	0.0	255.0	255.0
4.	केरल राज्य परिवहन परियोजना-II	19.06.2013	216.0	0.0	216.0
5.	बिहार पीआरआई	27.06.2013	0.0	84.0	84.0
6.	निम्न-आय आवास वित्त	14.08.2013	0.0	100.0	100.0
7.	यूपी जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना चरण-2 (क्रेडिट संख्या 5298-आई एन)	24.10.2013	0.0	360.0	360.0
8.	तमिलनाडु/पुडुचेरी आपदा जोखिम न्यूनीकरण	11.11.2013	0.0	236.0	236.0
जोड़			277.7	1095.0	1372.7

सारणी 3: वर्ष 2013 के दौरान निम्नलिखित ऋणों पर वार्तालाप हुआ:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वार्ता की तारीख	आईबीआरडी की प्रतिबद्ध राशि (मिलियन डालर)	आईडीए की प्रतिबद्ध राशि (मिलियन डालर)	जोड़ (मिलियन डालर)
1.	केरल राज्य परिवहन परियोजना-II	15.03.2013	216.0	0.0	216.0
2.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सहायता परियोजना	21.03.2013	0.0	255.0	255.0
3.	निम्न आय आवास वित्त	25.03.2013	0.0	100.0	100.0
4.	तमिलनाडु/पुडुचेरी आपदा जोखिम न्यूनीकरण	21.05.2013	0.0	236.0	236.0
5.	यूपी जल पुनर्संरचना-II	16.07.2013	0.0	360.0	360.0
6.	राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर-सम्पर्कता	26.09.2013	500.0	0.0	500.0
7.	राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण	18.09.2013	0.0	160.0	160.0
8.	उत्तराखंड आपदा सुधार परियोजना	03.10.2013	0.0	250.0	250.0
9.	द्वितीय गुजरात राज्य राजमार्ग योजना	01.11.2013	175.0	0.0	175.0
10.	निम्न आय वाले राज्यों के लिए आरडब्ल्यूएसएस	18.11.2013	0.0	500.0	500.0
11.	बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना	21.11.2013	0.0	84.0	84.0
जोड़			891.0	1945	2836

भारत के साथ एडीबी का पोर्टफोलियो
सारणी 4: भारत में एडीबी का सेक्टर-वार पोर्टफोलियो

सेक्टर	ऋणों की संख्या	मिलियन अमरीकी डालर	%
कृषि, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन	5	216.86	2.59
ऊर्जा	22	3297.22	39.36
वित्त तथा सरकारी क्षेत्र प्रबंधन	7	1190.00	14.21
परिवहन तथा संचार	9	2234.00	26.66
शहरी विकास तथा बहु क्षेत्र	20	1439.00	17.18
जोड़	63	8377.08	100.00

सारणी 5: वर्ष 2013 के दौरान एडीबी के साथ हस्ताक्षरित नए ऋण निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ऋण (मि. अमेरिकी डालर)	हस्ताक्षर करने की तारीख	समापन तारीख
1.	एलएन-2797 उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम-परियोजना-2 (350 मि. अमरीकी डालर के एमएफएफ का भाग)	100	31/01/2013	31/12/2015
2.	एलएन-2861 बिहार शहरी विकास निवेश कार्यक्रम परियोजना-1 (200 मि. अमरीकी डालर के एमएफएफ का भाग)	65	25/03/2013	30/06/2017
3.	एलएन-2881 शहरी विकास निवेश कार्यक्रम परियोजना-1 (200 मि. अमरीकी डालर के एमएफएफ का भाग)	252	02/04/2013	30/06/2015
4.	एलएन-2925- जम्मू व कश्मीर शहरी क्षेत्र निवेश कार्यक्रम (परियोजना-2) (300 मि. अमरीकी डालर के एमएफएफ का भाग)	110	16/05/2013	31/03/2017
5.	एलएन-2924- उत्तराखंड विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम ट्रंश-4 (300 मि. अमरीकी डालर के एमएफएफ का भाग)	150	04/06/2013	30/09/2015
6.	एलएन-2882- उत्तरी कर्णाटक शहरी क्षेत्र निवेश कार्यक्रम (परियोजना-3) (270 मि. अमरीकी डालर के एमएफएफ का भाग)	60	19/07/2013	31/12/2015
7.	एलएन-2894 बिहार राज्य राजमार्ग-II परियोजना - अतिरिक्त वित्तपोषण	300	12/08/2013	30/09/2017
8.	एलएन-3040- उत्तराखंड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम परियोजना-3 (550 मि. अमरीकी डालर के एमएफएफ का भाग)	150	24/12/2013	30/06/2017

सारणी 6: वर्ष 2013 के दौरान एडीबी से निम्नलिखित ऋणों पर वार्ता हुई थी:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	नियमित/एमएफएफ राशि (मिलियन डालर)	नियमित/पीएफआर राशि (मिलियन डालर)
1.	राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा पारेषण निवेश कार्यक्रम	300.0	62.0
2.	मध्य प्रदेश पारेषण तथा वितरण प्रणाली सुधार परियोजना	350.0	350.0
3.	मेघालय में मानव पूंजी विकास को सहायता	100.0	100.0
4.	त्वरित अवसंरचना निवेश सुविधा	700.0	400.0
5.	जयपुर मेट्रो रेल लाईन 1- फेज ख परियोजना	176.0	176.0
6.	कलकत्ता पर्यावरण सुधार निवेश कार्यक्रम	400.0	100.0
7.	हिमाचल प्रदेश स्वच्छ उर्जा पारेषण निवेश कार्यक्रम ट्रंश 2		110.0
8.	उत्तर पूर्वी राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम ट्रंश 2		125.2
9.	ग्रामीण संपर्क निवेश कार्यक्रम ट्रंश 2		275.0
10.	उत्तरी कर्णाटक शहरी क्षेत्र निवेश कार्यक्रम ट्रंश 4		63.3
11.	उत्तराखंड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम ट्रंश 3		150.0
12.	रेलवे क्षेत्र निवेश कार्यक्रम - ट्रंश 2		130.0
13.	उत्तराखंड आपातकाल सहायता परियोजना	200.0	200.0
	जोड़	2,226.0	2,241.5

सारणी 7: वर्ष 2013 में आईएफएडी के साथ हस्ताक्षरित परियोजनाओं की सूची:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	हस्ताक्षर की तारीख	आईएफएडी की प्रतिबद्ध राशि (मिलियन डालर)	जोड़ (मिलियन डालर)
1.	झारखंड जनजातीय विकास परियोजना	4 अक्टूबर, 2013	51.0	51.0
	जोड़		51.0	51.0

सारणी 8: दिनांक 30 नवंबर, 2013 को चल रही तकनीकी सहायता का सेक्टर-वार बंटवारा निम्नानुसार है:

सेक्टर	टीए की संख्या	हजार अमरीकी डालर	%
कृषि, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन	5	7,090.0	10.3
शिक्षा	3	3,325.0	4.8
ऊर्जा	16	12,010.0	17.4
वित्त	3	4,350.0	6.3
बहुक्षेत्र	5	5,075.0	7.4
पीपीपी	5	8,300.0	12.0
सरकारी क्षेत्र प्रबंधन	2	990.0	1.4
परिवहन	16	18,250.0	26.4
शहरी	9	9,650.0	14.0
जोड़	64	69,040.0	100.0

7. बहुपक्षीय संबंध प्रभाग

7.1 जी 20:

7.1.1 जी20 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान प्रमुखता से उभरा, जब इसने अंतर्राष्ट्रीय संकट के दौर में सहयोग व समन्वय में काफी अधिक प्रभावी भूमिका अदा की। 1 दिसंबर, 2012 को रूस ने मैक्सिको से जी20 की प्रेसीडेंसी हासिल की। रूसी प्रेसीडेंसी के तहत आर्थिक विकास के नए चक्र के आरंभ में ये तीन प्राथमिकताएं थीं: क) गुणवत्तापरक नौकरियों व निवेश के माध्यम से विकास; ख) विश्वास और पारदर्शिता के माध्यम से विकास; ग) प्रभावी नियमन के माध्यम से विकास।

7.1.2 आस्ट्रेलिया ने रूस से जी20 की प्रेसीडेंसी 1 दिसंबर, 2013 को हासिल की। 2014 में आस्ट्रेलिया जी20 की प्रेसीडेंसी में नेताओं के विचार-विमर्श के बिंदु निम्न प्रमुख विषयों के इर्द-गिर्द ही रहेंगे: क) प्रबल आर्थिक विकास और रोजगार को प्रोत्साहित करना, और (ख) भावी आघातों का सामना करने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था को और अधिक लचीला बनाना। जहां तक जी20 विकास एजेंडे का संबंध है, आस्ट्रेलियाई प्रेसीडेंसी के तहत जी20 में ऐसे अर्थोपायों को संबोधित किया जाएगा जिससे रोजगार के अवसरों को सृजित करने के लिए आर्थिक नीतियां और श्रम बाजार की नीतियां एक साथ मिलकर कार्य कर सकें। आस्ट्रेलियाई प्रेसीडेंसी के तहत ऊर्जा सातत्य के संबंध में सेंट पीटर्सबर्ग में जी20 नेताओं द्वारा अनिवार्य किया गया कार्य जारी रहेगा।

7.1.3 भारत और कनाडा ढांचा कार्यसमूह, जी20 के सिग्नेचर प्रयास (एफडब्ल्यूजी) के सह-अध्यक्ष बने रहेंगे और ये देशों द्वारा विकास की कार्यनीतियां बनाने और उनके समन्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इसके अलावा, रिजर्व मुद्रा निर्गमित करने वाले देशों द्वारा मौद्रिक नीति में बदलाव करते समय वैश्विक वित्तीय संबंधों पर विचार करने के महत्व पर भी जोर दिया जाएगा। भारत यह सुनिश्चित कराने में अग्रणी रहा है कि अवसंरचना को जी20 द्वारा विकास का केन्द्र बिन्दु माना जाए। वर्ष 2014 में जी20 डी डब्ल्यू जी अवसंरचना एजेंडे संबंधी कार्य भारत के लिए विशेष तौर पर अनिवार्य हो गया है। चूंकि भारत डीडब्ल्यूजी में कोरिया के साथ एजेंडे पर कार्य करेगा। भारत यह भी आशा करता है कि आस्ट्रेलियाई प्रेसीडेंसी के तहत निवेश और अवसंरचना कार्यसमूह एमडीबी के संसाधनों में बढ़ोत्तरी करने में सक्षम होगा और वैश्विक बचतों को अवसंरचना संबंधी निवेशों में पुनर्निवेशित कर सकेगा।

7.2 बीआरआईसीएस:

7.2.1 वित्तीय क्षेत्र में बीआरआईसीएस सहयोग के तहत विभिन्न कार्यवाहियां प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं, जिसमें से बीआरआईसीएस नए विकास बैंक की स्थापना, और बीआरआईसीएस आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था महत्वपूर्ण हैं। जुलाई, 2014 में ब्राजील में आयोजित अगली बीआरआईसीएस शीर्ष बैठक में इन दोनों कार्यवाहियों पर मूर्त परिणामों की अपेक्षा है। ब्रिक्स के नए विकास बैंक के मुख्य सिद्धांतों व तकनीकी विशेषताओं के साथ समझौता करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है जहां इस बात पर सहमति बनी कि बीआरआईसीएस बैंक में बीआरआईसीएस देशों से आरंभ में 50 बिलियन अमेरिकी डालर की पूंजी का अंशदान होगा। बीआरआईसीएस आकस्मिक रिजर्व का शुरुआती आकार 100 बिलियन अमेरिकी डालर होगा। सीआरए में एकल देश के कमिटमेंट्स निम्नानुसार होंगे: चीन 41 बिलियन अमेरिकी डालर, भारत और रूस- 18 बिलियन अमेरिकी डालर, प्रत्येक; और दक्षिण अफ्रीका- 5 बिलियन अमेरिकी डालर। बीआरआईसीएस के तहत अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं: क) बीआरआईसीएस

पुनः बीमा उपाय; ख) बीआरआईसीएस कर और सीमा शुल्क सहयोग।

7.3 यूएनडीपी:

7.3.1 यूएनडीपी में भारत का वार्षिक अंशदान 4.5 मिलियन अमेरिकी डालर तक रहा है, जो विकासशील देशों से सबसे अधिक है। यूएनडीपी संसाधनों के देश-विनिर्धारित आवंटन, देश सहयोग ढांचा (सीसीएफ) के तहत प्रत्येक पांच वर्ष में किए जाते हैं, जो आमतौर पर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से मेल खाता है। दिनांक 1.3.2013 को यूएनडीपी और एमआर-रूज अनुभाग के बीच हस्ताक्षरित नए देश कार्यक्रम (सीपी) में चार यूएनडीएफ परिणामों नामतः क) समावेशी वृद्धि और गरीबी उन्मूलन; ख) जनतांत्रिक शासन; ग) स्थिर विकास; घ) लैंगिक समानता और समावेशन पर ध्यान दिया जाएगा। वर्तमान देश कार्यक्रम (सीपी):2013-17, 12 वीं पंचवर्षीय योजना से मेल खाता है जिसमें समावेशी विकास पर जोर दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से लक्ष्यों नामतः जनतांत्रिक शासन; गरीबी हटाने; एचआईवी और लैंगिक समानता व समावेशन; आपदा जोखिम प्रबंधन और ऊर्जा तथा पर्यावरण पर ध्यान दिया गया है जिसमें उन नौ राज्यों पर फोकस किया गया है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं: बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। भारतीय देश कार्यक्रम 2013-2017 के लिए कुल संसाधन आवंटन 243.4 मिलियन अमेरिकी डालर है। वर्ष 2013 के दौरान कुल 18 परियोजनाएं अनुमोदित की गईं।

7.4 सार्क:

7.4.1 सार्क अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह की छठी बैठक 23-24 अप्रैल, 2013 को काठमांडु में आयोजित की गई थी। इस बैठक में सरकारी ?ण प्रबंधन संबंधी प्रगति और दक्षिण एशिया के पूंजी बाजारों के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में सार्क देशों को 2 बिलियन अमेरिकी डालर के योगदान के साथ एसडब्ल्यूएपी एपी व्यवस्था के इस के प्रस्ताव के लिए भारत की सराहना की गई।

7.4.2 15वीं सार्क विकास निधि बैठक 27-29 मई, 2013 को थिम्पू, भूटान में आयोजित की गई थी और 26-27 अगस्त, 2013 को कोलम्बो में तथा 3-5 दिसम्बर 2013 को काबुल में आयोजित की गई। सार्क देशों में सामाजिक क्षेत्र में 9 परियोजनाओं के लिए लगभग 60 मिलियन अमेरिकी डालर दिए गए हैं। 2013-14 में स्वीकृत नई परियोजनाओं में शामिल हैं: (i) पुनर्वास विज्ञान में सार्क प्रादेशिक अंतर-व्यावसायिक मास्टर कार्यक्रम, (ii) सार्क के सदस्य राज्यों में महिलाओं व बच्चों के लिए टोल फ्री हैल्पलाइन (iii) सार्क देशों में चुनिंदा क्षेत्रों में वाटर, सैनिटेशन एण्ड हाइजीन (वॉश) का सुदृढीकरण। 2014-15 से एसडीएफ की अवसंरचना और आर्थिक विंडो को चालू करने का निर्णय लिया गया है। एसडीएफ की भावी कार्यनीति पर विचार-विमर्श के लिए एसडीएफ की चिंतन कार्यशाला 12-14 फरवरी, 2014 को दिल्ली में आयोजित की गई।

7.4.3 सार्क वित्त मंत्रियों की छठी बैठक और सार्क वित्त सचिवों की छठी बैठक, तीसरी एसडीएफ गवर्निंग परिषद की बैठक के साथ 29 से 30 अगस्त, 2013 को कोलम्बो में आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारत द्वारा लागू मुद्रा हेतु स्वैप व्यवस्था की प्रशंसा की गई और यह देखने में आया कि भूटान ने इस व्यवस्था के तहत पहले ही 100 मिलियन अमेरिकी डालर के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें एसएएफटीए के तहत अंतर-सार्क व्यापार प्रवाह में बढ़ोत्तरी करने, अंतर-प्रादेशिक दीर्घावधिक निवेश बढ़ाने निवेश को बढ़ावा व सुरक्षा संबंधी प्रारूप सार्क करार को अंतिम रूप देने और "सार्क में प्रादेशिक आर्थिक एकीकरण,

वर्तमान इसकी सीमा में और आगे विस्तार की सिफारिशों” संबंधी अध्ययन के प्रथम चरण संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

8. सहायता लेखा और लेखा-परीक्षा प्रभाग (एएएडी)

8.1 प्रस्तावना

सहायता लेखा और लेखा-परीक्षा प्रभाग आर्थिक कार्य विभाग के विदेशी वित्त स्कंध का अंग है। विभिन्न बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दाताओं से भारत सरकार को प्राप्त विदेशी ऋणों/अनुदानों से संबंधित बैंक आफिस के कार्य इस प्रभाग द्वारा निपटाए जा रहे हैं। इस प्रभाग द्वारा निपटाए जाने वाले प्रमुख कार्यकलापों में परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरणों से प्राप्त दावों पर कार्रवाई, विभिन्न दाताओं से निधियों के आहरण द्वारा कमी की व्यवस्था, भारत-सरकार की ऋण शोधन देयता का समय पर निर्वहन करना शामिल है। इसके अलावा, इस प्रभाग का दायित्व ऋण-रिकार्ड, विदेशी ऋण सांख्यिकी का रखरखाव, विभिन्न प्रबंध सूचना रिपोर्टों का संकलन, विदेशी सहायता विवरणिका का वार्षिक आधार पर प्रकाशन, विदेशी सहायता प्राप्ति और ऋण शोधन के अनुमानों को तैयार करना है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग विदेशी व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) के तहत निर्यात संवर्धन हेतु कार्यालयों द्वारा जारी निर्यात लाइसेंसों की लेखा-परीक्षा करता है। यह प्रभाग विदेशी सहायता से संबंधित अपने कार्यों के लिए 2007 से आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित है।

8.2 वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान निष्पादन/उपलब्धियां

वित्त वर्ष 2011-2012 के दौरान ऋण/क्रेडिट के रूप में सरकारी खाते में विदेशी प्राप्ति 22,836.99 करोड़ रुपये हैं जबकि नकद अनुदान के रूप में सहायता 2,872.14 करोड़ रुपये थी। 2012-13 के दौरान ऋण शोधन भुगतान मूलधन अदायगी के खाते में 16,107.59 करोड़ रुपए, ब्याज अदायगी के खाते में 3926.36 करोड़ रुपए और वचनबद्धता प्रभारों के लिए 92.95 करोड़ रुपए के लिए गए हैं।

8.3 वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान निष्पादन/उपलब्धियां

चालू वित्त वर्ष 2013-14 में (01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक) में विदेशी ऋण/क्रेडिट की प्राप्ति 24,775.54 करोड़ रुपये है और नकद अनुदान सहायता 3,330.49 करोड़ रुपये थी। 2013-14 के दौरान ऋण शोधन भुगतान मूलधन अदायगी के खाते में 18,124.30 करोड़ रुपए, ब्याज अदायगी के खाते में 3762.26 करोड़ रुपए और वचनबद्धता प्रभारों के लिए 117.32 करोड़ रुपए के लिए गए हैं।

8.4 ई-गवर्नेंस

8.4.1 सहायता लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग के कार्यकलापों को अप्रैल, 1999 से पूर्णतया कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। “एकीकृत कंप्यूटरीकृत प्रणाली (आईसीएस)” नामक साफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसमें ऋण चक्र अर्थात् प्राप्ति और भुगतान के लिए विदेशी सहायता हेतु अनुमान तैयार करने, वार्षिक विदेशी सहायता पुस्तिका तैयार करने, दावों की प्रक्रिया, ऋण के पुनः भुगतान और ऋण रिकार्ड रखने के सभी कार्यकलाप कवर किए जाते हैं। संसद प्रश्नोत्तर आदि के उत्तरों की तैयारी के लिए अधिक चयन के विकल्प का प्रयोग करते हुए इनपुट/डाटा प्रदान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2013-14 में प्रणाली को अद्यतन किया गया है।

8.4.2 आर्थिक कार्य विभाग के ऋण प्रभागों, राज्य सरकारों, परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरणों, दाताओं, आम जनता व हितधारकों आदि के लाभार्थ इस प्रभाग में विभिन्न कार्यकलापों की प्रास्थिति सहित प्राप्त हुई विदेशी सहायता और किए गए भुगतान संबंधी आंकड़ों के प्रसार के लिए एक व्यापक वेबसाइट <http://aaad.gov.in> प्रचालन में है। इस वेबसाइट

को दैनिक आधार पर अद्यतन किया जाता है। इस वेबसाइट पर विदेशी सरकारी उधारों के संबंध में संवितरित और बकाया ऋणों पर भी जानकारी ली जा सकती है। इस प्रभाग द्वारा प्रकाशित वार्षिक विदेशी सहायता पुस्तिका की साफ्ट कॉपियां किसी भी हितधारक द्वारा संदर्भ के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध है।

8.4.3 इस प्रभाग ने विभिन्न पीआईए से दावों के आहरण द्वारा कमी को स्वीकार तथा प्रस्तुत करने/भेजने के लिए ई-गवर्नेंस की पहल की है। जहां कहीं पीआईए को ई-दावे करने के लिए साफ्टवेयर सहायता उपलब्ध करा दी गई है, वे इस विभाग को ई-दावे (विश्व बैंक और एडीबी दावे) प्रस्तुत करते हैं। ई-दावों, एसओई/अंतरित अप्रयुक्त वित्तीय रिपोर्ट के मामले में पीआईए के दावे इस विभाग में स्वीकार किए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप समय/पारगमन के हानि से बचा गया और शीघ्र संवितरण हुए। इस प्रभाग में विश्व बैंक से जुड़े हुए दावे विश्व बैंक साफ्टवेयर/क्लाइंट से जमा किए जाएंगे। सात दिनों के अन्दर विश्व बैंक द्वारा दावों के संवितरण में 70% से 90% सुधार हुआ है और ई-संवितरण के अंतर्गत प्राप्त सूचना (अथवा श्रेणी वार व्यय, पूर्व समीक्षा अनुबंध का ब्यौरा) ई-संवितरण के कार्यान्वयन से पहले की तुलना में अधिक विस्तृत हुई है।

8.4.4 पीआईए के अधिकारियों/स्टाफ को अवगत कराने के लिए आवधिक रूप में प्रभाग द्वारा ई-प्रस्तुतीकरण के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। 2013-14 के दौरान विभिन्न पीआईए के 20 अधिकारियों/स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। इस प्रभाग द्वारा की गई पहलों के परिणामस्वरूप 360 दावे वित्त वर्ष 2013-14 में प्राप्त हुए हैं।

8.5 सेवा सुपुर्दगी में मानक और सुधार

8.5.1 इस प्रभाग की सभी गतिविधियां श्रेणीबद्ध ढंग से आयोजित की जाती हैं तथा प्रत्येक स्तर पर समयावधि के संदर्भ में उनको पूरा करने के लिए मानक परिभाषित किए गए हैं। निर्धारित मानक सघन निगरानी में रखे हैं। इस प्रभाग के उपयोगकर्ता सुपरिभाषित हैं तथा उनके तीन बड़े समूह हैं अर्थात् पीआईए, निधियन ऐजेंसियां तथा अन्य हित धारक हैं। इन समूहों को दी जाने वाली सेवा भी सुपरिभाषित है अर्थात् ऋणों/अनुदानों का सुचारु और शीघ्र संवितरण, समयबद्ध ऋण शोधन तथा जब कभी जरूरत पड़े, तो प्रबंधन सूचना प्रदान करना।

8.5.2 आईएसओ प्रणाली के भाग के रूप में सभी अनुभाग प्रमुखों के साथ तिमाही प्रबंधन समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं जहां निष्पादन की रणनीतिक रूप से समीक्षा की जाती है और सेवा सुपुर्दगी मानकों के रख रखाव/सुधार के तरीकों/सुझावों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

8.5.3 निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण सेवा सुपुर्दगी को सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त प्रणाली अपनाई जा रही है।

8.6 निर्यात संवर्धन के अंतर्गत लेखा-परीक्षा

सहायता लेखा और लेखापरीक्षा नियंत्रक का कार्यालय विभिन्न स्थाओं पर स्थित विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी निर्यात लाइसेंसों की लेखा परीक्षा करता है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 23 क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित कुल 55601 फाइलों की लेखापरीक्षा की गई तथा 2939 लेखापरीक्षा ज्ञापन जारी किये गये। इस कार्यालय द्वारा किए गए लेखापरीक्षा अवलोकनों के आधार पर डीजीएफटी के कार्यालयों द्वारा इस अवधि के दौरान 13.30 करोड़ की राशि वसूल की गई है।

9. प्रशासन प्रभाग

9.1 कार्य

9.1.1 प्रशासन प्रभाग, विभाग के कार्मिकों एवं कार्यालय प्रशासन, सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन, सहायता-अनुदान, लोक शिकायतों के निवारण, अधिकारियों के प्रशिक्षण, अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची, महिला कर्मचारी यौन-उत्पीड़न संबंधी शिकायत समिति आदि के लिए उत्तरदायी है।

9.2 कर्मचारियों की संख्या

9.2.1 आर्थिक कार्य विभाग और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/सांविधिक निकायों तथा इनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों तथा निःशक्त व्यक्तियों की संख्या क्रमशः अनुबंध-I एवं अनुबंध-II में दी गई है।

9.3 सहायता-अनुदान

9.3.1 1.1.2013 से 31.3.2014 की अवधि के दौरान, आर्थिक कार्य विभाग ने 07 संस्थाओं को ₹3820 लाख का सहायता-अनुदान स्वीकृत किया। ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।

9.4 महिला कर्मचारी यौन-उत्पीड़न संबंधी शिकायत समिति

9.4.1 कार्य स्थल पर महिला कर्मचारी के यौन-उत्पीड़न से संबंधित विशाखा मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 13 अगस्त, 1997 के निर्णय के अनुसरण में, आर्थिक कार्य विभाग में महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार करने के लिए एक शिकायत निवारण समिति काम कर रही है।

9.4.2 समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से की जाती रही हैं। इसकी पिछली बैठक 28.3.2014 को आयोजित की गई।

9.5 कर्मचारी सदस्यों का प्रशिक्षण

9.5.1 आर्थिक कार्य विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) और अन्य संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए अपने कर्मचारियों को भेजता है ताकि उनके काम की गुणवत्ता में उनकी क्षमता के अनुरूप और सुधार लाया जा सके। 1.1.2013 से 31.3.2014 की अवधि के दौरान, इस विभाग के कुल 58 कर्मचारियों को सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), नई दिल्ली में चल रहे संवर्ग प्रशिक्षणों और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजा गया था।

9.6 अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची

9.6.1 1 जनवरी, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के दौरान, अभिलेखों की पुनरीक्षा और छंटाई करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान के दौरान, कुल 2261 फाइल नष्ट की गई।

9.7 लोक शिकायतों का निवारण

9.7.1 एक केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण तंत्र सरकार में पहले से ही काम कर रहा है। यह अनेक मंत्रालयों/विभागों से संबंधित सभी लोक शिकायतों को देखता है। वर्ष 2014 के दौरान, गत वर्ष के 322 मामलों के अतिरिक्त, विभाग में 124 नयी लोक शिकायतें प्राप्त

हुई। इन 446 मामलों में से, 106 मामले इस वर्ष निपटाए गए।

9.7.2 संयुक्त सचिव (एबीसी) को विभाग के लोक शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। पीजीआरएम पोर्टल (<http://pgportal.gov.in/>). पर उनके संपर्क विवरण की जानकारी उपलब्ध है।

9.8 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

9.8.1 आर्थिक कार्य विभाग ने, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अधीन सूचना के प्रसार को सुसाध्य बनाने के लिए, निम्नलिखित कार्रवाई की है:

- (i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्त होने वाले आवेदनों को एकत्रित करने तथा उन्हें संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारियों के पास भेजने के लिए, तथा आरटीआई आवेदनों/अपीलों की प्राप्ति एवं निस्तारण के संबंध में त्रैमासिक विवरणियां केंद्रीय सूचना आयोग को प्रस्तुत करने के लिए आरटीआई प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है;
- (ii) विभाग के कार्यों तथा उन्हें करने वाले अधिकारियों आदि का ब्यौरा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (www.finmin.nic.in) के आरटीआई पोर्टल पर डाल दिया गया है जैसा कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अधीन अपेक्षित है;
- (iii) इस अधिनियम की धारा 5(1) के अधीन सभी अवर सचिव/उप निदेशक स्तर के अधिकारियों को उनसे संबंधित विषयों के लिए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में निर्दिष्ट किया गया है;
- (iv) इस अधिनियम की धारा 19(1) के अनुसार, सभी उप सचिवों/निदेशकों को उनके अधीन कार्यरत और सीपीआईओ के रूप में निर्दिष्ट अवर सचिवों/उप निदेशकों के बारे में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी निर्दिष्ट किया गया है;
- (v) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदनों की प्राप्ति को सहज बनाने के लिए, विभाग के द्वार सं.8 के सुविधा काउंटर पर आवेदनों को प्राप्त करने हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस प्रकार प्राप्त हुए आवेदनों को आरटीआई अनुभाग द्वारा संबंधित सीपीआईओ/लोक प्राधिकारियों के पास कार्रवाई हेतु भेजा जाता है; और
- (vi) जनवरी, 2013 से दिसम्बर, 2013 के दौरान, विभाग में 1555 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1292 को निपटाया गया और 263 लंबित हैं। 82 अपील प्राप्त हुई, जिनमें से 34 को निपटाया गया और 48 लंबित हैं। जनवरी, 2014 से मार्च, 2014 के दौरान 554 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 463 निपटाए गए और 91 लंबित हैं। 40 अपील प्राप्त हुई जिनमें से 8 अपील निपटाई गई एवं 32 लंबित हैं।

9.9 सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग

9.9.1 सभी दस्तावेज संसद में द्विभाषिक उपलब्ध कराए गए। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) और इसके अधीन बनाए

गए राजभाषा नियम का नियम 5, 1976 तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी अन्य अनुदेशों का पूरी तरह अनुपालन किया गया। वर्ष के दौरान, सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभाग ने अनेक कदम उठाए:

- i. राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम विभाग के सभी संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों/सभी प्रभागों/अनुभागों को उपलब्ध कराया गया और इसमें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए गए;
- ii. आर्थिक कार्य विभाग (वित्तीय सेवा विभाग सहित), वित्त मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक 26 जून, 2013 को तत्कालीन माननीय वित्त राज्यमंत्री (व्यय व वित्तीय सेवा) की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया;
- iii. सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने में अधिकारियों व कर्मचारियों की हिचक दूर करने और उन्हें भारत सरकार की राजभाषा नीति संबंधी नियमों और अन्य निर्देशों की जानकारी देने के लिए हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं;
- iv. माननीय वित्त मंत्री ने 14 सितम्बर, 2013 को हिंदी दिवस के पुनीत अवसर पर अपने 'संदेश' में वित्त मंत्रालय और इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों से सरकारी कामकाज हिंदी में करने की अपील की;
- v. विभाग में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु सितम्बर, 2013 माह के 'हिंदी माह' के रूप में मनाया गया;
- vi. आर्थिक विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत लेखकों को प्रथम पुरस्कार ₹50,000/-, द्वितीय पुरस्कार ₹40,000/-, तथा तृतीय पुरस्कार ₹30,000/- दिए जाते हैं। यह पुरस्कार योजना इस वर्ष भी जारी है;
- vii. विभाग की वेबसाइट द्विभाषी है। अन्य सामग्री के साथ-साथ सभी बजट दस्तावेज, आर्थिक समीक्षा व अन्य प्रकाशन तथा महत्वपूर्ण परिपत्र आदि अंग्रेजी व हिंदी में साथ-साथ अपलोड किए जाते हैं;
- viii. संसदीय राजभाषा समिति ने, राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लेने के लिए, प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद का निरीक्षण किया। समिति को दिए गए आश्वासनों पर कार्यवाई की गई।
- ix. राजभाषा अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा वार्षिक कार्यक्रम और राजभाषा से संबंधित आदेशों और अनुदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग के कुछ अनुभागों तथा इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों का निरीक्षण किया गया; और
- x. विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित

रूप से आयोजित की गई और इनमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई तथा दिए गए सुझावों पर समुचित कार्यवाई की गई।

9.10 वित्त पुस्तकालय एवं प्रकाशन अनुभाग

9.10.1 वित्त पुस्तकालय और प्रकाशन अनुभाग की स्थापना 1945 में हुई। वित्त पुस्तकालय मंत्रालय में केन्द्रीय अनुसंधान और संदर्भ पुस्तकालय के रूप में कार्य करता है तथा मंत्रालय के सभी विभागों के अधिकारियों, समय-समय पर गठित की गई तदर्थ समितियों और आयोगों तथा भारत एवं विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोध छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह पुस्तकालय मंत्रालय के प्रकाशन अनुभाग के रूप में भी कार्य करता है और भारत तथा विदेशों में विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों की मांग पर सरकारी दस्तावेजों को उपलब्ध कराने व वितरण में समन्वय स्थापित करता है।

9.10.2 वित्त पुस्तकालय को व्यय विभाग के तारीख 24 जुलाई, 1990 के का.ज्ञा.सं. 19(1) आईसी/85 के आधार पर श्रेणी-III पुस्तकालय के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। पुस्तकालय के सभी पद संवर्ग-बाह्य पद हैं।

9.11 संग्रह

9.11.1 पुस्तकालय में आर्थिक और वित्तीय मामलों पर दो लाख से अधिक दस्तावेजों का विशिष्ट संग्रह है और इसमें प्रतिवर्ष 800 से अधिक पीरियोडिकल/समाचार-पत्र मंगाए जाते हैं और Indiatat.com और Agriwatch डाटाबेस उपलब्ध हैं। जेएसटीओआर के माध्यम से ई-जर्नल और बैक-फाईल्ड कलेक्शन तक पहुँच भी उपलब्ध है।

9.12 इलैक्ट्रानिक संसाधन

9.12.1 इलैक्ट्रानिक संसाधन में निम्नलिखित सीडी-रोम डाटाबेस शामिल हैं:

- डीडीओ नियम - पुस्तिका
- डीजीसीआईएंडएस - भारत के विदेशी व्यापार संबंधी आंकड़े
- डीजीसीआईएंडएस - भारत के विदेशी व्यापार संबंधी सांख्यिकी
- डीजीसीआईएंडएस - भारत के विदेशी व्यापार के मासिक आंकड़े
- सरकारी लेखा - विधि नियम, 1990
- आईएमएफ - भुगतान संतुलन के आंकड़े
- आईएमएफ - व्यापार की दिशा संबंधी आंकड़े
- आईएमएफ - सरकारी वित्त आंकड़े
- आईएमएफ - अंतरराष्ट्रीय वित्तीय आंकड़े
- भारत - सिविल लेखा नियम-पुस्तिका, संशोधित दूसरा संस्करण, 2007
- भारत - आर्थिक समीक्षा
- भारत - वेतन आयोग रिपोर्ट (1ला, 3रा, 5वां एवं 6वां)

- भारत - केन्द्रीय बजट
- वृहद और लघु लेखाशीर्षों की सूची
- भारतीय रिजर्व बैंक - बैंकिंग आंकड़े तथा मूल सांख्यिकीय विवरणियां
- प्राप्तियां और भुगतान नियम
- विश्व बैंक - विश्व विकास संकेतक
- विश्व बैंक - वैश्विक विकास वित्त
- यूएन - अंतरराष्ट्रीय व्यापार आंकड़े वार्षिक पुस्तक
- सतर्कता नियम-पुस्तिका

9.13 सेवाएँ

9.13.1 पुस्तकालय विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है जैसे किताबें उधार देना, अंतर-पुस्तकालय उधार पुस्तक विनियम, परामर्श रेप्रोग्राफी, समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं का परिचालन, संदर्भ सेवा, 'वीकली बुलेटिन' के जरिए ताजा घटनाओं के संबंध में जानकारी देना तथा ई-मेल के जरिए सेवाएं प्रदान करना। वित्त पुस्तकालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रकाशनों को राज्य सरकारों, विदेशी सरकारों और भारत तथा विदेश की प्रतिष्ठित संस्थाओं को वितरित करने का कार्य भी करता है।

9.13.2 पुस्तकालय द्वारा इंटरनेट पर एक उपयोगी लिंक भी प्रदान किया जा रहा है। इससे रिपोर्ट एवं डाटा के पूरे पाठ ढूंढने एवं डाउनलोड करने में पाठकों को मदद मिलती है।

9.13.3 वित्त पुस्तकालय अग्रणी समाचार-पत्रों में प्रकाशित आर्थिक कार्य विभाग संबंधी जन-शिकायतों की स्कैनिंग का कार्य भी करता है।

9.14 प्रकाशन

9.14.1 वित्त पुस्तकालय एक (मुद्रण3ऑनलाइन) साप्ताहिक प्रकाशन 'वीकली बुलेटिन' एक विषय ग्रंथ सूची भी संकलित करता है जिसमें लाइब्रेरी में प्राप्त जर्नलों से रुचिकर लेखों को सूचीबद्ध किया जाता है।

9.15 डिजिटल रिकार्ड

9.15.1 वित्त मंत्रालय के पुस्तकालय ने एक परियोजना भी क्रियान्वित की जिसमें वर्ष 1966 से 1970 तक की वित्त मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचनाओं [भाग2 खंड 3, उपखंड (i) (साधारण) में प्रकाशित] का पूरा पाठ डिजिटलीकृत किया गया।

9.16 कंप्यूटरीकरण

9.16.1 पुस्तकालय ने अपने प्रायः सभी कार्यकलापों को कंप्यूटरीकृत कर लिया है। यह डाटाबेस प्रबंधन, रिट्राइवल, पुस्तकालय ऑटोमेशन और अन्य आंतरिक कार्यों के लिए लिबसिस लाइब्रेरी पैकेज का प्रयोग करता है। पुस्तकालय में इंटरनेट सुविधा भी उपलब्ध है जिसके माध्यम से वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को सूचना उपलब्ध कराई जाती है।

9.16.2 जहां तक ऑनलाइन डाटा की उपलब्धता का संबंध है, इंटरनेट साइट 'finance.nic.in' पर एक लिंक देकर सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराई गई है।

अनुबंध-I

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, आर्थिक कार्य विभाग (मुख्य) में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियों की संख्या				पिछले कलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती से				प्रोन्नति से			अन्य तरीकों से		
	कुल	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	कुल	अनु.जा.	अनु.ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
समूह 'क'	165	14	6	7	-	-	-	-	1	-	-	34	1	1
समूह 'ख'	272	38	20	12	4	-	-	2	2	-	-	-	-	-
समूह 'ग'	97	22	3	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारियों को छेड़कर)	173	76	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	707	150	33	37	4	-	-	2	4	-	-	34	1	1

**अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व
31.3.2014 को समाप्त अवधि की रिपोर्ट**

मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय:

राष्ट्रीय बचत संस्थान,
भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय,
सेमिनरी हिल्स, नागपुर

समूह	कर्मचारियों की संख्या				पिछले कलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती से				प्रोन्नति से			अन्य तरीकों से		
	कुल	अनु. जा.	अनु. ज. जा.	अ. पि. व.	कुल	अनु. जा.	अनु. ज. जा.	अ. पि. व.	कुल	अनु. जा.	अनु. ज. जा.	कुल	अनु. जा.	अनु. ज. जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
समूह 'क'	11	2	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
समूह 'ख'	17	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग'	55	16	7	11	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	83	19	8	17	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-

प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण, मुंबई
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,

आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/सांविधिक निकायों में अनुसूचित जातियों,
अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियों की संख्या				पिछले कलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती से				प्रोन्नति से			अन्य तरीकों से		
	कुल	अनु. जा.	अनु. ज. जा.	अ. पि. व.	कुल	अनु. जा.	अनु. ज. जा.	अ. पि. व.	कुल	अनु. जा.	अनु. ज. जा.	कुल	अनु. जा.	अनु. ज. जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
समूह 'क'	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ख'	09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग'	14	02	-	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	26	03	-	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

ग्रेड	कर्मचारियों की संख्या				पिछले कलेंडर वर्ष (2013) जनवरी-31 मार्च, 2014 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती से				प्रोन्नति से			अन्य तरीकों से*		
	कुल	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	कुल	अनु.जा.	अनु.ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
अधिकारी	662	87	30	164	108	15	7	25	17	1	0	1	0	0
सचिव	91	3	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कनिष्ठ सहायक	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मैसेंजर	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जोड़	756	91	30	173	108	15	7	25	17	1	0	1	0	0

* प्रतिनियुक्ति

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व और की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण
लोक क्षेत्र उद्यम का नाम: भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली

1.4.2013 से 31.3.2014 की अवधि के दौरान, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि. **रिपोर्ट-I**

	समूह	अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व (31.3.2014 की स्थिति के अनुसार)				वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या								
		कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अ.पि.व.	सीधी भर्ती से				प्रोन्नति से			अन्य तरीकों से	
						कुल	अनु.जा	अनु.ज.जा	अ.पि.व	कुल	अनु.जा	अनु.ज.जा	कुल	अनु.जा
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	समूह 'क' (ई-1 से ई-6 तक)	302	45	12	42	27	4	1	7	0	0	0	0	0
2	समूह 'ख' (एस-1 से एस-2)	1150	195	96	114	78	12	6	27	60	8	12	6	0
3	समूह 'ग' (डब्ल्यू1 से डब्ल्यू2)	10419	2399	963	987	216	32	13	99	1211	247	119	22	5
	समूह 'ग' में अर्द्ध कुशल/अकुशल और सभी सफाई कर्मचारी शामिल है													
	कुल जोड़	11871	2639	1071	1143	321	48	20	133	1271	255	131	28	5

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, आर्थिक कार्य विभाग (मुख्य) में निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती								प्रोन्नति							
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				
	कुल	दृ.बा.	श्र.वि.	अ.वि.	दृ.बा.	श्र.वि.	अ.वि.	कुल	दृ.बा.	श्र.वि.	अ.वि.	दृ.बा.	श्र.वि.	अ.वि.	कुल	दृ.बा.	श्र.वि.	अ.वि.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
समूह 'क'	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
समूह 'ख'	272	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
समूह 'ग'	97	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
समूह 'घ'	173	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
जोड़	707	-	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

टिप्पणी:

- दृ.बा. - दृष्टि बाधित (अंधताग्रस्त अथवा कमजोर दृष्टि वाला व्यक्ति)।
- श्र.वि. ii श्रवण विकलांग, अर्थात् सुनने की दृष्टि से विकलांग (बधिर)।
- अ.वि. ii अस्थि विकलांग (चल-फिर सकने में निःशक्त अथवा प्रमस्तिष्क अंगघातग्रस्त व्यक्ति)।

निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व
31.3.2014 को समाप्त अवधि की रिपोर्ट

मंत्रालय/विभाग:

राष्ट्रीय बचत संस्थान,
भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय,
सेमिनरी हिल्स, नागपुर

समूह	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती								प्रोन्नति							
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				
	कुल	दृ.बा.	श्र.वि.	अ.वि.	दृ.बा.	श्र.वि.	अ.वि.	कुल	दृ.बा.	श्र.वि.	अ.वि.	दृ.बा.	श्र.वि.	अ.वि.	कुल	दृ.बा.	श्र.वि.	अ.वि.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
समूह 'क'	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
समूह 'ख'	17	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
समूह 'ग'	55	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
जोड़	83	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

- टिप्पणी: (i) दृ.बा. - दृष्टि बाधित (अंधताग्रस्त अथवा कमजोर दृष्टि वाला व्यक्ति)।
- (ii) श्र.वि. ii श्रवण विकलांग, अर्थात् सुनने की दृष्टि से विकलांग (बधिर)।
- (iii) अ.वि. ii अस्थि विकलांग (चल-फिर सकने में निःशक्त अथवा प्रमस्तिष्क अंगघातग्रस्त व्यक्ति)।

**प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण, मुंबई
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,**

आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/सांविधिक निकायों में अनु. जातियों, अनु. जनजातियों और अन्य पिछले वर्गों का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती								प्रोन्नति							
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				
	कुल	दृ.बा.	श्र.वि.	अ.वि.	दृ.बा.	श्र.वि.	अ.वि.	कुल	दृ.बा.	श्र.वि.	अ.वि.	दृ.बा.	श्र.वि.	अ.वि.	कुल	दृ.बा.	श्र.वि.	अ.वि.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
समूह ‘क’	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
समूह ‘ख’	08	-	-	01	-	-	-	01	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-		
समूह ‘ग’	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
समूह ‘घ’ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
समूह ‘घ’ (सफाई कर्मचारी)	0																			
जोड़	26	-	-	01	-	-	-	01	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-		

निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

ग्रेड	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती								पदोन्नति							
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				
	कुल	दृ.बा.	श्र.वि.	अ.वि.	दृ.बा.	श्र.वि.	अ.वि.	कुल	दृ.बा.	श्र.वि.	अ.वि.	दृ.बा.	श्र.वि.	अ.वि.	कुल	दृ.बा.	श्र.वि.	अ.वि.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
अधिकारी	662	7	2	11		2*		2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
सचिव	91	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
कनिष्ठ सहायक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
मैसेंजर	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
जोड़	756	8	2	11	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
*प्रतिनियुक्ति	दृ.बा./श्र.वि./अ.वि. से संबद्ध निःशक्त व्यक्तियों के लिए 2 पद आरक्षित थे																			

- टिप्पणी:** (i) दृ.बा. - दृष्टि बाधित (अंधताग्रस्त अथवा कमजोर दृष्टि वाला व्यक्ति)।
(ii) श्र.वि. i श्रवण विकलांग, अर्थात् सुनने की दृष्टि से विकलांग (बधिर)।
(iii) अ.वि. i अस्थि विकलांग (चल-फिर सकने में निःशक्त अथवा प्रमासिष्क अंगघातग्रस्त व्यक्ति)।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व और की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

1.4.2013 से 31.3.2014 की अवधि के दौरान पी.डब्ल्यू.डी का प्रतिनिधित्व

रिपोर्ट-II

समूह					सीधी भर्ती से								प्रोन्नति से							
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				
	कर्मचारियों की कुल संख्या	दृ.ब	श्र.वि.	अ.वि.	दृ.ब	श्र.वि.	अ.वि.	कुल	दृ.ब	श्र.वि.	अ.वि.	दृ.ब	श्र.वि.	अ.वि.	कुल	दृ.ब	श्र.वि.	अ.वि.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1 समूह क (ई-1 से ई-8 तक)	302	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 समूह ख (एस-1 से एस-2)	1150	1	0	18	0	0	2	74	1	0	1	0	0	0	45	0	0	1		
3 समूह ग (डब्ल्यू1 से डब्ल्यू6)	10419	43	94	202	0	3	9	212	0	0	2	0	0	0	246	260	0	1		
कुल जोड़	11871	44	94	221	0	3	11	286	1	0	3	0	0	0	291	260	0	2		

01.01.2013 से 31.03.2014 तक आर्थिक अनुसंधान करने वाले संस्थानों को जारी की गई सहायता-अनुदान

क्रम सं.	अनुदानग्राही संस्थान	अनुदान का प्रयोजन	स्वीकृत राशि
1.	नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीईआर)	आधारभूत निधि (वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु) एनसीईआर के परिसर निर्माण के लिए	₹1500 लाख ₹1250 लाख
2.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, इटानगर	आधारभूत निधि (वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु)	₹1000 लाख
3.	फाउंडेशन फॉर पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च (एफपीईपीआर)	राजकोषीय नीति संबंधी पीठ की सहायता करना	₹10 लाख
4.	ग्लोबल इंडिया फाउंडेशन (जीआईएफ), कोलकाता	मौजूदा अनुसंधान कार्य में गति प्रदान करना	₹10 लाख
5.	दि इंडियन इकोमेट्रिक सोसायटी (टीआईएस)	सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करने हेतु	₹30 लाख
6.	ओमियो कुमार दास इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल चेंजेस एंड डेवलपमेंट (ओकेडीआईएससीडी), गुवाहाटी	“असम में महिला और अर्थव्यवस्था संबंधी अध्ययन करना: उदासीकरण और बाजार में महिलाओं की पहुंच”।	₹15 लाख
7.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय (जीयू) गुवाहाटी	कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं का उन्नयन	₹5 लाख
		जोड़	₹3820 लाख

10. द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग

10.1 जापान के साथ द्विपक्षीय सहयोग

10.1.1 सरकारी विकास सहायता

10.1.1.1 जापान वर्ष 1958 से भारत को सरकारी विकास सहायता प्रदान करता आ रहा है। भारत को जापानी सरकारी विकास सहायता ऋण सहायता, सहायतानुदान तथा तकनीकी सहयोग के रूप में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण के माध्यम से प्राप्त होता है। जापान भारत को सहायता देने वाला सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है।

10.1.1.2 भारत को जापानी सरकारी विकास सहायता ऋण 'बिना शर्त ऋण' हैं। अधिप्राप्ति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से की जाती है। ओडीए ऋण अधिकतर परियोजना से बंधा होता है। ब्याज दरें सामान्य परियोजनाओं के लिए 30 वर्षीय अवधि के साथ, जिसमें 10 वर्ष की अनुग्रह अवधि शामिल है, 1.4 प्रतिशत प्रति वर्ष है। पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए ब्याज दर 10 वर्ष की अनुग्रह अवधि समाहित 40 वर्ष के लिए 0.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। इसके अतिरिक्त जापान सरकार ने ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क भी शुरू किया है जो ऋण राशि के 0.2% की दर से भुगतान करना है। यदि परियोजना संवितरण सहमति की अवधि में पूरा हो जाता है तो, जेआईसीए उधार लेने वाले को 0.1% ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क की प्रतिपूर्ति करेगा। ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क अप्रैल, 2013 से शुरू किया गया है, इसके बाद यह प्रतिबद्ध प्रभार का स्थान लेगा।

10.1.1.3 जापान सरकार ने 1 जनवरी, 2013 से 31 दिसम्बर, 2013 तक भारत की सात परियोजनाओं के लिए 322.164 बिलियन जापानी येन (लगभग 20618 करोड़ रुपए) की प्रतिबद्धता की है। 31 दिसम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार, जापानी ऋण सहायता के साथ उनहत्तर परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं। इन परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध ऋण राशि 1738.32 बिलियन जापानी येन (लगभग 91966 करोड़ रुपए) है। प्रतिबद्धता आधार पर भारत को सरकारी विकास सहायता ऋण की संचयी प्रतिबद्धता 31 दिसम्बर, 2013 तक 3902.87 बिलियन जापानी येन हो गई है।

10.1.1.4 दिनांक 1 जनवरी, 2013 से 31 दिसम्बर, 2013 तक भारत को सरकारी विकास सहायता ऋण संवितरण की राशि 132.504 बिलियन जापानी येन (7892.08 करोड़ रुपए) थी।

10.1.2 अनुदान सहायता

10.1.2.1 जापान सरकार तीन श्रेणियों अर्थात् सामान्य अनुदान सहायता, मत्स्य पालन के लिए अनुदान सहायता और सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए अनुदान सहायता के तहत भारत को अनुदान सहायता प्रदान करती है। सामान्य अनुदान सहायता के प्रमुख लक्ष्य आधारभूत मानव आवश्यकताओं से संबंधित परियोजनाएं हैं जिनकी आर्थिक व्यवहार्यता अनिवार्यतः कम होती है और इसलिए इन्हें ऋणों द्वारा वित्तपोषित करने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। शामिल किए गए प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं : (i) जन स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल; (ii) कृषि और ग्रामीण विकास; और (iii) पर्यावरणीय संरक्षण और सुरक्षा। मत्स्य पालन के लिए अनुदान सहायता मत्स्य

सुविधाओं, प्रशिक्षण नावों, मछली पकड़ने के लिए पोत सुविधाओं आदि के लिए दी जाती है, जिनका उपयोग मत्स्य पालन उद्योग के संवर्धन के लिए किया जाता है। सांस्कृतिक क्रियाकलापों, शिक्षा और अनुसंधान के संवर्धन के लिए सांस्कृतिक अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

10.1.2.2 अनुदान सहायता कार्यक्रम के तहत दो चालू परियोजनाएं हैं:

जापानी अनुदान सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उत्पादन केंद्र की सुदृढीकरण परियोजना के रूप में चल रही है। भारत सरकार तथा जापान सरकार के बीच 787,000,000 जापानी येन के लिए विनिमय नोट पर 26 जुलाई, 2010 को हस्ताक्षर किए गए। परियोजना अक्टूबर, 2013 में पूरी हो चुकी है।

चेन्नई में बाल स्वास्थ्य संस्थान और बच्चों के लिए अस्पताल के सुधार के लिए परियोजना, जापानी सहायता अनुदान कार्यक्रम के अधीन लागू की जा रही है। दिनांक 25 जनवरी, 2014 को 495,000,000 जापानी येन का विनिमय नोट भारत सरकार और जापान सरकार के बीच हस्ताक्षरित हुआ।

10.1.3 तकनीकी सहयोग कार्यक्रम

10.1.3.1 तकनीकी सहयोग का उद्देश्य मानव संसाधनों को विकसित करने और उन्हें सुधारने के प्रयास में प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान का अंतरण करना है और इस प्रकार भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करना है। तकनीकी सहयोग में आधारभूत मानव आवश्यकताओं से लेकर कृषि और औद्योगिक विकास के विस्तृत क्षेत्र शामिल हैं। भारत में जेआईसीए के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ये हैं : (i) जन स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल; (ii) कृषि और ग्रामीण विकास; (iii) पर्यावरण परिरक्षण एवं संरक्षण; और (iv) आर्थिक अवसंरचना का सुधार।

10.1.3.2 तकनीकी सहयोग के प्रमुख संघटक ये हैं : (i) परियोजना किस्म की तकनीकी सहयोग परियोजनाएं, (ii) विकास अध्ययन, (iii) विशेषज्ञों को भेजना, (iv) जापानी विदेशी सहयोग स्वयं-सेवी (जेओसीवी) कार्यक्रम, (v) अनुवर्ती सहयोग कार्यक्रम, (vi) भारतीय सरकारी कार्मिकों का प्रशिक्षण, (vii) तृतीय देश प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें विभिन्न देशों के कार्मिकों को भारत में प्रशिक्षण देना शामिल है।

10.1.3.3 तकनीकी सहयोग अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत 2 परियोजनाएं चल रही हैं।

जेओसीवी कार्यक्रम

जेओसीवी कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में दस संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों को जापानी दूतावास के समक्ष रखा गया है तथा 6 जापानी स्वयंसेवकों को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है।

जेआईसीए भागीदारी कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में गैर सरकारी संगठनों के बढ़ते महत्व को पहचान दिलाने के लिए जेआईसीए भागीदारी कार्यक्रम (जेपीपी)

2002 में शुरू किया गया। जेपीपी एक तकनीकी सहयोग है जो जेआईसीए द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। जमीनी स्तर पर विकासशील देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए, जापान में भागीदारियों के सहयोग से, जैसे एनजीओ, विश्वविद्यालय, स्थानीय सरकार और जनहित निगम। जेपीपी हेतु आवेदन करने के दौरान भारतीय एनजीओ को सलाह दी गई है कि योजना में भाग लेने के लिए जापानी सहयोगी को शामिल करें। इसके दो घटक हैं:

1. जेआईसीए के माध्यम से जापानी एनजीओ/संस्था/स्थानीय सरकार जापानी विशेषज्ञ कार्मिकों, उपकरण सामग्री और वित्तीय सहायता करेंगी।
2. जापानी एनजीओ/संस्था/स्थानीय सरकार जेआईसीए के माध्यम से जापान में भारतीय कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

वर्ष 2013-14 के दौरान कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

10.1.3 आधारिक वित्तपोषण

10.1.3.1 जापान सरकार आधारिक वित्तपोषण कार्यक्रम के अंतर्गत एफसीआरए के मार्ग से आर्थिक कार्य विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने पर भारतीय गैर-सरकारी संगठनों को लघु अनुदान सहायता भी प्रदान

करती है। वर्ष 2013-14 के दौरान 15 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा आर्थिक कार्य विभाग ने 7 प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए हैं। एक प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है। एक प्रस्ताव के संबंध में जिसका परियोजना स्थल पूर्वोत्तर राज्य में है, के संबंध में संबंधित मंत्रालय से अनिवार्य टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं। शेष 6 परियोजनाओं के लिए आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय से स्वीकृति प्रतीक्षित है।

10.1.4 हरित सहायता योजना

10.1.4.1 जापान सरकार (आर्थिक व्यापार और उद्योग मंत्रालय) हरित सहायता योजना के अंतर्गत नवीन ऊर्जा एवं औद्योगिक विकास संगठन, एमईटीआई का एक संगठन जैसे अभिकरण के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान करती है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण की रोकथाम, अपशिष्ट पदार्थ उपचार एवं पुनर्चक्रण और ऊर्जा संरक्षण तथा वैकल्पिक ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र हैं। माडल परियोजनाएं एनईडीओ द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, संबंधित मंत्रालय और कार्यान्वयन अभिकरण के साथ एनईडीओ द्वारा हस्तांतरित समझौता ज्ञापन के आधार पर चलाई जाएंगी। एनईडीओ प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय संगठनों में जापानी विशेषज्ञ भेजता है और जापान में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

कार्यान्वयन के अंतर्गत जेआईसीए सहायता प्राप्त परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना के आईडीपी नंबर और नाम	स्थान	ऋण की राशि	हस्ताक्षर / बंद होने की तारीख
	विद्युत मंत्रालय			
1	(आईडीपी-167) पुरुलिया पंपड संग्रहण परियोजना III	पश्चिमबंगाल	17963	31.3.2006 / 2015/01/24 *
2	(आईडीपी-177) बंगलौर वितरणउन्नयन परियोजना	कर्नाटक	10643	2007/03/30 / 2015/11/07
3	(आईडीपी-178) हैदराबाद मेट्रोपोलिटन एरिया में आधुनिकीकरण और परियोजना पारेषण प्रणाली की सुदृढीकरण	आंध्र प्रदेश	23,697	2007/03/30 / 2014/07/11
4	(आईडीपी-188) महाराष्ट्र पारेषण प्रणाली परियोजना	महाराष्ट्र	16,749	2007/09/14 / 2014/11/28
5	(आईडीपी-190) हरियाणा पारेषण प्रणाली परियोजना	संदल - हरियाणा	20902	2008/10/03 / 2014/12/09
6	(आईडी पी 217) मध्य प्रदेश पारेषण प्रणाली आधुनिकीकरण परियोजना	मध्य प्रदेश	18,475	2011/06/16 / 2018/09/22
7	(आईडी पी 216) आंध्र प्रदेश ग्रामीण उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली परियोजना	आंध्र प्रदेश	18,590	2011/06/16 / 2019/10/12
8	(आईडी पी 224) तमिलनाडु पारेषण प्रणाली सुधार परियोजना	तमिलनाडु	60,740	2012/09/28 / 2020/01/23
9	(आईडी पी 240) हरियाणा वितरण प्रणालीउन्नयन प्रणाली पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	हरियाणा	26,800	2014/03/31
10	(आईडीपी-158) एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और गरीबी न्यूनीकरण	हरियाणा	6280	31.3.2004 / 2014/06/18
11	(आईडीपी-162) तमिलनाडु वनीकरण परियोजना- II	तमिलनाडु	9818	2005/03/31 / 2015/07/28

12	(आईडीपी-163) कर्नाटक सतत वनप्रबंधन एवं जैव विविधता कोन परियोजना	कर्नाटक	15209	2005/03/31 / 2015/07/28
13	(आईडीपी-164) गंगा कार्य योजना (वाराणसी)	मध्य - उत्तर प्रदेश	11,184	2005/03/31 / 2015/07/28
14	(आईडीपी-172) स्वान नदीइंटीग्रेटेड.वाटरशेड प्रबंधन	हिमाचल प्रदेश	3493	31.3.2006 / 2016/07/24
15	(आईडीपी-173) उड़ीसा वानिकी क्षेत्र विकास परियोजना	उड़ीसा	13,937	31.3.2006 / 2016/07/24
16	(आईडीपी-182) त्रिपुरा वन पर्यावरण सुधार और गरीबी उन्मूलन परियोजना	त्रिपुरा	7725	2007/03/30 / 2017/07/11
17	(आईडीपी-183) गुजरात वानिकी विकास परियोजना चरण 2	गुजरात	17,521	2007/03/30 / 2017/07/11
18	(आईडीपी-194) उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबंध एवं गरीबी उन्मूलन परियोजना	उत्तर प्रदेश	13,345	2008/10/03 / 2018/03/25
19	(आईडीपी-199) वन प्रबंधन के लिए क्षमता विकास और कर्मियों को प्रशिक्षण परियोजना	सेंट्रल - सभी भारत	5241	2008/11/21 / 2018/10/16
20	(आईडी पी 211) सिक्किम जैव विविधता संरक्षण और वन प्रबंधन परियोजना	सिक्किम	5384	31.3.2010 / 2022/06/15
21	(आईडी पी 214) तमिलनाडु जैव विविधता संरक्षण और हरियाली परियोजना	तमिलनाडु	8829	2011/02/17 / 2021/06/16
22	(आईडी पी 221) राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना चरण 2	राजस्थान	15749	2011/06/16 / 2021/12/10
23	(आईडी पी 215) यमुना एक्शन प्लान परियोजना (III)	सेंट्रल - दिल्ली	32571	2011/02/17 / 2022/02/15
24	(आईडी पी 223) पश्चिम बंगाल वन और जैव विविधता संरक्षण परियोजना	पश्चिम बंगाल	6371	2012/03/29 / 2022/08/24
25	(आईडी पी 235) उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना	उत्तराखंड	11390	2014/04/11
	शहरी विकास मंत्रालय			
26	(आईडीपी-165) बंगलौर जल आपूर्ति और सीवरेज (II)	कर्नाटक	41,997	2005/03/31 / 2015/07/28
27	(आईडीपी-168) बंगलौर जल आपूर्ति और सीवरेज (II-2)	कर्नाटक	28,358	31.3.2006 / 2016/07/24
28	(आईडीपी-171) बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना	मध्य - कर्नाटक	44704	31.3.2006 / 2016/07/24
29	(आईडीपी-174) हुसैन सागर झील और जलग्रहण क्षेत्र सुधार परियोजना	आंध्र प्रदेश	7729	31.3.2006 / 2016/07/24
30	(आईडीपी-175) कोलकाता ठोस अपशिष्टप्रबंधन सुधार परियोजना	पश्चिम बंगाल	3584	31.3.2006 / 2014/07/24
31	(आईडीपी-185) आगरा जलापूर्ति परियोजना	उत्तर प्रदेश	24,822	2007/03/30 / 2017/07/11

32	(आईडीपी-186) अमृतसर सीवरेज प्रोजेक्ट	पंजाब	6961	30.302007 / 2015/11/07
33	(आईडीपी-187) उड़ीसा एकीकृत स्वच्छता सुधार परियोजना	उड़ीसा	19061	2007/03/30 / 2016/11/07
34	(आईडीपी-189) गोवा जल आपूर्ति और सीवरेज प्रोजेक्ट	गोआ	22,806	2007/09/14 / 2017/11/28
35	(आईडी पी 193) हैदराबाद आउटर रिंग रोड परियोजना चरण.1	आंध्र प्रदेश	41,853	2008/10/03 / 2016/03/25
36	(आईडी पी 196) तमिलनाडु शहरी बुनियादी ढांचा परियोजना	तमिलनाडु	8551	2008/10/03 / 2016/03/25
37	(आईडी पी 198) हैदराबाद आउटर रिंग रोड परियोजना चरण 2	आंध्र प्रदेश	42,027	2008/11/21 / 2017/02/25
38	(आईडी पी 197) चेन्नई मेट्रो परियोजना	सेंट्रल - तमिलनाडु	21,751	2008/11/21 / 2015/03/19
39	(आईडी पी 201) गुवाहाटी जलापूर्ति परियोजना	असम	29,453	2009/03/31 / 2019/07/28
40	(आईडी पी 202) दिल्ली मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट फेज 2 (IV)	दिल्ली	77,753	2009/03/31 / 2015/07/28
41	(आईडी पी 203) केरल जल आपूर्ति परियोजना (III)	केरल	12,727	2009/03/31 / 2015/07/27 *
42	(आईडी पी 206) दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना (चरण 2) (बी)	दिल्ली	33,640	31.3.2010 / 2016/06/15
43	(आईडी पी 207) कोलकाता पूर्व पश्चिम मेट्रो परियोजना (II)	पश्चिम बंगाल	23402	31.3.2010 / 2017/06/15
44	(आईडी पी 208) चेन्नई मेट्रो परियोजना (II)	तमिलनाडु	59,851	31.3.2010 / 2017/06/15
45	(आईडी पी 220) बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना (II)	मध्य - कर्नाटक	19,832	2011/06/16 / 2017/09/22
46	(आईडी पी 222) दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना चरण 3	सेंट्रल - दिल्ली	127,917	2012/03/29 / 2018/05/28
47	(आईडी पी 225) दिल्ली जल आपूर्ति सुधार परियोजना	दिल्ली	28,975	2012/10/29 / 2023/01/23
48	(आईडी पी 230) चेन्नई मेट्रो परियोजना (III)	सेंट्रल तमिलनाडु	48691	2013/03/28 / 2020/07/25
49	(आईडी पी 230) मुंबई मेट्रो लाइन -3 परियोजना	सेंट्रल - महाराष्ट्र	71000	2014/03/31 / 17/09/2020

50	(आईडी-पी 238) दिल्ली मास दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना चरण 3 (II)	सेंट्रल - दिल्ली	140000	2014/03/31
51	(आईडी-पी 239) आगरा जलापूर्ति परियोजना (II)	उत्तर प्रदेश	16279	2014/03/31
	जल संसाधन मंत्रालय			
52	(आईडीपी-161) राजस्थान लघु सिंचाई सुधार	राजस्थान	11,555	2005/03/31 / 2015/07/28
53	(आईडीपी-181) आंध्र प्रदेश सिंचाई एवं आजीविका सुधार परियोजना	आंध्र प्रदेश	23,974	2007/03/30 / 2016/11/07
54	(आईडी-पी 210) रेंगाली सिंचाई परियोजना III	उड़ीसा	3072	31.3.2010 / 2015/11/24
	पर्यटन मंत्रालय			
55	(आईडीपी-150) अजंता-एलोरा निर्माण एवं पर्यटन विकास परियोजना-II	सेंट्रल -महाराष्ट्र	7331	2003/03/31 / 2014/07/31 *
	पोत परिवहन मंत्रालय			
56	(आईडीपी-180) विशाखापत्तनम बंदरगाह विस्तार परियोजना	सेंट्रल - विशाखापत्तनम	4129	2007/03/30 / 2016/01/16
	पेयजल आपूर्ति विभाग			
57	(आईडीपी-195) होगेनक्कल जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस शमन परियोजना	तमिलनाडु	22,387	2008/10/03 / 2017/03/25
58	(आईडी-पी 204) होगेनक्कल जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस शमन परियोजना चरण 2	तमिलनाडु	17,095	2009/03/31 / 2017/07/28
59	(आईडी-पी 226) राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस शमन परियोजना(नागौर)	राजस्थान	37,598	2012/09/28 / 2020/01/23
60	(आईडी-पी 231) पश्चिम बंगाल पाईपड जलापूर्ति परियोजना(पुरुलिया)	पश्चिम बंगाल	14225	2013/03/28 / 2022/07/25
	रेल मंत्रालय			
61	(आईडी-पी 205) डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना (चरण 1)	सेंट्रल अखिल भारत	2606	2009/10/27 / 2015/02/23
62	(आईडी-पी 209) डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना चरण 1 (II)	सेंट्रल अखिल भारत	90262	31.03.2010 / 2023/02/18
63	(आईडी-पी 212) डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना (चरण 2)	सेंट्रल अखिल भारत	1616	2010/07/26 / 2015/11/16
64	(आईडी-पी 229) डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना चरण 2 (II)	सेंट्रल अखिल भारत	136,119	2013/03/28 / 2020/07/25

	कृषि मंत्रालय			
65	(आईडी पी 213) हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना	हिमाचल प्रदेश	5001	2011/02/17 / 2021/06/16
	वित्तीय सेवा विभाग			
66	(आईडी पी 218) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ऊर्जा बचत परियोजना (चरण 2)	सेंट्रल अखिल भारत	30000	2011/06/16 / 2016/09/22
	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय			
67	(आईडी पी 219) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास परियोजना	सेंट्रल अखिल भारत	30000	2011/06/16 / 2018/09/22
	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय			
68	(आईडी पी 228) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग सुधार परियोजना	सेंट्रल - बिहार	22,903	2013/02/22 / 2023/06/21
	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन मंत्रालय			
69	(आईडी सी8) तमिलनाडु निवेश संवर्धन कार्यक्रम	तमिलनाडु	13000	2013/12/11 / 2019/02/17
	संपूर्ण		जापानी येन 1738.32 (=रु. 91,966 करोड़ लगभग.)	

10.2 भारत-यूके विकास सहयोग साझेदारी

10.2.1 यूनाइटेड किंगडम (यूके) 1958 से भारत को विकास सहायता उपलब्ध करा रहा है। यूके से विकास सहायता मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा प्रशासनिक सुधारों, मलिनावास विकास आदि क्षेत्रों में सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को पूरा करने हेतु प्राप्त की जाती है। यू.के. से सहायता, इसके अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) के जरिए, वित्तीय और तकनीकी सहायता के रूप में परस्पर रूप से सहमत सरकारी परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए होती है। वर्तमान में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार डीएफआईडी के तीन केंद्रित राज्य हैं।

10.2.1 भारत हेतु डीएफआईडी की देशगत योजना 2008-2015

10.2.1.1 2008-09 से 2010-11 तक भारत के लिए यू.के. आपरेशनल प्लान के प्रथम चरण के दौरान डीएफआईडी जारी परियोजनाओं के लिए 825 मिलियन पौंड देने पर प्रतिबद्ध था। इस राशि का पूंजी उपयोग 2010-11 तक कर दिया गया।

10.2.1.2 आपरेशनल प्लान (2011-12 से 2014-15 तक) का दूसरा चरण अप्रैल, 2011 में शुरू हुआ। दोनों देशों ने विकासपरक साझेदारी की समीक्षा 2011 के दौरान की जिसके आधार पर “निजी क्षेत्र विकास पहलकदमी” नामक नया घटक प्रवर्तित करने का

निर्णय लिया गया ताकि चयनित अल्प आय वाले राज्यों में सरकार द्वारा प्रायोजित संगठनों के जरिए निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा दिया जा सके।

10.2.1.3 यूके 2011-12 से 2014-15 तक इसकी परिचालन योजना के दूसरे चरण के दौरान 910 मिलियन पौंड तक विकास सहायता उपलब्ध कराने हेतु वचनबद्ध है।

10.2.2 भारत-यूनाइटेड किंगडम भागीदारी में परिवर्तित व्यवस्थाएं

10.2.2.1 यू.के. सरकार ने 9 नवम्बर, 2012 को घोषणा की है कि भारत के लिए उसकी वित्तीय अनुदान सहायता अब से बंद हो जाएगी परंतु विद्यमान वित्तीय अनुदानगत परियोजनाएं 2015 तक जिम्मेदारी के साथ निर्धारित योजनानुसार पूरी की जाएंगी। सभी नए विकासपरक सहयोग कार्यक्रम कौशल और सुविज्ञता की साझेदारी पर केंद्रित तकनीकी सहायता के कार्यक्रम या गरीबों की मदद करने पर केंद्रित निजी क्षेत्रक परियोजनाओं में निवेशों के लिए होंगे। दोनों पक्ष इस समझौते पर सहमत हो गए हैं।

10.2.3 जारी परियोजनाएं और कार्यक्रम

10.2.3.1 फिलहाल केंद्र और राज्य स्तर पर डीएफआईडी सहायता से कार्यान्वयन के अधीन 20 परियोजनाएं/कार्यक्रम हैं।

10.2.4 वर्ष 2013-14 के दौरान हस्ताक्षरित करार

10.2.4.1 वर्ष 2013-14 के दौरान, भारत सरकार और डीएफआईडी के बीच निम्नलिखित सात नए करारों पर हस्ताक्षर किए गए :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	हस्ताक्षर की तारीख	परियोजना अवधि	डीएफआईडी तकनीकी अनुदान सहायता (मिलियन पाउंड में)
1	बिहार और ओडिशा में परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं	02.04.2013	01.04.2013/ 31.03.2016	18.00
2	मध्य प्रदेश और ओडिशा में जल, स्वच्छता और हाईजीन (वॉश) कार्यक्रम	08.04.2013	01.04.2013 / 31.03.2016	13.40
3	जलवायु परिवर्तन नवोन्मेष कार्यक्रम (सीसीआईपी)	06.05.2013	25.04.2013 / 24.04.2018	12.00
4	अवसंरचना तकनीकी सहयोग सुविधा कार्यक्रम	19.08.2013	19.08.2013/ 31.3.2019	10.00
5	एनएसडीसी के माध्यम से कौशल विकास हेतु तकनीकी सहयोग	04.09.2013	04.09.2013/ 31.3.2018	4.50
6	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के माध्यम से विकास कार्यक्रमों हेतु नवोन्मेष उद्यमों और प्रौद्योगिकियों के लिए तकनीकी सहयोग	23.09.2013	21.08.2013/ 31.7.2019	5.00
7.	अनुकूल स्वास्थ्य और पोषण भागीदारी (एसएचएनपी) कार्यक्रम	10.12.2013	10.12.2013/ 31.03.2018	15.00

10.2.4.2 इसके अलावा, आर्थिक कार्य विभाग में वर्ष 2013-14 के दौरान निजी क्षेत्र विकास पहल के अंतर्गत निम्नलिखित तीन कार्यक्रमों के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया है :

क्र. सं.	परियोजना का नाम	डीएफआईडी निवेश (पाउंड मिलियन)
1	“अधिक तेजी से और निरंतर आर्थिक विकास के लिए वहनीय आवासीय बाजार कार्य की स्थापना” करने के लिए डीएफआईडी-एनएचबी सहयोग	£ 50 मिलियन ऋण -£ 40 मिलियन टीए --£ 10 मिलियन
2	“अवसंरचना भागीदारी कार्यक्रम” के लिए डीएफआईडी-आईडीएफसी सहयोग	£ 38 मिलियन ऋण- £ 36 मिलियन टीए --£ 02 मिलियन
3	“अवसंरचना इक्विटी भागीदारी कार्यक्रम” के लिए डीएफआईडी-एसबीआई पूंजी उद्यम लिमिटेड सहयोग	£ 37.5 मिलियन इक्विटी निवेश -£ 36 मिलियन टीए --£ 1.5 मिलियन

10.3 उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठकें/संवाद

10.3.1 भारत यू.के. आर्थिक एवं वित्तीय संवाद (ईएफडी)

10.3.1.1 मंत्री स्तर के भारत-यूके आर्थिक एवं वित्तीय संवाद का छठा दौर लंदन में 16 मई, 2013 को आयोजित किया गया। आर्थिक एवं वित्तीय संवाद में की गई चर्चा “बृहत आर्थिक मामलों”, व्यापार तथा निवेश संबंधी मसलों, “अवसंरचना वित्तीयन” और “वित्तीय सेवा तथा विनियमन” पर केंद्रित थी। इस संवाद ने भारत-यूके आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों की सतत् दृढ़ता की एक बार फिर से पुष्टि की।

10.4 भारत सरकार से सहायता प्राप्त भारत के निर्यात-आयात बैंक की विदेशों को दी गई ऋण श्रृंखलाएं:

10.4.1 आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार की ओर से भारत के निर्यात-आयात बैंक के जरिए 2003-2004 से आईडीईएएस योजना के अंतर्गत मैत्रीपूर्ण विकासशील देशों को भारत-सरकार से सहायता-प्राप्त ऋण श्रृंखलाएं प्रदान कर रहा है। एक्जिम बैंक अपने संसाधनों से रियायती दरों पर ग्राही देशों को ऋण संवितरित करता है। ब्याज दर व पुनर्अदायगी अवधि के संदर्भ में, एक्जिम बैंक ग्राही देश की

संप्रभु गारंटी प्राप्त करता है। भारत सरकार एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता अर्थात इसकी वाणिज्यिक ब्याज दर तथा रियायती ब्याज दर, जिस पर विदेशी सरकार अथवा इसकी नामित एजेंसी को ऋण श्रृंखला प्रदान की गई है, का अंतर प्रदान करती है। भारत सरकार बहुत से मामलों में मूलधन की पुनर्अदायगी तथा ब्याज भुगतान के लिए प्रति-गारंटी भी प्रदान करती है। विदेश मंत्रालय (डीपीए प्रभाग) के प्रस्ताव और सिफारिश पर यह विभाग ऋण श्रृंखलाएं अनुमोदित करता है।

10.4.2 वर्ष 2013-14 के दौरान, भारत सरकार से सहायता प्राप्त भारत के निर्यात-आयात बैंक की कुल 1630.81 मिलियन अमरीकी डालर की निम्नलिखित 25 ऋण श्रृंखलाएं अनुमोदित की गई थी:

अफ्रीका-भिन्न देश

- (i) म्यांमार सरकार को 155 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (ii) क्यूबा सरकार को 5.0492 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (iii) कंबोडिया सरकार को 36.92 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (iv) होंडुरास सरकार को 26.50 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (v) लाओ पीडीआर सरकार को 30.94 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (vi) श्रीलंका सरकार को 200 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला

अफ्रीकी देश

- (i) इथोपिया सरकार को 300 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (ii) बेनिन सरकार को 42.61 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (iii) नाइजर सरकार को 34.54 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (iv) मारीशस सरकार को 46 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (v) मोजाम्बिक सरकार को 47 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (vi) रवांडा सरकार को 120.05 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (vii) लाईबेरिया सरकार को 144 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला

- (viii) सियरा लियोन सरकार को 30 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (ix) घाना सरकार को 5 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (x) जीबूती सरकार को 15.13 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (xi) सियरा लियोन सरकार को 15 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (xii) नाइजर सरकार को 25 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (xiii) डी. आर. कांगो सरकार को 82 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (xiv) कांगो गणराज्य को 89.9 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (xv) मारीशस सरकार को 18 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (xvi) गिनी सरकार को 35 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (xvii) सूडान सरकार को 45.17 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (xviii) टोगो सरकार को 52 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (xix) टोगो सरकार को 30 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला

10.5 भारत यूरोपीय संघ विकास सहयोग

10.5.1 यूरोपीय संघ भारत को अनुदानों के रूप में विकासात्मक सहयोग प्रदान करता आ रहा है। इसकी प्राथमिकता के क्षेत्र हैं पर्यावरण, जन स्वास्थ्य और शिक्षा। यूरोपीय संघ देश कार्यनीति दस्तावेज (सीएसपी) के माध्यम से विकास सहयोग कार्यक्रमों को लागू करता है। सीएसपी, ईयू के उद्देश्यों, साझेदार देश की नीतिगत कार्यसूची और देश/क्षेत्र की स्थिति के विश्लेषण पर निर्भर करता है। वर्ष 2007-13 के सीएसपी में 2007-2010 की अवधि का बहु वार्षिक संकेतक कार्यक्रम-I तथा 2011-13 की अवधि का बहु वार्षिक संकेतक कार्यक्रम-II शामिल था।

10.5.2 ईयू ने एमआईपी-I और एमआईपी-II कार्यक्रम के लिए क्रमशः 260 मिलियन यूरो और 105 मिलियन यूरो की धनराशि उपलब्ध करवाने की वचनबद्धता की है। भारत सरकार के मुख्य कार्यक्रम, जो अन्य विकासात्मक साझेदारों के साथ ईयू की सहायता प्राप्त करते हैं:- वे हैं- सर्वशिक्षा अभियान और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, प्रजनन बाल स्वास्थ्य। वर्ष 2012 में भारत सरकार ने 'प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए सैक्टर नीति समर्थन कार्यक्रम' परियोजना

पर ईयू के साथ हस्ताक्षर किए जिस पर 80 मिलियन यूरो की अनुदान राशि प्राप्त होगी।

10.5.3 ईयू पक्ष ने यह सूचित किया है कि भारत के साथ इसके द्विपक्षीय विकास सहयोग के लिए एक नई रणनीति अभिकल्पित की जा रही है तथा दिसम्बर, 2013 के पश्चात भारत के लिए अनुदान राशि उपलब्ध नहीं होगी।

10.5.4 विकासात्मक सहयोग पर भारत ईयू आयोग एक मंच है जिसमें ईयू के साथ विकासात्मक सहयोग से संबंधी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है तथा इनकी समीक्षा की जाती है। वार्षिक बैठक दिल्ली और ब्रूसेल्स में बारी-बारी से आयोजित की जाती है। विकासात्मक सहयोग संबंधी उप-आयोग, भारत-ईयू संयुक्त आयोग को रिपोर्ट करता है। विकासात्मक सहयोग संबंधी भारत-ईयू उप-आयोग की बैठक हाल ही में 3 जून, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

10.6 विदेशी प्रशिक्षण

10.6.1 आर्थिक कार्य विभाग चार सप्ताह तक के सभी अल्पावधिक विदेशी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के प्रशासन से संबंधित राष्ट्रीय केंद्र बिंदु है। ये पाठ्यक्रम भारत सरकार के सभी मध्य और वरिष्ठ स्तर अधिकारियों के लिए होते हैं और इनमें अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी भी शामिल होते हैं। यह क्षमता विकास में सहायक होता है जो देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अत्यावश्यक है।

10.6.2 विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए), स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (एसआईडी), राष्ट्रमंडल सचिवालय, कोलम्बो प्लान सचिवालय, सिंगापुर सहयोग कार्यक्रम प्रशिक्षण पुरस्कार (एससीपीटीए), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) आदि लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न विषयों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती हैं। आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रशासित किए जा रहे विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के परिपत्र “प्रशिक्षण कार्यक्रम” के अंतर्गत <http://www.finmin.nic.in> से प्राप्त किए जा सकते हैं। वर्ष के दौरान लगभग 150 विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित कार्रवाई की गई।

10.7 यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) द्वारा भारत में निवेश

10.7.1 यूरोपीय निवेश बैंक, यूरोपीय संघ की वित्त संस्था है जिसका रोम की संधि (1957) के अंतर्गत, पूंजीगत निवेश के वित्त पोषण के लिए 1958 में गठन किया गया था। ईआईबी के सदस्य, यूरोपीय संघ के सदस्य देश होते हैं जो सभी बैंक की पूंजी के अभिदाता हैं। यूरोपीय संघ के बाहर, ईआईबी के वित्त संबंधी क्रियाकलाप, बैंक के अपने संसाधनों से मुख्यतः चलाए जाते हैं अपितु ये संघ अथवा सदस्य देशों के बजटीय संसाधन के अधिदेशन में कार्य करते हैं। इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत, ईआईबी निधियों का प्रयोग, ईयू के साथ सहयोग करार करने वाले हस्ताक्षरकर्ता देशों में निवेश के वित्त पोषण के लिए किया जाता है।

10.8 भारत में ईआईबी

10.8.1 भारत में ईआईबी क्रियाकलाप, ईयू और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी की संयुक्त कार्रवाई योजना (जेएपी) से उदभूत होते हैं। ईआईबी, एफडीआई, प्रौद्योगिकी के अंतरण और तकनीकी ज्ञान के माध्यम से मुख्यतः पर्यावरणीय संपोषणीयता और बृहद आधारभूत संरचना परियोजना पर केन्द्रित रहते हुए, अपने उधार देने के क्रियाकलापों को बढ़ाने का प्रयास करता है।

10.8.2 भारत में ईआईबी निवेशों का अभिशासन वित्तीय सहयोग के **फ्रेमवर्क करार** द्वारा किया जाता है। भारत और ईआईबी के बीच 25 नवम्बर, 1993 को ब्रूसेल्स स्थित भारत के प्रभारी द्वारा करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। करार की रूपरेखा शुरू में 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध थी तथा बाद में इसे दिनांक 24 नवम्बर, 1998 के संशोधन के अंतर्गत अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया।

वर्ष 2013-14 के दौरान आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दिए गए अनुमोदन

10.8.3 आर्थिक कार्य विभाग ने वर्ष 2013-14 के दौरान भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण और इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैन्स कारपोरेशन लिमिटेड, दोनों को 200 मिलियन यूरो के ईआईबी ऋण अनुमोदित किए। भारत सरकार इन ऋणों के लिए गारंटी देगी। वित्त/ऋण संविदाओं पर यूरोपियन निवेश बैंक ने आईआईडीए और आईआईएफसीएल के साथ क्रमशः दिनांक 21 फरवरी, 2014 और 31 मार्च, 2014 को हस्ताक्षर किए हैं।

10.9 अन्य यूरोपीय देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग

10.9.1 जर्मनी

10.9.1.1 जर्मन संघीय गणराज्य वर्ष 1958 से भारत को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के लिए वर्तमान में क्षेत्रीय प्राथमिकताएं हैं : (क) ऊर्जा; (ख) पर्यावरणीय नीति, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और स्थायी उपयोग; और (ग) स्थायी आर्थिक विकास।

10.9.1.2 जर्मन सरकार ने भारत में विविध परियोजनाओं पर अमल हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता के लिए 2013 में 1,089 मिलियन यूरो (तकरीबन 8,700 करोड़ रुपए) की नई प्रतिबद्धता की।

10.9.1.3 2013-14 के दौरान दो परियोजनाओं के लिए 152 मिलियन यूरो (लगभग 1200 करोड़ रुपए) के लिए करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

10.9.1.4 2013-14 के दौरान जर्मनी ने सरकारी परियोजनाओं के तहत 916.31 करोड़ रुपए की वित्त सहायता संवितरित की। गैर-सरकारी परियोजनाओं सहित कुल संवितरण इस अवधि में 1550 (लगभग) करोड़ रुपए था।

10.9.2 फ्रांस

10.9.2.1 फ्रांस सरकार वर्ष 1968 से भारत को विकास सहायता देती रही है। वर्तमान फ्रांसीसी विकास सहायता फ्रांसीसी विकास अभिकरण (एफडी) के जरिए प्रदान की जाती है। इस संबंध में

आर्थिक कार्य विभाग और एएफडी के बीच 29.09.2008 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौता ज्ञापन को मई 2012 में संशोधित किया गया। भारत में एएफडी वित्तपोषण के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हैं वैश्विक सार्वजनिक सेवाओं के स्थायी प्रबंधन में योगदान देने वाली परियोजनाएं जिनमें अन्यो के अलावा ये शामिल हैं : (i) जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के ढांचे के अंतर्गत ऊर्जा किफायत और नवीकरणीय ऊर्जा; (ii) शहरी अवसंरचना (सार्वजनिक परिवहन, जल इत्यादि जैसे अवसंरचना विकास कार्यक्रमों तथा स्थायी विकास परियोजनाओं के जरिए); तथा (iii) जैव विविधता का परिरक्षण।

10.9.2.2 वर्ष 2013 के दौरान एएफडी ने भारत में दो परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता हेतु 330 मिलियन यूरो (लगभग 2600 करोड़ रुपए) की नई वचनबद्धता की।

10.9.2.3 वर्ष 2013-14 के दौरान, दो परियोजनाओं के लिए 203 मिलियन यूरो (लगभग 1600 करोड़ रुपए) हेतु करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

10.9.3 नार्वे

10.9.3.1 भारत में नार्वेजियन द्विपक्षीय विकास सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में तकनीकी सहायता तथा वित्तीय समर्थन के चलते केरल में परम्परागत मत्स्य पालन परियोजना के साथ हुई। 1970 से तकनीकी सहयोग तथा स्थानीय लागत परियोजना के लिए, विशेषकर सामाजिक तथा पर्यावरणिक क्षेत्रों में, अनुदान के रूप में नार्वे से सहायता मिल रही है। नार्वे न तो जी-8 का और न ही यूरोपीय संघ का सदस्य है। तथापि, वर्तमान में वे केवल स्वायत्त संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, एनजीओ को सीधे द्विपक्षीय विकास सहायता प्रदान कर सकते हैं।

10.9.3.2 वर्ष 2007 में भारत तथा नार्वे के वित्त मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच वार्षिक द्विपक्षीय परामर्श करने का निर्णय लिया गया था। अब तक पांच बैठकें पहले ही आयोजित हो गई हैं।

10.9.3.3 भारत तथा नार्वे के वित्त मंत्रालयों के बीच 5वीं वार्षिक द्विपक्षीय वार्ता 18 अक्टूबर, 2013 को ओसलो, नार्वे, में सम्पन्न हुई। इस वार्ता में बृहत आर्थिक मुद्दे तथा चुनौतियां; नार्वे पेंशन निधि से भारत में अवसंरचना में निवेश, एफडीआई नीति, सरकारी निजी साझेदारी में नार्वे तथा भारत के अनुभव, कौशल विकास पर विचारों का विनिमय, वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा जलवायु परिवर्तन वित्त केंद्र में रहे।

10.9.3.4 इस वर्ष के दौरान, नई दिल्ली में अगले सम्मेलन की योजना है। अभी तारीखें तय नहीं हुई हैं।

10.9.4 स्विट्जरलैंड

10.9.4.1 स्विट्जरलैंड ने 1964 से अनुदान तथा तकनीकी सहायता के रूप में आर्थिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान की है। स्विट्जरलैंड ने मिश्रित ऋण भी प्रदान किया है जिसमें ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 6 प्रतिशत ऋण तथा 40 प्रतिशत अनुदान सम्मिलित है।

स्विट्जरलैंड न तो जी-8 और न ही यूरोपीय यूनियन का सदस्य है। तथापि, वर्तमान में वे केवल स्वायत्त संगठनों विश्वविद्यालयों, एनजीओ को द्विपक्षीय सहायता प्रदान करने के लिए ही पात्र हैं।

10.9.4.2 फेडरल डिपार्टमेंट आफ फायनेंस आफ द स्विस् कन्फेडरेशन तथा भारत गणराज्य के वित्त मंत्रालय के बीच पहली द्विपक्षीय वित्तीय वार्ता 6 जुलाई, 2012 को, बर्न स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई। वित्त वार्ता का दूसरा दौर, नई दिल्ली में 12 जून, 2013 को आयोजित हुआ। यह वार्ता बृहत आर्थिक मुद्दे तथा चुनौतियां; जी-20 मुद्दे; वित्तीय बाजार नीति तथा विनियमन; कमोडिटीज के मुद्दे; आईडीए पारगमन प्रबंधन तथा वित्तीय समावेशन/साक्षरता में पहल कदमी पर केंद्रित रही। अगली वार्ता 2014 में बर्न, स्विट्जरलैंड में आयोजित होगी।

10.10 संयुक्त राज्य अमरीका

10.10.1 भारत अमरीकी वित्तीय तथा आर्थिक भागीदारी

10.10.1.1 भारत-अमरीकी वित्तीय तथा आर्थिक भागीदारी की चौथी मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक श्री जैकब ल्यू, अमरीकी वित्त मंत्री तथा श्री पी. चिदंबरम, वित्त मंत्री की सह-अध्यक्षता में 13 अक्टूबर, 2013 को आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान वित्तीय विनियमकारी सुधार, पूंजी बाजार विकास तथा अवसंरचना वित्त, कर, नीति, धनशोधनरोधी/आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने (एएमएल/सीएफटी) तथा ईरान प्रतिबंध, व्यापार और निवेश जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमें बृहत आर्थिक मुद्दे भी शामिल थे।

10.10.1.2 दिनांक 22 मार्च, 2013 को वाशिंगटन, डीसी में आयोजित तीसरी उप-मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, श्री अरविंद मायाराम ने तथा अमरीका की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मामलों की अवर सचिव सुश्री लाएल ब्रेनार्ड ने की थी। बैठक में बृहत आर्थिक विकास, अवसंरचना वित्त सहित भागीदारी में प्रगति तथा वित्तीय विनियमकारी सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया।

10.10.2 भारत-अमरीका वित्तीय तथा विनियमकारी वार्ता

10.10.2.1 दूसरी भारत-अमरीका वित्तीय तथा विनियमकारी वार्ता 6-7 फरवरी, 2014 के दौरान मुम्बई स्थित सेबी मुख्यालय में आयोजित की गई थी। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व श्री मनोज जोशी, संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने किया। अमरीकी शिष्टमंडल का नेतृत्व सुश्री सुसान बेकर, निदेशक, राजकोष विभाग, अमरीका ने किया था। वार्ता के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में घटनाक्रम, वस्तु बाजार में घटनाक्रम, पूंजी बाजार में घटनाक्रम, बीमा क्षेत्र में घटनाक्रम, पेंशन क्षेत्र में घटनाक्रम, वित्तीय विनियमकारी सुधार एजेंडा तथा वित्तीय फर्मों के लिए विकासशील संकल्प संरचना जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

10.10.3 भारत-अमरीका सीईओ मंच

10.10.3.1 भारत-अमरीका सीईओ मंच के अंतर्गत नौवीं बैठक वाशिंगटन डी.सी. में 12 जुलाई, 2013 में आयोजित की गई थी। मंच की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से श्री रतन टाटा और अमरीका की ओर से श्री डेविड कोट, सीईओ, हनीवैल इंफ. ने की थी। मंच के पास कारोबारी स्तर पर अमरीका और भारत के बीच भागीदारी और सहयोग बढ़ाने के लिए रोड मैप विकसित करने हेतु अधिदेश है।

10.10.4 अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी)

10.10.4.1 भारत को संयुक्त राज्य अमरीका की द्विपक्षीय विकास सहायता 1951 में प्रारंभ हुई। भारत को दी जाने वाली अमरीकी सहायता मुख्यतः यूएसएआईडी के जरिए अभिशासित होती है। यूएसएआईडी फिलहाल स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने, खाद्य सुरक्षा, उत्सर्जन कम करने के लिए पारिषण तेज करने तथा ऊर्जा सुरक्षा अर्थव्यवस्था, वनों द्वारा कार्बन पृथक्कीकरण के जरिए ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन को कम करने तथा शिक्षक प्रशिक्षण तथा विकास के जरिए मूल शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने हेतु भारत सरकार के साथ भागीदारी कर रहा है। सितंबर, 2013 तक यूएसएआईडी द्वारा भारत को प्रदान की गई कुल सहायता लगभग 15.8 बिलियन अमरीकी डालर थी।

10.10.4.2 वर्ष 2010-11 के दौरान यूएसएआईडी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत भू-दृश्य तथा खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत-सरकार के साथ छः द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

10.10.5 संयुक्त राज्य व्यापार और विकास एजेंसी(यूएसटीडीए)

10.10.5.1 यूएसटीडीए मेजबान देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के योजनाकरण और कार्य निष्पादन में अमरीकी कारोबार को सुसाध्य बनाकर उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास का संवर्धन करता है। एजेंसी का उद्देश्य व्यापार के लिए अवसरचर्चा निर्माण में सहायता करना, विदेशों की विकास संबंधी जरूरतों के साथ अमरीकी प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञता का मिलान करना और संयुक्त राज्य तथा उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच स्थायी कारोबारी भागीदारी के सृजन में सहायता प्रदान करना है। 1992 से, अमरीकी व्यापार और विकास एजेंसी ने सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रायोजकों के साथ भारत में 100 प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं से ज्यादा को सहायता प्रदान की है। आज की तारीख तक, यूएसटीडीए के कार्यक्रमों ने अमरीका निर्यात में 1.3 बिलियन अमरीकी डालर से ज्यादा राशि जुटाने में मदद की है। भारत में यूएसटीडीए कार्यक्रम के लिए प्राथमिकताओं में ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, परिवहन (विशेषकर विमानन) तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शामिल हैं। 2013 में, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तकनीकी सहायता के लिए चार अनुदान अनुमोदित किए गए अर्थात (i) 4,76,320 अमरीकी डालर की राशि वाला संपूर्ण वायुक्षेत्र तथा वायुपत्तन माडलर व्यवहार्यता अध्ययन (टीएएम), (ii) 6,92,000 अमरीकी डालर की राशि वाली स्मार्ट ग्रिड टेस्ट बेड तकनीकी सहायता परियोजना (iii) 400,900 अमरीकी डालर की राशि वाले अमरीकी भारत विमानन सहयोग कार्यक्रम

(यूएसएसीपी) के अंतर्गत तकनीकी प्रबंधन प्रचालनात्मक विकास कार्यक्रम (टीएमओडीटी) चरण-II, और (iv) 574,238 अमरीकी डालर की राशि वाले यूएसएसीपी के अंतर्गत एएआई भौगोलिक सूचना प्रणाली तकनीकी सहायता।

10.10.6 फोर्ड प्रतिष्ठान से सहायता

10.10.6.1 फोर्ड प्रतिष्ठान स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, संस्कृति आदि के क्षेत्र में 1952 से विभिन्न भारतीय गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं को अनुदान सहायता प्रदान कर रहा है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 10.4 मिलियन अमरीकी डालर की अनुदान सहायता वाले 38 प्रस्तावों में से, 7.4 मिलियन अमरीकी डालर वाले 27 प्रस्ताव आर्थिक कार्य अनुभाग ने अनुमोदित किए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, 12.3 मिलियन अमरीकी डालर अनुदान सहायता वाले 57 प्रस्ताव अनुमोदन के लिए आर्थिक कार्य विभाग में प्राप्त हुए थे।

10.11 कनाडा

10.11.1 भारत-कनाडा आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र नीति वार्ता

10.11.1.1 भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र नीति उद्घाटन 8 जुलाई, 2013 को ओटावा, कनाडा में हुई थी। वार्ता के दौरान प्रतिस्पर्धा तथा विदेशी भागीदारी, वित्तीय संस्थाओं का विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण, उपभोक्ता मुद्दे बीएसईएल-III के कार्यान्वयन सहित बैंक सकल्प और वित्तीय समावेशन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

10.11.2 कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र (आईडीआरसी) से सहायता

10.11.2.1 आईडीआरसी कृषि, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण आदि के क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 8.6 मिलियन सीएडी की अनुदान सहायता के 31 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 12.17 मिलियन की अनुदान सहायता वाले 28 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

10.11.3 स्थानीय कार्यक्रमों के लिए कनाडा निधि (सीएफएलआई)

10.11.3.1 छोटी परंतु दर्शनीय, उच्च प्रभाव वाली परिणामोन्मुखी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सीएफएलआई एक प्रतिस्वेदी, लचीला कार्यक्रम है जिसका प्रबंध सीधे कनाडा उच्च आयोग, नई दिल्ली से होता है। अंशदान करारों के जरिए, सीएफएलआई मौद्रिक सहायता प्रदान करता है जो उन परियोजनाओं की संपूर्ण अथवा आंशिक लागत को कवर करती है जो तुलनात्मक रूप से गुंजाइश, मात्रा और लागत में संतुलित होती हैं और आम तौर पर स्थानीय प्राधिकरणों अथवा संगठनों द्वारा बनाई गई और अभिकलित होती हैं। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान, 1.42 लाख सीएडी की अनुदान सहायता वाले 7 प्रस्तावों में से 0.65 लाख सीएडी वाले 3 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, 3.17 लाख सीएडी की अनुदान सहायता वाले 10 प्रस्तावों में से 0.61 लाख सीएडी वाले 02 प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये हैं।

11. एकीकृत वित्त प्रभाग

11.1 एकीकृत वित्त प्रभाग के प्रमुख वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार होते हैं। यह प्रभाग आर्थिक कार्य विभाग और वित्तीय सेवा विभाग को भी सेवा प्रदान करता है।

11.2 यह प्रभाग निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है:

- (i) आर्थिक कार्य विभाग और वित्तीय सेवा विभाग को वित्तीय परामर्श प्रदान करने/उनसे संबंधित व्यय संबंधी प्रस्तावों की सहमति के लिए जांच-पड़ताल करने हेतु तथा इसके अतिरिक्त, उक्त विभागों के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों जैसे सुस्था अपीलीय अधिकरण (एसएटी)/राष्ट्रीय बचत संस्थान/ऋण वसूली अधिकरण/वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएल आरसी)/चौदहवां वित्त आयोग (14 वां एफसी)/जी-20 सचिवालय/मुद्रा निदेशालय (डीओसी)/अभिरक्षा कार्यालय/ औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण हेतु अपीलीय प्राधिकरण/ औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड/विशेष न्यायालय कार्यालय, मुम्बई और ऑफिस ऑफ कोर्ट लिक्विडेटर, कोलकाता को भी उपरोक्त सेवाएं प्रदान करने हेतु।
- (ii) मासिक/तिमाही समीक्षाओं के माध्यम से व्यय की नियमित रूप से मॉनिटरिंग और संबंधित सचिवों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने सहित व्यय विभाग के अनुसार व्यय का योजितकीकरण और मितव्ययिता उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय नियंत्रक और प्रबंधन करने हेतु।

- (iii) यह प्रभाग अनुदानों की दो विस्तृत मांगों अर्थात् अनुदान सं.-33 आर्थिक कार्य विभाग और अनुदान सं.34 वित्तीय सेवा विभाग का प्रबंध करता है। इस कार्य में बजट/संशोधित बजट/अंतिम आवश्यकताओं का अनुमान/बचतों का अभ्यर्पण और पुनर्विनियोग और शीर्षवार विनियोग लेखों की विधीक्षा को अंतिम रूप देना शामिल है।
- (iv) समग्र वित्त मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों का समन्वयन और मुद्रण।
- (v) वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा वर्ष की अनुदानों की विस्तृत मांगों की जांच संबंधी सभी मामलों के समन्वयन हेतु।
- (vi) वित्त मंत्रालय का परिणामी बजट तैयार करना। साथ ही, आर्थिक कार्य विभाग और वित्तीय सेवा विभाग में विभिन्न एककों के परिणामी बजट लक्ष्यों की मॉनिटरिंग करने हेतु।
- (vii) लोक लेखा समिति/नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के ऑडिट पत्रों संबंधी उत्तरों की मॉनिटरिंग हेतु।
- (viii) स्थायी समिति की रिपोर्टों के कार्यान्वयन के संबंध में लोक सभा/राज्य सभा में नियम 73-ए के सन्दर्भ में माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्यों का समन्वयन, संकलन, मुद्रण और प्रस्तुतिकरण।
- (ix) प्रभाग द्वारा शासित अनुदानों से संबद्ध बजटीय स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

अनुदानों के बजटीय आबंटन (निवल आधार पर)

(करोड़ रु.)

अनुदान		ब.अ. 2013-14	सं.अ. 2013-14	ब.अ. 2014-15
33- आर्थिक कार्य विभाग	आयोजना	4040.00	5630.45	9931.00
	आयोजना-भिन्न	25837.38	5739.25	6875.11
	जोड़	29877.38	11369.70	16806.11
34- वित्तीय सेवा विभाग	आयोजना	16088.00	18188.00	14100.00
	आयोजना-भिन्न	7281.39	9691.70	7536.10
	जोड़	23369.39	27879.70	21636.10

प्रभावी व्यय नियंत्रण हेतु अनुसरित की जाने वाली सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों में निम्नलिखित शामिल हैं;

- (क) व्यय संबंधी प्रगति की मासिक समीक्षा मुख्य शीर्ष/योजनावार ब्यौरा सहित संबंधित सचिवों के साथ की जाती है।
- (ख) ब.अ. आंकड़ों की तुलना में मुख्य शीर्षवार और योजनावार व्यय संबंधी प्रगति वित्त मंत्रालय की वेबसाइट में लगाई जाती है।
- (ग) आंतरिक लेखापरीक्षा करवाकर आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ किया जाता है।
- (घ) परिणाम बजट में शामिल विभागों की प्रमुख योजनाओं/ कार्यक्रमों की प्रति माह मॉनिटरिंग की जाती है।
- (ङ.) नियमित मानीटरिंग से वर्ष के दौरान सीएण्डएजी लेखा परीक्षा पैरा के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पणियों (एटीएन) के मामलों के यथेष्ट संख्या में अंतिम रूप दिया गया।

12 करेंसी निदेशालय (सी एंड सी)

12.1 भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड(एसपीएमसीआईएल)

12.1.1 भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल), एक मिनी रत्न श्रेणी-I, अनुसूची 'क' केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम(सीपीएसई) की स्थापना भारत सरकार की चार टकसालों, दो करेंसी मुद्रालयों, दो प्रतिभूति मुद्रणालयों तथा एक कागज कारखाना, जो कि पहले भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) के सीधे प्रबंधन में थे, के प्रबंधन हेतु 13 जनवरी, 2006 को गई थी। 2500 करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी तथा 5 लाख रुपये की अभिदत्त शेयर पूंजी के साथ इस निगम का सारा स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है।

12.1.2 दो करेंसी मुद्रणालयों अर्थात बैंक नोट प्रेस (बीएनपी), देवास तथा करेंसी नोट प्रेस (सीएनपी), नासिक के करेंसी नोटों का ग्राहक भारतीय रिजर्व बैंक है। अन्य दो प्रतिभूति मुद्रणालयों अर्थात प्रतिभूति मुद्रण प्रेस (एसपीपी), हैदराबाद तथा भारत प्रतिभूति प्रेस (आईएसपी), नासिक के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपरों तथा अन्य स्टाम्पों के लिए राज्य सरकारें तथा डाक लेखन सामग्री, स्टाम्पों आदि के लिए डाक विभाग ग्राहक हैं। प्रतिभूति मुद्रणालय विभिन्न ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रतिभूति मदों जैसे चैक, रेलवे वारन्ट, आयकर विवरणी, आदेश फार्म, बचत लिखतें, स्मारक टिकटे इत्यादि तथा अन्य यात्रा दस्तावेजों का मुद्रण करते हैं। मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा की चार टकसालों के परिचालन, सिक्कों के लिए ग्राहक वित्त मंत्रालय तथा आर्थिक कार्य विभाग है। होशंगाबाद का प्रतिभूति कागज

कारखाना करेंसी/प्रतिभूति मुद्रणालयों के उपयोग हेतु प्रतिभूति कागज का विनिर्माण करता है।

12.1.3 निगम ने वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक नोटों, सिक्कों, प्रतिभूति उत्पादों के उत्पादन तथा कच्ची सामग्री(प्रतिभूति स्याही तथा प्रतिभूति कागज) के उत्पादन में लगभग सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। लक्ष्य प्राप्त करते हुए, एसपीएमसीआईएल ने प्रति कर्मचारी उत्पादकता भी पर्याप्त रूप से बढ़ायी है। निगम ने बैंक नोटों के 8018 मिलियन नगों का उत्पादन किया है और 7941 मिलियन नगों की आपूर्ति की है। यह पिछले वर्ष अर्थात 2012-13 के दौरान बैंक नोटों के 7421 मिलियन नगों के उत्पादन से 8.04% ज्यादा है। प्रति कर्मचारी बैंक नोटों का उत्पादन पिछले वर्ष के दौरान हासिल किए गए 1.84 नगों की तुलना में बढ़कर 1.98 मिलियन नग हो गया है। निगम ने परिचालन सिक्कों के 7650 मिलियन नगों का उत्पादन किया है और सिक्कों के 7676 मिलियन नगों की आपूर्ति की है। यह पिछले वर्ष के दौरान हासिल किए गए 6708 मिलियन नगों के उत्पादन से 14.04% ज्यादा है। प्रति कर्मचारी सिक्कों का उत्पादन पिछले वर्ष के दौरान हासिल किए गए 1.88 मिलियन नगों की तुलना में 2013-14 में बढ़कर 2.26 मिलियन नग हो गया है। निगम ने पिछले वर्ष के दौरान उत्पादित मानक उत्पाद इकाई के 52856 मिलियन नग की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान प्रतिभूति उत्पादों के लिए मानव उत्पाद इकाईयों के 57242 मिलियन नग का उत्पादन किया है। पीएसयू के संदर्भ में प्रति कर्मचारी प्रतिभूति उत्पादों का उत्पादन पिछले वर्ष के दौरान हासिल किए गए 14.39 नग की तुलना में 2013-14 में बढ़कर 16.58 मिलियन नग हो गया है।

12.1.4 निगम ने स्याही फैक्ट्री, देवास से 2012-13 के दौरान उत्पादित 484 एमटी स्याही की तुलना में 2013-14 में 604 मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिभूति स्याही का उत्पादन किया है। यह पिछले वर्ष के उत्पादन से 24.80% ज्यादा है। होशंगाबाद के प्रतिभूति कागज कारखाना ने 3240 एमटी प्रतिभूति कागज का उत्पादन करके 2013-14 के लिए लक्ष्य हासिल कर लिया है तथा मुद्रणालयों को 3106 एमटी प्रतिभूति कागज की आपूर्ति की है।

12.1.5 निगम का बिक्री कारोबार 2011-12 में 3422.68 करोड़ रु. से बढ़कर 2012-13 में 3625.17 करोड़ हो गया है और पिछले वर्ष की तुलना में 5.92% की वृद्धि दर्ज हुई है। 2012-13 के दौरान प्रति कर्मचारी बिक्री मुख्यतः 2012-13 के दौरान उत्पादन में वृद्धि के कारण वर्ष 2011-12 के दौरान 26.70 लाख से 8% बढ़कर 28.76 लाख हो गई है।

12.1.6 निगम ने कर काटने के बाद लाभ (पीएटी) पर 20% लाभांश घोषित किया है तथा वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सरकार को 84.70 करोड़ रुपये की राशि का मुगतान किया है। यह लगातार तीसरा वर्ष है कि एसपीएमसीआईएल ने आरंभ से लाभांश का भुगतान किया है।

एसपीएमसीआईएल ने 1.035 का एमओयू 2012-13 कंपोजिट स्कोर प्राप्त किया है और लगातार चौथे वर्ष के लिए उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की है। एसपीएमसीआईएल ने लगातार चौथे वर्ष वर्ष के लिए 2012-13 डीजीई द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन संबंधी मार्गनिर्देशों के अनुपालन के लिए उत्कृष्ट ग्रेडिंग भी प्राप्त की है। 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, कंपनी ने 2695.38 करोड़ रुपये की प्रारक्षित निधियाँ सृजित की हैं। 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, निगम के पास कुल 6808.43 करोड़ रुपये की आस्तियां हैं।

12.1.7 अपनी आधुनिकता की गति को जारी रखते हुए, निगम ने संयुक्त उद्यम कंपनी में पूंजी कार्यों तथा निदेश पर वर्ष 2012-13 के दौरान 360 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है। एक कंप्यूटर टू आफ सेट प्लेट मेकिंग(सीटीओपी) मशीन करेंसी नोट प्रेस, नासिक में संस्थापित की गई है तथा दूसरी सीटीओपी मशीन को बैंक नोट प्रेस, देवास में स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। दो बैंक नोट प्रसंस्करण प्रणाली(बीपीएस-2000) सीएनपी, नासिक में तथा बीएसपी देवास में, एक-एक संस्थापित की गई है। दो छोटी फिनिशिंग मशीनें बैंक नोट संसाधन के लिए करेंसी नोट प्रेस नासिक में इन्सटाल की गई है। तीन मल्टी-स्ट्रोक मेडल प्रेसस भारत-सरकार टकसाल, चेरलापल्ली, मुम्बई और कोलकता प्रत्येक में एक स्थापित की गई है। एक सोना शोधन संयंत्र भारत-सरकार टकसाल, मुम्बई और एक चांदी शोधन संयंत्र भारत-सरकार टकसाल चेरलापल्ली में लगाया गया। एक पीवीडी कटिंग मशीन सिक्के को रंग भरने के लिए भारत-सरकार टकसाल, नोएडा में लगाई गई। ब्लैक शार्टिंग मशीन का टकसाल में इन्सटालेशन प्रक्रिया में है। यह ब्लैक शार्टिंग मशीन ब्लैक सिक्के की गुणवत्ता सुधारेगी फलस्वरूप सिक्कों की गुणवत्ता सुधरेगी। यूनिटों में आईपी आधारित निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। एसपीएमसीआईएल की सभी यूनिटों में ईआरपी-एसएपी लागू किया गया है और यह स्थिरिकरण के चरण में है।

12.1.8 निगम ने आठ वर्ष की छोटी अवधि में निगमीकरण के सभी उद्देश्य हासिल कर लिए हैं और पूर्व की सरकारी यूनिटों के लिए निगमीकरण सफलतापूर्वक उदाहरण बन गई है।

12.2 स्वदेशीकरण

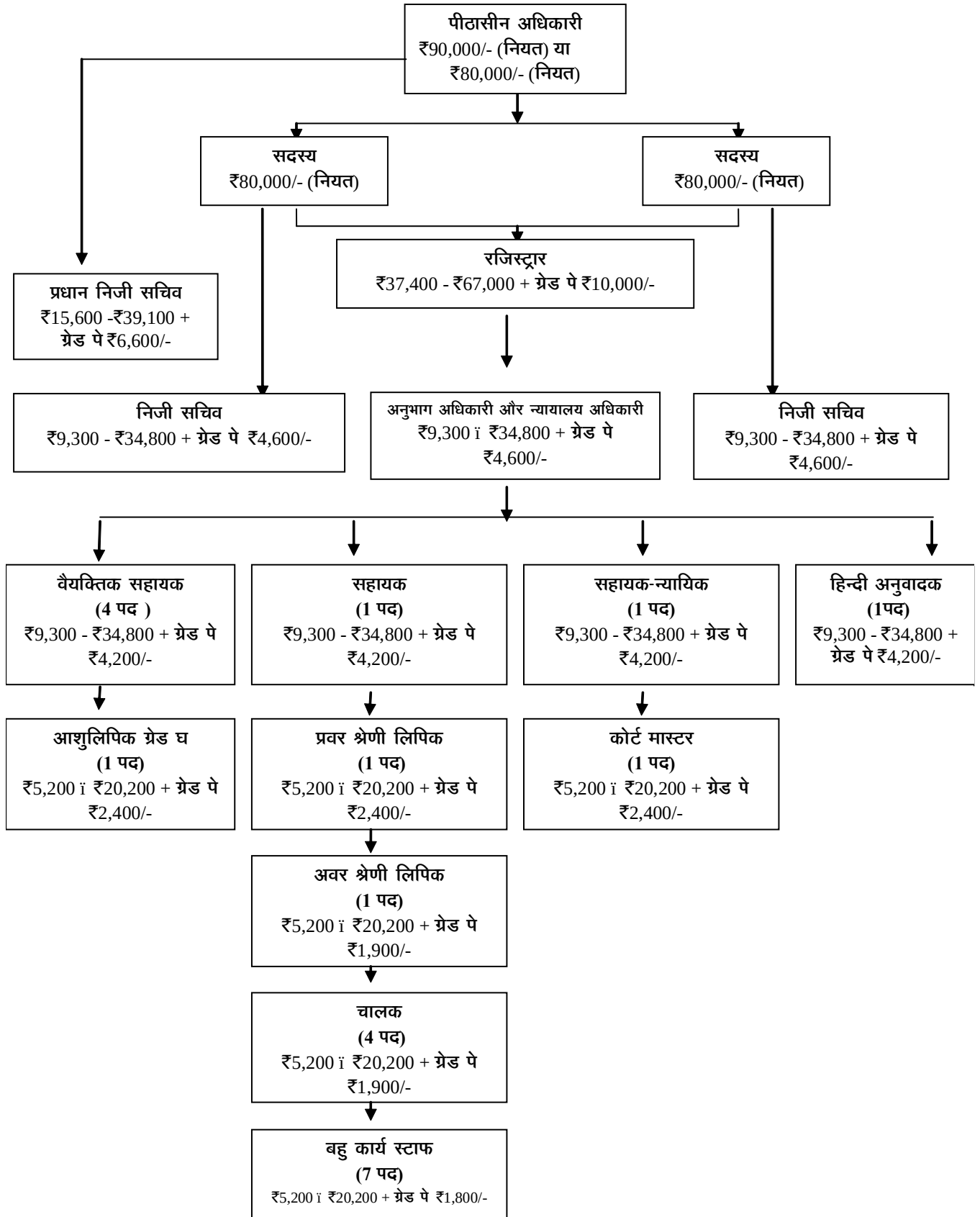
12.2.1 वर्तमान में भारत में बैंक नोटों के मुद्रण हेतु सीडब्ल्यूबीएन कागज की वार्षिक जरूरत लगभग 20,000 एमटी है और उपरोक्त 5%-10% तक जरूरत एसपीएम, होशंगाबाद से उत्पादित कागज से स्वदेशी रूप से की जाती है। शेष जरूरत की पूर्ति आयात के द्वारा की जाती है। इसलिए बैंक नोटों के कागज के स्वदेशीकरण के लिए परियोजनाएं पहले भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रण नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड(बीआरबीएनएमपीएल) और भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड में चलाई जा चुकी है, एक संयुक्त उपक्रम कंपनी मेसर्स भारत बैंक नोट कागज कारखाना प्राइवेट लिमिटेड बीएनपीएमआईपीएल मैसूर में 12000 एमटी वार्षिक की क्षमता को प्रोत्साहित किया, दो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी कागज लाइन का लाने के लिए, जो अग्रिम स्तर पर है। बीएनपीएमआईपीएल 13 अक्टूबर, 2010 में रु.1000 करोड़ की आरंभिक इक्विटी शेयर पूंजी और चुकता इक्विटी पूंजी रु.600 करोड़ के साथ शुरू की गई। जेवी कंपनी का अपना कंपनी कार्यालय बेंगलूर में है और बीआरबीएनपीएम मोशन द्वारा लीज से छोड़ी गई जमीन पर मैसूर में अवसंरचना यूनिट निर्माणाधीन है। इसके अलावा एक नई कागज 6000 एमटी प्रतिवर्ष इन्सटाल क्षमता प्रतिभूति कागज कारखाना होशंगाबाद में भी अग्रिम अवस्था में है। दोनों परियोजनाओं में व्यवसायिक उत्पाद 2014-15 में शुरू होने की अपेक्षा है। ये परियोजनाएं मुख्य सीडब्ल्यूबीएन कागज जरूरत के स्वदेशीकरण का नेतृत्व करेगी, इसके बाद मूल्यवान विदेशी विनिमय को रक्षित करेगा और भारत को बैंक नोटों कागज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगा।

12.2.2 देवास में स्याही कारखाना के आधुनिकीकरण के दो चरण पूरे हो चुके हैं। फिलहाल, एसपीएमसीआईएल आफसेंट, इंटगलियो और नंबरिंग के उत्पादन में आत्मनिर्भर है।

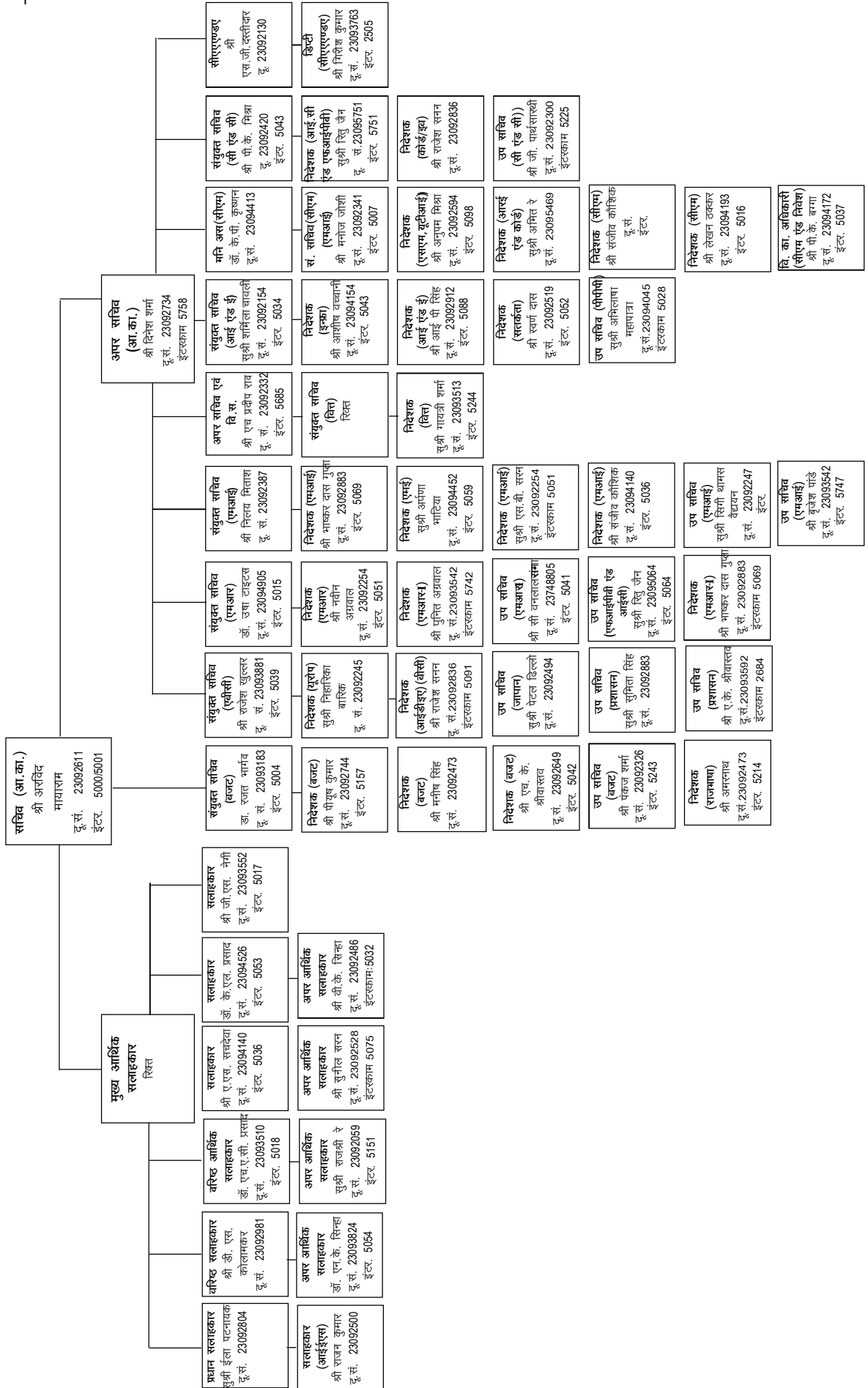
12.3 वर्ष 2013-14 के दौरान जारी स्मारक सिक्के

वर्ष	स्मारक का नाम	जारी करने की तारीख
2013	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की 125वीं जयंती	20.12.2013
2014	श्री आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी	04.02.2014

प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण का संगठन



आर्थिक कार्य विभाग का संगठन चार्ट



व्यय विभाग

1. संस्थापना प्रभाग

1. कार्मिक और प्रशासन प्रभाग

1.1 संस्थापना प्रभाग, संयुक्त सचिव (कार्मिक) के अधीन कार्य करता है तथा केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों की वेतन संरचना और सेवा-शर्तों के निर्धारण से संबंधित सभी मामलों को देखता है जिनमें छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश, मजदूरी नीति का विनिश्चय, वेतनमानों में संशोधन, पदों के सृजन, वेतन निर्धारण के मूलभूत सिद्धांतों, वेतन अनुसंधान, मकान किराया भत्ता, यात्रा/दैनिक भत्ता, महंगाई भत्ता, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न अन्य प्रतिपूर्ति भत्तों, उत्पादकता से जुड़ा बोनस, सामान्य वित्तीय नियमावली, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, स्टाफ कार नियमावली, स्क्रीनिंग कमेटी प्रस्ताव, मितव्ययिता अनुदेश आदि शामिल हैं। संस्थापना प्रभाग, व्यय विभाग से संबंधित प्रशासनिक मामलों के लिए भी उत्तरदायी है।

1.2 यह प्रभाग परिणाम बजट तैयार करने के संबंध में अनुदेश/निर्देश जारी करता है, जो वित्तीय बजट के भौतिक आयाम और पिछले वर्ष के वास्तविक भौतिक निष्पादन दर्शाता है। फ्लैगशिप स्कीमों के परिणाम बजटों का संकलन भी प्रत्येक वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

1.3 गैर-विकासात्मक व्यय को नियंत्रित करने और प्राथमिकता प्राप्त स्कीमों के लिए अतिरिक्त संसाधन जारी करने के उद्देश्य से यह विभाग, व्यय प्रबंधन और मितव्ययिता उपायों तथा व्यय को युक्तिसंगत बनाने के संबंध में समय-समय पर वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देश जारी करता रहा है। इन उपायों का उद्देश्य सरकार की प्रचालन दक्षता को बाधित किए बगैर राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देना है। ऐसे अनुदेश पिछली बार 18 सितम्बर, 2013 को जारी किए गए थे।

1.4 सातवां केन्द्रीय वेतन आयोग: 28 फरवरी, 2014 के संकल्प द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन किया गया है। इस संकल्प में आयोग के संघटन और विचारार्थ विषयों का उल्लेख है और यह भी परिकल्पना की गई है कि आयोग अपने गठन की तारीख से 18 माह के अन्दर सिफारिशें प्रस्तुत कर देगा।

1.5 सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग में निम्नलिखित शामिल हैं:

1.	अध्यक्ष	-	न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार माथुर
2.	सदस्य	-	श्री विवेक राय
3.	सदस्य	-	डॉ. रथिन रॉय
4.	सचिव	-	श्रीमती मीना अग्रवाल

1.6 वेतन से संबंधित मामले: वर्ष 2013-14 के दौरान केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने या अन्यथा और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर

भी ये सिफारिशें लागू किए जाने के परिणामस्वरूप वेतन मामले से संबंधित विभिन्न समस्याओं तथा उनके संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा समय-समय पर संदर्भित कानूनी/न्यायालय मामलों पर समुचित प्रकार से कार्रवाई की गई।

1.7 सूचना का अधिकार अधिनियम: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को सही भावना से लागू किया जा रहा है और अधिनियम के अंतर्गत दर्शाए जाने के लिए अपेक्षित सूचना, विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी आवेदकों को समय पर सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करते हैं और अपील प्राधिकारी अपीलों पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। प्रकोष्ठ द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग को तिमाही विवरणियां प्रस्तुत की जाती हैं।

2. वेतन अनुसंधान एकक

2.1 वेतन अनुसंधान एकक की स्थापना 1968 में की गई थी और इसका मुख्य कार्य केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कर्मचारियों के वेतन और विभिन्न प्रकार के भत्तों पर किए गए वास्तविक व्यय तथा इन कर्मचारियों की संख्या से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, संकलन और विश्लेषण करना है। यह एकक 'केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर पुस्तिका (ब्रोशर)' नाम से एक वार्षिक पुस्तिका भी प्रकाशित करता है। यह ब्रोशर केन्द्र सरकार के भिन्न-भिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके नियमित कर्मचारियों के संबंध में वेतन एवं विभिन्न प्रकार के भत्तों जैसे कि महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, प्रतिपूर्ति भत्ता, समयोपरि भत्ता आदि पर किए गए व्यय के संबंध में सांख्यिकीय सूचना उपलब्ध कराता है। मंत्रालय/विभाग-वार और समूहवार स्वीकृत पदों और उन पर विद्यमान पदधारकों की संख्या की सूचना भी इसमें उपलब्ध कराई जाती है।

2.2 एकक ने जुलाई, 2013 में वर्ष 2012-13 के लिए ब्रोशर की शृंखला का 34वां अंक प्रकाशित किया।

3 एकीकृत वित्त एकक

3.1 एकीकृत वित्त एकक, संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार (वित्त) के अधीन कार्य करता है तथा अनुदान संख्या 39 - व्यय विभाग के तहत व्यय और बजट से संबंधित प्रस्तावों पर कार्रवाई करता है जिनमें (i) व्यय विभाग, महालेखानियंत्रक, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, वित्त आयोग प्रभाग, कर्मचारी निरीक्षण एकक, लागत लेखा शाखा और मुख्य लेखा नियंत्रक के लिए संस्थापना बजट को शामिल करते हुए सचिवालयी सामान्य सेवाएं; तथा (ii) शासकीय लेखा और वित्त संस्थान, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान के लिए बजट को शामिल करते हुए अन्य प्रशासनिक सेवाएं; और अंतर्राष्ट्रीय निकाय (ए.जी.ए.ओ.ए.) में योगदान तथा नई पेंशन स्कीम के लिए केन्द्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेन्सी को सेवा प्रभागों के भुगतान से संबंधित बजट शामिल है।

3.2 यह एकक अनुदान संख्या 40 - पेंशन; और अनुदान संख्या 41 - भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के तहत व्यय की मॉनिटरिंग भी करता है। अलग-अलग अनुदानों के अंतर्गत आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

अनुदान सं.	बजट प्राक्कलन 2013-14			संशोधित प्राक्कलन 2013-14		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
39 - व्यय विभाग	4.00	136.12	140.12	3.00	130.00	133.00
40 - पेंशन	-	21049.00	21049.00	-	22815.00	22815.00
41 - भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग	-	2623.87	2623.87	-	2757.34	2757.34

3.3 एकीकृत वित्त एकक ने समय-समय पर जारी मितव्ययिता अनुदेशों का विधिवत अनुपालन करते हुए परामर्शदाताओं की नियुक्ति, अधिकारियों की विदेश में प्रतिनियुक्ति, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान को सहायता अनुदान सहित, व्यय विभाग से संबंधित वित्तीय एवं व्यय संबंधी प्रस्तावों की शीघ्रता से जांच की और उनका निपटान किया।

3.4 अनुदान संख्या 39, 40 और 41 के व्यय के रुझान पर निरंतर निगरानी रखी गई है और सरकारी व्यय पर कड़ा नियंत्रण रखा गया है। एक समीक्षा रिपोर्ट सचिव (व्यय) को त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत की जाती है।

4. प्रापण नीति प्रभाग

4.1 लोक प्रापण समिति की रिपोर्ट के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए और लोक प्रापण विधेयक का प्रारूप तैयार करने तथा अन्य संबंधित मामलों जैसे नियमों का प्रारूप तैयार करने और केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के गठन के संबंध में इस विभाग में जून, 2011 में एक लोक प्रापण प्रकोष्ठ (पीपीसी) गठित किया गया था। धीरे-धीरे इस प्रकोष्ठ का सुदृढीकरण किया गया और प्रापण नीति प्रभाग (पीपीडी) नामक एक प्रभाग एक निदेशक, एक अवर सचिव, एक सहायक निदेशक और एक सहायक के साथ ओएसडी (पीपीडी) के समग्र पर्यवेक्षण में सृजित किया गया।

4.2 तत्पश्चात्, पीपीडी के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया। अब यह प्रभाग निम्नलिखित कार्य देखता है:-

- लोक प्रापण कानून एवं नियम, अधिसूचनाएं, उनके अंतर्गत आदेश;
- माल एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति और संविदा प्रबंधन के संबंध में सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के प्रशासन सहित लोक प्रापण संबंधी नीतियां; अनिवार्य अथवा अधिमाम्य प्रापण संबंधी नीतियां;
- प्रापण संबंधी दस्तावेजों के मानकीकरण से संबंधित मामले;
- लोक प्रापण संबंधी सूचना प्रकाशित करने के लिए स्थापित केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल से संबंधित सभी मामले;
- इलेक्ट्रॉनिक प्रापण संबंधी मामले;

(vi) प्रापण का कार्य देखने वाले अधिकारियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले व्यावसायिक मानक और इसके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण एवं प्रमाणन अपेक्षाएं;

(vii) लोक प्रापण संबंधी मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ इंटरफेस।

4.2.1 केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल एवं ई-प्रापण

- लोक प्रापण समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, लोक प्रापण के संबंध में व्यापक सूचना और आंकड़े उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल की स्थापना की गई है और यह www.eprocure.gov.in पर उपलब्ध है। इस समय, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त/सांविधिक निकायों द्वारा इस पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। पोर्टल पर निविदा पूछताछ, उनसे संबंधित शुद्धिपत्र तथा सौंपी गई संविदाओं के विवरण का ई-प्रकाशन दिनांक 01.01.2012 से चरणबद्ध रूप में अनिवार्य बना दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, यह भी निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में ई-प्रापण कार्यान्वित किया जाए और 2 लाख रुपए अथवा इससे अधिक अनुमानित मूल्य के सभी प्रापणों के संबंध में चरणबद्ध रूप में ई-प्रापण प्रारंभ करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। ई-प्रापण के प्रयोग से पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ेगी और प्रापण अधिक दक्ष बनेगा। इससे विलंब पर निगरानी रखने और प्रापण चक्र में कमी लाने में भी सहायता मिलेगी।

5. योजना वित्त-I प्रभाग

5.1 राज्य योजना स्कीमें:

योजना आयोग द्वारा यथा-अनुमोदित राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था राज्यों के अपने निजी संसाधनों, राज्यों द्वारा उधार लेकर और केन्द्र सरकार से केन्द्रीय सहायता लेकर

की जाती है। विभिन्न राज्य योजना स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को राज्यीय योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है। केन्द्रीय सहायता में सामान्य केन्द्रीय सहायता, विशेष योजना सहायता और विशेष केन्द्रीय सहायता, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता तथा विशिष्ट स्कीमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता शामिल हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन जैसी विभिन्न नियमित योजना स्कीमों के तहत राज्य सरकारों को धन मुहैया कराया जाता है। वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न राज्य योजना स्कीमों के संबंध में एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है:

5.1.1 सामान्य केन्द्रीय सहायता

सामान्य केन्द्रीय सहायता का आबंटन राज्यों की जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय, कार्य-निष्पादन और विशेष समस्याओं जैसे कारकों पर विचार करके एन.डी.सी. द्वारा अनुमोदित गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले के आधार पर किया जाता है। व्यय विभाग, योजना आयोग द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार, सामान्य केन्द्रीय सहायता के तहत धन मुहैया कराता है। वर्ष 2013-14 के दौरान, विभिन्न राज्यों को 25,642.27 करोड़ रुपए की राशि सामान्य केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी की गई थी।

5.1.2 विशेष केन्द्रीय सहायता/विशेष योजना सहायता

सामान्य केन्द्रीय सहायता और स्कीम विशिष्ट अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अलावा, राज्यों की वार्षिक योजनाओं को वित्तपोषित करने में संसाधनों की कमी की पूर्ति के लिए योजना आयोग द्वारा विशिष्ट श्रेणी के राज्यों को असंबद्ध विशेष केन्द्रीय सहायता भी आबंटित की जा रही है। यह सहायता किसी विशिष्ट स्कीम से संबद्ध नहीं है तथा यह, वित्त मंत्रालय द्वारा ऐसे राज्यों को सामान्य केन्द्रीय सहायता की पद्धति पर जारी की जाती है। वर्ष 2013-14 के दौरान विशेष श्रेणी के राज्यों को 10,771.00 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी।

विशेष योजना सहायता, राज्यों द्वारा अभिनिर्धारित उन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों को विकासात्मक स्वरूप के अनावर्ती खर्च के लिए मुहैया कराई जाती है जो किसी केन्द्रीय स्कीम में शामिल नहीं होती हैं। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 6480.15 करोड़ रुपए की विशेष योजना सहायता जारी की गई थी, जिसमें उत्तराखंड राज्य के लिए मंत्रिमंडल द्वारा यथा-अनुमोदित वर्ष 2013-14 के दौरान मध्यम और दीर्घकालिक पुनर्निर्माण पैकेज के लिए जारी की गई 165 करोड़ रुपए की अतिरिक्त विशेष योजना सहायता शामिल है।

5.1.3 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जो 15 अगस्त, 1995 से लागू हुआ, संविधान के अनुच्छेद 41 में दिए गए नीति-निर्देशक सिद्धांतों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक सहायता हेतु उन लाभों जिन्हें राज्य इस समय मुहैया करा रहे हैं अथवा भविष्य में मुहैया करा सकते

हैं, के अतिरिक्त, न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करना है। इस समय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय परिवार हितलाभ स्कीम और अन्नपूर्णा स्कीम शामिल हैं।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का संचालन वर्ष 2002-03 तक, अर्थात् इसके राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित किए जाने तक ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में किया गया था। इस परिवर्तन के साथ ही, इन स्कीमों के संचालन के लिए निधियां अब वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तौर पर जारी की जा रही हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की दर प्रति लाभार्थी 200 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिमाह किए जाने के साथ-साथ दिनांक 01.10.2012 से योग्यता मानदंडों में संशोधन करके क्रमशः 40-59 वर्ष को बढ़ाकर 40-79 वर्ष और 18-59 वर्ष को बढ़ाकर 18-79 वर्ष कर दिया गया है। दिनांक 18.10.2012 से योग्यता मानदंडों में संशोधन करके आयु को 18-64 वर्ष से घटाकर 18-59 वर्ष किए जाने के साथ राष्ट्रीय परिवार हितलाभ स्कीम के अंतर्गत एकमुश्त अनुदान भी 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। इस स्कीम के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मुहैया कराई जाने वाली अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की सीमा का निर्णय योजना आयोग द्वारा लिया जाता है, जबकि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का राज्यवार आबंटन ग्रामीण विकास मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकारों को 9046.39 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। वित्त वर्ष 2014-15 से यह स्कीम संबंधित मंत्रालय अर्थात् ग्रामीण विकास मंत्रालय को हस्तांतरित कर दी गई है।

5.1.4 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि स्कीम

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का उद्देश्य देश के सर्वाधिक पिछड़े इलाकों और जिलों का त्वरित सामाजिक आर्थिक विकास करना है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को मूल रूप से मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति द्वारा 10.08.2006 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया था। स्कीम के दो घटक हैं, अर्थात् (i) जिला घटक, जिसमें 27 राज्यों के 272 पिछड़े जिले शामिल हैं, और (ii) राज्य घटक जिसमें बिहार के लिए विशेष योजना, पश्चिम बंगाल के लिए विशेष योजना और ओडिशा के कालाहांडी-बोलंगीर-कोरापुट (केबीके) जिले के लिए विशेष योजना, बुंदेलखंड पैकेज शामिल हैं। वर्ष 2012-13 तक इसमें एकीकृत कार्य योजना भी शामिल थी। जिला और राज्य दोनों घटकों के लिए 100% अनुदान आधार पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता निश्चित की गई थी। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के लिए कार्यान्वयन मंत्रालय (क) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के जिला घटक के लिए पंचायती राज मंत्रालय, (ख) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के राज्य घटक के लिए - योजना आयोग हैं। राज्य घटक के लिए व्यय विभाग द्वारा मांग संख्या 36 से धन मुहैया कराया जाता है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि स्कीम को 12वीं योजना

में जारी रखने का मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत 3530.52 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

5.1.5 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता:-

योजना आयोग ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों को सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2013-14 में एक नई बजट लाइन आरंभ की है। इससे पहले, एकीकृत कार्य योजना के मध्यम वर्ष 2010-11 से तीन वर्ष की अवधि के लिए सहायता प्रदान की जाती थी। एकीकृत कार्य योजना के तहत 6090 करोड़ रु. की कुल सहायता प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने दिनांक 01.08.2013 को हुई अपनी बैठक में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता नामक स्कीम का अनुमोदन किया। इसके अनुसार, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित प्रत्येक जिले के लिए वर्ष 2013-14 और 2014-15 में 30 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की दर से आबंटन होगा। यह सहायता एकीकृत कार्य योजना के तहत 82 जिलों से बढ़ा कर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों के 88 जिलों को दी जा रही है। वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक और जिला वन अधिकारी की एक जिला स्तरीय समिति के अधिकार में यह धनराशि दी जाती है। यह समिति अपने आकलन द्वारा आवश्यकतानुसार विकास स्कीमों के लिए धनराशि खर्च कर सकती है। स्कीम के तहत परियोजनाओं/कार्यों को अंतिम रूप देते समय समिति द्वारा स्थानीय सांसदों से परामर्श किया जाता है।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए बजट प्राक्कलन 2013-14 में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान था। तथापि, योजना आयोग की सिफारिशों पर मांग सं. 36 से आंतरिक बचतों से निधियों के पुनर्विनियोजन के माध्यम से वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 1209 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी।

5.1.6 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम बड़ी और बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने के लिए, जहां ठोस प्रगति हुई हो किंतु राज्यों की संसाधन क्षमता के बाहर हो, राज्यों को केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान करने के लिए 1996-97 में आरंभ किया गया था।

वर्ष 2004-05 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत अनुदान घटक आरंभ किया गया था। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 01.04.2005 से ऋण घटक समाप्त कर दिया गया था। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में बड़ी, मध्यम, लघु भूतल सिंचाई परियोजनाओं, राष्ट्रीय परियोजनाओं और कमांड क्षेत्र विकास में शामिल परियोजनाओं, बाढ़ प्रबंधन तथा जलाशयों की मरम्मत, नवीकरण एवं बहाली के लिए केन्द्रीय सहायता शामिल है।

वर्ष 2013-14 के दौरान मंत्रिमंडल ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जलाशयों की मरम्मत, नवीकरण

एवं बहाली को 12वीं योजना में जारी रखे जाने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया। 12वीं योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत नई परियोजनाओं के वित्तपोषण की विधि इस प्रकार है:

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत स्कीम/परियोजना	विशेष श्रेणी के राज्य (% में केन्द्रीय सहायता का हिस्सा)	सामान्य श्रेणी के राज्य (% में केन्द्रीय सहायता का हिस्सा)
बड़ी/मध्यम परियोजनाएं	90	25*
लघु सिंचाई स्कीम	90	75
राष्ट्रीय परियोजनाएं	90	75
कमांड क्षेत्र विकास	50	50
जलाशयों की मरम्मत, नवीकरण एवं बहाली	90	25
बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	70	50

* सामान्य श्रेणी के राज्यों के विशेष क्षेत्रों के लिए 75%

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत बजट प्राक्कलन (2013-14) 12962.00 करोड़ रुपए था। जल संसाधन मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों को वर्ष 2013-14 के दौरान 4629.99 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 01.04.2014 से प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् जल संसाधन मंत्रालय द्वारा धनराशि जारी की जाएगी।

5.1.7 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन मंत्रिमंडल द्वारा दिसम्बर, 2005 में अनुमोदित किया गया था और वर्ष 2012 तक 7 वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित किया गया था। मार्च, 2012 तक संस्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इस स्कीम को सीसीआई द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 31.03.2013 तक बढ़ा दिया गया था। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य परि-शहरी क्षेत्रों सहित शहरों में बुनियादी सेवाओं का एकीकृत विकास करना, परिसम्पत्ति सृजन और परिसम्पत्ति प्रबंधन के मध्य प्रभावी लिंकेज सुनिश्चित करना ताकि सृजित परिसम्पतियां स्वतः टिकाऊ बन सकें, शहरी नवीकरण आरंभ करना अर्थात् पुराने शहरों आदि का पुनर्विकास करना है। इस स्कीम का मुख्य जोर स्वच्छता, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित जल आपूर्ति, शहरी नवीकरण, शहरी परिवहन इत्यादि और गरीबों के लिए आवास से संबंधित अवसंरचना परियोजनाओं के सृजन पर है। यह स्कीम सुधार आधारित है और इसके 4 घटक हैं:-

- शहरी अवसंरचना और प्रशासन संबंधी उप-मिशन
- लघु और मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम
- शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाओं संबंधी उप-मिशन
- एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम

सरकार ने 2013-2022 के दौरान मिशन मोड में कार्यान्वित किए जाने हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में राजीव आवास योजना आरंभ करने और राजीव आवास योजना के भाग के रूप में किफायती आवास भागीदारी स्कीम को संशोधनों के साथ जारी रखने के लिए अनुमोदन दिया था। योजना आयोग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजीव आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु 32,230 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं।

सरकार ने शहरी परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए पर्वतीय राज्यों पर विशेष बल देते हुए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत 10,000 बसों के प्रापण के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया।

वर्ष 2013-14 के दौरान राजीव आवास योजना हेतु जारी किए गए 705.73 करोड़ रुपए सहित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत राज्य सरकारों को **7559.00** करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी की गई। वर्ष 2014-15 से स्कीम हेतु बजट आबंटन जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अलग-अलग घटक कार्यान्वित कर रहे संबंधित मंत्रालयों अर्थात् शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है।

5.1.8 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना

सरकार ने 18 मई, 2006 को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना अनुमोदित की, जिसमें 27 मिशन मोड परियोजनाएं और 8 घटक शामिल हैं। इस स्कीम में सभी सरकारी सेवाओं को सामान्य सेवा डिलीवरी केन्द्रों के जरिए आम आदमी को उसके स्थान पर ही उपलब्ध कराने तथा कम लागत पर ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। इस समय, इस स्कीम के तहत चार घटक प्रचालनरत हैं:

- (i) सामान्य सेवा केन्द्र
- (ii) स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क
- (iii) राज्य डाटा केन्द्र
- (iv) क्षमता निर्माण

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस स्कीम का प्रभारी नोडल मंत्रालय है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत वर्ष 2012-13 में 190.00 करोड़ रुपए के बजट आबंटन में से इस स्कीम के लिए 89.54 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। वर्ष 2013-14 के लिए 315 करोड़ रुपए के बजट आबंटन में से इस स्कीम के लिए 242.51 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत राज्य के कोषागार का कंप्यूटरीकरण - भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 2010 को एक करोड़ रुपए प्रति विद्यमान जिला के हिसाब से कुल 626 करोड़ रुपए की लागत (482 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता के साथ) से राज्यों के कोषागारों के कंप्यूटरीकरण की स्कीम अनुमोदित की है। इस योजना से राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को अपने मूलभूत कंप्यूटरीकरण में

मदद मिलने के अलावा, अपने राजकोष-कंप्यूटरीकरण, उन्नयन, विस्तार एवं इंटरफेस संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस स्कीम के अंतर्गत सेवाओं के सांकेतिक न्यूनतम सेट में कारोबार प्रक्रिया का पुनर्गठन, डाटा के आदान-प्रदान के लिए मानकीकृत प्रारूपों की डिजाइन और विकास, बजट मॉड्यूल, लेखा मॉड्यूल, कार्मिक प्रबंधन और वेतन रोल मॉड्यूल, पेंशन मॉड्यूल, प्राप्ति मॉड्यूल, कोष प्रबंधन मॉड्यूल, प्रत्यक्ष कोषागार मॉड्यूल, बैंकिंग इंटरफेस मॉड्यूल, सी एंड एजी इंटरफेस मॉड्यूल, वित्तीय डाटा भंडारण मॉड्यूल, आहरण और संवितरण अधिकारियों तथा बैंकों से ई-स्टेट्स पूछताछ, ई-लेखापरीक्षा और कोई अन्य संगत कार्य शामिल हैं। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना के तहत कोषागार कंप्यूटरीकरण के लिए 21 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया जा चुका है और इन राज्यों के लिए अब तक 148 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी की जा चुकी है। ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं: गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, नगालैण्ड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड तथा पुडुचेरी, चंडीगढ़ और दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित मिशन मोड राज्य कोषागार कंप्यूटरीकरण परियोजना घटक को छोड़कर राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना स्कीम वर्ष 2014-15 से संबंधित मंत्रालय अर्थात् संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मांग में हस्तांतरित कर दी गई है। वर्ष 2014-15 के लिए मिशन मोड राज्य कोषागार कंप्यूटरीकरण परियोजना हेतु 50 करोड़ रुपए का बजट आबंटन किया गया है।

5.2 विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

वर्ष 2004-05 तक विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, सामान्य केन्द्रीय सहायता की पद्धति पर जारी की जाती थी अर्थात् सामान्य श्रेणी के राज्यों को 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान तथा विशिष्ट श्रेणी के राज्यों को 10 प्रतिशत ऋण और 90 प्रतिशत अनुदान। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर विदेशी सहायता के बैक-टू-बैक (बी 2 बी) अंतरण की एक नई प्रणाली अप्रैल, 2005 से शुरू की गई थी, जिसके तहत सामान्य श्रेणी के राज्यों को विदेशी सहायता उन्हीं निबंधन व शर्तों पर दी जाती है जिन पर यह सहायता, केन्द्र सरकार को दाता एजेंसियों से प्राप्त होती है। चालू परियोजनाओं (01 अप्रैल, 2005 से पहले हस्ताक्षरित) के मामलों में सामान्य श्रेणी के राज्यों को यह सहायता सामान्य केन्द्रीय सहायता पद्धति (70 ऋण : 30 अनुदान) पर दी जाती रहेगी। विशेष श्रेणी के राज्य विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण की पद्धति पर पहले की ही भांति प्राप्त करते रहेंगे। सहायता, लेखा और लेखापरीक्षा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकारों को 13353.28 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

5.3 अन्य स्कीमें

विशेष केन्द्रीय सहायता, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसी अन्य स्कीमों के लिए भी दी जाती है। वर्ष 2013-14 में पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 990 करोड़ रुपए और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 279.59 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। वर्ष 2014-15 से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्कीम गृह मंत्रालय को हस्तांतरित कर दी गई है।

वर्ष 2013-14 में अन्य परियोजनाओं के लिए 1259.23 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी कर दी गई है। वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकारों को आबंटित एवं जारी की गई भिन्न-भिन्न प्रकार की सहायता निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गई है।

वर्ष 2013-14 में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की मांग सं. 36 (पहले मांग सं. 35) के तहत स्कीम-वार परिव्यय और राज्यों को जारी केन्द्रीय योजना सहायता

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम	2013-14 (बजट प्राक्कलन)	2013-14 (संशोधित प्राक्कलन)	2013-14 के दौरान जारी सहायता
1	समान्य केन्द्रीय सहायता	27636.00	27236.00	25642.27
2	विशेष योजना सहायता	6341.00	6341.00	6480.15
3	विशेष केन्द्रीय सहायता (असम्बद्ध)	9571.00	9571.00	10771.00
4	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता-अन्य परियोजनाएं	1261.00	1420.31	1259.23
5	अन्य अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	540.00	540.00	166.00
6	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	13500.00	14779.97	13353.29
7	पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम/ डब्ल्यूजीडीपी के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	300.00	300.00	279.59
8*	सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	990.00	990.00	990.00
9*	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	12962.00	6162.00	4630.00
10*	अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	9541.00	9541.00	9046.39
11*	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना	315.00	315.00	242.51
12	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता	5000.00	5000.00	3530.52
13	वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	1000.00	1000.00	1209.00
14	चेन्नै स्थित विलवणीकरण संयंत्र के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	0.00	226.69	399.56
15*	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (जिसमें से)	14000.00	10000.00	7559.00
	शहरी अवसंरचना और प्रशासन संबंधी उप मिशन	5000.00	3667.94	2381.79
	लघु और मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम संबंधी उप मिशन	4478.00	3523.24	2921.28
	शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाएं संबंधी उप मिशन	1500.00	918.82	966.20
	एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम संबंधी उप मिशन	1000.00	743.59	584.00
	राजीव आवास योजना	2022.00	1146.41	705.73
	जोड़	102957.00	93422.97	85558.51

* मंत्रिमंडल के हाल के अनुमोदन के अनुसार, वर्तमान में मांग सं. 36 के तहत बजट प्रावधान वाली पांच अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीमों (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम) के अंतर्गत आबंटन वर्ष 2014-15 से संबंधित मंत्रालयों की संबंधित अनुदान मांगों को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

6. वित्त आयोग प्रभाग

6.1 राज्यों के लिए गैर-योजना अनुदान

वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को गैर-योजना अनुदानों के जरिए सहायता दी जाती है। 13वें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि 01.04.2010 से 31.03.2015 तक है। वर्ष 2013-14 तेरहवें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि का तीसरा वर्ष है। वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्यों को गैर-योजना राजस्व घाटे, निष्पादन प्रोत्साहन, स्थानीय निकायों, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, न्याय प्रदान करने, सांख्यिकी प्रणाली में सुधार, जिला नवाचार कोष, प्राथमिक शिक्षा, सड़क एवं पुल, जल क्षेत्र प्रबंधन, वन और राज्य विशिष्ट जरूरतों (2013-14 के लिए 62134.40 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान का 86 प्रतिशत) के लिए सहायता अनुदान के रूप में 53904.54 करोड़ रुपए गैर-योजना खाते में जारी किए जा चुके हैं। वर्ष 2013-14 राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत जारी की गई सहायता के अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 4649.94 करोड़ रुपए जारी किए गए।

2 जनवरी, 2013 की अधिसूचना के द्वारा चौदहवें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। यह आयोग 1 अप्रैल, 2015 से आरंभ पांच वर्ष की अवधि के लिए सिफारिशें करेगा।

6.2 राज्यों का राजकोषीय समेकन (2010-15)

तेरहवें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन की रूपरेखा तैयार की है जिसके लिए अधिक से अधिक 2014-15 तक उन्हें अपना राजस्व घाटा समाप्त करना होगा तथा राजकोषीय घाटे को अपने-अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लाना होगा। इसने राज्यों के लिए जीडीपी के 24.3 प्रतिशत के संयुक्त ऋण लक्ष्य की भी सिफारिश की है जिसे इसी अवधि में प्राप्त करना है। राज्यों को प्रत्येक राज्य के लिए संस्तुत राजकोषीय समेकन रूपरेखा को समाहित करने के लिए अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम संशोधित अथवा अधिनियमित करने होंगे।

27 राज्यों ने तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथा-निर्धारित सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में अपने राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे और ऋण के लक्ष्य समाविष्ट करते हुए राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम बना लिए हैं/संशोधित कर लिए हैं। शेष एक राज्य के 2006 में अधिनियमित राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में राजकोषीय समेकन की रूपरेखा पहले से ही है और वह अधिनिर्णय अवधि के पहले तीन वर्षों (अर्थात् 2010-11 से 2012-13) के लिए तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है। राज्य सरकार को तेरहवें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि के अंतिम दो वर्षों के लक्ष्य शामिल करने हेतु अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन करने के लिए कहा गया है।

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित नियम आधारित राजकोषीय समेकन के रास्ते से जिसमें व्यय को युक्तिसंगत बनाने के उपाय शामिल हैं, राजकोषीय कार्य-निष्पादन में चौतरफा सुधार हुआ है। राज्य कुल मिलाकर तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राजकोषीय

लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहे हैं। वर्ष 2013-14 (बजट प्राक्कलन) की स्थिति संक्षेप में इस प्रकार है:

- कुल राजस्व अधिशेष सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 0.49% है, जो तेरहवें वित्त आयोग के 0.1% के राजस्व घाटे के अनुमान से बेहतर है।
- कुल राजकोषीय घाटा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 2.4% के लक्ष्य की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का 2.11% है।
- कुल ऋण और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 20.9% है, जो तेरहवें वित्त आयोग के 24.8% के लक्ष्य के अन्दर है।

6.3 तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत ऋण राहत

तेरहवें वित्त आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की है कि राज्यों का अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का अधिनियमन/संशोधन जिसमें उनके लिए विनिर्दिष्ट राजकोषीय लक्ष्य समाविष्ट हों, ऋण राहत उपायों (एनएसएसएफ ऋणों पर ब्याज दरों का पुनर्निर्धारण और वित्त मंत्रालय से भिन्न मंत्रालयों के केन्द्रीय ऋणों को बट्टे खाते डाला जाना) और सभी राज्य विशिष्ट अनुदानों को जारी किए जाने के लिए पूर्व शर्त होगी।

6.3.1 एनएसएसएफ ऋणों पर राहत

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें और उन पर लिए गए अनुवर्ती निर्णय निम्नलिखित हैं:

- किसी राज्य को तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के संशोधन/अधिनियमन की तारीख से एनएसएसएफ ऋणों पर ब्याज राहत के लिए पात्र माना जाएगा।
- वित्त वर्ष 2012-13 से एनएसएसएफ ऋणों के संबंध में ब्याज राहत पाने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लक्ष्यों का अनुपालन एक पूर्व अपेक्षा होगी।

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट लक्ष्यों को शामिल करते हुए राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में आवश्यक संशोधन (अधिकतर राज्यों द्वारा 2011-12 में) किए जाने के पश्चात् राज्य, एनएसएसएफ ऋणों पर ब्याज राहत के पात्र हो गए। तीन राज्यों को वर्ष 2010-11 में राहत हेतु पात्र पाया गया और अट्ठाइस राज्यों को वर्ष 2011-12 में राहत हेतु पात्र पाया गया।

वर्ष 2012-13 से, राज्यों को उनके राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियमों में राजकोषीय लक्ष्यों के अनुपालन के आधार पर राहत दी जाती है, जैसा कि उस वर्ष, जिसमें राहत दी जाती है, के उनके बजट प्राक्कलन आंकड़ों से परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012-13 से राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्यों का निरन्तर अनुपालन, एनएसएसएफ ऋणों पर

राहत प्रदान किए जाने की एक पूर्वापेक्षा है। वर्ष 2012-13 (संशोधित प्राक्कलन) और 2013-14 (बजट प्राक्कलन) में वर्ष 2012-13 के लिए 15 राज्य और वर्ष 2013-14 के लिए 19 राज्य अंतिम ब्याज राहत पाने के पात्र हो गए। इन राज्यों की पात्रता स्थिति का क्रमशः वर्ष 2012-13 के लिए वित्त लेखों और वर्ष 2013-14 के लिए संशोधित प्राक्कलन प्राप्त होने के बाद पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।

6.3.2 केन्द्रीय ऋणों (सीएसएस/सीपीएस) को बड़े खाते डालना

तेरहवें वित्त आयोग ने भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित स्कीमों/केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए वित्त मंत्रालय से भिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के माध्यम से दिए गए और दिनांक 31.03.2010 को बकाया ऋणों को तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में राज्यों द्वारा अपने राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम के अधिनियमन/संशोधन के अध्यक्षीन बड़े खाते डाले जाने की सिफारिश की है। राज्यों द्वारा अपने राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम के अधिनियमन/संशोधन कर लिए जाने के पश्चात् केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों/केन्द्रीय योजना स्कीमों की बकाया 2050.10 करोड़ रुपये की ऋण राशि वर्ष 2011-12 में बड़े खाते डाली गई है। केन्द्रीय निगरानी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, दिनांक 31.03.2010 के पश्चात् राज्यों द्वारा केन्द्र प्रायोजित स्कीमों/केन्द्रीय योजना स्कीमों के तहत मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए कुल 220.83 करोड़ रुपये की धनराशि का समायोजन वर्ष 2012-13 के दौरान वित्त मंत्रालय के बकाया केन्द्रीय ऋणों में किया गया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.03.2010 के पश्चात् राज्यों द्वारा केन्द्र प्रायोजित स्कीमों/केन्द्रीय योजना स्कीमों के तहत मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए कुल 63.68 करोड़ रुपये की धनराशि का समायोजन वर्ष 2012-13 के दौरान वित्त मंत्रालय के बकाया केन्द्रीय ऋणों में किया गया है।

6.4 ऋण

वर्ष 2010-15 के दौरान राज्यों की वार्षिक ऋण सीमा निर्धारित करने की कार्यविधि 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप तैयार की गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित राजकोषीय सुधार विधि के अनुसार राज्यों के लिए ऋण सीमा की गणना की जा रही है और उसे लागू किया जा रहा है। निर्धारित राजकोषीय मानदंडों के अनुपालन से राज्यों का समग्र ऋण वर्ष 2014-15 के अंत तक कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 24.3 प्रतिशत रह जाने की संभावना है।

7. योजना वित्त II प्रभाग

योजना वित्त-II प्रभाग का संबंध मुख्यतः केन्द्रीय योजना से संबंधित मामलों से है। विकास संबंधी स्कीमों और परियोजनाओं के संबंध में बेहतर परियोजना निरूपण; आउटपुट, प्रदेयों, प्रभाव आकलन, परियोजनाकरण (मिशन दृष्टिकोण) और कनवर्जेंस पर विशेष बल के जरिए विकासात्मक व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता रहा है।

01 अप्रैल, 2013 से 31 दिसम्बर, 2013 तक की अवधि के दौरान सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की **587,509.74 करोड़ रुपये** की **116** योजना स्कीमों का मूल्यांकन किया। इसके अतिरिक्त, सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने **73,499.13 करोड़ रुपये** की लागत वाली 8 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया और उनकी संस्तुति की जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अनुमोदनार्थ संस्तुत परियोजनाओं की संख्या	लागत (करोड़ रुपये)
1.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1	1567.52
2.	शहरी विकास मंत्रालय	1	26405.14
3.	कोयला मंत्रालय	2	2074.45
4.	विद्युत मंत्रालय	1	2074.02
5.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1	37230.00
6.	भारी उद्योग मंत्रालय	1	3700.00
7.	पोत परिवहन मंत्रालय	1	448.00
	जोड़	8	73499.13

योजना वित्त-II प्रभाग, "सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुनर्गठन ब्यूरो" (बी.आर.पी.एस.ई.) की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय पुनर्गठन को भी देखता है। यह केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने के तौर-तरीके तैयार करने, बजट तैयार करने के लिए आई. एंड ई.बी.आर. सृजन के परिमाणन, उत्पादन में बेहतर दक्षता सुनिश्चित करने की दृष्टि से संयंत्रों एवं उपकरणों के आधुनिकीकरण को अंतिम रूप देने

में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। यह राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि का सचिवालय भी है, जिसके संबंध में परियोजना के मूल्यांकन/अनुमोदन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

योजना वित्त-II प्रभाग खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी से संबंधित मुद्दों को भी देखता है, जिनमें हितधारकों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा निर्धारित करना एवं उसका विस्तार करना शामिल है। यह प्रभाग, संबंधित विभाग/मंत्रालय के साथ सरकार की सब्सिडी नीति

को बनाने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है ताकि सरकार पर न्यूनतम भार डालते हुए प्रभावी लक्ष्य सुनिश्चित किए जा सकें। सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना स्कीमों/परियोजनाओं के निरूपण, मूल्यांकन और अनुमोदन हेतु संशोधित दिशा-निर्देश दिनांक 01 अप्रैल, 2010 के का.ज्ञा. सं.1(3)/पी.एफ.11/2001 के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। यह काम, प्रत्यायोजन को और अधिक औचित्यपूर्ण बनाने, तेजी से बदलती आर्थिक परिस्थितियों के साथ और अधिक तालमेल बैठाने, निवेश कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए मंत्रालयों/विभागों को और अधिक शक्ति संपन्न करने के लिए किया गया है ताकि समय पर और पूरी जानकारी की पृष्ठभूमि में निर्णय लेना सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण प्रक्रिया को और अधिक जवाबदेह एवं मजबूत बनाया जा सके।

01 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के दौरान

01 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के दौरान सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की **134,045.44 करोड़ रुपए** लागत की **43** योजना स्कीमों का मूल्यांकन किया। इसके अतिरिक्त, सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने **7691.62 करोड़ रुपए** की लागत वाली 3 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया और उनकी संस्तुति की जिनका विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अनुमोदनार्थ संस्तुत परियोजनाओं की संख्या	लागत (करोड़ रुपए)
1.	डाक मंत्रालय	1	4502.00
2.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1	1424.08
3.	विदेश मंत्रालय	1	1765.54
	जोड़	3	7691.62

मूल लागत प्राक्कलन और संशोधित लागत प्राक्कलन दोनों के लिए व्यय वित्त समिति/सार्वजनिक निवेश बोर्ड के ज्ञापन के संशोधित प्रारूप 31.03.2014 को जारी किए जा चुके हैं। प्रारूप की कार्य-प्रणाली में सुधार लाने, विकसित नीतियों और पद्धतियों को शामिल करने और प्रस्तावों के बेहतर मूल्यांकन के लिए इसमें संशोधन किया गया है।

8. कर्मचारी निरीक्षण एकक

8.1 कर्मचारी निरीक्षण एकक (एसआईयू) वर्ष 1964 से कार्य कर रहा है और इसका उद्देश्य पदों को युक्तिसंगत बनाने और निष्पादन मानकों के विकास तथा दक्षता में कमी लाए बिना संगठन की प्रभावकारिता में सुधार लाने की दृष्टि से निरीक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी स्थापनाओं/संगठनों की स्टाफिंग की समीक्षा करना है। वैज्ञानिक और तकनीकी संगठनों का अध्ययन कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा संबंधित संगठन के अध्यक्ष द्वारा गठित समिति के मुख्य सदस्य के रूप में किया जाता है।

बदले हुए परिदृश्य में तथा बेहतर प्रशासन और उन्नत सेवाएं देने की ओर सरकार द्वारा दिए जा रहे विशेष ध्यान को देखते हुए कर्मचारी निरीक्षण एकक की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। कर्मचारी निरीक्षण एकक को संबंधित मंत्रालयों/विभागों और स्वायत्तशासी संगठनों को उनकी संगठनात्मक प्रभावकारिता में सुधार लाने की दृष्टि से सहायता देने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया गया है। नए विस्तृत अधिदेश के अनुसार, एस.आई.यू. अपनी मौजूदा भूमिका के अतिरिक्त अब संगठनात्मक प्रणालियों, वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों, डिलीवरी प्रणालियों, ग्राहक-उपभोक्ता की संतुष्टि, कर्मचारियों के सरोकारों आदि क्षेत्रों को मुख्यतः कवर करने तथा उपयुक्त संगठनात्मक संरचना, प्रक्रियाओं

के पुनर्निर्धारण, संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के उपाय सुझाने, विलम्बों पर काबू पाने के अतिरिक्त कुछ क्रिया-कलापों की आउटसोर्सिंग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए संगठनात्मक विश्लेषण भी करेगा। ये कुछ ऐसे कार्यकलाप हैं जिनका उद्देश्य न्यूनतम अनिवार्य खर्च से ही आउटपुट/प्रभावकारिता में वृद्धि हासिल करना है।

8.2 वित्त सलाहकार, कर्मचारी निरीक्षण एकक और मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/संगठनों के बीच की मुख्य कड़ी है। स्टाफिंग अध्ययनों के सभी अनुरोध संबंधित वित्त सलाहकारों के माध्यम से भेजे जाते हैं। संगठन के अध्ययन के बाद उसके प्रबंधक वर्ग से चर्चा के पश्चात् अध्ययन रिपोर्टें जारी की जाती हैं और इन्हें संबंधित संगठन द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान कार्यान्वित करना अनिवार्य माना जाता है। वैज्ञानिक और तकनीकी संगठनों का कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा मुख्य सदस्य के रूप में अध्ययन किया जाता है।

वर्ष 2013-14 के दौरान कर्मचारी निरीक्षण एकक ने निम्नलिखित संगठनों की 4 अध्ययन रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया:

- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, गृह मंत्रालय।
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
- नारियल विकास बोर्ड, कृषि मंत्रालय।
- विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय।

इन अध्ययनों में 2541 स्वीकृत पदों को शामिल किया गया। 2541 स्वीकृत पदों में से, कर्मचारी निरीक्षण एकक ने 2050

पदों को बरकरार रखना युक्तिसंगत पाया और मौजूदा स्वीकृत संख्या में से 491 पदों को अधिशेष (सरप्लस) पाया। इसके साथ, 688 अतिरिक्त पदों की मांग में से 289 पदों को तर्कसंगत पाया गया और 399 नए पदों के सृजन को रोका गया है। वर्ष के दौरान इन स्टाफिंग अध्ययनों के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष किफायत के तौर पर 18.71 करोड़ रुपए, निवारक किफायत के तौर पर 19.68 करोड़ रुपए और सृजन के लिए संस्तुत नए पदों के लिए अतिरिक्त व्यय के रूप में 18.60 करोड़ रुपए की किफायत हुई।

8.3 वर्ष के दौरान कर्मचारी निरीक्षण एकक, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान शाला, नई दिल्ली की जनशक्ति आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए गठित समिति में मुख्य सदस्य के रूप में भी जुड़ा रहा है।

9. महालेखा नियंत्रक

9.1 वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के तहत महालेखानियंत्रक, भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार हैं और तकनीकी रूप से समर्थ प्रबंधन लेखांकन प्रणाली की स्थापना और अनुस्क्षण के लिए उत्तरदायी हैं।

9.2 महालेखानियंत्रक को सौंपे गए कार्य इस प्रकार हैं:

- केन्द्र और सभी राज्य सरकारों के लिए लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों, स्वरूप और प्रक्रिया से संबंधित नीति बनाना।
- सिविल लेखा संगठन व्यवस्था के माध्यम से केन्द्रीय सिविल मंत्रालयों/विभागों के भुगतान, प्राप्तियों और लेखा संबंधी मामलों में समन्वय एवं निरीक्षण।
- मंत्रालयों/विभागों में प्रबंधन लेखांकन प्रणालियों की शुरुआत करने में समन्वय एवं सहायता करना ताकि कुशल नकदी प्रबंधन एवं प्रभावी वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली के जरिए सरकारी संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सके।
- सरकारी व्यय के वितरण एवं सरकारी प्राप्तियों के संग्रहण के लिए बैंकिंग व्यवस्थाओं का संचालन तथा संघ सरकार के नकदी संतुलन के समाशोधन हेतु केन्द्रीय बैंक के साथ पारस्परिक तालमेल बनाए रखना।
- केन्द्र सरकार के मासिक एवं वार्षिक लेखों को समेकित करना तथा भारत सरकार द्वारा सुदृढ़ राजकोषीय नीति बनाए जाने और उसके कार्यान्वयन की दिशा में समग्र प्रयासों में सख्त वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली लागू करना।
- भारतीय सिविल लेखा संगठन में पर्यवेक्षण एवं प्रचालन दोनों स्तरों पर अपेक्षित अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती, तैनाती और कैरियर प्रोफाइल प्रबंधन जैसे मानव संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करना।

9.3 प्राप्तियों, भुगतान, घाटे तथा इसके वित्तपोषण के स्रोतों की मासिक प्रवृत्ति का विस्तृत विश्लेषण प्रत्येक माह केन्द्रीय वित्त मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पिछले कुछ समय से यह दस्तावेज बजटीय अनुपालन की मॉनीटरिंग और निर्णय लेने में सहायक एम.आई.एस. संदर्भ के लिए एक अत्यंत उपयोगी साधन के रूप में विकसित हुआ है। सार्वजनिक कार्यकलापों में पारदर्शिता लाने की सरकार की नीति के साथ सामंजस्य रखने के लिए प्रति माह संघ सरकार के लेखा संबंधी आंकड़े इंटरनेट पर भी जारी किए जाते हैं। ये आंकड़े वेबसाइट <http://www.cga.nic.in> पर देखे जा सकते हैं।

9.4 सरकारी लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग में सुधार लाने और सरकारी लेखाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड द्वारा संस्तुत निम्नलिखित प्रकटन विवरण संघ सरकार के वित्त लेखाओं में शामिल किए गए हैं।

- भारतीय सरकार के लेखांकन मानक (आईजीएस-1)- सरकार द्वारा दी गई गारंटी;
- भारतीय सरकार के लेखांकन मानक (आईजीएस-2)- सहायता अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण;
- भारतीय सरकार के लेखांकन मानक (आईजीएस-3)- संघ सरकार द्वारा दिए गए नए ऋण और अग्रिम।

9.5 महालेखानियंत्रक का कार्यालय, रिजर्व बैंक की जमा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उच्चतम का मिलान करता है, सरकारी लेनदेन अर्थात् सिविल एवं गैर-सिविल मंत्रालयों/विभागों के लेन-देन हैंडल करने के लिए प्रत्यायित बैंकों को प्राधिकृत करता है और उनमें रद्दे-बदल करता है, सिविल और गैर-सिविल मंत्रालयों/विभागों के लिए प्रत्यायित बैंकों द्वारा सरकारी लेनदेन के कामकाज की समीक्षा करने के लिए स्थायी समिति की बैठकों, शीर्ष समिति की बैठकों और निजी क्षेत्र के बैंकों की बैठकों का आयोजन करता है तथा विभिन्न बैंकों/मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त संबंधित मामलों का निपटारा करता है।

9.6 लेखांकन संबंधी मामलों पर तकनीकी सलाह

महालेखानियंत्रक का कार्यालय निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है:

- लेखा से संबंधित मामलों पर केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों और राज्य सरकारों को सलाह देना।
- सभी मंत्रालयों और विभागों की विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के संबंध में लेखा प्रक्रियाओं की जांच और बजट प्रभाग के विचार लेना तथा सीएंड एजी कार्यालय की सहमति प्राप्त करना।
- सिविल लेखा मैनुअल, सीटीआर, सीजीए (आर एंड पी) नियमावली, एलएमएमएचए का प्रशासन एवं अनुस्क्षण।

9.6.1 कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिन पर वर्ष के दौरान कार्रवाई की गई, उनमें सीजीए (प्राप्तियां और भुगतान) नियमावली, 1983 का संशोधन और सिविल लेखा मैनुअल का संशोधन शामिल है।

9.6.2 लेखा के महत्वपूर्ण शीर्ष का सृजन

निर्भर्या कोष, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, लोक सेवाओं में दोष के लिए शास्ति, औद्योगिक कॉरिडोर, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के लिए पिछले वर्ष नया लेखा शीर्ष खोला गया है।

9.6.3 केन्द्र द्वारा प्रायोजित पुनर्गठित स्कीमों के पुनर्वर्गीकरण के संबंध में कार्यशाला

केन्द्र द्वारा प्रायोजित मौजूदा स्कीमों/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्कीमों के 66 स्कीमों में पुनर्गठन और बजट प्राक्कलन 2014-15 से मुख्य शीर्ष 3601 और 3602 के तहत कोषागार रूट के माध्यम से पुनर्गठित स्कीमों के तहत राज्यों को धनराशि के अंतरण के सरकार के निर्णय के अनुपालन में मंत्रालयों/विभागों के बजट और लेखा संबंधी कार्य देखने वाले अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित पुनर्गठित स्कीमों के पुनर्वर्गीकरण के संबंध में इनगैफ, नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

9.7 लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली जो पहले केन्द्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली के नाम से जानी जाती थी, योजना आयोग की एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम है जिसका कार्यान्वयन महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसकी परिकल्पना सामाजिक क्षेत्र की मॉनिटरिंग को अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करने के प्रयोजन से योजना स्कीमों के सभी स्तरों पर कार्यकुशल निधि प्रबंधन के लिए संपूर्ण समाधान प्रदान करने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य भारत सरकार की सभी योजना स्कीमों के तहत जारी धनराशि का पता लगाने के लिए ऑनलाइन वित्त प्रबंधन सूचना और निर्णय समर्थ प्रणाली शुरू करना है।

9.7.1 लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली की उपलब्धियां

पीएफएमएस का परिचालन केन्द्र सरकार के स्तर पर किया गया है जहां योजना स्कीमों के लिए जारी की गई कुल राशि और व्यय पीएफएमएस के पोर्टल पर किए जाते हैं। 18,50,580 से अधिक कार्यान्वयन एजेंसियां पीएफएमएस पोर्टल पर पंजीकृत की गई हैं। बैंक खातों को तत्काल प्रमाणीकरण प्रदान करने, लाभार्थी के बैंक खातों में तुरंत इलेक्ट्रॉनिक रूप से राशि जमा करने और कार्यान्वयन एजेंसियों को बैंक द्वारा मिलान किए गए व्यय विवरण देने के लिए प्रणाली का 100 बैंकों (26 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 67 क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र बैंक और 7 मुख्य निजी क्षेत्र बैंक) के साथ सुरक्षित और सक्रिय इंटरफेस है। इसका भारतीय डाक के साथ भी इंटरफेस है। बिहार में एमजीएनआरईएस के तहत पीएफएमएस के माध्यम से ई-भुगतान (लाभार्थियों के खातों में सीधा अंतरण) का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है। 27 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मंत्रालयों की 18 स्कीमों के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पीएफएमएस के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है और इस प्रकार मध्यस्थता को समाप्त किया गया। इसके कार्यान्वयन से, पीएफएमएस पोर्टल का वित्त वर्ष 2013-14 के अंत तक 27.65 लाख लाभार्थियों को 4,13,21,34,304 रुपए के भुगतान का लाभ देने के लिए उपयोग किया गया है।

9.8 सूचना प्रौद्योगिकी पहल

कॉम्पैक्ट (कंप्यूटरीकृत भुगतान और लेखे)

कॉम्पैक्ट भारत सरकार के भुगतान और लेखा कार्यालयों में भुगतान/प्राप्ति प्रणाली एवं लेखाकरण में शामिल कंप्यूटरीकरण प्रक्रिया के लिए महालेखानियंत्रक कार्यालय का एक अनुप्रयोग है।

कॉम्पैक्ट के उद्देश्यों में, प्रक्रियाओं में मानवीय गलतियों को दूर करना, विशुद्धता, राजकोषीय नियंत्रण, बैंक समाधान में सुधार, रिपोर्टिंग और पूछताछ क्षमताओं को बढ़ावा देना, बजट की तुलना में व्यय की प्रभावकारी निगरानी, अधिक प्रबंधन सूचना, लेखाओं के संकलन, कॉन्टेक्ट के अनुरूप विभिन्न रिपोर्ट और रिटर्न तैयार करने में लगने वाले समय को कम करना, भुगतान लेखा कार्यालय के विभिन्न अनुभागों को एकीकृत करना, प्रौद्योगिकी प्रगति के अनुरूप चलना, ऐतिहासिक डाटा का रख-रखाव, बेहतर प्रयोक्ता इंटरफेस और सुलभ अनुकूलता के साथ ग्राफिक यूजर इंटरफेस आधारित सॉफ्टवेयर शामिल हैं।

कॉम्पैक्ट केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सभी भुगतान और लेखा कार्यालयों में सफलतापूर्वक चल रहा है और अन्य इकाइयों जैसे आहरण एवं संवितरण अधिकारियों, बैंकों, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य कर रहा है।

9.8.1 सरकारी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान गेटवे (जीईपीजी) के माध्यम से ई-भुगतान

इस कार्यालय की मुख्य पहलों में से एक पहल है केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के भुगतान एवं लेखा कार्यालयों द्वारा उपयोग के लिए स्थापित सरकारी ई-भुगतान गेटवे जिसमें ई-भुगतान प्रणाली का कार्यान्वयन शामिल है। ई-भुगतान प्रणाली के अंतर्गत भुगतान एवं लेखा कार्यालय द्वारा भुगतान सीधे लाभार्थी के खाते में जमा कर दिया जाता है और इस प्रकार लाभार्थी की अपने बकाया/भुगतान प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों पर निर्भरता कम हो जाती है, ऑनलाइन ऑटो रिकंसिलिएशन सरल हो जाती है और इससे लेखांकन प्रक्रियाओं के समेकन में तेजी आ जाती है। जीईपीजी 22 बैंकों के माध्यम से 55 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में 360 भुगतान और लेखा कार्यालयों को कवर करता है। अब इसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सीडीडीओ के लिए शुरू किया जा रहा है और प्रायोगिक आधार पर इसे 5 सीडीडीओ में कार्यान्वित किया गया है।

ई-भुगतान की मात्रा में स्थायी रूप से वृद्धि हो रही है और यह विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदार और स्टाफ (आईजीएएस/आईएएस को छोड़कर) को सभी भुगतानों के 90 प्रतिशत से अधिक स्तर तक पहुंच गई है। इस प्रणाली के परिणामस्वरूप सरकारी भुगतान प्रणाली की कार्यकुशलता में सुधार हुआ है।

9.8.2 ई-लेखा

वर्ष 2005 से प्रचलन में होने के कारण यह वेब अनुप्रयोग अब पूरी तरह से स्थिर हो चुका है और भारत सरकार के सभी सिविल मंत्रालयों द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है जिसमें देश के सभी

भागों में फैले 400 से अधिक भुगतान और लेखा कार्यालय तथा लगभग 54 सिविल मंत्रालय/विभाग, सभी मंत्रालयों/विभागों के सभी भुगतान और लेखा कार्यालय शामिल हैं जो दिन के अंत में एक छेड़छाड़ मुक्त दैनिक लेखा-जोखा सार फाइल तैयार करता है और अपने वेब आधारित इंटरफेस का प्रयोग करते हुए दैनिक आधार पर इसे ई-लेखा पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। रक्षा, रेल, डाक एवं दूरसंचार जैसे गैर-सिविल मंत्रालय, एजी लेखापरीक्षा, आदि भी लेखाओं की प्रस्तुति और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए ई-लेखा का प्रयोग करते हैं।

ई-लेखा ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी अनुदानों के लिए विस्तृत अनुदान मांगों के स्तर के बजट आंकड़े उपलब्ध करवाता है और इसे एकल लेखा डाटाबेस के माध्यम से वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने के लिए विकसित किया जा रहा है।

9.8.3 ई-समर्थ

यद्यपि, नई पेंशन स्कीम 01.01.2004 से शुरू की गई है, परंतु सामान्य भविष्य निधि एक लघु बचत उपाय होने के कारण 01.01.2004 से पूर्व कार्यभार ग्रहण करने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 3 दशकों से अधिक समय तक लागू रहेगी। कॉम्पैक्ट सॉफ्टवेयर में फंक्शनल जीपीएफ मॉड्यूल किसी विशिष्ट भुगतान और लेखा कार्यालय के भुगतान नियंत्रण के तहत अभिदाताओं के प्रबंधन, उनके अंशदान, ऋणों की वापसी, अंतिम भुगतान आदि प्रदान करता है। केन्द्रीकृत जीपीएफ प्रणाली की परिकल्पना एक एकीकृत समाधान के तौर पर की गई है जिसे वेब अनुप्रयोग के रूप में विकसित किया जाना है ताकि 01.01.2004 से शुरू की गई पेंशन स्कीम से पूर्व सेवारत केन्द्र सरकार के 17,00,000 सिविल कर्मचारियों सहित सभी स्टेकहोल्डर्स से बहुआयामी बातचीत की जा सके।

चूंकि ई-समर्थ एक बृहत परियोजना है और इसमें विकास, कार्यान्वयन और अनुक्षण के विभिन्न स्तर शामिल हैं, इसलिए जीपीएफ अभिदाताओं को पेश आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए दो-तरफा दृष्टिकोण पर विचार किया गया है अर्थात् (i) भुगतान और लेखा कार्यालयों में अल्पावधि के समाधान के तौर पर स्तर-I में सभी भुगतान और लेखा कार्यालयों में ई-समर्थन अनुप्रयोग का कार्यान्वयन और (ii) केन्द्रीकृत जीपीएफ प्रणाली के विकास के लिए साथ-साथ कार्यवाही।

9.8.4 सीओएमपीडीडीओ (व्यापक डीडीओ पैकेज)

मुख्यतः आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा वेतन और भत्तों के प्रबंधन के लिए एनआईसी के लेखा सूचना-विज्ञान प्रभाग द्वारा संयुक्त भुगतान रजिस्टर प्रणाली के तौर पर एक पैकेज की शुरुआत की गई थी। इस व्यापक डीडीओ पैकेज का विकास सामान्य सॉफ्टवेयर पैकेज के तौर पर किया गया है जिसका उपयोग केन्द्र सरकार के कार्यालयों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

9.8.5 निर्माण लेखा

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्रभागों को साख पत्र के ऑनलाइन अनुक्षण और वितरण की प्रक्रिया को स्वचालित बनाने और भुगतान की अनुमति से पूर्व बजट और साख पत्र की उपलब्धता

की जांच करने के लिए निर्माण लेखा सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग विकसित किया गया है। फिलहाल यह सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग कुछ प्रभागों में प्रायोगिक चरण में कार्य कर रहा है और इसे चरणों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सभी प्रभागों में शुरू किया जाएगा।

9.9 आंतरिक ऋण लेखे

वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए प्राक्कलनों के आधार पर सभी बाजार ऋणों का प्रबंधन भुगतान एवं लेखा कार्यालय (आईडीए) द्वारा किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंधन प्रभाग के परामर्श से वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग के तहत अर्थोपाय प्रभाग इन बाजार ऋणों, रुपया ऋण के विस्तृत प्राक्कलन तैयार करता है।

9.10 आंतरिक लेखापरीक्षा

महालेखानियंत्रक, विभागीकृत लेखा कार्यालयों में तकनीकी रूप से समर्थ लेखांकन प्रणाली की स्थापना और अनुक्षण और इसके लिए केन्द्रीय सिविल मंत्रालयों/विभागों में एक सक्षम आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थापना करने लिए उत्तरदायी है। सिविल मंत्रालयों/विभागों के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध जो अलग-अलग स्कीमों के मूल्यांकन, निगरानी, जोखिम कारकों की पहचान और निगरानी और रुपए का मूल्य सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था, कार्यकुशलता और सेवा डिलीवरी तंत्र की प्रभावकारिता के समीक्षात्मक आकलन पर केंद्रित हैं, को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए महालेखानियंत्रक के कार्यालय में एक अलग आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की स्थापना की गई है।

महालेखानियंत्रक ने सामान्य आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल को अंतिम रूप प्रदान किया है जिसका उद्देश्य आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों के लिए मार्गदर्शन के साधन के रूप में प्रयोग करना है जो उपयुक्त आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य कार्यक्रम के विकास से लेकर योजना, कार्यनिष्पादन, रिपोर्टिंग और लेखापरीक्षा कार्यों पर अनुवर्ती कार्रवाई तक फैला है। इसके अतिरिक्त, **आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए जोखिम आधारित नियंत्रण बिंदु जांच सूची के रूप में मानक लेखापरीक्षा प्रारूपों का भी अधिक कारगर प्रबंधन साधन के रूप में विकास किया गया है।**

9.11 निगरानी प्रकोष्ठ

यह अनुभाग निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है:

- लोक लेखा समिति की रिपोर्टों में उल्लिखित सिफारिशों पर की गई सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्रवाई संबंधी नोट प्रस्तुत करने में हुई प्रगति का समन्वय एवं मॉनीटरिंग।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों (सिविल, रक्षा सेवाएं, रेलवे तथा अन्य स्वायत्त निकायों) में उल्लिखित विभिन्न पैराओं पर की गई सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्रवाई संबंधी नोट प्रस्तुत किए जाने का समन्वयन, संकलन तथा मॉनीटरिंग।

- वार्षिक विनियोजन लेखाओं में 100 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक की बचतों तथा अधिक व्यय पर, लेखा परीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षित संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणियों का समन्वय, संकलन तथा यथा-समय लोक लेखा समिति को प्रस्तुत करना।

9.11.1 लेखापरीक्षा पैरा निगरानी प्रणाली

शीघ्र निपटान के लिए सीएजी पैराओं पर की गई कार्रवाई संबंधी नोटों पर निगरानी रखने और उनकी खोज रखने के लिए कंप्यूटरीकृत प्रणाली विकसित किए जाने की दृष्टि से लोक लेखा समिति (पीएसी) की 11वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों के अनुसरण में, लेखापरीक्षा पैरा निगरानी तंत्र परियोजना प्रारंभ की गई थी। लेखापरीक्षा पैरा निगरानी तंत्र से सीएजी पैराओं पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीएन) प्रस्तुत किए जाने के कार्य को सुदृढ़ किए जाने, सुचारु बनाए जाने और तेजी से निपटाए जाने के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) उपलब्ध होगी। वर्ष 2013-14 में, मंत्रालयों/विभागों और लेखा परीक्षा कार्यालयों के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। निगरानी प्रकोष्ठ ने 81 मंत्रालयों/विभागों में से 72 मंत्रालयों/विभागों को ई-प्रशिक्षण दे दिया है। अब 21 मंत्रालयों/विभागों ने अपने एटीएन अपलोड करके इस पोर्टल का प्रयोग शुरू कर दिया है। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, लंबित लेखापरीक्षा पैराओं की संख्या जून, 2010 के 4216 से घटकर 552 रह गई है।

9.12 प्रशिक्षण- शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान

शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान अपने अस्तित्व के 22वें वर्ष में महालेखानियंत्रक की प्रशिक्षण पहलों का केन्द्र बिंदु है। इसके प्रशिक्षण अधिदेश में भारतीय सिविल लेखा संगठन के कार्मिकों के सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण शामिल है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विस्तृत क्षेत्र और कार्यक्षेत्र में लेखांकन और वित्त ढांचे से संबंधित समसामयिक मुद्दे, लोक नीति, लेखा, सेवा नियम, सूचना प्रौद्योगिकी, लेखापरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण, बजट सुधार और अतिरिक्त विषय के रूप में मानव संसाधन भी शामिल हैं। दिल्ली, मुंबई, चैन्ने, कोलकाता और आइजोल में अपने केन्द्रों के माध्यम से यह संस्थान सार्वजनिक व्यय/वित्त प्रबंधन और संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के लिए संगठन को महत्वपूर्ण प्लेटफार्म भी प्रदान कर रहा है।

शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग और अफ्रीका कार्यक्रम के लिए विश्व राष्ट्रमंडल सहायता के प्रतिनिधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और पड़ोसी सार्क देशों के लिए द्विपक्षीय कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहा है।

9.12.1 प्रशिक्षण की मुख्य बातें

- सृजित किए गए कुल प्रशिक्षण श्रम दिवस 22395 जो पिछले वर्ष की तुलना में 137 प्रतिशत की वृद्धि है।

- राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (नई दिल्ली) के सहयोग से भारतीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारियों के लिए मिड कैरियर ट्रेनिंग
- वरिष्ठ लेखा अधिकारियों के लिए मिड कैरियर ट्रेनिंग
- 200 नए भर्ती किए गए/पदोन्नत लेखाकारों, सहायक लेखा अधिकारियों और भारतीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारियों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम।
- पदोन्नत नए 141 सहायक लेखा अधिकारियों के लिए पहली बार प्रमाणित सरकारी आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम का संचालन किया गया।
- सहायक लेखा अधिकारी (सिविल) परीक्षा 2012 के 750 से अधिक उम्मीदवारों के लिए कक्षा और वेब आधारित प्रशिक्षण।
- सीपीएसएमएस के संबंध में जागरूकता लाने के लिए कार्यशालाएं।
- आईआईए के साथ साझेदारी में आंतरिक लेखा पर विशेष कार्यक्रम।
- ई-भुगतान पर विशिष्ट कार्यशालाएं।
- विस्तृत कार्यक्रम
- संचार लेखा नियंत्रक, दूरसंचार विभाग, वायु सेना, प्रवर्तन निदेशालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दिल्ली विश्वविद्यालय और कई अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों के कार्मिकों के लिए विशेष कार्यक्रम।
- एजीएओ के सदस्य देशों के लिए एक आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक लेखापरीक्षा और संबंधित क्षमता विकास हेतु फ्रेमवर्क विषय पर आईडीएफ अनुदान परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण।
- द्विपक्षीय कार्यशालाओं के माध्यम से पड़ोसी देशों, जैसे- अफगानिस्तान, भूटान और नेपाल आदि को सहायता।
- आईटीईसी/एससीएएपी कनसोर्टियम के प्रतिनिधियों के लिए लोक व्यय प्रबंधन/वित्तीय प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला और एशियाई, अफ्रीकी, पूर्वी यूरोप, सेंट्रल और लेटिन अमेरिका, कैरेबियन और प्रशांत क्षेत्र में 122 देशों को इनगैफ का अंतर्राष्ट्रीय फुटप्रिंट प्रदान किया गया।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अनुदेश/प्रशिक्षण सहायक साधन तैयार करना।
- सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य पर कार्यशालाएं।

9.13 केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, नई दिल्ली

केन्द्रीय (सिविल) पेंशनभोगियों और स्वतंत्रता सेनानियों आदि को पेंशन के भुगतान और लेखांकन के लिए 01 जनवरी, 1990 को केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय की स्थापना की गई थी। केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, महालेखानियंत्रक के तहत एक संबद्ध कार्यालय है। इसे प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से केन्द्र सरकार के (सिविल) पेंशनभोगियों के लिए पेंशन भुगतान स्कीम के संचालन का दायित्व सौंपा गया है। इसके मुख्य कार्य हैं:

- प्राधिकृत बैंकों को विशेष सील प्राधिकार (एस.एस.ए.) जारी करना
- पेंशन अनुदान के लिए बजट तैयार करना और उसका लेखांकन
- पेंशन का भुगतान करने वाले बैंकों की लेखापरीक्षा
- वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार, अंतरिम व्यवस्था के तौर पर नई पेंशन स्कीम में शामिल पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को अनंतिम पेंशन का भुगतान

लोक सेवा की डिलीवरी में सुधार लाने और पेंशनभोगियों की शिकायतों के तत्काल निवारण के लिए निम्नलिखित प्रणाली कार्यकुशलता से कार्य कर रही हैं:

- पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए समर्पित परामर्शदाताओं के साथ 10 टेलीफोन लाइन वाले शिकायत प्रकोष्ठ को सुदृढ़ किया गया।
- पेंशनभोगियों की विभिन्न शिकायतों के निवारण के लिए केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय की एक समर्पित वेबसाइट भी है।
- केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय से केन्द्रीय पेंशन प्रक्रमण केन्द्रों तक पेंशन दस्तावेजों की संचालन प्रक्रिया को बार कोड प्रणाली जारी करके सुदृढ़ किया गया और पेंशन भुगतान में शीघ्रता लाने के लिए इसे डाक विभाग के साथ जोड़ा गया।
- पीपीओ/पुनरीक्षण प्राधिकार के लिए मानक, दैनिक स्थिति रिपोर्ट और मासिक प्राप्ति/प्रेषण विवरण तैयार करके केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय में पावती/प्राधिकार/प्रेषण के विभिन्न कार्यों के लिए आउटपुट मापन के माध्यम से डिलीवरी में सुधार के प्रयास किए गए हैं।

9.13.1 केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय में ई-गवर्नेंस क्रियाकलाप

सी.पी.ए.ओ. पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत कार्यालय है। पेंशन संवितरण तथा लेखांकन को सरल एवं कारगर बनाने के लिए इस कार्यालय में अनेक सॉफ्टवेयर विकसित/कार्यान्वित किए गए हैं जिनमें शामिल हैं:

- (i) पेंशन प्राधिकार पुनःप्राप्ति एवं लेखांकन प्रणाली (पारस)

- (ii) कॉम्पैक्ट
- (iii) डाटाबेस प्रबंधन सॉफ्टवेयर
- (iv) शिकायत प्रबंधन सॉफ्टवेयर
- (v) ई-स्करोल सॉफ्टवेयर
- (vi) ई-पीपीओ
- (vii) बार-कोडिंग सॉफ्टवेयर

इन सभी प्रयासों का उद्देश्य केन्द्रीय सिविल मंत्रालयों, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय और बैंकों के कार्यक्षेत्र में पेंशन डिलीवरी की कुशलता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए पेंशन संवितरण की निर्बाध कार्यवाही और लेखांकन स्थापित करना है।

9.13.2 वित्त मंत्रालय से राज्य सरकारों को धनराशि के अंतरण के लिए निगरानी प्रणाली

- (क) महालेखानियंत्रक के तत्वाधान में लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) (जिसे पूर्व में योजना लेखांकन और लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली कहा जाता था) के तहत राज्यों को जारी की गई स्कीमवार योजना राशि पीएफएमएस पोर्टल पर देखी जा सकती है। इस प्रणाली के तहत योजना वित्त-I प्रभाग से 'ओशन' पोर्टल पर संस्वीकृतियां प्राप्त होती हैं। ये संस्वीकृतियां 'ओशन' पोर्टल पर स्वीकार की जाती हैं और इनका निपटान किया जाता है और यहां से डाटा लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर भेजा जाता है।
- (ख) वर्ष 2013-14 के दौरान 1.55 लाख करोड़ रुपए के बजट प्रावधान (योजना और गैर-योजना) की तुलना में 1.40 लाख करोड़ रुपए की 2126 संस्वीकृतियों पर कार्यवाही की गई। संस्वीकृतियों पर कार्यवाही से पीएफएमएस पोर्टल के लिए ई-लेखा के कार्य के बीच समय अंतराल को घटाकर एक दिन कर दिया गया है और इस प्रकार कार्य को वास्तविक समय आधार में पूरा किया जा सकेगा।
- (ग) संस्वीकृतियां और आईजीए के परामर्श भी वित्त मंत्रालय की वेबसाइट <http://finmin.nic.in/stateloan/statemain.asp> पर अपलोड किए जाते हैं और ये सभी राज्यों के लिए उपलब्ध हैं।
- (घ) वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकारों को सीएए एंड ए द्वारा 'क' श्रेणी/'बी-2-बी' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के तहत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तौर पर 11,000 करोड़ रुपए के ऋण (ब्लॉक ऋण और बैंक-टू-बैंक ऋण) जारी किए गए।
- (ङ) मूल और ब्याज की अदायगी करते समय राज्य सरकार से हुई किसी चूक की स्थिति में, भारतीय रिजर्व बैंक

द्वारा अनुरक्षित राज्य के समेकित कोष में इस कार्यालय की सलाह पर उधारी लिखी जाती है। वित्त वर्ष 2013-14 में, 12 राज्यों ने चूक की और भारतीय रिजर्व बैंक को उनके संबंधित खाते उधारी लिखे जाने की सलाह दी गई। ये राज्य थे: असम, बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, केरल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।

9.13.3 आंतरिक लेखापरीक्षा

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मुख्य लेखानियंत्रक की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के संशोधित चार्टर में यह परिकल्पना की गई है कि मुख्य लेखानियंत्रक के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन कार्यरत आंतरिक लेखापरीक्षा विंग, अनुपालन/नियामक लेखापरीक्षा की विद्यमान प्रणाली से अलग रह कर कार्य करेगा और सरकारी स्कीमों जैसे लोक भविष्य निधि, विशेष जमा स्कीम और वरिष्ठ नागरिक जमा स्कीम का संचालन करने वाले बैंकों सहित डीडीओ के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों की लेखापरीक्षा पर ध्यान केन्द्रित करेगा। इसमें अलग-अलग स्कीम की निगरानी और मूल्यांकन सामान्य रूप में आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता एवं प्रभावकारिता और विशेष रूप से वित्तीय प्रणालियों की दृढ़ता तथा वित्तीय एवं लेखा रिपोर्टों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन जोखिम कारकों (वे कारक भी जिनका परिणाम बजट में उल्लेख है) की पहचान और निगरानी शामिल है। वर्ष 2013-14 के दौरान, 54 इकाईयों की लेखापरीक्षा बकाया थी जो पूरी कर ली गई।

क. आंतरिक लेखापरीक्षा (बीएफआई) द्वारा भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा निजी बैंकों की विभिन्न फोकल प्वाइंट शाखाओं में पीपीएफ-1968 और एससीएसएस-2004 की स्कीमों की लेखापरीक्षा की जाती है ताकि इन स्कीमों के तहत एकत्र की गई जमा धनराशि के भुगतान में विलंब का पता लगाया जा सके और सरकारी खातों में धनराशि देने में विलंब होने के मामले में दंडात्मक ब्याज लगाया जा सके। वित्तीय संस्था की लेखापरीक्षा उन्हें दिए गए अनुदानों और समग्र निधि के संबंध में व्यय लेखा की जांच करने के लिए भी की जाती है।

ख. दंडात्मक ब्याज उन सभी प्रेषित धनराशियों पर लगाया जाता है जिन्हें निर्धारित समय सीमा अर्थात् टी+3 दिन (अवकाश को छोड़कर) के अंदर केन्द्रीय लेखा अनुभाग, आरबीआई, नागपुर में सरकारी खाते में जमा नहीं किया जाता। बैंकों को अपनी प्राप्तकर्ता शाखा में प्राप्त करने की तारीख से आरबीआई (सीएसएस), नागपुर में निपटान किए जाने की तारीख तक की संपूर्ण समय अवधि के लिए दंडात्मक ब्याज देना होता है। उपर्युक्त उल्लिखित अवधि से अधिक के विलंब के मामलों में, ऐसे विलंबित प्रेषण पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा देय अर्थ दंड होगा- 30

दिनों तक विलंब होने के मामले में जमाकर्ता के लिए देय ब्याज की प्रयोज्य दर + 0.5% अधिक और 30 दिनों से अधिक विलंब होने के मामले में जमाकर्ता के लिए देय ब्याज की प्रयोज्य दर + 1% अधिक।

ग. वर्ष 2013-14 के दौरान, 5.02 करोड़ रुपए की धनराशि दंडात्मक ब्याज के रूप में उगाही गई थी और दंडात्मक ब्याज के रूप में 9.14 करोड़ रुपए (पुराने दावों सहित) वसूल किए गए हैं और सरकारी खाते में जमा कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 62.72 करोड़ रुपए की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक से अभी प्राप्त होनी है।

9.13.4 भारतीय लोक लेखा के तहत धनराशि की लेखांकन प्रक्रियाओं का निरूपण

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, निर्भया कोष के संबंध में लेखांकन विधि (भाग) जारी की गई थी।

9.13.5 टकसालों और मुद्रणालयों के निगमीकरण के बाद के कार्य

क्षेत्र कार्यालयों के सहयोग और समन्वय से एसपीएमसीआईएल का निर्माण होने के पश्चात् (i) संयुक्त पेंशन (ii) यथानुपात पेंशन (iii) छुट्टी का नकदीकरण (iv) सीजीईजीआईएस (v) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान के शेष मामलों के निपटान से संबंधित कार्य में वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति हुई। संयुक्त पेंशन (3000 से अधिक), यथानुपात पेंशन (11,000 से अधिक) और सीजीईजीआईएस (14,000 से अधिक) से संबंधित लगभग सभी मामलों का निपटान किया जा चुका है और केवल ऐसे मामले लंबित हैं जो न्यायालय में विचाराधीन हैं अथवा जिन पर अनुशासनिक कार्रवाई होनी है।

10. मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय

10.1 मुख्य सलाहकार लागत (सी ए सी) का कार्यालय, लागत लेखा मामलों पर मंत्रालयों तथा सरकारी उपक्रमों को सलाह देने तथा उनकी ओर से लागत की जांच कार्य के लिए उत्तरदायी है। मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय एक प्रभाग है जो व्यय विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहा है। यह एक व्यावसायिक दक्षता प्राप्त निकाय है जिसके कर्मचारी लागत/चार्टर्ड लेखाकार हैं।

10.2 मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय, लागत निर्धारण तथा मूल्य निर्धारण संबंधी मामलों, उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए औद्योगिक स्तर पर अध्ययनों, उपभोक्ता प्रभारों पर अध्ययनों, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रशमन मामलों, परियोजनाओं के लागत-लाभ विश्लेषण, लागत कटौती पर अध्ययनों, लागत दक्षता, पूंजी-गहन परियोजनाओं के मूल्यांकन, लाभकारिता विश्लेषण तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए लागत एवं वाणिज्यिक वित्तीय लेखांकन से संबंधित आधुनिक प्रबंधन उपायों के अनुप्रयोग के मामलों को देखता है।

10.3 इसका गठन, संदर्भित मामलों के संबंध में रक्षा खरीदों सहित सरकारी विभागों के लिए उचित विक्रय मूल्य निर्धारित करने तथा उत्पादन लागत सत्यापित करने के लिए केंद्र सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में किया गया था। इस कार्यालय की भूमिका में विस्तार करते हुए, प्रशासित मूल्य व्यवस्था (ए पी एम) के अंतर्गत अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत आने वाली कई वस्तुओं जैसे पेट्रोलियम, इस्पात, कोयला, सीमेंट आदि की कीमत निर्धारण करने में इसके कार्यकलाप का विस्तार किया गया। चूंकि मंत्रालयों में लागत/मूल्य निर्धारण का काम काफी बढ़ गया है इसलिए अन्य कई मंत्रालयों/विभागों ने ऐसे कार्यों, जिनमें लागत/वाणिज्यिक लेखा संबंधी मामलों में विशेषज्ञता की जरूरत होती है, के लिए अधिकारियों की सेवाएं लेकर अपनी इन-हाउस विशेषज्ञता शुरू कर दी है। उदारीकरण के बाद के इस दौर में यह कार्यालय लागत मूल्यांकन के परंपरागत अध्ययनों के अलावा सरकार की उदारीकरण की नीति के साथ-साथ समक्रमिकता रखते हुए अध्ययनों संबंधी आमंत्रण प्राप्त कर रहा है तथा उनका संचालन कर रहा है।

10.4 मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय, भारतीय लागत लेखा सेवा (आईसीओएस) का संवर्ग नियंत्रण कार्यालय भी है तथा विभिन्न प्रतिभागी संगठनों में कार्यरत आईसीओएस अधिकारियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन देने के अलावा यह कार्यालय, अधिकारियों के ज्ञान और कौशल में लगातार वृद्धि करने के लिए उनकी प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को भी देखता है।

10.5 मुख्य सलाहकार लागत के कार्यालय के मुख्य व्यावसायिक कार्य निम्नलिखित हैं:-

- (i) विभिन्न सेवाओं/उत्पादों हेतु उचित मूल्यों के निर्धारण में मूल्य/लागत से संबंधित जटिल मामलों को सुलझाने में केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/ संगठनों की सहायता करना।
- (ii) सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा आपूर्तिकर्ताओं के बीच क्रय करारों से उत्पन्न दावों की जांच/सत्यापन।
- (iii) सरकार को आपूर्त उत्पादों और सेवाओं का मूल्य निर्धारण ताकि सरकारी विभाग आपूर्तिकर्ता संगठनों के साथ मूल्यों पर समझौता वार्ता कर सकें।
- (iv) लागत/उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए इकाई विशिष्ट एवं उद्योग स्तरीय अध्ययन तथा उत्पादों और सेवाओं के लिए उचित मूल्यों/दरों की सिफारिशें करना तथा मूल्य प्रभारित शुल्क संरचना आदि का औचित्य भी निर्धारित करना।
- (v) अधिगृहीत उद्योग की परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का मूल्यांकन।

- (vi) लागत/वित्तीय तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों में सरकार/विभिन्न विभागों द्वारा गठित समितियों के अध्यक्ष/सदस्यों के रूप में कार्य करना।
- (vii) औद्योगिक उपक्रमों की लागत एवं निष्पादन लेखापरीक्षा।
- (viii) उर्वरक उद्योग समन्वय समिति द्वारा निर्धारित यूरिया उत्पादन इकाईयों के मूल्य वृद्धि दावों की समवर्ती आंतरिक लेखापरीक्षा।
- (ix) बाजार हस्तक्षेप स्कीमों के तहत सब्सिडी का निर्धारण एवं दावों का सत्यापन तथा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा घाटे को आपस में बांटने के लिए मूल्य समर्थन स्कीम।
- (x) विभागीय उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के लिए लागत लेखांकन प्रणाली।
- (xi) प्रमुख परियोजनाओं के समय और लागत में वृद्धि।
- (xii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रयोजन से कटौती दर के निर्धारण संबंधी मामलों पर सलाह।

10.6 जनवरी से दिसंबर, 2013 की अवधि में मुख्य सलाहकार लागत के कार्यालय द्वारा 52 अध्ययन/रिपोर्टें पूरी की गई थीं। इस वर्ष के दौरान पूरे किए गए अध्ययनों के स्वरूप में बहुत अधिक अंतर था और इसे मोटे तौर पर निम्नलिखित शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है:-

(i) प्रणाली अध्ययन

- (क) मायापुरी, अलीगढ़, मिंटो रोड, नई दिल्ली, फरीदाबाद, शिमला, कोयम्बतूर, भुवनेश्वर, नासिक, संत्रागाची, टेम्पल स्ट्रीट, कोलकाता और चंडीगढ़ स्थित भारत सरकार के मुद्रणालयों के संबंध में, सामान्य प्रति घंटा दरों और अतिरिक्त प्रतिशत का निर्धारण।
- (ख) वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद द्वारा उत्पादित और डाक विभाग को आपूर्त डाक स्टेशनरी की उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य।
- (ग) हाइड्रोजन फैक्टरी, आगरा में उत्पादित हाइड्रोजन गैस के बिक्री मूल्य में शामिल की जाने वाली अतिरिक्त दरों का निर्धारण।

(ii) एकल निविदा आधार पर अथवा सीमित स्रोतों से क्रीत माल/सेवाओं का उचित मूल्य

हथकरघा निगम एवं शीर्ष सोसायटी संघ (एसीएसएच) द्वारा क्रमशः वर्ष 2008-09 से 2010-11 और वर्ष 2010-11 के दौरान एकल निविदा प्रणाली के तहत

विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों को आपूर्त कंबलों तथा ऊनी वस्त्रों के उचित मूल्य का निर्धारण।

(iii) उन उत्पादों/सेवाओं का उचित बिक्री मूल्य जहां सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम उत्पादक/सेवा प्रदाता एवं प्रयोक्ता है

- (क) हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड द्वारा वर्ष 2011-12 में स्वास्थ्य मंत्रालय को आपूर्त डीडीटी 50% डब्ल्यूडीपी एवं मेलाथियन तकनीक के अंतिम मूल्यों और वर्ष 2012-13 के लिए अनंतिम मूल्यों का निर्धारण।
- (ख) भारत सरकार टकसाल, कोलकाता द्वारा वर्ष 2010-11 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को आपूर्त सिक्कों के उचित मूल्य का निर्धारण।
- (ग) भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद द्वारा वर्ष 2010-11 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को आपूर्त सिक्कों के उचित मूल्य का निर्धारण।
- (घ) आईआरईएल द्वारा वर्ष 2011-12 में बीएआरसी को आपूर्त एनजीएडीयू के लिए प्रतिपूर्ति की दरों का निर्धारण।
- (ङ) भारत सरकार टकसाल, मुंबई द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आपूर्त सिक्कों के उचित मूल्य का निर्धारण।
- (च) भारत सरकार टकसाल, नोएडा द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आपूर्त सिक्कों के उचित मूल्य का निर्धारण।
- (छ) वर्ष 2011-12 के दौरान मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा भारतीय रेलवे को आपूर्त जीएससीएन/एसजी कोचों के उचित मूल्य का निर्धारण।
- (ज) सीईएनडब्ल्यूओएसटीओ, बीएसएफ, टेकनपुर, ग्वालियर द्वारा विनिर्मित अश्रु गैस बन्दूक और बहु-बैरल लॉन्चर के संबंध में वर्ष 2012-13 के लिए उचित बिक्री मूल्य का निर्धारण।
- (झ) टियर स्मोक यूनिट (टीएसयू), बीएसएफ, टेकनपुर, ग्वालियर द्वारा विनिर्मित टियर स्मोक म्यूनिशन (टीएसएम) के संबंध में वर्ष 2012-13 के लिए उचित बिक्री मूल्य का निर्धारण।
- (ञ) वर्ष 2011-12 के दौरान मै. भेल द्वारा भारतीय रेलवे को आपूर्त इलेक्ट्रिक्स के अंतिम मूल्यों का निर्धारण।

(ट) वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान बीईएल और ईसीआईएल द्वारा आपूर्त इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों, मतपत्र यूनितों और कंट्रोल यूनितों के उचित मूल्य का निर्धारण।

(ठ) मूल्य निर्धारण अवधि 2012-13 के दौरान मै. इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल) द्वारा सीजीएचएस औषधालयों को आपूर्त आयुर्वेदिक/यूनानी दवाइयों की कीमतों का पुनरीक्षण।

(iv) किसी अन्य की ओर से किसी सरकारी विभाग/ एजेंसी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए सेवा प्रभागों का निर्धारण

- (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त बीपीएल ग्रामीण, बीपीएल शहरी और जाति जनगणना 2011-मै. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि., बंगलूरु से टेब्लेट पीसी और सहायक सामग्री की सरकारी खरीद का लागत सत्यापन।
- (ख) वर्ष 2010-11 के लिए डाक की ढुलाई के लिए डाक विभाग द्वारा एनएसीआईएल को देय डाक दरें।
- (ग) वर्ष 2011-12 के लिए एफसीआई द्वारा सीडब्ल्यूसी को देय भंडारण प्रभागों का संशोधन।

(v) सब्सिडी का निर्धारण

- (क) वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्थान में लहसुन के लिए एमआईएस का कार्यान्वयन।
- (ख) वर्ष 2011-12 के लिए संसद भवन में और वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में काम कर रही उत्तर रेलवे खानपान ईकाई को देय सब्सिडी।
- (ग) खरीफ 2008 के लिए कपास की मूल्य समर्थन स्कीम - लेखाओं की विधीक्षा।

(vi) विभागीय विनिर्माण इकाइयों के मामले में उपचय लेखांकन सिद्धांतों से संबंधित तुलन-पत्र

वर्ष 2012-13 के लिए टियर स्मोक यूनिट, सीमा सुरक्षा बल, टेकनपुर (ग्वालियर) का तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा।

(vii) प्रयोक्ता प्रभार

- (क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के प्रयोक्ता प्रभागों की समीक्षा।
- (ख) गैर-कर राजस्व की समीक्षा - भारतीय जन-संचार संस्थान, नई दिल्ली के संबंध में फीस एवं प्रयोक्ता प्रभार।

- (ग) स्पाइसेस बोर्ड भारत के संबंध में गैर-कर राजस्व फीस एवं प्रयोक्ता प्रभारों की समीक्षा।
- (घ) पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, नागपुर (महाराष्ट्र) के संबंध में गैर-कर राजस्व फीस एवं प्रयोक्ता प्रभारों की समीक्षा।
- (ङ) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटीरियल्स, बल्लभगढ़, हरियाणा के संबंध में गैर-कर राजस्व फीस एवं प्रयोक्ता प्रभारों की समीक्षा।
- (च) टी बोर्ड भारत के संबंध में गैर-कर राजस्व फीस एवं प्रयोक्ता प्रभारों की समीक्षा।
- (छ) कंपनी अधिनियम, संयुक्त स्टाक कंपनी विनियमन के तहत वसूले गए प्रयोक्ता प्रभारों, फीस एवं आय और कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अन्य आय संबंधी रिपोर्ट।
- (ज) केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) के संबंध में गैर-कर राजस्व फीस एवं प्रयोक्ता प्रभारों की समीक्षा।

(viii) अन्य अध्ययन

- (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएसएस) के तहत सरकार द्वारा स्थानीय औषधि-विक्रेताओं से दवाईयों की खरीद की तुलना में उत्पादकों से दवाईयों की खरीद लागत का अध्ययन।
- (ख) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र स्कीम के तहत कार्यशील पूंजी सूत्र का अध्ययन।
- (ग) विदेश मंत्रालय के लिए विदेश भत्तों की समीक्षा।
- (घ) अरुणाचल प्रदेश में खारसंग तेल क्षेत्रों के संबंध में आयल इंडिया लि. द्वारा वहन की गई पिछली लागत की प्रतिपूर्ति।

10.7 प्रमुख समितियों में प्रतिनिधित्व

मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय के अधिकारियों ने लागत निर्धारण/वित्त/ वाणिज्यिक लेखांकन में अपनी विशेषज्ञता के कारण निम्नलिखित प्रमुख बहु-विषयक अंतरमंत्रालयी/विशेषज्ञ समितियों के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में भी कार्य किया है:

1. राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, औषध निर्माण विभाग।
2. राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद का शासक मंडल और सोसायटी।
3. टीयर स्मोक यूनिट, बीएसएफ, टेकनपुर का शासी निकाय।

4. उर्वरक उद्योग समन्वय समिति, उर्वरक विभाग।
5. बाजार हस्तक्षेप स्कीम के तहत कृषि वस्तुओं की सरकारी खरीद पर विचार करने वाली समिति।
6. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की विज्ञापन दरों की समीक्षा के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार की अध्यक्षता में दर संरचना समिति।
7. नामांकन के आधार पर नियुक्त प्रापण अभिकर्ता द्वारा कार्य एवं सेवाओं के प्रापण के लिए शुल्क संरचना का प्रस्ताव किए जाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित समिति।
8. डाक विभाग, संचार मंत्रालय में 'भारतीय डाक में लागत निर्धारण प्रणाली का आधुनिकीकरण' संबंधी समिति।
9. केन्द्रीय जल संसाधन आयोग द्वारा समन्वित बड़ी/मध्यम, बाढ़ नियंत्रण तथा बहुदेशीय परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक व्यावहार्यता पर विचार करने के लिए सलाहकार समिति।
10. नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र (एनएफसी), हैदराबाद के संबंध में विद्यमान लागत निर्धारण प्रक्रिया की जांच और कार्यपद्धति में संशोधन की सिफारिश करने के लिए संयुक्त सचिव (परमाणु ऊर्जा) की अध्यक्षता वाली समिति।
11. गुरु जल की लागत निर्धारण विधि और लेखांकन एवं गुरु जल पूल की मूल्य निर्धारण विधि की समीक्षा करने के लिए समिति।
12. आयुर्वेदिक औषधियों/आयुष अस्पतालों तथा औषधालयों के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 20.09.2012 के आदेश के अनुपालन संबंधी तकनीकी समिति का गठन।
13. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली द्वारा अर्जित गैर-कर राजस्व (प्रयोक्ता प्रभार) की समीक्षा और अनुशंसा के लिए समिति।
14. कृषि उत्पादों जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, के प्रापण में लगे संगठनों के मूल्य समर्थन सिद्धांतों की वाणिज्यिक व्यावहार्यता एवं सुदृढ़ता की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति।
15. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के लिए मूल्य वार्ता समिति का गठन - विधि एवं न्याय मंत्रालय।
16. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के केन्द्रीय पुलिस बलों/रैपिड एक्शन फोर्स के तैनाती प्रभारों के निर्धारण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति।

17. उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की एनबीएस नीति के अनुसार उर्वरक कंपनियों द्वारा निर्धारित मूल्यों के औचित्य का पता लगाने के लिए तंत्र विकास समिति।
18. फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सिरीफोर्ट सभागार परिसर, नई दिल्ली के किराया प्रभारों के संशोधन के लिए समिति।
19. लोक सेवकों की धन-सम्पत्ति के मूल्यांकन में मानकीकरण के लिए दिशानिर्देशों के संबंध में अध्ययन समूह का गठन।
20. औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश 2013 के तहत विशेषज्ञों की स्थायी समिति।
21. समय और लागत में वृद्धि के कारणों की जांच करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों की स्थायी समितियां।
22. विभिन्न मंत्रालयों में स्थापित लागत प्राक्कलनों के संशोधन के लिए स्थायी समितियां।
23. हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि. द्वारा डीडीटी की बिक्री के लिए प्रयोज्य मूल्य व्यवस्था से संबंधित विशिष्ट मुद्दों की जांच के लिए समिति।

10.8 ई-शासन संबंधी कार्य

ई-शासन की दिशा में प्रथम कदम के रूप में मुख्य सलाहकार लागत के कार्यालय के लिए वेबसाइट – www.cac.gov.in तैयार की गई है। मुख्य सलाहकार लागत के कार्यालय के आंतरिक उपयोग के लिए सीएसी इन्ट्रालिंग भी विकसित किया गया है।

10.9 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/विकलांगों के लिए किए गए कार्य

मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय, भारतीय लागत लेखा सेवा के लिए संवर्ग नियंत्रण कार्यालय भी है। भारतीय लागत लेखा सेवा में प्रविष्टि स्तर अर्थात् सहायक निदेशक (लागत) के स्तर पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर की जाती है। इस भर्ती में सामान्य/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों के व्यक्ति शामिल होते हैं। शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों से भरे जाने के लिए भी रिक्त पदों की पहचान की गई है। वर्ष 2013 के दौरान, संघ लोक सेवा आयोग से दस सहायक निदेशकों (लागत) की नियुक्ति के लिए सिफारिशें प्राप्त हुई हैं जिनमें से एक उम्मीदवार अन्य पिछड़े वर्ग से, एक उम्मीदवार अनुसूचित जाति से तथा दो उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति से हैं। मुख्य सलाहकार (लागत) के कार्यालय में तैनात विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का ब्यौरा **अनुबंध-VI** में दिया गया है।

11. राजभाषा हिन्दी का प्रयोग

11.1 व्यय विभाग का हिंदी अनुभाग समय-समय पर यथा-संशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। केन्द्रीय हिंदी समिति, संसदीय राजभाषा समिति, हिंदी सलाहकार समिति और केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा हिंदी के प्रयोग के संबंध में दिए गए सुझावों और निर्देशों पर अनुवर्ती कार्रवाई का समन्वय भी इस अनुभाग का दायित्व है। इसके अन्य कार्यों में सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करना, हिंदी भाषा प्रशिक्षण, हिंदी आशुलिपि/टंकण प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों के नामांकन संबंधी कार्य में सहायता और हिंदी पखवाड़ा/दिवस का आयोजन करना शामिल है। इनके अतिरिक्त, यह अनुभाग, राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में कार्य करने के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में विभाग के अनुभागों/प्रभागों/कार्यालयों के साथ मिलकर समय-समय पर अनुपालन हेतु कार्रवाई भी करता है।

11.2 विभिन्न हिंदी प्रशिक्षणों यथा हिंदी भाषा प्रशिक्षण, हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण और हिंदी टंकण प्रशिक्षण के लिए विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के नामांकन किए जाते हैं। हिंदी अनुभाग इन प्रशिक्षणों को सुकर बनाने में सहयोग प्रदान करता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, विभाग के प्रशासन प्रभाग द्वारा कुल 10 अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया।

11.3 दूसरे कार्यालयों/व्यक्तियों के साथ मूल पत्राचार बढ़ाने के लिए समय-समय पर सभी अनुभागों/प्रभागों/कार्यालयों को परिपत्र जारी किए गए। 31 दिसम्बर, 2012 को समाप्त तिमाही की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में मूल हिंदी पत्राचार क्रमशः 60.87%, 48.69% और 38.8% था जो वर्ष 2013 की इसी तिमाही में क्रमशः 68.66%, 59.67% और 37.1% रहा। इससे पता चलता है कि पत्राचार में 'क' और 'ख' क्षेत्रों के संदर्भ में क्रमशः 7.79% और 10.98% प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

11.4 9 अनुभागों/कार्यालयों अर्थात् संस्थापना समन्वय-I, प्राप्ति एवं प्रेषण, संस्थापना सामान्य, आरटीआई, वेतन अनुसंधान एकक, कर्मचारी निरीक्षण एकक, प्रशासन-I, संस्था.IV और राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान में राजभाषा संबंधी निरीक्षण किए गए और उन्हें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में कमियों का समाधान करने का परामर्श दिया गया।

11.5 हिंदी में सरकारी कामकाज करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने और हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 12 फरवरी, 2013 को दो हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में कर्मिकों को संघ की राजभाषा नीति के बारे में जानकारी दी गई और 'हिंदी में कंप्यूटरों पर काम कैसे किया जाए' विषय पर प्रशिक्षण भी दिया गया। ये कार्यशालाएं बहुत उपयोगी रहीं।

11.6 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान महालेखा नियंत्रक कार्यालय (सीजीए) जो व्यय विभाग का एक कार्यालय है, के 80 प्रतिशत से

अधिक स्टाफ द्वारा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिए जाने के फलस्वरूप उस कार्यालय को राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, 1976 के नियम 10 के उप-नियम 4 के अंतर्गत दिनांक 08 जुलाई, 2013 की अधिसूचना सं. ई-11020/11-2013-हिंदी के तहत अधिसूचित किया गया।

11.7 संसद सदस्यों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों का तत्परता से उत्तर दिया गया और अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की गई।

11.8 विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। ये बैठकें क्रमशः 25 मार्च, 19 जून, 25 सितम्बर और 23 दिसम्बर, 2013 को आयोजित की गईं। इन बैठकों में विभाग के अनुभागों/प्रभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों पर चर्चा की गई और जहां कमियां पाई गईं, उन्हें इन कमियों को दूर करने और सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने का परामर्श दिया गया।

11.9 वर्ष, 2013 के दौरान विभाग में 02 से 16 सितम्बर 2013 तक 'हिन्दी पखवाड़ा' मनाया गया। 'हिन्दी पखवाड़े' के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें हिन्दी निबंध, नोटिंग-ड्राफ्टिंग, राजभाषा हिन्दी और सामान्य ज्ञान, हिन्दी आशुलिपि, हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुभाषण, श्रुतलेख एवं सुलेख प्रतियोगिताएं शामिल थीं। विभाग के 84 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साह से इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इन सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 21 अक्टूबर, 2013 को आयोजित हिन्दी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण समारोह में माननीय वित्त राज्य मंत्री ने नकद पुरस्कार और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए। इसके अतिरिक्त, सभी प्रतियोगिताओं में दो-दो प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किए गए। ऐसे प्रतिभागियों को जिन्हें कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ, प्रति प्रतिभागी 200/- रुपए का प्रतिभागिता पुरस्कार प्रदान किया गया ताकि अधिक से अधिक कर्मचारियों को इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। मूल रूप से हिन्दी में टिप्पण/आलेखन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है जिसमें 3 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

11.10 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के उत्तरों, विभाग के वेतन अनुसंधान एकक द्वारा प्रकाशित वेतन एवं भत्तों से संबंधित वार्षिक सूचना-पत्रक का हिन्दी रूपांतर किया गया। वित्त मंत्री कार्यालय सहित विभाग के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त सामग्री का आवश्यकतानुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपांतर निर्धारित समय में गुणतापूर्वक संपन्न किया गया।

12. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

12.1 पृष्ठभूमि:

देश के नागरिकों को, विशेष रूप से आम आदमी और समाज के अल्प-सुविधा प्राप्त वर्ग को सेवाएं प्रदान करने में प्राचल बदलाव लाने के लिए सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत,

वर्तमान में लाभों का इलेक्ट्रॉनिक अंतरण लाभार्थी के बैंक खाते में किए जाने की व्यवस्था से हटकर लाभ का अंतरण लाभार्थियों के 'आधार' संख्या से सेवित बैंक खाते में सीधे अंतरित करने की परिकल्पना की गई है।

12.1.1 कार्यान्वयन कार्यनीति:

लाभार्थियों को नकदी लाभ अंतरित करने के लिए 'आधार' संख्या सेवित निर्बाध इलेक्ट्रॉनिक नकदी अंतरण प्रणाली के कार्यान्वयन की दृष्टि से निम्नलिखित समितियों का गठन, डीबीटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में कार्रवाई का समन्वय करने तथा व्यवस्थित एवं यथा-समय कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है:-

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में **प्रत्यक्ष नकदी अंतरण संबंधी राष्ट्रीय समिति**। इस समिति की सहायता के लिए निम्नलिखित समितियां हैं।
- **प्रत्यक्ष नकदी अंतरण संबंधी कार्यकारी समिति** जिसके अध्यक्ष योजना आयोग के प्रधान सचिव हैं और जिसका संयोजन योजना आयोग के सचिव द्वारा किया जाता है।
- **मिशन मोड समितियां** नामतः वित्तीय समावेशन समिति, प्रौद्योगिकी समिति और लाभों के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण संबंधी कार्यान्वयन समिति।

12.1.2 लागू करने की योजना: प्रत्यक्ष नकदी अंतरण संबंधी राष्ट्रीय समिति की प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित की गई बैठक में निर्णय लिया गया था कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का काम, केन्द्रीय क्षेत्र की और केन्द्र-प्रायोजित 26 चयनित स्कीमों के संबंध में 1.1.2013 को शुरू करके चरण-वार ढंग से 43 जिलों में अर्थात् 01.01.2013 से 20 जिलों में, 1.2.2013 से 11 जिलों में और 1.3.2013 से शेष 12 जिलों में किया जाएगा। बाद में, डीबीटी का काम, अन्य जिलों में चरण-वार ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। डीबीटी का दूसरा चरण 78 अभिनिर्धारित जिलों में 1.7.2013 से आरंभ कर दिया गया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए तीन अतिरिक्त स्कीमों अभिनिर्धारित की गई हैं। जिलों का अभिनिर्धारण, पर्याप्त 'आधार' नामांकन आंकड़ों तथा वित्तीय समावेशन के आधार पर किया जाता है। स्कीमों का चयन, बैंक खाता-धारक लाभार्थियों की उच्चतर संख्या के आधार पर और धनराशि का प्रवाह अपेक्षाकृत आसान होने की स्थिति को देखते हुए किया गया था। तदनुसार, अधिकांश स्कीमों छात्रवृत्तियों, महिलाओं को लाभ पहुंचाने और बाल श्रम (उन्मूलन) से संबंधित थीं।

12.1.3 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के निष्पादन के लिए पूर्व-अपेक्षाएं

- लाभार्थियों के डाटाबेस का अंकुरण, 'आधार' संख्या के साथ।
- लाभार्थियों के बैंक खाते खोलना।
- 'आधार' संख्या के सृजन के लिए लाभार्थियों का नामांकन।

- डिजिटलीकृत डाटाबेस (अंकुरित संपूर्ण सूचना) को 'आधार' संख्या से जोड़ा जाना।
- बैंक खातों को 'आधार' संख्या से जोड़ा जाना।

डीबीटी के तहत उन अभिनिर्धारित स्कीमों जिनमें लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि सीधे-सीधे अंतरित करने में कठिनाई आ रही थी, की अपेक्षित प्रक्रियागत पुनर्संरचना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडल नोट चलाया गया था। 25 में से 11 स्कीमों में धनराशि को

लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे अंतरित करने के लिए अपनाई जा रही वर्तमान निधि अंतरण विधि के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन पहले से ही मिला हुआ था। तथापि, शेष 13 स्कीमों में से 7 स्कीमों के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन, धनराशि अंतरण की विधि बदलने के लिए प्राप्त किया गया क्योंकि संबंधित मंत्रालय/विभाग ने यह बताया था कि उन्हें लाभार्थी के बैंक खाते में धनराशि सीधे अंतरित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इन 7 स्कीमों की सूची नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	संख्या	स्कीम
1	अल्प संख्यक कार्य	1	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम
		2	योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति स्कीम
		3	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
2	जनजातीय कार्य	1	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए शीर्ष-स्तरीय शिक्षा प्रणाली
		2	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
3	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	1	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम
		2	अनुसूचित जाति के छात्रों की योग्यता में सुधार
कुल जोड़		7	

शेष 6 स्कीमों के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने परिचालन संबंधी मुद्दे रेखांकित किए गए। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि ये मंत्रालय/विभाग, धनराशि अंतरण की विधि में संशोधन करने के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व इन स्कीमों की प्रक्रियागत पुनर्संरचना करेंगे। इन 6 स्कीमों की सूची नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	संख्या	स्कीम
1	जनजातीय कार्य	1	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम
2	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	1	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम
		2	अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम
		3	अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति
3	महिला एवं बाल विकास	1	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
4	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1	जननी सुरक्षा योजना
कुल जोड़		6	

12.1.4 योजना आयोग के डीबीटी प्रभाग की भूमिका

योजना आयोग में नव सृजित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रभाग को डीबीटी कार्यान्वयन में प्रधान मंत्री कार्यालय और संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/जिलों के बीच नोडल एजेंसी की भूमिका सौंपी गई है। इस प्रभाग से यह अपेक्षा है कि यह, इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए सचिवालयी सेवा प्रदान करे।

डीबीटी प्रभाग ने, अपनी स्थापना के बाद निम्नलिखित कार्यकलाप संपन्न किए हैं:-

- (क) 'प्रत्यक्ष नकद (लाभ) अंतरण' संबंधी कार्यकारी समिति व अन्य मिशन मोड समितियों की विभिन्न बैठकों में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई का समन्वय और जानकारी का प्रसार किया।

- (ख) डीबीटी प्रभाग ने कार्यकारी समिति के अनुमोदन से संबंधित मंत्रालयों को समेकित अनुदेश जारी किए। इस संदर्भ में प्रभाग ने डीबीटी लागू करने के लिए एक रूप-रेखा निर्धारित करते हुए 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के संबंध में सूचना और मार्गदर्शन' नामक दस्तावेज तैयार किया और प्रसारित किया। 'आरंभिक जिलों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को सुकर बनाने के लिए बुनियादी डेटा एकत्र करने के लिए मानकीकृत प्रारूपों के बारे में मार्गनिर्देशों' के संबंध में 26.12.2012 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया। 'आधार संख्या को जोड़ने की प्रक्रिया' और 'बैंकों को अदायगी सूचना भेजने की प्रक्रिया' पर दो कार्यालय ज्ञापन 8.1.2013 को जारी किए गए।

(ग) जिलों की ओर से की गई तैयारी की समीक्षा की और डीबीटी के कार्यान्वयन में पेश आने वाली प्रचालन संबंधी समस्याओं का विश्लेषण किया। इस संबंध में आधार नामांकन, आधार संख्या को जोड़ने और इस बारे में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शिविर आधारित दृष्टिकोण अपनाए जाने से संबंधित मुद्दों पर 13.12.2013 को 43 अभिनिर्धारित जिलों के जिला कलेक्टरों का सम्मेलन आयोजित किया गया। उसके बाद, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों और नोडल अधिकारियों ने, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लागू करने के संदर्भ में जिलों की तैयारी का जायजा लेने के लिए दिसम्बर, 2012 में 43 अभिनिर्धारित जिलों का दौरा किया। चयनित जिलों में स्कीम-वार डीबीटी लागू करने के संबंध में हुई प्रगति और तैयारी को मॉनीटर करने के लिए योजना आयोग में जिला कलेक्टरों के साथ 10.1.2013 और 23.1.2013 को दो वीडियो संपर्क आयोजित किए गए। इनमें संबंधित मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों ने भी भाग लिया।

12.2 डीबीटी में निम्नलिखित उपलब्धियां सुनिश्चित करने की योजना है:-

- विशुद्ध लक्ष्य-वेध
- दोहराव से मुक्ति
- धोखा-धड़ी और भ्रष्टाचार में कमी लाना
- स्कीमों की प्रक्रियागत पुनर्संरचना
- अधिक से अधिक जबावदेही
- सब्सिडी के अंतरण में अपव्यय से मुक्ति

12.3 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रभाग का योजना आयोग से वित्त मंत्रालय में स्थानांतरण

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए योजना आयोग में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रभाग का सृजन किया गया था। कार्य-व्यवहार नियमावली के अनुरूप दिनांक 24.07.2013 के आदेश के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रभाग को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है।

सब्सिडी के अंतरण में वे स्कीमों शामिल हैं जिनमें सरकार, सब्सिडी-प्राप्त किसी भौतिक सामान के स्थान पर लाभार्थियों को नकद के रूप में आंशिक अथवा पूर्ण सब्सिडी का अंतरण करती है। कुछ मामलों में, सरकार से प्रतिपूर्ति, सामान की वास्तविक खपत से जोड़ी जा सकती है। मिट्टी के तेल, उर्वरक और एलपीजी पर दी जाने वाली छूटें इस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं।

12.4 डीबीटी से दीर्घ-कालिक अवधि में निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:-

- उन परिवारों के लिए समेकित नकद अंतरण जो अनेक स्रोतों से और अनेक रूपों में लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
- निर्धनों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र समेकित आय समर्थन कार्यक्रम की दक्षता में सुधार और सब्सिडी के स्रोतों की बहुलता को समाप्त करना।
- सकारात्मक संस्थागत बाह्य-परिवेश।
- अत्याधुनिक तकनीकी प्रणाली का अंगीकरण।
- विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को मुक्त करना।
- समग्र मानव विकास अभिलक्षी कल्याणकारी स्कीमों पर होने वाले व्यय से अधिकतम लाभ प्राप्त करना।

12.5 दिनांक 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार, 1.1.2013 से लागू डीबीटी कार्यक्रम की स्थिति

19 डीबीटी स्कीमों में लाभार्थियों की कुल संख्या लगभग 73,12,484 है। इसमें से 42.2% लाभार्थियों के पास बैंक खाते हैं, 35.3% लाभार्थियों के पास 'आधार' संख्या है और 32.8% लाभार्थियों के पास 'आधार' संख्या से जुड़े बैंक खाते हैं। शेष आठ स्कीमों के लिए लाभार्थियों की कुल अनुमानित संख्या लगभग 25,75,452 है। इस प्रकार, अभिनिर्धारित 27 स्कीमों में, वर्ष 2013-14 में डीबीटी के तहत संभावित रूप से शामिल कर लिए जाने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या लगभग 98,87,936 है।

12.5.1 अभिनिर्धारित स्कीमों और जिलों के लिए दिनांक 1.1.2013 से 31.3.2014 तक की अवधि के दौरान एपीबी, गैर-एपीबी (सीपीएसएमएस) और नेफ्ट विधियों के माध्यम से धनराशि अंतरण के नवीनतम आंकड़े इस प्रकार हैं:-

31.3.2014 की स्थिति के अनुसार

(करोड़ रुपए)

शीर्ष	एपीबी	गैर-एपीबी (सीपीएसएमएस)	नेफ्ट (गैर- सीपीएसएमएस)	धनराशि का कुल अंतरण
24 स्कीमें	129.6	371.4	464.3	965.3
एनएसएपी (3 स्कीमें)	139.5	143.2	469.6	752.3
27 स्कीमें (एनएसएपी सहित)	269.1	514.6	933.9	1717.6
डीबीटीएल	5391.4			5391.4
कुल जोड़				7109.0

12.5.2 अभिनिर्धारित डीबीटी जिलों में सामान्य आबादी को 'आधार' योजना के अंतर्गत लाए जाने के संबंध में स्थिति संक्षेप में इस प्रकार है:-

दिनांक 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार	
आधार परिपूर्णता (%)	जिलों की संख्या
80% से अधिक	72
60 से 80%	30
40 से 59%	15
40% से कम	2

अभिनिर्धारित डीबीटी जिलों में 83.95% संचयी 'आधार' परिपूर्णता प्राप्त कर ली गई है। न्यूनतम 34.08% की 'आधार' परिपूर्णता उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में होने की सूचना प्राप्त हुई है।

12.5.3 डाक घरों के माध्यम से डीबीटी के कार्यान्वयन के लिए डाक विभाग द्वारा प्रस्तुत, डाक विभाग की तत्परता संबंधी रिपोर्ट के अनुसार, 121 डीबीटी जिलों के 30,649 डाक घरों में से 19.92% डाक घर आईसीटी सुविधायुक्त हैं। कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस) लागू करने का काम शुरू कर दिया गया है और अब तक 91 डाक घर सीबीएस प्रणाली में शामिल हो चुके हैं।

12.5.4 भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि मैसूर और पटनमथिष्टा आरंभिक जिलों में लाभार्थियों के 'आधार' संख्या-सेवित बैंक खातों में 'आम आदमी बीमा योजना' के तहत लाभों को जमा किए जाने की प्रणालियां और पद्धतियां स्थापित कर दी गई हैं। 'आम आदमी बीमा योजना' के तहत, जीवन बीमा कवर, दुर्घटना एवं अशक्तता दावा लाभ और छात्रवृत्तियां इस स्कीम के गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों और सीमांत रूप से गरीबी रेखा से ऊपर के लाभार्थियों को देय हैं।

दिनांक 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार, 'आधार' संख्या-सेवित प्रणाली की स्थिति इस प्रकार है:-

जिले का नाम	अदा किए गए दावों की संख्या	अदा की गई छात्रवृत्तियों की संख्या
मैसूर 22	46	
पटनमथिष्टा	0	40

12.6 प्राप्त सूचना के अनुसार डीबीटीएल का ब्यौरा संक्षेप में इस प्रकार है:-

चरण	प्रारंभ होने की तारीख	जिलों की संख्या	उपभोक्ताओं की संख्या	कुल अंतरित धनराशि
चरण-I	01.06.2013	20	75,93,442	1,609 करोड़ रुपए
चरण-II	01.09.2013	34	1,51,00,390	1577 करोड़ रुपए
चरण-III	01.10.2013	43	1,66,37,026	900 करोड़ रुपए
चरण-IV	01.11.2013	38	1,31,13,114	513 करोड़ रुपए
चरण-V	01.12.2013	49	1,41,82,057	268 करोड़ रुपए
चरण-VI	01.01.2014	107	2,96,97,738	524 करोड़ रुपए
जोड़		291	9,63,23,767	5391 करोड़ रुपए

12.6.1 कुल मिलाकर, 291 जिलों के 2.84 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं को 8.97 करोड़ सफल लेन-देनों के जरिए कुल 5,391.37 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि एलपीजी सब्सिडी स्कीम के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की शुरुआत के सभी छह चरणों में 'आधार' से जुड़े 4 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं में से 6.18 लाख दोहरे कनेक्शनों की पहचान की गई है। इससे सब्सिडी में 251 करोड़ रुपए की बचत हुई है। अनुमान है कि अगर यह स्कीम पूरे देश में शुरू की जाती तो सब्सिडी में 9000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती थी। यद्यपि, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 28.2.2014 के आदेश के तहत एलपीजी सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत किया जाने वाला प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्थगित कर दिया है, लाभार्थियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर एस.जी. ढांडे, पूर्व निदेशक,

आईआईटी कानपुर की अध्यक्षता में एलपीजी सब्सिडी स्कीम के कार्यकरण के पुनरीक्षण के लिए एक समिति बनाई गई है। समिति, हितधारकों के साथ परामर्श करेगी और स्कीम की रचना और कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए अपनी सिफारिशें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को 31.05.2014 तक प्रस्तुत करेगी।

12.6.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम प्राथमिक रूप से समाज के अल्प-सुविधा जीवी और कमजोर वर्गों के लिए है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू किया जा चुका है और त्रिपुरा और सिक्किम में चल रहा है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/महिलाओं/बच्चों/वृद्धों/अशक्तों के लिए शामिल विभिन्न कल्याण योजनाएं इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	स्कीम का नाम
1.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
2.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं हेतु राष्ट्रीय प्रोत्साहन स्कीम
3.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति
4.	उच्चतर शिक्षा विभाग	एआईसीटीई की अध्येतावृत्ति योजना
5.	उच्चतर शिक्षा विभाग	यूजीसी की अध्येतावृत्ति योजना
6.	उच्चतर शिक्षा विभाग	विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति
7.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	जननी सुरक्षा योजना
8.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम
9.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
10.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	अल्पसंख्यकों के लिए योग्यता-सह साधन छात्रवृत्ति स्कीम
11.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	राष्ट्रीय बाल मजदूर परियोजना
12.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	बीड़ी कामगारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति
13.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	बीड़ी कामगारों के लिए आवास सब्सिडी
14.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	कोचिंग, मार्गदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अनु.जा./ अनु.ज.जा. के रोजगार अभ्यर्थियों की कल्याण स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को वजीफा
15.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को वजीफे का भुगतान
16.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	अनुसूचित जनजाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
17.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	शीर्ष स्तरीय शिक्षा योजना
18.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
19.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
20.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
21.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	अनुसूचित जाति के छात्रों की योग्यता में सुधार
22.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
23.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति
24.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शीर्ष स्तरीय शिक्षा स्कीम
25.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	इन्दिरा गांधी विधवा पेंशन योजना
26.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय अशक्तता पेंशन योजना
27.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

12.7 अन्य प्रस्तावित पहलें: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम में निम्नलिखित स्कीमें शामिल करने की योजना बनाई गई है:-

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	स्कीम का नाम
1.	ग्रामीण विकास	महात्मा गांधी नरेगा
2.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	अनुसूचित जाति के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना
3.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	सेवानिवृत्त अध्यापकों के लिए अवकाश प्राप्त अध्येतावृत्ति
4.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल फैलोशिप
5.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी (नेट-जेआरएफ) में जेआरएफ
6.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	डी.एस. कोठारी अध्येतावृत्ति

13. राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.एम.)

13.1 राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए 1993 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। यह परिकल्पना की गई थी कि एनआईएफएम, वार्षिक सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किए गए और भारत सरकार में लेखांकन एवं वित्त से संबंधित वरिष्ठ और शीर्ष प्रबंधन पदों के लिए जिम्मेदार विभिन्न सेवाओं को आबंटित अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्था के रूप में अपनी शुरुआत करेगा। संस्थान का उद्देश्य 'भारत में ही नहीं अपितु एशिया में भी' वित्तीय प्रबंधन और संबंधित विषयों के क्षेत्रों में एक उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकास करने का है।

13.2 भारत सरकार के वित्त मंत्री, इस सोसाइटी के अध्यक्ष और भारत सरकार के सचिव (व्यय), शासी मंडल (बीओजी) के अध्यक्ष होते हैं। संस्थान के प्रशासनिक और शैक्षिक कार्यक्रमों की जिम्मेदारी निदेशक की होती है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की शैक्षिक सलाहकार समिति, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान का वातावरण तैयार करने, कायम रखने और उसे बढ़ावा देने से संबंधित सभी मामलों में सहयोग करता है। इस समिति में संस्थान के बाहर के शैक्षिक जगत के अनेक सदस्य भी शामिल होते हैं। प्रबंधन समिति संस्थान के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को देखती है।

13.3 संस्था के संगम ज्ञापन की धारा 4 में वे प्रमुख उद्देश्य उल्लिखित हैं जिनके लिए संस्थान की स्थापना की गई थी। ये उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

- संस्थान के प्रबंधन का संचालन और स्थापना।
- वरिष्ठ तथा माध्यमिक स्तरों पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के आयोजन के साथ-साथ प्रतिभागी सेवाओं के समूह 'क' अधिकारियों को प्रशिक्षण और अनवरत व्यावसायिक शिक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
- उच्चतम स्तर की व्यावसायिक सक्षमता और व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रबंधन में उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में संस्थान को सुस्थापित करना।
- लेखांकन, लेखापरीक्षा, वित्तीय और राजकोषीय प्रबंधन क्षेत्रों और उससे संबंधित विषयों में अनुसंधान/परामर्शी अध्ययन करना तथा उन्हें बढ़ावा देना।
- केन्द्र/राज्य सरकारों की संबद्ध सेवाओं के अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/संस्थानों के अधिकारियों के लिए वित्तीय और राजकोषीय प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देना।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा वित्त एवं लेखांकन के क्षेत्र में, विशेषतः सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में दुनिया के बाकी देशों में हुई प्रगति की जानकारी रखना।

13.4 इन प्रमुख उद्देश्यों के अतिरिक्त 'अन्य उद्देश्य' भी संस्थान के संगम ज्ञापन में सूचीबद्ध किए गए हैं और परिशिष्ट 'क' में दिए गए हैं। इनका संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है:-

क सहभागी सेवाएं:

- अधिकारियों को प्रशिक्षित करना जिससे कि वे वित्तीय प्रबंधन, लोक वित्त, सरकारी लेखांकन तथा संसदीय वित्तीय नियंत्रण, कम्प्यूटरों पर विशेष ध्यान देते हुए अपने कार्यकलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए कौशल और ज्ञान हासिल कर सकें।
- विद्यमान प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमताओं का विस्तार करना; और
- विचारों एवं अनुभव के आदान-प्रदान तथा पारस्परिक सहयोग के लिए एक साझा मंच मुहैया कराना।

ख पुस्तकालय तथा सूचना सेवाओं/नेटवर्क की स्थापना तथा उनका रख-रखाव, शोध पत्रों, पुस्तकों, मोनोग्राफ, पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन, परिणामों का प्रचार-प्रसार करना और अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना और संगोष्ठियों का आयोजन करना।

ग वित्तीय प्रबंधन के अध्ययन को बढ़ावा देने की दृष्टि से देश-विदेश के अन्य संस्थानों और निकायों के साथ सहायता, सहयोग एवं परस्पर सम्पर्क करना।

घ सरकारी विभागों और सार्वजनिक उद्यमों को परामर्शी सेवाएं प्रदान करना।

13.5 गतिविधि वर्णन

संस्थान, अनेक अल्पकालिक प्रबंधन विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त निम्नलिखित दीर्घकालिक कार्यक्रम चलाता है। विवरण इस प्रकार है:

दीर्घकालिक कार्यक्रम

- लोक वित्त प्रबंधन में डिप्लोमा: इसे परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (पीटीसी) भी कहा जाता है। यह पाठ्यक्रम, केन्द्र सरकार की सहभागी वित्त और लेखा सेवाओं के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए है।
- प्रबंधन (वित्तीय प्रबंधन) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा: यह दो वर्ष का आवासीय कार्यक्रम है जो ए.आई.सी.टी.ई. से विधिवत अनुमोदित और एआईयू से मान्यता प्राप्त है। यह कार्यक्रम केन्द्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त संगठनों में कार्यरत मध्यम और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए है।

- iii सरकारी लेखाकन और आंतरिक लेखापरीक्षा में डिप्लोमा: एक वर्षीय सरकारी लेखाकन और आंतरिक लेखापरीक्षा (डी.जी.ए. एंड आई.ए.) डिप्लोमा कार्यक्रम लेखाकन, आंतरिक लेखापरीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और सामान्य प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत संगठित लेखा सेवाओं के अधिकारियों के तकनीकी कौशल के उन्नयन और उनकी व्यवहार-बुद्धि में सुधार लाने के लिए है। यह कार्यक्रम, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से विधिवत अनुमोदित है।
- iv प्रबंधन (वित्तीय बाजार) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा: राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से यह एक वर्षीय पूर्ण कालिक कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज, नियामक निकायों, बाजार बिचौलियों, बैंकों, म्यूचुअल फंडों और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों तथा इसी प्रकार के अन्य संगठनों में जिम्मेदारी वाले पदों को संभाल पाने में समर्थ प्रशिक्षित व्यावसायिक तैयार करने का है।
- v वित्तीय बाजार/स्नातकोत्तर कार्यभारी कार्यक्रम: यह कार्यक्रम, ऊपर-वर्णित कार्यक्रम का सप्ताहांत रूपांतर है और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से, कार्यरत कार्यपालकों के लिए तैयार किया गया था जिसका उद्देश्य स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज, नियामक निकायों, बाजार बिचौलियों, बैंकों, म्यूचुअल फंडों और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों तथा इसी प्रकार के अन्य संगठनों में जिम्मेदारी वाले पदों को संभाल पाने में समर्थ प्रशिक्षित व्यावसायिक तैयार करने का है।
- vi प्रबंधन अध्येता कार्यक्रम: यह, डॉक्टरल स्तर (पीएचडी) का खुला कार्यक्रम है जो कि सक्षम अनुसंधानकर्ताओं, अध्यापकों और परामर्शदाताओं को तैयार करने की दृष्टि से अनुसंधान कार्य के लिए शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम ए.आई.सी.टी.ई. से विधिवत् मान्यता-प्राप्त है।

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान लोक व्यय प्रबंधन, बजट निर्माण, लोक वित्तीय प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन, लेखाकन, आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रापण, सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन आदि क्षेत्रों में अनेक अल्पकालिक पाठ्यक्रमों (प्रबंधन विकास कार्यक्रमों) का संचालन करता है। सहभागी सेवाओं के अधिकारियों के अतिरिक्त भारतीय प्रशानिक सेवा (आईएसएस), भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस), भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस) के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नगर निगमों, विभिन्न संस्थानों और स्वायत्त निकायों के अधिकारी इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। सभी मुक्त या प्रायोजित प्रबंधन विकास कार्यक्रम प्रायः आवासीय कार्यक्रम होते हैं।

13.6 परामर्श सेवाएं

यह संस्थान, केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निगमित निकायों के लिए परामर्शी कार्य करता है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान लेखाकन की उपार्जन प्रणाली के अंगीकरण और वार्षिक वित्तीय विवरण मानक प्रारूप में तैयार करने के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों/स्वायत्त निकायों के परामर्शी कार्यों के लिए एक विशेषीकृत एजेंसी है।

13.7 सहयोग

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहकारिता स्थापित की है। यह गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान भारत में और भारत के बाहर भी वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षण, अनुसंधान और परामर्श के एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में उभर कर सामने आया है।

13.8 राष्ट्रीय सहयोग

- भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लिमिटेड (एनएसईआईएल)।
- हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, हरियाणा।
- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली।

13.9 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- एशियाई प्रबंधन संस्थान, मनीला, फिलिपींस
- एडिनबरा बिजनेस स्कूल, स्कॉटलैंड, यूके।
- अंतर्राष्ट्रीय उद्यम संवर्धन केन्द्र, स्लोवेनिया।
- मेनचेस्टर मेट्रोपोलिटन विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम।
- शाही लोक प्रशासन संस्थान, यूनाइटेड किंगडम।
- उतारा विश्वविद्यालय, मलेशिया।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं:

- i शिक्षण संकाय के आदान-प्रदान सहित दोनों संस्थाओं में संसाधन सहभागिता;
- ii दोनों संस्थानों की परस्पर रूचि के सामयिक विषयों पर कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, सम्मेलन, अनुसंधान जैसे संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करना।
- iii राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान में संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन करना और दूसरे संस्थान में एनआईएफएम द्वारा भी ऐसे कार्यक्रमों का संचालन।
- iv राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रतिभागियों को विभिन्न संस्थाओं के साथ संबद्ध किए जाने की सम्भावना तलाशना।

- v दोनों संस्थाओं की नेटवर्किंग संबंधित क्षेत्रों और/ या देश में अन्य संस्थाओं से किए जाने की संभावना तलाशना।
- vi दोनों संस्थाओं के परस्पर लाभ की कोई अन्य गतिविधि।

13.10 अवसंरचना विवरण

13.10.1 परिसर

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का परिसर, फरीदाबाद-गुडगांव रोड पर फरीदाबाद के सेक्टर-48 में अवस्थित है। यह संस्थान 42 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। परिसर में सुंदर भू-दृश्य बनाए गए हैं और स्वदेशी और प्रवासी पक्षी अक्सर यहां आते रहते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की विशाल और भव्य इमारत पत्थर

की है जिसमें विशाल कक्षा-कक्ष, संकाय कक्ष और राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान के प्रबंधन और प्रशासनिक स्कंध हैं। विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रतिभागियों, संकाय और स्टाफ सदस्यों के लिए परिसर में आवास उपलब्ध है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान में उत्कृष्ट प्रशिक्षण अवसंरचना, पुस्तकालय, कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं, खेल, बाह्य नाट्यशाला और प्रेक्षागृह और आवासीय सुविधाएं हैं।

13.10.2 प्रकाशन

‘लोक वित्तीय प्रबंधन की राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान पत्रिका’ (एनआईजेपीएम), एक छमाही पत्रिका है जिसमें मुख्य विषय के रूप में अर्थशास्त्र, लेखांकन और प्रबंधन शामिल हैं और अन्य प्रमुख विषयों में लोक अर्थशास्त्र, शासकीय वित्त, बैंकिंग और संस्थागत वित्त, वित्तीय प्रबंधन और लोक नीति कार्यान्वयन, प्रशासन और प्रबंधन शामिल हैं। यह पत्रिका, समाचार-पत्रों के पंजीयक से पंजीकृत है।

महालेखा नियंत्रक का कार्यालय

अनुबंध- I

वार्षिक रिपोर्ट | 2013-2014

अनु. जा., अनु. ज. जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व (31.12.2013 की स्थिति के अनुसार)

समूह	कर्मचारियों की संख्या				पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती से			पदोन्नति से			अन्य तरीकों से			
	कुल	अनु. जा.	अनु. ज. जा.	अ. पि. व.	कुल	अनु. जा.	अनु. ज. जा.	अ. पि. व.	कुल	अनु. जा.	अनु. ज. जा.	कुल	अनु. जा.	अनु. ज. जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
समूह 'क'	193	35	14	24	14	3	1	6	8	1	-	-	-	-
समूह 'ख'	2763	436	100	-	-	-	-	-	425	73	28	-	-	-
समूह 'ग'	82	17	06	06									-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

महालेखा नियंत्रक का कार्यालय

अशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व (31.12.2013 की स्थिति के अनुसार)

समूह	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती				पदोन्नति			
	आरक्षित सित्तियों की संख्या				की गई नियुक्तियों की संख्या				आरक्षित सित्तियों की संख्या			
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
समूह क	193	1	1	1	2	2	2	14	-	-	1	-
समूह ख	2763			10	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ग				-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह घ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी: (i) वी.एच. अर्थात् दृष्टिक रूप से विकलांग (दृष्टिहीन अथवा कमजोर नज़र वाला व्यक्ति)।

(ii) एच.एच. अर्थात् बधिर (बधिरता से पीड़ित व्यक्ति)।

(iii) ओ.एच. अर्थात् कायिक विकलांग (चल-फिर करने में अशक्त अथवा दिमागी अंगघात से पीड़ित)।

केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, नई दिल्ली

अनुबंध- III

वार्षिक रिपोर्ट | 2013-2014

अनु. जा., अनु. ज. जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व (31.12.2013 की स्थिति के अनुसार)

समूह	कर्मचारियों की संख्या				पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
					सीधी भर्ती से				पदोन्नति से				अन्य तरीकों से		
	कुल	अनु. जा.	अनु. ज. जा.	अ. पि. व.	कुल	अनु. जा.	अनु. ज. जा.	अ. पि. व.	कुल	अनु. जा.	अनु. ज. जा.	कुल	अनु. जा.	अनु. ज. जा.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
समूह 'ग'	40	10	02	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	02	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

टिप्पणी: समूह 'क' और समूह 'ख' अधिकारियों के संबंध में महालेखा नियंत्रक, संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी है।

महालेखा नियंत्रक का कार्यालय

अशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व (31.12.2013 की स्थिति के अनुसार)

समूह	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती								पदोन्नति							
	आरक्षित रिक्तियों की संख्या				की गई नियुक्तियों की संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या				की गई नियुक्तियों की संख्या							
1	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
समूह 'ग'	40	-	-	1	-	-	-	01	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

टिप्पणी: (i) वी.एच. अर्थात् दृष्टिक रूप से विकलांग (दृष्टिहीन अथवा कमजोर नज़र वाला व्यक्ति)।

(ii) एच.एच. अर्थात् बधिर (बधिरता से पीड़ित व्यक्ति)।

(iii) ओ.एच. अर्थात् कायिक विकलांग (चल-फिर करने में अशक्त अथवा दिमागी अंगघात से पीड़ित)। समूह 'क' और समूह 'ख' अधिकारियों के संबंध में महालेखा नियंत्रक, संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी है।

व्यय विभाग

अनुबंध- V

वार्षिक रिपोर्ट | 2013-2014

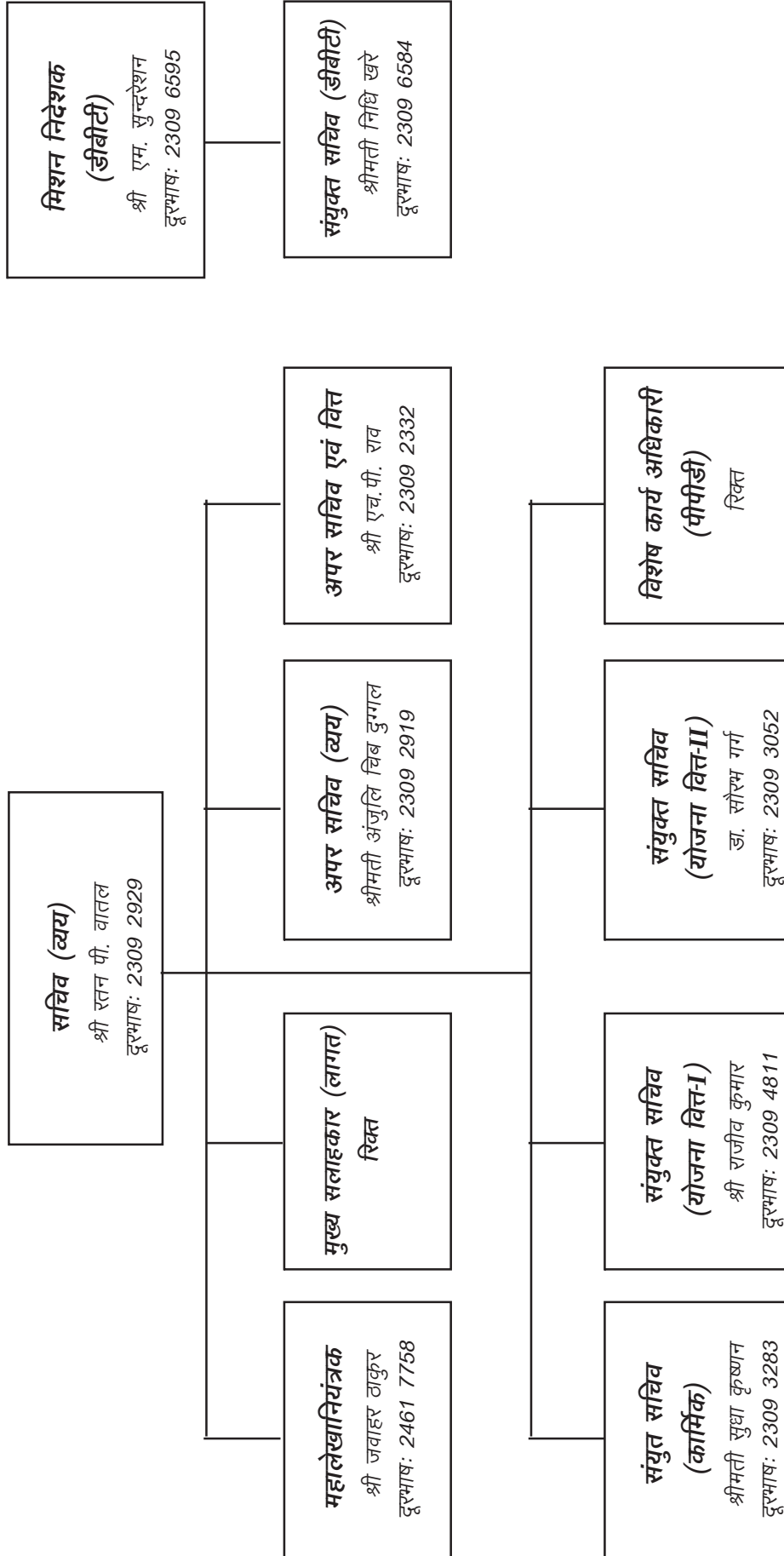
अनु. जा., अनु. ज. जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियों की संख्या					पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
	कुल	अनु. जा.	अनु. ज. जा.	अ. पि. व.	कुल	सीधी भर्ती से					पदोन्नति से				
						अनु. जा.	अनु. ज. जा.	अ. पि. व.	कुल	अनु. जा.	अनु. ज. जा.	कुल	अनु. जा.	अनु. ज. जा.	अनु. ज. जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
समूह 'क'	68	09	05	-	01	-	-	-	10	03	02	02	-	-	-
समूह 'ख'	216	32	10	10	02	-	-	01	16	05	-	-	-	-	-
समूह 'ग'	241	66	14	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	525	107	29	29	02	-	-	01	26	08	02	02	-	-	-

समूह	कर्मचारियों की संख्या				पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या					
	कुल	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अ.पि.व.	सीधी भर्ती से			पदोन्नति से		
		अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अनु.जा.	अ.पि.व.	कुल	अनु.जा.	अनु.ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
समूह 'क'	15	03	-	01	-	-	-	-	-	-
समूह 'ख'	06	03	01	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग'	07	03	01	-	-	-	-	-	01	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	28	09	02	01	-	-	-	-	01	-

क्र.सं.	वर्ष	वैराजों/पीएस रिपोर्टों की संख्या जिनके एटीएन लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के बाद पीएसी को प्रस्तुत किए गए हैं	वैराजों/पीएसी रिपोर्टों का व्यौरा जिनके एटीएन लंबित हैं		
			एटीएन की संख्या जो मंत्रालय द्वारा एक बार भी नहीं भेजे गए	भेजे गए किंतु टिप्पणी के साथ वापस किए गए एटीएन की संख्या जिनका लेखापरीक्षा विभाग, मंत्रालय द्वारा पुनः प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है।	एनटीएन की संख्या जिनका लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर लिया गया है, लेकिन मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
-	-	-	शून्य	-	-

व्यय विभाग का संगठन चार्ट



राजस्व विभाग

1. संगठन और कार्यकलाप

1.1 राजस्व विभाग सचिव(राजस्व) के पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघीय करों से संबंधित मामलों के संबंध में अपने अधीनस्थ दो कानूनी बोर्डों नामतः केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से नियंत्रण करता है। प्रत्येक बोर्ड के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं जो कि भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव भी होते हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सभी प्रत्यक्ष करों के लगाने और संग्रहण के कार्य किए जाते हैं जबकि सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा अन्य अप्रत्यक्ष कर लगाने व संग्रहण से संबंधित कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आता है। ये दोनों बोर्ड केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित किए गए थे। वर्तमान में, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड प्रत्येक में छह सदस्य हैं।

1.2 राजस्व विभाग निम्नलिखित अधिनियमों को प्रशासित करता है:-

1. आयकर अधिनियम, 1961;
2. धनकर अधिनियम, 1957;
3. व्यय कर अधिनियम, 1987;
4. बेनामी कारोबार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988;
5. अधिलाभ कर अधिनियम, 1963;
6. कम्पनी (लाभ) अतिभार अधिनियम, 1964;
7. अनिवार्य जमा (आयकर दाता) योजना अधिनियम, 1974;
8. वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2004 (प्रतिभूति कारोबार कर लगाने से संबंधित) का अध्याय VII;
9. वित्त अधिनियम, 2005 (बैंकिंग नकद संव्यवहार कर से संबंधित) का अध्याय VII;
10. वित्त अधिनियम, 1994 (सेवा कर से संबंधित) का अध्याय V;
11. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और संबंधित मामले;
12. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और संबंधित मामले;
13. औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955;
14. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
15. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985;
16. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ का अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988;

17. तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976;

18. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899(जहां तक यह संघ के अधिकार क्षेत्र में आता हो);

19. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974; और ;

20. धन शोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002

क्रम सं0 3, 5, 6 तथा 7 पर उल्लिखित अधिनियमों का प्रशासन उस अवधि से संबंधित मामलों तक सीमित है जब ये कानून प्रवृत्त थे। धन शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2012 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है और इसे राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति भी मिल गई है।

1.3 यह विभाग निम्नलिखित सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से उपर्युक्त अधिनियमों से संबंधित मामलों की देखभाल करता है:-

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन आयुक्तालय/निदेशालय ;
2. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन आयुक्तालय/निदेशालय;
3. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो;
4. प्रवर्तन निदेशालय;
5. केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो;
6. मुख्य कारखाना नियंत्रक;
7. समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण;
8. आयकर समझौता आयोग;
9. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग;
10. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण;
11. आयकर अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण;
12. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण;
13. सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति; और
14. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति संपहरण) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ;
15. भारत वित्त आसूचना एकक (एफ आई यू-इंड);
16. आयकर लोकपाल;

वार्षिक रिपोर्ट | 2013-2014

17. धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपील अधिकरण; और
18. धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्याय निर्णयन प्राधिकरण ।

1.4 गत वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-2014 के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की वसूली का तुलनात्मक ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम.सं. करों की प्रकृति	वित्तीय वर्ष के दौरान वसूली गई राशि (करोड़ रुपयों में)		
	2012-2013 (वास्तविक संग्रहण)	2013-2014 (वास्तविक संग्रहण)	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत
1. निगमित आय कर	3,56,326	3,94,677	10.76%
2. व्यक्तिगत आयकर(एफ बी टी,एस टी टी, बी सी टी टी एवं अन्य कर सहित)	2,01,487	2,42,806	20.50%
3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क*	1,24,016	1,18,405	(-) 4.5%
4. सीमा शुल्क	1,18,393	1,26,285	6.7%
5. सेवा कर	91,900	1,10,313	20.0%
6. संपत्ति कर	845	1007	19.17%

(* राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित नहीं किए जाने वाले उपकरणों को छोड़कर)

1.5 राजस्व विभाग का संगठनात्मक चार्ट अंत में दिया गया है।

2. राजस्व मुख्यालय प्रशासन

2.1 राजस्व विभाग का मुख्यालय विभाग से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्यों से संबंधित मामलों; दोनों बोर्ड (के.उ.शु. एवं सी.शु.बोर्ड तथा के.प्र. कर बोर्ड) के बीच समन्वय; भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जहां तक वह संघ के क्षेत्राधिकार में आता है), केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन डी पी एस अधिनियम), तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति सम्पहरण) अधिनियम, 1976 (सफेम) (फोप) अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, 1999 (फेमा) तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्कर निवारण अधिनियम, 1974 (कोफेपोसा) के प्रशासन तथा निम्नलिखित सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के मामलों संबंधी कार्य देखता है:-

- क) प्रवर्तन निदेशालय
- ख) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सी ई आई बी)
- ग) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम और तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति सम्पहरण) अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी
- घ) मुख्य कारखाना नियंत्रक
- ड.) केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो
- च) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण (सीस्टेट)

- छ) सम्पहत सम्पत्ति अपील अधिकरण (ए टी एफ पी)
- ज) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग (सी सी ई एस सी)
- झ) आयकर समझौता आयोग (आई टी एस सी)
- ञ) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (ए ए आर)
- ट) आयकर अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (ए ए आर)
- ठ) सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति (एन सी पी एस ई डब्ल्यू)
- ड) भारत - वित्त आसूचना एकक (एफ आई यू- इंड)
- ढ) आयकर लोकपाल
- ण) अप्रत्यक्ष कर लोकपाल
- त) धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपील अधिकरण
- थ) धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्याय निर्णयन प्राधिकरण

महानिदेशक (सी ई आई बी) सीधे राजस्व सचिव को रिपोर्ट करते हैं। सचिव (एन सी पी एस ई डब्ल्यू) अध्यक्ष, के0प्र0कर बोर्ड के माध्यम से राजस्व सचिव को रिपोर्ट करते हैं।

2.2 मुख्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों पर भी कार्य किया जाता है:-

I. निम्नलिखित की नियुक्ति:-

- क) के0उ0शु0एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा के0प्र0कर बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्य
- ख) सम्पहत सम्पत्ति अपील अधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य
- ग) सीस्टेट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य
- घ) सी0शु0तथा के0उ0शु0 समझौता आयोग तथा आयकर समझौता आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य
- ड.) सी0शु0/के0उ0शु0 तथा आयकर अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य
- च) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के महानिदेशक
- छ) प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक
- ज) सक्षम प्राधिकारी (सफेम (एफ ऑ पी) अधिनियम तथा एन डी पी एस अधिनियम)
- झ) निदेशक (एफ आई यू-इंड)
- ञ) आयकर लोकपाल
- ट) अप्रत्यक्ष कर लोकपाल

- ठ) धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्याय निर्णयन प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य
- ड) धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित अपील अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य
- II. राजस्व विभाग के अधीन आयोगों/समितियों की स्थापना करना
- III. विभाग के अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण और विदेशों में कार्य के लिए भेजना ।
- IV. केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम अथवा किसी बोर्ड/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आदि के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार में भारतीय राजस्व सेवा/भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के मामलों पर कार्रवाई करना।
- V. सीमा शुल्क सहयोग परिषद्, ब्रूसेल्स (बेल्जियम) तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों को वार्षिक अंशदान के भुगतान हेतु स्वीकृति जारी करना।

2.3 आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक (आईडब्ल्यूएसयू) के कार्यकलाप

राजस्व विभाग के आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक (आईडब्ल्यू एस यू) ने प्रशासन में सुधार तथा कार्यकुशलता, स्वच्छता लाने के लिए और लागत में मितव्यता लाने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों के प्रसार हेतु नोडल एजेंसी के रूप में वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व विभाग के अंतर्गत संगठनों में प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रयास जारी रखे हैं । एकक ने प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग एवं व्यय विभाग के कर्मचारी निरीक्षण एकक से निम्नलिखित क्षेत्रों में संपर्क बनाए रखा:-

- (i) आदेश/अनुदेशों का संकलन और समेकन करना;
- (ii) नियमों व विनियमों और मैनुअलों की समीक्षा;
- (iii) आवधिक रिपोर्टें एवं विवरणियों की समीक्षा;
- (iv) अति विशिष्ट व्यक्तियों एवं अन्य लंबित मामलों के निपटान की प्रगति का अनुवीक्षण करना;
- (v) राजस्व विभाग में अनुभागों का वार्षिक निरीक्षण ।

उपर्युक्त के अलावा, विभाग के समावेशन सामग्री का नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है । राजस्व विभाग में लंबित अति विशिष्ट व्यक्तियों से संबंधित/संसद सदस्यों के संदर्भों के निपटान की प्रगति को विभाग में संबंधित अधिकारियों के साथ सचिव(राजस्व) एवं अपर सचिव (राजस्व) के स्तर पर मानीटर किया गया । विशिष्ट व्यक्तियों से संबंधित संदर्भों के लंबन की स्थिति को संकलित करके प्रत्येक पखवाड़े में वित्त राज्य मंत्री (राजस्व) और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को परिचालित किया जाता है । इसके परिणामस्वरूप अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लंबित मामलों में कमी आई है ।

2.4 आर्थिक सुरक्षा (ईएस) प्रकोष्ठ

2.4.1 आर्थिक सुरक्षा प्रकोष्ठ धन शोधन निवारण अधिनियम, (पीएमएलए), 2002 को प्रशासन और क्रियान्वयन देखता है । पीएमएलए के आधार पर, आर्थिक सुरक्षा(ईएस) प्रकोष्ठ 'अपने ग्राहक को जानो' (के वाई सी) मानदंडों, पीएमएलए के तहत विशेष न्यायालय गठित करना, पीएमएलए की धारा 66- प्राधिकारी जिन तक सूचना प्रचारित करनी होती है इत्यादि से संबंधित मामलों पर पीएमएलए नियमावली के गठन/संशोधन की समय - समय पर देखभाल भी करता है । ईएस प्रकोष्ठ वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) से संबंधित मुद्दों को भी निपटाता है ।

2.4.2 पीएमएलए को 17 जनवरी, 2003 को तैयार किया गया और 1 जुलाई, 2005 को प्रभाव में लाया गया । इस अधिनियम का उद्देश्य है धन शोधन को रोकना और धन शोधन से अर्जित, या इसमें संलिप्त संपत्ति को जब्त करने तथा इससे जुड़े या इसके प्रासंगिक मामलों के लिए प्रावधान करना है । इस अधिनियम के दो प्रमुख उद्देश्य हैं :

- (i) धन शोधन को अपराध घोषित करना और धनशोधन में संलिप्त संपत्ति की कुर्की, अभिग्रहण और जब्ती के लिए प्रावधान करना [प्रवर्तन निदेशालय द्वारा क्रियान्वित] ।
- (ii) अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी), रिकॉर्ड रखने और रिपोर्टें भेजने से संबंधित बैंकों, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों के दायित्व निर्धारित करना। [वित्तीय आसूचना एकक (एफआईयू - भारत) द्वारा क्रियान्वित]।

कमियों को दूर करने और एफएटीएफ द्वारा यथा निर्धारित धन - शोधन - रोधी पर अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए पीएमएलए को 2009 में संशोधित किया गया था और 2012 में फिर संशोधित किया गया ।

2.4.3 वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफ ए टी एफ)

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) एफएटीएफ एक अंतर - सरकारी निकाय है जो धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए मानक निर्धारित करता है और नितियों को तैयार करता है उन्हें बढ़ावा देता है ।

एफएटीएफ की चालीस सिफारिशों और नौ विशेष सिफारिशों के अंतर्गत आपराधिक न्याय प्रणाली और कानून प्रवर्तन को शामिल करते हुए धन शोधन के विरुद्ध प्रति - उपायों का एक पूर्ण समुच्च, वित्तीय प्रणाली और इसका विनियमन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रावधान हैं । उनके अंतरराष्ट्रीय निकायों ने धन शोधन रोकने के लिए इन सिफारिशों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के रूप में मान्यता दी है, समर्थन दिया है या अपनाया है । भारत एफएटीएफ का सदस्य जून, 2010 में बना ।

3. स्वापक नियंत्रण (एनसी) प्रभाग

एनसी प्रभाग स्वापक औषधि एवं मनःप्रावी पदार्थ अधिनियम, 1985 को लागू करता है। इस अधिनियम में सबसे पहले 1989 में

और फिर उसके बाद 2001 में संशोधन किया गया था। वर्ष 2001 में लागू किए गए प्रावधानों के क्रियान्वयन के दौरान कई विसंगतियों पर ध्यान गया। स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011, जिसे लोकसभा में 8.9.2011 को पेश किया गया था, का उद्देश्य इन वर्तमान विसंगतियों को दूर करना तथा ऐसे कुछ और परिवर्तन करने थे जो कि इस अधिनियम के प्रावधानों को सशक्त बनाने के लिए जरूरी समझे गये थे। इस स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 को लोकसभा में 20.2.2014 और राज्यसभा में 21.2.2014 पारित कर दिया गया। इस विधेयक को 7 मार्च, 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई। तदनुसार स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2014 को भारत के राजपत्र में दिनांक 10.03.2014 को 2014 के अधिनियम सं. 16 के रूप में प्रकाशित कर दिया गया।

3.1 केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के कार्य/ कार्य प्रणाली

3.1.1 अफीम की वैध खेती

एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 5(2) के अनुसार, स्वापक आयुक्त या तो स्वयं या अपने मातहत अधिकारियों के माध्यम से अफीम पॉपी की खेती या अफीम के उत्पाद की निगरानी से संबंधित सभी शक्तियों का उपयोग करेगा और इससे संबंधित सभी कार्य करेगा और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्य करेगा जो कि उसको केन्द्र सरकार द्वारा सौंपे जाएंगे। अफीम पॉपी की वैध खेती की अनुमति कुछ ही जिलों तथा तहसीलों में दी गई है जिनको कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

3.1.2 स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और पूर्ववर्ती रसायनों के व्यापार पर नियंत्रण

भारत सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स, 1961, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, 1971 और यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन, जो कि 1988 में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थों के व्यापार के विरुद्ध हुआ था, का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है।

भारत में स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों तथा पूर्ववर्ती रसायनों पर स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों के तहत नियंत्रण रखा जाता है। उपर्युक्त यूएन कन्वेंशनों के अंतर्गत सीबीएन एक सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण है।

स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थों का भारत से निर्यात या भारत में आयात तभी हो सकता है जब स्वापक आयुक्त (स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 58 और नियम 55 के अंतर्गत) द्वारा इसके लिए निर्यात प्राधिकार/आयात प्रमाणपत्र जारी किया हो। पोस्ट बीजों के आयात के लिए पंजीकरण जारी करने की जिम्मेदारी सीबीएन को सौंपी गयी है।

सीबीएन को विशिष्ट पूर्ववर्ती रसायनों के आयात और निर्यात को नियंत्रित करने के लिए प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने 26.03.2013 को एक स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) आदेश, 2013 जारी किया है।

यह आदेश 26 मार्च, 2013 से लागू हो गया है। इस आदेश में 14 और पदार्थ चाहे वे ढेर या उत्पाद के रूप में ही क्यों न हो इनके लवणों को नियंत्रित पदार्थ घोषित किया गया है। अब कुल मिला करके 17 ऐसे नियंत्रित पदार्थ हैं जिनके भारत से निर्यात या भारत में आयात करने के लिए स्वापक आयुक्त, ग्वालियर से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना जरूरी होता है [अनूसूची ख और ग जिसके लिए स्वापक आयुक्त से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना जरूरी होता है। स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) आदेश, 2013 की एक प्रति अनुबंध क में संलग्न है।]

केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो सिंथेटिक स्वापक औषधियों के उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी करता है अथवा पहले के लाइसेंसों को नवीनीकृत करता है और केटामाइन के निर्यात के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करता है।

3.1.3 उपलब्धियां

(i) पूर्ववर्ती रसायनों के निर्यात/ आयात के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान तथा 01.04.2013 से 31.12.2013 की अवधि तक केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाणपत्रों से संबंधित कामकाज/ उपलब्धि को नीचे दर्शाया गया है :

	1.4.12 से 31.03.13	1.4.13 से 31.12.13
पूर्वोक्त रसायनों के निर्यात के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों की सं.	1187	956
पूर्वोक्त रसायनों के आयात के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों की सं.	100	215

(ii) अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड (आईएनसीबी) ने ऑनलाइन पेन सिस्टम तैयार किया है जिससे सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकारियों के बीच सूचना का आदान-प्रदान हो सकता है। सीबीएन इस निर्यात पूर्व अधिसूचना (पेन) का प्रयोग संव्यवहारों की सच्चाई के सत्यापन के लिए करता है। सीबीएन ने विभिन्न आयातकर्ता देशों के सक्षम प्राधिकारियों को 01.04.13 से 31.12.13 के दौरान) 1152 पेन तथा (वर्ष 2012-13 के दौरान 934 पेन जारी किए हैं जिससे कि इन संव्यवहारों की वैधता का सत्यापन किया जा सके। केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के द्वारा की गई पहल के आधार पर, ऑनलाइन पेन सिस्टम के माध्यम से, सीबीएन ने ऐसे पूर्ववर्ती रसायनों के कई संदेहास्पद व्यवहारों का पता लगाया है और उनको रोक दिया है। जिनके बारे में इसको संदेह था कि रिपोर्ट वर्ष के दौरान इनका प्रयोग वैध माध्यमों की बजाय अवैध माध्यमों से हो सकता है।

(iii) केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो ने अपना स्वयं पंजीकरण किया है और एक नई सुरक्षित ऑनलाइन व्यवस्था का प्रयोग शुरू किया है जिसको संक्षेप में “पीआईसीएस”- प्रिकर्सस इंसीडेंस कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसे कि आईएनसीबी ने जारी किया है, कहते हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्राधिकारियों के बीच उन सम्प्रेषणों और सूचनाओं का

सही वक्त पर आदान-प्रदान करना है जो कि पूर्ववर्ती पदार्थों की जब्ती या ऐसी घटनाओं के बारे में होती हैं जिनमें पूर्ववर्ती रसायनों की बात शामिल होती है।

आयात/ निर्यात के लिए चालू वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा निर्यात प्राधिकार और आयात प्रमाणपत्र को जारी किए जाने से संबंधित कामकाज/ उपलब्धि का संबंध है इसका ब्यौरा निम्नलिखित है :

(iv) जहां तक स्वापक औषधियों/ मनःप्रभावी पदार्थों के

	मनःप्रभावी पदार्थ		स्वापक औषध	
	2012-13	2013-14 (31 दिसम्बर से 2013 तक)	2012-13	2013-14 (31 दिसम्बर से 2013 तक)
जारी किए गए निर्यात प्राधिकरणों की सं.	2086	1651	125	97
जारी किए गए आयात प्रमाण पत्र	247	207	111	61

(v) सिंथेटिक स्वापक औषधियों के उत्पादन के लिए जारी लाइसेंस या पुराने लाइसेंसों को नवीनीकृत करने तथा पोस्ट बीजों के आयात के लिए जारी पंजीकरणों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

वित्त वर्ष वार पोस्ट के आयात के लिए जारी प्रमाण पत्रों के पंजीकरण की संख्या		कैलेंडर वर्ष वार जारी किए गए विनिर्माण लाइसेंसों (थोक औषध) की संख्या	कैलेंडर वर्ष वार जारी विनिर्माण लाइसेंस कार्यान्वयन की सं
2012-13	2013-14 (से 31-12-2013 तक)	2013	2013
407	219	23	24

(vi) वर्ष 2013 में उपभोक्ता कंपनियों को आवंटित स्वापक औषधियों के कोटा का ब्यौरा :

2013 में (31.12.2013 तक की यथास्थिति) स्वापक औषधियों के आवंटन की स्थिति				
औषध का नाम	वर्तमान कम्पनियों को किया गया आवंटन	नई कम्पनियों को किया गया आवंटन	उन कुल कम्पनियों की संख्या जिन्हें 2013 में आवंटन किया गया है	आवंटित मात्रा (बेस में) (कि.ग्रा. में)
1	2	3	4	5
कोडीन	96	22	118	58,947.97
डेक्सोप्रोपाक्सीफीन	30	4	34	154,354.50
डाईफेनाक्सीलेट	17	1	18	17,439.64
इथाइल माफीन	5	0	5	251.1
पेन्टा नाइल (ग्रा. में)	10	1	11	2272.4334
अफीम	40	11	51	4,719.5
माफीन	16	3	19	263.67
पेथीडीन	6	0	6	54.81435
फोल्कोडाइन	10	0	10	447
थेबाइन	8	0	8	447
डाईहाइड्रोकोडीन	1	3	4	1005.69687
आक्सीकोडीन	2	0	2	0.4252
हाइड्रोकोडीन	0	5	5	6.24965313
मेथाडोन	3	1	4	111.15
योग	244	51	295	

3.1.4 न्यायिक मामले

माननीय उच्च न्यायालय में दायर 4 जनहित याचिकाओं और माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एक विशेष अनुमति याचिका में से एक जनहित याचिका और एक विशेष अनुमति याचिका जो कि पोस्ट बीजों के आयात के बारे में है का निपटारा हो गया है और इनमें फैसला इस विभाग के पक्ष में आया है। माननीय न्यायालय ने पाया है कि प्राधिकारी (सीबीएन) के पास यथोचित शक्ति है जिससे वह कानून को विधिवत लागू करा सकता है। यदि स्वापक आयुक्त की जानकारी में कोई बात लायी जाती है या अनुबंध के पंजीकरण के पश्चात ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि ऐसा पंजीकरण अनुचित तरीके से प्राप्त किया गया है या इसे गलत प्रस्तुतीकरण, धोखाधड़ी या गैर-कानूनी ढंग से प्राप्त किया गया है तो स्वापक आयुक्त, कानून के अनुसार अपना काम करेगा।

3.1.5 उपर्युक्त बातों के अलावा मनःप्रभावी पदार्थों पर नियंत्रण को मजबूत करने के लिए समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित नीतिगत कदम उठाए गए हैं :

(i) ऑनलाइन पंजीकरण कराने और मनःप्रभावी पदार्थों के उत्पादकों और थोक विक्रेताओं के द्वारा ऑनलाइन रिटर्न भरे जाने के लिए एक सिस्टम का विकास

भारत सरकार ने राष्ट्रीय सूचना केन्द्र नई दिल्ली के दिशा-निर्देश के तहत वेब आधारित एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसके द्वारा मनःप्रभावी पदार्थों के उत्पादक और थोक विक्रेता प्रचुर औषधियों या उसके उत्पादों दोनों के ही मामले में केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इस व्यवस्था से देश में मनःप्रभावी पदार्थों के उत्पादन, उपभोग, उपयोग, भण्डार, आयात बिक्री, खरीद और उपभोग के आंकड़ों को प्रस्तुत करने में सुविधा हो सकेगी।

(ii) ऑनलाइन पंजीकरण कराने और स्वापक औषधियों के उत्पादकों और डीलरों के द्वारा ऑनलाइन रिटर्न भरे जाने के लिए एक सिस्टम का विकास

भारत सरकार ने एक ऐसा वेब आधारित सिस्टम तैयार करने का निर्णय लिया है जिससे कि स्वापक औषधियों के उत्पादक और डीलर केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो में ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं और देश में स्वापक औषधियों के उत्पादन, उपयोग, भण्डार, उपभोग, उपयोग के बारे में आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं। इस ऑनलाइन आवेदन का उद्देश्य है स्वापक औषधियों के उत्पादन और उपभोग के आंकड़े को एकत्र करके भारत से संबंधित फॉर्म सी तैयार करना और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड (आईएनसीबी), वियना को प्रस्तुत करना है। इस मामले में यह कार्यालय राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) नई दिल्ली से बात कर रहा है।

3.1.6 एनडीपीएस ऐक्ट, 1985 का प्रवर्तन :

केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने की कार्रवाई करता है यह इन

औषधियों से संबंधित अपराधों की जांच करता है तथा इस संबंध में अभियोजन की कार्रवाई करता है। इन औषधियों के अवैध व्यापार से व्यापारियों द्वारा कमाई गयी सम्पत्ति को जब्त करता है।

(i) वर्ष 2013 के दौरान केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो ने एनडीपीएस ऐक्ट के अंतर्गत की गई जब्ती के कार्य निम्नलिखित हैं:

- (1) एक विशेष सूचना के आधार पर निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, उदयपुर (राजस्थान) और भीलवाड़ा (राजस्थान) के निवारक दल ने चित्तौड़गढ़ जिले (राजस्थान) में 28.01.2013 को 3.800 किग्रा. अफीम जब्त की थी और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। इस कार्य में एक मोटर साइकिल भी जब्त की गई।
- (2) एक विशेष सूचना के आधार पर निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, इंदौर और निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, उज्जैन (म.प्र.) के एक संयुक्त निवारक दल ने इंदौर में 03.02.2013 को 0.130 किग्रा. हेरोइन जब्त की थी। दो व्यक्ति गिरफ्तार भी किए गए थे।
- (3) एक विशेष सूचना के आधार पर उप स्वापक आयुक्त, नीमच (म.प्र.) और डीओओ नीमच-I प्रभाग के कार्यालय के संयुक्त निवारक दल ने सर्वे सं. 229 में दिनांक 02.02.2013 को पता लगाया था कि ग्राम बंजारा समेल, तहसील जावड़, जिला नीमच में 40 वर्गमीटर में अफीम पोस्त की अवैध खेती होने का पता लगाया था।
- (4) एक विशेष सूचना के आधार पर निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ उदयपुर और डीओओ भीलवाड़ा (राजस्थान) के संयुक्त निवारक दल ने उदयपुर जिले (राजस्थान) में दिनांक 20.02.2013 को 4.300 किग्रा अफीम 162.700 किग्रा पोस्त भूस और 249.500 किग्रा पोस्त भूस पाउडर को जब्त किया था। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया था।
- (5) एक विशेष सूचना के आधार पर निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, उदयपुर और डीओओ भीलवाड़ा (राजस्थान) के संयुक्त निवारक दल ने दिनांक 20.02.2013 को ग्राम विजय माग्री, तहसील बल्लभ नगर, थाना भिंडर, जिला उदयपुर (राज.) से 0.250 किग्रा अफीम 690.900 किग्रा पोस्त भूस और 183.700 किग्रा पोस्त भूस पाउडर तथा एक ग्राइंडर मशीन जब्त किया था। प्रहलाद सिंह/ नटवर सिंह इस परिसर के मालिक के भागने के कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पायी।
- (6) एक विशेष सूचना के आधार पर निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, प्रतापगढ़ (राजस्थान) के निवारक दल ने दिनांक 27.02.2013 को प्रतापगढ़ जिले (राजस्थान) में 0.900 किग्रा अफीम जब्त की थी। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया था।

- (7) एक विशेष सूचना के आधार पर निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, उदयपुर के निवारक दल ने दिनांक 01.03.2013 को उदयपुर जिले (राजस्थान) में 4.500 किग्रा. अफीम जब्त की थी। इस कार्य में दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई थी।
- (8) एक विशेष सूचना के आधार पर, निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, इन्दौर के निवारक दल ने, इन्दौर से दिनांक 05.03.2013 को 50.000 किग्रा एल्फ्राजोलम जब्त की थी। इसमें तीन व्यक्ति गिरफ्तार हुए तथा दो गाड़ियां जो मारुति, अल्टो तथा हुण्डई, वर्ना थी, भी जब्त की गई थी।
- (9) मार्च, 2013 के दौरान अरुणाचल प्रदेश में कुल 440.000 हेक्टेयर की अवैध अफीम की फसल को सीबीएन हेड क्वार्टर्स के अधिकारियों के एक दल ने नष्ट कर दिया।
- (10) विशेष सूचना के आधार पर उप स्वापक आयुक्त के कार्यालय, लखनऊ के निवारक दस्ते ने 15.04.2013 को लखनऊ (उ.प्र.) में 1.000 किलोग्राम की हेरोइन बरामद की थी और इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था।
- (11) माह मई, 2013 के दौरान उत्तरांचल में सीबीएन मुख्यालय, ग्वालियर के अधिकारियों के एक दल ने अवैध अफीम पोस्त की कुल 7.500 हेक्टेयर फसल को नष्ट किया था तथा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।
- (12) विशेष सूचना के आधार पर उप-स्वापक आयुक्त कार्यालय लखनऊ के निवारक दल ने दिनांक 17.05.2013 को लखनऊ (उ.प्र.) में 0.540 किलोग्राम हेरोइन जब्त की थी और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी।
- (13) विशेष सूचना के आधार पर निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, चेन्नई के निवारक दल ने मैसर्स वसुधा फार्मा केमिकल लिमिटेड 39 ए एंड बी तथा डीआईडीए, जीडीमेतला हैदराबाद, आंध्रप्रदेश के कारखाना परिसर से दिनांक 04.06.2013 को 17.0104 किलोग्राम फेन्टानाइल बेस तथा 6.1998 किलोग्राम फेन्टानाइल साइट्रेट बरामद किया।
- (14) एक अनुवर्ती कार्रवाई के अंतर्गत उप-स्वापक आयुक्त, लखनऊ कार्यालय के एक निवारक दल ने 04.06.2013 को अबरार अली पुत्र हसमत अली कटरा फैजुलगंज पीएस कोतवाली जिला- बाराबंकी के घर की तलाशी ली और वहां से 0.015 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती तथा वसूली की।
- (15) विशेष सूचना के आधार पर निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, चेन्नई के एक निवारक दल ने 06.06.2013 को मैसर्स स्पर्श फार्मा इंटरनेशन प्राइवेट लिमिटेड सर्वे नं. 345 मफीरेडी पैली विलेज तूपरन मंडल जिला-मैंडक, आंध्रप्रदेश के फैक्ट्री परिसर से 142.970 किलोग्राम फेन्टानाइल एपीआई तथा 404.16875 किलोग्राम फेन्टानाइल फार्मूलेशन की जब्ती की।
- (16) एक विशेष सूचना के आधार पर जिला अफीम अधिकारी बाराबंकी के एक निवारक दल ने दिनांक 09.07.2013 को बाराबंकी (उ.प्र.) से 0.150 किलोग्राम मार्फीन जब्त की तथा एक व्यक्ति को हिरासत में लिया था।
- (17) एक विशेष सूचना के आधार पर निवारक तथा असूचना प्रकोष्ठ के संयुक्त निवारक दल मंदसौर I, II, III प्रभाग ने प्रतापगढ़ (राजस्थान) जिले से दिनांक 18.07.2013 को 42.000 किलोग्राम एसेटिक एनहाइड्राइड की जब्ती की थी तथा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।
- (18) एक विशेष सूचना के आधार पर, जिला अफीम अधिकारी बाराबंकी के निवारक दल ने 18.07.2013 को बाराबंकी (उ.प्र.) में 0.200 किलोग्राम की मॉर्फोन जब्त की थी और एक व्यक्ति गिरफ्तार किया था।
- (19) एक विशेष सूचना के आधार पर, निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, उदयपुर के निवारक दल ने 2.700 किग्रा. अफीम जब्त की थी तथा 19.07.2013 को प्रतापगढ़ (राजस्थान) जिले से 0.200 किग्रा जब्त की। दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा एक गाड़ी टोयोटा, क्वालिस भी जब्त हुई थी।
- (20) एक विशेष सूचना के आधार पर, जिला स्वापक अधिकारी कार्यालय, नीमच-I प्रभाग के निवारक दल ने 04.08.2013 को नीमच- मंदसौर रोड (म.प्र.) से 7.000 किग्रा अफीम जब्त की थी तथा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था।
- (21) एक विशेष सूचना के आधार पर, उप-स्वापक आयुक्त कार्यालय, नीमच के निवारक दल ने दिनांक 17.08.2013 को 10.000 किलोग्राम अफीम जब्त की थी तथा दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था।
- (22) एक विशेष सूचना के आधार पर, उप-स्वापक आयुक्त कार्यालय, नीमच के निवारक दल ने 17.08.2013 को नीमच (म.प्र.) जिले से 141.000 किग्रा एसिटिक एनहाइड्राइड जब्त की थी तथा चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।
- (23) एक विशेष सूचना के आधार पर, जिला अफीम अधिकारी मंदसौर, प्रभाग-II के निवारक दल ने दिनांक 25.08.2013 को जिला- मंदसौर (म.प्र.) से 4.350 किलोग्राम की अफीम जब्त की थी और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।
- (24) एक विशेष सूचना के आधार पर, निवारक तथा आसूचना प्रकोष्ठ, रतलाम (म.प्र.) के निवारक दल ने दिनांक

- 26.08.2013 को स्तलाम जिले (म.प्र.) में 0.115 किलोग्राम की हेरोइन जब्त की थी तथा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था।
- (25) एक विशेष सूचना के आधार पर, जिला अफीम अधिकारी, मंदसौर (म.प्र.) प्रभाग-III ने दिनांक 29.08.2013 को मंदसौर जिले, (म.प्र.) में 17.000 किग्रा. एसेटिक एनहाइड्राइड जब्त किया था तथा दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था।
- (26) निवारक तथा आसूचना प्रकोष्ठ, जयपुर (राजस्थान) के निवारक दल ने दिनांक 05.09.2013 को जयपुर (राजस्थान) जिले के रोडवेज बस से 1.800 किग्रा अफीम के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।
- (27) उप-स्वापक आयुक्त कार्यालय कोटा, (राजस्थान) के निवारक दल ने दिनांक 07.09.2013 को कोटा, (राजस्थान) की राजस्थान रोडवेज बस से 1.040 किग्रा अफीम जब्त की तथा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
- (28) एक विशेष सूचना के आधार पर, निवारक तथा आसूचना प्रकोष्ठ, चित्तौडगढ़ (राजस्थान) के निवारक दल ने दिनांक 13.09.2013 को चित्तौडगढ़ जिले, (राजस्थान) से 1.7000 किग्रा अफीम जब्त की एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया तथा एक मोटर साइकिल को जब्त किया था।
- (29) एक विशेष सूचना के आधार पर, निवारक तथा आसूचना प्रकोष्ठ, इंदौर (म.प्र.) के निवारक दल ने दिनांक 20.09.2013 को इंदौर जिले, (म.प्र.) से 4.000 किग्रा चरस जब्त की तथा 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया तथा एक हीरोहोण्डा स्ट्रीट मोपेड को भी जब्त किया।
- (30) एक विशेष सूचना के आधार पर, उप-स्वापक आयुक्त कार्यालय लखनऊ (उ.प्र.) के निवारक दल ने दिनांक 25.09.2013 को लखनऊ (उ.प्र.) से 0.330 किग्रा हेरोइन जब्त की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
- (31) एक गुप्त सूचना के आधार पर, निवारक तथा आसूचना प्रकोष्ठ, गाजीपुर (उ.प्र.) के निवारक दल ने दिनांक 01.10.2013 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश से 2.000 किग्रा चरस जब्त की तथा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
- (32) एक गुप्त सूचना के आधार पर, उप-स्वापक आयुक्त कार्यालय, लखनऊ (उ.प्र.) के निवारक दल ने दिनांक 02.10.2013 को लखनऊ से 0.730 किग्रा हेरोइन जब्त की थी तथा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।
- (33) विशेष सूचना के आधार पर, उप-स्वापक आयुक्त कार्यालय, नीमच (म.प्र.) के निवारक दल ने दिनांक 02.10.2013 को नीमच (म.प्र.) से 9.400 किग्रा अफीम जब्त की थी तथा एक व्यक्ति को एक बजाज सीटी 100 मोटर साइकिल के साथ भी गिरफ्तार किया गया था।
- (34) विशेष सूचना के आधार पर, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, नीमच, निवारक तथा आसूचना प्रकोष्ठ मंदसौर, मंदसौर II, तथा मंदसौर III प्रभाग के सम्मिलित निवारक दल ने दिनांक 13.10.2013 को मंदसौर (म.प्र.) से 22.000 किग्रा एसिटिक एनहाइड्राइड जब्त किया था तथा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। अनुवर्ती कार्रवाई के दौरान एक मोटर साइकिल भी जब्त की गयी थी।
- (35) विशेष सूचना के आधार पर, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, नीमच, के संयुक्त निवारक दल तथा जिला अफीम अधिकारी मंदसौर-II प्रभाग ने 21.10.2013 को मंदसौर से 20.108 किलोग्राम अफीम जब्त किया था तथा एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया था।
- (36) एक गुप्त सूचना के आधार पर, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो कोटा में दिनांक 27.10.2013 को चित्तौडगढ़ जिला, (राजस्थान) से 6.350 किग्रा अफीम जब्त की गई थी और साथ में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था तथा एक मारुति वैन को भी जब्त किया गया था।
- (37) एक गुप्त सूचना के आधार पर, उप-स्वापक आयुक्त कार्यालय लखनऊ (उ.प्र.) के निवारक दल ने दिनांक 06.11.2013 को लखनऊ में 0.415 किग्रा अफीम जब्त की थी तथा अनुवर्ती कार्रवाई में दिनांक 06.11.2013 (कुल 0.421 किग्रा हेरोइन का कुल) को 0.006 किग्रा की हेरोइन की वसूली की तथा दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई।
- (38) गुप्त सूचना के आधार पर, उप-स्वापक आयुक्त कार्यालय लखनऊ (उ.प्र.) के निवारक दल ने दिनांक 21.11.2013 को लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1.000 किग्रा हेरोइन जब्त की थी तथा 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था।
- (39) एक गुप्त सूचना के आधार पर, राजस्थान इकाई के निवारक दल ने दिनांक 15.12.2013 को हनुमानगढ़ सांगरिया रोड से एक स्कार्पियो गाड़ी के साथ 13.500 किग्रा अफीम जब्त की तथा 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।
- (40) गुप्त सूचना के आधार पर, निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, इंदौर के निवारक दल ने दिनांक 20.12.2013 को इंदौर से एक मोटर साइकिल के साथ 0.340 किग्रा हेराइन जब्त की तथा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- (41) सामान्य जांच के आधार पर डीएनसी कार्यालय नीमच (म.प्र.) के निवारक दल ने 28.12.2013 को मंदसौर दालोदा रोड, थरोड फंटा, मध्य प्रदेश से एक ट्वेरा गाड़ी के साथ 443 किग्रा पोस्त भूस चूर्ण को जब्त किया था।

(ii) वित्तीय वर्ष 2013 (1.1.2013 से 31.12.2013) के दौरान सीबीएन द्वारा प्रभावी जब्ती के मामलों का विवरण:

औषध का नाम		
अफीम	मात्रा (कि.ग्रा. में)	91.698
	मामलों की सं.	16
	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं.	25
हीरोइन	मात्रा (कि.ग्रा. में)	4.621
	मामलों की सं.	10
	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं.	14
मार्फीन	मात्रा (कि.ग्रा. में)	0.550
	मामलों की सं.	2
	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं.	2
चरस	मात्रा (कि.ग्रा. में)	6.000
	मामलों की सं.	2
	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं.	4
पोस्ट भूसी	मात्रा (कि.ग्रा. में)	1729.800
	मामलों की सं.	1
	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं.	0
अल्पराजोलम	मात्रा (कि.ग्रा. में)	50.000
	मामलों की सं.	1
	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं.	3
एसैटिक एनहाइड्राइड	मात्रा (कि.ग्रा. में)	222.000
	मामलों की सं.	4
	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं.	8
फेन्तानाइल बेस	मात्रा (कि.ग्रा. में)	17.0104
	मामलों की सं.	1
	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं.	0
फेन्तानाइल साइट्रेट	मात्रा (कि.ग्रा. में)	6.1998
	मामलों की सं.	0
	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं.	0
फेन्तानाइल एपीआई	मात्रा (कि.ग्रा. में)	142.970
	मामलों की सं.	0
	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं.	0
फेन्तानाइल फार्मीला	मात्रा (कि.ग्रा. में)	404.60875
	मामलों की सं.	1
	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं.	0
अवैध पोप की खेती का विनाश	क्षेत्रफल हेक्टेयर में)	7.500
	उत्तराखंड/उत्तरकाशी	
	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं.	0

(iii) वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान विभिन्न न्यायालयों द्वारा केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के मामलों में बरी/दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या

वर्ष	उन व्यक्तियों की कुल सं. जिन पर अभियोग चलाया गया था	दोषी पाए गए व्यक्तियों की सं.	दोष मुक्त व्यक्तियों की कुल सं.	दोषी पाये गये व्यक्तियों की दर (%)
2013	112	70	42	62.50 %

(iv) वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान विभिन्न न्यायालयों द्वारा केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के मामले में बरी किए गए/ दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या

वर्ष	निर्णित मामलों की कुल सं.	दोष सिद्ध पाए गए मामलों की कुल सं.	दोष मुक्त व्यक्तियों के मामलों की कुल सं.	दोषी सिद्ध व्यक्तियों की दर (%)
2013	55	41	14	74.55 %

(v) 2013 में अवैध पोस्ट फसल को नष्ट करना :

मार्च माह 2013 के दौरान, 2-6 मार्च, 2013 के बीच संचालित एक संयुक्त अभियान में नामसाई उप-विभाग तथा लोहित के जिला प्रशासन तथा सीबीएन की एक टीम ने मेडो तथा चंखम तथा तेजू तथा शिवाजी नगर में आरक्षित जंगल में लगभग 440.00 हेक्टेयर अवैध पोस्ट की फसल को नष्ट किया था।

मई माह 2013 के दौरान, सीबीएन टीम ने अवैध पोस्ट की खेती की मौजूदगी का पता लगाने के लिए सेटेलाइट नक्शों की जांच के लिए किए गए सर्वे के दौरान, उत्तराखण्ड राज्य के

(vi) वर्ष 2012-13 के दौरान सीबीएन/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवरोधित/ जब्त सम्पत्ति का मूल्यांकन और कुर्की वाले मामलों को दर्शाने वाली तालिका :

एकक	कुर्की-मामला	दोषी का नाम	सम्पत्ति का मूल्यांकन अवरोधन	जबती
म.प्र.	30.12.2004 को 168.890 किग्र. अफीम	शमसुद्दीन	90,125 रुपये	-शून्य-
म.प्र.	05.03.2013 को 50.00किग्र. अलप्रजोलम	(1) ठाकुर सिंह पुत्र बापू सिंह (2) सन्तोष पुत्र रिताम्बर झा (3) नरेन्द्र कुमार पुत्र भेरू लाल	42,00,000 रुपये	06.08.2013 को जब्त
		कुल	42,90,125 रुपये	

3.1.7 वर्ष 2012-13 के दौरान अफीम पोस्ट की खेती तथा उत्पादन

फसल वर्ष 2012-13 के दौरान 70 डिग्री सांद्रता की 371 मीट्रिक टन (अनंतिम) की अफीम खरीदी गई। वर्ष 2011-12 फसल वर्ष में मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश से प्राप्त अनंतिम परिणाम के आधार पर 70 डिग्री कनसिस्टेंस की औसत उपज क्रमशः 64.03, 66.37 तथा 41.64 किग्रा/ हेक्टेयर (अनंतिम) थी। वर्ष 2012-13 के दौरान अखिल भारतीय औसत खेती 70 डिग्री सांद्रता अनंतिम पर 65.06 किग्रा/ हेक्टेयर थी। अफीम की उपज से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं क्योंकि फसल वर्ष 2012-13 हेतु कारखानों से अनंतिम आंकड़े प्रतीक्षित हैं। ये आंकड़े 2012-13 के लिए हैं क्योंकि अफीम की खेती का फसल चक्र अगले वर्ष अक्टूबर से सितम्बर होता है। अक्टूबर, 2013 माह के दौरान निबटान कार्य पूरा कर लिया गया है तथा इसके परिणामस्वरूप 44354 कृषक तथा 5896 हेक्टेयर क्षेत्र का समाधान किया गया है।

3.1.8 ई-भुगतान के माध्यम से कृषकों को अदायगी

2011-12 के फसल वर्ष तक, अफीम की लागत तथा आढ़ती, कृषकों तथा लम्बरदारों से नकदी में की जाती थी। बैंकों से पैसा निकालने, इसका मापन केन्द्रों, संबंधित कृषकों/ लम्बरदारों में संवितरण करने तथा कृषकों द्वारा देर रात में मापन केन्द्रों से गांव ले जाने में अत्यधिक जोखिम रहता था। बैंकिंग अवसंरचना का अफीम उत्पादक क्षेत्रों में सुधार किया गया है और इसका दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है।

इन सब बातों पर विचार करते हुए मापन कार्य के दौरान, कृषकों के बैंक खातों में अफीम/ आयोग को सीधे ई-अदायगी के माध्यम से भुगतान किया जाता था। सरकारी अफीम खेतों से संगणक

उत्तरकाशी जिले में 7.5 हेक्टेयर अवैध पोस्ट की फसल को नष्ट किया था।

संदिग्ध क्षेत्रों में अफीम पोस्ट अवैध फसल का पता लगाने के लिए सीबीएन सेटेलाइट प्रतिबिंबों का प्रयोग कर रहा है और एडीआरआईएन द्वारा प्रदान किये गए सेटेलाइट प्रतिबिंबों के आधार पर अधीक्षक की अध्यक्षता में परिनियोजित टीम ने अवैध फसल को अंततः नष्ट कर दिया था। भारतीय सर्वेक्षण द्वारा डिजिटल नक्शों को भी तैयार किया जाता है और इसी उद्देश्य के लिए केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) को भी इसी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराई गई है।

अवरोधित/ जब्त सम्पत्ति का मूल्यांकन और कुर्की वाले मामलों को

चालान की रसीद के पश्चात कृषकों को अंतिम अदायगी तथा लेखा को व्यवस्थापन निपटान की प्रतीक्षा किये बिना ही अंतिम रूप से हिसाब-किताब पूरा किया जा रहा है।

3.1.9 वर्ष 2013-14 के दौरान निष्पादन तथा उपलब्धियों की अन्य प्रमुख घटनाएं
विश्व ट्रांसप्लांट गेम्स- 2013 :

डरबन (दक्षिण अफ्रीका में) आयोजित 19वें विश्व ट्रांसप्लांट गेम्स में सीबीएन के इंस्पेक्टर धर्मेन्द्र सोती ने भाग लिया तथा बैडमिंटन में रजत पदक जीता। एसजीपीजीआई, लखनऊ में 2001 में श्री सोती का किडनी प्रत्यारोपण हुआ।

केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा वैश्विक औषध दिवस मनाया जाना :

औषध दुरुपयोग तथा अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो ने 26 जून, 2013 से 28 जून, 2013 तक कार्यक्रम की एक श्रृंखला का आयोजन किया। जो कार्यक्रम आयोजित किए गए वे इस प्रकार हैं :

मोटर साइकिल रैली :

26 जून, 2013 को 100 स्वयं सेवकों का एक रोड शो/ मोटर साइकिल रैली का आयोजन हुआ। आम लोगों, ऑटो रिक्शा ड्राइवर तथा टैक्सी ड्राइवर के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए स्टाफ सदस्यों ने पूरे दिन औषध दुरुपयोग पर आकर्षक स्टीकर वितरित किए। शहरों के मुख्य भागों में आकर्षक बैनर लगाए गए तथा स्टीकर भी चिपकाए गए।

हस्ताक्षर अभियान :

लोगों के बीच नशीले पदार्थों की समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु दीनदयाल सिटी माल, ग्वालियर में 26 जून, 2013 को

एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हस्ताक्षर अभियान लोगों को आकर्षित करने में प्रभावी रहा। आम जनता को नशीले पदार्थों पर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया गया।

स्वास्थ्य जांच अभियान :

दिनांक 27.06.2013 को बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर तथा रतन ज्योति नेत्रालय, ग्वालियर के डाक्टरों ने कार्यालय परिसर में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। स्वास्थ्य जांच में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल थे :

- रक्तचाप ;
- रक्तशर्करा परीक्षण ;
- नेत्र परीक्षण;

डाक्टरों ने मरीजों को संतुलित भोजन तथा स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने वाले अन्य पहलुओं के बारे में परामर्श दिया।

पोस्टर चित्रकारी प्रतियोगिता::

28.06.2013 को कार्यालय परिसर में एक खुली पोस्टर चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का विषय था “नशा एक अभिशाप”। इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेकर कैनवास पर अपने विचारों को उकेरा। इस

प्रतियोगिता में प्राप्त की गई प्रविष्टियों की जांच एक विशेषज्ञ पैनल ने की और पोस्टर चित्रकारी प्रतियोगिता के विजेताओं को इनाम वितरित किए गए। इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रम निबंध लेखन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, स्लोगन तथा वाद-विवाद प्रतियोगिता को कोटा, लखनऊ तथा नीमच हेड क्वार्टर्स की इकाईयों में आयोजित किया गया।

3.1.10 विभाग में कार्य कर रहा लोक शिकायत प्रभाग

अफीम पोस्ट उत्पादकों की विभिन्न शिकायतों के समाधान के लिए यूनिट उप स्वापक आयुक्त नीमच, कोटा और लखनऊ के मुख्यालयों के एककों पर लोक शिकायत समितियां बनाई गई हैं।

3.1.11 निःशक्त वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के लिए की गई गतिविधियां

मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए आरक्षण रखा गया है। श्री सीता राम शर्मा, उप स्वापक आयुक्त, कोटा (राजस्थान) को अनु0जा0/ अनु0ज0जा0/अ0पि0व0 के कर्मचारियों के हित, प्रतिनिधित्व और कल्याण की देख-रेख हेतु एक सम्पर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

3.1.12 वर्ष 2013-14 के दौरान सेवा मामले से संबंधित न्यायालय वादों में निर्णय-

वाद संख्या	न्यायालय जिसमें वादे दाखिल किए गए	विषय	निर्णय
रिट याचिका संख्या ग्वालियर खंड पीठ एआईएनईओए (उपनिरीक्षक) बनाम भारत सरकार तथा अन्य	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर खंड पीठ	केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के निरीक्षकों की भूतलक्षी प्रभाव से वेतन समानता	मामले में अंतिम रूप से सुनवाई की गई है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसे खारिज कर दिया गया है।
रिट याचिका संख्या 1520/09 एआईएनईओए कर (उपनिरीक्षक) बनाम भारत सरकार तथा अन्य	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर खंड पीठ	केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के निरीक्षकों के वेतन को सीपीओ के उपनिरीक्षकों को वेतन के साथ समानता	मामले में अंतिम रूप से सुनवाई की गई है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसे खारिज दिया गया है।
रिट याचिका संख्या 4424/2009 एआईएनईओए (अधीक्षक) बनाम भारत	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर खंड पीठ	केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के अधीक्षकों की एनसीबी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षकों के साथ वेतन में भूतलक्षी प्रभाव से समानता	मामले में अंतिम रूप से सुनवाई की गई है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसे खारिज दिया गया है।
ओ.ए. संख्या 610/09 अमित कुमार बनाम भारत सरकार तथा अन्य	कैट इलाहाबाद पीठ, इलाहाबाद	सहानुभूति आधार पर नियुक्ति	दिनांक 9.10.1998 को भारत सरकार द्वारा परिचालित अनुसूची में निहित संगत प्रावधानों के अनुसार माननीय कैट ने विभाग को श्री अमित कुमार को मामले में विचार के लिए निर्देश दिया है।

3.1.13 सामान्य पूल कार्यालय आवास (जीपीओ) तथा सामान्य पूल आवासीय आवास (जीपीआरए) के लिए आवंटन

शहरी विकास मंत्रालय, सम्पदा निदेशालय, नई दिल्ली के अपने प्रपत्र सं. 11013/जी/2012 पीओएल दिनांक 24.9.2013 के माध्यम से मुम्बई, चेन्नई तथा कोलकाता के निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ के कार्यालयों को सामान्य पूल कार्यालय आवासीय आवास के लिए पात्र घोषित किया गया है। तथापि उपरोक्त प्रकोष्ठ, सीबीएन के अधिकारी तथा स्टाफ अन्य सामान्य शर्तों को पूरा करने के पश्चात प्रतीक्षा सूची के अनुसार अपनी परिपक्वता अवधि के अनुसार सामान्य पूल आवासीय आवास के लिए योग्य हो गए हैं।

3.1.14 महिला संबंधी मुद्दे/ महिलाओं का सशक्तीकरण :

कार्य करने वाली महिलाओं के कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार के उत्पीड़न संबंधी शिकायतों को देखने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश यूनिट के मुख्यालयों और मुख्यालय, ग्वालियर में एक शिकायत समिति गठित की गयी है।

किसी भी कर्मचारी से लिंग के आधार पर भेदभाव संबंधी कोई शिकायत अथवा अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

3.1.15 ई-शासन गतिविधियां :

जहां तक ई-शासन संबंधी कार्यविधि का संबंध है, यह बताया गया है कि ई-शासन के मुद्दे पर सरकार के विभिन्न अनुदेश अनुपालन आदि आवश्यक कार्रवाई हेतु नोट किये गए हैं। समझौता और तौल केन्द्रों पर सी सी टी वी का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है।

लगभग प्रत्येक अनुभाग में कम्प्यूटर दिये गये हैं और इन्हें नेटवर्क के माध्यम से आपस में जोड़ा गया है। मंत्रालय से प्राप्त सभी संदर्भों के सभी उत्तर तथा तात्कालिक रिपोर्टों को यथासमय ई-मेल के माध्यम से वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को अग्रेषित किया जाता है। केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की वेबसाइट का अद्यतन किया गया है और मनः प्रभावी पदार्थों/ पूर्ववर्ती रसायनों व नियंत्रित पदार्थों के आयात/निर्यात के लिए आयात/निर्यात प्राधिकार जारी किए जाने से संबंधी सभी आवेदन फार्म सी बी एन की वेबसाइट www.cbn.nic.in से डाउन लोड किये जा सकते हैं।

3.2. सरकारी अफीम एवं एल्कलायड कार्य (जीओएडब्ल्यू)

3.2.1 मुख्य नियंत्रक फैक्ट्रीज

सरकारी अफीम एवं एल्कलायड कार्य (जीओएडब्ल्यू) निर्यात के लिए कच्ची अफीम के प्रसंस्करण में तथा अपनी दो फैक्ट्रियों अर्थात् सरकारी अफीम एवं एल्कलायड वर्क्स (जीओएडब्ल्यू) गाजीपुर (उ0प्र0) एवं नीमच (म0प्र0) के माध्यम से ओपाइड अल्कलायड के विनिर्माण में लगे हैं। जीओएडब्ल्यू में उत्पादित उत्पाद भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग द्वारा खांसी के सिरप, दर्द निवारक की तैयारी के लिए तथा अत्यधिक बीमार, कैंसर एवं एचआईवी रोगियों के लिए गोलियां तैयार करने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। सरकारी अफीम एवं एल्कलायड फैक्ट्रीज उच्च अधिकार प्राप्त निकाय है जिसे प्रबंधन समिति द्वारा प्रशासित किया जाता है जो कि भारत सरकार द्वारा 1970 में अधिसूचि की गई थी। अपर सचिव (राजस्व) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं। आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त स्तर का एक अधिकारी, फैक्ट्री का मुख्य नियंत्रक होता है जो संगठन का प्रमुख होता है तथा इन दोनों फैक्ट्रियों, जो नीमच एवं गाजीपुर में स्थित है का प्रबंधन अपर आयुक्त / निदेशक के स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। फैक्ट्रियों का विपणन एवं वित्त एकक, नई दिल्ली में स्थित है। प्रत्येक फैक्ट्री में दो इकाइयां होती हैं- अफीम फैक्ट्री एवं एल्कलायड फैक्ट्री। अफीम फैक्ट्रियां खेतों से अफीम प्राप्त करने, उसके भंडारण तथा निर्यात व देशीय उपयोग के लिए उसके प्रसंस्करण का काम करती है। एल्कलायड वर्क्स, कच्ची अफीम को फार्मेस्यूटिकल ग्रेड के अल्कलायड में बदलने के काम में लगे हैं, जिससे कि औषधि उद्योग की देशीय मांग को पूरा किया जा सके। सरकारी अफीम एवं क्षारोध कार्य द्वारा उसके दो अफीम व क्षारोध संयंत्रों में लगभग 1400 लोगों के कुल कार्य बल को लगाया गया है। इस कार्यबल में संघ लोक सेवा आयोग से सीधे चयनित अधिकारियों के अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला से अधिकारी एवं कर्मचारी लिए गए हैं। इन फैक्ट्रियों की सुरक्षा को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) जो गृह मंत्रालय का एक अर्द्ध सैनिक बल है, द्वारा देखा जाता है।

पिछले वर्ष 2012-13 की समग्र उपलब्धियां/निष्पादन सरकारी अफीम तथा क्षारोध कारखाना (जीओएएफ)

वर्ष 2012-13 जीओएएफ के निष्पादन

क. उत्पादन

क्रम सं.	विवरण	इकाई	उत्पादन लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्यों की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क. उत्पादन					
1	90°C पर निर्यात के लिए अफीम को सुखाना	मी.टन	480	457	-5
2	औषधि का निर्माण :				
	क) कोडीन सल्फेट	किग्रा.	400	285	-29
	ख) मॉर्फिन सल्फेट	किग्रा.	270	134	-50
	ग) कोडीन फास्फेट (आई.पी.)	किग्रा.	14486	13502	-07
	घ) डायोनाइन	किग्रा.	500	700	40
	ङ शुद्ध थेबाइन	किग्रा.	866	773	-11
	च) नासकेपाइन बीपी	किग्रा.	3578	3304	-08
	छ) फोल्कोडाइन	किग्रा.	180	201	12
	कुल अंतिम औषधि	किग्रा.	20280	18899	
	ज) आईएमओ चूर्ण	किग्रा.	8000	7500	-06
	झ) आईएमओ केक	किग्रा.	2000	3526	76
	ञ) पापावराइन एस.आर	किग्रा.		1517	
3.	i) घरेलू बाजार किग्रा. के लिए सीपी आयात	किग्रा.		62000	
	ii) विशिष्ट क्रेताओं के लिए आयात				
	क) कोडीन फास्फेट यू.एस.पी.	किग्रा.		0	
	ख)) कोडीन फास्फेट (एसईजेड)	किग्रा.		0	
	कुल (ii)			0	

ख. विक्री

अनंतिम

क्रम सं.	विवरण	मात्रा (कि.ग्रा.)	विक्री (रुपये/करोड़)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	90°C पर अफीम का निर्यात	372100	160.05
2	औषधि की घरेलू विक्री:		
	क) कोडीन सल्फेट	165	0.96
	ख) मॉर्फिन साल्ट	292	1.06
	ग) कोडीन फास्फेट (आई.पी.3आयात)	37872	132.02
	घ) डायोनाइन	260	1.83
	ड) शुद्ध थेबाइन	730	2.51
	च) नासकेपाइन बीपी	5769	15.06
	छ) पापावराइन एस.आर	1395	0.28
	ज) फोल्कोडाइन	152	0.71
	झ) आईएमओ चूर्ण	6405	3.69
	ञ) आईएमओ केक	2956	1.52
	कुल (2)	55996	159.64
3	आयातित औषधि (विशिष्ट क्रेता) की विक्री		
	क) कोडीन फास्फेट यू.एस.पी.	0	0
	ख) कोडीन फास्फेट (एसईजेड)	0	0
	कुल (क तथा ख)	0	0
	कुल योग (1+2+3)	428096	319.69

ग. 90°C पर अफीम का देशवार निर्यात (आईएमओ पाउडर और केक को छोड़कर)

(मात्रा मिट्रिक टन में)

इकाई	यू.एस.ए.	ईरान	फ्रांस	जापान	योग
गाजीपुर	0.044	शून्य	शून्य	114.420	114.464
नीमच	243.555	14.081	शून्य	शून्य	257.636
योग	243.599	14.081	शून्य	114.420	372.100

घ. घ.औषधियों एवं आईएमओ के उत्पादन हेतु प्रभारित अफीम

148(लगभग) 90°C पर मी. टन में मात्रा

ड. राजस्व वसूलियां (वसूली के आधार पर)

(₹ करोड़ में)

इकाई	अफीम कारखाने	एल्कलाइड कारखाने	कुल
गाजीपुर	26.63	30.78	57.41
नीमच	127.99	126.84	254.83
योग	154.62	157.62	312.24

इसी तरह चालू वित्त वर्ष 2013-14 के अप्रैल से दिसम्बर की अवधि के दौरान उपलब्धियां निम्नवत हैं:-

उसी के अवधि के लिए पूर्व वर्ष अर्थात् 2013 के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ दिसम्बर, 2014 के माह तक सीसीएफ संगठन की उपलब्धि

क्रम सं.	विवरण	इकाई	दिसम्बर तक वास्तविक उत्पादन		पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि
			2012-13	2013-14	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क. उप्रादन					
1	90°C पर निर्यात के लिए अफीम को सुखाना	मी.टन	373	166	-55
2	औषधि का निर्माण :				
	क) कोडीन सल्फेट	किग्रा.	285	162	-43
	ख) मॉर्फिन सल्फेट	किग्रा.	134	218	63
	ग) कोडीन फास्फेट (आई.पी.)	किग्रा.	8405	6635	-21
	घ) डायोनाइन	किग्रा.	0	296	296
	ङ) शुद्ध थेबाइन	किग्रा.	56	62	11
	च) नासकेपाइन बीपी	किग्रा.	2492	2202	-12
	छ) फोल्कोडाइन	किग्रा.	106	109	03
	ज) पापावराइन एस.आर	किग्रा.	892	927	04
	झ) आईएमओ चूर्ण	किग्रा.	4350	5300	22
	ञ) आईएमओ केक	किग्रा.	3046	2740	-10
	कुल अंतिम औषधि	किग्रा.	19766	18651	-06
3.	i) घरेलू बाजार किग्रा. के लिए सीपी आयात		43000	14000	-67
	ii) विशिष्ट क्रेताओं के लिए आयात				
	क) कोडीन फास्फेट यू.एस.पी.	किग्रा.	0	0	0
	ख) कोडीन फास्फेट (एसईजेड)	किग्रा.	0	0	0
	योग (ii)		0	0	0

ख. बिक्री

अंतिम

क्रम सं.	विवरण	2012-13		2013-14	
		मात्रा (कि.ग्रा.) में	(₹ करोड़ में)	मात्रा (कि.ग्रा.) में	(₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	वास्तविक आधार पर औषधि का निर्यात	281015	111.52	214775	95.16
2	घरेलू बिक्री के लिए आषधि : (वास्तविक आधार पर)				
	क) कोडीन सल्फेट	165	0.96	0	0
	ख) माफ्फिन साल्ट	272	0.99	280	1.01
	ग) कोडीन फास्फेट (स्वदेशी एवं आयातित)	28790	100.23	36398	142.55
	घ) डायोनाइन	260	1.83	309	3.69
	ङ) शुद्ध थेबाइन	730	2.51	1015	3.60
	च) पापावराइन एस.आर	1095	0.22	1375	0.28
	छ) नासकेपाइन बीपी	5116	1.31	2121	7.55
	ज) फोल्कोडाइन	132	0.62	207	1.11
	झ) आईएमओ चूर्ण (घरेलू बिक्री अनिर्यात)	4591	2.62	5208	4.31
	ञ) आईएमओ केक (घरेलू बिक्री अनिर्यात)	2845	1.42	2954	2.66
	योग (2)	43996	112.71	49867	166.76
3	आयात (विशिष्ट विक्रेता)				
	क) कोडीन फास्फेट यू.एस.पी.	0	0	0	0
	ख) कोडीन फास्फेट (एसईजेड)	0	0	0	0
	योग (3)	0	0	0	0
	वृहत योग (1+2+3)	325011	224.23	264642	261.92

ग. तुलनात्मक रूप से देशवार अफीम का निर्यात (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दिसम्बर तक)

(मात्रा मी. में 90 C पर)

इकाई	यूएसए	फ्रांस	हंगरी	जापान	ईरान	कुल
2012-13						
गाजीपुर	0	0	0	58.283	0	58.283
नीमच	208.651	0	0	0	14.081	222.732
योग	208.651	0	0	58.283	14.081	281.015
2013-14						
गाजीपुर	0.292	0.812	0	56.995	0	58.099
नीमच	156.676	0	0	0	0	156.676
योग	156.968	0.812	0	56.995	0	214.775

घ उगाही आधार पर तुलनात्मक राजस्व प्राप्तियां (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दिसम्बर तक)

(₹ करोड़ में)

इकाई	अफीम फैक्ट्रीज	एल्कालाइड कारखाने	कुल (अनंतिम)
2012-13			
गाजीपुर	26.56	29.76	56.32
नीमच	116.58	92.89	209.47
योग	143.14	122.65	265.
2013-14			
गाजीपुर	0.08	63.26	63.3
नीमच	76.67	95.44	172.11
योग	76.75	158.70	235.45

3.2.2 उत्तर पूर्व क्षेत्र का विकास :

जीओएडब्ल्यू सहित सीसीएफ संगठन केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली में स्थित है और इसलिए उत्तर पूर्व तथा सिक्किम परियोजना योजनाओं के विकास संबंधी कार्य के संबंध में कार्य के उल्लेख हेतु कुछ नहीं है।

3.2.3 ई-शासन क्रियाकलाप:

फैक्ट्रियों के मुख्य नियंत्रक के संगठन ने अपनी स्वयं की वेबसाइट प्रारंभ की है जिसमें संगठन के बारे में पूर्ण सूचना, इसके क्रिया-कलाप, सम्पर्क के विवरण इत्यादि हैं। सामग्री व सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु सभी निविदाएं निर्माताओं/आपूर्ति कर्ता की जानकारी तथा सहभागिता के लिए समय से वेबसाइट पर डाली जाती हैं। संगठन ने इंटरनेट के जरिए औषधों के उत्पादन, बिक्री इत्यादि से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को प्रदर्शित करने की व्यवस्था की है। संबंधित प्राधिकारियों की सूचना हेतु विभिन्न प्रकार की अन्य सूचनाओं को इंटरनेट पर डालने का कार्य भी किया जा रहा है और इंटरनेट के जरिए शीघ्र ही उपलब्ध कराये जाने की संभावना है।

3.2.4 शिकायत निवारण तंत्र :

सीसीएफ संगठन को शिकायत निबटान का कार्य तत्परता से किया जाता है। श्रमिकों की समस्याओं को भी तेज गति से निपटाया जाता है तथा इस अवधि के दौरान प्रबंधकों तथा कामगारों के बीच सौहार्द बना रहा।

3.2.5 जेंडर बजटींग तथा महिलाओं को सशक्त बनाना :

सीसीएफ संगठन में महिलाओं को समान अवसर / स्टेटस प्रदान किया जाता है तथा एक महिला समूह 'क' पद पर कार्यरत है तथा यदि कोई जेंडर आधारित सूचना प्राप्त होती है तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि चूक करने वाले अधिकारी के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाए।

3.2.6 विकलांग वर्ग एवं अ0ज0/अ0ज0ज0 और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए की गई कार्रवाई:

मुख्य नियंत्रक फैक्ट्री संगठन (सीसीएफ) विकलांग, अनु0 जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए कल्याण एवं विनियमनों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। ऐसे वर्गों की

शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए एक समिति गठित की गई है। जिसमें इन वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में लिया गया है। इस प्रयोजन के लिए रोस्टर रजिस्टर भी बनाए जा रहे हैं।

3.2.7 वित्त वर्ष 2013-14 के लिए विशिष्ट अवधि अर्थात् 1 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 तक के लिए राजकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने का निष्पादन।

क्रम सं.	विवरण	इकाई	2013-14 के उत्पादन लक्ष्य	1 जनवरी से 31 मार्च, 2012 तक वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य से अधिक प्रतिशत वृद्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क. उत्पादन					
1	90°C पर निर्यात के लिए अफीम को सुखाना	मी.टन	310	121	
2	औषधि का निर्माण :				
	क) कोडीन सल्फेट	किग्रा.	400	240	
	ख) मॉर्फिन सल्फेट	किग्रा.	200	0	
	ग) कोडीन फास्फेट (आई.पी.)	किग्रा.	11998	6084	
	घ) डायोनाइन	किग्रा.	750	454	
	ड) शुद्ध थेबाइन	किग्रा.	706	810	
	च) नासकेपाइन बीपी	किग्रा.	3028	1265	
	छ) फोल्कोडाइन	किग्रा.	180	87	
	कुल अंतिम औषधि	किग्रा.	17262	8940	
	ज) आईएमओ चूर्ण	किग्रा.	8000	5200	
	झ) आईएमओ केक	किग्रा.	2000	1995	
	ञ) पापावराइन एस.आर	किग्रा.		520	
3.	i) घरेलू बाजार किग्रा. के लिए सीपी आयात	किग्रा.	2000	5975	
	ii) विशिष्ट क्रेताओं के लिए आयात				
	क) कोडीन फास्फेट यू.एस.पी.	किग्रा.		0	
	ख) कोडीन फास्फेट (एसईजेड)	किग्रा.		0	
	योग (ii)			0	

ख. विक्री

अनंतिम

क्रम सं.	विवरण	मात्रा (कि.ग्रा.)	विक्री (रुपये/करोड़)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	90°C पर अफीम का निर्यात	125716	62.27
2	औषधि की घरेलू बिक्री:		
	क) कोडीन सल्फेट	0	0
	ख) मॉर्फिन साल्ट	0	0
	ग) कोडीन फास्फेट (आई.पी.आयात)	4824	20.50
	घ) डायोनाइन	0	0
	ड) शुद्ध थेबाइन	0	0
	च) नासकेपाइन बीपी	773	2.74
	छ) पापावराइन एस.आर	276	0.06
	ज) फोल्कोडाइन	40	0.21
	झ) आईएमओ चूर्ण	4660	3.68
	ञ) आईएमओ केक	1025	0.93
	कुल (2)	11598	29.12
3	आयातित औषधि (विशिष्ट क्रेता) की बिक्री		
	क) कोडीन फास्फेट यू.एस.पी.	0	0
	ख) कोडीन फास्फेट (एसईजेड)	0	0
	कुल (क तथा ख)	0	0
	कुल योग (1+2+3)	137314	91.39

ग. 90°C पर अफीम का देशवार निर्यात (आईएमओ पाउडर और केक को छोड़कर)

(मात्रा मी. में.)

इकाई	यूएसए	ईरान	फ्रांस	जापान	कुल योग
गाजीपुर	शून्य	शून्य	1.184	37.357	38.541
नीमच	87.175	शून्य	शून्य	शून्य	87.175
योग	87.175	शून्य	1.184	37.357	125.716

घ. औषधियों के उत्पाद हेतु प्रभारित अफीम (90°C पर मात्रा मी. टन में) 141 (लगभग)

ङ राजस्व वसूलियां (वसूली के आधार पर) (₹ करोड़ में)

इकाई	अफीम फैक्ट्रीज	एल्कलाइड कारखाना	कुल
गाजीपुर	45.66	23.48	69.14
नीमच	33.96	9.17	43.13
योग	79.62	32.65	112.27

3.2.8 वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने का निष्पादन।

क्रम सं.	विवरण	इकाई	2013-14 के उत्पादन लक्ष्य	2013-14 के लिए वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य से अधिक प्रतिशतता वृद्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क.	उत्पादन				
1	90°C पर निर्यात के लिए अफीम को सुखाना	मी. टन	310	287	-7
2	औषधि का निर्माण :				
	क) कोडीन सल्फेट	किग्रा.	400	402	0
	ख) मोर्फिन सल्फेट	किग्रा.	200	218	9
	ग) कोडीन फास्फेट (आई.पी.)	किग्रा.	11998	12718	6
	घ) डायोनाइन	किग्रा.	750	750	0
	ङ) शुद्ध थेबाइन	किग्रा.	706	872	24
	च) नासकेपाइन बीपी	किग्रा.	3028	3467	14
	छ) फोल्कोडाइन	किग्रा.	180	196	9
	कुल अंतिम औषधि	किग्रा.	17262	18624	8
	ज) आईएमओ चूर्ण	किग्रा.	8000	10500	31
	झ) आईएमओ केक	किग्रा.	2000	4735	137
	ञ) पापावराइन एस.आर	किग्रा.		1447	
3.	i) घरेलू बाजार किग्रा. के लिए सीपी आयात	किग्रा.	2000.0	19975	
	ii) विशिष्ट क्रेताओं के लिए आयात				
	क) कोडीन फास्फेट यू.एस.पी.	किग्रा.		0	
	ख) कोडीन फास्फेट (एसईजेड)	किग्रा.		0	
	योग (ii)			0	

ख. बिक्री

अनंतिम

क्रम सं.	विवरण	मात्रा (कि.ग्रा.) में	(₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	90°C पर अफीम का निर्यात	340491	157.43
2	औषधि की घरेलू बिक्री:		
	क) कोडीन सल्फेट	0	0
	ख) मार्फीन साल्ट	279	1.01
	ग) कोडीन फास्फेट (आई.पी.आयात)	41222	163.05
	घ) डायोनाइन	309	3.69
	ड) शुद्ध थेबाइन	1015	3.60
	च) नासकेपाइन बीपी	2894	10.29
	छ) पापावराइन एस.आर	1652	0.34
	ज) फोल्कोडाइन	247	1.32
	झ) आईएमओ चूर्ण	9868	8.99
	ञ) आईएमओ केक	3979	3.59
	कुल (2)	61465	195.88
3	आयातित औषधि (विशिष्ट क्रेता) की बिक्री		
	क) कोडीन फास्फेट यू.एस.पी.	0	0
	ख) कोडीन फास्फेट (एसईजेड)	0	0
	कुल (क तथा ख)	0	0
	कुल योग (1+2+3)	401956	353.31

* अनंतिम आकड़े

ग. 90°C पर अफीम का देशवार निर्यात (आईएमओ पाउडर और केक को छोड़कर) (मात्रा मी. में.)

इकाई	यूएसए	ईरान	फ्रांस	जापान	कुल योग
गाजीपुर	0.292	शून्य	1.996	94.352	96.640
नीमच	243.851	शून्य	शून्य	शून्य	243.851
योग	243.143	शून्य	1.996	94.352	340.491

घ. औषधियों के उत्पाद हेतु प्रभारित अफीम (90°C पर मात्रा मी. टन में) 147 (लगभग)
ड राजस्व वसूलियां (वसूली के आधार पर) (₹ करोड़ में)

इकाई	अफीम कारखाने	क्षारोद कारखाने	कुल
गाजीपुर	45.74	86.74	132.48
नीमच	110.63	104.61	215.24
योग	156.37	191.35	347.72

अनुसूची-ख (अनुसूची ख पदार्थ वह नियंत्रित पदार्थ है जिनका भारत से निर्यात इस आदेश में निर्धारित नियंत्रण का विषय है।

1. एसेटिक एनहाइड्राइड
2. एन- एसेटिलान्थ्रानिलिक एसिड
3. एन्थ्रानिलिक एसिड
4. एफेड्रिन, इसकी तैयारी तथा इसके लवण
5. अर्गोमेट्राइन तथा इसके लवण
6. अर्गोमेट्राइन तथा इसके लवण
7. इसोसाफरोल
8. लिसर्जिक एसिड तथा इसके लवण
9. 3, 4- मैथीलेनेडाईआक्सीफेनाइल-2 प्रोपानोन
10. मिथाइल इथाइल कीटोन
11. नोरेफेड्राइन(फेनेलप्रोपेनालेमाइन) इसकी तैयारी तथा इसके लवण
12. 1- फेनी 1-2 प्रोपानोन
13. फेनिलि एसिटिक एसिड तथा इसके लवण
14. प्राइपोनेल
15. पोटैशियम परमैंगनेट
16. स्यूडोफेड्राइन इसकी तैयारी तथा इसके लवण
17. साफरोल तथा 4S या इससे अधिक साफरोल वाला कोई भी आवश्यक तेल

अनुसूची-ग (अनुसूची ग पदार्थ वह नियंत्रित पदार्थ है जिनका भारत से निर्यात इस आदेश में निर्धारित नियंत्रण का विषय है।

1. एसेटिक एनहाइड्राइड
2. एन- एसेटिलान्थ्रानिलिक एसिड
3. एन्थ्रानिलिक एसिड
4. एफेड्रिन, इसकी तैयारी तथा इसके लवण
5. अर्गोमेट्राइन तथा इसके लवण
6. अर्गोमेट्राइन तथा इसके लवण
7. इसोसाफरोल
8. लिसर्जिक एसिड तथा इसके लवण
9. 3, 4- मैथीलेनेडाईआक्सीफेनाइल-2 प्रोपानोन
10. मिथाइल इथाइल कीटोन
11. नोरेफेड्राइन(फेनेलप्रोपेनालेमाइन) इसकी तैयारी तथा इसके लवण
12. 1- फेनी 1-2 प्रोपानोन
13. फेनिलि एसिटिक एसिड तथा इसके लवण
14. प्राइपोनेल
15. पोटैशियम परमैंगनेट
16. स्यूडोफेड्राइन इसकी तैयारी तथा इसके लवण
17. साफरोल तथा कोई भी आवश्यक तेल

4. राज्य कर अनुभाग

4.1 राज्य कर अनुभाग

राजस्व विभाग का राज्य कर अनुभाग राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संपर्क वाले केन्द्रीय अधिनियमों से संबंधित विधायी कार्य को देखता है जिसमें केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 शामिल हैं। राज्य मूल्यवर्धित कर प्रणाली के कंप्यूटरीकरण हेतु सहायता के रूप में राज्य स्तरीय मूल्यवर्धित कर (वैट) के संबंध में सुविधाएं देना तथा माल और सेवा कर (जी एस टी) संबंधित मुद्दों का समन्वय करना राज्य कर अनुभाग के अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं।

4.2 राज्य मूल्य वर्धित कर (वैट)

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 54 के अन्तर्गत “किसी राज्य के अन्दर वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर कर” राज्य का विषय है। राज्यों की पहले की बिक्री कर प्रणालियों को प्रतिस्थापित करने के लिए राज्य वैट को लागू करना अप्रत्यक्ष कर की दिशा में लिया गया एक महत्वपूर्ण कर सुधार उपाय है। मूल्यवर्धित कर (वैट) अंशमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागू किया जा चुका है। चूंकि बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर राज्य का विषय है इसलिए केन्द्र सरकार ने वैट के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए सुसाध्यकर्ता की भूमिका निभाई है। केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:-

4.2.1. वैट को लागू करने के कारण किसी राजस्व हानि के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति की अदायगी के लिए पैकेज कार्यान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 के लिए राज्यों द्वारा दायर दावों के कारण आज की तारीख तक राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा 19002.82 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

4.2.2. पूर्वोत्तर राज्यों को 100 प्रतिशत आधार पर तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है ताकि वे वैट प्रशासन का कम्प्यूटरीकरण करने में समर्थ हो सकें। हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में वैट प्रशासन के कम्प्यूटरीकरण के लिए 40.49 करोड़ रुपये की समग्र लागत की एक परियोजना स्वीकृत की गयी है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वैट प्रशासनों के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक मिशन मोड परियोजना आरंभ की गयी है।

4.2.3. अन्तरराज्यीय लेन-देनों पर नजर रखने के लिए कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली टी आई एन एक्स एस वाई एस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति को 50 प्रतिशत निधि प्रदान की जा रही है।

4.2.4. दो संस्थानों, कराधान अध्ययन केन्द्र, केरल तथा सामाजिक विज्ञान अध्ययन केन्द्र, कोलकाता को संस्थागत क्षमता के निर्माण तथा उन्हें राष्ट्रीय स्तर के लोक वित्त एवं नीति संस्थान के रूप में

विकसित करने हेतु सहायता के रूप में 32 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।

4.2.5. अब तक मूल्यवर्धित कर (वैट) के कार्यान्वयन का अनुभव बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है। इस नई प्रणाली का सभी हिस्सेदारों ने बहुत अच्छा स्वागत किया है और वैट लागू करने के बाद राज्यों के राजस्व में त्वरित वृद्धि हुई है।

4.3 केन्द्रीय बिक्री कर (सी एस टी)

4.3.1. सूची-1 (संघ सूची) की प्रविष्टि 92क वस्तुओं की अन्तरराज्यीय बिक्री पर कर लगाने का अधिकार केन्द्र सरकार को देती है। इसके अलावा अनुच्छेद 269(3) संसद को अन्तरराज्यीय व्यापार के वाणिज्य के दौरान जब वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद होती हो तो यह निर्धारित करने के लिए सिद्धान्त तैयार करने का अधिकार देता है। इसी प्रकार संविधान का अनुच्छेद 286 (2) संसद को किसी राज्य के बाहर अथवा भारत से आयात अथवा निर्यात के दौरान वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद कब होती है, यह निर्धारित करने के लिए सिद्धान्त बनाने का अधिकार देता है। इसके अलावा, संविधान का अनुच्छेद 286(3) संसद को अन्तरराज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य में कानून के जरिये संसद द्वारा घोषित की गयी विशेष महत्व की वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर राज्यों द्वारा कर लगाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्राधिकृत करता है।

4.3.2. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 वस्तुओं की अन्तरराज्यीय बिक्री पर कर लगाता है और सिद्धांत निर्धारित करता है तथा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार प्रतिबंध लगाता है। भारत सरकार ने भी केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 13(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और कारोबार) नियमावली, 1957 भी तैयार की है। यद्यपि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 एक केन्द्रीय अधिनियम है फिर भी राज्य सरकारें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 269 के अनुसार केन्द्रीय बिक्री कर के आगम को संग्रहित और प्रतिफल का विनियोग करती है।

4.3.3. यद्यपि, केन्द्रीय बिक्री कर उद्गम आधारित गैर छूट प्राप्त कर होने के कारण वैट की अवधारणा के अनुरूप नहीं है जो कि गंतव्य आधारित कर है। केन्द्रीय बिक्री कर को 1.4.2007 से 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है और 1 जून, 2008 से 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है।

4.3.4. केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण राज्यों को होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए पैकेज पर सहमति हो गई है। राज्यों को राजस्व वृद्धि उपायों व बजटीय सहायता के सम्मिलित उपायों के द्वारा प्रतिपूर्ति की जा रही है। चूंकि राजस्व बढ़ाने हेतु उपायों तथा इसके द्वारा राज्यों को केन्द्रीय बिक्री कर के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जा रही है, इसलिए सरकारी विभागों द्वारा फार्म-घ के विरुद्ध केन्द्रीय बिक्री कर की रियायती दरों पर अंतरराज्यीय खरीद की सुविधा को 1.04.2007 से वापस ले लिया था। इसके अलावा, राज्यों को केन्द्रीय करों के हस्तांतरण के किसी भी भाग की हानि के बगैर तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर राज्यों द्वारा वैट लगाने के लिए भी प्रावधान बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त शेष हानि के लिए केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 2007-08,

2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दावों के लिए केन्द्रीय बिक्री कर की दर की कटौती के कारण होने वाली हानि के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में आज की तारीख तक राज्यों को 30860.42 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है।

4.3.5. इसके अलावा सीएसटी संबंधित हानि के बकाया हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 1940.51 करोड़ रुपए (हरियाणा को 1275.28 करोड़ रुपए तथा उ.प्र. को 665.23 करोड़ रुपए) की राशि जारी कर दी है।

4.4 माल एवं सेवा कर (जी एस टी)

4.4.1. एक राष्ट्रीय स्तर के माल एवं सेवा कर (जी एस टी) को 1 अप्रैल, 2010 से लागू करने के प्रस्ताव को तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी0 चिदम्बरम ने वित्तीय वर्ष 2006-07 के अपने बजट भाषण में पहली बार प्रस्तुत किया था। जी एस टी को लागू करने के लिए डिजाइन तथा रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री डा0 असीम के0 दासगुप्ता की अध्यक्षता में राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को दी गई थी।

4.4.2. अप्रैल, 2008 में, अधिकार प्राप्त समिति ने केन्द्र सरकार को “भारत में माल एवं सेवा कर के लिए मॉडल एवं रोड मैप” शीर्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत जी एस टी की संरचना तथा डिजाइन के विषय में व्यापक सिफारिशें शामिल हैं।

4.4.3. दिनांक 10 नवम्बर, 2009 को नई दिल्ली में “भारत में माल एवं सेवा कर पर प्रथम विचार विमर्श पत्र” जारी किया गया था।

4.4.4. राज्यों के साथ लंबी चर्चा के पश्चात, जीएसटी को पागू करने को समर्थ बनाने के लिए संविधान को और आगे संशोधित करने के लिए संविधान (115वां संशोधन) विधेयक दिनांक 22.03.2011 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था।

4.4.5. प्रथा के अनुसार, विधेयक को वित्त संबंधी स्थायी समिति (एसएफसी) के विचार के लिए भेजा गया था। एसएफसी ने अपनी रिपोर्ट लोक सभा को 7 अगस्त, 2013 को प्रस्तुत की। एसएफसी की कुछ मुख्य सिफारिशों में ये शामिल हैं (क) जी एस टी की परिभाषा में पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों और अल्कोहलिक शराब को शामिल करना, (ख) राज्यों और संघ और राज्यों के बीच विवाद समाधान माल और सेवा कर परिषद द्वारा किया जाएगा, (ग) प्रवेश कर को समाप्त करना, (घ) सांविधिक संशोधन के माध्यम से जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि की स्थापना, (ड.) वित्तीय वर्ष के अंत में राज्यों और संघ के बीच आईजीएसटी के शेष प्रतिफलों का वितरण, (च), अंतरराज्यीय व्यापार से उद्भूत प्रतिफलों के निपटान के लिए संशोधित बैंक माडल की व्यवहार्यता और (छ) जीएसटी परीवीक्षण कक्ष की स्थापना आदि।

4.4.6. एसएफटी की उपर्युक्त सिफारिशों की विभाग में जांच की गई थी और उनमें से कई को संशोधन विधेयक के मसौदे में शामिल किया गया था। संशोधित मसौदा संशोधन विधेयक को अधिकार-प्राप्त समिति के साथ साझा किया गया था। संशोधित संविधान संशोधन विधेयक के मसौदे पर अधिकार-प्राप्त समिति की टिप्पणियां दिसम्बर, 2013 में विभाग में प्राप्त हुई। केन्द्रीय वित्त मंत्री के यथोचित अनुमोदन

के पश्चात संविधान (115वां) संशोधन विधेयक के मसौदे में अधिकार-प्राप्त समिति की कतिपय सिफारिशों को शामिल किया गया था। संशोधित मसौदा 12 मार्च, 2014 को अधिकार-प्राप्त समिति के विचारार्थ भेजा गया था।

4.4.7 29 मई, 2014 को सदस्य सचिव, अधिकार-प्राप्त समिति ने यह उल्लेख करते हुए पत्र भेजा कि क्योंकि केन्द्र में नई सरकार ने कार्यभार संभाल लिया है और पन्द्रवीं लोक सभा के भंग होने के साथ 115वां संविधान संशोधन विधेयक व्ययगत हो गया है, इसलिए जीएसटी के लिए संविधान संशोधन विधेयक के मसौदे को नई सरकार के अनुमोदन के साथ अधिकार-प्राप्त समिति के विचारार्थ भेजा जाए। इसे 20 जून, 2014 को माननीय वित्त मंत्री के अनुमोदन से अधिकार-प्राप्त समिति को भेजा गया है।

4.5 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899(1899 का 2) एक राजकोषीय कानून है, जिसके तहत लेन-देन अभिलिखित करने वाले लिखतों पर स्टाम्प के रूप में लगाए जाने वाले कर संबंधी कानून निर्धारित किए गए हैं। संविधान में उपबंधित की गई स्टाम्प शुल्क संबंधी योजना के विवरण संक्षेप में निम्नानुसार हैं:-

4.5.1 अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 91 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों (अर्थात् विनिमय बिलों, चेकों, वचन पत्रों, लदान पत्रों, साख पत्रों, बीमा पॉलिसियों, शेयर्स, डिबेंचरों, प्रोक्सियों एवं रसीदों के हस्तांतरणों) पर स्टाम्प शुल्क केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है वहीं अनुच्छेद

268 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में, यह लगाए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं और इससे होने वाली आय को राज्य अपने पास रखता है (केवल संघ शासित क्षेत्रों को छोड़कर जिनके मामले में इससे होने वाली आय भारत की समेकित निधि का हिस्सा होती है)। वर्तमान में चैकों को छोड़कर इन सभी दस्तावेजों पर शुल्क लगाया जाता है।

4.5.2 ऊपर दिए गए दस्तावेजों को छोड़कर अन्य दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क, संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 63 की वजह से, राज्यों द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है।

4.5.3 शुल्क की दर से संबंधित प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रावधान सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 44 के तहत संघ और राज्यों, दोनों के विधायी अधिकार में आते हैं।

4.5.4 सितम्बर, 2008 में केन्द्रीय सरकार द्वारा डिबेंचरों व वचनपत्रों के संबंध में स्टाम्प शुल्क की दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की एक व्यापक समीक्षा की गई है। राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ परामर्श किया जा रहा है।

4.6 वर्ष के दौरान प्रमुख कार्य निष्पादन तथा उपलब्धियां :

बजट भाषण, 2013-14 में घोषित किए गए कार्यक्रम तथा अन्य महत्वपूर्ण नीति पहलों को लागू करने के लिए की गई कार्रवाई:

एसटी अनुभाग से संबंधित पैरा के कार्यान्वयन का विवरण और स्थिति इस प्रकार है:-

क्रम सं०	पैरा सं०	घोषणा का सार	31 मार्च, 2014 को कार्यान्वयन की स्थिति
1.	186	वस्तु एवं सेवा कर माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने पहली बार 2007-08 के बजट भाषण में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का उल्लेख किया था। उस समय यह सोचा गया था कि जीएसटी 01.04.2010 से लागू किया जा सकता है। परंतु ऐसा नहीं हुआ, यद्यपि सभी राज्यों को इसका फायदा होता है। तथापि, राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति के साथ मेरी हाल की बैठकों ने मुझे यह विश्वास दिलाया है कि राज्य सरकारें-अथवा कम से कम अधिकांश राज्य सरकारें इस बात से सहमत हैं कि संवैधानिक संशोधन की जरूरत है; राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के लिए यह जरूरी है कि वे जीएसटी कानून पास करें। इसका मसौदा राज्यों के वित्त मंत्रियों और जीएसटी परिषद द्वारा तैयार किया जाएगा तथा केंद्र के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय बिक्री कर में कटौती के कारण राज्यों को हुई हानियों की प्रतिपूर्ति की जाए। मुझे आशा है कि आगामी कुछेक महीनों में इस विषय पर सहमति हो सकेगी तथा वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में संवैधानिक संशोधन के बारे में विधेयक का प्रारूप और वस्तु एवं सेवा कर के बारे में विधेयक का प्रारूप इस सदन के समक्ष लाया जाएगा। आशा से बल मिलता है। मैं, केन्द्रीय बिक्री कर प्रतिपूर्ति की शेष राशि की प्रथम किस्त के लिए 9,000 करोड़ रुपये की धनराशि अलग रखकर प्रथम निर्णायक कदम उठाने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं राज्यों के वित्त मंत्रियों से आग्रह करता हूँ कि वे वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के लिए सरकार के गंभीर आशय को महसूस करें तथा सरकार के साथ काम करने हेतु आगे आएँ तथा देश की कर व्यवस्था में विकासात्मक परिवर्तन लाएं।	वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक की अवधि के लिए हरियाणा तथा उ.प्र. सरकारों को 1940.51 करोड़ रुपये केन्द्रीय बिक्री कर का बकाया भुगतान किया गया है इसलिए बजट अनुमान को संशोधित अनुमान स्तर पर 1940.51 करोड़ रुपये तक सीमित किया गया है। इस प्रकार, इस पैरा पर कार्रवाई पूर्ण हो गई।

4.7. पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा सिक्किम के विकास पर किए गए कार्य-चलाई जा रही परियोजनाएं/योजनाएं तथा उन पर किया गया वास्तविक व्यय :

पूर्वोत्तर राज्यों के वेट प्रशासन (एनईवीएटी) के कम्प्यूटरीकरण की योजना वर्ष 2005 में शुरू की गई थी। यह परियोजना मैसर्स टीसीएस के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही थी। परियोजना के एएमसी संविदा की अवधि 31.3.2011 को समाप्त हुई और सामान्य आस्तियों को छोड़कर परियोजना की सभी आस्तियों को संबंधित राज्यों के बीच वितरित किया गया। उसके पश्चात पूर्वोत्तर राज्यों के वेट प्रशासन का कम्प्यूटरीकरण वाणिज्यिक करों की मिशन मोड परियोजना (एमएमपी-सीटी) के तहत जारी रखा गया, जिसमें भारत सरकार पूर्वोत्तर राज्यों को अपने वाणिज्यिक कर प्रशासनों की अपनी आईटी प्रणालियों को विकसित और उन्नत करने के लिए 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

4.8. विकलांग क्षेत्र तथा अजा/अजजा और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए शुरू की गई गतिविधियां :

राज्य बिक्री कर अनुभाग इन क्षेत्रों/समाज के वर्गों के लिए विशेष रूप से किसी कार्यक्रम/स्कीम का कार्य नहीं करता है।

4.9 महिला बजट बनाना और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित पहलें

राज्य बिक्री कर अनुभाग महिलाओं के लिए विशेष रूप से किसी कार्यक्रम/स्कीम का कार्य नहीं करता है।

4.10 ई-प्रशासन कार्यकलाप:

4.10.1 माल और सेवा कर नेटवर्क के लिए विशेष प्रयोजन क्लिकल:- जीएसटी का निर्बाध आगे बढ़ना कर प्रशासन के सुदृढ़ कम्प्यूटरीकृत परिवेश पर निर्भर करेगा। तदनुसार, मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में दिनांक 28 फरवरी, 2013 को सरकार द्वारा आई टी आवश्यकता की देखभाल के लिए जीएसटी नेटवर्क के लिए एसपीवी की स्थापना की गई है। श्री नवीन कुमार को जीएसटीएन-एसपीवी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

4.10.2 वाणिज्यिक करों संबंधी मिशन मोड परियोजना (एमएमपी-सीटी)

राष्ट्रीय ई - प्रशासन योजना (एन ई जी पी) के तहत राजस्व विभाग ने वाणिज्यिक करों के लिए एक मिशन मोड परियोजना को लागू कर दिया है। मंत्रिमंडल ने फरवरी, 2010 में एन ई जी पी के तहत एम एम पी-सी टी को अनुमोदन प्रदान किया था। यह परियोजना, जिसकी कुल लागत 1133.44 करोड़ रुपये है, से राज्यों को अपने वाणिज्यिक कर प्रशासनों हेतु सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली विकसित तथा उन्नत करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना का उद्देश्य जहां एक ओर डीलरों को बेहतर सेवाएं मुहैया करना है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारों की वाणिज्यिक कर प्रशासनों की दक्षता में सुधार लाना है।

राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक परियोजना अधिकार समिति (पी ई सी) का गठन किया गया है, जो राज्यों तथा संघ राज्य

क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली व्यक्तिगत परियोजनाओं पर विचार तथा अनुमोदित करेगी। पी ई सी ने अब तक 33 राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों के परियोजना प्रस्तावों की जांच की है और इन्हें 1029.70 करोड़ रुपए की समग्र परियोजना लागत के साथ अनुमोदित किया है, जिसमें केंद्रीय हिस्सा 725 करोड़ रुपए है। 622.50 करोड़ रुपए की राशि पहले से ही केंद्रीय हिस्से के रूप में संबंधित राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को 31 मार्च, 2014 को जारी की गई है।

4.10.3. जम्मू व कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए वेट कम्प्यूटरीकरण:-जम्मू व कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के वेट कम्प्यूटरीकरण के लिए 40.49 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत से एक परियोजना अनुमोदित की गई है, जिसमें केन्द्र की सहायता का भाग 25.33 करोड़ रुपए है। इन राज्यों के अनुरोध पर जम्मू व कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए वेट कम्प्यूटरीकरण को करने की जिम्मेदारी राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति (ईसी) को सौंपी गई है। 31 दिसम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार, अनुमोदित परियोजना कार्यकलापों के लिए राजस्व विभाग द्वारा ईसी को 12.99 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। परियोजना को नियमित आधार पर मानीटर करने के लिए केन्द्र के स्तर के साथ-साथ राज्य स्तर पर परियोजना मानीटरिंग समितियां गठित की गई हैं।

4.10.4. कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली (टीआईएनएक्सएसवाईएस):- कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली (टी आई एन एक्स एस वाई एस) एक परियोजना है, जो अंतरराज्यीय संव्यवहारों पर प्रभावी ढंग से निगरानी की सुविधा प्रदान करती है। इस परियोजना को विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वाणिज्यिक कर विभागों को सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जिससे वे अन्तरराज्यीय व्यापार के संबंध में डाटा आदान-प्रदान कर सकें और कर-अपवंचन की जांच करने में उन्हें सहायता मिल सके। इस परियोजना को 1 नवंबर, 2004 से राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार (जी ओ आई) ने इस परियोजना की लागत की 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की है जबकि शेष राशि राज्यों द्वारा सामूहिक रूप से वहन की जाएगी।

टीआईएनएक्सएसवाईएस परियोजना की समीक्षा करने के लिए अपर सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में 21 मई, 2013 को बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान यह नोट किया गया कि इस परियोजना को लगभग नौ वर्ष तक भारत सरकार की सहायता प्राप्त हुई है और 31 मार्च, 2013 के बाद भारत सरकार से और सहायता मिलना संभव नहीं था। यह महसूस किया गया कि राज्य आसानी से अंशदान दे सकते हैं और परियोजना को जारी रख सकते हैं। यदि अधिकार-प्राप्त समिति महसूस करती है कि इस परियोजना को और आगे जारी रखना आवश्यक है, तो इसे राज्यों से शत-प्रतिशत सहायता से जारी रखा जा सकता है।

4.10.5. शिकायत समाधान तंत्र

राज्य कर अनुभाग प्रत्यक्ष रूप से किसी कर कानून को प्रशासित नहीं करता है, इसलिए इसका जनता से कोई प्रत्यक्ष परस्पर संपर्क नहीं है। तथापि, जब भी कोई शिकायत/सुझाव प्राप्त होते हैं तो उन पर शीघ्रता से उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

5. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण:-

5.1 धनशोधन और इससे संबंधित कार्यकलापों को रोकने, अपराध के आगम के समपहरण और धनशोधन से निपटने के लिए समन्वित उपायों हेतु एजेंसियों और कार्यप्रणाली की स्थापना के लिए संसद द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 लागू किया गया था।

5.2 निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय को धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निदेशक के रूप में पदनामित किया गया है और धनशोधन में शामिल तथाकथित सम्पत्ति को कुर्क करने के लिए अस्थायी तौर पर प्राधिकृत भी किया गया है। न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को असंतुष्ट पक्षों की सुनवाई के पश्चात यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित अपराध अथवा धनशोधन के अपराध के लिए विचारण के लम्बित रहने के दौरान सम्पत्ति का निपटान नहीं किया गया, अनंतिम रूप से सम्पत्ति की कुर्की की पुष्टि करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

5.3 न्यायनिर्णयन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और दो सदस्य हैं। न्यायनिर्णयन प्राधिकरण पीएमएलए के अंतर्गत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (प्रक्रिया) विनियम 2013 को लाया गया था। इस वर्ष के दौरान न्यायनिर्णयन प्राधिकरण में 52 अनंतिम कुर्कियां और 51 मूल शिकायतें (ओ सी) प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त हुई हैं। 3 ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें माननीय न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किए गए अनंतिम कुर्की आदेशों के संबंध में रोक लगाई थी, सभी मामलों में अंतिम आदेश पहले ही पारित कर दिए गए हैं।

5.4 इस प्राधिकरण में तैनात स्टाफ प्रतिनियुक्ति आधार पर है क्योंकि ये संवर्ग बाह्य पद हैं।

6. धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण

6.1 धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पी एम एल ए) के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण को 1 जुलाई, 2005 से कार्यात्मक बनाया गया।

6.2 अधिकरण में एक अध्यक्ष (जो उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रहा है) और दो सदस्य हैं। इसका एक सदस्य लेखाकार सदस्य है, जो कम से कम 10 वर्ष तक चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में लेखा कार्य के व्यवसाय में रहा है और दूसरा सदस्य वह व्यक्ति है या रहा है जो भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय विधिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय आर्थिक सेवा का सदस्य है या रहा है और जिसने भारतीय विधिक सेवा, आयकर, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा अथवा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में आयुक्त/संयुक्त सचिव का पद अथवा समतुल्य पद उस सेवा में कम से कम 3 वर्षों तक धारित किया हो।

6.3 धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण एक राष्ट्रीय अधिकरण है जिसका मुख्यालय नई

दिल्ली में है। यह अधिकरण पीएमएलए के अंतर्गत धनशोधन में संलिप्त संपत्तियों की कुर्की/जब्ती करने के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा पारित कुर्की/जब्ती के आदेशों के खिलाफ फाइल की गई अपीलों और इससे सम्बद्ध याचिकाओं पर निर्णय देता है। यह निदेशक, भारत-वित्त आसूचना एकक (एफ आई यू-इंड) द्वारा पारित अर्थदंड लगाने वाले आदेशों के खिलाफ दायर अपीलों पर भी निर्णय देता है। अपीलीय अधिकरण की पीठ नई दिल्ली में बैठती है और देश के अन्य किसी स्थान पर इसकी पीठ नहीं है।

6.4 अपीलों और सम्बद्ध याचिकाएं अध्यक्ष द्वारा एक अथवा दो सदस्यों, जिसे अध्यक्ष उपयुक्त समझें, के साथ गठित पीठों द्वारा निपटाई जाती है। 01.01.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान, 101 अपीलों और 666 विधिक याचिकाएं दायर की गई थीं और 82 अपीलों तथा 234 विधिक याचिकाओं को निपटाया गया था।

7. सम्पहत सम्पत्ति अपील अधिकरण

7.1 सम्पहत सम्पत्ति अपील अधिकरण (एटीएफपी) की स्थापना तत्काल और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (सफेमा) के अंतर्गत हुई थी। इसने दिनांक 3.1.1977 से कार्य करना आरंभ किया। तत्पश्चात, अधिकरण का गठन स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस) के तहत वर्ष 1989 में संशोधन के पश्चात अपील अधिकरण के रूप में भी किया गया।

7.2 अधिकरण में एक अध्यक्ष (जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश हो या रह चुका हो) और दो सदस्य (जिनका स्तर सामान्यतः भारत सरकार के अपर सचिव का होता है) होते हैं। यह अधिकरण दिल्ली में स्थित है तथा इसकी अन्यत्र कोई पीठ नहीं है। तथापि, अधिकरण उपर्युक्त अधिनियमों के उपबंधों के तहत लोगों के आवास के निकट न्याय प्रदान करने के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर शिविर बैठकें आयोजित करता है।

7.3 अधिकरण समपहरण या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत दोषी अथवा कोफेपोसा, 1974 अथवा पी आई टी एन डी पी एस अधिनियम, 1988 के तहत निरुद्ध व्यक्तियों की अवैध संपत्तियों और ऐसे व्यक्तियों द्वारा संबंधियों और सहयोगियों के नामों में धारित संपत्तियों के समपहरण के लिए और एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज करने अथवा जब्ती के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में पदनामित अधिकारियों द्वारा पारित किए गए अन्य आदेशों के विरुद्ध दायर की गई अपीलों तथा संबंधित मामलों की सुनवाई करता है।

7.4 अपीलों और याचिकाओं पर अध्यक्ष द्वारा गठित कम से कम दो सदस्यों की पीठों द्वारा निर्णय दिए जाते हैं। 01.01.2013 से 31.12.2013 तक की अवधि के दौरान एस ए एफ ई एम ए और एन डी पी एस अधिनियम के अंतर्गत 30 अपीलों और 118 विविध याचिकाएं दायर की गईं और 19 अपीलों तथा 31 विविध याचिकाओं का निपटान किया गया।

8. गैर कानूनी रूप से अर्जित सम्पत्ति के समपहरण के लिए व्यवस्था

8.1 समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1974 के अंतर्गत दोषी व्यक्तियों और विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अंतर्गत नजरबंद व्यक्तियों की गैर-कानूनी रूप से अर्जित सम्पत्तियों के समपहरण के लिए तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (सफेम (फोप)ए) में प्रावधान किया गया है। स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन.डी.पी.एस. अधिनियम) में अथवा किसी दूसरे देश के किसी समनुरूपी कानून के अंतर्गत दोषी व्यक्तियों और स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 में तथा जम्मू एवं कश्मीर में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थों में अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत नजरबंद व्यक्तियों की गैर कानूनी रूप से अभिग्रहीत सम्पत्ति का पता लगाने, खरीद फरोख्त पर रोक लगाने, जब्ती और समपहरण के लिए प्रावधान है।

8.2 गैर कानूनी रूप से अर्जित सम्पत्ति के समपहरण का कार्य निष्पादित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति हेतु तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम और स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में प्रावधान है। वर्तमान में सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय कोलकाता, चेन्नई दिल्ली, मुम्बई और

एक यूनिट अहमदाबाद में स्थित है। सक्षम प्राधिकारियों के आदेशों के प्रति अपीलों को सुनने के लिए तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम और स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में एक अपीलीय फोरम, नामतः समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण की स्थापना की परिकल्पना की गई है। समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण नई दिल्ली में स्थित है। समपहृत सम्पत्ति अपीलीय अधिकरण में एक अध्यक्ष होता है जो उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रहा हो अथवा न्यायाधीश होने का पात्र हो और दो सदस्य होते हैं जो केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से नियुक्त किए जाते हैं जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर से कम के नहीं होते हैं।

8.3 वर्ष 2000-2001 से 2013-2014 तक सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रवर्तन एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों की संख्या तथा जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों की संख्या और इसमें संलिप्त सम्पत्ति का मूल्य, समपहरण के लिए जारी किए गए आदेशों की संख्या और इसमें शामिल सम्पत्ति का मूल्य और बेची गई सम्पत्ति की बिक्री से हुई आय के मूल्य का वर्षवार विवरण अनुलग्नक “क” में दिया गया है।

8.4 01-01-2013 से 31-12-2013 तक की अवधि के दौरान 30 अपीलों और 118 याचिकाएं दायर की गईं और सफेम और एन डी पी एस अधिनियम के अन्तर्गत 19 अपीलों और 31 विविध याचिकाओं का निपटान किया गया।

अनुबंध क

एन डी पी एस अधिनियम तथा सफेम (फोप) अधिनियम के तहत गैर कानूनी रूप से अर्जित सम्पत्ति का समपहरण

वित्तीय वर्ष	प्रवर्तन अभिकरणों से प्राप्त रिपोर्टों की संख्या	समपहरण के लिए जारी किए नोटिसों की संख्या व उसमें शामिल सम्पत्ति का मूल्य		जारी किए गए समपहरण आदेशों की संख्या उसमें शामिल सम्पत्ति का मूल्य		बेची गई सम्पत्ति की बिक्री आय का मूल्य
		संख्या	मूल्य (लाख रुपये में)	संख्या	मूल्य (लाख रुपये में)	
1	2	3	4	5	6	7
2000-2001	491	159	2755	103	1662	201
2001-2002	228	89	7223.12	50	3202.39	107
2002-2003	995	72	1269.22	53	2498.60	18
2003-2004	1180	97	1547.75	25	977.01	51.6
2004-2005	1357	162	3251.64	25	650.93	73.67
2005-2006	607	214	10074.59	91	744.60	153.27
2006-2007	514	243	3017.27	112	868.57	2.63
2007-2008	507	210	12784.31	24	551.10	366.97
2008-2009	99	39	2065.88	28	1115.33	121.30
2009-2010	48	21	178.5	20	2153.20	शून्य
2010-2011	128	19	1394.06	22	45.57	1123.49
2011-2012	112	17	690.85	22	391.58	191.27
2012-2013	40	13	3091.48	10	101.10	1294.28 लाख रुपए+3400 अमरीकी डालर
2013-2014 (जनवरी, 2013-दिसम्बर, 2013)	55	4	144.37	शून्य	शून्य	760

9. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

9.1. संगठन एवं कार्य

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (के.उ.शु. एवं सी.शु. बोर्ड) का कार्य सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर लगाने और उनकी वसूली करने से संबंधित नीति तैयार करना, तस्करी और शुल्कों के अपवंचन की रोकथाम करना और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क एवं सेवा कर कार्यालयों से संबंधित सभी प्रशासनिक मामलों के संबंध में नीति तैयार करना है। बोर्ड अपने क्षेत्रीय कार्यालयों नामतः सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडलों, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों तथा निदेशालयों की सहायता से इसे सौंपे गए विभिन्न कार्यों को पूरा करता है। यह, यह भी सुनिश्चित करता है कि विदेशी और घरेलू यात्रा का अधिशासन, कानून के अनुसार किया जाए तथा संग्रहण अभिकरण, संग्रहित किए गए कर्षों को सार्वजनिक खजाने में तत्परता से जमा करवाते हैं।

9.1.1 सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क (निवारक) जोन

देश भर में इस समय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के 23 मंडल हैं जो निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, भुवनेश्वर, शिलांग, लखनऊ, मेरठ, रांची, मुम्बई-I, मुम्बई-II, जयपुर, भोपाल, पुणे, नागपुर, वडोदरा, अहमदाबाद, बैंगलूर, मैसूर, कोच्चि, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, चेन्नई और कोयम्बटूर इन मंडलों के अध्यक्ष मुख्य आयुक्त होते हैं।

सीमा शुल्क/सीमा शुल्क(निवारक) के 11 विशिष्ट मंडल हैं जिसके अध्यक्ष मुख्य आयुक्त होते हैं। ये हैं दिल्ली, मुम्बई-I, मुम्बई-II, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलूर, अहमदाबाद, दिल्ली सीमा शुल्क (निवारक), पटना सीमा शुल्क (निवारक), मुम्बई-III सीमा शुल्क, चेन्नई सीमा शुल्क (निवारक)।

सीबीईसी की संवर्ग पुनः संरचना योजना को हाल ही में सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है जिसके अंतर्गत उपर्युक्त संदर्भित जोन के अलावा विशेष सेवा कर जोन का गठन किए जाने का प्रस्ताव है।

9.1.2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्तालय

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय और सेवा कर के 93 आयुक्तालय मुख्यतः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर लगाने तथा उनका संग्रह करने का कार्य करते हैं। इनमें से कुछ आयुक्तालय अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सीमा शुल्क और तस्करी-रोधी कार्य भी देखते हैं। ये प्रादेशिक यूनिटों के रूप में संगठित हैं जो आम तौर पर किसी राज्य अथवा महानगर क्षेत्र के आंशिक अथवा पूर्ण क्षेत्र में स्थित हैं।

ये 93 आयुक्तालय निम्न स्थानों पर अवस्थित हैं:- दिल्ली-I, दिल्ली-II, दिल्ली-III (गुडगांव), दिल्ली-IV (फरीदाबाद), पंचकुला, रोहतक, चंडीगढ़-I, चंडीगढ़-II जालंधर, लुधियाना, जम्मू

और काश्मीर, कोलकाता-I, कोलकाता-II, कोलकाता-III, कोलकाता-IV, कोलकाता-V, कोलकाता-VI, कोलकाता-VII, बोलपुर, सिलीगुड़ी, हल्दिया, भुवनेश्वर-I, भुवनेश्वर-II, शिलांग, डिब्रुगढ़, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ-I, मेरठ-II, गाजियाबाद, नोएडा, जमशेदपुर, पटना, रांची, मुम्बई-I, मुम्बई-II, मुम्बई-III, मुम्बई-IV, मुम्बई-V, थाने-I, थाने-II, बेलापुर, रायगढ़, जयपुर-I, जयपुर-II, भोपाल, इंदौर, रायपुर, पुणे-I, पुणे-II, पुणे-III, गोवा, औरंगाबाद, नासिक, नागपुर, वडोदरा-I, वडोदरा-II, वापी, सूरत-I, सूरत-II, दमण, अहमदाबाद-I, अहमदाबाद-II, अहमदाबाद-III, भावनगर, राजकोट, बंगलोर -I, बंगलोर-II, बंगलोर-III, मैसूर, मंगलोर, बेलगाम, कोचि, तिरुवनंतपुरम, कोजीकोड, हैदराबाद-I, हैदराबाद-II, हैदराबाद-III, हैदराबाद-IV, तिरुपति, गुंटुर, विशाखापट्टनम-I, विशाखापट्टनम-II, चेन्नई-I, चेन्नई-II, चेन्नई-III, चेन्नई-IV, पांडिचेरी, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, सलेम, मदुरई, तिरुनेलवेली और गुवाहाटी।

संवर्ग पुनः संरचना योजना को हाल ही में सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है जिसके अंतर्गत के.उ.शुल्क के आयुक्तालयों की संख्या बढ़ाए जाने की संकल्पना की गई है।

9.1.3 सेवा कर आयुक्तालय:

मुम्बई-I मुम्बई-II दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद तथा बंगलोर में स्थित 7 विशिष्ट सेवा कर आयुक्तालय, कार्य कर रहे हैं।

बंगलौर, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई तथा कोलकाता में 05 बड़े कर भुगतान कर्ता एकक हैं।

हाल ही में अनुमोदित संवर्ग पुनः संरचना योजना में सेवा कर आयुक्तालयों की संख्या और बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

9.1.4 सीमा शुल्क और सीमा शुल्क (निवारक) के आयुक्तालय

सीमा शुल्क निवारक (आयुक्तालय) सहित 35 आयुक्तालय देश भर में फैले हुए हैं। इन आयुक्तालयों को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं-

(क) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करना जिसमें उनके क्षेत्राधिकारों में सीमा शुल्क लगाना और संग्रहण करना तथा प्रवर्तन कार्य शामिल हैं।

(ख) तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए तटीय और भू-सीमा की निगरानी करना। इन आयुक्तालयों को उनके तस्करी-रोधी कार्य और संवेदनशील तटीय क्षेत्रों की निगरानी में मदद देने के लिए बोर्ड के पास मैरिन और दूरसंचार विंग उपलब्ध है।

सीमा शुल्क और सीमा शुल्क (निवारक) के 35 कार्यालय निम्नानुसार हैं:- दिल्ली (एयर कार्गो आयात एवं सामान्य) दिल्ली (आई सी डी), दिल्ली (एयर कार्गो निर्यात) मुम्बई (सामान्य), मुम्बई

(निर्यात), मुम्बई (आयात), न्हावा शेवा (आयात एवं मुलुन्द सी एफ एस), न्हावा शेवा (निर्यात) मुम्बई एयर कार्गो (आयात), मुम्बई एयर कार्गो (निर्यात), मुम्बई (विमानपत्तन), पुणे सीमा-शुल्क, कोलकाता (विमानपत्तन), कोलकाता (पत्तन), चेन्नई (विमानपत्तन एवं एयर कार्गो), चेन्नई पत्तन (निर्यात), चेन्नई पत्तन (आयात), बंगलौर, मैंगलोर, कोची, अहमदाबाद, कान्दला, विशाखापटनम, अमृतसर सीमा शुल्क (निवारक), जोधपुर सीमा शुल्क (निवारक), दिल्ली सीमा शुल्क (निवारक), पटना सीमा शुल्क (निवारक), लखनऊ सीमा शुल्क (निवारक), मुम्बई सीमा शुल्क (निवारक), तुतीकोरिन, तिरुचिरापल्ली, पश्चिमी बंगाल सीमा शुल्क (निवारक), कोलकाता, शिलांग सीमा शुल्क (निवारक) और जामनगर सीमा शुल्क (निवारक)।

हाल ही में अनुमोदित संवर्ग पुनः संरचना योजना में सीमा शुल्क, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालयों की संख्या बढ़ाया जाना संकल्पित है।

9.1.5 अपील एवं कर वसूली मशीनरी

इस समय 61 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) आयुक्त, 8 सीमा शुल्क आयुक्त (अपील) हैं। एक मुख्य आयुक्त और 6 आयुक्त टी. एंड आर. हैं। अपीलीय मशीनरी जिसमें आयुक्त (अपील) हैं, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त से नीचे के रैंक के अधिकारियों द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 तथा सेवा कर विधानों के अंतर्गत पारित आदेशों के खिलाफ अपील का कार्य देखते हैं।

9.1.6 सीबीईसी के आयुक्त

सीबीईसी में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के 6 आयुक्त हैं जो विभिन्न नीतिगत मामलों में बोर्ड को सहयोग देते हैं।

9.1.7 आयुक्त (न्यायनिर्णयन)

इस समय अखिल भारतीय प्रसार और उच्च राजस्व मूल्य वाले मामलों का निर्णय करने के लिए 4 आयुक्त (न्याय-निर्णयन) के पद हैं। ये आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ-साथ सीमा शुल्क के मामले देखते हैं।

9.1.8 संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय

प्रशासनिक और कार्यपालक कार्यों के निष्पादन में पुनर्गठित ढांचे में निम्नलिखित संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय बोर्ड की सहायता करते हैं-

- क. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय
- ख. राजस्व आसूचना निदेशालय
- ग. निरीक्षण निदेशालय
- घ. मानव संसाधन विकास
- ड. राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वापक अकादमी
- च. सतर्कता निदेशालय
- छ. पद्धति तथा डाटा प्रबंधन निदेशालय

- ज. लेखा परीक्षण महानिदेशालय
- झ. रक्षोपाय महानिदेशालय
- ञ. निर्यात संवर्धन महानिदेशालय
- ट. सेवाकर महानिदेशालय
- ठ. मूल्यांकन महानिदेशालय
- ड. प्रचार एवं जनसंपर्क महानिदेशालय
- ढ. संभार तंत्र निदेशालय
- ण. विधिक कार्य निदेशालय
- त. मुख्य आयुक्त (प्राधिकृत प्रतिनिधि) का कार्यालय
- थ. केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (सीआरसीएल)

सीबीईसी के अंतर्गत महानिदेशालयों, मुख्य आयुक्त (विभागीय प्रतिनिधि) कार्यालय एवं केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला के कार्य संक्षेप में नीचे दिए गए हैं:

क. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय

- क. केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के अपवंचन के संबंध में आसूचना एकत्र करना, संकलित करना तथा उसका प्रसार करना,
- ख. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के लिए सुभेद्य वस्तुओं के मूल्य ढांचे, विपणन पद्धतियों तथा वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करना,
- ग. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के मामलों में आयकर आदि जैसे विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना,
- घ. अंतर आयुक्तालय विस्तार वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के मामलों में जांच करना; और
- ड. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन की कार्यपद्धति के बारे में सलाह देना तथा हानियों को दूर करने की दृष्टि से उचित उपचारी उपायों, प्रक्रियाओं तथा प्रचलनों के संबंध में बोर्ड और आयुक्तालयों को सलाह देना ।

ख. राजस्व आसूचना महानिदेशालय

- क. तस्करी के बारे में आसूचना का अध्ययन एवं इसका प्रसार करना
- ख. तस्करी के संगठित गिरोहों तथा तस्करी के लिए सुगम्य क्षेत्रों का पता लगाना, उनके विरुद्ध आसूचना एकत्र करना तथा उनकी गतिशीलता रोकना ।
- ग. आसूचना को एकत्र करने तथा अंतःआयुक्तालयों तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले महत्वपूर्ण मामलों की गहराई से जांच करने के लिए भारत तथा विदेश में आसूचना तथा प्रवर्तन कार्यों में लगी एजेंसियों के साथ सम्पर्क बनाए रखना,

- घ. संदिग्ध व्यक्तियों तथा निषिद्ध माल को पकड़ने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को सतर्क करना, तस्करी के सामयिक तथा संभावित तरीकों का अंदाजा लगाना,
- ड.. मंत्रालय को तस्करी रोधी उपायों से संबंधित सभी मामलों में परामर्श देना तथा कमियों को दूर करने की दृष्टि से कानूनों, प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों को तैयार करना या इन्हें संशोधित करना, और
- च. ऐसे अन्य सभी मामलों के बारे में कार्यवाही करना, जो मंत्रालय अथवा बोर्ड द्वारा निदेशालय को जांच के लिए सौंपे गए हों ।

ग. निरीक्षण निदेशालय (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

- क. सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नार्कोटिक्स विभागीय मशीनरी के पूरे देश में कार्य का अध्ययन करना और कार्य कुशलता में सुधार लाने के लिए दोषों को निरीक्षण द्वारा सुधारने के तरीकों का सुझाव देना और उनके सुचारु कार्य हेतु प्रक्रिया निर्धारित करना ।
- ख. यह देखने के लिए निरीक्षण करना कि क्या क्षेत्रीय कार्यालयों में सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रक्रियाओं के अनुसार ही कार्य हो रहा है और प्रक्रियात्मक कमियों, यदि कोई ध्यान में आई हैं, के संबंध में सिफारिशें करना ।
- ग. क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य में सुधार लाने के लिए तरीकों का सुझाव देना।

घ. मानव संसाधन विकास निदेशालय

(I) एच.आर.एम. स्कन्ध

(क) कैडर प्रबंधन प्रभाग :

- (क) विभाग के लक्ष्यों और अनुमान के अनुरूप सीबीईसी की मानव संसाधन योजनाओं को तैयार कर उनकी रूपरेखा बनाना;
- (ख) भर्ती नियमावली में परिवर्तनों का विश्लेषण और उनका प्रस्ताव देना ;
- (ग) विभिन्न पदों के लिए कार्यों का चार्टर तैयार करना और उनकी आवधिक समीक्षा करना;
- (घ) वार्षिक भर्ती योजना तैयार करने में अथवा सीधी भर्ती में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड की सहायता करना;
- (ड.) भर्ती नीति तैयार करने तथा इसका कार्यान्वयन करने के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड की सहायता करना;
- (च) उन प्रस्तावों सहित मानव संसाधन नीतियों, प्रक्रियाओं और पद्धतियों की रूपरेखा तैयार करना तथा जिनमें पदों को एक कार्यात्मक क्षेत्र से दूसरे कार्यात्मक क्षेत्र से अस्थायी रूप से पश्चावर्तित कर दिया जाता है;

- (छ) प्रशिक्षण, पदस्थापना, कौशल उन्नयन तथा उत्तराधिकार आयोजना हेतु मानव संसाधन सूचना प्रणाली को तैयार रखना और इसका रख-रखाव करना;
- (ज) वार्षिक सामान्य स्थानान्तरण के हिस्से के रूप में अधिकारियों की पदस्थापना तथा स्थानान्तरण के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड को आंकड़ों की सहायता प्रदान करना ;
- (झ) स्थानान्तरण नीति पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना तथा आगे की कार्यवाई के लिए इसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड को भेजना ;
- (ञ) कैडर समीक्षा और बदलते आर्थिक परिदृश्य और आवश्यकताओं के संदर्भ में विभाग के पुनर्गठन में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड को सहायता प्रदान करना ;
- (ट) अधिकारी संघों के साथ आवधिक विचार-विमर्श हेतु सांस्थानिक व्यवस्था का सृजन ;
- (ठ) मानव संसाधन प्रबन्धन/ प्रशासन संबंधी मामलों पर नियम पुस्तिका और संदर्भ साहित्य को तैयार करना; तथा
- (ड) क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुकरण की जाने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाओं में एकरूपता/समरूपता लाने में बोर्ड को सहायता प्रदान करना ।

(ख) कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रभाग:

- (क) वैयक्तिक निष्पादनों को देखने और मूल्यांकन करने के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और निष्पादन प्रबंधन प्रणाली(पीएमएस) को विकसित करना;
- (ख) जनशक्ति और अवसंरचना की कमी पर विचार करते हुए लक्ष्य निर्धारण के आधार पर संगठन, वर्ग और व्यक्तिगत पदों के लिए निष्पादन सूचकों का विकास;
- (ग) वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली और निष्पादन माप स्कीम आदि की रूपरेखा तैयार करना;
- (घ) वार्षिक निष्पादन मूल्यांकनों को समेकित करना;
- (ड.) पुरस्कारों को निष्पादन के साथ जोड़ना और उपयुक्त पुरस्कार नीति की रूपरेखा तैयार करना;
- (च) सहायता प्राप्त करने और व्यक्तिगत निष्पादन की मानीटरिंग करने तथा जिम्मेदारी बनाए रखने के लिए उपयुक्त प्रणाली विकसित करने हेतु “बाहरी परामर्शदाताओं” के साथ संपर्क बनाना; तथा
- (छ) सभी संवर्गों के वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन तथा समय-समय पर इसमें अर्थपूर्ण परिवर्तन सुझाना

(ग) क्षमता निर्माण और स्ट्रेटेजिक विजन प्रभाग

- (क) सभी स्तरों पर अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लगाना तथा प्रशिक्षण आवश्यकता इन्वेन्टरी बनाना;
- (ख) अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बीच मानव संसाधन विकास संबंधी मुद्दों के संबंध में सूचना का प्रसार;
- (ग) डीजी, एनएसीईएन के परामर्श से सेवा अंतरालों (अर्थात् 6-9 वर्षों की सेवा, 10-16, 17-19 और 20-30 वर्षों की सेवा) पर देश के अंदर और बाहर स्थित संस्थाओं में अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण संस्थाओं के परामर्श से समन्वय स्थापित करना;
- (घ) प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण, प्रशिक्षण की रूपरेखाएं आदि के व्यावहारिक मॉडलों के विकास में मंत्रालय की सहायता करना तथा डीजी, एनएसीईएन के परामर्श से प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण के आधार पर प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों को नामित करना;
- (ङ.) वर्तमान समय में एनएसीईएन द्वारा संचालित किए जा रहे बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को छोड़कर विदेशी प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों की सिफारिश करना ;
- (च) उर्ध्वगामी संबंधों (अनुक्रम के अंतर्गत) और महिला एवं पुरुष संबंधों लिंग आधारित भेदभाव और उत्पीड़न पर रोक सहित संगठनात्मक संबंधों के प्रबंधन में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड को सहायता प्रदान करना;
- (छ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकरण के लिए परिवर्तन का प्रबंधन ;
- (ज) स्ट्रेटेजिक विजन ग्रुप का गठन जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारी एवं बाहरी विशेषज्ञ शामिल हों;
- (झ) भावी विकासों का अनुमान बताना और उसके प्रति कार्य करने हेतु संगठन, कार्मिक एवं प्रक्रिया में परिवर्तनों का सुझाव देना ; तथा
- (ञ) भारत सरकार की घरेलू निधियन स्कीम के अंतर्गत कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अनुरोधों पर कार्यवाही करने में मंत्रालय की सहायता करना ;

(II) आधारभूत संरचना और कल्याण स्कन्ध
(क) आधारभूत संरचना प्रभाग :

- (क) फील्ड कार्यालयों से प्रभाग को सीधे प्राप्त सभी आधारभूत संरचना प्रस्तावों की जांच-पड़ताल करने तथा उन पर कार्रवाई करने के लिए नाडल प्राधिकरण

के रूप में कार्य करना इन्हें आगे की कार्रवाई के लिए अपनी सिफारिशों सहित सीबीईसी/मंत्रालय को भिजवाना;

- (ख) भूमि के खरीदने और बेचने, भवन के खरीदने और बेचने आवास किराये पर लेने और पहले से ही किराए पर लिए गए आवास को जारी रखने, कार्यालयी और आवासीय भवनों को किराए पर लेने, विभाग के भवनों, आवासीय परिसरों इत्यादि की मरम्मत/ रख रखाव/ नवीनीकरण/ संशोधन/ प्रतिस्थापन/ परिवर्तन सहित आधारभूत संरचना के प्रस्तावों के अनुमोदन और मंजूरी से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करना;
- (ग) परिसम्पत्ति रजिस्टर बनाने, उसका रख-रखाव करने और उसका नियमित अद्यतन करके सीबीईसी की परिसम्पत्तियों का लेखा-जोखा रखना और प्रलेखन करना;
- (घ) सीबीईसी के विभागीय कर्मचारियों के लिए बने बनाए कार्यालय स्थान और आवास की बजटीय अपेक्षा को समेकित करना और दर्शाना;
- (ङ.) नीतिगत दिशा-निर्देशों और प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार आधारभूत संरचना प्रस्तावों की उनकी मंजूरी के संबंध में अनुरूपता सुनिश्चित करना;
- (च) प्रस्तुत प्रस्तावों के संबंध में मंत्रालय की टिप्पणियां/ प्रश्न/ अनुमोदन/ मंजूरी से फील्ड कार्यालयों को अवगत करवाते हुए सीबीईसी और फील्ड कार्यालयों में लिंक स्थापित करना।

(ख) कल्याण प्रभाग :

- (क) कल्याण उपायों का पता लगाना और सीबीईसी को उनकी सिफारिश करना ;
- (ख) कल्याण कोष के शासी निकाय द्वारा निधियों की संस्वीकृति हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्यवाही करना ;
- (ग) कल्याण कोष और विशेष उपस्कर कोष के बीच निधियों के आबंटन के लिए संभार तंत्र निदेशालय तथा मुख्य सीसीए के निधि लेखा कार्यालय के बीच समन्वय स्थापित करना ;
- (घ) कर्मचारियों की अधिवर्षिता का प्रबंधन करना विशेष तौर पर मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक एवं वित्तीय पहलुओं के संबंध में सेवा निवृत्ति के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करने और (सेवानिवृत्ति के पश्चात जीवनका प्रबंधन और लाभों का उचित प्रबंध करने के लिए एनएसीईएन और/अथवा बाहरी विशेषज्ञों के जरिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हुए);

- (ड.) सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के कार्य अनुभव की विशिष्टता का ब्यौरा तैयार करना और उन्हें अनुरक्षित करना तथा उन्हें अन्य मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उनके संबंधित क्षेत्र के उपक्रमों में उनके संबंधित क्षेत्रों के लिए उनकी आवश्यकताओं के बाबत परामर्श देना ; और
- (च) सीबीईसी द्वारा बढ़ावा दी जाने वाली/ लागू की जाने वाली कल्याण स्कीमों/उपायों के संबंध में अधिकारियों और कर्मचारियों में सूचना का प्रसार करना ।

(III) व्यय प्रबंधन प्रकोष्ठ

- (क) बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा निर्धारित बजट परिपत्र को जारी करना;
- (ख) अनुदान राशि के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों/ एककों से प्राप्त बजट प्रस्तावों की जांच-पड़ताल;
- (ग) बजट कवायद के प्रत्येक स्तर पर स्थिति का समेकन करना अर्थात् बजट आकलन, संशोधित आकलन और अंतिम अपेक्षा और इसे आगे की कार्रवाई के लिए एफ.ए. (वित्त) को प्रस्तुत करना;
- (घ) मद शीर्षवार अनुमोदित प्रावधानों को संबंधित बजट नियंत्रक प्राधिकारियों को आवंटित करना;
- (ड.) संगत बजट दस्तावेजों में शामिल किए जाने के लिए बजट आकलन का विवरण तैयार करना;
- (च) व्यय की मंजूर अनुदान राशि की तुलना में हुई प्रगति की निगरानी करना तथा आगे की कार्रवाई के लिए एफ.ए. (वित्त) को मासिक और तिमाही व्यय समीक्षा प्रस्तुत करना;
- (छ) सक्षम अधिकारी की सहमति/अनुमोदन के लिए पुनः विनियोजन आदेश, बचत के सरन्डर इत्यादि का प्रस्ताव करना;
- (ज) प्रधान सीसीए, सीबीईसी के परामर्श से विनियोजन लेखा को अंतिम रूप देना तथा इसे सहमति के लिए एफ.ए.(वित्त) को प्रस्तुत करना
- (झ) अनुदानों मांगों की विवरणी स्थायी वित्त समिति की जांच-पड़ताल के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करना;
- (ञ) व्यय मामलों में लेखा परीक्षा संदर्भों के संबंध में कार्रवाई करना, उदाहरण के तौर पर लेखा-परीक्षा पैरा पीएसी पैरा इत्यादि के संबंध में की गई कार्रवाई/ टिप्पणियां
- (ट) उपर्युक्त से संबंधित कोई अन्य मामला।

ड. राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा नार्कोटिक्स अकादमी

- (क) सीधी भर्ती वाले अधिकारियों को प्रशिक्षण देना तथा विभागीय अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना;
- (ख) सीधी भर्ती वाले तथा विभागीय अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण नीतियां तैयार करने में सहायता करना तथा अध्ययन संबंधी योजनाएं और पाठ्यक्रम तैयार करके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को कार्यान्वित करना;
- (ग) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पड़ोसी देशों से सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अधिकारियों के अध्ययन दौरो की व्यवस्था करना ।

च. सतर्कता महानिदेशालय

- (क) सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों के खिलाफ सतर्कता मामलों की मानीटरिंग करना;
- (ख) संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों की उचित निगरानी रखना; और
- (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, राजस्व आसूचना एवं सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी महानिदेशालय के साथ घनिष्ट तालमेल रखना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी कार्यक्रम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नार्कोटिक्स कार्यालयों के सभी आयुक्तालयों में क्रियान्वित किए जाएं ।

छ. पद्धति निदेशालय तथा डाटा प्रबंध निदेशालय

(क) पद्धति निदेशालय

केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर हार्डवेयर अधिग्रहण करने, साफ्टवेयर का विकास और रखरखाव, कार्मिकों का प्रशिक्षण और कंप्यूटरीकरण संबंधी बजट व्यय मानीटर करने सहित सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर कंप्यूटरीकरण परियोजनाओं के सभी पहलुओं का ध्यान रखना ।

(ख) डाटा प्रबंध निदेशालय

- (i) अप्रत्यक्ष करों से राजस्व वसूली संबंधी डाटा और सांख्यिकी एकत्र करना और समेकित करना और मंत्रालय और बोर्ड को बजट अनुमानों के पूर्वानुमान में सलाह देना; और
- (ii) अप्रत्यक्ष करों से संबंधित राजस्व, बकायों, अधिग्रहणों, अदालती मामलों, आदि के संबंध में सांख्यिकीय बुलेटिनों, और सांख्यिकीय वार्षिकी के संकलन हेतु आंकड़े एकत्र करना ।

ज. लेखा परीक्षा निदेशालय

- (क) लेखा परीक्षा तकनीकों और प्रक्रियाओं के विकास और उनमें सुधार करने के विषय में निदेश देना;
- (ख) आवधिक समीक्षाओं द्वारा नई लेखा परीक्षा प्रणाली का प्रभावी और सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;
- (ग) बाह्य एजेंसियों और विभाग के अंदर अन्य कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करना;
- (घ) कर अनुपालन में सुधार के लिए उपाय सुझाना;
- (ङ.) लेखा परीक्षा मानकों और निर्धारित संतुष्टि के स्तर का पता लगाना;
- (च) सही डाटा बेस विकसित करने के लिए नीति बनाना और साथ ही लेखा परीक्षा को प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाने के लिए लेखा परीक्षकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना;
- (छ) नीति निर्माण में बोर्ड को सहायता करना और सलाह देना और स्थानीय स्तर पर लेखा परीक्षा की योजना, समन्वय और निरीक्षण में मार्गदर्शन करना तथा कार्यकारी निदेश देना;
- (ज) संगत सूचना को एकत्र करना और उसका प्रसार करना ; और
- (झ) ई.ए.2000 लेखा परीक्षा एवं संबंधित परियोजनाएं जैसे कि जोखिम प्रबंधन, सी.ए.ए.पी लेखा परीक्षा आदि को लागू करना ।

झ. रक्षोपाय महानिदेशालय

- (क) भारत में किसी वस्तु के बढ़ते हुए आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे की मौजूदगी की जांच करना;
- (ख) रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए वस्तु की पहचान करना ;
- (ग) विनिर्दिष्ट देश से किसी वस्तु के बढ़े हुए आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति का खतरा के संबंध में निष्कर्ष, अनंतिम अथवा अन्यथा, को केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करना;
- (घ) निम्नलिखित की सिफारिश करना;
 - (i) शुल्क की उस राशि के संबंध में, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को क्षति अथवा क्षति के खतरे को हटाने के लिए पर्याप्त हो ।
 - (ii) रक्षोपाय शुल्क लगाने की अवधि और जहां सिफारिश की गई अवधि एक वर्ष से अधिक हो वहां सकारात्मक सामयोजना को सुकर बनाने के लिए पर्याप्त उत्तरोत्तर उदारीकरण की सिफारिश करना; और
- (ङ) रक्षोपाय शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करना ।

ञ. निर्यात संवर्द्धन महानिदेशालय

- (क) वास्तविक निर्यातकों को पेश आ रही कठिनाईयों से निपटने के लिए निर्यात की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्यात संवर्द्धन काउंसिलों के साथ बातचीत करना;
- (ख) निर्यात से संबंधित संबद्ध एजेंसियों के साथ गहरे संबंध स्थापित करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक निर्यातक बिना किसी कठिनाई के निर्यात योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें;
- (ग) मासिक और त्रैमासिक विवरणियों जैसे कि परित्यक्त शुल्क विवरण, प्रतिअदायगी की अदायगी संबंधी विवरण और त्रैमासिक प्रति-अदायगी भुगतान विवरण के जरिए क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य-निष्पादन को मॉनीटर करना तथा इन सब की तुलना करना और उन्हें संकलित करना ताकि मंत्रालय नीति की समीक्षा कर सके ;
- (घ) मौजूदा विधिक प्रावधानों/नियमों तथा प्रक्रियाओं की दक्षता की जांच संबंधी अध्ययन करना और किए जाने वाले परिवर्तनों के विषय में मंत्रालय को सुझाव, यदि कोई हो, देना;
- (ङ) संबंधित आयुक्तों द्वारा निर्धारित ब्रांड दरों की उत्तर लेखा परीक्षा करना और चयनित मामलों का स्वतंत्र रूप से अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों की सहायता से भौतिक सत्यापन करना ।
- (च) सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों में विभिन्न निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के अंतर्गत अनुमत शुल्क मुक्त आयातों के चयनित मामलों की उत्तर लेखा परीक्षा करना, और
- (छ) बोर्ड और बोर्ड के सीमा शुल्क-IV और एफ टी टी अनुभागों, जो कि शत-% ई.ओ.यू./ई.पी.जेड. इकाइयों/एस.ई.जेड इकाइयों तथा विभिन्न प्रौद्योगिकी पार्कों और रत्नों और आभूषणों के निर्यात से संबंधित योजनाओं का कार्य देखते हैं, के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना ।

ट. सेवा कर महा निदेशालय

- (क) सेवा कर की वसूली और उसके निर्धारण पर निगरानी रखना
- (ख) क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवा कर के प्रशासन का अध्ययन करना और राजस्व वसूलियां बढ़ाने के उपायों का सुझाव देना ;
- (ग) कानून और प्रक्रियाओं का अध्ययन करना ;
- (घ) डाटा बेस बनाना; और
- (ङ) आयुक्तालयों में सेवा कर प्रकोष्ठों का निरीक्षण करना ।

ठ. मूल्यांकन महा निदेशालय

- (क) सीमा शुल्क मूल्यांकन के बारे में विश्व व्यापार संगठन करार को लागू करने और उस पर निगरानी रखने के कार्य में बोर्ड को सहायता और परामर्श देना;
- (ख) पूर्व उदाहरणों, प्रकाशित मूल्य सूचना अथवा अन्य प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त मूल्यों का उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक माल के संबंध में एक व्यापक मूल्यांकन डाटा बेस तैयार करना;
- (ग) अवमूल्यांकन का पता लगाने और उसकी रोकथाम करने और साथ ही निर्धारणों को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए आन लाइन देखने और दैनिक निर्धारण में सहायता देने के एक साधन के रूप में सभी सीमा शुल्क कार्यालयों को सतत आधार पर मूल्य सूचना प्रसारित करना;
- (घ) विभिन्न सीमा शुल्क कार्यालयों की मूल्यांकन पद्धतियों पर निगरानी रखना और महत्वपूर्ण एवं नयी मूल्य निर्धारण पद्धतियों के बारे में बोर्ड को सूचित करना और जहां कहीं आवश्यकता हो वहां सुधारात्मक नीति तथा अन्य उपाय सुझाना;
- (ङ) अन्य सीमा शुल्क प्रशासनों के मूल्यांकन निदेशालय और विदेश में तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ संपर्क बनाना; और
- (च) संवेदनशील वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रवृत्तियों और ट्रांस-नेशनल नियमों (उदाहरण के लिए अंतरण संबंधी मूल्य निर्धारण) और विदेशी सहयोग से चल रहे भारतीय उद्यमों की मूल्य निर्धारण पद्धतियों का अध्ययन करना और सुनियोजित अव-मूल्यांकन और मूल्यांकन संबंधी धोखाधड़ियों को रोकने के लिए पद्धति विकसित करने में सहायता देना; और
- (छ) यह निश्चय करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण करना कि मूल्यांकन निदेशालय द्वारा विकसित किए गए मूल्यांकन प्रतिमानों को संपूर्ण देश में एक समान रूप से लागू किया जा रहा है।

ड. प्रचार एवं जन संपर्क निदेशालय

- (क) सांविधिक और विभागीय मेनुअलों को तैयार, संशोधित और प्रकाशित करना;
- (ख) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के तकनीकी और प्रशासनिक मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशों को समेकित करना;
- (ग) अप्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों में उच्च न्यायालयों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन करना;

- (घ) शुद्धि सूचियों, आदि के जरिए सभी विभागीय मेनुअलों को अद्यतन बनाना; और
- (ङ) विवरणिकाओं, पोस्टरों, होर्डिंगों, रेडियो, टेलीविजन और प्रेस मीडिया के जरिए अप्रत्यक्ष करों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए प्रचार करना।

ढ. संभार तंत्र निदेशालय

- (क) आयुक्तालयों और सुगम्य क्षेत्रों में तस्करी रोधी कार्य के लिए तैनात किए गए कर्मचारियों की कार्यक्षमता की जांच करना, निर्धारण करना और मूल्यांकन करना;
- (ख) विभिन्न आयुक्तालयों में न्यायनिर्णयन, अभियोजन तथा मुखबिरों तथा अधिकारियों को इनाम देने संबंधी मामलों में प्रगति पर नजर रखना, समन्वय करना और मूल्यांकन करना तथा अभियोजन संबंधी मामलों में जप्तशुदा माल के निपटान की प्रगति पर नजर रखना;
- (ग) विभिन्न आयुक्तालयों में तस्करी रोधी कार्य के लिए अपेक्षित कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, उपस्करों, वाहनों, जलयानों, संचार तथा अन्य स्रोतों की आवश्यकता की आयोजन करना तथा उसका मूल्यांकन करना, उनकी प्रचालनात्मक कार्यकुशलता का अंदाजा लगाना; और
- (घ) अधिग्रहण, एकत्रण, खरीदे, मरम्मत और ऐसे संयंत्रों को पुनः लगाने संबंधी मामलों को निपटाना।

ण. विधिक कार्य निदेशालय

- (क) बोर्ड के विधिक और न्यायिक कार्य को मॉनीटर करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना,
- (ख) ट्रिब्यूनल की विभिन्न पीठों द्वारा निर्णित सभी मामलों का डाटा बेस तैयार करना और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से मामलों को मॉनीटर करना कि क्षेत्रीय कार्यालय केवल पात्र मामलों में ही अपील दायर करने की सिफारिश करें ना कि उन मामलों में जिनमें पहले ही उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णय दिया जा चुका है और इसे विभाग द्वारा स्वीकार किया जा चुका है;
- (ग) यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ट्रिब्यूनल के सभी आदेशों की जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक हो वहां अपील दायर करने के लिए समयबद्ध प्रस्ताव बोर्ड को भेजा जाता है और आदेश की स्वीकृति से संबंधित रिपोर्ट मुख्य आयुक्त को भेजी जाती है;
- (घ) विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों, जिन्हें विभाग द्वारा अंततः स्वीकार कर लिया गया है, और उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों के विषय में क्षेत्रीय कार्यालयों

को सूचित करना ताकि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पहले से ही निपटाए गए मामलों पर अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सके;

- (द) विभिन्न उच्च न्यायालयों में पड़े अनिर्णित मामलों से संबंधित डाटा बेस तैयार करना। अपीलीय/प्रतिवादी आयुक्तों द्वारा उच्च न्यायालय मामलों से संबंधित डाटा बेस तैयार करने और उसे अद्यतन करने में निदेशालय को सहयोग करना अपेक्षित है;
- (च) क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त फीड बैक के आधार पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिए स्थायी काउंसिलों/पैनल काउंसिलों के पैनल तैयार करना। तथापि, निदेशालय की भूमिका सिफारिश करने तक ही सीमित होगी तथा पैनल के अनुमोदन/स्थायी काउंसिलों की नियुक्ति के संबंध में अंतिम निर्णय मंत्रालय का ही होगा;
- (छ) प्रतिष्ठित वकीलों का अनुमोदित पैनल बनाना जो कि अप्रत्यक्ष कर कानूनों तथा प्रशासन संबंध मामलों की पूरी जानकारी रखते हों, जो सरकार के नियमित पैनल में न भी हों परन्तु उन्हें महत्वपूर्ण मामलों के निपटान के लिए विभाग द्वारा रखा जा सकता है।

त. मुख्य आयुक्त (प्राधिकृत प्रतिनिधि) का कार्यालय

- (क) ट्रिब्यूनल रजिस्ट्री से मामलों की कारण सूची प्राप्त करना और विभागीय प्रतिनिधियों के बीच केस फाइल वितरित करना;
- (ख) सीस्टेट को पीठों के समक्ष सभी सूचीबद्ध मामलों में विभागीय प्रतिनिधियों के प्रभावी प्रतिनिधित्व को मॉनीटर करना;
- (ग) संबंधित आयुक्तालयों से समन्वय करना और प्रति आपत्ति, स्पष्टीकरण और पुष्टिकरण की मांग करना ;
- (घ) अध्यक्ष, सीस्टेट के साथ समन्वय स्थापित करना; और
- (ड.) विभागीय प्रतिनिधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना और सी.डी.आर कार्यालय, जिसमें उसके मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और बंगलोर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं, से संबंधित प्रशासनिक मामलों को देखना।

थ. केन्द्रीय राजस्व रसायन प्रयोगशाला

वस्तुओं के नमूनों को विश्लेषित करना तथा विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति, गुण एवं मिश्रण के संबंध में बोर्ड एवं इसके क्षेत्रीय संगठनों को तकनीकी सलाह देना।

9.2 वित्त वर्ष 2012-13 में राजस्व संग्रहण

वर्ष 2012-13 के दौरान, 50 50 44 करोड़ रुपये के बजट

अनुमान तथा 469546 के संशोधित अनुमान की तुलना में 474566 करोड़ रुपये का कुल अप्रत्यक्ष कर संग्रहण हुआ। 2011-12 की तुलना में 2012-13 में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में समग्र बढ़ोतरी 20.9 प्रतिशत रही। अप्रत्यक्ष करों का मुख्य शीर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार है।

9.2.1 सीमा शुल्क

2012-13 में 186694 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के मुकाबले संशोधित अनुमान 164853 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए। वर्ष 2012-13 के दौरान वास्तविक संग्रहण 165289 करोड़ रुपये था जिससे 2011-12 के वास्तविक संग्रहण से 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई दी।

9.2.2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

आर्थिक मन्दी के मद्देनजर, 2012-13 में 194350 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के मुकाबले संशोधित अनुमान कम होकर 171996 करोड़ रुपये हो गए। वर्ष 2012-13 के वास्तविक संग्रहण 176676 करोड़ रुपये था जो 2011-12 के वास्तविक संग्रहण के मुकाबले 21.3 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। केन्द्रीय बजट 2012 में मानक उत्पाद शुल्क की दरों को 17 मार्च, 2012 से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया था।

9.2.3 सेवाकर

सेवाकर में उच्च बायन्सी के कारण, वर्ष 2012-13 में 124000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के मुकाबले संशोधित अनुमान 132697 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। वर्ष 2012-13 के दौरान सेवा कर का वास्तविक संग्रहण 132601 करोड़ रुपये था जो कि वर्ष 2011-12 के वास्तविक संग्रहण के मुकाबले 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। सेवा कर की दर एक अप्रैल 2012 से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दी गई थी तथा केन्द्रीय बजट 2012 के दौरान 1 जुलाई, 2012 से सेवाओं के कराधान का 'नकारात्मक सूची' दृष्टिकोण शुरू किया गया था।

9.2.4 वित्त वर्ष 2013-14 (अप्रैल से दिसम्बर) में राजस्व के रुझान:-

वित्त वर्ष 2013-14 में अप्रैल-दिसम्बर, 2013-14 के दौरान अप्रत्यक्ष कर राजस्व में, अप्रैल-दिसम्बर, 2012-13 के वास्तविक संग्रहण के मुकाबले 6.2% वृद्धि दर्शाई गई। तथापि सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के मुकाबले अप्रैल से दिसम्बर, 2013-14 में क्रमशः 6.7% (-) 4.5S और 20.0% वृद्धि दर्शाई है।

वर्ष 2010-11 से अब तक अप्रत्यक्ष करों से राजस्व संग्रहण के रुझान निम्नानुसार है:-

अप्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रहण की प्रवृत्तियों का वर्ष-वार विवरण रुपये करोड़ में

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13 (अनंतिम)	* अप्रैल-दिसम्बर (अनंतिम)	
					2012-13	2013-14
I. सीमा शुल्क						
	बजट अनुमान	115000	151700	186694	186694	187308
	संशोधित अनुमान	131800	153000	164853		
	वास्तविक	135813	149328	165289	118393	126285
	बजट अनुमान की उपलब्धता का प्रतिशत	118.1	98.4	88.5	63.4	67.4
	संशोधित अनुमान की उपलब्धता का प्रतिशत	103.0	97.6	100.3		
	पिछले वर्ष की तुलना में संवृद्धि की प्रतिशतता	63.0	10.0	10.7		6.7
II. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क						
	बजट अनुमान	132000	164116	194350	192864	195937
	संशोधित अनुमान	137778	150696	171996		
	वास्तविक	138299	145607	176676	124016	118405
	बजट अनुमान की उपलब्धता का प्रतिशत	104.8	88.7	90.9	64.3	60.4
	संशोधित अनुमान की उपलब्धता का प्रतिशत	100.4	96.6	102.7		
	पिछले वर्ष की तुलना में संवृद्धि की प्रतिशतता	33.5	5.3	21.3		-4.5
III. सेवा कर						
	बजट अनुमान	68000	82000	124000	124000	180141
	संशोधित अनुमान	69400	95000	132697		
	वास्तविक	71016	97509	132601	91900	110313
	बजट अनुमान की उपलब्धता का प्रतिशत	104.4	118.9	106.9	74.1	61.2
	संशोधित अनुमान की उपलब्धता का प्रतिशत	102.3	102.6	99.9		
	पिछले वर्ष की तुलना में संवृद्धि की प्रतिशतता	21.6	37.3	36.0		20.0
IV. अप्रत्यक्ष कर						
	बजट अनुमान	315000	397816	505044	503558	563386
	संशोधित अनुमान	338978	398696	469546		
	वास्तविक	345127	392444	474566	334309	355003
	बजट अनुमान की उपलब्धता का प्रतिशत	109.6	98.6	94.0	66.4	63.0
	संशोधित अनुमान की उपलब्धता का प्रतिशत	101.8	98.4	101.1		
	पिछले वर्ष की तुलना में संवृद्धि की प्रतिशतता	40.7	13.7	20.9		6.2

स्रोत : बजट प्राप्ति/पीआरसीसीए

* सीबीईसी, राजस्व विभाग द्वारा अधिशायित नहीं होने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत आने वाले अधिभार को छोड़कर

वर्ष 2013-14 के बजट में परिवर्तन
9.3 वस्तुएं और सेवा कर :

राष्ट्रव्यापी वस्तुएं और सेवा कर शुरू किए जाने के लिए सरकार के प्रस्ताव के संबंध में कार्य प्रगति पर है। आईजीएसटी, छूट आपूर्ति नियमों का स्थान इत्यादि संबंध मुद्दों की जांच-पड़ताल के लिए, अधिकार प्राप्त समिति द्वारा गठित वस्तुएं और सेवा कर समितियां वस्तुएं और सेवा कर के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रही है।

9.4.1 सीमा शुल्क
9.4.1.1 क. सामान्य

1) बैगेज नियमावली को संशोधित किया गया है ताकि

(i) ऐसा भारतीय यात्री जो कि एक वर्ष की अधिक अवधि से विदेश में रह रहा है अथवा जो भारत में अपना आवास स्थानान्तरित कर रहा है के संबंध में ड्यूटी मुक्त अलाउन्स को पुरुषों के मामले में 10000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करना तथा महिला यात्री के मामले में इस राशि को 20000 रुपये से बढ़ाकर 100000 करना।

(ii) जहाज/ हवाई जहाज के क्रू- सदस्यों के ड्यूटी मुक्त अलाउन्स को 600 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करना।

9.4.1.2 ख. क्षेत्र विशेष के परिवर्तन

I. कृषि/ एगो प्रोसेसिंग/ प्लान्टेशन सेक्टर

- 1) जई के बिना छिलका उतरे दाने पर आधारभूत सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत कर दिया गया है।
- 2) पिंघल गिरि पर आधारभूत सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
- 3) तेल निकले चावल की भूसी की टिकिया पर 10% का निर्यात शुल्क हटा लिया गया है।
- 4) टूटे हुए काजू की गिरि (08013210) पर आधारभूत सीमा शुल्क 60 रुपये प्रति किग्रा अथवा 45% इनमें से जो भी अधिक हो, निर्धारित किया गया है।
- 5) साबुत काजू की गिरि (08013220) और अन्य (08013290) पर आधारभूत सीमा शुल्क 75 रुपये प्रति किग्रा अथवा 45% इनमें से जो भी अधिक हो, निर्धारित किया गया है।
- 6) कच्ची और सफेद/ परिष्कृत चीनी के आयात पर आधारभूत सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है।
- 7) शुगर बीड सीड्स को 5% का रियायती आधरिक सीमा शुल्क मुहैया करवाया गया है।

II. ऑटोमोबाइल

- 1) नई यात्री कारें और अन्य मोटर वाहन (हाई इन्ड कारें) जिनकी सी आई एफ कीमत 40000 यूएस डॉलर से अधिक है और/अथवा पेट्रोल चालित वाहनों के संबंध में इंजन क्षमता 3000 सीसी से अधिक तथा डीजल से चलने वाले वाहनों के संबंध में इंजन क्षमता 2500 सीसी से अधिक हो, के संबंध में आधारभूत सीमा शुल्क 75% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है।
- 2) 800 सीसी अथवा इससे अधिक इंजन क्षमता वाले मोटर साइकिल पर आधारभूत सीमा शुल्क 60% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है।

III. धातु और पोलिमेर

- 1) बिना प्रोसेस किए इलमेनाइट पर 10% की दर से तथा अपग्रेडिड इलमेनाइट पर 5% की दर से निर्यात शुल्क उदग्रहीत किया जाता है।
- 2) बाक्साइट पर 10% की दर से निर्यात शुल्क लगाया जाता है।
- 3) कैटालिटिक कनवर्टर और इसके पुर्जों में प्रयोग किए जाने वाले जंग रहित स्टील वायर क्लैथ स्ट्रिप पर आधारभूत सीमा शुल्क 10% से कम करके 5% तथा वाश कोट पर 7.5% से कम करके 5% कर दिया गया है।
- 4) कतिपय उप-शीर्षों के अंतर्गत आने वाली गैल्वेनाइज्ड स्टील शीट्स को 1.03.2011 अर्थात् भूतलक्षी प्रभाव से निर्यात शुल्क में पूरी छूट दी गई है।

- 5) शीर्ष 28.23 के अंतर्गत आने वाले टाइटेनियम आक्साइड पर आधारभूत सीमा शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है।
- 6) जंग रहित स्टील स्क्रेप (सीटीएच 7204) और एल्यूमीनियम स्क्रेप (सीटीएच 7602) सहित आयरन अथवा स्टील स्क्रेप पर आधारभूत सीमा शुल्क, शून्य से बढ़ाकर 2.5% कर दिया गया है।
- 7) पीतल के स्क्रेप पर विशेष अतिरिक्त शुल्क (विशेष सीवीडी) से छूट को वापस ले लिया गया है।
- 8) एथिलिन विनायल एसिटेड सहित पोलिमेर (सीटीएच 3901, 3902, 3903 और 3904) पर आधारभूत सीमा शुल्क को 5% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया है।

IV कीमती धातु

- 1) कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों के प्रि-फर्म पर आधारभूत सीमा शुल्क 10% से कम करके 2% कर दिया गया है।
- 2) सोने पर आधारभूत सीमा शुल्क को 8% से बढ़ाकर 10% तथा चाँदी पर 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है।
- 3) गोल्ड ओरस कन्सन्ट्रेट तथा मानक सोने के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली गोल्ड डोर बार पर अतिरिक्त सीमा शुल्क 6% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है।
- 4) आभूषण की मर्दें और इसके हिस्से, कीमती धातु अथवा धातु के क्लैड तथा कीमती धातु सहित स्वर्णकार अथवा रजतकार के उपकरण और उनके हिस्से पर लगने वाला आधारभूत सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है।

V पूंजीगत वस्तुएं/ आधारभूत संरचना :

- 1) स्टीम कोल पर आधारभूत सीमा शुल्क, शून्य से बढ़ाकर 2% तथा सीवीडी 1% से बढ़ाकर 2% कर दी गई है।
- 2) बिटुमिनस कोल पर आधारभूत सीमा शुल्क 5% से कम करके 2% तथा सीवीडी को 6% से कम करके 2% कर दी गई है।
- 3) चमड़े और जूता उद्योग में प्रयोग की जाने वाली 20 विशिष्ट मशीनरी पर आधारभूत सीमा शुल्क 7.5% से कम करके 5% कर दिया गया है।
- 4) विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, उत्पादक कम्पनी को आपूर्ति की जाने वाली एल एम जी और प्राकृतिक गैस पर आधारभूत सीमा शुल्क में छूट दे दी गई है।
- 5) बड़ी-बड़ी विद्युत परियोजनाओं के विवरण और क्षमता में परिवर्तन किया गया है तथा इसमें नेयवेली नया ताप विद्युत स्टेशन जोड़ा गया है ताकि उपर्युक्त मेगा पावर प्रोजेक्टों के गठन के लिए अपेक्षित वस्तुओं पर सीमाशुल्क की छूट की जा सके।

VI. एयरक्राफ्ट और शिप :

- 1) नाव और मोटर बोट पर आधारभूत सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है।
- 2) जहाज (शिप) की मरम्मत इकाईयों द्वारा आयातित वस्तुओं के उपभोग की समय-सीमा 3 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है।
- 3) हवाई जहाजों के रख रखाव, मरम्मत और ओवर हालिंग के लिए ऐसे क्रिया कलापों में लगी इकाईयों द्वारा आयातित पुर्जों और परीक्षण उपस्करों के उपभोग/ लगाए जाने की समय-अवधि 3 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है।
- 4) हवाई जहाजों के रख रखाव, मरम्मत और ओवर हालिंग के पुर्जों और परीक्षण उपस्करों पर दी जाने वाली आधारभूत सीमा शुल्क की छूट, हवाई जहाजों और इनके पुर्जों के रख-रखाव, मरम्मत और ओवर हाल के पुर्जों और परीक्षण उपस्करों पर भी लागू होगी।

VII. पर्यावरण संरक्षण

- 1) हाइब्रिड तथा इलेक्ट्रानिक वाहनों के निर्माताओं को आपूर्ति के लिए लीथियम आयन बैटरी पैक्स के निर्माण के क्रम में लीथियम आयन आटोमोटिव बैटरी को आधारभूत सीमा शुल्क से पूरी छूट दी गई है।
- 2) इलेक्ट्रानिक और हाइब्रिड वाहनों के विशिष्ट पुर्जों पर छूट (बीसीडी शून्य, सीवीडी 6% और एसएडी शून्य) की समयावधि 2 वर्ष और अर्थात् 31 मार्च, 2015 तक बढ़ा दी गई है।

VIII. वस्त्र

- 1) सभी ग्रेडों के कच्चे रेशम (थोन नहीं) पर आधारभूत सीमा शुल्क 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है।
- 2) वस्त्र मशीनरी और इसके पुर्जों पर आधारभूत सीमा शुल्क 7.5% से कम करके 5% कर दिया गया है।

IX. इलेक्ट्रानिक/ हार्डवेयर

- 1) टी.वी. के सेट टॉप बाक्स पर आधारभूत सीमा शुल्क 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है।

X. खेलकूद

- 1) खेलकूद और युवा मामले विभाग अथवा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसी खेलकूद निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेलकूद संघ द्वारा भारत में किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए आयात की गई ट्राफी पर आधारभूत सीमा शुल्क तथा अतिरिक्त सीमा शुल्क में पूरी छूट दे दी गई है।
- 2) राष्ट्रीय डोपिंग निरोधी अभिकरण द्वारा आयातित डोपिंग निरोधी और डोप जांच के संबंध में विशिष्ट डोपिंग निरोधी और डोप जांच उपस्कर पर आधारभूत सीमा शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क से पूरी छूट दी गई है।

XI. स्वास्थ्य

- 1) एड्स, टी.वी. और मलेरिया पर काबू पाने के लिए वैश्विक निधि द्वारा वित्त पोषित संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग, नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आयातित विशिष्ट वस्तुओं को आधारभूत सीमा शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क से पूरी छूट दी गई है।

XII. विविध

- 1) हवाई जहाज और इसके पुर्जों, सोयाबीन तेल, जैतून के तेल इत्यादि शिक्षा अधिकार और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अधिभार से दी गई छूट वापस ले ली गई है।
- 2) किसी और अवयव से मिश्रित नहीं किए गए मेहंदी के पाउडर अथवा पेस्ट को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी गई है।
- 3) भारत मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार के अंतर्गत मलेशिया से आयात की जाने वाली विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में अत्यधिक टैरिफ रियायत का प्रावधान किया गया है।
- 4) भारत-आशियान मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत म्यांमार से हिल्सा मछली के आयात पर 5% की शुल्क की रियायत दी गई है।

9.4.2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
9.4.2.1 शुल्क की दरों में परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव
I. कृषि/ एग्रो प्रोसेसिंग/ प्लांटेशन सेक्टर

- 1) टापियोका सागो के उत्पादन के लिए तथा उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले टापियोका सागो (साबूदाना) और साबूदाना स्टार्च पर उत्पाद शुल्क की पूरी छूट दी गई है।
- 2) किसी और अवयव के साथ बिना मिले हुए मेहंदी के पाउडर अथवा पेस्ट पर उत्पाद शुल्क की पूरी छूट दी गई है।
- 3) शक्कर पर उत्पाद शुल्क 12% से कम करके 2% (बिना सेनवेट) तथा 6% (सेनवेट के साथ) कर दिया गया है।

II. ऑटोमोबाइल्स :

- 1) एस.यू.वी. पर उत्पाद शुल्क 27% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है।
- 2) ट्रक की चेसिस (87060042) पर उत्पाद शुल्क 14% से कम करके 13% कर दिया गया है।

III. धातु

- 1) जिंक/ शीशा स्मैल्टिंग से निर्मित चाँदी पर 4% उत्पाद शुल्क लगाया जाता है।
- 2) जंग रहित इस्पात "पट्टा पट्टी" पर कम्पाउन्डिड उदग्रहण 30000 रुपये प्रति मशीन प्रति माह से बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति मशीन प्रति माह कर दिया गया है।

- यह स्पष्ट किया जाता है कि हस्तशिल्प अथवा बर्तनों में प्रयोग होने वाली मद (ट्रिम्ड अथवा अनट्रिम्ड अथवा तांबे के गोले जिन पर इस समय 3500 रुपये प्रति मीट्रिक टन उत्पाद शुल्क लगाया जाता है इसमें पीतल सहित तांबा और तांबे की मिश्र धातु शामिल है।

IV. एयर क्राफ्ट और शिप

- जहाजों और अन्य यानों पर उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दे दी गई है। परिणाम स्वरूप इन जहाजों और यानों के आयात किए जाने के समय इन पर कोई सी.वी.डी. नहीं लगेगी।
- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय शिपयार्ड निर्माता जहाज और यान को आपूर्ति किए जाने वाले इस्पात [सी.ई.टी.एच. 8901, 8902, 8904, 8905 (8905, 20 उप शीर्ष को छोड़कर) अथवा 8906 को कतिपय शर्तों के पूरा होने के अध्यक्षीन उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दे दी गई है।

V. वस्त्र

- हस्त निर्मित कालीन और कालीन तथा अन्य, वस्त्र के बने कालीन जो नारियल अथवा जूट के बने हों, चाहे वे हस्त निर्मित हों अथवा नहीं, पर उत्पाद शुल्क की पूरी छूट दी गई है।
- ब्रान्डेड, रेडीमेड कपड़ों और बने बनाए कपड़ों के संबंध में बजट 2011-12 से पूर्व की स्थिति के अनुसार "शून्य उत्पाद शुल्क" का प्रावधान किया गया है। "शून्य उत्पाद शुल्क", मौजूदा उपलब्ध सेनवेट के अतिरिक्त है।

VI. स्वास्थ्य

- आयुर्वेद की ब्रान्डेड औषधियां तथा यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक अथवा बायो कैमिक पद्धतियों को अधिकतम खुदरा मूल्य आधारित निर्धारण के अंतर्गत, अधिकतम खुदरा मूल्य के 35% उपशमन के अंतर्गत लाया गया है।
- औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के अंतर्गत परिभाषित, अनुसूची में शामिल औषधियों, जो कि ऐसे परिसर में पुनः मुद्रण पुनः लेबल लगाने, पुनः पैक करने अथवा स्टीकर लगाने के लिए अध्यक्षीन है, जो कि उपर्युक्त औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश में विहित प्रावधानों के अनुक्रम में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी गई है।
- एड्स, टी.बी. और मलेरिया पर नियंत्रण करने के लिए वैश्विक निधि द्वारा वित्त पोषित संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत घरेलू बाजार से खरीदी गई विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क की पूरी छूट का प्रावधान कर दिया गया है।

VII. इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर :

- ऐसे मोबाइल फोन जिनका खुदरा मूल्य 2000 रुपये से अधिक है, पर उत्पाद शुल्क 1% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है।
- हवा चलित बिजली के जनरेटर के रोटर ब्लेड और उनके इन्टरमिडियेट तथा रोटर ब्लेड के पुर्जों तथा उपपुर्जों के निर्माण के लिए अपेक्षित विशिष्ट वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी गई है।

VIII. कीमती धातु

- गोल्ड ओर अथवा कन्सन्ट्रेट अथवा गोल्ड डोर से निर्मित, तोला बार से अतिरिक्त गोल्ड बार पर उत्पाद शुल्क 7% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है।

IX. पूंजीगत वस्तुएं/ आधारभूत संरचना

- बड़ी-बड़ी विद्युत परियोजनाओं के विवरण और क्षमता में परिवर्तन किया गया है तथा इसमें नेयवेली नया ताप विद्युत स्टेशन जोड़ा गया है ताकि उपर्युक्त मेगा पावर प्रोजेक्टों के गठन के लिए अपेक्षित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में छूट दी जा सके।

X. एम.एस.एम.ई. क्षेत्र :

- क्ले ब्रिक्स (सीईटीएच 69010010) तथा रूफिंग टाइल्स (सीईटीएच 69051000) को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी गई है।
- सिरेमिक बिल्ड ब्रिक्स को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी गई है।
- कृषि फसल के अवशिष्ट से निर्मितपार्टिकल/ फाइबर बोर्ड को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी गई है।
- फ्लैटेन्ड बम्बू बोर्ड और बम्बू फ्लोरिंग टाइल्स पर उत्पाद शुल्क को सेनवेट क्रेडिटके बिना 12% से कम करके 2% तथा सेनवेट क्रेडिट के साथ 6% कर दिया है।

XI. विविध

- 65 मिमी. तक की लम्बाई की सिगरेटों को छोड़कर सभी सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क 18% तक बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार सिगार तथा सिगार संबंधी शुल्क भी बढ़ा दिया गया है।
- मार्बल टाइल्स और स्लैब पर उत्पाद शुल्क 30 रुपये प्रति वर्ग मी. से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति वर्ग मी. कर दिया गया है।
- हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में क्षेत्र आधारित छूट योजना के अंतर्गत छूट प्राप्त इकाईयों द्वारा ही निर्मित और प्रयोग की जाने वाली माध्यस्थ वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी गई है।

- 4) अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के आगमन/ प्रस्थान कक्ष में अवस्थित ड्यूटी मुक्त दुकानों पर, भारत में निर्मित वस्तुओं की, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों अथवा कू के सदस्यों को ड्यूटी मुक्त बिक्री करना।
- 5) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अस्पताल के अलावा विभागों तथा प्रयोगशालाओं को, दी जाने वाली आपूर्ति के संबंध में संस्थानाध्यक्ष द्वारा जारी आवश्यकता प्रमाणपत्र के आधार पर तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान विभाग के पास ऐसे विभाग/ प्रयोगशाला के पंजीकरण के अपेक्षा के बिना उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी गई है।

9.4.3 सेवा कर

9.4.3.1 क्षमा योजना

सेवा कर आधार को व्यापक बनाने के क्रम में स्वैच्छिक अनुपालना को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष के दौरान बीसीईएस आरंभ की गई थी। इस योजना के एक हिस्से के रूप में, एक बारी क्षमा, निम्नलिखित के द्वारा दी गई है (i) ब्याज और जुर्माने की माफी करके, और (ii) फाइल करना बंद करने वालों, फाइल नहीं करने वालों और जिन्होंने पंजीकरण नहीं करवाया है अथवा सेवा प्रदाता, जिन्होंने अक्टूबर, 2007- अक्टूबर, 2012 के दौरान दायर अपनी विवरणी में अपनी सच्ची देयता प्रकट नहीं की है को अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान की जाएगी बशर्ते ऐसे व्यक्ति 'देय कर' का भुगतान करते हैं। यह स्कीम 10 मई, 2013 को शुरू हो गई तथा 'देय कर' के संबंध में सूचना 31 दिसंबर, 2013 तक प्राप्त की गई। 65000 व्यक्तियों द्वारा 7500 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। इस प्रकार घोषित घनराशि का 50% हिस्सा 31 दिसम्बर, 2013 वसूल कर तक लिया गया है।

9.4.3.2 अग्रिम निर्णय

निवासी पब्लिक लि. कम्पनियों को दायरे में लाने के लिए अग्रिम निर्णय का दायरा बढ़ाया गया है।

9.4.3.3 भूतलक्षी प्रभाव से छूट

भारतीय रेल द्वारा, 01.10.2012 से पूर्व प्रदान की गई विभिन्न कर योग्य सेवाओं पर उदग्रहणीय सेवा कर की, भूतलक्षी प्रभाव से छूट प्रदान की गई।

9.4.3.4 उप-शमन को युक्ति युक्त बनाना

कर योग्य वस्तुओं की पूर्व कीमत, सभी निर्माणकारी सेवाओं के संबंध में भारित सकल राशि के 25% के रूप में निर्धारित की गई थी जबकि सेवा प्राप्तकर्ता से भारित इस राशि में भूमि की कीमत भी शामिल थी। इस उप-शमन को युक्ति युक्त बनाया गया ताकि हाई इन्ड निर्माणकारी सेवाओं का हिस्सा जो कर योग्य है, सकल राशि का 30% होगा।

9.4.3.5 छूटों की समीक्षा निम्नलिखित छूटों को युक्ति युक्त बनाया गया :-

- सामान्य जनता सेवा के किसी कार्य के क्रम में सेवा प्रदान करने वाले धर्मार्थ संगठनों के लिए छूट की सीमा 25 लाख

रुपये प्रति वर्ष थी। एक अप्रैल, 2013 के पश्चात वे थ्रेसहोल्ड छूट के दायरे में आएंगे।

- (i) वातानुकूलन वाले तथा (ii) शराब परोसने का लाइसेंस प्राप्त रेस्तरां के अलावा अन्य रेस्तरां को प्राप्त छूट को युक्ति युक्त बनाया गया है; 'शराब परोसने के लिए लाइसेंस की शर्त को विलोपित कर दिया गया है। अतः एक अप्रैल, 2013 से वातानुकूलन अथवा सेन्ट्रल एयर हिटिंग रेस्तरां, जो कि स्थापन के किसी भी हिस्से किसी भी समय वर्ष के दौरान थे, पर सेवा कर उद्ग्रहण योग्य है।
- निम्नलिखित छूटों को वापस ले लिया गया है :-
 - (क) अचल सम्पत्ति को किराए पर देकर शिक्षा संस्था द्वारा दी गई सेवा
 - (ख) सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों से संबंधित अस्थायी स्थानांतरण अथवा कापीराइट के प्रयोग अथवा आनन्द लेने की अनुमति को अभी तक पूरी छूट थी। अब इस छूट को, सिनेमा हाल/ थियेटर में सिनेमैटोग्राफ फिल्म के प्रदर्शन तक ही सीमित कर दिया गया है।
 - (ग) सामान्य जनता को वाहन पार्किंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवा।
 - (घ) एयर क्राफ्ट की मरम्मत अथवा रख रखाव के माध्यम से सरकार, स्थानीय प्राधिकारी अथवा सरकारी प्राधिकारी को दी जाने वाली सेवा।

9.4.4 व्यापार को सुकर बनाने वाले उपाय :-

सीबीईसी, अपने नीतिगत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यापार के सरलीकरण और इसको सुकर बनाने के लिए लगातार विधायों और प्रशासनिक दोनों प्रकार के उपाय करता आ रहा है। हाल ही में किए गए कुछ परिवर्तनों में शामिल है :-

9.4.4.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

- स्थगन आवेदनों के लम्बित होने के दौरान पुष्टिगत मांग की वसूली के लिए किए जाने वाले उपायों में एकरूपता तथा निश्चितता लाने के लिए दिनांक 1 जनवरी, 2013 का परिपत्र संख्या 967/01/13-सीएक्स जारी किया गया था।
- अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के आगमन/ प्रस्थान कक्ष में अवस्थित ड्यूटी मुक्त दुकानों पर, भारत में निर्मित वस्तुओं की, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों अथवा कू के सदस्यों को ड्यूटी मुक्त बिक्री करने के लिए दिनांक 30.5.2013 की अधिसूचना संख्या 07-09/2013 सीई (एन.टी.) जारी की गई थी। इन बारे में प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए दिनांक 23 मई, 2013 का परिपत्र संख्या 970/04/2013 सी एक्स जारी किया गया था।
- दिनांक 27.09.2013 की अधिसूचना संख्या 12/2013-सी.ई. (गै.टे.) सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के उप नियम 3 (5क) को संशोधित करने के लिए जारी की गई थी ताकि इस आशय का प्रावधान किया जा सके कि यदि

पूँजीगत वस्तुओं की वेस्ट अथवा स्क्रेप के रूप में निकासी की जाती है तो निर्माता, लेनदेन कीमत पर उदग्रहणीय शुल्क के बराबर धनराशि अदा करेगा। यह 2012 में किए गए कुछ संशोधनों के परिणामस्वरूप हुई व्यापारियों की मुख्य शिकायतों को दूर करेगा।

- दिनांक 22.11.2013 की अधिसूचना संख्या 14/2013-सी.ई. (गै.टे.), केन्द्रीय उत्पाद मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की कीमत का निर्धारण) नियमावली, 2000 के नियम 8, 9 और 10 में संशोधन करने के लिए जारी की गई थी ताकि स्पष्टता लाई जा सके।
- दिनांक 22.11.2003 की अधिसूचना संख्या 15/2003 सी.ई. (गै.टे.), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अनिवार्य ई-भुगतान की थ्रेसहोल्ड सीमा को, एक 1 जनवरी, 2014 से 10 लाख रुपये से कम करके एक लाख रुपये करने के लिए जारी की गई थी।
- दिनांक 08.01.2014 की अधिसूचना संख्या 01/2014 सीई (गै.टे.), सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3 में संशोधन करने के लिए जारी की थी जिससे, शुल्क में छूट चाहने वाला निर्माता, लिए गए सेनवेट क्रेडिट को अथवा ऐसी वस्तुएं जिन पर शुल्क में छूट मांगी गई है, के निर्माण अथवा प्रयोग की गई आगत सेवाओं को वापस कर सके।
- दिनांक 28.02.2014 की अधिसूचना संख्या 8 से 11/2014 सी.ई. (गै.टे.), इसलिए जारी की गई थी कि ऐसे आयातक के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पंजीकरण की अनुमति दी जा सके जो कि ऐसी इनवायस जारी करता है जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया जा सकता है ये अधिसूचनाएं 1.04.2013 से लागू हैं।
- दिनांक 21.03.2014 की अधिसूचना संख्या 13 से 16/2012 सी.ई. (गै.टे.), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त को यह अधिकार देने के लिए जारी की गई थी कि वे निवारक उपाय के रूप में कतिपय मामलों में प्रतिबंध लगा सके। इससे पहले यह अधिकार सदस्य (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) सीबीईसी के पास था। इससे व्यापारी वर्ग की बड़ी शिकायत का निवारण होगा कि प्रतिबंध लगाने वाला अधिकारी, पार्टियों की सुनवाई नहीं कर रहा तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है।
- दिनांक 04 सितम्बर, 2013 का परिपत्र संख्या 973/07/13-सी एक्स यह स्पष्ट करने के लिए जारी किया गया था कि कतिपय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का प्रयोग करने वाली घरेलू निकासी के संबंध में सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) के अंतर्गत धनराशि (लगभग 6%) के भुगतान की कोई आवश्यकतानहीं है। इस स्पष्टीकरण से इन स्क्रिप का प्रयोग कर रहे घरेलू उपभोक्ता के लिए स्वदेशी निर्मित वस्तुओं का निकासी को बढ़ावा मिलेगा।

- दिनांक 17 सितम्बर, 2013 का परिपत्र संख्या 974/08/13 सी एक्स, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अंतर्गत गिरफ्तारी और जमानत संबंधी सख्त दिशा- निर्देश निर्धारित करने के लिए जारी किया गया था ताकि गिरफ्तारी के प्रावधानों के दुरुपयोग को कम से कम किया जा सके।
- दिनांक 12 दिसम्बर, 2013 का परिपत्र संख्या 976/10/13- सीएक्स स्टेटस धारक निर्माता निर्यातकों के लिए नियति वेयर हाऊसिंग के संबंध में, वेयर हाऊसिंग को बढ़ाने तथा बैंक गारंटी के स्थान पर वचन पत्र की स्वीकृति के मुद्दे के बारे में जारी किया गया था।
- दिनांक 7 जनवरी, 2014 का परिपत्र संख्या 978/2/2014-सीएक्स इस लिए जारी किया गया था कि शिक्षा अधिभार और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अधिभार की गणना, ऐसे अधिभार पर नहीं की जानी है जो कि वित्त मंत्रालय के अलावा, मंत्रालयों/ विभागों द्वारा अधिशासित अधिनियमों के अंतर्गत उदग्रहित किए जाते हैं अपितु इन अधिनियमों की शर्तों के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा संग्रहित किए जाते हैं।
- दिनांक 15 जनवरी, 2014 का परिपत्र संख्या 979/03/2014- सीएक्स, मैसर्ज फियट इंडिया लि० के मामले में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29/08/2012 के निर्णय के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कुछ मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए जारी किया गया था। यह फील्ड कार्यालयों द्वारा निर्णय के कार्यान्वयन में एकरूपता लाएगा।
- दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 की अनुदेश संख्या- 267/78/13- सीएक्स 8, यह निदेश देते हुए जारी की गई थी कि निर्धारण अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, धनराशि की वापसी के दावों पर न्याय- निर्णय करते समय सभी आपत्तियों का निपटान कर दें ताकि अनावश्यक विलंब से बचा जा सके।

9.4.4.2 सीमा शुल्क

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की तर्ज पर, इस वर्ष सीमाशुल्क में स्व-मूल्यांकन शुरू किया गया है ताकि प्रक्रियाओं को सरल किया जा सके तथा कारगो निकासी को त्वरित किया जा सके।
- कोरियर वस्तुओं की तेज निकासी के क्रम में, प्राधिकृत कोरियरों का पंजीकरण का प्रावधान करते हुए तथा पूरी की जाने वाली शर्तों को निर्धारित करते हुए कोरियर, आयात और निर्यात (इलैक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रोसेसिंग) विनियमावली, 2010 जारी की गई है।
- आयातकों और निर्यातकों को और सुविधाएं प्रदान करने के लिए पायलट आधार पर पहचाने गए एयर कारगो परिसरों (बेंगलूर, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई) और बंदरगाहों

(चेन्नई, जे एन पी टी, कान्डला और कोलकाता) में एक सितम्बर, 2012 (1.9.2012) से आयात और निर्यात की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए 24X7 सीमा शुल्क निकासी शुरू की है:-

(क) ऐसे मामले जहां जांच और मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है, वहां सुविधाजनक बिल आफ एन्ट्री

(ख) फैक्ट्री से ही भरे हुए निर्यात कन्टेनर और निर्यात कन्साइनमेंट के साथ मुफ्त शिपिंग बिल

यह योजना बाद में अन्य 7 एयर कारगो परिसरों पर शुरू कर दी गई थी जहां ईडीआई सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा सभी निर्यात वस्तुओं को चार हवाई अड्डों (बेंगलूर, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई) पर 24x7 आधार पर निकासी की अनुमति दी गई।

- **निर्यात में आरएमएस एस0 :-** आयात में आरएमएस की तर्ज पर, निर्यात में आरएमएस दिनांक 15.7.2013 से शुरू किया गया। निर्यात में आरएमएस का उद्देश्य था कि कम जोखिम वाली कन्साइनमेंट का, निर्यातकों द्वारा स्व-मूल्यांकन की घोषणा के आधार पर निकासी की जा सके। इससे विभाग सुविधा प्रदान करने के स्तर को बढ़ा सकेगा तथा कारगो निकासी की प्रक्रिया को तेज कर सकेगा। निर्यात कारगो की निकासी को तेज करने से निर्यात आरएमएस, लगने वाले समय को कम करेगा जिससे व्यापार को अन्तर राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी बनाने के लिए लेन-देन लागत को कम करने के वांछित उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकेगा। इस समय आरएमएस (निर्यात) उन 88 स्थानों पर प्रचलन में है जहां ई0 डी0 आई0 कार्य कर रहा है

(ओ0 एन0 सी0 एच0 को छोड़कर)

- **सिंगल विन्डो:** सभी विनियामक अभिकरणों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए व्यापारियों द्वारा इलैक्ट्रानिक घोषण दायर किए जाने के क्रम में एक कामन इन्टरफेस के रूप में सी0बी0ई0सी0 ने सिंगल विन्डो योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। विनियामक अभिकरणों से संगत जानकारी का, सुरक्षित इलैक्ट्रानिक संदेश के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य, लगने वाले समय तथा लेन-देन लागत में कमी लाना तथा परदर्शिता बढ़ाना तथा तकनीकी व्यवहार्यता तथा आई0टी0 आधारभूत संरचना की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के पश्चात आ एफ0एस0एस0ए0आई0 और प्लॉट संगरोध प्राधिकरणों के साथ आई0सी0डी तुगलकाबाद में 30.09.2013 से एक पायलट परियोजना शुरू की गई है जिसमें अभिकरणों के बीच आंकड़ों का आदान-प्रदान किया जाता है।
- **पालतू जानवरों का आयात:-** बोर्ड ने प्राप्त अभ्यावेदनों के मद्देनजर यात्रियों द्वारा दो पालतू जानवरों के आयात की

नीति की पुनः जांच-पड़ताल की है तथा यह निर्णय लिया है कि 15.4.2013 से केवल ऐसे व्यक्तियों को बैगेज के रूप में दो पालतू जानवरों के आयात की अनुमति होगी जो बैगेज नियमावली, 1998 की शर्तों के अनुसार विदेश में दो वर्ष लगातार रहने के पश्चात भारत में अपना घर स्थानांतरण कर रहे हैं, बशर्ते वे अपनी यात्रा शुरू करने के मूल देश से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र तथा संबंधित संगरोध अधिकारी द्वारा उपर्युक्त पालतू जानवरों की जांच-पड़ताल करवाते हैं। जानवरों (पालतू) का आयात, सामान्य तौर पर डी0जी0एफ0टी0 नीति द्वारा अधिशासित होना जारी रहेगा।

- **सीमा शुल्क का अनिवार्य ई-भुगतान:-** यह निर्णय लिया गया है कि एफ्रेडिटिड ग्राहक कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत आयातकों तथा प्रति बिल आफ एन्ट्री एक लाख अथवा इससे अधिक सीमा शुल्क अदा करने वाले आयातकों के लिए 17.09.2012 से शुल्क का ई-भुगतान अनिवार्य कर दिया जाए।
- **प्राधिकृत आर्थिक आपरेटर कार्यक्रम:-** सफलता पूर्वक पायलट कार्यक्रम की जांच करके नवम्बर, 2012 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम एस0ए0एफ0ई0 एफ0ओ0एस0 की तर्ज पर विकसित किया गया है तथा इसका उद्देश्य है- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखना (एक तरफ से दूसरी तरफ तक)। यह योजना ए0ई0ओ0 धारकों को कम जांच-पड़ताल और त्वरित निकासी देकर वरीयता का बर्ताव देती है, बशर्ते कि वे कर की आदयगी की अनुपालना कर रहे हों तथा निर्धारित सुरक्षा मानदंड को पूरा कर रहे हों। अब तक ए0ई0ओ0 कार्यक्रम के अंतर्गत 5 प्राधिकारिताएं प्रदान की गई हैं। भारत ने भी सिंगापुर के साथ ए0ई0ओ0 पारस्परिक मान्यता करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे कार्यक्रम के अंतर्गत उनके द्वारा मान्यता प्राप्त व्यापार में एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे। दक्षिण कोरिया, यू0 एस0 ए0 और ताईवैन के साथ भी एम0आर0ए0 पर विचार किया जा रहा है।
- **टी0आर0सुविधा के अंतर्गत बैगेज के रूप में आयातित हथियारों का निपटान:-** यह निर्णय लिया गया है कि आवास के स्थानांतरण के समय बैगेज के रूप में यात्रियों को हथियार आयात करने की अनुमति दे दी जाए तथा वह आयात के 10 वर्ष पश्चात इसका निपटान करेगा। ऐसे हथियार को ऐसे व्यक्ति के हवाले करना होगा जो हथियार रखने के लिए कानूनी रूप से हकदार हो।

9.4.4.3 सेवा कर:-

- बढ़े हुए कार्य को निपटाने तथा कर निर्धारितियों को अच्छी सेवा देने के लिए मुम्बई में एक नए सेवा कर आयुक्तालय का गठन किया गया है।
- पिछले वित्त वर्ष में सेनवेट क्रेडिट की उपयोगिता द्वारा अदा की गई राशि सहित दस लाख अथवा इससे अधिक राशिके

कुल सेवा कर का भुगतान कर चुके निर्धारितियों के लिए सेवा- कर का ई- भुगतान तथा एसटी0-3 विवरणी की ई-फिलिंग अनिवार्य कर दी गई है।

- सेवाओं की कर देयता, सेवाओं का मूल्यांकन तथा बढ़ी हुई अवधि के मामलों के सिवाय कारण बताओ नोटिस में एक लाख रुपये तक के सेवा कर के मामलों में सेवा कर के न्याय निर्णय का अधिकार अधीक्षकों को दिया गया है।
- सेवाकर विवरणी तैयार की जानी योजना, ऐसे सेवा कर निर्धारितियों के लिए शुरू की गई है जिनके पास अपेक्षित इन-हाउस सुविधा नहीं है।
- कराधान नियमावली के प्वाइन्ट निर्धारित किए गए हैं उस समय प्वाइन्ट निर्धारण किया जा सके जब सेवा दी जानी समझी जाती है ताकि मुकदमेबाजी को कम किया जा सके तथा उदग्रहण को सरल बनाया जा सके।
- **धनराशि की वापसी :** अप्रैल, 2013 से फरवरी, 2014 के दौरान 43767 करोड़ रुपये प्रति अदायगी और धनराशि की वापसी के रूप में वितरित किए गए हैं। पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि की तुलना में चालू वर्ष के दौरान प्रतिअदायगी और धनराशि की वापसी के विवरण में 28.4% वृद्धि देखी गई है।
- **विशेष आर्थिक क्षेत्र-सेवा की वापसी :** विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्राधिकृत कार्यों के कारण उत्पन्न निर्यात वस्तुओं में प्रयोग की किए गए सेवाकर की वापसी की प्रक्रिया, सरलीकृत कर दी गई है। अब इस प्रकार के वापसी योग्य सेवा कर का सेनवेट क्रेडिट के रूप में भी दावा किया जा सकता है।
- **सेनवेट क्रेडिट नियमावली: सरलीकरण :** (i) रिवर्स चार्ज आधार पर लगाए गए कर का सेवा प्रदाता को संचित सेनवेट क्रेडिट की वापसी करना, सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 5 ख के अंतर्गत प्रक्रिया, रक्षोपाय और शर्तों को निर्धारित करते हुए एक विस्तृत अधिसूचना जारी की गई है; (ii) कामन इनपुट सर्विस क्रेडिट की वितरण पद्धति को सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 7 को संशोधित करते हुए सरलीकृत किया गया है। करदाताओं को क्रेडिट के वितरण के लिए प्रत्येक इकाई के लिए प्रतिमाह टर्न ओवर की गणना करने की आवश्यकता नहीं है; इसके अलावा उन इकाईयों का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है जिनके लिए कामन इनपुट सेवाओं का प्रयोग किया जा रहा है।
- **अग्रिम निर्णय :** आवासी पब्लिक लि. कम्पनियों को दायरे में लाना :-
वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 96 क (ख) (iii) के अंतर्गत इस आशय के लिए एक अधिसूचना जारी की जा रही है।

सामाजिक क्षेत्र के हित में छूट :-

- (i) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए अनी जनश्री भीम योजना और आम आदमी भीम योजनाके अंतर्गत जीवन बीमा सेवाएं प्रदान की गई।
- (ii) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा, एनएसडीसी द्वारा अनुमोदित क्षेत्र कौशल परिषद, एक मूल्यांकन अभिकरण तथा एनएसडीसी अथवा एसएससी द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण साझेदार द्वारा दी गई सेवाएं ।
- (iii) बाढ़ प्रभावित उत्तराखण्ड राज्य में होटल उद्योग को 31 मार्च, 2014 तक एक सीमित अवधि की तदर्थ सेवा कर छूट दी गई है।
- (iv) बांध के निर्माण के लिए सुलभ करावाई गई सेवा कर छूट का दायरा, 'सरकारी प्राधिकरण' की परिभाषा को युक्ति युक्त बनावट बढ़ाया गया है।
- (v) स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुरोध पर स्वास्थ्य क्षेत्र को दी जाने वाली सेवा कर की छूट को बढ़ाकर इसमें, स्टेम सेल सुरक्षित रखने के माध्यम से कोई रक्त दान केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली सेवा को शामिल किया गया है।

9.4.5 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

9.4.5.1 सुकर बनाने के उपाय

- i) दिनांक 27.09.2013 की अधिसूचना संख्या 12/2013-सी.ई. (गै.टे.) सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के उप नियम 3 (5क) को संशोधित करने के लिए जारी की गई थी ताकि इस आशय का प्रावधान किया जा सके कि यदि पूंजीगत वस्तुओं की वेस्ट अथवा स्कैप के रूप में निकासी की जाती है तो निर्माता, लेनदेन कीमत पर उदग्रहणीय शुल्क के बराबर धनराशि अदा करेगा। यह 2012 में किए गए कुछ संशोधनों के परिणामस्वरूप हुई व्यापारियों की मुख्य शिकायतों को दूर करेगा।
- ii) दिनांक 22.11.2013 की अधिसूचना संख्या 14/2013-सी.ई. (गै.टे.), केन्द्रीय उत्पाद मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की कीमत का निर्धारण) नियमावली, 2000 के नियम 8, 9 और 10 में संशोधन करने के लिए जारी की गई थी ताकि स्पष्टता लाई जा सके।
- iii) दिनांक 28.02.2014 की अधिसूचना संख्या 8 से 11/2014 सी.ई. (गै.टे.), इसलिए जारी की गई थी कि ऐसे आयातक के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पंजीकरण की अनुमति दी जा सके जो कि ऐसी इनवायस जारी करता है जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया जा सकता है ये अधिसूचनाएं 1.04.2013 से लागू हैं।

- iv) दिनांक 21.03.2014 की अधिसूचना संख्या 13 से 16/2012 सी.ई. (गै.टे.), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त यह अधिकार देने के लिए जारी की गई थी कि वे निवारक उपाय के रूप में कतिपय मामलों में प्रतिबंध लगा सकें। इससे पहले यह अधिकार सदस्य (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) सीबीईसी के पास था। इससे व्यापारी वर्ग की बड़ी शिकायत का निवारण होगा कि प्रतिबंध लगाने वाला अधिकारी, पार्टियों की सुनवाई नहीं कर रहा तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है।
- v) दिनांक 04 सितम्बर, 2013 का परिपत्र संख्या 973/07/13-सी एक्स यह स्पष्ट करने के लिए जारी किया गया था कि कतिपय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का प्रयोग करने वाली घरेलू निकासी के संबंध में सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) के अंतर्गत धनराशि (लगभग 6S) के भुगतान की कोई आवश्यकता नहीं है। इस स्पष्टीकरण से इन स्क्रिप्ट का प्रयोग कर रहे घरेलू उपभोक्ता के लिए स्वदेशी निर्मित वस्तुओं का निकासी को बढ़ावा मिलेगा।
- vi) दिनांक 12 दिसम्बर, 2013 का परिपत्र संख्या 976/10/13- सीएक्स स्टेटस धारक निर्माता निर्यातकों के लिए नियति वेयर हाऊसिंग के संबंध में, वेयर हाऊसिंग को बढ़ाने तथा बैंक गारंटी के स्थान पर वचन पत्र की स्वीकृति के मुद्दे के बारे में जारी किया गया था।
- vii) दिनांक 7 जनवरी, 2014 का परिपत्र संख्या 978/2/2014-सीएक्स इस लिए जारी किया गया था कि शिक्षा अधिभार और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अधिभार की गणना, ऐसे अधिभार पर नहीं की जानी है जो कि वित्त मंत्रालय के अलावा, मंत्रालयों/ विभागों द्वारा अधिशासित अधिनियमों के अंतर्गत उदग्रहित किए जाते हैं अपितु इन अधिनियमों की शर्तों के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा संग्रहित किए जाते हैं।
- (viii) मैसर्स फिएट इंडिया लिमिटेड के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय दिनांक 29/08/2012 के निर्णय से उद्भूत कतिपय मुद्दों के स्पष्टीकरण हेतु परिपत्र सं. 979/03/2014-सी एक्स, दिनांक 15 जनवरी, 2014 जारी किया गया था। यह क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निर्णय के कार्यान्वयन में एक रूपता को लाएगा।

9.4.5.2. अन्य उपाय

- i. अधिसूचना सं. 07-09/2013 सी ई (एनटी) दिनांक 30/05/2013 को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डों पर स्थित शुल्क मुक्त दुकानों पर अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों और दलकर्मियों के सदस्यों को भारत में निर्मित सामान की शुल्क मुक्त बिक्री किए जाने हेतु जारी किया गया था। परिपत्र सं. 970/04/13 सी एक्स, दिनांक 23 मई, 2013 को इस संबंध में प्रक्रिया विनिर्धारण हेतु जारी किया गया था।

- ii. अधिसूचना सं. 15/2013 सी ई (एन टी) दिनांक 22/11/2013 को 01 जनवरी, 2014 से प्रभावी 10 लाख रुपए की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अनिवार्य ई-अदायगी हेतु अन्तिम सीमा को 1 लाख रुपए तक कम किए जाने के लिए जारी किया था।
- iii. परिपत्र सं. 974/08/13-सी एक्स, दिनांक 17 सितम्बर, 2013 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत हिरासत और जमानत हेतु कठोर दिशा-निर्देश विनिर्धारण हेतु जारी किया गया था ताकि बंदी प्रावधानों के दुरुपयोग को न्यूनतम किया जाए।

9.4.6. सीमा शुल्क

9.4.6.1. सीमा शुल्क व्यापार सुविधा उपाए

राजस्व विभाग ने हाल ही में व्यापार सुविधा हेतु अनेक कदम उठाए हैं।

9.4.6.2. स्व-मूल्यांकन

वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा आयातकों अथवा निर्यातकों द्वारा सीमा शुल्क ड्यूटी का स्व मूल्यांकन की शुरुआत की गई थी। यह स्व मूल्यांकन की प्रणाली आधारित किसी न्यास हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन से बदलाव का उदाहरण है। इसका उद्देश्य आयातित/ निर्यात सामान के निर्गम को त्वरित बनाना है। सही उदघोषणाओं और ड्यूटी भुगतान सुनिश्चय के अनुसार राजस्व का ब्याज एक इलेक्ट्रॉनिक जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आर एम एस) द्वारा सुनिश्चित किया जाता है जो कि मूल्यांकन अथवा जांच अथवा दोनों हेतु जोखिम भरे समनुदेशनों की पहचान करता है। यह किसी आयातक अथवा निर्यातक के परिसरों पर एक समग्र लेखा परीक्षा द्वारा समर्थित है। स्व मूल्यांकन को अंतरण की एक तत्काल परिणाम क्रमशः 60%, 50% और 40% से 80%, 70% और 60% तक हवाई समुद्री और जमीनी कंटेर डिपो (आईसीडीएस) के माध्यम से आयातित समनुदेशनों के प्रसुविधा स्तर में बढ़ोतरी है। इस प्रकार, आयातित सामान की सामान्यतः बहुलता बिना सीमा शुल्क मध्यस्थता अनापत्ति अनुमत होगी। स्व मूल्यांकन एक प्रमुख व्यापार प्रसुविधा उपाए है जो सीमा शुल्क और संगठित लेन-देन लागतों के माध्यम से आयातित/निर्यात सामानों को अनापत्ति हेतु लिए गए समय में महत्वपूर्ण ह्रास को परिणत होगा।

9.4.6.3. यथा स्थल पोस्ट अनापत्ति लेखा परीक्षा (ओ एस पी सी ई) योजना

‘यथा स्थल पोस्ट अनापत्ति लेखा परीक्षा’ (ओ एस पी सी ए) को सीमा शुल्क के अंतर्गत पंजीकृत आयातकों के मामले में 1 अक्टूबर, 2011 से लागू किया गया है। इससे विनिर्दिष्ट आयातकों को सुविधा हुई जिन्हें अब सीमा शुल्क सदनों पर उनके दस्तावेज लेखा परीक्षित कराना नहीं होता है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान, ओ एस पी सी ए के अन्तर्गत 215 एककों की लेखा परीक्षा संचालित की गई जो 120.61 करोड़ रुपए के कम उदग्रहण का पता लगाने में परिणत हुआ जिसमें से 2.91 करोड़ रुपए की वसूली हुई।

9.4.6.4. प्राधिकृत आर्थिक संचालक (ए ई ओ) कार्यक्रम

यह कार्यक्रम निम्नलिखित लाभों की प्राप्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल व्यवसायों को समर्थ बनाने के लिए विकसित किया गया है:

- निर्यात से आयात के बिन्दु से आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा;
- विदेशी आयातकों/निर्यातकों को आपूर्ति हेतु जब संविदित किया जाता है तो सुरक्षा मानकों के अनुपालन प्रदर्शन की योग्यता;
- एम आर ए (परस्पर पहचान समझौता) सहभागी देशों में सीमा अनापत्ति विशेषाधिकार को बढ़ाना;
- किसी सुरक्षा संबंधी विघटन के पश्चात माल के प्रवाह में मामूली विघटन;
- विचारण समझ और संबंधित लागतों में कमी; और
- सीमा शुल्क सलाह/सहायता यदि ऐसे देशों जिनके साथ हमारा एम आर ए है के सीमा शुल्क के साथ व्यापार अनयोजित मुद्दों का सामना करता है।

ए ई ओ कार्यक्रम आर्थिक संचालकों जैसे कि आयातकों निर्यातकों, संभारतंत्र, सीमा शुल्क सदन अभिकर्ता जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है, पर लागू है।

एईओ कार्यक्रमों को अन्य सीमा शुल्क प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया गया है जो ए ई ओ हैसियत प्राप्तकर्ताओं को कम की गई जांच, त्वरित अनापत्तियों और अन्य परिलाभों के अनुसरण में अधिमान सीमा शुल्क व्यवहार देता है। इस प्रकार, हमारा ए ई ओ कार्यक्रम इन सीमा शुल्क प्रशासनों के साथ परस्पर पहचान समझौतों (एमआरए) में परिणत होना अपेक्षित है। एम आर एज विदेश में प्रवेश के बिन्दु पर हमारे निर्यात सामान को उचित सीमा शुल्क प्रसुविधा मिलना सुनिश्चित करेगा। आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा किए जाने के अलावा, इन परिलाभों में विचारण समय व्यवसाय करने में परिणामी लागत में कमी शामिल है। एईओ कार्यक्रम को 16.11.2012 से रोलआउट किया गया है। भारतीय सीमा शुल्क और हॉग-कॉग सीमा शुल्क ने नवम्बर, 2013 में व्यापार के पारस्परिक लाभों हेतु उनके संबंधित ए ई ओ कार्यक्रमों की पहचान हेतु 'आपसी पहचान समझौता' हस्ताक्षरित किया है। वित्त वर्ष 2013-14 के अंत में ए ई ओ प्रमाणित हस्तियों की संख्या पांच है।

9.4.6.5. भारतीय सीमा शुल्क ई डी आई गेटवे:

आईसीईजीएटीई 19 श्रेणियों के सांस्थानिक/ व्यापार भागीदारों और अन्य सरकारी अभिकरणों जैसे पतन प्राधिकरणों (आईपीए), संरक्षकों (समुद्र वायु और आईसीडीएस), बैंकों, एयरलाइन्स, पोत परिवहन- लाइन्स, आयतको/ निर्यातकों, सी एच ए एस, पी आर, सी सी ए, डी जी एफ टी, इस्पात मंत्रालय, आर बी आई, डी जी ओ वी, डी जी सी आई एंड एस, सी ओ एन सी ओ आर ई, सी आर आई एस आदि के साथ 127 से अधिक ई डी आई संदेशों के माध्यम से विशाल व्यापार डाटा विनिमय करता है। आई सी ई जी ए टी ई की

दूरस्थ ई डी आई प्रणालियां न केवल दस्तावेज को भरने और ट्रैकिंग प्रणाली, के संबंध में इन सभी व्यापार/ सांस्थानिक पार्टर्स की दर पर सेवाएं प्रदान करता है, अपितु, यह अनापत्ति हेतु दस्तावेज के प्रक्रम के दौरान अथवा प्रतिअदायगी की संस्वीकृति हेतु सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हेतु उनके परिसरों से सेवाएं भी प्रदान करता है। इससे आयातकों/ निर्यातकों की लेन-देन की लागत और उत्पादन/ आपूर्तिकर्ताओं की माल-सूची लागत महत्वपूर्ण रूप से घटी है। लगभग 8 लाख आयातक/ निर्यातक और सीएचएज 11 लाख से अधिक दस्तावेज (एसबी/बीई/आईजीएम/ईजीएम/सीजीएम) दर्ज किए जाने, 50 लाख मामलों से अधिक में प्रश्नों के उत्तर, अयातक/सीएचएज को 4 मिलियन से अधिक प्रथम प्रिंट फाइल्स भेजने और वार्षिक रूप में 9 मिलियन से अधिक पावतियों के लिए आरईएस सेवाओं का प्रयोग कर रहे हैं। ई-गेटवे के माध्यम से सीमाशुल्क अदायगी ने ईडीआई के कुल पारेषण के 99 प्रतिशत है। आईसीईजीएटीई पोर्टल ने दस्तावेज ट्रैकिंग और दस्तोवज फाइलिंग सर्वर के कारण 3 बिलियन से अधिक वार्षिक हिट्स प्राप्त किए थे। यह प्रयोक्ताओं हेतु 24x7x365 हेल्पडेस्क और एप्लीकेशन को समर्थन प्रदान करता है। आईसीईजीएटीई के माध्यम से बैंकों को प्रेषित स्क्रोलस के माध्यम से 18000 करोड़ से अधिक पारितोषण (निर्यात के कारण प्रतिअदायगी और सेवा कर वापसी) संवितरित किए गए हैं।

आरएमएस और आईसीईएस 1.5 आवेदनों ने जोखिम प्रबंधन प्रणाली को उन्नत किया है और आयात के लगभग 65 प्रतिशत और निर्यात के 90 प्रतिशत समनुदेशनों में प्रणाली आकलन प्रक्रिया को आर एम एस के माध्यम से प्रसुविधित किया गया है। इसके अलावा, यह सीमा शुल्क द्वारा प्रवर्तित अन्य कानून और सांविधि के संबंध में अनिवार्य अनुपालन अपेक्षा या प्रावधान करता है। 89 सीमा शुल्क से अधिक पर आरएमएस कार्यान्वयन के कारण सीमा शुल्क निकासी का वसन समय घटा है और विधि का प्रवर्तन इस में बिना मानव दखल के कड़ा किया गया है।

9.4.6.6 सीमा शुल्क अधिकारियों की 24 x 7 तैनाती

24 x 7 सीमा शुल्क अनापत्ति प्रक्रिया आयात/निर्यात की निम्नलिखित श्रेणियों हेतु चुनिंदा पत्तनों (चैन्नै, कोलकाता जे एन पी टी, कांडला) और हवाई अड्डा (चैन्नै, मुम्बई, दिल्ली और बंगलोर) पर प्रायोगिक आधार पर 1.09.2012 से प्रारंभ की गई है:

(क) प्रवेश के प्रसुविधित बिल जहां कोई जांच और मूल्यांकन अपेक्षित नहीं है; और

(ख) फ्री शिपिंग बिलों द्वारा अविष्ट फैक्टरी स्टफ्ड एक्सपोर्ट कंटेनर्स और निर्यात समनुदेशन

24 x 7 सीमा शुल्क अनापत्ति प्रसुविधाओं को ईडीआई प्रसुविधा वाले 17 एयर कार्गो को और आगे विस्तारित किया गया था। इसके अलावा, चूंकि और आगे व्यापार प्रसुविधा उपाए, 24 x 7 अनापत्ति प्रसुविधा को चैन्नै, मुम्बई, दिल्ली और बंगलौर स्थित एयर कार्गो परिसरों पर सभी प्रकार के निर्यात माल हेतु विस्तारित किया गया था।

9.4.6.7. निर्यातों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आर एम एस)

सीबीईसी ने 88 सीमा शुल्क स्थलों जहां भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणालियां परिचालित हैं, में निर्यात में जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आर एम एस) की शुरुआत की है। निर्यातों में आर एम एस मुख्य व्यापार प्रसुविधा उपाए और महत्वपूर्ण व्यवसाय प्रक्रिया है जो विभाग की पुनः प्रबंधन पहल है। निर्यातों में आर एम एस निर्यातकों द्वारा उदघोषणाओं के स्व मूल्यांकन पर आधारित स्पष्ट किए जाने वाले कम जोखिम समनुदेशनों को समर्थ बनाएगा। इससे प्रसुविधा के स्तर को बढ़ाने और कार्गो निकासी की प्रक्रिया को गति देने में विभाग समर्थ बनेगा। अनुवर्ती निर्यात कार्गो की निकासी को शीघ्रता द्वारा, निर्यातों हेतु आर एम एस वसन समय में कमी करने हेतु योगदान देगा, जिससे व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्रतियोगी बनाने के क्रम में लेन-देन लागत में कमी का वांछित उद्देश्य प्राप्त होगा।

9.4.6.8 पारस्परिक सीमा शुल्क वेबसाइट

सीमा शुल्क ड्यूटी की प्रभावी दर सुनिश्चय के साथ अन्य नियामक अभिकरणों की अपेक्षाओं हेतु आयातकों अथवा निर्यातकों को समर्थ बनाने के लिए सीमा शुल्क ने एक परस्पर प्रयोक्ता अनुकूल सीमा शुल्क वेबसाइट विकसित की है।

9.4.7. सेवा कर

- 2013-14 बजट में सेवाकर सैद्धांतिक अनुपालन प्रोत्साहन स्कीम कहलाने वाली एक स्कीम शुरू की गई थी। यह 01.10.2007 से 31.12.2012 की अवधि के लिए उनके कर बकायों की घोषणा हेतु निर्धारिती के लिए एक बारगी सर्वक्षमा स्कीम थी और जिसे दो किश्तों में अदा किया जाना था। कर बकायों का कम से कम 50 प्रतिशत 31.12.2013 तक अदा किया जाना था और शेष 30.06.2014 तक। 30.06.2014 से 31.12.2014 तक के बाद भुगतान पर ब्याज लगेगा। ऐसा करने से उदघोषक को दण्ड, ब्याज और अन्य कार्यवाहियों से मुक्ति मिलेगी।
- निम्नलिखित निर्धारिती वीसीईएस स्कीम, 2013 का लाभ उठाने के पात्र नहीं थे।
 - (i) निर्धारिती जिनके द्वारा विवरणी दाखिल की गई और सही दायित्व का प्रकटन किया गया किन्तु इसके पूर्ण अथवा अंश में ऐसे दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है,
 - (ii) निर्धारिती जिसको धारा 72, 73 अथवा 73क के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया;
 - (iii) निर्धारिती जिसके विरुद्ध 1 मार्च, 2013 को मौजूद स्थिति के अनुसार जांच/अन्वेषण शुरू नहीं किया गया था अथवा लम्बित है;
 - (iv) निर्धारिती जिसके विरुद्ध 1 मार्च, 2013 को मौजूद स्थिति के अनुसार वित्त विधेयक, 1994 के अध्याय-V के प्रावधानों के अन्तर्गत लेखा परीक्षा शुरू की गई है;

- अनंतिम आंकड़े के अनुसार 66062 आवेदन इस स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त किए गए थे और 3961.51 करोड़ रूपए का संग्रह किया या था।

9.5 प्रतिअदायगी प्रभाग**9.5.1 प्रतिअदायगी प्रभाग के कार्य निम्नानुसार हैं:**

- i शुल्क प्रतिअदायगी की अखिल औद्योगिक दरों का नियतन;
- ii क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रतिअदायगी की स्वीकृति और संवितरण की निगरानी; और
- iii. सभी निर्यात संवर्धन (ईपी) स्कीमों, उनकी संचालनात्मकता और निगरानी (सिवाए एसईजेड, ईओयू और हीरे और जवाहरात स्कीमें जिनकी डीजीईपी द्वारा निगरानी की जा रही है), के पर डीजीएफटी के साथ सम्पर्क।

9.5.2. वर्ष के दौरान उपलब्धियां:

01.11.2012 से 31.10.2013 तक की अवधि के दौरान प्रतिअदायगी विभाग द्वारा किया गया मुख्य कार्य।

9.5.3. विदेश व्यापार नीति:

- (क) उत्प्रेरक का आयात अधिसूचना सं. 3/2013- सीमाशुल्क दिनांक 13.02.2013 द्वारा ईपीसीजी प्राधिकरण के अंतर्गत अनुमत था।
- (ख) विशाखापत्तनम हवाईअड्डा और कत्तूपल्ली (तमिलनाडु) पतन क्रमशः अधिसूचना सं. 4/2013- सीमा शुल्क 14.02.2013 और अधिसूचना सं. 20/2013- सीमाशुल्क दिनांक 03.04.2013 द्वारा निर्यात संवर्धन सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में हवाई अड्डे/ पत्तनों को सूची में शामिल किया गया था।
- (ग) दो अधिसूचनाओं सं. 5/2013-सीमा शुल्क और 6/2013-सीमाशुल्क दोनों दिनांक 18.02.2013 को विदेश व्यापार नीति(एपीटीपी) के अध्याय-5 के अन्तर्गत पश्च निर्यात ईपीसीजी शुल्क क्रेडिट स्कीम के कार्यान्वयन हेतु जारी किया गया।
- (घ) दो अधिसूचना सं. 2/2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और 3/2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दोनों दिनांक 18.02.2013 को छूट अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट निबंधनों के अध्यधीन, पावती-पत्र में केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के नामें जमा द्वारा, घरेलू निर्माताओं से सामान की प्राप्ति किए जाने हेतु शुल्क नामे विकास पावती-पत्रों (एफटीपी के अध्याय-5 के अन्तर्गत पश्च निर्यात ईपीसीजी शुल्क नामे निकास स्कीम के अन्तर्गत मंजूर) के प्रयोग हेतु समर्थ बनाने के लिए जारी किया था।
- (ड.) ईपीसीजी स्कीमों के संबंध में बैंक गारंटी के निष्पादन हेतु मानकों में परिपत्र सं. 8/2013 दिनांक 04.03.2013 द्वारा छूट दी गई थी।

(च) विदेश व्यापार नीति 2009-14 हेतु वार्षिक अनुपूरक 2013-14 को 18 अप्रैल, 2013 को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया था और अधिसूचना सं. 21/2013-सीमा शुल्क, 22/2013-सीमा शुल्क, 23/2013-सीमा शुल्क, 24/2013-सीमा शुल्क, 14/2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 15/2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 6/2013-सेवाकर, 7/2013-सेवाकर, 8/2013-सेवाकर, सभी दिनांक 18.4.2013, 17/2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और 29/2013- सीमा शुल्क, दोनों दिनांक 16.5.2013, 32/2013-सीमा शुल्क, 21/2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और 11/2013-सेवा कर, सभी दिनांक 13.6.2013 और अधिसूचना सं. 46/2013-सीमा शुल्क दिनांक 26.09.2013 द्वारा बदलावों को लागू किया गया था। कार्यान्वित बदलावों में निम्नलिखित हैं:-

- (i) सभी सेक्टरों के लिए एक एकल शून्य शुल्क ईपीसीजी स्कीम अधिसूचित की गई थी। इसने शून्य और 3 प्रतिशत शुल्क की पूर्व दो ईपीसीजी स्कीमों को युक्तिसंगत और सुमेलित किया। 'निर्यात बाध्यता' की परिभाषा को अधिक कठोर बनाया गया है। जम्मू और कश्मीर में एककों को कमतर किए गए विशिष्ट ई ओ जैसे उत्तर-पूर्व राज्यों और सिक्किम इकाइयों को अनुमत किया गया है। एक साथ टीयूएस और एकल शून्य शुल्क ईपीसीजी पाने पर बाध्यताओं को समाप्त किया गया है। परिणामस्वरूप, एक एकल निर्यात पर्यन्त ईपीसीजी शुल्क नामे निकास पावती पत्र स्कीम को भी अधिसूचित किया गया था। इसमें, आयात के समय नकद में सभी शुल्क अदा किए गए हैं और मूल शुल्क पूरी की गई निर्यात बाध्यता के अनुपात में एक शुल्क नामे निकास पावती-पत्र के रूप में माफी के रूप में मंजूर किया गया है;
- (ii) शुल्क क्रेडिट पावतीपत्रों का प्रयोग जो 2013-14 के लिए वार्षिक आधार पर वेतनवृद्धि निर्यात पारितोषण स्कीम के अन्तर्गत जारी किया जाएगा (फोकस मार्केट स्कीम का एक प्रकार) को फोकस स्कीम में संशोधन द्वारा अधिसूचित किया गया था;
- (iii) मुक्त पारेषण पारितोषण पावती-पत्र (एफ एम एस, एफ पी एस, वी के जी यू वाई) को सेवाओं के प्रापण पर सेवा कर की अदायगी हेतु उपयोग के लिए समर्थ बनाया गया था;
- (iv) होटल और पर्यटन उद्योग के लिए वाणिज्यिक रूप से पंजीकृत पर्यटन वाहनों के रूप में कारों के आयात, आदि को भारत स्कीम (एस एफ आई एस) से सर्वड पावती पत्र के प्रयोग के अन्तर्गत लाया गया था और इसे ईपीसीजी स्कीम से हटाया गया था।
- (v) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण के अन्तर्गत प्रतिपाटन शुल्क और सुरक्षा शुल्क से छूट को मात्र वास्तविक प्रयोक्ता के मामले में लागू किया गया था।

(vi) भारत से सर्व स्कीम के अंतर्गत, शुल्क क्रेडिट पावती-पत्रों, ऐसे सेवा प्रदाता के मामले में जो विनिर्माण गतिविधि में भी संलग्न है, इसके विनिर्माण संबंधी सेक्टर व्यवसाय से संबंधित अतिरिक्त सामग्री सहित पूंजीगत माल के आयात को कतिपय निबंधनों के अधधीन, अनुमत किया गया है।

(vii) हैसियत धारकों को जारी कृषि अवसंरचना प्रोत्साहन पावती-पत्र (एआईआईएस) के मामले में, किसी समर्थनकर्ता निर्माता को पावती-पत्र की हस्तांतरणीयता कतिपय निबंधनों के अधधीन अनुमत की गई है।

(viii) हैसियत धारकों को जारी हैसियत धारक प्रोत्साहन पावती-पत्र के अन्तर्गत, शुल्क क्रेडिट पावती-पत्र की स्थानांतरणीयता कतिपय निबंधनों के अधधीन, समूह कम्पनी जो एक निर्माता है, के भीतर अनुमत किया गया है।

(ix) 1992-1997 से 2004-2009 की पोलिसी अवधि हेतु अग्रिम विज्ञप्तियों, डीईईसी, अग्रिम प्राधिकरणों, डीएफआईए और ईपीसीजी स्कीमों से संबंधित 36 अधिसूचनाओं को डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित ईओ में बकाया के मामलों को बंद किए जाने के विकल्प को कार्यान्वित किए जाने के लिए संशोधित किया गया।

(छ) विदेशी डाक कार्यालय, नई दिल्ली को अधिसूचना सं. 38/2013-सीमा शुल्क दिनांक 26.07.2013 द्वारा निर्यात संवर्धन सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में निर्यात पत्तन के रूप में शामिल किया गया था।

9.5.4 प्रतिअदायगी अनुसूची

शुल्क प्रतिअदायगी अनुसूची 2013-14 की समस्त औद्योगिक दरों को अधिसूचना सं. 98/2013-सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 14.09.2013 द्वारा 21.09.2013 से अधिसूचित किया गया है। अनुसूची की मुख्य विशेषताएं हैं:-

- (क) पूर्व के डीईपीबी मदों के समावेशन से पूर्व प्रतिअदायगी अनुसूची के अन्तर्गत पहले से अवविष्ट अनेक मदों पर शुल्क प्रतिअदायगी की अखिल औद्योगिक दर (एआईआर) को घटाया गया है और कुछ मदों जैसे सोना और चांदी जवाहरात, रेशमी तागा, रेशमी कपड़ा, रेशमी वस्त्र और बने बनाए कपड़े, लकड़ी की नक्काशी का सामान आदि पर बढ़ाया गया है। 1 प्रतिशत (संघटन) और 0.3 प्रतिशत (सीमा शुल्क) का अवशिष्ट ए आई आर अध्याय- 4, 15, 22, अध्याय 24 में कुछ मदों और अध्याय 35 में केसीन और इसके व्युत्पन्नों के अन्तर्गत अब तक शून्य दर की मदों हेतु प्रावधान किया गया है। एक आई आर सोना/ चांदी के जेवरात पर यथा लागू सामान निबंधनों के अधधीन चांदी के सामान (चांदी का सामान बनाने वाले) हेतु भी प्रावधान किया गया है तथा उक्त अधिसूचना के नोट और निबंधनों (22)/(23) में भी संगतता होगी।

- (ख) टैरिफ मद सं. 22071090 के अन्तर्गत ईथेनॉल/ ई एनए हेतु प्रावधान की गई निर्दिष्ट दर यथा मूल्य 1 प्रतिशत (समायोजित) और 0.3 प्रतिशत (सीमा शुल्क) तक बदली गई है। यथा मूल्य दरों का अध्याय-37 की कतिपय मदों और अध्याय- 71 के नकली जेवरात हेतु प्रावधान किया गया है।
- (ग) यद्यपि, 1 प्रतिशत यथा मूल्य (समायोजित) और 0.3 प्रतिशत (सीमा शुल्क) की विद्यमान अवशिष्ट दर जारी है, उच्चतर अवशिष्ट दरें 1.5 प्रतिशत से 1.3 प्रतिशत (सीमा शुल्क) अथवा 2 प्रतिशत से 1.7 प्रतिशत (सीमा शुल्क) तक, जो भी मामला हो, घटाई गई हैं।
- (घ) पूर्व की डीईपीबी स्कीम से प्रतिदायगी अनुसूची में समावेशित मदों पर, दरों को साधने की प्रक्रिया इन दरों को युक्तिसंगत बनाए जाने के साथ जारी है। सामान्य रूप में, इन मदों पर ए आई आर को कुछ लागू अवशिष्ट दरों सहित घटाया गया है। अध्याय 84, 85 अथवा 93 के कतिपय इलैक्ट्रॉनिक सामान के मामले में, अवशिष्ट दर की 1 प्रतिशत (सीमा शुल्क) का प्रावधान किया गया है।
- (ङ.) 2 प्रतिशत से अधिक अखिल औद्योगिक दरों के यथा मूल्य सहित अधिकांश टैरिफ मदों के मामले में दरें प्रतिअदायगी कैप्स के साथ अनुपूरक की गई हैं।
- (च) पृथक टैरिफ प्रविष्टियां सूती थेलों, धूसर और रंगे हुए बुने सूती वस्त्र, एम एम एफ के, संमिश्रण के जहां सूत प्रबल होता है और संमिश्रण के जहां एमएम एफ प्रबल होता है, सफेद और रंगे हुए लाइक्रा सहित सूती वस्त्र, महिलाओं/ कन्याओं के टाप्स, एमएमएफ के कड़ाई किए वस्त्र, शीशे के बनावटी जेवरात, बहुगति गियर हब्स के साथ पूर्ण बाई साईकिल, एल्यूमीनियम से बने क्रैंकस, एकल गति चेन पहिया और क्रैन्क (एल्यूमीनियम के बने क्रैन्क), पोली-फिल/ पोलीफील से भरे तकिए/ कुशन/ रजाइयां/ पुफल्स, आदि के लिए सृजित की गई हैं। विभिन्न चार अंकों के स्तरों के अन्तर्गत समान दरों और कैप्स के साथ कुछ टैरिफ मदों को प्रतिस्थापित किया गया है और कतिपय टैरिफ मदों का वर्णन वर्गीकृत मुद्रों के सम्बोधन हेतु सुधारा गया है।
- (छ) शुल्क प्रतिअदायगी के ए आई आर में दूध, दुग्ध उत्पादों, छेना और इसके व्युत्पन्न और गेहू से निकला ए आई आर का प्रावधान किया गया है।

9.5.5 प्रतिअदायगी से संबद्ध अन्य पहलु

9.5.6 अनुदेश दिनांक 11.10.2013 द्वारा अनंतिम ब्रांड दर की मंजूरी संबंधी फार्म एफ सं. 609/110/2005-डीबीके द्वारा जारी किए गए बोर्ड के अनुदेश दिनांक 26.08.2005 को दोहराया गया था और सात दिन की एक समय-सीमा यदि दावा प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 7 के अन्तर्गत की गई हो, तो अनंतिम ब्रांड दर पत्रक के जारी किए जाने हेतु नियत की गई थी।

9.6. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क सहकारिता

9.6.1. सीमा शुल्क मामलों में परस्पर प्रशासनिक सहयोग पर भारतीय गणतंत्र और मलेशिया सरकार के बीच समझौते का एक ज्ञापन भारत और मलेशिया के सीमा शुल्क प्रशासनों के मध्य हस्ताक्षरित किया गया था।

9.6.2. सीमा शुल्क मामलों में परस्पर सहायता और सहयोग पर भारत गणराज्य और टर्की सरकार के मध्य एक समझौते पर भारत और टर्की के सीमा शुल्क प्रशासनों के मध्य हस्ताक्षर किया गया था।

9.6.3. सीमा शुल्क मामलों में परस्पर प्रशासनिक सहायता और सीमा शुल्क सहायोग पर आस्ट्रेलिया सीमा शुल्क सेवा और सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड के बीच समझौते के ज्ञापन में संशोधन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

9.6.4. इन समझौतों/ एम ओ यूज़ ने निवारण, जांच और सीमा शुल्क अपराधों से लड़ने के लिए, सीमा शुल्क प्रशासनों के बीच सूचना के लेन-देन हेतु सुविधा और एक विधिक आधार का प्रावधान किया।

9.6.5. भारत और ताइपे के बीच अस्थायी शुल्क- मुक्त माल- प्रशासन के लिए कारनेट प्रणाली के प्रयोग को समर्थ बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

9.6.6. आयातित माल के साथ बराबरी पर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में शुल्क मुक्त दुकानों के माध्यम से स्वदेशी माल की बिक्री।

9.6.7. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के डाक के माध्यम से माल के पुनः निर्यात हेतु अनुमत किए जाने के लिए उपयुक्त संशोधन किया गया है, जो परिवहन के किसी भी ढंग द्वारा पूर्व में आयातित कर, गोदाम में रखे गए थे। निर्यात संवर्धन पुरस्कार स्कीम्स के अन्तर्गत डाक के माध्यम से निर्यातों को अनुमत किए जाने हेतु एक स्कीम चालू की गई है।

9.7 लोक लेखा समिति

9.7.1. चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, श्रेणी क, ख और घ के 234 प्रारूप लेखा परीक्षा पैरे (डीएपी) (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय से प्राप्त हुए

9.7.2. इनमें से, क श्रेणी कि 44 डी ए पीज़ और घ श्रेणी के 04 पर मंत्रालय की टिप्पणियां भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को भेज दी गई हैं। जबकि ख श्रेणी के 46 डीएपीज़ का निपटान हो गया है। 23 लेखा परीक्षा पैरों में से, 17 लेखा परीक्षा पैरों पर की गई कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय को भेजा गया है। लेखा परीक्षा को भेजी गई 17 की गई कार्रवाई टिप्पणी में से, 7 लेखा परीक्षा पैरे पहले ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ व्यवस्थित कर लिए गए हैं। गैर- चालू अनुपालन लेखा परीक्षा पैरा में से एक भी इस कार्यालय में लम्बित नहीं है।

9.7.3. निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2013 की सं. 09 (सेवाओं के आयातों पर सेवा कर का उदग्रहण और संग्रह) 13.08.2013 को

संसद में रखा गया था। इस कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर मंत्रालय की, की गई कार्रवाई टिप्पणी को 3.12.2013 को लेखा परीक्षा को भेजा गया है।

9.7.4. लोक लेखा समिति (2013-14) की उपलेखा परीक्षा पैरों से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सिविल मंत्रालयों पर अनुवर्तन विषय की जांच हेतु संस्थापित किया गया था जो विस्तृत जांच हेतु पीएसी द्वारा चयनित नहीं थी। उप समिति ने वर्ष 2013-14 के दौरान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के गैर-चयनित पैराग्राफों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियों की समय पर प्रस्तुति द्वारा मंत्रालयों/ विभागों द्वारा गैर-अनुपालन की जांच को शुरू किया था। मंत्रालय के उपर्युक्त पर विस्तृत पृष्ठभूमि टिप्पणी (डीबीएन) को 30.10.2013 को लोक सभा सचिवालय में भेजा गया था।

9.7.5 इसके आगे, यह बताया जा सकता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा व्यवस्थित/ एटीएन के अनंतिमकरण के पश्चात, इसे सचिवों की समिति के निदेश पर वर्ष के दौरान नियमित रूप से निगरानी प्रकोष्ठ के पोर्टल में अपलोड किया जा रहा है।

9.8 तस्करी रोधी यूनिट

9.8.1 सीमाशुल्क अपवंचन एवं जालसाजी का पता लगाने एवं रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय शुरू किए गए हैं:

- (क) भारत ने आसूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने तथा सीमाशुल्क अपवंचन रोकने में अन्वेषणात्मक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न देशों के साथ सीमाशुल्क परस्पर सहायता करार, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
- (ख) सीमाशुल्क प्रवासी नेटवर्क (सीओआईएन) आपत्तिजनक माल की जब्ती में सुविधा प्रदान करने तथा सीमाशुल्क के अपवंचन का पता लगाने के लिए व्यवहार्य आसूचना प्रदान करता है।
- (ग) राष्ट्रीय आयात डेटाबेस (एनआईडीबी) का प्रयोग आयातित माल के कम मूल्यांकन का पता लगाने में सहायता करता है, जिसे सीमाशुल्क से जुड़ी वाणिज्यिक धोखाधड़ियों के लिए अक्सर प्रयुक्त मार्ग के रूप में सूचित किया गया है।
- (घ) आसूचना के विकास तथा वृहत स्तरीय निविष्टियों के वृहत स्तरीय व्यवहार्य आसूचना में विश्लेषण के लिए आसूचना सहायता प्रणाली (आईएनएस) प्रदाता। इस प्रणाली से वाणिज्यिक धोखाधड़ी एवं सीमाशुल्क अपवंचन का पता चलता है।
- (ङ) नई कार्य प्रणाली के बारे में सूचनाओं के प्रसार के निमित्त, डीआरआई अलर्ट परिपत्र जारी करके स्वयं द्वारा बुक किए गए महत्वपूर्ण मामलों का ब्यौरा साझा करता है। ये अलर्ट परिपत्र सीमाशुल्क अपवंचन का पता लगाने में क्षेत्रीय संरचनाओं के लिए उपयोगी उपकरण के रूप में काम करते हैं। जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क में संधान के लिए भी इन अलर्ट परिपत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्रीय

कार्यालय तथा राजस्व आसूचना विभाग सूचना/ आसूचना तथा मामलों का ब्यौरा सीधे अन्य अभिकरणों के साथ बांटते हैं तथा केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो को तथा क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना काउंसिल की बैठकों को भी सूचित करते हैं।

- (घ) विभाग अन्य हवाई अड्डों पर मुद्रा उद्घोषणा प्रपत्र अपलिकेशन को ऑन लाइन प्राप्त करने तथा उसके कार्यन्वयन हेतु संबंधित हवाई अड्डों के साथ समन्वय करता आ रहा है:-
 - (i) यह अपलिकेशन (नामत: मुद्रा उद्घोषणा प्रपत्र अथवा सी डी एम) बंगलौर, कोचिन, हैदराबाद, मुम्बई, दिल्ली तथा चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कार्यान्वित कर दी गई है।
 - (ii) यह अपलिकेशन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों या यात्रियों के आगमन तथा निगमन के समय उनके द्वारा उद्घोषित मुद्रा के विवरण के ब्यौरे के ट्रांसमिशन को सुलभ बनाती है।
 - (iii) उपर्युक्त सीडीएम अपलिकेशन डी आर आई एम यू आई आदि जैसे विभागों को इन आंकड़ों का ट्रांसमिशन सुलभ बनाता है।
 - (vi) सीडीएम के कार्यकलापों हेतु एक नई अपलिकेशन विकसित की गई है तथा यू ए टी (यूजर एक्सपर्टेंस टेस्टिंग) का प्रथम राउंड पूरा कर लिया गया है।
 - (v) संगत मार्ग निर्देशों के साथ आईसीएस अपलिकेशन के भीतर उपभोक्ता को एक माड्यूल के रूप में यह अपलिकेशन शीघ्र दी उपलब्ध करा दी जाएगी।
- छ. गृह मंत्रालय द्वारा एक आधुनिक यात्री सूचना प्रणाली बनाई गई है। बी ओ एल/ एमएचएडीजी(प्रणाली) तथा सीबीईसी के अधिकारियों के बीच संयुक्त रूप से परामर्श किया गया तथा तदनुसार दिल्ली हवाई अड्डे पर बी ओ एल के स्वीच तथा सीमा शुल्क पीसी भी स्थापित किया गया। सी बी ई सी के लिए यह ए पी आई एस अपलिकेशन बी ओ एल में एन आई सी की टीम द्वारा विकसित की जा रही है। इसमें डी आर आई द्वारा 'लूक आऊट' परिपत्र के संबंध में आंकड़े होंगे सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जांच हेतु 'संदेहास्पद' यात्रियों से संबंधित आंकड़े डी आर आई द्वारा यात्रियों की जोखिम नियमों के आधार पर प्रोफाइलिंग होगी तथा स्थानीय स्तर पर अधिकारियों द्वारा टार्गेट की अंतर्स्थापना सुलभ होगी। एन आईजी (बीओएल) ने इस सॉफ्टवेयर को विकसित किया है तथा इस अन्य भागों को पूरा करने की प्रक्रिया में है। एन आई सी द्वारा विकसित एपीआईएस अपलिकेशन को आईजी आई हवाई अड्डों पर लगे पीसी में इंस्टॉल का दिया गया है तथा उसका निरीक्षण चल रहा है। संशोधनों तथा निरीक्षक के पश्चात इस अपलिकेशन को जनवरी, 2013 तक प्रारंभ करने की संभावना है।

9.8.2 तस्करी रोकथाम उपकरणों की प्राप्ति

- (क) स्थायी एक्स-रे स्कैनर्स : मंत्रालय ने मुम्बई, चेन्नई, कांडला और तूतीकोरिन पर 4 विकसित एक्स-रे जांच प्रणालियों को स्थापन और संचालन हेतु स्वीकृत किया है। चार स्थायी एक्स-रे स्कैनर्स को पत्तन-वार आपूर्ति, विनिर्माण, संचालन हेतु मार्च से जून, 2014 तक पूरा किया जाना अपेक्षित है।
- (ख) मोबाइल गामा रे स्कैनर्स: मंत्रालय ने कांडला, चेन्नई और तूतीकोरिन पर 3 चल रहे गामा रे स्कैनर्स का स्थापन और संचालन स्वीकृत किया है। दिनांक 2014 तक इनके पूरा हो जाने की अपेक्षा है।
- (ग) मुख्य पत्तन जैसे नहवा शेवा, कोचीन और मुंद्रा पत्तन पर प्रति घण्टा लगभग 120 कंटेनरों के उच्चतर थ्रूपुट वाले (रोड) कंटेनर स्कैनर्स के माध्यम से – तीन अभियान की तैनाती हेतु एक प्रस्ताव और नहवा शेवा के गेटवे पर एक पायलट रेल स्कैनर विचाराधीन है।
- (घ) 109 नए जल-यानों का अर्जन :- विभाग ने अपने सांविधिक कार्यकरण अर्थात् देश की समुद्री सीमाओं के चारों ओर शस्त्रों, गोला-बारूद, विस्फोटकों और मादक द्रव्यों आदि सहित निषिद्ध सामान की गतिविधि की रोकथाम/संसूचना के निर्वहन में विभाग को समर्थ बनाने के लिए विद्यमान पुराने यानों के बदलाव में 109 नए युग के जल-यानों का अर्जन किया है। यानों की विभिन्न श्रेणियों की तैनाती संबंधी अवस्थिति निम्नानुसार है:-
- श्रेणी I यान : सभी 24 यान मुम्बई (03), गोवा (02), मंगलौर (03), कोचीन (04), पुणे (रत्नागिरी) (02) और एक यान अहमदाबाद (उमरगांव), जामनगर (ओखा), कांडला, विजाग, चेन्नई, त्रिची (तूतीकोरिन), आयुक्तालय में तैनात किए गए हैं।
 - श्रेणी II यान : श्रेणी II के सभी 22 यान मुम्बई, जामनगर, अहमदाबाद, पुणे आयुक्तालय (रत्नागिरी), मंगलौर, गोवा, कांडला, चेन्नई और कोलकाता में तैनात किए गए हैं।
 - श्रेणी III ए और III बी यान: सभी 63 यान (श्रेणी III ए में 3 यान और श्रेणी III बी में 33 यान) मुम्बई (07), गोवा (02), मंगलौर (02), पुणे (04), कोचीन (04), अहमदाबाद (02), जामनगर (02), कांडला (02), चेन्नई (03), विशाखापत्तनम (01), विशाखापत्तनम-रूस (02), गुंटूर (01), त्रिची (10),

कोलकाता (10), भुवनेश्वर (02), पटना (03) और शिलांग (06) संख्या में तैनात किए गए हैं।

- (ड.) हाई एनर्जी एक्सरे कार्गो/पैलेट स्कैनर्स (एचईएक्सएस):- सीबीईसी ने जम्मू और कश्मीर में भारत-पाक सीमा पर सलामाबाद और चकन-दा-बाद पर व्यापार सूचना सुविधा केंद्रों में स्थापन हेतु चार हाई एनर्जी एक्स-रे कार्गो निरीक्षण प्रणालियां/पैलेट स्कैनर्स की प्राप्ति अनुमोदित की है।
- (च) 87 एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणालियों (एक्सबीआईएसएस) की प्राप्ति:- 87 एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणालियों की खरीद हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है और इन्हें सीमा शुल्क स्थलों जैसे कि हवाई अड्डों, हवाई कार्गो परिसरों, समुद्री पत्तनों/आईसीडीएस, एलसीएसएस, एफपीओएस और सीएसएसएस/यूबी केंद्रों में उनकी तैनाती हेतु प्राप्त किया गया है। 76 अतिरिक्त नए युग के एक्सबीआईएस हेतु कार्यालयों की अपेक्षाएं जीएनआईटी के अंतर्गत लागू किया जाना प्रारंभ किए जाने हेतु अनुमोदन के अधीन है।
- (छ) कैरेट मीटर:- ड्यूटी ड्रा बैक स्कीम के अंतर्गत सोने और चांदी जेवरात के निर्यात हेतु विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क भवनों (हवाई कार्गो परिसरों) पर स्थापन के लिए ड्रा बैक स्कीम के अंतर्गत सोने और चांदी की शुद्धता के मूल्यांकन हेतु 18 कैरेट मीटरों की प्राप्ति किए जाने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गई है, निविदा दस्तावेज तैयार किया गया है और इसे विधीक्षा विधि मंत्रालय को भेजा गया है। इन उपकरणों को संभवतः अगले वित्त वर्ष में तैनात किया जाना है।

9.8.3 डी आर आई का तस्करी विरोधी कार्य निष्पादन और आयुक्ताय एक नजर में:- डीआरआई और क्षेत्रीय कार्यालयों का तस्करी विरोधी कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है। इसमें की गई जप्तियों और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गए व्यक्तियों के ब्यौरे शामिल हैं।

स्पष्ट तस्करी दृष्टिकोण से, पूर्व में पहचाने गए मामलों के आधार पर तस्करी हेतु प्रणत संवेदनशील माल में स्वापक औषधी और मनः प्रभावी पदार्थ, सोना, एफआईसीएन, रेड सेंडर्स, मैमोरी कार्ड्स आदि शामिल है। वाणिज्यिक धोखों के अनुसार अपसरण को प्रणत मुख्य माल सुपारी, पुर्जे और अनुषंगी, नॉन एडिबल क्रूड पामॉयल, आयरन ओर कंसन्ट्रेट, हवाईजहाज, सिगरेट, ओजोन डेप्लीटिंग सबस्टेन्सेज (आर-22 गैस), कपड़े और अनुषंगी आदि हैं।

तस्कर विरोधी निष्पादन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य की मर्दे	2011-12		2012-13		2013-14 (दिसंबर 2013 तक)	
		नम्बर	वैल्यू/ड्यूटी	नम्बर	वैल्यू/ड्यूटी	नम्बर	वैल्यू/ड्यूटी
1	जब्ती	25537	4522.89	28317	3079.43	7561	25535.71
	सोना	486	46.43	871	99.34	299	6237.37
	स्वापक	480	1711.93	470	969.15	113	13726.45
	एफआईसीएन(अंकित मूल्य)	25	2.64	21	2.23	00	00
	अन्य	23797	728.37	26375	386.24	7149	5571.89
	वाणिज्यिक घोखाधड़ी	749	2033.52	580	1622.47	112	31107.79
2	वाणिज्यिक घोखाधड़ी के खोजे गए मामले	5333	2198.20	5390	5970.38	864	17812.76
	अल्पमूल्यन	558	498.84	1961	320.2	71	647.42
	गलत घोषणा	1386	913.32	1217	2673.12	240	5737.93
	डीईसी/ अग्रिम ई- लाइसेंस योजना का दुरुपयोग	6	14.02	11	139.99	1	18.78
	डीईपीबी योजना का दुरुपयोग	59	25.42	18	22.94	0	0
	ईपीसीजी योजना का दुरुपयोग	30	82.41	25	231.85	2	373.32
	ईओयू/ईपीजेड/ एसईजेड योजना का दुरुपयोग	9	9.88	9	44.13	1	6.13
	शुल्क वापसी योजना का दुरुपयोग	138	31.06	175	825.82	38	3575.16
	अंतिम प्रयोग तथा अन्य अधिसूचनाओं का दुरुपयोग	104	343.34	220	1609.92	67	1363.48
	अन्य	3043	279.91	1754	102.41	482	9665.70
3	वसूला गया शुल्क	6243	610.63	6757	1603.52	976	4656.96
4	गिरफ्तार व्यक्ति	597		575		231	
5	निरुद्ध व्यक्ति	35		28		5	

9.9 विवाद संकल्प-वाद नीति

9.9.1 राष्ट्रीय वाद नीति की लय पर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क ने सम्पूर्ण वाद प्रक्रिया को कुशल बनाने और व्यवसाय प्रक्रियाओं को एक सार करने के लिए मुख्य पहलें की हैं ताकि विनिर्दिष्ट अंतिम सीमाओं के नीचे की राजस्व धनराशियों में शामिल मामलों में विवाद न कर, वाद की मात्रा में कमी की जाए। सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को बोर्ड द्वारा विस्तृत अनुदेश और दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिसमें अधिकरण, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में विभाग द्वारा अपील के दायर किए जाने हेतु अन्तिम सीमा का वर्णन है। इस प्रकार, अधिकरण में दायर किए जाने हेतु कोई अपील सामान्य रूप से अपेक्षित नहीं है यदि समाविष्ट राजस्व 1 लाख रुपए या उससे कम का हो। इसी रूप में, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय हेतु अन्तिम सीमाएं अब क्रमशः 2 लाख रुपए और 5 लाख रुपए निर्धारित की गई है।

9.9.2 अधिकरण की एक सदस्यीय खण्डपीठ की शक्तियों की अभिवृद्धि

बजट 2013 में, 50 लाख रुपए तक की धनराशि के मामलों की सुनवाई/ निपटान किए जाने हेतु अधिकरण की एक सदस्यीय खंडपीठ की शक्तियों को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और वित्त अधिनियम, 1994 में विधायी संशोधन को आकार दिया गया था। पूर्व में यह सीमा 10 लाख रुपए थी। अधिकरण में लम्बित मामलों के त्वरित निपटान में शीघ्रता लाने की इसमें आशा की गई है।

9.9.3 अधिकरण की 6 नई शाखाओं का सर्जन

सरकार ने नवम्बर, 2013 में चंडीगढ़, इलाहाबाद और हैदराबाद में नए स्थलों पर प्रत्येक में एक और दिल्ली, मुम्बई और चेन्नै प्रत्येक में एक छः अतिरिक्त शाखाओं के सर्जन का अनुमोदन किया है। इन नई शाखाओं को बनाने का कार्य जारी है।

9.9.4 विभिन्न एफ ओ आर ए में लम्बित मामलों का विवरण

31.12.2013 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की समख्या (रु. करोड़ में)

क्र. सं.	अपीलीय मंच	विभागीय अपीलों की कुल सं.	विभागीय अपीलों में शामिल कुल धनराशि	पक्षों की अपीलों की कुल संख्या	पक्षों की अपीलों में शामिल कुल धनराशि	अपीलों की कुल योग संख्या (डी जमा पी)	शामिल कुल योग धनराशि
1	उच्चतम न्यायालय	2061	7378.59	1143	2858.84	3204	10237.43
2	उच्च न्यायालय	6772	6990.27	7743	8741.70	14515	15731.97
3	सीईएसटीएटी	19908	16278.14	47667	92591.18	67575	108869.32
	कुल	28741	30647	56553	104191.72	85294	134838.72
4	आयुक्त अपील	4112	861	31320	8101.77	35432	8962.77
	कुल योग (1+2+3+4)	32853	31508	87873	112293.49	120726	143801.49

9.9.5 विभागीय एसएलपीज़ में कार्यनिष्पादन/ उपलब्धियों के बारे में सूचना

वर्ष	एसएलपी		
	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	दायर एसएलपी की संख्या	उच्च न्यायालय के स्वीकृत आदेशों वाले मामलों की संख्या
2005- 06	171	100	71
2006- 07	317	220	97
2007-08	303	185	118
2008-09	360	343	17
2009-10	387	331	56
2005- 06	171	100	71

9.10 प्रचार-प्रसार

(क) वर्ष (1 अप्रैल-31 दिसम्बर, 2013) के दौरान हुए प्रमुख कार्य कलाप और उपलब्धियां:

9.10.1 प्रचार प्रसार

करदाता शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं, प्रावधानों एवं संशोधनों को प्रचारित करने तथा करदाताओं में स्वैच्छिक अनुपालन की संस्कृति पैदा करने के लिए निदेशालय ने अंग्रेजी, हिंदी तथा प्रमुख क्षेत्रीय खंडों में भारी मल्टी मीडिया अभियान चलाये।

9.10.2 मुद्रण मीडिया: विज्ञापन- समाचार-पत्र

विभाग ने सेवा कर स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन स्कीम, 2013 (वसीईएस) शुरू की है जिसमें लम्बित बकायों (1 अक्टूबर, 2007 से 31 दिसम्बर, 2012 की अवधि) की सच्ची उदघोषणा पर ब्याज, दण्डों आदि से सेवाकर निर्धारितियों को मुक्ति का प्रावधान किया गया जिसके तहत दो किस्तों प्रथम, 31 दिसम्बर, 2013 से पूर्व कम से कम आधार बकायों और बिना ब्याज के 30 जून, 2014 तक शेष आधे बकाया अथवा 1 जुलाई, 2014 से आगे बिना ब्याज के 31 दिसम्बर, 2014 तक, बकाया सेवा कर के भुगतान हेतु उन्हें अवसर प्रदान किया गया।

माननीय वित्त मंत्रालय के निदेशों के अंतर्गत, निदेशालय को सेवा कर निर्धारितियों की सूचना और मार्गदर्शन हेतु स्कीम के वृहत्तर प्रचार-प्रसार हेतु समनुदित किया गया था। निदेशालय को सर्जनों के उत्पादनों और अभियानों के निर्गमन के प्रति लोक शीर्ष के अन्तर्गत 45.42 करोड़ की तर्ज पर अतिरिक्त निधियों का आबंटन किया गया था।

निदेशालय ने इस उद्देश्य हेतु और आगे समग्र 3600 मल्टी-मीडिया रणनीति की योजना बनाई है। मंत्रालय के निदेशों के अनुसार, इस अवधि के दौरान मुद्रण मीडिया के माध्यम से 80 से 85 विज्ञापनों से अधिक के निर्गमन में उच्च दर्जे के अभियान को शामिल किया गया था।

वीसीईएस से पृथक, अन्य स्कीमों और स्पष्टीकरणों अर्थात् प्राधिकृत आर्थिक संचालक कार्यक्रम पर 'एईओ', सीबीईसी की सीमा शुल्क व्यवसाय भागीदारी स्थापन के प्रति मुख्य पहलें; सेवा प्राप्तकर्ताओं द्वारा सेवाकर की अदायगी पर विपरीत प्रभार; सेवाकर विवरणियों को दायर किए जाने हेतु अंतिम/ विस्तारित तिथियों पर अभियान चलाए गए थे।

मीडिया ने अखिल भारतीय आधार पर अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय प्रखण्डों को इन अभियानों में समाविष्ट करने की योजना बनाई।

9.10.3 विज्ञापन- पत्रिकाएं

निदेशालय ने वीसीईएस पर अभियान की पहुंच को विस्तार दिए जाने हेतु अन्य मुद्रण मीडिया विकल्पों का प्रयोग किया। विज्ञापनों को ख्यातिप्राप्त सामान्य श्रेणी और सेवा क्षेत्र के विशिष्ट पत्रिकाओं अर्थात् रेल बंधु; एयरपोर्ट्स इंडिया, बिजनेस टुडे; बिजनेस इंडिया; कंपिटिशन सक्सेस रिव्यू; बिजनेस वर्ल्ड; इंडिया टुडे; डिस्कवर इंडिया; इनसाइड आउटसाइड; ऑटो कार इंडिया; आऊटलुक; आऊटलुक बिजनेस; आउटलुक मनी; प्रतियोगिता दर्पण; चित्रलेखा; शुभयात्रा, जेट विंग (इन फ्लाइट) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जनरल; आऊटलुक ट्रेवलर; एफ एच आर ए आई, कार्गो टॉक; पी सी क्वेस्ट; विवाह; सी आर ईएडीआई; सोसायटी अंटीरियर; ट्रव टॉक; हेयर एंड ब्यूटी; स्मार्ट फोटोग्राफी; गुड होम्स; लोन्ली प्लेनेट; फ्रैन्चाइज इंडिया; इमेजेस बिजनेस आफ फैशन; इमेजेस रिटेल; गृह सुन्दरी; द वीक; ट्रेवल एंड लेजर; आदि में दिए गए थे।

9.10.4 इलैक्ट्रानिक मीडिया: वीसीईएस पर

निदेशालय ने प्रसार हेतु वीसीईएस, 2013 पर तीन 35 सेकेण्डर टीवी कमर्शियल (टाइटल्स) 'वीसीसीईएस-1'; 'वीसीईएस-II (पिता-पुत्री)'; 'वीसीईएस-III)' प्रस्तुत और पेश किया।

बाद में, मंत्रालय के निदेशों के अनुसरण में, संबद्ध अवधि के दौरान निदेशालय ने टी वी सीज़ ('इरफान लाडू'; 'विनय-अंजान'; 'विनय लापरवाही'; 'इज्जत' ; और 'नाम' (भी 40-सेकेण्डर्स) और 'स्कूल'; ब्यूटी सैलून; 'फादर एंड सन'; और 'ड्राईवर' (सभी 45- सेकेण्डर्स) प्रस्तुत किए।

मीडिया ने इन टीवीसीज़ हेतु बड़े हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा समाचारों / बिजनेस न्यूज चैनल्स, लोक सभा टीवी, डीडी न्यूज, डीडी नेशनल, आदि को समाविष्ट करने की योजना बनाई।

9.10.5 बाहरी/ विविध मीडिया:

रेडियो: रेडियों स्पॉटस 'वीसीईएस-I', 'वीसीईएस-II' और 'वीसीईएस-III' 'नामुमकिन' (45- सेकेण्डर्स) और सेवाकर वीसीईएस पर ('कम-ऑन (40-सेकेण्डर्स)) को निदेशालय द्वारा इस अवधि पर प्रस्तुत किया गया और देश भर में महत्वपूर्ण केन्द्रों को आविष्ट करने वाली बड़ी एफ एम रेडियों फ्रीक्वेंसीज हेतु रखा गया था।

आउटडोर्स: इस अवधि के दौरान चक्रानुक्रम आधार पर वीसीईएस के प्रावधानों के प्रचार-प्रसार हेतु उच्च दृश्यता क्षेत्रों जैसे हवाईअड्डे, रेलवे स्टेशनों, कामर्शियल हब्स, मार्केट प्लेसेज, परिसरों आदि हेतु डिजिटल मीडिया (3600 एलईडीज़), हार्डिंग्स, बस क्यू शेल्टर्स, मास्टर पोल्स, अंडरपास होर्डिंग्स, यूनीपोल्स, आदि के माध्यम से अभियानों को प्रस्तुत किया गया था।

इंटरनेट: सेवा कर स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन स्कीम, 2013 पर मॉन्सटर बैनर्स/ मोमपेज विज्ञापनों/ टीवी कमर्शियल्स को

इस अवधि के दौरान लोकप्रिय वेबसाइट्स अर्थात् . *economictimes.com; moneycontrol.com; yahoo.co.in; divyabhaskar.com; jagran.com; oneindia.com; bhaskar.com; crickbuzz.com; crickinfo.com; and taxindiaonline.com* पर नियमित अंतरात पर प्रस्तुत किया गया था।

एसएमएस अभियान: सेवा कर भरे जाने की अंतिम/विस्तारित तिथि/यों पर किए गए थे और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियां भी भरी गई थीं।

9.10.6 प्रकाशन (1 अप्रैल, 2013 से 31 दिसम्बर, 2013)

निदेशालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड और अन्य अधिकारियों के आदेश से निम्नलिखित प्रकाशनों को लाया;

9.10.7 करदाताओं के सूचना प्रकाशन

- (i) एक सूचनाप्रद पुस्तिका 'शुल्क प्रतिअदायगी, 2013-14' (सीबीईसी)
- (ii) एक सूचनाप्रद पैम्फलेट 'भारतीय सीमा शुल्क द्वारा बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के उपाय' (सीबीईसी)
- (iii) डी जी प्रणालियां, नई दिल्ली के आदेश पर 'सुरक्षित, 2013' एक सूचनाप्रद पुस्तिका।
- (iv) डीजी निरीक्षण, नई दिल्ली हेतु 'प्राधिकृत आर्थिक संचालक कार्यक्रम ' पर सूचनाप्रद इश्टिहार।
- (v) 'प्राधिकृत आर्थिक संचालन कार्यक्रम पर एक सूचनाप्रद पर्णक (सीबीईसी)।
- (vi) सेवाकर स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन स्कीम, 2013 पर पुस्तिका।
- (vii) स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन स्कीम (सीसीईएस) पर प्लायर्स को सीबीईसी, नई दिल्ली के आदेश पर छापा गया था।
- (viii) डीजी सुरक्षोपाय, नई दिल्ली के आदेश पर 'सुरक्षोपाय' पर एक सूचनाप्रद पुस्तिका।
- (ix) विधि कार्य निदेशालय, नई दिल्ली के आदेश पर 'अपीलीय मंचों में वाद पर मानक संचालन प्रक्रिया' पुस्तिका।

9.10.8 विभागीय प्रकाशन

- (i) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर अधिसूचनाओं परिपत्रों और प्रशासनिक आदेशों वाली 'सीबीईसी डाईजेस्ट' के मासिक प्रकाशन।
- (ii) विधि कार्य निदेशालय, नई दिल्ली की ओर से 'विधि यात्रा' ।

- (iii) डीजी लेखा परीक्षा, नई दिल्ली की ओर से 'सेवा कर लेखा परीक्षा पुस्तिका, 2011'।
- (iv) डीजी लेखा परीक्षा, नई दिल्ली की ओर से 'गुणवत्ता विश्वसनीयता समीक्षा- 2007 हेतु पुस्तिका'।
- (v) 'सीमा शुल्क ऑन साइट- पोस्ट- निकासी लेखा परीक्षा- 2011 हेतु पुस्तिका' डीजी लेखा परीक्षा, नई दिल्ली।
- (vi) 'कम्प्यूटर समर्थित लेखा परीक्षा कार्यक्रम सीएएपी पुस्तिका- 2009' (डीजी लेखा परीक्षा, नई दिल्ली)।
- (vii) मासिक 'ईसीएस विधि रिपोर्टर वाल्यू- II, सं. 1 और 2' 2013 (सीईएसटीएटी, नई दिल्ली)।
- (viii) मासिक पुस्तिका 'लेखा परीक्षा बुलेटिन' फरवरी और मार्च, 2013 (डीजी लेखा परीक्षा, नई दिल्ली)।
- (ix) 'अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं. 2010-11 का 24 और 2011-12 का 31 (सीबीईसी)
- (x) 'परिसम्पत्ति पंजीयक, 2013' (डीजी एचआरडी, नई दिल्ली)।
- (xi) 'सीमा शुल्क पुस्तिका, 2013' सीबीईसी के आदेश पर छापी गई थी।
- (xii) सीमा शुल्क टैरिफ और संबद्ध मामले 5 -6 जून, 2013 पर सीमा शुल्क का सी सी सम्मेलन' पुस्तिका को सीबीईसी के आदेश पर छापा गया था।
- (xiii) '17-18 जुलाई, 2013 को सीसीई और सेवाकर की सीसी/डीजी' सूचनाप्रद पुस्तिका को सीबीईसी के आदेश पर छापा गया था।
- (xiv) सीबीईसी के आदेश पर 'सीसी सम्मेलन 17-18 जुलाई, 2013' पर एक विवरणिका।
- (xv) 'सीईएसटीएटी और विधि न्यायालयों के समक्ष केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर में अपवंचन मामलों के संबंध में पारित अधिनिर्णयन आदेशों के स्थायित्व में सुधार' पर एक विवरणिका को सीईएसटीएटी, नई दिल्ली के आदेश पर छापा गया था।
- (xvi) राजस्व आसूचना निदेशालय की कॉफी टेबल बुक को 9 दिसम्बर, 2013 को जारी किया गया।
- (xvii) सम्पर्क- 2014 (टेलिफोन डायरेक्टरी)
- (xviii) मिनी सम्पर्क

9.10.9 मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

- (i) 'वार्षिक रिपोर्ट 2011-12 (डीजी सीईआई, नई दिल्ली)।
- (ii) इन-हाऊस पत्रिका 'आईसीई पत्रिका' के त्रैमासिक अंक। प्रोन्नति प्रकाशन
- (i) वार्षिक कैलेंडर

9.10.10 आईआईटीएफ-2013 में सीबीईसी मंडप

निदेशालय ने 14 से 27 नवम्बर, 2013 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2013 में एक मंडप तैयार किया। मंडप में सेवाकर स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन स्कीम, 2013 पर विशेष फोकस के साथ तीन करों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर दर्शाया गया। मंडप में आने वाले व्यापारियों और जनता के प्रश्नों को सम्भालने के लिए विभागीय अधिकारियों की सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवा कर/ वीसीईएस पृथक सहायता डेस्क का समावेश था। विभागीय फिल्मों/ विज्ञापनों को दर्शाने वाले पैनलों, ट्रांसलाइट्स रोटेर्स, ब्लोअरस और स्कीमों के माध्यम से विभिन्न सूचनाओं को रखा गया था। आगन्तुकों को आकर्षित करने हेतु विभिन्न अंतरालों पर चित्रकारी प्रतियोगिताओं, माइम शोज, प्रश्न-मंचों, टेटू- चित्रकारी जैसी गतिविधियों को संचालित किया गया था। विभाग संबद्ध सूचना के सही उत्तर देने वाले आगन्तुकों को स्मृति-चिन्ह दिए गए थे। अद्यतन विवरणिकाएं/ फ्लायर्स; वीसीईएस पर एफएक्यूज, यात्रियों हेतु मार्गदर्शिका; सूचनादाताओं हेतु पुरस्कार स्कीम; एसीईएस की दर पर सुविधा; ग्रीन सीमा शुल्क, सीमा शुल्क में अपीलीय प्रक्रियाएं, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर; आईएगेट ई- वाणिज्य पोर्टल; अग्रिम नियमन स्कीम आदि को व्यापारियों और जनता में मुक्त वितरण हेतु रखा गया था।

मंडप में मेले के दौरान एक विशाल और निरंतर आगमन लगा रहा और विभाग की भूमिका और कार्यकरण के बारे में लोक जागरूकता को बढ़ाने और वीसीईएस प्रचार-प्रसार के अपने वांछित लक्ष्य में बिलकुल सफल रहा था। मंडप ने सरकारी विभागों की श्रेणी में प्रदर्शन में उत्कृष्टता हेतु कांस्य पदक प्राप्त किया। यह पुरस्कार माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री फारूख अब्दुल्ला द्वारा दिया गया था।

9.11 निरीक्षण सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क महानिदेशालय

9.11.1 महानिदेशालय की उत्पत्ति

सीमा शुल्क सदनों और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों में संगठन और प्रक्रिया के मानकीकरण पर और तकनीकी प्रश्नों पर बोर्ड को सलाह हेतु और आवधिक निरीक्षणों को संचालित किए जाने हेतु बोर्ड कार्यालय के भाग के रूप में यह महानिदेशालय, 1939 में संस्थापित किया गया था। यह 1 अप्रैल, 1946 को बोर्ड से अलग किया गया और एक संबद्ध कार्यालय का दर्जा दिया गया था।

9.11.2 इसका ड्यूटी-घोषणापत्र

महानिदेशालय, निरीक्षण के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:-

- देशभर में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभागीय मशीनरी के कार्य का अध्ययन
- सुचारु कार्यकरण हेतु प्रक्रियाओं का निर्धारण और निरीक्षण के माध्यम से इसमें महत्वपूर्ण कमियों में सुधार और इसकी दक्षता की समुन्नति हेतु उपाय सुझाना
- सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रक्रियाओं के अनुसार क्या क्षेत्रीय अधिकारियों का कार्यकरण है, के निर्धारण और

प्रक्रियाओं में कमी, यदि कोई ध्यान में आती हैं, तो उनके संबंध में सिफारिशें किए जाने हेतु निरीक्षण करना।

- क्षेत्रीय अधिकारियों के कार्यकरण में सुधार हेतु उपाय सुझाना
- सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु नोडल कार्यालय।

9.11.3 कार्य प्रमुखताएं

9.11.3.1 (क) क्षेत्रीय अधिकारियों का निरीक्षण:

बोर्ड ने बैठक बीएमबी 32/2010 दिनांक 12.5.2010 द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवाकर क्षेत्रीय अधिकारियों के निरीक्षण हेतु फ्रीक्वेन्सी के मानकों को संशोधित किया है। नए मानकों के अनुसार, डीजीआईसीसीई को तीन वर्ष में एक बार आयुक्तालय मुख्यालय का निरीक्षण करना होता है। अतिरिक्त निरीक्षणों को जोखिम पैरामीटर्स की सतर्क रूपरेखा पर आधारित होना होगा। प्रत्येक आयुक्तालयों का या तो डीजीआईसीसीई अथवा क्षेत्राधिकारी मुख्य आयुक्तों द्वारा प्रत्येक वर्ष में निरीक्षण किया जाएगा। इस डीजीआईसीसीई के लिए डीजीसीसीआई अथवा मुख्य आयुक्त को निरीक्षण हेतु आयुक्तालयों को आबंटन के लिए वार्षिक निरीक्षण योजना तैयार करेगा। तदनुसार एक वार्षिक योजना वर्ष के लिए तैयार की गई है।

वर्ष 2013-14 के लिए अनुमोदित वार्षिक सी एक्स कार्य योजना के अनुसार, 36 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय को मुख्यालय और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा निरीक्षण हेतु अनुसूचित किया गया है। शेष 68 सीएक्स अधिकारियों को क्षेत्राधिकार मुख्य आयुक्तों को आबंटित किया गया है।

वर्ष 2013-14 के लिए अनुमोदित वार्षिक सीमा शुल्क कार्य योजना के अनुसार, 20 सीमा शुल्क आयुक्तालयों को मुख्यालय और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा निरीक्षण हेतु अनुसूचित किया गया है। शेष 16 सी यू एस अधिकारियों को क्षेत्राधिकार मुख्य आयुक्तों को आबंटित किया गया है।

9.11.3.2 (ख) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन:

सीबीईसी द्वारा जारी पत्र एफ सं. ए. 11019/34/2001 एडी-4 (पार्ट) दिनांक 02.08.2005 के अनुसार, राजस्व विभाग डीजीआईसीसीई को क्षेत्रीय अधिकारियों में हिन्दी संबंधी विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन और गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के साथ समन्वय के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड के नोडल अधिकरण के रूप में कार्य सौंपा गया है। ये निदेश अध्यक्ष (सीबीईसी) द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

2012-13 में, राजभाषा के प्रोन्नयन हेतु निम्नलिखित मुख्य कार्य उपर्युक्त निदेशों के अनुसार किए हैं:-

- वर्ष के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के 53 निरीक्षण संचालित किए गए।

- राजभाषा पर संसदीय समिति की बैठकें समन्वित की गईं और उपस्थिति दर्ज की गई थी।
- सीएचए मॉडल पेपर का हिन्दी में अनुवाद।
- हिन्दी में डीजीआईसीसीई वेबसाइट का अनुवाद।
- हिन्दी दिवस/ हिन्दी सप्ताह मनाया गया और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
- कार्यशालाएं डीजीआईसीसीई और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के लिए एक में आयोजित की गई थी।
- दो राजभाषा सम्मेलन, एक गुवाहाटी और दूसरी मैसूर में संचालित किए गए थे।

9.11.3.3 2013-14 के कार्यान्वयन योजना

- सीबीईसी के अन्तर्गत कार्यालयों के राजभाषा निरीक्षणों को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वार्षिक लक्ष्यों 2013-14 के अनुसार संचालन हेतु प्रस्तावित किया गया है।
- समय-समय पर रायपुर आयुक्तालय, हल्द्वानी प्रभाग, कोल्हापुर आयुक्तालय, सीमा शुल्क (पी) प्रभाग अगरतला और झांसी प्रभाग में राजभाषा की सम्मानित संसदीय समिति की आने वाली बैठकों में भागीदारी।
- हिन्दी कार्यशालाएं संचालित की जाएंगी।
- डी ओ एल के वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार ओ एल आई सी बैठके आयोजित की जाएंगी। आज तक, अप्रैल, जून और सितम्बर माह में तीन बैठकें आयोजित की गई हैं।
- हिन्दी सप्ताह/ हिन्दी पखवाड़ा सितम्बर, 2013 माह में आयोजित किया गया था।

9.11.4 नेपाल सरकार को धन वापसी की अभिक्रिया और स्वीकृति

अधिसूचना सं. 21/2004 सीई (एन टी) दिनांक 06.09.2004 द्वारा यथा निर्धारित शुल्क रियायत प्रक्रिया (डी आर पी) कहलाने वाली एक प्रक्रिया के अन्तर्गत नेपाल सरकार के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रियायत दावों को डीजीआईसीसीई तैयार करता है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की रियायत उक्त संधि के अनुच्छेद-III के प्रोटोकॉल-III के अनुसार भारत और नेपाल के बीच व्यापार संधि हेतु प्रोटोकॉल द्वारा शासित है।

20.8.2009 से आगे नेपाल सरकार को लौटाई गई धनराशि निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	लौटाई गई धनराशि	बीजकों की संख्या
2008-09	186 करोड़ रु.	38,000
2009-10	178 करोड़ रु.	41,000
2010-11	203 करोड़ रु.	43,000
2011-12	202 करोड़ रु.	73,500
2012-13	241 करोड़ रु.	57,110
2013-14	48 करोड़ रु.	7,517
(अक्तूबर, 13 तक)		

9.11.5 शाही भूतान सरकार को धन वापसी की अभिक्रिया और स्वीकृति

भूतान निर्यातों के संबंध में डीजीआईसीसीई द्वारा किए गए कार्यों को दो भागों में श्रेणीबद्ध किया गया है:

- (i) आई जी ओ बी को उत्पाद शुल्क की वापसी
- (ii) सरकार द्वारा सहायता-प्राप्त परियोजनाओं हेतु भूतान को निर्यात

शाही भूतान सरकार और भारत सरकार के मध्य व्यापार और वाणिज्य समझौते के अनुसार, दोनों देशों में से किसी में भी उत्पादित माल हेतु दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार और वाणिज्य है, समझौते के अनुच्छेद -VIII में प्रावधान है कि: 'दूसरे को निर्यातित इसकी उत्पत्ति के माल पर उत्पाद शुल्कों के संबंध में वार्षिक रूप में आपसी निर्णय किए जाने हेतु यथोचित वापसी प्रदान किए जाने हेतु प्रत्येक सरकार सहमत है'।

उपर्युक्त प्रावधान के अनुसरण में, जी ओ आई (एमई ए) भारत से भूतान को निर्यातित सामान पर एकत्रित उत्पाद शुल्कों की धन वापसी को वार्षिक रूप से अदा करता है। एम ई ए से संदर्भ पर, सदृश धनराशि की वापसी तैयार किए जाने का कार्य डीजीआईसीसीई द्वारा किया जाता है। आरजीओबी से लौटाए गए दावे संबंधी दस्तावेज बोर्ड को एम ई ए से भेजे जाते हैं जो बदले में डीजीआईसीसीई को भेजे जाते हैं।

वर्ष (जनवरी-दिसम्बर)	लौटाई गई धनराशि
2009 (वर्ष 2006 के लिए)	107 करोड़ रु.
2010 (वर्ष 2007 के लिए)	128 करोड़ रु.
2011 (वर्ष 2008 एवं 2009 के लिए)	234 करोड़ रु.
2012 (वर्ष 2010 एवं 2011 के लिए)	306 करोड़ रु.

9.11.6 परिणाम ढांचा दस्तावेज (आर एफ डी) तैयार करना और मॉनीटरिंग

9.11.6.1 परिणाम ढांचा दस्तावेज (आर एफ डी) मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य निष्पादन ने प्रबंधन प्रभाग (पी एम डी) द्वारा एक कार्यक्रम है। आर एफ डी विभाग के मंत्री और सचिव के बीच एक तालमेल है जैसे कि अगले वर्ष इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, कार्यवाइयां जो कि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रस्तावित हैं, और सफलता संकेतक जो प्रगति को मापने के लिए तय किए गए हैं।

9.11.6.2 **पृष्ठभूमि:** द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के आधार पर, प्रधान मंत्री ने सितम्बर, 2009 में एक ' सरकारी विभागों हेतु कार्य निष्पादन निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली (पी एम ई एस)' की रूपरेखा को अनुमोदित किया था। पी एम ई एस के अन्तर्गत, प्रत्येक विभाग से एक परिणामी- खाका दस्तावेज (आर एफ डी) तैयार किए जाने की अपेक्षा की गई है।

9.11.6.3 बोर्ड ने राजस्व विभाग के अनुमोदन के पश्चात जून, 2012 में 2012-13 के लिए सीबीईसी आर एफ डी अनुमोदित की।

प्रत्येक उद्देश्य हेतु प्रतिशतता महत्वता हेतु अंतः वरिष्ठता को दर्शाया गया। प्राप्ति हेतु लक्षित दर ' बहुत अच्छी' थी।

9.11.6.4 प्रत्येक उद्देश्य हेतु प्रतिशतता महत्वता हेतु अंतः वरिष्ठता को दर्शाया गया। प्राप्ति हेतु लक्षित दर 'बहुत अच्छी' थी। 'उत्कृष्ट' से 'बेकार' कार्यनिष्पादन दर की मूल्यांकन की रेंज दी गई।

9.11.6.5 प्राप्त किए गए परिणाम:

सीबीईसी ने 2012-13 में बाहरी मूल्यांकन में 100 में से 74.2 अंक प्राप्त किए।

9.11.6.6 आर एफ डी 2013-14

सचिव, (राजस्व) ने अगस्त, 2013 में सीबीईसी आर एफ डी 2013-14 को अनुमोदित किया है। दिनांक 29.10.2013 को बोर्ड को प्रथम अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट भेजी गई है। अद्यतन रिपोर्ट को कार्य मालिकों से अधिक डाटा सहित नवम्बर, 2013 में भेजा जाएगा।

9.11.7 (एफ) सभी सीबीईसी मैनुअल का अद्यतन समन्वय

9.11.7.1 एफ सं. 296/04/2009- सी एक्ट -9 दिनांक 20.10.2009 और 23.10.2009 द्वारा जारी बी एम बी सं. 62/09 द्वारा, सीबीईसी मैनुअल्स अद्यतन किए जाने का कार्य का डीजीआईसीसीई द्वारा समन्वयन किया जा रहा है। मैनुअल्स अद्यतन को विशिष्ट क्षेत्रीय मुख्य आयुक्तों/ महनिदेशकों को सौंपा गया है।

9.11.7.2 (जी) मासिक तकनीकी रिपोर्ट (एम टी आर) संकलन

डीजीआईसीसीई में दो रिपोर्टों को संकलित और मॉनीटर किया गया है। ये हैं:

सी एक्स और सीमा शुल्क हेतु मासिक तकनीकी रिपोर्ट में राजस्व के बकायों, निपटान, अधिनिर्णयन, कॉल बुक, धन वापसी, लेखा परीक्षा पैरे, अनंतिम मूल्यांकन, बॉन्ड्स और न्यायालय मामले जो सी.सी. जोन के मामलों की संख्या की अधिकतम लम्बिती माह-वार देता है और राजस्व संलिप्तता सहित सभी मुख्य क्षेत्र आते हैं। डाटा 23 सी एक्स क्षेत्रों और 13 सीमा शुल्क क्षेत्रों से एकत्र किया गया है और इन्हें मासिक रूझान सहित उच्च स्तरीय लम्बिती हेतु विश्लेषित किया गया है।

एमटीआर को सेवा कर हेतु डीजीएसटी द्वारा संकलित किया गया है।

9.11.7.3 अधिनिर्णयन मामलों की मॉनीटरिंग

1 वर्ष से अधिक और 1 सीआर के राजस्व सहित मामलों को अधिनिर्णयन लम्बिती मानीटर: यह महानिदेशालय एक वर्ष से अधिक के लम्बित अधिनिर्णयन मामलों की लम्बिती और एक करोड़ रूपए से अधिक के राजस्व वाले मामलों की भी निगरानी करता है।

9.11.7.4 सीबीईसी में ईओ कार्यक्रम कार्यान्वयन

प्राधिकृत आर्थिक संचालक (ईओ) कार्यक्रम को 2005 में मानकों के एसएएफई ढांचे के अंगीकरण हेतु विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यू सी ओ) के दिशानिर्देशों के अनुसरण में विकसित किया गया है।

भारतीय एईओ कार्यक्रम को परिपत्र सं. 37/2011, दिनांक 23.08.2011 के जारी किए जाने के साथ सीबीईसी द्वारा शुरू किया गया है और डीजीआईसीसी को एईओ कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु नोडल कार्यालय के रूप में पदनामित किया गया है। एडीजी (डीजीआईसीसी) मुख्यालय, दिल्ली कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रबंधक है। पूर्णरूपेण एईओ कार्यक्रम को परिपत्र सं. 28/2012, दिनांक 16.11.2012 द्वारा सीबीईसी ने रोलडआउट किया गया था।

यह कार्यक्रम एक अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त गुणवत्ता चिन्ह से व्यापार प्रदान कर सकता है जो इंगित करेगा:

- अन्तर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में उनकी सुरक्षित भूमिका
- प्रक्रियाओं की दक्षता और रिकार्ड कीपिंग
- शिकायत प्रवृत्ति

अतः, एईओ स्तर की कोई हस्ती को परिपत्र सं. 28/2012, दिनांक 16.11.2012 में समाविष्ट दिशानिर्देश के अनुसार भारतीय सीमा शुल्क द्वारा किसी विश्वसनीय व्यापार भागीदार और कोई सुरक्षित व्यापारी समझा जा सकता है।

एईओ कार्यक्रम आर्थिक संचालकों, जैसे कि, आयातकों, निर्यातकों, सीमा शुल्क सदन अभिकर्ता, आदि की विभिन्न श्रेणियों हेतु है। आवेदन के उचित सत्यापन के उपरांत कार्यक्रम संचालकों का प्रमाणन करता है।

एईओ प्रमाणित संचालकों को कम सीमा शुल्क जांच, रियायतों प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं आदि के रूप में एक प्राथमिकता सम्पन्न व्यवहार दिए जाने की मंशा है। यह सुरक्षा मानकों को बनाए रखने वाले प्राधिकृत संचालकों और यथा निर्धारित अनुपालन अपेक्षाओं तथा व्यवसाय अथवा व्यवसाय प्रक्रियाओं में किसी महत्वपूर्ण बदलाव के मामले में 30 दिन के भीतर ए ई ओ कार्यक्रम प्रबंधक को सूचना देने के अध्यक्षीन है।

एईओ प्रमाण-पत्र डीजीआईसीसी की एईओ कार्यक्रम टीम द्वारा किया गया विस्तृत पूर्व-प्रमाणन सत्यापन और वैधता के प्रश्नात मंजूर किया जाएगा। यह सत्यापन 4 मानदंडों पर आधारित होगा:

- सीमा शुल्क और अन्य विधिक प्रावधानों के बारे में अनुपालन के क्षेत्र में रिकार्ड कायम करना।
- वाणिज्यिक और जहां भी उचित हो, परिवहन रिकार्डों के प्रबंधन की संतोषप्रद व्यवस्था का प्रदर्शन।
- वित्तीय दृष्टि से दिवालिया न हो।
- प्रतिभूति और सुरक्षा मानदंडों के मामलों में संतोषप्रद व्यवस्था का प्रदर्शन।

प्राधिकरण, यदि यह स्वीकार्य पाया जाता है और किसी मसौदा सामग्री में कमी नहीं है तो पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के 90 दिन के भीतर साधारणतः मंजूर किया जाएगा। यह कार्यक्रम ऐसी परिस्थितियों

का भी प्रावधान करता है जिसके तहत प्राधिकरण प्रतिसंहरण अथवा स्थगन हेतु विचारा जा सकता है।

एईओ अनुपालन क्लाइंटस को वर्णित विशिष्ट लाभ बोर्ड परिपत्र के अनुसार निम्नानुसार है:

(क) आयातक:

- एसीपी क्लाइंटस को प्राप्त सुविधा की उस तुलना में दी जा रही अधिक सुविधा के एईओ स्तर धारक के साथ घटाई गई जांच और निरीक्षण।
- पूर्व-आगमन आयात उदघोषणाओं की स्वीकार्यता।

(ख) निर्यातक:

- घटाई गई जांच और निरीक्षण।
- सीमा शुल्क क्षेत्र में लाए बिना सामान की निर्यात उदघोषणाओं की स्वीकार्यता।

(ग) भण्डार गृह के स्वामी:

- नए भण्डार गृह के त्वरित अनुमोदन।
- घटाई गई लेखा परीक्षा।

(घ) सीमा शुल्क सदन अभिकर्ता:

- क्लाइंटस आयातकों हेतु पूर्व-आगमन उदघोषणाओं की स्वीकार्यता।

(ङ.) संभार-तंत्र प्रदाता (करियर्स/ फोवर्डर्स):

- मामला-दर-मामला अनुमतियों के बिना माल का पारगमन।
- सीमा शुल्क सुरक्षा बिना माल का पारगमन।

भारतीय एईओ कार्यक्रम की पायलट परियोजना में, 3 हस्तियों को एईओ प्रमाणपत्र प्रमाणित किया गया था। इन हस्तियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

पायलट परियोजना के आधार पर, भारतीय एईओ कार्यक्रम को परिपत्र सं. 28/2012-सीमा शुल्क, दिनांक 16.11.2012 के जारी किए जाने के साथ सीबीईसी द्वारा पूर्णरूपेण रोलड आउट किया गया था।

क्रम सं.	सत्यापित इकाई का नाम	सत्यापन की तिथि
1.	मैसर्स आई बी एम इंडिया लि.	18.07.2012
2.	मैसर्स एल जी इलैक्ट्रानिक्स इंडिया लि.	18.07.2012
3.	मैसर्स एन्नोर कार्गो कंटेनर्स लि.	18.07.2012

एईओ स्तर की मंजूरी हेतु अब तक 18 आवेदन प्राप्त किए गए हैं जिनमें से 01 आवेदक अर्थात मैसर्स सेमको इलैक्ट्रानिक प्रा. लि. ने तकनीकी कारणों को बताते हुए आवेदन वापस ले लिया है। मैक्स शिपिंग एंड फोवार्डिंग प्रा. लि. के 01 आवेदन को एक तर्क

संगत समय के भीतर पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किए जाने में असफल रहने पर निरस्त किया गया है। मैसर्स बॉश लिमि. के 01 आवेदन को विधिक अनुपालन के उल्लंघन के लिए निरस्त किया गया है। शेष आवेदन मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्री इकाइयों के ए ई ओ केन्द्रों पर दस्तावेज प्रमाणन/ स्थल विशेष पर वैधता के विभिन्न स्तरों पर हैं। इन आवेदनों की स्थिति निम्नानुसार है:-

सार:

1. आवेदनों की संख्या:	18
2. लौटाए गए/ वापस किए गए आवेदनों की सं.	01 (क्रम सं. 18)
3. अभी तक अपूर्ण आवेदन	09 (क्रम सं. 3,4,8,11, 12,13,14,15 एवं 17)
4. पूर्ण आवेदन जहां कि स्थल का दौरा किया जाना है	01 (क्रम सं. 16)
5. पूर्ण आवेदन जहां स्थल का दौरा पूरा हो गया है	07
(i) एईओ स्तर प्रदान किया गया	00
(ii) निरस्त/ रोके गए एईओ का स्तर	02 (क्रम सं. 01, 02)
(iii) जारी पूर्ण प्रमाणीकरण प्रक्रिया	05 (क्रम सं. 5,6,7,9 और 10)

9.12.1 प्रणाली और कम्प्यूटरीकरण

ई-गवर्नेंस परियोजनाएं जिनका सीबीईसी द्वारा पहले ही क्रियान्वयन किया जा चुका है या जो अभी भी इसके द्वारा क्रियान्वित

की जा रही हैं, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के प्रस्तावित संदृश्य के साथ-साथ चल रही हैं। सीबीईसी द्वारा चलाई जा रही अधिकांश परियोजनाओं का लक्ष्य व्यापारिक उपयोगकर्ता जैसे कि आयातक, निर्यातक, विनिर्माता और सेवा प्रदाता हैं। इस प्रकार के कार्यों में विभाग निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर काम करता है:-

- 'सिंगल विण्डो' इन्टरफेस के माध्यम से सेवाओं की नागरिक क्रेन्ड्रित डिलीवरी।
- "सेवाओं को किसी भी समय, कहीं पर भी के आधार पर प्रदान करना।
- पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की शुरुआत।
- प्रक्रिया का सरलीकरण।
- संव्यवहार की लागत को कम करना।
- मैनुअल इंटरफेस को कम करना।
- स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना।
- विभिन्न कर प्रणालियों के बीच सहवर्ती क्रिया।

इस बात के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं कि विभाग की सेवाएँ इंटरनेट पर उपलब्ध हों और विभिन्न सेवा केन्द्रों के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। प्रक्रियाओं को समेकित करके, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच सम्पर्क कायम करके साथ ही साथ भागीदार एजेंसियों जैसे कि बैंकों, एअर लाइन्स कस्टोडियन्स कानकोर आदि को समेकित करके सेवा की समेकित डिलीवरी किए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

9.12.2 पूर्ण क्रियाकलाप/परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	गतिविधि	संक्षिप्त ब्यौरा
1.	केन्द्रीय उत्पादशुल्क निर्धारिती का 'ऑनलाइन' पंजीकरण	जिससे कि करदाता केन्द्रीय उत्पादशुल्क निर्धारिती के रूप में वेबसाइट www.aces.gov.in पर पंजीकरण करने में सक्षम बनाना। (इस समय 104 आयुक्तालयों में उपयोगकर्ताओं के लिये यह सुविधा उपलब्ध है।)
2.	सेवाकर निर्धारिती का 'ऑनलाइन' पंजीकरण	जिससे कि करदाता सेवाकर निर्धारिती के रूप में वेबसाइट www.aces.gov.in पर पंजीकरण करा सकें। (इस समय 104 आयुक्तालयों में उपयोगकर्ताओं के लिये यह सुविधा उपलब्ध है।)
3.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के दावों, सूचनाओं और अनुमतियों को 'ऑनलाइन' दायर करना	जिससे कि करदाता www.aces.gov.in वेबसाइट पर दावों सूचनाओं और अनुमतियों को वेबसाइट www.aces.gov.in पर ऑनलाइन दायर कर सकें। (इस समय 104 आयुक्तालयों में उपयोगकर्ताओं के लिए यह सुविधा उपलब्ध है)
4.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रिटर्न को ऑनलाइन जमा करना	जिससे कि करदाता सीबीईसी में अपने केन्द्रीय उत्पादशुल्क का रिटर्न इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइट www.aces.gov.in पर पंजीकरण करा सकें। (इस समय 104 आयुक्तालयों में उपयोगकर्ताओं के लिए यह सुविधा उपलब्ध है)
5.	सेवाकर रिटर्न को ऑनलाइन जमा करना	जिससे कि करदाता सीबीईसी में अपने सेवाकर का रिटर्न इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइट www.aces.gov.in पर दायर कर सकें। (इस समय 104 आयुक्तालयों में उपयोगकर्ताओं के लिए यह सुविधा उपलब्ध है)

क्र.सं.	गतिविधि	संक्षिप्त ब्यौरा
6.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का ई-पेमेन्ट	जिससे कि करदाता www.aces.gov.in वेबसाइट पर उपयोगकर्ताओं को EASIST की वेब साइट पर या (https://cbec.nsdl.com/EST/InputPageForEPaymentServlet) पर निर्धारित के पसंदीदा बैंक की वेबसाइट पर निर्देशित करके ऑनलाइन ई.पेमेन्ट कर सकें।
7.	एसीईएस पर 'ऑनलाइन' पंजीकरण	जिससे कि करदाता एसीईएस के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सेवाकर विभाग की वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संव्यवहार करने के लिए www.aces.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकें। (इस समय उपयोगकर्ताओं के लिए 104 आयुक्तालयों में यह सुविधा उपलब्ध है)
8.	गैर-निर्धारित का एसीईएस में ऑनलाइन पंजीकरण	जिससे कि व्यापारिक निर्यातक जैसे निर्धारित एसीईएस पर पंजीकरण करा सकें और विभाग के साथ संव्यवहार कर सकें (इस उपयोगकर्ताओं के लिए 104 आयुक्तालयों में यह सुविधा उपलब्ध है) वेबसाइट www.aces.gov.in
9.	एसीईएस पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स (लर्निंग मैनेजमेन्ट सॉफ्टवेयर), प्रयोक्ता मैनुअल एवं एफएक्यू के माध्यम से निर्धारित, गैरनिर्धारित और अन्य उपयोगकर्ताओं को एसीईएस से परिचित कराने के लिए वेबसाइट www.aces.gov.in पर
10.	केन्द्रीय उत्पादशुल्क सेवाकर के/दस्तावेज की स्थिति का पता लगाने के लिये वेबव्यूइंग या वेब ट्रैकिंग	जिससे कि करदाता या प्रयोगकर्ता एसीईएस के माध्यम से दायर अपने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर के दस्तावेजों की स्थिति देख सकें या पता लगा सकें। वेबसाइट www.aces.gov.in पर
11.	एसीईएस के लिए सेवा डेस्क सुविधा	उपयोगकर्ताओं को सर्विस डेस्क की सुविधा प्रदान करना जिससे कि वे 1800-425-4251 नं. पर निःशुल्क फोन करके किसी भी (कार्य दिवस को प्रातः 9.00 से सायं 7.00 और शानिवार को प्रातः 9.00 से 2.30 बजे के बीच) या aces.servicedesk@icegate.gov.in पर ई मेल करके अपनी समस्याओं का हल निकाल सकें। (31.10.2013 तक 6,42,428 मुद्दे जारी किये जा चुके जिनमें से 6,42.195 के मामलों का समाधान किया जा चुका है तथा समाधान का प्रतिशत 99.96% है।
12.	शुल्क प्रतिअदायगी की इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट	जिससे कि करदाता अपने किसी बैंक खाते में सीधे देय राशि को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट व्यवस्था से प्राप्त कर सकें। इसे भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली आईसीईएस निर्यातों में समर्थ बनाया जाता है।
13.	अप्रत्यक्ष करों से संबंधित जानकारी का वेबसाइट के माध्यम से प्रसार	जिससे कि करदाता सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सेवाकर, विधियों फार्म आदि से संबंधित जानकारी इंटरनेट से प्राप्त कर सकें। वेबसाइट www.cbec.gov.in एवं www.aces.gov.in तथा https://www.icegate.gov.in पर।
14.	आयातकों/निर्यातकों/ सीएचए का 'ऑन लाइन' पंजीकरण	जिससे करदाता व्यापारिक भागीदार के रूप में सीमाशुल्क के साथ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संव्यवहार करने के लिए वेबसाइट www.icegate.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। उपभोक्ता को बीई, एसबी, आईजीएम, सीजीएम, ईजीएम आदि पर दायर करने हेतु आईगेट पर पंजीकृत करना होता है। पंजीकरण निःशुल्क है।
15.	संदेश के माध्यम से बीई, एसबी, आईजीएम, ईजीएम, सीजीएम, एसजीएम आदि जैसे सीमाशुल्क दस्तावेजों को ऑनलाइन दायर करना।	रिमोट ईडीआई प्रणाली के द्वारा दायर दस्तावेजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तथा वर्ष 2009-10 के दौरान, आइसगेट के माध्यम से दायर दस्तावेजों की कुल संख्या 8.3 मिलियन थी। वर्ष 2011-12 के दौरान आइस गेट के दौरान दायर दस्तावेजों की संख्या 9.19 मिलियन के पार हो गई। वर्ष 2012-13 में कुल 10.15 मिलियन दस्तावेज दायर किए गए थे। वर्ष 2013-14 (नवम्बर, 2013 तक) 8.05 मिलियन दस्तावेजों को पहले से ही दायर किया जा चुका है।

क्र.सं.	गतिविधि	संक्षिप्त ब्यौरा
		फिलहाल आइसगेट पर दाखिल करने के लिए ज्यादा पसंदीदा प्रपत्र स्वामित्व फ्लैट फाइल संदेश प्रपत्र है तथापि; एक्स एम एल तथा यून-ईडीआईएफेसीटी संदेश प्रपत्र जैसी अन्य रूपरेखा व्यापार के लिए भी उपलब्ध है। आइसगेट उन्नत परियोजना में एक्सएमएल तथा यून-ईडीआईएफेसीटी संदेश प्रपत्रों के लिए योजनाओं का विकास किया जा रहा है। कुल 120 प्रमुख सीमाशुल्क स्थानों को सीमा शुल्क प्रणाली में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्नत आइसगेट द्वारा दाखिल करने की; संशोधन करने की तथा आईसीईएस 1.5 स्थानों के लिए आइसगेट के माध्यम से प्रनोत्तर संदेश ऑन लाइन देने की अनुमति प्रदान की गई है तथा आगम बिल के प्रथम प्रति का प्रिंट आउट लेने तथा सेवा केन्द्रों एवं उपयोगकर्ता के पसंदीदा स्थानों जैसे कि घर/कार्यालय आदि पर शुल्क के भुगतान के लिए चालान करने की सुविधा भी दी गई है।
16.	इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग विकल्प	प्रलेख फाइल करने के तीन विकल्प हैं 1 ई-मेल (एसएमटीपी - सरल मेल अंतरण नयाचार) 2 वेब अपलोड 3 एफटीपी (फाइल स्थानांतरण नयाचार)
17.	इलेक्ट्रॉनिक पावती विकल्प	आरईएस रूप से दाखिल दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक पावती उपभोक्ताओं को उनके ई-मेल पते पर सूचित की जाती है।
18.	हाल के नए संदेश/सुविधा विकल्प (क) मदों का पंजीयन संदेश (ख) बहु-पक्षीय ई-सौदे तथा आदेशात्मक ई-भुगतान (ग) कांडला सर्वर के द्वारा किए जाने वाले सभी पुराने आवेदनों का नए बुनियादी (आईसीईएस 1.5) पर स्थानांतरण (घ) मुख्य संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी को आंकड़ों की सूचना (ङ.) डीजीएफटी के साथ पुराने सर्वर से संदेशों को एसएफटीपी पर स्थानांतरण	कसटोडियन तथा अन्य अभिकरणों के साथ भिन्न नए संदेश विकसित किए गए तथा आरंभ किए गए। डीजीएफटी से संबंधित पुराने मौजूदा आवेदनों के स्थान पर नए आवेदनों को विकसित करना तथा उन्हें आरंभ करना। सीमा-शुल्क का नया ई-गेटवे ई-भुगतान भी आरंभ किया गया है।
19.	सीमाशुल्क और उपकर का ई-पेमेंट	आइसगेट के अंतर्गत करदाता को नए ई-गेटवे के माध्यम से एक बार में कई भुगतान की सुविधा प्रदान की जाती है। ईडीआई स्थलों पर लगभग 98.5 प्रतिशत सीमा शुल्क ई-गेटवे के माध्यम से आता है।
20.	बैंक में सीमाशुल्क भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक संदेश।	जैसे ही बीई प्राप्त किया जाता है तथा शुल्क भुगतान के लिए देय होता है, शुल्क भुगतान चालान के ब्यौरों से युक्त बैंक को शीघ्र भुगतान को समर्थ बनाता है तथा बैंक से शुल्क भुगतान का रिवर्स संदेश एवं संदेश में इसका एकीकरण किसी रूकावट के बिना आयात माल की निकासी को समर्थ बनाता है तथा लेनदेन लागत कम करता है।
21.	इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर दस्तावेजों की स्थिति की वेबट्रैकिंग	आइसगेट तथा आईसीईएस स्तर पर दस्तावेजों का पता करने की सुविधा उपलब्ध है। करदाता/उपयोगकर्ता www.icegate.gov.in ट्रेकिंग प्रणाली के माध्यम से अपने दस्तावेजों की स्थिति देख सकते हैं। ऑन लाइन ट्रेकिंग प्रणाली में शामिल हैं : ● बीई स्थिति का पता करना। ● एसबी स्थिति का पता करना।

क्र.सं.	गतिविधि	संक्षिप्त ब्यौरा
		● कंटेनर के आधार का पता करना । ● बीएल का पता करना । ● आईजीएम/एसजीएम/सीजीएम पता करना। ● ईजीएम का पता करना । ● बीई में उठाए गए प्रश्नों का पता करना । ● एसबी में उठाए गए प्रश्नों का पता करना । ● आईसीईएस 1.5 स्थानों के लिए सेवा केन्द्र उपयोगकर्ताओं हेतु पूछताछ मॉड्यूल भी आइसगेट के माध्यम से चलाया जाता है । ● चालान का पता करना । ● आईईसी का पता करना । ● लाइसेंस इत्यादि की स्थिति का पता करना । ● सीएचए पेन आधारित जांच पड़ताल । ● डीबी के स्करोल टैकिंग ● एसबी वाईज डीबी के जांच
22.	ऑन लाइन सूचना का आदान-प्रदान तथा डीजीएफटी के साथ अधिप्रमाणन	सीमा शुल्क विभाग आइसगेट के माध्यम से वाणिज्य मंत्रालय, डीजीएफटी के साथ निम्नलिखित सूचना का आदान-प्रदान करता है । ● डीजीएफटी के द्वारा जारी आईसीई (आयातक/निर्यातक कोड) ● लाइसेंसों के निर्गम के लिए सीमा शुल्क विभाग द्वारा डीजीएफटी के पोत परिवहन बिल डाटा का संप्रेषण । ● डीजीएफटी के द्वारा जारी आयात/निर्यात लाइसेंस । ● डीजीएफटी द्वारा जारी लाइसेंसों का संगत सीमा शुल्क पोत परिवहन बिलों के साथ सत्यापन तथा आईसीईएस के साथ इसको मिलाना ।
22 क.	आइसगेट के साथ आईईएस प्रस्थिति	करदाता को इंटरनेट पर यह सुनिश्चित करने के लिए समर्थ बनाना कि क्या डीजीएफटी द्वारा जारी किया गया उसका आईजीएफटी (आयात/निर्यात कोड) आइसगेट पर प्राप्त हो गया है।
22 ख	डीईपीबी लाइसेंसों का ऑनलाइन सत्यापन	डीजीएफटी द्वारा जारी किए गए डीईपीबी लाइसेंसों की प्राप्ति एवं सत्यापन तथा डीजीएफटी से इलैक्ट्रॉनिक संदेश के माध्यम से उनकी पावती के फलस्वरूप डीईपीबी लाइसेंसों के मैनुअल सत्यापन को समाप्त कर दिया गया है । वेबसाइट www.icegate.gov.in
22 ग	डीईएस/ईपीसीजी लाइसेंसों का ऑन लाइन सत्यापन	डीजीएफटी द्वारा जारी किए गए डीईएस/ईपीसीजी लाइसेंसों की ऑन लाइन प्राप्ति तथा डीजीएफटी से इलैक्ट्रॉनिक संदेश के जरिए उनकी प्राप्ति से इन लाइसेंसों का मैनुअल सत्यापन समाप्त कर दिया गया है । आगम बिलों का संगत एसबी और डीजीएफटी को डीजीएफटी द्वारा ईओडीसी के निर्णय के लिए प्रेषित कर दिया गया है । वेबसाइट www.icegate.gov.in
23	अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ बनने वाली ऑन लाइन जानकारी	सीमा शुल्क विभाग निम्नलिखित सरकारी एजेंसियों के साथ ऑन लाइन सूचना का बंटवारा करता है : ● भारतीय रिजर्व बैंक ● डीजीसीआईएस (वाणिज्य मंत्रालय) ● प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक ● डीजी ऑवी ● डीआरआई ● इस्पात मंत्रालय आदि

क्र.सं.	गतिविधि	संक्षिप्त ब्यौरा
24.	डीटीआर का प्रकाशन	आइसगेट ने अधिसूचना संख्या 18/2012 के मद्देनजर वेबसाइट पर डीटीआर का प्रकाशन किया ।
25.	सीमा शुल्क परिकलक	सूचना एवं सुविधा के एक उपाय के रूप में सीमा शुल्क परिकलक आइसगेट तथा सीबीईसी वेबसाइट पर प्रदान किए गए हैं; जो न केवल विभिन्न प्रकार के सीमा शुल्क का अध्यायवार; शीर्षकवार परिकलन उपलब्ध करता है, अपितु अनिवार्य अनुपालना उपेक्षा तथा संगत सूचनाएं आदि के ब्यौरे भी देता है ।
26.	यानांतरण माड्यूल	स्वचालित गेटवे पत्तनों से स्वचालित आईसीडी तक आईजीएम के एसएमटीपी के भाग का ऑन लाइन संप्रेषण कराना ।
27.	आईसीईएस (एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस) के लिए एपीआई	निम्नलिखित के प्रकाशन के माध्यम से सीमाशुल्क ईडीआई के लिए एपीआई(एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस): ● आइसगेट के साथ आईसीईएस 1.0 और 1.5 के लिए संप्रेषण दिशानिर्देश ● कोड सूची/निर्देशिकाएं जैसे कि पत्तन कोड, एडी कोड तथा करेंसी कोड निर्देशिकाएं आदि ● पैन आधारित सीएचए (कस्टम हाउस एजेंट) डेटा
28.	आईपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकार) के लिए पंजीकरण	आईसीसीजीएटी पर आईपीआर के लिए एक बार पंजीकरण हो जाने। पर यह सभी आईसीईएस साइटों के लिए वैध होता है । यह मुफ्त भी है ।
29.	आइसगेट संव्यवहार के लिए हेल्पलाइन सुविधा	आइसगेट के माध्यम से विभाग के साथ संव्यवहार करने में करदाताओं के सामने आ रही समस्याओं के समाधान के लिए 'हेल्पडेस्क' उपलब्ध कराई जा सके । आइसगेट का हेल्पडेस्क चौबीसों घंटे काम करता है।
30.	आइसगेट/स्वयं सहायता पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	व्यापार की आवश्यकतानुसार संदेशों के नमूना प्रारूप तथा एफएक्यूज भी आइसगेट पर उपलब्ध होते हैं । www.icegate.gov.in
31.	24x7 हेल्पडेस्क सुविधा	आइसगेट समर्पित टोल फ्री नंबरों के माध्यम से व्यापार उपयोगकर्ताओं को 24x7 हेल्पडेस्क सुविधा भी प्रदान करता है । वर्ष 2011-12 में हेल्पडेस्क को 137005 से अधिक ई-मेल प्राप्त हुए तथा 107324 टेलीफोन काल तथा वर्ष 2012-13 में 32173 ई मेल प्राप्त हुए तथा 169330 टेलीफोन कॉले मिली । वर्ष 2014 में नवंबर तक हेल्प डेस्क को 1,36,922 काल तथा 1,01,429 मेल प्राप्त हुई।
32.	ईएसआईईएसटी	इलेक्ट्रॉनिक एकाउंटिंग सिस्टम इन एक्साइज एंड सर्विस टैक्स (ई एसआईईएसटी) परियोजना को मार्च, 2007 में शुरु किया गया था और इसे अप्रैल, 2007 से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के सभी आयुक्तालयों में चालू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य राजस्व और कर अदाकर्ताओं के लेखाकरण के लिए बैंकों से परिशुद्ध कर भुगतान आंकड़ों को उपलब्ध कराना है। इस प्रणाली के अंतर्गत सभी प्रकार के भुगतान, जिसमें ई-पेमेंट भी शामिल है, से संबंधित आंकड़ों को बैंक सहमति प्राप्त फार्मेट में पकड़कर इलेक्ट्रॉनिक रीति से उसे अपलोड करते हैं और उसे विभाग को उपलब्ध कराते हैं। इंटरनेट पेमेंट के आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये ईएसआईईएसटी ई-पेमेंट पोर्टल विकसित किए गये हैं। यह एक वेब आधारित व्यवस्था है जिसका कर संग्रहण करने वाली बैंकों के ई-पेमेंट पोर्टलों से अंतरापृष्ठ होता है। यह व्यवस्था नवम्बर, 2008 से चल रही है। वित्तीय संव्यवहार के लिए चालानों को बैंकों की साइट पर अग्रसारित करने के पहले इस स्तर पर इन चालानों के विभिन्न प्रकार की वैधता का पता लगाया जाता है। सितम्बर, 2010 से ईएसआईईएसटी

क्र.सं. गतिविधि
संक्षिप्त ब्यौरा

पेमेण्ट के लिए निर्धारिती कोड को अनिवार्य बना दिया गया है। प्राधिकृत 31.12.2011 तक 27 बैंक इस पोर्टल से जुड़े थे। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान बैंकों द्वारा लगभग 59.83 लाख चालान अपलोड किए गए। चालू वित्त वर्ष 2013-14 (2 दिसम्बर, 2013 तक) के दौरान 32.87 लाख चालान अपलोड किए गए हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में राजस्व का 98 प्रतिशत तथा सेवाकर में राजस्व का 89 प्रतिशत ई-भुगतान के माध्यम से था।

परियोजना के परिणाम

1. ईएसआईएसटी के क्रियान्वयन से सीबीईसी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए दैनिक आधार पर केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सेवाकर से होने वाले सकल राजस्व संग्रहण का पता लगाना संभव हो गया है। कर संग्रहण की निगरानी करने के लिए वेब आधारित एमआईएस विकसित किया जा चुका है।
2. ईएसआईएसटी आंकड़े से निर्धारिती के अनोखे कोड का पता लगा लेने से प्रत्येक करदाता द्वारा भुगतान किए गये कर का पता लग जाता है।
3. केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सेवाकर में स्वचालन (एसीईएस) परियोजना से केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सेवाकर के आयुक्तालयों में कार्य संचालन स्वतः हो गया है। ईएसआईएसटी से प्राप्त आकड़ों का प्रयोग एसीईएस के अनुप्रयोग में होता है और इससे कर भुगतान के प्रणाली आधारित सत्यापन में मदद मिलेगी।
4. ईएसआईएसटी परियोजना के एक भाग के रूप में करदाता अपने कर भुगतान की स्थिति का इंटरनेट पर सत्यापन कर सकता है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ती है बल्कि करदाताओं में यह विवास पैदा होगा कि उनका कर सही ढंग से जमा हो गया है।

करदाताओं के लिए वेबसाइटों पर उपलब्ध सुविधाएं

- ACES अनुप्रयोग (aces.gov.in), जोकि NSDL वेबसाइट (<https://cbse.nsdl.com/EST>) की एक कड़ी है जिससे निर्धारिती कोड आधारित खोज, चालान स्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सेवाकर के भुगतान के लिए गेटवे, एफएक्यू और डाउनलोड (जीएआर-7 फॉर्मेट, भुगतान के लिए एकाउंटिंग कोड समेत) की सुविधा प्राप्त की जा सकती है।
- करदाताओं और बैंकों के प्रश्नों के समाधान के लिए easiest-cbec@nic.in तैयार किया गया है।
- <http://cbec.gov.in> ईएसआईएसटी पर प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफ ए क्यू) पूछे जा सकते हैं।
<http://cbec.gov.in>
- <https://cbec.nsdl.com> पर कर भुगतान की स्थितिके सत्यापन की आनलाइन व्यवस्था है।
- निर्धारितियों के पंजीकरण के ब्यौरे जैसे कि नाम, पता और स्थान कोड के सत्यापन की सुविधा <https://cbec.nsdl.com> पर एसेसी कोड बेस्ड सर्च का प्रयोग करके प्राप्त की जा सकती है।

ईएसआईएसटी प्रबंध सूचना प्रणाली रिपोर्ट

ईएसआईएसटी प्रबंध सूचना प्रणाली वेबआधारित रिपोर्ट हैं जिनका उपयोग कर उगाही और डेटा की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए किया जा सकता है। ये रिपोर्टें प्रयोक्ता मित्रवत और उपयोग में सरल है और इन्हें एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सकता है, प्रिंट किया जा सकता है तथा ये छंटने योग्य हैं। ईएसआईएसटी के लिए रिपोर्टों की निम्नलिखित स्थल श्रेणियां उपलब्ध है:

क्र.सं.	गतिविधि	संक्षिप्त ब्यौरा															
		1. ईएसआईएसटी संग्रहण रिपोर्टों के द्वारा संग्रहणों को दर्शाया गया है जो कि बैंकों द्वारा अपलोड किये गये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के चालान आंकड़ों पर आधारित है। इस वर्ग के अंतर्गत रिपोर्टों का प्रकार इस प्रकार है:- <table> <tr> <th>रिपोर्ट</th><th>उपलब्ध सूचना</th><th>स्तर</th></tr> <tr> <td>सारांश रिपोर्ट</td><td> ● सकल संग्रहण राशि ● एकाउंटिंग कोड वार ब्यौरा ● चालू और पिछले वर्ष के आंकड़े और उनकी प्रतिशत वृद्धि </td><td> ● अखिल भारतीय </td></tr> <tr> <td>मुख्य आयुक्तवार संग्रहण रिपोर्ट</td><td> ● उत्पाद शुल्क और सेवाकर संग्रहण ● एकाउंटिंग कोडवार ब्यौरा ● चालू और पिछले वर्ष के आंकड़े और उनकी प्रतिशत वृद्धि </td><td> ● अखिल भारतीय ● मुख्य आयुक्त ● आयुक्त </td></tr> <tr> <td>शीर्ष निर्धारिती रिपोर्ट चुनिंदा अवधि के लिए शीर्ष 25/50/100/500/1000 करदाता</td><td> ● शीर्ष करदाताओं द्वारा भुगतान ● प्रमुख एकाउंटिंग कोडवार शीर्ष करदाता ● लघु लेखा कोडवार और सेवाकर शीर्षकरदाता ● ई-भुगतान और भौतिक भुगतान </td><td> ● अखिल भारतीय ● मुख्य आयुक्त ● आयुक्त (प्रभाग और रेंज) ● सेवाकर आयुक्तालय, उपयोग कर्ताओं के ● बारे में 5000 शीर्षस्थ करदाताओं तक शीर्ष आकलन रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। ● ऐसे शीर्षस्थ करदाताओं से संबंधित चालान-वार ब्यौरा उपलब्ध है </td></tr> <tr> <td>ई-पेमेंट रिपोर्ट</td><td> ● ई-पेमेंट और भौतिक भुगतान ● एकाउंटिंग कोडवार ब्यौरा ● भौतिक भुगतान की तुलना में % ई-पेमेंट </td><td> ● अखिल भारत ● मुख्य आयुक्त ● आयुक्त </td></tr> </table>	रिपोर्ट	उपलब्ध सूचना	स्तर	सारांश रिपोर्ट	● सकल संग्रहण राशि ● एकाउंटिंग कोड वार ब्यौरा ● चालू और पिछले वर्ष के आंकड़े और उनकी प्रतिशत वृद्धि	● अखिल भारतीय	मुख्य आयुक्तवार संग्रहण रिपोर्ट	● उत्पाद शुल्क और सेवाकर संग्रहण ● एकाउंटिंग कोडवार ब्यौरा ● चालू और पिछले वर्ष के आंकड़े और उनकी प्रतिशत वृद्धि	● अखिल भारतीय ● मुख्य आयुक्त ● आयुक्त	शीर्ष निर्धारिती रिपोर्ट चुनिंदा अवधि के लिए शीर्ष 25/50/100/500/1000 करदाता	● शीर्ष करदाताओं द्वारा भुगतान ● प्रमुख एकाउंटिंग कोडवार शीर्ष करदाता ● लघु लेखा कोडवार और सेवाकर शीर्षकरदाता ● ई-भुगतान और भौतिक भुगतान	● अखिल भारतीय ● मुख्य आयुक्त ● आयुक्त (प्रभाग और रेंज) ● सेवाकर आयुक्तालय, उपयोग कर्ताओं के ● बारे में 5000 शीर्षस्थ करदाताओं तक शीर्ष आकलन रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। ● ऐसे शीर्षस्थ करदाताओं से संबंधित चालान-वार ब्यौरा उपलब्ध है	ई-पेमेंट रिपोर्ट	● ई-पेमेंट और भौतिक भुगतान ● एकाउंटिंग कोडवार ब्यौरा ● भौतिक भुगतान की तुलना में % ई-पेमेंट	● अखिल भारत ● मुख्य आयुक्त ● आयुक्त
रिपोर्ट	उपलब्ध सूचना	स्तर															
सारांश रिपोर्ट	● सकल संग्रहण राशि ● एकाउंटिंग कोड वार ब्यौरा ● चालू और पिछले वर्ष के आंकड़े और उनकी प्रतिशत वृद्धि	● अखिल भारतीय															
मुख्य आयुक्तवार संग्रहण रिपोर्ट	● उत्पाद शुल्क और सेवाकर संग्रहण ● एकाउंटिंग कोडवार ब्यौरा ● चालू और पिछले वर्ष के आंकड़े और उनकी प्रतिशत वृद्धि	● अखिल भारतीय ● मुख्य आयुक्त ● आयुक्त															
शीर्ष निर्धारिती रिपोर्ट चुनिंदा अवधि के लिए शीर्ष 25/50/100/500/1000 करदाता	● शीर्ष करदाताओं द्वारा भुगतान ● प्रमुख एकाउंटिंग कोडवार शीर्ष करदाता ● लघु लेखा कोडवार और सेवाकर शीर्षकरदाता ● ई-भुगतान और भौतिक भुगतान	● अखिल भारतीय ● मुख्य आयुक्त ● आयुक्त (प्रभाग और रेंज) ● सेवाकर आयुक्तालय, उपयोग कर्ताओं के ● बारे में 5000 शीर्षस्थ करदाताओं तक शीर्ष आकलन रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। ● ऐसे शीर्षस्थ करदाताओं से संबंधित चालान-वार ब्यौरा उपलब्ध है															
ई-पेमेंट रिपोर्ट	● ई-पेमेंट और भौतिक भुगतान ● एकाउंटिंग कोडवार ब्यौरा ● भौतिक भुगतान की तुलना में % ई-पेमेंट	● अखिल भारत ● मुख्य आयुक्त ● आयुक्त															
		2. ईएसएसआईआईएसटी कवरेज का उद्देश्य गुणवत्ता प्रद आंकड़ों की मॉनीटरिंग करना होता है और कोष तथा बैंक शाखाओं की दृष्टि से ई एसएसआईएसटी आंकड़ों के कवरेज को दर्शाना होता है। इस वर्ग में निम्न प्रकार की रिपोर्ट आती है। ✳ फंड सेटलमेंट सांख्यिकी रिपोर्ट ✳ ब्रांच कवरेज सांख्यिकी रिपोर्ट ✳ फंड सेटलमेंट आंकड़े (माह-वार) ✳ आरबीआई के अनुसार राजस्व रिपोर्ट अखिल भारतीय उपभोक्ता जैसे कि अध्यक्ष, सदस्य, डीजी आदि ऐसी रिपोर्टों को देख सकते हैं। इससे आरबीआई के साथ निपटान किए बैंक-वार संक्षिप्त विवरण बनाम एनएसडीएल द्वारा अपलोड किए गए कुल राजस्व को सृजित करने में सहायता मिलेगी।															

क्र.सं.	गतिविधि	संक्षिप्त ब्यौरा
		इससे बैंकों द्वारा एनएसडीएल पर चालान (राजस्व) अपलोड करने अथवा आरबीआई के साथ फंड सेटलमेंट करने पर नजर रखने के अलावा संबंधित वित्त वर्ष के दौरान राजस्व लेखा की मॉनीटरिंग (यह भी माह-वार) की जा सकेगी। एनएसडीएल पर अलग-अलग शाखाओं द्वारा चालान अपलोड अथवा उसे अपलोड करने अथवा शून्य चालान आंकड़े रखना भी मॉनीटरिंग किया जा सकेगा। आरबीआई के अनुसार राजस्व रिपोर्ट (जून 2013 के अनुसार जोड़ी गई रिपोर्ट) सीबीईसी के शीर्ष अधिकारियोंको आरबीआई के साथ सेटलमेंट किए फंड के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद कर तथा सेवा कर दोनों के लिए ही कुल राजस्व, रिफंड तथा नेट राजस्व का बैंक-वार, संक्षिप्त विवरण प्राप्त करने में मदद करेगा। यह सरकारी खजाने को सूचित राजस्व है। 3. ईएसआईएसटी की रिपोर्ट का आधार वे त्रुटि रिपोर्ट हैं जिनको बैंकों द्वारा अपलोड किया जाता है और इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की शुद्ध की गई त्रुटियों को दर्शाना होता है। 4. अवैध निर्धारिती कोड रिपोर्ट का उद्देश्य आंकड़ों की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग करना होता है और अखिल भारत, मुख्य आयुक्तालय और आयुक्तालयवार हर महीने वैध निर्धारिती कोडो का ब्यौरा देता है। यह सितम्बर, 2010 के पहले दिये गये चालान पर लागू होता है इसके बाद सेस्टम द्वारा तैयार किये गये निर्धारिती कोड को अनिवार्य बना दिया गया है। 5. कर-निर्धारिती कोड क्यू रिपोर्ट किसी भी वित्त वर्ष के संबंध में राजस्व के भुगतान का संक्षिप्त विवरण तथा अलग-अलग चालान के भुगतान का विवरण (अल्प शुल्क शीर्ष भुगतान विवरण सहित) सुलभ करेगा।

9.12.3 चालू परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण :-

क्र.सं.	चालू परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण
1.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर का स्वचालन (एसीईएस) एसीईएस एक केन्द्रीय रूप से होस्टेड, वेब आधारित, कार्य-प्रवाह आधारित सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन है जो केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सेवाकर से संबंधित समस्त व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है। इसमें ऑनलाइन पंजीकरण विवरणियों की ऑन लाइन फाइलिंग और प्रसंस्करण, दावे सूचनाएं एवं अनुमतियां, उत्पादशुल्क संबंधी निर्यात प्रलेखों की फाइलिंग एवं प्रसंस्करण, विवाद समाधान, लेखा परीक्षा इत्यादि शामिल है। सभी 104 आयुक्तालयों में दिनांक 23.12.2009 को एसीईएस की व्यवस्था चालू कर दी गई है अधिसूचना सं. 21 एवं 22/2011-सीमाशुल्क दिनांक 14.09.2011 और 43/2011-सेवाकर दिनांक 25.08.2011 के द्वारा दिनांक 01.10.2011 से सभी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर निर्धारितियों के लिए अपने रिटर्न की ई-फाइलिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है। दिनांक 31.10.2013 तक एसीईएस में 36,53,575 केन्द्रीय उत्पाद कर विवरणी तथा 43,81,378 सेवा कर विवरणी दायर की गई। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद कर में 116046 पंजीयन आवेदन तथा सेवा कर में 1037273 सेवा कर पंजीयन आवेदन तथा 1,02,573 रिफंड के क्लेम तथा 2,49,010 क्लेम तथा सूचना आवेदन एसीईएस में की गई।

क्र.सं.	चालू परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण
2.	विभाग में कम्प्यूटर अवसंरचना की वृद्धि प्रयोगकर्ताओं की सहायता के लिए सीबीईसी ने एक सर्विस डेस्क संस्थापित किया है जहां कि राष्ट्रीय स्तर पर 1800 425 4251, नं. पर निःशुल्क जिस पर विभागीय अधिकारी और करदाता दोनों ही सभी कार्य दिवसों को प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक फोन कर सकते हैं। इसके अलावा aces.servicedesk@icegate.gov.in पर वे ई-मेल (24x7) भी कर सकते हैं। सभी कॉल/ई-मेल की डेस्क सर्विस एजेंटों द्वारा लॉग-इन की जाती है। जिनको कि यूनिट टिकट नं. दिया जाता है। यदि एक एजेंट इन मुद्दों का समाधान अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं तो वे इस आवश्यक कार्रवाई के लिए दूसरी टीमों जैसे कि आवेदन टीम, नेटवर्क टीम या हॉर्डवेयर टीम के पास भेज सकते हैं। सीबीईसी की ये टीमें सर्विस डेस्क में इन कार्यों की प्रगति के नजदीकी से मॉनीटरिंग करती हैं, मुद्दों का विश्लेषण करती हैं और शीघ्र समाधान के लिए उपर्युक्त निर्देश भी जारी करती हैं। सीबीईसी की टीम के द्वारा नजदीकी से मॉनीटरिंग किये जाने के कारण काफी हद तक समाधान हो गया है दिनांक 30.11.2012 तक सर्विस डेस्क में 642428 मुद्दे आये थे जिनमें से 642165 (99.96%) का समाधान हो गया है। डीजीएस ने भारत भर में प्रमाणीकृत सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (आईसीएआइ), इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एकाउंट्स (आईसीएआई), और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरीज (आईसीएसआई), के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इन प्रमाणीकृत सुविधा केंद्रों से उन निर्धारितियों को एसीईएस में अपना कार्य व्यापार करने में सुविधा होती है जिनके पास आवश्यक विषयज्ञता या अवसंरचना नहीं होती है। इस समय भारत भर में लगभग 350 शहरों में ऐसे 1160 प्रमाणीकृत सुविधा केंद्र काम कर रहे हैं और उनसे एईएस में पेपर दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन और पंजीकरण, रिटर्न, दावों, अनुमति और सूचना आदि से संबंधित आवेदनों जैसे दस्तावेजों की ऑन लाइन फाइलिंग/अपलोडिंग जैसी विभिन्न सेवाओं को भुगतान के आधार पर प्रदान किया जा रहा है। सीबीईसी ने विभिन्न स्थानीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री/ट्रेड एसोसिएशन और संस्थानों के साथ सहयोग से दो के विभिन्न भागों में कार्यालयाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन किया है। लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल है, को एसीईएस की वेबसाइट पर संस्थापित कर दिया गया है जिसका काम उपयोगकर्ताओं को यह बताना है कि एसीईएस का किस प्रकार प्रयोग किया जाए। एसीईएस की वेबसाइट पर यूजर मेन्यूअल्स और एफएक्यू भी डाल दिये दिये गये हैं। सभी विभागीय अधिकारियों के लिए एक नई सुविधा प्रदान की गई है जिसके तहत एआरई-1/एआरई-2 के तहत किये गये निर्यात से संबंधित पिपिंग बिल्स और एआरई के ब्यौरे प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा से विनिर्माता द्वारा प्रस्तुत निर्यात प्रमाणपत्र का सत्यापन करने में केन्द्रीय उत्पाद गुल्क के अधिकारियों को सुविधा प्राप्त होती है और इससे उनको बांड/एलटीयू को जारी करने में कम समय लगता है और इसके परिणामस्वरूप छूट के दावों को स्वीकृति देने में आसानी होती है। 37,000 विभागीय प्रयोक्ताओं को राष्ट्रीय आंकड़ा केंद्र, डेटा प्रतिकृति एवं डीआर साइटों से जोड़ने के लिए एक अखिल भारतीय वाइड एरिया नेटवर्क स्थापित करने के लिए यह सीबीईसी के अधिकारियों को राष्ट्रीय आंकड़ा केंद्र एवं आपदा रिकवरी साइट से जोड़ेगा। वाइड एरिया नेटवर्क (यू एन ए) को 523 साइट पर चालू कर दिया गया है। बाकी 16 साइटों पर कार्य चल रहा है। डब्ल्यूएएन और एलएएन मुद्दे पर प्रयोक्ताओं की क्लियरेंस दूर करने के लिए सहायता डेस्क की व्यवस्था कर दी गई है। मैसर्स टाटा कम्प्यूनिकेशन द्वारा 20 महत्वपूर्ण सीबीईसी स्थानों पर वैकल्पिक डब्ल्यूएएन सुविधा दी जा रही है। इससे इन स्थानों पर 100 प्रतिशत केन्कटीवेटी सुनिश्चित होगी।

क्र.सं.
चालू परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण

प्रणाली एकीकरण	यह योजना कार्यान्वित कर दी गई है तथा इस समय अनुरक्षण चरण में है : ● 99 प्रतिशत से अधिक के अप टाईम के साथ तीन राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्रीय कार्यरत हैं। 24x7x365 आधार पर केन्द्रीयकृत मॉनीटरिंग तथा सुरक्षा प्रबंध है। ● भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली(आईसीईएस, केन्द्रीय उत्पाद कर तथा सेवा कर एप्लीकेशन (एसीईएस), ईडीडब्ल्यू आदि जैसी सभी केन्द्रीयकृत व्यावसायिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन राष्ट्रीय केंद्रों से होस्ट किए जा रहे हैं । यह प्रणाली लगभग 37 हजार आंतरिक उपभोक्ताओं की सहायता करती है तथा इसमें लगभग 30 लाख बाह्य उपभोक्ता (करदाता) हैं । ● वेबसाइट होस्टिंग :द कॉरपोरेट वेबसाइट (cbec.gov.in) तथा एसीईएस वेबसाइट (aces.gov.in) इस केन्द्रीय ढांचे से चल रही हैं तथा वित्त वर्ष 2013-14 में 11 दिसम्बर तक इसमें 217 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा दौरा किया गया । ● मुद्रा उद्घोषणा प्रपत्र (सीडीएफ) तथा आपसी संबद्ध टैरिफ जैसी नई एप्लीकेशन/ करदाता सेवाएं इस केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे पर होस्ट की गई हैं । ● एक 24x7x365 एसआई हेल्प डेस्क सुविधा बुनियादी ढांचे तथा एंड यूजर समस्याओं के निपटान हेतु कार्य कर रही है । वर्ष 2013-14 में सितम्बर 2013 तक इस एसआई हेल्प डेस्क पर कुल 31302 टिकिट लॉग किए गए । ● विभिन्न एप्लीकेशन के संबंध में सीबीईसी के अधिकारियों को नीति आधारित ऐक्सस प्रदान करनेकी दृष्टि से 37,000 से अधिक पंजीकृत उपभोक्ताओं के सहायतार्थ एक सिंगल साईन ऑन एप्लीकेशन भी कार्यान्वित की गई है । ● ओनई ई-मेल डोमेन - मेल मैसेज सोल्यूशन के लिए webmail.iccgate.gov.in इस डाटा केंद्र से क्रियान्वित किया गया है ताकि 20,000 से अधिक आंतरिक उपभोक्ताओं को आधारिक मेल एकाउंट प्रदान किया जा सके । ● एप्लीकेशन के उपयोगकर्ताओं के सहायतार्थ तथा बुनियादी ढांचे की सक्रिय मॉनीटरिंग के लिए एक नेटवर्क तथा आई ऑपरेशन केन्द्र (एनओसी) स्थापित किया गया है । ● पायलट लोकेशन आईसीडी पटपड़गंज तथा आईसीडी मुलन्द में आरएमएस निर्यात एप्लीकेशन चालू करने के लिए एक ओगमेंटिड एसआई इन्फ्रास्ट्रक्चर लगाया गया है । ● सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद कर तथा सेवा कर (आईसीईएस), एसीएस, आरएमएस, आईसगेट) में सीबीईसी के सभी उत्पादित डाटा बेस तथा यूजन आईडेंटिटी मैनेजमेंट के संचालन में बिना किसी अवरोध के प्राइमरी तथा डीआरसाइट पर सफलतापूर्वक उन्मन किया गया । दिनांक 13-15 सितम्बर, 2013 को डाईजेस्टर रिकवरी ड्रील आयोजित किया गया - डीआर साइट से लाइव सौदे सफलतापूर्वक किए गए तथा बिना किसी कठिनाई से प्राइमरी साइट उनकी पुनरीक्षा की गई ।
लोकल एरिया नेटवर्क	1177 भवनों के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड प्रयोक्ताओं को थिन क्लाउंट, नेट प्रिंटर सर्वर्स एवं स्कैनर इत्यादि जैसे वांछित सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के साथ लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। एलएएन, का प्रयोग करके, आयुक्तालय, सीमाशुल्क गृह, निदालय प्रभाग, आईसीडीएस, भू सीमा शुल्क केन्द्र तथा केन्द्रीय उत्पाद/सेवाकर रेंज, केन्द्रीय संगणन सुविधा से सुरक्षित रूप से जुड़ सकेंगे/ उसे अक्सेस कर सकेंगे।
3. डाटा वेयरहाउस (डी डब्ल्यू)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड का उद्यम डी डब्ल्यू जिसे हम स्मार्ट व्यू भी करते हैं एक वेब आधारित विलेखणात्मक रिपोर्टिंग समाधान है जो कि तेजी से पूछ-ताछ किये जाने और अत्याधुनिक विलेखणात्मक क्षमता के लिये तैयार किया गया है, जिसमें नवीनतम

क्र.सं.	चालू परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण
	बिजनेस इंटेलिजेंस उपकरण का प्रयोग किया गया है। यह भारत में कर के क्षेत्र में अपने में पहले प्रकार का है इसमें ऐसी क्षमता है कि यह विभिन्न आनलाइन संव्यवहार प्रणालियों जैसे कि आई सी ई एस 1.5 (सीमाशुल्क), एसीईएस (केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सेवा कर भुगतान) से नियमित पूर्व निर्धारित फ्रीक्वेसी पर आंकड़ों को संकलित कर सकता है। सीबीईसी के डाटा वेयर हाऊस को सी बी ई सी के केन्द्रीकृत समेकित आई टी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया गया है। ऐसी आभा है कि यह अप्रत्यक्ष कर आंकड़ों की अकेली संग्रह है जिससे कि हमें सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के आंकड़ों की अकेली संग्रह है जिससे कि हमें सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के आंकड़ों की राष्ट्रीय स्थिति का पता चलता है। इससे हमें पहली बार सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के सभी करदाताओं की चतुर्दिक स्थितिका पता लग जाता है। स्मार्ट व्यू पूर्व परिभाषित रिपोर्टों का आकलन करने में प्रयोक्तानुकुल इंटरफेस का काम करता है और बहु आयामी विलेखन करता है तथा तदर्थ पुंछ-तांछ सुविधा प्रदान करता है। इसमें डाटा माइनिंग और टेक्स माइनिंग की भी सुविधा है जिसका प्रयोग आयात और निर्यात में निहित तथ्यों की प्रोफाइलिंग में आर एम डी को सुविधा प्रदान करने में किया जा रहा है। अब तक डाटा वेयर हाऊस में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की 75 पूर्व परिभाषित रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है, जो कि विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों निदेशलयों (डीआरआई, डीजीऑवी डीजीसीईआई आदि) टीआरयू बोर्ड आदि से मगाई गई मांग पर आधारित हैं। इन रिपोर्टों का निष्कर्ष निकालने के लिये डी डब्ल्यू पोर्टल से आंकड़े प्राप्त करने के लिए किसी विशेषज्ञता की जरूरत नहीं है और जैसे ही प्रयोगकर्ता सीबीईसी के इंटरफेस पर माउस से क्लिक करता है रिपोर्ट उसके सामने आ जाती है। स्मार्ट व्यू एप्लीकेशन को विभागीय प्रयोगकर्ताओं के लिये तैयार किया गया है और बड़ी संख्या में अधिकारियों को व्यापक इंड यूज प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, डी डब्ल्यू प्रोजेक्ट टीम ने टैक्स 360 परियोजना की सफलतापूर्वक शुरुआत कर दी है जिससे कि सीबीईसी सीबीडीटी और महाराष्ट्र राज्य के बिक्री कर प्रशासन के बीच सीमलेस डाटा एक्सचेंज की सुविधा हो गई है और इससे आयकर, सेवा कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और राज्यों के वैट के सभी करदाताओं की सम्पूर्ण स्थिति का पता लग जाता है। अन्य राज्य, जैसे कि गुजरात ने भी अपने राज्य के लिए इसी प्रकार की परियोजना चलाये जाने के लिये अनुरोध किया है।
4	सीमाशुल्क का ई-पेमेंट प्रति आगम-पत्र 1 लाख रुपये से अधिक का शुल्क जमा करने वालों के लिए तथा एसीपी के सभी आयातकों के लिए सीमाशुल्क का ई-पेमेंट करना अनिवार्य बना दिया गया है। अन्य सभी आयातकर्ताओं के लिए भी ई-पेमेंट की सुविधा का विकल्प उपलब्ध है।
5.	इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) सीमाशुल्क की ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस, संस्करण 1.5) के उन्नत संस्करण को 116 सीमाशुल्क स्थानों पर चालू कर दिया गया है। अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 की अवधि में इसमें प्रस्तुत दस्तावेजों की संख्या इस प्रकार है। आगम पत्र : 3274117 शिपिंग बिल: 5446697 इम्पोर्ट जनरल मेनीफेस्ट: 281142 इक्सपोर्ट जनरल मेनीफेस्ट: 158934
6.	माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) आईसीईजीएटीई माल एवं सेवा कर नेटवर्क को लागू करने के लिए जरूरी है- (i) केन्द्र और राज्यों में अप्रत्यक्ष कर आईटी सिस्टम का एकीकरण जिससे कि कर दाताओं के लिए मानक और एक समान इंटरफेस की सुविधा प्रदान की जा सके और (ii) राज्यों और केन्द्र ने विशेषकर माल एवं

क्र.सं.
चालू परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण

सेवाकर के अंतर्राज्यीय व्यापार के संदर्भ में एक सुगठित निपटान तंत्र। ऐसा तभी संभव है जब हमारे पास मजबूत आईटी अवसंरचना और सर्विस बैकबोन जिससे कि स्टेक होल्डरों (जिसमें करदाताओं, राज्य एवं केन्द्र सरकार, बैंक और आरबीआई शामिल हैं) के बीच सूचना को प्राप्त किया जा सके और इसका प्रसंस्करण और विनिमय किया जा सके।

इन लक्ष्यों को ठोस आकार प्रदान करने के लिए प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन निदेशालय ने माल एवं सेवाकर (ईजी) के आईटी अवसंरचना संबंधी शक्ति प्राप्त दल के सचिवालय की भूमिका निभाई है जिसमें 7 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

मंत्रिमंडल से जीएसटीएन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर एक आम राय के आधार पर जीएसटीएन लाने हेतु अनुमोदन मांगा गया था। मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2012 में जीएसटीएन लाने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया, भारत सरकार ने इसे लाने के तीन वर्ष बाद तक की अवधि हेतु जीएसटीएन की प्रारंभिक स्थापना तथा कार्यकलापों के लिए व्यय हेतु 315 करोड़ की अनुदान राशि भी अनुमोदित कर दी।

मंत्रिमंडल के अनुमोदन के परिणामस्वरूप तथा मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित संरचना के अनुसार जीएसटीएन को धारा 25 (लाभ-हेतु-नहीं) के रूप में 28 मार्च 2013 को एक निजी लिमिटेड कंपनी बनाया गया। सरकार का जीएसटीएन में 49 प्रतिशत प्रतिभूति है जबकि एचडीएफडी लि., एचडीएफसी बैंक, एनएसई, नीतिगत निवेश निगम लि., आईसीआईसीआई बैंक लि. तथा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. जैसी निजी वित्तीय संस्थाओं की बकाया 51 प्रतिशत प्रतिभूति है। जीएसटीएन की संरचना के अनुसार एक निजी संस्था की 21 प्रतिशत प्रतिभूति के अलावा जीएसटीएन में किसी भी निजी संस्था की 10 प्रतिशत प्रतिभूति से अधिक नहीं रख सकता है।

जीएसटीएन के बोर्ड में निदेशकों की अधिकतम संख्या 14 तक हो सकती है। इन 14 निदेशकों में से 7 निदेशक (अध्यक्ष सहित) सरकार द्वारा नामित/नियुक्त होते हैं। बकाया 7 निदेशकों में से 3 जीएसटीएन में प्रतिभूति रखने वाली निजी संस्था द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। तथा 3 स्वतंत्र निदेशक और एक सीईओ को जीएसटीएन के बोर्ड द्वारा खुली प्रतियोगी चयन प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किया जाता है।

जीएसटीएन एक विशिष्ट राष्ट्रीय अभिकरण होगा जो केंद्र तथा राज्य आपद संबंधित सेवाएं (पूर्व तथा भूतपूर्व जीएसटी शासन के दौरान) सरकार ने जीएसटीएन निदेशक मंडल में अपने प्रतिनिधि रखते हुए विभिन्न उपायों के माध्यम से जीएसटीएन के पणधारी मजोरिटी के ¾ के माध्यम से ही कई नीतिगत नीतिगत निर्णय पारित करने के अधीन अपना नीतिगत नियंत्रण बना रखा है। और जीएसटीएन बोर्ड में अध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष के लिए कास्टिंग/सेकण्ड वोट का अधिकार बना रखा है।

महानिदेशक प्रणाली एनएसडीएल के माध्यम से जिसमें केंद्र और राज्य भी शामिल हैं के माध्यम से एक पायलाट परियोजना का समन्वय कर रहा है जिससे ईजी के तत्वावधान में इस जीएसटी का क्रियान्वयन हो सकता है। इस दिशा में अब तक निम्नलिखित काम पूरे हो गये हैं।

- केंद्र और सभी राज्यों/ संघ शसित क्षेत्रों के लिए "जैसा और सभी" वैसी स्थिति का आईटी अवसंरचना एवं प्रसंस्करण का अध्ययन।
- सभी राज्यों/ संघ राज्यों के वर्तमान डीलर डाटा का पैन विलषण।
- जीएसटी पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान समझौता, क्रेडिट सत्यापन और अंतर्राज्यीय निपटान के लिए प्रोटोटाइप माड्यूल का विकास और उसका परीक्षण
- जीएसटी प्रोटोटाइप मोड्यूल : डीजी सिस्टम की टीम सीबीईसी (दिल्ली तथा चेन्नई) और केंद्र तथा राज्य कर प्रशासनों के डीलरोंद्वारा जीएसटी कोर मोड्यूल (पंजीकरण विवरणी तथा भुगतान) के परीक्षण के कई राउण्ड आयोजित किए गए। अग्रिण्य (पायलट) राज्यों से लगभग 300 डीलरों और व्यावसायिक कर अधिकारियों (जून - अक्तुबर 2012

क्र.सं.	चालू परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण
7.	आईसीईजीएटीआई तथा मार्च 2013) तथा केन्द्र से 200 डीलरों द्वारा (जून - सितम्बर 2012 तथा मार्च 2013) इन परीक्षणों ने प्रतिभागिता की गई। सीबीईसी के अंतर्गत आने वाले निम्न कर कार्यालयों से डीलरों ने कार्यशालाओं और जीएसटी प्रोटोटाइप का परीक्षण किया। ● चेन्नई सेवा कर आयुक्तालय ● चेन्नई-II आयुक्तालय ● चेन्नई-एलटीयू आयुक्तालय ● चेन्नई-III (रानीमेट और वल्लूर) आयुक्तालय ● बंगलौर-I आयुक्तालय ● बंगलौर-एलटीयू आयुक्तालय विभिन्न पणधारियों से मूल्यवान फिडबैक और सुझाव प्राप्त हुए जिससे जीएसटी पायलट परियोजना की समझ और गहरी हुई। अधिकार प्राप्त समूह की सिफारिशों के आधार पर आपूर्ति विभाग, प्रिंसिपल सीसीए, आरबीआई, एसबीआई तथा एनएसडीएल के प्रतिनिधियों के साथ एक समिति डीजी सिस्टम की अध्यक्षता में जीएसटी के अंतर्गत भुगतान प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने हेतु नवंबर 2011 में गठित की गई। इस समिति ने सर्जन से अब तक 5 बैठकें की तथा विचार विमर्श के आधार पर जीएसटीएन के कार्यान्वयन हेतु भुगतान, लेखा तथा संबंधित बैंकिंग व्यवस्था पर एक प्रारूप परिचर्चा दस्तावेज (सातवां संस्करण) लेकर आई। जबकि इस दस्तावेज का प्रयोग प्रोटोटाइप मोड्यूल के लिए आधार बनाया जा रहा है। जीएसटीएन भुगतान प्रक्रिया पर प्रारूप परिचर्चा दस्तावेज का अगला संस्करण विकसित करने हेतु इस समय कार्य चल रहा है। आईसीईजीएटीआई एक एप्लीकेशन परियोजना है जो विभाग की ईसी/ईडीआई तथा डाटा संचार अपेक्षाओं को पूरा करती है। आईसीईजीएटीआई एक प्रकार का पोर्टल है जो ट्रेड और कार्गो कैरियर्स को तथा सीमा शुल्क विभाग के अन्य ग्राहकों को ई-फाइलिंग सेवायें प्रदान करता है। यह एकल खिड़की सेवा का परिवेश प्रदान करती है और दरवाजे तक सेवा प्रदान करती है। एकल खिड़की सेवा के कार्य क्षेत्र में पीक्यूआईएस, एफएसएसआई, प्रिंसिपल सीसीए, आरबीआई के जैसे तथा उनके साथ डाटा विनिमय के आधार पर विस्तृत हो रही है। इस सुविधा के माध्यम से विभाग सेवाओं का एक पुंज प्रदान करता है जिनमें आगम पत्र की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग (आयात माल की उद्घोषणा) शिपिंग बिल्स (निर्यात माल की उद्घोषणा) और सीमा शुल्क और व्यापारिक साझेदारों के बीच संबंधित इलेक्ट्रॉनिक संदेश, जिसमें संप्रेषण सुविधाओं (ई-मेल, वेब अपलोड एवं एफटीपी) का प्रयोग हो सके, ऐसे प्रोटोकाल का प्रयोग जिनका इंटरनेट पर प्रयोग होता है। इसके अलावा, सीमा शुल्क और विभिन्न विनियामक एजेंसियों जैसे कि डीजीएफटी आई बी आई और डीजीसीआई एस के बीच आसीईजीएटीआई के माध्यम से आकड़ों का आदान-प्रदान होता है। मूल्यांकन निदेशालय को नेशनल इम्पोर्ट डाटाबेस और एक्सपोर्ट कमोडिटी डाटाबेस की सुविधायें आईसीजीएटीआई के माध्यम से ही प्रदान की जा रही है। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों/संदेशों, जिनकी देख-रेख आईसीईजीएटीआई के माध्यम से होती है को इंडियन कस्टम्स ईडीआई सेस्टम (आईसीईएस) जो कि 120 सीमा शुल्क स्थानों पर कार्यकर रहा है के द्वारा पूरा किया जाता है। ई- फाइलिंग के अलावा, आईसीईजीएटीआई अन्य प्रकार की भी सेवायें प्रदान करता है जैसे कि ई पेमेंट आईपीआर का आन लाइन पंजीकरण, कस्टम्स ईडीआई पर डाक्यूमेंट ट्रेकिंग स्टेटस डीईपीबी/डीईएस/ईपीसीजी लाइसेंसों का आन लाइन सत्यापन आईई कोड स्टेटस पी ए एन आधारित सीएसए डाटा और अन्य प्रमुख वेबसाइट्स/सीमा शुल्क कार्यों से संबंधित सूचना।

9.12.4 कारण माल के निर्धारण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में भी सहायता की है :-

- (क) टेली-इंक्वायरी सिस्टम, टच स्क्रीन कियोस्क, एसएमएस, टीवी मानिटर एवं स्थानीय वेबसाइटों पर दस्तावेज की स्थिति के प्रदर्शन के माध्यम से दस्तावेज की स्थिति के बारे में सूचना जिनसे व्यापार जगत द्वारा नौप्रेषकों की निगरानी करने में अधिक पारदर्शिता का मार्ग प्रशस्त होता है।
- (ख) दस्तावेज ट्रैकिंग, स्टेशन क्वेरी एवं आइसगेट पर सहायता डेस्क के माध्यम से संकटग्रस्त पारदर्शिता।
- (ग) विभागीय वेबसाइट: www.cbec.gov.in, www.icegate.gov.in, और www.aces.gov.in के माध्यम से सूचनाओं का प्रसार

9.13 जोखिम प्रबंधन प्रभाग (आर एम एस)

9.13.1 सीमा शुल्क जांच के लिए अधिक जोखिम वाले कार्गो के आसूचना के माध्यम से व्यापार सुविधा एवं प्रवर्तन के एक उपाय स्वरूप वित्त, वाणिज्य और जहाजरानी मंत्रालयों के एक अंतर्मंत्रालयी दल ने एक जोखिम प्रबंधन प्रणाली की सिफारिश की है और साथ में ही उन विशेष ग्राहकों के लिए एक विश्वसनीय कस्टम क्लियरेंस प्रक्रिया शुरू किये जाने की सिफारिश की है जिनका ट्रैक रिकार्ड अच्छा है और जो सीमा शुल्क द्वारा अभिज्ञात विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं।

9.13.2 तदनुसार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने एक जोखिम प्रबंधन प्रणाली इन हाउस का विकास किया है तथा एयर कार्गो काम्प्लेक्स सहार मुम्बई में 2005 में शुरू किया, भारत के लगभग 85 औ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को शामिल करते हुए 23 प्रमुख सीमा शुल्क पत्तों/हवाई अड्डों में कार्यान्वित किया। जोखिम प्रबंधन प्रणाली को चलाने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने 24.11.2005 को एक परिपत्र (43/2005-सीमा शुल्क) जारी किया था।

9.13.3 जोखिम प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड की सतत कारोबार प्रक्रिया पुनर्अभियंत्रण तथा ई गवर्नेंस पहलुओं की दिशा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपायों में से एक था।

9.13.4 जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आर एम एस) का उद्देश्य भारतीय सीमा शुल्क प्रशासन को सक्षम बनाना है ताकि वह व्यापार सुविधा एवं प्रवर्तन के मध्य एक समुचित संतुलन बना सके। जोखिम प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) में आयातकों द्वारा दाखिल प्रविष्टि के विपत्रों पर जोखिम के लिए कार्रवाई की जाती है तथा आयातकों के स्व-निर्धारण पर आधारित जांच के बिना बहुत से पारषेणों को निकासी की अनुमति दी जाती है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली द्वारा जोखिम के मूल्यांकन के अधीन अन्य पारषेणों का निर्धारण अथवा जांच अथवा दोनों किया जाता है।

9.13.5 सभी अर्हक आयातक जिन्होंने कानूनों के अनुपालन के लिए क्षमता एवं इच्छा प्रकट की है सीमा शुल्क विभाग के लिए

सीबीईसी परिपत्र 23/2007-सी.शु. दिनांक 28.6.2007 के तहत स्थापित जोखिम प्रणाली को कार्यान्वित करना एवं पंजीकृत करना अपेक्षित है ताकि एक्सीडिटिड क्लाइंट्स प्रोग्राम (एसीपी) जिसे सीबीईसी परिपत्र 42/2005-सीमा शुल्क दिनांक 24.11.2005 के तहत लागू किया गया, के अधीन जोखिम प्रबंधन प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए सुनिश्चित सुविधा प्राप्त करते हैं। जोखिम प्रबंधन प्रणाली द्वारा यादृच्छिक आधार पर चुनिंदा पारषेणों की छोटी प्रतिशतता अथवा मामलों को छोड़कर जहां विशिष्ट आसूचना उपलब्ध है अथवा जहां गैर अनुपालना के विशेष रूप से देखे गए तरीके को संबोधित किए जाने की अपेक्षा है, एसीपी आयातकों को स्व-निर्धारण के आधार पर निकासी की अनुमति दी जाती है। 01.11.2013 कुल ऐसे 326 एसीपी आयातक हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने परिपत्र 29/2010-सीमा शुल्क दिनांक 20.8.2010 के तहत विदेश व्यापार नीति के तहत प्रस्थितिधारकों को एक्सीडिटिड क्लाइंट्स प्रोग्राम प्रदान किया।

9.13.6 जोखिम प्रबंधन प्रणाली के लागू हो जाने पर पूर्व समवर्ती लेखा परीक्षा को पश्चात निकासी लेखा परीक्षा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। निकासी पश्चात लेखा परीक्षा ऐसी लेखा परीक्षा के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली द्वारा चुनी गई प्रविष्टि के विपत्रों पर ही की जानी है। अगले स्तर तक निकासी पश्चात लेखा परीक्षा करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने हाल ही में आनसाइट निकासी पश्चात लेखा-परीक्षा शुरू की है। प्रारंभ में, आन साइट निकासी पश्चात लेखा-परीक्षा, ए जी पी ग्राहकों तक ही सीमित होगी।

9.13.7 जोखिम प्रबंधन प्रणाली के लागू हो जाने से निकासी समय में भारी कमी करते हुए सीमा शुल्क आयात निकासी प्रक्रिया में क्रंति आ गई है। इस उपाय से आयातकों के लिए कार्गो के निवास समय एवं संव्यवहार लागत में भारी कमी आई है, तथा उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार हुआ है। इसका श्रेय भारतीय सीमा शुल्क की इंटरनेट वेब पोर्टल www.icegate.gov.in का प्रयोग करते हुए आयात दस्तावेजों को दूर से दाखिल करने ई भुगतान सुविधा को लागू करने तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को जाता है। आज भारतीय आयातक कुछ ही घंटों में अपने माल की निकासी करा सकते हैं।

9.13.8 सामान्य रूप से सार्वजनिक सुपुर्दगी मानकों एवं विशेष रूप से सीमा शुल्क निकासी पर जोखिम प्रबंधन प्रणाली के प्रभाव को स्वीकार करते हुए प्रधान मंत्री का सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता अवार्ड वर्ष 2007-08 के लिए 'सीमा शुल्क' विभाग में जोखिम प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन को प्रदान किया गया।

9.13.9 आईसीईएस के रूपान्तरण 1.0 से रूपान्तरण 1.5 तथा पूर्व वितरित पर्यावरण से दिल्ली में केन्द्रीय पर्यावरण में हस्तांतरण से जोखिम प्रबंधन प्रणाली अनुप्रयोग जो आर एम डी मुम्बई में स्थित सर्वर पर कार्य कर रहा था, दिल्ली स्थित केन्द्रीय सर्वर पर भी चला गया था। आई सी ई एस 1.5 रूपान्तरण के अनुरूप जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आर एम एस 3.1) का एक नया रूपान्तरण विकसित किया गया।

9.13.10 जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आर एम एस 3.1) का नया रूपान्तरण 79 सीमा शुल्क स्थलों (01.12.2011 के अनुसार) पर कार्य कर रहा है जिसमें वे 23 स्थल शामिल हैं जहां पुराना रूपान्तरण (आर एम एस 2.7) अस्तित्व में था ।

9.13.11 निर्यात में जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) को दो स्थानों अर्थात् आईसीडी पटपड़ गंज तथा सीएफएस मुलन्द में दिनांक 13.5.2013 को तथा बाद में 15.10.2013 को एसीसी शहर मुम्बई में एक पायलट परियोजना के रूप में आरम्भ किया गया है । इसके अतिरिक्त निर्यात में आरएमएस को 13.11.2013 को अन्य 11 स्थलों और 2.12.2013 अन्य 11 स्थलों पर कार्यान्वित किया गया है । अतः इस समय आरएमएस निर्यात 25 स्थानों पर कार्यरत है। निर्यात में आरएमएस को सभी बकाया आईसीएस स्थलों जहां आरएमएस कार्यरत है दिसम्बर 2013 तक आरम्भ किया जायेगा ।

9.13.12 निर्यात में आरएमएस लागू करना व्यापार को सुलभ करने का तथा सीमा शुल्क नियंत्रण हेतु केवल उच्च जोखिम वाले परेषणों की चयनित जांच का उपाय है । आरएमएस लागू करने के साथ शिपिंग बिल के स्वयं मूल्यांकन और जांच की राजमर्श के सत्यापन की प्रथा समाप्त कर दी जाएगी तथा ध्यान को आरएमएस द्वारा चुने गए शिपिंग बिल के गुणवत्ता मूल्यांकन, जांच तथा लेखा की पोस्ट क्लिरिफिकेशन पर लगाया जाएगा । निर्यात प्रोसेसिंग में आरएमएस कार्यान्वित करने के मूलभूत उद्देश्य और प्रस्तावित लाभ निम्न प्रकार से हैं:

- “मूल्यांकन तथा जांच के अधीन केवल जोखिम वाले शिपमेंट पर ही ध्यानकेन्द्रीत करते हुए अनुपालक निर्यात परेषणोंकी सीमा शुल्क अनापत्ति प्रदान करने में तत्परतालाकर व्यापार को सुलभ बनाना और लेन-देन कीमत में कमी लाना।
- “वस्तुओं के निर्यात से संबंधित निवेशों तथा अवरोधों के प्रवर्तन हेतु समुचित तंत्र।
- ”प्रतिअदायगी तथा अन्य निर्यात प्रोत्साहनों की समुचित तथा समय से अदायगी।
- “अन्य सरकारी विभागों के मौजूदा नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन।

9.13.13 कोरियर अनापत्ति हेतु जोखिम प्रबंधन प्रणाली विकसितकर ली गई है तथा कार्यान्वयन हेतु तैयार है ।

9.13.14 आईपीआर के एआरटीएस (ऑटोमेटेड रिकॉर्डिंग एंड टार्गेटिंग सिस्टम) मॉड्यूल, जिसको कि 2008 के प्रारम्भ में लागू किया गया था, में और सुधार किया गया है तथा इसे उपयोगकर्ताओं के अनुकूल बना दिया गया है। एआरटीएस के सेन्ट्रलाइज्ड बॉण्ड मैनेजमेंट मॉड्यूल पूरी तरह तैयार है और इसके परीक्षण तथा क्रियान्वयन के लिए बोर्ड के अनुमोदन का इंतजार किया जा रहा है।

9.13.15 जेएनपीटी, न्हावाशेवा पर पहुंचने के पश्चात स्कैनिंग करने के लिए कन्टेनरों के आईजीएम आधारित चयन का एक मॉड्यूल जोखिम प्रबंधन प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है और इसको सफलतापूर्वक

क्रियान्वित भी कर दिया गया है। संपूर्ण अनुप्रयोग को केन्द्रीय सर्वर में डाल दिया गया है और इसे आरएमएस 3.1 के अनुरूप बना दिया गया है।

9.13.16 निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं में जोखिम प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन

- निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं में जोखिम प्रबंधन प्रणाली, जिसमें ऐसी 21 योजनाओं को शामिल किया गया है, को अब तक सभी 79 ईडीआई स्थानों में लागू कर दिया गया है और आरएमडी के अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालयों के लगातार संपर्क में रहते हैं जिससे कि उपर्युक्त ईडीआई स्थानों में इस योजना को कारगर ढंग से और बिना अफरा-तफरी के लागू और क्रियान्वित किया जा सके।

9.13.17 जोखिम प्रबंधन प्रणाली प्रशिक्षण कार्यक्रम

- जोखिम प्रबंधन प्रभाग विभिन्न देशों के सीमाशुल्क अधिकारियों को प्रशिक्षण देने में आगे आ रहा है। इजरायल के कर प्राधिकारी भी जोखिम प्रबंध डिवीजन में गए । इसके अलावा आरएमडी अधिकारियों ने देश के कई सीमाशुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा किया है और सीमाशुल्क अधिकारियों को अपने कार्य में प्रशिक्षण दिया है। आरएमडी अधिकारी नासेन, फरीदाबाद, मुंबई और कानपुर के आरएमएस प्रशिक्षण कार्यों में भी सक्रियता से लगे हैं। जोखिम प्रबंध प्रभाग में भर्ती किए गए नए श्रेणी 1 के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया ।

9.13.18 आईपीआर प्रावधानों के प्रवर्तन हेतु एआरटीएस

- आईपीआर के एआरटीएस (ऑटोमेटेड रिकॉर्डिंग एंड टार्गेटिंग सिस्टम) मॉड्यूल, जिसको 2008 के प्रारंभ में क्रियान्वित किया गया था, में और सुधार किया गया है और इसे उपयोगकर्ताओं के अनुकूल बनाया गया है।
- एआरटीएस का सेन्ट्रलाइज्ड बॉण्ड मैनेजमेंट मॉड्यूल को पूरी तरह से कार्यान्वित कर दिया गया है ।

9.13.19 आईजीएम आधारित कंटेनर स्कैनिंग

- जेएनपीटी, न्हावाशेवा पर पहुंचने के पश्चात स्कैनिंग करने के लिए कन्टेनरों के आईजीएम आधारित चयन का एक मॉड्यूल जोखिम प्रबंधन प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है और इसको सफलतापूर्वक क्रियान्वित भी कर दिया गया है।

9.13.20 एक्स्टेंडेड क्लाइंट्स प्रोग्राम (एसीपी)

9.13.20.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड ने जोखिम प्रबंधन आधारित समाधान शुरू किया है जिसे जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) के रूप में जाना जाता है और जिसका कि 'क्रेडिटेड क्लाइंट्स'(एसीपी) एक मुख्य घटक है इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन आयातकर्ताओं को विश्वसनीय सुविधा प्रदान करना है जिन्होंने

उन कानूनों का पालन करने की अपनी क्षमता और इच्छा को प्रकट किया है जिनका क्रियान्वयन करना सीमाशुल्क विभाग के लिए जरूरी है। इस आरएमएस के क्रियान्वयन किये जाने से यह कार्यक्रम सुविधा संबंधी उन सभी वर्तमान योजनाओं का स्थान ले लिया है जहां पर कि आरएमएस का क्रियान्वयन किया जाता है। नवम्बर, 2005 से, बोर्ड के परिपत्र सं. 42/2005-सीमाशुल्क दिनांक 24.11.2005 जिसे फा.सं. 450/66/2005-सीमाशुल्क IV के तहत जारी किया गया था के अंतर्गत देश में आयात कार्गो की क्लियरेंस के लिए जोखिम प्रबंधन आधारित समाधान के रूप में आरएमएस, एसीपी समेत, को क्रियान्वित किया जा रहा है।

9.13.20.2 आरएमएस का उद्देश्य व्यापार को सुकर बनाने तथा, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर संबंधी कानूनों के प्रवर्तन के बीच समुचित संतुलन के क्रम में विभाग को समर्थ बनाना है। आरएमएस के अंतर्गत भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली के आयातकों द्वारा दायर किये गये प्रविष्टियों के बिलों की जोखिम के संबंध में जांच पड़ताल की जाती है पैकेज पर दिये गये अंकों और संख्या की जांच करने के पश्चात अथवा पूर्ण कंटेनर लोड कार्गो के मामले में कंटेनर संख्या और सील की जांच करने तथा आयातकों से संगत दस्तावेज प्राप्त करने के पश्चात् आयातकों के स्वमूल्यांकन के आधार पर बिना कोई जांच-पड़ताल किये लगभग 70 प्रतिशत कंसाइनमेंट को निकासी दे दी जाती है। अन्य कंसाइनमेंट के संबंध में आरएमएस द्वारा जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन अथवा जांच-पड़ताल अथवा दोनों तरह की नेमी स्वरूप की कार्रवाई की जाती है।

9.13.20.3 एक्स्ट्रेडिटेड क्लाइंट कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किये गये आयातक एक अलग श्रेणी बनाते हैं जिन्हें सुनिश्चित सुविधायें प्रदान की जाती हैं। आरएमएस द्वारा यादृच्छिक आधार पर चुने गये कंसाइनमेंट के नाममात्र प्रतिशत, अथवा ऐसे मामले जहां विशिष्ट आसूचना उपलब्ध है अथवा ऐसे मामले जहां अनुपालना नहीं किये जाने की एक विनिर्दिष्ट पद्धति का हल किया जाना अपेक्षित है के सिवाय, एक्स्ट्रेडिटेड क्लाइंट कार्यक्रम के दर्जे के धारकों को स्वमूल्यांकन के आधार पर अनापत्ति प्रदान की जाती है। अर्थात् अनापत्ति आयातक की घोषणा के आधार पर तथा वस्तुओं की जांच पड़ताल किये बिना प्रदान की जाती है। इसके अलावा यह सुविधा देश में उन सभी बंदरगाहों में पंजीकृत एक्स्ट्रेडिटेड ग्राहकों को सुलभ करवाई गई है जहां ईडीआई और आरएमएस प्रचालन में हैं। इस उपाय से ऐसे आयातकों के लिए कार्गो की निकासी के समय में और लेन-देन लागत में निश्चित रूप से काफी कमी हुई है।

9.13.20.4 एक्स्ट्रेडिटेड क्लाइंट कार्यक्रम के लिए अर्हक बनने हेतु आवेदक को बोर्ड के दिनांक 24.11.2005 के परिपत्र सं. 42/2005-सीमाशुल्क के पैरा 7 में विहित मानदण्डों में किसी एक मानदण्ड को पूरा करना होता है। इसके अलावा एक्स्ट्रेडिसियन एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। तथा इसके बाद एक्स्ट्रेडिटेड ग्राहक के अनुपालना रिकॉर्ड के मूल्यांकन के पश्चात इसका नवीकरण किया जाता है।

9.13.20.5 ऐसे आयातक जिन्हें एक्स्ट्रेडिटेड क्लाइंट कार्यक्रम का दर्जा दिया गया है, को अनुपालना का उच्च स्तर रखना होता है।

इसकी सीमाशुल्क आयातकों के समन्वय के साथ रिस्क प्रबंधन प्रभाग द्वारा सूक्ष्म रूप से निगरानी की जाती है तथा जहां कहीं अनुपालना का स्तर गिरता है वहां आयातक को इसमें सुधार लाने के लिए कहा जाता है। बार-बार अनुपालना न किये जाने के मामले में आयातक का इस कार्यक्रम से पंजीकरण समाप्त कर दिया जाता है।

9.13.20.6 ऐसे विभाग जहां कुछ आयातकों को उच्च अनुपालनकर्ता के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा जिन्हें एक्स्ट्रेडिटेड क्लाइंट कार्यक्रम ग्राहक के रूप में जाना जाता है और आरएमएस द्वारा सुनिश्चित सुविधायें प्रदान की जाती हैं, की जोखिम प्रबंधन रणनीति का एक्स्ट्रेडिटेड क्लाइंट कार्यक्रम मुख्य घटक है। अतः एक्स्ट्रेडिटेड क्लाइंट कार्यक्रम ऐसे आयातकों को मान्यता देने और सुविधाओं संबंधी प्रोत्साहन देने के लिए विकसित की गई है जो अनुपालना का उच्च स्तर बनाये रखते हैं दिनांक 1.11.2013 के अनुसार एक्स्ट्रेडिटेड क्लाइंट कार्यक्रम के दर्जे के धारकों की कुल संख्या 326 है।

9.13.20.7 आरएमएस को लागू किये जाने पर एक्स्ट्रेडिटेड क्लाइंट कार्यक्रम दर्जे के धारकों के अलावा अन्य आयातकों के लिए समवर्ती लेखा परीक्षा के स्थान पर अनापत्ति पश्चात लेखा परीक्षा शुरू की गई है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली द्वारा चुनी गई प्रविष्टियों के बिलों के संबंध में निकासी पश्चात लेखा परीक्षा की जाती है। एक्स्ट्रेडिटेड क्लाइंट कार्यक्रम दर्जे धारकों के मामले में ऑन-साइट पीसीए जिसका आयातक के कारोबार के स्थान पर ही निकासी पश्चात संचालन किया जाता है, के माध्यम से सत्यापन की अनुपालना की जाती है।

9.13.21 अनुपालना की अनिवार्य अपेक्षाएं

सीमाशुल्क अधिनियम और अन्य सरकारी विभागों द्वारा अधिशासित और सीमा पर सीमाशुल्क प्रभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न अन्य संबद्ध अधिनियमनों से उद्भूत होने वाली अनुपालना की अनिवार्यता की अपेक्षाओं का एक समेकित डेटाबेस सीबीईसी की वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाया गया है इसमें सभी वस्तुओं के आयात शुल्क संगणक भी शामिल हैं। डेटाबेस की सहायता से कोई आयातक आयात की जाने वाली वस्तु पर लागू विभिन्न अधिनियमनों के अंतर्गत पूरी की जाने वाली अनुपालना अपेक्षाओं सहित अदा किये जाने वाले सीमाशुल्क के बारे में जान सकता है।

9.14 सेवोत्तम

9.14.1 लोकसेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किये जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास के एक भाग के रूप में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड को ऐसे 10 संगठनों में शामिल किया गया है जो कि लोक सेवाओं के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन करने हेतु बड़ी संख्या में नागरिकों के साथ मुखातिब होते हैं यह भारतीय मानक आईएस 15700: 2005 पर आधारित है, जिसको कि भारतीय मानक ब्यूरो ने तैयार किया है और इसे सेवोत्तम का नाम दिया गया है।

9.14.2 सीबीईसी बोर्ड द्वारा अगस्त, 2007 में एक क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष निरीक्षण महानिदेशक

(डीजीआई) को बनाया गया था और इसका कार्य सेवोत्तम का क्रियान्वयन करना है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा सीबीईसी के लिए एक परामर्शदाता भी मनोनीत किया गया था।

9.14.3 सिटिजन चार्टर्ड, आईएस 15700: 2005 की आवश्यकताओं के अनुसार यथा संशोधित (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली-लोक सेवा संगठनों के द्वारा सेवा गुणवत्ता के लिए अपेक्षाएं) को इस क्रियान्वयन समिति द्वारा तैयार किया गया और बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात 1 दिसम्बर, 2008 को इसे जारी भी कर दिया गया। सेवा संगठनों के लिए जरूरी है कि वे शिकायतों का समाधान करने के लिए एक दस्तावेजी प्रक्रिया शुरू करें जिसके लिए सीबीईसी ने मई, 2009 में केन्द्रीयकृत लोक शिकायत समाधान एवं प्रबोधन प्रणाली (सीपीजीआरएम) को अपनाया है।

9.14.4 सिटिजन चार्टर्ड में दी गई वचनबद्धता को पूरा करने के लिए एक डिलिवरी अवसंरचना का सृजन करना जरूरी है जिससे कि इन सेवाओं में स्थायित्व आ सके सीबीईसी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में इसे चरणबद्ध ढंग से लागू करने का निर्णय लिया है। तदनुसार इसे प्रथम चरण में चार कार्यालयों यथा : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय दिल्ली-1, सीमाशुल्क आयुक्तालय (आई एंड जी), दिल्ली, सेवाकर आयुक्तालय दिल्ली एवं निरीक्षण महानिदेशालय दिल्ली, जो कि शीर्षस्थ संगठन है, में कोर ग्रुप/कार्यान्वय समिति द्वारा 16 जून 2009 को एक पॉपलट परियोजना के रूप में क्रियान्वित करने का निर्णय किया गया। अतः सीबीईसी द्वारा एक सर्विस क्वालिटी मैनुअल अनुमोदित किया गया ताकि इस कार्य को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में दोहराया जा सके।

9.14.5 सभी पॉपलट आयुक्तालयों में समय के मानकों के साथ सेवा डिलिवरी का आंतरिक मूल्यांकन किये जाने के पश्चात भारतीय मानक ब्यूरो ने 2010 में पायलाट आयुक्तालय सेवोत्तम प्रमाण पत्र लाइसेंस सं. सीआरओ/एसक्यूएससी/एल-8000035, आईएस 15700:2005 के अनुसार प्रदान किया है।

9.14.6 चरण-II में : 11 अक्टूबर, 2010 में बोर्ड ने निम्नलिखित 20 आयुक्तालयों का चयन सेवोत्तम के क्रियान्वयन के लिए किया था।

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय अहमदाबाद-I, III, राजकोट, दिल्ली-II, दिल्ली-III, रोहतक, मुंबई-III, बेलापुर एंड जयपुर -I
- सीमाशुल्क आयुक्तालय बंगलौर, मंगलौर, चेन्नई (सी-इम्पोर्ट), चेन्नई (सी-इक्सपोर्ट), चेन्नई (एअरपोर्ट एंड एअर कार्गो), दिल्ली (आईसीडी), मुंबई (एअरपोर्ट), मुंबई (इम्पोर्ट), मुंबई (एक्सपोर्ट), मुंबई (जनरल) एंड कोलकाता (पत्तन)

9.14.7 इन में से बीआईएस कार्यालय हेतु - बेलापुर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट केन्द्रीय उत्पादशुल्क, अहमदाबाद- I केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अहमदाबाद III केन्द्रीय उत्पादशुल्क, मुंबई III केन्द्रीय उत्पादशुल्क,

दिल्ली- III केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जयपुर I केन्द्रीय उत्पादशुल्क, एवं मुंबई (एअरपोर्ट) बंगलौर सीयूएस, मंगलौर सीयूएस, चेन्नई (एअरपोर्ट तथा कार्गो), मुंबई सामान्य (मुलन्द सीएफएस) आयुक्तालयों हैदराबाद- III केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय ने अपनी ओर से ही सेवोत्तम का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है और इसको भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणपत्र भी मिल गया है।

इस समय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड के 7 कार्यालयों को सेवोत्तम का प्रमाणपत्र मिल चुका है और 5 और कार्यालय सेवोत्तम के लिए तैयार हैं-

9.14.8 भारतीय मानक ब्यूरो/ नासेन ने एनआईटीएस नोएडा, भोपाल, जयपुर, मुंबई, कानपुर, नागपुर, बंगलौर और चेन्नई आदि में सेवोत्तम पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है। जिसका उद्देश्य सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों को सक्रिय बनाना है। चण्डीगढ़, दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, बंगलौर, कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, शिलांग, बडोदरा, जयपुर, चेन्नई और मैसूर आयुक्तालयों में विशेष प्रशिक्षणों का आयोजन भी किया गया है।

9.14.9 चरण III का प्रारंभ :

बोर्ड ने फा.सं. 296/34/2010-सीएक्स 9 दिनांक 18.11.2011 के द्वारा इस चरण III के अंतर्गत 47 नये कार्यालयों में सेवोत्तम को चालू करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 29 कार्यालय, 12 कस्टम्स हाऊस और 6 सेवाकर कार्यालय शामिल हैं।

इनमें से चण्डीगढ़ सीएक्स-1 को पहले ही प्रमाणन मिल गया है। इसके अतिरिक्त औरंगाबाद सीएक्स तथा विजाग सीएक्स-1 बीआईएक्स लेखा स्तर पर हैं।

9.14.10 मौजूदा स्थिति:

हर समय हमारे पास 13 ऐसे कार्यालय हैं जो सेवोत्तम प्रमाणित है तथा अन्य 8 वीआईएस के लेखा चरण में हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने अक्टूबर/नवंबर, 2013 में चुने हुए आयुक्तालयों अर्थात दिल्ली, सीमा शुल्क (आई एंड जी), हैदराबाद-III (सीएक्स) जयपुर-I (सीएक्स), बेलापुर (सीएक्स) तथा डीजी आईसीसीई, मुख्यालय, नई दिल्ली (अपेक्स कार्यालय) को नई लेखा परीक्षा पूरी कर ली है तथा लेखा परीक्षकों द्वारा आईएस 15700:2005 के अनुसार लाइसेंस के नवीनीकरण की सिफारिश की है।

9.14.11 अगले कदम सेवोत्तम के चरण-II तथा चरण-III में आयुक्तालयों को उनके कार्यों में सक्रिय सहायता प्रदान करने और उनकी प्रगति का न्यायनिर्णयन करने के लिए अक्टूबर 2013 से नवंबर 2013 के दौरान 4 जोन में दौरा करने के लिए और आयुक्तालयों को शामिल करने हेतु एक कार्रवाई योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद कर तथा सीमा शुल्क की निरीक्षण टीम जब 2013-14 के वार्षिक निरीक्षण पर जाएगी तो इन क्षेत्रीय कार्यालयों के सेवोत्तम समीक्षा को भी शामिल करेगी।

समग्र स्थिति इस प्रकार है:-

चरण-I (पायलाट) (प्रमाणित नवम्बर, 2010)	चरण-II देखें सीबीईसी फा.सं. 296/34/2010- सीएक्स-9 दिनांक 11.10.2010 (अक्टूबर, 2010 से जारी)	अपनी ओर से सेवोत्तम को शुरू किया	चरण-III सीबीईसी के दिनांक 18.12.2011 के फा.सं.296/34/2010- सीएक्स-9 (अक्टूबर, 2011 से)		
			केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सीमाशुल्क	सेवाकर
1. डीजीआईसीसीई 2. दिल्ली-I (सीएक्स) 3. दिल्ली (सेवाकर) 4. दिल्ली सीमाशुल्क (आयात एवं जनरल)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1. अहमदाबाद-I (प्रमाणीकृत) (मई 12) 2. अहमदाबाद -III (प्रमाणीकृत) (जून 12) 3. राजकोट (प्रमाणीकृत) (जून 12) 4. मुंबई-III (प्रामीकृत) (जून 12) 5. बेलापुर (प्रामीकृत) (जून 12) 6. दिल्ली-II 7. दिल्ली-III (भारतीय मानक ब्यूरो) 8. रोहतक 9. जयपुर-I (प्रमाणीकृत) (मई 12) सीमाशुल्क 10. मुंबई (एअरपोर्ट) (प्रमाणीकृत) (जून 12) 11. मंगलौर 12. मंगलौर 13. चेन्नई (समुद्री-आयात) 14. चेन्नई (समुद्री-निर्यात) 15. चेन्नई (एअरपोर्ट : 16. दिल्ली (आईसीडी) 17. मुंबई (आयात) 18. मुंबई (निर्यात) 19. (जरनल) (बीआईएस ऑडिट में 20. कोलकाता (पत्तन)	1. हैदराबाद-III (प्रमाणीकृत जून 11) 2. हैदराबाद-I (भारतीय मानक ब्यूरो) 3. हैदराबाद (अपील्स) 4. अहमदाबाद-II केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1. बंगलोर-I 2. भोपाल 3. इंदौर 4. भुवनेश्वर-I 5. भुवनेश्वर -II 6. चंडीगढ़-I 7. चेन्नई-I 8. तिरुवनंतपुरम 9. कोयम्बटूर 10. हैदराबाद -II 11. जयपुर-II 12. सिलीगुड़ी 13. इलाहाबाद 14. लखनऊ (सीएक्स) 15. मंगलोर 16. मैसूर 17. मेरठ-I 18. मेरठ-II 19. औरंगाबाद 20. नागपुर 21. पुणे -I 22. पुणे-II 23. पटना 24. रांची 25. गुवाहाटी 26. शिलांग 27. सूरत-I 28. सूरत-II 29. विशाखापत्तनम-I -1 (बीआईएस के लिए आवेदन करने वाला है)	30. अहमदाबाद (सीमाशुल्क) 31. कांडला 32. तूतिकोरिन 33. कोचीन सीमाशुल्क 34. सीमाशुल्क (आईजीआई एअरपोर्ट) 35. अमृतसर 36. कोलकाता (एअरपोर्ट: प्रशासन) 37. न्हावाशेवा (आयात) 38. न्हावाशेवा (निर्यात) 39. मुंबई एअर कार्गो (आयात) 40. मुंबई एअर कार्गो (निर्यात) 41. लखनऊ (सीमाशुल्क)	42. अहमदाबाद-(एसटी) 43. बंगलौर-(एसटी) 44. चेन्नई-(एसटी) 45. कोलकाता- (एसटी) 46. मुंबई -(एसटी-I) 47. मुंबई-II)

क्र.सं.	चरण	सीबीईसी द्वारा आबंटित	केन्द्रीय उत्पाद कर	सीमा शुल्क	सेवा कर	प्रमाणन	भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लेखा परीक्षण	डीजी आईसीआईसीआई द्वारा लेखा परीक्षण
1	चरण-I	3	1	1	1	4	-	-
2	चरण-II	20	9	11	-	7	5	8
3	स्वयंकारी	-	4	-	-	1	1	-
4	चरण-IV	47	29	12	6	2	2	8
कुल		70	43	24	7	14	8	16

नोट: डीजीआई सीसीई द्वारा क्रम संख्या 6, 8, 13, 14, 16, 17, 18 तथा 20 पर चरण-II की आंतरिक लेखा परीक्षा की गई

क्रम संख्या 1, 11, 20, 29, 30, 36, 43 और 45 पर चरण-III में आंतरिक लेखा परीक्षा की गई ।

9.15 ई-हेल्पलाइन

माननीय वित्त मंत्री द्वारा व्यापार के मार्ग में प्रशासनिक और तकनीकी मुश्किलों को दूर करने की महत्वता पर दिए गए बल के मद्देनजर, प्रत्येक सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद कर जोन में उनकी वेबसाइटों पर ई-हेल्पलाइन सृजित की गई है।

9.16 शिकायत निपटान तंत्र

9.16.1 सीबीईसी में 6 मई 2009 से सीपीजीआरएएमएस (केन्द्रीकृत शिकायत निपटान तथा मॉनीटरिंग प्रणाली) अपनाई गई है जिसमें करदाता किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में एक सामान्य ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत का निपटान कर सकता है। प्रत्येक क्षेत्रीय जोन में करदाता की शिकायतों की जांच हेतु प्रत्येक कार्यालय में लोक शिकायत कार्यालय नियुक्त किए गए हैं। सीपीजीआरएएमएस के पोर्टल पर राष्ट्रपति सचिवालय, डीएआरपीजी, राजस्व विभाग के माध्यम से तथा सीधे शिकायतकर्ता द्वारा भी शिकायतें प्राप्त होती हैं। सीपीजीआरए एक ने करदाता की पहुंच में सुधार किया है। आयुक्त (समन्वय) सीबीईसी को सीपीजीआरएएम तथा ओपीईएनजीआरएएमएस (केन्द्रीकृत पेंशन भागी शिकायत मिशन तथा मॉनीटरिंग प्रणाली) पर सीबीईसी में लोक शिकायतों के निपटान हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

9.16.2 उपर्युक्त के अतिरिक्त, भ्रष्टाचार प्रथाओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के निपटान हेतु विभाग में सतर्कता महानिदेशक की अध्यक्षता में एक अलग सतर्कता संगठन है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई शिकायत महानिदेशक सतर्कता नई दिल्ली अथवा सतर्कता महानिदेशालय के किसी क्षेत्रीय इकाई में दर्ज कराई जा सकती है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक अधिकारी को लोक संपर्क अधिकारी के रूप में पदनामित किया है जिसके पास से किसी भी प्रकार के प्रासनिक अथवा तकनीकी मामले में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद कर आयुक्तालयों में एक लोक शिकायत समिति की प्रणाली भी मौजूद है। सीमाशुल्क भवनों में पीजीसी के अलावा एक वाच डॉग समिति भी है। इस समिति की अध्यक्षता आयुक्त द्वारा की जाती है तथा वह व्यापार के व्यक्ति विशेष सदस्य अथवा सार्वजनिक शिकायतों के मामलों का निपटान करता है। व्यापार तथा मुद्रों के समाधान हेतु आपसी मेल-झोल तेज के रूप में सभी आयुक्तालयों में क्षेत्रीय सलाहकार समितियां भी गठित की गई हैं।

9.17 लिंग भेद मामले/महिलाओं का सशक्तिकरण:

लिंग भेद मामले/महिला तथा बालिकाओं का सशक्तिकरण

9.17.1 महिला कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की जांच हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय तथा महिला राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश पर प्रत्येक आयुक्तालय/निदेशालय में एक समिति गठित की गई है।

9.17.2 महिलाओं के कल्याण हेतु मानव संसाधन विकास महानिदेशालय द्वारा कतिपय विशिष्ट पहल की गई है।

9.17.3 विभागीय अधिकारियों(अपवंचन-निरोधी/तस्कर निरोधी स्वापक कार्य अथवा कार्य के दौरान मृत्यु के मामले में) को विधवा पत्नियों/आश्रितों को मृत्यु उपरांत सहायता राशि को 3.10. 2012 से बढ़ा

दिया गया है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान सेवा के दौरान मृत कर्मचारियों की विधवाओं/आश्रितों को 96 मामलों में 1,21,000/- रुपये मृत्यु उपरांत सहायता राशि के रूप में प्रदान किए गए हैं।

9.17.4 हैड हवलदार, हवलदार, सिपाही तथा मल्टी टास्क स्टाफ (पूर्व समूह 'घ') की एक पुत्रीकी ट्यूशन फीस के भुगतान की एक योजना एक पुत्री के मामलों में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/ डिग्री पाठ्यक्रमों हेतु उसकी सहायतार्थ चलाई जा रही है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कल्याण कोष में से बालिकाओं की ट्यूशन फीस के लिए 84,300/- रुपये की राशि प्रदान की गई है।

9.17.5 नकद पुरस्कार योजना में वर्ष 2007-08 से बालिकाओं के मात्रता मानदण्डों में छूट दी गई है जिसमें उन्हें लड़कों की तुलना में 5 प्रतिशत कम अंक प्राप्त करने अपेक्षित होते हैं। बालिकाओं को लड़कों से 1000/- रुपये अधिक नकद पुरस्कार दिया जाता है।

9.17.6 वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कुल 2440 नकद पुरस्कारों में से 1474 नकद पुरस्कारों में बालिकाओं को 55,56,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है।

9.17.7 संशोधित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 2006-07 से बालिकाओं द्वारा प्रवेश परीक्षा/परीक्षा में मिलने वाले रैंक की दृष्टि से पात्रता मानदण्डों में छूट दी गई है। इस वित्त वर्ष के दौरान कुल 471 छात्रवृत्तियों में से 179 छात्रवृत्ति में बालिकाओं को 31,95,897/- रुपये दिए गए।

9.18 विकलांगता क्षेत्र, अ.जा. एवं अ.ज.जा. तथा समाज के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए किए गए कार्य

9.18.1 सरकारी रोजगार में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व. एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति का पूरी तरह से पालन किया गया है। सीबीईसी में अ.ज./अ.ज.जा./अ.पि.व. एवं विकलांग व्यक्तियों के अभ्यावेदन को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाता है तथा उनकी शिकायतें दूर की जाती हैं। अ.ज. तथा अ.ज.जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को सीबीएन में 1 जनवरी, 2013 की स्थिति अनुसार दर्शाने वाला विवरण क्रमशः इस रिपोर्ट के अनुबंध-I तथा II (अंत में) के रूप में संलग्न है।

9.18.2 **नकद पुरस्कार योजना:** विभागीय अधिकारियों के मेधावी बच्चों को 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उनके निष्पादन के आधार पर नकद पुरस्कार दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. श्रेणियों के लिए पात्रता मानदंड में ढील दी गई है। पात्रता मानदंड में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 10% तथा अ.पि.व. श्रेणी के लिए 6% की कटौती की गई है।

9.18.3 वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. से संबंध रखने वाले विभागीय अधिकारियों के बच्चों को कुल 2440 नकद पुरस्कारों में से दिए गए 948 नकद पुरस्कारों में 5309000 रुपये की राशि प्रदान की गई।

9.18.4 **छात्रवृत्ति योजना:** छात्रवृत्ति योजना चल रही है जिनमें विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों को अवर स्नातक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. श्रेणी

के अधिकारियों के बच्चों के लिए पात्रता मानदंड में ढील दी गई है। अर्थात् सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश पाने की दशा में चाहें कोई भी रैंक क्यों नहीं हो उन्हें छात्रवृत्ति हेतु पात्र माना जाता है।

9.18.5 यह छात्रवृत्ति विभागीय अधिकारियों के उन बच्चों को दी जाती है जिन्होंने अपनी 12वीं कक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक के आधार पर प्रवेश लिया है। इसके पात्रता के मानदंड में अ.ज./अ.ज.जा./अ.पि.व. के बच्चों के मामले में ढील दी गई है। यह पात्रता अ.ज./अ.ज.जा. और अ.पि.व. के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रतिशत अंक से क्रमशः 10% और 6% कम रखी गई है।

9.18.6 वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान दी जाने वाली कुल 471 छात्रवृत्तियों में से अनु.जा./अनु.ज.जा/अ.पि.व. श्रेणियों से संबंध रखने वाले विभागीय कर्मचारियों के बच्चों को 114 छात्रवृत्तियों में 21,31,236/- रूपए की राशि प्रदान की गई।

10. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण

10.1. संगठन के कार्य एवं प्रकार्य

10.1.1 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 के तहत सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क के आयुक्तों द्वारा पारित आदेशों और निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए एक स्वतंत्र मंच उपलब्ध कराने के लिए सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण (पूर्व सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण) का सृजन किया गया था। स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 अब निरस्त कर दिया गया है। अब सेवा कर अपीलों को शामिल कर लिया गया है। प्रतिपादन मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार भी अधिकरण के पास है और अध्यक्ष, सीस्टेट की अध्यक्षता में एक विशेष पीठ, वाणिज्य मंत्रालय में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों सुनती है। अधिकरण का मुख्यालय व प्रधान पीठ दिल्ली में स्थित है और इसकी अन्य क्षेत्रीय पीठें मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर एवं अहमदाबाद में स्थित हैं। 31.10.2013 की स्थिति के अनुसार, 7,305 अपील लंबित थीं। अपीलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए तथा वादियों और विभिन्न क्षेत्रों में स्थित उद्योगों की सुविधा के लिए वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना 7/2013 द्वारा दिल्ली, मुंबई और चेन्नई प्रत्येक में स्थित एक पीठ के अतिरिक्त, चंडीगढ़, इलाहाबाद और हैदराबाद में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण की छह अतिरिक्त पीठों के सृजन हेतु अधिसूचना जारी की है।

10.1.2 प्रत्येक पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य होता है। 50,00,000/- रुपये (पचास लाख रुपये) तक के वित्तीय दावे वाले छोटे मामलों जिनमें शुल्क की दर या मूल्यन संबंधी प्रश्न का कोई मामला शामिल नहीं है, के शीघ्र निपटान के लिए एक एकल सदस्य वाली पीठ का गठन भी किया गया है। यह अधिकरण एक अपील अधिकरण है जिसमें सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर के आयुक्तों के आदेशों तथा आयुक्त (अपील) के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई होती है। वर्गीकरण, मूल्यन आदि जैसे मामलों में अधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों के विरुद्ध अपील माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखी जाती हैं।

10.1.3 वित्त अधिनियम, 1995 के द्वारा संशोधन के परिणामस्वरूप, विशेष पीठों और अन्य पीठों के बीच के भेद को समाप्त कर दिया गया था और अब दो या इससे अधिक सदस्यों वाली कोई भी पीठ प्रतिपादन के मामलों को छोड़कर उन सभी मामलों की सुनवाई करने के लिए सक्षम है जिनकी सुनवाई पहले दिल्ली में की जा रही थी।

10.1.4 अधिकरण के प्रमुख माननीय अध्यक्ष है। इसमें उपाध्यक्ष का एक पद तथा सदस्य (न्यायिक) एवं सदस्य (तकनीकी) के 31 पद हैं।

10.2 वर्ष के दौरान किए गए प्रमुख कार्य व उपलब्धियाँ

सदस्यों व अपेक्षित स्टाफ की रिक्तियों सहित कई बाधाओं के बावजूद अपीलों के निपटान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। दाखिल की गई और निपटाई गई अपीलों को दर्शाते हुए एक तुलनात्मक तालिका निम्न प्रकार है:-

वर्ष	दाखिल की गई अपीलों	रोकी गई	निपटाई गई अपीलों	रोकी गई
जनवरी, 2013 से दिसंबर, 2013 तक	22761	16167	11973	16263

10.3 अधिक दावों वाली अपीलों के निपटान के लिए विभिन्न केंद्रों में सर्किट बेंचों की स्थापना करके प्रभावी कदम उठाए गए जिससे लंबित अपीलों की संख्या में कमी हुई।

दिनांक 01.11.2013 की अधिसूचना के तहत छह अतिरिक्त पीठों के सृजन तथा अतिरिक्त पदों की मंजूरी के बाद इन पीठों की स्थापना तथा रिक्त पदों को भरने के लिए भी विभिन्न कदम उठाए गए। नई पीठों में कार्य प्रारंभ होने पर अपीलों के निपटान की गति बढ़ेगी तथा लंबित अपीलों की संख्या भी घटेगी।

10.4 जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का संबंध है, चूंकि यह अधिकरण सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवाकर तथा प्रति-पादन के मामलों में अपीलों की सुनवाई हेतु एक उच्च न्यायिक अपील निकाय है और इस अधिकरण की पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई पीठ नहीं है, इसलिए इस विषय में अधिकरण के पास कोई जानकारी नहीं है।

10.5 भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों में निर्धारित सुविधाओं का विस्तार समाज के विकलांग वर्ग तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्ग के लिए किया जा रहा है।

10.6 डी.ओ.पी.टी के दिनांक 8.7.2009 के का. ज्ञा. सं. 13018/4/2009-स्थापना (एल) के अनुसार इस अधिकरण की सभी महिला कर्मचारियों को सभी अपेक्षित सुविधाएं दी जा रही हैं। महिलाओं की शिकायतों के दूर करने के लिए माननीय श्रीमती अर्चना वाधवा, सदस्य (न्यायिक), सीस्टेट की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति का गठन किया गया है।

10.7 अधिकरण की वेबसाइट अगस्त, 2003 में आरंभ की गई थी और अब अधिकरण की वाद-सूची और आदेश इस पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण निर्णयों को विशेष रूप से अलग आईकॉन

के तहत विशिष्टता से दर्शाया जा रहा है। अधिकरण की सभी पीठों को कारगर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जहां तक चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हुए विकास का संबंध है, इसमें निर्णयों तथा वाद-सूची तथा अन्य जानकारी को दैनिक आधार पर सामयिक अद्यतन किया जाना है। वेबसाइट पर और अधिक जानकारी प्रदर्शित करने के लिए, यह अधिकरण एनआईसी से निकटता से मिल कर कार्य कर रहा है। इस अधिकरण के कुछ क्षेत्र जो कंप्यूटीरीकरण के लिए शेष रह गए थे, को निकट भविष्य में सुलझाया जाएगा। डी.ओ.पी.टी के दिनांक 15.4.2013 को का. झा. सं. 1/6/2011 के अनुसार, अधिकरण की वेबसाइट पर आम जनता की सुविधा के लिए जानकारी अपलोड करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

10.8 यह अधिकरण एफआरबीएम अधिनियम एवं नियमावली का गंभीरता से पालन करने और अधिकरण को आवंटित बजट के अनुरूप अपने व्यय की सीमित रखने का प्रयास कर रहा है। तथापि, विभिन्न मर्दों/सेवाओं की कीमतों तथा अतिरिक्त पीठ मंजूर किए जाने के कारण अधिकरण को व्यय को अपनी समग्र अधिकतम सीमा के भीतर सीमित करने में कठिनाइयां आ रही है। तथापि, आगामी वर्ष में बजट पर नियंत्रण रखने के निष्ठा से प्रयास किए जा रहे हैं।

11. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग

11.1 संगठन के कार्य एवं प्रकार्य

11.1.1 केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 32 के अंतर्गत दिनांक 9.6.99 की अधिसूचना सं० 40/99-सी०एक्स(एन टी) और 41/99- सी०एक्स(एन टी) के तहत सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग का गठन किया है। आयोग की नई दिल्ली स्थित एक प्रधान पीठ है जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं और चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में तीन अतिरिक्त पीठें हैं जिनकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष करते हैं व प्रत्येक पीठ में 2 सदस्य हैं। आयोग में अधिकारियों की वर्तमान संस्वीकृत संख्या 118 है तथा नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता प्रत्येक में स्टाफ की संख्या 30 तथा चेन्नई पीठ में स्टाफ की संख्या 28 है। आयोग राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के एक सम्बद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है।

11.1.2 समझौता आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य महंगी व समय लेने वाली मुकदमों की प्रक्रिया में न उलझकर विवादों में संलिप्त सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क का शीघ्र भुगतान कराना है और उन करदाताओं, जिन्होंने शुल्क के भुगतान का अपवंचन किया है, को अपवंचन कबूलने के लिए एक अवसर देना है। इसलिए समझौता आयोग को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किया गया है जिसमें 'सत्यनिष्ठा एवं उत्कृष्ट क्षमता' वाले अनुभवी कर अधिकारियों को लगाया गया है जो व्यापार एवं उद्योग जगत में एक विश्वास को कायम करने में सक्षम हैं और जिन को 'राजस्व हित' परिभाषित व सुरक्षित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

11.1.3 इस प्रकार समझौता आयोग ने कर विवादों को विरोधात्मक रवैया द्वारा लम्बा खींचने के बजाय उन्हें समझौते की भावना से सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून के अंतर्गत शीघ्र निपटाने का अवसर प्रदान करने के लिए एक चैनल उपलब्ध कराता है। कोई भी

निर्धारिती, आयातक या निर्यातक, जो कर विवाद को समझौता आयोग के माध्यम से निपटाने का इच्छुक है, स्वेच्छा से शुल्क देनदारी को स्वीकार करते हुए उसका पूर्ण व सही खुलासा करते हुए समझौता आयोग के क्षेत्राधिकार का आह्वान कर सकता है और इसके बदले में समझौता आयोग को यह अधिकार दिया गया है कि वह सीमा शुल्क अधिनियम 1962 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के प्रावधानों के अंतर्गत उसे दण्ड एवं जुर्माने से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से छूट और उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकता है।

11.1.4 वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत समझौते से संबंधित प्रावधानों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इससे उन मामलों का कार्यक्षेत्र काफी कम हुआ है जिसमें कर निर्धारिती, आयातक और निर्यातक विवादों का समाधान प्रार्थित कर सकते हैं। तथापि बजट 2010 में इन संशोधनों को प्रतिवर्तित किया गया जिससे समझौता आयोग को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के गुप्त निष्कासन से संबंधित मामलों और सीमा शुल्क से संबंधित ऐसे मामलों जहां माल का आगम-पत्र में उल्लेख नहीं किया गया था, में समझौते करने की एक बार फिर से अनुमति दी गई। इसका परिणाम यह हुआ कि इस आयोग में समझौते हेतु दायर किए गए आवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई है।

11.2 वर्ष के दौरान आयोग के कार्य-निष्पादन तथा उपलब्धियों की विशिष्टताएं निम्न प्रकार हैं:-

वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या (दिसंबर, 2013 तक)	वर्ष के दौरान निपटाए गए आवेदनों की संख्या	वर्ष के दौरान निश्चित शुल्क (करोड़ ₹0 में)
1661	1414	603.605

11.3 01.01.2014 से मार्च, 2014 तक की अवधि के दौरान आयोग का कार्य-निष्पादन/उपलब्धियों की विशिष्टताएं

01.01.2014 से मार्च, 2014 के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	01.01.2014 से मार्च, 2014 के दौरान निपटाए गए आवेदनों की संख्या	01.01.2014 से मार्च, 2014 के दौरान निश्चित शुल्क (रुपए करोड़ में)
431	691	181.33

12. अग्रिम विनिर्णय (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर) प्राधिकरण

12.1 संगठन के कार्य और प्रकार्य तथा इसके सलाहकार बोर्डों एवं परिषदों सहित प्रभाग का ढांचा

12.1.1 अग्रिम विनिर्णय (केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवा कर) की एक योजना को 1999 और 2003 के वित्त अधिनियमों द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम, 1994 में सम्मिलित किया गया था ताकि सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर मामलों में पहले से ही बाध्यकारी सिद्धान्तों को जारी करने के लिए प्रावधान

किया जा सके। इस योजना का आशय भावी निवेशकों को निश्चितता प्रदान करना है। प्राधिकरण के दायरे को विस्तृत करने के लिए समय-समय पर सांविधिक परिवर्तन किए गए हैं।

12.1.2 अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर) एक उच्च स्तरीय अर्ध-न्यायिक निकाय है जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और अपर सचिव रैंक के दो सदस्य हैं जिन्हें तकनीकी और कानूनी मामलों का व्यापक अनुभव है।

12.1.3 अग्रिम विनिर्णय की योजना के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणी के निवेशक निर्णय के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं:-

- (क) कोई अनिवासी निवेशक जो किसी अनिवासी अथवा निवासी के सहयोग से भारत में संयुक्त उपक्रम की स्थापना करता है;
- (ख) कोई भी निवासी जो किसी अनिवासी के सहयोग से भारत में संयुक्त उपक्रम स्थापित करता है;
- (ग) कोई भी पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक भारतीय कंपनी जिसकी नियंत्रक कंपनी एक विदेशी कंपनी है।
- (घ) भारत में कोई संयुक्त उपक्रम अर्थात् एक ऐसी संविदात्मक व्यवस्था जिसके तहत दो अथवा इससे अधिक व्यक्ति कोई आर्थिक कार्यकलाप प्रारंभ करते हैं जो संयुक्त नियंत्रण के अधीन हो और उसका एक अथवा इससे अधिक सहभागी अथवा पार्टनर अथवा इक्विटी धारक, अनिवासी है जिसकी ऐसी व्यवस्था में पर्याप्त रुचि हो;
- (ङ.) व्यक्तियों की किसी ऐसी श्रेणी अथवा वर्ग के अंतर्गत आने वाला कोई भी निवासी जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है। केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को अग्रिम विनिर्णय पाने के लिए पात्र श्रेणी के रूप में विनिर्दिष्ट किया है:-

- (i) कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम;
- (ii) निवासी, जो आयात सुविधा (सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष 9801) परियोजना के अंतर्गत माल आयात करने के इच्छुक हैं, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत निर्णय की मांग कर सकते हैं।
- (iii) निवासी, जो व्यापक आर्थिक सहयोग करार के तहत सिंगापुर से माल आयात करने के इच्छुक हैं, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत माल की उत्पत्ति के संबंध में निर्णय की मांग कर सकते हैं।
- (iv) रेजीडेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी

12.1.4 निम्नलिखित प्रश्नों/मामलों के संबंध में अग्रिम निर्णय लिया जा सकता है:-

- (i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 तथा वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V के अंतर्गत कराधेय सेवाओं के अंतर्गत माल का वर्गीकरण;
- (ii) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अंतर्गत मूल्य निर्धारण के सिद्धांत।
- (iii) वित्त अधिनियम, 1994 के अंतर्गत सेवा कर प्रभासित करने के लिए कराधेय सेवाओं का मूल्यांकन;
- (iv) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत जारी ऐसी अधिसूचनाएं जिनसे शुल्क की दरें प्रभावित होती हैं; और वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय-V के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं की प्रयोज्यता;
- (v) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून के अंतर्गत इनपुट-कर ऋण की ग्राह्यता;
- (vi) सेवा कर क्रेडिट की ग्राह्यता ;
- (vii) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार माल के उदगम का निर्धारण एवं उनसे संबंधित मामले;
- (viii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत किसी भी सामान के संबंध में उत्पाद शुल्क अदा करने के लिए देयता का निर्धारण ;
- (ix) वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय-V के प्रावधानों के तहत कराधेय सेवा पर सेवा कर अदा करने के लिए देयता का निर्धारण ;

12.1.5 अग्रिम निर्णय प्राप्त करने की प्रक्रिया अत्यंत सरल, कम खर्चीली और पारदर्शी है। प्रत्येक आवेदन के साथ डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 2500/- रुपये की फीस जमा की जाती है। निर्णय अत्यंत शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है क्योंकि प्राधिकरण को सांविधिक रूप से आवेदन के प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर निर्णय देना आवश्यक है। निर्णय प्राधिकरण द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने और अन्य स्वीकृत न्यायिक मानदंडों का अनुसरण करने के पश्चात घोषित किए जाते हैं।

12.1.6. प्राधिकरण द्वारा घोषित अग्रिम निर्णय माल एवं सेवाओं के निर्धारण में लगे विभागीय अधिकारियों और आवेदक के लिए बाध्यकारी हैं और इसलिए इसके बाद विवादों और मुकदमेबाजी की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा सेवा कर कानून के अंतर्गत विभाग अथवा आवेदक द्वारा अग्रिम निर्णय के संबंध में नहीं की जा सकती है। अग्रिम निर्णय तब तक मान्य होते हैं जब तक कि कानून अथवा तथ्यों जिनके आधार पर निर्णय घोषित किया गया था, में परिवर्तन न हो।

12.1.7 अग्रिम निर्णय से एक आवेदक को उसके द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले प्रस्तावित क्रियाकलाप; अर्थात् सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत 'आयात' अथवा 'निर्यात', केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत माल का 'उत्पादन' अथवा 'विनिर्माण' तथा सेवाकर कानून के अंतर्गत 'कराधेय सेवाओं' के संबंध में अग्रिम रूप से अपनी कर देयता का पता चल सकता है। (सेवा कर का प्रशासन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है।)

12.2 कैलेंडर वर्ष, 2013 (01.01.2013) से 31.12.2013 तक की अवधि के लिए) कार्य निष्पादन एवं उपलब्धियां हेतु लक्ष्य एवं विशिष्टताएं

12.2.1. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के कार्यकलापों और कार्यवाहियों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। तथापि, 01.01.2013 से 31.12.2013 तक की अवधि के दौरान अग्रिम विनिर्णय के लिए 32 आवेदन प्राप्त हुए थे। उक्त अवधि के दौरान प्राधिकरण के समक्ष अग्रिम विनिर्णय सुनाने के लिए कुल 48 आवेदन थे जिसमें 16 पिछले वर्ष के थे। 48 में से 12 आवेदनों का निपटान किया जा चुका है।

12.2.2. इस अवधि से पहले, प्राधिकरण के दायरे का विस्तार किया गया था और निम्नलिखित संशोधन किए गए थे :-

- i. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 23 क को अधिसूचना सं. 04/2013-सी.ई.(एन.टी.) दिनांक 01.03.2013 के तहत संशोधित किया गया था ताकि सार्वजनिक सीमित कंपनी को अग्रिम विनिर्णय के इच्छुक "निवासी" वर्ग में मान्य-आवेदक के रूप में सम्मिलित किया जा सके। इसी प्रकार सेवाकर के मामले में "सार्वजनिक सीमित कंपनी" को मान्य आवेदक के रूप में सम्मिलित करने के लिए अधिसूचना सं. 04/2013-एसटी दिनांक 01.03.2013 जारी की गई थी।
- ii. वित्त विधेयक, 2013 के खंड 58 के तहत सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28ड को खंड (क) प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधित किया गया था, नामतः-
(क) "कार्यकलाप" का अर्थ है माल का उत्पादन अथवा निर्माण और इसमें मौजूदा आयातक अथवा निर्यातक, जैसा भी मामला हो द्वारा आरंभ किए जाने वाले प्रस्तावित आयात अथवा निर्यात का कोई भी नया कारोबार शामिल है ;
- iii. वित्त विधेयक, 2013 के खंड 85 के तहत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 23क को संशोधित किया गया था ताकि खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जा सके, नामतः-
(क) "कार्यकलाप" का अर्थ है माल का उत्पादन अथवा निर्माण और इसमें मौजूदा उत्पादक अथवा निर्माता, जैसा भी मामला हो, द्वारा आरंभ किए जाने वाले उत्पादन अथवा निर्माण का कोई भी कारोबार शामिल है ;"

iv. वित्त विधेयक, 2013 के खंड 86 द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 23ग में, उप-धारा (2) में खंड (ड.) में "उत्पाद शुल्क के क्रेडिट की ग्राह्यता" शब्दों के स्थान पर "इनपुट सेवा अथवा उत्पाद शुल्क पर अदा किया गया माना गया या अदा किए गए सेवा कर के क्रेडिट की ग्राह्यता" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

v. वित्त विधेयक, 2013 के खंड 87 द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 23च में, उप-धारा (1) में "धारा 28-झ" शब्द आकड़ों व अक्षर के स्थान पर "धारा 23 घ" शब्द, आंकड़ों व अक्षर को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

12.3 विगत वर्ष तक का कार्य निष्पादन/ उपलब्धियां:

12.3.1 प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2002-03 में कार्य करना प्रारंभ किया था। सीमा शुल्क (अग्रिम निर्णय) नियमावली, 2002 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अग्रिम निर्णय) नियमावली, 2002, दोनों को 23.8.2002 की अधिसूचना सं.55/2002-सीमा शुल्क (एनटी) और 28/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी) के तहत अधिसूचित किया गया था। सेवा कर (अग्रिम निर्णय) नियमावली अधिसूचना सं. 17/2003-सेवाकर (एनटी) दिनांक 23.7.2003 के तहत अधिसूचित की गई थी। प्राधिकरण को संचालित करने की प्रक्रिया दिनांक 21.3.2003 की अधिसूचना सं. 01/2003-एएआर के तहत जारी की गयी अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (प्रक्रियात्मक) नियमावली, 2003 के तहत निर्धारित की गयी थी। अग्रिम निर्णयों के दायरे में विस्तार और प्राप्त अनुभव के परिणामस्वरूप, इन नियमों को सरल बना दिया गया और 7.1.2005 की अधिसूचना संख्या 1/2005-एएआर के तहत जारी अग्रिम निर्णय (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क, और सेवा कर) प्रक्रिया विनियम, 2005 के द्वारा अधिक्रमित किया गया।

12.3.2 अग्रिम निर्णय प्राप्त करने के लिए पहला आवेदन 20.11.2002 को प्राप्त हुआ था। 20.11.2002 से 31.03.2012 तक की अवधि के दौरान 173 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 95 मामलों (71 सीमा शुल्क, 15 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और 9 सेवा कर से संबंधित) में निर्णय घोषित किए गए। इस अवधि के दौरान 60 मामलों (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 281 (2) के अंतर्गत जारी किए गए सीमा शुल्क से संबंधित 25 मामले, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 23 घ(2) के अंतर्गत जारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी 9 और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 96 घ (2) के तहत सेवा कर से संबंधित 26 मामलों) में आदेश भी जारी किए गए। 30 दिनों के भीतर आवेदकों द्वारा 2 आवेदन वापिस ले लिए गए थे जिनके लिए अग्रिम निर्णयों से संबंधित उपबंधों के अंतर्गत आवेदन वापिस लेने हेतु अनुमति के लिए कोई औपचारिक आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। दिनांक 31-12-2012 को 16 आवेदन लंबित थे।

12.4 01.01.2014 से 31.03.2014 तक की अवधि के संबंध में उपरोक्त के अतिरिक्त आवश्यक जानकारी निम्न प्रकार है :-

12.4.1 01.01.2014 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान अग्रिम निर्णय के लिए 03 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। उक्त अवधि के दौरान 01 आवेदन का निपटान किया गया। 31.03.2014 को स्थिति के अनुसार प्राधिकरण में विनिर्णय/आदेश जारी करने के लिए 38 आवेदन लंबित थे।

13. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

13.1 संगठन और कार्य

केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत सृजित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) एक सर्वोच्च संस्था है जिसे भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों के अभिशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीबीडीटी में एक अध्यक्ष और छः सदस्य होते हैं। यह भारतीय राजस्व सेवा का संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण तथा आयकर विभाग का नियंत्रक प्राधिकरण है। सीबीडीटी के कामकाज में निम्नलिखित निदेशालय भी उसकी सहायता करते हैं:

- (i) प्रधान आयकर महानिदेशालय (प्रशासन)
 - (क) आयकर निदेशालय (जन सम्पर्क, मुद्रण, प्रकाशन एवं राजभाषा)
 - (ख) आयकर निदेशालय (वसूली)
 - (ग) आयकर निदेशालय (आयकर)
 - (घ) आयकर निदेशालय (टीडीएस)
 - (ङ) आयकर निदेशालय (लेखा परीक्षा)
- (ii) प्रधान आयकर महानिदेशालय (प्रणाली)
- (iii) प्रधान आयकर महानिदेशालय (संभार-तंत्र)
 - क) आयकर निदेशालय (अवसंरचना)
 - ख) आयकर निदेशालय (व्यय बजट)
- (iv) प्रधान आयकर महानिदेशालय (विधि एवं अनुसंधान)
- (v) प्रधान आयकर महानिदेशालय (प्रशिक्षण)
- (vi) प्रधान आयकर महानिदेशालय (मानव संसाधन विकास)
 - क) आयकर निदेशालय (मानव संसाधन विकास)
 - ख) आयकर निदेशालय (ओएंडएमएस)
- (vii) प्रधान आयकर महानिदेशालय (सतर्कता)
- (viii) आयकर महानिदेशालय (जोखिम आकलन)

13.1.1 पूरे देश में तैनात विभिन्न प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त और

मुख्य आयकर आयुक्त प्रत्यक्ष करों के संग्रहण का पर्यवेक्षण करते हैं एवं करदाता सेवाएं प्रदान करते हैं। आयकर महानिदेशक (जांच) जांच मशीनरी का पर्यवेक्षण करता है जिसे कर अपवंचन रोकने एवं बेहिसाबी धन का पता लगाने का कार्य सौंपा गया है। मुख्य आयकर आयुक्त (छूट) छूट के कार्य का पर्यवेक्षण करता है और प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) अंतर्राष्ट्रीय कर और अंतरण मूल्य-निर्धारण के क्षेत्र में कार्य का पर्यवेक्षण करता है। आयकर महानिदेशालय (आसूचना एवं अपराधिक जांच) आयकर पहलुओं वाले आसूचना एवं जांच अपराधों को एकत्रित करने के कार्य में लगा हुआ है। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक को उनके क्षेत्राधिकार में मुख्य आयकर आयुक्तों/प्रधान आयकर आयुक्तों और आयकर आयुक्तों/आयकर निदेशकों द्वारा सहायता दी जाती है। आयकर आयुक्त अपीलीय कार्य भी करते हैं जिसमें करदाताओं एवं कर-निर्धारण अधिकारियों के बीच विवादों के न्याय-निर्णयन का कार्य शामिल है। आयकर विभाग की मौजूदगी भारत भर के 530 शहरों एवं कस्बों में है। लगभग 3.6 करोड़ करदाता आधार के साथ आयकर विभाग देश के लगभग प्रत्येक शहरी परिवार के साथ संपर्क में है।

13.1.2 एक मुख्य चालक के रूप में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के साथ सीबीडीटी आयकर विभाग में समग्र कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य करदाता अनुकूल व्यवस्था की स्थापना करना, कराधार को बढ़ाना, पर्यवेक्षण में सुधार करना और सरकार के लिए और अधिक राजस्व उत्पन्न करना है।

13.2 प्रत्यक्ष कर संग्रहण

i. प्रत्यक्ष कर संग्रहण वित्त वर्ष 2008-09 में 3,33,818 करोड़ रु. से 12.72 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2013-14 में 6,38,490 करोड़ रु. तक बढ़ गई है। वित्त वर्ष 2007-08 में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा केन्द्रीय करों के लगभग 52.75 प्रतिशत का योगदान करते हुए पहली बार अप्रत्यक्ष करों के हिस्से से अधिक था। तब से यह प्रवृत्ति जारी रही है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कुल केन्द्रीय कर संग्रहण (संघ राज्य क्षेत्रों पर करों को छोड़कर) में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा का 54.07 प्रतिशत था।

ii. राजस्व सृजन की तुलना में कुल प्रशासनिक लागत के रूप में मापी गई संग्रहण की लागत 2008-09 में 0.67 प्रतिशत से घटकर 2012-13 की अवधि में 0.59 प्रतिशत हो गई।

iii. वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान, विभाग ने बकाया मांग से 23,995 करोड़ रु. संग्रहीत किए जो पिछले वित्त वर्ष के संग्रहण से 1.53 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान मांग के संबंध में, वित्त वर्ष 2012-13 के लिए संग्रहण वित्त वर्ष 2011-12 में 41,396 करोड़ रु. की तुलना में 40,815 करोड़ रु. (अन्तिम) है।

तालिका वित्त वर्ष 2011-12, 2012-2013 और 2013-2014 के दौरान प्रत्यक्ष करों का बजट अनुमान और वास्तविक संग्रहण (अनंतिम)
(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	कर	वित्त वर्ष 2011-12		वित्त वर्ष 2012-13		वित्त वर्ष 2013-14	
		बजट अनुमान	वास्तविक संग्रहण	बजट अनुमान	वास्तविक संग्रहण	बजट अनुमान	वास्तविक संग्रहण#
1	निगम कर	3,59,990	3,22,816	3,73,227	3,56,326	4,19,520	3,94,677
2	आय पर कर (एसटीटी, एफबीटी, बीसीटीटी सहित)	1,72,026	1,70,343	1,95,786	2,01,487	2,47,639	2,42,806
3	धन कर	635	788	1244	845	950	1,007
	कुल	532,651	4,93,947	5,70,257	5,58,658	6,68,109	6,38,490

टिप्पणी : #वित्त वर्ष 2013-14 के लिए आंकड़ा अनंतिम है।

तालिका : वित्त वर्ष 2011-12, 2012-2013 के लिए निगम आयकर और व्यक्तिगत आयकर का बकाया और वर्तमान मांग
(करोड़ रुपए में)

	वित्तीय	वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2012-13
क	कुल बकाया मांग	4,78,863	580326
ख	कारण-वार विश्लेषण		
	1. राशि जो देय नहीं हुई		
	2. आयकर प्राधिकरणों, न्यायालयों आदि द्वारा स्थगित राशि सहित, वह राशि जिसे वसूला जाना कठिन है:	70,445	94,146
		3,87,614	4,66,854
ग	निवल संग्रहणीय मांग (क-ख)	20,804	19,326

तालिका - बजट अनुमान-संशोधित अनुमान-वास्तविक संग्रहण

बजट अनुमान-संशोधित अनुमान-वास्तविक संग्रहण						
वित्त वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक संग्रहण	पिछले वर्ष से वास्तविक संग्रहण की वृद्धि दर	प्राप्त बजट अनुमान का प्रतिशत	प्राप्त संशोधित अनुमान का प्रतिशत
(करोड़ रुपए में)						
2000-01	72105	74467	68305	17.85%	94.73%	91.73%
2001-02	85275	73972	69198	1.31%	81.15%	93.55%
2002-03	91585	82445	83088	20.07%	90.72%	100.78%
2003-04	95714	103400	105088	26.48%	109.79%	101.63%
2004-05	139510	134194	132771	26.34%	95.17%	98.94%
2005-06	177077	170077	165216	24.44%	93.30%	97.14%
2006-07	210684	229272	230181	39.32%	109.25%	100.40%
2007-08	267490	304760	312213	35.64%	116.72%	102.45%
2008-09	365000	345000	333818	6.92%	91.46%	96.76%
2009-10	370000	387008	377546	13.10%	102.04%	97.56%
2010-11	430000	446000	445962	18.12%	103.71%	99.99%
2011-12	532651	500651	493947	10.76%	92.73%	98.66%
2012-13	570257	565835	558658	13.10%	97.97%	98.73%
2013-14	668109	636318	638490	14.29%	95.57%	100.34%

* स्रोत : महालेखा नियंत्रक, वित्त वर्ष 2013-14 के लिए ये आंकड़े अनंतिम हैं और बदलाव के अधीन हैं; अन्य आंकड़ा स्रोत : प्राप्ति बजट

संग्रहण की लागत

वित्त वर्ष	कुल संग्रहण	कुल व्यय (राजस्व)	संग्रहण की प्रतिशतता के रूप में व्यय
	(करोड़ रुपए में)	(करोड़ रुपए में)	
2001-02	69,198	933	1.35%
2002-03	83,088	984	1.18%
2003-04	105,088	1050	1.00%
2004-05	132,771	1138	0.86%
2005-06	165,216	1194	0.72%
2006-07	230,181	1349	0.59%
2007-08	314,330	1687	0.54%
2008-09	333,818	2248	0.67%
2009-10	378,063	2726	0.72%
2010-11	446,935	2698	0.60%
2011-12	493,946	2979	0.60%
2012-13	5,58,658	3278	0.59%

प्रत्यक्ष कर - जीडीपी अनुपात

(करोड़ रुपए में)

वित्त वर्ष	प्रत्यक्ष करों का निवल संग्रहण	जीडीपी वर्तमान बाजार मूल्य	प्रत्यक्ष कर - जीडीपी अनुपात	जीडीपी वृद्धि दर	कर वृद्धि दर	वृद्धि कारक
2000-01	68305	2102376	3.25%	7.70%	17.85%	2.32
2001-02	69198	2281058	3.03%	8.50%	1.31%	0.15
2002-03	83088	2458084	3.38%	7.76%	20.07%	2.59
2003-04	105088	2754621	3.81%	12.06%	26.48%	2.19
2004-05	132771	3239224	4.10%	17.59%	26.34%	1.50
2005-06	165216	3693369	4.47%	13.99%	24.44%	1.75
2006-07	230181	4294706	5.36%	16.31%	39.32%	2.41
2007-08	312213	4987090	6.26%	16.12%	35.64%	2.21
2008-09	333818	5630063	5.93%	12.89%	6.92%	0.54
2009-10	377546	6477827	5.83%	15.06%	13.10%	0.87
2010-11	445962	7795314	5.72%	20.34%	18.12%	0.89
2011-12	493947	9009722	5.48%	15.58%	10.76%	0.69
2012-13	558658	10113281	5.52%	12.25%	13.10%	1.07

13.3 परिणामी ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) 2013-14

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2013-14 के अपने परिणामी ढांचा दस्तावेज के माध्यम से करदाता सेवाओं के प्रभावी और अर्थपूर्ण कार्यान्वयन पर ध्यान देने की अपनी वचन बद्धता को दोहराया है जो स्वैच्छिक अनुपालन को भी सुकर करेगा। वित्त वर्ष 2013-14 के परिणामी ढांचा दस्तावेज के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

- करदाताओं के साथ बेहतर सम्पर्क
- करदाता सेवाओं को बढ़ाने के लिए आयकर विभाग में मानव संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और विकास।
- करदाताओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं को सुदृढ़ करना।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छह महानिदेशालयों अर्थात् मानव संसाधन विकास महानिदेशालय, प्रणाली महानिदेशालय, प्रशासन महानिदेशालय, सतर्कता महानिदेशालय, विधि एवं अनुसंधान महानिदेशालय और संभार-तंत्र महानिदेशालय, के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्दिष्ट समयावधि के भीतर ठोस और रिकार्ड करने योग्य प्रगति की गई है। आरएफडी पर प्रगति को दस्तावेज में की गई वचनबद्धताओं की तुलना में निगरानी की जाती है।

13.4 वार्षिक सम्मेलन

आयकर के मुख्य आयुक्तों और महानिदेशकों का 29वां वार्षिक सम्मेलन दिनांक 28 और 29 मई, 2013 को आयोजित किया गया। अपने मुख्य भाषण में वित्त मंत्री ने एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए कर राजस्व की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने प्रौद्योगिकी और आसूचना आधारित कर संग्रहण पर जोर दिया जो बेहतर परिणाम देगा और कर संग्रहण की गैर-आक्रामक पद्धतियां प्रदान करेगा। उन्होंने कर कानूनों में स्थिरता और स्पष्टता, बड़े कर दाताओं और गैर दाखिलकर्ताओं पर ध्यान देने तथा मुकदमों में बेहतर प्रदर्शन पर भी बल दिया।

13.5 प्रत्यक्ष कर सलाहकार समितियां

करदाताओं और आयकर अधिकारियों के बीच आपसी समझ बढ़ाने तथा प्रत्यक्ष करों से संबंधित सामान्य प्रकृति की कठिनाइयों को दूर करने के उपायों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से दिल्ली में एक केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति (सीडीटीएसी) और महत्वपूर्ण केन्द्रों पर 64 क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समितियां (आरडीटीएसी) हैं। इन समितियों में व्यापार और व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी मनोनीत किया जाता है। इन समितियों का कार्यकाल उनके गठन की तारीख से दो वर्ष तक होता है।

13.6 कर अपवंचन से निपटने के उपाय

13.6.1 तलाशी, जब्ती और सर्वेक्षण तथा कर-निर्धारण:

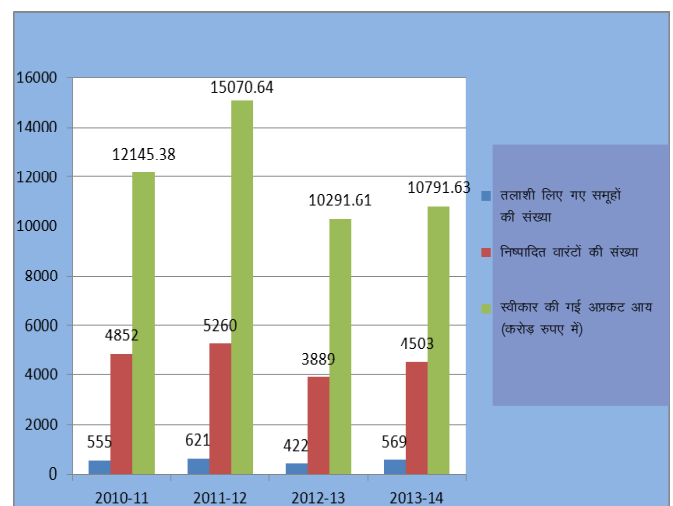
तलाशी और सर्वेक्षण बेहिसाबी आय, बेहिसाबी परिसम्पत्तियों का पता लगाने और कर अपवंचन से संबंधित साक्ष्यों को इकट्ठा करने के

लिए सबसे अधिक शक्तिशाली साधन है। वित्त वर्ष 2011-12 में 621 समूहों की तलाशी ली गई, जबकि वित्त वर्ष 2012-13 में 422 समूहों की तलाशी ली गई थी। निष्पादित तलाशी वारंटों की संख्या में भी लगभग उसी अनुपात में गिरावट आई है; वित्त वर्ष 2011-12 में 5260 से वित्त वर्ष 2012-13 में 3889 तक। प्रति तलाशी समूह पता लगाई गई और प्रकट की गई आय वित्त वर्ष 2012-13 में पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में अधिक है।

हाल की तलाशियों में कर अपवंचन की नई और अभिनव पद्धतियों का पता चला है। इन गतिविधियों के पर्दाफाश होने से आने वाले वर्षों में विभाग को काफी अधिक लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए, समायोजन प्रविष्टि संचालकों, विशेष रूप से कोलकाता और दिल्ली में, के संगठित और गहन जांच से गहन और व्यापक आंकड़ों की प्रवृत्ति का पता चला है जिसे सुरक्षित रखा गया है और करदाताओं की एक बड़ी संख्या द्वारा वास्तविक कर अपवंचन प्रमाणित करने के लिए वर्तमान और भविष्य के वर्षों में इसका दोहन किया जाएगा। इसी प्रकार स्थावर संपदा विकास क्षेत्र में, कई बड़े करदाता संयुक्त विकास करारों की आड़ में करों के भुगतान से बचे रहे हैं। भूमि के लेन-देन पर कोई पूंजीगत अभिलाभ का भुगतान नहीं किया गया है, हालांकि भूमि का आधिपत्य पहले से ही लाभार्थी स्वामियों में निहित है और भूमि के कानूनी स्वामियों ने अब तक भूमि की बिक्री प्रक्रिया का, यदि पूरा नहीं, तो अधिकतम लाभ लिया है।

सर्वेक्षणों की संख्या में वित्त वर्ष 2011-12 में 3706 से वित्त वर्ष 2012-13 में 4630 तक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस प्रकार के सर्वेक्षणों में पर्याप्त मात्रा में उच्च बेहिसाबी आय का पता लगाया गया है। प्रति सर्वेक्षण पता लगाई गई आय वित्त वर्ष 2011-12 में 1.77 करोड़ रु. से वित्त वर्ष 2012-13 में 4.18 करोड़ रु. तक ऊपर गई है।

पिछले 4 वित्त वर्षों (2009-10 से 2013-14) के दौरान संचालित तलाशियों में निष्पादित वारंटों की संख्या, जब्त परिसम्पत्तियों और स्वीकार की गई अप्रकट आय की प्रवृत्ति निम्नलिखित ग्राफ के अनुसार है:-

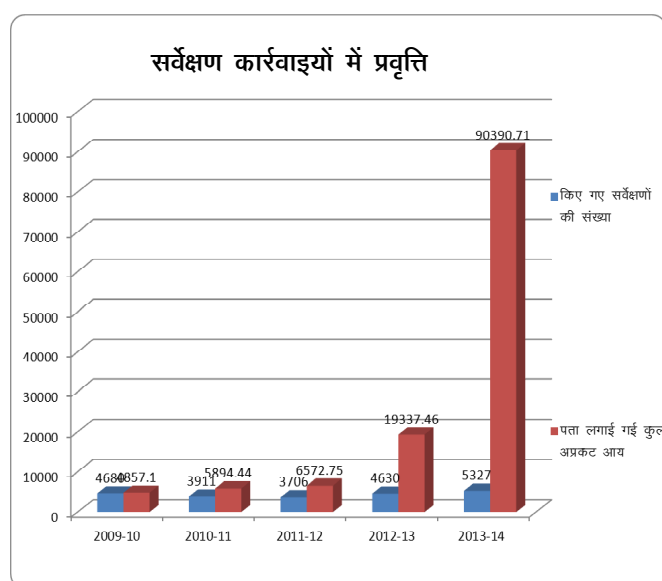
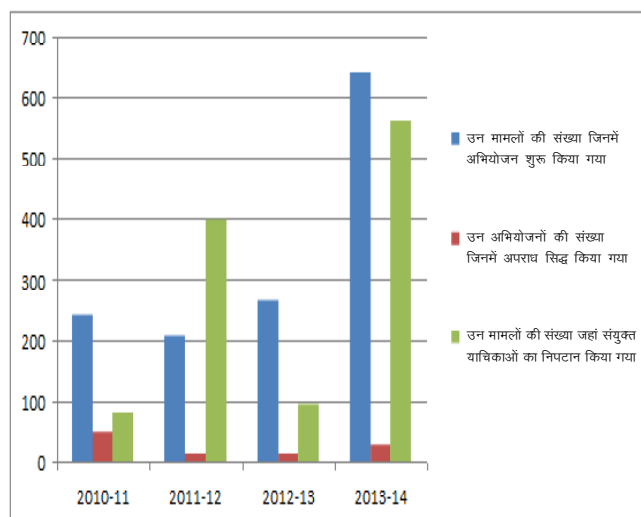


पिछले 4 वित्त वर्षों (2009-10 से 2013-14) के दौरान संचालित सर्वेक्षणों की संख्या और संचालित सर्वेक्षणों में पता लगाई गई अप्रकट आय के संबंध में आंकड़े निम्नवत हैं:-

वित्त वर्ष	संचालित सर्वेक्षणों की संख्या	पता लगाई गई अप्रकट आय (करोड़ रु. में)*
2010-11	3911	5894.44
2011-12	3706	6572.75
2012-13	4630	19337.46
2013-14	5327	90390.71**

* आंकड़े अनंतिम हैं

** 71195 करोड़ रु. दिल्ली के केअन इंडिया सर्वेक्षण मामले में संबंधित हैं



* आंकड़े अनंतिम हैं

** 90390.71 करोड़ रु. में से, 71195 करोड़ रु. दिल्ली के केअन इंडिया सर्वेक्षण मामले से संबंधित है

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में प्रत्यक्ष कर कानूनों के उल्लंघन के लिए शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पिछले 3 वित्त वर्षों में अभियोजनों के संबंध में आंकड़े निम्नवत हैं:

वित्त वर्ष	मामलों की संख्या जिनमें अभियोजन शुरू किया गया	अभियोजन मामलों की संख्या जिनमें अपराध सिद्ध किया गया	मामलों की संख्या जहां संयोजित याचिकाओं का निपटान किया गया
2010-11	244	51	83
2011-12	209	14	397
2012-13	283	15	205
2013-14	641	28	561

13.6.2 देश के भीतर और बाहर दोनों में बेहिसाबी आय/धन के आकलन पर अध्ययन

सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ देश के भीतर और बाहर दोनों में बेहिसाबी आय के आकलन के लिए एक अध्ययन शुरू करवाया है। यह अध्ययन राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीईआर) और राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम) द्वारा किया जा रहा है। अंतिम अध्ययन रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की उम्मीद है।

13.6.3 चुनाव के दौरान व्यय की निगरानी

चुनावों पर व्यय का पता लगाने और इसकी निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के साथ समन्वय बनाए हुए हैं।

13.6.4 एफआईयू-इंड से निविष्टियां

एफआईयू-इंड से प्राप्त निविष्टियों को आयकर विभाग द्वारा जांच किए जा रहे कई मामलों में लाभकारी ढंग से प्रयोग किया गया है। कुछ निविष्टियों के आधार पर की गई सुस्थिर जांच के फलस्वरूप सफल तलाशी और जब्ती अभियान किए जा सके हैं।

13.6.5 इंटरनेशनल कन्सॉर्टियम ऑफ इन्वेस्टीगेटिव जर्नलिस्ट्स द्वारा किए गए रहस्योद्घाटन से उभर कर आने वाले मुद्दों में जांच

इंटरनेशनल कन्सॉर्टियम ऑफ इन्वेस्टीगेटिव जर्नलिस्ट्स (आईसीआईजे) ने अपनी वेबसाइट www.icij.org, में हाल ही में सूचना अपलोड की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड आदि जैसे अपतटीय स्थानों में सृजित न्यासों, निधियों और कम्पनियों सहित कुछ संस्थाओं के विवरण शामिल हैं। इस प्रकार की सूचना में 513 भारतीयों के नाम आदि के साथ पतों के विवरण शामिल हैं जो प्रथम दृष्टया कुछ अपतटीय कम्पनियों से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। तथापि, इस प्रकार की सूचना अपतटीय कम्पनियों या भारतीय व्यक्तियों के वित्तीय लेन-देनों के विवरण पर प्रकाश नहीं डालता है। आयकर अधिकारियों ने उपर्युक्त मामले में जांच-पड़ताल शुरू की है। ऐसी जांच-पड़ताल के पूरा होने पर प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

13.6.6 नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) भुगतान संकट से उभर कर आने वाले मुद्दों में जांच

हाल ही में, एनएसईएल में ट्रेडिंग को निलंबित कर दिया गया जिसके बाद निवेशकों को भुगतान संकट पैदा हुआ। एनएसईएल पर निवेशकों का 5570 करोड़ रु. बकाया है। एनएसईएल ने 24 उधारकर्ताओं की एक सूची प्रदान की है जिनको एनएसईएल को 5570 करोड़ रु. देने हैं। आयकर विभाग [आईटीडी] ने 22.8.2013 को इन 24 उधारकर्ताओं पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133क के तहत राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किए। सर्वेक्षण में पता चला कि गोदाम या तो खाली थे या सामग्रियों की सूचित मात्रा उपलब्ध नहीं थी। कुछ मामलों में, जांच में पता चला कि एनएसईएल से प्राप्त धन को संपत्तियों में निवेश, ऋण की चुकौती आदि जैसे विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया था। आगे की जांच प्रगति पर है।

तथापि, इस प्रकार की धोखाधड़ी के खतरे को रोकने और नियंत्रित करने में आयकर विभाग की भूमिका केवल शामिल संस्थाओं/व्यक्तियों पर आयकर अधिनियम, 1961 के उल्लंघन के नजरिए से जांच के अधीन किए जाने तक सीमित है जहां प्राथमिक ध्यान कर अपवंचन के लिए जांच पर केन्द्रित है। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत परिणाम मुख्य रूप से 'आय' से संबंधित हैं। जब भी ऐसे मामलों का पता चलता है, जानकारी संबंध नियामकों, अर्थात् एफएमसी, सेबी, प्रवर्तन निदेशालय, आदि के साथ साझा किया जाता है।

13.6.7 आईटीडीएमएस का उन्नयन और नवीनतम आंकड़ों को अपलोड करना

एक एकीकृत करदाता डाटा प्रबंधन प्रणाली (आईटीडीएमएस) का डिजाइन करदाता प्रोफाइल के लिए एक डाटा संरक्षण सॉफ्टवेयर के रूप में किया गया था। यह प्रयोक्ताओं को करदाताओं का लगभग 360 डिग्री प्रोफाइल तैयार करने में सक्षम बनाता है। आंकड़ों की उच्च मात्रा से निपटने तथा और अधिक संयोजन के सृजन के लिए मौजूदा प्रणाली के उन्नयन हेतु एक परियोजना शुरू की गई। उन्नत संस्करण बेहतर संयोजन दे रहा है और आंकड़ों की उच्च मात्रा को संभालने में सक्षम है।

13.7 कराधार को बढ़ाना, कर निर्धारण और प्रतिदाय

13.7.1 कराधार को बढ़ाना

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 31.12.2013 तक योजित नए कर-निर्धारितियों की संख्या 4,57,468 और 28.2.2014 तक 4,94,846 है। पिछले 7 वर्षों में वास्तविक कर-निर्धारितियों की संख्या दर्शाने वाले आंकड़े निम्नवत हैं:-

क्र. संख्या	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार कर-निर्धारितियों की कुल संख्या (लाख में)
1.	2007-08	326.87
2.	2008-09	333.98
3.	2009-10	347.73
4.	2010-11	355.48
5.	2011-12	363.45
6.	2012-13	373.77
7.	2013-14 (सितम्बर)	316.24

2013 की स्थिति के अनुसार)

स्रोत : योजित नए कर-निर्धारितियों की संख्या - कैप-11, वास्तविक, कर-निर्धारित आयकर महानिदेशालय (संभार-तंत्र)

13.7.2 प्रतिअदायगी दावों का निपटान :

विवरणियों के प्रसंसाधन के पश्चात दी गई प्रतिअदायगियों की संख्या निम्नवत हैं :

क्रम	वित्त वर्ष	नकदीकरण किए गए प्रतिदायों की संख्या (लाख में)
1.	2011-12	105.45
2.	2012-13	82.15
3.	2013-14	103.48

स्रोत : आयकर महानिदेशालय (प्रणाली)

13.8. न्यायिक कार्य

वित्त वर्ष 2013-14 के लिए आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा अपीलों के निपटान के संबंध में आंकड़े निम्नवत हैं :

	वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2012-13	वित्त वर्ष 2013-14
आयकर आयुक्तों (अपील) द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या	75,518	85,049	87,770
आयकर आयुक्तों (अपील) द्वारा निपटाए गए उच्च मांग के मामले	21,805	31,835	27,277
वित्त वर्ष के अंत में आयकर आयुक्तों (अपील) के समक्ष लंबित मामलों की कुल संख्या	230,616	199,390	215,174
वित्त वर्ष के अंत में आयकर आयुक्तों (अपील) के समक्ष लंबित कुल मामलों में उच्च मांग मामलों की संख्या	17,665	35,049	42,322
वर्ष के अंत में लंबित अपीलों में बंद राशि (करोड़ रुपए में)	242,182	259,556	287,443

13.8.1 वित्त वर्ष 2013-2014 (दिसम्बर, 2013 को समाप्त तिमाही तक) के लिए आईटीएटी, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में अपीलों के लंबन और प्रारंभ करने के संबंध में आंकड़े निम्नवत हैं

पिछले तीन वर्षों के दौरान लंबित और नई प्रारंभ की गई अपीलों से संबंधित व्यौरे

	वित्त वर्ष 2011-12		वित्त वर्ष 2012-13		वित्त वर्ष 2013-14	
	1.4.2011 [*] की स्थिति के अनुसार लंबित अपीलें	2011-12 के दौरान प्रारंभ की गई कुल अपीलें	1.4.2012 [*] की स्थिति के अनुसार लंबित अपीलें	2012-13 के दौरान प्रस्तुत की गई कुल अपीलें	1.4.2013 [*] की स्थिति के अनुसार लंबित अपीलें	2013-14 के दौरान प्रारंभ की गई कुल अपीलें (दिसम्बर 2013 तक) ^{*-*}
आयकर अपीलीय अधिकरण	30999	20865	31299	21993	31914	16131
उच्च न्यायालय	34182	5720	29129	6725	31488	5867
उच्चतम न्यायालय	5740	1202	5844	868	5805	524

^{*} 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार लंबित आंकड़े प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए जून में समाप्त तिमाही की रिपोर्ट से लिए गए हैं।

^{**} मार्च 2014 को समाप्त तिमाही की रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

टिप्पणी : लंबित और नई शुरू की गई अपीलों में कर-निर्धारितियों के साथ-साथ विभाग द्वारा दाखिल अपालें शामिल हैं।

13.8.2 वित्त वर्ष 2013-14 के लिए वकीलों की नियुक्ति के संबंध में आंकड़े निम्नवत हैं -

पिछले 3 वर्षों के दौरान निम्नलिखित की नियुक्ति के संबंध में आंकड़े

वकीलों की श्रेणी	वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2012-13	वित्त वर्ष 2013-14
स्थाई वकील	82	23	97
अभियोजन वकील	17	10	7
विशेष वकील	86	59	73

13.8.3 वर्ष के दौरान आईटीजे प्रभाग के प्रदर्शन और उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं -

(i) इससे पहले कर-निर्धारितों द्वारा दायर अपीलों/एसएलपी का पता लगाने के लिए कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी जिसके कारण विभाग अपील/एसएलपी की पहली सुनवाई/दाखिल करने के चरण से अपने विचारों को प्रस्तुत करने में असमर्थ था। **अनुदेश संख्या 8/2013** जारी किया गया जिसमें न केवल करदाता द्वारा दायर एसएलपी के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, बल्कि ऐसी अपीलों से निपटने के लिए प्रभावी और समान दृष्टिकोण भी निर्धारित है।

(ii) आईटीएटी के समक्ष विभागीय प्रतिनिधियों (डीआर) के काम के बोझ को युक्तिसंगत करने के लिए कार्यभार के मौजूदा मानकों और वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में बदलाव की जरूरत पर एक गहन अध्ययन किया गया। **अनुदेश संख्या 9/2013** जारी किया गया जिसमें आईटीएटी के समक्ष प्रतिनिधित्व के लिए सीआईटी (विभागीय प्रतिनिधि) और वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि के बीच काम के आवंटन के लिए मापदंड निर्धारित था।

(iii) उच्च न्यायालयों, अग्रिम न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (एएआर) या अन्य न्यायिक मंचों में अंतरराष्ट्रीय कराधान या अंतरण मूल्य-

निर्धारण से संबंधित मामलों में आयकर विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष वकीलों के पैनल के गठन के लिए प्रस्ताव बोर्ड और राज्य मंत्री (राजस्व) द्वारा अनुमोदित कर दिया गया और विधि एवं न्याय मंत्रालय के पास लंबित है।

(iv) चूंकि विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति के विषय पर मौजूदा अनुदेश एक दशक से अधिक पुराना था, यह आवश्यक महसूस किया गया कि वर्तमान कानूनी परिदृश्य का उचित अध्ययन करने के बाद नए दिशानिर्देशों को जारी किया जाना चाहिए। **विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिए अनुदेशों** का मसौदा तैयार किया गया और बोर्ड और राज्य मंत्री (राजस्व) के अनुमोदन के बाद, यह सहमति के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय के पास लंबित है।

(v) **राष्ट्रीय न्यायिक संदर्भ प्रणाली** : केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने "राष्ट्रीय न्यायिक संदर्भ प्रणाली" (एनजेआरएस) की स्थापना के लिए एक पहल शुरू की है जो प्रत्यक्ष कर मामलों में आईटीएटी, उच्च न्यायालयों और भारत के उच्चतम न्यायालय की सभी अपीलों और निर्णयों से युक्त एक एकीकृत डाटाबेस होगा। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी की मदद से विभाग में मुकदमेबाजी प्रबंधन में सुधार करना है। चूंकि एक खुली निविदा के माध्यम से एक कार्यान्वयन एजेंसी की पहचान करने का प्रारंभिक प्रयास फलीभूत नहीं हुआ, परियोजना को वापस पटरी पर लाने के लिए वित्त वर्ष के दौरान नए सिरे से प्रयास किए गए। प्रणाली निदेशालय और क्षेत्र में तैनात अधिकारियों के साथ आंतरिक विचार विमर्श के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, व्यय विभाग, आईएफयू के परामर्श से परियोजना के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। अक्टूबर 2013 में एक नई निविदा शुरू की गई। बोली प्रक्रिया पूरी हो गई है और इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अनुबंध अप्रैल 2014 में मैसर्स एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नेतृत्व में एक संघ को दिया गया है। कार्यान्वयन एजेंसी से 6 महीने के भीतर परियोजना पर अमल करना अपेक्षित है और यह उसके बाद पांच साल की अवधि के लिए ओएंडएम के लिए जिम्मेदार होगा।

(vi) **विवादास्पद कानूनी मुद्दों पर विभागीय रुख बनाने के लिए संस्थागत तंत्र**: विवादास्पद कानूनी मुद्दों पर स्पष्टता प्रदान करने, किसी विशेष मुद्दे पर दृष्टिकोण की स्थिरता को बढ़ावा देने और मुकदमेबाजी को कम करने की दृष्टि से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा दिनांक 28/8/2012 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से एक संस्थागत तंत्र का सृजन किया गया है। इसमें दिल्ली में एक केन्द्रीय तकनीकी समिति (सीटीसी) और प्रत्येक सीसीआईटी (सीसीए) क्षेत्र में क्षेत्रीय तकनीकी समितियां (आरटीसी) शामिल हैं। वर्ष के दौरान, तंत्र को संस्थागत किया गया है और आरटीसी स्थापित किए गए हैं। केन्द्रीय तकनीकी समिति को कई विवादास्पद मुद्दों में विभागीय रुख की रचना करने के लिए कुल 32 संदर्भ प्राप्त हुए हैं। आरटीसी और सीटीसी की नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। जहाँ भी आवश्यक है वहाँ परिपत्रों के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयों को

विभागीय रूख उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्रकार के दो परिपत्र जारी किए गए हैं। **परिपत्र सं 7/डीवी/2013** अध्याय IV की अनुप्रयोज्यता और हानियों को छोड़ने और अगले लाभ से पूरा करने के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 10क/10कक/10ख/10खक के उपबंधों पर स्पष्टता लाने के लिए जारी किया गया और **दिनांक 15.12.2013 का परिपत्र सं. 10/डीवी/2013** जारी किया गया जिसमें हाल के निर्णय द्वारा पैदा हुए विवाद का विश्लेषण किया गया कि क्या धारा 40(क)(झक) में शब्द "देय" में वर्ष के दौरान पहले से ही भुगतान की गई राशि शामिल है अथवा यह केवल वर्ष के अंत में बकाया राशि का उल्लेख करता है। जबकि अधिनियम में संशोधन एक की जरूरत को महसूस किया गया है, एक उपयुक्त संदर्भ सीबीडीटी के संबंधित प्रभाग के लिए तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाकर, संशोधन के लिए पाँच संदर्भ सीबीडीटी के टीपीएल प्रभाग को भेजे गए।

13.9 विधायी उपाय

वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा किए गए प्रमुख परिवर्तन

(क) कराधान की दरें

13.9.1 व्यष्टि, हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), व्यक्तियों के संघ, व्यष्टियों के निकाय और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के मामले में बुनियादी छूट की सीमा 2.00 लाख रूपए रखी गई है।

13.9.2 "वेतन" के अलावा कतिपय आयों से वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए दरें अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग II में निर्दिष्ट हैं। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए दरें रायल्टी या तकनीकी सेवा के शुल्क के माध्यम से आय की प्रकृति में अनिवासी (किसी कंपनी से भिन्न) या किसी विदेशी कंपनी को किए गए कतिपय भुगतानों के मामले, जहां दर दस प्रतिशत की बजाय इस प्रकार की आय का पच्चीस प्रतिशत होगी, को छोड़कर वित्त अधिनियम, 2012 की प्रथम अनुसूची के भाग II में निर्दिष्ट उन दरों के समान रहेंगी। इसके अलावा, नई अंतर्विष्ट धारा 194ठघ में किसी भारतीय कंपनी या किसी सरकारी प्रतिभूति के रूप में वर्णित बंधपत्र के संबंध में देय ब्याज पर 20 प्रतिशत की सामान्य दर की तुलना में रोक कर के 5 प्रतिशत की कम दर की व्यवस्था है यदि भुगतान किसी विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) या किसी योग्य विदेशी निवेशक (क्यूएफआई) को किया गया है।

13.9.3 निम्नलिखित मामलों में स्रोत पर कर कटौती में निम्नवत स्पष्ट किए गए अनुसार संघ के प्रयोजनार्थ एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी:-

- प्रत्येक अनिवासी व्यक्ति एक कंपनी नहीं होने की स्थिति में, अधिभार की दर कर का दस प्रतिशत है जहां आय या इस प्रकार की आय के कुल योग का भुगतान किया गया है या भुगतान किए जाने की संभावना है और यह कटौती एक करोड़ रूपए से अधिक होने के अधीन है।
- विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतान के मामले में अधिभार की दर इस तरह के आयकर का दो प्रतिशत है जहां आय या इस प्रकार की आय के कुल योग का भुगतान किया गया है या भुगतान किए जाने की संभावना है और यह कटौती एक करोड़ रूपए से अधिक किन्तु दस करोड़ रूपए से अधिक नहीं होने के अधीन है। ऐसे मामले में जहां इस प्रकार की आय या

भुगतान किए गए अथवा भुगतान किए जाने की संभावना वाली इस प्रकार की आय का कुल योग विदेशी कंपनी को भुगतान किया जाना है और कटौती दस करोड़ रूपए से अधिक होने के अधीन है तो अधिभार की दर पांच प्रतिशत है।

- व्यष्टि, हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों के संघ, व्यष्टियों के निकाय कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, सहकारी समिति, स्थानीय प्राधिकरण, एक निवासी या घरेलू कंपनी होने के नाते फर्म के मामले में स्रोत पर कर कटौती पर कोई अधिभार नहीं लगाया जाएगा।
- विदेशी कंपनियों सहित भारत में अनिवासी व्यक्तियों के मामलों में संघ के प्रयोजनार्थ आयकर और अधिभार, यदि कोई हो, के दो प्रतिशत की दर से आयकर पर शिक्षा उपकर लगाया जाना जारी रहेगा। इसके अलावा, इस प्रकार के सभी मामलों में कटौती की गई कर और अधिभार की राशि में एक प्रतिशत की दर से आयकर पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर नामक अतिरिक्त अधिभार से और वृद्धि की जाएगी।
- वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान वेतन से स्रोत पर आयकर की कटौती और अग्रिम कर की गणना के लिए दरें अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्दिष्ट हैं। ये दरें ऐसे मामलों में वर्तमान आय पर वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान आयकर प्रभारित करने के लिए भी लागू हैं जिनमें त्वरित आकलन किया जाना है। विभिन्न श्रेणियों के लिए बुनियादी छूट की सीमा, कर की दरें और आय के स्लैब वित्त वर्ष 2012-13 में वही रहेंगे।
- प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों के संघ, व्यष्टियों के निकाय, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, सहकारी समिति, फर्म और स्थानीय प्राधिकरण के मामले में, परिकलित आयकर की राशि पर एक करोड़ रूपए से अधिक की कुल आय वाले व्यक्ति के मामले में इस प्रकार के आयकर के दस प्रतिशत की दर से एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी। तथापि, एक करोड़ रूपए से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि एक करोड़ रूपए की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि आय की उस राशि से अधिक नहीं होगी जो एक करोड़ रूपए से अधिक है।
- आयकर पर शिक्षा उपकर और आयकर पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर आयकर और अधिभार की राशि के क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा। शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।
- किसी घरेलू कंपनी के मामले में, आयकर की दर कुल आय का तीस प्रतिशत है। परिकलित कर में पांच प्रतिशत के अधिभार से वृद्धि की जाएगी जहां इस प्रकार की घरेलू कंपनी की कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक किन्तु दस करोड़ रूपए से अधिक नहीं है। यदि कंपनी की कुल आय दस करोड़ रूपए से अधिक है तो दस प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा। किसी विदेशी कंपनी के मामले में, कर की दर चालीस प्रतिशत होगी। परिकलित कर में दो प्रतिशत के अधिभार से केवल वहां पर वृद्धि की जाएगी जहां इस प्रकार की कंपनी की कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक किन्तु दस करोड़ रूपए से अधिक नहीं है। यदि घरेलू कंपनी के अलावा अन्य कंपनी की कुल आय दस करोड़ रूपए से अधिक है तो पांच प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा।

- (ix) हालांकि, प्रत्येक कंपनी के मामले में यह सुनिश्चित करने के लिए सीमांत राहत की अनुमति दी जाएगी कि (i) एक करोड़ रुपए से अधिक आय पर अधिभार सहित देय आयकर की अतिरिक्त राशि उस राशि तक सीमित है जिससे आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, (ii) दस करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि आय की उस राशि से अधिक नहीं होगी जो दस करोड़ रुपए से अधिक है।
- (x) आयकर पर शिक्षा उपकर और आयकर पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर अधिभार सहित परिकलित आयकर की राशि के क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा। शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगा।
- (xi) जहां आयकर अधिनियम की धारा 115-ण अथवा धारा 115-थक अथवा धारा 115द की उप-धारा (2) अथवा धारा 115नक के तहत अर्थात् घरेलू कंपनी द्वारा लाभांश के वितरण अथवा शेयरधारकों से शेयर पुनः खरीदने पर किसी कंपनी द्वारा आयकर के वितरण अथवा किसी म्यूचुअल फंड द्वारा इसके यूनिट धारकों को आय के वितरण अथवा किसी प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा इसके निवेशकों को आय के वितरण पर अतिरिक्त आयकर का भुगतान किया जाना है, इस प्रकार संदेय अतिरिक्त कर को ऐसे कर के दस प्रतिशत के अधिभार से बढ़ाया जाएगा। धारा 115-ण और धारा 115द की उप-धारा (2) के संबंध में दर को पिछले साल के लिए कर के पांच प्रतिशत से बढ़ाया गया है। धारा 115थक और धारा 115नक को आयकर अधिनियम, 1961 में हाल में अंतर्विष्ट किया गया है।

क. वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा लाए गए अन्य मुख्य परिवर्तन

I. अतिरिक्त संसाधन जुटाना

संशोधन	संशोधन का औचित्य
रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्कों के रूप में आय का कराधान	आयकर अधिनियम की धारा 115क में अनिवासी करदाता के मामले में कर के निर्धारण के लिए व्यवस्था है जहां कुल आय में 31.3.1976 के बाद किए गए किसी करार के तहत प्राप्त रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्कों (एफटीएस) के रूप में कोई आय शामिल है और जो भारत में अनिवासी के स्थायी प्रतिष्ठान, यदि कोई है, से असल में संबद्ध नहीं हैं। अधिनियम द्वारा धारा 115क के संशोधन से पहले आय की सकल राशि पर देय कर की दर निम्नलिखित थी - (i) 30 प्रतिशत, यदि रॉयल्टी या एफटीएस के रूप में आय 31.5.1997 को या उससे पहले किए गए किसी करार के अनुसरण में प्राप्त होता है; (ii) 20 प्रतिशत, यदि रॉयल्टी या एफटीएस के रूप में आय 31.5.1997 के बाद किन्तु 1.6.2005 से पहले किए गए किसी करार के अनुसरण में प्राप्त होता है; और (iii) 10 प्रतिशत, यदि रॉयल्टी या एफटीएस के रूप में आय 1.6.2005 को या उसके बाद किए गए किसी करार के अनुसरण में प्राप्त होता है; भारत ने 87 देशों के साथ कर संधियां की हैं, अधिकतर कर संधियां भारत को रॉयल्टी की सकल राशि पर 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत की दरों से कर लगाने के लिए अनुमति देते हैं, जबकि धारा 115क के अनुसार कर की दर 10 प्रतिशत है। कुछ मामलों में, इसके कारण 10 प्रतिशत की कम दर पर कराधान हुआ है भले ही संधि आय पर उच्च दर से कर लगाने की अनुमति देता है। इस विसंगति को दूर करने के क्रम में, धारा 115क के अंतर्गत यथा प्रदत्त रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के माध्यम से आय के संबंध में अनिवासी करदाता के मामले में कर की दर 10 फीसदी से बढ़ाकर 25 प्रतिशत की दी गई है। 25 प्रतिशत की यह दर 31.3.1976 के बाद किए गए किसी करार के तहत किसी अनिवासी द्वारा प्राप्त रॉयल्टी और एफटीएस के माध्यम से किसी भी आय के लिए लागू होगी जो धारा 115क के तहत कर योग्य। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी है और तदनुसार, कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 और अनुवर्ती कर-निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।
वस्तु संव्यवहार कर	वस्तु संव्यवहार कर (सीटीटी) को अधिनियम के अध्याय VII द्वारा शुरू किया गया और यह 1 जुलाई 2013 से लागू हो गया है जैसा कि दिनांक 19 जून, 2013 की अधिसूचना का. आ. 1768(अ) द्वारा अधिसूचित किया गया। सीटीटी नियमावली, 2013 को दिनांक 19 जून, 2013 की अधिसूचना का. आ. 1769(अ) द्वारा अधिसूचित किया गया। सीटीटी एक मान्यताप्राप्त संघ में किए गए कर योग्य वस्तुओं के संव्यवहार पर लगाया जाता है।

'कर योग्य वस्तु संव्यवहार' को मान्यताप्राप्त संघों में व्यापार किए गए कृषि वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं के संबंध में वस्तु व्युत्पन्न की बिक्री का एक संव्यवहार के अभिप्राय के लिए परिभाषित किया गया है। सीटीटी मान्यताप्राप्त संघों द्वारा कर योग्य वस्तुओं के संव्यवहार पर संग्रहीत किया जाना है।

कृषि वस्तुएं जो सीटीटी के लिए उत्तरदायी नहीं हैं वे हैं बादाम, जौ, इलायची, अरंडी के बीज, चना/ग्राम, खोपरा, कोरियंडर/धनिया, कपास, कपास के बीज, खली/कपासिया खली, ग्वार के बीज, इसबगोल के बीज, जीरा, कपास, मक्के का चारा, काली मिर्च, आलू, सफेद सरसों/सरसों के बीज, कच्चा जूट, लाल मिर्च, सोयाबीन/बीज, सोया भोजन, हल्दी, गेहूं।

कर एतदधीन यथा निर्दिष्ट विक्रेता द्वारा किए गए कर योग्य वस्तु संव्यवहारों पर निम्नलिखित तालिका में दी गई दर पर लगाया जाता है:-

तालिका			
क्र. सं. (1)	कर योग्य वस्तु संव्यवहार (2)	दर (3)	किसके द्वारा देय है (4)
1.	वस्तु व्युत्पन्न की बिक्री	0.01 प्रतिशत	विक्रेता

सीटीटी का संग्रहण और वसूली, विवरणियों की प्रस्तुति, कर-निर्धारण प्रक्रिया, कर-निर्धारण अधिकारी की शक्ति, ब्याज की प्रभार्यता, जुर्माना लगाने, अभियोजन शुरू करने, अपील दाखिल करने, केन्द्र सरकार की शक्ति के संबंध में प्रावधानों की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 36 को यह व्यवस्था करने के लिए संशोधित किया गया है कि पिछले वर्ष के दौरान अपने कारोबार के दौरान किए गए कर योग्य वस्तुओं के संव्यवहार के संबंध में कर-निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए वस्तुओं संव्यवहार कर के बराबर की एक राशि को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी, यदि ऐसे कर योग्य वस्तु संव्यवहारों से उत्पन्न होने वाली आय को शीर्ष - व्यापार या पेशे के लाभ और अभिलाभ के अंतर्गत परिकलित आय में शामिल किया गया है।

आयकर अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (5) को भी यह व्यवस्था करने के लिए संशोधित किया गया है कि किसी मान्यताप्राप्त संघ में किए गए वस्तु व्युत्पन्न में व्यापार के संबंध में पात्र संव्यवहार में केवल उन्हीं वस्तु व्युत्पन्न में संव्यवहारों को शामिल किया जाएगा जो सीटीटी के अधीन हैं। यह व्यवस्था करने के लिए एक स्पष्टीकरण अंतर्विष्ट किया गया है कि अभिव्यक्ति - वस्तु व्युत्पन्न का अभिप्राय वही होगा जो अधिनियम के अध्याय VII के अंतर्गत इसे दिया गया है।

अधिनियम की धारा 36 और 43 में संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी हैं और तदनुसार, कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 और अनुवर्ती कर-निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

II. सामाजिक आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाने के लिए उपाय

संशोधन	संशोधन का औचित्य
विद्युत क्षेत्र के लिए धारा 80-झक के तहत समापन तारीख का विस्तार	वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधन से पहले धारा 80-झक की उपधारा (4) के खंड (iv) में निहित प्रावधानों के तहत किसी को लाभ और अभिलाभ की कटौती की अनुमति है जो, - (क) विद्युत उत्पादन या उत्पादन और वितरण के लिए भारत के किसी हिस्से में स्थापित है यदि इसने 1 अप्रैल, 1993 से शुरू और 31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि के दौरान किसी भी समय बिजली उत्पादन शुरू किया है; (ख) 1 अप्रैल, 1999 से शुरू और 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय नए पारेषण या वितरण लाइनों का एक नेटवर्क बिछाकर पारेषण या वितरण शुरू किया है;

	(ग) 1 अप्रैल, 2004 से शुरू और 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय पारेषण या वितरण लाइनों के मौजूदा नेटवर्क का पर्याप्त नवीकरण और आधुनिकीकरण किया है। कर प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए पात्र गतिविधि शुरू करने के लिए इस तरह के उपक्रमों को और समय प्रदान करने के उद्देश्य से उपर्युक्त प्रावधानों में संशोधन किया गया है ताकि अंतिम तिथि को एक वर्ष की अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2014 तक बढ़ाया जा सके। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी हैं और तदनुसार, कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 और अनुवर्ती कर-निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।
विनिर्माण कंपनी द्वारा नए संयंत्र या मशीनरी के अधिग्रहण और स्थापना के लिए प्रोत्साहन	संयंत्र या मशीनरी में पर्याप्त निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, यह व्यवस्था करने के लिए आयकर अधिनियम में एक नई धारा 32कग अंतर्विष्ट की गई है कि जहां कोई कर-निर्धारिती, एक कंपनी होने के नाते, - (क) किसी सामान या वस्तु के निर्माण के व्यापार में लगी हुई है; और (ख) 1 अप्रैल, 2013 से शुरू और 31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के दौरान नई परिसंपत्तियों (संयंत्र या मशीनरी) में 100 करोड़ रु. से अधिक राशि का निवेश करता है, तो, कर-निर्धारिती को निम्नलिखित की अनुमति दी जाएगी - (i) कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए, वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान अधिगृहीत और स्थापित नई परिसंपत्तियों की वास्तविक लागत की कुल राशि के 15 प्रतिशत की कटौती, यदि ऐसी परिसंपत्तियों की लागत 100 करोड़ रु. से अधिक है; (ii) कर-निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए, 1 अप्रैल, 2013 से शुरू और 31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के दौरान अधिगृहीत और स्थापित नई परिसंपत्तियों की वास्तविक लागत की कुल राशि के 15 प्रतिशत की कटौती, जिसे कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए दी गई कटौती, यदि कोई हो, को कम किया जाएगा। वाक्यांश 'नई परिसंपत्ति' को नए संयंत्र या मशीनरी के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है - (i) कोई भी संयंत्र या मशीनरी जिसे कर-निर्धारिती द्वारा इसकी स्थापना से पहले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के भीतर या बाहर इस्तेमाल किया गया है; (ii) किसी गेस्ट हाउस की तरह आवास सहित किसी कार्यालय परिसर या किसी रिहायशी आवास में स्थापित कोई संयंत्र या मशीनरी; (iii) कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित कोई कार्यालय उपकरण; (iv) कोई वाहन; (v) जहाज या विमान; या (vi) कोई संयंत्र या मशीनरी, जिसके समूचे वास्तविक लागत को किसी पिछले वर्ष के शीर्ष 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ' के अंतर्गत प्रभार्य आय के परिकलन में कटौती (मूल्यह्रास के माध्यम से या अन्यथा) के रूप में अनुमति दी गई है। इसके अलावा, 5 वर्ष की अवधि के लिए संयंत्र या मशीनरी के हस्थानांतरण को प्रतिबंधित करने के लिए उपयुक्त सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है। तथापि, यह प्रतिबंध एकीकरण या गैर-विलय के मामले में लागू नहीं होगा, लेकिन एकीकृत कंपनी या परिणामी कंपनी, जैसा भी मामला हो, पर लागू रहेगा। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी हैं और तदनुसार, कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 और अनुवर्ती कर-निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।
शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि पर धन कर से छूट	वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा 1 अप्रैल 1993 से धन कर अधिनियम के उपबंधों को यह व्यवस्था करने के लिए संशोधित किया गया कि धन कर केवल कुछ विशिष्ट परिसंपत्तियों पर लगाया जाएगा। उन परिसंपत्तियों की परिभाषा जिन पर धन कर उद्ग्राह्य है उनमें अन्य बातों के साथ-साथ शहरी भूमि भी शामिल है। इस परिभाषा के अनुसार शहरी भूमि का अभिप्राय नगर पालिका या छावनी बोर्ड के क्षेत्राधिकार में स्थित भूमि या अधिसूचित क्षेत्र में स्थित भूमि से है। तथापि, शहरी भूमि की कुछ श्रेणी जैसे कि कोई ऐसी भूमि जिस

	पर इमारत के निर्माण की अनुमति नहीं है, औद्योगिक प्रयोजन के लिए धारित भूमि, व्यापार में स्टॉक के रूप में धारित भूमि को शहरी भूमि की परिभाषा से बाहर रखा गया है। आम तौर पर कृषि भूमि पर या तो किसी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती है या फिर केवल विशेष उद्देश्य के लिए अनुमति दी जाती है (मुख्य रूप से कृषि जरूरतों के लिए), लेकिन कृषि भूमि को कोई विशेष छूट प्रदान नहीं की गई है। हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि धन कर के अधीन है। चूंकि धन कर केवल अनुत्पादक परिसंपत्ति पर लगाया जाता है, कृषि भूमि पर परिसंपत्ति कर लगाने का कोई इरादा नहीं था जिसे अनुत्पादक परिसंपत्ति के रूप में नहीं कहा जा सकता है। उपर्युक्त के मद्देनजर, धन कर अधिनियम, 1957 में शहरी भूमि की परिभाषा को विशेष रूप से यह व्यवस्था करने के लिए संशोधित किया गया है कि उस शहरी भूमि पर परिसंपत्ति कर उदग्राह्य नहीं है जो, (i) सरकार के रिकॉर्ड में कृषि भूमि के रूप में वर्गीकृत है; और (ii) कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। यह संशोधन 1 अप्रैल, 1993 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू है।

III. राहत एवं कल्याण उपाय

संशोधन	संशोधन का औचित्य
निक्षेपागारों के निवेशक संरक्षण कोष की आय को छूट	2012 में यथा संशोधित सेबी (निक्षेपागारों और प्रतिभागियों) विनियमन, 1996 के प्रावधानों के तहत निक्षेपागारों को अनिवार्य रूप से एक निवेशक संरक्षण कोष स्थापित करना आवश्यक हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23डक) में व्यवस्था है कि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा स्थापित एक निवेशक संरक्षण कोष द्वारा प्राप्त किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से योगदान के माध्यम से आय कराधान से मुक्त होगी। इसी तर्ज पर, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 में एक नया खंड (23डघ) अंतर्विष्ट किया गया है जिसमें यह व्यवस्था है कि सेबी द्वारा निर्धारित विनियमनों के अनुसरण में निक्षेपागार द्वारा स्थापित निवेशक संरक्षण कोष के किसी निक्षेपागार से योगदान के माध्यम से प्राप्त आय को उसी नियम के अधीन कुल आय के परिकलन के समय शामिल नहीं किया जाएगा जैसा कि मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा स्थापित किसी निवेशक संरक्षण कोष को छूट के संबंध में लागू है। तथापि, किसी भी पिछले वित्त वर्ष के दौरान जहां कोई राशि कोष में जमा की गई है और उस पर आयकर प्रभारित नहीं है उसे निक्षेपागार के साथ संपूर्ण या आंशिक रूप से सांझा किया जाता है तो इस प्रकार सांझा की गई राशि को पिछले वर्ष की आय मानी जाएगी जिसमें इस प्रकार की राशि को सांझा किया जाता है। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी है और तदनुसार, कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 और अनुवर्ती कर-निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।
कतिपय वैकल्पिक निवेश निधियों को पास थ्रू दर्जा	अधिनियम द्वारा इसके संशोधन से पहले आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23चख) में यह व्यवस्था थी कि किसी उद्यम पूंजी उपक्रम (वीसीयू) में निवेश से उद्यम पूंजी कंपनी (वीसीसी) या उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) की कोई आय कराधान से मुक्त है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115प में व्यवस्था है कि वीसीसी या वीसीएफ में किए गए निवेश से किसी व्यक्ति को मिलने या उत्पन्न या प्राप्त होने वाली आय उसी तरीके से करयोग्य होगी मानो व्यक्ति ने वीसीयू में प्रत्यक्ष निवेश किया है। ये धाराएं केवल उन्हीं निधियों को पास थ्रू दर्जा (अर्थात् आय वीसीएफ/वीसीसी की बजाय निवेशकों के हाथ में करयोग्य हैं) प्रदान करते हैं जो सेबी (उद्यम पूंजी निधि) विनियमन, 1996 में यथा प्रदत्त निवेश एवं अन्य शर्तों को संतुष्ट करते हैं। इसके अलावा पास थ्रू दर्जा केवल उसी आय के संबंध में उपलब्ध है जो सेबी (उद्यम पूंजी निधि) विनियमन, 1996 में प्रदत्त शर्तों को संतुष्ट करने वाली एक कंपनी होने के नाते वीसीयू में निवेश से निधि को प्राप्त होती है।

	सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियमन, 2012 (एआईएफ विनियमन) ने 21 मई, 2012 से सेबी (उद्यम पूंजी निधि) विनियमन, 1996 (वीसीएफ विनियमन) की जगह ले ली है। इसी तरह के उद्यम पूंजी निधि, जो नए विनियमनों के अन्तर्गत पंजीकृत हैं और किसी उद्यम पूंजी उपक्रम में निवेश के संदर्भ में निवेश प्रतिबंधों की समान शर्तों के अधीन हैं, को पास श्रु दर्जा देने के उद्देश्य से धारा (23चख) को यह व्यवस्था करने के लिए संशोधित किया गया है कि- (i) विद्यमान वीसीएफ और वीसीसी (अर्थात् निको 21/05/2012 से पहले पंजीकृत किया गया है) और जो वीसीएफ विनियमन द्वारा विनियमित हैं, जैसे कि वे एआईएफ विनियमनों द्वारा निरसन से पहले थे, को पास श्रु दर्जा दिया जाना जारी रहेगा जैसा कि वर्तमान में उपलब्ध है। (ii) एआईएफ विनियमनों के संदर्भ में, उद्यम पूंजी कंपनी को एक कंपनी के रूप में परिभाषित किया जाएगा और उद्यम पूंजी निधि को एक न्यास के रूप में स्थापित एक निधि के रूप में परिभाषित किया जाएगा जिसे श्रेणी I वैकल्पिक निवेश निधि की एक उप-श्रेणी होने के नाते उद्यम पूंजी निधि के रूप में पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है:- (क) इसके निवेश योग्य निधि का कम से कम दो तिहाई असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों या उद्यम पूंजी उपक्रम की इक्विटी लिंक्ड लेखपत्रों में निवेश किया गया है। (ख) इस प्रकार के एआईएफ द्वारा वीसीयू में कोई निवेश नहीं किया गया है जो एक सहयोगी कंपनी है। (ग) एआईएफ के रूप में स्थापित किसी न्यास के यूनिट या एआईएफ के रूप में स्थापित किसी कंपनी के शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं। (iii) एआईएफ विनियमनों के संदर्भ में, उद्यम पूंजी उपक्रम को उसी तरीके से परिभाषित किया जाएगा जैसे कि वैकल्पिक निवेश निधि विनियमन में परिभाषित किया गया है। यह संशोधन 1 अप्रैल 2013 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू है और तदनुसार, कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 और अनुवर्ती कर-निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।
किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारत में भारतीय मुद्रा में प्राप्त आय पर छूट	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (48) को वित्त अधिनियम, 2012 के द्वारा 1.4.2012 से प्रस्तुत किया गया। यह खंड भारत में किसी भी व्यक्ति को कच्चे तेल की बिक्री के कारण इसके द्वारा भारत में भारतीय मुद्रा में प्राप्त किसी भी आय के संबंध में किसी विदेशी कंपनी को छूट प्रदान करता है। ऊपर्युक्त खण्ड राष्ट्रीय हित में शुरू किया गया था ताकि कच्चे तेल के आयात के लिए विदेशी कंपनियों को भारतीय मुद्रा में भुगतान किया जा सके। इसी प्रकार की सुविधा कुछ अन्य वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में अपेक्षित है। तदनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (48) को यह व्यवस्था करने के लिए संशोधित किया गया है कि भारत में किसी व्यक्ति को विदेशी कंपनी द्वारा वस्तुओं की बिक्री अथवा दी गई सेवाओं, केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित, के कारण भारत में भारतीय मुद्रा में प्राप्त आय भी उक्त खंड में वर्णित मौजूदा शर्तों के अधीन छूटप्राप्त होगी। यह संशोधन 1 अप्रैल 2014 से लागू है और तदनुसार, कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 और अनुवर्ती कर-निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।
राष्ट्रीय वित्तीय होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड को छूट	भारतीय यूनिट ट्रस्ट के निर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) को भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) के उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 द्वारा सृजित किया गया। एसयूयूटीआई को 31 मार्च 2014 तक इसकी आय के संबंध में आयकर से छूट उपलब्ध थी। एसयूयूटीआई की जगह पूरी तरह केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली एक नई कंपनी ने ले ली है। इसे राष्ट्रीय वित्तीय होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड (एनएफएचसीएल) के रूप में 7 जून 2012 को निगमित किया गया है।

	एनएफएचसीएल को एसयूयूटीआई के समान छूट प्रदान करने के उद्देश्य से 31.3.2014 को या उससे पूर्व उपार्जित, उत्पन्न या प्राप्त आय के संबंध में एनएफएचसीएल को छूट प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 में खंड (49) अंतर्विष्ट किया गया है। यह संशोधन 1 अप्रैल 2013 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू है और तदनुसार, कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 और कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 के संबंध में लागू होगा।
विदेशी कंपनियों से प्राप्त लाभांश पर कर की कम दर	आयकर अधिनियम की धारा 115खखघ में किसी निर्दिष्ट विदेशी कंपनी (जिसमें इसकी 26 प्रतिशत या उससे अधिक की हिस्सेदारी है) से एक भारतीय कंपनी द्वारा प्राप्त सकल लाभांश पर 15 फीसदी की दर से कराधान की व्यवस्था है यदि इस प्रकार के लाभांश को वित्त वर्ष 2012-13 अर्थात कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए कुल आय में शामिल किया गया है। उपर्युक्त प्रावधान कुछ शर्तों के अधीन विदेश में किए गए निवेश से निवासियों द्वारा अर्जित आय के प्रत्यावर्तन के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में पेश किया गया था। एक और वर्ष के लिए कर प्रोत्साहन जारी रखने के उद्देश्य से, कुछ शर्तों के अधीन वित्त वर्ष 2013-14 में भी किसी निर्दिष्ट विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश के माध्यम से आय के संबंध में इस धारा की प्रयोज्यता का विस्तार करने के लिए धारा 115खखघ को संशोधित किया गया है। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी है और तदनुसार, कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 के संबंध में लागू होगा।
लाभांश वितरण कर (डीडीटी) के व्यापक प्रभाव को हटाना	आयकर अधिनियम की धारा 115ण में किसी घरेलू कंपनी के वितरित लाभ के कराधान की व्यवस्था है। इसमें व्यवस्था है कि लाभांश के माध्यम से घोषित, वितरित या भुगतान की गई कोई राशि, चाहे वर्तमान या संचित लाभ में से हो, 15 प्रतिशत की दर से कर के लिए उत्तरदायी होगा। इस कर को लाभांश वितरण कर (डीडीटी) के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार का वितरित लाभांश प्राप्तकर्ताओं के हाथों में छूटप्राप्त है। आयकर अधिनियम की धारा 115खखघ में किसी निर्दिष्ट विदेशी कंपनी (जिसमें इसकी 26 प्रतिशत या उससे अधिक की हिस्सेदारी है) से एक भारतीय कंपनी द्वारा प्राप्त सकल लाभांश पर 15 फीसदी की दर से कराधान की व्यवस्था है। धारा 115ण में यह व्यवस्था है कि डीडीटी (अर्थात किसी कंपनी के मामले में देय लाभांश) के लिए कर आधार को इसकी सहायक कंपनी से प्राप्त लाभांश की राशि तक कम किया जाना है यदि ऐसी सहायक कंपनी ने डीडीटी का भुगतान कर दिया है जो ऐसे लाभांश पर देय है। यह बहु स्तरीय संरचना में डीडीटी के व्यापक प्रभाव को दूर करना सुनिश्चित करता है जहां इसकी सहायक कंपनी (जो स्वयं भी एक घरेलू कंपनी है) से किसी घरेलू कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश को इसके शेयरधारकों को वितरित किया जाता है। धारा 115ण को उसी प्रकार से स्थापित विदेशी सहायक कंपनी (अर्थात विदेशी कंपनी जिसमें घरेलू कंपनी इक्विटी शेयर पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक धारित करती है) से किसी घरेलू कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश के संबंध में व्यापक प्रभाव को दूर करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया है। यह व्यवस्था की गई है कि जहां विदेशी सहायक कंपनी से प्राप्त लाभांश पर कर धारा 115खखघ के तहत नियंत्रक घरेलू कंपनी द्वारा देय है, तो, उसी वर्ष नियंत्रक कंपनी द्वारा वितरित कोई लाभांश, इस प्रकार के लाभांशों की सीमा तक, आयकर अधिनियम की धारा 115ण के तहत लाभांश वितरण कर के अधीन नहीं होगी। यह संशोधन 1 जून, 2013 से प्रभावी है।
प्रतिभूतिकरण न्यासों का कराधान	आयकर अधिनियम की धारा 161 में यह व्यवस्था है कि किसी न्यास के मामले में यदि इसकी आय व्यवसाय के लाभ या अभिलाभ से बना है या शामिल है तो ऐसे न्यास की आय पर न्यास के हाथों में अधिकतम सीमांत दर पर कर लगाया जाएगा।

	प्रतिभूतिकरण गतिविधियां करने के लिए न्यास के रूप में स्थापित विशेष प्रयोजन संस्थाएं आयकर अधिनियम के तहत कराधान के संबंध में विशेष व्यवस्था की कमी के कारण समस्या का सामना कर रहे थे। मौजूदा प्रावधानों के कारण न्यास के स्तर पर कराधान को प्रतिबंधात्मक माना गया जहां न्यास में निवेशक व्यक्ति हैं जो म्युचुअल फंड की तरह आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत कराधान से छूट प्राप्त हैं। प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के क्रम में, प्रतिभूतिकरण की गतिविधि से एक न्यास के रूप में स्थापित प्रतिभूतिकरण संस्थाओं की आय के कराधान के संबंध में एक विशेष कराधान व्यवस्था प्रदान की गई है। विशेष कर व्यवस्था प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 10 में संशोधन किया गया है और उसमें नया अध्याय XII-डक भी अंतर्विष्ट किया गया है। विशेष व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:- (i) प्रतिभूतिकरण वाहनों के मामले में जिनको सेबी (सार्वजनिक पेशकश एवं प्रतिभूतिकृत ऋण लेखपत्रों का सूचीकरण) विनियमन, 2008 के तहत कोई विशेष प्रयोजन पृथक इकाई होने के नाते एक न्यास या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण पर जारी दिशानिर्देशों के तहत न्यास (एक कंपनी या अन्य इकाई के रूप में नहीं) के रूप में 'विशेष प्रयोजन वाहन' के रूप में स्थापित किया गया है और जिनकी गतिविधियों को या तो सेबी या आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है, इस प्रकार के न्यासों के प्रतिभूतिकरण की गतिविधि से आय कराधान से मुक्त होंगे। (ii) प्रतिभूतिकरण न्यास म्युचुअल फंड के मामले में लगाए गए आय वितरण कर की तर्ज पर इसके निवेशकों को वितरित आय पर अतिरिक्त आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। अतिरिक्त आयकर 25 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा यदि वितरण ऐसे निवेशकों को किया जा रहा है जो व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार हैं अन्य मामलों में 30 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा। कोई अतिरिक्त आयकर देय नहीं होगा यदि प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा वितरित आय किसी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसके मामले में आय, इसकी प्रकृति और स्रोत पर ध्यान दिए बिना, कर के दायरे में नहीं है। उदाहरण के लिए, किसी म्युचुअल फंड, सभी स्रोतों से जिसकी आय आयकर अधिनियम की धारा 10 (23घ) के तहत छूट प्राप्त है, को वितरित की जा रही आय के मामले में कोई अतिरिक्त आयकर देय नहीं होगी। (iii) वितरण कर लगाए जाने के परिणामस्वरूप, निवेशक द्वारा प्राप्त वितरित आय, आयकर अधिनियम की धारा 10 (23घक) के तहत कर से मुक्त होगी। (iv) प्रतिभूतिकरण न्यास निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं की गई अतिरिक्त आयकर की राशि पर प्रत्येक महीने या महीने के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से ब्याज के लिए उत्तरदायी होगा। (v) आय के भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या प्रतिभूतिकरण न्यास उसके या उसके द्वारा देय कर की राशि के संबंध में चूककर्ता कर-निर्धारिती माना जाएगा यदि केन्द्र सरकार के खाते में अतिरिक्त आयकर का भुगतान नहीं किया जाएगा। यह संशोधन 1 जून, 2013 से प्रभावी है।
कतिपय बंधपत्रों एवं सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के माध्यम से आय	चालू खाते के घाटे की स्थिति और रुपये में भारत में विदेशी निवेश की जरूरत को देखते हुए, किसी भारतीय कंपनी के रूपया मूल्यवर्ग बंधपत्र या किसी सरकारी प्रतिभूति, यदि भुगतान किसी विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) या किसी योग्य विदेशी निवेशक (क्यूएफआई) को किया गया है, के संबंध में जून, 2013 के पहले दिन को या उसके बाद किन्तु जून, 2015 के पहले दिन से पूर्व देय ब्याज पर 20 प्रतिशत की सामान्य दर की तुलना में रोक कर की 5 प्रतिशत की कम दर के लिए व्यवस्था करने हेतु आयकर अधिनियम में एक नई धारा 194ठघ अंतर्विष्ट की गई है। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी भारतीय कंपनी के रूपया मूल्यवर्ग बंधपत्रों में ब्याज की दर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली प्रारंभिक सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस दर को दिनांक 29 जुलाई, 2013 की अधिसूचना 56/2013 द्वारा निम्नवत अधिसूचित किया गया है:

	(i) जुलाई, 2010 के पहले दिन पूर्व जारी किए गए बंधपत्रों के मामले में, ब्याज की दर जुलाई, 2010 के पहले दिन की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर से 500 आधार अंक (बेसिस प्वाइंट) से अधिक नहीं होगी। (ii) जुलाई, 2010 के पहले दिन को या उसके बाद जारी किए गए बंधपत्रों के मामले में, ब्याज की दर उक्त बंधपत्रों को जारी करने की तारीख को लागू भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर से 500 आधार अंक (बेसिस प्वाइंट) से अधिक नहीं होगी। यह संशोधन 1 जून 2013 से प्रभावी है।
5 लाख रु. तक कुल आय वाले व्यष्टियों के लिए 2000 रु. की छूट	कम आय वर्ग वाले व्यष्टिगत करदाताओं को कर राहत प्रदान करने की दृष्टि से, भारत में एक व्यष्टिगत निवासी होने के नाते और पांच लाख रुपए से कम कुल आय वाले किसी कर-निर्धारिती को एक कर छूट प्रदान की गई है। छूट किसी किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय पर देय आयकर की राशि के बराबर या दो हजार रुपए की राशि, जो भी कम हो, होगी। नतीजतन 2,20,000 रुपए तक की आय वाले किसी भी व्यष्टि को कोई कर देने की आवश्यकता नहीं होगी और 2,20,000/- रुपए से अधिक किन्तु 5,00,000/- रुपये तक की कुल आय वाले प्रत्येक व्यष्टियों को 2000/- रुपए का कर छूट प्राप्त होगा। आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 87क अंतर्विष्ट की गई है और उक्त अधिनियम की धारा 87 को भी तदनुसार संशोधित किया गया है। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से लागू हैं और तदनुसार, कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 और अनुवर्ती कर-निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।
विकलांगता से ग्रस्त या रोगी व्यक्तियों की जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए पात्र प्रीमियम के प्रतिशत की सीमा को बढ़ाना	वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधन से पहले आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (10घ) में निहित प्रावधानों के तहत इस तरह की पॉलिसी पर बोनस के माध्यम से आवंटित राशि सहित किसी जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त कोई भी राशि इस शर्त के अधीन छूटप्राप्त है कि ऐसी पॉलिसी के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम 'बीमाकृत वास्तविक पूंजी राशि' के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है। इसी प्रकार वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा इसके संशोधन से पहले आयकर अधिनियम की धारा 80ग उप-धारा (3क) के प्रावधानों के अनुसार, उक्त धारा के तहत कटौती 'बीमाकृत वास्तविक पूंजी राशि' के दस प्रतिशत तक किसी बीमा पालिसी में किए गए किसी प्रीमियम या अन्य भुगतान के संबंध में उपलब्ध है। दस प्रतिशत की उपर्युक्त सीमा वित्त अधिनियम, 2012 के माध्यम से पेश किया और यह 1 अप्रैल 2012 को या उसके बाद जारी पालिसियों पर लागू है। विकलांगता या विनिर्दिष्ट रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कुछ बीमा पॉलिसियों में बीमाकृत वास्तविक पूंजी राशि के दस प्रतिशत से अधिक के वार्षिक प्रीमियम की व्यवस्था है। दस प्रतिशत की सीमा के कारण, ये पालिसियां आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (10घ) के तहत छूट के लिए अयोग्य हैं। इसके अलावा ऐसे मामलों में, धारा 80ग के तहत कटौती केवल 'बीमाकृत वास्तविक पूंजी राशि' के 10 प्रतिशत तक भुगतान किए गए प्रीमियम की सीमा तक पात्र है। उपर्युक्त के मद्देनजर, अब यह व्यवस्था की गई है कि निम्नलिखित व्यक्ति के जीवन पर बीमा के लिए 1.4.2013 को या उसके बाद जारी किए गए किसी बीमा पालिसी के तहत प्राप्त बोनस के माध्यम से आवंटित राशि सहित कोई भी राशि (i) धारा 80प में यथा उल्लिखित विकलांगता से ग्रस्त कोई व्यक्ति या गंभीर विकलांगता से ग्रस्त कोई व्यक्ति, अथवा (ii) धारा 80घघख के तहत बनाए गए नियमों में यथा विनिर्दिष्ट रोग या बीमारी से पीड़ित है, आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (10घ) के तहत छूट प्राप्त होगी, यदि पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए देय प्रीमियम बीमाकृत वास्तविक पूंजी राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

	आयकर अधिनियम की धारा 80ग की उप-धारा (3क) को भी यह व्यवस्था करने के लिए संशोधित किया गया है कि ऊपर उल्लिखित व्यक्ति के जीवन पर बीमा के लिए 1.4.2013 को या उसके बाद जारी किसी पालिसी के संबंध में भुगतान किए गए प्रीमियम के कारण उक्त धारा के तहत कटौती की अनुमति भुगतान किए गए प्रीमियम सीमा तक होगी किन्तु यह बीमाकृत वास्तविक पूंजी राशि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से लागू है और तदनुसार, कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 और अनुवर्ती कर-निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।
सीजीएचएस के समान स्वास्थ्य स्कीमों में अंशदान के लिए कटौती	वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा इसके संशोधन से पहले आयकर अधिनियम की धारा 80घ में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था थी कि अपने स्वास्थ्य या अपने परिवार के स्वास्थ्य पर किसी बीमा को सम्पन्न करने या चालू रखने या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) में किए गए किसी अंशदान, जो कि कुल पन्द्रह हजार रुपये से अधिक नहीं है, के लिए एक व्यष्टि होने के नाते कर-निर्धारिती के कर के लिए प्रभाय आय में से पिछले वर्ष में भुगतान की गई पूरी राशि की कर-निर्धारिती की कुल आय के परिकलन में कटौती की अनुमति है। यह देखा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के अन्य स्वास्थ्य योजनाएं हैं जो सीजीएचएस के समान हैं, लेकिन ऐसी योजनाओं के ग्राहकों के लिए कोई कटौती उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी योजनाओं को सीजीएचएस के बराबर लाने के उद्देश्य से धारा 80घ में संशोधन किया गया है। उक्त सीमा के भीतर इस धारा के तहत कटौती का लाभ इस तरह की अन्य स्वास्थ्य योजना, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया गया है, में कर-निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी भुगतान या अंशदान के संबंध में उपलब्ध होगा। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से लागू है और तदनुसार, कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 और अनुवर्ती कर-निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।
कटौती के दायरे का विस्तार और धारा 80गगछ के तहत इसकी पात्रता	वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा इसके संशोधन से पहले आयकर अधिनियम की धारा 80गगछ में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की व्यवस्था है कि किसी निवासी व्यष्टि जिसने केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के अनुसार सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया है, को इस तरह के इक्विटी शेयरों में निवेश की गई राशि के पचास प्रतिशत की कटौती की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि उक्त कटौती पच्चीस हजार रुपये से अधिक न हो। कटौती एक बार के लिए है और इस प्रकार निवेश की गई राशि के संबंध में केवल एक कर-निर्धारण वर्ष में उपलब्ध है। कटौती एक नए खुदरा निवेशक के लिए उपलब्ध है जिसका सकल कुल आय दस लाख रुपये से अधिक नहीं है। राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना को धारा 80गगछ के तहत अधिसूचित किया गया है। नए खुदरा निवेशकों द्वारा पूंजी बाजार में निवेश के लिए उपलब्ध प्रोत्साहन को उदार बनाने की दृष्टि से, धारा 80गगछ के प्रावधानों में संशोधन किया गया है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि इक्विटी अभिमुखी निधि की सूचीबद्ध इकाइयों में निवेश भी धारा 80गगछ के प्रावधानों के अनुसार कटौती के लिए पात्र होगा। इस प्रयोजनार्थ "इक्विटी अभिमुखी निधि" का अभिप्राय वही होगा जो आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (38) में इसे दिया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गई है कि आयकर अधिनियम की धारा 80गगछ के तहत कटौती की अनुमति नए खुदरा निवेशक जिसकी प्रासंगिक कर-निर्धारण वर्ष के लिए सकल कुल आय बारह लाख रुपये से अधिक नहीं है, द्वारा पिछले वर्ष, जिसमें सूचीबद्ध इक्विटी शेयर या सूचीबद्ध इकाइयों को पहली बार अधिगृहीत किया गया था, के प्रासंगिक कर-निर्धारण वर्ष से शुरू होकर तीन निरंतर कर-निर्धारण वर्षों के लिए दी जाएगी। संशोधित राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना को भी 18 दिसंबर, 2013 को अधिसूचित किया गया है। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से लागू है और तदनुसार, कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 और अनुवर्ती कर-निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

	वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा इसके संशोधन से पहले, आयकर अधिनियम की धारा 80छ के प्रावधानों के तहत किसी कर-निर्धारिती को कुछ निधियों और संस्थाओं को उनके द्वारा किए गए दान के संबंध में उसकी कुल आय में से कटौती की अनुमति है। कटौती उक्त धारा 80छ की उप-धारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट कुछ निधियों और संस्थानों में किए गए दान, जहां कटौती एक सौ प्रतिशत की दर से स्वीकार्य है, के मामले में छोड़कर किए गए दान की राशि के पचास प्रतिशत की दर से स्वीकार्य है। राष्ट्रीय बाल कोष में किए गए दान के मामले में, इस प्रकार दान की गई राशि के पचास प्रतिशत की दर से कटौती की अनुमति थी। राष्ट्रीय महत्व की निधियों में किए गए दान पर आम तौर पर दान की गई राशि के एक सौ प्रतिशत की कटौती का प्रावधान किया गया है। चूंकि राष्ट्रीय बाल कोष भी राष्ट्रीय महत्व की एक निधि है, किसी कर-निर्धारिती की कुल आय की गणना में उक्त कोष में दान के रूप में भुगतान की गई किसी भी राशि के संबंध में एक सौ प्रतिशत कटौती प्रदान करने के लिए धारा को संशोधित किया गया है। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से लागू है और तदनुसार, कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 और अनुवर्ती कर-निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।
आवासीय गृह संपत्ति अधिगृहीत करने के लिए वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान मंजूर ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती	अधिनियम द्वारा संशोधन से पहले, आयकर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के तहत गृह संपत्ति से आय शीर्ष के तहत प्रभार्य आय की गणना उसमें विनिर्दिष्ट कटौती करने के बाद की जाती है। उक्त धारा के तहत निर्दिष्ट कटौती निम्नवत हैं:- i. वार्षिक मूल्य के तीस प्रतिशत के बराबर राशि; ii. जहां संपत्ति का अधिग्रहण, निर्माण, मरम्मत, नवीकरण या पुनर्निर्माण उधार ली गई पूंजी से किया गया है, इस तरह के पूंजी पर देय किसी ब्याज की राशि। यह भी व्यवस्था की गई है कि जहां संपत्ति में कोई घर या घर का कोई भाग शामिल है जो स्वयं की रिहाइश के प्रयोजनार्थ स्वामी के अधिकार में है या उसके रोजगार, व्यापार या पेशा किसी अन्य स्थान पर होने के कारण वास्तव में अधिकार में नहीं लिया जा सकता है, उसे उस अन्य स्थान में किसी ऐसे भवन में रहना पड़ता है जो उसका नहीं है, तो ऊपर यथा उल्लिखित कटौती की राशि उक्त धारा में प्रदत्त शर्तों के अधीन एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होगी। परिवारों के लिए किफायती आवास के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, आवासीय गृह संपत्ति हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज से संबंधित कटौती के संबंध में आयकर अधिनियम में एक नई धारा 80डड का अंतर्वेश करके पहला घर खरीदने वाले लोगों को अतिरिक्त लाभ प्रदान किया गया है। धारा 80डड में यह व्यवस्था है कि एक व्यक्ति होने के नाते, किसी कर-निर्धारिती की कुल आय की गणना में, एक आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के प्रयोजनार्थ किसी वित्तीय संस्था से उसके द्वारा लिए गए ऋण पर देय ब्याज के कारण कटौती की अनुमति होगी। उक्त धारा के तहत कटौती एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी और 1 अप्रैल, 2014 से शुरू होने वाले कर-निर्धारण वर्ष के लिए व्यक्ति की कुल आय की गणना में स्वीकार्य होगा और यदि जहां उक्त कर-निर्धारण वर्ष के प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए देय ब्याज एक लाख रुपये से कम है तो शेष राशि 1 अप्रैल, 2015 से शुरू होने वाले कर-निर्धारण वर्ष में दिया जाएगा। कटौती निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाएगा:- (i) ऋण वित्तीय संस्था द्वारा 1 अप्रैल, 2013 से शुरू और 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के दौरान मंजूर की है; (ii) आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए मंजूर की गई ऋण की राशि पच्चीस लाख रुपये से अधिक न हो; (iii) आवासीय गृह संपत्ति का मूल्य चालीस लाख रुपये से अधिक न हो; (iv) कर-निर्धारिती ऋण की मंजूरी की तारीख को किसी आवासीय गृह संपत्ति का मालिक न हो।

	यह व्यवस्था भी की गई है कि जहां उप-धारा (1) में उल्लिखित ब्याज के संबंध में किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए धारा 80डड के तहत कटौती की अनुमति दी गई है तो उसी या किसी अन्य कर-निर्धारण वर्ष के लिए आयकर अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत इस तरह के ब्याज के संबंध में कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। शब्द -वित्तीय संस्था को किसी बैंकिंग कंपनी के अभिप्राय के लिए परिभाषित किया गया जिस पर अधिनियम की धारा 51 में उल्लिखित किसी बैंक या बैंकिंग संस्था अथवा किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सहित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है। शब्द - हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत में घरों के निर्माण या खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने का कारोबार करने के मुख्य उद्देश्य के साथ भारत में बनाई गई या पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी के अभिप्राय के लिए परिभाषित किया गया है। यह संशोधन 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी है, और तदनुसार कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 और कर-निर्धारण वर्ष 2015-16 के संबंध में लागू हैं।										
प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी)	निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में संव्यवहार पर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) को वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 द्वारा पेश किया गया था। वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 की धारा 98 को एतदधीन बताए गए रूप में करयोग्य प्रतिभूति संव्यवहारों में एसटीटी दरों को कम करने के लिए संशोधित किया गया है:- सारणी										
	<table><tr><th>क्र. सं.</th><th>कर योग्य प्रतिभूति संव्यवहार की प्रकृति</th><th>किसके द्वारा देय है</th><th>वर्तमान दर (प्रतिशत में)</th><th>प्रस्तावित दर (प्रतिशत में)</th></tr><tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th></tr></table>	क्र. सं.	कर योग्य प्रतिभूति संव्यवहार की प्रकृति	किसके द्वारा देय है	वर्तमान दर (प्रतिशत में)	प्रस्तावित दर (प्रतिशत में)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	क्र. सं.	कर योग्य प्रतिभूति संव्यवहार की प्रकृति	किसके द्वारा देय है	वर्तमान दर (प्रतिशत में)	प्रस्तावित दर (प्रतिशत में)						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
	<table><tr><td>1.</td><td>भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज किसी इक्विटी अभिमुखी निधि की इकाइयों की सुपुर्दगी आधारित खरीद</td><td>क्रेता</td><td>01</td><td>शून्य</td></tr></table>	1.	भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज किसी इक्विटी अभिमुखी निधि की इकाइयों की सुपुर्दगी आधारित खरीद	क्रेता	01	शून्य					
	1.	भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज किसी इक्विटी अभिमुखी निधि की इकाइयों की सुपुर्दगी आधारित खरीद	क्रेता	01	शून्य						
<table><tr><td>2.</td><td>भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज किसी इक्विटी अभिमुखी निधि की इकाइयों की सुपुर्दगी आधारित बिक्री</td><td>विक्रेता</td><td>0.1</td><td>0.001</td></tr></table>	2.	भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज किसी इक्विटी अभिमुखी निधि की इकाइयों की सुपुर्दगी आधारित बिक्री	विक्रेता	0.1	0.001						
2.	भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज किसी इक्विटी अभिमुखी निधि की इकाइयों की सुपुर्दगी आधारित बिक्री	विक्रेता	0.1	0.001							
<table><tr><td>3.</td><td>प्रतिभूतियों में भावी सौदे की बिक्री</td><td>विक्रेता</td><td>0.017</td><td>0.01</td></tr></table>	3.	प्रतिभूतियों में भावी सौदे की बिक्री	विक्रेता	0.017	0.01						
3.	प्रतिभूतियों में भावी सौदे की बिक्री	विक्रेता	0.017	0.01							
<table><tr><td>4.</td><td>म्युचुअल फंड को किसी इक्विटी अभिमुखी निधि की किसी इकाई की बिक्री</td><td>विक्रेता</td><td>0.25</td><td>0.001</td></tr></table>	4.	म्युचुअल फंड को किसी इक्विटी अभिमुखी निधि की किसी इकाई की बिक्री	विक्रेता	0.25	0.001						
4.	म्युचुअल फंड को किसी इक्विटी अभिमुखी निधि की किसी इकाई की बिक्री	विक्रेता	0.25	0.001							
	प्रतिभूति संव्यवहार कर की दरों में ये संशोधन 1 जून, 2013 से प्रभावी होंगे और तदनुसार उस तारीख को या उसके बाद किए गए किसी भी संव्यवहार के लिए लागू होगी।										

IV कराधार को बढ़ाने के लिए उपाय और कर-रोधी परिहार उपाय

संशोधन	संशोधन का औचित्य
गैर-सूचीबद्ध शेयरों की पुनर्खरीद के लिए कंपनी द्वारा वितरित आय पर अतिरिक्त आयकर	वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा इसके संशोधन से पहले, आयकर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के प्रावधानों में आयकर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लाभांश की परिभाषा है। धारा 115-ण में कंपनी पर उस समय लाभांश वितरण कर (डीडीटी) लगाने की व्यवस्था है जब कंपनी अपने शेयरधारकों को कोई लाभांश वितरित, घोषणा या भुगतान

	करती है। डीडीटी लगाए जाने के फलस्वरूप शेयरधारकों द्वारा प्राप्त लाभांश की राशि शेयरधारक की कुल आय में शामिल नहीं है। कंपनी द्वारा शेयरों की पुनर्खरीद पर किसी शेयरधारक द्वारा प्राप्त मुआवजे को लाभांश के रूप में नहीं माना जाता है लेकिन अधिनियम की धारा 46क के तहत पूंजीगत अभिलाभ के रूप में कर योग्य है। वितरण योग्य भंडार वाली कोई कंपनी के पास अपने शेयरधारकों को उसे वितरित करने के लिए दो विकल्प हैं या तो शेयरधारकों के लिए लाभांशों की घोषणा और भुगतान के द्वारा या फिर इसके द्वारा तय किसी मुआवजे पर अपने ही शेयरों की खरीद (अर्थात शेयरों की पुनर्खरीद) के माध्यम से। पहले मामले में, कंपनी द्वारा भुगतान डीडीटी के अधीन है और शेयरधारकों के हाथ में आय छूट प्राप्त है। दूसरे मामले में, आय पर पूंजीगत लाभ के रूप में शेयरधारक के हाथ में कर लगाया जाता है। गैर-सूचीबद्ध कंपनियां, कर परिहार योजना के भाग के रूप में, डीडीटी के माध्यम से कर के भुगतान से बचने के लिए लाभांश के भुगतान की बजाय शेयरों की पुनर्खरीद का सहारा लेते हैं विशेष रूप से जहां शेयरधारकों को प्राप्त होने वाला पूंजीगत अभिलाभ पर या तो कर प्रभावी नहीं है या फिर कम दर पर कराधीन है। इस तरह के व्यवहार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से, यह व्यवस्था करने के लिए आयकर अधिनियम में एक नया अध्याय XII-घक अंतर्विष्ट किया गया है कि अपने ही गैर-सूचीबद्ध शेयरों की खरीद के लिए कंपनी द्वारा भुगतान किए गए मुआवजे, जो ऐसे शेयरों (वितरित आय) को जारी करते समय कंपनी द्वारा प्राप्त राशि से अधिक है, पर कर प्रभारित किया जाएगा और कंपनी शेयरधारक को भुगतान किए गए वितरित आय के 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आय कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी। कंपनी द्वारा इस प्रकार की पुनर्खरीद के संबंध में शेयरधारकों को प्राप्त होने वाली आय आयकर अधिनियम की धारा 10 (34क) के तहत छूटप्राप्त होगी जहां कंपनी शेयरों की पुनर्खरीद पर अतिरिक्त आयकर के भुगतान के लिए उत्तरदायी है। ये संशोधन 1 जून, 2013 से प्रभावी हैं।
अपर्याप्त मुआवजे के लिए प्राप्त अचल संपत्ति की करदेयता	वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा इसके संशोधन से पहले आयकर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (vii) के उप-खंड (ख) में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि जहां बिना मुआवजे के किसी व्यक्ति या एचयूएफ को कोई अचल संपत्ति प्राप्त होती है, जिसका स्टॉप शुल्क मूल्य पचास हजार रुपये से अधिक है, तो ऐसी संपत्ति का मूल्य पर अन्य स्रोतों से आय के रूप में व्यक्ति या एचयूएफ के हाथ में कर प्रभारित किया जाएगा। उपर्युक्त प्रावधान में कोई ऐसी स्थिति शामिल नहीं है अचल संपत्ति अपर्याप्त मुआवजे के लिए किसी व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा प्राप्त किया गया है। तदनुसार, धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (vii) के प्रावधानों को संशोधित किया गया है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि जहां कोई अचल संपत्ति किसी ऐसे मुआवजे के लिए प्राप्त हुआ है जो पचास हजार रुपए से अधिक की राशि तक संपत्ति के स्टॉप शुल्क मूल्य से कम है तो ऐसी संपत्ति की स्टॉप शुल्क मूल्य और मुआवजे के बीच के अंतर पर अन्य स्रोतों से आय के रूप में व्यक्ति या एचयूएफ के हाथ में कर प्रभारित किया जाएगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समझौते की तारीख और पंजीकरण की तारीख के बीच एक समय अंतराल हो सकता है, यह व्यवस्था की गई है कि जहां अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए मुआवजे की राशि तय करने वाले समझौते की तारीख और पंजीकरण की तारीख एक ही नहीं है तो स्टॉप शुल्क मूल्य पंजीकरण की तारीख के बजाय समझौते की तारीख के आधार पर लिया जा सकता है। तथापि, यह अपवाद, केवल उसी मामले में लागू होगी जहां मुआवजे की राशि या उसका कोई हिस्सा इस तरह की अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए मुआवजे की राशि तय करने वाले समझौते की तारीख को या उससे पहले नकदी के अलावा अन्य किसी तरीके से भुगतान किया गया है।

	यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से लागू है और तदनुसार, कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 और अनुवर्ती कर-निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।
कतिपय अचल संपत्तियों (कृषि भूमि के अलावा) के हस्तांतरण पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)	आयकर नियमावली, 1962 के नियम 114ख के साथ पठित आयकर अधिनियम की धारा 139क के तहत 5 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री से संबंधित दस्तावेजों में स्थायी खाता संख्या (पैन) उद्धृत करने की वैधानिक आवश्यकता है। तथापि, पंजीयक या उप-पंजीयक द्वारा वार्षिक सूचना विवरणी में आयकर विभाग को दी गई सूचना से संकेत मिलता है कि वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान 30 लाख रुपये या उससे अधिक के मूल्य के अचल संपत्तियों के अधिकांश खरीदारों या विक्रेताओं ने अचल संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों में पैन उद्धृत नहीं या अवैध पैन उद्धृत किया। वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा इसके संशोधन से पहले आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत वेतन, ब्याज, कमीशन, ब्रोकरेज, व्यावसायिक सेवाओं आदि के माध्यम से निवासियों द्वारा किए गए कतिपय निर्दिष्ट भुगतानों पर स्रोत पर कटौती करना अपेक्षित है। किसी अनिवासी द्वारा अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर कर की स्रोत पर कटौती हस्तांतरिती द्वारा किया जाना अपेक्षित है। तथापि, कुछ अचल संपत्तियों के अनिवार्य अधिग्रहण के मामले को छोड़कर किसी निवासी द्वारा अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। रियल एस्टेट क्षेत्र में संव्यवहारों की एक रिपोर्टिंग प्रणाली बनाने और शीघ्रताशीघ्र कर संग्रह करने के लिए भी, आयकर अधिनियम में यह व्यवस्था करने के लिए एक नई धारा 194-झक का अंतर्वेश किया गया है कि प्रत्येक हस्तांतरिती, किसी निवासी हस्तांतरणकर्ता को अचल संपत्ति (कृषि भूमि के अलावा) के हस्तांतरण के लिए मुआवजे के रूप में किसी भी राशि का भुगतान या क्रेडिट करते समय ऐसी राशि के 1 प्रतिशत की दर से कर कटौती करेगा। छोटे करदाताओं पर अनुपालन बोझ को कम करने के उद्देश्य से, यह भी व्यवस्था की गई है कि इस प्रावधान के तहत कोई कर कटौती नहीं की जाएगी जहां किसी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए मुआवजे की कुल राशि पचास लाख रुपये से कम है। इसके अलावा, धारा 203क के प्रावधानों के मद्देनजर इस नई अंतर्वेशित धारा 194-झक के तहत कर कटौती करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (टैन) प्राप्त करना अपेक्षित होगा। इस धारा के तहत कर कटौती करने वाले कटौतीकर्ता पर अनुपालन बोझ को कम करने के उद्देश्य से, यह व्यवस्था की गई है कि धारा 203क के प्रावधान ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जिससे धारा 194-झक के प्रावधानों के अनुसरण में कर कटौती करने की अपेक्षा है। यह संशोधन 1 जून, 2013 से प्रभावी है।
कतिपय मामलों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए "व्यवसाय या पेशे से लाभ या अभिलाभ" शीर्ष के तहत आय की गणना	आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत अचल संपत्ति होने के नाते जब कोई पूंजीगत परिसंपत्ति किसी मुआवजे के लिए हस्तांतरित की जाती है जो इस तरह के हस्तांतरण के संबंध में स्टॉप शुल्क के भुगतान के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए, निर्धारित किए गए या निर्धारणीय मूल्य से कम है, तो इस तरह के मूल्य (स्टॉप शुल्क मूल्य) को आयकर अधिनियम की धारा 50ग के तहत मुआवजे के संपूर्ण मूल्य के रूप में लिया जाता है। तथापि, ये प्रावधान व्यापार में स्टॉक के रूप में हस्तांतरणकर्ता द्वारा धारित अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आयकर अधिनियम में एक नई धारा 43गक का अंतर्वेश किया गया है जिसमें यह व्यवस्था है कि जहां भूमि या भवन अथवा दोनों होने के नाते किसी परिसंपत्ति (पूंजीगत परिसंपत्ति से भिन्न) के हस्तांतरण के लिए मुआवजा स्टॉप शुल्क मूल्य से कम है, तो इस प्रकार अपनाए गए, निर्धारित किए गए या निर्धारणीय मूल्य को व्यवसाय या पेशे से लाभ या अभिलाभ - शीर्ष के तहत आय की गणना के प्रयोजनार्थ मुआवजे का संपूर्ण मूल्य माना जाएगा। यह भी व्यवस्था की गई है कि जहां परिसंपत्ति के हस्तांतरण के लिए मुआवजे का मूल्य तय करने वाले समझौते की तारीख और परिसंपत्ति के हस्तांतरण

के पंजीकरण की तारीख एक ही नहीं है तो स्टॉप शुल्क मूल्य हस्तांतरण के समझौते की तारीख के आधार पर लिया जा सकता है न कि ऐसे हस्तांतरण के लिए पंजीकरण की तारीख को। तथापि, यह अपवाद केवल उसी मामले में लागू होगा जहां हस्तांतरण के लिए मुआवजे की राशि या उसका कोई हिस्सा समझौते की तारीख को या उससे पहले नकदी के अलावा अन्य किसी तरीके से प्राप्त किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से लागू है और तदनुसार, कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 और अनुवर्ती कर-निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

V युक्तिकरण उपाय

संशोधन

संशोधन का औचित्य

कर निवास प्रमाणपत्र

आयकर अधिनियम की धारा 90 केन्द्र सरकार को निम्नलिखित प्रयोजनार्थ किसी विदेशी सरकार या भारत से बाहर विनिर्दिष्ट क्षेत्र के साथ कोई समझौता करने की शक्ति प्रदान करता है-

- (i) दोहरे कराधान के संबंध में राहत देने,
- (ii) सूचना का आदान प्रदान और
- (iii) करों की वसूली।

इसके अतिरिक्त आयकर अधिनियम की धारा 90क केन्द्र सरकार को ऊपर वर्णित उद्देश्यों के लिए विनिर्दिष्ट संघों के बीच हुए किसी भी समझौते को अपनाने की शक्ति प्रदान करता है।

इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने विभिन्न देशों के साथ विभिन्न दोहरा कराधान परिहार करार (डीटीए) किया है और दोहरे कराधान से राहत के लिए विनिर्दिष्ट संघों के बीच हुए समझौतों को अपनाया है। डीटीए और घरेलू कानून के बीच परस्पर क्रिया की योजना सुनिश्चित करता है कि कोई करदाता, जो डीटीए के लिए करारकर्ता देश में से किसी एक का निवासी है, या तो डीटीए या फिर घरेलू कानून के लाभकारी प्रावधानों की प्रयोजनीयता का दावा करने का हकदार है। वित्त अधिनियम, 2012 अंतर्विष्ट आयकर अधिनियम की धारा 90 और 90क की उप-धारा (4) निर्धारित ब्यौरे युक्त कर निवास प्रमाणपत्र (टीआरसी) का प्रस्तुतीकरण इन धाराओं में उल्लिखित समझौतों के लाभ प्राप्त करने के लिए एक शर्त के रूप में तय करता है।

अन्य देशों के कर प्राधिकारियों के साथ ही पणधारकों द्वारा चिंता व्यक्त की गई है कि विभिन्न देश अपनी प्रथाओं और कानून के अनुसार टीआरसी जारी करते हैं। इसलिए, विभिन्न देशों द्वारा जारी किए गए टीआरसी में वे सभी ब्यौरे शामिल नहीं हो सकते हैं जो आयकर अधिनियम की धारा 90(4) या 90क(4) के अन्तर्गत शामिल किए जाने हेतु अनिवार्य रूप से आवश्यक थे।

व्यक्त की गई इन चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से, उप-धारा (4) को इस आवश्यकता को हटाने के लिए संशोधित किया गया कि निर्धारित ब्यौरे विदेशी सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र की अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। इसलिए, उनके संबंधित प्रारूपों में विभिन्न देशों द्वारा जारी टीआरसी उप-धारा (4) की आवश्यकता को पूरा करेगा। तथापि, आयकर अधिनियम की धारा 90 और 90क में यह व्यवस्था करने के लिए उप-धारा (5) शुरू किया गया है कि करदाता को ऐसे अन्य दस्तावेज और सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी जिसे निर्धारित किया जाए। यह आयकर नियमावली, 1962 के नियम 21कख को संशोधित करते हुए दिनांक 26 जून, 2013 की अधिसूचना 47/2013 द्वारा निर्धारित किया गया है।

इन संशोधनों को 1 अप्रैल, 2013 से पूर्वव्यापी बनाया गया है और, तदनुसार, कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 और अनुवर्ती कर-निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

सामान्य परिहार-रोधी नियम (गार)	सामान्य परिहार-रोधी नियम (गार) को वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा आयकर अधिनियम में पेश किया गया था। गार से संबंधित मूल प्रावधान आयकर अधिनियम के अध्याय X-क (जिसमें धारा 95 से 102 शामिल हैं) में निहित हैं। गार के आह्वान के लिए तंत्र से संबंधित प्रक्रियात्मक प्रावधान और उसके परिणामस्वरूप कर-निर्धारण आदेश जारी करना धारा 144खक में निहित हैं। अध्याय X-क के साथ ही धारा 144खक के प्रावधान 1 अप्रैल, 2014 से प्रभाव में आ गए होते। गार से संबंधित प्रावधानों के खिलाफ कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए। सरकार द्वारा पणधारकों के साथ परामर्श और गार दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने तथा इसके कार्यान्वयन के लिए एक खाका तैयार करने सहित व्यापक विचारार्थ विषयों के साथ एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों में विधायी संशोधन, नियमों का सूत्रीकरण और गार के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों निर्धारित करने के लिए सुझाव शामिल है। विशेषज्ञ समिति की प्रमुख सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। सरकार द्वारा स्वीकार सिफारिशों में से कुछ के लिए अध्याय X-क और धारा 144खक के प्रावधानों में संशोधन किया जाना अपेक्षित है। सिफारिशों को लागू करने के उद्देश्य से, वित्त अधिनियम, 2012 के माध्यम से आयकर अधिनियम में अंतर्विष्ट गार के प्रावधानों में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:- (क) अध्याय X-क और धारा 144खक के प्रावधान वर्तमान तारीख 1 अप्रैल, 2014 की बजाय 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे। ये प्रावधान कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 की बजाय कर-निर्धारण वर्ष 2016-17 से लागू होंगे। (ख) किसी व्यवस्था, जिसका मुख्य उद्देश्य कर लाभ प्राप्त करना है, को एक अस्वीकार्य परिहार्य व्यवस्था के रूप में माना जाएगा। धारा 96 के प्रावधान, जिसमें यह व्यवस्था थी कि यह 'मुख्य उद्देश्य या मुख्य उद्देश्यों में से एक' होना चाहिए, को तदनुसार संशोधित किया गया है। (ग) घटकों जैसे कि अवधि या समय जिसके लिए व्यवस्था अस्तित्व में थी; कर-निर्धारिती द्वारा करों के भुगतान का तथ्य; और यह तथ्य कि व्यवस्था द्वारा एक निकास प्रदान किया गया था, प्रासंगिक होगा किन्तु यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि व्यवस्था एक अस्वीकार्य परिहार व्यवस्था है अथवा नहीं। धारा 97 के प्रावधान, जिसमें यह व्यवस्था थी कि ये घटक प्रासंगिक नहीं होंगे, को तदनुसार संशोधित किया गया है। (घ) किसी व्यवस्था में वाणिज्यिक अस्तित्व की कमी मानी जाएगी यदि इसका कर लाभ पर आरोप्य किसी प्रभाव, जिसे अध्याय X-क के अनुप्रयोग के लिए प्राप्त किया जाना था, के अलावा व्यवस्था के किसी पक्षकार के व्यापार जोखिम या शुद्ध नकदी प्रवाह पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। धारा 97 में यथा निहित प्रावधानों को यह व्यवस्था करने के लिए संशोधित किया गया है कि किसी व्यवस्था में भी वाणिज्यिक अस्तित्व की कमी मानी जाएगी यदि उपर्युक्त शर्तें पूरी होती हैं। (ङ) अनुमोदन पैनल में एक अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या रहे हो; भारतीय राजस्व सेवा के एक सदस्य जो मुख्य आयकर आयुक्त के स्तर से कम न हो; और एक सदस्य जो प्रत्यक्ष करों, व्यवसाय लेखांकन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रथाओं जैसे मामलों का विशेष का ज्ञान रखने वाले शिक्षक या विद्वान शामिल होंगे। धारा 144खक के प्रावधान, जिसमें यह व्यवस्था है कि अनुमोदन पैनल में आयकर अधिकारी होने के नाते तीन सदस्य और भारतीय न्यायिक सेवा का एक अधिकारी शामिल होगा, को तदनुसार संशोधित किया गया है। (च) अनुमोदन पैनल द्वारा जारी निर्देश कर-निर्धारिती के साथ-साथ आयकर प्राधिकारियों पर भी बाध्यकारी होगा और अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस प्रकार के निर्देशों के खिलाफ कोई अपील नहीं किया जा सकता है। धारा 144खक के प्रावधान, जिसमें यह व्यवस्था है कि अनुमोदन पैनल के निर्देश केवल कर-निर्धारण अधिकारी पर ही बाध्यकारी होगा, को तदनुसार संशोधित किया गया है।

	(छ) केन्द्र सरकार यथा आवश्यक एक या एक से अधिक अनुमोदन पैनलों का गठन कर सकता है और अनुमोदन पैनल का कार्यकाल आमतौर पर एक वर्ष के लिए होगा और इसे समय-समय पर तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। धारा 144खक के प्रावधानों को तदनुसार संशोधित किया गया है। (ज) वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा यथा अंतर्विष्ट धारा 102 के प्रावधानों में दो पृथक परिभाषाओं, अर्थात् 'संबद्ध व्यक्ति' और 'जुड़े व्यक्ति' को मिलाया गया है और एक 'जुड़े व्यक्ति' को परिभाषित करने वाला केवल एक समावेशी प्रावधान है। धारा 102 के प्रावधानों को तदनुसार संशोधित किया गया है। प्रक्रियात्मक मामलों से संबंधित अन्य धाराओं में भी परिणामी संशोधन किए गए हैं। इसके अलावा, गार नियमों को दिनांक 23 सितंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या 75/2013 द्वारा अधिसूचित किया गया है। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से लागू होंगे और तदनुसार, कर-निर्धारण वर्ष 2016-17 और अनुवर्ती कर-निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।
म्युचुअल फंड द्वारा वितरित आय पर कर का यौक्तिकीकरण	तहत वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा इसके संशोधन से पहले, आयकर अधिनियम की धारा 115द के प्रावधानों के तहत विनिर्दिष्ट कंपनी या किसी म्युचुअल फंड द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित आय की कोई राशि अतिरिक्त आय कर के दायरे में है। किसी व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति या एचयूएफ नहीं है, को इक्विटी अभिमुखी निधि के अलावा किसी अन्य निधि द्वारा किए गए किसी भी वितरण के मामले में कर की दर 30 प्रतिशत है जबकि किसी व्यक्ति या एचयूएफ को वितरण के मामले में यह निधि की प्रकृति पर निर्भर 12.5 प्रतिशत या 25 प्रतिशत है। इक्विटी अभिमुखी निधि के अलावा सभी प्रकार की निधियों के लिए समान कराधान प्रदान करने के उद्देश्य से वितरित आय पर कर की दर सभी मामलों 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है जहां वितरण किसी व्यक्ति या किसी एचयूएफ को किया जाता है। इसके अलावा एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में स्थापित किसी अवसंरचना ऋण निधि (आईडीएफ) के मामले में निधि द्वारा किसी अनिवासी निवेशक को किया गया ब्याज का भुगतान 5 प्रतिशत की रियायती दर पर कर योग्य है। तथापि किसी म्युचुअल फंड के रूप में स्थापित किसी आईडीएफ द्वारा आय के वितरण के मामले में वितरण कर किसी म्युचुअल फंड के मामले में ऊपर वर्णित दरों पर लगाया जाता है। किसी आईडीएफ, चाहे उसे आईडीएफ-एनबीएफसी या आईडीएफ-म्युचुअल फंड के रूप में स्थापित किया गया है, में किसी अनिवासी निवेशक द्वारा किए गए निवेश से आय के कराधान में समानता लाने के उद्देश्य से, धारा 115द को यह व्यवस्था करने के लिए संशोधित किया गया है कि किसी अनिवासी निवेशक को आईडीएफ योजना के तहत एक म्युचुअल फंड द्वारा वितरित आय के संबंध में वितरित आय पर 5 प्रतिशत की दर से कर देय होगा। ये संशोधन, 1 जून से 2013 से प्रभावी हैं।
कीमैन बीमा पॉलिसी	वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधन से पहले, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (10घ) के प्रावधान अन्य बातों के साथ-साथ किसी कीमैन बीमा पॉलिसी के अलावा अन्य जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त किसी भी राशि को छूट देती है। उक्त खंड (10घ) का स्पष्टीकरण 1 कीमैन बीमा पॉलिसी को किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के जीवन पर ली गई जीवन बीमा पॉलिसी के अभिप्राय के लिए परिभाषित करता है जो पहले वर्णित व्यक्ति का कर्मचारी है या कर्मचारी था अथवा पहले वर्णित व्यक्ति के व्यवसाय से किसी भी तरीके से जुड़ा है या जुड़ा था। यह देखा गया है कि कीमैन बीमा पॉलिसी के रूप में ली गई पॉलिसियों को इसकी परिपक्वता से पहले कीमैन को साँपे जा रहे हैं। कीमैन पॉलिसी पर शेष प्रीमियम का

	भुगतान करता है और इस तरह की पॉलिसी के तहत प्राप्त पूरी राशि का दावा इस आधार पर छूट के रूप में करता है कि पॉलिसी अब एक कीमैन बीमा पॉलिसी नहीं है। धारा 10(10घ) के तहत छूट उन पॉलिसियों के लिए दावा किया जाता है जो मूल रूप से कीमैन बीमा पॉलिसी थे लेकिन अवधि के दौरान इनको किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया गया है। न्यायालयों ने भी कानून में इस बचाव के रास्ते पर ध्यान दिया है। बचाव के इस रास्ते को बंद करने और करों के भुगतान से बचने के लिए इस तरह की प्रथाओं को रोकने की दृष्टि से, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (10घ) के प्रावधानों को यह व्यवस्था करने के लिए संशोधित किया गया है कि कोई कीमैन बीमा पॉलिसी, जिसे इसकी अवधि के दौरान प्रतिफल के साथ या उसके बिना किसी भी व्यक्ति सौंपा गया है, को एक कीमैन बीमा पॉलिसी के रूप में माना जाता रहेगा और परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम की धारा 10(10घ) के तहत किसी भी छूट के लिए पात्र नहीं होगा। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से लागू होगा और तदनुसार, कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 और अनुवर्ती कर-निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।
धारा 80छछख तथा धारा 80छछग के तहत कटौती के लिए अंशदान नकद में नहीं होना चाहिए	वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा इसके संशोधन से पहले, आयकर अधिनियम की धारा 80छछख के तहत पिछले वर्ष किसी राजनीतिक दल या किसी चुनावी न्यास को भारतीय कंपनी द्वारा योगदान दी गई कोई राशि को ऐसी भारतीय कंपनी की कुल आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है। इसी प्रकार की कटौती धारा 80छछग के तहत स्थानीय प्राधिकारी और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति होने के नाते किसी कर-निर्धारिती को उपलब्ध है। ऐसे योगदान के लिए कोई विशिष्ट तरीका प्रदान नहीं किया गया है। योगदानकर्ताओं द्वारा नकद भुगतान को हतोत्साहित करने की दृष्टि से उक्त धाराओं के प्रावधानों में यह व्यवस्था करने के लिए संशोधन किया गया है कि नकदी के माध्यम से योगदान की गई किसी भी राशि के संबंध में धारा 80छछख और 80छछग के तहत किसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से लागू है और तदनुसार, कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 और अनुवर्ती कर-निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।
कुछ मामलों में अतिरिक्त मजदूरी के लिए कटौती	वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधन से पहले, धारा 80जजकक में वस्तु या चीजों के निर्माण या उत्पादन में लगे हुए अपने औद्योगिक उपक्रम में किसी भारतीय कंपनी द्वारा किसी पूर्ववर्ती वर्ष में नियोजित नए नियमित कामगार को किए गए अतिरिक्त मजदूरी के भुगतान के तीस प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती की व्यवस्था थी। कटौती पिछले वर्ष, जिसमें इस तरह का रोजगार उपलब्ध कराया गया है, के प्रासंगिक कर-निर्धारण वर्ष सहित तीन कर-निर्धारण वर्षों के लिए उपलब्ध है। इस धारा के तहत किसी कटौती की अनुमति नहीं होगी यदि औद्योगिक उपक्रम को एक मौजूदा उपक्रम को विभाजित या पुनर्निर्माण करके या किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम के साथ समामेलन करके बनाया गया है। धारा 80जजकक के तहत कर प्रोत्साहन विनिर्माण क्षेत्र में श्रमिक कर्मचारियों के रोजगार के लिए अभिप्रेत था जबकि व्यवहार में, इसका अन्य क्षेत्रों में अन्य कर्मचारियों के लिए भी दावा किया जा रहा है। इसलिए, धारा 80जजकक के प्रावधानों में संशोधन किया गया है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि कटौती किसी कारखाने में वस्तुओं के निर्माण से लाभ पाने वाले किसी भारतीय कंपनी को उपलब्ध होगा। कटौती पिछले वर्ष, जिसमें इस तरह का रोजगार उपलब्ध कराया गया है, के प्रासंगिक कर-निर्धारण वर्ष सहित तीन कर-निर्धारण वर्षों के लिए पिछले वर्ष में इस प्रकार के कारखाने में कर-निर्धारिती द्वारा नियोजित नए नियमित कामगारों को भुगतान की गई अतिरिक्त मजदूरी के तीस प्रतिशत के बराबर की राशि होगी। यह भी व्यवस्था की गई है कि इस धारा के तहत कटौती उपलब्ध नहीं होगी यदि

	कारखाना मौजूदा इकाई से अलग हो जाता है या हस्तांतरित कर दिया जाता है अथवा किसी अन्य कंपनी के साथ एकीकरण के परिणामस्वरूप कर-निर्धारित कंपनी द्वारा अधिग्रहीत कर लिया जाता है। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से लागू है और तदनुसार, कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 और अनुवर्ती कर-निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।
आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग क में अनुमोदन के लिए समय का विस्तार	आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क में नियम 4 में उन शर्तों की व्यवस्था है जिनको आयकर अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त करने या बनाए रखने के लिए किसी भविष्य निधि द्वारा संतुष्ट किए जाने की आवश्यकता है। खंड (डक) में यथा निहित नियम 4 की आवश्यकताओं में से एक यह है कि प्रतिष्ठान को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 [ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम] की धारा 1(4) के तहत केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाना है और उक्त अधिनियम की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त की गई है। आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क में नियम 3 में यह व्यवस्था है कि मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त किसी भी भविष्य निधि को मान्यता दे सकते हैं जो, उनकी राय में उक्त नियम 4 के तहत निर्दिष्ट शर्तों और उन शर्तों को संतुष्ट करते हैं जिसे बोर्ड के नियमों के द्वारा निर्दिष्ट करे। अधिनियम द्वारा इसके संशोधन से पूर्व, नियम 3 के उप-नियम(1) के प्रथम परन्तुक में अन्य बातों के साथ-साथ निर्दिष्ट किया गया है कि ऐसे मामले में जहां किसी भविष्य निधि को आयकर अधिनियम के तहत 31 मार्च, 2006 को या उससे पहले मान्यता दी गई है लेकिन ऐसी भविष्य निधि 31 मार्च, 2013 को या उससे पहले नियम 4 के खंड (डक) में निर्धारित शर्तों को पूरी नहीं करती है तो ऐसी निधि की मान्यता को वापस ले ली जाएगी। ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम की धारा 17 के तहत छूट प्रदान करने के लिए कई आवेदन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पास लंबित थे। ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम की धारा 17 के तहत छूट मांगने वाले लंबित आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु ईपीएफओ को अतिरिक्त समय प्रदान करने की दृष्टि से प्रथम परन्तुक को संशोधित किया गया है ताकि समय सीमा का विस्तार 31 मार्च, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक किया जा सके। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हैं।
निवल धन की अनुबंध रहित विवरणी के इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने को सुकर करने के लिए समर्थकारी प्रावधान	धन कर अधिनियम की धारा 14 में मूल्य निर्धारण की तारीख को निवल धन का विवरण और ऐसे अन्य विवरण, जिसे निर्धारित किया जाए, का उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से सत्यापित निवल धन की विवरणी प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। वर्तमान में, धन कर नियमावली के प्रावधानों के साथ पठित धन कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत निवल धन की विवरणी के साथ कुछ दस्तावेजों, रिपोर्टों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। आयकर अधिनियम की धारा 139ग और 139घ में आयकर निर्धारितियों की खास श्रेणी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में आय की अनुबंध रहित विवरणी दाखिल करने की सुविधा के लिए व्यवस्था शामिल हैं। निवल धन के अनुबंध रहित विवरणी की इलेक्ट्रॉनिक रूप में दाखिल करने को सुकर करने के उद्देश्य से, इसी तर्ज पर धन कर अधिनियम में नई धाराएं 14क और 14ख अंतर्विष्ट की गई हैं। नतीजतन, धन कर अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों, जिसमें बोर्ड के नियम बनाने की शक्तियों की व्यवस्था है, को भी संशोधित किया गया है। ये संशोधन 1 जून, 2013 से प्रभावी हैं।
राज्य सरकार के उपक्रमों के मामले में कतिपय शुल्क, प्रभार आदि का निषेध	अधिनियम द्वारा इस संशोधन से पहले, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40 के प्रावधानों में उन राशियों को निर्दिष्ट किया गया है जिनकी व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ - शीर्ष के तहत प्रभार्य आय के परिकलन में कटौती नहीं की जाएगी। उक्त धारा

	के तहत गैर-कटौती खर्च में सांविधिक बकाया जैसे कि अनुषंगी लाभ कर, आयकर, धन कर आदि भी शामिल हैं। कुछ राज्य सरकार उपक्रमों के आयकर आकलन के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ है कि क्या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अपने उपक्रमों पर लगाए गए या प्रभारित विशेषाधिकार शुल्क, लाइसेंस फीस, रॉयल्टी आदि के माध्यम से भुगतान की गई कोई राशि ऐसे उपक्रमों की आय के परिकलन के प्रयोजनार्थ कटौतीयोग्य है अथवा नहीं। कुछ मामलों में, इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं कि ऐसे उपक्रमों को प्राप्त होने वाले अधिशेष राज्य सरकार के पास रहेंगे। इसके परिणामस्वरूप यह दावा किया गया है कि अधिशेष के माध्यम से इस प्रकार की आय कर के अधीन नहीं है। यह एक तय कानून है कि राज्य सरकार के उपक्रम राज्य से अलग विधिसम्मत संस्थाएं हैं और आयकर के लिए उत्तरदायी हैं। शुल्क, प्रभार आदि के विशेष उद्ग्रहण या राज्य सरकारों द्वारा अपने उपक्रमों से राशि के विनियोग की तुलना में राज्य सरकार के उपक्रमों के कर आधार की सुरक्षा करने के उद्देश्य से, आयकर अधिनियम की धारा 40 को यह व्यवस्था करने के लिए संशोधित किया गया है कि शुल्क, प्रभार आदि के रूप में भुगतान की गई किसी भी राशि, जिसे विशेष रूप से राज्य सरकार के उपक्रम पर लगाया जाता है, या राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार के उपक्रम से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विनियोजित किसी भी राशि को 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के तहत ऐसे उपक्रमों की आय के परिकलन के प्रयोजनार्थ कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति 'राज्य सरकार उपक्रम' में निम्नलिखित शामिल हैं - (i) राज्य सरकार के किसी अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित कोई निगम; (ii) कोई कंपनी जिसमें प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक राज्य सरकार द्वारा धारित है; (iii) कोई कंपनी जिसमें प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक खंड (i) या खंड (ii) में उल्लिखित संस्था द्वारा धारित है (चाहे अकेले या साथ में); (iv) कोई कंपनी या निगम जिसमें राज्य सरकार के पास इसकी हिस्सेदारी या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारक समझौतों या मतदान समझौतों के आधार पर या किसी अन्य तरीके से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्देशकों के बहुमत को नियुक्त करने या प्रबंधन अथवा नीतिगत फैसले को नियंत्रित करने का अधिकार है। (v) राज्य सरकार के किसी अधिनियम के द्वारा या उसके तहत स्थापित या गठित या राज्य सरकार द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित कोई प्राधिकरण, कोई बोर्ड या कोई संस्था या कोई निकाय। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से लागू है और तदनुसार, कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 और अनुवर्ती कर-निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।
कुछ मामलों में वसूली के प्रयोजनार्थ वाक्यांश "बकाया कर" का स्पष्टीकरण	आयकर अधिनियम की धारा 179 में यह व्यवस्था है कि जहां किसी निजी कंपनी से बकाया कर ऐसी कंपनी से वसूल नहीं की जा सकती है तो निदेशक (जो पिछले वर्ष के दौरान ऐसी कंपनी का निदेशक था जो गैर-वसूली से संबंधित है) इस प्रकार के कर के भुगतान के लिए संयुक्त और पृथक् रूप से जिम्मेदार होगा जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि कर की गैर-वसूली उसकी ओर से किसी घोर उपेक्षा, अपकरण या कर्तव्य के उल्लंघन के कारण नहीं हुआ है। यह प्रावधान कुछ मामलों में इस प्रकार की कंपनी के निदेशकों से किसी निजी कंपनी के आयकर अधिनियम के तहत बकाया मांग की वसूली के लिए अभिप्रेत है। तथापि, कुछ अदालतों ने धारा 179 में इस्तेमाल किए गए वाक्यांश 'बकाया कर' की व्याख्या इस प्रकार की है कि इसमें आयकर अधिनियम के तहत अर्थदंड, ब्याज और अन्य देय राशि शामिल नहीं है। उपर्युक्त के मद्देनजर, यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त धारा 179 के प्रयोजनार्थ, अभिव्यक्ति - बकाया कर में आयकर अधिनियम के तहत अर्थदंड, ब्याज और अन्य देय

	राशि शामिल हैं। अभिव्यक्ति 'बकाया कर' को स्पष्ट करने के लिए इसी तरह की तर्ज पर आयकर अधिनियम की धारा 167ग के प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है। ये संशोधन 1 जून, 2013 से प्रभावी हैं।
बैंकों के मामले में अशोध्य ऋणों के रूप में कटौती के लिए पात्र होने हेतु राशि के लिए स्पष्टीकरण	अधिनियम द्वारा संशोधन से पहले, आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viiक) के प्रावधानों के तहत कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के व्यवसाय आय की गणना में, उसमें विनिर्दिष्ट कुछ सीमाओं के अधीन ऐसी संस्थाओं द्वारा निर्मित अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए किसी प्रावधान के संबंध में कटौती स्वीकार्य है। आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viiक)(क) के तहत निर्दिष्ट सीमा कुछ बैंकों (भारत के बाहर निगमित नहीं) और कुछ सहकारी बैंकों के लिए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान हेतु कटौती के दावों को ऐसे बैंकों की सकल कुल आय (इस खंड के तहत कटौती से पहले) के 7.5 प्रतिशत और ऐसे बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा किए गए कुल औसत अग्रिम के 10 प्रतिशत तक सीमित करता है। यह सीमा धारा 36(1)(vii क)(ख) और धारा 36(1)(viiक)(ग) के तहत भारत के बाहर निगमित किसी बैंक और कुछ वित्तीय संस्थानों के लिए सकल कुल आय (इस खंड के तहत कटौती से पहले) का 5 प्रतिशत है। आयकर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (vii) के उपबंधों में निर्धारिती की लेखा बहियों में अप्राप्य ऋण, जिसे वास्तव में अवसूलनीय रूप में बही-खाते डाला गया है, की कटौती के लिए व्यवस्था है। इस खण्ड के परन्तुक में यह व्यवस्था है कि ऐसे निर्धारिती के लिए, जिस पर आयकर अधिनियम की धारा 36(1) (viiक) लागू होती है, उक्त खण्ड (vii) के अन्तर्गत कटौती उस राशि तक सीमित होगी जिससे बट्टे-खाते डाला गया अप्राप्य ऋण उक्त अधिनियम की धारा 36(1)(viiक) के तहत अप्राप्य और शंकास्पद ऋणों के लिए की गई व्यवस्था लेखे में जमा शेष से अधिक है। आयकर अधिनियम की धारा 36(1) (viiक) के उपबंध उक्त अधिनियम की धारा 36(2) के उपबंधों के अध्वधीन है। आयकर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (2) के खण्ड (v) में यह व्यवस्था है कि उस निर्धारिती द्वारा, जिसपर उक्त अधिनियम 36(1) (viiक) लागू होती है, आयकर अधिनियम की धारा 36(1) (viiक) के अंतर्गत बनाए गए अप्राप्य और शंकास्पद ऋण लेखे के लिए की गई व्यवस्था में बट्टे खाते डाले गए अप्राप्य ऋण की राशि डेबिट की जानी चाहिए। तदनुसार, बैंक अथवा वित्तीय संस्थाएं आयकर अधिनियम की धारा 36(1) (vii) के अंतर्गत वास्तव में बट्टे खाते डाले गए अप्राप्य ऋण के लिए केवल उतनी राशि की कटौती का दावा करने के हकदार हैं जितनी उक्त अधिनियम की धारा 36(1) (viiक) के अंतर्गत बनाए गए अप्राप्य और शंकास्पद ऋण लेखे में की गई व्यवस्था में जमा शेष से अधिक है। तथापि कुछेक न्यायिक उद्घोषणाओं के कारण आयकर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (vii) के परन्तुक के विस्तार क्षेत्र और प्रयोज्यता के बारे में शंकाएं पैदा हुई हैं और यह कहा गया है कि आयकर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (vii) का परन्तुक केवल ग्रामीण अग्रिमों से संबंधित अप्राप्य और शंकास्पद ऋणों के लिए की गई व्यवस्था के लिए लागू होता है। आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viiक) में तीन उपखंड समाविष्ट हैं अर्थात् उपखण्ड (क), उपखण्ड (ख) और उपखण्ड (ग) और उपखण्डों में केवल उपखण्ड अर्थात् उपखण्ड (क) ग्रामीण अग्रिमों से संबंधित है जबकि अन्य उपखण्डों में ग्रामीण अग्रिमों का कोई उल्लेख नहीं है। वास्तव में विदेशी बैंकों की सामान्य तथा ग्रामीण शाखाएं नहीं हैं। अतः आयकर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (viiक) के अन्तर्गत बनाए गए उपबंध और धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (viiक) के परन्तुक तथा धारा 36 की उपधारा (2) के खण्ड (v) में उल्लिखित अप्राप्य और शंकास्पद ऋण लेखे के लिए की गई व्यवस्था सभी प्रकार के अग्रिमों के लिए लागू होती है, चाहे ये ग्रामीण अग्रिम हों या अन्य अग्रिम हों। यह भी व्याख्या की गई है कि ग्रामीण अग्रिमों और शहरी अग्रिमों के लिए खण्ड (viiक) के अंतर्गत अप्राप्य और शंकास्पद ऋण के बाबत की गई व्यवस्था के तहत अलग-अलग

	लेखे हैं और यदि ऋण को वास्तव में बट्टे- खाते डालना शहरी अग्रिमों से संबंधित है तब इसका ग्रामीण अग्रिमों के संबंध में अप्राप्य और शंकास्पद ऋणों के लिए की गई व्यवस्था के प्रति मुजरा नहीं किया जाएगा। आयकर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (vii) में ऐसा कोई प्रभेद नहीं किया गया है। उपधारा (1) के खण्ड (vii), (vii) और उपधारा (2) में की गई व्यवस्था के विस्तार क्षेत्र और प्रयोज्यता को स्पष्ट करने की दृष्टि से धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (vii) में एक स्पष्टीकरण अन्तः स्थापित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (vii) के परन्तुक और धारा 36 की उपधारा (2) के खण्ड (v) के प्रयोजनों के लिए धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (vii) के अंतर्गत अप्राप्य एवं शंकास्पद ऋणों के लिए व्यवस्था के संबंध में उक्त खण्ड में उल्लेख किए गए अनुसार केवल एक लेखा बनाया गया है और ऐसा लेखा ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों सहित सभी प्रकार के अग्रिमों से संबंधित है। तदनुसार, ऐसे निर्धारिती, जिस पर धारा 36 की उपधारा (1) का खण्ड (vii) लागू होता है, के लिए धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (vii) के अंतर्गत वास्तव में बट्टे खाते डाले गए अप्राप्य ऋणों के संबंध में कटौती की राशि उस राशि तक सीमित होगी जिससे ऐसा अप्राप्य ऋण ग्रामीण अग्रिमों तथा अग्रिमों के बीच बिना किसी प्रभेद के धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (vii) के अंतर्गत बनाए गए अप्राप्य और शंकास्पद ऋण लेखे के लिए की गई व्यवस्था लेखे में जमा शेष से अधिक है। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2014-15 और बाद के निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।
पूंजी आस्ति की परिभाषा में संशोधन	वित्त अधिनियम द्वारा संशोधन से पूर्व धारा 2 के खण्ड 14 में समाविष्ट उपबंधों में "पूंजी आस्ति" शब्दों की परिभाषा ऐसी कोई सम्पत्ति जो निर्धारिती द्वारा धारित है, चाहे वह उसके कारबार या वृत्ति से संबंधित है, या नहीं है के रूप में की गई है। कृषि भूमि सहित सम्पत्ति की कुछेक श्रेणियों को इस परिभाषा से बाहर रखा गया है। धारा 2 के खण्ड 14 के उपखण्ड (iii) में यह व्यवस्था है कि (क) कृषि भूमि जो ऐसे किसी क्षेत्र में स्थित है जो किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में है और जिसकी जनसंख्या अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार दस हजार से कम नहीं है या (ख) कृषि भूमि जो ऐसे किसी क्षेत्र जो किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से ऐसी दूरी, जो आठ किलोमीटर से अधिक न हो, के भीतर स्थित है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा शहरीकरण के लिए उसकी परिधि और विस्तार तथा अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित किया गया है, पूंजी आस्ति का भाग बनती है। धारा 2 के खण्ड 14 के उपखण्ड (iii) की मद सं. (ख) को संशोधित किया गया है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि वह भूमि जो हवाई सर्वेक्षण (निकटतम हवाई दूरी) के द्वारा मापी गई दूरी के भीतर स्थित है (1) जो मद में उल्लिखित किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से दो किलोमीटर से अनाधिक दूरी नहीं है (क) और जिसकी जनसंख्या 10 हजार से अधिक है परन्तु एक लाख से अधिक नहीं है; या (ii) मद में उल्लिखित किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से छः किलोमीटर से अधिक दूरी नहीं है (क) और जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है परन्तु 10 लाख से अधिक नहीं है या (iii) मद में उल्लिखित किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से आठ किलोमीटर से अधिक दूरी नहीं है (क) और जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, पूंजी आस्ति का भाग बनेगी। "जनसंख्या" अभिव्यक्ति को भी परिभाषित किया गया है ताकि जनसंख्या को अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार सूचित किया जा सके जिसके सुसंगत आंकड़े पूर्व वर्ष के प्रथम दिन से पहले प्रकाशित किए जा चुके हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 के खण्ड (1क) में "कृषि आय" परिभाषा के संबंध में और धनकर अधिनियम, 1957 में शहरी भूमि की परिभाषा के संबंध में भी ऐसे संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2014-15 और बाद के वर्षों के लिए लागू होंगे।

धारा 132ख के अंतर्गत अभिगृहीत आस्तियों का उपयोग	अधिनियम के द्वारा संशोधन से पूर्व आयकर अधिनियम की धारा 132ख में अन्तर्विष्ट उपबंधों में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था थी कि अभिगृहीत नकदी को आयकर अधिनियम, धनकर अधिनियम, व्यय कर अधिनियम, दान कर अधिनियम और ब्याज कर अधिनियम के अन्तर्गत किसी मौजूदा दायित्व के प्रति और तलाशी के अनुसरण में निर्धारण पूरा होने पर निर्धारित देयता की राशि तथा उदगृहीत कोई शास्ति या संदेय ब्याज की राशि जिसके संबंध में ऐसा कोई व्यक्ति चूककर्ता है या चूककर्ता समझा जाता है, के प्रति समायोजित की जा सकती है। विभिन्न न्यायालयों ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि विद्यमान दायित्व शब्दों में निर्धारित का अग्रिम कर दायित्व भी शामिल है जो विधायिका के अभिप्राय के अनुरूप नहीं है। इस उपबंध के प्रति विधायी उद्देश्य कर/ब्याज/शास्ति के बकाया की वसूली सुनिश्चित करना और करों/ब्याज/शास्ति की वसूली के लिए व्यवस्था करना है जो तलाशी के अनुसरण में किए गए निर्धारण के बाद पैदा होती है। तदनुसार, उक्त धारा 132ख को यह स्पष्ट करने हेतु संशोधित किया गया है कि विद्यमान दायित्व में आयकर अधिनियम के अध्याय XVII के भाग ग के उपबंधों के अनुसार संदेय अग्रिम कर शामिल नहीं होता है। यह संशोधन 1 जून 2013 से प्रभावी हुआ है।
"विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947" तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 पदों का विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के द्वारा प्रतिस्थापन	आयकर अधिनियम की धारा 138 में निर्धारितियों के संबंध में सूचना के प्रकटीकरण के लिए व्यवस्था है। उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (झ) में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि बोर्ड या इसके द्वारा विनिर्दिष्ट कोई भी आयकर प्राधिकारी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 2 (घ) में यथापरिभाषित विदेशी मुद्रा में व्यवहार से किसी विधि के अधीन किन्हीं कृत्यों को निष्पादित करने वाले किसी अधिकारी या निकाय, कोई भी जानकारी दे सकेगा या दिलवा सकेगा ताकि वह उस विधि के अन्तर्गत अपने कृत्यों को पूरा करने में समर्थ हो सके। इस धारा में उल्लिखित विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (फेरा) को 1973 में निरस्त कर दिया गया था और इसके स्थान पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 लाया गया था। वर्ष 1999 में एक नया अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) प्रवर्तित किया गया था। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, (फेरा), 1947 में विदेशी मुद्रा की परिभाषा में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 में मामूली संशोधन किया गया था। विदेशी मुद्रा शब्दों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खण्ड (ढ) में परिभाषित किया गया है। उपर्युक्त को देखते हुए आयकर अधिनियम की धारा 138 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (झ) को यह व्यवस्था करने हेतु संशोधित किया गया है कि विदेशी मुद्रा का वह अर्थ होगा जो इसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 2(ढ) में सूचित किया गया है। आयकर अधिनियम की धारा 10(4), 10(4ख), 10(15), 10क, 10ख, 48, 115कख, 115ग, और 196क में भी ऐसे संशोधन किए गए हैं। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा।
स्व निर्धारण कर की अदायगी के बिना दायर की गई आय की विवरणी त्रुटिपूर्ण विवरणी मानी जाएगी	अधिनियम द्वारा संशोधन से पूर्व धारा 139 की उपधारा (9) में अन्तर्निहित उपबंधों में यह व्यवस्था मौजूद है कि जहां पर निर्धारण अधिकारी यह निर्णय लेता है कि निर्धारित धारा दायर की गई आय की विवरणी त्रुटिपूर्ण है तो वह निर्धारित को त्रुटि की सूचना दे सकता है और त्रुटि को 15 दिन की अवधि के भीतर सुधारने का अवसर दे सकता है। यदि निर्धारण अधिकारी द्वारा दिए गए समय के भीतर त्रुटि को सुधारा नहीं जाता है तो विवरणी को अविधिमान्य विवरणी माना जाएगा। वे शर्तें, जिनको पूरा न करने पर विवरणी को त्रुटिपूर्ण माना जाता है, उपर्युक्त उपधारा के स्पष्टीकरण में उपलब्ध करायी गई हैं। धारा 140क में यह व्यवस्था है कि जहां पर पहले अदा किए करों को लेखे में लेने के बाद किसी विवरणी के आधार पर कोई कर संदेय है, तो निर्धारित विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व ऐसे कर का और विवरणी प्रस्तुत करने में अथवा अग्रिम कर का संदाय करने में किसी चूक या हुए किसी विलम्ब के लिए इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन संदेय ब्याज

	का संदाय करने का जिम्मेवार होगा। यह देखा गया है कि अधिकांश संख्या में निर्धारिती अपनी आय की विवरणियां स्वतः निर्धारण कर की अदायगी किए बिना ही प्रस्तुत करते हैं। धारा 140 क के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से आयकर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (9) के स्पष्टीकरण को यह व्यवस्था करने के लिए संशोधित किया गया है कि आय की विवरणी को तब तक त्रुटिपूर्ण माना जाएगा जब तक कि ब्याज, यदि कोई हो, के सहित धारा 140क के उपबंधों के अनुसार संदेय कर की विवरणी को प्रस्तुत करने की तारीख को या इससे पूर्व अदायगी नहीं कर दी जाती है। यह संशोधन 1 जून, 2013 से प्रभावी होगा।
धारा 142 की उपधारा (2क) के अंतर्गत विशेष लेखा-परीक्षा के लिए निर्देश	अधिनियम के द्वारा संशोधित किए जाने से पूर्व, आयकर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (2क) में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि यदि कार्यवाहियों की किसी भी अवस्था में निर्धारण अधिकारी की निर्धारिती के लेखाओं के स्वरूप और जटिलता को तथा राजस्व के हित को ध्यान में रखते हुए यह राय हो कि ऐसा करना जरूरी है, तो वह मुख्य आयुक्त या आयुक्त के अनुमोदन से निर्धारिती को उसके लेखाओं की किसी लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा करवाने और ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट निर्धारित फार्म में प्रस्तुत करने हेतु निदेश दे सकता है। लेखाओं की अभिव्यक्ति- स्वरूप और जटिलता की विभिन्न न्यायालयों द्वारा बहुत ही सीमित रूप में व्याख्या की गई है। धारा 142 की उपधारा (2क) को यह व्यवस्था करने हेतु संशोधित किया गया है कि यदि निर्धारण अधिकारी को उसके समक्ष कार्यवाहियों की किसी भी अवस्था में लेखाओं के स्वरूप और जटिलता, लेखाओं के परिणाम को ध्यान में रखते हुए लेखाओं की परिशुद्धता, लेखाओं में संव्यवहारों की बहुलता या निर्धारिती के व्यापार संबंधी कार्यकलाप के विशेष स्वरूप के बारे में शंका होने के कारण उसकी यह राय है कि ऐसा करना जरूरी है तो वह मुख्य आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के साथ निर्धारिती को अपने लेखाओं की किसी लेखाकार से लेखापरीक्षा करवाने और ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट विहित फार्म में प्रस्तुत करने का निदेश दे सकता है। यह संशोधन 1 जून, 2013 से प्रभावी है।
निर्धारणों और पुनर्निर्धारणों को पूरा करने के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने में समय का अपवर्जन	आयकर अधिनियम की धारा 153 में अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारण अधिकारी द्वारा आय का निर्धारण और पुनः निर्धारण को पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। धारा 153 के स्पष्टीकरण में यह व्यवस्था है कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करते समय उसमें विनिर्दिष्ट कुछेक समय अवधियों को जोड़ा नहीं जाएगा। आयकर अधिनियम की धारा 153 के स्पष्टीकरण-1 के खण्ड (iii) के उपबंधों के अन्तर्गत, अधिनियम के द्वारा इसको संशोधित किए जाने से पूर्व उस तारीख से शुरू होने वाली जिस तारीख को निर्धारण अधिकारी धारा 142 की उपधारा (2क) के अंतर्गत निर्धारिती को अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा करवाने का निदेश देता है और उस तारीख को समाप्त होने वाली जिस तारीख को निर्धारिती को ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है, अवधि को निर्धारण और पुनः निर्धारण के प्रयोजनों के लिए परिसीमा काल की संगणना करने में छोड़ दिया जाता है। तथापि, ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार यदि निर्धारण अधिकारी के निदेश को न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाता है तो समय के अपवर्जन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तदनुसार धारा 153क स्पष्टीकरण-1 के खण्ड (iii) को यह व्यवस्था करने हेतु संशोधित किया गया है कि उस तारीख, जिसको निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती को धारा 142 की उपधारा (2क) के अंतर्गत अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराने का निदेश दिया जाता है, से आरंभ होने वाली और उस तारीख, जिसको उक्त उपधारा के तहत निर्धारिती द्वारा ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है, को समाप्त होने वाली अवधि अथवा जिस मामले में ऐसे निदेश को न्यायालय में चुनौती दी जाती है, उस तारीख, जिसको ऐसे निदेश को रद्द करने का आदेश आयुक्त को प्राप्त होता है, को समाप्त होने वाली अवधि को धारा 153 के प्रयोजन के लिए परिसीमाकाल की संगणना करने में छोड़ दिया जाएगा।

	इसी प्रकार अधिनियम के द्वारा इसमें संशोधन करने से पूर्व आयकर अधिनियम की धारा 153 के स्पष्टीकरण-1 के खण्ड (viii) में उस तारीख से, जिसको धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अंतर्गत सक्षम किसी प्राधिकारी द्वारा सूचना के आदान-प्रदान के लिए कोई निर्देश किया जाता है, आरंभ होने वाली उस तारीख, जिसको आयुक्त द्वारा इस प्रकार अनुरोध की गई सूचना प्राप्त की जाती है, को समाप्त होने वाली या एक वर्ष की अवधि, इसमें जो भी कम हो, को धारा 153 के प्रयोजनों के लिए परिसीमा काल की संगणना करने में छोड़े जाने की व्यवस्था है। कभी कभी एक मामले में सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक से ज्यादा अनुरोध किए जाते हैं और विदेशी सक्षम प्राधिकारियों से उत्तर भी भागों में प्राप्त होते हैं। ऐसे मामलों में छोड़े जाने वाली अवधि की संगणना करने में हमेशा ही विवाद बने रहते हैं अर्थात् यह अवधि सूचना के आदान-प्रदान के लिए किए गए प्रथम अनुरोध से शुरू होगी या अंतिम अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से शुरू होगी। इसी प्रकार इस तरह अनुरोध की गई सूचना किस तारीख को प्राप्त होती है उस तारीख के बारे में भी ऐसा ही विवाद पैदा हो सकता है। उपर्युक्त स्थिति के स्पष्ट करने की दृष्टि से धारा 153 के स्पष्टीकरण-1 के उपर्युक्त खण्ड (viii) को यह व्यवस्था करने हेतु संशोधित किया गया है कि उस तारीख, जिसको आयकर अधिनियम की धारा 90 और धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के तहत किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना के आदान-प्रदान के लिए निर्देश किया जाता है या प्रथम निर्देश किया जाता है, को आरंभ होने वाली और उस तारीख जिसको आयुक्त द्वारा इस प्रकार अनुरोध की गई सूचना अंतिम रूप से प्राप्त होती है, को समाप्त होने वाली अवधि या एक वर्ष की अवधि, जो भी कम हो, को धारा 153 के प्रयोजनों के लिए परिसीमाकाल की संगणना करने में छोड़ दिया जाएगा। तलाशी निर्धारण को पूरा करने के लिए समय-सीमा के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 153ख के स्पष्टीकरण में भी ऐसे संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन 1 जून, 2013 से प्रभावी हुए हैं।
ऐसे मामले में निर्धारण या पुनः निर्धारण को पूरा करने के लिए समय सीमा जिसमें अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश दिया जाता है।	आयकर अधिनियम की धारा 153 और 153ख में अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारण अधिकारी द्वारा आय के निर्धारण और पुनः निर्धारण को पूरा करने के लिए समय-सीमा की व्यवस्था शामिल है। आयकर अधिनियम की धारा 143(3), 147, 153क, 153ग आदि के अंतर्गत निर्धारण और पुनः निर्धारण को पूरा करने के लिए समय सीमाएं उपलब्ध करायी गई हैं। यदि आयकर अधिनियम की धारा 92गक के अंतर्गत निर्धारण/पुनः निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश दिया जाता है तो इन समय सीमाओं को बढ़ाया जाता है। ये समय सीमाएं उस वित्तीय वर्ष के अंत से जिसमें कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए नोटिस तामील किया गया था या उस वित्तीय वर्ष के अंत से जिससे कार्यवाहियां संबंधित है, आरंभ होगी। वित्त अधिनियम, 2012 के द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 153 और 153ख में की गई व्यवस्था के अनुसार परिसीमाकाल को तीन माह तक बढ़ाया गया था। ऐसे सभी मामलों में जिनमें आयकर अधिनियम की धारा 92गक के अंतर्गत अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश परिसीमा की अवधि को मौजूदा 9 महीनों से बढ़ाकर 1 वर्ष किया गया था। जहां कहीं भी धारा 92गक के अंतर्गत निर्देश किया गया था, आयकर अधिनियम की धारा 153 और 153ख के अन्य भागों में भी ऐसे ही संशोधन किए गए थे। धारा 153 की उपधारा (1) में तीसरा परंतुक अंतःस्थापित करने के परिणामस्वरूप एक विसंगति पैदा हो गई है। निर्धारण वर्ष 2009-10 के से संबंधित एक मामले में, जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 92गक के अंतर्गत एक निर्देश दिया गया था और अंतरण मूल्यांकन अधिकारी (टीपीओ) ने 1.7.2012 से पूर्व एक आदेश पारित किया था, यह वित्त अधिनियम, 2012 के द्वारा अंतःस्थापित तीसरे परंतुक के अंतर्गत कवर नहीं हो सका था। इसके अलावा यह दूसरे परंतुक के अंतर्गत भी कवर नहीं हो सका था। तदनुसार यह केवल धारा 153(1)(क) के अंतर्गत स्थान प्राप्त कर सका, जिसके अनुसार समय सीमा निर्धारण वर्ष के अंत से 2 वर्ष होगी अर्थात् 31.3.2012 तक होगी। अतः इसे एक

	अतिरिक्त वर्ष का लाभ नहीं मिल सका जैसा कि अभिप्रेत था। इसके अतिरिक्त वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा संशोधन से पूर्व यह मामला दूसरे परंतुक के अंतर्गत कवर हो सकता था और पूरा करने की समय सीमा 31.12.2012 (33 मास) होती। इस प्रकार वित्त अधिनियम, 2012 के द्वारा तीसरे परंतुक को अंतःस्थापित करने के साथ समय-सीमा 31.12.2012 से कम होकर 31.3.2012 हो गई। विधायिका का यह आशय नहीं था। उपर्युक्त को देखते हुए, आयकर अधिनियम की धारा 153 की उपधारा (1) के तीसरे परंतुक के उपबंधों को यह व्यवस्था करने हेतु संशोधित किया गया है कि यदि वह निर्धारण वर्ष जिसमें आय प्रथमतः निर्धारणीय थी, अप्रैल, 2009 के प्रथम दिन को शुरू होने वाला निर्धारण वर्ष है या बाद का कोई निर्धारण वर्ष है और कुल आय के निर्धारण के लिए कार्यवाही के दौरान आयकर अधिनियम की धारा 92गक की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्देश दिया जाता है, तो खंड (क) के उपबंध प्रथम परंतुक में अंतर्निहित किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार प्रभावी होंगे कि मानो दो वर्ष शब्दों के स्थान पर तीन वर्ष शब्दों को रखा गया था। आयकर अधिनियम की धारा 153 की उपधारा (2) उपधारा (2क) तथा धारा 153ख में ऐसे ही संशोधन किए गए हैं जहां पर वित्त अधिनियम, 2012 के द्वारा उक्त धाराओं में संशोधन किए जाने के कारण ऐसी ही विसंगति पैदा हुई थी। ये संशोधन 1 जुलाई, 2012 से पूर्व व्यापी रूप से प्रभावी हुए हैं।
अध्याय XVII के अंतर्गत "संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति" का अर्थ	आयकर अधिनियम, 1961 का अध्याय XVII कर संग्रहण और वसूली से संबंधित है। आयकर अधिनियम की धारा 204 "संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति" अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है। उक्त धारा 204 के खंड (iiक) के अनुसार "संदाय के लिए उत्तरदायी व्यक्ति" अभिव्यक्ति का अर्थ यदि कोई ऐसी राशि किसी अनिवासी भारतीय को संदेय है जो किसी विदेशी मुद्रा आस्ति, जो अल्प-कालिक पूंजी आस्ति नहीं हैं, उसके द्वारा अंतरण के प्रतिफल के रूप में कोई राशि है, ऐसा प्राधिकृत व्यवहारी है, जो अनिवासी भारतीय को ऐसी राशि प्रेषित करने के लिए या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 या उसके तहत बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार रखे गए उसके अनिवासी (विदेशी) खाते में ऐसी राशि जमा करने हेतु उत्तरदायी है। प्राधिकृत व्यवहारी अभिव्यक्ति को जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उक्त धारा के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है ताकि उसका वही अर्थ हो, जो उसे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा (2) के खंड (ख) दिया गया है। इसके अलावा, स्पष्टीकरण में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के संबंध में उल्लेख किया गया है। वर्ष 1999 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) प्रवर्तित किया गया था और इसे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के स्थान पर लाया गया था। फेमा में "प्राधिकृत व्यवहारी" अभिव्यक्ति को "प्राधिकृत व्यक्ति" अभिव्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के द्वारा प्रतिस्थापन को देखते हुए आयकर अधिनियम की धारा 204 में एक संशोधन किया गया है जिसके द्वारा "प्राधिकृत व्यवहारी" शब्दों को "प्राधिकृत व्यक्ति" शब्दों के द्वारा बदला गया है। इसके अलावा "प्राधिकृत व्यक्ति" को परिभाषित किया गया है ताकि इसका वही अर्थ हो इसका विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ग) में है। यह संशोधन अप्रैल, 2013 से प्रभावी है।
कुछेक अनिवासी ऋणपत्र (बान्ड) धारियों को धारा 206कक के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करने की अपेक्षा से छूट	आयकर अधिनियम की धारा 194उग के अंतर्गत ऋण करार के अंतर्गत या दीर्घकालिक अवसंरचना ऋणपत्र (बान्ड) के जरिए विदेशी मुद्रा में उधार ली गई धनराशि पर किसी भारतीय कंपनी द्वारा किसी अनिवासी को ब्याज की अदायगी पर 20 प्रतिशत की दर से कर कटौती की सामान्य दर के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से कर की कटौती की जाती है। अधिनियम की धारा 206क के अंतर्गत यदि ऐसा अनिवासी अदाकर्ता को अपना स्थायी खाता संख्या उपलब्ध नहीं कराता है तो कर की 20 प्रतिशत की दर से कटौती किया जाना अपेक्षित है।

	अनिवासी बंधपत्र धारियों से पैन प्राप्त करने में आने वाली व्यवहार्य कठिनाइयों को ध्यान से रखते हुए धारा 206कक को संशोधित किया गया है ताकि यह व्यवस्था हो सके कि आयकर अधिनियम की धारा 206कक के उपबंध आयकर अधिनियम की धारा 194उग में उल्लिखित दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों पर किसी अनिवासी को संदत व्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे। यह संशोधन 1 जून, 2013 से प्रभावी हुआ है।
10 ग्राम अथवा इससे कम वजन के किसी सिक्के या किसी अन्य वस्तु की नकदी बिक्री के संबंध में स्रोत पर कर संग्रहण करने से छूट को हटाना	वित्त अधिनियम, 2012 के द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 206ग को यह व्यवस्था करने हेतु संशोधित किया गया है कि सोना-चांदी या आभूषणों का विक्रेता सोना-चांदी या आभूषणों के प्रत्येक क्रेता से यदि बिक्री प्रतिफल या नकदी में बिक्री क्रमशः दो लाख रुपये या पांच लाख रुपये से अधिक है, तो प्रतिफल के एक प्रतिशत की दर से कर संग्रहण करेगा। इसके अलावा यह भी व्यवस्था की गई है सोना-चांदी में 10 ग्राम या इससे कम बजन का कोई सिक्का या कोई अन्य वस्तु शामिल नहीं होगी। जैसा कि सोने-चांदी की नकद बिक्री पर स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) करने के लिए बिक्री प्रतिफल की अवसीमा पहले ही दे दी गई है, अतः 10 ग्राम वजन के किसी सिक्के या किसी अन्य वस्तु की नकद बिक्री पर स्रोत पर कर संग्रहण से अलग से छूट देने का कोई औचित्य नहीं है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए धारा 206ग को 10 ग्राम वजन के किसी सिक्के या अन्य वस्तु की नकद बिक्री पर उपलब्ध करायी गई स्रोत पर कर संग्रहण करने से अलग से छूट को वापस लेने हेतु संशोधित किया गया है। यह संशोधन 1 जून, 2013 से प्रभावी है।
अपील अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति	आयकर अधिनियम की धारा 252 के उपबंधों में अन्य बातों के साथ-साथ आयकर अपील अधिकरण गठित करने, न्यायिक सदस्यों और लेखा सदस्यों की अर्हता, अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्ति के बारे में व्यवस्था मौजूद है। धारा 252 की उपधारा (3) में यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार वरिष्ठ उपाध्यक्षों को नियुक्त करेगी या अपील अधिकरण के उपाध्यक्षों में से एक को इसका अध्यक्ष नियुक्त करेगी। अध्यक्ष का चयन वरिष्ठ उपाध्यक्षों में से किया जाता है अथवा उपाध्यक्षों में से एक को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अधिकरण के अध्यक्ष पद पर एक उपयुक्त अभ्यर्थी के चयन में व्यापक विकल्पों के लिए व्यवस्था करने की दृष्टि से न्यायपालिका से व्यक्तियों को शामिल करने हेतु संशोधन किया गया है। तदनुसार, धारा 252 की उपधारा (3) के उपबंधों को यह व्यवस्था करने हेतु संशोधित किया गया है कि केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगी जो उच्च न्यायालय का आसीन या सेवानिवृत्त न्यायधीश है और जिसने उच्च न्यायालय के न्यायधीश के पद पर सात वर्ष से अन्तून वर्षों की सेवा पूरी की हो या अपील अधिकरण के वरिष्ठ उपाध्यक्ष या उपाध्यक्षों में से एक उपाध्यक्ष इसका अध्यक्ष होगा। यह संशोधन 1 जून, 2013 से प्रभावी है।
वार्षिक सूचना विवरणी दायर न करने के लिए धारा 271चक के तहत शास्ति	आयकर अधिनियम की धारा 285खक उसकी उपधारा (2) के अंतर्गत विहित समय के भीतर विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य करती है। इस धारा की उपधारा (5) निर्धारण अधिकारी को तब नोटिस जारी करने की शक्ति प्रदत्त करती है यदि वार्षिक सूचना विवरणी अपेक्षित तिथि तक प्रस्तुत नहीं की गई हो। आयकर अधिनियम की धारा 271 चक में अधिनियम के द्वारा इसे संशोधित किए जाने से पूर्व यह व्यवस्था थी कि यदि कोई व्यक्ति जिससे आयकर अधिनियम की धारा 285खक की उपधारा (1) के अंतर्गत यथा अपेक्षित वार्षिक सूचना विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, उस उपधारा के अंतर्गत विहित समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उक्त उपधारा के अंतर्गत विहित आयकर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है शास्ति के रूप में सौ रुपये की राशि का संदाय करेगा।

	आयकर अधिनियम की धारा 271चक को यह व्यवस्था करने हेतु संशोधित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिससे आयकर अधिनियम की धारा 285खक की उपधारा (1) के अंतर्गत वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जाती है उसकी उपधारा (2) के अंतर्गत विहित समय के भीतर ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो उक्त धारा की उपधारा (1) के तहत विहित आयकर प्राधिकारी यह निदेश दे सके कि ऐसा व्यक्ति ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, शास्ति के रूप में एक सौ रुपये की राशि का संदाय करेगा। आगे यह भी व्यवस्था की गई है कि जहां पर ऐसा व्यक्ति धारा 285खक की उपधारा (5) के अंतर्गत नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह जिस दिन को विवरणी प्रस्तुत करने के लिए ऐसे नोटिस में विनिर्दिष्ट समयावधि समाप्त होती है, उस दिन के तत्काल बाद अगले दिन से शुरू होकर ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें असफलता जारी रहती है, शास्ति के रूप में पांच सौ रुपये की राशि अदा करेगा। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी हुआ है।

13.10 अंतर्राष्ट्रीय कराधान

3.10.1 दोहरे कराधान परिहार्य करारों और कर सूचना आदान-प्रदान करारों के संबंध में बातचीत करना

विदेश कर और कर अनुसंधान कराधान प्रभाग (एफ टी एंड टी आर) प्रभाग कर संबंधी करारों अर्थात् दोहरे कराधान परिहार्य करारों (डी टी ए ए) और कर सूचना आदान प्रदान करारों (टी आई ई ए) के बारे में बातचीत करता है और उन्हें अंतिम रूप देता है। कैलेण्डर वर्ष 2013 के दौरान इस संबंध में निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:-

(क) इथोपिया, उरुग्वे, अल्बानिया तथा लाटविया के साथ क्रमशः 21.2.2013, 21.6.2013, 4.12.2013 तथा 28.12.2013 को चार नए दोहरे कराधान परिहार्य करार (डीटीएए) लागू किए गए जिनसे 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार प्रवृत्त डीटीएए की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। नए दोहरे कराधान परिहार्य करार जिन पर हस्ताक्षर तो किए गए हैं परंतु अभी लागू नहीं हुए हैं, कलोम्बिया (13.5.2011 को हस्ताक्षरित), भुटान (4.3.2013 को हस्ताक्षरित), मेसिडोनिया (17.12.2013 को हस्ताक्षरित) तथा फिजि (30.1.2014 को हस्ताक्षरित- 29.4.2014 को लागू हुआ) हैं।

(ख) रोमानिया के साथ मौजूदा डीटीएए के स्थान पर एक नया संशोधित डीटीएए 26 दिसम्बर, 2013 से प्रवृत्त हुआ है।

(ग) मौजूदा डीटीएए के स्थान पर माल्टा के साथ एक नए संशोधित डीटीएए पर माल्टा में 10.4.2013 को हस्ताक्षर किए गए। मौजूदा डीटीएए को प्रतिस्थापित करते हुए भारत और श्री लंका के बीच एक नये संशोधित डीटीएए पर 22 जनवरी, 2013 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(घ) वर्ष के दौरान अर्जेंटीना (28.1.2013), जिब्राल्टर (11.3.2013), मोनाको (27.3.2013), बहरीन (11.4.2013), बेलिज (18.12.2013) तथा लिच्टेनस्टीन (20.1.2014) के साथ छः नए कर सूचना आदान-प्रदान करार (टी आई ई ए) लागू किए गए, जिनके साथ कर सूचना आदान-प्रदान करारों (टी आई ई ए) की 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कुल संख्या बढ़कर 16 हो गई है। कर सूचना आदान-प्रदान करार जिस पर हस्ताक्षर तो किए गए हैं

परंतु अभी लागू नहीं हुआ है, सेन मरीनों (19.12.2013 को हस्ताक्षरित) के साथ किया गया है।

(ड.) मौजूदा दोहरे कराधान परिहार्य करारों को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित संशोधनकारी प्रोटोकॉल जिनका मुख्य उद्देश्य सूचना के आदान प्रदान (बैंकिंग सूचना और स्वदेशी हित के बिना सूचना के आदान प्रदान सहित) संबंधी व्यवस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर लाना है, प्रवृत्त हुए हैं।

(i) मलेशिया के साथ संशोधनकारी प्रोटोकॉल 26 दिसम्बर, 2012 को प्रवृत्त हुआ था, और इसे 29 जनवरी, 2013 को अधिसूचित किया गया था।

(ii) यू ए ई के साथ संशोधनकारी प्रोटोकॉल 12 मार्च, 2013 को प्रवृत्त हुआ था और उसे 12 अप्रैल, 2013 को अधिसूचित किया गया था।

(iii) बंगलादेश के साथ संशोधनकारी प्रोटोकॉल 13 जून, 2013 को प्रवृत्त हुआ था और उसे 4 जुलाई, 2013 को अधिसूचित किया गया था।

(iv) स्वीडन के साथ संशोधनकारी प्रोटोकॉल 16 अगस्त, 2013 को प्रवृत्त हुआ।

(v) अस्ट्रेलिया के साथ संशोधनकारी प्रोटोकॉल 2 अप्रैल, 2013 को प्रवृत्त हुआ था और उसे 20 सितम्बर 2013 को अधिसूचित किया गया था।

(vi) यूनाइटेड किंगडम के साथ संशोधनकारी प्रोटोकॉल 27 दिसम्बर, 2013 को प्रवृत्त हुआ था।

(च) मौजूदा दोहरे कराधान परिहार्य करारों को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित संशोधनकारी प्रोटोकॉल, जिनका मुख्य उद्देश्य सूचना के आदान प्रदान संबंधी व्यवस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर तक लाना है, पर हस्ताक्षर किए गए थे:-

(i) पोलैंड के साथ संशोधनकारी प्रोटोकॉल पर वारसा, पोलैंड में 29 अप्रैल, 2013 को हस्ताक्षर किए गए।

(ii) स्वीडन के साथ संशोधनकारी प्रोटोकॉल पर स्टॉकहोम, स्वीडन में 7 फरवरी, 2013 को हस्ताक्षर किए गए।

- (iii) बांग्लादेश के साथ संशोधनकारी प्रोटोकॉल पर ढाका, बांग्लादेश में 16 फरवरी, 2013 को हस्ताक्षर किए गए।
- (iv) रोमानिया के साथ संशोधनकारी प्रोटोकॉल पर रोमानिया में 8 मार्च, 2013 को हस्ताक्षर किए गए।
- (v) मोरक्को के साथ संशोधनकारी प्रोटोकॉल पर नई दिल्ली में 8 अगस्त, 2013 को हस्ताक्षर किए गए।
- (vi) दक्षिणी अफ्रीका के संशोधनकारी प्रोटोकॉल पर प्रीटोरिया, दक्षिणी अफ्रीका में 26 जुलाई, 2013 को हस्ताक्षर किए गए।
- (vii) डेनमार्क के साथ संशोधनकारी प्रोटोकॉल पर कोपनहैगन, डेनमार्क में 10 अक्टूबर, 2013 को हस्ताक्षर किए गए।
- (viii) ब्राजील के साथ संशोधनकारी प्रोटोकॉल पर ब्रासिलिया, ब्राजील में 15 अक्टूबर, 2013 को हस्ताक्षर किए गए।

3.10.2 सूचना के आदान-प्रदान के लिए दस्तावेज

कर अपवंचन को रोकने और परिहार के लिए अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग हेतु मुख्य तत्व कर प्रयोजनों के लिए सूचना का आदान-प्रदान करना है और ऐसे सहयोग में सुविधा हेतु तथा अनुरोधकर्ता राज्य को सहायता उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किए गए राज्य पर विधिक दायित्व डालने के लिए दोहरे कराधान परिहार्य करार और कर सूचना आदान-प्रदान करार विधिक दस्तावेज हैं। यह विधिक दायित्व बहुपक्षीय दस्तावेजों, कर मामलों में परस्पर प्रशासनिक सहायता के संबंध में बहुपक्षीय अभिसमय तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) तक सीमित बहुपक्षीय करार जैसे दस्तावेजों से भी पैदा होता है।

कर मामलों में परस्पर प्रशासनिक सहायता के संबंध में बहुपक्षीय अभिसमय (कन्वेंशन) जिस पर 26 जनवरी, 2012 को हस्ताक्षर किए गए थे, का 2 फरवरी, 2012 को अनुसमर्थन किया गया था और भारत के लिए 1 जून, 2012 को लागू हो गया था। 31 मार्च, 2014 के अंत तक अभिसमय पर 66 देशों ने हस्ताक्षर कर दिये हैं और 4 देशों ने इस पर हस्ताक्षर करने हेतु आशय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और क्षेत्रीय विस्तार के रूप में अब 13 अधिकार क्षेत्रों को कवर कर लिया गया है। 36 हस्ताक्षरकर्ता देशों ने अब अनुसमर्थन के लिए अपने दस्तावेज जमा कर दिए हैं। बहुपक्षीय अभिसमय विदेश में कर संग्रहण, सूचना के स्वतः आदान-प्रदान और कर जांच में सहायता सहित सूचना के आदान-प्रदान के क्षेत्रों में अभिसमय के पक्षकारों के बीच व्यापक प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराता है। ओ ई सी डी ब्लाक और यूरोपीय परिषद से बाहर भारत पहला देश है जो इस अभिसमय में सम्मिलित हुआ है और इसे इस समन्वयकारी निकाय के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।

सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ) के सदस्य देशों ने दोहरे कराधान परिहार और कर मामलों में परस्पर प्रशासनिक सहायता के संबंध में एक सीमित बहुपक्षीय करार पर 13 नवम्बर, 2005 को हस्ताक्षर किए थे जो 1.4.2011 से प्रवृत्त हुआ है।

दोहरे कराधान परिहार्य करारों/कर सूचना आदान-प्रदान करारों/ बहुपक्षीय करारों के अंतर्गत कर प्राधिकारी करों के निश्चयन, निर्धारण और संग्रहण, वसूली के लिए संगत सूचना हेतु कर और कर दावों के प्रवर्तन और कर मामलों में जांच और अभियोजन के लिए नीचे संक्षेप में वर्णित बहुत से अधिकार क्षेत्रों से अनुरोध कर सकते हैं।

(31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार भारत के सूचना आदान-प्रदान संबंधी दस्तावेज)

सं.	क्षेत्राधिकार	सूचना के आदान-प्रदान (ईओआई) करार की किस्म	हस्ताक्षर करने की तारीख	प्रवृत्त होने की तारीख
1.	अफगानिस्तान	सार्क बहुपक्षीय करार	13.11.2005	19.5.2010
2.	अल्बानिया	दोहरा कराधान अभिसमय (डीटीसी)	08.07.2013	4.12.2013
		बहुपक्षीय अभिसमय	1.3.2013	1.12.2013
3.	अंडोरा	बहुपक्षीय अभिसमय	05.11.2013	अभी तक अंडोरा में लागू नहीं है।
4.	अंगुइल्ला	बहुपक्षीय अभिसमय	यूनाइटेड किंगडम द्वारा विस्तार	01.03.2014
5.	अर्जेंटीना	कराधान सूचना आदान-प्रदान करार (टीआईईए)	21.11.2011	28.01.2013
		बहुपक्षीय अभिसमय	03.11.2011	01.01.2013
6.	आर्मेनिया	दोहरा कराधान अभिसमय (डीटीसी)	31.10.2003	09.09.2004
7.	अरूबा	बहुपक्षीय अभिसमय	नीदरलैंड द्वारा विस्तार	01.09.2013
8.	ऑस्ट्रेलिया	दोहरा कराधान अभिसमय (डीटीसी)	25.07.1991	30.12.1991
		प्रोटोकॉल	16.12.2011	02.04.2013
		बहुपक्षीय अभिसमय	03.11.2011	01.12.2012

9. ऑस्ट्रिया	दोहरा कराधान अभिसमय (डीटीसी)	08.11.1999	05.09.2001
	बहुपक्षीय अभिसमय	29.5.2013	आस्ट्रिया में अभी तक लागू नहीं है।
10. बहामास	टीआईईए	11.02.2011	01.03.2011
11. बहरीन	टीआईईए	31.05.2012	11.04.2013
12. बांग्लादेश	दोहरा कराधान अभिसमय (डीटीसी)	27.08.1991	27.05.1992
	प्रोटोकॉल	16.02.2013	13.06.2013
	सार्क बहुपक्षीय करार	13.11.2005	19.05.2010
13. बेलारूस	डीटीसी	27.09.1997	17.07.1998
14. बेल्जियम	डीटीसी	26.04.1993	01.10.1997
	बहुपक्षीय करार	04.04.2011	बेल्जियम में अभी तक लागू नहीं है।
15. बेलिज	टीआईईए	18.09.2013	18.12.2013
	बहुपक्षीय अभिसमय	29.05.2013	01.09.2013
16. बरमुडा	टीआईईए	07.10.2010	03.11.2010
	बहुपक्षीय अभिसमय	यूनाइटेड किंगडम द्वारा विस्तार	01.03.2014
17. भूटान	सार्क बहुपक्षीय करार	13.11.2005	19.05.2010
	डीटीसी	04.03.2013	अभी तक लागू नहीं है।
18. बोत्सवाना	डीटीसी	08.12.2006	30.01.2008
19. ब्राजील	डीटीसी	26.04.1988	11.03.1992
	प्रोटोकॉल	15.10.2013	अभी तक लागू नहीं है।
	बहुपक्षीय अभिसमय	03.11.2011	ब्राजील में अभी तक लागू नहीं है।
20. ब्रिटिश वर्जिन आयलैंड	बहुपक्षीय अभिसमय	यूनाइटेड किंगडम द्वारा विस्तार	01.03.2014
21. बुल्गारिया	डीटीसी	26.05.1994	23.06.1995
22. कनाडा	डीटीसी	11.01.1996	06.05.1997
	बहुपक्षीय अभिसमय	03.11.2011	01.03.2014
23. कायमैन आयलैंड	टीआईईए	21.03.2011	08.11.2011
	बहुपक्षीय अभिसमय	यूनाइटेड किंगडम द्वारा विस्तार	01.01.2014
24. चीन	डीटीसी	18.07.1994	21.11.1994
	बहुपक्षीय अभिसमय	27.08.2013	चीन में अभी तक लागू नहीं है।
25. चाइनीज ताइपेई (ताइवान)	डीटीसी	12.07.2011	12.08.2011
26. चिली	बहुपक्षीय अभिसमय	24.10.2013	चिली में अभी तक लागू नहीं है।
27. कोलम्बिया	डीटीसी	13.05.2011	अभी लागू नहीं है।
	बहुपक्षीय अभिसमय	23.05.2012	1.7.2014
28. कोस्ट राइसा	बहुपक्षीय अभिसमय	01.03.2012	01.08.2013
29. क्रोएशिया	बहुपक्षीय अभिसमय	11.10.2013	1.6.2014
30. करेकाओ	बहुपक्षीय अभिसमय	नीदरलैंड द्वारा विस्तार	01.09.2013

31. साइप्रस	डीटीसी	13.06.1994	21.12.1994
32. चेक गणराज्य	डीटीसी	01.10.1998	27.09.1999
	बहुपक्षीय अभिसमय	26.10.2012	01.02.2014
33. डेनमार्क	डीटीसी	08.03.1989	13.06.1989
	प्रोटोकॉल	10.10.2013	अभी तक लागू नहीं है ।
	बहुपक्षीय अभिसमय	27.05.2010	01.06.2012
34. मिस्र (संयुक्त अरब रिपब्लिक)	डीटीसी	20.02.1969	30.09.1969
35. एस्टोनिया	डीटीसी	19.09.2011	20.06.2012
	बहुपक्षीय अभिसमय	29.05.2013	एस्टोनिया में अभी तक लागू नहीं है ।
36. इथोपिया	डीटीसी	25.05.2011	15.10.2012
37. फेरो आइलैंड	बहुपक्षीय अभिसमय	डेनमार्क द्वारा विस्तार	01.06.2011
38. फिजी	डीटीसी	30.01.2014	29.04.2014
39. फिनलैंड	डीटीसी	15.01.2010	19.04.2010
	बहुपक्षीय अभिसमय	27.05.2010	01.06.2011
40. फ्रांस	डीटीसी	29.09.1992	01.08.1994
	बहुपक्षीय अभिसमय	27.05.2010	01.06.2012
41. जॉर्जिया	डीटीसी	24.08.2011	08.12.2011
	बहुपक्षीय अभिसमय	03.11.2010	01.06.2011
42. जर्मनी	डीटीसी	19.06.1995	26.10.1996
	बहुपक्षीय अभिसमय	03.11.2011	जर्मनी में अभी तक लागू नहीं है ।
43. घाना	बहुपक्षीय अभिसमय	10.07.2012	01.09.2013
44. जिब्राल्टर	टीआईईए	01.02.2013	11.03.2013
	बहुपक्षीय अभिसमय	यूनाइटेड किंगडम द्वारा विस्तार	01.03.2014
45. ग्रीन लैंड	बहुपक्षीय अभिसमय	डेनमार्क द्वारा विस्तार	01.06.2011
46. यूनान (ग्रीस)	डीटीसी	11.02.1965	17.03.1967
	बहुपक्षीय अभिसमय	21.02.2012	01.09.2013
47. ग्वाटेमाला	बहुपक्षीय अभिसमय	05.12.2012	ग्वाटेमाला में अभी तक लागू नहीं है ।
48. ग्वारनसे	टीआईईए	20.12.2011	11.06.2012
49. हंगरी	डीटीसी	03.11.2003	04.03.2005
	बहुपक्षीय अभिसमय	12.11.2013	हंगरी में अभी तक लागू नहीं है ।
50. आइसलैंड	डीटीसी	23.11.2007	21.12.2007
	बहुपक्षीय अभिसमय	27.05.2010	01.02.2012
51. इंडोनेशिया	डीटीसी	07.08.1987	19.12.1987
	संशोधित डीटीसी	27.07.2012	अभी तक लागू नहीं है ।
	बहुपक्षीय अभिसमय	03.11.2011	इंडोनेशिया में अभी तक लागू नहीं है ।

52. आयरलैंड	डीटीसी	06.11.2000	26.12.2001
	बहुपक्षीय अभिसमय	30.06.2011	01.09.2013
53. इजले ऑफ मेन	टीआईईए	04.02.2011	17.03.2011
	बहुपक्षीय अभिसमय	यूनाइटेड किंगडम द्वारा विस्तार	01.03.2014
54. इजराइल	डीटीसी	29.01.1996	15.05.1996
55. इटली	डीटीसी	19.02.1993	23.11.1995
	बहुपक्षीय अभिसमय	27.05.2010	01.05.2012
56. जापान	डीटीसी	07.03.1989	29.12.1989
	बहुपक्षीय अभिसमय	03.11.2011	01.10.2013
57. जर्सी	टीआईईए	03.11.2011	08.05.2012
58. जॉर्डन	डीटीसी	20.04.1999	16.10.1999
59. कजाखस्तान	डीटीसी	09.12.1996	02.10.1997
	बहुपक्षीय अभिसमय	23.12.2013	कजाखस्तान में अभी तक लागू नहीं है ।
60. केनिया	डीटीसी	12.04.1985	20.08.1985
61. कोरिया (गणराज्य)	डीटीसी	19.07.1985	01.08.1986
	बहुपक्षीय अभिसमय	27.05.2010	01.07.2012
62. कुवैत	डीटीसी	15.06.2006	17.10.2007
63. करजेई रिपब्लिक	डीटीसी	13.04.1999	10.01.2001
64. लाटविया	डीटीसी	18.09.2013	28.12.2013
	बहुपक्षीय अभिसमय	29.05.2013	लाटविया में अभी तक लागू नहीं है ।
65. लाइचटेनस्टीन	टीआईईए	28.03.2013	20.01.2014
	बहुपक्षीय अभिसमय	21.11.2013	लाइचटेनस्टीन में अभी तक लागू नहीं है ।
66. लाइबेरिया	टीआईईए	03.10.2011	30.03.2012
67. लीबिया	डीटीसी	02.03.1981	01.07.1982
68. लिथुआनिया	डीटीसी	26.07.2011	10.07.2012
	बहुपक्षीय अभिसमय	07.03.2013	लिथुआनिया में अभी तक लागू नहीं है ।
69. लक्जमबर्ग	डीटीसी	02.06.2008	09.07.2009
	बहुपक्षीय अभिसमय	29.05.2013	लक्जमबर्ग में अभी तक लागू नहीं है ।
70. मकायू चीन	टीआईईए	03.01.2012	16.04.2012
71. मकदोनिया	डीटीसी	17.12.2013	अभी तक लागू नहीं है ।
72. मलेशिया	डीटीसी	14.05.2001	14.08.2003
	संशोधित डीटीसी	09.05.2012	26.12.2012
73. मालदीव	सार्क बहुपक्षीय करार	हस्ताक्षरित	01.04.2011
74. माल्टा	डीटीसी	13.11.2005	19.05.2010
	संशोधित डीटीसी	08.04.2013	अभी तक लागू नहीं है ।
	बहुपक्षीय अभिसमय	26.10.2012	01.09.2013

75	मॉरिशस	डीटीसी	24.08.1982	06.12.1983
76	मैक्सिको	डीटीसी	10.09.2007	01.02.2010
		बहुपक्षीय अभिसमय	27.05.2010	01.09.2012
77	मोल्डोवा	बहुपक्षीय अभिसमय	27.01.2011	01.03.2012
78	मोनेक्को	टीआईईए	31.07.2012	27.03.2013
79	मंगोलिया	डीटीसी	22.02.1994	29.03.1996
80	मोण्टेनएग्रो	डीटीसी	08.02.2006	23.09.2008
81	मांटसेरात	बहुपक्षीय अभिसमय	यूनाइटेड किंगडम द्वारा विस्तार	01.10.2013
82	मोरक्को	डीटीसी	30.10.1998	20.02.2000
		प्रोटोकॉल	08.08.2013	अभी तक लागू नहीं है ।
		बहुपक्षीय अभिसमय	21.05.2013	मोरक्को में अभी तक लागू नहीं है ।
83	मोजाम्बिक	डीटीसी	30.09.2010	28.02.2011
84	म्यांमार	डीटीसी	02.04.2008	30.01.2009
85	नामीबिया	डीटीसी	15.02.1997	22.01.1999
86	नेपाल	डीटीसी	27.11.2011	16.03.2012
		सार्क बहुपक्षीय करार	13.11.2005	19.05.2010
87	नीदरलैंड	डीटीसी	30.07.1988	21.01.1989
		प्रोटोकॉल	10.05.2012	02.11.2012
		बहुपक्षीय अभिसमय	27.05.2010	01.09.2013
88	न्यूजीलैंड	डीटीसी	17.10.1986	03.12.1986
		बहुपक्षीय अभिसमय	26.10.2012	01.03.2014
89	नाइजीरिया	बहुपक्षीय अभिसमय	29.05.2013	नाइजीरिया में अभी तक लागू नहीं है ।
90	नार्वे	डीटीसी	02.02.2011	20.12.2011
		बहुपक्षीय अभिसमय	27.05.2010	01.06.2011
91	ओमान	डीटीसी	02.04.1997	03.06.1997
92	पाकिस्तान	सार्क बहुपक्षीय करार	13.11.2005	19.05.2010
93	फिलीपिन्स	डीटीसी	12.02.1996	21.03.1994
94	पोलैण्ड	डीटीसी	21.06.1989	26.10.1989
		प्रोटोकॉल	29.01.2013	अभी तक लागू नहीं है ।
		बहुपक्षीय अभिसमय	09.07.2010	01.10.2011
95	पुर्तगाल	डीटीसी	11.09.1998	30.04.2000
		बहुपक्षीय अभिसमय	27.05.2010	पुर्तगाल में अभी तक लागू नहीं है ।
96	कतर	डीटीसी	07.04.1999	15.01.2000
97	रोमानिया	डीटीसी	10.03.1987	14.11.1987
		संशोधित डीटीसी	08.03.2013	26.12.2013
		बहुपक्षीय अभिसमय	15.10.2012	रोमानिया में अभी तक लागू नहीं है ।
98	रूस	डीटीसी	25.03.1997	11.04.1998
		बहुपक्षीय अभिसमय	03.11.2011	रूस में अभी तक लागू नहीं है ।

99	सेन मैरिनो	टीआईईए	19.12.2013	अभी तक लागू नहीं है ।
		बहुपक्षीय अभिसमय	21.11.2013	सेन मैरिनो में अभी तक लागू नहीं है ।
100	सऊदी अरब	डीटीसी	25.01.2006	01.11.2006
		बहुपक्षीय अभिसमय	29.05.2013	सऊदी अरब में अभी तक लागू नहीं है ।
101	सर्बिया	डीटीसी	08.02.2006	23.09.2008
102	सिंगापुर	डीटीसी	24.01.1994	27.05.1994
		डीटीसी प्रोटोकॉल	12.08.2011	01.09.2011
		बहुपक्षीय अभिसमय	29.05.2013	सिंगापुर में अभी तक लागू नहीं है ।
103	सेंट मार्टिन	बहुपक्षीय अभिसमय	नीदरलैंड द्वारा विस्तार	01.09.2013
104	स्लोवाक (गणराज्य)	बहुपक्षीय अभिसमय	29.05.2013	01.03.2014
105	स्लोवेनियां	डीटीसी	13.01.2003	17.02.2005
		बहुपक्षीय अभिसमय	27.05.2010	01.06.2012
106	साउथ अफ्रीका	डीटीसी	04.12.1996	28.11.1997
		प्रोटोकॉल	26.7.2013	अभी तक लागू नहीं है ।
		बहुपक्षीय अभिसमय	03.11.2011	01.03.2014
107	स्पेन	डीटीसी	08.02.1993	12.01.1995
		प्रोटोकॉल	26.10.2012	अभी तक लागू नहीं है ।
		बहुपक्षीय अभिसमय	11.03.2011	01.01.2013
108	श्री लंका	डीटीसी	27.01.1982	19.04.1983
		संशोधित डीटीसी	22.01.2013	अभी तक लागू नहीं है ।
		सार्क बहुपक्षीय करार	13.11.2005	19.05.2010
109	सूडान	डीटीसी	22.10.2003	15.04.2004
110	स्वीडन	डीटीसी	24.06.1997	25.12.1997
		प्रोटोकॉल	07.02.2013	16.08.2013
		बहुपक्षीय अभिसमय	27.05.2011	01.06.2012
111	स्वीटजरलैंड	डीटीसी	02.11.1994	29.12.1994
		प्रोटोकॉल	30.08.2010	07.10.2011
		बहुपक्षीय अभिसमय	15.10.2013	स्वीटजरलैंड में अभी तक लागू नहीं है ।
112	सीरिया	डीटीसी	18.06.2008	10.11.2008
113	तंजानिया	डीटीसी	27.05.2011	12.12.2011
114	ताजिकिस्तान	डीटीसी	20.11.2008	10.04.2009
115	थाइलैंड	डीटीसी	22.03.1985	13.03.1986
116	त्रिनिदाद एंड टोबेगो	डीटीसी	08.02.1999	13.10.1999
117	ट्यूनिशिया	बहुपक्षीय अभिसमय	16.07.2012	01.02.2014
118	टर्की	डीटीसी	31.01.1995	01.02.1997
		बहुपक्षीय अभिसमय	03.11.2011	टर्की में अभी तक लागू नहीं है ।

119 तुर्कमेनिस्तान	डीटीसी	25.02.1997	07.07.1997
120 टर्क्स एंड कैइकोस	बहुपक्षीय अभिसमय	यूनाइटेड किंगडम द्वारा विस्तार	01.12.2013
121 युगांडा	डीटीसी	30.04.2004	27.08.2004
122 यूक्रेन	डीटीसी	07.04.1999	31.10.2001
	बहुपक्षीय अभिसमय	27.05.2010	01.09.2013
123 संयुक्त अरब अमीरात	डीटीसी	29.04.1992	22.09.1993
	प्रोटोकॉल	26.03.2007	03.10.2007
	प्रोटोकॉल	16.04.2012	12.03.2013
124 यूनाइटेड किंगडम	डीटीसी	25.01.1993	26.10.1993
	प्रोटोकॉल	30.10.2012	27.12.2013
	बहुपक्षीय अभिसमय	27.05.2010	01.10.2011
125 संयुक्त राज्य	डीटीसी	12.09.1989	18.12.1990
	बहुपक्षीय अभिसमय	27.05.2010	संयुक्त राज्य में अभी तक लागू नहीं है।
126 उरुग्वे	डीटीसी	08.09.2011	21.6.2013
127 उज्बेकिस्तान	डीटीसी	29.07.1993	25.01.1994
	प्रोटोकॉल	11.04.2012	20.07.2012
128 वर्जिन आयलैंड (ब्रिटिश)	टीआईईए	09.02.2011	22.08.2011
129 वियतनाम	डीटीसी	07.09.1994	02.02.1995
130 जांबिया	डीटीसी	05.06.1981	18.01.1984

3.10.3 साइप्रस को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 94क के तहत अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करना

अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित व्यक्तियों के साथ संव्यवहारों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 94क को अपवंचन रोधी उपाय के रूप में वित्त अधिनियम, 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। धारा 94क के अनुसार केन्द्रीय सरकार, भारत से बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र के साथ सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान के अभाव को ध्यान में रखते हुए ऐसे देश या राज्य क्षेत्र को किसी निर्धारिती द्वारा किए गए किन्ही संव्यवहारों के संबंध में अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है। धारा 94क के अंतर्गत इन नियमों को आयकर नियमावली, 1962 में नियम 21कग और फार्म 10चग को अंतःस्थापित करके का.आ. 1856 (अ), दिनांक 26 जून, 2013 के जरिए आयकर (8वां संशोधन) नियम, 2013 के रूप में अधिसूचित किया गया था।

भारत और साइप्रस ने आय के दोहरे कराधान से बचने के लिए तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए एक करार किया था जो 21 दिसम्बर, 1994 से लागू है। इस करार के तहत दोनों संविदाकार राज्य ऐसी सूचना के आदान-प्रदान के लिए विधिक रूप से बाध्य हैं जो करार के उपबंधों अथवा संविदाकारी राज्यों के स्वदेशी कानूनों को लागू करने, विशेष रूप से करों की हेरा-फेरी या अपवंचन करने को रोकने हेतु आवश्यक हो।

चूंकि साइप्रस करार के सूचना के आदान-प्रदान संबंधी उपबंधों के अंतर्गत भारतीय प्राधिकारियों द्वारा मांगी गई सूचना को उपलब्ध नहीं कर रहा है अतः साइप्रस को दिनांक 1 नवम्बर, 2013 की अधिसूचना सं.86/2013, जो सरकारी राजपत्र में का.आ.4625

जी एल/13 के जरिए प्रकाशित हुई थी, के द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 94क के अंतर्गत एक अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है।

ऐसी अधिसूचना के निहितार्थों को संक्षिप्त रूप में नीचे दिया गया है:-

- Ø यदि कोई निर्धारिती साइप्रस में किसी व्यक्ति के साथ संव्यवहार करता है तो संव्यवहार से संबंधित सभी पक्षकारों को सहबद्ध उद्यमी माना जाएगा और संव्यवहार को अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार समझा जाएगा जिसके परिणामस्वरूप दस्तावेजों के अनुरक्षण सहित अंतरण मूल्यांकन विनियमों का अनुप्रयोग होगा {धारा 94क (2)}
- Ø साइप्रस में किसी वित्तीय संस्था को की गई किसी अदायगी के संबंध में कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारिती ऐसा कोई प्राधिकार प्रस्तुत नहीं करता है जिसमें उक्त वित्तीय संस्था से संगत सूचना मांगे जाने के बारे में अनुमति दी गई हो। नियम 21कग तथा फार्म 10चग के साथ पठित {धारा 94क (3)क}
- Ø साइप्रस में अवस्थित किसी व्यक्ति के साथ संव्यवहार से उद्भूत होने वाले किसी अन्य व्यय अथवा मोक के संबंध में तब तक कोई कटौती नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारिती विहित सूचना नहीं रखता है अथवा प्रस्तुत नहीं कर देता है। {नियम 21कग के साथ पठित धारा 94क (3)ख}
- Ø यदि साइप्रस में अवस्थित किसी व्यक्ति से कोई राशि प्राप्त होती है तो यह जिम्मेवारी निर्धारिती की होगी कि वह ऐसे व्यक्ति के पास या फायदाग्राही स्वामी के पास उक्त राशि होने

के स्रोत के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण दे, यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो इस राशि को निर्धारिती की आय माना जाएगा {धारा 94क (4)}

- Ø साइप्रस में अवस्थित किसी व्यक्ति को की गई किसी अदायगी की राशि पर 30 प्रतिशत की दर से या अधिनियम में विहित दर से, जो भी अधिक हो, कर की कटौती की जा सकती है। {धारा 94क (5)}

13.10.4 कर प्रयोजनों के लिए पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान के संबंध में वैश्विक मंच (फोरम)

भारत कर प्रयोजनों के लिए पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान के संबंध में वैश्विक मंच (ग्लोबल फोरम) विशिष्ट (पीयर) समीक्षा समूह (पीआरजी) का उपाध्यक्ष है और बहुत से क्षेत्राधिकारों का मूल्यांकन करने तथा विशिष्ट (पीयर) समीक्षा करने हेतु लिखित रूप में तथा पीआरजी की बैठकों के दौरान, दोनों ही रूपों में मूल्यवान सुझाव दिए हैं। पीयर समीक्षा रिपोर्टों में वैश्विक फोरम द्वारा की गई सिफारिशों के परिणामस्वरूप कर प्रयोजनों के लिए पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समरूप बनाने हेतु बहुत से देशों के कानूनों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन किए गए हैं।

विशिष्ट समीक्षा समूह की जून, 2013 में हुई तेरहवीं बैठक में सूचना के आदान-प्रदान के लिए विधिक और विनियामक कार्य ढांचे के व्यवहार्य कार्यान्वयन के संबंध में भारत की सोपान 2 रिपोर्ट अनुमोदित की गई थी। इसके बाद ग्लोबल फोरम से चार कर निर्धारकों (असेसर्स) ने भारत का स्थल पर दौरा किया, जिन्होंने आयकर विभाग के विदेश कर तथा कर अनुसंधान (एफटीएंडटीआर) प्रभाग, जांच और कर निर्धारण स्कंधों, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, एफ आई यू के अधिकारियों तथा अन्य भागीदारों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया और हमारे संधि सहभागियों को सूचना प्रदान करने की भारत की कार्यविधि की जांच की। पीजीआर की ओर से भारत को उत्कृष्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें सूचना उपलब्ध कराने में विलम्ब को कम करने के लिए पहले ही उठाए गए कदमों की निगरानी के अलावा और कोई सिफारिश नहीं की गई है।

वैश्विक मंच ने नवम्बर, 2013 में जकार्ता में हुई इसकी बैठक में पचास क्षेत्राधिकारों के लिए दर्जे (रेटिंग) को भी अनुमोदित किया था जिनकी सोपान 2 समीक्षाएं पूरी की गई थीं। निम्नलिखित दस तथ्यों (अनुपालन, अधिक अनुपालन, आंशिक अनुपालन या अनुपालन न करना) के आधार पर रेटिंग्स आबंटित की गई थी, जिन्हें तीन भागों में बांटा गया था अर्थात् (क) सूचना की उपलब्धता, (ख) सूचना की सुलभता (ग) सूचना का आदान-प्रदान करना आदि के रूप में भी समग्र रेटिंग आबंटित की गई थी।

वैश्विक मंच द्वारा समीक्षा के तथ्य

क. सूचना की उपलब्धता

- क.1 स्वामित्व तथा पहचान सूचना: क्षेत्राधिकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी संगत संगठनों के बारे में स्वामित्व और पहचान सूचना और व्यवस्थाएं सक्षम प्राधिकारियों को उपलब्ध हैं।
- क.2 लेखाकरण सूचना: क्षेत्राधिकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी संगत संगठनों और व्यवस्थाओं के लिए विश्वसनीय लेखाकरण रिकार्ड रखे गए हैं।
- क.3 बैंक सूचना: सभी खाता धारियों के लिए बैंकिंग सूचना उपलब्ध होनी चाहिए।

ख. सूचना की सुलभता

- ख.1 सूचना प्राप्त करने की शक्ति: सक्षम प्राधिकारियों को सूचना प्राप्त करने और मुहैया कराने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, जो किसी ऐसे व्यक्ति से उसके क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर, जो ऐसी सूचना रखता है या उसके नियंत्रण में उपलब्ध है, सूचना के आदान-प्रदान संबंधी करार के अंतर्गत अनुरोध का विषय है।
- ख.2 अधिकार और रक्षोपाय: वे अधिकार और रक्षोपाय जो अनुरोध किए गए क्षेत्राधिकार में व्यक्तियों पर लागू होते हैं सूचना के कारगर आदान-प्रदान के अनुकूल होने चाहिए।

ग. सूचना का आदान-प्रदान

- ग.1 कारगर आदान-प्रदान: सूचना के कारगर आदान-प्रदान के लिए सूचना के आदान-प्रदान की प्रक्रिया मुहैया करायी जानी चाहिए।
- ग.2 करारों का नेटवर्क: सूचना के आदान-प्रदान की प्रक्रिया के क्षेत्राधिकारिक नेटवर्क में सभी संगत सहभागियों को शामिल होना चाहिए।
- ग.3 गोपनीयता: सूचना के आदान-प्रदान संबंधी क्षेत्राधिकारिक प्रक्रिया में इसकी गोपनीयता को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए।
- ग.4 अधिकार और रक्षोपाय: सूचना के आदान-प्रदान संबंधी प्रक्रिया में करदाताओं और तीसरे पक्षों के अधिकारों और रक्षापायों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- ग.5 समय पर आदान-प्रदान: क्षेत्राधिकार को करारों संबंधी सूचना इसके नेटवर्क के अंतर्गत समय पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

भारत को उपर्युक्त सभी दस अनिवार्य तथ्यों के संबंध में अनुपालनकर्ता का दर्जा दिया गया था और तदनुसार 'अनुपालनकर्ता' का समग्र दर्जा (रेटिंग) आबंटित किया गया था। नौ अन्य क्षेत्राधिकार हैं जिन्हें दस अनिवार्य तथ्यों के संबंध में अनुपालनकर्ता का दर्जा दिया गया है। समग्र रेटिंग यह दर्शाती है कि 18 क्षेत्राधिकारों को 'अनुपालनकर्ता' 26 क्षेत्राधिकारों को अधिक अनुपालनकर्ता, 2 क्षेत्राधिकारों को 'आंशिक अनुपालनकर्ता' और 4 क्षेत्राधिकारों को समग्र रूप अनुपालन न करने का दर्जा दिया गया है। ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, साइप्रस, लक्जमबर्ग और सेचेल्स चार ऐसे क्षेत्राधिकार हैं, जिन्हें समग्र रूप से अनुपालन न करने का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा अभी भी ऐसे क्षेत्राधिकार हैं जिनके बारे में उनकी सोपान-1 समीक्षा के दौरान सोपान-2 समीक्षा के लिए तब तक असमर्थता प्रकट की थी जब तक कि कर मामलों में सूचना के आदान-प्रदान के लिए उनके विधिक और विनियामक कार्यवाहों में सुधार नहीं किया जाता है और तदनुसार अभी कोई दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

13.10.5 सूचना के आदान-प्रदान और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकारियों को प्रशिक्षण के संबंध में मैनुअल

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने "विदेशी क्षेत्राधिकारों के साथ कर प्रयोजनों के लिए सूचना के आदान-प्रदान-आगम और निर्गामी अनुरोधों के लिए दिशा-निर्देश" के विषय पर 2013 का अनुदेश सं.1, 17 जनवरी, 2013 को जारी किया है। सूचना के आदान-प्रदान के संबंध में एक विस्तृत नियम पुस्तिका (मैनुअल) का भी अनुदेश के साथ प्रयोग किया गया था ताकि विदेशी क्षेत्राधिकार कर प्रशासन से सूचना मांगने के लिए सूचना के आदान-प्रदान की व्यवस्थाओं का कारगर प्रयोग करने के लिए क्षेत्रीय संघटकों/कार्यालयों के अधिकारियों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सके। मैनुअल डीटीए/टीआईईए के अनुबंधों को स्पष्ट करता है और किसी विशिष्ट मामले में सूचना मांगने के लिए अनुरोध करने के लिए संशोधित प्रोफार्मे सहित विस्तृत दिशा-निर्देश उपलब्ध कराता है। कर संग्रहण में सहायता, सूचना का स्वतः और लगातार आदान-प्रदान, विदेश में कर जांच आदि सहित प्रशासनिक सहायता के अन्य रूपों की, इनका उपयोग करने के लिए, दिशा-निर्देशों के साथ व्याख्या की गई है। मैनुअल विदेशी कर प्राधिकारियों को यदि उनसे कोई अनुरोध प्राप्त होता है, सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्देश भी देता है।

मुख्य आयुक्तों तथा महानिदेशकों के वार्षिक सम्मेलन में सूचना के आदान-प्रदान के संबंध में अनुदेश और मैनुअल पर भी विचार-विमर्श किया गया था। यह देखा गया था कि विद्यमान डीटीए को अद्यतन करने और नए डीटीए/टीआईईए सम्पन्न करने, स्वदेशी कानूनों में परिवर्तन करने और सूचना के आदान-प्रदान के संबंध में समर्पित प्रकोष्ठ की स्थापना करने जैसे नीति स्तर पर बहुत से कदम उठाए गए हैं। तथापि यह देखा गया था कि इन प्रयासों का लाभ अभी प्राप्त हो सकता है यदि क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारी हमारे संधि के भागीदारों से सूचना मंगवाने के लिए अनुरोध करके इन अवसरों का उपयोग करते हैं। यह भी देखा गया था कि हाल ही में इस संबंध में किए गए प्रयासों के बावजूद भी हमारे संधि भागीदारों को किए गए अनुरोधों की संख्या अधिक नहीं है। वित्त वर्ष 2008-09, 2009-10,

2010-11, 2011-12 और 2012-13 में किए गए अनुरोधों की संख्या क्रमशः केवल 39, 46, 92, 386, 647 और 884 है। यह नोट किया गया था कि अनुरोधों की संख्या कम होने का मुख्य कारण यह है कि हमारे अधिकारी हमारे संधि भागीदारों जिनमें अब सुविख्यात कर प्राप्ति स्थल (हेवन) भी शामिल है से सूचना प्राप्त करने के बड़े हुए अवसरों के प्रति सुग्राहीकृत नहीं है और यदि अधिकारियों को उचित रूप से सुग्राही बनाया जाता है और प्रशिक्षित किया जाता है तो, निर्धारणों और जांच की गुणवत्ता में सुधार आएगा जिसके परिणाम स्वरूप करदाताओं द्वारा बेहतर अनुपालन होगा और इसके परिणाम स्वरूप राजस्व संग्रहण में वृद्धि होगी। तदनुसार, क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों के लिए सुग्राहीकरण कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी) ने वैश्विक मंच के सहयोग से नागपुर में 31 जुलाई से 2 अगस्त, 2013 तक की अवधि के दौरान एक "लेखापरीक्षक सुग्राहीकरण संगोष्ठी" का आयोजन किया जिसका उद्घाटन अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने किया था। संगोष्ठी में एक व्यापक मापदंड (जिनरिक मॉड्यूल) का विकास भी किया गया जिसे अठारह संवर्ग नियंत्रण क्षेत्रों के प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु उपयोग में लाया गया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक आयुक्त के प्रभार से एक-एक अधिकारी ने भाग लिया था। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किए गए विषयों में (क) सूचना आदान-प्रदान के दस्तावेजों का व्यापक पर्यवलोकन (ख) स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में हुए परिवर्तन जिससे सूचना के आदान-प्रदान में सुविधा होगी (ग) सीबीडीटी द्वारा जारी सूचना के आदान-प्रदान के संबंध में मैनुअल (घ) विदेशी कर प्राधिकारियों से किस प्रकार की सूचना देने का अनुरोध किया जा सकता है (ड.) सूचना के आदान-प्रदान के संबंध सफलता की कहानियां (च) गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता आदि शामिल हैं। संबंधित आयुक्तालय अपने-अपने प्रभार के तहत इसी प्रकार की संगोष्ठियों का संचालन करेंगे। राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी) द्वारा विकसित जिनरिक माड्यूल को वैश्विक मंच द्वारा इस दृष्टि से अन्य देशों के साथ साझा किया गया है कि वे इसे अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अपना सकते हैं। माड्यूल को भारत में क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा भी दोहराया गया है ताकि कार्यक्रम का विस्तार भारत के भीतर किया जा सके।

सूचना के आदान-प्रदान के संबंध में भारतीय राजस्व सेवा के परीक्षाधीन अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया था जो अब आई आर एस के 66वें बैच के लिए लागू किए गए अंतर्राष्ट्रीय करधान के संबंध में नए पेपर का भी एक भाग है।

13.10.6 अग्रिम मूल्यांकन करार (एपीए)

वित्त अधिनियम, 2012 के द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 में अग्रिम मूल्यांकन करार (एपीए) उपबंधों, 92गग और 92गघ को अंतःस्थापित किया गया था। तत्पश्चात् नियमों में अधिसूचित किए जाने वाले अग्रिम मूल्यांकन करार योजना को तैयार करने का कार्य आरंभ किया गया था। ए पी ए नियमों को दिनांक 30.8.2012 की अधिसूचना सं. 36/2012 के द्वारा अधिसूचित किया गया था जो अधिसूचना की तारीख से प्रभावी हुए हैं। 'ए पी ए योजना और इससे

संबंधित एफ ए क्यू के बारे में मार्गदर्शन'' के संबंध में एक करदाता श्रृंखला भी तैयार की गई थी तथा माननीय वित्त मंत्री द्वारा मुख्य आयुक्तों के सम्मेलन में मई, 2013 में जारी की गई थी। ए पी ए स्कीम की अधिसूचनाओं से लेकर एकपक्षीय और द्विपक्षीय एपीए के लिए निम्नलिखित संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं:-

1. वित्त वर्ष	2. एक पक्षीय एपीए आवेदन	3. द्विपक्षीय एपीए आवेदन
4. 2012-13	5. 117	6.29
7. 2013-14	8. 206	9.26

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार 5 एकपक्षीय एपीए के प्रथम बैच के लिए हस्ताक्षर किए हैं।

दक्षिण अफ्रीका राजस्व सेवा (एसएआरएस) के अधिकारियों के लिए 22 से 25 जुलाई, 2013 तक एक ए पी ए कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

13.10.7 परस्पर करार कार्यवाहियाँ (एमएपी)

एमएपी तथा एपीए के अंतर्गत मामलों का समाधान करने के लिए यूएसए, यू के, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन और स्विटजरलैंड सहित बहुत से देशों के साथ बैठकें की गई थीं।

एक एमएपी/एपीए बैठक यू के, के सक्षम प्राधिकारियों के साथ सितम्बर, 2013 को की गई थी। यू के के साथ बहुत से मामलों का समाधान किया गया था। यू के से संबंधित सभी द्विपक्षीय एपीए आवेदनों पर विचार विमर्श किया गया था। द्विपक्षीय ए पी ए पर विचार-विमर्श का यह पहला चक्र था तथा इन मामलों को आगे बढ़ाने हेतु एक सामान्य रूप रेखा तैयार की गई थी।

जापान के सक्षम प्राधिकारी के साथ दो एमएपी/एपीए बैठकें फरवरी, 2013 और सितम्बर, 2013 में आयोजित की गई थीं। इन बैठकों के दौरान जापान के साथ कुछ मामलों का निराकरण किया गया था और उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि उनमें कर विवादों को सभी पक्षों की संतुष्टि के लिए मित्र भाव से निपटाया जाएगा। जापान के साथ द्विपक्षीय ए.पी. ए मामलों पर भी विचार विमर्श किया गया था और दो देशों के बीच स्थिति दस्तावेज के आदान-प्रदान के लिए निर्णय लिया गया था।

स्वीडन के साथ स्टॉकहोम में और नीदरलैंड और स्विटजरलैंड के साथ भारत में एम ए पी बैठकें आयोजित की गई थीं जिनमें कुछ बकाया पड़े मामलों को निपटाया गया था। इसके अलावा विभिन्न देशों से एमएपी के लिए प्राप्त सभी अनुरोधों पर तथ्यों और विधिक प्रश्न की जांच करके और मामले पर भारत की स्थिति को तैयार करने तथा इसका आदान-प्रदान करके, कार्रवाई की गई थी। भारतीय निर्धारितियों से प्राप्त अनुरोधों पर एमएपी प्रक्रियाएं आरंभ की गई थीं।

यूएसए के सक्षम प्राधिकारी सहित वहां से आए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक 9 और 10 सितम्बर, 2013 को आयोजित की गई थी जिसमें दोनों पक्ष प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए थे और इस प्रयोजन के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी निर्णय हुआ था।

13.10.8 सुरक्षित बंदरगाह नियम

अंतरण मूल्यांकन लेखापरीक्षाओं की बढ़ती हुई संख्या तथा प्रवर्द्धित विवादों को कम करने की दृष्टि से वित्त (सं.2) अधिनियम, 2009 के द्वारा 1.4.2009 से पूर्व व्यापी प्रभाव से यह व्यवस्था करने हेतु एक नई धारा 92गख अंतःस्थापित की गई थी कि धारा 92ग या धारा 92ग क के तहत असन्निकट मूल्य का निर्धारण सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अधधीन होगा। इस संशोधन के द्वारा भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सुरक्षित बंदरगाह नियम बनाने अधिकार दिया था। "सुरक्षित बंदरगाह" को ऐसी परिस्थितियों को स्पष्ट करने हेतु परिभाषित किया गया था जिनमें आयकर प्राधिकारी निर्धारिती द्वारा घोषित अंतरण मूल्य स्वीकार करेंगे।

प्रधान मंत्री ने 30 जुलाई, 2012 को विकास केन्द्रों तथा आई टी क्षेत्र के कराधान की समीक्षा हेतु एक समिति के गठन को अनुमोदित कर दिया था जिसमें श्री एन रंगाचारी, समिति के अध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्य शामिल थे (जिसे इसमें इसके बाद रंगाचारी समिति कहा गया है) तथा सुरक्षित बंदरगाह नियमों का प्रारूप प्रस्तुत किया।

तत्पश्चात भारत सरकार ने 12 सितम्बर, 2012 के का.ज्ञा. के द्वारा रंगाचारी समिति द्वारा सुविचारित इस सुझाव को अनुमोदित कर दिया था कि यह निम्नलिखित कार्य क्षेत्र/कार्यकलापों में सुरक्षित बंदरगाह नियमों को अंतिम रूप दे सकती है।

- आई टी सेक्टर
- आई टी ई एस सेक्टर
- आई टी तथा औषधीय सेक्टर में संविदा अनुसंधान और विकास
- वित्तीय संव्यवहार- निर्गामी ऋण
- वित्तीय संव्यवहार-निगमित प्रत्याभूतियां
- स्वतः आनुषंगिक-मूल उपस्कर निर्माता

विकास केन्द्रों तथा आई टी सेक्टर के कराधान के संबंध में प्रथम रिपोर्ट में रंगाचारी समिति की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निम्नलिखित परिपत्र जारी किए हैं:-

- Ø अधिनियम की धारा 10क, 10कक और 10ख के अंतर्गत कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से संबंधित मुद्दों के संबंध में परिपत्र सं.1/2013 दिनांक 17 जनवरी, 2013
- Ø पर्याप्त जोखिम के साथ संविदा अनुसंधान और विकास सेवाओं में लगे विकास केन्द्रों की पहचान करने हेतु संगत शर्तों के संबंध में परिपत्र सं.6/2013 दिनांक 29 जून, 2013

भारत सरकार ने रंगाचारी समिति की अन्य पांच रिपोर्टों पर विचार किया और सुरक्षित बंदरगाह नियमों को अधिसूचना सं.का.आ.2810 (अ) के द्वारा 18 सितम्बर, 2013 को अधिसूचित किया। अधिसूचित सुरक्षित बंदरगाह नियमों में 500 करोड़ रु. तक के आईटी और आईटीईएस संव्यवहारों के लिए 20 प्रतिशत के मार्जिन की और 500 करोड़ रुपये से अधिक के संव्यवहारों के लिए 22 प्रतिशत मार्जिन की व्यवस्था की गई है; ज्ञान प्रक्रिया बाह्यस्रोतन सेवाओं के लिए सुरक्षित बंदरगाह मार्जिन 25 प्रतिशत है; निर्गामी ऋणों के लिए सुरक्षित

बंदरगाह ब्याज दर 50 करोड़ रुपये तक के दिए गए ऋणों के लिए एसबीआई की मूल दर जमा 150 बेसिज प्वाइंट है तथा 50 करोड़ रुपये से अधिक दिए गए ऋणों के लिए यह एसबीआई की मूल दर जमा 300 बेसिज प्वाइंट्स है; 100 करोड़ रुपये तक की निगमित प्रत्याभूति के लिए सुरक्षित बंदरगाह कमीशन या शुल्क 2 प्रतिशत है और 100 करोड़ रुपये से अधिक के निगमित प्रत्याभूति के संव्यवहारों के लिए सुरक्षित बंदरगाह केवल तब उपलब्ध होता है यदि पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी को उच्चतम सुरक्षा के लिए उपयुक्त होने का दर्जा दिया जाता है और सुरक्षित बंदरगाह कमीशन या शुल्क 1.75 प्रतिशत है। साफ्टवेयर विकास में संविदागत अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए सुरक्षित बंदरगाह परिचालन मार्जिन 30 प्रतिशत है और जिनेरिक औषधीय दवाओं में संविदागत अनुसंधान और विकास के लिए 29 प्रतिशत है और ऑटो संघटक निर्माता और निर्यातक के लिए यह अभ्यन्तर (क्रोड) ऑटो संघटक निर्माताओं/निर्यातकों के लिए 12 प्रतिशत है तथा गैर क्रोड ऑटो संघटक निर्माताओं/निर्यातकों के लिए 8.5 प्रतिशत है। सुरक्षित बंदरगाह नियम निर्धारण वर्ष 2013-14 से लेकर 5 निर्धारण वर्षों के लिए लागू हैं।

13.10.9 मार्गदर्शन टिप्पणियां

अंतरण मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा बेहतर समझ-बूझ लाने और दृष्टिकोण में एकरूपता लाने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से अंतरण मूल्यांकन और अंतर्राष्ट्रीय कराधान के मामले में विभिन्न न्यायिक व्याख्याओं को ध्यान में लेने के बाद मार्ग दर्शन टिप्पणियां तैयार की गई थीं। निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में ऐसी आठ मार्गदर्शन टिप्पणियां जारी की गई थीं:-

- (1) मार्गदर्शन टिप्पणी-1: अंतरण मूल्यांकन और अंतर्राष्ट्रीय कराधान के मामले में कार्यात्मक विश्लेषण का महत्व, दिनांक 26.6.2012
- (2) मार्गदर्शन टिप्पणी-2: अंतरण मूल्यांकन के अंतर्गत आरबीआई की सीयूपी पद्धति की वैधता और अन्य सरकारी संगठनों की रायल्टी दर निर्धारण, दिनांक 26.07.2012
- (3) मार्गदर्शन टिप्पणी-3: निगमित प्रत्याभूति का अंतरण मूल्यांकन दिनांक 21.12.2012
- (4) मार्गदर्शन टिप्पणी-4: क्या बड़े पैमाने की किफायतें अर्थात् कुल लेन-देन तुलनात्मक तथ्य हैं, दिनांक 21.12.2012
- (5) मार्गदर्शन टिप्पणी-5: असन्निकट मूल्य के निर्धारण में अंतिम परिणामों का चयन और प्रयोग तुलनीय है, दिनांक 21.12.2012
- (6) मार्गदर्शन टिप्पणी-6: खनन उद्योग का अंतरण मूल्यांकन, दिनांक 31.12.2012
- (7) मार्गदर्शन टिप्पणी संख्या 7: रायल्टी के अंतरण मूल्यांकन पर भी मार्गदर्शन टिप्पणी तैयार की गई थी परंतु इसे केवल अप्रैल, 2013 में जारी किया गया।
- (8) रायल्टी के रूप में कम्प्यूटर कार्यक्रम के प्रयोग के लिए प्रतिफल के कराधान पर मार्गदर्शन टिप्पणी संख्या 8 तैयार की गई थी और तत्पश्चात अप्रैल, 2013 में जारी की गई।

13.10.10 जी 20 बैठकों में कर मुद्दे

वर्ष 2013 में वित्त मंत्रियों और जी 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की जी 20 बैठकों में कर मामलों पर गहन रूप से विचार-विमर्श किया गया था, विशेष रूप से “कर आधार अपरदन तथा लाभ अंतरण, (बेस इरोजन” और प्राफिट शिफ्टिंग) “सूचना के स्वतः आदान-प्रदान” और “क्षमता निर्माण हेतु विकासशील देशों को सहायता” के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था। बैठकों के अंत में जारी विज्ञप्ति/घोषणाओं के उद्धरणों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त मंत्रियों और सेन्ट्रल बैंक गवर्नरों की बैठक-मास्को, 16 फरवरी, 2013

“20. कर के क्षेत्र में बेस इरोजन और प्राफिट शिफ्टिंग के मुद्दे का समाधान करने के संबंध में ओ ई सी डी की रिपोर्ट का हम स्वागत करते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि वित्तीय स्थायित्व को बनाए रखने का महत्वपूर्ण भाग हमारे राजस्व आधारों को सुरक्षित रखना है। बेस इरोजन और प्रोफिट शिफ्टिंग का समाधान करने हेतु उपायों की खोज करने, आवश्यक सामूहिक कार्रवाई करने हेतु हम कृत संकल्प हैं और ओ ई सी डी द्वारा जुलाई में प्रस्तुत की जाने वाली व्यापक कार्य योजना को प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम परस्पर प्रशासनिक सहायता के संबंध में बहुपक्षीय अभिसमय (कन्वेन्शन) पर हस्ताक्षर करने हेतु सभी क्षेत्राधिकारों को पूर्ण रूप से प्रोत्साहित करते हैं। हम पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान पर वैश्विक मंच को प्रोत्साहन देते हैं ताकि सूचना के आदान-प्रदान के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानक के कार्यान्वयन के सतत आधार पर मूल्यांकन और मानीटरिंग में शीघ्रगामी प्रगति को जारी रखा जा सके और अप्रैल, 2013 तक प्राप्त होने वाली प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम यथा उपयुक्त सूचना के स्वतः आदान-प्रदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने संबंधी अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं और इस क्षेत्र में हाल में की गई प्रगति की प्रशंसा करते हैं। हम उस क्षेत्र में बहुपक्षीय कार्यान्वयन के लिए ओईसीडी के विश्लेषण का समर्थन करते हैं।

वित्त मंत्रियों और सेन्ट्रल बैंक गवर्नरों की बैठक-वाशिंगटन डी सी, 19 अप्रैल, 2013

“14. अंतर्राष्ट्रीय कर परिहार और अपवंचन के मुद्दों, विशेष रूप से कर के मुख्य स्थानों (हेवन्स) के जरिए और इसके साथ-साथ गैर सहयोगी क्षेत्राधिकारों के जरिए कर परिहार और अपवंचन के मुद्दों का समाधान करने के लिए आगे और कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हम सूचना के आदान-प्रदान संबंधी प्रभाविकता के संबंध में वैश्विक मंच (ग्लोबल फोरम) की रिपोर्ट का स्वागत करते हैं। हम बहुत से क्षेत्राधिकारों द्वारा की गई प्रगति की प्रशंसा करते हैं परंतु सभी क्षेत्राधिकारों से विशेष रूप से 14 क्षेत्राधिकारों से जहां पर मानक का अनुपालन करने में विधिक कार्यवाही असफल हुआ है, की गई सिफारिशों का तेजी से कार्यान्वयन करने हेतु अनुरोध करते हैं। इसके अलावा, हम उन क्षेत्राधिकारों की जिनकी सूचना के आदान-प्रदान संबंधी उनकी कारगर प्रक्रिया की गई समीक्षा और सतत आधार की जाने वाली निगरानी के संबंध में वर्ष के अंत तक आबंटित किए जाने वाले दर्जे (रेटिंग्ज) की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले जी 20 सम्मेलन को देखते हुए हम सभी क्षेत्राधिकारों को कर मामलों में परस्पर

प्रशासनिक सहायता के संबंध में बहुपक्षीय अभिसमय (कन्वेंशन) पर हस्ताक्षर करने या हस्ताक्षर करने में रुचि लेने हेतु पुर-जोर रूप में प्रोत्साहित भी करते हैं और ओ आई सी डी से प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध करते हैं। हम सूचना के स्वतः आदान-प्रदान में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं जिसके मानक के अनुसार होने की आशा की जाती है और सभी क्षेत्राधिकारों से उनके संधि भागीदारों के साथ यथा उपयुक्त सूचना के स्वचालित रूप से आदान-प्रदान के प्रति अग्रसर होने के लिए अनुरोध करते हैं। हम देश विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के संबंध में नए बहुपक्षीय मानक को विकसित करने में हुई प्रगति के संबंध में रिपोर्ट करने हेतु जी 20 देशों के साथ कार्य करने बारे में ओ आई सी डी से आशा करते हैं। वैश्विक मंच मानीटरिंग का प्रभावी होगा। हम कर आधार अपरदन और लाभ अंतरण के संबंध में ओआईसीडी द्वारा एक कार्य योजना विकसित करने में की गई प्रगति का स्वागत करते हैं और जुलाई में हमारी अगली बैठक में एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने और पर्याप्त विचार विमर्श किए जाने की आशा करते हैं।"

वित्त मंत्रियों और सेंटर बैंक गवर्नरों की बैठक-मोस्को, 20 जुलाई, 2013

"बेस इरोजन और प्राप्ति शिफ्टिंग (वीपीईएस) का समाधान करना, कर परिहार को रोकना, सूचना के स्वतः आदान-प्रदान को बढ़ावा देना और गैर-सहयोगी क्षेत्राधिकारों पर दबाव डालना।"

यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय स्थायित्व, संवर्धन को बढ़ावा देने और विकास के वित्त पोषण के लिए क्षमता निर्माण हेतु विकासशील देशों की आवश्यकताओं के संदर्भ में सभी करदाता करों के अपने उचित भाग को अदा करते हैं एक उच्च प्राथमिकता का विषय है। कर परिहार, हानिकर प्रक्रियाएं तथा अक्रामक कर आयोजना आदि विषयों का समाधान खोजना है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का फैलाव भी अंतर्राष्ट्रीय कराधान के लिए चुनौतियां पैदा कर रहा है। हम जी-20 के अनुरोध पर ओईसीडी द्वारा प्रस्तुत महत्वाकांक्षी और व्यापक कार्य योजना का पूर्णतः समर्थन करते हैं जिसका लक्ष्य बेस इरोजन तथा प्राप्ति शिफ्टिंग (बीईपीएस) के मामले का इस तरह की प्रक्रिया के द्वारा समाधान करना है जो योजना को यथा उपयुक्त रूप में पुष्ट करेगी। हम ओईसीडी/जी 20 की बीईपीएस परियोजना की स्थापना का स्वागत करते हैं और सभी हितबद्ध देशों को भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। हम कार्य योजना में अभिज्ञात मुद्दों का समाधान करने हेतु प्रस्तावों को तैयार करने और सिफारिशों पर नियमित रूप से रिपोर्ट किए जाने की भी आशा करते हैं और प्रमुखता के प्रतिमानों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि चल आय का कारगर कराधान मुख्य चुनौतियों में से एक चुनौती है। जहां पर लाभ प्राप्त होने संबंधी कार्य निष्पादित किए जाते हैं और मूल्य सृजित किया जाता है वहां पर लाभों पर कर लगाया जाना चाहिए। वीपीईएस को न्यूनतम करने की दृष्टि से हम सदस्य देशों को इस बारे में जांच करने हेतु कह सकते हैं कि हमारे अपने स्वदेशी कानून वीईपीएस में कहां तक योगदान देते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय और हमारे अपने कर नियम बहुदेशीय उद्यमों को निम्न

कर वाले क्षेत्राधिकारों को कृत्रिम रूप से लाभों को स्थानांतरित करके समग्र कर अदायगी को कम करने की अनुमति तो नहीं देते हैं या प्रोत्साहित तो नहीं करते हैं।

हम कर पारदर्शिता के क्षेत्र में हाल ही में प्राप्त प्रगति की प्रशंसा करते हैं और सूचना के बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्वतः आदान प्रदान के लिए वास्तव में ग्लोबल मॉडल के लिए ओईसीडी के प्रस्ताव का पूर्णतया समर्थन करते हैं। हम नए ग्लोबल मानक के रूप में सूचना के स्वतः आदान प्रदान के लिए प्रतिबद्ध हैं और सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के लिए एक ऐसे नए एकल ग्लोबल मानक को सुनिश्चित पर लक्षित जी 20 देशों के साथ ओईसीडी के कार्य का पूर्ण समर्थन करते हैं। हमने ओईसीडी के इस कार्य को 2014 तक पूरा करने की समय सीमा के साथ हमारी अगली बैठक के लिए प्रगति रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। हम सभी क्षेत्राधिकारों से इस मानक को कार्यान्वित करने के लिए कह सकते हैं। हम कम आय वाले देशों सहित सभी देशों द्वारा प्राप्य सूचना के स्वतः आदान-प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके लिए क्षमता निर्माण सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। हम सभी देशों से और विलम्ब किए बिना कर मामलों में परस्पर प्रशासनिक सहायता के संबंध में बहुपक्षीय अभिसमय में भागीदार बनने के लिए अनुरोध करेंगे। हम नए मानक के ग्लोबल स्तर पर व्यवहार्य और पूर्ण कार्यान्वयन की आशा कर रहे हैं। सभी देशों को नए पारदर्शक वातावरण से अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए और हम कर प्रयोजनों के लिए सूचना के आदान-प्रदान के संबंध में ग्लोबल फोरम से कर और विकास संबंधी ओईसीडी कार्यबल के साथ कार्य करने के लिए अपील करेंगे विश्व बैंक समूह और अन्यो से विकासशील देशों की तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण संबंधी उनकी आवश्यकताओं की पहचान करके सहायता करने के लिए कहेंगे। हम सूचना के स्वतः आदान प्रदान के संबंध में ग्लोबल मानक के कार्यान्वयन को मानीटर करने और इसकी समीक्षा करने हेतु वैश्विक मंच (ग्लोबल फोरम) द्वारा एक प्रक्रिया स्थापित किए जाने की भी आशा करते हैं। हम सभी क्षेत्राधिकारों, विशेष रूप से उन 14 क्षेत्राधिकारों से, जहां पर विधिक कार्य ढांचा मानक का अनुपालन करने में असफल रहा है, बिना और विलम्ब किए ग्लोबल फोरम की सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए अनुरोध करते हैं। हमने ग्लोबल फोरम से लाभदायक स्वामित्व के संबंध में एफएटीएफ के कार्य पर ध्यान देने के लिए कहा है और हमने ग्लोबल फोरम से अनुरोध करने पर आदान-प्रदान की गई सूचना के कारगर कार्यान्वयन के बारे में समग्र तौर पर दर्जे (रेंटिंग) के आबंटन को इसकी नवम्बर में होने वाली बैठक में प्राप्त करने और 2014 में हमारी प्रथम बैठक में इस बारे में रिपोर्ट करने के लिए भी कहा है।

राष्ट्राध्यक्षों की घोषणा-मोस्को- 6 सितम्बर, 2013

"बेस इरोजन और प्राप्ति शिफ्टिंग (वीईपीएस) का समाधान करना, कर परिहार को रोकना और कर पारदर्शिता तथा सूचना के स्वतः आदान-प्रदान को बढ़ावा देना

50. सटीक वित्तीय समेकन और सामाजिक कठिनाइयों के संदर्भ में बहुत से देशों में यह सुनिश्चित करना कि सभी करदाता अपने करों के उचित भाग को अदा करते हैं, हमेशा ही प्राथमिकता से अधिक

रहा है। कर परिहार, हानिकर व्यवहारों और अक्रामक कर आयोजना आदि का समाधान खोजना होगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था का फैलाव भी अंतर्राष्ट्रीय कराधान के लिए चुनौतियां पैदा करता है। हम ओ ई सी डी में सृजित महत्वाकांक्षी और व्यापक कार्य योजना का पूर्णतः समर्थन करते हैं जिसका लक्ष्य बेस इरोजन तथा प्राफिट शिफ्टिंग (बीईपीएस) के मामले का इस तरह की प्रक्रिया के द्वारा समाधान करना है जो योजना को यथा उपयुक्त रूप में पुष्ट करेगी। हम ओईसीडी/जी 20 की बीईपीएस परियोजना की स्थापना का स्वागत करते हैं और सभी हितबद्ध देशों को भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। जहां पर लाभ प्राप्त होने वाले आर्थिक कार्यकलाप किए जाते हैं और मूल्य सृजित होता है, वहां लाभों पर कर लगाया जाना चाहिए। वीपीईएस को न्यूनतम करने की दृष्टि से हम सदस्य देशों को इस बारे में जांच करने हेतु कह सकते हैं कि हमारे अपने स्वदेशी कानून वीईपीएस में कहां तक योगदान देते हैं और सुनिश्चित करने के लिए भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय और हमारे अपने कर नियम बहुदेशीय उद्यमों को कम कर वाले क्षेत्राधिकारों को कृत्रिम रूप से लाभों को स्थानांतरित करके समग्र कर अदायगी को कम करने की अनुमति तो नहीं देते है या प्रोत्साहित तो नहीं करते हैं। हम यह स्वीकार करते है कि चल आय का कारगर कराधान मुख्य चुनौतियां में से एक चुनौती है। हम कार्य योजना में अभिज्ञात 15 मामलों का समाधान करने हेतु प्रस्तावों को तैयार करने सिफारिशों करने के संबंध में नियमित रूप से रिपोर्ट किए जाने की भी आशा करते हैं और प्रभुसत्ता के प्रतिमानों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।

हम कर पारदर्शिता के क्षेत्र में हाल ही में प्राप्त प्रगति की प्रशंसा करते है और सूचना के बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्वतः आदान प्रदान के लिए वास्तव में ग्लोबल मॉडल के लिए ओईसीडी के प्रस्ताव की पूर्णतया समर्थन करते हैं। सभी अन्य क्षेत्राधिकारों को यथा संभव शीघ्र तारीख तक हमारे साथ जुड़ने की अपील करते हुए हम नए ग्लोबल मानक के रूप में सूचना के स्वतः आदान प्रदान के लिए प्रतिबद्ध है। जिसमें अवश्य ही गोपनीयता बनाई रखी जानी चाहिए और आदान-प्रदान की गई सूचना का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए और सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के लिए एक ऐसे नए एकल ग्लोबल मानक को फरवरी, 2014 तक प्रस्तुत करने तथा 2014 के मध्य तक कारगर स्वतः आदान-प्रदान तकनीकी रीतियों नीतियों को अंतिम रूप देने पर लक्षित जी 20 देशों के साथ ओईसीडी कार्य का पूर्ण समर्थन करते हैं। इसके समानान्तर हम जी 20 सदस्य देशों के बीच कर मामलों के संबंध में सूचना का स्वतः आदान-प्रदान 2015 के अंत तक आरंभ होने की आशा करते हैं। हम सभी देशों से कर मामलों में परस्पर प्रशासनिक सहायता संबंधी बहुपक्षीय अभिसमय में और विलम्ब किए बिना शामिल होने की अपील करते हैं। हम नए मानक के वैश्विक स्तर पर पूर्ण कार्यान्वयन की आशा करते हैं। हम अनुरोध करने पर सूचना आदान-प्रदान के कारगर कार्यान्वयन के बारे में व्यापक देश रेटिंग के आबंटन को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए ग्लोबल फोरम को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि मानको के कार्यान्वयन की मानीटरिंग लगातार की जाती है। हम सभी क्षेत्राधिकारों, विशेष 14 क्षेत्राधिकारों से जो सभी

सोपान 2 की ओर अग्रसर नहीं हुए है; ग्लोबल फोरम की सिफारिशों को पूरा की अपील करते हैं। हम लाभदायक स्वामित्व के संबंध में एफएटी एफ के कार्य की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु ग्लोबल फोरम को आमंत्रित करते हैं। फोरम से सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के संबंध में नए ग्लोबल मानक के कार्यान्वयन की मनीटरिंग और समीक्षा के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करने के लिए भी कहा है। विकासशील देशों को अधिक पारदर्शक अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली के लाभ प्राप्त करने और अपनी राजस्व क्षमता को बढ़ाने योग्य होना चाहिए चूंकि वित्तीय विकास के लिए स्वदेशी स्रोतों को जुटाना काफी महत्वपूर्ण है। हम कर संबंधी सूचना के अधिक आदान-प्रदान से लाभ उठाने वाले सभी देशों के महत्व को स्वीकार करते हैं। सभी (एल आई सी) कम आय वाले देशों सहित सभी देशों द्वारा प्राप्य सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्हें क्षमता निर्माण सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। हम वित्त विषय के साथ संयोजन में विकास कार्यक्रम समूह से ओईसीडी के साथ कार्य करने की अपील करते हैं, ग्लोबल फोरम तथा अन्य आई ओ से एक रूप-रेखा तैयार करने के लिए जिसमें यह दिखाया जाएगा कि विकासशील देश सूचना के स्वतः आदान-प्रदान हेतु विकसित किए जा रहे मानक में सहभागी होने के लिए आने वाली कठिनाइयों पर कैसे काबू पा सकते हैं और सेंटर पीटरसवर्ग विकास दृष्टिकोण में परिकल्पित कार्रवाई के अनुसार मानक को पूरा करने हेतु उनकी सहायता करने के लिए कहा है। कार्यदल को हमारी अगली बैठक तक रिपोर्ट करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कार्य करते समय हम अपनी विशेषज्ञता को बांटते रहना जारी रखेंगे, क्षमता निर्माण में सहायता करेंगे और सफलता प्राप्त करने हेतु दीर्घकालिक भागीदारी वाले कार्यक्रमों में लगे रहेंगे। इस संबंध में हम सीमारहित पहल के रूप में ओईसीडी के कर निरीक्षकों का स्वागत करते है जिनका लक्ष्य जानकारी को बांटना और कर के क्षेत्र में विकासशील देशों में घरेलू क्षमताओं में बढ़ोत्तरी करना है। अंत में हम कर प्रशासन (सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के अतिरिक्त) के क्षेत्र में आईओ के जरिए अलग-अलग देश की आवश्यकताओं का पता लगाने और क्षमता निर्माण में विकाशील देशों की सहायता करने को जारी रखने तथा विकासशील देशों की अगवाई में ऐसी सहायता को प्रोत्साहन देने के लिए कटिबद्ध हैं।

मास्को में राष्ट्राध्यक्षों की घोषणा के साथ एक “कर अनुबंध” भी जारी किया गया था जिसे नीचे दिया गया है:

सेंट पीटरसवर्ग जी 20 राष्ट्राध्यक्षों की घोषणा का कर अनुबंध

1. जी 20 अधिक कारगर, कुशल और न्यायोचित अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली को स्थापित करने के प्रयासों में सबसे आगे है चूंकि उन्होंने अप्रैल, 2009 में जी 20 के लंदन शीर्ष सम्मेलन में इस काल को बैंक गोपनीयता का काल कहा है। वर्धमान सीमारहित विश्व में कर मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना राष्ट्रीय कर प्रणालियों की सत्यनिष्ठा को और सरकारों में विश्वास बनाए रखने को सुनिश्चित करने हेतु अनिवार्य है।

2. कर प्रयोजनों के लिए पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान संबंधी वैश्विक मंच (ग्लोबल फोरम) ने यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है कि अनुरोध करने पर सूचना के

आदान-प्रदान के जी 20 द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय मानक को समग्र विश्व में कारगर रूप से कार्यान्वित किया जाता है। चूंकि ग्लोबल फोरम ने जी 20 के पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान के मानकों के शीघ्रता से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की अपील का 2009 में उत्तर दिया। ग्लोबल फोरम ने 113 (पीयर) विशिष्ट समीक्षा रिपोर्टें पूरी की हैं और सुधार के लिए 600 से अधिक सिफारिशें जारी की हैं जिनमें से आज की तारीख तक 300 से ज्यादा सिफारिशों पर कार्रवाई की जा चुकी है। उन क्षेत्राधिकारों की संख्या जिन्होंने मानकों को कार्यान्वित करने की प्रतिबद्धता दिखाई है और ग्लोबल फोरम में शामिल हुए हैं, बढ़कर 120 हो गई है। सभी क्षेत्राधिकारों में से 14 क्षेत्राधिकारों की समीक्षा की गई है और चरण-2 समीक्षाओं की तैयारी की जा रही है, इस प्रकार विशिष्ट (पीयर) समीक्षा प्रक्रिया की मानकों के कार्यान्वयन को प्राप्त करने में प्रभाविकता प्रदर्शित होती है। उन 14 क्षेत्राधिकारों से ग्लोबल फोरम की सिफारिशों को बिना विलम्ब के कार्यान्वित करने के लिए अनुरोध किया गया है। जुलाई, 2013 में जी 20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों ने ग्लोबल फोरम से नवम्बर, 2013 में इसकी होने वाली बैठक में अनुरोध करने पर सूचना के आदान-प्रदान की समग्र रेटिंग देने के लिए कहा था। ग्लोबल फोरम लाभदायक स्वामित्व के संबंध में एफएटीएफ के कार्य पर ध्यान देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी देश उनके क्षेत्राधिकार में कार्यरत संस्थाओं के लाभ पूर्ण स्वामित्व के बारे में सूचना रखते हैं।

3. जी 20 ने अब सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के संबंध में नए वैश्विक मानक के विकास का समर्थन किया है : 2011 में केन्ज शीर्ष सम्मेलन में जी 20 कर प्रयोजनों के लिए सूचना का स्वतः आदान-प्रदान स्वेच्छा आधार पर किए जाने के बारे में विचार करने हेतु सहमत हो गया था। 2012 में, लॉस केबोस शीर्ष सम्मेलन ने सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के संबंध में ओ ई सी डी की रिपोर्ट का स्वागत किया गया था और सभी देशों को इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। ग्लोबल फोरम में हुए नए परिवर्तनों और हाल में हुए परिवर्धनों को देखते हुए, अब यह समय है कि अधिक महत्वाकांक्षी, अधिक कुशल और उच्च मानकों को देशांतरण किया जाए जोकि सूचना का स्वतः ही आदान-प्रदान होना है। हाल ही की गतिविधियों जिनमें अप्रकटित विदेशी बैंक खाते शामिल हैं, से भी इस नए मानक के प्रति अग्रसर होने की तत्काल आवश्यकता उजागर होती है जिसकी ग्लोबल फोरम इसके कारगर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु मानीटरिंग करेगा। जुलाई, 2013 में जी 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने कर प्रयोजनों के लिए सूचना के बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्वतः आदान-प्रदान के लिए एक सटीक ग्लोबल मॉडल के लिए ओ ई सी डी के महत्वाकांक्षी प्रस्ताव का पूर्णतः समर्थन किया था और सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के प्रति नए ग्लोबल मानक के रूप में प्रतिबद्धता घोषित की थी। ओईसीडी ने सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के लिए एक नए एकल ग्लोबल मानक के विकसित करने हेतु जी 20 देशों के साथ कार्य करना आरंभ कर दिया है। जी 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने अक्टूबर में होने वाली वित्त मंत्रियों की बैठक में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और 2014 में कार्य पूरा करने हेतु समय सीमा के उल्लेख करने का

अधिदेश दिया है। नए मानक (जिसमें मॉडल सक्षम प्राधिकारी करार शामिल है) को फरवरी, 2014 में जी 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की होने वाली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। इस नए कर मानक के (ग्लोबल) वैश्विक स्तर पर व्यवहार्य और पूर्ण कार्यान्वयन की स्पष्ट आवश्यकता है। ग्लोबल फोरम सूचना के स्वतः आदान-प्रदान संबंधी नए मानक के कार्यान्वयन की मानीटरिंग और समीक्षा करने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करेगा तथा कर और विकास के संबंध में ओईसीडी के कार्य दल के साथ मिलकर कार्य करेगा, विश्व बैंक समूह तथा अन्य विकासशील देशों की सहायता करने हेतु तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण हेतु उनकी आवश्यकता की पहचान करेंगे।

4. सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के बारे में अगली चुनौती सभी क्षेत्राधिकारों को इस मानक के प्रति प्रतिबद्ध होना और उनके द्वारा इसे व्यवहार में लाना है। अन्य क्षेत्राधिकारों से यथा संभव शीघ्रता से संभावित तिथि तक हमारे साथ जुड़ने की अपील करने के साथ-साथ सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के प्रति नए ग्लोबल मानक के रूप में हम प्रतिबद्ध हैं जिसमें अवश्य ही गोपनीयता बनायी रखी जानी चाहिए और आदान-प्रदान की गई सूचना का उचित उपयोग सुनिश्चित होना चाहिए और हम फरवरी, 2014 तक सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के संबंध में एक ऐसे नए एकल वैश्विक मानक को प्रस्तुत करने पर लक्षित जी 20 देशों के साथ ओ ई सी डी का कार्य करने का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और सूचना के स्वतः कारगर आदान-प्रदान की तकनीकी रीतियों-नीतियों को 2014 के मध्य तक अंतिम रूप देने का भी समर्थन करते हैं। इसके समानांतर जी 20 के सदस्य देशों के बीच कर मामलों के संबंध में सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के 2015 के अंत तक आरंभ होने की आशा करते हैं। बहुपक्षीय अभिसमय नए मानक के शीघ्रता से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए और नए अधिक पारदर्शी वातावरण से लाभ उठाने हेतु विकासशील देशों को समर्थ बनाने हेतु एक मुख्य बिन्दु है। वर्ष 2009 में ओ ई सी डी और यूरोपीय परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने तथा सभी देशों को अपने उन स्वदेशी कानूनों को लागू करने की अनुमति देने जो शामिल होने के लिए कर सूचना की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त हों, 2010 में कर मामलों में परस्पर प्रशासनिक सहायता के संबंध में अभिसमय को संशोधित करके बहुपक्षीय दस्तावेज के लिए जी 20 देशों की अपील का तुरंत उत्तर दिया था। सभी जी 20 देशों का इस अभिसमय में हस्ताक्षर करने में एक उदाहारण द्वारा पथ प्रदर्शित किया गया और आज तक 70 से अधिक देश और क्षेत्राधिकार इस अभिसमय में शामिल हैं या शामिल होने की संभावना है, इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय केन्द्र भी शामिल हैं। अभिसमय कर अपवंचन के विरुद्ध लड़ाई में एक शक्तिशाली साधन है और सूचना के स्वतः आदान-प्रदान सहित कर मामलों में सभी प्रकार के सहयोग की अनुमति देता है। हमें आशा है कि सभी क्षेत्राधिकार और विलम्ब किए बिना अभिसमय में शामिल होंगे।

5. अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय कर आयोजना के परिणामस्वरूप कर आधार अपरदन को रोकने में अवश्य ही सहायता मिलेगी। कर आधार अपरदन (वेस इरोजन) और प्रोफिट शिफ्टिंग

(वीईपीएस) मुख्यतः ऐसे उदाहरणों से संबंधित है जहां पर विभिन्न कर नियमों की अंतः कार्रवाई के परिणामतः ऐसी कर आयोजना की जाती है कि जो बहुदेशीय उद्यमों (एमएनई) द्वारा लाभ को उन देशों से कृत्रिम रूप से अंतरित करने हेतु जहां पर इसे अर्जित किया जाता है, प्रयोग में लायी जाती है जिसके परिणामस्वरूप कम कर लगाया जाता है या दोहरे गैर कराधान का लाभ उठाया जाता है। इन व्यवहारों को यदि बिना जांच किए छोड़ा जाता है तो हमारी कर प्रणाली की न्यायसंगतता और सत्यनिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। वे मूलतः प्रतिस्पर्धा को विकृत करते हैं क्योंकि ऐसे व्यापार में जिसमें सीमा के आर-पार बीईपीएस कार्यनीतियों का उपयोग किया जाता है, ऐसे उद्यमों से जो स्वदेशी स्तर पर कार्य करते हैं, से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होता है। न्यायसंगत, पारदर्शक और कुशल कर प्रणालियां समर्थ लोक वित्तों के लिए न केवल मुख्य आधार/स्तंभ हैं बल्कि इनसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक स्थायी कार्यढांचा भी उपलब्ध होता है। इन कारणों से जी-20 नेतृत्व ने जून, 2012 में लॉस केबोस शीर्ष सम्मेलन में बीपीईएस का अपनी कर संबंधी कार्यसूची में प्राथमिकता के तौर पर समाधान किए जाने की आवश्यकता महसूस की थी। इसके अलावा हमें करों के संबंध में बेहतर अंतरराष्ट्रीय समन्वय प्राप्त करना चाहिए। इस संबंध में हमें वीईपीएस व्यवहारों को रोकने की लड़ाई में अवश्य ही अग्रसर होना चाहिए ताकि हम अपने देशों में सार्वजनिक व्यय का वित्त पोषण करने हेतु सभी उत्पादनकारी सेक्टरों में उचित योगदान सुनिश्चित कर सकें।

6. अंतर्राष्ट्रीय कर नियम जो सन 1920 से काफी पहले के हैं और वे अमूर्त अप्रत्यक्ष और डिजिटल अर्थव्यवस्था के संवर्धक महत्व सहित परिवर्तित हो रहे व्यापार वातावरण के साथ गति बनाए नहीं रख सके हैं, अर्थात् इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जी 20 के अधिदेश के उत्तर में ओईसीडी के महा सचिव ने फरवरी, 2013 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें बीपीईएस से संबंधित मुद्दों को उठाया गया था और अब जी 20 के सदस्य देशों के साथ मिलकर विकसित की गई बीईपीएस को रोकने पर लक्षित एक महत्वाकांक्षी और व्यापक कार्य योजना प्रस्तुत की है जिसमें ऐसी प्रक्रिया शामिल है जो योजना को उपयुक्त रूप से पुष्ट बनाएगी। देशों को इस बात की जांच करने की आवश्यकता होगी कि उनके स्वदेशी कर कानून किस प्रकार से बीईपीएस में योगदान करते हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय या स्वदेशी कर नियम बहुदेशीय उद्यमों को लाभों को कृत्रिम रूप से कम कर वाले क्षेत्राधिकारों को अन्तर्गत करके अदा किए जाने वाले करों को कम करने की न तो अनुमति दी जाएगी और न ही उन्हें ऐसा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। एक जी 20/ओईसीडी-बीईपीएस परियोजना स्थापित की गई है जिसके जरिए सभी गैर ओईसीडी/जी 20 देश कार्य योजना में अभिज्ञात 15 मुद्दों के संबंध में कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव और सिफारिशें तैयार करने के लिए बराबर स्तर पर भाग लेंगे। जी 20 नेतृत्व ने स्वयं को शीघ्रता से कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध किया है और उन्हें हमारे साथ शामिल होने हेतु अन्य देशों को अनुरोध करने में एक व्यापक भूमिका अदा करनी है और इन प्रस्तावों और सिफारिशों को समयबद्ध रूप में कार्यान्वित करने हेतु अलग-अलग रूप में और सामूहिक रूप में आवश्यक कार्रवाई करनी है।

जी 20 नेतृत्व ने ओईसीडी द्वारा बीईपीएस संबंधी कार्यसूची पर आगे बढ़ने के संबंध में शीघ्रता से कारगर कार्रवाई किए जाने की प्रशंसा की है और ओईसीडी से इस परियोजना के उचित कार्यान्वयन के लिए जी 20 देशों के साथ निकटता से कार्य करने हेतु अनुरोध किया है।

7. बीईपीएस को रोकने पर लक्षित कार्य योजना में अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों के निम्नलिखित मूल पहलुओं की जांच करने हेतु महत्वाकांक्षी कार्यसूची निर्धारित की है:

Ø **प्रथमतः अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों को विभिन्न देशों की कर प्रणालियों के बीच के अंतर को समाप्त करने हेतु अभिकल्पित किया जाएगा, जबकि प्रत्येक देश की प्रभुसत्ता का इसके अपने नियमों की अभिकल्पना करते समय सम्मान किया जाएगा।** दस्तावेजों को हाईब्रिड बेमलता और विवाचन को निष्प्रभावी करने हेतु विकसित किया जाएगा; लाभों को गैर कराधान या कम कराधान वाले क्षेत्राधिकारों को अंतरित करने के विरुद्ध (तथाकथित सीएफसी नियमों द्वारा नियंत्रित विदेशी कंपनियों को सशक्त करके अथवा लागू करके) देशों के कर आधार की सुरक्षा करने हेतु घरेलू कानून की अभिकल्पना में उत्तम प्रक्रियाओं को विकसित करने हेतु सिफारिशें की जाएंगी; और ब्याज कटौती के जरिए कर आधार अपरदन को रोकने हेतु नियमों के बारे में सिफारिशें विकसित जाएंगी।

Ø **दूसरे, कर संधियों के संबंध में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों, स्थायी संस्थापन और अंतरण मूल्यांकन की यह सुनिश्चित करने हेतु जांच की जाएगी कि जहां पर आर्थिक कार्यकलाप किए जाते हैं और मूल्य सृजित किया जाता है, वहां लाभ पर कर लगाया जाता है।** वीपीईएस को रोकने हेतु कार्ययोजना को संधि रोधी शॉपिंग उपबन्ध स्थापित करने और स्थायी स्थापना की परिभाषा में परिवर्तन करने (अर्थात् क्या कर लेने की अनुमति देने हेतु पर्याप्त संबंध है) हेतु अभिकल्पित किया गया है। अंतरण मूल्यांकन के क्षेत्र में तीन कार्रवाइयों को अभिज्ञात किया गया है ताकि लाभ के स्थान और वास्तविक क्रियाकलापों के स्थान के बीच पृथक्करण को समाप्त किया जा सके। इससे भी महत्वपूर्ण रूप में यह स्वीकार्य पहलू है कि यद्यपि मौजूदा अंतरण मूल्यांकन नियम बहुत से उदाहरणों में आय का उचित रूप से आबंटन करते हैं तथापि मौजूदा चालू प्रणाली में पैदा होने वाली कुछेक विशिष्ट कठिनाइयों को दूर करने के लिए सन्निकट सिद्धांत के भीतर और बाहर विशेष उपायों की आवश्यकता हो सकती है।

Ø **तीसरे, कंपनियों के लिए लाभों और करों के उनके विश्वव्यापी आबंटन के संबंध में कर प्रशासनों को रिपोर्ट करने हेतु एक सामान्य सांचे सहित अधिक पारदर्शिता स्थापित की जाएगी।** इसके लिए सरकारों के बीच, देशों के लिए अपने भागीदारों के व्यवस्थाओं और अन्य कर लाभों को प्रकट के लिए और अक्रामिक कर योजना व्यवस्थाओं के बारे में करदाताओं द्वारा प्रकटन हेतु उनकी आवश्यकता सहित अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है। कार्ययोजना में बेहतर आंकड़े (डाटा) एकत्रित करने हेतु प्रक्रियाएं भी उपलब्ध करायी गई हैं ताकि बी ई पी एस की मात्रा का

अंदाजा लगाया जा सके और संगत आर्थिक विश्लेषण किया जा सके।

Ø चौथे, सभी कार्रवाईयों के परिणाम आने वाले अगले 18 से 24 मास के भीतर प्राप्त होंगे। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि सिफारिशें तेजी से कार्यान्वित की जाएंगी ओईसीडी रुचि रखने वाले देशों के लिए द्विपक्षीय संधियों के उनके मौजूदा नेटवर्क को संशोधित करने हेतु एक बहुपक्षीय दस्तावेज विकसित करेगा।

8. विकासशील देशों को जी 20 देशों की कर कार्यसूची का अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। जी 20 द्वारा आरंभ किए गए प्रयासों द्वारा स्वदेशी संसाधन जुटाने में सुधार हेतु प्रयास शुरू किए जा सकते हैं। पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान के संबंध में ग्लोबल फोरम, कर तथा विकास संबंधी ओ ई सी डी कार्य दल, विश्व बैंक समूह और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य भागीदार हैं जो विकासशील देशों की बहुपक्षीय अभिसमय और सूचना के स्वतः आदान-प्रदान सहित पारदर्शिता और सूचना मानकों के आदान-प्रदान को कार्यान्वित करने में तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण के लिए उनकी आवश्यकताओं की पहचान करने में सहायता कर सकते हैं। ये प्रयास विकासशील देशों की कारपोरेट कर राजस्व को प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं। जिसकी उन्हें दीर्घकालिक विकास हेतु आवश्यकता है। ओईसीडी की सीमा रहित कर निरीक्षकों की पहल विकासशील देशों के कर प्रशासनों की सहायता करने में एक उपयोगी भूमिका अदा करेगी। अन्त में हम अलग-अलग देश की आवश्यकताओं की पहचान करने और कर प्रशासन के क्षेत्र में आई ओ के जरिए क्षमता निर्माण करने (सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के अतिरिक्त) सहित विकासशील देशों की सहायता करने को जारी रखने के लिए कटिबद्ध हैं और विकासशील देश की अगुवाई में ऐसी सहायता को प्रोत्साहन देते हैं।

9. अंतर्राष्ट्रीय कराधान मामले दोहरे गैर-कराधान को रोकने तक ही सीमित नहीं हैं। हम कर प्रशासकों के बीच अन्य कर मामलों पर सतत बातचीत को प्रोत्साहन देते हैं।

13.10.11 कर आधार अपरदन और लाभ अन्तरण (बेस इरोजन और प्राफिट शिफ्टिंग) (बीईपीएस)

लाभ को उस क्षेत्राधिकार, जहां पर लाभ पैदा करने वाले क्रियाकलाप किए जाते हैं और मूल्य सृजित होता है, से बाहर अंतरित किए जाने के कारण कर आधार अपरदन (बेस इरोजन) होना विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए चिरकाल से चिंता का विषय रहा है और अब विकसित देशों के द्वारा भी इसे चिंता के एक गंभीर कारण के रूप में स्वीकार किया गया है और महत्व दिया गया है। बेस इरोजन और प्राफिट शिफ्टिंग के संबंध में जी20/ओईसीडी परियोजना के आरंभ किए जाने से यह बात उजागर हुई है कि अंतरण मूल्यांकन सहित कराधान के अंतर्राष्ट्रीय मानक सीमाओं के आर-पार बड़े स्तर पर आर्थिक समेकन और सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों में हुए शीघ्रगामी विकास के साथ गति बनाए नहीं रख सके हैं और बहुदेशीय उद्यमों को अपने कर भार को कम करने के अवसर प्रदान किए हैं जो कि बहुत से मामलों में आज के नियमों में अभिप्रेत नहीं हैं। इसका

निम्न पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है (क) सरकारों पर क्योंकि उनका कर राजस्व प्रभावित हुआ है, (ख) अलग-अलग व्यक्तियों पर क्योंकि उनको कर भार के बड़े भाग को सहन करना होगा और (ग) स्वदेशी कंपनियों पर क्योंकि वे अनुपातहीन रूप से अधिक कर अदा करके प्रतिस्पर्धात्मक रूप से अलाभकारी रही है। बीईपीएस परियोजना में इस बात की ओर ध्यान दिया गया है कि क्या वर्तमान नियम कर योग्य लाभ को ऐसे स्थानों पर अंतरित करने के लिए अनुमति देते हैं जो उन स्थानों से भिन्न हैं जहां पर वास्तविक रूप से व्यापार संबंधी क्रियाकलाप किए जाते हैं और यदि नहीं, तो इसे परिवर्तित करने के लिए क्या किया जा सकता है।

जुलाई, 2013 में जी 20 देशों के वित्त मंत्रियों के अनुरोध पर ओईसीडी ने जी 20 देशों के साथ मिल कर कार्य करके बीईपीएस पर एक कार्य योजना आरंभ की है जिसमें 15 विशिष्ट कार्यों की पहचान की गई है जिनकी जो इस चुनौती का समाधान करने के लिए स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के साथ सरकारों को लैस करने की दृष्टि से आवश्यक हैं। योजना में सीमा रहित डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े मामलों का समाधान करने के महत्व को स्वीकार किया गया है और दोहरे गैर-कराधान को रोकने के लिए मानकों के एक नए सेट को विकसित करेगी। वीपीईएस के संबंध में किया जा रहा कार्य, कराधान के मामले में अंतर राष्ट्रीय सहयोग में एक परिवर्तन बिन्दु बन गया है। मौजूदा प्रणाली कार्य बहुत से मामलों में काफी उपयुक्त रहे हैं; परंतु समय के साथ इसने कमजोरियों को भी प्रकट किया है जिनका समाधान किया जाना जरूरी है। कर के अधिकार को आर्थिक विषय के साथ पंक्तिबद्ध करने पर फोकस के साथ कार्य उसे करने के लिए लक्षित है। इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर कानूनों में सामंजस्य स्थापित करना है और इसके साथ-साथ करदाताओं और कर प्राधिकारियों के बीच और कर प्राधिकारियों के स्वयं के बीच में संबंधों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। अंततः परंतु अन्तिम रूप से नहीं, यह करदाताओं के लिए सुनिश्चिता के महत्व को और अधिक कारगर विवाद समाधान प्रक्रिया के संबंध में कार्य करने की आवश्यकता को उजागर करती है।

कार्रवाई योजना में दोहरे गैर कराधान को समाप्त करने तथा यह सुनिश्चित करने कि वहां पर लाभों पर कर लगाया जाता है जहां पर लाभों के पैदा करने हेतु आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं और जहां पर मूल्य लगाया जाता है, 15 कार्य शुरू किए जाने की व्यवस्था शामिल है। संधियों तथा स्वदेशी कानूनों में दुरुपयोग रोधी उपायों को सख्त बनाने से लेकर वर्तमान अंतरण मूल्यांकन नियमों के संशोधन तक कार्रवाई की जानी है। इसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था द्वारा पैदा की गई चुनौतियों के संबंध में भी कार्य किया जाना, बेहतर आंकड़े प्राप्त करने की आवश्यकता तथा संबंधित आर्थिक विश्लेषण कार्य शामिल है। हानिकारक अधिमानिक कर व्यवस्था और बीईपीएस कार्य के दौरान विकसित उपायों के कार्यान्वयन के लिए बहुपक्षीय दस्तावेज को विकसित किए जाने से संबंधित कार्य भी शामिल है। यह सुनिश्चित करने हेतु कि कार्रवाई शीघ्रता से की जा सकती है द्विपक्षीय संधियों को संशोधित करने के लिए एक बहुपक्षीय दस्तावेज तैयार किया जाएगा। इस कार्य योजना का जी20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों द्वारा मार्स्को में हुई जुलाई, 2013 में उनकी बैठक में तथा जी 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा सितम्बर, 2013 में सेंट पीटर्सवर्ग

वार्षिक रिपोर्ट | 2013-2014

में हुई उनकी बैठक में पूर्णतः समर्थन किया गया था। योजना में दौरान प्राप्त होने का लक्ष्य रखा गया है और उन्हें संक्षेप में नीचे दिया उल्लिखित कार्रवाइयों के परिणाम आने वाले 18 से 24 माह के गया है।

कार्रवाई	प्रत्याशित परिणाम	अंतिम तिथि	उत्तरदायी निकाय
1. डिजिटल अर्थव्यवस्था की कर चुनौतियों का समाधान	डिजिटल अर्थव्यवस्था के कारण पैदा हुए मुख्य मुद्दों की पहचान करने के सम्बंध में रिपोर्ट करना	सितम्बर, 2014	डिजिटल अर्थव्यवस्था के संबंध में कार्य दल
2. हाईब्रिड बेमलता व्यवस्थाओं के प्रभाव को निष्प्रभावी करना	मॉडल कर कन्वेंशन में परिवर्तन स्वदेशी नियमों के अभिकल्प के बारे में सिफारिशें करना	सितम्बर, 2014 सितम्बर, 2014	कार्य दल-1 कार्य दल-11
3. सीएफसी नियमों को सुदृढ़ बनाना	स्वदेशी नियमों के अभिकल्प के बारे सिफारिशें	सितम्बर, 2015	कार्य दल-11
4. ब्याज कटौतियों और अन्य वित्तीय अदायगियों के जरिए कर आधार अपरदन (बेस इरोजन) को रोकना	स्वदेशी नियमों के अभिकल्प के संबंध में सिफारिशें अंतरण मूल्यांकन दिशा-निर्देशों में परिवर्तन	सितम्बर 2015 सितम्बर, 2015	कार्य दल-11 कार्यदल 6
5. पारदर्शिता और वास्तविकता को ध्यान में लेते हुए हानिकार कर व्यवहारों का अधिक कारगर रूप से विरोध करना	सदस्य देशों की सामाजिक व्यवस्थाओं की समीक्षा को अंतिम रूप देना गैर ओ ई सी डी सदस्य देशों की सह भागिता को बढ़ाने की कार्य नीति	सितम्बर, 2014 सितम्बर, 2015	हानिकार कर व्यवहारों संबंधी फोरम
6. संधि दुरुपयोग को रोकना	मौजूदा मानदंड में संशोधन मॉडल कर अभिसमय (कन्वेंशन) में परिवर्तन स्वदेशी नियमों के अभिकल्प के बारे में सिफारिशें	दिसम्बर, 2015 सितम्बर, 2014 सितम्बर, 2014	कार्य दल-1
7. पी ई स्थिति के कृत्रिम परिहार को रोकना	मॉडल कर अभिसमय में परिवर्तन	सितम्बर, 2015	कार्यदल 6 के साथ परामर्श से कार्यदल-1
8. सुनिश्चित करना कि अंतरण मूल्यांकन परिणाम मूल्य सृजन/अप्रत्यक्ष सृजनात्मकता के अनुरूप हैं	अंतरण मूल्यांकन दिशा निर्देशों में तथा मॉडल कर अभिसमय में संभवतः परिवर्तन अंतरण मूल्यांकन दिशा-निर्देशों में तथा मॉडल कर अभिसमय में संभवतः परिवर्तन	सितम्बर, 2014 सितम्बर, 2015	कार्य दल-6
9. सुनिश्चित करना कि अंतरण मूल्यांकन परिणाम मूल्य सृजन/जोखिमों/ और पूंजी के अनुरूप हैं	अंतरण मूल्यांकन दिशा निर्देशों में और मॉडल कर अभिसमय में संभवतः परिवर्तन	सितम्बर, 2015	कार्यदल-6
10. सुनिश्चित करना कि अंतरण मूल्यांकन परिणाम मूल्य सृजन/अन्य उच्च जोखिम संव्यवहारों के अनुरूप है।	अंतरण मूल्यांकन दिशा-निर्देशों में और मॉडल कर अभिसमय में संभवतः परिवर्तन	सितम्बर, 2015	कार्यदल-6

11. वीईपीएस के संबंध में आंकड़े एकत्रित करने और विश्लेषण करने हेतु पद्धतियां स्थापित करना	एकत्रित किए जाने वाले आंकड़ों और उनका विश्लेषण करने की पद्धतियों के बारे में सिफारिशें करना	सितम्बर, 2015	कार्यदल-2
12. करदाताओं द्वारा उनकी अक्रामिक कर आयोजना व्यवस्थाओं को प्रकट करना अपेक्षित होना	स्वदेशी नियमों के अभिकल्प के बारे में सिफारिशें करना	सितम्बर, 2015	कार्यदल-11
13. अंतरण मूल्यांकन दस्तावेज की पुनः परीक्षा	अंतरण मूल्यांकन दिशा निर्देशों में परिवर्तन और स्वदेशी नियमों के अभिकल्प के बारे में सिफारिशें करना	सितम्बर, 2014	कार्यदल-6
14. विवाद, समाधान प्रक्रियाओं को अधिक कारगर बनाना	मॉडल कर अभिसमय में परिवर्तन	सितम्बर, 2015	कार्यदल 1 और 6
15. बहुपक्षीय दस्तावेज तैयार करना की पहचान करने की रिपोर्ट करना	संगत लोक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों	सितम्बर, 2014	विशेषज्ञों का अनौपचारिक समूह
	बहुपक्षीय दस्तावेज तैयार करना	दिसम्बर, 2015	अभिरुचि रखने वाले समूह

भारत भी और अन्य गैर-ओईसीडी जी 20 देशों की भांति वीईपीएस परियोजना में ओईसीडी देशों के समान बराबर गति से कार्य कर रहा है। भारतीय प्रतिनिधि कार्य दलों और फोकस समूहों की विभिन्न बैठकों में भाग ले रहे हैं और अपने विचार रख रहे हैं। कार्यदलों के विचारार्थ प्रारूप रिपोर्ट तैयार करने के लिए निम्नलिखित फोकस समूह गठित किए गए हैं :-

कार्य दल-1	पी ई स्थिति का कृत्रिम परिहार
	संधि दुरुपयोग
	विवाद समाधान
कार्यदल-6	जोखिम, लक्षण वर्णन तथा पद्धतियां
	मूल्य अप्रत्यक्ष सृजनात्मकताओं का विरोध और लागत योगदान व्यवस्थाएं
	ऋणों, सहित वित्तीय संव्यवहार, वित्तीय तथा निष्पादन गारंटी, बीमा व्यवस्थाएं तथा इसी तरह के मामले
	अंतरण मूल्यांकन प्रलेखन
कार्यदल 11	हाइब्रिड बेमलता व्यवस्थाएं
	नियंत्रित विदेशी कंपनियां
	ब्याज कटौतियां तथा अन्य वित्तीय अदायगियां
	अनिवार्य प्रकटन नियम

भारत ऊपर उल्लिखित सभी फोकस समूहों का सदस्य है। इसके अलावा भारतीय प्रतिनिधि डिजिटल अर्थव्यवस्था और हानिकर कर व्यवहारों संबंधी फोरम से संबंधित कार्यबल के कार्य में भी योगदान दे रहे हैं। भारत अक्रामिक कर आयोजना के संबंध में कार्यदल 11 का उपाध्यक्ष भी है।

आठ गैर ओ ई सी डी जी 20 देशों में से चार देश अर्थात् ब्राजील, चीन, इंडिया और दक्षिणी अफ्रीका को ओईसीडी की वित्तीय कार्य संबंधी समिति (सीएफए) के ब्यूरो प्लस के सदस्यों के रूप में चुना गया था और इस प्रकार भारत के प्रतिनिधि बीईपीएस से

संबंधित मामलों संबंधी सीएफए के नीतिगत निर्णय लेने में भाग लेते हैं।

13.10.12 ओईसीडी के साथ सम्बन्ध

बीईपीएस परियोजना में ओईसीडी के साथ कार्य करने के अलावा भारत कराधान से संबंधित अन्य मामलों में भी ओईसीडी के साथ संबंधित है जिन्हें संक्षेप में नीचे दिया गया है:-

(क) वित्तीय कार्य समिति : भारत उन कुछ देशों में से एक है जिसे ओईसीडी की वित्तीय कार्य समिति में 'प्रेक्षक' का दर्जा प्रदान किया गया है जो कि प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में सभी नीतिगत निर्णय लेती है। भारतीय प्रतिनिधियों ने 2013 में सीएफए की दो बैठकों में भाग लिया है।

(ख) ओईसीडी के कार्यदल की बैठके: भारतीय प्रतिनिधियों ने वर्ष 2013 में ओईसीडी के कार्यदल की निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया है:-

कार्यदल	वह क्षेत्र जिसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है
कार्य दल सं.1	कर अभिसमय
कार्य दल सं.2	कर नीति विश्लेषण और सांख्यिकी
कार्यदल सं.6	अंतरण मूल्यांकन
कार्यदल सं.10	सूचना का आदान-प्रदान और कर अनुपालन
कार्य दल सं.11	अक्रामिक कर आयोजना

जी20 ने ओईसीडी से जी20 नेतृत्व तथा वित्त मंत्रियों को प्रस्तुत करने हेतु सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के संबंध में एक एकल समनुरूप मानक विकसित करने के लिए कहा है। भारतीय प्रतिनिधि डब्ल्यू पी 10 की बैठकों में भाग लेते हैं, जो ऐसे समनुरूप मानक को विकसित कर रहा है।

(ग) कर प्रशासन के संबंध में मंच (फोरम): कर प्रशासन के संबंध में फोरम को 2002 में ओईसीडी की सीएफए द्वारा सृजित किया गया था और इसमें सभी जी20 देशों सहित 43 सदस्य शामिल

है। यह मंच कर प्रशासन और कर अनुपालन के क्षेत्र में सहयोग के लिए बनाया गया है भारत 1 जनवरी, 2012 से एफटीए के ब्यूरो का सदस्य है। राजस्व सचिव ने मई, 2013 को हुई ब्यूरो की बैठक में भाग लिया था।

(घ) कर तथा विकास के संबंध में कार्यबल: कराधान के क्षेत्र में विकासशील देशों की सहायता करने के संबंध में जी 20 देशों द्वारा की गई अपील को ध्यान में रखते हुए ओईसीडी ने कर और विकास के संबंध में एक अनौपचारिक कार्यबल का गठन किया है। भारत ने कार्यबल के कार्य में सहयोग दिया है।

(ड.) ओईसीडी ने सीमा रहित कर निरीक्षकों की एक प्रायोगिक परियोजना इस उद्देश्य के साथ आरंभ की है ताकि कर लेखापरीक्षा की जानकारी और कौशल को सही समय पर 'कर के सीखना' दृष्टिकोण के जरिए विकासशील देशों में कर प्रशासकों को अंतरित किया जा सके। विशेषज्ञों जो इस समय सेवारत है या हाल ही में सेवा निवृत्त हुए कर अधिकारियों को मौजूदा लेखापरीक्षाओं आदि अंतर्राष्ट्रीय कर मामलों से जुड़े लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों के बारे में और सामान्य लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को बांटने हेतु स्थानीय कर अधिकारियों के साथ सीधे ही कार्य करने हेतु तैनात किया जाएगा। भारतीय प्रतिनिधियों ने टी आई डब्ल्यू बी व्यवहार्यता अध्ययन के विकास के लिए बैठकों में भाग लिया है।

(च) तकनीकी विकास कार्यक्रम: ओईसीडी वर्ष 2000 से एनएडीटी नागपुर में तकनीकी विकास कार्यक्रम चला रहा है। आज की तारीख तक ऐसे लगभग 32 कार्यक्रम चलाए जा चुके हैं जिनमें क्षेत्रीय स्तर से अधिकारी भाग लेते हैं। एनएडीटी में वर्ष 2013 में ऐसे दो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जो कि 26 से 30 अगस्त, 2013 तक प्रगतिशील कर संधियों और 25 से 29 नवम्बर, 2013 तक विकसित अंतरण मूल्यांकन के संबंध में थे।

(छ) एफ टी एंड टी आर प्रभाग ने अंकारा, सीओल, वीयना, बुडापेस्ट तथा जकार्ता में आयोजित विभिन्न ओईसीडी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों पाठ्यक्रमों में भाग लेने हेतु विभाग के अधिकारियों के भेजने की पहल की है। वर्ष के दौरान 52 से अधिक अधिकारियों को उनकी व्यावसायिक विशेषज्ञताओं में वृद्धि करने हेतु ओईसीडी के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने हेतु भेजा गया है।

13.10.13 कर मामलों के संबंध में ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग

ब्रिक्स देशों के राजस्व प्रमुखों अर्थात् ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के राजस्व प्रमुख 17 और 18 जनवरी, 2013 को नई दिल्ली में मिले थे और अंतर्राष्ट्रीय कराधान, अंतरण मूल्यांकन, सीमा के पार कर अपवंचन और परिहार सूचना के आदान-प्रदान, कर प्रणाली प्रशासन में सबसे से श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को बांटने और विवादों के समाधान से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था। बैठक का उद्घाटन भारत के वित्त मंत्री ने 17 जनवरी को किया था और 18 जनवरी, 2013 को राजस्व सचिव द्वारा समापन किया गया था। यह राजस्व अध्यक्षों की प्रथम बैठक थी और बैठक की समाप्ति पर एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें ब्रिक्स देशों के राजस्व प्रमुख पारस्परिक हितों और सरोकारों के विभिन्न मुद्दों पर उनके कर प्रशासनों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए सहमत थे।

विज्ञप्ति में ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक लिंको के महत्व को स्वीकार किया गया था और इन लिंको को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया था। कर प्रशासन के क्षेत्र में घनिष्ठ समन्वय और कर प्रशासन और सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ब्रिक्स देशों की सतत प्रतिबद्धता का समर्थन करते हुए राजस्व प्रमुखों ने अपने पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने के लिए कर नीति और कर प्रशासन के सात क्षेत्रों की पहचान की। इस पारस्परिक सहयोग में अंतर्राष्ट्रीय कराधान और अंतरण मूल्यांकन के संबंध में विकासशील देशों की अभिलाषाओं को सामान्य रूप में और ब्रिक्स देशों की अभिलाषाओं को विशेष रूप में ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में योगदान करना शामिल है। सहयोग के अन्य क्षेत्रों में प्रवर्तन प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाना, उत्तम प्रक्रियाओं को बांटना और क्षमता निर्माण करना, परिहार रोधी और गैर अनुपालन व्यवहारों को आपस में बांटना तथा सूचना के कारगर आदान-प्रदान को बढ़ावा देना शामिल है। विज्ञप्ति में ब्रिक्स देशों द्वारा उन प्रक्रियाओं/व्यवहारों के द्वारा कर आधार के अपरदन करने पर चिंता व्यक्त की गई जिनमें कर संधि लाभों का दुरुपयोग करना, सूचना का अपूर्ण प्रकटन, छलपूर्ण दावे करना शामिल है और कर आधार अपरदन और पारस्परिक सहयोग से लाभ अंतरण को रोक कर इन चिंताओं के समाधान के प्रति एक प्रतिबद्धता की गई। विज्ञप्ति में ब्रिक्स देशों के बीच एक करार को भी व्यक्त किया गया जिसमें क्षमता निर्माण, प्रणालियों में सुधार और संसाधनों, ज्ञान तथा उत्तम प्रक्रियाओं को बांटने के प्रति मिलकर कार्य करने का वचन दिया गया और सहयोग और परस्पर निर्भरता की प्रवृत्ति पर जोर दिया गया जो ब्रिक्स देशों की सहभागिता और उद्देश्यों को उजागर करता है जिसे कर प्रशासन के क्षेत्र में इस तरह से बढ़ाया गया है जिससे ब्रिक्स देशों के लोगों को लाभ प्राप्त होगा।

ब्रिक्स देशों के राजस्व प्रमुख 17 मई, 2013 को मोस्को में कर प्रशासकों संबंधी फोरम की बैठक के साथ-साथ पुनः मिले, जिसमें उन्होंने निर्णय किया कि ब्रिक्स देशों के बीच कर और सीमाशुल्क, दोनों ही मामलों में सहयोग के क्षेत्र को तीन क्षेत्रों तक सीमित किया जाना चाहिए। सहयोग के ये तीन क्षेत्र (क) कर आधार अपरदन और लाभ अंतरण (ख) अंतर्राष्ट्रीय मंच के संबंध में सामान्य दृष्टिकोण और (ग) सीमाशुल्क सहयोग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अंतः सम्बद्धता हैं।

13.10.14 भारत-ब्राजील-दक्षिणी अफ्रीका (इबसा) राजस्व प्रशासन कार्य समूह की बैठक

आई बी एस ए (भारत-ब्राजील दक्षिण अफ्रीका) बातचीत मंच दक्षिणी सहयोग को बढ़ावा देने और तीन लोकतांत्रिक देशों को एक साथ लाने हेतु भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक त्रिपक्षीय पहल है। राजस्व प्रशासन कार्य समूह वर्ष 2006 में बनाए गए आई बी एस ए बातचीत मंच के विभिन्न सेक्टरल कार्य समूहों में एक समूह है। इसे कर तथा सीमा शुल्क दोनों क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देना है और इबसा बातचीत मंच में योगदान करना है। राजस्व प्रशासन कार्यदल के आईबीएसए प्रमुखों (एचआरएडब्ल्यूजी) की 8वीं बैठक 8 नवम्बर, 2013 को हुई थी और आईबीएसए राजस्व प्रशासन संचालन समूह की 11वीं बैठक 4-7 नवम्बर, 2013 को रियो

डी जेनियरों, ब्राजील में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय कराधान और अंतरण मूल्यांकन, सूचना के आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग, बहुक्षेत्रीय मंच, डिजिटल अर्थव्यवस्था, अक्रामक कर आयोजना और क्षमता निर्माण में सहयोग क्षेत्रों की पहचान की गई थी और सहयोग बढ़ाने हेतु इन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उप समूह गठित किए गए हैं।

13.10.15 संयुक्त राष्ट्र टी पी मैनुअल

संयुक्त राष्ट्र ने विकासशील देशों के लिए अंतरण मूल्यांकन के संबंध में एक व्यवहार्य मैनुअल का विकास करने के अधिदेश के साथ अंतरण मूल्यांकन के संबंध में एक उप-समिति गठित की है। भारत भी इस उप-समिति का सदस्य है और अंतरण मूल्यांकन मैनुअल का प्रारूप तैयार करने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। यू एन अंतरण मूल्यांकन मैनुअल मई, 2013 में जारी किया गया था और इससे विकासशील देशों के सरोकारों का समाधान होने की आशा है। भारत के महत्वपूर्ण विकासशील देशों/उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक देश होने के कारण इसने इस मैनुअल के प्रारूप को तैयार करने में सक्रिय भूमिका अदा की है। यू एन अंतरण मूल्यांकन उप समिति में भारत के प्रतिनिधि संयुक्त सचिव (एफ टी एवं टी आर-1) को तुलनात्मक क्षमता विश्लेषण कम्पेयरबिलिटी एनालिसिस के सम्बंध में अध्याय का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। भारत ने "भारतमें उभरती हुई अंतरण मूल्यांकन चुनौतियाँ" के विषय पर अपने लेख-पत्र को भी प्रस्तुत किया था जो यूएन टीपी मैनुअल का एक भाग है।

13.10.16 अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ समन्वय

भारत सेंटर फार अमेरिकन टैक्स एडमिशन (सी आई ए टी), एक बहुपक्षीय संगठन का सह सदस्य है। सी आई ए टी के प्रयास अंतर्राष्ट्रीय कर अपवंचन के विरुद्ध संयुक्त रूप से कार्रवाई करने की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्राधिकारों के कर प्रशासनों के बीच सहयोग पर केन्द्रित हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सी आई ए टी विभिन्न कार्यकलापों जैसे अध्ययन कार्यशालाएं, संगोष्ठियों आदि का आयोजन करता है जिनमें कर प्रशासन अपने सुझावों, व्यवहारों, अनुभवों आदि को बांट सकते हैं। भारतीय प्रतिनिधियों ने सीआईएटी की बैठकों में भाग लिया है।

कामनवैल्थ एसोसिएशन आफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स (सीएटीए) की स्थापना (कामनवैल्थ) राष्ट्रमंडल देशों के वित्त मंत्रियों के बारंबारों में 1977 में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप की गई थी। भारत कामनवैल्थ एसोसिएशन आफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स (सीएटीए) का 1979 से एक महत्वपूर्ण सदस्य है। सीएटीए के कार्यकलापों में वार्षिक तकनीकी कार्यशाला का आयोजन और कर अधिकारियों के लिए उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, तिमाही समाचार पत्रों का प्रकाशन, परामर्शी सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था अनुरोध करने पर सदस्यों के लिए अनुसंधान सुविधाओं की व्यवस्था, करना, सदस्यों को सूचना की आपूर्ति करना शामिल है। भारत ने सीएटीए के द्वारा वर्ष के दौरान चलाए गए मुख्य कार्यक्रमों में भाग लिया और विशिष्ट उद्देश्यों के संबंध में भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए रिपोर्टें भी अग्रेषित की हैं।

भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने 3 से 5 दिसम्बर, 2013 तक माराकेश, मोरक्को में कर तथा अंतः सरकारी संबंधों पर आईटीडी ग्लोबल सम्मेलन में भाग लिया और एक प्रस्तुतीकरण दिया।

13.10.17 अनिवासी कराधान से संबंधित नीतिगत मामलों से संबंधित मुद्दे।

वित्त अधिनियम, 2013 में किए गए संशोधनों से विभिन्न मुद्दों जिनमें रायल्टी पर कर दर से संबंधित और कर रेजिडेंसी प्रमाणपत्र से संबंधित मुद्दों शामिल हैं के सहित बजट के बाद पैदा हुए नीति संबंधी मुद्दों पर कार्रवाई की गई। विभिन्न अनुरोधों पर विचार किया गया था और घरेलू स्टेकहोल्डरों और अन्य देशों से इन मुद्दों पर प्राप्त सुझावों, अभ्यावेदनों और अशंकाओं पर कार्रवाई की गई।

अन्य मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त प्रस्तावित व्यवस्थाओं विज्ञप्तियों, संयुक्त वक्तव्यों से संबंधित कर मुद्दों पर सूचनाएं उपलब्ध करायी गई। विदेश मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों को उनके द्वारा समय-समय पर किए गए अनुरोध के अनुसार ब्यौरे मुहैया कराए गए।

अनिवासी कराधान से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर सूचना के लिए सभी अनुरोधों पर विचार किया गया। संशोधनों के प्रभाव, कर कटौती से संबंधित अनुपालन, विवरणियों को भरना तथा अन्य मुद्दों के बारे में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की शंकाओं से संबंधित सभी नीतिगत मामलों पर विचार किया गया था और कार्रवाई की गई थी।

13.10.18 अन्य देशों के साथ उठाए गए नीतिगत मामले

कर रेजिडेंसी प्रमाण पत्र व्यवस्थाओं के बारे में अन्य देशों से प्राप्त हुई चिंताओं पर कार्रवाई की गई और स्टेकहोल्डरों के सरोकारों का अधिनियम/कानूनों में संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार करके समाधान किया गया। मामले की टीपीएल प्रभाग के साथ जांच की गई थी और उसका अब वित्त अधिनियम, 2013 के द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 में संशोधन करके समाधान कर दिया गया है।

3.10.19 एफटी एवं टीआर प्रभाग में एफ आई पी बी अनुभाग

वर्ष 2012 के दौरान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एफ टी एवं टी आर-1 प्रभाग में एक नए अनुभाग, नामतः एफ आई पी बी अनुभाग की स्थापना की गई थी। इस अनुभाग द्वारा "सरकारी अनुमोदन प्रक्रिया" के अंतर्गत दायर किए गए एफ डी आई आवेदनों की राजस्व की दृष्टि से जांच किया जाना और इस संबंध में सूचना आर्थिक कार्य विभाग के एफ आई पी बी एकक को भेजी जाना अपेक्षित है। कैलेंडर वर्ष 2013 के दौरान एफ आई पी बी अनुभाग में 379 प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई थी और इन प्रस्तावों के संबंध में सूचना विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को भेजी गई थी।

13.10.20 अनुबंध-बीईपीएस का समाधान करने के लिए 15 कार्य: कार्य-1 डिजिटल अर्थव्यवस्था की कर चुनौतियों का समाधान:

उन मुख्य कठिनाइयों की पहचान करना जो डिजिटल अर्थ व्यवस्था के कारण मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों को लागू करने में सामने आ रही हैं और समग्र दृष्टिकोण तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कराधान, दोनों को ध्यान में रखते हुए इन कठिनाइयों का समाधान

करने के लिए विस्तृत विकल्प खोजना। जांच किए जाने वाले मुद्दों में, परंतु जो, विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत आपस में संबंध न होने के कारण कराधान के लिए उत्तरदायी न होने पर अन्य देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण डिजिटल मौजूदगी रखने के लिए कंपनी की योग्यता, डिजिटल उत्पादों और सेवाओं का प्रयोग करके विपणीय अवस्थिति से संगत आंकड़ों के एकत्रण से सृजित मूल्य का आरोपण, नए व्यापारिक मॉडलों से प्रोद्भूत आय का लाक्षणिक वर्णन, संबंधित स्रोत नियमों का अनुप्रयोग और डिजिटल माल और सेवाओं की सीमा के आर-पार आपूर्ति के संबंध में वैट/जीएसटी का कारगर संग्रहण को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए, तक ही सीमित नहीं है, शामिल हैं। ऐसे कार्य के लिए इस सेक्टर में विभिन्न व्यावसायिक मॉडलों के गहन विश्लेषण की आवश्यकता है।

कार्य-2 हाईब्रिड बेमेल व्यवस्थाओं के प्रभावों को निष्प्रभावी बनाना

हाईब्रिड दस्तावेजों और संस्थाओं के प्रभाव (अर्थात् दोहरे गैर-कराधान, दोहरी कटौती, दीर्घकालिक आस्थगन) को निष्प्रभावी करने हेतु स्वदेशी नियमों के अभिकल्प के बारे में मॉडल संधि व्यवस्थाएं तैयार करना और सिफारिशें करना। इन में निम्नलिखित शामिल हो सकती हैं- (i) यह सुनिश्चित करने हेतु कि हाईब्रिड दस्तावेजों और संस्थाओं (इसके साथ-साथ दोहरी निवासी संस्थाओं) का संधियों का अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु प्रयोग तो नहीं किया जाता है, ओईसीडी मॉडल कर अभिसमय में परिवर्तन करना (ii) ऐसे स्वदेशी कानूनी उपबन्ध जो उन अदायगियों के लिए छूट या अस्वीकृति से रोकते हैं जो दाता द्वारा कटौती योग्य हैं (iii) ऐसे स्वदेशी कानूनी उपबन्ध जो ऐसी अदायगी के लिए कटौती दिए जाने से मना करते हैं, जो प्राप्तकर्ता द्वारा आय में जमा योग्य नहीं है (और नियंत्रित विदेशी कंपनी (सीएफसी) या समान नियमों के तहत कराधान के अध्यधीन नहीं है); (iv) ऐसे स्वदेशी कानूनी उपबन्ध जो ऐसी अदायगी के लिए कटौती से मना करते हैं जो किसी अन्य क्षेत्राधिकार में भी कटौती योग्य है और (v) जहां आवश्यक हो, यदि एक से अधिक देश किसी संव्यवहार या संरचना के लिए ऐसे नियमों को लागू करने के लिए मांग करते हैं, तो समन्वय या संबंधों को तोड़ने वाले नियमों के संबंध में मार्गदर्शन करना। स्वदेशी कानूनों और ओईसीडी मॉडल कर अभिसमय के उपबन्धों के संबंधों के बीच अंत कार्रवाई के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस कार्य को ब्याज व्यय कटौती सीमाओं, सीएफ नियमों संबंधी कार्य और संधि शापिंग संबंधी कार्य के साथ समन्वित किया जाएगा।

कार्य-3: सीएफसी नियमों को सुदृढ़ बनाना: नियंत्रित विदेशी कारपोरेशन नियमों के अभिकल्प के बारे में सिफारिशें तैयार करना। इसे कार्य को यथावश्यक अन्य कार्य के साथ समन्वित किया जाएगा।

कार्य-4: ब्याज कटौतियों या अन्य वित्तीय अदायगियों के जरिए कर आधार अपरदन (बेस इरोजन) को सीमित करना : ब्याज व्यय के प्रयोग के जरिए कर आधार अपरदन को रोकने के लिए उदाहरणार्थ अत्यधिक ब्याज कटौतियां प्राप्त करने हेतु संबंधित पक्ष या तीसरे पक्ष के ऋण का प्रयोग करके अथवा छूट प्राप्त या आस्थगित आय पैदा करने और अन्य वित्तीय अदायगियों जो आर्थिक दृष्टि से ब्याज अदायगियों के बराबर हो, को वित्त पोषित करके, कर आधार अपरदन को रोकने हेतु नियमों के अभिकल्प में उत्तम व्यवहारों के बारे में

सिफारिशें करना। यह कार्य विभिन्न प्रकार की परिसीमाओं की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करेगा। पूर्ववर्ती कार्य के संबंध में और उसके समर्थन में संबंधित पार्टी के वित्तीय संव्यवहारों के मूल्यांकन के बारे में अंतरण मूल्यांकन मार्गदर्शन भी विकसित होगा जिसमें वित्तीय तथा कार्य निष्पादन गारंटी, व्युत्पन्न (अंतःबैंकिंग कार्यवाहियों में प्रयोग किए गए आंतरिक व्युत्पन्न सहित) तथा केपटिव तथा अन्य बीमा व्यवस्थाएं शामिल हैं। इस कार्य को हाईब्रिड और सीएफसी नियमों संबंधी कार्य से समन्वित किया जाएगा।

कार्य-5 हानिकर कर व्यवहारों का पारदर्शिता और वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधिक कारगर रूप में विरोध करना:

अधिमान्य व्यवस्थाओं से संबंधित निर्णयों और किसी अधिमान्य व्यवस्था के लिए अपेक्षित पर्याप्त कार्यकलापों के संबंध में अनिवार्य सहज आदान-प्रदान सहित हानिकर कर व्यवहारों संबंधी कार्य में पारदर्शिता में सुधार को प्राथमिकता देते हुए तेजी लाना। वीईपीएस संदर्भ में अधिमान्य कर व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करने हेतु यह संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएगा। यह विद्यमान कार्यवाहियों के आधार पर गैर ओईसीडी सदस्यों के साथ कार्य में लगेगा और विद्यमान कार्यवाहियों में संशोधनों और अभिवृद्धियों पर विचार करेगा।

कार्य-6 संधि दुरुपयोग को रोकना: अनुपयुक्त परिस्थितियों में संधि लाभों को मंजूर करने को रोकने के लिए स्वदेशी नियमों के अभिकल्प के बारे में मॉडल संधि उपबन्ध और सिफारिशें विकसित करना। इसे स्पष्ट करने के लिए भी कार्य किया जाएगा कि कर संधियों को दोहरे गैर-कराधान की उत्पत्ति करने हेतु और उन कर नीति निर्णयों की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाना अभिप्रेत नहीं है, जिनपर सामान्यतया देशों को अन्य देश के साथ कर संधि करने का निर्णय करने से पूर्व विचार करना चाहिए। इस कार्य को हाईब्रिड से संबंधित कार्य से समन्वित किया जाएगा।

कार्य-7 पी ई स्थिति के कृत्रिम परिहार को रोकना: आयुक्तालय व्यवस्थाओं और विशिष्ट कार्यकलाप छूटों का प्रयोग करने सहित बीईपीएस के संबंध में पी ई स्थिति के कृत्रिम परिहार को रोकने हेतु पीईकी परिभाषा में परिर्तन करना। इन मुद्दों पर कार्य से संबंधित लाभ आरोपित मुद्दों का समाधान भी होगा।

कार्य 8,9,10: सुनिश्चित करें कि अंतरण मूल्यांकन परिणाम मूल्य सृजन के अनुरूप है:

कार्य 8: अस्पष्ट सृजनात्मक गुण (इनटैजिबल) : समूह सदस्यों के बीच चल अप्रत्यक्ष सृजनात्मकता के द्वारा बीईपीएस को रोकने हेतु नियमों का विकास। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) अस्पष्ट सृजनात्मक गुणों की व्यापक और स्पष्ट वर्णित परिभाषा अपनाना (ii) यह सुनिश्चित करना कि अस्पष्ट सृजनात्मक गुणों के अंतरण और प्रयोग से संबद्ध लाभों को (पृथक्करण के विपरीत) मूल्य सृजन के अनुसार उपयुक्त रूप से आबंटित किया जाता है (iii) मूल्य के लिए कठिन अस्पष्ट सृजनात्मक गुणों के अंतरण के लिए अंतरण मूल्यांकन नियम या विशेष उपाय विकसित करना; (iv) लागत योगदान व्यवस्थाओं के आधार पर मार्गदर्शन को अद्यतन करना।

कार्य-9: जोखिम और पूंजी: समूह सदस्यों के बीच जोखिमों को अंतरित करके या अधिक पूंजी को आबंटित करके बीईपीएस को

रोकने हेतु नियम विकसित करना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक संस्था को पूर्णतया अनुपयुक्त लाभ उद्धृत नहीं होगे क्योंकि इसमें संविदात्मक रूप से जोखिमों के अपना लिया है अथवा इसे पूंजी उपलब्ध करा दी गई है, इसमें अंतरण मूल्यांकन नियमों को या विशेष उपायों को अपनाना शामिल होगा। विकसित किए जाने वाले नियमों में मूल्य सृजन के साथ प्रतिफल की समनुरूपता भी अपेक्षित होगी। इस कार्य को ब्याज व्यय कटौतियों और अंतिम वित्तीय अदायगियों से संबंधित कार्य के साथ समन्वित किया जाएगा।

कार्य 10: अन्य उच्च जोखिम वाले संव्यवहार: ऐसे संव्यवहारों, जो कि तीसरे पक्षों (पार्टियों) के बीच या तो घटित नहीं होते हैं या बहुत ही कम घटित होते हैं में व्यस्त होकर बीईपीएस को रोकने हेतु नियम विकसित करना। इसमें (i) ऐसी परिस्थितियों को स्पष्ट करने जिनमें संव्यवहारों का पुनः वर्णित किया जा सकता है (ii) वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में अंतरण मूल्यांकन पद्धतियों विशेष रूप से लाभ बांटने में, के अनुप्रयोग को स्पष्ट करने; (iii) आधार अपरदित अदायगियों की सामान्य किस्मों, जैसे कि प्रबंधन फीस और मुख्यालय व्यय के प्रति सुस्था प्रदान करने हेतु अंतरण मूल्यांकन नियमों या विशेष उपायों अपनाना शामिल होगा।

कार्य-11 बीईपीएस के संबंध में आंकड़े (डाटा) को एकत्रित करने और इनका विश्लेषण करने हेतु सुनिश्चित पद्धतियां और इनका समाधान करने हेतु कार्यवाहियां: बी ई पी एस के परिमाण और आर्थिक प्रभाव के सूचकों के बारे में सिफारिशें तैयार करना और यह सुनिश्चित करना कि बीईपीएस का समाधान करने हेतु सतत आधार पर की जा रही कार्यवाहियों की कारगता और आर्थिक प्रभाव को मानीटर करने और मूल्यांकन करने के लिए साधन उपलब्ध हैं। इस कार्य में बीईपीएस (देशों के बीच बिखरे स्पिल ओवर प्रभावों सहित) के परिमाण और प्रभाव तथा इसका समाधान करने के लिए की गई कार्यवाहियों आर्थिक विश्लेषण करना शामिल होगा। इस कार्य में विद्यमान डाटा स्रोतों की सीमा का निर्धारण करना; नई किस्मों के आंकड़ों की पहचान करना जिसे एकत्रित किया जाना चाहिए और सकल (अर्थात एफडीआई और शेष भुगतान आंकड़े) तथा सूक्ष्म स्तरीय आंकड़े (अर्थात वित्तीय विवरणों से और कर विवरणियों से) दोनों प्रकार के आंकड़ों पर आधारित पद्धतियों विकसित करना, करदाताओं की गोपनीयता का ध्यान रखने की आवश्यकता और कर प्रशासनों तथा व्यवसायों के लिए प्रशासनिक लागत को ध्यान में लेना भी शामिल होगा।

कार्य-12 करदाताओं के लिए अपनी अक्रामक कर आयोजना व्यवस्थाओं को प्रकट करना अपेक्षित होना: अक्रामक या अनुचित संव्यवहारों, व्यवस्थाओं या संरचनाओं के लिए अनिवार्य प्रकटन नियमों

के अभिकल्प के बारे में सिफारिशें विकसित करना, कर प्रशासनों तथा व्यवसायों के लिए प्रशासनिक लागतों को ध्यान में लेना तथा उन देशों की संवर्धक संख्या के अनुभवों पर ध्यान देना जिनके ऐसे नियम हैं। इस कार्य में मॉड्यूलर अभिकल्प का प्रयोग किया जाएगा जिसमें अधिकतम सामंजस्य के लिए अनुमति होगी परंतु देश विशिष्ट आवश्यकताओं और जोखिमों के लिए भी अनुमति होगी। एक फोकस अंतर्राष्ट्रीय कर योजनाएं होगी, जिनमें "कर लाभ" की व्यापक परिभाषा का प्रयोग करके कार्य ऐसे संव्यवहारों का पता लगाने हेतु छान बीन करेगा। इस कार्य को सहयोगी अनुपालन संबंधी कार्य के साथ समन्वित किया जाएगा। इसमें कर प्रशासनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय कर योजनाओं के लिए सूचना बांटने के उन्नत मॉडलों का अभिकल्पन और उन्हें लागू करना शामिल हैं।

कार्य-13 अंतरण मूल्यांकन प्रलेखन की पुनः जांच करना: व्यवसाय के लिए अनुपालन लागतों को ध्यान में लेकर कर प्रशासन के लिए पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अंतरण मूल्यांकन प्रलेखन के बारे में नियम बनाना। तैयार किए जाने वाले नियमों में एक आवश्यकता शामिल होगी कि बहुदेशीय उद्यम (एम इन ई) सभी संगतों सरकारों को आय के उनके वैश्विक आबंटन, आर्थिक कार्य कलाप तथा सामान्य टेम्पलेट के अनुसार देशों के बीच संदत करो के संबंध में अपेक्षित सूचना उपलब्ध करायेंगे।

कार्य-14 विवाद समाधान प्रक्रियाओं को अधिक कारगर बनाना

ऐसी बाधाओं को दूर करने हेतु समाधान विकसित करना जो अधिकांश संधियों में मध्यस्थता उपबंधों के न होने सहित देशों को एम ए पी के अंतर्गत संधि संबंधित विवादों को हल करने से रोकती है तथा तथ्य यह है कि कुछेक मामलों में एम ए पी के लिए अधिगम और मध्यस्थता के लिए इंकार किया जा सकता है।

कार्य-15 बहुपक्षीय दस्तावेज विकसित करना: बहुपक्षीय दस्तावेज तैयार करने से संबंधित कर तथा सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून संबंधी मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए उन क्षेत्राधिकारों को समर्थ बनाना जो बीईपीएस के संबंध में कार्य के दौरान विकसित उपायों को कार्यान्वित करने हेतु और द्विपक्षीय कर संधियों को संशोधित करने के लिए ऐसा करने चाहते हैं। इस विश्लेषण के आधार पर हितबद्ध पार्टियां एक बहुपक्षीय दस्तावेज तैयार करेंगी जिसका अभिकल्प वैश्विक अर्थव्यवस्था के तेजी से विकसित हो रहे स्वरूप को और इस विकास को शीघ्रता से अपनाने की आवश्यकता को दर्शाते हुए अंतर्राष्ट्रीय कर मामलों में एक नवाचारी दृष्टिकोण मुहैया कराने के लिए तैयार किया गया है।

13.11 प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)

13.11.1 प्रस्तावना

प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) का कार्यालय सीमा पार संव्यवहार करने वाली संस्थाओं से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कराधान के मामलों के संबंध में कार्रवाई करता है। यह व्यक्तियों या व्यवसायों पर विभिन्न देशों के कर कानूनों के अधधीन कर के निर्धारण के संबंध कार्रवाई करता है। भारत में आयकर प्रणाली के तहत स्थानीय आय पर और/या विश्वव्यापी आय पर कर लगाया जाता है। कराधान की ऐसी प्रणाली देश-दर-देश व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न है और इस संबंध में कोई व्यापक सामान्य नियम नहीं है। इन भिन्नताओं के कारण दोहरे कराधान (जिसमें एक ही आय पर विभिन्न देशों में कर लगाया जाता है) और कराधान न किए जाने (जिसमें किसी भी देश में कर नहीं लगाया जाता है) की संभावना पैदा हो जाती है। सामान्यतया जिस मामले में विश्वव्यापी आय पर कर लगाया जाता है तो उसमें अन्य क्षेत्राधिकारों में संदत्त करों के लिए कटौतियां

या विदेशी क्रेडिट मुहैया कराया जाता है। कराधान की किसी भी प्रणाली के साथ आय को उस पद्धति में जिससे कराधान में कमी आती है अंतरित करना या पुनः वर्णित करना संभव है। क्षेत्राधिकार प्रायः सामान्य तौर पर नियंत्रित पार्टियों के बीच आय को अंतरित करने से संबंधित नियमों को लागू करते हैं और प्रायः अन्तरण मूल्यांकन नियमों के रूप में उल्लेख करते हैं। प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) के अंतर्गत विभिन्न निदेशालय कंपनियों के सीमापार विलयन/अधिग्रहण के मामलों की संवीक्षा की प्रक्रिया में सतत रूप से लगे हुए हैं जब कभी भी कंपनियों के विलय और अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप शेयरों के अंतरण पर पैदा होने वाले पूंजीगत लाभों पर कर लगाने हेतु ऐसे संव्यवहार घटित होते हैं।

13.11.2 गठन

उपर्युक्त कार्यों को निष्पादित करने की दृष्टि से प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) के प्रभाराधीन स्थापना में निम्नलिखित निदेशालय शामिल हैं:-

क्रम सं.	प्रभार
1	निदेशक, आयकर (अंतर्राष्ट्रीय कर), दिल्ली-1
2	निदेशक, आयकर (अंतर्राष्ट्रीय कर), दिल्ली-2
3	निदेशक, आयकर (अंतर्राष्ट्रीय कर), मुम्बई-1
4	निदेशक, आयकर (अंतर्राष्ट्रीय कर), मुम्बई-2
5	निदेशक, आयकर (अंतर्राष्ट्रीय कर), चेन्नई
6	निदेशक, आयकर (अंतर्राष्ट्रीय कर), बंगलौर
7	निदेशक, आयकर (अंतर्राष्ट्रीय कर तथा टीपी), कोलकाता
8	निदेशक, आयकर (अंतर्राष्ट्रीय कर तथा टीपी), पुणे
9	निदेशक, आयकर (अंतर्राष्ट्रीय कर तथा टीपी), अहमदाबाद
10	निदेशक, आयकर (अंतर्राष्ट्रीय कर तथा टीपी), हैदराबाद
11	निदेशक, आयकर (टीपी), दिल्ली-1
12	निदेशक, आयकर (टीपी), दिल्ली-2
13	निदेशक, आयकर (टीपी), मुम्बई-1
14	निदेशक, आयकर (टीपी), मुम्बई-2
15	निदेशक, आयकर (टीपी), चेन्नई
16	निदेशक, आयकर (टीपी), बंगलौर
17	निदेशक, आयकर (एपीए), नई दिल्ली

भारत सरकार कर विभाग तथा भारत में कार्य रही विदेशी कंपनियों के बीच कर विवादों का समाधान करने के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया उपलब्ध कराने हेतु उत्सुक रही है। इस दिशा में सरकार ने वित्त अधिनियम, 1993 के द्वारा अग्रिम निर्णय देने के संबंध में उपबन्ध अंतःस्थापित किए हैं। इस प्रयोजन के लिए सरकार ने अग्रिम निर्णय प्राधिकरण का गठन किया है जिसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश हैं। यह प्राधिकरण अग्रिम निर्णय देने में एक प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। तदनुसार, अग्रिम निर्णय के लिए प्राधिकरण को भेजे जाने वाले मामलों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के समक्ष विभाग

की ओर से कारगर प्रस्तुतीकरण किए जाने हेतु आयुक्त, आयकर (डीआर) (एएआर), नई दिल्ली को इस प्रयोजन के लिए विशेषरूप से नामोद्दिष्ट किया गया है।

तथापि, अग्रिम निर्णय उपबंधों को अंतःस्थापित करने के बाद अधिनियम में अंतरण मूल्यांकन के संबंध में नई धाराएं जोड़ी गई थीं। इससे नए विवाद पैदा हुए हैं विशेष रूप से “असन्निकट मूल्यके निर्धारण में” विवाद पैदा हुए हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों में अपनाया जाना होता है। वित्त अधिनियम, 2009 में विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) के संबंध में उपबन्ध प्रस्तुत किए गए थे ताकि एक

वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया उपलब्ध की जा सके और विवादों का तत्काल (फास्ट ट्रैक) आधार पर शीघ्रता से निपटान करने में सुविधा हो सके। इस समय प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर (अंतर्राष्ट्रीय

कराधान) के अंतर्गत निम्नलिखित विवाद समाधान पैनल (डी आर पी) कार्य कर रहे हैं:-

क्रम सं.	प्रभार
1	विवाद निपटान पैनल, दिल्ली-1
2	विवाद निपटान पैनल, दिल्ली-2
3	विवाद निपटान पैनल, दिल्ली-3
4	विवाद निपटान पैनल, मुम्बई-1
5	विवाद निपटान पैनल, मुम्बई-2
6	विवाद निपटान पैनल, मुम्बई-3
7	विवाद निपटान पैनल, चेन्नई
8	विवाद निपटान पैनल, बंगलौर
9	विवाद निपटान पैनल, कोलकता
10	विवाद निपटान पैनल, पुणे
11	विवाद निपटान पैनल, अहमदाबाद
12	विवाद निपटान पैनल, हैदराबाद

अंतरण मूल्यांकन प्रक्रिया में और सुनिश्चितता और पारदर्शिता लाने की दृष्टि से अग्रिम मूल्यांकन करार (एपीए) की योजना, वर्ष 2012-13 के केन्द्रीय बजट में प्रस्तुत की गई थी। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दिनांक 06.6.2012 के आदेश के द्वारा एक आयुक्त, आयकर (एपीए) की तैनाती की गई है, जिसकी सहायता के लिए नई दिल्ली, मुम्बई और बंगलौर में अपर आयुक्त आयकर और उपायुक्त, आयकर को तैनात किया गया है।

13.11.3 प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) के कार्यालय द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान निपटाये गए महत्वपूर्ण मुद्दे/मामले:-

- लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान के लिए, प्रतिदाय प्राप्त न होने के संबंध में तथा अन्य मामलों में शिकायत याचिकाओं के समाधान और निपटान और अधिनियम की धारा 195 तथा 197 के अंतर्गत प्रमाणपत्रों को प्रदान करने के लिए आवेदनों के समय पर निपटान पर विशेष ध्यान दिया गया।
- फार्म सं. 150क/गख के सत्यापन को प्राथमिकता दी गई जिसके परिणामतः 198 मामलों में टीडीएस में गलतियां पकड़ी गईं जिनके संबंध में 326.14 करोड़ रुपये की कर मांग जारी की गई।
- कुछ ध्यान देने योग्य मामले जिनमें टीडीएस-त्रुटियां देखी गई हैं नीचे दिए जाते हैं:-

- मैसर्स रिचर होल्डिंग्स लि. साइप्रस (सेसा गोआ ग्रुप) निर्धारण वर्ष 2008-09 875:19 करोड़ रुपये
- मैसर्स वेस्टग्लोब लि. मारीशस (सेसा गोआ ग्रुप) निर्धारण वर्ष 2008-09 583.46 करोड़ रुपये
- मैसर्स एमफासिस लि. निर्धारण वर्ष 2006-07 से लेकर वर्ष 2008-09 तक 163.07 करोड़ रुपये
- मैसर्स विप्रो लि. निर्धारण वर्ष 2007-08 लेकर निर्धारण वर्ष 2012-13 तक 17.43 करोड़ रु.
- मैसर्स डा. रेड्डी लैब लि. 8.45 करोड़ रु.

- महानिदेशालय के अधिकारियों के लाभ के लिए अंतर्राष्ट्रीय कराधान, अंतरण मूल्यांकन और अग्रिम मूल्यांकन करारों आदि से संबंधित मामलों के संबंध में विभिन्न गोष्ठियों/सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समय-समय पर आयोजन किया गया था।

13.11.4 सांख्यिकीय सूचना

- 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार विभिन्न आयकर निदेशालयों (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) के बजट एकत्रण संबंधी सांख्यिकीय आंकड़े- अनुबंध-क
- टी पी समायोजनों संबंधी सूचना-अनुबंध 'ख' और 'ग'
- विवाद निपटान पैनलों (डी आर पी) के समक्ष दायर किए गए मामलों की सूचना-अनुबंध 'घ'

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान), नई दिल्ली
यथा 31.3.2014 को बजट संग्रहण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	डीआईटी	2012-13 में संग्रहण		2013-14 में संग्रहण	
		लक्ष्य	31.03.2013 तक संग्रहण	लक्ष्य	31.03.2014 तक संग्रहण
1	डीआईटी (आईटी)-I, दिल्ली	3313	3172.8	3700	4251.7
2	डीआईटी (आईटी)-II, दिल्ली	2107	2150	2506	2294.3
3	डीआईटी (आईटी)-I एवं II, मुम्बई	15977	15750	18500	17821.5
4	डीआईटी (आईटी)-अहमदाबाद	653	681.54	697	632.1
5	डीआईटी (आईटी)-हैदराबाद	515.57	599.86	470	535.47
6	डीआईटी (आईटी)-पुणे	614	597.5	741	919
7	डीआईटी (आईटी)-कोलकाता	658	802.9	967	595.1
8	डीआईटी (आईटी)-चेन्नई	2406	1938.47	2265	1965.35
9	डीआईटी (आईटी)-बैंगलूर	2140	2486	2749	2840.7
	कुल	28383.57	28179.07	32595	31855.22

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान), दिल्ली
पिछले वर्षों के दौरान बजट संग्रहण

वित्तीय वर्ष	कुल संग्रहण (करोड़ रुपए में)
2004-05	4418
2005-06	8049
2006-07	9147
2007-08	11790
2008-09	15740
2009-10	16198
2010-11	22485
2011-12	27442
2012-13	28030
2013-14	31855

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान), दिल्ली
वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान किए गए अंतरण मूल्यन समायोजन

(अनुलग्नक-ख)

क्र. सं.	डीआईटी प्रभार	पूरी की गई टी पी लेखा परीक्षा की संख्या	मामलों की संख्या जिनमें टीपी के समायोजन किए गए	किए गए टीपी समायोजन की कुल राशि (करोड़ रु. में)
1.	डीआईटी (टीपी)-I, नई दिल्ली	642	376	6846.97
2.	डीआईटी (टीपी)-II, नई दिल्ली	397	188	8251.00
3.	डीआईटी (टीपी)-I, मुंबई	710	316	15032.26
4.	डीआईटी (टीपी)-II, मुंबई	425	256	15770.68
5.	डीआईटी (टीपी) कोलकाता	41	23	574.63
6.	डीआईटी (टीपी) अहमदाबाद	131	80	1697.41
7.	डीआईटी (टीपी) बंगलौर	510	330	5923.33
8.	डीआईटी (टीपी) हैदराबाद	162	112	1987.75
9.	डीआईटी (टीपी) चैन्नई	375	129	959.62
10.	डीआईटी (टीपी) पुणे	224	110	2558.98
	कुल	3617	1920	59602.63

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान), दिल्ली
वर्ष के दौरान किए गए अंतरण मूल्यन समायोजन

अनुलग्नक-ग

क्रम सं.	टीपी लेखा परीक्षा वर्ष	निर्धारण वर्ष	पूरी की गई टी पी लेखा परीक्षा की संख्या	समायोजित मामलों की सं.	समायोजित मामलों का प्रतिशत	समायोजन की राशि (करोड़ रु. में)
1	2005-06	2002-03	1061	239	23	1220
2	2006-07	2003-04	1501	337	22	2287
3	2007-08	2004-05	1768	471	27	3432
4	2008-09	2005-06	1945	754	39	7754
5	2009-10	2006-07	1830	813	44	10908
6	2010-11	2007-08	2368	1207	50.97	24111
7	2011-12	2008-09	2638	1343	50.91	44532
8	2012-13	2009-10	3171	1686	53.17	70016
9	2013-14	2010-11	3617	1920	53.08	59602
		Total	19899	8608	43.26	223862

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान), दिल्ली
पिछले वर्षों के दौरान डीआरपी के समक्ष फाइल किये गये मामले

क्रम सं.	वित्त वर्ष	अवधि के दौरान फाइल किये गये मामले	समेकित राशि (करोड़ रुपये में)	पुष्टि किए गए/जांच कर पता लगाए गए मामलों में शामिल राशि (करोड़ रु. में)
1	2009-10	1154	37595	34849
2	2010-11	938	42835	28797
3	2011-12	1041	68977	40578
4	2012-13	1070	80332	24899
5	2013-14	1015	98565	33665*

कुछ मामलों में मांग बढ़ सकती है, मूल्यांकन अधिकारियों को मांग स्थिति की पुनः गणना करनी होगी।

13.12 लेखा परीक्षा एवं लोक लेखा समिति प्रभाग

13.12.1 वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा एवं लोकलेखा समिति, सीबीडीटी द्वारा कार्य निष्पादन एवं उपलब्धियों का उल्लेख

13.12.1.1 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड ए जी) द्वारा रिपोर्ट किए गए मसौदा पैराओं की मंत्रालय में जांच की गई और की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां (ए टी एन) तैयार करके लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई, जिस पर सी एंड एजी मूल्यांकन टिप्पणी या तो एटीएन को अंतिम रूप अथवा पुनर्विचार के लिए टिप्पणी सहित प्रत्युत्तर जारी करता है। सी एंड ए जी की मूल्यांकन टिप्पणी को समाविष्ट करने के पश्चात्, मंत्रालय लोक लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए व्यय विभाग (डीओई) के तहत निगरानी सेल (एमसी) को एटीएन भेजता है।

13.12.1.2 सीबीडीटी के मामले में, लेखापरीक्षा रिपोर्ट वर्ष (ए आर वाई) 2010-11 तक सी एंड ए जी की रिपोर्ट के लिए आंतरिक प्रत्युत्तर के लिए आज तक की तारीख को कोई **मसौदा/लेखापरीक्षा पैरा लंबित** नहीं है। सी एंड ए जी के लेखा परीक्षा पैराओं की स्थिति का समाधान मासिक आधार पर किया जाता है और यथा 31.12.2013 को सी एंड ए जी को आंतरिक प्रत्युत्तर के लिए कोई मसौदा पैरा लंबित नहीं है।

13.12.1.3 लेखा परीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2010-11 तक **मसौदा/अंतिम एटीएन की प्रस्तुति के संबंध में**, निगरानी सेल ने कार्यालय ज्ञापन सं. 5/1/2013-एमसी/240 दिनांक 24.10.2013 के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि जहां तक लेखापरीक्षा पैराओं की लंबन स्थिति का संबंध है, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के विभाग ने लेखा परीक्षा पैराओं के बहुत अधिक लंबन को **2670 (2010-11 के दौरान)** से **22 (2012-13)** तक कम करके उल्लेखनीय कार्य किया है और सीबीडीटी ने

लिए गए केन्द्रीभूत एवं संयुक्त निर्णय और लेखापरीक्षा पैराओं के निपटारे के लिए निगरानी सेल के साथ-साथ सी एंड ए जी के मध्य ताल-मेल का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है।

13.12.1.4 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार 22 मामलों पर (लेखा परीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2010-11) पर 15 मसौदा पैराओं (डीपी) को सीएजी के साथ और निपटान किया गया है तथा एटीएन निगरानी सेल को भेजा जा चुका है और 7 मसौदा पैराओं के मामले में सीएजी को सीबीडीटी का प्रत्युत्तर भेजा जा चुका है और इनपर सीएंडएजी की जांच चल रही है।

13.12.1.5 उपरोक्त के अतिरिक्त, समाप्ति वर्ष मार्च, 2012 के लिए **सी एंड ए जी की 2013 की रिपोर्ट सं.15** को 23 अगस्त, 2013 को संसद के सभापटल पर रखा गया है और एटीएन प्रस्तुत करने की समयावधि 23 दिसम्बर, 2013 तक रखी गई। इस रिपोर्ट में ले.रि. वर्ष 2011-12 से संबंधित 455 मसौदा पैरा शामिल हैं। जून, 2012 से सीबीडीटी ने इस रिपोर्ट में शामिल मसौदा पैराओं का जत्था प्राप्त किया है और इन पर चुस्ती से कार्रवाई की गई है। **इस रिपोर्ट में शामिल किए गए 455 मसौदा पैरा में से सभी 455 मामलों में सी एंड ए जी को आरंभिक प्रत्युत्तर 23 दिसम्बर, 2013 तक की अंतिम तिथि से पहले ही भेजे जा चुके हैं।** इन पैराओं में सी एंड ए जी की मूल्यांकन टिप्पणी की प्रतीक्षा की जा रही है। यह पहली बार है कि सीबीडीटी ने अंतिम तिथि से पहले ही 100 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया है।

13.12.2 रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई (एटीआर (ओ))

13.12.2.1 हिन्दी अनुवाद सहित 30.11.2013 को देय सभी एटीआर पीएसी को भेजी जा चुकी है। इसमें 36वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) के तीन पैरा और 47वीं रिपोर्ट (14वीं लोक सभा) के 3 पैरा शामिल

हैं। “करों की वापसी पर ब्याज पर किया गया व्यय” से संबंधित वर्ष 2011-12 के लिए सी एंड ए जी रिपोर्ट सं.1 के पैरा सं.4.1.1 की 5 एटीआर भी लेखा परीक्षा की मूल्यांकन टिप्पणी सहित पीएसी को भेजी जा चुकी हैं।

13.12.2.2 28 फरवरी, 2014 को 87वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) के संबंध में 19 एटीआर देय थी और पीएसी को 21 फरवरी, 2014 को पहले ही भेजी जा चुकी है।

13.12.2.3 “गैर-चयनित लेखापरीक्षा पैराओं (2010-11) पर कार्रवाई की टिप्पणी के समय से प्रस्तुतीकरण में मंत्रालयों/विभागों द्वारा गैर-अनुपालन” पर उनकी 58वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर 98वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) के पीएसी पैरा सं.7 पर कार्रवाई की टिप्पणी 31 मार्च, 2014 को भेजी गई थी।

13.12.3 लोक लेखा समिति ने ‘पीएसी तथा सीएजी पर की गई रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआरएस) की गई कार्रवाई की टिप्पणी (एटीएन) के समय से प्रस्तुतीकरण में मंत्रालयों/विभागों द्वारा गैर-अनुपालन’ की विस्तृत जांच का आयोजन किया तथा अतीत में

यह टिप्पणी की है कि संसद में लेखा परीक्षा रिपोर्टों को रखने की दिनांक से चार माह से निश्चित समय अवधि के भीतर कार्रवाई की टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया पद्धति निश्चित समयबद्ध और प्रभावी और होने के बारे में वित्त मंत्रालय चुप है। यह देखा जा सकता है की ए एंड पी एसी प्रभाग ने प्रभावी और निश्चित समयबद्ध प्रक्रिया को तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं, जोकि प्रभाग में किए गए कार्यों में दिखते हैं। वरिष्ठ प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली फाइलों के प्रसंस्करण में कम से कम देशी के लिए नीति बनाना क्षेत्रीय कार्यालयों को निरंतर अनुस्मारक भेजने के माध्यम से प्रोफार्मा रिपोर्टों की समय से प्रस्तुति सुनिश्चित की जाती है।

13.12.4 सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में एस ए सी की पांचवी बैठक दिनांक 10.9.2013 को ए एंडपीएसी द्वारा आयोजित की गई। ए एंड पीएसी प्रभाग के प्रदर्शन की डीजी (डीटी एवं समन्वय) ने सराहना की और बैठक के दौरान यह चर्चा की गई कि डीपी के लंबन को कम करने में सीबीडीटी ने बेहतरीन कार्य किया है।

13.12.5 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार सीबीडीटी अर्थात सीएजी को प्रारंभिक प्रत्युत्तर से संबंधित लेखा परीक्षा पैराओं के बारे में स्थिति निम्नानुसार है:-

वर्णन	2010-11	2011-12
कुल लंबितता	3	455
भेजे गए प्रत्युत्तर	3	455
शेष लंबितता	शून्य	शून्य
निपटान का संचयी प्रतिशत	100 %	100 %

प्रणाली समीक्षा/मूल्य निर्धारण:

(क) एग्जिट सम्मेलन

- “धर्मार्थ न्यास एवं संस्थानों को छूट” के कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा संबंधी एग्जिट कंफ्रेंस 22.5.2013 को की गई थी। रिपोर्ट (2013 की रिपोर्ट सं.20) संसद में सभा पटल पर 13 दिसम्बर, 2013 को रखी गई थी।
- “फर्मों का मूल्यांकन” के कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा पर एग्जिट कंफ्रेंस 06.02.2014 को आयोजित की गई थी। रिपोर्ट अभी संसद के सभा पटल पर रखी जानी है।
- “अर्थदंड एवं अभियोजन प्रशासन” के निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रारूप रिपोर्ट पर अतिरिक्त प्रत्युत्तर दिनांक 22.11.2013 को सीएजी को भेजा जा चुका है। रिपोर्ट (2013 की रिपोर्ट सं. 28) संसद में सभा पटल पर 18.02.2014 को रखी गई थी।

(ख) एन्ट्री सम्मेलन

- “मूल्यहास और परिशोधन का भत्ता” के कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा पर एन्ट्री कंफ्रेंस 04.09.2013 को आयोजित की गई थी।

- “भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) के कार्य निष्पादन” पर एन्ट्री कंफ्रेंस 22.11.2013 को की गई थी।

- मूल्यांकन कार्रवाइयों में तृतीय पार्टी रिपोर्टिंग/ प्रमाण की सराहना के कार्य निष्पादन पर एन्ट्री कंफ्रेंस 06.02.2014 को आयोजित की गई थी।

इन समीक्षाओं के परिणाम की वर्ष 2012-13 के दौरान संसद में रखी जाने वाली सी एंड ए जी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने की संभावना है। सभी सीसीएसआईटी/ डीजीएसआईटी तथा संबंधित निदेशालयों से सी एंड ए जी की लेखापरीक्षा टीम को पूरा सहयोग प्रदान करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश जारी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किए गए हैं कि संगत सूचनाएं तथा रिकार्ड लेखापरीक्षा टीमों को अविलंब उपलब्ध कराए/प्रस्तुत किए जाएं।

(ग) “पीएसी एवं सीएजी की रिपोर्टों पर की कार्रवाई की रिपोर्ट/की गई कार्रवाई टिप्पणी के प्रस्तुतीकरण में प्रगति की समीक्षा पर सचिवों की समिति की बैठक दिनांक 26.02.2014 को आयोजित की गई थी।

(घ) लोक सेवा समिति (2012-13) ने राजस्व विभाग प्रत्यक्ष कर के तहत निम्नलिखित विषयों की विस्तृत जांच के लिए चयन किया गया था:-

- 2012-13 की रिपोर्ट सं.23 की संघ सरकार-निष्पादन लेखा-परीक्षा (राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर)-आयकर विभाग में आईटी आवेदन।
- 2012-13 की रिपोर्ट सं.4 संघ सरकार-निष्पादन लेखा परीक्षा (राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर)-सूचना के प्रयोग के माध्यम से कर आधार को मजबूत बनाना।

चयनित विषयों पर लोकसभा सचिवालय, पीएसी शाखा से एक प्रश्नावली प्राप्त हुई थी, जिसका एक विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया गया था। 'आयकर विभाग में आईटी आवेदनों' के मुद्दे पर पीएसी के समक्ष मौखिक साक्ष्य 14.10.2013 को आयोजित किया गया था। मौखिक साक्ष्य के पश्चात दिनांक 14.10.2013 को आयोजित वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य से उठे प्रश्नों की सूची जिसके उत्तर का समेकन सीबीडीटी के विभिन्न प्रभागों के साथ समन्वय करने के बाद किया गया था और 12.11.2013 को प्रस्तुत किया गया। 'सूचना प्रयोग के माध्यम से कर आधार को मजबूत बनाना' के मुद्दे पर पीएसी के समक्ष मौखिक साक्ष्य के बाद, 3.2.2014 को आयोजित किया गया था। बाद के 3 मुद्दों पर अतिरिक्त सूचना पीएसी को 6.2.2014 को भेजी गई। मौखिक साक्ष्य से उठे प्रश्नों की संख्या 11, का प्रत्युत्तर पीएसी को 21.02.2014 को भेज दिया गया था।

13.12.6 'करों की वापसी के ब्याज पर किया गया व्यय के संबंध में वर्ष 2011-12 की सीएंडएजी रिपोर्ट सं.1 के पैरा 4.1.1 पर विद्वान भारतीय अटार्नी जनरल की संशोधित राय की मांग के संबंध में सचिव, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) का मौखिक साक्ष्य 02.09.2013 को आयोजित किया गया। 02.09.2013 को आयोजित मौखिक साक्ष्य से उठे प्रश्नों की सूची पर मंत्रालय का उत्तर पीएसी शाखा को 4.10.2013 को अग्रेषित किया गया था। इसके बाद सीएजी की मूल्यांकन टिप्पणियों पर मंत्रालय की प्रतिकूल टिप्पणियां पीएसी शाखा को 1.11.2013 को भेजी गई।

13.13 आयकर महानिदेशालय (प्रशासन)

डीजीआईटी (प्रशासन) के अन्तर्गत पांच निदेशालय हैं।

- आयकर निदेशालय (आयकर)
- आयकर निदेशालय (पीआर, पीपी एंड ओएल)
- आयकर निदेशालय (लेखापरीक्षा)
- आयकर निदेशालय (वसूली)
- आयकर निदेशालय (टीडीएस)

13.13.1 आयकर निदेशालय (आयकर)

आयकर निदेशालय (आयकर), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत सीबीडीटी का एक संबद्ध कार्यालय है। इसका अध्यक्ष आयकर का एक निदेशक होता है जो आयकर के आयुक्त रैंक का एक अधिकारी होता है और इसमें निरीक्षण विंग तथा परीक्षा विंग नाम की दो विंग शामिल होते हैं।

13.13.1.1 निरीक्षण विंग

निरीक्षण का उपकरण, कर निर्धारण/प्रशासनिक यूनिट में उच्च गुणवत्ता के कार्य मानक को बढ़ाने, उन्नत करने तथा बनाए रखने, फाइलों/अभिलेखों का रखरखाव करने और विभिन्न अभिलेख रखने वाली प्रणाली तथा जनशिकायतों पर कार्यवाई करने में एक प्रभावी औजार है। यह अधिकारियों को उनके कार्यों में निर्देशन प्रदान करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण औजार है। इन निरीक्षणों के दौरान पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किए गए कार्य की व्यापक तरीके से निरीक्षण अधिकारी द्वारा जांच की जाती है जिसमें संबंधित अधिकारियों की उनके कार्य क्षेत्र में उपलब्धियों तथा कमियों का कार्य पद्धतियों की सुदृढ़ता तथा कमजोरी को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उल्लेख किया जाता है तथा उससे प्रशासनिक मशीनरी को सुदृढ़ बनाया जाता है।

निरीक्षण की एक नई प्रणाली 4 नवंबर, 2008 की अनुदेश संख्या 16/2008 द्वारा संचालन में आयी जो आयकर आयुक्त (अपील), क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कर निर्धारण अधिकारियों के वार्षिक व्यापक निरीक्षण हेतु व्यवस्था करता है जिसके लिए रिपोर्टों को निरीक्षण के प्रत्येक वर्ग में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा के अनुसार होना था। निरीक्षण की नई प्रणाली के अन्तर्गत निम्नलिखित निरीक्षण किए जाने हैं:-

क्रम संख्या	निरीक्षित कार्यालय	निरीक्षण करने वाला अधिकारी	समीक्षा करने वाला अधिकारी	किए जाने वाले निरीक्षणों की संख्या
1.	आयकर आयुक्त (अपील)	संबंधित मुख्य आयकर आयुक्त	-	उसके प्रभार में कार्य करने वाले सभी आयकर आयुक्त (अपील)
2.	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त	संबंधित प्रशासनिक आयकर आयुक्त	संबंधित मुख्य आयकर आयुक्त	एक क्षेत्रीय प्रमुख
3.	उपआयुक्त, आयकर/सहायक आयकर आयुक्त	संबंधित प्रशासनिक आयकर आयुक्त	संबंधित मुख्य आयकर आयुक्त	उसके प्रभार में दो डीसीएसआईटी/एक एसी एसआईटी
4.	आयकर अधिकारी	संबंधित क्षेत्रीय प्रमुख	संबंधित आयकर आयुक्त	उसके क्षेत्र में दो आयकर अधिकारी

वित्त वर्ष 2012-13 में सीबीडीटी को एक अवधारणा दस्तावेज भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें कुछ संशोधनों/सुधारों का सुझाव दिया गया है ताकि निरीक्षण प्रोफार्मा को सरल बनाया जा सके और इसे और अधिक सुस्पष्ट बनाया जा सके और निरीक्षण करने के लिए

नई समय-सीमाएं तैयार की जा सकें ताकि निरीक्षण अभ्यास को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके।

वित्त वर्ष 2010-11 से 31.12.2013 तक किए गए निरीक्षणों का तुलनात्मक विश्लेषण निम्नानुसार है:-

वित्त वर्ष	वित्त वर्ष के लिए किए गए निरीक्षण	प्राप्त की गई रिपोर्टों की संख्या	समीक्षा की गई रिपोर्टों की संख्या
2010-11	2008-09	1803	926
2011-12	2009-10	1554	951
2012-13	2010-11	1667	1660
2013-14	2011-12	1368	1368

* दिनांक 4/11/2008 के अनुदेश संख्या 16/2008 द्वारा इस निदेशालय में देय निरीक्षण रिपोर्टों के अनुसार यथा तिथियों को रिपोर्टें प्राप्त की गई।

वित्त वर्ष 2013-14 चालू वित्त वर्ष के दौरान संबंधित निरीक्षण प्रपत्र के पैरा 2.3.5 के अनुसार प्राधिकृत आदेशों की गुणवत्ता के विशेष संदर्भ में सीएसआईटी (अपीलें) के कार्य की निरीक्षण रिपोर्टों की जांच करने के लिए निरीक्षण विंग द्वारा पहल की गई है। ऐसी रिपोर्टों ने पाई गई जानकारी को मासिक डीओ रिपोर्टों में सम्मिलित किया जा रहा है।

13.13.1.2 परीक्षा विंग

परीक्षा विंग को सहायक आयकर आयुक्त (परिवीक्षार्थियों) तथा आयकर विभाग के दूसरे राजपत्रित एवं गैर-राजपत्रित संवर्ग के लिए विभागीय परीक्षाएं आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है। यह निदेशालय दक्ष, समयबद्ध तथा स्वच्छ तथा निष्पक्ष तरीके में विभागीय परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह निदेशालय, आयकर तथा ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में नए विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा नियमों तथा नीति/पाठ्यक्रम की भी निरन्तर समीक्षा कर रहा है और इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में आयकर विभागों को गुणवत्तायुक्त स्टाफ/अधिकारी प्रदान कर रहा है।

परीक्षा विंग उन अभ्यर्थियों की शिकायतों, फरियादों तथा अभ्यावेदनों पर भी कार्रवाई करता है जो निदेशालय द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षाओं में शामिल हुए हैं और विभागीय परीक्षाओं से संबंधित सूचना के अधिकार आवेदनों पर भी कार्रवाई करता है।

क. वर्ष के दौरान कार्य निष्पादन/उपलब्धियों का उल्लेख :

1. अप्रैल, 2013 में पहले विभागीय (पहले पूरक) परीक्षा के साथ-साथ भारतीय राजस्व सेवा परिवीक्षार्थियों के 65वें बैच की दूसरी विभागीय परीक्षा के परिणाम संकलित तथा घोषित किए गए थे।
2. सहायक आयकर आयुक्तों (प्रोबेशनरों) के 66 बैच की पहली विभागीय परीक्षा अगस्त, 2013 में आयोजित की गयी थी। उनके परिणाम नवम्बर, 2013 में घोषित किए गए थे।

3. प्रत्येक उम्मीदवार के परीक्षा आंकड़ों जैसे नाम, क्रमांक, विषय कोड, पेपर सैट कोड, परीक्षा केन्द्र, स्थिति-आंशिक अर्हताप्राप्त, सुधार, सामान्य के सत्यापन की छानबीन की गई और जहां वांछित था उन्हें गत वर्ष के रिकार्ड से मिलाया गया। जहां भी आवश्यकता हुई, इन आंकड़ों की संशुद्धि प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

4. आयकर अधिकारियों/आयकर निरीक्षकों-2013 की विभागीय परीक्षा वर्ष 2013 के सितम्बर माह में नए वस्तुनिष्ठ पैटर्न में निर्विघ्न आयोजित की गई। इन परीक्षाओं में लगभग 7800 उम्मीदवारों ने में हिस्सा लिया।

5. आयकर अधिकारियों/आयकर निरीक्षकों वर्ष 2013 की विभागीय परीक्षा के परिणाम माह दिसम्बर, 2013 में घोषित किए गए थे।

ख. परीक्षा के आयोजन तथा परिणाम की घोषणा में लगने वाले समय को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी की सहभागिता :-

1. अभ्यर्थी के आवेदन प्रपत्रों की ऑनलाइन पावती की शुरुआत करना, इस वर्ष की नई पहल थी, जिससे उम्मीदवारों के डाटाबेस की कम्प्यूटरीकृत कैप्चरिंग तथा रख-रखाव की सुविधा हुई। इससे प्रवेश-पत्र जारी करने तथा अनुक्रमांक का ऑनलाइन आबंटन की भी सुविधा होती है। इस सुविधा के कारण अखिरी मिनट पर भी प्रवेश पत्र जारी करने और केन्द्र के परिवर्तन के अनुरोध पर कार्रवाई की जा सकती है।
2. सुविधा का त्रुटिरहित संचालन सुनिश्चित करने के लिए इसकी कड़ाई से जांच की गई तथा उम्मीदवारों को वेब-लिंक से प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड करने की सुविधा दी गई।
3. आयकर अधिकारियों/आयकर निरीक्षकों-2011 की विभागीय परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों की उत्तर-कुंजी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वेबसाइट पर डाल दी गई थी।

4. उत्तर पुस्तिकाओं की तेजी से जांच के लिए आयकर अधिकारियों की परीक्षा के संबंध में 21 अक्टूबर, 2013 से निदेशालय में ही एक सप्ताह का केंद्रीयकृत जांच कैम्प आयोजित किया गया।
5. प्रेक्षकों के आदेश, प्रेक्षक रिपोर्ट फॉर्मेट, परीक्षा समय सारणी तथा प्रेक्षकों की जांच सूची की प्रतियां सभी नामित अधिकारियों को ई-मेल की गई तथा उसकी पावतियों की टेलिफोनिक पुष्टियां प्राप्त की गई।
6. नेट पर केन्द्रवार उपस्थिति शीट भी अपलोड की गई तथा अपने-अपने केन्द्रों के लिए उपस्थिति शीट डाउनलोड करने हेतु सभी सीसीआईटी/सीआईटी (परीक्षा) को वेब-लिंक, यूजर व पासवर्ड उपलब्ध कराए गए।
7. आयकर अधिकारी/आयकर निरीक्षक परीक्षा के लिए प्रत्येक विषय, प्रत्येक केन्द्र के लिए उम्मीदवारों की संख्या का आकलन अनन्तिम आवेदन डाटा से किया गया। इस ब्यौरे के आधार पर प्रत्येक केन्द्र तथा उप केन्द्र के लिए प्रश्न पत्र पैक किए गए।

जैसाकि उक्त ब्यौरा दिया गया है, विभिन्न कैंडिडेटों के लिए विभागीय परीक्षाएं आयोजित करने के अलावा, निम्नलिखित विविध प्रकार्य भी निदेशालय द्वारा किए गए:-

- (क) केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण/न्यायालय की विभिन्न पीठों के समक्ष विभागीय परीक्षा आयोजित करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर उम्मीदवारों द्वारा फाइल किए गए मामलों की जांच की गई और कार्रवाई की गई।
- (ख) परीक्षा नियमों की समीक्षा, संशोधन व्याख्या और विभिन्न विभागीय परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया। रियायती मानदंडों पर भर्ती किए गए पहले के आशुलिपिकों के पात्रता मानदंड जारी करने पर चर्चा की गई थी और उसका यथोचित स्पष्टीकरण भी जारी किया गया था।
- (ग) क्रियान्वयन एवं विभागीय परीक्षा से संबंधित नीति की समीक्षा से निदेशालय निरंतर जुड़ा हुआ है और पूरे भारत में, जहां भी आवश्यकता हो, आयुक्तों को निर्देश जारी करता है। यह पूरे भारत में मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीए)/आयकर आयुक्तों (परीक्षाओं के प्रभार में) से प्राप्त संदर्भों एवं प्रश्नों के उत्तर एवं स्पष्टीकरण भी देता है।
- (घ) निदेशालय आयकर अधिकारियों/आयकर निरीक्षकों की विभागीय परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों पर कार्रवाई और निपटान भी करता है।

13.13.2 आयकर निदेशालय (पीआर, पीपी एंड ओएल) :-

आयकर निदेशालय (जन संपर्क, मुद्रण, प्रकाशन और राजभाषा) सम्पूर्ण भारत में आयकर विभाग में प्रचार और जन संपर्क, मुद्रण और प्रकाशन तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए

उत्तरदायी हैं। सांख्यिकीय संग्रहण से संबंधित कार्य का वृत्तिमूलक नियंत्रण महानिदेशक, आयकर (संभार तंत्र) को स्थानांतरित कर दिया गया है। किन्तु अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण अभी भी निदेशक आयकर (जनसंपर्क, मुद्रण/प्रकाशन और राजभाषा) के पास है।

निदेशालय द्वारा वर्ष 2013-14 की अवधि के दौरान किए गए आवश्यक कार्यों में से कुछ कार्य निम्नलिखित हैं :

(i) प्रचार हेतु माध्यमों में बढ़ोतरी

विभाग ने अपने अभियानों की पहुंच को फैलाने के लिए नए प्रचार माध्यमों जैसे देश भर में 4000 से अधिक सिनेमा घरों के माध्यम से प्रचार को शामिल कर प्रचार माध्यमों को बढ़ाया है। विभाग ने परम्परागत माध्यमों जैसे टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया के अतिरिक्त एस एम एस, वेब विज्ञापन और बाह्य अभियान जैसे विभिन्न प्रचार माध्यमों का अधिक व प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया है।

विभाग ने दैनिक यात्रियों तक पहुंचने के अपने अभियान के लिए मेट्रो स्टेशनों, बस शैल्टर्स और खोखों (अस्थाई ढांचा) का प्रयोग किया।

एसएमएस के माध्यम से अभियान न सिर्फ कम लागत वाले हैं अपितु इनसे करदाताओं या सम्भाव्य करदाताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से संबंध स्थापित करने में सहायता मिली है। एसएमएस के द्वारा दी गई सूचना सुस्पष्ट तथा प्रभावी होती है।

(ii) आयकर विभाग की संचार कार्यनीति में बदलाव

आयकर विभाग (आईटीडी) देश के कौने-कौने तक फैला है। बड़ी संख्या में करदाता होने के कारण करदाताओं को शिक्षित करने तथा कर कानूनों के बारे में जागरूकता लाने के लिए, ताकि उनमें स्कैचिक अनुपालन की भावना को बढ़ावा मिल सके, उनके साथ संपर्क बनाए रखना आवश्यक है। आयकर निदेशालय (पीआर, पीपी एवं ओएल) करदाताओं के साथ संपर्क बनाने के लिए प्रचार अभियान चलाता है।

पिछले 03 वर्षों से विभाग ने अपनी प्रचार कार्यनीति में बदलाव किया है ताकि इसे केवल प्रवर्तन एजेंसी के रूप में पेश न किया जाए बल्कि इसे राष्ट्र निर्माण में प्रमुख योगदाता तथा एक सेवा प्रदाता के रूप में भी चित्रित किया जाए। इस कार्यनीति ने विभाग को करदाताओं के साथ प्रभावशाली ढंग से संपर्क स्थापित कर पाए हैं जिससे सुरक्षित प्रगतिशील एवं विकसित राष्ट्र-निर्माण में उनके योगदान का पता चलता है।

आयकर निदेशालय (पीआर, पीपी एवं ओएल) द्वारा अनेक प्रचार अभियान चलाए गए जैसे **अग्रिम कर अदायगी अभियान, अपनी विवरणी जमा करें, टीडीएस कटौती एवं विवरण फाइल करना आदि**, जहां इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया कि कैसे करदाताओं द्वारा समय पर कर की अदायगी से प्रगतिशील राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सहायता मिलती है।

(iii) स्कूली छात्रों के लिए प्रचार कार्यनीति

पिछले वर्ष के दौरान स्कूली पाठ्यक्रम और स्कूली दौरो के माध्यम से युवा छात्रों (छोटे बच्चों) को सुग्राही बनाने की पहल की गई। विभाग को करदाता अनुकूल संगठन के रूप में पेश करने के लिए आयकर कार्यालयों में स्कूली छात्रों की यात्राएं आयोजित की गई। विभाग ने युवा एवं भावी करदाताओं तक पहुंचने के लिए इन कार्यनीतियों को जारी रखा। स्कूली बच्चों के लिए प्रचार कार्यनीति के एक हिस्से के रूप में, विभाग ने प्रमुख राष्ट्रीय टीवी पर राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की। प्रतियोगिता के लिए प्रिंट मीडिया, रेडियो जिंगल्स आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया। मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त के विभिन्न जगहों/स्कूलों में 32 गैर प्रसारण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की गई। भारतीय कराधान के इतिहास एवं विकास पर शुरु में 1 घंटे का एपिसोड प्रसारित किया गया। ‘‘टैक्स योर ब्रेन प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम 1 जून, 2013 से प्रत्येक शनिवार को सायं 7.30 बजे से सायं 8 बजे तक, रविवार को सुबह 8.30 बजे से पुनः प्रसारण के साथ शुरु हुआ। पहला एपिसोड, भारत में आयकर के इतिहास एवं विकास पर एक सूचनात्मक एपिसोड था। प्रश्नोत्तरी के संचालक श्री सौख गांगुली ने किया था। ग्रैंड फिनाले अंतिम एपिसोड होने के कारण प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम ‘टैक्स योर ब्रेन’ का एक घंटे का विशेष एपिसोड था और इसे 17 अगस्त, 2013 शनिवार को शाम 8.00 बजे प्रसारित किया गया और 18 अगस्त, 2013, रविवार को सुबह 10 बजे को पुनः प्रसारण किया गया। एपिसोड में अंतिम दौर में पहुंचने वालों की परिस्थितियां और उनके परिवार के साथ बातचीत पर भी विशेष पेशकश को भी कवर किया गया। सदस्य (राजस्व) सीबीडीटी एवं डीजीआईटी (प्रशा.) द्वारा क्रमशः विजेता एवं उपविजेता टीमों को बधाई के साथ एपिसोड की समाप्ति हुई।

(iv) करदाता लाउन्ज-आयकर विभाग द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2013 में लगाई गई स्टाल को मंत्रालयों और सरकारी विभागों की श्रेणी में ‘एक्सिलेंस इन डिस्पले’ के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ।

आयकर निदेशालय (पीआर, पीपी एवं ओएल), नई दिल्ली द्वारा करदाताओं को कर कानूनों एवं कार्यप्रणाली के बारे में शिक्षित करने, विभाग द्वारा शुरु की गई करदाता सेवाओं के बारे में उन्हें सूचित करने ताकि कर कानूनों का आसानी से अनुपालन हो सके, तथा युवा वयस्कों एवं स्कूली छात्रों में कर अदायगी को मन से एक बहुमूल्य मानक मानने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2013 में करदाता लाउन्ज स्थापित किया गया। मण्डप का मूल विषय समावेशित विकास था जो आईआईटीएफ-2013 के विषय से मेल खाता था तथा विभाग द्वारा चलाए गए पोस्टरों एवं टीवीसी(यों) के माध्यम से कर भुगतान के आवेदन सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश के विकास के प्रदर्शन के माध्यम से इस दिशा में विभाग के योगदान को सही ढंग से उजागर किया गया। विभिन्न कर संबंधी विषयों पर छपी पुस्तिकाओं के आबंटन, कर मामलों संबंधी पुस्तकों की सांकेतिक दामों पर बिक्री तथा विशेष कर प्रश्नों पर टीआरपी के साथ बातचीत के माध्यम से करदाता शिक्षा प्रदान की गई। लाउन्ज में पैन आवेदनों, 26एएस की सुविधा का सदुपयोग करके कर क्रेडिट की जांच करने तथा ई-विवरण माध्यमों से विवरणियों की ई-फाइलिंग के लिए काउंटर थे। 33वीं आईआईटीएफ की पूरी अवधि के दौरान बच्चों के लिए आयोजित, अनेक इंटरएक्टिव गेम्स, प्रश्न-मंच, ड्राइंग, पेंटिंग एवं क्राफ्ट प्रतियोगिताओं के कारण स्कूली छात्रों तथा अनेक अभिभावकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही।

पहली बार, विभाग के लाउन्ज में एक एलईडी की दीवार (10 फुट X 8 फुट) लगाई गई जिसके माध्यम से कई शिक्षात्मक/सूचनात्मक टीवीसी(या) प्रदर्शित की गई। इसके अतिरिक्त, मुख्य मैदान पर आईटीपीओ द्वारा लगाई गई 2 एलईडी की सेवाओं का भी विभाग ने प्रयोग किया और जन जागरूकता के लिए 33वीं आईआईटीएफ 2013 की अवधि के दौरान इसी प्रकार की सूचनात्मक टीवीसी(या) प्रसारित की गई। इस वर्ष लाउन्ज में एक पहल की गई जहां नियमित अंतरालों में लोगों के लिए नुक्कड़ नाटक पेश किए गए। नुक्कड़ नाटक ने लोगों के बीच बड़ी जिज्ञासा पैदा की और अच्छे से समझा भी गया। पविलियन ने बड़ी जनसंख्या को आकर्षित किया और बहुत सराहा गया। राजस्व सचिव, सीबीडीटी के अध्यक्ष एवं सदस्य, सदस्य समझौता आयोग, दिल्ली, मुख्य आयकर आयुक्त एवं आयकर आयुक्त अन्य सहित कई उच्च पदाधिकारी लाउन्ज में पधारे। आईटीपीओ द्वारा ‘प्रदर्शन में श्रेष्ठता’ एवं सूचना के प्रचार के लिए अत्यधिक प्रभावित करने वाला पविलियन के लिए करदाता लाउन्ज को पुरस्कृत किया गया। नई एवं ऊर्जा नवीकरण, भारत सरकार के माननीय मंत्री ने 27.11.2013 को एक प्रभावशाली समारोह में कई विदेशी प्रतिभागियों, राज्यों, पीएसयू(यों), मंत्रालयों एवं व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मेडल और प्रमाण-पत्र पुरस्कृत किए गए। लगातार तीन वर्षों में करदाता लाउन्ज का यह तीसरा पुरस्कार है।

करदाताओं के साथ संचार के लिए करदाता लाउन्ज ने संचार के सभी तीन साधनों अर्थात् सूचना पारस्परिक क्रिया तथा लेनदेन का प्रयोग किया। एलसीडी स्क्रीन पर चल रही कर शिक्षा सामग्री, इशतहार, पम्पलेट्स और करदाता सूचना संबंधी बुकलेट्स श्रृंखला तथा अनेक विभागीय प्रकाशन जैसे आओ सांझा करें (लोक रूपान्तर) एवं भारत में आयकर के 150 वर्ष मनाते हुए कॉफी टेबल बुक करदाताओं के लिए उपलब्ध थे। करदाताओं ने पैन, 26एएस, टीआरपी योजना, ई-फाइलिंग, ई-भुगतान आदि सेवाओं से जुड़े प्रत्यक्ष प्रदर्शन का भरपूर फायदा उठाया। स्टॉल पर उपस्थित कर विवरणी तैयारकर्ताओं ने कदाताओं को योजना के बारे में बताया तथा आयकर से जुड़े विभिन्न कानूनी तथा प्रक्रियात्मक पहलुओं पर उनके मूलभूत प्रश्नों का भी हल किया। करदाताओं को नए पैन हेतु आवेदन पैन में परिवर्तन तथा 26एएस के लिए पंजीकरण तथा ई-फाइलिंग से संबंधित सेवाएं भी प्रदान की गई। पहली बार, टीडीएस संबंधित मुद्दों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए लाउन्ज में सीपीसी टीडीएस के अधिकारीगण भी मौजूद थे। लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए लाइव प्रश्नावली प्रतियोगिताएं की गई और लोगों ने इसका खूब स्वागत किया।

व्यापार मेले की पूरी अवधि के दौरान लगभग 90,000 से 1,00,000 (लगभग) लोगों ने मण्डप का दौरा किया। लोगों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए रखी आगन्तुक पुस्तिका में 2900 से अधिक टिप्पणियां दर्ज की गईं। 14 दिनों की अवधि के दौरान बच्चों/छात्रों को करदाता लाउन्ज में आयोजित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने/उन्हें जीतने के लिए लगभग 2065 प्रमाणपत्र एवं सामान्य जन के साथ-साथ बच्चों को 3000 से अधिक पुरस्कार प्रदान किए गए। कराधान की महत्ता के प्रति युवा मस्तिकों को सुग्राही बनाने की पहल की प्रशंसा की गई।

(v) मुम्बई में करदाता लाउंज

विभाग द्वारा अन्य पविलियन दिनांक 4 से 13 अक्टूबर, 2013 तक 'टाइम्स उत्सव मुम्बई' में करदाता लाउंज के रूप में स्थापित किया गया। आयकर आयुक्त, मुंबई ने उक्त पविलियन का उद्घाटन किया और डीजीआईटी (प्रशा.) नई दिल्ली आदि सहित कई उच्च पदाधिकारी पहुंचे। विभिन्न कर संबंधित विषयों पर विवरण पुस्तिका के वितरण, कर संबंधी मामलों पर पुस्तकों का कम दाम पर विक्रय और विशेष कर संबंधी प्रश्नों पर टीआरपी के साथ बातचीत के माध्यम से करदाता शिक्षा प्रदान की गई। लाउंज में पैन आवेदनों, 26एस की सुविधा का सदुपयोग करके कर क्रेडिट की जांच तथा ई-विवरणी माध्यमों से विवरणियों की ई-फाइलिंग के लिए काउंटर थे। बच्चों के लिए नुक्कड़ नाटक, प्रश्न मंच, ड्राईंग, पेंटिंग एवं क्राफ्ट प्रतियोगिताओं के कारण 'टाइम्स उत्सव' मुम्बई के दौरान लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। आयकर लाउंज की लोगों की बड़ी संख्या ने बहुत सराहना की और आयकर विभाग द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाओं की सूचना का प्रचार करने में भी सफल रहा।

कराधान की महत्ता के प्रति युवा मनोवृत्ति को सुग्राही बनाने की पहल की प्रशंसा की गई।

(vi) नागरिक चार्टर का अभिकल्पन, मुद्रण एवं वितरण

विभाग के लिए परिणाम कार्यवाही दस्तावेज के कार्य बिंदुओं में नागरिक चार्टर का अभिकल्पन, मुद्रण तथा वितरण संबंधी कार्य शामिल होता है। अभिकल्पना से संबंधित कार्य दी गई निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा किया गया तथा वेबसाइट पर डाल दिया गया जिससे कि कार्यालयों से डाउन लोड किया जा सके। पोस्टरों को प्रिंट किया गया तथा निर्दिष्ट समयावधि के अंदर कार्यालय भवनों में डिस्प्ले के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को आपूर्ति किया गया।

(vii) टीआरपी योजना - बैच-II

हिन्दू अविभाजित परिवार के करदाताओं तथा छोटे परिवार के करदाताओं की आय की विवरणियों को दाखिल करने में सहायता के लिए सरकार ने वर्ष 2006-07 के दौरान तथा चुनिंदा विषयों के बेरोजगार तथा आंशिक काम करने वाले स्नातकों को प्रशिक्षण देने के लिए टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर स्कीम (टीआरपीएस) चलाई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे करदाताओं को कम कीमत पर विवरणी दाखिल करने तथा नए करदाताओं को कर के दायरे में लाने हेतु एक और माध्यम बनाना था। इस योजना का दायरा टीडीएस विवरणों, सेवा कर विवरणियों के भरे जाने को इसके दायरे में लाने के लिए दूसरे दौर में बढ़ाया गया।

विभाग टीआरपी की संख्या में वृद्धि करके इस पहल की सफलता को और आगे ले जा रहा है जिससे टीआरपी अनेक स्थानों तक पहुंच पाए हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस विभाग ने 5000 अतिरिक्त स्नातकों को कर विवरणी तैयारकर्ताओं के रूप में उन्हें प्रमाणित करने के लिए चुना और प्रशिक्षित किया। नवम्बर/दिसम्बर, 2012 के दौरान सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर, जनवरी, 2013 के दौरान एक परीक्षा आयोजित की गई। प्रशिक्षित किए गए 5000 उम्मीदवारों में से 3685 उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया गया। सभी 3685 उम्मीदवारों को माह फरवरी, 2013 के दौरान प्रमाण पत्र एवं अनन्य पहचान संख्या (यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) दिया गया।

वर्ष 2006 के दौरान 5000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया, इनमें से 3737 उम्मीदवार अंतिम कोर्स परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार, 2012 में 5000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया, इनमें से 3685 उम्मीदवार अंतिम कोर्स परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। चूंकि विभाग ने इन उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने में भारी व्यय वहन किया है, इसलिए अंतिम कोर्स परीक्षा में बैठने के लिए 1680 में से जो उम्मीदवार पात्र एवं इच्छुक हैं, उनके लिए पुनः परीक्षा आयोजित की गई। 4 अगस्त, 2013 को परीक्षा आयोजित की गई और 153 उम्मीदवार उत्तीर्ण घोषित किए गए।

विभाग द्वारा टीआरपी योजना को फैलाने के लिए निम्नलिखित करदाता सेवाएं शुरू की गई हैं:-

विभिन्न स्थानों पर कर कियोस्क (खोखे) स्थापित करना : विभाग ने कर विवरणी तैयारकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जो व्यक्ति परिवार एवं हिन्दू अविभाजित परिवार करदाताओं को उनकी आय की विवरणी तैयार करने में सहायता करते हैं। करदाता अनुकूल पहल के रूप में विभाग ने सीसीआईटी क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर कर कियोस्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन कियोस्क में टीआरपी तैनात होते हैं जो करदाताओं की रिटर्न जमा करने, पैन आवेदन, रिफण्ड की स्थिति संबंधी पूछताछ से निपटते हैं तथा करदाताओं को उनकी आय की विवरणियां तैयार करने में सहायता भी करते हैं।

माह जुलाई, 2013 के दौरान इसी प्रकार की सेवाओं का प्रयोग विभाग ने किया है, जब विभाग द्वारा तैनात विभिन्न आयकर सेवा केन्द्र में कर विवरणी तैयारकर्ताओं की सेवाओं का सदुपयोग किया जाता है। 40 टीआरपी(यों) ने अपनी इच्छा व्यक्त की है और सिविक सेंटर, प्रत्यक्ष कर भवन, नई दिल्ली में 19.7.2013 से 31.7.2013 तक अपनी सेवाएं दी है और रिटर्न मैन्यूली एवं इलेक्ट्रानिक माध्यम से जमा की है।

रिटर्न जमा करने के संबंध में अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 तक की अवधि के आंकड़े निम्नलिखित हैं:-

क्रम सं.	विवरण
1	कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा जमा किए गए कुल रिटर्न 106540
2	घोषित आय रु. 47,612,982,212
3	कर भुगतान की राशि (रुपए में) रु. 47 56 306 395

ऑनलाइन कर सहायता : टीआरपी योजना में एक हेल्प डेस्क तथा एक टॉल फ्री कॉल सेन्टर होता है जहां टीआरपी, कर विशेषज्ञों से विधि संबंधी मामलों में स्पष्टीकरण के लिए संपर्क कर सकते हैं। नई दर में, आम जनता के लिए 'ऑनलाइन टैक्स हेल्प' सुविधा के अधीन टीआरपी कॉल सेन्टर तथा हेल्प डेस्क खोले गए हैं। इस सुविधा के लिए करदाता www.trpscheme.com वेबसाइट पर जाकर 'ऑनलाइन टैक्स हेल्प' चुनें। यह विकल्प चुनकर, करदाता संपर्क ब्यौरों के साथ कर संबंधी पूछताछ कर सकते हैं। ऑनलाइन पूछताछ का समाधान ईमेल या फोन के जरिए विशेषज्ञों द्वारा 24 घंटे के भीतर किया जाएगा। जनवरी, 2013 से मार्च, 2014 की अवधि के दौरान 1925 ऑनलाइन प्रश्नों का समाधान किया गया।

रजिस्टर फॉर होम विजिट : यह सुविधा प्राप्त करने के लिए करदाता वेबसाइट www.trpscheme.com पर जाकर 'रजिस्टर फॉर होम विजिट' चुनें। करदाताओं को तब उनके द्वारा वांछित मदद के बारे में संक्षेप में इंगित करने को कहा जाता है तथा सुविधाजनक समय व तिथि भी पूछी जाती है जब टीआरपी उनकी सहायता के लिए दौरा कर सकें। इसके बाद हेल्प डेस्क करदाता के प्रश्न सबसे नजदीक उपलब्ध टीआरपी को भेजता है और दूरभाष द्वारा मिलने का समय निश्चित करता है। तब टीआरपी करदाता का दौरा करता है जिससे करदाता अनुपालन संबंधी खर्च कम होता है। टीआरपी को करदाताओं से टीआरपी अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक विवरणी तैयार करने के लिए अधिक से अधिक 250/- रूपए फीस लेने की अनुमति है। फिलहाल टीआरपी द्वारा घर का दौरा करने की सुविधा कुछ शहरों जैसे बैंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली तथा पटना में उपलब्ध करवाई गई है। इस सुविधा को 70 शहरों तक विस्तारित कर दिया है। जनवरी, 2013 से मार्च, 2014 की अवधि के दौरान टीआरपीएस ने 1195 घरों का दौरा किया। संबंधित शहरों में टीआरपीएस की मौजूदगी और सामान्य जन से अनुरोध की पावती के अध्यक्षीन विभाग यह सुविधा पैन में भी उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है।

आयकर विभाग द्वारा आयोजित बड़े अवसरों में कर विवरणी तैयारकर्ताओं की तैनाती:- इस वर्ष टाइम्स उत्सव, मुम्बई एवं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली के दौरान, कर विवरणी तैयारकर्ता तैनात होते हैं जो करदाताओं को उनकी आय की विवरणियां तैयार करने में सहायता भी करते हैं।

(viii) जन संपर्क

कर कानूनों के प्रावधानों तथा सरकार द्वारा कर कानूनों की पेचीदगी कम करने तथा करदाता सेवा में सुधार के लिए उठाए गए कदमों के बारे में करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए 'करदाता सूचना श्रृंखला' के अंतर्गत बुकलेट्स व ब्रोसर्स प्रकाशित किए गए हैं। निम्नलिखित ब्रोसर्स (अंग्रेजी एवं हिन्दी) को वर्ष 2013 में अद्यतन किए गए थे:-

- (i) स्थायी खाता संख्या (पैन)
- (ii) फार्म संख्या 49क 49कक
- (iii) वन स्टॉप शॉप (आयकर विभाग की वेबसाइट) www.incometaxindia.gov.in
- (iv) ई-फाईलिंग
- (v) ई-फाइल विवरणी को भरने के निदेश
- (vi) प्रत्यक्ष कर के साथ तिथि
- (vii) धन कर
- (viii) टीडीएस वित्त वर्ष 2013-14 के लिए अपनी टीडीएस दरें जानें
- (ix) करनिर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए अपने आयकर की दरें जानें (व्यक्ति/एचयूएफ/एओपी/कृत्रिम) न्यायिक व्यक्ति/फर्म)
- (x) लोकपाल
- (xi) आयकर सेवा केंद्र
- (xii) नागरिक चार्टर
- (xiii) प्रपत्र 26एस (कर क्रेडिट स्थिति)
- (xiv) टीडीएस-कर कटौतीकृत गाइड
- (xv) टीडीएस-कर कटौतीकर्ता गाइड
- (xvi) कर विवरणी तैयार करने की योजना

निम्नलिखित टीपीआई श्रृंखला पुस्तिका को यथा तिथि तक अद्यतन किया गया।

- (i) एफएक्यू के साथ अग्रिम मूल्य करार मार्गदर्शिका
- (ii) अपील दायर करने के लिए अपीलें एवं पद्धति ।
- (iii) गृह सम्पत्ति से आय (हिन्दी में) ।

(ix) आओ सांझा करें खंड-VI एवं VII

वर्ष के दौरान आओ सांझा करें भाग-VI का संकलन संबंधी कार्य पूरा किया गया । 'आओ सांझा करें' का यह अंक प्रकाशित किया गया एवं 28.10.2013 को सदस्य (राजस्व), सीबीडीटी ने इसका विमोचन किया। पुस्तक की 6000 मुद्रित प्रतियां क्षेत्रीय कार्यालयों को वितरित की गई। निदेशालय ने कार्यालय ज्ञापन जारी करके "आओ सांझा करें भाग-VII" के संकलन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आओ सांझा करें खंड-7 में शामिल करने के लिए उत्तम आदेशों एवं व्यवहारों के मूल्यांकन के लिए क्षेत्रीय समितियां बना ली गई हैं।

(x) मुद्रण और प्रकाशन

निदेशालय ने विभागीय अधिकारियों के प्रयोग हेतु अनेक प्रकाशनों का मुद्रण कर उन्हें वितरित किया। इस अवधि के दौरान महत्वपूर्ण प्रकाशन

- (i) आओ सांझा करें भाग-VI (विभागीय)
- (ii) सूचना विनिमय नियमावली
- (iii) आधारभूत संरचना नियमावली
- (iv) व्यय बजट नियमावली
- (v) आईआरएस सिविल सूची 2013
- (vi) सीबीडीटी के प्रशासनिक आदेश 2011 का सार-संग्रह
- (vii) सीबीडीटी के प्रशासनिक आदेश 2012 का सार-संग्रह
- (viii) अधिकरण निर्णयों-भाग-1 की पुस्तिका
- (ix) आयकर अधिनियम एवं नियम एवं संपत्ति कर अधिनियम एवं नियम 2013 (अंग्रेजी)
- (x) आयकर अधिनियम एवं नियम एवं संपत्ति कर अधिनियम एवं नियम 2013 (हिन्दी)
- (xi) अक्टूबर, 2006 से मार्च, 2011 की अवधि के प्रत्यक्ष कर बुलेटिन (अर्धवार्षिक) भाग-45(2) से 49(2)
- (xii) जुलाई, 2011 से दिसम्बर, 2012 की अवधि के तिमाही कर बुलेटिन भाग 97 से 102
- (xiii) केन्द्रीय कार्रवाई योजना 2013-14

निम्नलिखित प्रकाशनों का मुद्रण किया जा रहा है:-

- (i) अधिकरण निर्णयों की पुस्तिका-भाग-2
- (ii) सीबीडीटी के प्रशासनिक आदेश 2013 की पुस्तिका
- (iii) अप्रैल, 2011 से अक्टूबर, 2013 की अवधि के प्रत्यक्ष कर बुलेटिन (अर्धवार्षिकी)-भाग 50(1) से 52(2)
- (iv) जनवरी, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक तिमाही कर बुलेटिन भाग 103 से 106

इस निदेशालय ने रिकार्ड समय में निम्नलिखित प्रकाशनों का वितरण किया:-

- (i) ए एच बी 2014
- (ii) विभागीय कैलेंडर 2014

(xi) सूचना विनिमय पर नियमावली एवं अधिकरण निर्णयों की पुस्तिका भाग-1

सूचना विनिमय पर नियमावली एवं अधिकरण निर्णयों की पुस्तिका भाग-1 को मई, 2013 में मुख्य आयुक्त एवं आयकर महानिदेशक के 29वें सम्मेलन के दौरान माननीय वित्त मंत्री ने प्रकाशन एवं विमोचन किया। इस वर्ष के दौरान, इन प्रकाशनों की प्रतियां बाद में कार्यालयों में वितरित की गईं।

(xii) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

प्रत्यक्ष कर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 82वीं, 83वीं, 84वीं एवं 85वीं बैठकें समय पर आयोजित की गईं और बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई। डीआईटी (पीआर, पीपी एवं ओएल) की राजभाषा समिति की बैठकें भी समय पर आयोजित की गईं और बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई।

सीबीडीटी से जुड़े/अधीनस्थ कार्यालयों से विभिन्न तिमाहियों के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की गई और उक्त का समेकन कर दिया गया और समेकित तिमाही प्रगति रिपोर्ट बोर्ड को समय से भेज दी गई। विभिन्न जुड़े/अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा भी कर दी गई है।

प्रत्यक्ष कर राजभाषा समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार माननीय मूल्यों एवं अभिशासन पर विभागीय लेखकों द्वारा 07 पुस्तकों के क्रय करने पर कार्रवाई की गई।

डीजीआईटी (प्रशा.), नई दिल्ली, डीआईटी (पीआर, पीपी एवं ओएल), नई दिल्ली, डीडी(ओएल) (मुख्यालय प्रशा.) नई दिल्ली एवं सहायक निदेशक (ओएल) (मुख्यालय, प्रशा.) ने मुख्यालय से बाहर के क्रमशः 06, 06, 07 एवं 02 कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस प्रकार मुख्यालय के बाहर कुल 21 जुड़े/अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया जा चुका है।

राजभाषा संसदीय समिति ने डीजीआईटी (एचआरडी), नई दिल्ली ; आईटीओ पिथौरागढ़ ; सीसीआईटी, बरेली ; सीआईटी, जबलपुर ; से सीआईटी अमरतल्ला जेसीआईटी सतना; सीसीआईटी राजकोट एवं सीसीआईटी, अहमदाबाद के कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण बैठकों में आयकर निदेशक (पीआर, पीपी एवं ओएल) एवं उपनिदेशक (मुख्यालय) (प्रशा.) ने मुख्यालय का प्रतिनिधित्व किया।

इस निदेशालय के जन सम्पर्क अनुभाग द्वारा समाचार पत्र में जारी किए गए विज्ञापन का अनुवाद एवं विधीक्षा का काम प्रतिष्ठित समाचार-पत्र में प्रकाशन करने से पहले किया गया।

सहायक निदेशकों (ओएल) के लिए बौरोग (सोलन) में अखिल भारतीय हिंदी सेमिनार आयोजित किया गया था।

वरिष्ठ/कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों के लिए नासिक महाराष्ट्र में अखिल भारतीय हिंदी सेमिनार आयोजित किया गया था।

सितम्बर, 2013 में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान चार हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और सफल उम्मीदवारों को हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह में प्रमाण पत्र पुरस्कार दिए गए।

आवश्यक अनुपालना हेतु सभी सीसीएसआईटी/डीजीएसआईटी संवर्ग नियंत्रक के बीच वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

2013-14 के लिए नकद प्रोजेक्ट योजना को आवश्यक अनुपालना हेतु सभी कैडर नियंत्रक सीसीएसआईटी/डीजीएसआईटी के बीच परिचालित किया गया।

टीपीआई श्रृंखला की अंग्रेजी पुस्तिकाओं के हिन्दी अनुवाद की व्यवस्था की गई।

इस निदेशालय के अधिकारियों एवं स्टाफ को हिन्दी में काम करने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए 10.5.2013, 30.8.2013 एवं 13.11.2013 को हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

सीएटी, कोलकाता के आदेश के अनुसरण में कोलकाता में तैनात एक वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक का सहायक निदेशक (रा.भा.) के रूप में पदोन्नति करने के लिए आदेश जारी किया गया।

आयकर विभाग की संवर्ग पुनःसंरचना के परिणामस्वरूप राजभाषा के अधिकारियों के पदों के आबंटन के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

एमएसीपी के तहत 1 कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक को वित्तीय वृद्धि प्रदान की गई।

छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार पर आयकर विभाग के राजभाषा अधिकारियों के वेतनमान को सीएसओएल के अधिकारियों के वेतन मान के समतुल्य करने के लिए कार्रवाई की गई।

वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद से सहायक निदेशक (रा.भा.) के पद पर पदोन्नति के संबंध में यूपीएससी को प्रस्ताव भेजने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

13.13.3 आयकर निदेशालय (लेखापरीक्षा):-

13.13.3.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

आय गणना एवं कर निर्धारण में गणितीय शुद्धता पर द्वितीय जांच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा को

प्रारंभ किया। डीजी (प्रशा.) की अध्यक्षता में स्थापित समिति की संस्तुतियों पर, सीबीडीटी द्वारा यथा अनुमोदित, एक नयी आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था 1 जून, 2007 से प्रारंभ की गई। नई व्यवस्था में लेखापरीक्षा कार्य के निष्पादन के लिए विभाग में एक अलग विशेषीकृत आंतरिक लेखापरीक्षा विंग हैं, जिसमें मूल्यांकन और लेखापरीक्षा के कार्य अलग-अलग हैं।

(क) निर्धारण के दौरान की गई गलतियों को इंगित करने संबंधी सुधारात्मक भूमिका निभाना तथा उपचारी कार्रवाई करना;

(ख) गलतियों को रोकने के लिए सतर्कता बरतना जिसका प्रतिरोधक और सुधारात्मक दोनों प्रभाव हो।

(ग) निर्धारण की गुणवत्ता में सुधार लाना, ऐसी भूल-चूक में कमी लाना, जिनका बाद में राजस्व लेखा-परीक्षा द्वारा पता लगाया गया हो।

(i) लेखापरीक्षा संरचना में, वर्तमान में आयकर के 22 आयुक्त हैं और उनकी टीम लेखापरीक्षा कार्यों को देख रही है। 4 महानगरों में प्रत्येक में 2 आयकर आयुक्त (लेखापरीक्षा) हैं और प्रत्येक प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के साथ एक आयकर आयुक्त लेखापरीक्षा है। सीआईटी (लेखापरीक्षा) समस्त लेखापरीक्षा विंग का प्रभारी है और प्रधान सीसीआईटी/सीसीआईटी (सीसीए) के प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के तहत कार्य करता है। लेखापरीक्षा कार्य का निष्पादन डीसीआईटी की अध्यक्षता में विशेष लेखापरीक्षा पार्टियों एवं आईटीओएस की अध्यक्षता में आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियों के द्वारा किया जाता है। बोर्ड द्वारा इन लेखापरीक्षा पार्टियों के लिए निष्पादन लक्ष्य दिये जाते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षित मामलों के नियमों को भी बोर्ड ने निर्धारित किया है (2007 का अनुदेश सं.3)

(ii) एओ ने लेखापरीक्षित मामलों की सूची आगामी माह की 10 तारीख तक संबंधित सीआईटी (लेखापरीक्षा) को भेजा जाना है। इन मामलों का आंतरिक लेखापरीक्षा को 30 दिन के भीतर किया जाना निर्धारित है। लेखापरीक्षा के एक सप्ताह के भीतर मंडल अध्यक्ष एवं एओ को आपत्ति भेजी गई है। इसके बाद, एओ उपचारात्मक कार्रवाइयां करेगा एवं उसके बाद निर्धारित नियमों के अनुसार लेखापरीक्षा विंग की आपत्तियों का निपटारन का क्रियान्वयन करेगा।

(iii) वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, 166759 मामले लेखापरीक्षित किए गए; विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

प्राधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षित मामले			
अतिरिक्त सीआईटी	एसएपी	आईएपी	कुल
1171	8595	156993	166759

- (iv) वर्ष के दौरान, राजस्व प्रभाव से लंबित आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियां, उठाई गई और निपटाई गई, निम्नलिखित हैं:-

उठाई गई/निपटाई गई आपत्तियों की संख्या	संख्या	राशि (लाख रु. में)
यथा 01.04.2013 को उठाए गए + शुरूआती बकाया	50635	1962778.59
निपटाए गए	26322	861012.07
यथा 31.04.2014 को बकाया	24313	1101766.51

वित्त वर्ष 2013-14 में 01.04.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि में उठाई गई/निपटाई गई आपत्तियां एवं शेष

- (v) **नए अनुदेश:-** वर्तमान वर्ष में, आंतरिक लेखापरीक्षा में पर्यवेक्षण प्राधिकारी की भूमिका को मजबूत बनाने के लिए 2007 के अनुदेश सं.3 को 2013 में अनुदेश संख्या 15 से संशोधित किया गया है। सीसीआईटी (सीसीए)/प्रधान सीसीआईटी, सीआईटी (लेखा परीक्षा) को नई भूमिका दी गई। अब, 1 करोड़ रु./10 करोड़ रु. पर उठी आपत्तियों को उच्च प्राधिकारियों के अनुमोदन की आवश्यकता है। उच्च प्राधिकारी आंतरिक लेखापरीक्षा विंग के कार्य निष्पादन एवं लेखापरीक्षा की आपत्तियों का मासिक आधार पर निपटारे की समीक्षा करेंगे। आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य-निष्पादन एवं निपटारे पर मासिक रिपोर्ट लेखापरीक्षा निदेशालय को प्रस्तुत की जानी है।

अनुदेश में, बड़े और छोटे लेखा परीक्षा आपत्तियों की मौद्रिक सीमाओं में संशोधन किया गया था।

- (vi) **रिपोर्ट:-**

- **मासिक रिपोर्ट:-** माह के दौरान, उठाई गई एवं निपटाई गई लेखापरीक्षा आपत्तियों के आंकड़ों का संकलन, राजस्व प्रभाव के साथ 22 सीएसआईटी (लेखापरीक्षा) प्रभागों द्वारा प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण भारत के आंकड़े संकलित किए गए हैं और सदस्य (ए एवं जे), सीबीडीटी को प्रति के साथ सभी प्रभागों को परिकलित किया गया है। मासिक रिपोर्ट पर्यवेक्षी प्राधिकारी को प्रत्येक प्रभाग की लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान एवं लब्ध की स्थिति के बारे में बताती है।
- **तिमाही प्रगति रिपोर्ट:** आंतरिक लेखा-परीक्षा व्यवस्था का कार्य निष्पादन एवं राजस्व आपत्तियों से संबंधित आंकड़ों का संकलन तिमाही प्रगति रिपोर्टों में पता चलता है। इससे लेखापरीक्षा विंग के विभिन्न स्तरों पर किए गए कार्यों के व्यापक चित्र का पता चलता है। यह पूरे देश में एक विशेष तिमाही के लिए सीएसआईटी के कार्यों का तुलनात्मक विश्लेषण दिखाती है और निगरानी में मदद करती है। इस रिपोर्ट की एक प्रति सदस्य (ए एवं जे) एवं प्रत्येक प्रधान सीसीआईटी/सीसीआईटी (सीसीए) की कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकार्यों पर वार्षिक रिपोर्ट :

आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकार्यों पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई तथा इसे सभी आयकर आयुक्तों (लेखा परीक्षा) में वितरित की गई जिसमें देश में स्थापित आंतरिक लेखा परीक्षा के गुणवत्ता कार्य एवं निष्पादन को दर्शाया गया है और ब्योरा दिया गया है। इसे संबंधित अधिकारियों के वार्षिक लेखा परीक्षा सम्मेलन के दौरान परिचालित किया गया है।

विवरण XVI:- सी एंड एजी की रिपोर्ट (विवरण XVI) में सांख्यिकीय आंकड़ों को शामिल करने के लिए वार्षिक तौर पर भेजा गया।

- (vii) **लेखापरीक्षा पार्टियों के कार्य का निरीक्षण:-** वर्ष के दौरान 6 सीएसआईटी (लेखापरीक्षा) प्रभाग वाले चार महत्वपूर्ण स्टेशनों दिल्ली-1 एवं 2 एवं कोलकाता 1 एवं 2, बेंगलूर एवं भोपाल के कार्यों का निरीक्षण किया गया।

- (viii) **आंतरिक लेखापरीक्षा पर कार्यशाला:-** लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई सामान्य/दोहराई गई गलतियों पर मूल्यांकन अधिकारियों को सुग्राही बनाने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई।

- (ix) **सीएसआईटी (लेखापरीक्षा) का वार्षिक सम्मेलन:** 21 अक्टूबर, 2013 को मुम्बई में सीएसआईटी (लेखापरीक्षा) का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है। यह आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए बिंदुओं और मामलों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

13.13.3.2 राजस्व लेखा परीक्षा कार्य

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 505 पर की गई कार्रवाई टिप्पणियों को सीबीडीटी के लेखापरीक्षा एवं पीएसी प्रभाग को भेजे गए, यह फिर, सीएंडएजी की आपत्तियों के निपटारे के लिए वित्त मंत्रालय के निगरानी सेल को अग्रप्रेषित किया गया।

नए अनुदेश:- राजस्व लेखापरीक्षा से संबंधित 2006 के अनुदेश सं.9 को 2013 के अनुदेश सं.16 से संशोधित किया गया जहां सीसीआईटी से अपेक्षित है कि वह मासिक आधार पर अपने क्षेत्र के राजस्व लेखापरीक्षा आपत्ति के निपटान के निष्पादन की समीक्षा करे और प्रधान सीसीआईटी/सीसीआईटी (सीसीए) को रिपोर्ट भेजे और परवर्ती अपने क्षेत्र की समेकित रिपोर्ट प्रत्येक माह की 10 तारीख तक डीआईटी (लेखापरीक्षा) एवं सीआईटी (ए एवं जे) को प्रस्तुत करें। बड़े एवं छोटे लेखापरीक्षा आपत्तियों के जल्द निपटान की सुविधा करने के लिए सीएसआईटी के साथ सी एवं एजी के साथ प्रत्येक तिमाही बैठक का आयोजन करने में सीआईटी (लेखापरीक्षा) मदद करेगा।

अनुदेश में, बड़े एवं छोटे लेखापरीक्षा आपत्तियों की मौद्रिक सीमाओं का संशोधन किया गया था और सीएंडएजी की परिभाषाओं के अनुकूल ढाला गया।

13.13.4 आयकर (वसूली) निदेशालय:-

वसूली निदेशालय को सुपुर्द कार्य को मोटे तौर पर 3 शीर्षों के तहत आबंटित किया जा सकता है:-

- (क) मुख्यतः 10 करोड़ रु. एवं इससे अधिक मांग डोजियर मामलों के संदर्भ में बकाए मांग के संदर्भ में मांग की वसूली की निगरानी करना/ बकाए मांग में कमी

करना तथा चालू और बकाया मांग से उत्पन्न कर बकायों की वसूली के संबंध में डाटा का संकलन और मिलान करना।

- (ख) सीसीआईटी प्रभारों से प्राप्त बड़े खाते, आंशिक बड़े खाते और बकाया मांग को कम करने के प्रस्तावों को प्रॉसेस करना।
- (ग) आयकर अधिनियम के तहत राहत/रियायतें प्रदान करने में बीआईएफआर/एआईएफआर मामलों को प्रॉसेस करना।

13.13.4.1 बकाए तथा चालू मांग की वसूली

- क. वर्ष 2013-14 के दौरान बकाया मांग के लिए नकद संग्रहण का लक्ष्य 6108 करोड़ रु. नियत किया गया है। डीओएमएस द्वारा तैयार नवम्बर, 2013 के सीएपी के अनुसार, पूरे राजकोषीय वर्ष 2012-13 के 23995 करोड़ रु. की बकाया संग्रहण के समक्ष बकाया मांग में से नकद संग्रहण 17641 करोड़ रु. दर्शाए गए हैं।
- ख. दो प्रकार की डोजियर रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं (त) 10 करोड़ रु. 25 करोड़ रु. की मांग संबंधी मामले (त्ते) 25 करोड़ रु. से ऊपर की मांग संबंधी मामले। दोनों श्रेणियों की डोजियर रिपोर्टों की आवधिक रूप से संकलन व समीक्षा की गई है ताकि उन प्रवृत्तियों और क्षेत्रों को ज्ञात किया जाए जहां आगे की कार्रवाई से वसूली में तेजी हो सकती है। फिलहाल 25 करोड़ रु. से अधिक के 1253 मांग डोजियर मामले हैं। इनमें से पूर्णतः कार्रवाई योग्य मांग के 762 मामले हैं। 10 करोड़ रु. से 25 करोड़ रु. के बीच के मांग डोजियर मामले की संख्या 1297 है। इनमें से कार्रवाई योग्य मांग के 819 मामले हैं। 10 करोड़ रु. से अधिक सभी कार्रवाई योग्य डोजियर मामलों पर निदेशालय टिप्पणी तैयार करेगा। 20.12.13 को सभी डोजियर का पिछला विश्लेषण बोर्ड को भेज दिया गया था।
- संग्रहण को बढ़ाने और बकाया मांग की वसूली के लिए योजनाओं पर क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ चर्चा के लिए समीक्षा बैठकें की गईं।
- ग. वसूली मामलों पर सीएजी/संसदीय समिति एवं संसद द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त उत्तरों को प्राप्त करने के बाद ही तैयार किया गया है।

13.13.4.2 विशेष सेल

- क. "गैर-विवादित मांग"

विभाग के पास सांख्यिकीय डेटा दर्शाता है कि यथेष्ट बकाया मांग को "मांग विवादित नहीं" के रूप में इंगित किया गया है। सीसीआईटी स्तर पर सत्यापित ऐसे मामलों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करने तथा गैर-वसूली के कारणों का पता लगाने एवं ऐसी मांग को पृथक करने के लिए जो कि कर प्राधिकारियों के नियंत्रण के तहत

कार्रवाई द्वारा वसूली योग्य है, एक विशेष सेल का गठन किया गया है। इस सेल द्वारा मांग के संग्रहण की सक्रियता से निगरानी की जाती है।

- ख. "कर-निर्धारिता मिल नहीं रहा" तथा वसूली के लिए "कोई परिसम्पत्ति नहीं/अपर्याप्त परिसम्पत्ति है"

नीतिगत परिप्रेक्ष्य से कर बकायों के बढ़ते मुद्दे के समाधान के लिए, एक समिति गठित की गई थी जिसने मांग की इन श्रेणियों पर ध्यान दिया। समिति ने ऐसे देयों की वसूली का प्रबंध करने के लिए लागत प्रभावी और लचीली प्रणाली के लिए विकल्पों का परीक्षण किया और 10 करोड़ रु. और ऊपर की मांग के डोजियर मामलों के साथ प्रायोगिक अध्ययन किया। इसमें 1 करोड़ रु. से ऊपर की मांग के सत्यापित मामले, जो वसूली निदेशालय को उपलब्ध कराए गए थे, भी हैं। डीआईटी (प्रणाली) और एफआईयू-आईएनडी से भी संपर्क किया गया ताकि उनके पास उपलब्ध आंकड़ों से इन मामलों के लिए उपलब्ध किसी भी सूचना को प्रदान किया जा सके। समिति की सीबीडीटी द्वारा स्वीकृत सिफारिश के अनुसरण में, इन श्रेणियों के मामलों को देखने के लिए वसूली निदेशालय में विशेष प्रकोष्ठ के माध्यम से समयबद्ध प्रणाली-विज्ञान की स्थापना की गई है। प्रणाली विज्ञान में क्षेत्रीय स्तर पर संवागीण प्रक्रिया शामिल है, ताकि करदाताओं/परिसम्पत्तियों का पता लगाने में सभी संभव अवसरों का पता लगे और साथ ही आयकर निदेशालय (सिस्टम) के पास उपलब्ध सूचना का भी प्रयोग हो। इसके अतिरिक्त उनके डाटाबेस से सूचना प्राप्त करने के लिए, एफआईयू-आईएनडी से आवधिक रूप से सम्पर्क किया जाएगा। चिरकालिक चूककर्ताओं का नाम लोक डोमेन में रखने की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे मुखबिरों हेतु पुरस्कार योजना बोर्ड के अनुमोदन हेतु भेजी गई है जिनकी सूचनाओं से ऐसे कर चूककर्ताओं से बकाया मांग का संग्रहण हो।

बड़े खाते में डालने संबंधी मामले

सीबीडीटी ने वर्ष के दौरान वसूली निदेशालय में सभी बड़े खाते प्रस्तावों को केन्द्रीयकृत करने का निर्णय लिया था और तदनुसार निदेशालय के पास फिलहाल 66 बड़े खाते संबंधी प्रस्ताव लंबित हैं। इन प्रस्तावों में कतिपय त्रुटियां हैं और क्षेत्रीय प्राधिकारियों को बड़े खाते के लिए प्रशासनिक कार्य-प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्पष्टीकरण/ दस्तावेज/ अपेक्षित सूचनाएं प्रदान करने की सलाह दी गई है।

टीआरओ की पुस्तिका को अद्यतन करने के संबंध में कार्य प्रगति पर है।

13.13.4.3 बीआईएफआर मामले

1. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) बीमार औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबंध), अधिनियम, 1985 के तहत सृजित मशीनरी है, जो बीमार कम्पनियों का पता करने और इन कम्पनियों के पुनरुद्धार के लिए योजना बनाने के लिए है।

2. डीजीआईटी (प्रशासन) सीबीडीटी और बीआईएफआर के बीच सभी बीआईएफआर मामलों में नोडल एजेन्सी है। डीजीआईटी (प्रशासन) की ओर से कार्य बीआईएफआर यूनिट द्वारा वसूली निदेशालय में किया जाता है, जो बीआईएफआर और सीबीडीटी के बीच एक समन्वय एजेन्सी है। बीआईएफआर बीमार कम्पनी के पुनर्वास के लिए स्वीकृत योजना अनुमोदित करती है जिसमें सीबीडीटी से कतिपय राहतों की परिकल्पना है। ऐसी राहतों को प्रॉसेस करने के लिए निर्धारण अधिकारी और कम्पनी से रिपोर्ट मांगी जाती है। इस निदेशालय द्वारा नोडल एजेन्सी के रूप में डीजीआईटी (प्रशासन) के अनुमोदन से और सीबीडीटी द्वारा मामले को प्रॉसेस किया जाता है।

3. वर्ष के दौरान, बीआईएसआर मामलों में निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:-

क) 2 मामलों में रिट याचिकाएं/एसएलपी दायर की गई हैं।

ख) बीआईएफआर/एआईएफआर के समक्ष 16 मामलों में अपीलें/एमए फाइल की गई हैं।

ग) बीआईएफआर के समक्ष मसौदा पुनर्वास योजना के 32 मामलों में आपत्तियां दायर की गई हैं।

घ) बीआईएफआर/एआईएफआर के समक्ष सुनवाई के सभी सांविधिक नोटिसों का, कम्पनी और क्षेत्रीय प्राधिकारियों से विशेष सूचना प्राप्त करने के बाद वकील के माध्यम से लिखित प्रस्तुतीकरण/अभ्यावेदन दायर करके, अनुपालन किया गया है। 1.4.2013 से 31.12.2013 की अवधि के दौरान 1159 मामलों में सांविधिक सुनवाई के नोटिसों के प्रत्युत्तर में, बीआईएफआर/एआईएफआर को लिखित प्रस्तुतीकरण प्रेषित किए गए हैं।

ड.) क्षेत्रीय प्राधिकारियों से बकाया मांग की स्थिति और मामले की बीमारी संबंधी टिप्पणियां प्राप्त की गयी हैं। इस अवधि के दौरान 32 मामलों में बीआईएफआर के सामने धारा 22(1) के तहत विविध आवेदन-पत्र दायर किए गए हैं जहां मांग बकाया है लेकिन बीआईएफआर कार्यवाहियों में अटकी हुई है।

च) कम्पनी और क्षेत्रीय कार्यालयों से अपेक्षित इनपुट लेने के बाद बीमार कम्पनियों के लिए आयकर राहत और रियायतों को प्रॉसेस किया गया है। 1.4.2013 से 31.12.2013 की अवधि के दौरान, इस निदेशालय द्वारा कर राहतों और रियायतों पर विचार करने के लिए 33 मामलों को प्रॉसेस किया गया।

छ) उपयुक्त मामलों में बीआईएफआर/एआईएफआर/उच्च न्यायालय के प्रतिकूल आदेशों को, बीआईएफआर/एआईएफआर/उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय में विविध आवेदन-पत्र/अपील/रिट याचिकाओं/एसएलपी

दायर करके चुनौती दी गई है। 1.4.2013 से 31.12.2013 की अवधि के दौरान, मामलों का न्यायिक विश्लेषण करने के बाद 82 मामलों में बीआईएफआर/एआईएफआर/उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय में एमए/अपील/अपील का उत्तर/प्रत्युत्तर/लिखित विषय संक्षेप एसएलपी दायर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कम्पनी/अन्य पार्टियों द्वारा 29 मामलों में दायर एमए/अपील/रिट को भी संबोधित किया गया है।

4

इस अवधि के दौरान विभाग के पक्ष में निर्णीत महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे निम्नलिखित हैं:-

क. जहां केन्द्र सरकार को राहतों और रियायतों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करनी है, इसकी सहमति एसआईसीए की धारा 19 के तहत अनिवार्य है और यह सहमति नोडल एजेन्सी की होनी है जो केन्द्र सरकार की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति है।

ख. केन्द्र सरकार की ओर से किसी बीमार औद्योगिक कम्पनी को दी जाने वाली वित्तीय रियायतों या वित्तीय सहायता की अनुदान के पहलू का समन्वय करने के लिए सीबीडीटी द्वारा नियुक्त नोडल एजेन्सी, आयकर (प्रशासन) के महानिदेशक होंगे।

ग. प्रारूप पुनर्वास योजना (डीआरएस) को चाहिए कि सहमति लेने से पहले बीमार औद्योगिक कंपनी को प्रदान की जाने वाली राहतों और रियायतों की सीमा निर्धारित करे। बीआईएफआर के लिए अपेक्षित है कि कुल छोड़ी राशि पर उद्ग्रहणीय कर निर्धारित करें और यह विचार करें कि क्या छोड़ी गई राशि पर कर का भुगतान योजना की प्रक्षेपित लाभदायकता और नकद प्रवाह व साथ ही कंपनी की व्यवहारिकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी।

घ. यदि स्वीकृत योजना में यह उल्लेख हो कि केन्द्र सरकार कर राहतों और रियायतों की स्वीकृति पर विचार करेगी, तो केन्द्र सरकार की ओर से प्राधिकारी द्वारा रियायत प्रदान करना अपेक्षित नहीं है बल्कि बीमार कम्पनी के अनुरोध पर निष्पक्ष रूप से विचार करना है। राहतों और रियायतों पर विचार करने के बाद, इसे या तो पूर्णतः/ या अंशतः स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है।

ड. यदि अपीलकर्ता बीआईएफआर के समक्ष पक्षकार नहीं है, तो बीआईएफआर के आदेश निर्गमन को, बीआईएफआर विनियम 1987 के विनियम 15 के अनुसार अपीलकर्ता को सूचित हुआ नहीं समझा जाता है और एआईएफआर के सामने अपील दायर करने के लिए सत्यापित प्रति प्राप्त करने की तारीख, सीमांकन की आरंभिक बिन्दु होगी।

च. स्वीकृत योजना में पुनरुद्धार अवधि का अनुबद्ध है जिसके दौरान स्वीकृत योजना के सभी प्रावधानों को कार्यान्वित किया जाना है। यदि स्वीकृत योजना के प्रावधानों को कार्यान्वित नहीं किया जाता है, तो बीआईएफआर धारा 18(5) के तहत पुनर्वास अवधि के दौरान स्वीकृत योजना को पुनः देखने और एसआईसीए अर्थात् आशोधित मसौदा पुनर्वास योजना (एमडीआरएस) के द्वारा निर्धारित उपयुक्त कार्य-प्रक्रिया के माध्यम से आशोधित करने के लिए सक्षम है।

5. निदेशालय द्वारा बीआईएफआर कार्यवाहियों के तहत शामिल मामलों में रखी गई बकाया मांग के मामलों को ज्ञात करने के लिए कार्य-प्रक्रिया की गई जैसा कि सूचित है (क) विभिन्न क्षेत्रों द्वारा 'विवाद के तहत मांग नहीं' में सीएपी-1 में और (ख) 10 करोड़ रु. से 25 करोड़ रु. और 25 करोड़ रु. और ऊपर के डोजियरों में है। बीमार औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 की धारा 22(1) और 22क के तहत ऐसे सभी मामलों में विविध आवेदन दायर करने के प्रयास किए गए हैं, जो वसूली कार्यवाहियों पर घाटबंदी उठाने और परिसंपत्तियां न बेचने के लिए कम्पनी को निदेश मांगने के लिए है। क्षेत्रीय प्राधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है।

13.13.5 आयकर निदेशालय (टीडीएस) :-

13.13.5.1 टीडीएस का संग्रहण:-

सीसीआईटी (सीसीए) द्वारा अपने संबंधित प्रभागों के लिए नियत टीडीएस संग्रहण हेतु बजट लक्ष्य कुल 2,43,235.32 करोड़ रु. है। वित्त वर्ष 2012-13 हेतु 2,22,014/- करोड़ रुपए के संग्रहण की तुलना में वित्त वर्ष 2013-14 हेतु 2,62,069/- करोड़ रुपए के कुल टीडीएस का संग्रहण किया गया है। अतः 18.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन आंकड़ों में केन्द्रीय टीडीएस शामिल नहीं है जिसका अंतरण सरकारी खाते में बही प्रविष्टि द्वारा होता है और अलग से सूचित किया जाता है।

13.13.5.2 टीडीएस निदेशालय की पहलें:-

टीडीएस निदेशालय मासिक एमआईएस रिपोर्टों की प्रणाली का अनुसरण करता है। इन रिपोर्टों का मानकीकरण किया जाता है और टीडीएस प्रभागों के निष्पादन का विश्लेषण करने के उद्देश्य से नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। इसके अलावा अभियोजन, समझौता आदि जैसे कतिपय पहलुओं पर प्रगति की समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है।

13.13.5.3 टीडीएस सम्मेलन :-

टीडीएस निदेशालय, सीआईटी (टीडीएस) के अर्द्धवार्षिक सम्मेलनों का आयोजन करता है। सीआईटी (टीडीएस) का पिछला

सम्मेलन 6 सितम्बर, 2013 को अहमदाबाद में आयोजित की गई था। चर्चा के दौरान सामने आये प्रमुख मुद्दों में से एक हाल ही में लायी गई धारा 194 झक से संबंधित विभिन्न पहलू थे। इसका ब्यौरा विचारार्थ बोर्ड को प्रस्तुत कर दिया गया है।

टीडीएस निदेशालय स्थाई समिति की अर्द्ध-वार्षिक बैठकों का भी संचालन करता है। स्थाई समिति की पिछली बैठक का आयोजन 30 अक्टूबर, 2013 को किया गया था। स्थाई समिति में व्यापार/व्यावसायिक निकायों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इन सम्मेलनों और बैठकों के दौरान टीडीएस प्रशासन के विभिन्न मुद्दों को लिया जाता है और यथासमय तत्संबंधी समाधान निकाला जाता है।

13.13.5.4 कर कटौतीकर्ता शिक्षा कार्यक्रम

टीडीएस प्रभार, कर कटौतीकर्ताओं के लिए सम्पर्क कार्यक्रम संचालित करते हैं। 30.11.2013 तक ऐसे लगभग 600 सम्पर्क कार्यक्रमों का संचालन किया गया है जिनमें 29,000 से ज्यादा व्यक्तियों ने भाग लिया। ऐसे सम्पर्क कार्यक्रमों के जरिये कटौतीकर्ताओं को सुग्राही बनाया जाता है तथा यदि उनकी कोई शंका हो तो उसे भी दूर करने में मदद की जाती है। यह विभाग को कटौतीकर्ताओं के सम्पर्क में रहने और साथ ही कटौतीकर्ताओं द्वारा अनुपालना की निगरानी करने में भी समर्थ करता है। शिकायत निवारण के उद्देश्य से आयकर आयुक्त और इनके मातहत अधिकारी भी केन्द्रीय बिन्दु के रूप में कार्यों का निर्वहन नियमित रूप से करते हैं।

13.13.5.5 सर्वेक्षण एवं त्वरित सत्यापन

सर्वेक्षण टीडीएस प्रावधानों के कारगर अनुपालन को सुनिश्चित करने का एक और साधन है। टीडीएस प्रभार समय-समय पर स्पॉट सत्यापन करते हैं। ऐसे सर्वेक्षणों से ना केवल चूककर्ताओं का पता लगता है बल्कि यह कार्यवाही एक पूर्व क्रय सुधार के रूप में काम करती है जिसके परिणामस्वरूप टीडीएस की बेहतर रूप से अनुपालना होती है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 30.11.2013 तक समूचे देश में सभी आयकर आयुक्तों (टीडीएस) द्वारा कुल 2580 सर्वेक्षण/सत्यापन का संचालन किया गया है।

13.13.5.6 अभियोजन एवं समझौता मामले

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान टीडीएस प्रावधानों के कर प्रबंधन हेतु सभी आयकर आयुक्तों (टीडीएस) द्वारा प्रस्तुत किये गये कुल 148 अभियोजन एवं समझौता आवेदनों को प्रसंस्कृत कर दिया गया है। ये मामले प्राधिकारियों के सम्मुख विभिन्न चरणों पर हैं।

13.13.5.7 सीपीसी (टीडीएस)

आयकर महानिदेशक, नई दिल्ली द्वारा आयकर आयुक्तों (टीडीएस) के प्रभागों की तुलना में सीपीसी (टीडीएस) के प्रचालन के पहलुओं को देखने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। समिति की पहली बैठक 6.12.2013 को सम्पन्न हुई जिसके दौरान कई सुझाव दिये गये और तकनीकी तथा प्रक्रियात्मक मुद्दे उठाये गए।

13.14 संगठन एवं प्रबंधन सेवा निदेशालय (ओएंडएमएस)

13.14.1 वर्ष के दौरान प्रमुख निष्पादन एवं उपलब्धियां

1. आयकर सेवा केन्द्र - स्थापना एवं प्रमाणीकरण

आयकर सेवा केन्द्र (एसके) आयकर विभाग के नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन हेतु एकल खिड़की प्रणाली है तथा लोक सेवा सुपुर्दगी में उत्कृष्टता लाने हेतु एक तंत्र है।

- वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान स्थापना करने हेतु 57 एसके की पहचान की गई। इन एसके के भौतिक ढांचे को पूरा कर लिया गया है तथा इनका प्रचालन भी शुरू कर दिया गया है।
- वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा 21 एसके का प्रमाणीकरण किया गया है।

2. एसके के अन्तर्गत आने वाली सेवाओं का विस्तार

चालू वित्त वर्ष के दौरान सभी आयकर सेवा केन्द्रों में निम्नलिखित अतिरिक्त सेवाओं को जोड़ा गया है :

(क) सभी एसके केन्द्रों पर कम से कम एक स्टैंड ऐसा है जहां इंटरनेट कनेक्शन के साथ एक समर्पित पर्सनल कम्प्यूटर होता है। वर्तमान में ये सुविधा केवल एसके कियोस्क पर उपलब्ध है। इस सुविधा से ई-पोर्टल के जरिये उपलब्ध करायी जाने वाली सभी सुविधाओं को एसके में आने वाले करदाताओं को उपलब्ध कराया जा सकती है। इनमें शामिल हो सकते हैं:

- पैन पूछताछ
- प्रपत्र 26 एस को देखना
- करदाताओं की सूचना हेतु परिपत्रों एवं नवीनतम प्रेस अनुज्ञप्ति को डाउन लोड करना,
- अधिकार क्षेत्र से संबंधित पूछताछ
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दाखिल की गई विवरणियों हेतु प्रतिदाय स्थिति का पता लगाना

(ख) सभी आरटीआई आवेदनों को अब एसके केन्द्रों द्वारा प्राप्त किया जाए। इस अतिरिक्त विशेषता को जोड़ने हेतु डीआईटी (प्रणाली) द्वारा सेवोत्तम सॉफ्टवेयर को उचित रूप से संशोधित किया जा रहा है।

(ग) किसी भी एसके केन्द्र में सभी टीआरपी के नामों और दूरभाष संख्याओं वाली सूची को करदाताओं के इस्तेमाल के लिए मुख्य रूप से दर्शाया जा रहा है।

(घ) सभी एसके केन्द्रों में एनएसडीएल/यूटीआईआईएसएल के प्रतिनिधियों द्वारा पैन/टैन आवेदनों को प्राप्त करने हेतु एक समर्पित डेस्क की सुविधा का प्रावधान किया गया है।

(ड.) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) आयकर सम्पर्क केन्द्र अथवा आई-टैक्सनेट पर उपलब्ध एक सुविधा के माध्यम से एसके में दाखिल आवेदनों की स्थिति का पता लगाने हेतु एक प्रणाली का विकास कर रहा है।

(च) आयकर आयुक्त (अपील) के संबंध में अपील कागजातों को प्राप्त करने की सुविधा का प्रावधान एसके केन्द्रों में किया जाएगा। यह मुद्दा अभी डीआईटी (प्रणाली) के विचाराधीन है।

3. सेवोत्तम सॉफ्टवेयर के माध्यम से आयकर विवरणी और डाक की प्राप्ति हेतु नीति

अखिल भारतीय आधार पर सेवोत्तम सॉफ्टवेयर के माध्यम से आयकर विवरणियों और डाक की प्राप्ति हेतु नीति की रूपरेखा तैयार करने हेतु गठित की गई समिति का गठन 27.6.2013 को अध्यक्ष, के.प्र.क.बो. के अनुमोदन से किया गया था। तथा समिति ने अपनी रिपोर्ट के.प्र.क.बो. को 15 अक्टूबर, 2013 को सौंपी थी। के.प्र.क.बो. ने निर्णय लिया है कि सेवोत्तम सॉफ्टवेयर के माध्यम से आयकर विवरणियों एवं डाक की प्राप्ति हेतु 5 वी-सैट केन्द्रों, 5 सेवोत्तम केन्द्रों और 20 एसके स्थानों पर प्रायोगिक योजना का संचालन किया जाएगा। प्रायोगिक योजना हेतु के.प्र.क.बो. के अनुमोदन से स्टेशनों की पहचान कर ली गई है और जहां भी आवश्यक था वहां नोडों को इंस्टॉल किया गया है। इस संबंध में प्रगति की निगरानी प्रतिदिन की जा रही है।

4. आरएफडी समीक्षा

डीआईटी (ओ एंड एमएस) प्रति वर्ष परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (आरएफडी) को तैयार करने तथा आरएफडी की अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक आधार पर समीक्षा का संचालन करता है। इस वर्ष वित्त वर्ष 2012-13 हेतु आरएफडी की वार्षिक समीक्षा को मई 2013 में पूरा किया गया तथा वित्त वर्ष 2013-14 हेतु आरएफडी से संबंधित उपलब्धियों की अर्द्धवार्षिक समीक्षा को अक्टूबर, 2013 में पूरा कर लिया गया है। वित्त वर्ष 2014-15 हेतु आरएफडी को तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

5. नये सीएपी-II को अखिल भारतीय आधार पर चालू करना

नये सीएपी-II सॉफ्टवेयर को सितम्बर, 2013 से पूरे भारत में चालू कर दिया गया है। इस नये सॉफ्टवेयर में करनिर्धारण करने के प्रकार्य सहित 13 प्रकार्य हैं। क्षेत्रीय कार्यालय को नये सीएपी -II की कार्य प्रणाली से परिचित कराने हेतु, जेसीआईटी/अपर-सीआईटी, एसीआईटी/डीसीआईटी, आईटीओ और टीए/वरिष्ठ टीए के स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु मई और अक्टूबर, 2013 के माह में दो प्रशिक्षण मॉडलों का आयोजन किया गया है। सीआईटी(सीओ) प्रभारों के अंतर्गत एडी/डीडी(प्रणाली) के लिए ही प्रशिक्षण सत्रों का प्रचालन किया गया और सीआईटी (सीओ) को क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रशिक्षण सत्र का प्रचालन करने के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है।

13.14.2 पिछले वर्ष तक की निष्पादन/उपलब्धियां

- (i) 31.3.2013 तक आयकर विभाग के सभी भवनों में 132 आयकर सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई। स्टेशनों के ब्यौरे अनुबंध-3 में दिये गये हैं। आईएस; 15700 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 35 एएसके का प्रमाणीकरण किया गया है।
- (ii) इस समय अतिमहत्वपूर्ण मुद्दों में से एक क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इस्तेमाल में लाए जा रहे विभिन्न रजिस्ट्रारों की पहचान करना और उनका मानकीकरण करना है। क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त फीडबैक की मदद से पहचान का काम कर लिया गया है तथा निम्नलिखित 6 रजिस्ट्रारों का डिजिटलीकरण किया गया है:-
 - (क) आंतरिक लेखा परीक्षा
 - (ख) राजस्व लेखा परीक्षा
 - (ग) अपील
 - (घ) शुद्धि
 - (ङ.) शिकायत
 - (च) अर्थदंड
- (iii) चूंकि रिजल्ट फ्रैमवर्क डॉक्यूमेंट को तैयार करने हेतु संचालक एजेंसी डीओएमएस था अतः यह सुनिश्चित किया गया कि आरएफडी को समय पर सौंपा गया और उसकी समय में समीक्षा की गई। इस कार्यालय, जो कि डीजीआईटी (संभार तंत्र) के अंतर्गत आने वाला एक निदेशालय है, के लिए तय किये गये सभी लक्ष्यों, कार्रवाई बिंदुओं और टारगेटों को समय पर पूरा कर लिया गया।

13.14.3 पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास (पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के विकास पर किया गया कार्य-प्रचालित की जा रही परियोजनाएं/योजनाएं तथा उन पर किया गया वास्तविक व्यय आदि सहित)

31.3.2013 तक गुवाहटी, शिलांग, सिलचर, शिवसागर, दीमापुर, तेजपुर और तिनसुकिया समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयकर सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है।

चालू वर्ष में तीन और आयकर सेवा केन्द्रों स्थापना की गई है और डिगबोई, नौगांव और दुबरी में प्रचालन शुरू किया गया।

13.14.4 ई-प्रशासन गतिविधियां

दूसरी एआरसी की 12वीं रिपोर्ट में नागरिक केन्द्रित प्रशासन का लक्ष्य रखा गया है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के आगमन से ई-प्रशासन की संकल्पना सामने आयी है। एएसके की स्थापना इस दिशा की ओर एक कदम है। नागरिक केन्द्रित प्रशासन का प्रावधान करने के अतिरिक्त एएसके में प्राप्त विवरणियों के साथ-साथ सभी पत्राचारों का समय पर निपटान करने का आदेश है जिनकी निगरानी और समीक्षा उच्चतम स्तर पर की जा सकती है। यह आयकर विभाग में ई-प्रशासन के संतुलित वास्तुशिल्प के इंस्टोलेशन और आगे कायम

रहने को सुनिश्चित करता है। अतः डाक की प्राप्ति और वितरण तथा निपटान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया है और इसकी निगरानी वरिष्ठों द्वारा नियमित अंतराल पर की जा रही है।

सीएपी-1 और सीएपी-2 के रूप में आयकर विभाग की विभिन्न सांख्यिकी का ऑनलाइन समेकन और मिलान किया जा रहा है।

13.14.5 शिकायत निवारण तंत्र

आयकर सेवा केन्द्रों में प्राप्त नागरिकों के सभी शिकायतों का समय पर निवारण होता है। सेवोत्तम साफ्टवेयर जिसपर एएसके कार्य करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी शिकायतों की निगरानी की जाए ताकि उनपर समय सीमा के अंदर ही कार्रवाई की जाए और उन पर निपटान किया जाए। अतः इस प्रकार एएसके के कारगर तंत्र रहा है जहां शिकायत के प्राप्ति एवं निपटान के निगरानी उच्चतर स्तर पर एमआईएस विवरणों के माध्यम से की जा रही है।

13.14.6 सेवोत्तम पर अनुच्छेद

सेवोत्तम अपनी तरह की पहली सेवा है जिसका लक्ष्य निम्नलिखित द्वारा 'उत्कृष्ट सेवा सुपुर्दगी' प्रदान करना है-

- (i) नागरिक चार्टर का कार्यान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा
- (ii) लोक शिकायत की प्राप्ति, समाधान एवं निवारण
- (iii) अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना तथा अवसंरचना सृजन दोनों के ही मामलों में क्षमता निर्माण

के.प्र.क.बो. ने पीएमओ द्वारा शुरू किए गए 'सेवोत्तम' की संकल्पना के कार्यान्वयन हेतु आयकर सेवा केन्द्र (एएसके) तंत्र का प्रयोग किया। आयकर सेवा केन्द्र (एएसके) आयकर विभाग के नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन हेतु एकल खिड़की प्रणाली है तथा लोक सेवा सुपुर्दगी में उत्कृष्टता लाने हेतु एक तंत्र है। पीएमओ ने 2007 में सेवोत्तम के त्वरित कार्यान्वयन के लिए आयकर विभाग को चुना था। मंत्रीमंडल सचिवालय ने सेवोत्तम को अपने रिजल्ट डॉक्यूमेंट (आरएफडी) एक हिस्सा बनाया जिसका कार्यान्वयन 62 केन्द्र सरकार के विभागों में किया जा रहा है। आरएफडी के अनुसार विभाग के निष्पादन के मूल्यांकन में सेवोत्तम को 20 प्रतिशत का भार दिया गया है।

13.14.7 एएसके में प्राप्त निम्नलिखित दस्तावेजों की निगरानी एमआईएस में की जा रही है:

- (i) नागरिक चार्टर
- (ii) शिकायतें
- (iii) अन्य

13.14.8 नागरिक चार्टर में सूचीगत निम्नलिखित 13 प्रमुख सेवाओं की निगरानी एएसके में की जा रही है:-

1. आयकर अधिनियम की धारा 143 (1) के अन्तर्गत ब्याज सहित प्रतिदाय जारी करना

- (क) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दाखिल की गई विवरणियों के मामले में
- (ख) अन्य विवरणियां

2. आयकर अधिनियम की धारा 143 (1) से इतर कार्यविधियों से ब्याज सहित प्रतिदाय जारी करना
3. शुद्धि आवेदन पर निर्णय लेना।
4. अपीलीय /पुनरीक्षा आदेश को लागू करना
5. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अथवा स्वयं सौंपे गए पत्राचार की आवृत्ति भेजना।
6. कर भुगतान अथवा किश्त प्रदान किए जाने हेतु समय को बढ़ाए जाने के आवेदन पर निर्णय लेना।
7. आयकर अधिनियम की धारा 230 के अन्तर्गत कर निकासी प्रमाणपत्र जारी करना।
8. भविष्य निधि / अधिवर्षिता निधि / उपदान निधि की मान्यता/ अनुमोदन हेतु आवेदन पर निर्णय लेना।
9. आयकर अधिनियम की धारा 10 (23कक) के अन्तर्गत किसी निधि के अनुमोदन हेतु आवेदन पर निर्णय लेना।
10. धर्मार्थ अथवा धार्मिक न्यास अथवा संस्था के पंजीकरण हेतु आवेदन पर निर्णय लेना।
11. आयकर अधिनियम की धारा 80 छ (5) (vi) के अन्तर्गत संस्था अथवा निधि को अनुमोदन दिए जाने के आवेदन पर निर्णय लेना।
12. शिकायतों का समाधान करना।
13. मामले का एक प्रभार से दूसरे प्रभार को अंतरित किए जाने के आवेदन पर निर्णय लेना।

13.15 आयकर निदेशालय (अवसंरचना)

13.15.1 विभिन्न सलाहकार बोर्डों एवं परिषदों सहित संगठन के प्रकार्य/कार्य तथा प्रभाग की स्थापना:

निदेशालय को वित्त मंत्रालय के दिनांक 21.11.2005 के आदेश द्वारा अधिसूचित किया गया। आयकर निदेशालय (अवसंरचना) की अध्यक्षता वर्तमान में दो निदेशकों द्वारा की जाती है। निदेशालय के प्रकार्यों में अखिल भारतीय आधार पर आयकर विभाग हेतु निर्माण कार्यक्रम बनाना, स्थान की सूची बनाने, योजनाओं एवं प्राक्कलनों की संवीक्षा सहित, जहां आवश्यक हो व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त करना शामिल हैं। निदेशालय, भवन के निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावों की संवीक्षा, निर्माण से संबंधित बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने, भूमि के अधिग्रहण तथा भवनों के क्रय इत्यादि कार्य को भी देखता है। निदेशालय द्वारा विभागीय भवनों की

मरम्मत तथा लघु कार्यों से संबंधित प्रस्तावों की जांच, कार्यालय/ कार्यालय-सह-आवासीय स्थान को किराए पर लेने, वाहनों के प्रतिस्थापन एवं किराए पर लेने सहित विभाग के लिए वाहनों का क्रय भी किया जाता है।

13.15.2 कार्य-निष्पादन एवं उपलब्धियों की झलकियां:

वर्ष के दौरान प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय संस्वीकृति दी गई 10 करोड़ रुपए से अधिक के कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का ब्योरा निम्नवत है:-

- (i) कोच्चि में आयकर विभाग हेतु नये ऑफिस कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 1945.287 वर्ग मीटर (लगभग 48.07 सेंट्स) क्षेत्र वाली भूमि का 12,25,80,000/- रु. के हिसाब से क्रय ।
- (ii) 249/1ए और 249/1बी हडपसर, पुणे में आयकर विभाग हेतु 48 आवासीय क्वार्टर (20 – टाईप IV, 21 टाईप – V और 7 टाईप – VI) तथा समुदाय भवन/अतिथि गृह का 37,78,32,506/- रु. के हिसाब से निर्माण ।
- (iii) प्लाट 4सी, जी ब्लॉक, ब्रान्दा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुम्बई में आयकर विभाग हेतु 56 टाईप – V आवासीय क्वार्टरों के निर्माण की 89,30,74,552/- रु. की बढ़ी लागत ।
- (iv) डॉक्टर एस.पी.एम., सिविक सेन्टर, नई दिल्ली में रेडी-बिल्ट कार्यालय स्थान को चिरस्थायी पट्टे पर अधिग्रहीत करने हेतु आयुक्त, उत्तर दिल्ली, नगर निगम के पक्ष में तीसरी किश्त के एक भाग के रूप में 2,86,00,00,000/- रु. को भुगतान को जारी करना।
- (v) नागंबकम, चेन्नई स्थित आयकर विभाग हेतु 38 (जी + 19 मंजिल) टाईप-VI क्वार्टरों का 38,27,29,000/- रु. का निर्माण ।
- (vi) इरोड स्थित आयकर कार्यालय के लिए तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड से 12,98,05,947/- रु. की भूमि का क्रय ।
- (vii) मौहाली में कार्यालय भवन तथा आवासीय क्वार्टरों हेतु 14,52,00,000/- रु. की भूमि का क्रय ।
- (viii) बेलगाम स्थित आयकर विभाग हेतु कार्यालय भवन, आवासीय क्वार्टर एवं अतिथि गृह का 44,33,64,142/- रु. का निर्माण ।

आयकर महानिदेशक (प्रणाली)

13.16. ई-गवर्नेंस गतिविधियां

आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य संचालक होने के साथ केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग में एक व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य करदाता हितैषी कवायद शुरू करना, कर आधार को बढ़ाना, पर्यवेक्षण में सुधार लाना तथा सरकार के लिए अधिक राजस्व का सृजन करना है।

13.16.1 परियोजना का नाम: पैन जारी करना

- आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर दाताओं तथा पैन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक नम्बर का पैन (स्थाई खाता संख्या) आबंटित किया जाता है। यह संख्या विभाग को "उस व्यक्ति" द्वारा विभाग के साथ निष्पन्न किए गए सभी संव्यवहारों से जोड़ती है। इनमें कर भुगतान, टीडीएस/टीसीएस क्रेडिट, आय/धन की विवरणियां, विनिर्दिष्ट संव्यवहार, पत्र व्यवहार तथा इससे संबंधित संव्यवहार शामिल हैं। इस प्रकार पैन "उस व्यक्ति" के लिए विभाग के साथ एक पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है। असल में, पैन ने अब आयकर विभाग से परे 'पहचानकर्ता' की भूमिका ले ली है क्योंकि अब यह विभिन्न कार्यकलापों जैसे बैंक में खाता खोलने, डीमैट खाता खोलने, सेवा कर, विक्रय कर, मूल्य वर्धित कर आदि के लिए पंजीकरण प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
- पैन आवेदन पत्र प्राप्त करने जैसी सेवाएं, प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के सत्यापन, पैन आवेदन पत्र का डिजिटलीकरण करने, एनसीसी (नेशनल कंप्यूटर सेंटर) पर डाटा अपलोड करने, पैन कार्डों को मुद्रित करने तथा पैन कार्ड भेजने की सेवाएं, सेवा प्रदाताओं, मैसर्स यूटीआईआईटीएसएल तथा मैसर्स एनएसडीएल को बहिर्ज्ञात है। सेवा प्रदाताएं अपने 11,763 फ्रंट कार्यालयों (पैन केन्द्र) के माध्यम से आवेदकों द्वारा जमा किए गए पैन आवेदनों को प्राप्त एवं संसाधित करते हैं। तथापि, पैन आयकर विभाग के राष्ट्रीय कम्प्यूटर केन्द्र (एनसीसी) में सुदृढ़ सॉफ्टवेयर के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है और तदनन्तर सेवा प्रदाताओं के माध्यम से मुद्रित एवं प्रेषित किया जाता है।
- आयकर अधिनियम एक व्यक्ति को एक ही पैन की अनुमति देता है। डुप्लीकेट पैन जारी होने से बचने के लिए फोनेटिक मैचिंग एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए धोखेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए साफ्टवेयर द्वारा आंकड़ों की जांच की जाती है। तथापि, यह देखा गया है कि कुछ व्यक्तियों ने पैन आवेदन पत्र में प्रस्तुत अपनी व्यक्तिगत सूचना में फेरबदल करके एक से अधिक पैन प्राप्त कर लिया है। अतः डुप्लीकेट तथा धोखाधड़ी से बने पैन पर अंकुश लगाने के लिए विभाग ने सत्यापन प्रक्रिया को मजबूत करने का निर्णय लिया है। यूआईआईआई द्वारा जारी किए गए आधार संख्या को पैन डाटा के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
- नया पैन आवेदन फार्म अधिसूचित कर दिया गया है। फार्म 49क भारतीय नागरिकों/भारतीय कंपनियों/भारत में निगमित फर्मों/भारत में गैर-निगमित फर्मों के प्रयोग हेतु अधिसूचित है जबकि फार्म 49कक व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं है/भारत के बाहर निगमित फर्मों/भारत के बाहर बनाए गए गैर-निगमित फर्मों के प्रयोग के लिए अधिसूचित है।

- पैन आवेदन फार्म 49क में पैन आवेदकों द्वारा आधार संख्या उपलब्ध करने हेतु स्थान दिया गया है। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार 15,52,186 अनूठी आधार संख्याओं को पैन डाटाबेस शामिल कर लिया गया है। आधार के ऑनलाइन प्रमाणीकरण की सुविधा की स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है।
- पैन के आबंटन हेतु आधार कार्ड को भी वैध पीओआई एवं पीओए की सूची में शामिल किया गया है।
- पैन के आबंटन हेतु जन्म तिथि के साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों की एक सूची को भी विहित किया गया है।
- पैन सत्यापन -

- पैन सत्यापन की सुविधा सीबीडीटी के ई-फाइलिंग सर्वर के माध्यम से सरकारी विभागों को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है। प्रयोक्ता द्वारा पैन का एक-एक करके अथवा एक समय में थोक में 999 पैन का सत्यापन किया जा सकता है। जहां आवेदक का नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि/डीओआई ज्ञात है वहां आयकर विभाग के वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर "अपने पैन को पहचानें" सुविधा के माध्यम से भी पैन का सत्यापन किया जा सकता है। वैध पैन के लिए पैन तथा कर-निर्धारण अधिकारी को सूचित किया जाता है।
- आयकर पैन सेवा प्रदाताओं (यूटीआईआईटीएसएल एवं एनएसडीएल) द्वारा पैन सत्यापन की सुविधा (i) वित्तीय संस्थानों (ii) सरकारी एजेंसियों (iii) वार्षिक सूचना विवरणी (एआईआर) दाखिल करने वाले व्यक्तियों तथा (iv) जिनका टीडीएस/टीसीएस काटा जाना है उनके पैन सत्यापन के प्रयोजनार्थ टीडीएस के कटौतीकर्ता कंपनियों तथा सरकारी कटौतीकर्ताओं (v) विभिन्न राज्यों के वाणिज्य कर विभाग (vi) बीमा कंपनियों (vii) नियामक निकायों द्वारा संस्थापित शैक्षिक संस्थान (viii) क्रेडिट सूचना कंपनियों (ix) केवाईसी पंजीकरण एजेंसी (केआरए) जैसी एजेंसियों को भी प्रदान किया जाता है। यह सुविधा आदेय आधारित है।

उपलब्धियां:

- आर्थिक प्रगति के साथ-साथ पैन डाटाबेस में निरंतर वृद्धि हुई है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार आबंटित पैन की क्रमिक संख्या 20,46,41,560 है। वर्ष 2013-14 के दौरान 2,81,89,450 पैन आबंटित किए गए।
- पैन ने राष्ट्रीय पहचानकर्ता की भूमिका ले ली है। विभिन्न परियोजनाओं जैसे कि डीआईपीपी की एक परियोजना ई-बिज, सीबीईसी द्वारा जीएसटी पर प्रायोगिक परियोजना तथा केन्द्र और राज्यों के मध्य

डाटा के आदान-प्रदान पर प्रायोगिक परियोजना के लिए अन्य सरकारी विभागों के साथ पैन डाटा के एकीकरण की प्रक्रिया प्रगति पर है।

13.16.2 परियोजना का नाम: आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग

ई-फाइलिंग परियोजना आयकर विभाग की करदाताओं को वेब समर्थित सुविधाएं मुहैया करने के लिए एक उत्कृष्ट ई-गवर्नेंस तथा ई-डिलीवरी उपाय है। इस परियोजना का लक्ष्य करदाताओं तथा ई-विवरणियां मध्यस्थों के माध्यम से सीधे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पर आयकर विवरणियों, लेखा परीक्षा रिपोर्टें तथा इन्टरनेट पर आयकर के अन्य फार्मों की ई-फाइलिंग हेतु समर्थ बनाना है। यह परियोजना अन्य वेब समर्थित सेवाओं का भी प्रावधान करती है ताकि विवरणियों की फाइलिंग में पब्लिक प्राइवेट भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

<https://incometaxindiaefiling.gov.in> ई-फाइलिंग पोर्टल करदाताओं को निम्नलिखित वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है:

- विवरणियों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग
- अन्य प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग
- कर निर्धारित के ब्यौरों सहित विवरणियों की पूर्व फाइलिंग
- पहले से भरी गई एक्सएमएल फाइल को डाउनलोड करने की सुविधा
- शुद्धियों को ऑन-लाईन प्रस्तुत करना
- आईटीआर V की रसीद हेतु स्टेट्स अपडेट का सत्यापन
- सूचना हेतु अनुरोध प्रस्तुत करना
- लिंक प्राप्त न होने अथवा मेल के पूर्व में डिलिट करने के मामले में रीसेंड एक्टीवेशन लिंक विशेषता मददगार है
- उपभोक्ताओं को 'उच्चतर सुरक्षा का चयन' हेतु समर्थ बनाना
- मृतक की ओर से ई-फाइलिंग करने के लिए यूजर को कानूनी वारिस के रूप में पंजीकरण हेतु समर्थ बनाना।

समर्पित कॉल सेन्टर तथा हेल्प डेस्क ई-फाइलिंग से संबंधित किसी प्रश्न या शिकायत का निपटान करती है। पोर्टल, उपभोक्ताओं के लिए 'हिन्दी में' सहायता स्थायी विषय वस्तु उपलब्ध कराती है। करदाताओं एवं चार्टर्ड एकाउन्टेंट (सीए) के लिए ई-फाइलिंग की प्रक्रिया को देखने हेतु एक विडियो लिंक भी उपलब्ध है। मोबाइल अंतरपृष्ठ के माध्यम से सलेक्ट सूचना भी उपलब्ध है।

आयकर विवरणियों को इन्टरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भरे जाने में वास्तविक रूप से कर निर्धारण वर्ष 2006-07 से असाधारण तेजी आई है। वित्त वर्ष 2013-14 में वित्त वर्ष 2012-13 में 214.87 लाख विवरणियों की तुलना में लगभग 296.81 लाख

विवरणियां प्राप्त की गईं जो कि लगभग 38 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। ई-फाइलिंग योजना की क्रमिक उपलब्धियां निम्नवत हैं:

वित्त वर्ष	ई-विवरणियों की संख्या (लाख की संख्या में)	ई-फाइलिंग की वृद्धि प्रतिशतता
2006-07	4	
2007-08	22	450 प्रतिशत
2008-09	48.5	120 प्रतिशत
2009-10	52.5	8 प्रतिशत
2010-11	91.6	74 प्रतिशत
2011-12	164.1	79 प्रतिशत
2012-13	214.9	341 प्रतिशत
2013-14	296.8	38 प्रतिशत

ई-फाइलिंग साइट पर नई पैन के पंजीकरण में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जो ई-फाइलिंग तथा ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से अन्य सुविधाओं के अधिक उपयोग को दर्शाता है। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार ई-फाइलिंग पोर्टल के पंजीकृत उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 3.64 करोड़ है।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान अनिवार्य रूप से ई-फाइलिंग की जाने वाली 13 अलग-अलग लेखापरीक्षा रिपोर्टों को अधिसूचित किया गया है। करदाता डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल करके सीए को ई-फाइलिंग पोर्टल पर कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट (दस्तावेजों सहित 3सीए, 3सीबी, 3सीडी, 3सीईबी, प्रपत्र 29बी) को अपलोड करने हेतु प्राधिकृत कर सकता है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान प्रपत्र 15सीए को ऑन-लाईन अथवा ऑफ-लाईन रूप से ई-फाइल करने की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। ई-फाइलिंग हेतु 8 आयकर विवरणियों सहित कुल 58 प्रपत्र उपलब्ध हैं। इस पोर्टल पर कर व्यावसायिक एक यूजर है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 23.31 लाख गैर आयकर विवरणी प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल की गई।

13.16.3 परियोजना का नाम: आय कर विवरणियों के लिए केन्द्रीकृत प्रसंस्करण केन्द्र (सीपीसी)

इस सीपीसी परियोजना ने कर्नाटक तथा गोवा के सभी इलेक्ट्रॉनिक आय कर विवरणियों तथा कागाजी विवरणियों को बंगलौर में केन्द्रीकृत प्रसंस्करण के लिए सक्षम बनाया है।

आय कर विभाग के केन्द्रीकृत प्रसंस्करण केन्द्र (सीपीसी), बंगलौर की स्थापना के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा फरवरी, 2009 में स्वीकृति दी गई। अक्टूबर, 2009 तक संगणन तथा वित्तीय लेखा प्रणाली के लिए व्यवसाय नियमों का परीक्षण किया गया तथा आय कर विवरणियों का प्रथम सेट संसाधित किया गया। जनवरी, 2010 से बंगलौर के कर-निर्धारण वर्ष 2008-09 की पेपरयुक्त वेतन विवरणियों का डिजिटाइजेशन एवं अप्रैल, 2010 वित्त वर्ष, 2009-10 की ई-फाइल की गई विवरणियों का प्रसंस्करण शुरू हुआ।

दैनिक प्रचालन चुनौतियों को पार करने के लिए बंगलौर में अपेक्षाकृत छोटी सीपीसी टीम की अत्यधिक कर्मठता एवं वचनबद्धता के साथ प्रणाली निदेशालय द्वारा सक्रिय परियोजना प्रबंधन सीपीसी की निर्विघ्न परिचालन की कुंजी है। चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित सीपीसी प्रचालन के आश्चर्यजनक परिमाण को दर्शाते हुए कुछ प्रचालन प्रदर्शन आंकड़े निम्नवत हैं:

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 31 मार्च, 2014 तक 2.44 करोड़ ई-फाईल विवरणियों को प्रसंस्कृत किया गया।

सीपीसी द्वारा इसके प्रचालन के 4 वर्षों में 5 करोड़ ई-फाईल विवरणियों को प्रसंस्कृत किया गया जो कि आरंभिक लक्ष्यों के अनुसार 5 सालों में 2.7 करोड़ ई-फाईल विवरणियों को प्रसंस्कृत करने से कहीं अधिक है।

सीपीसी ने 2.80 लाख विवरणियां प्रतिदिन प्रसंस्कृत करने की शीर्ष प्रसंस्करण क्षमता को हासिल किया है।

औसत प्रसंस्करण समय को घटाकर 66 दिन कर दिया गया जो कि नागरिक चार्टर्ड में विहित अवधि (6 माह) तथा मानवीय प्रसंस्करण (लगभग 14 माह) के निष्पादन से काफी कम है।

सीपीसी द्वारा विवरणियों की त्वरित प्रसंस्करण से विवरणियों की ई-फाइलिंग में काफी वृद्धि हुई है तथा ई-फाईल होने वाली विवरणियों की बड़ी संख्या का प्रसंस्करण सीपीसी में किया जा रहा है। 31 दिसम्बर, 2013 के अनुसार सीपीसी ने प्रसंस्कृत होने वाली औसत ई-फाईल विवरणियों का समग्र प्रतिशत नीचे इंगित किया गया है।

कर निर्धारण वर्ष	औसत ई-फाईल विवरणियां	सीपीसी द्वारा प्रसंस्कृत की गई ई-फाईल विवरणियां	प्रतिशतता
2010-11	1,02,17,483	90,41,287	88%
2011-12	1,73,24,359	1,51,73,135	88%
2012-13	2,09,11,142	1,81,13,891	87%

त्वरित प्रसंस्करण के कारण करदाताओं को धारा 244क के अंतर्गत दिये जाने वाले ब्याज में कमी आयी है। ब्याज में हुई बचत को नीचे सारणी दिया जाता है:-

वित्त वर्ष	सीपीसी में प्रतिदाय (करोड़ रु. में)	प्रतिदायों पर ब्याज (करोड़ रु. में)	सीपीसी में संदत्त ब्याज प्रतिशत	सीपीसी से इतर ब्याज की अखिल भारतीय औसत प्रतिशत	ब्याज पर बचत प्रतिशतता	ब्याज पर बचत (करोड़ रु. में)
2010-11	5,240	327.02	6.24 %	14.54 %	8.30 %	434.98
2011-12	14,734	693.48	4.71 %	12.0* %	7.29 %	1,073.35
2012-13	12,620	829.28	6.57 %	12.0* %	5.43 %	685.39
2013-14#	14,456	857.49	5.93 %	12.0* %	6.07 %	877.73

31 मार्च 2013 तक * अनुमानित

सीपीसी ने क्रमिक रूप से करदाताओं के साथ पत्राचार करने के साधन के रूप में ई-मेल और एसएमएस का सहारा लिया है। सीपीसी ने ई-मेल द्वारा 13.66 करोड़ डिजिटली रूप से हस्ताक्षरित पीडीएफ आधारित सूचनाएं तथा 5.92 करोड़ एसएमएस एलर्ट भेजे हैं। डाक

द्वारा भेजे जाने की तुलना में इलैक्ट्रॉनिक साधन के जरिए ई-सुपुर्दगी करने के कारण पोस्टेज में 205 करोड़ रुपए की बचत हुई है जो कि नीचे इंगित है-

	वित्त वर्ष 2010-11	वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2012-13	वित्त वर्ष 2013-14	कुल
करदाताओं को ईमेल द्वारा भेजे गए पत्र	59,27,080	3,67,69,270	4,29,43,613	5,10,02,668	13,66,42,631
पोस्टेज शुल्क की बचत (रुपए)#	8,89,06,200	55,15,39,050	64,41,54,195	76,50,40,020	204,96,39,465

स्पीड पोस्ट/सामान्य डाक की औसत लागत रुपए 15/- माना जाए।

सीपीसी द्वारा शिकायत के निवारण हेतु करदाता सहायता और तंत्र का प्रावधान एक अनन्य कॉल सेंटर के माध्यम से किया जाता है। 31 मार्च, 2014 तक 28 लाख से ज्यादा की कॉल को सुने जाने के साथ अब साठ कॉल सेंटरों द्वारा प्रतिदिन 5,000 कॉल से ज्यादा कॉल को तीन भाषाओं में सुना जाता है।

सीपीसी द्वारा 31 दिसम्बर, 2013 तक दाखिल 16.59 लाख अनुरोधों में से लगभग 16.28 लाख शुद्ध अनुरोधों (98 प्रतिशत

से ज्यादा पूर्ण) को प्रसंस्कृत किया गया। सीपीसी द्वारा शुद्ध हेतु ऑन-लाईन अनुरोध करने की सुविधा मुहैया करायी गई है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे अनुरोधों पर कार्रवाई त्वरित रूप से हो पा रही है। सीपीसी द्वारा शुद्ध करने में लगने वाला औसत समय ऑन-लाईन अनुरोध करने की तारीख से लगभग 45 दिन होते हैं। नीचे दर्शाए गए सारणीनुसार कुल शुद्ध अनुरोधों में भारी कमी आयी है:-

करनिर्धारण वर्ष	कुल प्रसंस्कृत विवरणियां (लाख में)	प्राप्त शुद्ध अनुरोध	कुल के अनुपात में %
2008-09	4.1	26,091	7%
2009-10	46.41	332,922	7%
2010-11	90.41	424,108	5%
2011-12	151.73	490,834	3%
2012-13	181.13	343,248	2%
2013-14	84.18	42,628	<1%

जनवरी-मार्च, 2014 की अवधि हेतु लक्षित/अनुमानित मात्रा

गतिविधि	जनवरी-मार्च, 2014 हेतु लक्षित मात्रा	वित्त वर्ष 2013-14 हेतु लक्ष्य
विवरणियों का प्रसंस्करण	68 लाख	245 लाख
शुद्धि	1.40 लाख	6.61 लाख
सुनी गई कॉले	3.2 लाख	11.46 लाख
ई-मेल पत्राचार	150 लाख	660 लाख
एसएमएस पत्राचार	155 लाख	539 लाख

13.16.4 (EEE * EEW Ex EE BEE x EEA E: | EEE En E* E "EBEE@

प्रतिदाय बैंकर परियोजना एक प्रणाली संचालित प्रक्रिया है जिसमें आयकर प्रतिदायों का निर्धारण, सृजन, निर्गमन, प्रेषण तथा प्रतिदायों को क्रेडिट किया जाता है। इस परियोजना ने प्रतिदायों की सुपुर्दगी को पूर्ण रूप से स्वचालित, गतिशील एवं पारदर्शी बना दिया है।

प्रतिदाय बैंकर योजना के अंतर्गत आय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित कागजी एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रतिदाय आयकर विभाग द्वारा पृथक इलेक्ट्रॉनिक फाइलों में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को भेजा जाता है जिसे विभाग के एजेंट (प्रतिदाय बैंकर) के रूप में नामित किया गया है। प्रतिदाय बैंकर प्रतिदायों के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए प्रसंस्कृत होने के मामले में एनईसीएस प्रेषित करता है अथवा सीधे बैंक खाते में क्रेडिट करता है। कागजी प्रतिदाय के मामले

में प्रतिदाय चेक (कोर बैंकिंग के माध्यम से पूरे भारत में सममूल्य पर देय) का मुद्रण एवं प्रतिदाय करदाताओं को स्पीड पोस्ट से प्रेषण करता है। भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक तरीके ने सुपुर्दगी समय कागजी प्रतिदाय जिसमें 4-8 दिन लगते हैं, के मुकाबले कम करके 1-2 दिन कर दिया है। प्रतिदाय जारी करने में कर निर्धारण अधिकारी की भूमिका कम्प्यूटर में आय की विवरणी के प्रसंस्करण तक सीमित है।

इस परियोजना को शुरुआत में दिल्ली तथा पटना के कतिपय वेतन प्रभारों में 24.01.2007 को आरंभ किया गया। इसके पश्चात इसका विस्तार बड़ी करदाता इकाईयों एवं टीडीएस के अलावा भारत के सभी प्रभारों तक किया गया। एसबीआई ने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बंगलौर, मुंबई, जयपुर, पटना, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ में आयकर प्रतिदायों के परोक्ष मुद्रण सुविधा की स्थापना की है।

इस योजना के अंतर्गत भारतीय डाक तथा राष्ट्रीय प्रतिभूति आधान लि. (एनएसडीएल) के सहयोग से एवं वेब आधारित स्थिति जानने की सुविधा उपलब्ध है। इस योजना के जरिए जारी किये गये प्रतिदायों के स्थिति का पता लगाने हेतु 1800-42-59-760 के शुल्क फ्री संख्या के साथ कॉल सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है।

भुगतान न हुए अथवा वापस किए गए प्रतिदायों के मामले में भुगतान न किए जाने के कारणों सहित प्रतिदायों की स्थिति को विभागीय एप्लीकेशन पर अद्यतन किया जाता है। प्रतिदायों के निर्गमन की स्थिति की निगरानी के लिए प्रणाली में अदत्त/अचयनित (समय के साथ) प्रतिदायों पर लेखा-परीक्षा परीक्षण एवं एमआईएस उपलब्ध है।

इस योजना के माध्यम से निर्गमित प्रतिदायों की संख्या तथा प्रतिशतता में निरंतर बढ़ोत्तरी हुई है। वर्तमान वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान इस योजना के माध्यम से निर्गमित प्रतिदायों की संख्या की प्रतिशतता पूरे भारत में निर्गमित प्रतिदायों की कुल संख्या के 99.60% से अधिक है जो निम्नवत है:-

वर्ष	प्रतिदाय बैंकर के माध्यम से प्रतिदायों (संदत्त) की संख्या	अन्य प्रतिदायों (संदत्त) की संख्या	कुल	प्रतिदाय बैंकर के माध्यम से संदत्त प्रतिदायों की प्रतिशतता
वित्त वर्ष 2012-13	81,48,839	66,733	82,15,572	99.19%
वित्त वर्ष 2013-14	1,03,06,814	41,501	1,03,48,315	99.60%

13.16.5 परियोजना का नाम: ई-भुगतान

ई-भुगतान परियोजना द्वारा नेट बैंकिंग सुविधा का इस्तेमाल करके सभी प्रत्यक्ष करों का भुगतान ऑन लाइन किया जा सकता है। यह योजना भुगतान के किसी भी समय और कहीं भी करने के सरल तरीके का प्रावधान करती है।

1 अप्रैल, 2008 से सभी कंपनियों तथा 44कख मामलों में प्रत्यक्ष करों का ई-भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है।

ई-भुगतान की सुविधा का विस्तार अब प्रत्यक्ष कर का संग्रहण करने वाले 30 एजेंसी बैंकों तक दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से भी ई-भुगतान की आनलाइन सुविधा शुरू की है।

ई-भुगतान की सुविधा अब प्रत्यक्ष कर संग्रहीत करने वाले 30 एजेंसी बैंकों द्वारा शुरू की गई है। प्रत्यक्ष करों के भुगतान की सुविधा कारपोरेशन बैंक, बैंक आफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक आफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक आफ बड़ौदा तथा ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के एटीएम के माध्यम से शुरू किया गया है।

वित्त वर्ष 2012-13 में ई-भुगतान चलानों की संख्या एवं राशि में क्रमशः 60.68 प्रतिशत और 85.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2013-14 में संख्या एवं राशि दोनों प्रतिशतता क्रमशः 64.00 प्रतिशत और 86.48 प्रतिशत पहुंच गई है।

13.16.6 परियोजना का नाम: डाटा भंडारगार और कारोबार आसूचना (डीडब्ल्यू एंड बीआई) परियोजना

अनुपालना में सुधार लाने हेतु गैर-हस्तक्षेपकारी तरीकों का इस्तेमाल करने की अपनी सोच के भाग के रूप में आयकर विभाग ने 2013 में डाटा भंडारगार और कारोबार आसूचना (डीडब्ल्यू एवं बी आई) की शुरुआत की ताकि कर प्रशासन के सभी क्षेत्रों में सूचना के कारगर उपयोग हेतु एक व्यापक मंच का विकास किया जा सके। डी डब्ल्यू एंड बी आई के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

- (i) कर आधार को व्यापक एवं सुदृढ़ बनाना
- (ii) कर कानूनों के साथ अनुपालना में सुधार लाना
- (iii) धोखाधड़ी और राजस्व के रहस्योदघाटन का पता लगाना
- (iv) जांच में सहायता करना
- (v) कर संग्रहण की कारगरता को बढ़ाना
- (vi) उद्यम वार रिपोर्टों का सृजन करना
- (vii) बड़े जोखिम वाली परिस्थितियों की निगरानी
- (viii) नीति-निर्धारण हेतु निविष्टियां उपलब्ध कराना

यह परियोजना एक नए केन्द्रीकृत प्रसंस्करण केन्द्र (अनुपालन प्रबंधन सीपीसी) को स्थापित करने की सोच रखती है ताकि उत्पादकता

और क्षमता को बढ़ाने हेतु पैन जनसंख्या, मास्टर डाटा प्रबंधन, पूर्व सत्यापन, थोक पत्रों/नोटिसों का सृजन, प्रतिक्रिया का अनुसरण एवं उसे हासिल करना जैसे संसाधन गहन बारम्बार कार्यों को संभाला जा सके।

परियोजना के डिजाइन की शुरुआत परामर्शदाता की नियुक्ति के साथ जनवरी, 2014 में ही की जा चुकी है तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अभी प्रक्रियाधीन है।

13.16.7 परियोजना का नाम: नॉन-फाइलर्स मॉनीटरिंग प्रणाली(एन एम एस) प्रायोगिक परियोजना

नॉन-फाइलर्स मॉनीटरिंग प्रणाली (एन एम एस) की संकल्पना डाटा भंडारगार और कारोबार आसूचना (डीडब्ल्यू एंड बी आई) परियोजना के तहत एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में की गई ताकि बड़ी कर देयता वाले नॉन-फाइलर्स पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाए।

बड़ी कर-देयता वाले नॉन-फाइलर्स 12,19,832 की संख्या के लक्ष्य की पहचान करने हेतु डाटा विश्लेषण किया गया जिनके बारे में एआईआर, सीआईबी डाटा और टीडीएस/टीसीएस विवरणियों में विशिष्ट सूचना उपलब्ध थी। अनुवर्ती कार्रवाई और निगरानी रखने हेतु मामलों को पी1, पी2, पी3, पी4 और पी5 प्राथमिकता (पी1 उच्च प्राथमिकता वाले मामले) में वर्गीकृत करने हेतु प्राथमिकीकरण नियमों को लागू किया गया। थोक पत्रों को उच्च प्राथमिकता वाले मामलों में रखा गया ताकि कर-निर्धारण वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 हेतु आयकर विवरणियों में सौंपी गई सूचना के बारे में जानकारी मिल सके। पत्र में कस्टोमाइज्ड प्रतिक्रिया पत्र के साथ विभाग के पास उपलब्ध सूचना का सारांश भी सम्मिलित है।

प्रणाली निदेशालय के अंतर्गत अनुपालना प्रबंधन प्रकोष्ठ का गठन किया गया ताकि प्रतिक्रिया हासिल की जा सके और अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके। जून, 2013 में एक व्यापक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नॉन-फाइलर्स से जुड़ी सूचनाओं का इस्तेमाल कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा कारगर तरीके से किया जाता है। टारगेट सेमेंट के संबंध में सूचना को क्षेत्राधिकारी कर-निर्धारण अधिकारियों को उपलब्ध करायी गई है ताकि निरंतर रूप से निगरानी रखी जा सके और संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके।

बोर्ड ने एस ओ पी (अनुदेश सं. 14/2013) जारी किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्षेत्रीय कार्यालय अपनी कार्रवाई में एकरूपता बनाए रखने हेतु एन एम एस मामलों में एक मानक प्रक्रिया का अनुसरण करें।

13.16.8 दूसरा एनएमएस चक्र

आयकर विभाग में जनवरी, 2014 में डाटा मिलान का दूसरा चक्र भी कराया जिसमें **22.09 लाख अतिरिक्त** नॉन-फाइलर्स की पहचान की है जिन्होंने उच्च मूल्य के संयवहार किये किन्तु आयकर विवरणी दाखिल नहीं की है।

इन नये नॉन-फाइलर्स से संबंधित सूचना को आयकर

विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर "अनुपालना मोड्यूल" पर उपलब्ध करायी है। यह सूचना विशिष्ट पैन धारकों को ही <https://incometaxindiaefiling.gov.in> ई-फाइलिंग पोर्टल पर लागू-इन करने पर दिखेगी। ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद "अनुपालना मोड्यूल" पर क्लिक करके अपनी प्रतिक्रिया इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकेगा। यदि करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है तो वह पंजीकरण करने हेतु "स्वयं को रजिस्टर करें" लिंक का इस्तेमाल कर सकता है।

2,50,000 मामलों में अनुपालना मोड्यूल पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने तथा विवरणी दाखिल करने हेतु पत्र प्रेषित कर दिये गये हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत 6,77,103 व्यक्तियों को एसएमएस और ई-मेल भेज दिये गये हैं।

यह पहल के परिणाम स्वरूप करदाताओं की बड़ी संख्या अपनी आयकर विवरणियां प्रस्तुत की है तथा स्व-करनिर्धारण कर तथा अग्रिम कर की पर्याप्त राशि का संग्रहण किया गया है।

13.16.9 परियोजना का नाम: डाटाबेस एकीकरण के लिए प्रणाली समाकलक (एसआई) परियोजना

परियोजना का विवरण

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की प्रणाली समाकलक परियोजना का उद्देश्य 36 क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्रों (आरसीसी) में उपलब्ध डाटा बेस को एक एकल राष्ट्रीय डाटा बेस (प्राथमिक डाटा बेस केन्द्र - पीडीसी के रूप में उल्लिखित) में एकीकृत करना है। प्रणाली समाकलक पहल में पूर्ण व्यवसाय निरंतरता (बीसीपी) साइट के रूप में मुम्बई में प्राथमिक डाटाबेस केन्द्र की प्रतिकृति तथा चेन्नई में डाटा भंडारण के रूप में कार्य करने के लिए एक आपदा रिकवरी (डीआर) साइट की स्थापना द्वारा एक डाटा प्रतिकृति एवं आपदा रिकवरी प्लानिंग की परिकल्पना की गई है। तथापि, आपदा रिकवरी साइट से अनुप्रयोगों को चलाने की क्षमता की अपेक्षा नहीं की गई है, इसके बजाय उसमें प्राथमिक साइट की तरह भंडारण प्रणाली की एक यथार्थ प्रति रखी जाएगी। प्रणाली समाकलक परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक साइट से नियमित आधार पर बीसीपी तथा डीआर साइट को डाटा की प्रतिकृति भेजी जाएगी। प्रणाली समाकलक में अंतर्निहित लाभ निम्निलिखित हैं:

- प्रबंधन तथा संसाधन लागत की दृष्टि से 36 क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्रों की तुलना में एक समेकित आरसीसी का प्रबंधन सरल है।
- एक क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र में प्रयुक्त होने के कारण सॉफ्टवेयर का रूपांतर नियंत्रण सरल होगा।
- एमआईएस को आंकड़ों का विश्वव्यापी परिदृश्य उपलब्ध होगा।
- एक 3-टियर बनावट की संदेशन समाधान जैसी बेहतर मापनीयता तथा अनूठी विशेषता होती है।
- अवसंरचना प्रबंधन - ईआरएम समाधान, एंटी-वायरस एवं डाटा सुरक्षा समाधान तथा डाटा प्रतिकृति समाधान।

- इस परियोजना में विभाग की भावी वृद्धि अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हार्डवेयर अपेक्षाओं को बढ़ाने के लिए अन्तर्निहित लचीलापन तथा क्षमता है।

उपलब्धियां:

प्राथमिक डाटा केन्द्र (पीडीसी), व्यवसाय निरंतरता प्रक्रिया (बीसीपी) तथा आपदा रिकवरी (डीआर) से आयकर विभाग को अबाधित सेवाएं प्रदान की गईं। एसआई परियोजना 5 साल अर्थात् 1.6.2014 तक चलने की। 1.6.2014 के पश्चात् उसका प्रचालन नई आयकर कारोबार एप्लीकेशन (आईटीबीए) परियोजना द्वारा किया जाएगा।

13.16.10 परियोजना का नाम ई-टीडीएस

1. टीडीएस हेतु केन्द्रीकृत प्रसंस्करण केन्द्र (सीपीसी) ने 1 नवम्बर, 2012 से आयकर भवन, वैशाली जिला गाजियाबाद से कार्य करना आरंभ किया तथा यह माननीय वित्त मंत्री द्वारा 23.2.2013 को राष्ट्र को समर्पित किया।
2. प्रसंस्करण में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर ध्यान देने के साथ-साथ टीडीएस विवरणों के प्रसंस्करण तथा टीडीएस विवरणों के व्यापक टीडीएस डाटा की सफाई के माध्यम से टीडीएस अनुपालना को सुनिश्चित करने में सीपीसी (टीडीएस) परियोजना ने प्रमुख कदम उठाया है। सीपीसी टीडीएस ने कटौतीकर्ताओं को टीडीएस प्रमाण पत्र डाउनलोड करने हेतु समर्थ बनाया है तथा इस प्रकार टीडीएस के बेमेल होने के मामलों को पूरे तरह समाप्त कर दिया है जो कि करदाताओं के लिए टीडीएस क्रेडिट का उचित दावा करने हेतु चिंता का प्रमुख क्षेत्र था। यहां यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि सीपीसी (टीडीएस) के अस्तित्व में आने के साथ टीडीएस के बेमेल होने के मामलों में भारी गिरावट आयी है जो कि इस तथ्य से दृष्टव्य है कि इस वर्ष के दौरान सीपीसी-आईटीआर (बंगलौर) में प्रसंस्कृत किये गये 96 प्रतिशत से ज्यादा मामलों में किसी टीडीएस के बेमेल होने की कोई बात सामने नहीं आयी।
3. सीपीसी टीडीएस ने करदाताओं को अपना कर क्रेडिट विवरण (प्रपत्र 26 एसएस) को 'किसी भी समय, कहीं भी' आधार पर ऑन-लाइन देखने की सुविधा भी मुहैया करायी है।
4. सीपीसी (टीडीएस) ने कारोबार आसूचना साधनों का प्रयोग करते हुए एमआईएस एवं विश्लेषण आधारित रिपोर्टों के माध्यम से करनिर्धारण अधिकारियों को सशक्त बनाते हुए उनके द्वारा अनुपालना प्रकाय पर ध्यान देने के साथ संतुलित टीडीएस प्रशासन को संतुलित बनाया है।
5. विश्लेषण आधारित रिपोर्टों के अंतर्गत प्रपत्र 15 सीए के माध्यम से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों (टीडीएस के साथ अथवा बगैर राष्ट्रवार तथा प्रकृति वार प्रेषण सहित) की प्रोफाइलिंग, पैन की बड़ी त्रुटियों के साथ होने वाले

संव्यवहारों की सूचना देने वाले कटौतीकर्ता, चूककर्ता तथा चूक की प्रकृति सम्मिलित है।

6. सीपीसी(टीडीएस) द्वारा उठाई गई मांग तथा संबंधित करनिर्धारण के अधिकारियों के बकाया रजिस्टर में पड़ी मांग को एकीकृत करने वाले एक व्यापक मांग पोर्टल को भी लाया गया है।
7. सीपीसी (टीडीएस), सीपीसी बंगलौर की रीढ़ की हड्डी है क्योंकि उसने आयकर विवरणियों के त्वरित प्रसंस्करण तथा प्रतिदायों के त्वरित निर्गमन को संभव बनाया है जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिदायों में देरी होने के कारण संदत्त किये जाने वाले ब्याज के व्यय में कमी आयी है।
8. टीडीएस-सीपीसी के लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता करने के लिए संपूर्ण कार्यक्रम को दो चरणों अर्थात वेव-1 तथा वेव-2 ने विभाजित किया गया है।

(क) वेव 1

पहले चरण में कटौतीकर्ताओं एवं कटौती किये जाने वाले व्यक्तियों के प्रकार्यों का उल्लेख करने पर ध्यान दिया गया है। इस चरण के भाग के रूप में निम्नलिखित प्रकार्य, जो पूर्व में एनएसडीएल द्वारा संभाले जाते थे, प्रचालित किये गये:-

क. कटौतीकर्ताओं हेतु

- प्रपत्र 16/16ए का डाउनलोड करना
- समेकित फाइल को डाउनलोड करना
- औचित्य रिपोर्ट को डाउनलोड करना
- वास्तविक विवरणों का प्रसंस्करण
- शुद्धि विवरणों का प्रसंस्करण

ख. कटौती किये गये व्यक्तियों हेतु

- 26एस संव्यवहारों का सृजन
- विशिष्ट पैन भारतों द्वारा 26एस प्रपत्रों को देखा जाना

(ख) वेव 2

दूसरे चरण में टीडीएस-सीपीसी टीम ने कटौतीकर्ताओं द्वारा नये प्रकार्यों की सुपुदगी के साथ कर निर्धारण अधिकारियों को सशक्त बनाने पर ध्यान दिया है।

i. **कर निर्धारण अधिकारियों हेतु:** सीपीसी पोर्टल पर टीडीएस प्रमाण पत्रों तथा कर की कोई कटौती नहीं/कम कटौती हेतु प्रमाणपत्रों के सही होने का पता लगाने हेतु क्षेत्रीय कर निर्धारण अधिकारियों के लिए ऑन-लाइन सत्यापन करने की सुविधा की व्यवस्था की गई है।

ii. **कटौतीकर्ताओं हेतु** इस अवधि के दौरान कटौतीकर्ताओं हेतु कुछ अतिरिक्त प्रकार्यों का प्रावधान किया गया है:

निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुविधाएं कटौतीकर्ताओं को समर्थ बनाती है

क. **अनिवासियों के संबंधित पैन रहित संव्यवहार:** ऑन-लाइन संव्यवहार आधारित रिपोर्ट कटौतीकर्ताओं तथा कटौती किये गये व्यक्तियों दोनों के लिए उपलब्ध हैं। विदेशी संस्थाएं भी सीपीसी पोर्टल पर ऐसे संव्यवहारों का सही होने का पता लगा सकती है। उपर्युक्त सुविधाएं केवल कुछ एक देशों द्वारा मुहैया करायी जा रही है।

ख. मेल नहीं होने वाले चालान ब्यौरे में शुद्धि तथा पैन के अद्यतन/शुद्धि हेतु ऑन-लाइन सुविधा

ग. पैन प्रमाणीकरण सुविधा

घ. 197 प्रमाण पत्र प्रमाणीकरण

ड. टीडीएस प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण

च. नये औचित्य रिपोर्ट एवं उपयोगिता

छ. अद्यतित ई-ट्यूटोरियल और एफएक्यू

ज. विस्तृत चूक रिपोर्टों को दर्शाता कटौतीकर्ता का डैश बोर्ड

9. सीपीसी (टीडीएस) एक चालू परियोजना है तथा इसके शुरु होने से अब तक के निष्पादन को नीचे दर्शाया गया है:-

क. **समग्र निष्पादन (31 मार्च, 2014 तक)**

सीपीसी(टीडीएस) में पंजीकृत कटौतीकर्ता	12 लाख में से 10.29 लाख सक्रिय कटौती कर्ता है
26एस/टीडीएस प्रमाण पत्र हेतु प्रसंस्कृत टीडीएस विवरण	1.15 करोड़ (98 प्रतिशत विवरण सीपीसी-टीडीएस में अपलोड किये गये)
चूक हेतु प्रसंस्करण टीडीएस विवरण	1.15 करोड़

ख. **डाउनलोड सांख्यिकी (31 मार्च, 2014 तक)**

डाउनलोड प्रपत्र	सुविधा का इस्तेमाल करने वाले अनोखे कटौतीकर्ता	डाउनलोड की गई फाइलों की सं.
फार्म 16ए	7.96 लाख	39.86 लाख
फार्म 16	2.49 लाख	4.01 लाख
औचित्य रिपोर्ट	4.59 लाख	18.81 लाख
समेकित फाइल	6.03 लाख	37.75 लाख

ग. 26एस को देखना (31 मार्च, 2014 तक)

26एस को देखने वाले करदाताओं की सं.: 2.5 करोड़ से ज्यादा

13.16.11 परियोजना का नाम: ओलटास (आन-लाइन कर लेखांकन प्रणाली)

आनलाइन कर लेखांकन प्रणाली परियोजना की रचना करदाताओं द्वारा विनिर्दिष्ट बैंकों में सीधे किए गए आनलाइन कर भुगतानों को कर क्रेडिट हेतु विभाग द्वारा रखे गए करदाताओं के क्रियाशील लेजर खातों में समाहित करने के लिए की गई थी। ओलटास का कार्यान्वयन आरबीआई, बैंक एजेंसी तथा टिन (वर्तमान में एनएसडीएल द्वारा प्रबंधित) के परस्पर सहयोग से किया जा रहा है।

इस परियोजना का उद्देश्य कर क्रेडिट के लिए कागजी प्रयोग तथा कागजी विधिमाम्यकरण प्रणाली को समाप्त करना था। ओलटास परियोजना विभाग द्वारा की गई प्रमुख ई-प्रशासन पहलों में से एक रहा है। परियोजना के अंतर्गत बैंकों में किये गये सभी भुगतानों को टी + 3 आधार में अपलोड किया गया। पैन/टैन वाले कर निर्धारिती एवं बैंक के साथ भुगतान के स्थान को ध्यान में रखे बिना नकद भुगतान का ढांचा देखा जा सकता है। 3 निजी क्षेत्र के बैंकों सहित देशव्यापी 30 एजेंसी बैंक तथा उनकी 13000 शाखाएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्यक्ष कर भुगतानों के संग्रहण के लिए अधिकृत हैं।

इस परियोजना के अंतर्गत बैंक अपने कम्प्यूटरों में कर भुगतान चालानों का डाटा दर्ज करते हैं तथा एनएसडीएल द्वारा रखे गए आयकर विभाग के कर सूचना नेटवर्क (टिन) के सर्वर पर ऑनलाइन चालान सूचना भेजते हैं। संशोधित फाइल विधिमाम्यकरण अनुदेशों को सभी संग्रहणकर्ता बैंकों तथा टिन के सॉफ्टवेयर में इंस्टोल कर दिया गया है ताकि बेहतर डाटा गुणवत्ता सुनिश्चित किया जा सके। कुल मामलों में से लगभग 99 प्रतिशत मामलों में से चालानों में सही पैन संख्या एवं टैन संख्या का उल्लेख किया जा रहा है जो करभुगतान की गुणवत्ता तथा एजेंसी बैंकों द्वारा लिंक किये गये ई-भुगतान डाटा की गुणवत्ता में सुधार दर्शाता है।

एनएसडीएल डाटा निकालता है, आनलाइन कर लेखांकन प्रणाली फाइलें तैयार करता है तथा उसे एनसीसी, नई दिल्ली में रखे गए ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली के सर्वर को भेजता है। वहां से, इस डाटा को आयकर विभाग के ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली के डाटाबेस में मिलाया जाता है जिससे कर निर्धारण अधिकारी करदाताओं को उनके द्वारा भुगतान किए गए कर के लिए उचित क्रेडिट देने और भुगतान के स्थान अथवा तरीके को ध्यान में रखे बिना पैन/टैन क्षेत्राधिकार के आधार पर कर-निर्धारण अधिकारी/रेंज प्रमुख/सीआईटी/सीसीआईटी के लिए संग्रहण रिपोर्ट उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं।

ओलटास परियोजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं:-

बैंकों की संग्राहक तथा नोडल शाखाएं उनके द्वारा टिन को भेजे गए कर भुगतान डाटा की स्थिति का सत्यापन टिन वेबसाइट **tin-nsdl.com** के माध्यम से कर सकते हैं।

करदाताएं अपने कर भुगतानों का सत्यापन टैन/सिन (चालान पहचान संख्या) के आधार पर टिन वेबसाइट पर चालान स्थिति पूछताछ के माध्यम से कर सकते हैं। आनलाइन कर लेखांकन प्रणाली के अंतर्गत चालान पहचान संख्या बैंक/शाखा का बीएसआर कोड, जमा करने की तारीख तथा चालान क्रम संख्या का एक अनूठा संयोजन है।

पिछले वित्तीय वर्ष की तिमाही-वार तुलनात्मक विश्लेषण सहित अधिकतम अग्रिम करदाताओं तथा टीडीएस दाताओं की रिपोर्ट भी कर संग्रहण की निगरानी के लिए आयकर आयुक्त तथा आयकर आयुक्त (टीडीएस) को उपलब्ध कराई जाती है।

निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए टिन द्वारा आयकर विभाग के साथ-साथ प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक के लिए मासिक एमआईएस रिपोर्ट बनाई जाती है।

टिन, कर भुगतान डाटा तथा भारतीय रिजर्व बैंक को उनके द्वारा भेजी गई निधि के साथ इसके सामंजस्य के अपलोड की निगरानी के लिए संग्राहक बैंक शाखाओं, उनकी नोडल शाखाओं के साथ-साथ उनके लिंक कक्षों को ओलटास डैशबोर्ड प्रदान कर रहा है।

दैनिक आधार पर प्रत्यक्ष कर संग्रहण की निगरानी हेतु वित्त मंत्री, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य आयकर आयुक्तों/आयकर महानिदेशकों, आयकर आयुक्तों (टीडीएस) एवं आयकर आयुक्तों (कम्प्यूटर प्रचालन) के लिए टिन वेबसाइट के माध्यम से एक पृथक ओलटास डैशबोर्ड सुविधा शुरू की गई है।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान ओलटास के माध्यम से किये गये कर भुगतान चालानों की संख्या एवं राशि क्रमशः 4.08 करोड़ तथा 7,18,793.0000 करोड़ से अधिक थी।

13.16.12 परियोजना का नाम: आयकर सम्पर्क केन्द्र (एएसके)

आयकर सम्पर्क केन्द्र (एएसके) पैन एवं टैन आवेदन की स्थिति, आयकर एवं धनकर विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयकर विभाग का करदाता सूचना एवं सेवा केन्द्र है। करनिर्धारितियों की श्रेणी जिनसे अनिवार्य रूप से ई-पेमेंट करने या ई-रिटर्न दाखिल करने की अपेक्षा है। डिजिटल हस्ताक्षर के साथ या इसके बिना आयकर विवरणी इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने की प्रक्रिया/ टेलफोन पर या ई-मेल से शिकायत दर्ज कराने एवं उनका समाधान करने में सहायता करने की सुविधा प्रदान करता है।

व्युत्पत्तियां

आयकर सम्पर्क केन्द्र (एएसके) से व्युत्पत्तियां इस प्रकार हैं:

डिजिटल हस्ताक्षर से या इसके बिना आयकर विवरणी इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने में तथा चालान एवं

विवरणी तैयार करने के साफ्टवेयर में सहायता के लिए देश व्यापी सुविधाएं।

विभिन्न फार्मों जैसे कि आयकर विवरणी फार्म, धनकर विवरणी फार्म को डाउनलोड करने में सहायता।

ई- मेल से फार्म भेजने की सुविधा।

एटीएम से ई-पेमेंट एवं भुगतान समेत कर भुगतान करने की प्रक्रिया ।

पैन एवं टैन आवेदन की स्थिति एवं संबंधित प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना।

प्रतिदाय की स्थिति।

कर निर्धारण के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना।

कर क्रेडिट विवरण देखने तथा कर क्रेडिट विवरण पंजीकरण की प्रक्रिया।

कर सूचना नेटवर्क के सुविधा केन्द्रों एवं पैन सेवा केन्द्रों की सूची।

एनएमएस संबंधित प्रश्न

विविध प्रश्नों को हँडल करना।

उपलब्धियां:

विभाग ने टोल फ्री नंबर 18001801961 तथा संक्षिप्त कोड 1961 के साथ आयकर सम्पर्क केन्द्र स्थापित किया है। गुडगांव में एक राष्ट्रीय कम्प्यूटर केन्द्र (एनसीसी) तथा जम्मू, जांगीपुर, शिलांग एवं कोच्चि में चार क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र (आर सी सी) है जो हिन्दी, अंग्रेजी एवं 8 क्षेत्रीय भाषाओं में करदाताओं को सेवाएं प्रदान करते हैं। वित्त वर्ष 2013-2014 के दौरान अर्थात् अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 तक के दौरान कॉल एवं ई-मेल की संख्या इस प्रकार है:

•	प्राप्त कॉल	-	138 7636
•	कॉल जिनका उत्तर दिया गया	-	134 6411
•	कॉल सफलता अनुपात	-	97.03 प्रतिशत
•	प्राप्त ई मेल	-	1,01464
•	ई मेल जिनका उत्तर दिया गया	-	1,01464

आयकर सम्पर्क केन्द्र की परियोजना पर अनुमानित व्यय वित्त वर्ष 2014-15 के लिए 5.5 करोड़ रुपए होगी जिसमें वास्तविक आधार पर टेलीफोन व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल नहीं है।

13.16.13. परियोजना का नाम: आई टी वेबसाइट <http://incometaxindia.gov.in>

परियोजना का विवरण

- विभाग एवं इसकी गतिविधियों पर करदाताओं को सूचना प्रदान करती है।

- क्षेत्रीय कार्यालयों एवं विभिन्न निदेशालयों ने भी क्रमशः संवर्ग नियंत्रक मुख्य आयकर एवं आयकर महानिदेशक के स्तर पर अपना स्वतंत्र पृष्ठ प्राप्त किया है।
- कर कानून से संबंधित सूचना तथा अधिनियम, नियमावली, परिपत्र, अधिसूचना, विवरणी, फार्म एवं चालान आदि को आनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करती है। आयकर विवरणी एवं टीडीएस विवरणी छूट प्राप्त संस्थाओं पर ट्यूटोरियल, काले धन पर फीडबैक, करदाता सूचना पुस्तिका, करदाता सूचना पैम्फलेट आदि को भी वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान उपलब्ध कराया गया है।
- एक छत्र वेबसाइट के रूप में काम करके ई-सेवाएं प्रदान करती है जो विवरणियों की ई-फाइलिंग, पैन, टैन, टीडीएस, आनलाइन कर भुगतान कर क्रेडिट देखना, प्रतिदाय की स्थिति, प्रपत्र 16क को सीधे डाउन लोड करना आदि जैसी विभिन्न सेवाओं से जोड़ती है। इसके अलावा, कर विवरणी तैयारकर्ता, लोकेटर, कर भुगतान के लिए बैंक शाखा लोकेटर, चालान सुधार तंत्र, टिन सुविधा लोकेटर एवं लोक शिकायत जैसी आनलाइन सेवाएं भी शामिल की गई हैं।

उपलब्धियां:

- वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान दैनिक आधार पर वेबसाइट के 34,280 से अधिक समवर्ती विजिटर हैं।
 - वेबसाइट को औसतन प्रतिदिन 14 मिलियन हिट्स प्राप्त हो रहे हैं तथा जुलाई, 2013 के दौरान पीक हिट्स की संख्या 41 मिलियन से अधिक थी।
- अनेक नई विशेषताओं से युक्त एक नई वेबसाइट प्रक्रिया के अधीन है।

13.16.14 परियोजना का नाम: एएसटी

एएसटी से अभिप्राय करनिर्धारण मॉड्यूल से है जो कि आयकर विभाग का कोर मॉड्यूल है तथा जो विवरणियों के प्रसंस्करण के साथ-साथ महत्वपूर्ण सूचना जैसे वैश्विक मॉड्यूल (प्रयोक्ता प्रमाणीकरण), एआईएस (करनिर्धारिती के पैन ब्यौरे को प्राप्त करना), टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती), ओलटास (करनिर्धारिती द्वारा कर्षों का किया गया भुगतान), सीआईबी (एआईआर सहित), तथा सीपीसी (आईटीआर, बंगलौर आदि को प्राप्त करने हेतु अन्य सभी मॉड्यूलों से बातचीत करता है तथा आईआरएलए (करनिर्धारिती का वैयक्तिक चालू लेजर खाता) में प्रसंस्करण के उत्तर परिणामों को प्रेषित करता है। अधिनियम/नियमावली में परिवर्तन तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए प्रकाश्यों को निरंतर बढ़ाया जा रहा है।

यह आयकर विवरणियों का डिजिटलीकरण, उसका प्रसंस्करण तथा उत्तर प्रसंस्करण गतिविधियों को संभालाता है।

(i) विवरणियों का प्रसंस्करण :

प्रविष्ट की गई विवरणियां विधिमाम्यकरण की प्रक्रिया से गुजरती है तथा इसके पश्चात कर की संगणना हेतु प्रसंस्कृत की जाती है।

इसके बाद ओलटास में उपलब्ध करें का मिलान विवरणियों में दावा किये गये करें से किया जाता है। उपयुक्त कर के आधार पर कंप्यूटर पर विवरणियों हेतु ब्याज की संगणना की जाती है।

इस उपयुक्त कार्यवाई के आधार कंप्यूटर पर कर/प्रतिदाय की संगणना की जाती है तथा आईआरएलए में दर्शाया प्रेषित किया जाता है।

(ii) उत्तर प्रसंस्करण:

मांग नोटिस जारी करना; यह मांग के मामले में जारी किया जाता है।

प्रतिदाय: आंकड़े को प्रतिदाय सारणी में डाला जाता है तथा प्रतिदाय बैंकर द्वारा कर निर्धारिती को जारी करने हेतु उठा लिया जाता है।

शुद्धि: यह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा खुद से या कर निर्धारिती द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर की जाती है।

(iii) कर निर्धारण:

धारा 143(3), 144, 147, 153क एवं 153ग के आदेशों को जारी करने एवं अपलोड करने का प्रकार्य एसएसटी में उपलब्ध है।

(iv) अपील प्रभाव:

सीआईटी(अपील), आईटीएटी द्वारा जारी किये गये अपीलों के आदेश तथा धारा 263/264 के अंतर्गत संशोधित आदेशों को प्रभाव देने के प्रकार्य एसएसटी में उपलब्ध है।

(v) अर्थदंड:

यह प्रणाली विभिन्न अर्थदंड के आदेशों को जारी करने एवं जारी करने की प्रक्रिया को आरंभ करने के प्रकार्य का भी प्रावधान करती है।

(vi) रजिस्टर:

कर निर्धारण अधिकारी के रजिस्टर जैसे कि अर्थदंड रजिस्टर, शुद्धि रजिस्टर, लेखा परीक्षा रजिस्टर, अपील रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर आदि भी एसएसटी में उपलब्ध है।

13.16.15 आईटीबीए परियोजना

- आईटीबीए एक अग्रणी परियोजना है जिसकी मंशा मौजूदा साफ्टवेयर एप्लीकेशन में सुधार लाना तथा विभाग हेतु बेहतर क्षमता वाली अन्य एप्लीकेशन को तैयार करना है।
- 1.1.2013 से 31.12.2013 के दौरान निम्नलिखित विकास कार्य हुए:-
 - बोली प्रक्रिया के दौरान एल1 कसौटी के आधार पर टीसीएस को सेवा प्रदाता के रूप में चुना गया जिसे सीएनई द्वारा अप्रैल, 2013 में अनुमोदित किया गया। टीसीएस द्वारा एलओआई को 9 मई, 2013 को स्वीकृत किया गया।

- एलओआई को स्वीकृत करने के बाद ईसीएस ने आरएफपी की अपेक्षाओं के अनुसार परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुराने वेंडर से पुराने एप्लीकेशन (विरासत एप्लीकेशन) को ले लिया है। प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण, टीसीएस संसाधनों हेतु बैठने के स्थान हेतु कार्य तथा टी एंड डी केन्द्र को तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। डाटा केन्द्र को सौंपने का कार्य भी चल रहा है। टीसीएस ने विभाग की प्रकार्यात्मक अपेक्षाओं की चर्चा करने के उपरान्त विभाग को साफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसीफिकेशन (एसआरएस) दस्तावेज भी सौंप दिया है।

- परियोजना का 2015 के मध्य तक पूरा होने की संभावना है।

- 1.1.2014 से 31.3.2014 के दौरान निम्नलिखित विकास कार्य हुए:

प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण, टीसीएस संसाधन हेतु बैठने के स्थान हेतु कार्य तथा टीएंडडी केन्द्र की तैयारी का काम पूर्ण हो गया है।

13.17 महानिदेशक (संभार तंत्र)

13.17.1 आयकर महानिदेशालय (बीपीआर)

4(क) वर्ष के दौरान निष्पादन एवं उपलब्धियों की झलकियां:

- रिकार्ड प्रबंधन :** आयकर निदेशालय (बीपीआर) को आयकर विभाग के लिए रिकार्ड प्रबंधन नीति को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें आयकर निदेशालय बीपीआर हेतु रिजल्ट फ्रैमवर्क डाक्यूमेंट (आरएफबी) लक्ष्य भी शामिल है। इसे सूत्रबद्धकर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 17.12.2013 को सौंपा गया।
- बीपीआर निदेशालय ने डीजीआईटी (संभार तंत्र) के तहत काम कर रही अनुसंधान एवं सांख्यिकी संघ के निम्नलिखित आरएफबी लक्ष्यों का पर्यवेक्षण तथा समेकन किया।

क. 10,000 तक की बकाया मांग बढ़े खाते में डालना।

ख. कर निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2011-12 हेतु गैर कृषिगत आय के साथ कृषि आय के औसत पर अध्ययन।

- निदेशालय को प्राइस वॉटर हाऊस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) रिपोर्ट की साठ सिफारिशों के कार्यान्वयन का अधिदेश दिया गया। कार्यान्वयन/ विचार के अंतिम चरण पर होने वाली सिफारिशों की अध्ययन स्थिति जानने हेतु एक व्यापक अनुवर्ती कार्यवाई की गई है।

4(ख) संगठन के प्रकार्य/कार्यप्रणाली तथा प्रभाग के विभिन्न सलाहकार बोर्ड एवं परिषदों सहित इसकी संरचना:

बीपीआर निदेशालय डीजीआईटी (संभार तंत्र), दिल्ली के अंतर्गत कार्य करता है।

4(ग) गत वर्ष तक निष्पादन/उपलब्धियां;

13.17.2 गत वर्ष तक का निष्पादन/उपलब्धियां

1. **आर एवं एस स्कंध की तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यू पी आर)** सभी आयकर आयुक्त (अ) अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट अपने मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीए) के माध्यम से आयकर महानिदेशक (संभार तंत्र) के आर एवं एस स्कंध को सौंपते हैं। आयकर महानिदेशक (संभार तंत्र) ने इस निदेशालय को इस मुद्दे पर गहन अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस निदेशालय द्वारा मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीए)/ मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा यथा सूचित तथा आई टी ए टी रजिस्ट्री द्वारा यथा प्राप्त आंकड़ों में कुछ विसंगतियों की पहचान भी की गई है। इसके अध्ययन के उपरान्त एक रिपोर्ट डीजीआईटी (संभार तंत्र) को सौंपी गई।
2. **आयकर आयुक्त (अ) को ई-मेल आई डी जारी करना:** यह बात गौर की गई कि आयकर आयुक्त (अ) द्वारा आने वाल मासिक अपील रिपोर्ट उनके आधिकारिक ईमेल आईडी के माध्यम से नहीं आ रही है। यह संभवतः इसलिए क्योंकि सभी आयकर आयुक्त (अपील) के पास उनका अपना आधिकारिक ईमेल आईडी नहीं है। इस निदेशालय ने प्रणाली निदेशालय के सहयोग से यह सुनिश्चित किया है कि सभी आयकर आयुक्त (अ) को उनके आधिकारिक ईमेल आईडी दिए जाएं तथा इसकी सूचना आर एवं एस स्कंध के माध्यम से सभी आयकर आयुक्त (अपील) को दी जाए।
3. **रिकार्ड प्रबंधन:** रिकार्ड प्रबंधन नीति को सूत्रबद्ध करने से जुड़ी कार्यविधि की गई। आयकर विभाग की रिकार्ड प्रबंधन नीति पर लोक अभिलेख अधिनियम 1992 की प्रयोज्यता के मुद्दे को विभिन्न मंचों पर संबोधित किया गया है।
4. **हिन्दी कार्य:** वर्ष के दौरान विभाग के कार्मिकों हेतु हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन नियमित रूप से किया गया है। हिन्दी सप्ताह का संचालन भी किया गया जिसमें सभी अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा सक्रिय रूप से भाग लिया गया।
5. **सतर्कता सप्ताह:** वर्ष सतर्कता सप्ताह का भी आयोजन किया गया।

4(घ) वित्त मंत्री के वर्ष 2013-14 के बजट भाषण में घोषित किये गये कार्यक्रम तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम तथा अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों को कार्यान्वयन करने हेतु कार्यवाई।

लागू नहीं।

4(ड.) पूर्वोत्तर राज्यों का विकास(पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम के विकास पर दिये गया कार्य सहित-प्रचालित की जा रही परियोजना/ योजना तथा उन पर होने वाला वास्तविक व्यय आदि)

लागू नहीं।

4(च) ई- प्रशासन गतिविधियां

लागू नहीं।

4(छ) शिकायत निवारण तंत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार गठित

4(ज) लिंग बजटिंग/महिला सशक्तिकरण

शून्य

4(झ) अपंगता क्षेत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों हेतु की गई गतिविधियां

शून्य

4(ञ) केन्द्रीय राजस्व खेल बोर्ड (सीआरएसबी)

मुंबई में सीआरएसबी के साहित्यिक सम्मेलन में निदेशालय ने दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया।

4(ट) सेवोत्तम पर एक पैरा

लागू नहीं।

4(ठ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व (पिछली वार्षिक रिपोर्ट में दिये गये प्रोफार्मा में)

शून्य

13.18. एल आर निदेशालय

आयकर निदेशालय (एल एंड आर) को बोर्ड के संलग्न कार्यालय के रूप में मुख्यतः उच्च न्यायालय के अस्वीकार्य प्रतिकूल निर्णयों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दाखिल करने हेतु प्रस्ताव की जांच हेतु केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को तकनीकी सहायता प्रदान करने, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं विधि मंत्रालय/ केन्द्रीय एजेंसी अनुभाग के बीच समन्वय स्थापित करने तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा संदर्भित विशिष्ट मुद्दों पर अनुसंधान करने हेतु अधिसूचित किया गया है।

नीचे दिये गये चार्ट वर्ष 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 एवं 2014 हेतु प्राप्त/प्रोसेस्ड एसएलपी प्रस्तावों की संख्या तथा ऐसे प्रस्तावों में से एसएलपी दाखिल न किए गए मामलों की संख्या दर्शाता है:

वर्ष	प्राप्त एसएलपी प्रस्तावों की संख्या	अस्वीकृत
2006	1269	477
2007	1971	958
2008	2167	208
2009	2223	379
2010	1858	569
2011	2288	852
2012	1576	482
2013	1875	667
2014 (मार्च, 2014 तक)	282	128

निदेशालय उच्चतम न्यायालय से जुड़े मामलों सहित आयकर विभाग हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। एसएलपी प्रस्तावों के प्रसंस्करण के अलावा अन्य संबंधित गतिविधियों में कानून मंत्रालय (केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग) तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच सहयोग सम्मिलित है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में काफी सुधार आया है। विभाग की ओर से उपस्थित होने वाले वकील उन्हें दी जाने वाली सहायता से संतुष्ट हैं।

13.18.1 निदेशालय द्वारा की गई नई पहलें

- (i) आयकर निदेशालय (एल एंड आर) ने एक "राष्ट्रीय न्यायिक संदर्भ प्रणाली" (एन जे आर एस) की स्थापना करने की पहल की है जो प्रत्यक्ष कर मामलों में आयकर अपीलीय प्राधिकरण, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की सभी अपीलों और निर्णयों को समाहित करने वाला एक अनूठा डाटाबेस होगा। लक्ष्य यह है कि प्रौद्योगिकी की सहायता से विभाग में विवाद प्रबंधन में सुधार किया जा सके।

बोली की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और परियोजना के कार्यान्वयन की संविदा अप्रैल, 2014 में मैसर्स एनएसडीएल ई-प्रशासन अवसंरचना वाले संघ को दी गई है। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा परियोजना को 6 माह के भीतर पूरा किया जाना अपेक्षित है तथा वह उसके पश्चात 5 वर्षों की अवधि तक उसके संगठन एवं रख-रखाव हेतु उत्तरदायी होगा।

- (ii) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा दिनांक 28.8.2012 के का.ज्ञा. के जरिए एक संस्थागत तंत्र का सृजन विवादास्पद कानूनी

मुद्दों पर स्पष्टता लाने, दिए गए किसी मुद्दे पर सुसंगत सोच को बनाने तथा विवाद को कम करने की दृष्टि से किया गया था। इसमें दिल्ली स्थित एक केन्द्रीय तकनीकी समिति (सीटीसी) के साथ प्रत्येक सीसीआईटी (सीसीए) क्षेत्र में क्षेत्रीय तकनीकी समितियां (आरटीसी) सम्मिलित है। वर्ष के दौरान, तंत्र को संस्थागत रूप दिया गया तथा आर टी समितियों की स्थापना की गई। केन्द्रीय तकनीकी समिति को अनेक विवादास्पद मुद्दों पर विभागीय राय बनाने के लिए संदर्भ प्राप्त होने शुरू हो गए हैं। आर टी सी और सीटीसी की बैठके नियमित रूप से हो रही हैं। विभागीय राय को क्षेत्रीय कार्यालयों को यथा आवश्यकतानुसार परिपत्रों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। जहां यह अनुभव किया जाता है कि आयकर अधिनियम में कोई संशोधन किए जाने की आवश्यकता है वहां केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के संबद्ध प्रभाग को उचित संदर्भ दिया जा रहा है।

13.19 व्यय बजट निदेशालय

आय (व्यय बजट) निदेशालय का सृजन दिनांक 18 मार्च, 2011 की राजपत्रित अधिसूचना सं.15/2011/फा.सं.402/88/13/2011-पत्रा.(समन्वय) द्वारा किया गया। यह निदेशालय अनुदान सं. 43-प्रत्यक्ष कर हेतु बजट के सभी मुद्दों के संबंध में नोडल प्राधिकारी की भूमिका निभाता है तथा इस अनुदान के तहत व्यय बजट के प्रबंधन से जुड़े सभी कार्य का निष्पादन करता है। निदेशालय बजट व्यय विवरण को संगत बजट दस्तावेज में शामिल करने हेतु तैयार करता है तथा मंजूर किए गए अनुदान की तुलना में व्यय की प्रगति पर निगरानी रखता है। वित्त वर्ष 2012-13 हेतु व्यय के ब्यौरे निम्नवत हैं:-

राजस्व खंड

क्रम सं.	वस्तु शीर्ष	बजट अनुमान (बीई)	संशोधित अनुमान (आरई)	अंतिम अनुदान (एफजी)	वास्तविक व्यय
		2012-13	2012-13	2012-13	2012-13
1	वेतन	19236700	20020900	20020900	19986482
2	मजदूरी	183600	181500	181500	181478
3	समयोपरि भत्ता (ओटीए)	8000	5000	4800	4305
6	एम.टी.	220000	210000	230000	219165
11	डी.टी.ई.	400000	440000	445000	434592
12	विदेश यात्रा खर्चे	21000	18000	18000	16926
13	कार्यालय खर्चे	0	0	0	0
	(भारित)	0	0	0	0
	(पारित)	5140000	5163000	5163000	5139662
14	भाड़ा, दर एवं किराया	1600000	1300000	1299900	1286019
16	प्रकाशन	28000	25200	23200	22367
20	ओ.ए.ई.	341500	343700	322700	319961
26	ए.एंड पी.	800000	790000	789000	783986
27	माईनर वर्क्स	80000	80000	80000	68103
28	व्यावसायिक सेवाएं	260000	309600	323800	314988
32	योगदान	4000	4000	4000	3747
41	एस.एस.ई.	94000	84600	84600	80429
50	अन्य शुल्क	45000	39600	24600	21978
99	सूचना प्रौद्योगिकी	2250000	4000000	4000000	3971440
	कुल	30711800	33015100	33015000	32855628

पूँजी खंड

(हजार रुपये में)

पूँजी	विवरण	बजट अनुमान (बीई) 2012-13	संशोधित अनुमान (आरई) 2012-13	अंतिम अनुदान (एफ जी) 2012-13	वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान वास्तविक व्यय
4059	कार्यालय स्थान का अर्जन	7774800	4262000	4262000	4209960
4075	सम्पत्ति एक्सएक्स-सी का अर्जन	18000	18000	11200	10489
4216	आवासीय स्थान का अर्जन	300000	60000	60000	24641
	कुल पूँजी	8092800	4340000	4333200	4245090
	कुल योग	38804600	37355100	37348 200	37100718

(हजार रुपये में)

राजस्व खंड में वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान हुआ व्यय 3071.18 करोड़ रु. के बजट अनुमान का 106.98 प्रतिशत है तथा 3301.50 करोड़ रु. के अंतिम अनुदान का 99.68 प्रतिशत है। जबकि पूँजी खंड में वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान हुआ व्यय 809.28 करोड़ रु. के बजट अनुमान का 52.45 प्रतिशत है तथा 433.32 करोड़ रु. के अंतिम अनुदान का 97.97 प्रतिशत है।

समग्र रूप से, वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान हुआ व्यय 3880.46 करोड़ रुपए के बजट अनुमान का 95.61 प्रतिशत है तथा 3734.82 करोड़ रुपए के अंतिम अनुदान का 99.34 प्रतिशत है।

रिजल्ट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट (आरएफडी) 2013-14 के अंतर्गत इस निदेशालय ने बजट प्रक्रिया और व्यय बजट प्रबंधन से जुड़े मुद्दों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न दिशानिर्देशों/अनुदेशों/नियमों आदि का एक सार-संग्रह की व्यवस्था करने की पहल की है। तदनुसार, आयकर निदेशालय (व्यय बजट), नई दिल्ली ने 31 दिसम्बर, 2013 को अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा विमोचित व्यय बजट मैनुअल के प्रथम संस्करण को सामने प्रस्तुत किया है।

यह निदेशालय व्यय बजट से जुड़ी लेखा परीक्षा की आपत्तियों की अपने अधिदेशानुसार नियमित रूप से निगरानी भी करता है।

13.20 प्रधान आयकर महानिदेशक (सतर्कता)

सतर्कता प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु रिजल्ट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट को संशोधित एवं अद्यतित किया गया तथा भविष्य में यह आयकर विभाग के लिए मुख्य निष्पादन सूचकांक का हिस्सा होगा।

निवारक सतर्कता: पूरे देश में स्थित आयकर विभागों में 28 अक्टूबर, 2013 से 2 नवम्बर, 2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष का मूल विषय "सुशासन को बढ़ावा देना-सतर्कता का सकारात्मक योगदान" था। सतर्कता जागरूकता अभियान के दौरान अनेक संगोष्ठियों और कार्य-शालाओं का आयोजन किया गया। इन संगोष्ठियों को सार्वजनिक जीवन के अलग-अलग

क्षेत्रों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने संबोधित किया। सतर्कता निदेशालय ने स्कूली बच्चों के साथ भी बातचीत का आयोजन किया जिससे उन्हें भ्रष्टाचार के विरुद्ध सतर्क रहने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित हुए क्रियाकलापों और कार्यक्रमों की विस्तृत रिपोर्ट का विमोचन अध्यक्ष केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 28.02.2014 को किया गया।

सतर्कता निदेशालय के अधिकारी पूरे वर्ष के दौरान राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी और आरटीआई में सतर्कता विषय पर सम्बोधित करने में लगे रहे।

सभी मुख्य आयकर आयुक्तों और आयकर महानिदेशको को लिखित दिशानिर्देश जारी किए गए जिसमें अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के रिकॉर्डों के रख-रखाव हेतु कार्यविधि बतायी गई ताकि पूछताछ की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में होने वाले विलंब को कम किया जा सके।

अभियोजन के लिए मंजूरी हेतु सभी मामलों पर प्राथमिकता पर कार्रवाई की गई। दो मामलों में अभियोजन हेतु मंजूरी दी गई है तथा इस समय कोई मामला लंबित नहीं है।

एक विशेष अभियान चलाया गया और बड़ी संख्या में पुराने पड़े लंबित मामलों को निपटाया गया। वर्ष के दौरान, 26 मामलों में संदर्भों को संघ लोक सेवा आयोग भेजा गया। वर्ष के दौरान 32 मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को अंतिम रूप दिया गया। 13 मामलों में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह देने के बाद बड़े अर्थदंड लगाए गए। 30 और मामलों में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह ली गई है और इन मामलों में आरोपित अधिकारियों की टिप्पणियां भी मांगी गई है।

विलंब से बचने हेतु फाइल प्रबंधन प्रणाली में परिवर्तन-सभी जीवित फाइलों को चार वर्गों नामतः 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' में वर्गीकृत किया गया है, 'क' वर्ग के अंतर्गत आनेवाली सभी फाइलों को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह के दौरान मुद्दे का प्रभार संभाल रहे अपर आयकर निदेशक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार 'ख', 'ग' और 'घ' वर्ग के अंतर्गत आनेवाली अन्य फाइलों को मामले का प्रभार संभाल रहे अपर आयकर निदेशक के समक्ष प्रत्येक माह के दूसरे, तीसरे और चौथे सप्ताह में प्रस्तुत किया जाता है। इस बात पर

ध्यान दिए बगैर कि फाइल के निपटान को तुरंत आवश्यकता है या नहीं, उन्हें अधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। अपर आयकर निदेशक फाइल की समीक्षा करके समीक्षा के तथ्यों को नोटशीट पर दर्ज करते हैं। प्रत्येक फाइल की मासिक आधार पर समीक्षा होने तथा किसी फाइल में किसी मुद्दे से निपटने में अत्यधिक विलम्ब न होने को सुनिश्चित करता है। इस प्रणाली द्वारा निकट भविष्य में कुछ पुराने मामलों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। तथापि, लम्बे समय में यह प्रणाली मामलों को नियमित आधार पर निपटाने को सुनिश्चित करेगी।

सतर्कता निकासी- प्रधान डीजीआईटी (सतर्कता) की प्रमुख जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि भ्रष्ट एवं बेईमान अधिकारियों को पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/प्रशिक्षण/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना/पुरस्कार/सेवानिवृत्ति आदि हेतु सतर्कता निकासी जारी न की जाए। तथापि, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करना है कि सतर्कता दृष्टिकोण से ईमानदार अधिकारियों को सतर्कता निकासी शीघ्रातिशीघ्र जारी किए जाएं। इस प्रयोजनार्थ सतर्कता निकासी को जारी करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है और सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सतर्कता निकासी को जारी करने में लगनेवाले समय को 10 दिनों से कम करके लगभग तीन दिन कर दिया गया है। विभाग द्वारा संवर्ग पुनसंरचना कवायद किए जाने के कारण सतर्कता निकासी से जुड़े कार्यभार में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। अब 100 प्रतिशत मामलों में सतर्कता निकासी अनुरोध करने के आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 7 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाता है।

आर टी आई से संबंधित कार्य को भी सक्षमता से संभाला गया सीआईसी द्वारा कोई प्रतिकूल आपत्ति भी नहीं की गई। निदेशालय ने विवाद मामलों में बोर्ड के सतर्कता एवं विवाद अनुभाग को समय

पर निविष्टियां और टिप्पणियां भी उपलब्ध करायी है। विभिन्न ओ ए रिट याचिकाओं पर पैरा-वार टिप्पणियां प्रस्तुत करने और प्रति शपथपत्र की विधीक्षा करने के अलावा अधिकारीगण विभागीय परामर्शदाताओं को इन मसलों पर सारांश देते रहे हैं और लिखित एवं मौखिक सारांश भी करते रहे हैं।

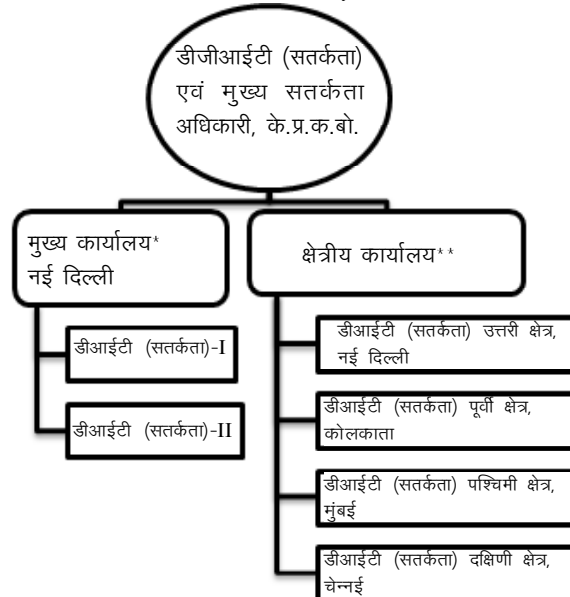
रद्द आरोप-पत्रों के मामले में, 13 मामलों में आरोप-पत्रों को नये सिरे से जारी किया गया है। इसी तरह 12 मामलों में जिनमें आरोप पत्र रद्द नहीं किए गए थे माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन लेने के बाद कार्यालय ज्ञापन जारी किए गए।

अन्य पहलें:

(क) सतर्कता निदेशालय के कार्यालय स्थान में पुराने अभिलेखों के भंडार पर एक अध्ययन किया गया तथा कार्यालय के बहुमूल्य स्थान को घेरनेवाले इन अभिलेखों के भंडार को आउटसोर्स करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रत्येक अभिलेख हेतु एक पृथक बार-बोर्ड के साथ अभिलेखों की कैटालॉगिंग करने की प्रक्रिया तथा टैम्पर-प्रूफ कोडयुक्त करने की प्रक्रिया तथा टैम्पर-प्रूफ कोडयुक्त तालों वाले बक्सों में अभिलेखों को भंडारगार स्थान से दूर ले जाने की प्रक्रिया भी चल रही है और शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी।

(ख) सतर्कता अभिलेख प्रबंधन: सतर्कता मामलों हेतु उचित अभिलेख प्रबंधन के लिए व्यापक अनुदेश जारी किए गए हैं ताकि अनुशासनात्मक कार्यवाही के मसौदे को शीघ्रातिशीघ्र तैयार कर अनुमोदन हेतु के.प्र.क.बो. के सम्मुख प्रस्तुत करने को सुनिश्चित किया जा सके। अनुदेशों में क्षेत्रीय कार्यालयों से अभिलेखों के अभिरक्षक तक अभिलेखों का पहुंचना तथा अभिलेखों के अभिरक्षकों से पृच्छाछ अधिकारी और अन्ततः आयकर महानिदेशक का कार्यालय (सतर्कता) तक पहुंचने के तरीका को विहित करते हैं।

संगठनात्मक संरचना एवं कार्य वितरण



* मुख्य कार्यालय सेवारत समूह 'क' अधिकारियों और समूह 'क' से समूह 'घ' के सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित सभी मसलों को देखता है। अतः डीजीआईटी (वी)/सीवीओ-के.प्र.क.बो. दिल्ली केन्द्रीय सतर्कता आयोग, स.लो.से. आयोग एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से सतर्कता के सभी मसलों पर वित्त मंत्री माने जाने वाले अनुशासनात्मक प्राधिकारी (डीए) की सहायता करते हैं। विभाग में 4000 से अधिक समूह 'क' के अधिकारी कार्यरत हैं।

** आंचलिक (जोनल) कार्यालयों के शीर्ष पद पर आयकर आयुक्त रैंक के अधिकारी आसीन होते हैं जो आयकर महानिदेशक (सतर्कता/केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी के नियंत्रण एवं देखरेख में कार्य करते हैं। ये उप सीवीओ होते हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में 15000 से ज्यादा समूह 'ख' के अधिकारी होते हैं। इसके अलावा वे समय-समय पर प्रधान डीजीआईटी (वी)/सीवीओ, के.प्र.क.बो. द्वारा उन्हें सौंपे गई सभी पृच्छाछ/जांच आदि के संबंध में डीजीआईटी (वी)/सीवीओ की सहायता करते हैं।

13.20.1 चालू वर्ष (जनवरी-दिसम्बर, 2013) के दौरान उपलब्धियां

क्रम.सं.	कार्य की मद (निपटान)	उपलब्धियां
	क. कार्रवाई के प्रमुख क्षेत्र	
1	शिकायतों का निपटान	2430
2	निपटाई गई सतर्कता शिकायतें	564
3	बंद की गई/बंद करने हेतु सिफारिश की गई सतर्कता शिकायत	43/52
4	जारी आरोप पत्र	13
5	सीबीआई/एसीबी हेतु जारी की गई अभियोजन मंजूरी	02
6	सीबीआई/एसीबी हेतु अस्वीकृत अभियोजन मंजूरी	-
7	निपटारे गये डीपी/डीआई मामले	33
8	डीपी/डीआई मामलों में उगाही किया गया बड़ा जुर्माना	10
9	डीपी/डीआई मामलों में उगाही किया गया छोटा जुर्माना	-
10	डीपी मामलों की कार्रवाहियां छोड़ी गई	23
11	सतर्कता निकासी जारी किया गया	6523
12	आटीआई आवेदन पर निर्णय लिया गया	226
13	आटीआई अपील पर निर्णय लिया गया	46
	ख. कार्रवाई के अन्य क्षेत्र	
14	पहले चरण की सलाह पर की गई कार्रवाई	20
15	द्वितीय चरण की सलाह हेतु सीवीसी को संदर्भ भेजे गए	05
16	अभियोजन मंजूरी मामले में निर्णय लिया गया	
17	निलम्बन के मामलों को जोड़ा गया	05
18	निलम्बन के मामलों को रद्द किया गया	-
19	प्रारंभिक संवीक्षा रिपोर्ट (पीएसआर) मांगी गई	92
20	प्रारंभिक संवीक्षा रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई	78
21	स्वतः निहित रिपोर्ट (एसीसीआर) मांगी गई	37
22	आईओ रिपोर्ट की जांच	12
23	सीओ की टिप्पणी मांगी गई	10
24	सीओ के टिप्पणी की जांच	26
25	डीओपीटी को मामले भेजे गए	02
26	संघ लोक सेवा आयोग को मामले भेजे गए	24
27	डीओपीटी की सलाह की जांच	02
28	संघ लोक सेवा आयोग की जांच	28
29	अपीलों को प्रसंस्कृत किया गया	46

- (1) मामलों के शीघ्र निपटान द्वारा अधिकारियों की सामान्य शिकायतों में कमी आयी है।
- (2) कार्मिकों/क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर सतर्कता गठन के कार्य करने के तरीकों के बारे में जो भ्रांतियां थी उन्हें एक सीमा तक दूर किया गया है।
- (3) हाल ही में सतर्कता जागरूकता एवं समाधान सप्ताह आयोजित किया गया और निदेशालय में प्राप्त हुई शिकायतों का समाधान किया गया।

13.21 प्रशिक्षण

- (i) राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी) का प्रमुख कार्य संघ लोक सेवा आयोग द्वारा करायी जाने वाली सिविल

सेवा परीक्षा के माध्यम से भारतीय राजस्व सेवा भी सीधे भर्ती हुए अधिकारियों को 16 माह की प्रवेश प्रशिक्षण देना है। आरंभिक प्रशिक्षण के अंतर्गत संसदीय नियुक्ति ऑन-दी-जॉब प्रशिक्षण, औद्योगिक नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति, भारत दर्शन, सैन्य नियुक्ति शामिल होते हैं। इसके अलावा, एनएडीटी विभिन्न सिविल सेवाओं के अधिकारियों को 15 सप्ताह का फाउन्डेशन कोर्स भी कराता है।

एनएडीटी सहायक आयकर आयुक्त से लेकर मुख्य आयकर आयुक्त के रैंक के कार्यरत अधिकारियों हेतु इन-सर्विस कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के विश्लेषण के आधार पर चुने गए विभिन्न विषयों पर तैयार किए जाते हैं।

एनएडीटी अग्रिम कर संधियों, अंतर्राष्ट्रीय कर परिहारता आदि पर पेरिस में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी)

के मुख्यालय के साथ संगठित पाठ्यक्रम का संचालन भी करता है। इसके अलावा यह लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय, भारतीय रेलवे लेखा सेवा-प्रशिक्षु (आईआरएएस), भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा (आईएएस), भारतीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क इत्यादि जैसे अन्य संगठनों के अधिकारियों हेतु आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों के तहत एनएडीटी ने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड, बांग्लादेश के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया। एनएडीटी ने 2013-14 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कराधान और अंतरण मूल्यन पर सार्क सम्मेलन का भी आयोजन किया।

एनएडीटी के साथ-साथ अहमदाबाद, बंगलुरु, चंडीगढ़, चैन्नई, लखनऊ, मुंबई और कोलकाता में 7 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण) संस्थान भी हैं जो प्रमुख तौर पर कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा द्वारा भर्ती होने वाले आयकर निरीक्षकों की 60 दिवसीय प्रवेश प्रशिक्षण देते हैं। डीटीआरटीआई नए पदोन्नत हुए आयकर अधिकारियों हेतु ओरियंटेशन पाठ्यक्रम का भी संचालन करते हैं। डीटीआरटीआई की सहायता 23 मंत्रालयी स्टाफ प्रशिक्षण इकाइयों द्वारा की जाती है जो कर सहायक/ वरिष्ठ कर सहायक/ओ एस/निजी सहायक/मल्टी-टास्किंग स्टाफ के संवर्ग के स्टाफ को प्रशिक्षण देती हैं।

(ii) एनएडीटी ने वित्त वर्ष 2013-14 में भारतीय राजस्व सेवा के 66वें बैच के 95 अधिकारी प्रशिक्षुओं हेतु प्रवेश प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इसके अलावा, भारतीय राजस्व सेवा के 67वें बैच के 159 अधिकारी प्रशिक्षुओं का प्रवेश दिसम्बर, 2013 में हुआ जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

एनएडीटी द्वारा वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कराए गए इन सर्विस पाठ्यक्रमों की कुल संख्या 25 है। उपस्थित हुए प्रतिभागियों की कुल संख्या 914 है जबकि कुल 'मैन-डेज' 7492 था।

मंत्रालयी स्टाफ प्रशिक्षण इकाइयों के साथ सात क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों ने नए भर्ती हुए आयकर निरीक्षकों और वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान पदोन्नत हुए नए आयकर अधिकारियों हेतु भी प्रवेश पाठ्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया।

2013-14 के दौरान नए भर्ती हुए निरीक्षकों तथा पदोन्नत हुए नए आयकर अधिकारियों हेतु डीटीआरटीआई में संचालित किए गए पाठ्यक्रमों की कुल संख्या क्रमशः डीटीआरटीआई अहमदाबाद (476 और 425) डीटीआरटीआई बंगलुरु (460 और 485) डीटीआरटीआई चैन्नई (142 और 310), डीटीआरटीआई, कोलकाता (217 और 320), डीटीआरटीआई लखनऊ (254 और 395) डीटीआरटीआई मुंबई (447 और 1210) है।

इसी प्रकार सात डीटीआरटीआई के अंतर्गत काम कर रही अलग-अलग मंत्रालयी स्टाफ प्रशिक्षण इकाइयों द्वारा 2013-14 के दौरान संचालित पाठ्यक्रमों की कुल संख्या 6271 है।

(iii) प्रवेश हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जा रहा है। दीर्घकालिक प्रशिक्षण परिप्रेक्ष्य योजना सभी स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम कराने की सोच रखती है। एनएडीटी को ई-पुस्तक, ई-जर्नल, ई-पीरियोडिकल आदि

सहित विभागीय सभी पुस्तकालयों हेतु केन्द्र स्थान और समन्वय एजेंसी बना दिया गया है।

(iv) संवर्ग पुर्नगठन में प्रस्ताव किए गए अनुसार मंत्रालयी स्टाफ प्रशिक्षण इकाइयों की संख्या मौजूदा 23 से बढ़ाकर 42 किए जाने की है। शिलांग में नई इकाई शुरू की जाने वाली है।

(v) वित्त वर्ष 2013-14 में विक्रमशिला में 156 कमरों वाले नया अशक्त-हितैषी हॉस्टल खोला गया है। नया आधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र और नया अधिकारी मेस जो कि अभी निर्माणाधीन है, अशक्त-हितैषी है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के संपर्क अधिकारियों का नियमित प्रशिक्षण निर्धारित किया गया।

(vi) जेंडर बजटिंग पर प्रशिक्षण कराने हेतु प्रस्ताव प्राप्त किया गया है और इसे नियत समय पर किया जाएगा।

(vii) एनएडीटी/डीटीआरटीआई हेतु शैक्षिक सूचना प्रणाली (एआईएस) के विकास का प्रस्ताव वित्त वर्ष 2013-14 में शुरू किया गया। उक्त एआईएस को प्रस्तावित मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) के साथ एकीकृत किया जाएगा और यह प्रशिक्षण संस्थान को कागजरहित संगठन बनाने में महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके अलावा, आयकर विभाग प्रणालियों का प्रशिक्षण एनएडीटी और डीटीआरटीआई द्वारा संचालित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभिन्न अंग है।

(viii) एनएडीटी तथा इसके अंतर्गत काम कर रहे क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों और मंत्रालयी स्टाफ प्रशिक्षण इकाइयों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्रशिक्षक सम्मेलन तथा मध्यावधि समीक्षा बैठक आयोजित की जाती हैं। इस प्रकार से इन चर्चाओं के आधार पर एनएडीटी/डीटीआरटीआई में संचालित होने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को दर्शाता वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार किया जाता है।

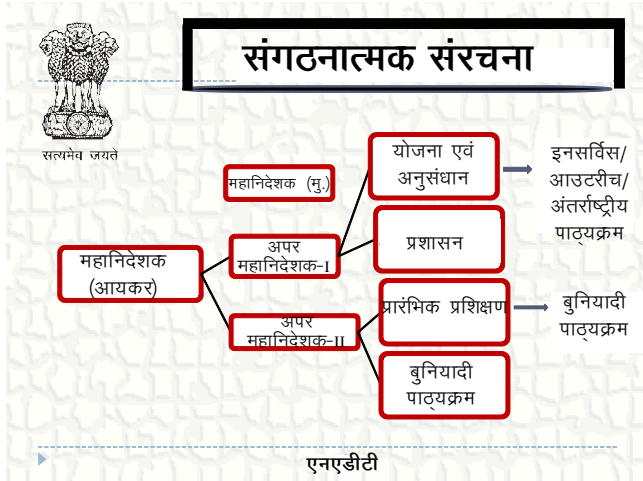
(ix) एनएडीटी, डीटीआरटीआई और इसके अंतर्गत कार्य करने वाली मल्टी-टास्किंग इकाइयों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करने हेतु वार्षिक ट्रेनर सम्मेलन और मध्यावधि समीक्षा बैठक का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। अतः इन चर्चाओं के आधार पर एनएडीटी/डीटीआरटीआई में होने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार किया जाता है।

(x) **विभाग का संगठनात्मक चार्ट**

एनएडीटी का मुखिया आयकर महानिदेशक (प्रशिक्षण) होता है जिनकी सहायता हेतु दो अपर महानिदेशक तथा अपर/संयुक्त निदेशक उप/सहायक निदेशक सहित अन्य अधिकारियों की एक टीम तथा दो सहायक निदेशक (राजभाषा) होते हैं।

अहमदाबाद, बंगलुरु, चंडीगढ़, चैन्नई, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में स्थित 7 प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान एनएडीटी के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करते हैं तथा इनके मुखिया आयकर आयुक्त रैंक के अधिकारी होते हैं। इन डीटीआरटीआई के अंतर्गत 26 मंत्रालयी स्टाफ प्रशिक्षण इकाइयां काम करती हैं जिनके

मुखिया आयकर अधिकारी होते हैं तथा ये विभाग के विभिन्न संवर्गों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देती हैं।



13.22 सीसीआईटी (छूट)

सीसीआईटी (छूट) के कार्यालय के मुखिया मुख्य आयकर आयुक्त (छूट) होते हैं तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके 7 निदेशालय अहमदाबाद, बंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एवं मुंबई में स्थित हैं। सीसीआईटी (छूट) सीबीडीटी के अनुमोदन हेतु धारा 35(i)(ii)/(iii), 2(22)ककक, 10(46), 10(17क), 11(1)(ग) आदि के अंतर्गत मामलों की सिफारिश करने तथा धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत विलम्ब माफ किए जाने के अलावा धारा 20 (23ग), 17(2) (ii)(ख), 80छ 2(iii)(च), 80झख(7) के अंतर्गत अनुमोदन हेतु विहित प्राधिकारी होते हैं। धर्मार्थ संगठनों का डाटाबेस विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है जिसे प्रधान डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा संभाला जाता है।

13.23 डीजीआईटी (एचआरडी)

आयकर निदेशालय (मानव संसाधन विकास) द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान की गई मुख्य गतिविधियों पहलों में से कुछ निम्नवत् हैं:

13.23.1 मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली कार्यक्रम (एचआरएमएस)

यह परियोजना इस प्रभाग द्वारा मैसर्स टीसीएस लिमिटेड के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। आज की तारीख तक उक्त परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित काम किया जा चुका है:-

विभाग के लगभग 25 प्रशासनिक मॉड्यूलों की 'एज इज' स्थिति की अध्ययन करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इनकी विधिक्षा की गई तथा इन्हें 'साइन ऑफ' दिया गया। 25 मॉड्यूलों से संबंधित "टू बी" दस्तावेजों को मैसर्स टीसीएस लि. द्वारा तैयार किया गया है और इनमें से 12 मॉड्यूलों के संबंध में 'साइन ऑफ' पहले ही दिया जा चुका है तथा शेष 13 मॉड्यूलों पर अंतिम निर्णय मार्च, 2014 की समाप्ति तक लिया जाएगा।

विभाग के सभी कर्मचारियों हेतु ऑन फाइलिंग की सुविधा तथा डाटा के सत्यापन के लिए विभाग की ई-फाइलिंग साइट पर वेब पोर्टल पहले ही शुरू किया जा चुका है।

40,000 कर्मचारियों के संबंध में यूजर आईडी और पासवर्ड पहले ही सृजित किए जा चुके हैं तथा कर्मचारियों को उनके डाटा को ऑनलाइन फाईल करने के लिए दिए जा चुके हैं।

कर्मचारियों, डीडीओ और विभागाध्यक्ष हेतु यूजर मैनुअल तैयार किए गए हैं और सभी क्षेत्रों में परिचालित किए गए हैं।

13.23.2 निष्पादन प्रबंधन विकास प्रणाली (पीएमईएस) परियोजना

यह परियोजना भी इस प्रभाग द्वारा चलाई गई है जिसमें विभाग की 25 कारोबारिक इकाइयों के प्रमुख जिम्मेदारी क्षेत्र (केआरए) और प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) की पहचान की गई है। 9 स्थानों पर कार्यशालाएं/सर्वेक्षण कराए गए और क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात अधिकारियों के विचारों का पता लगाने के लिए क्षेत्र में प्रश्नमाला वितरित की गई। इससे के आरए और केपीआई की परस्पर महत्ता का पता लगाने के लिए मदद मिलेगी।

13.23.3 आईपीआर को सार्वजनिक करना

अभी तक वर्ष 2012 (01.01.2013 के अनुसार) 3294 आईपीएआर को स्कैन करके डाटाबेस प्रकोष्ठ (डीबीसी) में प्रेषित किया गया है ताकि उन सार्वजनिक करने हेतु विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा सके।

13.23.4 खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां

इस वर्ष हेतु सोची गई 10 खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में से 9 का आयोजन सीबीडीटी खेल एवं सांस्कृतिक समिति द्वारा पहले ही सफलतापूर्वक किया जा चुका है।

13.23.5 ए पी ए आर की स्कैनिंग तथा डिजीटलीकरण

विचाराधीन वर्ष के दौरान निदेशालय के प्रभाग ने सीबीडीटी के प्रत्यक्ष कर कार्मिक अनुभाग के परस्पर सहयोग से समूह 'क' के आईआरएस अधिकारियों की एपीएआर की स्कैनिंग का काम शुरू कर दिया है। अभी तक 1989 से 2000 बैच के आईआरएस अधिकारियों की एपीएआर यानि लगभग 50 प्रतिशत एपीएआर की स्कैनिंग और डिजीटलीकरण का काम पूरा किया जा चुका है।

13.23.6 एनएफएसजी और एसटीएस प्रदान करने हेतु डीपीसी

(i) 2000 और 2001 बैच के अधिकारियों को एनएफएसजी प्रदान करने हेतु डीपीसी सीबीडीटी में संचालित और आयोजित की गई तथा पात्र अधिकारियों को उनकी पात्रता की तारीख को एनएफएसजी प्रदान किया गया आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

(ii) 2008 और 2009 तथा पूर्व बैच के शेष रह गए अधिकारियों को एसटीएस प्रदान करने हेतु डीपीसी सीबीडीटी में संचालित एवं आयोजित की गई तथा पात्र अधिकारियों को उनकी

पात्रता की तारीख को ही एसटीएस प्रदान किया गया। आदेश पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं।

13.23.7 कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) को रिक्तियों की सूचना भेजना:

- (i) विभिन्न सीसीआईटी (सीसीए) क्षेत्रों से आयकर निरीक्षकों, कर सहायकों, आशुलिपिकों और मल्टी टास्किंग स्टाफ के संवर्ग में रिक्तियों की सूचना प्राप्त हुई तथा इनका मिलान करने के उपरांत सभी रिक्तियों की सूचना निर्धारित अवधि के अंदर कर्मचारी चयन आयोग को दी गई।
- (ii) एसएससी से प्राप्त किए गए सभी संवर्गों के चयनित उम्मीदवारों के डोजियरों को संबंधित सीसीआईटी (सीसीए) क्षेत्र को उन्हें समय पर नियुक्ति पत्र जारी करने हेतु अग्रेषित किया गया।
- (iii) मुंबई क्षेत्र में आयकर निरीक्षकों और कर सहायकों के संवर्ग में चयन हुए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने के लंबित मुद्दे को समय पर सुलझा लिया गया।

13.23.8 भर्ती नियमावली की रूपरेखा तैयार करना

संवर्ग के पुनर्गठन को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न संवर्गों की भर्ती नियमावली में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव किया गया। प्रस्ताव पहले ही सीबीडीटी को सौंपा जा चुका है।

13.23.9 गैर-कार्यात्मक उन्नयन हेतु प्रस्ताव की प्रस्तुति

1980 और 1981 बैच के आईआरएस अधिकारियों के साथ-साथ 1971 से 1979 बैच तक के शेष रह गए आईआरएस अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान करने के प्रस्ताव को आगे सौंप दिया गया है। सभी अधिकारियों के संबंध में सतर्कता निकासी डीजीआईटी (सतर्कता) से प्राप्त की जा चुकी है। 1981 के बैच के आईआरएस अधिकारियों हेतु बेंचमार्क ग्रेडिंग भी प्राप्त कर ली गई है। एनएफयू प्रदान करने हेतु प्रस्ताव को स्क्रिनिंग समिति द्वारा अंतिम बार विचार करने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

1991 और 1992 बैच के आईआरएस अधिकारियों के साथ-साथ 1985 से 1990 बैच तक के शेष रह गए आईआरएस अधिकारियों को गैर कार्यात्मक उन्नयन प्रदान करने हेतु प्रस्ताव को आगे सौंप दिया गया है। सभी अधिकारियों के संबंध में सतर्कता निकासी डीजीआईटी (सतर्कता) से प्राप्त की जा चुकी है। 1981 के बैच के आईआरएस अधिकारियों हेतु बेंचमार्क ग्रेडिंग हेतु अनुरोध को अवर सचिव (प्र.क./कार्मिक), सीबीडीटी को अग्रेषित कर दिया है। एनएफयू प्रदान करने हेतु प्रस्ताव को स्क्रिनिंग समिति द्वारा अंतिम बार विचार करने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

13.23.10 आयकर विभाग में संवर्ग पुनर्गठन

संवर्ग पुनर्गठन हेतु गठित कोर समिति और उपसमितियों की बैठके समय-समय पर आयोजित की जाती है तथा इस निदेशालय द्वारा उनमें परस्पर समन्वय स्थापित किया जाता है ताकि ऐसे क्षेत्रों

एवं पदों की पहचान की जा सके जहां अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता है। उपसमिति के परामर्श से कोर समिति द्वारा प्रस्ताव को वित्त मंत्री के अंतिम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संबंधित अधिकारियों से बातचीत की जाती है ताकि संवर्ग पुनर्गठन के प्रस्ताव के समयबद्ध कार्यान्वयन के सुनिश्चियन हेतु अपेक्षित स्पष्टीकरण को बिना समय गवाएं सुनिश्चित किया जा सके।

13.23.11 एन.आर.परमार एवं अन्य का मामला

एन.आर.परमार और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 27.11.2002 को अपना निर्णय दिया जिसमें माननीय न्यायालय ने विभाग को निर्णय दिया जिसमें माननीय न्यायालय ने विभाग को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 03.03.2008 को जारी कार्यालय ज्ञापन को रद्द करते हुए दिनांक 07.02.1986 और 03.07.1986 के कार्यालय ज्ञापन के मद्देनजर सीधी भर्ती वाले निरीक्षकों की वरिष्ठता को दोबारा तय करने के मुद्दे पर विचार करने का निर्देश दिया। इस निदेशालय द्वारा दिनांक 03.12.2013 और 11.12.2013 को आईटीजीओए और आईटीईएफ के प्रतिनिधियों सहित अलग-अलग क्षेत्रों के अधिकारियों की बैठके आयोजित की गई। मामले को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पास उनकी सलाह लेने के लिए भेजा गया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सलाह पर मामले को विधि कार्य विभाग के पास भेजा गया। विधि कार्य विभाग की राय प्रस्तुत करने के उपरांत फाइल को अंततः सीबीडीटी के पास आगे के निर्देशों को जारी करने हेतु भेजा गया ताकि शीर्ष न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु सभी सीसीआईटी (सीसीए) को सलाह जारी की जाए।

13.23.12 संवर्ग निकासी मामलों का समयबद्ध प्रसंस्करण

एक ऐसा तंत्र स्थापित किया गया है जहां अनुरोध की प्राप्ति के दिन ही सभी प्रतिनियुक्ति अनुरोधों को सतर्कता निकासी हेतु भेजा जाता है। सतर्कता निकासी की प्राप्ति के एक दिन के भीतर ही फाइल को सीबीडीटी के पास भेजा जाता है तथा सदस्य/अध्यक्ष द्वारा एक बार अनुमोदित किए जाने पर तुरंत ही संवर्ग निकासी की सूचना दी जाती है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि आईआरएस अधिकारियों द्वारा किए गए सभी प्रतिनियुक्ति आवेदन निश्चित अवधि के भीतर पदनामित प्राधिकारी के पास पहुंचते हैं।

13.23.13 संयुक्त/अपर आयकर आयुक्त, आयकर आयुक्त और मुख्य आयकर आयुक्त के रैंक के आईआरएस अधिकारियों हेतु आधुनिक मिड-करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन (एएमसीटीपी)

आईआरएस अधिकारियों के लिए एएमसीटीपी की शुरुआत वर्ष 2011 में की गई। इसके क्रम में अपर/संयुक्त आयकर आयुक्तों हेतु 3 कार्यक्रम, आयकर आयुक्तों हेतु 3 और मुख्य आयकर आयुक्तों हेतु 01 कार्यक्रम का संचालन सफलतापूर्वक किया गया जिसके द्वारा सूचनानुसार वर्ष के दौरान लगभग 257 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया इस तरह से प्रशिक्षण के आरंभ होने से अब तक यानि

ढाई वर्षों की अवधि में कुल मिलाकर लगभग 800 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु कार्यक्रम की समीक्षा की जा रही है।

13.23.14 अधिकारी-प्रशिक्षु के 66वें बैच की अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति

एनएडीटी नागपुर की तरफ से आईआरएस के 66वें बैच के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षुओं को आईबीएफडी, क्वाला लामपुर में अध्ययन भ्रमण पर 18.11.2013 से 22.11.2013 (यात्रा समय से इतर) तथा 25.11.2013 से 27.11.2013 (यात्रा समय से इतर) तक टीएएस, सिंगापुर में अध्ययन भ्रमण हेतु अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अनुमोदित भी किया गया और अब इसके निष्पादन हेतु सहयोग दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति आईआरएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों के प्रशिक्षण का एक अभिन्न अंग था और अधिकारी-प्रशिक्षुओं में अंतर्राष्ट्रीय रूप से माने जाने वाले उत्तम प्रचलनों के बारे में उन्हें जानकारी देने में महत्वपूर्ण रहा।

एनएडीटी, डीटीआरटीआई और एमएसटीयू के प्रशिक्षण दाताओं हेतु सिंगापुर के सिविल सर्विस कॉलेज में दिनांक 20.01.2014 से 24.01.2014 तक 'निर्देशात्मक अभिकल्प और सुपुर्दगी तकनीक' पर 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

13.23.15 नए पदोन्नत हुए अपर आयकर आयुक्तों की उनके ओरियन्टेशन कार्यक्रम 2013 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति

उक्त कार्यक्रम 19.8.2013 से 23.8.2013 तक का साप्ताहिक कार्यक्रम था जो अंतर्देशीय राजस्व बोर्ड, मलेशिया में निःशुल्क रूप से सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में 116 प्रतिभागी अधिकारी थे और 4 संकाय सदस्य थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रशिक्षण का लाभ उठाया। यह पहली बार था कि एचआरडी के निरंतर रूप से प्रयास करने के फलस्वरूप पदोन्नत अधिकारियों को भी ऐसे प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त हुआ।

एनएडीटी और क्षेत्रीय कार्यालयों के सहयोग से वर्ष के दौरान कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और बांग्लादेश, मलेशिया, भूटान और तंजानिया के अधिकारियों के अन्य कार्यक्रमों/आगमन का भी आयोजन किया गया।

13.23.16 विभाग में प्रशिक्षण सुविधाओं का संवर्द्धन

एनएडीटी द्वारा उनके प्रशिक्षण और विकास हेतु वर्ष के दौरान तैयार की गई नई प्रशिक्षण नीति 2013 एवं दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना विचारार्थ प्रस्तुत की गई और अभी यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन लेने से पूर्व एचआरडी के विचारार्थ और सवीक्षार्थ प्रस्तुत है।

13.23.17 अन्य घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

दीर्घ/अल्प कालिक अवधि के विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु आईआरएस अधिकारियों के नामांकन निम्न प्रकार से है:-

- (i) मसूरी में ज्वाइंट सिविल मिलिट्री प्रशिक्षण कार्यक्रम
- (ii) एल के वाई स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सिंगापुर में एमपीए कार्यक्रम
- (iii) वाईएलपी-जीआरआईपी, जापान में एमपीए कार्यक्रम
- (iv) टीईआरआई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में लोक नीति एवं सुस्थिर विकास पर प्रबंधन कार्यक्रम
- (v) आईआईएम, बंगलुरु में लोक नीति एवं प्रबंधन (पीजीपीपीएम) में परास्नातक कार्यक्रम
- (vi) डीओपीटी की डीएफएफटी योजना के अंतर्गत आंशिक फंडिंग के तहत अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
- (vii) राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद द्वारा विभिन्न विषयों पर आयोजित प्रबंधन विकास कार्यक्रम
- (viii) सिविल सर्विसेज, कॉलेज, सिंगापुर में ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम
- (ix) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद से प्रशिक्षण कार्यक्रम
- (x) डीएआरपी और पीजी के जरिए अंतरसेवा कार्यशाला
- (xi) राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, एनडीसी का प्रशिक्षण कार्यक्रम

13.23.18 'निष्पादन वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम' पीईटीपी नाम के कार्यक्रम के अंतर्गत निदेशालयों एवं बोर्ड के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम को तैयार करने की संकल्पना भी प्रस्तुत की गई और अभी प्रक्रियाधीन है।

इस कार्यक्रम को आनेवाले वित्त वर्ष में शुरु की जाने की संभावना है।

13.23.19 सेनफोर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ड्यूक यूनिवर्सिटी से अंतर्राष्ट्रीय कर नीति में विशेषज्ञता के साथ अंतर्राष्ट्रीय विकास नीति में मास्टर डिग्री के कार्यक्रम को शुरु करने की भी प्रबल संभावना है।

13.24 शिकायत समाधान तंत्र

वर्तमान में आयकर विभाग में व्यापक तथा बहुस्तरीय शिकायत समाधान तंत्र निम्नवत कार्य कर रहा है:

- i. नई दिल्ली में अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन केन्द्रीय शिकायत प्रकोष्ठ के कार्य की देख-रेख भारत सरकार के निदेशक के स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है।
- ii. प्रत्येक मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक के अधीन क्षेत्रीय शिकायत प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई तथा चेन्नई जैसे स्थानों में, जहां एक से अधिक मुख्य आयुक्त हैं वहां क्षेत्रीय शिकायत प्रकोष्ठ संवर्ग नियंत्रक मुख्य आयुक्त के अधीन कार्य करता है। शिकायतों के निपटान के लिए इन चार महानगरों में आयकर आयुक्त (हेल्पलाइन) भी कार्य कर रहे हैं।

- iii. अन्य सभी जगह जहां कोई मुख्य आयुक्त अथवा महानिदेशक नहीं हैं, आउट स्टेशन शिकायत प्रकोष्ठ आयकर आयुक्त के अधीन कार्य करता है।
- iv. आयकर विभाग के विरुद्ध लोक शिकायतों से संबंधित शिकायतों के त्वरित एवं स्वतंत्र समाधान के लिए 12 शहरों में आयकर लोकपाल कार्य कर रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, बंगलौर, लखनऊ, चैन्नई, पुणे, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, भोपाल, कोच्चि ऐसे 12 शहर हैं जहां आयकर लोकपालों की तैनाती की गई है।
- v. सेवोत्तम योजना जिसका लक्ष्य 'सेवा सुपुर्दगी में उत्कृष्टता' लाना है के अन्तर्गत विभाग ने भारत भर के चुनिंदा स्टेशनों में आयकर विभाग की विभिन्न भवनों में आयकर सेवा केन्द्र खोले हैं। ये केन्द्र कागजी विवरणियों को दाखिल करने के साथ-साथ शिकायतों की समाधान तथा सेवाओं हेतु आवेदनों को दाखिल करने में करदाताओं की सहायता करने के एकल खिड़की सुविधा के रूप में काम करते हैं। 31.3.2013 तक आयकर विभाग ने 132 एएसके की स्थापना कर ली गई है। वित्त वर्ष 2013-14 में स्थापित किये जाने वाले 59 एएसके की पहचान की गई जिनमें से 56 एएसके की स्थापना 31.3.2014 तक कर ली गई है। उसके अलावा 31.3.2014 तक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा **आईएस: 15700** के अंतर्गत **56** एएसके को प्रमाणित कर दिया गया।
- vi. इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आयकर विभाग के खिलाफ विभिन्न मुद्दों पर नागरिकों द्वारा आनलाइन की गई शिकायतों के निवारण तथा प्रभावी निगरानी के लिए प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा शुरू की गई वेब आधारित केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) को भी अपनाया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से आनलाइन प्राप्त शिकायतों के निपटान की गति बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में मुख्य आयकर आयुक्तों एवं आयकर महानिदेशकों के स्तर पर प्रयोक्ता पहचान (यूजर आईडी) तथा कूट शब्द (पासवर्ड) देकर 55 अधीनस्थ कार्यालय बनाए गए हैं।

शिकायत आवेदन संबंधित आयुक्त के अधीन कार्यरत शिकायत प्रकोष्ठ को सादे कागज पर शिकायत का संक्षिप्त में उल्लेख करते

अथवा शिकायत के निवारण हेतु सीधे संबंधित अधिकारी को संपर्क किया जा सकता है। आवेदक को अपना नाम, पता तथा पीए संख्या का उल्लेख करना चाहिए ताकि शिकायत प्रकोष्ठ आवश्यकता होने पर उसके साथ आगे का पत्र-व्यवहार कर सके। यदि यथा उल्लिखित आवेदन करने के एक माह के बाद भी शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है तो आवेदक संबंधित मुख्य आयकर आयुक्त के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय शिकायत प्रकोष्ठ को शिकायत भेज सकता है। नोडल अधिकारियों को इस प्रकोष्ठों का प्रभारी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, शिकायत याचिका प्राप्त करने तथा लोगों की सहायता करने के लिए सुविधा केन्द्र भी हैं। यदि क्षेत्रीय शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा दो माह के भीतर शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है तो अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन कार्यरत केन्द्रीय शिकायत प्रकोष्ठ को एक आवेदन भेजा जा सकता है। वर्तमान में, निदेशक (मुख्यालय), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में शिकायतों हेतु पदनामित नोडल अधिकारी होता है, केन्द्रीय शिकायत प्रकोष्ठ हेतु जिम्मेदार होता है।

केन्द्रीय शिकायत प्रकोष्ठ को वर्ष 2013-14 के दौरान (1.4.2013 से 31.03.2014 तक) प्राप्त तथा निपटाए गए शिकायतों की संख्या निम्नवत है:

	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निपटाए गए आवेदनों की संख्या
डाक में	1898	737
आनलाइन	14708	9693
कुल	16606	10430

13.25 मीडिया केन्द्र

अगस्त, 2006 में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में स्थापित मीडिया केन्द्र प्रत्यक्ष कर से संबंधित जनता के हित के सूचना का वितरण प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से करता है। वर्ष के दौरान अलग-अलग महत्वपूर्ण निर्णयों एवं कर मुद्दों को जनता के ध्यान में लाने हेतु एवं आयकर विभाग के विभिन्न उपलब्धियों को उजागर करने हेतु विभिन्न प्रेस विज्ञापितियां जारी की गईं। वरिष्ठ कार्य करने वालों की अनेक प्रेस ब्रिफिंग्स आयोजित की गईं। मीडिया के साथ नियमित सम्पर्क के परिणामस्वरूप विभाग की अधिक वास्तविक एवं सकारात्मक रूप को निरूपित किया जा सकता है।

14. आयकर समझौता आयोग

14.1 आयकर समझौता आयोग (आई टी एस सी) की स्थापना वान्चू समिति (1971) की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए 1.4.1976 को की गई थी। यह प्रत्यक्ष कर क्षेत्र के भीतर आयकर और धनकर मामलों के निपटान हेतु एक वैकल्पिक विवाद समाधान (एओडीआर) निकाय है। इस आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राजस्व हित में मामलों के निपटान को सांविधिक आधार प्रदान करना था। समझौता आयोग को मुकदमेबाजी के स्थान पर मध्यस्थता के मंच के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य परस्पर विरोधी पार्टियों को न्याय की सामान्य प्रक्रिया में निहित टकराव की प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर करने के बजाए उन्हें एक आम सहमति के अंतर्गत लाना है। इसे सांविधिक मध्यस्थता हेतु एक संस्था के रूप में परिकल्पित किया गया था।

14.2 इस संस्थान के पीछे उद्देश्य को वान्चू समिति की रिपोर्ट से अक्सर उद्धृत अंश में समुचित रूप से सार में प्रस्तुत किया गया है जोकि निम्न प्रकार है:

"तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी दुष्कर करदाता के साथ समझौते का रास्ता सदा के लिए बंद रहना चाहिए। राजकोषीय कानूनों के प्रशासन में, जिसका मूलभूत उद्देश्य राजस्व को बढ़ाना है, निपटान और समझौते के लिए स्थान होना चाहिए। कड़ा रुख किसी एक बार के कर अपवंचक या अनभिप्रेत चूककर्ता को अपना अपराध स्वीकार करने में न केवल अवरोध डालेगा बल्कि अनावश्यक मुकदमेबाजी को बढ़ाने और संग्रहण को रोकते हुए राजस्व को संदेह लाभ के मामलों में विभाग के जांच पड़ताल संबंधी संसाधनों को भी अनावश्यक क्षति पहुंचाएगा।"

14.3 समझौता आयोग की निम्नलिखित सात पीठ हैं:-

- (i) नई दिल्ली में स्थित एक प्रधान पीठ तथा दो अतिरिक्त पीठें
- (ii) मुम्बई में दो अतिरिक्त पीठ
- (iii) कोलकाता में एक अतिरिक्त पीठ
- (iv) चेन्नई में एक अतिरिक्त पीठ

14.4 दिसम्बर, 2011 में, नई दिल्ली के लिए दो नई अतिरिक्त पीठ और मुम्बई के लिए एक नई अतिरिक्त पीठ अधिसूचित की गई हैं। ये पीठें वित्तीय वर्ष 2012-13 से कार्य कर रही हैं।

14.5 आयोग में ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष करें तथा व्यापार लेखा से संबंधित समस्याओं की विशेष जानकारी व अनुभव रखने वाले ईमानदार व उत्कृष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों में से चुनकर नियुक्त किया जाता है।

14.6 प्रत्येक पीठ में तीन सदस्य होते हैं। प्रधान पीठ की अध्यक्षता अध्यक्ष और प्रत्येक अतिरिक्त पीठ की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव रैंक का होता है। उपाध्यक्ष और सदस्य भारत सरकार के अपर सचिव के रैंक के होते हैं। आयोग के सदस्य आयकर के कार्यरत मुख्य आयुक्तों अथवा समकक्ष रैंक के अधिकारियों में से नियुक्त किए जाते हैं। प्रधान पीठ को छोड़कर प्रत्येक अन्य पीठ में वरिष्ठतम सदस्य उस पीठ का उपाध्यक्ष कहलाता

है, जबकि प्रधान पीठ का अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष पद की रिक्ति अधिसूचित होने की तारीख को कम से कम छह माह शेष सेवा वाले आयोग के कार्यरत सदस्यों में से नियुक्त किया है।

14.7 किसी भी कर-निर्धारिती को अपने मामले के निपटान हेतु निर्धारित प्रपत्र में समझौता आयोग को आवेदन करना होता है। उसे कर-निर्धारण अधिकारी के सामने वह अतिरिक्त आय प्रकट करनी होती है, जो निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रकट नहीं की गई है तथा तालाशी के मामलों में अतिरिक्त आय पर देय अतिरिक्त कर 50 लाख से अधिक और तलाशी के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में अतिरिक्त आय पर देय अतिरिक्त कर 10 लाख रुपये से अधिक होना चाहिए। आवेदकों को समझौता आयोग में आवेदन को फाइल करने से पहले ब्याज सहित अतिरिक्त कर का भुगतान करना अपेक्षित है। इसके बाद आयोग आवेदन की स्वीकार्यता पर निर्णय लेता है और स्वीकृत आवेदनों के मामले में दोनों पक्षों को अवसर प्रदान करते हुए एक समय-बद्ध तरीके से समझौता/निपटान की प्रक्रिया को पूरा करता है। समझौता आयोग को आवेदन फाइल करने की तारीख से 18 माह के भीतर आवेदन का निपटान करना होता है। इसके पास आयकर अधिनियम, 1961 तथा धनकर अधिनियम, 1957 के तहत जुर्माने और अभियोजन, जोकि मुकदमेबाजी के प्रमुख कारण होते हैं, से छूट प्रदान करने की व्यापक शक्ति है। आयोग द्वारा पारित किए गए आदेश अंतिम एवं निर्णायक होते हैं। वर्तमान में कोई भी करदाता जिसने अपना आवेदन 01 जून, 2007 को या इसके बाद दिया हो, जीवन में एक बार समझौता की प्रक्रिया का लाभ उठा सकता है। आयोग के संबंध में अन्य विवरण इसकी वेबसाइट [\[www.itscindia.gov.in\]](http://www.itscindia.gov.in) पर उपलब्ध है।

14.8 आयोग ने अपनी कार्य-शैली में ई-प्रशासन तथा ई-न्यायालय प्रारंभ करने की पहल की है। इस उद्देश्य के लिए एक समिति बनाई गई है जो ई-न्यायालय चलाने के लिए आवश्यक कार्य-प्रणाली के कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया के संबंध में सुझाव देने के उद्देश्य से आयोग के कार्य-कलापों व संचालात्मक कार्यों का अध्ययन कर रही है। इसमें रिकार्ड का डिजिटलीकरण और संबंधित पक्षों को आवेदन प्राप्ति तथा ई-मेल द्वारा नोटिसों व आदेशों की ऑनलाइन जानकारी देना शामिल है। समिति ऐसे कानून के उपबंधों और नियमों की पहचान करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961, आयकर नियमावली, 1962 तथा आयकर समझौता आयोग (प्रक्रिया) नियमावली के उपबंधों का भी अध्ययन कर रही है जिन्हें ई-न्यायालय प्रारंभ करने के लिए संशोधित करने की आवश्यकता है। आयकर समझौता आयोग (आईटीएससी) की प्रधान पीठ ने संबंधित पक्षों को केस की सुनवाई के स्थगन की जानकारी देने के लिए एसएमएस भेजने की प्रथा शुरू की है। अन्य पीठों को भी इस प्रथा का पालन करने की सलाह दी गई है। ई-न्यायालय को प्रारंभ करने से पहले आईटीएससी की प्रधान पीठ ने उन मामलों के दस्तावेजों की स्कैनिंग करके उनके रिकार्ड को डिजिटलीकरण कर लिया है ताकि प्रधान पीठ के संबंधित सदस्य व अधिकारी मामलों के प्रभावी व शीघ्र निपटान के लिए मामलों के बार में पहले से अध्ययन कर सकें।

14.9 सभी पीठों में लंबित पुराने मामलों (अर्थात् माननीय वित्त मंत्री के निर्देशानुसार 01.06.2007 से पहले दायर किए गए मामले के शीघ्र निपटान के प्रति विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

14.10 वर्ष 2001-02 से 2013-14 तक (मार्च, 2014 तक) दायर आवेदनों और निपटायें गये आवेदनों की संख्या दर्शाते हुए हुए विवरण निम्न प्रकार है:-

समझौता आयोग (आयकर एवं धनकर) द्वारा प्राप्त और निपटाए गए आवेदनों की एक समेकित तालिका

वित्तीय वर्ष	वर्ष के प्रारंभ अर्थात् 1 अप्रैल को लंबित मामलों की कुल सं.	वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदनों की सं.	उच्च न्यायालय के आदेश के कारण जुड़े मामले	कुल निपटाए गए	वर्ष के दौरान धारा 245 घ(4) के अंतर्गत कुल निपटाये गए (निरस्तीकरण समेत)	निपटान के लिए कुल लंबित
1	2	3	4	5	6	7
2001-02	1974	671	-	2645	340	2305
2002-03	2305	560	-	2865	273	2592
2003-04	2592	491	-	3083	188	2895
2004-05	2895	434	-	3329	373	2956
2005-06	2956	479	-	3435	301	3134
2006-07	3134	602	-	3736	350	3386
2007-08	3386	668	-	4054	1845	2085
2008-09	2100	39	-	2139	799	1340
2009-10	1340	48	53	1388	203	1238
2010-11	1356	108	138	1611	423	1184
2011-12	1209	350	(-)06	1553	376	1177
2012-13	1186	410	(-)04	1592	443	1149
2013-14 मार्च 2014 तक	1114	363	1	1324	673	441

1.4.2013 से 31.03.2014 तक प्राप्त आवेदनों में नियोजित अतिरिक्त करों के संबंध में विवरण तालिका

क्रम सं0	पीठ	प्राप्त आवेदनों की सं0	दाखिल किए गए आवेदनों की सं0	अतिरिक्त करों की राशि (रुपये करोड़ में)
1.	प्रधान पीठ, नई दिल्ली	52	21	86.40
2.	अतिरिक्त पीठ-I, नई दिल्ली	24	18	23.12
3.	अतिरिक्त पीठ-II, नई दिल्ली	51	38	74.33
4.	अतिरिक्त पीठ-II, मुंबई	92	166	319.09
5.	अतिरिक्त पीठ-II, मुंबई	58	28	134.26
6.	अतिरिक्त पीठ, कोलकाता	47	43	95.97
7.	अतिरिक्त पीठ, चेन्नई	39	37	78.69
	कुल	363	351	811.86

15. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (आयकर)
15.1 अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (आयकर) के कार्य :

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (आयकर) (एएआर) वित्त मंत्रालय के तहत एक अर्द्ध न्यायिक निकाय है, जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना 1.6.1993 से वित्त अधिनियम, 1993 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 में जोड़े गए अध्याय XIX-ख के उपबंधों के अनुसार 1993 में की गई थी। प्राधिकरण अनिवासियों द्वारा किसी निवासी के साथ किए गए/करने के लिए प्रस्तावित लेन-देनों से संबंधित उठाए गए कराधान मामलों पर विनिर्णय देता है। अनिवासियों से संव्यवहार करने वाले निवासी भी एक अनिवासी की कर देयता के संबंध में विनिर्णय की मांग कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी विनिर्णय हेतु एएआर में आवेदन कर सकते हैं।

15.2 केन्द्रीय बिक्री कर अपीलीय प्राधिकरण

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (आयकर) को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 के साथ पठित धारा 6 क के अंतर्गत आने वाले अंतरराज्यीय विवादों को सुलझाने के लिए केन्द्रीय बिक्री कर अपीलीय प्राधिकरण के रूप में भी दिनांक 17.3.2005 की अधिसूचना (दिनांक 7.6.2005 की अधिसूचना द्वारा यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित किया गया है। इसने दिनांक 3.2.2006 की अधिसूचना के तहत 1.3.2006 से केन्द्रीय बिक्री कर अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था।

15.3 प्राधिकरण का कार्य निष्पादन

(क) प्राधिकरण ने अब तक आयकर के 1214 (लगभग) वित्तीय (वर्ष 2013-14) में 64 मामलों में तथा सीएसटीए के 64

(लगभग) (वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2) मामलों में कानून से संबंधित जटिल प्रश्नों तथा तथ्यों पर ऐसे निर्णय घोषित/आदेश पारित किए हैं। आयकर मामलों में दिए गए विनिर्णयों से अनिवासियों को भारत में उनके निवेश कार्यों में सहायता प्राप्त हुई है। प्राधिकरण के समक्ष कई प्रश्न इस प्रकार के आ रहे हैं जिनमें आमतौर पर उच्च न्यायालयों अथवा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय उपलब्ध नहीं हैं।

- (ख) यह प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा सृजित इस सुविधा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रहा है। अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (एओआर) की सरकारी वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.ए.ए.आर.गव.इन) को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।
- (ग) अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (एएआर) की भूमिका को स्पष्ट करते हुए अग्रिम विनिर्णय पर प्रकाशित हैंड बुक को व्यापक रूप से परिचालित किया गया है और इसका पूर्णतया स्वागत हुआ है।

16 केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो

16.1 संगठन एवं कार्य

16.1.1 केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो आर्थिक आसूचना के लिए एक नोडल एजेंसी है। 1985 में इसका गठन आर्थिक आसूचना तथा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत की जाने वाली प्रवर्तन कार्यवाहियों के समन्वय और सुदृढ़ीकरण के लिए किया गया था।

16.1.2 ब्यूरो के अध्यक्ष विशेष सचिव एवं महानिदेशक हैं जिनकी सहायता दो उप-महानिदेशक, संयुक्त सचिव (कोफेपोसा), सहायक महानिदेशक, अवर सचिव, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी और अन्य स्टाफ करता है। ब्यूरो के अधिकारियों/कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 113 है। वर्तमान में इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या केवल 63 है।

16.1.3 केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के मौजूदा चार्टर के अनुसार यह निम्नलिखित कार्य करता है।

- (क) आर्थिक आसूचना परिषद (ई आई सी) के लिए सचिवालय के रूप में कार्य
- (ख) आर्थिक आसूचना (इकोइंट) के समन्वयक और निधान के रूप में कार्य; और
- (ग) केंद्र सरकार के स्तर पर कोफेपोसा अधिनियम, 1974 के प्रशासक के रूप में कार्य करता है।

16.1.4 अनिवार्य कार्य के भाग के रूप में केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो:-

- (i) आर्थिक अपराधियों और अपराधों का डाटाबेस रखता है।
- (ii) विशेषज्ञ समूह के रूप में कार्य करता है तथा मैक्रो स्तर की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन और विश्लेषण करता है।
- (iii) ब्यूरो 22 क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषदों (क्षेओआओपओ)

के पर्यवेक्षीय और मानीटरिंग संबंधी कार्य करता है जो क्षेत्रीय स्तर पर एक समन्वय निकाय है, और जिसमें आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए विभिन्न केन्द्र और राज्य प्रवर्तन एवं जांच एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

- (iv) राजस्व विभाग के अधिकारियों/क्षेओआओपओ की सदस्य एजेंसियों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

16.1.5 आर्थिक आसूचना परिषद की अंतिम बैठक माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 13.09.2013 को आयोजित की गई थी और आर्थिक आसूचना परिषद (ईआईसी) से संबंधित आसूचना उपकरण पर कार्य दल की बैठकें सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में दो बार 21.05.2013 और 10.12.2013 को नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इन बैठकों के दौरान, ईआईसी की पूर्व की बैठकों में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई थी। आसूचना एकत्र करने तथा आरईआईसी के समन्वय और निष्पादन से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया और उपयुक्त निदेश दिए गए।

16.2 वर्तमान वित्तीय वर्ष (अप्रैल-नवम्बर 2013-14) के दौरान ब्यूरो द्वारा की गई मुख्य गतिविधियां निम्नानुसार हैं:-

- (क) **एजेंसियों के प्रमुख (एच ओ ए):-** एजेंसियों के प्रमुख की समिति में राजस्व विभाग के अंतर्गत आसूचना और जांच एजेंसियों के प्रमुख आते हैं तथा यह समिति आर्थिक क्षेत्र में बढ़ रही आसूचना की प्रवृत्ति के विषय में विचार-विमर्श करती है। यह सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, आयकर, हवाला, ड्रग्स तथा एफआईसीएन के क्षेत्रों में आसूचना की कार्यनीति का भी आदान-प्रदान करती है तथा संयुक्त और/या समन्वित कार्रवाई के लिए एजेंसी के पारस्परिक विस्तार के साथ-साथ अन्य मामलों की पहचान करती है।

- (ख) **आर्थिक आसूचना दल (जी ई आई):-** आर्थिक आसूचना दल सदस्य एजेंसियों के बीच आसूचना को साझा करने के लिए एक समन्वयकारी मंच उपलब्ध कराता है। इस मंच के जरिए जानकारी को साझा करने से आर्थिक अपराधों के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करने के लिए उपायों को जुटाने में सहायता मिलती है इन आर्थिक अपराधों में कुछ प्रतिपादित अपराध भी बनते हैं, और व्यापार आधारित धन शोधन पर इस प्रकार एकत्र आसूचना धन शोधन निवारण अधिनियम और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के तहत मुकदमों दर्ज करने में सहायक होती है। ब्यूरो, स्वयं के स्तर पर भी आर्थिक अपराधों के क्षेत्र में जानकारी बढ़ाता है तथा आगे की कार्रवाई के लिए इन्हें उपयुक्त आसूचना व प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा करता है।

वर्तमान वर्ष के दौरान, ब्यूरो द्वारा तैयार की गई और अन्य एजेंसियों से प्राप्त आसूचना संबंधी जानकारी को आगे की कार्रवाई के लिए सदस्य एजेंसियों तक प्रसारित किया गया था। इन जानकारियों में तस्करी, एफआईसीएन, ड्रग्स, हवाला नेटवर्क, संदिग्ध स्रोतों से

प्राप्त विदेशी निधि, एमटीएसएस दिशानिर्देशों का उल्लंघन, निजी स्थानन कार्यक्रम में काले धन से संबंधित, उत्पाद शुल्क अपवंचन, आयकर अपवंचन, बैंक धोखाधड़ी, राज सहायता स्कीम का दुरुपयोग, कंपनियों द्वारा छिपाई गई आय को वापस उजागर करना, इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी निहित है।

आर्थिक आसूचना दल (जी ई आई) के अंतर्गत विचार-विमर्श/निगरानी किए जाने वाले अन्य मुद्दे इस प्रकार हैं:-

- (i) महत्वपूर्ण अपराधियों की जानकारी।
- (ii) डोजियर की स्थिति।
- (iii) आर्थिक आसूचना दल द्वारा जांच किए जाने वाले विषयों की पहचान।

आर्थिक अपराधों की जांच/विश्लेषण से संबंधित सभी उपर्युक्त कार्य अत्यंत विस्तृत क्षेत्र तक व्याप्त हैं जैसे कि अवैध निर्यात/आयात, धन शोधन, जाली भारतीय मुद्रा का पता लगाना, लाल चंदन की तस्करी, कर अपवंचन की ओर झुकाव, बैंकों जैसे वित्तीय चैनलों का दुरुपयोग, बीमा एनबीएफबीपी जो सीईआईबी द्वारा रेखांकित पोलिसी अंतरालों को सामने लाते हैं इत्यादि। ये आंकड़े और कार्यप्रणाली राष्ट्रीय जोखिम निर्धारण के लिए प्रयोग की जा सकती है।

16.3 अंतरमंत्रालयी दलों का अध्ययन/रिपोर्टें

क) बहुस्तरीय विपणन पर अध्ययन समूह :

बहुस्तरीय विपणन मुद्दे पर एक अध्ययन समूह बनाया गया था। इस मुद्दे पर कार्य समूह की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था, इसने देखा कि मौजूदा तंत्र और अपेक्षाओं के बीच काफी अंतर व्याप्त है। अध्ययन समूह की बैठक से निम्नलिखित निष्कर्ष उभर कर सामने आए :

- पूर्व चेतावनी प्रणाली अपेक्षित है ताकि स्कीम के विकराल रूप धारण करने से पहले इसे उजागर किया जा सके ;
- प्राथमिक और विवेकशील जांच कौशल वाली आसूचना के एकत्रण के लिए सशक्त केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता है ताकि इस तरह की आसूचना को कार्रवाई योग्य बनाया जा सके ;
- जब और जैसे ही ये स्कीमों किसी भी एजेंसी की जानकारी में आती हैं, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो इसका प्रारंभिक अवलोकन प्राप्त करने में केंद्रीय समूह के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह निर्णय लेने में कि कौन सी जांच एजेंसी अग्रणी भूमिका निभाएगी यह प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य करता है ;
- अन्य केंद्रीय एजेंसी महत्वपूर्ण मामलों की जांच की निगरानी कर सकती है ;
- इस अधिनियम में सही संशोधनों का सुझाव समयबद्ध तरीके से देने के लिए सदस्यों में से ही केंद्रीय आर्थिक आसूचना

ब्यूरो, वित्तीय सेवा विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो और उपभोक्ता कार्य मंत्रालय से निदेशक स्तर के अधिकारियों से गठित एक उप-समूह बनाया जा सकता है।

तदनुसार, बहुस्तरीय विपणन की समस्या से संबंधित कानूनों में संशोधनों के सुझाव देने के लिए उपभोक्ता कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), केंद्रीय जांच ब्यूरो और केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक उप-समूह गठित किया गया था। इस पर निम्नलिखित सिफारिशें हैं :-

- (i) इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के तहत कोई भी अपराध गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में लाया जा सकता है।
- (ii) संशोधन के लिए विचारार्थ इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 प्रतिबंधात्मक अधिनियम है न कि विनियामक अधिनियम।
- (iii) इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के तहत कोई भी अपराध पीएमएलए के तहत प्रतिपादित अपराध बनाया जा सकता है क्योंकि यह देखा गया था कि घोटालाकर्ताओं द्वारा एकत्र धन या तो देश से बाहर निकाला जा रहा था या घरेलू अर्थव्यवस्था के अंदर ही शोधित किया जा रहा था।
- (iv) आसूचना एकत्र करने के साथ-साथ बहुस्तरीय विपणन स्कीमों से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए केंद्रीय एजेंसी को पदनामित करने के लिए इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 की धारा 7(ii) को उपयुक्त ढंग से संशोधित करने की आवश्यकता है।

ख) बहुस्तरीय विपणन मसौदा बिल अध्ययन :

नैगम कार्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, उपभोक्ता कार्य विभाग, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) गठित किया गया था ताकि इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के तहत स्कीमों के प्रभावी विनियम के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जा सकें। ब्यूरो ने वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा भेजे गए इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के मसौदा संशोधन विधेयक की जांच की और पृथक रूप से निम्नलिखित टिप्पणियां दी :

- (i) इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 एक प्रतिबंधात्मक अधिनियम है न कि विनियामक अधिनियम,
- (ii) यह कि यहां भिन्न ढांचे वाली एजेंसियों की आवश्यकता है जो आसूचना और जांच अपेक्षाओं के अनुसार विभिन्न प्रकारात्मक स्तरों पर प्रचालन करती हों। यह एक मामला आसूचना एजेंसी को नामित करने का है और एक मामला जांच के लिए विशेषज्ञ केंद्रीय एजेंसी नियुक्त करने का है। अतः यह सुझाव दिया गया था कि अधिनियम को इस तरीके से संशोधित किया जाना चाहिए कि इससे केंद्र

सरकार को परिभाषित उद्देश्यों के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से एजेंसी को अधिसूचित करने की शक्ति प्राप्त हो, और ब्यूरो ने यह भी सुझाव दिया कि प्रस्तावित अधिनियम के तहत किसी भी अपराध को पीएमएलए के तहत प्रतिपादित अपराध माना जाए क्योंकि इन धोखाधड़ियों में प्रायः देश के भीतर और बाहर दोनों से आने वाले आगमों का धन शोधन शामिल है ।

ग) शहरी सहकारी बैंक के दुरुपयोग पर अंतर मंत्रालयी समूह

निम्नलिखित मुद्दों को देखने के लिए विशेष सचिव-सह-महानिदेशक, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो की अध्यक्षता में और सदस्यों के रूप में आर्थिक सेवाएं विभाग, राजस्व विभाग, वित्त आसूचना एकक, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय जांच ब्यूरो और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) गठित किया गया था :-

- भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में निहित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित आसूचना को ब्यूरो के साथ साझा करने के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाना जिसमें ब्यूरो इस आसूचना को आगे संबंधित एलईए के साथ साझा कर सके ;
 - आवश्यक जांच प्रारंभ करने के लिए केंद्रीय एजेंसी को सशक्त बनाना ;
 - आवश्यक जांच प्रारंभ करने के लिए केंद्रीय एजेंसी को सुदृढ़ बनाना ;
- अंतरमंत्रालयी समूह ने विस्तृत अध्ययन के बाद निम्नलिखित सिफारिशें दी थी :-
- भारतीय रिजर्व बैंक को अनिवार्य रूप से अन्य संविधियों का अतिक्रमण करने वाली निरीक्षण रिपोर्टों के संबंधित सार को केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो और क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषदों के साथ साझा करना चाहिए ताकि संबंधित एजेंसी द्वारा उपयुक्त समय पर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की जा सके ;
 - भारतीय रिजर्व बैंक को अनिवार्य रूप से केवाईसी/एएमएल के निहितार्थों वाली निरीक्षण रिपोर्टों के संबंधित सार को भारत वित्त आसूचना एकक और केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के साथ साझा करना चाहिए ;
 - शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) और यूसीबी की जमा राशियों का प्रबंधन करने वाले वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एसटीआर/सीटीआर को भारत-वित्त आसूचना एकक के साथ साझा किया जाना चाहिए ;
 - यूसीबी से संबंधित मामलों, जो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं, जिनमें केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच अपेक्षित है, को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शीघ्रता से सामने लाया जाना चाहिए ताकि सम्यक अनुमोदन लेने के बाद सीबीआई द्वारा समय पर जांच आरंभ की जा सके ।

- मालेगाम समिति के क्रियान्वयन में शीघ्रता लाने की आवश्यकता है जो अन्य बातों के साथ-साथ यूसीबी के व्यापार नियंत्रण से होने वाली समस्याएं भी देखती है, इन समस्याओं के परिणामस्वरूप जांच की गति धीमी पड़ जाती है।

घ) अघोषित आय के स्रोत का प्रकटीकरण :

ब्यूरो के पास आयकर अपवंचन से संबंधित अनेक रिपोर्टें आई हैं जिनमें करदाता आयकर विभाग के समक्ष अघोषित आय की घोषणा करते समय इसके स्रोत को प्रकट नहीं करते । स्रोतों को प्रकट नहीं करने के कारण आयकर विभाग के समक्ष अन्य विभागों के लिए इस अतिरिक्त घोषित आय के निहितार्थों का पता लगाना कठिन होता है ।

इस मामले को ब्यूरो द्वारा माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आसूचना परिषद के समक्ष उठाया गया था । आर्थिक आसूचना परिषद के निदेशों के अनुपालन में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने आयकर विवरणी प्रपत्र में संशोधन किए हैं, जिनमें आयकर विभाग के समक्ष इस अतिरिक्त घोषित आय के स्रोत/स्रोतों को प्रकट करना अनिवार्य कर दिया गया है ।

ड.) सामान्य और कुछ बड़े मामलों में समन्वय

क. अवैध अफीम पोस्ट खेती का पता लगाना/इसे नष्ट करने के संबंध में समन्वय :

ब्यूरो विभिन्न राज्यों में अवैध अफीम की खेती पर रिपोर्टिंग के लिए क्षेत्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करता है ।

ख. सुरक्षित सूचना आदान-प्रदान नेटवर्क (एस आई ई एन) :

आर्थिक आसूचना परिषद के वर्ष 2007 में लिए गए निर्णय के अनुसार आसूचना और सूचना के ऑनलाइन आदान-प्रदान के लिए एक सुरक्षित नेटवर्क प्लेटफॉर्म पूरी तरह से प्रचालनरत हो गया है ।

ग. आर्थिक अपराधों और अपराधियों पर के.आ.आ.ब्यूरो का डाटाबेस :

केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो विभिन्न कानून प्रवर्तन और आसूचना एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर आर्थिक अपराधियों और अपराधों के व्यापक डाटाबेस का रख-रखाव और इसे तैयार कर रहा है ।

घ. ब्यूरो में समन्वित कुछ बड़े मामले निम्नलिखित से संबंधित हैं :-

(i) कंपनियों द्वारा छुपाई गई आय को उजागर करना

केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के आधार पर महानिदेशक आयकर (जांच), कोलकाता एक ग्रुप कंपनी द्वारा प्रवेश प्रचालकों के माध्यम से शेयर पूँजी और शेयर प्रीमियम के रूप में एकत्र की गई 1337 करोड़ रुपए की बेहिसाबी आय का पता

लगाने में समर्थ हुआ। इस समूह ने अब तक स्वेच्छा से 102 करोड़ रुपए की बेहिसाबी आय प्रकट की है। महानिदेशक केंद्रीय आर्थिक आसूचना (डीजीसीआई) ने भी हाल ही में इसी समूह के विरुद्ध 30 करोड़ रुपए का केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन का मामला दर्ज किया है जिसमें से 6 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं।

(ii) बैंक धोखाधड़ी : ब्यूरो में बैंक ऋणों के दुरुपयोग पर एक संघटन और 3000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टीयूएफएस) तैयार की गई थी और एक ग्रुप कंपनी द्वारा विभिन्न अधिनियमों के उल्लंघन दर्ज किए गए थे। 8 कंपनियों के इस समूह ने जाली/नकली दस्तावेज प्रस्तुत करके विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से 3000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त की और इस धन को परियोजनाओं में निवेश करने की बजाए इसका 95 प्रतिशत से अधिक भाग निम्नलिखित कामों में लगाया।

- (1) देश भर में विभिन्न स्थानों पर भूमि/फ्लैट/बिल्डिंग/मालों को खरीदने में
- (2) शेयर खरीदने में
- (3) सूचित कंपनियों के शेयरों की कीमतों को उठाने में
- (4) धन को विदेशों में लगाना।

(iii) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा शुल्क/कर अपवंचन : यह मुद्दा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा अपने कर्मचारियों और उनके संबंधियों जिनका नियोक्ता के व्यवसाय से कोई सीधा संबंध नहीं है, को बाजार मूल्य से कम मूल्य पर कालें प्रदान करने से संबंधित है। इसमें शामिल निहितार्थ अनुषंगी लाभ कर के साथ-साथ सेवा कर से संबंधित है।

(iv) निजी स्थानन कार्यक्रम : केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो ने इस नई कार्यप्रणाली पर सूचना को दर्ज किया और तैयार किया तथा इसे विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया। इसी के आधार पर महानिदेशक आयकर (आई एंड सीआई) ने इस कार्यप्रणाली की पुष्टि की और वे 2280 करोड़ रुपए (लगभग) की बेहिसाबी आय का पता लगाने में भी सफल रहे।

(v) वस्तुओं को गुप्त रूप से हटाना : वस्तुओं को गुप्त रूप से हटाने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन से संबंधित सूचना ब्यूरो में तैयार की गई। इसे केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के पास कार्रवाई के लिए भेजा गया। प्रारंभिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप 60 करोड़ रुपए की गुप्त निकासी उजागर हुई जिसमें संलिप्त सूचना को आगे की कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषद के साथ साझा किया गया।

(vi) विदेशी खातों में गुप्त तरीके से जमा धन : ब्यूरो ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रवर्तन निदेशालय, वित्त आसूचना एकक, डीआरआई और डीजीसीआई को भारतीय मूल के ऐसे 600 से अधिक व्यक्तियों/निकायों के नामों और पतों की सूची (एक स्रोत के माध्यम से प्राप्त) भेजी है, जिनके पास देश से बाहर कर पनाह वाले देशों में गुप्त रूप से जमा राशियां हो सकती हैं।

(vii) बोगस बिलों को जारी करना : ब्यूरो में एक सूचना तैयार और दर्ज की गई कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ अभिषदों ने विभिन्न कंपनियों को बिना सामग्री के 2000 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य के केवल बिल दिए हैं। तुरंत कार्रवाई के लिए इस सूचना को सीबीडीटी के साथ साझा किया गया।

(viii) सहकारी बैंकों के माध्यम से धनशोधन : भारतीय मर्केटाइल कॉऑपरेटिव बैंक, लखनऊ के माध्यम से शोधित बेहिसाबी धन की बहुत बड़ी राशि के संबंध में एक सूचना को सीबीडीटी के साथ साझा किया गया ताकि जून, 2013 में जांच और आगे की कार्रवाई की जा सके।

(ix) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में धोखाधड़ी : तत्संबंधी मामले की जांच ब्यूरो में की गई और आगे की कार्रवाई के लिए सीबीआई के पास भेजा गया।

(x) ब्यूरो में प्राप्त रिपोर्टों से चुने गए मामलों को प्रसारित करना : वर्ष 2013 के दौरान, सीबीईसी और सीबीडीटी की ओर से सीईआईबी में प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों से ऐसे 1685 मामले (जिनमें 3096 करोड़ रुपए का सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपवंचन और 4219 करोड़ रुपए की बेहिसाबी आय शामिल है) चुने गए जिनके अन्य विभागों से निहितार्थ हैं और इन्हें आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित सदस्य एजेंसियों/क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषद के साथ साझा किया गया।

(xi) मुद्रा घोषणा प्रपत्रों (सीडीएफ) में निहित ब्यौरों को प्रसारित करना : ब्यूरो ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, अमृतसर, हैदराबाद और गोवा स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से प्राप्त 29,354 मुद्रा घोषणा प्रपत्रों (सीडीएफ) का विश्लेषण किया और संबंधित आसूचना और जांच एजेंसियों के साथ महत्वपूर्ण प्रेक्षणों को साझा किया।

(xii) बोगस बिक्री बिल : 25,000 करोड़ रुपए (लगभग) राशि के बोगस बिक्री बिलों की कार्यप्रणाली का मुंबई स्थित बिक्री कर विभाग द्वारा पता लगाया गया और इस जानकारी को क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषद के साथ साझा किया गया। ब्यूरो ने कार्यप्रणाली के ब्यौरों और की जाने वाली कार्रवाई को राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को प्रसारित किया।

(xiii) बहुस्तरीय विपणन स्कीमें : बहुस्तरीय विपणन स्कीमों की तीव्र वृद्धि गंभीर चिंता का मामला है, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो ने आर्थिक आसूचना परिषद की बाद की सभी बैठकों में इसे हमेशा कार्यसूची के भाग के रूप में रखा है।

ब्यूरो बहुस्तरीय विपणन स्कीमों पर प्राप्त आसूचना/सूचना को संबंधित राज्य सरकारों के पास नियमित रूप से प्रसारित कर रहा है। इस वर्ष के दौरान ब्यूरो को भारत में वित्त आसूचना एकक की ओर से 33 संदेहास्पद लेन देन रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं और दो राज्यों केरल और कर्नाटक से प्रतिपुष्टि प्राप्त हुई है जिन्होंने कुछ बहुस्तरीय विपणन स्कीमों को बंद करने के लिए प्रभावी उपाय किए हैं और निश्चय ही कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और संबंधित निकायों से जुड़ी परिसंपत्तियों को सील किया है।

ब्यूरो ने भारत i वित्त आसूचना एकक से प्राप्त स्पीक एशिया, आसूचना ब्यूरो से प्राप्त जानकारीयों और अन्य गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त जानकारीयों से संबंधित संदेहास्पद लेन देन रिपोर्टों को आगे कार्रवाई करने के लिए एसएफआईओ और संबंधित राज्य सरकारों के पास भेजा था।

16.4 एफआईसीएन रिपोर्ट :

मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट के अनुसरण में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) को, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) के अनुसार, जाली भारतीय मुद्रा से संबंधित नतीजों का पता लगाने और संबंधित एजेंसियों को सचेत करने का कार्य सौंपते हुए, सीईआईबी को मंत्रिमंडल सचिवालय (एनएससीएस) यू.ओ.सं0 सी-183/1/2001/एनएससीएस (सीएस) दिनांक 22 मई, 2001 के तहत निदेश दिया गया था कि वह जाली भारतीय मुद्रा के मुद्रण, तस्करी और परिचलन से संबंधित नतीजों के बारे में एनएससीएस को सतत आधार पर सूचित रखने के लिए कदम उठाए। तदनुसार, ब्यूरो डीआरआई, आईबी, सीबीआई, रॉ और राज्य पुलिस जैसी सभी एजेंसियों से निर्धारित प्रपत्र में आंकड़े एकत्र करता है। इस एफआईसीएन डाटा के आधार पर, जाली भारतीय मुद्रा नोटों के मुद्रण, तस्करी और परिचलन पर एक अर्द्धवार्षिक राष्ट्रव्यापी व्यापक विश्लेषण रिपोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को देश के विभिन्न भागों में प्रचालनरत 22 क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समितियों के साथ भी साझा किया गया। केंद्र और राज्य सरकार दोनों के क्षेत्रों की सभी आर्थिक और अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों का प्रतिनिधित्व इन समितियों में है।

16.5 कोफेपोसा अधिनियम का प्रशासन :

राज्य सरकारों द्वारा इसके अंतर्गत की गई कार्रवाई की निगरानी सहित कोफेपोसा अधिनियम, 1974 (विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम) का समग्र प्रशासन केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सी ई आई बी) द्वारा किये जाने वाले कार्यों में से एक है। कोफेपोसा अधिनियम, 1974 में विदेशी मुद्रा के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्यों के लिए निवारक अवरोधन और तस्करी संबंधी गतिविधियों के निवारण तथा इससे जुड़े मामलों का प्रावधान है। 1 जनवरी, 2013 से 29 नवंबर, 2013 तक की अवधि के दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत 40 नजरबंदी आदेश जारी किए गए तथापि इस अवधि के दौरान वास्तव में 33 व्यक्तियों को नजरबंद किया गया, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके विरुद्ध इस वर्ष एवं गत वर्ष में नजरबंदी आदेश जारी किए गए थे।

16.6 वित्त आसूचना एकक - भारत (एफआईयू-इंड) के साथ समन्वय :

वित्त आसूचना एकक - भारत से नियमित जानकारीयां आ रही हैं जिन्हें सम्यक प्रक्रिया के बाद ब्यूरो द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए प्रसारित किया जाता है। ये जानकारीयां आर्थिक आसूचना के लिए उपयोगी होती हैं।

16.7 प्रशिक्षण

आसूचना एकत्र करने की तकनीक इत्यादि में राजस्व विभाग के अधिकारियों की अन्वेषणात्मक कुशलता को बढ़ाने के लिए ब्यूरो विभिन्न विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए :-

- राष्ट्रीय बीमा अकादमी पुणे में " बीमा धोखेबाजी का निवारण"
- सरदार वल्लभभाई पटेल पुलिस अकादमी, हैदराबाद में "कम्प्यूटर और इन्टरनेट अपराध"
- स्टेट बैंक स्टाफ कालेज, हैदराबाद में " बैंकिंग आपरेशन और राजकोषीय कानून प्रवर्तन "
- भारतीय पूंजी बाजार संस्थान, मुम्बई में " वित्तीय बाजारों में आर्थिक अपराधों की जांच "
- मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रशिक्षण संस्थान, गुडगांव में "आसूचना एकत्रीकरण और आसूचना ट्रेडक्राफ्ट"
- सेना आसूचना प्रशिक्षण स्कूल और डीपो, पुणे में "आसूचना एकत्रीकरण और आसूचना ट्रेडक्राफ्ट "

16.8 1.1.2014 से मार्च, 2014 तक की अवधि के दौरान ब्यूरो द्वारा निम्नलिखित प्रमुख क्रियाकलाप किए गए:-

16.8.1 उपर्युक्त अवधि के दौरान, ब्यूरो ने आर्थिक आसूचना परिषद के सचिवालय के रूप में 12.03.2014 को माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मंच की बैठक बुलाई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और आगे की कार्रवाई के लिए इनकी पहचान की:

(i) **बोगस बिक्री बिल :** ब्यूरो की पहल पर विभिन्न राज्यों के वाणिज्यिक कर विभागों ने कदम उठाए जिनमें वैट के अपवंचन का पता लगाने के लिए कंप्यूटरीकृत मोड्यूलों का विकास करना भी शामिल है। सैकड़ों करोड़ रुपए की राशि के बोगस बिल लेन देनों का पहले ही पता लगाया जा चुका है और आगे की जांच चल रही है। ब्यूरो इस मुद्दे पर राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर रहा है। यह कवायद आयकर विभाग को भी अपने दृष्टिकोण से जांच करने में सक्षम बनाती है।

(ii) **शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) :** ब्यूरो ने धन शोधन को सुकर बनाने में यूसीबी की भूमिका का पता लगाने का कार्य अपने हाथ लिया और इसे रोकने के लिए विभिन्न उपायों पर निर्णय लिया और आगे की कार्रवाई के लिए एजेंसियों की पहचान की गई।

(iii) **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां :** अपंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन में बाधक मौजूदा तंत्र की कमी को मंच में सामने लाया गया और आर्थिक सेवाएं विभाग (डीएफएस) को इस मुद्दे की समग्र जांच करने और कमियों को दूर करने के उपाय सुझाने के लिए चुना गया।

(iv) **गैर-सरकारी संगठन** : गृह मंत्रालय को सलाह दी गई थी कि वह संदेहास्पद एनजीओ के ब्योरो को तत्संगत और संविधियों के तहत आगे जांच करने के लिए सीबीडीटी और प्रवर्तन निदेशालय के साथ साझा करे।

(v) **अघोषित आय के स्रोत को प्रकट करना** : संभाव्य और तत्संबंधी मामलों को साझा करने के लिए क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषदों में सीबीडीटी के क्षेत्रीय संघटनों द्वारा एक तंत्र तैयार किया जा रहा है जिसमें आयकर विवरणियों में अघोषित आय प्रतिबिंबित की गई है। इस मुद्दे पर ब्यूरो सीबीडीटी के साथ समन्वय कर रहा है।

(vi) **जेवरात स्कीमों का दुरुपयोग** : मंच पर इस मुद्दे को उठाए जाने के परिणामस्वरूप, नैगम कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने जेवरात कंपनियों द्वारा संचारित राशि को नए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत मसौदा जमा नियमावली में जमा राशियों की परिभाषा में शामिल करने पर विचार किया है।

(vii) **डाटाबेसों तक ऑनलाइन पहुँच** : गृह मंत्रालय द्वारा चुनिंदा डाटाबेसों को अंतर संयोजित करने और लेखा परीक्षा के साथ विशिष्ट एजेंसियों तक ऑनलाइन अभिगम्यता प्रदान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(viii) **राष्ट्रीय आर्थिक आसूचना नेटवर्क (एनईआईएन) और सुरक्षित आर्थिक आसूचना नेटवर्क (एसआईईएन) का अंतरसंयोजन** : ब्यूरो ने सदस्य एजेंसियों को सुरक्षित आर्थिक आसूचना नेटवर्क प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने डाटाबेसों तक ऑनलाइन अभिगम्यता की अनुमति दे दी है।

(ix) **भारत में गैर कानूनी आयात** : ब्यूरो द्वारा उस विनियामक अंतराल को ईआईसी की जानकारी में लाया गया है जो भारत में आयातित वस्तुओं के लिए किए गए भुगतानों के वर्तमान तंत्र में विद्यमान है। ब्यूरो ने इसे रोकने के लिए उपाय सुझाए हैं जो आरबीआई की जांच के अधीन हैं।

(x) **राष्ट्रीय स्पोर्ट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) : वेयरहाउसिंग (विकास और विनियमन) प्राधिकरण के क्रियान्वयन और मॉनीटरिंग के मौजूदा तंत्र में तथा वेयरहाउसिंग विकास और विनियमन (डब्ल्यूडीआर) अधिनियम में दिए गए उपबंधों में कतिपय कमियों को फोरम में निर्दिष्ट किया गया। उपभोक्ता कार्य विभाग से स्पष्टीकरण मांगा गया है जिसकी अभी प्रतीक्षा है।**

(xi) **डाटा सुरक्षा** : गृह मंत्रालय को संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा सरकार की साइबर सुरक्षा नीति के क्रियान्वयन की निगरानी का कार्य सौंपा गया है और सुधारात्मक उपाय करने के लिए कहा गया है ताकि गतिमान और स्थिर दोनों तरह के डाटा को सुरक्षित रखा जा सके। इस संबंध में, गृह मंत्रालय आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने की प्रक्रिया में है।

(xii) ब्यूरो ने संबंधित एजेंसियों द्वारा उपयुक्त कार्रवाई के लिए निम्नलिखित मुद्दों को उठाया है:

- (i) किसी ग्रुप कंपनी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के बैंक ऋणों और सरकारी सस्बिडियों का दुरुपयोग
- (ii) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा शुल्क/कर अपवंचन
- (iii) किसी बिल्डर द्वारा हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी

देश भर में विभिन्न प्रवर्तन/आसूचना एजेंसियों के क्षेत्रीय संघटन उनके द्वारा दर्ज किए/तलाशे गए मामलों की रिपोर्ट ब्यूरो को देते हैं। इनमें से, ब्यूरो अन्य एजेंसियों के निहितार्थ वाले मामलों को अलग करते हैं और उन्हें उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसियों/क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषदों के साथ साझा करते हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान, ऐसे 283 मामलों को ब्यूरो द्वारा क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषदों/एजेंसियों के साथ साझा किया गया। इस कवायद के लिए वर्ष 2013-14 के दौरान सदस्य एजेंसियों द्वारा 26 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राजस्व की राशि उगाही गई और अन्य 45 करोड़ रुपए के लिए मांगें रखी गई।

16.8.2 जनवरी, 2014 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान, ब्यूरो में आर्थिक अपराधियों के 179 डोजियर प्राप्त हुए।

16.8.3 क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषद (आरईआईसी) : ब्यूरो आरईआईसी के कार्यचालन को भी मॉनीटर करता है, ये आरईआईसी क्षेत्रीय स्तर पर प्रवर्तन/आसूचना एजेंसियों की कार्रवाई को समन्वित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर की नोडल एजेंसियां हैं। आरईआईसी फोरम में सदस्य एजेंसियों द्वारा सूचना को साझा किया जाता है और 2013-14 के दौरान इस कवायद में 33 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अतिरिक्त राजस्व के रूप में उगाही गई।

16.8.4 जाली भारतीय मुद्रा नोट (एफआईसीएन) रिपोर्ट :

जाली भारतीय मुद्रा नोटों से संबंधित मामले पर चर्चा 12.03.2014 को आर्थिक आसूचना परिषद की बैठक में की गई जिसमें वित्त मंत्री ने निदेश दिया। आर्थिक कार्य विभाग को भारतीय मुद्रा की सुरक्षा विशिष्टताओं का सतत रूप से मूल्यांकन करना होता है और जब कभी नकल का स्तर प्रारंभिक सीमा तक पहुँचता है तो इनका अद्यतन/नई विशिष्टता को शामिल करना होता है।

16.8.5 विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (कोफेपोसा) का प्रशासन:

राज्य सरकारों द्वारा इसके अंतर्गत की गई कार्रवाई की निगरानी सहित कोफेपोसा अधिनियम, 1974 (विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम) का समग्र प्रशासन केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सी ई आई बी) द्वारा किये जाने वाले कार्यों में से एक है। कोफेपोसा अधिनियम, 1974 में विदेशी मुद्रा के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्यों के लिए निवारक अवरोधन और तस्करी संबंधी गतिविधियों के निवारण तथा इससे जुड़े मामलों का प्रावधान है। 1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत **14 नजरबंदी आदेश जारी किए गए।**

17. प्रवर्तन निदेशालय

17.1 संगठन एवं कार्य:

17.1.1 प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख प्रवर्तन निदेशक हैं। निदेशालय के अन्य अधिकारियों में विशेष निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप-विधि सलाहकार, उप- निदेशक, सहायक विधि सलाहकार, सहायक निदेशक, प्रवर्तन अधिकारी तथा सहायक प्रवर्तन अधिकारी तथा इनकी सहायता के लिए अन्य लिपिक वर्गीय स्टाफ हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रवर्तन में निदेशालय की बढ़ी हुई भूमिका को देखते हुए, निदेशालय की जनशक्ति को मार्च, 2011 में सरकार द्वारा पुनर्गठित किया गया।

17.1.2 निदेशालय द्वारा जांच एजेंसी हेतु आवश्यक भर्ती की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, चरणबद्ध रूप से पदों की भर्ती के साथ-साथ नए कार्यालयों को खोलने की प्रक्रिया चल रही है। निदेशालय का नई दिल्ली में एक मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई तथा चंडीगढ़ में पांच क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके अतिरिक्त 16 जोनल कार्यालय और 22 उप-जोनल कार्यालय हैं।

निदेशालय में कुल स्टाफ सदस्य संख्या अब 2064 है, जो निम्न प्रकार हैं:

पद	स्वीकृत संख्या	वर्तमान में (31.12.2013 के अनुसार)
कार्यपालक	1218	379
लिपिक वर्गीय	376	190
कम्प्यूटर स्टाफ/ राजभाषा स्टाफ	69	16
प्रचालनरत स्टाफ	375	89
विधिक स्टाफ	26	10
कुल	2064	684

17.1.3 कार्यकारिणी स्कंध के कार्य-

प्रवर्तन निदेशालय दो अधिनियमों अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) एवं धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पी एम एल ए) को लागू करता है। दिनांक 01-06-2000 से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (फेरा) के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) को लाया गया है। निदेशालय निरस्त फेरा, 1973 के अंतर्गत बचे हुए कार्यों को भी पूरा कर रहा है। निदेशालय कोफेपोसा, 1974 के उपबंधों को भी लागू करता है।

निदेशालय के मुख्य कार्य निम्न प्रकार से हैं :-

- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित आसूचना को एकत्र करना और उसका विकास करना, उसका वितरण करना। आसूचना जानकारी विभिन्न स्रोतों जैसे केन्द्रीय और राज्य आसूचना एजेंसियों, भारतीय रिजर्व बैंक, शिकायतों, अधिकारियों द्वारा एकत्रित सूचना आदि के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं।

- 'हवाला', विदेशी मुद्रा के अनधिकृत व्यवहार, निर्यात से होने वाली आय की वसूली न होने, विदेश में बैंक खातों सहित धन का अनधिकृत प्रतिधारण, विदेश में स्थावर संपदा का अनधिकृत अभिग्रहण, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) से संबंधित उल्लंघन, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ई सी बी), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफ सी सी बी) आदि जैसी गतिविधियों से संबंधित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, के उपबंधों के संदेहास्पद उल्लंघनों की जांच करना।
- तत्कालीन विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के उल्लंघन के मामलों का न्यायनिर्णयन।
- न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों की समाप्ति पर अधिरोपित शास्तियों की वसूली।
- फेमा के अंतर्गत अपीलों का निपटान।
- तत्कालीन फेरा, 1973 के अंतर्गत अपीलों और अभियोजन के मामलों का निपटान।
- फेमा के अंतर्गत उल्लंघनों के संबंध में कार्रवाई करना तथा उचित मामलों में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम(कोफेपोसा) के अधीन नजरबंदी की सिफारिश करना।
- धन-शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करना कि अपराध से आगम संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा दर्ज अनुसूचित अपराध से प्राप्त की गई है या नहीं और क्या इन आगमों को शोधित किया गया है या नहीं। यदि प्रथम दृष्टि में धन शोधन का मामला बनता है तो निदेशालय अपराध से आगम से प्राप्त संपत्ति को कुर्क करता है।
- धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत धनशोधन के अपराध के लिए निर्दिष्ट धनशोधन निवारण अधिनियम न्यायालय में अभियोजन हेतु शिकायत दर्ज करना।
- धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत दोषी व्यक्तियों के स्थानांतरण तथा अपराध से आगम की कुर्की/जब्ती के संबंध में संविदाकारी राज्यों को/से परस्पर कानूनी सहायता प्रदान करना तथा लेना।
- धन शोधन के विरुद्ध प्रयासों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुगम बनाना।

17.1.4 विधि स्कंध के कार्य

- प्रवर्तन निदेशालय में विधि स्कंध के प्रमुख अपर दिनेशक (अभियोजन) होते हैं जो निदेशालय के विधि कार्य के समग्र कार्य प्रभारी होते हैं। अपर निदेशक (अभियोजन) की सहायता के लिए मुख्यालयों और जोनों में उप-विधि सलाहकार और सहायक विधि सलाहकार होते हैं।

- (ii) विधि स्कंध के अधिकारी न्यायनिर्णयन प्राधिकारी और अपीलीय अधिकरणों के समक्ष मामले प्रस्तुत करने के साथ-साथ विधि सहायता और सलाहकार संबंधी कार्य निष्पादित करते हैं। विधि स्कंध महत्वपूर्ण मामलों में निदेशालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम वकीलों की सेवाओं का उपयोग करता है। विधि स्कंध के अधिकारी न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, विदेशी मुद्रा हेतु अपीलीय अधिकरण, पीएमएलए के अधीन अपीलीय अधिकरण, विशेष न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों में उपस्थित होकर महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। इसके अतिरिक्त, कानून अधिकारी न्यायनिर्णयन और न्यायिक आदेशों की समीक्षा करते हैं और कानून के अनुसार उपयुक्त रास्ता सुझाते हैं।
- (iii) निदेशालय के विधि स्कंध के अधिकारी से पीएमएलए के तहत अभियोजन शिकायतों, अपीलों, एलआर और अन्य दस्तावेजों की कानूनी नजरिए से विधीक्षा करते हैं।
- (iv) विधि स्कंध फेरा और फेमा के अंतर्गत अभियोजन मामलों की प्रगति और शीघ्र निपटान की निगरानी भी करता है। विधि स्कंध के अधिकारी जब भी आवश्यक हो मामला दर मामला आधार पर वरिष्ठ काउन्सेलों, विद्वत् एएसजी, एसजी और एजी को निदेश भी देते हैं।
- (v) विधि स्कंध पीएमएलए/उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकरण/अपीलीय अधिकरण से संबंधित पीएमएलए मामलों के प्रभावी रूप से तथा शीघ्र निपटान हेतु इसके रोजाना अपडेट हेतु विधिक मामला मॉनिटरिंग प्रणाली (एलसीएमएस) की निगरानी करता है।

17.2 वर्ष 2013-14 (नवंबर, 2013 तक) के दौरान निदेशालय का निष्पादन और उपलब्धियों की विशेषताएं

वर्ष 2013-14 (दिसंबर, 2013 तक) के दौरान निदेशालय का निष्पादन और उपलब्धियां **अनुबंध-I** (फेरा और फेमा के संबंध में) और **अनुबंध-II** (पीएमएलए के संबंध में) दिए गए हैं।

17.3 गत वर्ष (2012-13) तक निष्पादन/उपलब्धियां

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान निदेशालय का निष्पादन / उपलब्धियों का ब्यौरा **अनुबंध-III** (फेरा और फेमा के संबंध में) में दिया गया है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान निदेशालय का निष्पादन और उपलब्धियां **अनुबंध-IV** (पीएमएलए के संबंध में) में दी गई हैं।

वर्ष 2012 की तत्संगत अवधि की तुलना में मामलों के निपटान की संख्या निम्नानुसार है:-

जांच के अधीन मामले					
फेमा	01.01.2013 को वर्ष के प्रारंभ में लंबित	वर्ष 01 .01.2013 से 30.12.2013 तक के दौरान पंजीकृत	वर्ष 01 .01.2013 से 31.12.2013 तक के दौरान निपटाए गए	31.12.2013 की स्थिति के अनुसार लंबित	लंबन के संदर्भ में निपटान की प्रतिशतता
	5755 (5821)	1733 (990)	1533 (1055)	5955 (5755)	26.6% (18.1%)

जांच के अधीन मामले					
पीएमएलए	01.01.2013 को वर्ष के प्रारंभ में लंबित	वर्ष 01 .01.2013 से 30.12.2013 तक के दौरान पंजीकृत	वर्ष 01 .01.2013 से 31.12.2013 तक के दौरान निपटाए गए	31.12.2013 की स्थिति के अनुसार लंबित	लंबन के संदर्भ में निपटान की प्रतिशतता
	1543 (1390)	192 (203)	204 (50)	1531 (1543)	13.2% (3.5%)

अभ्युक्तियां: कोषकों में दिए आंकड़े वर्ष 2012 की तत्संगत अवधि के आंकड़े हैं।

17.4 ई-शासन:

प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय कार्यालय और जोनल कार्यालयों का अपना स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (एलएएन) है जो निकनेट वैन से जुड़ा हुआ है, प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय (ईडी-मुख्यालय) और जोनल कार्यालय पत्र, एक्सेल शीट और ग्राफ तैयार करने जैसे दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे कार्यालय स्वचलन उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई ई-प्रशासन संबंधी कतिपय पहलें निम्नानुसार हैं:-

- (i) **वेबसाइट:** निदेशालय की एक वेबसाइट है, जिसमें सामग्री अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है, जहां नागरिक इस कार्यालय, प्रवर्तित विभिन्न अधिनियमों और अन्य संबद्ध सूचना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में, एक नया तथा यूजर्स-फ्रेंडली अंतरापृष्ठ उपलब्ध कराने हेतु वेबसाइट को पूरी तरह से दोबारा बनाया गया है। इसके अलावा विभिन्न नए फीचर्स जैसे पुष्ट की गई जबतक परिसंपत्तियों का ब्यौरा, वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में सूचना, आर टी आई अधिनियम के तहत पी आई ओ से संपर्क करने हेतु सूचना उपलब्ध कराना आदि भी इसमें शामिल किए गए हैं।

- (ii) **फाइल अनुरेखण प्रणाली (एफटीएस)**- प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय (ईडी-मुख्यालय) के लिए फाइल की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए फाइल अनुरेखण प्रणाली (एफटीएस) को क्रियान्वित किया गया है ।
- (iii) **कोम्प डीओ-** कर्मचारियों के वेतन प्रबंधन के लिए एक वेतन पत्रक प्रणाली क्रियान्वित की गई है ।
- (iv) **ई-मेल-** कर्मचारियों को एनआईसी ई-मेल आईडी प्रदान की गई है ।
- (v) **वीडियो कॉन्फेरेंसिंग-** निदेशालय में एक वेब आधारित वीडियो कॉन्फेरेंसिंग प्रणाली प्रारंभ की गई है ।
- (vi) **मासिक प्रगामी रिपोर्ट (एमपीआर)-** फेरा, फेमा और पीएमएलए संबंधी मामलों की एमपीआर रिपोर्ट से संबंधित सांख्यिकीय सूचना की प्रविष्टि करने और इसे प्रतिपुष्ट करने के लिए एक वेब आधारित अनुप्रयोग विकसित किया गया है ।
- (vii) **मासिक एकीकृत प्रपत्र (एमआईपी)-** पीएमएलए के लिए मासिक एकीकृत प्रपत्र (प्रोफार्मा) से संबंधित सूचना की प्रविष्टि करने और इसे प्रतिपुष्ट करने के लिए एक वेब आधारित अनुप्रयोग विकसित किया गया है ।
- (viii) **कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस)-** यह किसी कर्मचारी की विभिन्न रिपोर्टों को संग्रहित करने, इन पर कार्यवाही करने और इन्हें सृजित करने के लिए एक वेब आधारित अनुप्रयोग है । यह कर्मचारी के बारे में वर्तमान पद, तैनाती स्थान, प्रवर्तन निदेशालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, जन्म-तिथि और सेवानिवृत्ति की तारीख, भर्ती का तरीका, पदोन्नति की अगली तारीख और पद, संसूचित पद की सूचना, कार्यरत पद और निदेशालय व इसके अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्त पद जैसी जानकारीयों प्रदान करता है ।
- (ix) **विधि मामले निगरानी प्रणाली- (एलसीएमएस):** यह निदेशालय या पक्ष द्वारा उच्चतम न्यायालय, पीएमएलए अधिकरण, पीएमएलए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी और पीएमएलए विशेष न्यायालय में दायर किए गए विधि मामलों की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए एक वेब आधारित अनुप्रयोग है । यह याचिका संख्या, याचिकाकर्ता का नाम, डीओई की भूमिका, संबंधित जोन का नाम, ईसीआईआर संख्या, अनंतिम कुर्की आदेश की संख्या इत्यादि जैसी सूचनाओं का अभिग्रहण करता है । यह सुनवाई की अंतिम तारीख पर मामले की स्थिति/प्रगति को दर्ज करता है।
- (x) **प्रवर्तन निदेशालय अपराधी खोज प्रणाली (ई-डीओटी)-** T3 फाइल चरण से प्रारंभ होने वाले फेमा तथा पीएमएलए

से संबंधित मामलों के लिए डाटाबेस एकत्र करना तथा सृजित करने हेतु, फेमा तथा पीएमएलए मामलों के लिए एक वेब आधारित अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) विकसित किया गया है। इसे एएस पी में विकसित किया गया है। उपयोगकर्ताओं के लिए यूजर्स फ्रेंडली अंतरापृष्ठ उपलब्ध कराने के लिए नेट तकनीक तथा डाटा स्टोर करने के लिए बैकेंड डाटाबेस के रूप में एस क्यू एल सर्वर उपयोग किया गया है। फार्मों को यूजर्स फ्रेंडली अंतरापृष्ठ के अनुरूप डिजाइन किया गया है।

(xi) **नोटिस बोर्ड अनुप्रयोग (एप्लीकेशन):-** विभिन्न परिपत्र/डाउनलोड किए जाने वाले फार्मों/प्रशिक्षण संबंधी सूचना/फेमा/पीएमएलए आदि के तहत महत्वपूर्ण निर्णयों आदि को अपलोड करने/प्रकाशित करने/देखने के लिए एक नया अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) 'नोटिस बोर्ड' विकसित किया गया है। अपलोड की गई सूचना को प्रमुख श्रेणी तथा उसके तहत उप-श्रेणियों में रखा गया है। ऑन लाइन करते ही प्रमुख श्रेणियों की सूची दिखाई देगी जिस पर हाइपर लिंक होगा, जो कि इन प्रमुख श्रेणी की अपलोड की गई सूचना को प्रदर्शित करेगा। यह एप्लीकेशन 'आर ओ एल ई' आधारित है तथा इनमें चार पूर्व परिभाषित रोल (आर ओएल ई) अर्थात्- 'प्रशासन', 'प्रविष्टि', 'प्रकाशन' तथा 'देखें' हैं। इसके अतिरिक्त विकल्प भी हैं जोकि विभिन्न मानदंडों जैसे श्रेणी, परिपत्र वर्ष, परिपत्र संख्या तथा विषय पर आधारित शंकाओं के समाधान पर आधारित है।

17.5 लोक/शिकायत निपटान तंत्र

लोक/स्टाफ शिकायतों के निवारण के लिए निदेशालय के मुख्यालय कार्यालय तथा जोनल/उप-जोनल कार्यालय में शिकायत अधिकारी नामित किये गये हैं तथा शिकायतों को दूर करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाती है ।

17.6 जेंडर बजटिंग/महिला सशक्तिकरण:-

कार्य स्थल पर उत्पीड़न के संबंध में इस निदेशालय की एक महिला कर्मचारी से प्राप्त शिकायत संबंधी एक मामला यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु समिति को भेज दिया गया है।

17.7 निःशक्तता क्षेत्र और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए किए गए कार्यकलाप ।

निदेशालय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुवर्तन और अनुपालन सुनिश्चित करता है ।

प्रवर्तन निदेशालय					
वर्ष 2013-14 के लिए जनवरी, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक के सांख्यिकीय आंकड़े					
क	तलाशियां और जक्तियां	फेमा			
1.	ली गई तलाशी	69			
2.	जब्त की गई विदेशी मुद्रा (रु0 लाख में)	210.92			
3.	जब्त भारतीय मुद्रा (रु0 लाख में)	545.54			
ख.	जांच	फेमा			
1.	आरंभ की गई	1733			
2.	निपटाई गई	1533			
3.	लम्बित	5955			
4.	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	566			
ग	न्यायनिर्णयन	फेरा		फेमा	कुल
1.	न्यायनिर्णयित मामले	122	+	832	954
2.	न्याय निर्णय के लिए लंबित मामले	1079	+	1513	2592
3.	विदेशी मुद्रा की जब्ती (रु0 लाख में)	2.13	+	80.23	82.36
4.	भारतीय मुद्रा की जब्ती (रु0 लाख में)	1.79	+	365.757	367.547
घ	शास्तियां	फेरा		फेमा	कुल
1.	लगाई गई (रु0 लाख में)	852.48	+	18488.856	19341.336
2.	वसूली गई (रु0 लाख में)	434.98	+	718.32	1153.3
3.	वसूली के लिए लम्बित (रु0 लाख में)	870221.87	+	173664.17	1043886.04
ङ.	कोफेपोसा	फेरा		फेमा	कुल
1.	जारी किए गए आदेश	0	+	3	3
2.	नजरबंद किए गए	0	+	2	2
च	अभियोजना	फेरा			कुल
1.	निपटान के लिए	93			93
i)	दोषसिद्धि के लिए	60			60
ii)	रिहाई के लिए	12			12
iii)	मुक्ति के लिए	17			17
iv)	वापिस लिए गए	1			1
v)	अन्यथा निपटाए गए	3			3
vi)	घटाए गए मामले	0			0
2.	लंबित	3307			3307

अनुबंध-II

01.01.2013 से 31.12.2013 तक की अवधि के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए) के मामलों के सांख्यिकीय आंकड़े

क्रम सं०	मुख्य कार्य	माह के अंत तक कुल आंकड़े
1.	पंजीकृत (नेट) ई सी आई आर की संख्या	-12
2.	जारी किए गए अनंतिम कुर्की आदेशों की सं०	84
3.	कुर्की के अधीन संपत्तियों का मूल्य (रु० लाख में)	85080.56
4.	पुष्ट अनंतिम कुर्की आदेशों की सं०	49
5.	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए गए अनंतिम कुर्की आदेशों के अंतर्गत परिसंपत्तियों का मूल्य (रु० लाख में)	150632.051
6.	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पुष्ट न किए गए अनंतिम कुर्की आदेशों की सं०	1 (आंशिक रूप से)
7.	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पुष्ट न किए गए अनंतिम कुर्की आदेशों के संबंध में परिसंपत्तियों का मूल्य (रुपये लाख में)	208.92
8.	अधिकरण के समक्ष अपीलों की सं०	
	(क) पक्ष द्वारा दायर	178
	(ख) निदेशालय द्वारा दायर	1
	कुल:	179
9.	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं०	1
10.	मामलों की सं० जिनमें अभियोजन शिकायत दायर की गई	24

प्रवर्तन निदेशालय					
वर्ष 2012-13 के लिए जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक के सांख्यिकीय आंकड़े					
क	तलाशियां और जक्तियां	फेमा			
1.	ली गई तलाशी	20			
2.	जब्त की गई विदेशी मुद्रा (रु0 लाख में)	34.23			
3.	जब्त भारतीय मुद्रा (रु0 लाख में)	181.76			
ख.	जांच	फेमा			
1.	आरंभ की गई	990			
2.	निपटाई गई	1055			
3.	लम्बित	5755			
4.	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	455			
ग	न्यायनिर्णयन	फेरा		फेमा	कुल
1.	न्यायनिर्णयित मामले	43	+	214	257
2.	न्याय निर्णय के लिए लंबित मामले	1186	+	1779	2965
3.	विदेशी मुद्रा की जब्ती (रु0 लाख में)	0	+	2.09	2.09
4.	भारतीय मुद्रा की जब्ती (रु0 लाख में)	5.26	+	64.81	70.07
घ	शास्तियां	फेरा		फेमा	कुल
1.	लगाई गई (रु0 लाख में)	125.54	+	861.845	987.385
2.	वसूली गई (रु0 लाख में)	389.57	+	58.81	448.38
3.	वसूली के लिए लम्बित (रु0 लाख में)	870340.52	+	155974.71	1026315.23
ङ.	कोफेपोसा	फेरा		फेमा	कुल
1.	जारी किए गए आदेश	0	+	0	0
2.	नजरबंद किए गए	0	+	1	1
च	अभियोजना	फेरा			कुल
1.	निपटान के लिए	383			383
i)	दोषसिद्धि के लिए	64			64
ii)	रिहाई के लिए	4			4
iii)	मुक्ति के लिए	5			5
iv)	वापिस लिए गए	7			7
v)	अन्यथा निपटाए गए	13			13
vi)	घटाए गए मामले	290			290
2.	लंबित	3397			3397

**01.01.2012 से 31.12.2012 तक की अवधि के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम
(पी एम एल ए) के मामलों के सांख्यिकीय आंकड़े**

क्रम सं०	मुख्य कार्य	माह के अंत तक कुल आंकड़े
1.	पंजीकृत (नेट) ई सी आई आर की संख्या	153
2.	जारी किए गए अनंतिम कुर्की आदेशों की सं०	50
3.	कुर्की के अधीन संपत्तियों का मूल्य (रु० लाख में)	198701.66
4.	पुष्ट अनंतिम कुर्की आदेशों की सं०	41
5.	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए गए अनंतिम कुर्की आदेशों के अंतर्गत परिसंपत्तियों का मूल्य (रु० लाख में)	13950.889
6.	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा अभी पुष्ट न किए गए लंबित अनंतिम संपत्ति कुर्की आदेशों की सं०	8
7.	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पुष्ट न किए गए अनंतिम कुर्की आदेशों की सं०।	0
8.	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पुष्ट न किए गए अनंतिम कुर्की आदेशों के संबंध में परिसंपत्तियों का मूल्य (रुपये लाख में)	76.24
9.	अधिकरण के समक्ष अपीलों की सं०	
	क) पक्ष द्वारा दायर	126
	ख) निदेशालय द्वारा दायर	2
	कुल:	128
10.	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	3
11.	मामलों की सं० जिनमें अभियोजन शिकायत दायर की गई	4

18. भारत वित्त आसूचना एकक-भारत (एफआईयू-इंड)

18.1 भारत वित्त आसूचना एकक की पृष्ठभूमि एवं क्रियाकलाप:

भारत वित्त आसूचना एकक (एफआईयू-इंड) की स्थापना भारत सरकार ने धन शोधन तथा उससे संबंधित अपराधों से लड़ने हेतु एक प्रभावी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय आसूचना के संग्रहण तथा आदान-प्रदान के समन्वय तथा उसे मजबूत करने हेतु की थी।

एफआईयू इंड के मुख्य कार्यों में निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले शामिल हैं।

- (क) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पी एम एल ए) के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार रिपोर्टकर्ता इकाइयों से प्राप्त सूचना/रिपोर्टों का विश्लेषण तथा आगे कार्रवाई हेतु प्राधिकृत घरेलू एजेंसियों को उनका प्रसार करना।
- (ख) पी एम एल ए के प्रावधानों को लागू करना, जहाँ तक इसका संबंध भारत-वित्त आसूचना एकक से है।

(ग) एगमोंट ग्रुप तथा विदेशी एफ आई यू से सूचना का आदान-प्रदान।

(घ) रिपोर्टकर्ता इकाइयों तथा उनके विनियामकों तथा घरेलू एजेंसियों के साथ परस्पर संपर्क, जिन्हें आई एफ यू-इंड से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, जिनमें ए एम एल/सी एफ टी के बारे में जागरूकता का सृजन करना, क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण शामिल हैं।

18.2 वर्ष 2013-14 (मार्च 2014 तक) के दौरान प्रमुख कार्य-निष्पादन/उपलब्धियां की मुख्य-मुख्य बातें

सूचना का संग्रहण

- 9.6 मिलियन नकद संव्यवहार रिपोर्ट (सी टी आर) प्राप्त; 99.95 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक रूप में।
- 54,000 संदिग्ध सव्यवहार रिपोर्ट (एस टी आर) प्राप्त।
- 4,50,000 जाली मुद्रा रिपोर्ट (सी सी आर) प्राप्त।

सूचना का विश्लेषण तथा प्रसारण

- 2,4,132 एस टी आर पर कार्रवाई की गई ।
- 14,729 एस टी आर प्रसारित की गई ।

घरेलू कानून प्रवर्तन तथा आसूचना एजेंसियों के साथ सहयोग ।

- नियमित वार्तालाप एवं सूचना का आदान प्रदान
- आसूचना एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त हुए तथा 500 से अधिक मामलों में सूचना प्रदान की गई।
- एजेंसियों के अनुरोध पर 534 मामलों में सूचना प्रदान की गई ।

क्षेत्रीय और वैश्विक ए एम एल/सी एफ टी प्रयास

- विदेशी एफ आई यू से 89 अनुरोध प्राप्त ।
- 77 अनुरोध विदेशी एफ आई यू को भेजे गए ।

धन-शोधन तथा आतंकी वित्त-पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना

- 52 सेमीनारों और प्रशिक्षण कार्यशालाओं में योगदान, जिनमें 2,077 प्रतिभागी शामिल थे।
- ए एम एल/सी एफ टी क्षमता बढ़ाने हेतु "प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण" कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिनमें 160 प्रतिभागी शामिल थे।

पी एम एल ए की अनुपालना को बेहतर बनाना ।

- प्रमुख अधिकारियों के साथ 25 समीक्षा बैठकें आयोजित की गई ।

विधिक एवं विनियामक रूप-रेखा (फ्रेमवर्क) पर जोर देना

- राजस्व विभाग और विनियामकों के साथ नियमित बातचीत ।
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 तथा पीएमएल (रिकार्डों की देख-रेख) नियमावली, 2005 में संशोधनों को तैयार करने में सहभागिता।
- जोखिम आधारित दृष्टिकोण को विकसित करने तथा राष्ट्रीय एम एल/टी एफ जोखिम निर्धारण की रूपरेखा हेतु ए एम एल संचालन समिति की कार्यवाहियों में भागीदारी करना।

सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना को मजबूत बनाना ।

- प्रोजेक्ट फिननेट के सभी तीनों संघटकों को चालू किया गया है।
- प्रोजेक्ट फिननेट का चौथ चरण स्वीकृत। अनुरक्षण चरण चालू हो गया है।
- सूचना का शुरु से अन्त तक प्रसारण का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन।

- नई रिपोर्टों तथा रिपोर्टकर्ता इकाइयों को शुरू करने के साथ-साथ रिपोर्टों की संख्या में वृद्धि की दृष्टि से प्रोजेक्ट फिननेट के आगामी विस्तार तथा समेकन हेतु योजना ।

18.3 ई-गवर्नेंस गतिविधियां

- क भारत-वित्त आसूचना एकक ने 2006 में प्रोजेक्ट फिननेट को शुरू किया, जिसका उद्देश्य है "धन शोधन एवं संबंधित अपराधों से लड़ने के लिए उद्योग की बेहतर प्रक्रियाओं एवं उपयुक्त तकनीक को मूल्यवान वित्तीय सूचना के एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं प्रचारित करने के लिए अपनाया जाना" ।
- ख मार्च 2007 के दौरान पहला चरण प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रोजेक्ट फिननेट के कार्यात्मक और तकनीकी विनिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया और सिस्टम इंटीग्रेटर (एस आई) के चयन के लिए एक विस्तृत अनुरोध प्रस्ताव (आर एफ पी) को भी अंतिम रूप प्रदान किया गया था ।
- ग दूसरा चरण 25 फरवरी, 2010 में एस आई के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के साथ शुरू हुआ। प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु सभी चरणों को पूरा कर लिया गया है और दिनांक 20 अक्टूबर, 2012 से गेटवे पोर्टल काम करने लगा है ।
- घ प्रोजेक्ट फिननेट के कार्यान्वयन सहित, पुराने फिक्स्ड मल्टिपल डाटा फाइल्स रिपोर्टिंग फॉर्मेट की जगह नया सिंगल एक्स एम एल फाइल फॉर्मेट लगा दिया गया है । भारत वित्त आसूचना एकक ने रिपोर्टकर्ता इकाइयों को फिननेट गेटवे पोर्टल के जरिए रिपोर्टों को प्रस्तुत करने में सुविधा देने के लिए रिपोर्ट जनरेशन उपयोगिता तथा रिपोर्ट वैधीकरण उपयोगिता प्रदान की है । फिननेट एक्सचेंज (फिनेक्स) देशी एजेंसियों को नियमित रूप से सूचना का आदान-प्रदान करने में समर्थ है । फिनेक्स उपयोगकर्ताओं अर्थात् देशी आसूचना/कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पोर्टल की सहायता से एफ आई यू से सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध करने में भी समर्थ है ।

19. एकीकृत वित्त प्रभाग

राजस्व विभाग का एकीकृत वित्त प्रभाग संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (वित्त) के सीधे पर्यवेक्षण में है । इसकी तीन यूनितें, राजस्व विभाग, प्रत्यक्ष करों एवं अप्रत्यक्ष करों से संबंधित अनुदानों संबंधी बजट, वित्त तथा व्यय प्रबंधन का कार्य करती हैं । निदेशक (वित्त), राजस्व विभाग, उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क विभाग तथा निदेशक, (वित्त) प्रत्यक्ष कर/व्यय, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार की सहायता करते हैं।

19.1. एकीकृत वित्त प्रभाग द्वारा किये गये कार्यकलाप:

एकीकृत वित्त प्रभाग की तीनों यूनितें बजट तैयार करने, आवंटन, व्यय मॉनिटरिंग, नियंत्रण, अर्थव्यवस्था लागू करना, क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रत्यायोजित शक्तियों से परे व्यय प्रस्तावों की संवीक्षा एवं मंजूरी के संबंध में राजस्व विभाग के अंतर्गत उन सभी कार्यालयों

को सेवाएं प्रदान करती हैं जिनमें अन्यो के साथ-साथ राजस्व मुख्यालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, स्वापक नियंत्रण प्रभाग, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, मुख्य नियंत्रक फैक्टरी, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, वित्तीय आसूचना एकक/(वि०आ०ए० भा०), प्रवर्तन निदेशालय, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपील अधिकरण(सीस्टेट), समझौता आयोग(आई टी/डब्ल्यू टी), अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण, पी एम एल ए के अंतर्गत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण, आयकर लोकपाल, राष्ट्रीय सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण संवर्धन समिति, आयकर विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय, जिनमें आयकर (प्रणाली) महानिदेशालय, आयकर (विधिक एवं अनुसंधान) महानिदेशालय, आयकर (संगठन और प्रबंध सेवा) निदेशालय, आयकर (अवसंरचना) निदेशालय, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी शामिल है और केन्द्रीय उ.शु. बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सभी अन्य क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय उ.शु. एवं सी.शु. के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रीय कार्यालय, जिनमें प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन महानिदेशालय, मानव संसाधन विकास महानिदेशालय, राजस्व आसूचना महानिदेशालय, केन्द्रीय उ.शु. आसूचना महानिदेशालय, सेवा कर महानिदेशालय, राष्ट्रीय सी.शु.उ.शु. एवं स्वापक अकादमी, आदि शामिल हैं।

19.2 व्यय एवं वित्तीय प्रस्तावों के विवरण जिनकी संवीक्षा की गई व मंजूर किये गये:

- (क) राजस्व विभाग के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय और इसके संबद्ध कार्यालयों के लिए पदों का सृजन एवं जारी रखना, रिहायशी आवासों के साथ-साथ कार्यालयों का विनिर्माण/क्रय/किराये पर लेना ।
- (ख) तस्करीरोधी उपकरणों जैसे स्कैनर व जलयान प्राप्त करने सहित सामान व सेवाएं उपलब्ध करना ।
- (ग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के विभागीय अधिकारियों की विदेश में प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव।
- (घ) पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं संघटक एककों में कार्मिकों की पुनः तैनाती ।
- (ङ.) सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों एवं आयकर क्षेत्रीय कार्यालयों सहित राजस्व विभाग और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों का व्यापक कम्प्यूटरीकरण।
- (च) मूल्यवर्धित कर (वैट) के प्रयोजनों के लिए राज्यों का कम्प्यूटरीकरण।
- (छ) सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य (जी ओ ए डब्ल्यू) के कार्यों की देखभाल करने वाली राजस्व विभाग के अंतर्गत प्रबंधन समिति(सी ओ एम) से प्राप्त प्रस्ताव ।
- (ज) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान तथा केन्द्रीय राजस्व खेलकूद बोर्ड को सहायता अनुदान।

(झ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड/के.उ.शु. एव सी.शु. बोर्ड की व्यापक कम्प्यूटरीकरण योजना, पूंजीगत व्यय, जिनमें तीनों विभागों के लिए कार्यालय/आवासीय परिसरों एवं निर्मित कार्यालय/आवासीय भवनों का निर्माण, वाणिज्यिक करें हेतु मिशन मोड परियोजना (एम एम पी-सी टी) तथा पूर्वोत्तर वैट(एन ई वैट) कंप्प्यूटरीकरण परियोजना शामिल है, के संबंध में स्थायी वित्त समिति (एस एफ सी), योजनेतर व्यय समिति (सी एन ई) एवं आर्थिक कार्यों के लिए मंत्रिमंडल समिति (सी सी ई ए) हेतु प्रस्ताव।

(ञ) सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण निधि एवं विशेष उपकरण निधि से वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए प्राप्त प्रस्ताव। मनोरंजन/खेलकूद क्लब, जिम्मेजियम्स, विभागीय कैन्टीन, विभागीय अधिकारियों के बच्चों के लिए क्रेच तथा अतिथि गृह स्थापित करने/उन्हें पुनः सजाने के संबंध में मानकों का पुनरीक्षण को अंतिम रूप प्रदान किया गया। बालिकाओं और 'घ' वर्ग के कर्मचारियों के बच्चों को विशेष महत्व देते हुए मेधावी बच्चों के लिए नकद पुरस्कार योजना के स्कोप को संशोधित किया गया । इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों के कई और बच्चों को लाभ मिला।

(ट) व्यय विभाग/वित्त मंत्री की मंजूरी प्राप्त करने के लिए 1 प्रतिशत वृद्धिशील राजस्व प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बजट प्रावधानों का उपयोग करने के लिए के०प्र०क०बोर्ड/के०उ०शु०सी० बोर्ड द्वारा प्रस्तावित योजनाएं ।

(ठ) वित्तीय नियमों में छूट/व्याख्या संबंधी प्रस्ताव तथा ऐसे सभी प्रस्ताव जिन्हें विचारार्थ व्यय विभाग को भेजना अपेक्षित है।

19.2.1 राजस्व विभाग का व्यय बजट/कर रहित राजस्व प्राप्तियां, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष करों का बजट अनुमान 2013-14/ संशोधित अनुमान 2013-14 और बजट अनुमान 2014-15 तैयार किया गया, सचिव (व्यय) के साथ इन पर विचार-विमर्श किया गया तथा निम्न प्रकार से अंतिम रूप दिया गया -

(करोड़ रुपये में)

अनुदान	अनुदान सं०	2013-14		2014-15
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
राजस्व विभाग	42	10217.90	2713.87	832.91
प्रत्यक्ष कर	43	4361.89	4179.54	5094.89
अप्रत्यक्ष कर	44	3979.50	3943.56	5155.33

19.2.2 एकीकृत वित्त प्रभाग द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान उठाये गये कदम/की गई पहल इस प्रकार है :-

- (i) बजट प्रभाग द्वारा यथा परिकल्पित मासिक व्यय योजना (एम ई पी)एवं त्रैमासिक व्यय हेतु आवंटनों (क्यू ई ए) के अनुसार नकद प्रबंध योजना का कार्यान्वयन ।

- (ii) बजटीय आवंटनों एवं मासिक व्यय योजना (एम ई पी)/ त्रैमासिक व्यय हेतु आवंटनों की तुलना में मासिक व तिमाही व्यय की समीक्षा करना, तथा त्रैमासिक डी ओ पत्रों के माध्यम से राजस्व सचिव एवं व्यय सचिव को रिपोर्ट करना ।
- (iii) व्यय विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता संबंधी अनुदेशों के अनुरूप खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए व्यय करने वाले प्राधिकारियों को परामर्श देना तथा किये गये खर्च की आवधिक समीक्षा द्वारा खर्च में किफायत के अनुदेशों को लागू करना।
- (iv) परिणामी बजट को तैयार करना व इसकी समीक्षा, तथा महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे वैट/केन्द्रीय बिक्री कर (सी एस टी) लागू करने से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति तथा वैट योजना के कार्यान्वयन के संबंध में लक्ष्यों व बजटीय आवंटन के संदर्भ में आउटपुट्स की मॉनिटरिंग की गई; कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली (टिनेकस) स्थापित करना; सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य, आयकर विभाग का व्यापक कम्प्यूटरीकरण; आवासीय एवं कार्यालय हेतु स्थान का अभिग्रहण; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के ई-प्रशासन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाना; समुद्री क्षमता को मजबूत करने के लिए जहाजों और बेड़े प्राप्त करना और तस्करि रोधी उपकरण प्राप्त करना।

19.2.3 इसके अतिरिक्त, अग्रिमों, जैसे गृह निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम, कम्प्यूटर अग्रिम आदि से संबंधित बजट का आवंटन एवं मॉनिटरिंग भी की गई ।

19.2.4 एकीकृत वित्त प्रभाग महत्वपूर्ण व्यय प्रस्तावों की स्कीमों को तैयार करने की प्रारंभिक अवस्था से उन पर नजर रखता रहा है तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, ड्राफ्ट लेखा परीक्षा पैरों तथा पी ए सी/स्थायी समिति की रिपोर्टों के निपटान पर भी नजर रख रहा है।

20. सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय समिति द्वारा संचालित महत्वपूर्ण मुद्दों का सार

20.1 सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के संवर्द्धन के लिए समिति का गठन भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति, पी. एन भगवती की अध्यक्षता में 1992 की शुरुआत में किया गया था । यह समिति न्यासों/संस्थानों की ओर से खेलों को बढ़ावा देने, सामाजिक और आर्थिक कल्याण, प्रदूषण नियंत्रण संबंधी परियोजनाओं के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 क ग के तहत अधिसूचना हेतु केन्द्र सरकार को सिफारिश करती है । स्वीकृत परियोजनाओं का वित्त-पोषण दान के माध्यम से होता है, जिस पर दानकर्ता को आयकर कानून के तहत 100 प्रतिशत कर से छूट मिलती है ।

20.1.1 सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय समिति तीन (03) वर्षों की अवधि के लिए गठित की जाती है और इसमें अध्यक्ष सहित कुल 14 सदस्य होते हैं । सरकार भारत के किसी पूर्व मुख्य न्यायधीश को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है और अन्य 13 सदस्य विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों से लोक महत्व के होते हैं । राष्ट्रीय समिति सचिवालय में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- सचिव (संयुक्त सचिव स्तर के);
- निदेशक /उप सचिव; तथा
- अनुभाग अधिकारी और स्टाफ

20.1.2 वर्तमान में सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्द्धन के लिए वर्तमान राष्ट्रीय समिति का पुनर्गठन किया गया और बाद में तीन वर्ष की अवधि के लिए 4 मार्च, 2014 को अधिसूचित किया गया । समिति के सदस्यों के नाम निम्न प्रकार से हैं:-

क्रम सं०	समिति सदस्य के नाम	पदनाम	स्थान
1.	न्यायमूर्ति श्री आर. सी. लाहोटी	अध्यक्ष	नोएडा, उत्तर प्रदेश
2.	श्री अमरदीप सिंह चीमा	सदस्य	बटाला, पंजाब
3.	श्री अमिया कुमार शर्मा	सदस्य	गुवाहाटी, असम
4.	श्री बलदेव चौधरी	सदस्य	लखनऊ, उत्तर प्रदेश
5.	सुश्री चेतना सिन्हा	सदस्य	सतारा, महाराष्ट्र
6.	श्री डी० आर० मेहता	सदस्य	जयपुर, राजस्थान
7.	श्री एनरिको पिपेरनो	सदस्य	कोलकाता, पश्चिम बंगाल
8.	श्री हबीब ए. फकिह	सदस्य	मुंबई, महाराष्ट्र
9.	प्रो० नलादी समुयेलू	सदस्य	गुंटूर, आंध्र प्रदेश
10.	डॉ० नरेश गुप्ता	सदस्य	नई दिल्ली
11.	श्री संजीव कुमार अरोड़ा	सदस्य	नई दिल्ली
12.	सुश्री शमीम रैना	सदस्य	श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर
13.	सुश्री शशिकला वमानन	सदस्य	चेगलपट्ट, तमिलनाडु
14.	श्री विनायक लोहानी	सदस्य	कोलकाता, पश्चिम बंगाल

20.1.3 राष्ट्रीय समिति के प्रचार्य तथा प्रक्रियाएं आयकर नियमावली, 1962 के 11-च से 11-ण तक के नियमों द्वारा प्रशासित होते हैं। आयकर नियम, 1962 के नियम 11 ट तथा 11 ड में आवेदनों को भरने की प्रक्रिया तथा तरीके के बारे में बताया गया है जिनके अनुसार राष्ट्रीय समिति आवेदनों, पर विचार करती है तथा निर्णय लेती है। आवेदनों के प्राप्त होने पर राष्ट्रीय समिति सचिवालय कार्यवाही करता है तथा जांच करता है और यह सत्यापित करता है कि वे हर तरीके से पूरे हैं तथा नियम के तहत अपेक्षित सभी दस्तावेज/सूचना इसके साथ संलग्न हैं।

20.1.4 उसके बाद, आवेदन के मुख्य बिन्दुओं को शामिल करते हुए मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है तथा राष्ट्रीय समिति के विचार हेतु प्रस्तुत की जाती है। राष्ट्रीय समिति परियोजना/स्कीम के अनुमोदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। समिति केवल अपने किए गए निर्णयों के संक्षिप्त निष्कर्षों का ही रिकार्ड रखती है। समिति केन्द्र सरकार को इस परियोजना अथवा योजना की सिफारिश भी करती है ताकि पात्र परियोजना अथवा योजना के रूप में इसे अधिसूचित किया जा सके। किसी परियोजना अथवा योजना को अनुमोदन प्रदान करने का समिति का निर्णय सिफारिशी प्रकृति का होता है तथा केन्द्र सरकार की स्वीकृति के अध्वधीन होता है। ऐसे मामलों में जिनमें संस्थान/संस्था की परियोजना/योजना की सिफारिश समिति द्वारा की जाती है तथा जिन पर केन्द्र सरकार अपनी स्वीकृति देती है, उन्हें सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है और ऐसे मामले जिनमें समिति योजना या परियोजना को अनुमोदन के योग्य नहीं पाती तो समिति का निर्णय राष्ट्रीय समिति सचिवालय द्वारा आवेदकों को सूचित किया जाता है।

20.1.5 वित्तीय वर्ष 2013-14 में न्यायमूर्ति श्री एस. पी. भरूचा की अध्यक्षता में समिति की कुल तीन(03) कारोबारी बैठकें आयोजित हुई इस समिति का कार्यकाल 28.02.2014 तक का था, इन बैठकों में 235 नए आवेदनों/ परियोजनाओं पर विचार किया गया और 64 मामलों की अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई। इन 64 में से 62 मामलों को अधिसूचित किया गया जबकि 2 मामलों को कतिपय सूचना के अभाव में अभी अधिसूचित किया जाना है। न्यायमूर्ति श्री आर. सी. लाहोटी की अध्यक्षता वाली वर्तमान समिति ने वर्ष 2013-14 में कोई बैठक आयोजित नहीं की है।

20.1.6 राष्ट्रीय समिति के अनुमोदन हेतु ऑनलाइन आवेदन फाइल करने की सुविधा प्रदान करना सम्भव नहीं है चूंकि समिति को आगे मामले की प्रक्रिया में आवेदकों से प्रमाणित दस्तावेज/सूचना की हार्ड कापी अपेक्षित होती है।

21. राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान

21.1 राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान का आम जनता के साथ कोई सीधा सम्पर्क नहीं है, अतः जन सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता के लिए उनके प्रयास का उल्लेख करने के लिए कुछ भी नहीं है। तथापि, इस वर्ष भी नीति परामर्श के द्वारा संस्थान के सहयोग से देश में आंतरिक और बाह्य वित्तीय संतुलन को बनाए रखने में काफी हद तक सहायता मिली है। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में 1976 में स्थापित यह संस्थान लोक वित्त और राजकोषीय नीति पर एक महत्वपूर्ण विशेषज्ञ दल के रूप में विकसित हुआ है। शासी निकाय के अध्यक्ष एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री होते हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष प्रो० सी. रंगराजन इस शासी निकाय के अध्यक्ष हैं। सचिव (राजस्व), सचिव (आर्थिक कार्य) और वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार सरकारी प्रतिनिधि होते हैं। शासी निकाय में तीन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री होते हैं और फिक्की (एफ आई सी सी आई) और एसोचैम(ए एस एस ओ सी सी एच ए एम) इसके प्रतिनिधि होते हैं। निदेशक को सलाह देने हेतु एक अकादमी समिति होती है।

21.2 कर नीति और संचालन, लोक व्यय और नियंत्रण, लोक ऋण और इसका प्रबंधन, अंतः सरकारी राजकोषीय संबंध, आर्थिक और लोक वित्त के अन्य पहलुओं के अलावा लोक और औद्योगिक उपक्रमों के मूल्यनिर्धारण से संबंधित मामलों में अनुसंधान किए थे जिससे मध्य में दीर्घकालीन समय सीमा में भारतीय अर्थव्यवस्था की कार्य क्षमता, वृद्धि क्षमता और प्रतियोगिता क्षमता में अच्छे परिणाम निकले।

21.3 संस्थान में लोक सेवकों और नीति निर्माताओं के लिए कई प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, सेमिनारों और नीति वार्ताओं का आयोजन करके और इसकी अनुसंधान सफलताओं का प्रचार-प्रसार करके उपर्युक्त मामलों को बेहतर तरीके से समझने और इसमें सुधार किया है। क्रमिक वित्तीय आयोगों, उच्च स्तरीय समितियों में एन आई पी एफ पी संकाय के विशेषज्ञों की सलाह से नीति निर्माताओं को बेहतर आर्थिक अनुशासन लाकर राजस्व घाटे को दूर करने के लिए योजनाएं बनाने में सहायता मिली है।

22. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

22.1 राजस्व विभाग के अंतर्गत एक पूर्ण राजभाषा प्रभाग है जिसे भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। इस प्रभाग के प्रमुख निदेशक(राजभाषा) हैं और यह प्रभाग चार हिन्दी अनुभागों के माध्यम से कार्य करता है; प्रत्येक अनुभाग का प्रमुख एक

सहायक निदेशक(राजभाषा) होता है और दो उप निदेशक(राजभाषा) इनका पर्यवेक्षण करते हैं। यह प्रभाग संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी कार्य और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं अनुदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है। विभाग का अंग्रेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से अंग्रेजी का सम्पूर्ण अनुवाद कार्य भी राजभाषा प्रभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

राजस्व विभाग राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित है। विभाग के 8 अनुभागों को अपना संपूर्ण सरकारी कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है।

22.2 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान राजभाषा प्रभाग का निष्पादन:

- (क) के.उ.शु. एवं सी.शु. बोर्ड, के.प्र.कर बोर्ड एवं राजस्व मुख्यालय से संबंधित सभी दस्तावेज राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के तहत द्विभाषी रूप में जारी किए गए;
- (ख) सभी राजपत्रित अधिसूचनाएं, संसदीय प्रश्नों के उत्तर और आश्वासन द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराए गए;
- (ग) मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणियों और मासिक सारांश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर), वार्षिक रिपोर्ट एवं वित्त मंत्रालय के परिणामी बजट का हिन्दी अनुवाद किया गया है और उन्हें द्विभाषी रूप से उपलब्ध कराया गया;
- (घ) दोहरे कराधान को रोकने के लिए अनेक देशों के साथ किए गए करारों का भी हिन्दी अनुवाद किया गया।
- (ङ) राजस्व विभाग(मु0), के.उ.शु. एवं सी.शु. बोर्ड और के.प्र.कर बोर्ड के सभी अनुभागों से प्राप्त सामग्री का हिंदी अनुवाद किया गया और उसे मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

22.3 राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें:

राजस्व विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीन बैठकें दिनांक 11 अप्रैल, 2013, 27 जून, 2013 तथा 24 सितम्बर, 2013 को आयोजित की गईं। इस बैठक में संघ की राजभाषा नीति को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने हेतु किये जाने वाले उपायों पर सदस्यों ने विचार विमर्श किया। इसके अतिरिक्त, राजस्व विभाग के राजभाषा विभाग के प्रतिनिधियों ने दिल्ली स्थित संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भी भाग लिया।

22.4 राजभाषा संबंधी निरीक्षण:

22.4.1 संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा वर्ष के दौरान इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क/आयकर के 11 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और संबंधित कार्यालयों द्वारा रोजमर्रा कार्य में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग हेतु समिति द्वारा दिए गए मूल्यवान सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की गई।

22.4.2 कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए विभाग के हिन्दी प्रभाग के अधिकारियों द्वारा रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग के 8 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने हेतु सुझाव दिए गये।

22.5 हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा:

22.5.1 हिन्दी दिवस के अवसर पर माननीय वित्त मंत्री जी की ओर से संदेश जारी किया गया जिसमें विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना दिन-प्रतिदिन का सरकारी कामकाज अधिकाधिक हिन्दी में करने का आग्रह किया गया।

22.5.2 1 सितम्बर, 2013 से 16 सितम्बर, 2013 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान हिन्दी टिप्पणी एवं मसौदा आलेखन, निबंध लेखन, आशु भाषण, प्रश्न मंच, हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान हिन्दी में अधिकतम कार्य करने के लिए भी एक प्रोत्साहन योजना थी। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को 5000/-रु० (प्रथम पुरस्कार), 3000/- रु० (द्वितीय पुरस्कार) एवं 2000/-रु० (तृतीय पुरस्कार) तथा 1000/-रुपये के तीन प्रोत्साहन पुरस्कार नकद दिए गये।

22.6 प्रोत्साहन योजनाएं:

राजभाषा विभाग की प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत टिप्पणी और मसौदा आलेखन और अन्य सरकारी कार्य हिन्दी में करने वाले कर्मचारियों को 2000/-रु०, 1200/-रु० और 600 रु० के नकद पुरस्कार दिए जाते हैं।

22.7 प्रशिक्षण:

वर्ष 2013-14 के दौरान 05 अवर श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों/सहायकों तथा 7 आशुलिपिकों को क्रमशः हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया।

22.8 हिन्दी कार्यशाला:

हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों की हिन्दी में काम करने की झिझक को दूर करने के लिए दिनांक 10 एवं 11 जुलाई, 2013 को एक विभागीय दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 13 कर्मचारियों को हिन्दी टिप्पण/आलेखन में प्रशिक्षण दिया गया।

23. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

23.1 राजस्व मुख्यालय

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के अनुसरण में, तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुसार राजस्व विभाग में एक अलग आरटीआई कक्ष स्थापित किया गया है। इस विभाग में कार्यरत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों के ब्यौरे विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई आवेदनों/अनुरोधों के निपटान के लिए निर्मित आंतरिक प्रक्रिया सुचारु रूप से कार्य कर रही है।

23.2 केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन पूर्णतः क्रियान्वित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर इन्हें संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी की कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जाता है।

वर्ष के दौरान 31.3.2014 तक 173 आर टी आई आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। 169 मामलों में उत्तर दे दिया गया था। 105 मामलों (14 आंशिक रूप से अस्वीकृत) में जानकारी प्रदान की गई, 46 मामलों (8 आंशिक रूप से अस्वीकृत) में आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया तथा 31.03.2014 को 8 आवेदन-पत्र प्रक्रियाधीन थे।

उपरोक्त आर टी आई आवेदन पत्रों के संबंध में केवल 4 अपील दायर की गई व निपटाई गई। तीसरे पक्ष को पैन नं० के प्रकटन से संबंधित एक अपील के मामले में दिनांक 1.04.2013 को केन्द्रीय सूचना आयोग (सी आई सी) के द्वारा निदेशालय के पक्ष निर्णय दिया गया है।

23.3 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

23.3.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के लागू होने के समय से ही इसके प्रावधानों को कार्यान्वित कर रहा है। इसके मुख्यालय में 32 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी पी आई ओ), प्रत्येक अनुभाग के लिए एक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में सी पी आई ओ द्वारा वर्ष 2013 के दौरान प्राप्त आवेदनों, अस्वीकृत आवेदनों तथा स्वीकृत अनुरोधों की संख्या निम्न प्रकार है:-

तिमाही समाप्त होने की तारीख	तिमाही के दौरान प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	धारा 6(3) के तहत अन्य लोक प्राधिकारियों को हस्तांतरित मामलों की संख्या	अस्वीकृत अनुरोधों की संख्या	स्वीकृत अनुरोधों की संख्या
31.03.2013	516	79	14	423
30.06.2013	616	93	12	511
30.09.2013	669	132	37	500
30.12.2013	1278	627	33	611

23.3.2 सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न आवेदकों से प्राप्त अपीलों के संबंध में निर्णय लेने के लिए 18 अपीलीय प्राधिकारी हैं। के.उ.शु. एवं सी.शु. बोर्ड के के.लो.सू. अधिकारियों द्वारा वर्ष 2013 के दौरान प्राप्त अपीलों, अस्वीकृत अपीलों तथा स्वीकृत अपीलों की संख्या निम्न रूप से है:-

तिमाही समाप्त होने की तारीख	तिमाही के दौरान प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	अस्वीकृत अपीलों की संख्या	स्वीकृत अपीलों की संख्या
31.03.2013	47	0	47
30.06.2013	63	2	60
30.09.2013	75	11	65
31.12.2013	115	20	95

23.3.3 इन तिमाहियों के दौरान धारा 7(i) के अंतर्गत एकत्रित रजिस्ट्रेशन फीस तथा धारा 7(3) के अंतर्गत एकत्रित अतिरिक्त शुल्क निम्न प्रकार है:-

तिमाही समाप्त होने की तारीख	धारा 7(1) के अंतर्गत एकत्रित फीस (रुपये में)	धारा 7(3) के अंतर्गत एकत्रित अतिरिक्त फीस (रुपये में)
31.03.2013	2370	9274
30.06.2013	2660	7928
30.09.2013	2940	12210
31.12.2013	2500	7500

23.3.4 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अधिनियम की धारा 4 के तहत सूचना का अपनी ओर से (सुओ-मोटो) करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन सभी दिशा-निर्देशों को कार्यान्वयन हेतु सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ बोर्ड के सभी केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों को परिचालित किया गया है। सी बी ई सी ने इन दिशा-निर्देशों के विभिन्न पैरों को लागू करने हेतु बोर्ड में संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों/अनुभागों को भी विनित किया है, जोकि निम्न तालिका में दिया गया है:-

क्र. सं०	पैरा सं०	कार्रवाई कर्ता
1.	1.0	जैसा नीचे दिया गया है
2.	1.1	लाजिस्टिक्स निदेशालय
3.	1.2	कोई नहीं
4.	1.3	प्रशासन प्रभाग
5.	1.4	सभी अनुभाग
6.	1.5	पीएसी प्रभाग
7.	1.6	डीजी (निरीक्षण)
8.	1.7	कोई नहीं
9.	1.8	रोकड़ अनुभाग, राजस्व विभाग
10.	2.0 (2.1 और 2.2)	डीजी (प्रणाली) एवं सभी अनुभाग
11.	3.1	डीजी (प्रणाली)
12.	3.2	कोई नहीं
13.	3.3	सभी अनुभाग
14.	3.4	सभी अनुभाग
15.	3.5	मानव संसाधन प्रभाग
16.	3.6	सभी अनुभाग
17.	4.0 (4.1 से 4.7 तक)	सभी अनुभाग
18.	5.0 (5.1)	सीएक्स-9 अनुभाग
19.	6.0 (6.1)	सभी अनुभाग

23.3.5 सभी संबंधित अनुभागों से की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा है।

23.3.5.1 सरकार ने आर टी आई पोर्टल भी शुरू किया है, जिसमें नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन दायर करने की सुविधा दी गई है। राजस्व विभाग से संबंधित आवेदनों को दो नोडल अधिकारियों द्वारा देखा जाता है, एक सीमा शुल्क के लिए और दूसरा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क से संबंधित शेष मामलों को देखता है। तत्पश्चात इन आवेदनों को ऑनलाइन ही संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को भेज दिया जाता है जिनको ऑनलाइन ही पोर्टल पर स्वयं अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराना अपेक्षित है, ताकि आवेदक को तत्काल अपेक्षित सूचना प्राप्त हो सके। अब तक, सीबीईसी को सितंबर, 2013 से मार्च, 2014 तक 691 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

23.3.5.2 वर्तमान में आरटीआई पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को हस्तांतरित करने की सुविधा केवल बोर्ड के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी तक ही सीमित है। अतः क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित आवेदनों को सीधे ही नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश सहित हाथ से हस्तांतरित कर दिया जाता है।

23.3.5.3 ऑनलाइन किए गए आरटीआई आवेदनों के जवाब में दी गई सूचना के विरुद्ध अपीलों को संबंधित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को भेज दिया जाता है, जो पोर्टल पर ही नागरिकों को

अपेक्षित सूचना भी उपलब्ध करवाता है। सीबीईसी को सितंबर, 2013 से मार्च, 2014 तक 96 अपीलें प्राप्त हुई हैं।

23.4.1 स्वापक नियंत्रक प्रभाग

केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को क्रियान्वित किया गया है। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी नामित किए गये हैं। विभाग के प्रकाश्यों एवं किए जा रहे कार्यों के विभिन्न पहलुओं का ब्यौरा केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की वेबसाइट <http://www.cbn.nic.in> पर भी उपलब्ध है।

23.4.2 सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना :

इस संगठन के प्रत्येक यूनिट में, जैसे गाजीपुर एवं नीमच स्थित कारखानों तथा सी सी एफ के दिल्ली एवं ग्वालियर कार्यालयों में भी एक कक्ष स्थापित किया गया है। ये कक्ष केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/ सहायक जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित अधिकारियों के सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं। प्राप्त आवेदनों को समय-सीमा के भीतर नियमित रूप से निपटाया जा रहा है।

23.5 राज्य कर अनुभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अंतर्गत बिक्री कर अनुभाग के प्रकाश्यों के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी/ मैनुअलों को प्रकाशित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है। इन मैनुअलों को वित्त मंत्रालय की वेबसाइट में भी डाल दिया गया है ताकि जन सामान्य को इसकी जानकारी आसानी से मिल सके। जानकारी को समय-समय पर अद्यतन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अनुभाग में सभी रिकार्डों का सही तरीके से रखरखाव किया जा रहा ताकि जब कभी कोई सूचना मांगी जाए उसे तुरन्त उपलब्ध कराया जा सके। दिनांक 31.12.2013 तक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए राज्य कर अनुभाग में 60 आवेदन प्राप्त हुए थे तथा इन सभी का निपटान कर दिया गया है।

23.6 अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जब्ती के लिए स्थापना

वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 24 आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदनों का निपटान निर्धारित समय-सीमा के भीतर आर टी आई आवेदकों की संतुष्टि के अनुसार किया गया।

23.7 अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर)

23.7.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों को क्रियान्वित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित एवं प्राधिकरण से संबंधित 12 मैनुअलों को प्राधिकरण की वेबसाइट अर्थात् <http://www.cbec.gov.in/aar/aar.htm> में

नियमित रूप से अद्यतन किया गया है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी/पारदर्शिता अधिकारी को भी विधिवत रूप से मनोनीत कर दिया गया है तथा विवरण वेबसाइट पर डाल दिये गये हैं एवं प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर लगा दिये गये हैं।

23.7.2 प्राधिकरण को जनवरी, 2013 से दिसंबर, 2013 के दौरान कुल 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इनमें से 02 को अन्य लोक प्राधिकारी को अन्तरित किया गया है। 06 अनुरोधों/अपीलों को अस्वीकृत कर दिया गया तथा 02 अनुरोधों/अपीलों को स्वीकार किया गया।

23.8 केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो

23.8.1 यह सूचित किया जाता है कि ब्यूरो ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार सी ए पी आई ओ, सी पी आई ओ तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ब्यूरो को 2013-14 (2.12.2013 तक) की अवधि के दौरान 39 आर टी आई आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 6 संबंधित लोक प्राधिकारियों को हस्तांतरित किया गया, 28 को धारा 24(1) के तहत अस्वीकृत कर दिया गया तथा 5 का उत्तर दिया गया। सभी आरटीआई आवेदनों को आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार समय सीमा में निपटा दिया गया तथा आज की तारीख में कोई आवेदन लंबित नहीं है।

23.8.2 ब्यूरो को जनवरी से मार्च, 2014 की अवधि के दौरान 10 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2 संबंधित जन प्राधिकारियों को हस्तांतरित कर दिए गए। धारा 24(1) के तहत 07 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया तथा 01 का उत्तर दिया गया। सभी आरटीआई आवेदनों को आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार समय सीमा के अन्दर निपटा दिया गया।

23.9 भारत-वित्त आसूचना एकक (एफ आई यू-इंड)

भारत वित्त आसूचना एकक को वर्ष 2013-14 (मार्च, 2014 तक) के दौरान 14 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे और सभी आवेदनों का निपटान और अस्वीकृत कर दिए गए।

23.10 सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण

अधिकरण को वर्ष 2013-14 (31 दिसंबर, 2013 तक) के दौरान कुल 460 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए और इनका निपटान कर दिया गया।

23.11 प्रवर्तन निदेशालय

वर्ष 2013-14 की अवधि के दौरान (दिसंबर, 2013 तक) 191 आर टी आई आवेदन निदेशालय के मुख्यालय कार्यालय में प्राप्त हुए थे, जिनका शीघ्रता से निर्धारित अवधि के भीतर निपटान किया गया।

23.12 सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन किया गया है। आरटीआई के अनुसार आयोग से संबंधित 12 मैनुअल विधिवत रूप से तैयार किए गए थे। सीपीआईओ तथा एसीपीआईओ को नामित किया गया है।

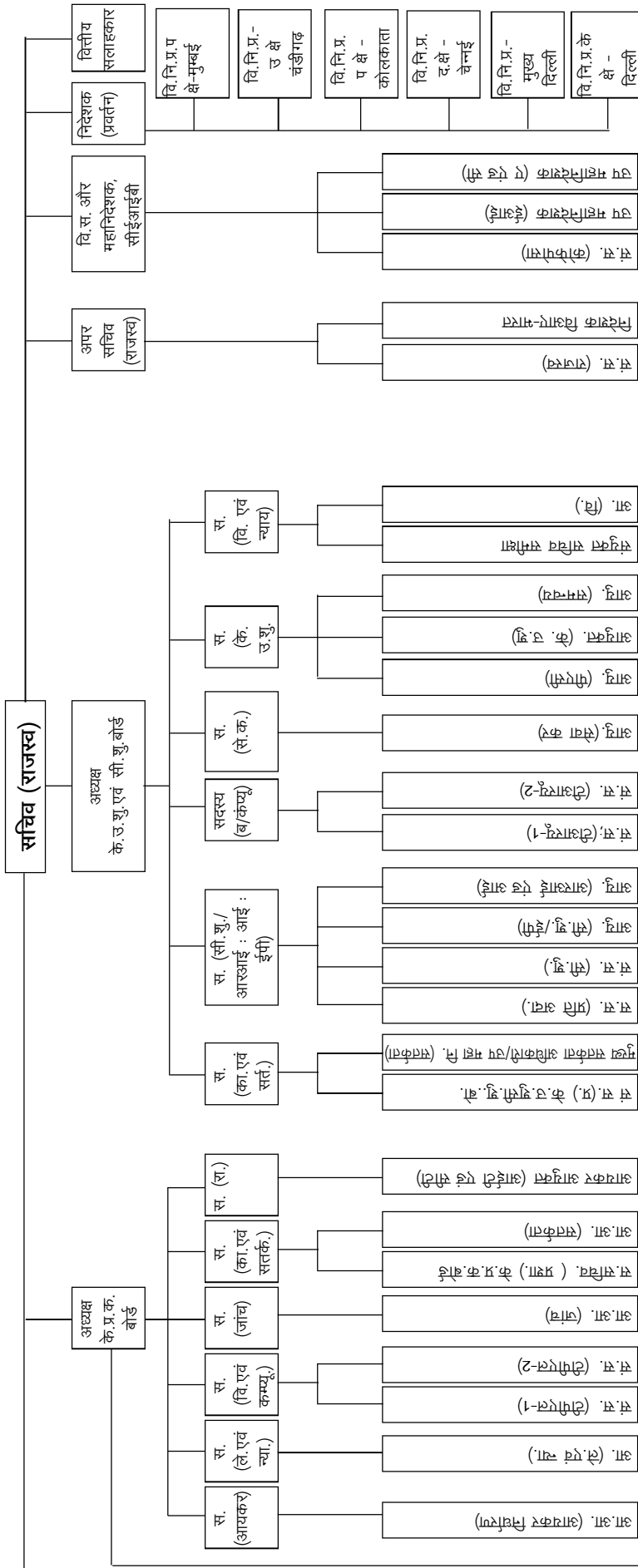
23.13 धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत न्याय-निर्णयन प्राधिकारण

वर्ष के दौरान आरटीआई के तहत 5 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनका निपटान कर दिया गया।

23.14 महा निदेशक (आयकर) डीजीआईटी

इस निदेशालय में तीन आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए हैं, जोकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्य केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों से हस्तांतरित होकर प्राप्त हुए हैं।

राजस्व विभाग का संगठनात्मक चार्ट



राजस्व विभाग (मुख्या.) के संबद्ध कार्यालय/अन्य निकाय

- प्रवर्तन निदेशालय
- केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो3. केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो
- मुख्य नियंत्रक फैक्टरी
- सूक्ष्म प्राधिकारी कार्यालय (सफेम (फोप) सरकार और विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति समापहरण अधिनियम एवं स्वापक आँबधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम)
- प्रबंधन समिति
- सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के संवर्द्धन हेतु राष्ट्रीय समिति
- सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग
- आयकर समझौता आयोग
- संप्रभुत संपत्ति अपील अधिकरण
- सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण
- अग्रिम विनिर्गमन प्राधिकरण (आयकर)
- अग्रिम विनिर्गमन प्राधिकरण (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)
- वित्तीय आपसूचना एकक- भारत (एफआईडी-भारत)
- आयकर लोकपाल
- राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईएफपी)
- धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्यायनिर्गमन प्राधिकरण
- धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपील अधिकरण

शीर्षक

वि.नि.प्र. : विशेष प्रवर्तन निदेशक
क.अ.प. : कर अनुसंधान एकक
सी.शु. : सीमा शुल्क
प्र.अ. : प्रति अदायगा
प्र.श. : प्रशासन
टीपीएल : कर योजना एवं विधायन
एफटीएलटीआर : विदेशी कर एवं कर अनुसंधान
वि.स. (वि.स.) : वित्तीय सलाहकार (वित्त)
आ.ए. : पुनरीक्षा याचिका
रा. : राजस्व
स.स. (कीफोमोसा) : संयुक्त सचिव (विदेशी मुद्रा
संरक्षण और तस्करी निवारण कार्यकलाप)
के.आ.आ.ब्यू. : केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो
उप महा.नि. : उप महा निदेशक
लो.ले.स. : लोक लेखा समिति
प्र.व. : प्रवर्तन
आ.कर.नि. : आयकर निर्धारण
सी.एंड.एस. : समन्वय एवं प्रणाली

शीर्षक

के.प्र.क.बो. : केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
के.उ.शु.सी.शु.बोर्ड : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड
स.आय. : सदस्य (आयकर)
स.ले. एवं न्याय : सदस्य (लेखा परीक्षा एवं न्याय)
स.वि.एल.क्यू. : सदस्य (वित्तिक एवं क्यूटरीकरण)
स.जांच : सदस्य (जांच)
स.का.एल.सतर्कता : सदस्य (कार्मिक एवं सतर्कता)
स. (सा.) : सदस्य (राजस्व)
स.सी.बू./रा.आ./जा.नि.स. : सदस्य (सीमाशुल्क/राजस्व आसूचना एवं जांच/निर्यात संवर्धन)
स.ब.क. : सदस्य (बजट/क्यूटरीकरण)
स.से.कर : सदस्य (सेवा कर)
स.के.उ.शु. : सदस्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
स.वि.न्याय : सदस्य वित्तिक एवं न्यायिक
एनसीपीएसईडब्ल्यू : सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय समिति
सीवीओ एंड डीजी (सतर्कता) : मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं महानिदेशक (सतर्कता)
स.स. : संयुक्त सचिव
आ.आ. : आयुक्त आयकर
आयुक्त आयकर : (मीडिया समन्वय)

आ.आयु.

(सी एंड एस.)
सं.स. (एफटी व टीआर-I) एवं
स. (एनसीपीएसई डब्ल्यू)
सं.स. (एफटी व टीआर-II)
सं.स. (आ.ए.)

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

संगठन : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

समूह	कर्मचारियों की संख्या					पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
						सीधी भर्ती से					पदोन्नति से				
	कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	अ.पि.व.		कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	अ.पि.व.		कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	कुल	अ.जाति
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12	13	14
समूह क	2,253	338	171	300		88	13	07	24		165	8	2	0	0
समूह ख	33,668	5,615	2,559	2,458		1,045	168	76	368		1,902	277	116	41	6
समूह ग (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	16,364	3,550	1,395	2,154		471	111	21	180		1,198	392	96	6	5
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारी)	244	100	23	21		3	0	0	0		0	0	0	0	0
कुल	52,529	9,603	4,148	4,933		1,607	292	104	572		3,265	677	214	47	11
															7

* समूह घ - समूह घ पद अब छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार समूह ग के अंतर्गत एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) के रूप में अपग्रेड किया गया है।

संगठन : केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

समूह	कर्मचारियों की संख्या					पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
						सीधी भर्ती से					पदोन्नति से				
	कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	अ.पि.व.		कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	अ.पि.व.		कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	कुल	अ.जाति
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12	13	14
समूह क	2113	475	257	277		86	27	13	46		--	--	--	--	--
समूह ख	6390	1194	475	32		12	--	50	646		120	31	1	--	--
समूह ग	23966	4720	1693	1249		192	75	326	1033		187	52	3	3	1
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	2431	765	173	19		6	3	--	--		--	--	--	--	--
कुल	34900	7154	2598	1577		296	105	389	1725		307	83	4	3	1
															--

समूह	कर्मचारियों की संख्या					पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
	कुल	अ. जाति	अ. जन. जा.	अ. पि. व.		कुल	अ. जाति	अ. जन. जा.	अ. पि. व.	कुल	अ. जाति	अ. जनजा.	कुल	अ. जाति	अ. जन. जा.	अ. जन. जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
समूह क	24*	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05	01	-	-	-
समूह ख	06**	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ग	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह घ (सफाई कर्मचारी)	04***	03	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	35	07	-	01	-	-	-	-	-	-	-	05	01	-	-	-

* 02 पदों को एन आई सी कैडर में शामिल कर दिया गया है।

** 04 पदों को एन आई सी कैडर में शामिल कर दिया गया है।

*** माननीय केन्द्रीय अपील अधिकरण (कैट), नई दिल्ली के प्रधान पीठ के द्वारा प्रदान किए गए स्थान आदेश के तहत 04 चपरासियों की नियुक्ति जारी है।

संगठन : राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

समूह	कर्मचारियों की संख्या					पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
						सीधी भर्ती से			पदोन्नति से				अन्य माध्यमों से		
						कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जाति	अ.जनजा.	कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.
1	कुल	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
समूह क		31	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ख		21	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
समूह ग		25	03	-	05	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
समूह घ (सफाई कर्मचारी)		-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल		77	05	-	06	03	01	-	02	-	-	-	-	-	-

संगठन : धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपील अधिकरण

समूह	कर्मचारियों की संख्या					पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
	कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	अ.पि.व.	सीधी भर्ती से					पदोन्नति से					अन्य माध्यमों से
	कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	अ.जन.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
समूह क	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ख	01	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह घ (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	03	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

संगठन : अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (के.उ.शु., सी.शु. एवं सेवा कर)

समूह	कर्मचारियों की संख्या					पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
	कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	अ.पि.व.	सीधी भर्ती से					पदोन्नति से					अन्य माध्यमों से
	कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	अ.जन.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
समूह क	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ख	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ग	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह घ (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

संगठन : संपन्न संपत्ति अपील अधिकरण

[illegible]

संगठन : गैर कानूनी रूप से अर्जित संपत्ति के सपहरण के लिए सक्षम प्राधिकरण

समूह	कर्मचारियों की संख्या					पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
	कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	अ.पि.व.	सीधी भर्ती से					पदोन्नति से					अन्य माध्यमों से
1	2	3	4	5	कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जाति	अ.जनजा.	कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	अ.जन.जा.
समूह क	9	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
समूह ख	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
समूह ग	16	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	06	-	-	-
समूह घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	8	2	0	3	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
कुल	42	5	2	8	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-

संगठन : केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सी.ई.आई.बी)

समूह	कर्मचारियों की संख्या					पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
	कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	अ.पि.व.	सीधी भर्ती से					पदोन्नति से					अन्य माध्यमों से
1	2	3	4	5	कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जाति	अ.जनजा.	कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	अ.जन.जा.
समूह क	17	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ख	21	03	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ग	25	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह घ (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	63	16	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

संगठन : सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, एवं सेवा कर अपील अधिकरण

समूह	कर्मचारियों की संख्या					पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
	कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	अ.पि.व.	अ.पि.व.	कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जाति	अ.जनजा.	कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
समूह क	4	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
समूह ख	7	4	1	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
समूह ग	45	21	5	19	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	
समूह घ (सफाई कर्मचारी)	35	25	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
कुल	91*	51	6	34	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	

* मंत्रालय के दिनांक 29.11.2013 के पत्र के माध्यम से स्वीकृत 110 अतिरिक्त पदों को छोड़कर।

संगठन : प्रवर्तन निदेशालय

समूह	कर्मचारियों की संख्या				कैलेंडर वर्ष 2013 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
	कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	अ.पि.व.	सीधी भर्ती से			पदोन्नति से			अन्य माध्यमों से			
					कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जाति	अ.जनजा.	कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
समूह क	47	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-
समूह ख	200	14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-
समूह ग	333	53	16	55	58	8	4	19	13	1	-	2	-	-
समूह घ (सफाई कर्मचारी)	93	36	03	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	673	103	23	67	58	8	4	19	13	1	-	52	-	-

संगठन : सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग

समूह	कर्मचारियों की संख्या										कैलेंडर वर्ष 2013 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
	कुल					सीधी भर्ती से					पदोन्नति से					अन्य माध्यमों से				
						अ.जाति	अ.जन.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जाति	अ.जनजा.	कुल	अ.जाति	अ.जनजा.	कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
समूह क	18	1	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
समूह ख	05	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
समूह ग	16	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
कुल	39	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

संगठन : आयकर समझौता आयोग

समूह	कर्मचारियों की संख्या						पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या											
							सीधी भर्ती से			पदोन्नति से			अन्य माध्यमों से					
							कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जाति	अ.जनजा.	कुल	अ.जाति	अ.जन.जा.	कुल	अ.जाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
समूह क	34	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
समूह ख	23	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
समूह ग	110	14	2	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-				
समूह घ (सफाई कर्मचारी)	46	12	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
कुल	213	31	5	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-				

समूह	कर्मचारियों की संख्या					पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
	सीधी भर्ती से					पदोन्नति से					अन्य माध्यमों से				
	कुल	अ. जाति	अ. जन. जा.	अ. पि. व.	अ. पि. व.	कुल	अ. जाति	अ. जन. जा.	अ. पि. व.	कुल	अ. जाति	अ. जन. जा.	कुल	अ. जाति	अ. जन. जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
समूह क	10	2	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
समूह ख	56	9	6	4	--	--	--	--	7	3	1	--	--	--	--
समूह ग	333	61	17	24	30	5	2	5	11	2	--	--	--	--	--
समूह घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	204	47	25	9	--	--	--	--	3	2	--	--	--	--	--
समूह घ (सफाई कर्मचारी)	10	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
कुल	613	129	48	38	30	5	2	5	21	7	1	--	--	--	--

अनुबंध-II

अशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

संगठन : केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

समूह	कर्मचारियों की सं0					पदोन्नति									
	सीधी भर्ती					आरक्षित सितियों की सं0					की गई नियुक्तियों की सं0				
	कुल	दृष्टि से विकलांग	शारीरिक विकलांग	श्रवण से विकलांग	दृष्टि से विकलांग	शारीरिक विकलांग	श्रवण से विकलांग	दृष्टि से विकलांग	शारीरिक विकलांग	श्रवण से विकलांग	कुल	दृष्टि से विकलांग	श्रवण से विकलांग	शारीरिक विकलांग	श्रवण से विकलांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
'क'	2253	--	15	13	--	2	1	3	--	2	1	--	--	--	--
'ख'	33668	15	28	309	13	44	33	502	1	3	10	--	--	--	5
'ग'	16608	35	11	105	24	26	26	200	4	--	10	7	6	10	428
कुल	52,529	50	54	427	37	72	60	705	5	5	21	7	6	10	1299

संगठन : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

समूह	कर्मचारियों की सं0					सीधी भर्ती					पदोन्ति							
	आरक्षित सितियों की सं0					की गई नियुक्तियों की सं0					आरक्षित सितियों की सं0				की गई नियुक्तियों की सं0			
	कुल	दृष्टि से विकलांग	श्रवण से विकलांग	शारीरिक विकलांग	श्रवण से विकलांग	दृष्टि से विकलांग	श्रवण से विकलांग	शारीरिक विकलांग	कुल	दृष्टि से विकलांग	श्रवण से विकलांग	शारीरिक विकलांग	दृष्टि से विकलांग	श्रवण से विकलांग	शारीरिक विकलांग	कुल	दृष्टि से विकलांग	श्रवण से विकलांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
'क'	1308	--	1	18	--	--	--	86	--	2	1	--	--	--	7	--	--	1
'ख'	4627	8	126	22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64	1	--	--	12
'ग'	20806	33	364	61	52	21	224	9	5	20	26	33	53	196	1	--	--	25
'घ'	2179	1	8	25	5	4	9	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1
कुल	28920	42	499	126	57	25	233	95	5	22	27	33	53	260	9	1	--	39

संगठन : गैर-कानूनी रूप से अर्जित की गई संपत्ति के संपहरण के लिए सक्षम प्राधिकरण

समूह	कमचारियों की सं०					सीधी भर्ती					पदोन्ति									
	आरक्षित सितियों की सं०					की गई नियुक्तियों की सं०					आरक्षित सितियों की सं०					की गई नियुक्तियों की सं०				
	कुल	दृष्टि से विकलांग	श्रवण से विकलांग	शारीरिक विकलांग	दृष्टि से विकलांग	श्रवण से विकलांग	शारीरिक विकलांग	कुल	दृष्टि से विकलांग	श्रवण से विकलांग	शारीरिक विकलांग	दृष्टि से विकलांग	श्रवण से विकलांग	शारीरिक विकलांग	कुल	दृष्टि से विकलांग	श्रवण से विकलांग	शारीरिक विकलांग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
'क'	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
'ख'	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
'ग'	12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
'घ'	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
कुल	26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

संगठन : प्रवर्तन निदेशालय

समूह	कमचारियों की सं०				सीधी भर्ती								पदोन्नति					
	कुल	दृष्टि से विकलांग	श्रवण से विकलांग	शारीरिक विकलांग	आरक्षित	सिक्तियों की सं०	आरक्षित	सिक्तियों की सं०	की गई नियुक्तियों की सं०	आरक्षित	सिक्तियों की सं०	आरक्षित	सिक्तियों की सं०	की गई नियुक्तियों की सं०				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
'क'	47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
'ख'	200	--	--	01	--	--	--	46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
'ग'	333	--	--	02	--	--	--	12	--	--	--	--	--	--	13	--	--	--
'घ'	93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
कुल	673	--	--	03	--	--	--	58	--	--	--	--	--	--	13	--	--	--

संगठन : अग्रिम विनियमन प्राधिकरण (केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर)

[illegible]

लेखा- परीक्षा टिप्पणियों के सार के संबंध में की गई कार्रवाई नोट की स्थिति

- (i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा शुल्क-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा शुल्क बोर्ड के लेखा परीक्षा अनुपालन के संबंध में की गई कार्रवाई नोट की स्थिति (31.3.2014 की स्थिति) ।
- वर्ष 2013-14 में; अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या 17 (अप्रत्यक्ष कर- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा शुल्क) में 23 लेखा पैरा प्राप्त हुए तथा सी एंड ए जी को सभी लेखा पैरा के संबंध में की गई कार्रवाई नोट भिजवा दिया गया। इन 23 पैरा में से सी एंड ए जी की विधीक्षा के बाद 19 की गई कार्रवाई नोट को मॉनीटरिंग एकक/ पी ए सी को प्रस्तुत कर दिया गया।
 - ऐसे मामलों की संख्या जिनमें मंत्रालय द्वारा एक बार भी ए टी एन नहीं भेजा गया- शून्य
 - ऐसे मामले जिनमें ए टी एन भेजे गए लेकिन टिप्पणी के साथ वापस कर दिए गए तथा लेखा परीक्षा मंत्रालय की प्रस्तुति की प्रतीक्षा कर रहा है। - शून्य
 - ऐसे मामले जिनमें लेखा परीक्षा द्वारा अंतिम विधीक्षा कर दी गई परन्तु मंत्रालय द्वारा मॉनीटरिंग एकक/ पी ए सी को प्रस्तुत नहीं किया गया- 2
 - वर्ष 2013-14 से पहले एक भी अनुपालन लेखा पैरा लम्बित नहीं है। तथापि, पी ए सी द्वारा 2009-10 की रिपोर्ट संख्या 12 के 2 लेखा पैरा चुने गए हैं।
- (ii) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सूचित की गई कार्रवाई नोट की स्थिति
- दिनांक 31.3.2014 की स्थिति तक केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के संबंध में सी एंड ए जी द्वारा 28 पैरा के मामलों में जांच लम्बित है, इन पैरा की स्थिति निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	रिपोर्ट सं. तथा वर्ष	कुल पैरा	ऐसे पैरा जिनके निपटान में कोई आपत्ति नहीं है	ऐसे पैरा की संख्या जिनमें उत्तर लम्बित हैं।					
						ऐसे उत्तर जिनमें लेखा परीक्षा जांच कर रहा है			योग
						क्षेत्रीय कार्यालय	मुख्यालय	कुल	
1.	1999-00 (एआर 2001 का 12)	862	862	0	0	0	0	0	0
2.	2000-01 (एआर 2002 का 12)	1099	1099	0	0	0	0	0	0
3.	2001-02 (एआर 2003 का 12)	847	847	0	0	0	0	0	0
4.	2002-03 (एआर 2004 का 12)	963	963	0	0	0	0	0	0
5.	2003-04 (एआर 2005 का 12)	885	885	0	0	0	0	0	0
6.	2004-05 (एआर 2006 का 8)	683	682	0	0	01	0	01	01
7.	2005-06 (एआर 2007 का 8)	862	862	0	0	0	0	0	0
8.	2006-07 (एआर 2008 का 8)	918	918	0	0	0	0	0	0
9.	2007-08 (सीए 2009 का 21)	860	860	0	0	0	0	0	0
10.	2008-09 (2009-10 का 4)	342	342	0	0	0	0	0	0
11.	2009-10(2010-11 का 26)	453	452	0	0	01	0	01	01
12.	2010-11(2011-12 का 27)	464	461	0	0	03	0	03	03
13.	20011-12 (2013 का 15)	455	432	0	0	23	0	23	23
कुल योग		9693	9665	0	0	28	0	28	28

(iii) प्रतिअदायगी प्रभाग द्वारा सूचित की गई कार्रवाई नोट की स्थिति

- वर्ष 2013 के अनुपालन लेखा पैरा रिपोर्ट संख्या 14 के पैरा 2.1 से 2.47 के संदर्भ में यह उल्लिखित किया जाता है कि पैरा 2.2 से 2.34 के संबंध में की गई कार्रवाई नोट को डी जी एफ टी, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सी एंड ए जी को भेज दी गई है तथा सी एंड ए जी ने पैरा 2.2 से 2.9, पैरा 2.14 से 2.18 तथा पैरा 2.32 से 2.34 की विधीक्षा कर ली है। पैरा 2.35 से 2.47 डी जी ई पी से संबंधित है तथा डी जी ई पी द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई नोट पर लेखा परीक्षा ने पैरा 2.40 से 2.47 की विधीक्षा कर ली है।
- वर्ष 2013 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट 8 के संदर्भ में दिनांक 25.11.2013 को की गई कार्रवाई नोट सी एंड ए जी को भेज दिया गया है। यह रिपोर्ट 'मानी गई निर्यात शुल्क प्रतिअदायगी' से संबंधित है तथा 'ई ओ यू/ एस टी पी/ ई एच टी पी को सी एस टी की प्रतिपूर्ति जो दोनों को ही वाणिज्य विभाग द्वारा किया जाता है (डीजीएफटी तथा इलैक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी के साथ) तथा तदनुसार, इस रिपोर्ट को वाणिज्य विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है। राजस्व विभाग के राज्य कर प्रभाग ने भी यही सूचना दी है।
- विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सी ए जी की 2013 की रिपोर्ट संख्या 14 अध्याय-II पर दी गई टिप्पणी

क्रम सं.	पैरा सं.	विषय	डीजीएफटी की टिप्पणी
1.	2.2 से 2.9	नॉन एस आई ओ एन के संबंध में अनुचित रूप से अग्रिम लाइसेंस प्रदान करना	आर ए, बंगलोर- मैसर्स एस ए रवाथार स्पाईस प्राइवेट लि., अग्रिम लाइसेंस संख्या 0710050513 दिनांक 9.2.2007 अग्रिम प्राधिकार ई-90 के तहत आने वाले मानदण्डों के आधार पर जारी किया गया था जैसा कि उस समय के एस आई ओ एन मैनुअल में उल्लिखित है। डीजीएफटी की दिनांक 14.12.2004 की सार्वजनिक सूचना संख्या 13 तथा तदनुसूची नीति परिपत्र सं. 03/2005 तथा 21.4.2004 के द्वारा एस आई ओ एन मैनुअल में से एस आई ओ एन ई-90 को विलोपित कर दिया गया है। तथापि जैसा कि पी.आर.सी. की दिनांक 12.06.2012 की बैठक संख्या 09/ए एम./3 में यह स्वीकार किया गया है कि इसी उत्पाद के लिए पैरा 4.7 के आधार पर इस परिपत्र के पश्चात कुछ प्राधिकारिताएं जारी की गई थी। इस आलोक में पी.आर.सी. ने यह टिप्पणी की है कि केवल मानदण्डों को स्थगित कर देने से यह अभिप्राय नहीं है कि उपर्युक्त प्राधिकारिता के अंतर्गत आगत और निर्गत में कोई एकरूपता नहीं थी तथा स्थगित किए जाने से पूर्व अनुमत: मौजूदा मानदण्डों के अनुसार मामलों को नियमित करने से सहमत हो गई। पी.आर.सी. के आधार पर फर्म के विरुद्ध आरम्भ की गई कार्रवाई जो कि लेखा परीक्षा दल की टिप्पणियों पर आधारित थी, वापस ली गई और मामले को नियमित कर दिया गया।
2.	2.10 से 2.13	अग्रिम प्राधिकारिता को अनियमित रूप से मिलाया जाना जिससे अधिक आयात पर शुल्क का भुगतान नहीं हो सका।	रांची से उत्तर प्रतीक्षित है।
3.	2.14 से 2.18	अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत निर्यात दायित्व का पूरा नहीं होना।	आर.ए. बंगलोर/ मैसर्स खोडे सिल्क टविस्टिंग फैक्ट्री। दिनांक 11.12.2007 का अग्रिम लाइसेंस संख्या 07100054894 तथा दिनांक 11.12.2007 का अग्रिम लाइसेंस संख्या 710054892। फर्म को अग्रिम लाइसेंस जारी किए गए। पी.आर. सी. ने बैठक संख्या 37/एम. 13 में मामला संख्या 12 और 13 के अंतर्गत जारी लाइसेंस से 36 माह पश्चात किए गए निर्यात पर 0.5 प्रतिशत संरचना शुल्क अदा करने की शर्त पर नियमितीकरण के उद्देश्य के लिए ई.ओ. अवधि को 31.10.2011 और 29.06.2011 तक बढ़ाने तथा एफ.टी.पी. के पैरा 4.1.6 के अनुसार वैल्यू एडिशन बनाए रखने की अनुमति दी। फर्म ने पी.आर.सी. द्वारा विनिर्धारित शर्तों की अनुपालना की है। निर्यात दस्तावेजों की जांच-पड़ताल के पश्चात रिडम्पशन पत्र जारी कर दिए गए। दिनांक 12.7.2013 को प्रधान महा लेखाकार (डब्ल्यू एफ और आर ए) बंगलोर को इस अनुरोध के साथ प्रति भिजवा दी गई कि वे लेखा परीक्षा पैरा को वापस ले लें।

क्रम सं.	पैरा सं.	विषय	डीजीएफटी की टिप्पणी
4.	2.19 से 2.22	वस्तुओं के निर्यात को सेवा के रूप में मानते हुए एस.एफ. आई.एस. के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट का गलत तरीके से दिया जाना।	आर.ए. चेन्नई। यह बात दोहराई जाती है कि टेलीविजन चैनलों ने सम्प्रेषण सेवाओं के मुख्य शीर्ष के अंतर्गत श्रव्य दृश्य सेवाओं के सामान्य शीर्ष रेडियों और टेलीविजन प्रसारण सेवा, जो कि परिशिष्ट 41 के क्रम संख्या 2 क घ के अंतर्गत आती है, तथा जो कि एफ.टी.पी. के अंतर्गत एस.एफ.आई.एस. के प्रयोजन से पात्र सेवाओं की सूची में आता है, के आधार पर एस.एफ.आई.एस. का दावा किया है, इन टी.वी. चैनलों को एस.एफ.आई.एस. सुविधा देने में कोई अनियमितता नहीं की गई है। जहां तक सी.आर.ए. की आपत्ति की वे कार्यक्रम जिनके माध्यम से इन टी.वी. चैनलों ने एफ.ई. प्राप्त की, वीडियो के प्रपत्र में वीडियो कार्यक्रमों के माध्यम से आपूर्ति की गई थी। यह उल्लेख किया जाता है कि परिशिष्ट 41 का क्रम संख्या 2 क क, एम.एफ.आई.एस. सुविधा के लिए विशिष्ट रूप से वीडियो टाईप प्रसारण की अनुमति देता है।
5.	2.23 से 2.25	एम.एफ.आई.एस. योजना के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट का गलत तरीके से दिया जाना	आर.ए. चेन्नई। इस संबंध में यह बताया जाता है कि जब सम्बंधित पार्टियों को वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उन्होंने यह उल्लेख किया कि दिनांक 15.07.2010 का उपर्युक्त नीतिगत परिपत्र संख्या 38 माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई द्वारा निरस्त कर दिया गया था। बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय को स्थगित करने के डीजीएफटी के आवेदन को उच्चतम न्यायालय ने अन्तरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
6.	2.26 से 2.31	वीकेयूजीवाई योजना के अंतर्गत ईओयू को अनियमित रूप से ड्यूटी क्रेडिट देना।	आर ए चेन्नई। मैसर्स सुदर्शन ओवरसीज लि. ने मैसर्स रायलसीना कमोडीटीज लि. के रूप में अपना नाम बदल लिया तथा आरए चेन्नई से सम्पर्क किया। दो वीकेजीयूवाई ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के संबंध में नई कम्पनी से प्रत्यक्ष कर छूट प्रमाण पत्र मांगा गया। इसके बाद आर ए ने यूनिट को 92.66 लाख रुपये की ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप वापस करने के निदेश दिए। इसके बाद मामले को प्रवर्तन अनुभाग को भिजवाया गया जहां दिनांक 11.3.2013 को 9159286 रुपये की वसूली के आदेश जारी किए गए।
7.	2.32 से 2.34	आयात निर्यात की गणना के कारण निर्यात दायित्व का कम पूरा किया जाना।	आर ए अहमदाबाद। इस संबंध में आरए ने यह सूचित किया है कि लाइसेंस की श्रेणी में संशोधन किया गया था ताकि शून्य ड्यूटी ईपीसीजी योजना की बजाय ईपीसीजी योजना रियायत कर 3 प्रतिशत पढ़ा जाए और आर ए के दिनांक 22.10.2011 के पत्र के अंतर्गत ईओडीसी/ रिडिम्पशन प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया। इसके अलावा सभी मामलों में ईओ अवधि अभी भी वैध है। आर ए ने पहले ही प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक (केन्द्रीय) कार्यालय अहमदाबाद को उत्तर भिजवा दिया है।

विनिवेश विभाग

I. कार्य

भारत सरकार की (कार्य आवंटन) नियमावली 1961 के अनुसार विभाग को निम्नलिखित के लिए अधिकृत किया गया है:-

1. क. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में केन्द्र सरकार की इक्विटी के विनिवेश से संबंधित सभी मामले।

ख. पूर्ववर्ती केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में केन्द्र सरकार की इक्विटी की बिक्री की पेशकश या निजी व्यवस्था के माध्यम से बिक्री से संबंधित सभी मामले;

टिप्पणी: पूर्ववर्ती केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सामरिक भागीदार द्वारा क्रय विकल्प का उपयोग करने से संबंधित और उससे उत्पन्न मामलों सहित विनिवेश के बाद के अन्य सभी मामलों पर, जहां आवश्यक हो, विनिवेश विभाग के परामर्श से, प्रशासनिक मंत्रालय या संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती रहेगी।

2. पुनर्गठन सहित विनिवेश के तरीकों के संबंध में विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेना।

3. सलाहकारों की नियुक्ति, शेरों का मूल्य निर्धारण और विनिवेश के अन्य निबंधनों और शर्तों सहित विनिवेश संबंधी निर्णयों को क्रियान्वित करना।

4. विनिवेश आयोग।

5. केवल सरकार की इक्विटी के विनिवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम।

6. राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा कराई गई विनिवेश से प्राप्त राशि के उपयोग से संबंधित वित्तीय नीति।

II. दृष्टिकोण

विनिवेश के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की समृद्धि में भागीदारी करने के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में जन-स्वामित्व को बढ़ावा देना। बृहत्तर जन-स्वामित्व से निगमित नियंत्रण बेहतर होगा।

III. उद्देश्य

1. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के लाभ कमाने वाले सभी उद्यमों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करना ताकि निम्नलिखित में सुविधा प्राप्त हो सके:

(क) उच्च प्रकटीकरण स्तर जिससे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की कार्यप्रणाली में बेहतर पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाई जा सके।

(ख) सभी शेयरधारकों-निवेशकों, कर्मचारियों, कंपनी तथा सरकार के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के वास्तविक मूल्य को निर्मुक्त करना।

(ग) इक्विटी संस्कृति के विस्तार के माध्यम से पूंजी बाजार का विकास तथा विस्तार।

2. विनिवेश के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सूचीबद्ध उद्यमों में सार्वजनिक शेयरधारिता में वृद्धि करना।

IV. संगठनात्मक ढांचा

श्री रवि माथुर ने 14 जनवरी, 2013 को सचिव, विनिवेश विभाग का पदभार ग्रहण किया था। सचिव की 4 संयुक्त सचिवों द्वारा सहायता की जाती है। यह विभाग डेस्क अधिकारी पद्धति पर कार्य करता है और विनिवेश संबंधी कार्य अवर सचिव स्तर पर किया जाता है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा परिशिष्ट - I में दिया गया है।

V. विनिवेश संबंधी नीति तथा कार्य पद्धति

विनिवेश संबंधी नीति में विचार किया गया है कि -

(i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पहले से ही सूचीबद्ध, लाभ कमाने वाले उद्यम, जो 10% की आम जनमानस की शेयरधारिता की शर्त को पूरा नहीं करते, उन्हें सरकारी शेयरधारिता में से सार्वजनिक पेशकश के जरिए या संबंधित सीपीएसई द्वारा नई इक्विटी के निर्गम या दोनों के संयोजन से इस शर्त का अनुपालक बनाया जायेगा।

(ii) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के वे सभी असूचीबद्ध उद्यम, जिनकी निवल संपत्ति सकारात्मक है और जिनका कोई संचित घाटा नहीं है तथा जिन्होंने पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ अर्जित किया है, उन्हें सरकारी शेयरधारिता में से सार्वजनिक पेशकश के जरिए या कंपनी द्वारा नई इक्विटी के निर्गम या दोनों के संयोजन के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा।

(iii) अपनी पूंजीगत निवेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश कर सकते हैं और भारत सरकार उसके साथ-साथ या स्वतंत्र रूप से ऐसे उद्यमों में अपनी शेयरधारिता के एक हिस्से की पेशकश कर सकती है।

(iv) सार्वजनिक पेशकशों के माध्यम से विनिवेश के सभी मामलों में, सरकार कम से कम 51% इक्विटी और प्रबंधन नियंत्रण अपने पास बनाए रखे।

(v) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के घाटे में चलने वाले उद्यमों में, जब उनके पुनरुद्धार के प्रयास विफल हो जाएं, मामला-दर-मामला आधार पर सामरिक बिक्री पर विचार किया जाता है।

VI. विनिवेश के लाभ

(i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश और स्टॉक एक्सचेंजों में उनके सूचीकरण से आर्थिक सुधार कार्यक्रम को गति मिलती है और इसके साथ-साथ:

➤ निगमित शासन में सुधार

- जैसा कि सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा और कंपनी नियम के तहत अधिदेशित है, उच्च प्रकटीकरण स्तर से बेहतर पारदर्शिता तथा जवाबदेही आती है। इसलिए निरीक्षण तंत्र मजबूत तथा बहुस्तरीय बन जाता है।
- स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करने से निगमित नियंत्रण बेहतर होता है।
- उच्च स्तर की निवेशक सकेन्द्रित संवीक्षा और अनुसंधान, व्यवसाय के पेशेवर आचरण के अनुपालन की मांग करते हैं जिसके परिणामस्वरूप निगमित संस्कृति में सुधार आता है।
- कंपनी बाजार अनुशासन के अधधीन होगी जिससे प्रबंधकीय स्तर और कार्यशाला स्तर, दोनों स्तरों पर कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। कारोबार मूल्य में दिन-प्रतिदिन के उतार-चढ़ाव से सीपीएसई के निष्पादन को आंका जा सकता है।

➤ इक्विटी संस्कृति के विस्तार के माध्यम से पूंजी बाजार का विकास तथा विस्तार

- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने से पूंजी बाजार के विस्तार तथा विकास में सुविधा होती है और इक्विटी संस्कृति का विस्तार होता है।
- बाजार से निधियां जुटाने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित क्षेत्रों में अवरुद्ध संसाधनों को अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में लगाया जा सकता है जो अपने आर्थिक विकास के चरण में होने के कारण बाजार से संसाधन जुटाने में समर्थ नहीं हैं।
- जब आधारभूत संरचना के विकास के लिए अधिक संसाधन प्रयोग में लाये जाते हैं तो इससे बेरोजगारों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होते हैं और साथ ही साथ इससे आर्थिक विकास को एक बड़ा मंच उपलब्ध होता है।

इससे सीपीएसईस में अवरुद्ध संसाधनों के पुनर्नियोजन के लिए राजकोषीय दायरे का भी सृजन होता है।

➤ सभी शेयरधारकों, जैसे कि निवेशकों, संबंधित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम के कर्मचारियों, कंपनी और सरकार के लिए उद्यमों का वास्तविक मूल्य निर्मुक्त करना

- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सूचीबद्ध करने के परिणामस्वरूप वे अपनी पूंजीगत अपेक्षाओं को

पूरा करने के लिए पूंजी बाजार में पहुंच बनाने में सक्षम हो जाएंगे जैसे कि निजी कंपनियों के मामले में होता है। इस प्रकार सरकारी वित्त पोषण पर निर्भरता कम हो जाएगी।

(ii) सरकार के लिए बजटीय संसाधन जुटाना

VII. सुधारात्मक उपाय तथा नीतिगत पहल

विनिवेश प्रक्रिया को और कारगर तथा पारदर्शी बनाने के लिए इस वर्ष निम्नलिखित उपाय किए गए हैं -

➤ **अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के पश्चात सीपीएसईस के कर्मचारियों को शेयरों की बिक्री:** अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के अन्वेषित न्यूनतम मूल्य पर 5% छूट पर कर्मचारियों को शेयरों के अंतरण की एक योजना सेबी द्वारा जून, 2013 में अनुमोदित की गई है।

➤ **सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (सीपीएसई-ईटीएफ):** सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों को मिलाकर एक सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की शुरुआत मार्च, 2014 में की गई थी। सीपीएसई-ईटीएफ के माध्यम से सरकार ने विनिवेश प्राप्ति के रूप में 3,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों पर आधारित यह पद्धति निवेशकों खासकर छोटे निवेशकों को एक ऐसे उत्पाद की खरीद का अवसर प्रदान करती है, जो सरकारी क्षेत्र के उन अनेक शेयरों का प्रतिनिधित्व करेगा, जो ईटीएफ बारकेट का हिस्सा होंगे, इस प्रकार जोखिम न्यूनतम हो जाएगा। इस पद्धति से सरकार को सीपीएसईस में अपनी हिस्सेदारी का एक स्टॉक तटस्थ, समय सक्षम और गैर-अवरोधी तरीके से मौद्रिकरण करने के लिए एक अतिरिक्त तंत्र उपलब्ध होगा।

VIII. कार्यनिष्पादन/उपलब्धियां

विनिवेश विभाग की कोई योजनाबद्ध अथवा गैर-योजनाबद्ध स्कीम नहीं है। विनिवेश विभाग का समस्त बजट, वेतन, मजदूरी, व्यावसायिक सेवाओं के भुगतान और अन्य प्रशासनिक व्ययों आदि के लिए गैर-योजना बजट के अन्तर्गत आता है। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए राजस्व भाग के लिए बजट अनुमान 63.24 करोड़ रुपए था और संशोधित अनुमान 30.00 करोड़ रुपए था।

1. (i) वर्ष 2013-14 के दौरान संपन्न किए गए विनिवेश सौदे

(क) **एमएमटीसी लि. (एमएमटीसी)** - सरकार ने एमएमटीसी में 99.33% सरकारी शेयरधारिता में से 9.33% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का प्रवर्तकों द्वारा स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से शेयरों की बिक्री की पेशकश के माध्यम से विनिवेश का अनुमोदन किया था। सरकार को विनिवेश प्राप्ति के रूप में 571.71 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

(ख) **हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)** - सरकार ने एचसीएल में 99.59 % सरकारी शेयरधारिता में से 9.59% प्रदत्त इक्विटी पूंजी के विनिवेश का अनुमोदन किया था। एचसीएल में

5.58% प्रदत्त इक्विटी पूंजी के विनिवेश की पहली खेप वर्ष 2012 में संपन्न की गई थी। एचसीएल में प्रवर्तकों द्वारा स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से शेयरों की बिक्री की पेशकश के माध्यम से 4.01% प्रदत्त इक्विटी पूंजी के विनिवेश की दूसरी खेप जुलाई, 2013 में संपन्न की गई थी। सरकार को विनिवेश प्राप्ति के रूप में 259.56 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

(ग) **नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एनएफएल)** - सरकार ने एनएफएल में 97.64% सरकारी शेयरधारिता में से 7.64% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का प्रवर्तकों द्वारा स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से शेयरों की बिक्री की पेशकश के माध्यम से विनिवेश का अनुमोदन किया था। सरकार को 101.08 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

(घ) **भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी)** - सरकार ने आईटीडीसी में 92.11% सरकारी शेयरधारिता में से 5% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का प्रवर्तकों द्वारा स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से शेयरों की बिक्री की पेशकश (ओएफएस) के माध्यम से विनिवेश का अनुमोदन किया था। सरकार को विनिवेश प्राप्ति के रूप में 30.17 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

(ङ) **भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. (एसटीसी)** - सरकार ने एसटीसी में 91.02% सरकारी शेयरधारिता में से 1.02% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का प्रवर्तकों द्वारा स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से शेयरों की बिक्री की पेशकश के माध्यम से विनिवेश का अनुमोदन किया था। सरकार को विनिवेश प्राप्ति के रूप में 4.54 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

(च) **नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि. (एनएलसी)** - सरकार ने एनएलसी में 93.56% सरकारी शेयरधारिता में से 3.56% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का प्रवर्तकों द्वारा स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से शेयरों की बिक्री की पेशकश के माध्यम से विनिवेश का अनुमोदन किया था। तदुपरांत, तामिलनाडु सरकार के अनुरोध पर विनिवेश प्रक्रिया को ओएफएस से बदल कर संस्थागत व्यवस्थापन कार्यक्रम (आईपीपी) पद्धति कर दिया गया था, जिसमें आबंटन में तमिलनाडु सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को तरजीह दी जा सकती थी। सरकार को विनिवेश प्राप्ति के रूप में 358.21 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

(छ) **एनएचपीसी लि. (एनएचपीसी)** - एनएचपीसी के निदेशक मंडल ने दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी की 10% प्रदत्त इक्विटी पूंजी की सीमा तक अपने शेयरों की निविदा मार्ग के माध्यम से 19.25 रुपए प्रति शेयर के मूल्य पर वापस खरीद का अनुमोदन किया था। मंत्रियों के शक्तिसंपन्न समूह ने दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 को आयोजित अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि विद्युत मंत्रालय एनएचपीसी लि. का प्रवर्तक होने के नाते और भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्रवाई करते हुए कंपनी द्वारा निर्धारित प्रति शेयर मूल्य पर कंपनी द्वारा प्रस्तावित वापस खरीद के आकार तक शेयरों की पेशकश करें। कंपनी द्वारा खरीदे गए शेयरों के बदले प्रतिफल के रूप में सरकार को 2131.28 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई।

(ज) **पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल)** - सरकार ने कंपनी की 13% निर्गम-पूर्व प्रदत्त इक्विटी के साथ पीजीसीआईएल में सरकार की 69.42% शेयरधारिता में से 4% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का घरेलू बाजार में बिक्री की पेशकश के माध्यम से विनिवेश करने का अनुमोदन किया था। इससे सरकार को 1637.32 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई।

(झ) **इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड (ईआईएल)** - सरकार ने इंजीनियर्स इण्डिया लि. (ईआईएल) में सरकार की 80.40% शेयरधारिता में से 10% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का घरेलू बाजार में एक प्रॉस्पेक्टस आधारित अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ) के माध्यम से विनिवेश करने का अनुमोदन किया था। सरकार को विनिवेश प्राप्ति के रूप में 497.32 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई।

(ञ) **भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)** - सरकार ने बीएचईएल में 67.72% सरकारी शेयरधारिता में से 4.66% इक्विटी का स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ब्लॉक डील के जरिए विनिवेश करने का अनुमोदन किया था। सरकार को विनिवेश प्राप्ति के रूप में 1886.77 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई।

(ट) **इंडियन ऑयल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (आईओसीएल)** - सरकार ने आईओसीएल में 78.92% सरकारी शेयरधारिता में से 10% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का सेबी के नियमों और विनियमों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से शेयरों की बिक्री की पेशकश के माध्यम से विनिवेश का अनुमोदन किया था। सरकार को एक गैर-बाजार सौदे से विनिवेश प्राप्ति के रूप में 5341.49 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

(ठ) **सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ)** - सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सूचीबद्ध उद्यमों के शेयरों को मिलाकर एक सीपीएसई - ईटीएफ के सृजन का अनुमोदन किया था। इस बास्केट का हिस्सा बनने के लिए प्रत्येक सीपीएसई के लिए अधिकतम 3% सरकारी शेयरधारिता का अनुमोदन किया गया है। सरकार को विनिवेश प्राप्ति के रूप में 3000 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई।

(ii) अन्य अनुमोदित तथा कार्यान्वयन हेतु लंबित विनिवेश सौदे

(क) **राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)** - सरकार ने आरआईएनएल की 10% इक्विटी का विनिवेश करने का अनुमोदन किया था। रैड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी), सेबी के पास 27.09.2012 को दायर कर दिया गया था। सलाहकारों की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक कार्रवाई पूरी कर ली गई थी। नकारात्मक बाजार परिस्थितियों के कारण इस निर्गम को फिलहाल आस्थगित कर दिया गया है।

(ख) **एनईईपीसीओ** - सरकार ने एनईईपीसीओ में शत प्रतिशत सरकारी शेयरधारिता में से 10% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से विनिवेश का अनुमोदन किया था। इस निर्गम को, कंपनी द्वारा वर्ष में विभिन्न परियोजनाएं पूरी न किए जाने के कारण आस्थगित कर दिया गया था।

(ग) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) - सरकार ने एचएएल में भारत सरकार की 100% शेयरधारिता में से 10% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से विनिवेश करने का अनुमोदन किया था। इस निर्गम के लिए बही संचालक अग्रणी प्रबंधकों, विधिक सलाहकारों तथा पंजीयक की नियुक्ति कर ली गई है। बही संचालक अग्रणी प्रबंधकों तथा विधिक सलाहकार द्वारा कंपनी की उचित उद्यमिता प्रगति पर है।

IX. विनिवेश से प्राप्तियाँ

वर्ष 2013-14 के लिए विनिवेश के 40,000 करोड़ रुपए के बजटीय लक्ष्य को संशोधित अनुमान चरण पर कम करके 16,027 करोड़ रुपए कर दिया गया था। सरकार को, एमएमटीसी लि०, हिन्दुस्तान कॉपर लि., नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., भारतीय पर्यटन विकास निगम लि., राज्य व्यापार निगम लि., नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि., एनएचपीसी लि., पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., इंजीनियर्स इंडिया लि., भारत हेवी इलैक्ट्रीकल्स लि., इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. में विनिवेश तथा सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडिड फंड के माध्यम से विनिवेश प्राप्ति के रूप में 15,819.45 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है।

X. विनिवेश प्राप्तियों का उपयोग

- 01 अप्रैल, 2013 से विनिवेश से प्राप्त समस्त धनराशि राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) का हिस्सा होगी और निम्नलिखित उद्देश्यों से संबंधित व्यय के लिए उपलब्ध होगी:
 - सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों सहित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा राइट्स बेसिस पर जारी किए जा रहे शेयरों का पूर्वक्रय करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार के 51 प्रतिशत स्वामित्व में कोई कमी न आए।
 - सेबी (पूंजी का निर्गम तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 के अनुसार प्रवर्तकों को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों का अधिमानी आबंटन ताकि उन सभी मामलों में, जहां केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम अपने पूंजीगत व्यय कार्यक्रम को पूरा करने के लिए नई इक्विटी जुटाने का इच्छुक हो, वहां सरकारी शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम न होने पाए।
 - सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों का पुनः पूंजीकरण।
 - सरकार द्वारा आरआरबी/आईआईएफसीएल/नाबार्ड/एक्जिम बैंक में निवेश।
 - विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं में इक्विटी लगाना।
 - भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि० और यूरेनियम कारपोरेशन इंडिया लि० में निवेश।
 - भारतीय रेलवे में पूंजीगत व्यय के लिए निवेश।

XI. राजभाषा नीति

विभाग में राजभाषा संबंधी एक सम्पूर्ण इकाई है और सारा काम राजभाषा नीति के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है।

XII. ई-गवर्नेन्स

सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था के एक भाग के रूप में निम्नलिखित पहल की गई है:-

- (i) विनिवेश विभाग की वेबसाइट (www.divest.nic.in) को हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में नियमित आधार पर अद्यतित किया जाता है। वेबसाइट भारत सरकार वेबसाइट हेतु मार्गदर्शन अनुपालक है।
- (ii) पे-रोल पैकेज का रखरखाव
- (iii) फाइल ट्रेकिंग सिस्टम साफ्टवेयर का रखरखाव
- (iv) निम्नलिखित वेब आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम कार्यरत हैं :-
 1. राज्य सभा प्रश्न, उत्तर मॉनिटरिंग सिस्टम।
 2. लोक शिकायत सूचना प्रणाली।
 3. केन्द्रीकृत निविदा/प्रोक्योरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, निविदाएं नियमित आधार पर वेबसाइट पर डाल दी जाती हैं और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल में ई-प्रकाशन नियमित आधार पर किया जाता है।
 4. भारत सरकार के पदों और सेवाओं में आरक्षित श्रेणियों के प्रतिनिधित्व (आरआरसीपीएस) की मॉनिटरिंग प्रणाली (एससी/एसटी कमिशन पोर्टल)।
 5. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के लिए एपीएआर मॉनिटरिंग सिस्टम।
 6. संवर्ग प्रबंधन प्रणाली (सीएसएस अधिकारियों के लिए)।
 7. पेंशन पोर्टल।
 8. आरटीआई वार्षिक विवरण सूचना प्रणाली।
 9. ई-सर्विस बुक।
 10. डाटा पोर्टल (Data.gov.in)।

XIII. शिकायत निवारण तंत्र

विभाग, केन्द्रीकृत लोक शिकायत निगरानी प्रणाली (जीपीजीआरएएमएस) का उपयोग कर रहा है। इसके साथ-साथ विभाग की वेबसाइट में आम जनता से शिकायतें प्राप्त करने का एक अंतर्निर्मित तंत्र है। एक संयुक्त सचिव को लोक शिकायत निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के संबंध में आन्तरिक शिकायत समिति

कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के संबंध में विशाखा मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 अगस्त, 1997 के निर्णय के अनुपालन में, विनिवेश विभाग में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार करने के लिए एक आन्तरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।

XIV. अशक्त व्यक्तियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों के लिए की गई पहल

केन्द्र सरकार के पदों और सेवाओं में आरक्षण के आदेशों को लागू करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अशक्त व्यक्तियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए एक संपर्क अधिकारी के साथ एक विशेष आरक्षण कोष्ठ स्थापित किया गया है।

XV. सतर्कता तंत्र

एक संयुक्त सचिव को विभाग में अंश-कालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

XVI. सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के उपबंधों के अधीन सूचना के प्रसार को सुविधाजनक बनाने के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित पहलकदमियां की गई हैं :-

अधिनियम के खंड 5(1) के अधीन एक नोडल केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के साथ एक आरटीआई कोष्ठ स्थापित किया गया है तथा अपने प्रभागों से संबंधित विषयों के संबंध में तीन अन्य सीपीआईओ पदनामित किए गए हैं।

विभाग से संबंधित सभी मामलों के लिए अधिनियम की धारा 19(1) के निबंधनों के अनुसार एक संयुक्त सचिव को प्रथम अपील प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के खण्ड 4(1) (बी) के अनुपालन में, विनिवेश विभाग से संबंधित जानकारी विभाग की वेबसाइट पर डाल दी गई है। जानकारी को समय-समय पर अद्यतित किया जाता है।

XVII. परिणाम ढांचा दस्तावेज 2013-14

जैसाकि “सरकारी विभागों के लिए कार्यनिष्पादन निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस)” के अधीन अपेक्षित है, विभाग का वर्ष 2013-14 के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) तैयार

किया गया था और वेबसाइट (www.divest.nic.in) पर लोड कर दिया गया था।

बेहतर प्रशासन के लिए पहल

भारत सरकार की (कार्य-आबंटन) नियमावली, 1961 द्वारा प्रदान किए गए अधिकार के अनुसार, विनिवेश विभाग किसी भी प्रकार की लोक सेवाएं प्रदान करने में शामिल नहीं होता और इस प्रकार इसका सीधे तौर पर नागरिकों अथवा आम लोगों के साथ सम्पर्क नहीं होता है। तथापि, विभाग ने विलम्ब और भ्रष्टाचार की किसी संभावना से बचने के लिए तथा बेहतर प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए सौदा संबंधी बिलों के निपटान के लिए समय-सीमाएं निर्धारित की हैं। इन्हें सिटीजन/क्लाइंट चार्टर में “सेवा मानक” शीर्ष के अधीन सम्मिलित किया गया है और इस चार्टर को भी विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

XVIII. लेखापरीक्षा पैराग्राफ/आपत्तियां

विभाग में कोई लेखापरीक्षा पैराग्राफ/आपत्तियां लंबित नहीं हैं।

XIX एकीकृत वित्त इकाई

एकीकृत वित्त इकाई, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार (वित्त) के अधीन कार्य करती है और विनिवेश विभाग की अनुदान संख्या -45 के अधीन व्यय एवं बजट संबंधी उन प्रस्तावों पर कार्यवाही करती है, जिनमें सचिवालय सामान्य सेवाएं सम्मिलित हैं, जिनमें विनिवेश विभाग का स्थापना बजट शामिल होता है।

अनुदान संख्या -45 के अधीन निम्नलिखित बजटीय आबंटन आते हैं:- (तालिका देखें)

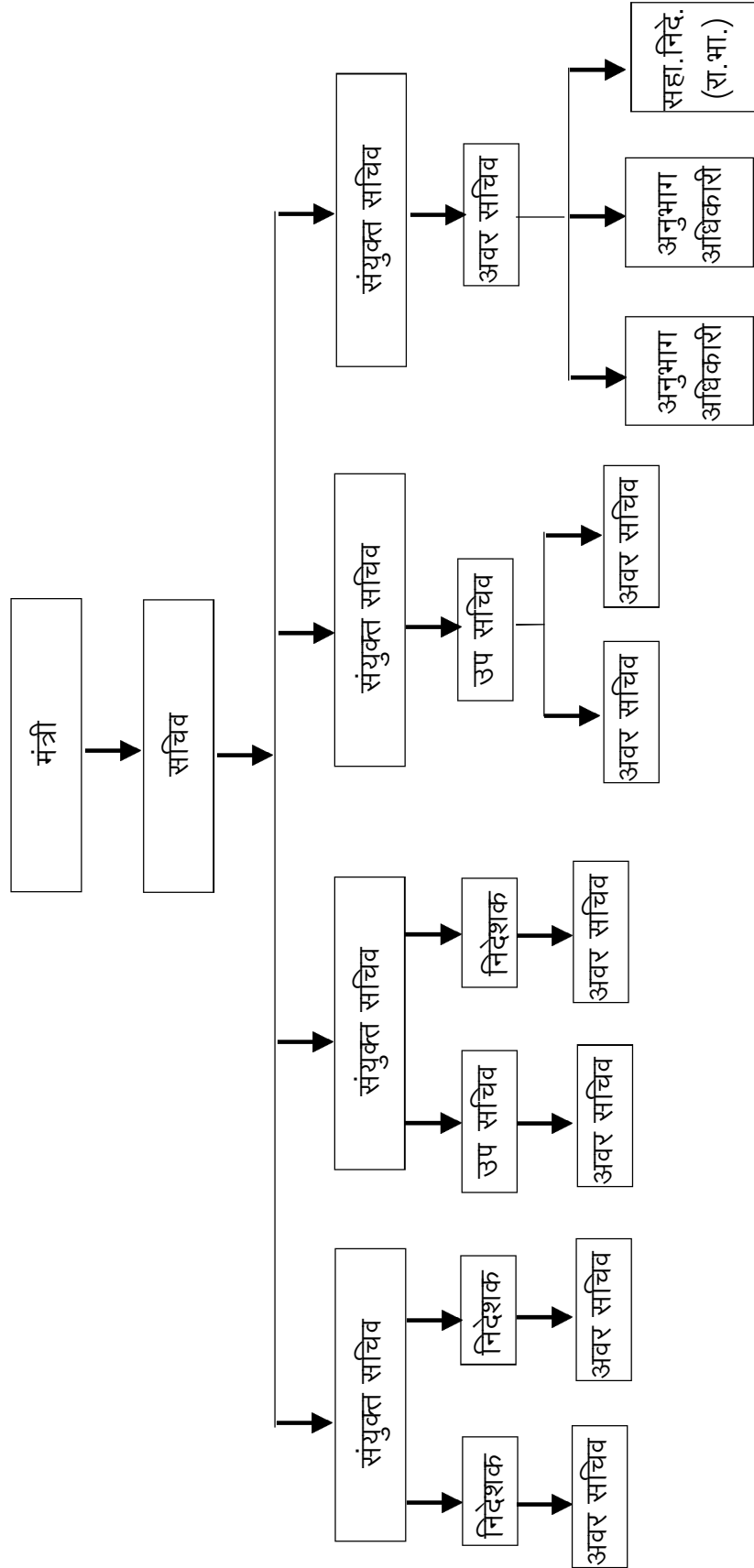
एकीकृत वित्त इकाई, विनिवेश विभाग के वित्त एवं व्यय संबंधी प्रस्तावों, जैसे कि सलाहकारों की नियुक्ति, अधिकारियों की विदेश में प्रतिनियुक्ति/विदेशी दौरों आदि पर निगरानी रखती है। विभाग की व्यय संबंधी प्रवृत्तियों की एकीकृत वित्त इकाई द्वारा सुसंगत मॉनीटरिंग की जाती है। वित्त संबंधी स्थायी समिति से संबंधित मुद्दों सहित बजट संबंधी सभी मामले इस इकाई के कार्य क्षेत्र में आते हैं।

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	बजट अनुमान 2013-14			संशोधित अनुमान 2013-14		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
45 - विनिवेश विभाग	—	63.24	63.24	—	30.00	30.00

परिशिष्ट - I

संगठनात्मक ढांचा
विनिवेश विभाग



वित्तीय सेवाएं विभाग

अनुभागों के बीच कार्य आबंटन

बैंकिंग परिचालन-I (बीओ-I): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर/डिप्टी गवर्नर, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों और कार्यपालक निदेशकों, नाबार्ड और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) में पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति, सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं/उपर्युक्त संस्थाओं के पूर्णकालिक निदेशकों के वेतन भत्ते तथा अन्य शर्तें; आरबीआई, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल का गठन। कार्मिक निदेशकों की नियुक्ति, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारी कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति।

बैंकिंग परिचालन-II (बीओ-II):

(i) बैंकिंग प्रचालन जैसे कि लाइसेंस प्रदान करना, आमेलन, पुनर्संरचना, अधिस्थगन निधियां तथा बैंकों का अधिग्रहण; भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं; भारत में विदेशी बैंकों के प्रचालन से संबंधित सभी नीतिगत मामले, बैंकिंग क्षेत्र सुधार, डिपाजिट इश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन (डीआईसीजीसी) के नीतिगत मामलों से संबंधित कार्य, आईएफएफबी।

(ii) सरकारी क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों तथा विदेशी बैंकों से संबंधित सभी अधिनियमों/विनियमों/नियमावलियों (अन्य अनुभागों को विनिर्दिष्ट रूप से किए गए आबंटन से इतरे) तथा बैंकिंग मामलों पर सभी अधीनस्थ कानूनों का अभिशासन/एनबीएफसी पर अपीलीय प्राधिकरण से संबंधित मामले/एनबीएफसी/आस्ति पुनर्संरचना कंपनियां। निजी तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के विभिन्न खण्डों से छूट संबंधी अधिसूचना; बीआर अधिनियम तथा पीएसबी अधिनियम के अंतर्गत अपीलों की सुनवाई के लिए अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति।

(iii) अंतरराष्ट्रीय संबंध (बैंकिंग, बीमा तथा पेंशन सुधार); वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ), संयुक्त निवेश निधि- ओमान- भारत निधि तथा भारत सऊदी निधि में अंतरराष्ट्रीय सहयोग। डब्ल्यूटीओ तथा बार्डर बैंकिंग सुविधाएं।

(iv) करेंसी चेस्ट खोलना; कोलकाता उच्च न्यायालय परिसमापक का कार्यालय; आतंकवाद वित्तपोषण मामले; स्थानीय क्षेत्र बैंक; सरकार का प्राप्ति तथा भुगतान कार्य।

बैंकिंग परिचालन-III (बीओ-III): बैंकों में ग्राहक सेवा: चेकों के समाशोधन में विलंब, ड्राफ्ट का भुगतान नहीं करना/जारी नहीं करना, ड्राफ्ट की अनुलिपि जारी नहीं करना/विलंब होना, बैंक के कर्मचारी द्वारा दुर्यवहार, उदण्डता, परेशान करना, मृतक के खातों से जुड़े दावों का निपटान नहीं करना/इसके निपटान में विलंब होना, नया खाता नहीं खोलना/खोलने में विलंब करना, ग्राहकों के संबंध में जारी अनुदेशों का पालन नहीं करना, परिपक्वता से पूर्व सावधि जमा का

भुगतान नहीं करना, पीएसबी के क्रेडिट कार्ड संबंधित मामले सहित पेंशनभोगी को भुगतान किए जाने में विलंब, क्रेडिट कार्डों, एटीएम आदि सहित पेंशनरों को भुगतान में देरी, सरकारी/निजी क्षेत्र तथा विदेशी बैंकों/वित्तीय संस्थानों (बीमा) के संबंध में डीएआरपीजी/डीपीजी से प्राप्त सभी प्रकार की शिकायतें। निजी क्षेत्र तथा विदेशी बैंकों के संबंध में सांसदों/वीआईपी/प्रधान मंत्री कार्यालय से प्राप्त सभी प्रकार की शिकायतें। बैंकिंग ग्राहक सेवा केन्द्र; बैंकिंग लोकपाल।

बैंकिंग परिचालन एवं लेखा (बीओए): सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) के कार्य के संबंध में वार्षिक समेकित समीक्षा तैयार करना तथा संसद के दोनों सदनों के पटल पर इन्हें प्रस्तुत करना; पीएसबी में लेखा की पद्धति तथा अंतिम लेखा; पीएसबी के कार्य परिणामों का अध्ययन तथा विश्लेषण; बैंकों की लेखा परीक्षा, पीएसबी/एफआई के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक का निर्धारण; पीएसबी की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदि संसद में प्रस्तुत करना; पीएसबी/एफआई के संबंध में कर संबंधी मामले, पीएसबी द्वारा केन्द्रीय सरकार को अदा किया गया लाभांश; बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत आरबीआई द्वारा की जाने वाली पीएसबी की वार्षिक वित्तीय समीक्षाओं की जांच तथा अनुवर्ती कार्रवाई; बैंक गारंटी तथा शिकायत योजनाओं का संचालन; बैंकों की पूंजीगत पुनर्संरचना (कमजोर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पुनर्संरचना सहित) तथा शेयर पूंजी में सरकार का अंशदान, बैंकों का सार्वजनिक शेयर निर्गम, बैंककारी विनियामन अधिनियम, 1949 की विभिन्न धाराओं से छूट के संबंध में अधिसूचना तथा सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए संदाय एवं निपटान अधिनियम तथा पीएसबी अधिनियम के अंतर्गत अपील की सुनवाई के लिए अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति; यूएसएआईडी के अंतर्गत आईसीआईसीआई को जारी विदेशी सहायता अनुदान। पीएसबी/आरबीआई के नागरिक चार्टर। पीएसबी में प्रचार-प्रसार, पीएसबी में कामकाज, पीएसबी एवं अन्य सरकारी विभागों/लोक उद्यमों (पीएसई) के बीच विवाद और मध्यस्थता; पीएसबी में वकीलों की नियुक्ति, परिसरों का अर्जन करना और परिसरों को पट्टे और किराए पर देना तथा खाली कराना और गोवा में पुर्तगाली बैंकों के अवशिष्ट मामले, सरकारी स्थान अधिनियम, 1971, बैंकों के प्रशासनिक कार्यालयों को खोला जाना एवं इन कार्यालयों का स्थानांतरण।

कृषि ऋण (एसी): कृषि ऋण, कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008; नाबार्ड (सेवा मामलों को छोड़कर) से संबंधित मामले, कृषि वित्त निगम (सेवा मामलों को छोड़कर) उक्त विषय के संबंध में राज्य कानून; (शहरी सहकारी बैंकों सहित) सहकारी बैंक, विश्व बैंक, ग्रामीण/कृषि ऋण से संबंधित एडीबी तथा केएफडब्ल्यू से सहायता प्राप्त परियोजनाएं, सहकारी बैंकों द्वारा की गई अपील, सूक्ष्म वित्त से संबंधित मामले, प्राकृतिक आपदाओं, दंगों के कारण उपद्रवों से प्रभावित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता। केवीआईसी को बैंक ऋण, हथकरघा तथा हस्तशिल्प क्षेत्र, नाबार्ड का नागरिक चार्टर।

ऋण नीति (सीपी): प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार, अजा/अजजा एवं अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों को उधार, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम, अल्पसंख्यकों को उधार; सच्चर समिति द्वारा अनुशंसित चयनित मानकों पर अनुवर्ती

कार्रवाई, डीआरआई योजना, सरकार द्वारा प्रायोजित योजना - पीएमईजीपी, शिक्षा एसजेएसआरवाई, एसजीएसवाई की रोजगार सृजन योजना तथा गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम, शिक्षा ऋण।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी): प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 से संबंधित विधायी मामले और तदंतर्गत नियमों का बनाया जाना; आरआरबी के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी निदेशकों का नामांकन, अध्यक्ष की नियुक्ति, आरआरबी की अनुशंसा, आरआरबी के निष्पादन की समीक्षा, पारिश्रमिक संशोधन, श्रम आयोजना, सभी आरआरबी की वार्षिक रिपोर्टें तथा उनकी समीक्षा को प्रस्तुत करना, आरआरबी के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए कर्मचारी सेवा विनियामक तथा पदोन्नति नियम तैयार करना, आरआरबी के आईआर मामले, आरआरबी का नागरिक चार्टर।

वित्तीय समावेशन (एफआई): वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्य, वित्तीय समावेशन के संबंध में अन्य अनुभागों, कार्यालयों, संस्थाओं से समन्वय, बैंकों का शाखा विस्तार; प्रमुख बैंक योजना तथा सेवा क्षेत्र पद्धति; जिला तथा राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी); बैंकिंग नेटवर्क का क्षेत्रीय असंतुलन, व्यवसाय प्रतिनिधि, व्यवसाय सुविधाकारकों से संबंधित मामले, मोबाइल बैंकिंग आदि, सभी एफआई में ई-गवर्नेंस से संबंधित मामले तथा बैंकिंग प्रणाली एवं पीएसबी के कंप्यूटरीकरण में ई-भुगतान; बीसीसी मॉडल के माध्यम से मनरेगा कार्मिकों को मजदूरी का भुगतान; वित्तीय समावेशन सहित आधार नम्बर यूआईडीएआई का अंतरण; लाभार्थियों को सरकारी योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ का उनके बैंक खाते के माध्यम से अंतरण और व्यवसाय प्रतिनिधि आदि के संबंध में नीति और मार्गदर्शन।

औद्योगिक संबंध (आईआर): आईडीबीआई/एफआई/नाबार्ड/आरबीआई सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सेवा संबंधी मामले; औद्योगिक विवाद अधिनियम मामला, पीएसबी तथा आरबीआई संघों एवं बैंकिंग उद्योग में संघों से संबंधित मानव संसाधन मामले, बैंकों में स्थानांतरण, पदोन्नति तथा मानव संसाधन विकास की नीति का द्विपक्षीय निपटान; बैंक कर्मचारियों की राजनैतिक गतिविधियों के बारे में आईबी रिपोर्ट, विदेशों में स्थित शाखाओं में बैंक कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते; मानव संसाधन सुधार।

समन्वय: पीएसबी के सीईओ के साथ वित्त मंत्री की बैठक और क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन; संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति का अभिभाषण; सचिव (वित्तीय सेवाएं) की स्टाफ बैठक; वीआईपी संदर्भ, प्रधान मंत्री कार्यालय संदर्भ, आरबीआई के लंबित मामलों का समन्वय; अन्य मंत्रालयों/विभागों के संसदीय प्रश्नों के लिए सामग्री उपलब्ध कराना; वीआईपी संदर्भ के संबंध में संसदीय प्रश्न; सचिव (वित्तीय सेवाएं) से मंत्रिमंडल सचिव को भेजा जाने वाला मासिक अ.शा. पत्र; सीपीआईओ, एसीपीआईओ, एए तथा वित्तीय सेवाएं विभाग के आरटीआई मामलों के लिए नोडल अनुभाग, वार्षिक रिपोर्ट आदि के लिए सीआईसी; वित्तीय सेवाएं विभाग के लिए आरंभिक सामग्री को अद्यतन करना; वित्तीय सेवाएं विभाग के दो से अधिक प्रभागों के शामिल होने पर वीआईपी, पीएमओ, राष्ट्रपति सचिवालय के संदर्भों का समन्वय।

स्थापना: आरआर नियुक्तियों, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, प्रतिनियुक्ति (विदेश सहित), प्रशिक्षण, आईडब्ल्यूएसयू, एसआईयू, कल्याण एफआर 56(अ) के अंतर्गत अधिकारियों की समीक्षा, आंतरिक सतर्कता, कर्मचारी शिकायत, पेंशन आदि; अधिकारियों तथा कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार का अग्रिम प्रदान करना, वकीलों को फीस का भुगतान, चिकित्सा दावा तथा सीजीएचएस मामलों का निपटान, परिवार कल्याण कार्यक्रम सहित वित्तीय सेवाएं विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से संबंधित मामले।

सामान्य प्रशासन (जीए): आंतरिक रख-रखाव, सफाई भण्डारण, कैन्टीन, प्राप्ति एवं प्रेषण, पुस्तकालय, स्टाफ कार चालक, वित्तीय सेवाएं विभाग के अधिकारियों के वाहन, कंप्यूटर हार्डवेयर की खरीद और कंप्यूटरों का रख-रखाव, प्रिंटर और अन्य उपकरण, वित्तीय सेवाएं विभाग के कर्मचारियों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/बीमा कंपनियों आदि के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशकों/जन सम्पर्क अधिकारी आदि को पहचान पत्र उपलब्ध कराना।

संसद: संसद प्रश्न, नोटिस, स्वीकृत प्रश्न एकत्र करना और इन्हें चिह्नित करना तथा मंत्री महोदय से फाइल अनुमोदित कराना, मंत्रियों के पैड के लिए तथ्यों और उत्तरों को तैयार करना; लंबित आश्वासनों का लेखा-जोखा तथा अभिलेख रखना; 377 के अंतर्गत विशेष उल्लेख तथा संदर्भ और आरंभिक सामग्री में यथा उल्लिखित अन्य सामग्री।

अभिरक्षक का कार्यालय: संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) (जिसने प्रतिभूति लेनदेन में अनियमितताओं की जांच की थी); प्रतिभूति लेनदेन की अनियमितताओं में अंतर्ग्रस्त बैंक कर्मचारी/कार्यपालकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई; विशेष न्यायालयों/अभिरक्षक के कार्यालय से संबंधित मामले; पदों को बनाए रखने के संबंध में सभी मामले; अभिरक्षक के कार्यालय का विस्तार तथा अभिरक्षक की नियुक्ति सहित अभिरक्षक का कार्यालय और विशेष न्यायालय।

लेखा परीक्षा पैरा

हिन्दी: सरकार की राजभाषा नीति, संसद प्रश्न और स्थायी समितियों से संबंधित अनुवाद कार्य, बैठकों के कार्यवृत्त, हिन्दी प्रशिक्षण योजना और वित्तीय सेवाएं विभाग के प्रशिक्षण सामग्री में वर्णित अन्य विविध कार्य।

कल्याण अनुभाग (एससीटी): सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती, पदोन्नति तथा कल्याण से संबंधित मामले; पीएसबी/एफआई, बीमा कंपनियों में इन वर्गों के आरक्षण के संबंध में नीति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में आरक्षण संबंधी मामले आदि।

आंकड़ा विश्लेषण (डीए): आंकड़ा विश्लेषण अनुभाग इन सब के लिए उत्तरदायी है:- मौद्रिक नीति के विश्लेषण, बैंकिंग से संबंधित आंकड़ें यथा ब्याज दरें, आधार दर, क्षेत्रवार ऋण/जमा राशियों तथा अग्रिमों के विश्लेषण के लिए एमआईएस तैयार करना, वित्तीय क्षेत्र सुधार, माननीय वित्त मंत्री तथा माननीय वित्त राज्य मंत्री के लिए भाषण तैयार करना, मासिक समाचार बुलेटिन तथा न्यूजलेटर का प्रकाशन, डीएफएस के सभी अधिकारियों के लिए दैनिक समाचार अद्यतन तैयार करना, आर्थिक सर्वेक्षण, अर्द्धवार्षिक समीक्षा, वर्षान्त समीक्षा के लिए सामग्री हेतु समन्वय करना तथा संघीय बजट तथा बकाया लेखापरीक्षा पैरा की अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित समन्वय मामले।

औद्योगिक वित्त-I (आईएफ-I): निर्यात आयात बैंक अधिनियम, 1981 का प्रशासन तथा आईआईएफसीएल की व्यवहार्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की वित्तपोषण योजना (एसआईएफटीआई), एक्जिम बैंक, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) तथा सिंचाई एवं जल संसाधन वित्त निगम (आईडब्ल्यूआरएफसी), इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आफ इंडिया (आईएफसीआई) लि. से संबंधित परिचालनात्मक नीति, बजटीय एवं अन्य मामले; आईआईबीआई लि. को बंद करना; बोर्ड स्तरीय नियुक्तियां, आईआईएफसीएल, आईडब्ल्यूआरएफसी तथा आईआईबीआई लि. में पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति; एक्जिम बैंक, आईआईएफसीएल, आईडब्ल्यूआरएफसी, आईआईबीआई लि., आईएफसीआई लि. तथा आईडीएफसी लि. में सरकार द्वारा नामित निदेशक; एक्जिम बैंक, आईआईएफसीएल, आईडब्ल्यूआरएफसी, तथा आईआईबीआई लि. में गैर-सरकारी निदेशक; अवसंरचना, विद्युत, वस्त्र, निर्यात, वाणिज्य आदि जैसे क्षेत्र विशिष्ट मामले; एक्जिम बैंक अधिनियम का प्रशासन, वित्तीय संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना; रत्नागिरी गैस और पॉवर प्राइवेट लि. (आरजीपीपीएल) से संबंधित मामले, एक्जिम बैंक और आईआईएफसीएल का नागरिक चार्टर।

औद्योगिक वित्त-II (आईएफ-II): एनएचबी और आवास नीति, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) से संबंधित मामले, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (एआईएफआर), रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष उपबंध) अधिनियम (एसआईसीए) से संबंधित मामले, बीआईएफआर, एआईएफआर, लघु तथा मध्यम उद्यम (एसएमई), सिडबी, एसएफसी, सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों; एमएलआई, ऋण गारंटी योजना तथा उक्त विषय के संबंध में अन्य संबंधित मामले, एनएचबी तथा सिडबी के नागरिक चार्टर।

सतर्कता: सीवीसी/सीटीई से परामर्श; सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए सीवीओ का नामांकन; सीबीआई के साथ पत्राचार; भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के संबंध में वार्षिक कार्य योजना; सीबीआई तथा आरबीआई द्वारा घोषाघड़ी के मामलों की जांच; भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के अंतर्गत मामले; निरोधक सतर्कता; आरबीआई/पीएसबी/एफआई तथा बीमा कंपनियों में सतर्कता प्रणाली तथा प्रक्रिया, पीएसबी/एफआई के जीएम/ईडी तथा सीएमडी के विरुद्ध शिकायतों की जांच तथा इन पर सतर्कता निगरानी; पीएसबी में बड़ी घोषाघड़ी (भारत तथा विदेश में) भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के संबंध में प्रधान मंत्री कार्यालय का संदर्भ; बैंक सुरक्षा; बैंकों में डकैती तथा क्षति की रोकथाम; ईडी/सीएमडी के मामले में अभियोजन की स्वीकृति; युद्ध पुस्तिका मामला; सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट; पीएसबी/एफआई में आचरण विनियम पीएसबी/ सीवीसी/सीबीआई में सेवानिवृत्ति के पश्चात रोजगार; डीआरटी/डीआरएटी से संबंधित संदर्भ।

ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी): बैंक तथा वित्तीय संस्था अधिनियम, 1933 के कारण ऋण वसूली के अंतर्गत डीआरटी/डीआरएटी स्थापित करना; डीआरटी अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाना तथा इन्हें संशोधित करना; डीआरटी/डीआरएटी में अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारियों, पंजीयकों, सहायक पंजीयकों, वसूली अधिकारियों तथा अन्य पदों को भरना; प्रशासनिक मामले/समीक्षा के संबंध में स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश आदि जारी करना; डीआरटी/डीआरएटी द्वारा मामलों में प्रगति तथा इनका निपटान; डीआरटी/डीआरएटी से संबंधित बजट प्रावधान, निगरानी आदि।

रिकवरी अनुभाग: यह अनुभाग आरडीडीबीएफआई अधिनियम, 1993 तथा सरफासी अधिनियम, 2002 तथा उनके नियमों, केंद्रीय रजिस्ट्री सीआईबीआईएल सहित ऋण सूचना कंपनियों, प्रतिभूतिकरण तथा पूर्वबन्दी, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का हल/वसूल करना, एक बारगी निपटान/ऋण खातों का समझौता इत्यादि के कारण बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई करता है।

सूक्ष्म वित्त:

सूक्ष्म वित्त संस्थानों तथा इनके विधान से संबंधित मामले, नाबार्ड के सूक्ष्म वित्त के साथ-साथ स्व-सहायता समूह आदि।

(बीमा-I):

एलआईसी कारोबार - जीवन बीमा निगम के कार्य-निष्पादन की समीक्षा; संसद में जीवन बीमा निगम की रिपोर्ट प्रस्तुत करना; भारत में जीवन बीमा निगम की शाखाएं खोलना/बंद करना; एलआईसी में पीपी अधिनियम का प्रशासन तथा एलआईसी में सम्पदा मामलों से संबंधित संदर्भ, विदेश में संचालन/एलआईसी की सहायक कंपनियां, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का तथा अन्य जीवन बीमा योजनाओं के संबंध में संदर्भ; भारत सरकार द्वारा एलआईसी के अंतर्गत वित्तपोषित विभिन्न योजनाओं, जैसे जनश्री बीमा योजना, शिक्षा सहयोग योजना, वरिष्ठ बीमा योजना तथा आम आदमी बीमा योजना; अन्य सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना; केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना; डाक जीवन बीमा योजना; कर्मचारी भविष्य निधि योजना के कार्य-निष्पादन की समीक्षा तथा इनके लिए बजटीय प्रावधान करना; जीवन बीमा में सरकार द्वारा प्रायोजित/समर्थित सभी योजना; कोई अन्य जीवन बीमा या सामाजिक सुरक्षा उत्पाद/योजना प्रस्ताव; अन्य: बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 110(ज) के अंतर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण।

निम्न समितियों के संबंध में समन्वय कार्य: महिलाओं के कल्याण के लिए समिति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए समिति, प्राक्कलन समिति।

नियुक्तियां - जीवन बीमा निगम - एलआईसी के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक का चयन तथा नियुक्ति, एलआईसी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति, एलआईसी की सहायक कंपनियों के पदेन सदस्यों की नियुक्ति; एलआईसी के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक तथा अन्य कार्यपालकों की सेवानिवृत्ति के पश्चात वाणिज्यिक नियुक्ति; **आईआरडीए -** आईआरडीए के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति, आईआरडीए के अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारियों की सेवा शर्तें; आईआरडीए के बजट तथा निधियां; आदत एजेंसियों से संबंधित अन्य मामले, नई कंपनियों की प्रविष्टि तथा आईआरडीए का विनियम।

सेवा संबंधी मामले - सेवा संबंधी मामले, सरकारी क्षेत्र की सभी बीमा कंपनियों में नियम तथा विनियम, सरकारी क्षेत्र की सभी बीमा कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा सेवा मामलों के संबंध में अभ्यावेदन, विकास अधिकारियों/एजेंटों/बिचौलियों की सेवा संबंधी मामले; एलआईसी/सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों में बोनस/रवैच्छिक सेवानिवृत्ति; वाणिज्यिक रोजगार के संबंध में योजना/नीतिगत मामले/जीवन बीमा निगम लिमिटेड का नागरिक चार्टर।

बीमा-II:

शिकायत – सेवा संबंधी मामलों को छोड़कर, एआईसीएल तथा आईआरडीए सहित सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के संबंध में लोक शिकायत, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के लोक शिकायत अधिकारियों की आवधिक बैठक, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में आंतरिक लोक शिकायत निवारण तंत्र का कार्य; उपभोक्ता न्यायालय, लोकपाल, लोक अदालत, एमएसीटी तथा न्यायालयों जैसे बाह्य शिकायत निवारण तंत्र का कार्य; बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 110(ज) के अंतर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण, गैर-जीवन बीमा कंपनियों का नागरिक चार्टर।

हारुसकीपिंग: बीमा प्रभाग में कम्प्यूटरों, फर्नीचर, फोटोकॉपियों इत्यादि का रखरखाव, बीमा कंपनियों के स्टाफ तथा कार्यपालकों को पहचान पत्र।

बीमा क्षेत्र सुधार – बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित सभी मामले, बीमा अधिनियम, 1938 में सुधार संबंधी संशोधन, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956, जीआईबीएनए, 1972, आईआरडीए अधिनियम, 1999 तथा बीमांकन अधिनियम, 2006, विधि आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन।

नियुक्तियां – एआईसीएल सहित सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में मुख्य कार्यपालकों के चयन से संबंधित मामले; एआईसीएल सहित सरकारी क्षेत्र के गैर-जीवन बीमा कंपनियों के बोर्ड में नियुक्ति; बीमा कार्यपालकों की संवर्ग बाह्य प्रतिनियुक्ति, एआईसीएल सहित गैर-जीवन बीमा कंपनियों के मुख्य कार्यपालकों के लिए अनुमति।

साधारण बीमा – एआईसीएल सहित साधारण बीमा कंपनियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा; एआईसीएल सहित सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों की बीमा योजनाओं से संबंधित मामले और इनके संबंध में लेखा परीक्षा मामला; सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों का कंप्यूटरीकरण; सरकारी क्षेत्र की गैर-जीवन बीमा कंपनियों के सर्वेक्षक तथा एजेंटों से संबंधित संदर्भ; सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के विदेशी संचालन; पुनः बीमा से संबंधित संदर्भ, थर्ड पार्टी प्रशासन, यातायात सलाहकार समिति; शाखाओं को खोलना/बंद करना; युद्ध जोखिम (नौसैनिक आवरण) पुनः बीमा योजना 1976 का प्रशासन, विदेश में बीमा नीति के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने हेतु अनुमति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से संदर्भ साधारण बीमा कंपनियों (जीआईसी)/एआईसीएल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना; गैर-जीवन बीमा कंपनियों में पीपी अधिनियम का प्रशासन तथा इन कंपनियों में सम्पदा से संबंधित मामलों के संबंध में संदर्भ।

समन्वय: बजट तैयार करने, कर प्रस्ताव, बीमा के संबंध में बजट घोषणा, वार्षिक रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, वार्षिक भारतीय संदर्भ, आर्थिक सम्पादक सम्मेलन; प्रधान मंत्री कार्यालय/मंत्रिमंडल सचिवालय का संदर्भ, सीआईआई तथा एफआईसीसीआई, बीमा प्रभाग के आंतरिक मामले; बीमा कंपनियों में ई-भुगतान से संबंधित मामले, बीमा कंपनियों का कंप्यूटरीकरण।

निम्न समितियों के संबंध में समन्वय कार्य – वित्त संबंधी स्थायी समिति; अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, याचिका समिति; सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति।

अन्य – विश्व व्यापार संघ बहु पक्षीय/द्विपक्षीय करार; भारत और किसी अन्य देश के बीच अंतर सरकार करार।

पेंशन सुधार (पीआर): पेंशन सुधार का समन्वय तथा इसे आरम्भ करना; नई पेंशन योजना आरम्भ करना तथा राज्य सरकारों तथा असंगठित क्षेत्र में इसके कवरेज का विस्तार करना और सह अंशदायी स्वावलम्बन योजना का कार्यान्वयन; गैर-सांविधिक अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का गठन तथा इसके संबंध में प्रशासनिक मामले; पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011 तैयार करना तथा संसद में इसे पारित कराना; गैर-सरकारी भविष्य निधि के लिए निवेश योजना से संबंधित मामले, अधिवर्षिता निधि तथा उपदान निधि।

संसद प्रश्न, विधान, मंत्रिमंडल टिप्पणी, न्यायालयगत मामले, वीआईपी संदर्भ, आरबीआई आवेदन के संबंध में कार्रवाई संबंधित अनुभागों द्वारा की जाएगी।

विशेष प्रकोष्ठ: (कार्यालय आदेश संख्या 11013/1/2013-स्थापना दिनांक 28.06.2013 के तहत सृजित) – आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी, एक्जिम बैंक तथा आईआईएफसीएल की बोर्ड बैठकों के एजेंडा नोट्स के संबंध में सचिव (वि.से.) को ब्रीफ/टिप्पणियां उपलब्ध कराना; पीएसबी/एफआईबीमा कंपनियों की बोर्ड बैठकों के एजेंडा नोट्स के विश्लेषण के लिए सरकार के नामित निदेशकों को सहायता प्रदान करना; सरकार के नामित निदेशकों के लिए इंडक्शन सामग्री तैयार करना; उसे नियमित रूप से अद्यतन करना; सभी संगत परिपत्रों/दिशानिर्देशों/आदेशों की प्रतिलिपियों को संभालना तथा उन्हें तिमाही आधार पर परिचालित करना व सरकार के नामित निदेशकों द्वारा यथापेक्षित इनपुट उपलब्ध कराना; सरकार की प्राथमिकता प्राप्त नीतिगत मसलों के संबंध में वित्तीय सेवाएं विभाग के अधिकारियों द्वारा सरकार के नामित निदेशकों के लिए

नियमित अंतराल पर ब्रीफिंग आयोजित करना।

1. बैंकिंग परिचालन तथा खाते

1.1 सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पूंजीकरण

पीएसबी में सरकार द्वारा पूंजी निवेश अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने के साथ-साथ पीएसबी में विनियामक पूंजी पर्याप्तता अनुपातों को बनाये रखने के दोहरे उद्देश्यों से किया जाता है। एक दीर्घ शैरधारक के रूप में भारत सरकार सभी पीएसबी को पर्याप्त रूप से पूंजीकृत करने हेतु प्रतिबद्ध है। पीएसबी में सरकार का पूंजी निवेश बैंकों द्वारा टियर-I सीआरएआर के सहज स्तर को बनाने में सक्षम होने के लिए उनके द्वारा आंतरिक रूप से सृजित पूंजी के अतिरिक्त होता है। 2013-14 के दौरान पीएसबी को पुनर्पूँजीकृत करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

- सरकार ने 2013-14 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 20 बैंकों (पीएसबी) में 14000 करोड़ रुपए की राशि का निवेश किया है।
- सरकार ने कुछ पीएसबी को उनकी अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार से पूंजी जुटाने के लिए अपना सैद्धांतिक अनुमोदन भी संप्रेषित किया है।

- (iii) वे पीएसबी जिनमें भारत सरकार स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपी), स्थायी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस) तथा नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई) धारक है, को इन लिखतों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई है जिससे उनकी इक्विटी पूंजी की बढ़ोतरी हो जाएगी।

2. वर्ष 2014-15 के लिए भी सरकार ने आयोजना बजट अनुमान 2014-15 के अंतर्गत 11200 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई ताकि बैंक टियर-I सीआरएआर के सहज स्तर को बनाने में सक्षम हो सके तथा यह सुनिश्चित हो सके कि वे बासेल-III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का अनुपालन करें।

1.2 महिला बैंक- भारतीय महिला बैंक लि.

समानता के संवर्द्धन तथा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के संवर्द्धन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारत का पहला महिला बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया ताकि (क) महिलाओं के सभी वर्गों हेतु वित्तीय पहुंच, (ख) महिला सशक्तिकरण, तथा (ग) वित्तीय समावेशन।

आर्थिक सशक्तिकरण हासिल करने के लिए महिलाओं को आर्थिक संस्थाओं तक समान पहुंच तथा अस्तित्वों पर नियंत्रण की आवश्यकता है। चूंकि दोनों अवयव परस्पर जुड़े हुए हैं इसलिए धन प्राप्ति हेतु आस्तियों पर नियंत्रण तथा आस्ति पर नियंत्रण हेतु धन प्राप्ति अनिवार्य है। इसलिए आर्थिक सशक्तिकरण हेतु पहला कदम है कि संपादित की कमी की समस्याओं को दूर करते हुए महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक समान पहुंच उपलब्ध कराई जाए। इससे महिलाओं द्वारा आस्ति स्वामित्व (संसाधनों पर नियंत्रण) तथा उद्यमशीलता, जिससे उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, दोनों के संवर्द्धन में मदद मिलेगी।

सरकार ने भारतीय महिला बैंक लि. में 1000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी का निवेश किया है। बैंक प्रारंभ कर दिया गया है तथा आरबीआई ने बैंक को बैंकिंग लाइसेंस भी पहले ही जारी कर दिया है। दिनांक 19.11.2013 को शुरुआत के उपरांत बैंक प्रचालनरत हो गया है।

1.3. निजी क्षेत्र में नए बैंकिंग लाइसेंस:

अपने दिनांक 22.2.2013 के प्रेस रिलीज के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने “निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस हेतु दिशानिर्देश” जारी किए थे जिनमें निजी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आरबीआई द्वारा 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तदनन्तर उक्त दिशानिर्देशों में बताए गए अनुसार, आरबीआई ने निजी क्षेत्र में नए बैंकों हेतु आवेदनों की छटनी के लिए डॉ० विमल जालान, पूर्व गवर्नर (आरबीआई) की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय परामर्शदात्री समिति का गठन किया। समिति ने आरबीआई को अपनी सिफारिशों वाली रिपोर्ट 25.2.2014 को प्रस्तुत की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर आवेदनों की आंतरिक संवीक्षा की गयी थी तथा तदुपरान्त, आरबीआई ने 2.4.2014 के अपने प्रेस रिलीज के माध्यम से दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंकों की स्थापना हेतु

दो आवेदकों यथा, आईडीएफसी लि. तथा बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि. को “सैद्धांतिक” अनुमोदन प्रदान करने के अपने निर्णय की सूचना दी।

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनरुज्जीवन

कृषि, ग्रामीण उधार देने तथा वित्तीय समावेशन में व्यापक भूमिका निभाने को ध्यान में रखते हुए सरकार आरआरबी को मजबूत कर रही है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित उपाय किए गए थे:

2.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शाखा नेटवर्क

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या जो 31 मार्च, 2012 को 16909 थी, 31 मार्च 2013 को बढ़कर 17,861 हो गई, जिससे आरआरबी का नेटवर्क 635 जिलों तक बढ़ गया। वर्ष 2013-14 के दौरान 31.12.2013 तक आरआरबी द्वारा 438 नई शाखाएं खोली गई हैं जिससे 31.12.2013 तक आरआरबी की कुल शाखाएं 18299 हो गयी हैं। आरआरबी की सभी शाखाएं सीबीएस प्लेटफॉर्म पर हैं।

2.2 सीआरएआर को बढ़ाने के लिए पूंजी लगाना

डॉ. के. सी. चक्रवर्ती ने 40 आरआरबी को अपना सीआरएआर 9% तक बढ़ाने के लिए पुनर्पूँजीकरण सहायता की सिफारिश की थी। पुनर्पूँजीकरण की राशि के 2200 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें भागीदारों द्वारा अपनी हिस्सेदारी अर्थात 50% (केन्द्र सरकार), 15% (राज्य सरकार) तथा 35% (प्रायोजक बैंक) के अनुपात में योगदान करना था। केन्द्र सरकार का भाग 1100 करोड़ रुपये था। पुनर्पूँजीकरण की प्रक्रिया वर्ष 2010-11 में आरंभ हुई थी। अनुमोदित योजना के अनुसार, केन्द्र सरकार के भाग का जारी होना संबंधित राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंक द्वारा अपना भाग जारी करने के अधीन है। वर्ष 2010-11 और 2011-12 में 21 आरआरबी को 468.92 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। चूंकि सभी राज्य सरकारों ने पुनर्पूँजीकरण के अपने भाग को जारी नहीं किया है, अतः योजना को 31 मार्च, 2014 तक बढ़ा दिया गया है।

पुनर्पूँजीकरण हेतु केंद्र सरकार की भागीदारी के रूप में 2012-13 के दौरान 19 आरआरबी को 535.00 करोड़ रुपये तथा 2013-14 के दौरान 4 आरआरबी को 82.78 करोड़ रुपये की राशि जारी की गयी थी। 82.78 करोड़ रुपये में से 48.46 करोड़ रुपये सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक को जारी किए गए थे जो कि 9% की न्यूनतम सीआरएआर की अपेक्षा को पूरा करने के लिए नाबार्ड की सिफारिश के उपरान्त विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के आमेलन के उपरांत एक आमेलित निकाय है। इसके साथ 31 मार्च, 2014 तक सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक सहित 39 आरआरबी को 1086.70 करोड़ रुपये जारी हो गए हैं। उपलब्धि 98.79% है।

2.3 वित्तीय कार्य-निष्पादन

वर्ष 2012-13 के दौरान 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार 64 आरआरबी द्वारा (कर पूर्व) 3281 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज करने के साथ आरआरबी के वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार हुआ। 896 करोड़ रुपये आय कर का भुगतान करने के पश्चात वर्ष के दौरान निवल लाभ 2274.72 करोड़ रुपये था। हानि वाले आरआरबी की संख्या जो वर्ष 2011-12 में 3 थी वर्ष 2012-13 में कम होकर 1 हो गई और तदनुरूप हानि उक्त अवधि के दौरान 28.87 करोड़ रुपये से कम होकर 2.07 करोड़ रुपये हो गई। वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार के परिणामस्वरूप आरआरबी की समग्र आरक्षित निधि 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति के अनुसार 13247.26 करोड़ रुपये हो गई जबकि 31 मार्च, 2012 को यह 11262.99 करोड़ रुपये थी। उनकी निवल लागत वर्ष 2011-12 में 15129.44 करोड़ रुपये से बढ़कर 2012-13 के दौरान 18354.78 करोड़ रुपये हो गई।

2.4 संचित हानि

संचित हानियों वाले आरआरबी की संख्या 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार 22 से काफी घटते हुए 31 मार्च, 2013 को 11 हो गयी। उपरोक्त तिथियों को आरआरबी की संचित हानियों का कुल योग 1332.57 करोड़ रुपये से घटकर 1090.64 करोड़ रुपये (241.93 करोड़ रुपये की कमी) हो गया।

2.5 अनर्जक आस्तियां (एनपीए)

आरआरबी की समग्र अनर्जक आस्ति जो 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार 5859 करोड़ रुपये थी, बढ़कर 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार 8330 करोड़ रुपये हो गई। उक्त अवधि में एनपीए की प्रतिशतता 5.03% से बढ़कर 6.08% हो गई। आरआरबी की निवल अनर्जक आस्ति जो 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 3372 करोड़ रुपये थी, 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 4992 करोड़ रुपये हो गई। उक्त अवधि के दौरान निवल अनर्जक आस्ति की प्रतिशतता 2.98% से बढ़कर 3.78% हो गई।

2.6 एक राज्य में भौगोलिक रूप से संस्पर्शी आरआरबी का आमेहन

आरआरबी ने ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के लिए ऋण वितरण नेटवर्क में मुख्य भूमिका अदा की है। अपनी पहुंच को बढ़ाने तथा ग्रामीण लोगों को बैंकिंग सुविधाएं अधिक प्रभावी रूप से प्रदान करने के लिए आरआरबी को प्रौद्योगिकी तथा पूंजी उन्नयन की प्रक्रिया जारी रखना अपेक्षित है।

आरआरबी में अतिरिक्त व्यय को न्यूनतम करने तथा प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबाडी), संबंधित राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंक के परामर्श से राज्य में भौगोलिक रूप से संस्पर्शी आरआरबी के आमेहन की प्रक्रिया आरंभ की है। आमेहन से, आमेहित आरआरबी का पूंजी आधार तथा परिचालन क्षेत्र बढ़ जाएगा तथा आमेहित संस्थाएं अपने क्षेत्र में बेहतर सेवा प्रदान करने में सक्षम होंगी। 31 मार्च, 2014 तक 43 आरआरबी को 18 आरआरबी में आमेहित

किया गया है, जिससे आरआरबी की सं. 82 से कम होकर 57 हो गई है।

2.7. मानव संसाधन विकास

- (i) आमेहित आरआरबी स्टाफ के लिए परस्पर वरिष्ठता दिशानिर्देश भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं जिन्हें नाबाडी द्वारा सभी आरआरबी तथा प्रायोजक बैंकों को परिचालित किया गया था।
- (ii) सरकार ने आरआरबी के अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए आयु सीमा से संबंधित दिशानिर्देशों को 55 वर्ष तक की आयु तक बढ़ा दिया है, एक समय में एक वर्ष तथा सभी बैंकों व प्रायोजक बैंकों को 23.1.2014 को परिचालित किया है।

3. वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन सरकार की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य है देश की अब तक असेवित व्यापक जनसंख्या तक वित्तीय सेवाओं का दायरा बढ़ाना ताकि उसकी विकास की संभावना को गति दी जा सके। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर की आबादी तथा बैंकिंग की पहुंच बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने समय-समय पर वही पहल/प्रयास किए हैं।

(1) **बैंक शाखा नेटवर्क का विस्तार:** सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने वर्ष 2013-14 में 7840 शाखाएं खोली जबकि 2011-12 में 4805 शाखाएं तथा 2012-13 में 4432 शाखाएं थीं।

(2) **एटीएम नेटवर्क का विस्तार:** 31.1.2014 तक की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के एटीएम की कुल संख्या बढ़कर 96853 हो गयी जबकि 31.1.2013 को यह 69652 थी तथा 31.3.2012 को यह 58193 थी। बजट घोषणा के अनुसरण में 2013-14 में 25331 ऑन-साइट एटीएम स्थापित किए गए।

(3) **कारोबार प्रतिनिधि एजेंटों को बढ़ावा:** वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा बैंकों को यह सुझाव दिया गया है कि वे बैंकिंग सेवा को उप सेवा क्षेत्र (एसएसए) पर आधारित देश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र तक बढ़ाया जाए जिसके अंतर्गत 1000-1500 परिवार शामिल हों। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ी राज्यों के और अन्य राज्यों के कम आबादी वाले क्षेत्रों के बैंक प्रत्येक परिवार को कारोबार प्रतिनिधि एजेंटों (बीसीए) के अंतर्गत कवर कर सकते हैं। बड़ी ग्राम पंचायत में एक से अधिक बीसीए नियुक्त किए जा सकते हैं। छोटी ग्राम पंचायत जहां एक से अधिक समीपस्थ ग्राम पंचायत हो, उसके भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक में बीसीए नियुक्त किए जा सकते हैं।

बैंकों ने 121 डीबीटी जिलों में प्रत्येक उप सेवा क्षेत्र को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया की योजना पहले ही शुरू कर दी है। बैंक इन सभी 121 जिलों में 30855 विहित एसएसए में से 30751 एसएसए में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा चुके हैं।

(4) **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल):** डीबीटी योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत

धन लाभार्थियों तक अविलंब पहुंच सके। बैंक डीबीटी/डीबीटीएल के कार्यान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं और इसमें निम्न चार महत्वपूर्ण कदम सम्मिलित हैं, यथा:-

- सभी लाभार्थियों के खाते खोलना;
- बैंक खाते आधार नंबर से जोड़ना और एनपीसीआई मैपर पर अपलोड करना;
- राष्ट्रीय स्वचालित शोधन गृह-आधार भुगतान ब्रिज योजना (एनएसीएच-एपीबीएस) के प्रयोग द्वारा निधियों का अंतरण करना।

(iv) लाभार्थियों को धन निकासी हेतु सक्षम बनाने के लिए बैंकिंग की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाना।

(i) **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** देश में जनवरी, 2013 से यह योजना प्रारंभ की गई है और यह योजना चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई है। शुरुआत में 43 जिलों में 25 कल्याणकारी योजनाओं (चरण-I) और 78 अतिरिक्त जिलों (चरण-II) में विस्तार करते हुए 01 जुलाई, 2013 से 3 अतिरिक्त योजनाओं तक बढ़ाया गया है।

21.03.2014 की स्थिति के अनुसार डीबीटी की स्थिति

क्र.सं.	विवरण	चरण-I		चरण-II	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
(1)	खोले गए लाभार्थी खातों की संख्या	14.64 लाख	98.78%	23.55 लाख	98.65%
(2)	खातों में आधार नंबर जोड़ना	10.76 लाख	73.48%	11.16 लाख	47.37%
(3)	एनपीसीआई के साथ आधार संख्याओं की मैपिंग करना	10.76 लाख	100.00%	11.25 लाख	100.87%

स्रोत: आईबीए

(ii) **एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल):** डीबीटीएल 18 जिलों में 01.06.2013 से एक जिले (मैसूर) में 01.07.2013 से और अन्य जिले (मंडी) में 01.08.2013, 34 जिलों में 01.09.2013 से और 43 अतिरिक्त जिलों में 01.10.2013 से प्रारंभ किया गया था। सरकार ने डीबीटीएल योजना चरणबद्ध तरीके

से 194 अतिरिक्त जिलों में प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया है। सरकार ने डीबीटीएल योजना में लाभार्थियों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए डीबीटीएल योजना के कार्यों की समीक्षा करने हेतु 28.02.2014 को श्री एस.जी. धांगे (पूर्व निदेशक, आईआईटी, कानपुर) की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया।

20.03.2014 की स्थिति के अनुसार डीबीटीएल की स्थिति

20.03.2014 की स्थिति के अनुसार डीबीटीएल से जोड़ने के सभी चरणों का सारांश					
चरण/जिले	एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या (लाख में)	अद्यतन तिथि के अनुसार एलपीजी के साथ जोड़े गए आधार	अद्यतन तिथि के अनुसार एलपीजी के साथ जोड़े गए आधार का %	अद्यतन तिथि के अनुसार बैंक को आधार से जोड़ना (लाख में)	अद्यतन तिथि के अनुसार बैंक के साथ जोड़े गए आधार का %
चरण 1 (20)	75.59	67.55	89.36%	63.31	83.75%
चरण 2 (34)	150.49	115.33	76.64%	100.98	67.10%
चरण 3 (43)	166.18	87.35	52.57%	61.48	37.00%
चरण 4 (39)	130.76	53.62	41.01%	38.08	29.13%
चरण 5 (49)	141.39	35.38	25.02%	22.77	16.11%
चरण 6 (108)	298.31	77.33	25.92%	49.15	16.48%
कुल (293)	962.72	436.56	45.34%	335.77	34.87%
	9.63 करोड़	4.37 करोड़		3.36 करोड़	

स्रोत: एमओपीएनजी

4. कृषि ऋण लक्ष्य

कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए किसानों तक किफायती एवं यथासमय ऋण सुविधाओं की पहुंच होना जरूरी है। वर्ष 2013-14 के लिए 7,00,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण

लक्ष्य के मुकाबले वर्ष के दौरान 7,30,765.61 करोड़ रुपए (अंतिम) की राशि संवितरित की गई थी। कृषि ऋण को लक्षित प्रवाह एवं उपलब्धि की वर्ष-वार स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:-

(रु. करोड़ में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2004-05	1,05,000	1,25,309
2005-06	1,41,000	1,80,486
2006-07	1,75,000	2,29,400
2007-08	2,25,000	2,54,657
2008-09	2,80,000	3,01,908
2009-10	3,25,000	3,84,514
2010-11	3,75,000	4,68,291
2011-12	4,75,000	5,11,029
2012-13	5,75,000	6,07,376*
2013-14	7,00,000	7,30,765.61*

*अनंतिम आंकड़े

4.1 ब्याज सहायता योजना

किसानों को 3.00 लाख रुपए तक का फसल ऋण 7% प्रति वर्ष की दर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार वर्ष 2006-07 से अल्पावधि फसल ऋणों को सब्सिडी दे रही है। यह ब्याज सहायता स्कीम सरकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों के लिए (निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों के ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं द्वारा संवितरित फसल ऋणों के लिए) वर्ष 2013-14 के लिए भी आगे जारी रखी गई है।

वर्तमान में, अपना ऋण समय पर चुकाने वाले किसानों को 2% की अतिरिक्त सहायता के साथ-साथ समय पर पुनर्भुगतान करने पर 3% प्रोत्साहन दिया जाता है जिससे लागत घटकर 4% हो जाती है।

ब्याज सहायता योजना के तहत भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि निम्न प्रकार है:-

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	2007-08	2009-10	2008-09	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	कुल
जारी की गई राशि	1700	2011	2600	3531.19	3282.70	5400	6000	24524.89

किसानों की चिन्ताओं को दूर करने तथा उन्हें माल गोदाम रसीद प्राप्त करके अपना उत्पाद मालगोदाम में रखने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2011-12 के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड धारक छोटे तथा सीमान्त किसानों को अपना उत्पाद मालगोदाम में रखने पर प्राप्त परक्राम्य मालगोदाम रसीद के बदले उपलब्ध फसल ऋण के समान ब्याज दर पर ही फसल की कटाई से छः महीने तक की अवधि के लिए ब्याज सहायता प्रारंभ की गई थी। यही योजना वर्ष 2012-13 और 2013-14 तक जारी थी।

4.2 किसान क्रेडिट कार्ड

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी) किसानों को लचीले, सुविधाजनक और किफायती स्वरूप में निविष्टियों की खरीद सहित उनकी उत्पादन आवश्यकताओं के लिए बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समयबद्ध ऋण सुविधा पर लक्षित एक नवोन्मेषी ऋण आपूर्ति प्रणाली के रूप में 1998-99 में शुरू की गई थी। यह योजना देश के सभी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। केसीसी कृषि ऋण वितरित करने के लिए सबसे प्रभावी साधनों में से एक है। बैंकों को सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की सलाह दी गई है। केसीसी के लिए आरबीआई तथा नाबार्ड द्वारा एक नई योजना परिचालित की गई है जो केसीसी को एटीएम कार्ड जैसी सुविधा प्रदान करता है जिसका प्रयोग एटीएम/विक्रय केंद्रों (पीओएस) पर किया जा सकता है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी किए गए 111 लाख केसीसी एटीएम कार्ड में परिवर्तित करने के लिए योग्य थे जिनमें से 64.61 लाख पात्र केसीसी एटीएम समर्थित केसीसी कार्ड में परिवर्तित किए जा चुके हैं।

4.3 ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)

केन्द्रीय बजट 1995-96 में की गई घोषणा के अनुसार भारत सरकार ने नाबार्ड द्वारा संचालित की जाने वाली एक निधि की स्थापना की थी। इसकी स्थापना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों से भारत में संचालनीय स्वरूप के साथ कृषि उधार/प्राथमिक क्षेत्र/कमजोर वर्गों के लिए नाबार्ड के भीतर निधि स्थापित की गई थी। तब से यह निधि अस्तित्व में थी। केन्द्रीय बजट में प्रत्येक वर्ष इसके लिए आबंटन किए जाते हैं। वर्षों से आरआईडीएफ के तहत प्रत्येक भाग में कवरेज व्यापक रहा है और इस समय विभिन्न क्षेत्रों के तहत 31 व्यापक कार्य कलापों को वित्तपोषित किया जाता है।

केन्द्रीय बजट में घोषित निधियों का वार्षिक आबंटन धीरे-धीरे बढ़ा है। यह आबंटन वर्ष 1995-96 (आरआईडीएफ-I) में 2000 करोड़ रुपये था। जो वर्ष 2013-14 (आरआईडीएफ-XIX) में बढ़कर 20,000 करोड़ रुपये हो गया। आरआईडीएफ XII-XV के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) को स्वीकृत भारत निर्माण घटक सहित समग्र आवंटन बढ़कर 1,92,500 करोड़ रुपये हो गया। बजट भाषण 2013-14 (आरआईडीएफ XIX) में आरआईडीएफ के लिए 20,000 करोड़ रुपये का और मालगोदाम अवसंरचना के लिए 5000 करोड़ रुपये का अलग-अलग आवंटन किया गया।

वर्ष 2013-14 के दौरान, 22,747 करोड़ रुपये तक आरआईडीएफ अनुमोदन जारी किए गए थे और 10 मिलियन मीट्रिक टन की अतिरिक्त वैज्ञानिक भंडारण क्षमता बनाने के लिए नाबार्ड द्वारा मालगोदाम अवसंरचना निधि के तहत 5004 करोड़ रुपये का अनुमोदन प्रदान किया गया था।

4.4 मुख्य कार्यक्रम और योजनाएं

वर्ष 2013-14 के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं निम्नानुसार हैं:-

- (i) 3 लाख रुपए तक के अल्प अवधि उत्पादन ऋण पर किसानों को ब्याज राहत के लिए ब्याज सहायता योजना को जारी रखना।
- (ii) नाबार्ड को 5000 करोड़ रुपए के विशिष्ट आवंटन के तहत मालगोदाम अवसंरचना के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु योजना।

4.5 नाबार्ड के पूंजी आधार को सुदृढ़ बनाना

किसानों को पर्याप्त और वहनीय ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा बैंक, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य विकासवात्मक कार्यकलापों को आरंभ करने के लिए कृषि ऋण उपलब्ध कराता है, की बढ़ती पुनर्वित्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके उधार क्षमता को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने बजट घोषणा 2011-12 में नाबार्ड के पूंजी आधार को चरणबद्ध रूप में 3000 करोड़ रुपये का निवेश करके बढ़ाने की घोषणा की थी। अभी तक 2800 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

5. ऋण वसूली अधिकरण

केन्द्र सरकार ने बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों के त्वरित न्यायनिर्णयन तथा त्वरित वसूली एवं इससे संबद्ध मामलों के लिए बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत 33 डीआरटी तथा 5 डीआरएटी स्थापित किए हैं।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (एसएआरएफईएसआई), 2002 के अधिनियमन के पश्चात डीआरटी की भूमिका और बढ़ गई है जो व्यथित पक्षों को डीआरटी के समक्ष अपील करने का अवसर देते हैं।

डीआरटी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान डीआरटी द्वारा 17074 करोड़ रुपए के 13613 मामलों (ओए) को निपटाया गया।

6. अनुपयोज्य आस्तियां (एनपीए)

6.1 सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियां

- (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सकल अनुपयोज्य आस्तियां जो मार्च 2013 में 1,55,890 करोड़ रुपए (जीएनपीए का 3.84%) थी, हाल के समय में घरेलू वृद्धि की धीमी गति तथा वसूली, वैश्विक अर्थव्यवस्था में कमी तथा वैश्विक बाजार में जारी अनिश्चितता के कारण मार्च 2014 में बढ़कर 2,04,249 करोड़ रुपए (जीएनपीए का 4.44%) (अनंतिम) हो गई। तथापि, जीएनपीए अनुपात में दिसम्बर 2013 से सुधार हुआ है और बैंकों द्वारा किए गए प्रयास के कारण यह मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार 5.07% से कम होकर 4.44% (अनंतिम) हो गया है।

- (ख) बैंकिंग प्रणाली में समस्यापरान्त वर्षों में आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आई है और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुपयोज्य आस्ति और पुनर्संचित अग्रिमों के संदर्भ में दबाव का स्तर उच्चतम है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सकल अनुपयोज्य आस्ति और पुनर्संचित मानक अग्रिम 8.91% (मार्च 2012) से बढ़कर 11.02% (मार्च 2013) और मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 11.34% (अनंतिम) हो गया। तथापि, मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार सकल अनुपयोज्य आस्ति और पुनर्संचित मानक अग्रिम जो (दिसम्बर 2013 में) 12.16% था, कम होकर 11.34% (अनंतिम) हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट, दिसम्बर 2013 में दबावग्रस्त क्षेत्र के रूप में पांच क्षेत्रों – अवसंरचना, लोहा एवं इस्पात, वस्त्र, उड्डयन तथा खनन की पहचान की है। हाल के वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का एक्सपोजर सामान्य रूप से उद्योग तथा विशेष रूप से ऐसे दबावग्रस्त क्षेत्रों में काफी अधिक रहा है।

- (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 30 मई, 2013 के परिपत्र के द्वारा पुनर्संचना संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों को सख्त एवं नीतिसंगत बनाया है। परिपत्र की मुख्य मंदेश निम्नानुसार हैं:-

- (i) पुनर्संचना के संबंध में आस्ति वर्गीकरण संबंधी विनियामकीय सहिष्णुता को 01 अप्रैल, 2015 से समाप्त कर दिया जाएगा।
- (ii) आस्ति गुणवत्ता लाभ वापस लेने के बीच की अवधि के दौरान नए मामलों के संबंध में तत्काल प्रभाव से तथा मानक पुनर्संचित मौजूदा खातों के संबंध में चरणबद्ध पद्धति में 5% की उच्चतर प्रावधानीकरण की अपेक्षा होगी।
- (iii) तथापि, अवसंरचना तथा गैर-अवसंरचना परियोजनाओं के डीसीसीओ में परिवर्तन के संबंध में आस्ति वर्गीकरण का लाभ 01 अप्रैल, 2015 के बाद भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अगली समीक्षा तक जारी रहेगा। इसके अलावा, अवसंरचना तथा गैर-अवसंरचना परियोजनाओं के संबंध में दो वर्ष तक और एक वर्ष तक केवल डीसीसीओ के विस्तार को पुनर्संचना नहीं माना जाएगा।
- (iv) प्रमोटरों को बैंक के 15% के मौजूदा त्याग की अपेक्षा के स्थान पर बैंकों के 20% या पुनर्संचित ऋण के 2%, जो भी अधिक हो, का त्याग करना होगा।
- (v) ऋण को अधिमान्य श्रेयों में परिवर्तन केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए और ऋण को इक्विटी/अधिमान्य श्रेयों में ऐसा परिवर्तन पुनर्संचित ऋण की एक सीमा (अर्थात् 10%) तक होनी चाहिए।
- (vi) पुनर्संचना के सभी मामलों में प्रमोटरों की निजी गारंटी ली जानी चाहिए और निजी गारंटी के विकल्प के रूप में कारपोरेट गारंटी को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

- (vii) निम्नीकृत पुनर्संरचित खातों अर्थात पुनर्संरचना के संबंध में एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों के उन्नयन संबंधी मानदण्डों को संरक्षित बनाया गया है।
- (viii) बैंकों के लिए पुनर्संरचना के सभी मामलों में 'क्षतिपूर्ति के अधिकार' खण्ड को शामिल करना अपेक्षित होगा।

6.2 हाल में उठाए गए कदम

भारतीय रिजर्व बैंक ने 'उधारदाताओं की समस्याओं के समाधान तथा उचित वसूली के लिए वित्तीय दबाव की पहचान आरम्भ में ही करने, त्वरित कदम उठाने: अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को पुनः सुदृढ़ करने संबंधी अवसंरचना' में दबावग्रस्त आस्तियों की शीघ्रता से पहचान करने तथा उसके समाधान के लिए कई उपायों का सुझाव दिया है। बैंकों को अब 'विशेष उल्लिखित खातों' को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करना होगा।

एसएमए 0 - जिसमें मूल राशि या ब्याज अतिदेय न हो परन्तु दबाव के आरंभिक लक्षण दिख रहे हों।

एसएमए 1 - मूल राशि या ब्याज 31-60 दिनों से अतिदेय हो।

एसएमए 2 - मूल राशि या ब्याज 61-90 दिनों से अतिदेय हो।

7. वित्तीय संस्थाएं

7.1 भारत संरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, आईआईएफसीएल की स्थापना वर्ष 2006 में विशेष प्रयोजन के साधन, भारत संरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल), जिसका व्यापक रूप से एसआईएफटीआई के रूप में उल्लेख किया जाता है, के जरिए व्यवहार्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को दीर्घावधिक धन उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। आईआईएफसीएल सितम्बर 2013 से भारतीय रिजर्व बैंक में गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी - अवसंरचना वित्त कंपनी (एनबीएफसी - आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आईआईएफसीएल सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को अधिक प्राथमिकता देता है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत तथा चुकता पूंजी क्रमशः 5,000 करोड़ रुपए तथा 3,300 करोड़ रुपए है। यह कंपनी अपने संचालन के आरम्भ से ही लाभ में चल रही है।

एकल आधार पर आईआईएफसीएल ने 31 मार्च, 2014 तक प्रत्यक्ष उधार के तहत समग्र रूप से 54,148 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है और 6,256 करोड़ रुपए के पुनर्वित्त तथा 3,819 करोड़ रुपए के टेकआउट वित्त सहित 32,064 करोड़ रुपए का समग्र संवितरण किया गया है। 31 मार्च, 2014 तक आईआईएफसीएल ने 27 बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से 3,819 करोड़ रुपए का टेकआउट वित्त पूरा कर लिया है।

आईआईएफसीएल को वित्तीय वर्ष 2013-14 में 10,000 करोड़ रुपए तक करमुक्त बाण्ड एकत्र के लिए प्राधिकृत किया गया था। आईआईएफसीएल ने द्वि-पक्षीय तथा बहु-पक्षीय संस्थाओं जैसे एडीबी, वर्ल्ड बैंक तथा केएफडब्ल्यू एवं ईआईबी के साथ मजबूत संबंध स्थापित किया है और ऋण सुविधाएं सुनिश्चित की हैं।

7.2 नई पहल

वर्ष 2013-14 के दौरान सरकार ने आईआईएफसीएल को पीपीपीएसी/ईसी/ईआई द्वारा अनुमोदित पीपीपी परियोजनाओं को उधारदाताओं के अन्य संघ से अधिक लंबी अवधि का ऋण प्रदान करने की अनुमति दी है, जिसमें रद्द किए जाने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य रूप से पुनर्खरीद की व्यवस्था है। इससे ऋण भुगतान की अवधि को लंबी अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा जिससे पीपीपी अवसंरचना परियोजनाओं को बेहतर नकदी, बेहतर व्यवहार्यता तथा कम पुनर्संरचित जोखिम के साथ लाभ होगा।

बीमा कंपनियों तथा पेंशन निधियों जैसे निवेशकों से दीर्घावधिक निधियां उपलब्ध कराने के लिए आईआईएफसीएल इस समय ऋण संवर्धन पहल के तहत प्रायोगिक लेन-देन आरम्भ कर रहा है। 31 मार्च, 2014 तक आईआईएफसीएल ने लगभग 2,200 करोड़ रुपए मूल्य के ऋण संवर्धित बाण्ड जारी करना संभव बनाने हेतु आंशिक ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए चार प्रायोगिक लेन-देन को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

7.3 आईआईएफसीएल की अनुषंगी कंपनियां

आईआईएफसी (यूके)

आईआईएफसी (यूके) आईआईएफसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है जिसकी स्थापना भारत में अवसंरचना परियोजनाओं द्वारा पूंजी, उपस्कर आदि के आयात के वित्तपोषण के उद्देश्य से वर्ष 2008 में लंदन में की गई थी। 31 मार्च, 2014 तक आईआईएफसी (यूके) ने समग्र रूप से 1082.66 मिलियन यूएसडी का समग्र संवितरण किया है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल ने पूर्ण स्वामित्व वाली दो अनुषंगी कंपनियों, नामतः अवसंरचना परियोजनाओं के संबंध में परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु आईआईएफसीएल परियोजना लिमिटेड तथा अवसंरचना ऋण निधि (आईडीएफ) के प्रबंधन हेतु आईआईएफसीएल आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड, स्थापित की हैं। इसे आपसी निधि के माध्यम से आरम्भ किया गया है। आईआईएफसीएल म्युचुअल फंड की पहली आईडीएफ योजना के संबंध में फरवरी 2014 में पूर्ण अंशदान किया गया था और इस योजना ने प्रतिभूति विनिमय के संबंध में सूचीबद्ध होने वाली पहली आईडीएफ-एमएफ योजना होने का गौरव प्राप्त किया है।

7.4 भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक)

इक्विटी/समावेशिता का संवर्धन

एक्जिम बैंक उधार तथा सेवा/परामर्श संबंधी कार्यक्रम के संबंध में व्यापक सुविधाएं प्रदान करता है जिसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों के वैश्विक प्रयासों में सहायता करना है। इससे बैंक, भारतीय निर्यातकों के अलग-अलग वर्गों को वैश्विकरण द्वारा उपलब्ध होने वाले अवसरों में व्यापक रूप से शामिल होने के लिए बढ़ावा देने में सक्षम हुआ है।

7.5 कार्यनिष्पादन

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने 18 देशों को भारत सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त समग्र रूप से 24 ऋण सुविधाओं (एलओसी) का विस्तार किया है, जिसमें ऋण की राशि 1.77 बिलियन यूएस डालर है। आज की तारीख में भारत सरकार द्वारा 62 देशों को 173 ऋण सुविधाओं की गारंटी दी गई है, जिसमें ऋण की राशि 10.03 बिलियन यूएस डालर है। एक्जिम बैंक के नए उत्पाद राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता के अंतर्गत क्रेता ऋण (बीसी-एनईआईए) का लक्ष्य भारत से परियोजना निर्यात को प्रेरित करना है। बैंक ने अभी तक 520 एमएन यूएसडी मूल्य की पांच परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु समग्र रूप से 444 एमएन यूएसडी राशि अनुमोदित की है। विदेशी निवेश वित्त (ओआईएफ) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में बैंक ने 47 भारतीय कारपोरेट को 40 देशों में उनके विदेशी निवेश के भाग के रूप में समग्र रूप से 71.18 बिलियन यूएसडी (31.03.2014 तक एक्जिम बैंक ने 80 देशों में 391 कंपनियों द्वारा स्थापित 494 वेंचरों को धन उपलब्ध कराया है) वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित सहायता स्वीकृत की है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान व्यवसाय वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है [ऋण और अग्रिम तथा समग्र रूप से ग्राहक आस्ति पोर्टफोलियो (वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित पोर्टफोलियो का योग), दोनों में 16% की वृद्धि तथा समग्र व्यवसाय (ग्राहक पोर्टफोलियो तथा उधार) में 14% की वृद्धि]। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार बैंक की निवल संपत्ति 8,310 करोड़ रुपए है।

7.6 ई-गवर्नेंस तथा ई-भुगतान

(क) विभिन्न संघटकों में ज्ञान प्रबंधन यंत्र तथा डिजिटल संचार का प्रयोग बढ़ाने के लिए पर्याप्त पहल (ख) परिचालनात्मक व्यवसाय आसूचना; दस्तावेज प्रबंधन तथा कार्य प्रवाह; नेटवर्क और सुरक्षा के संबंध में प्रणाली लागू करना (ग) भुगतान तथा प्राप्ति के 100% इलेक्ट्रॉनिक पद्धति की ओर आगे बढ़ने हेतु प्रयास करना। सभी भुगतान एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए प्रत्यक्ष रूप से अंतरण के जरिए किया जा रहा है। (घ) कार्यालय-वार कार्यनिष्पादन, आंतरिक प्रशिक्षण तथा ग्राहकों के साथ विचार-विमर्श हेतु किफायती समीक्षा के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग लागू करना।

7.7 राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)

[वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 (अर्ध-वार्षिक जुलाई-दिसम्बर 2013) के दौरान कार्यकलाप तथा संचालन]

(राष्ट्रीय आवास बैंक का वित्त वर्ष जुलाई से जून होता है)

7.8 ग्रामीण आवास के तहत कार्यनिष्पादन

वर्ष 2012-13 के दौरान जारी किए गए कुल 17,541.64 करोड़ रुपए के कुल पुनर्वित्त में से समग्र रूप से 44%, अर्थात् 7717.60 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक उधार संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ) तथा स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास पुनर्वित्त योजना (जीजेआरएचआरएस) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

जुलाई 2013 से दिसम्बर 2013 तक की छमाही में 8113.66 करोड़ रुपए के समग्र संवितरण में से 54.17% अर्थात् 4395.15 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक उधार संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ) तथा स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास पुनर्वित्त योजना (जीजेआरएचआरएस) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

7.9 ग्रामीण आवास निधि

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2008-09 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर लक्षित समूह को आवास वित्त उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक उधारदात्री संस्थाओं को निधियां उपलब्ध कराने के लिए सक्षम बनाने हेतु ग्रामीण आवास निधि सृजित करने की घोषणा की थी। वर्ष 2008-09 के लिए मूल राशि 1778.18 करोड़ रुपए थी, जिसमें वर्ष 2009-10 के दौरान 2000 करोड़ रुपए, वर्ष 2010-11 के दौरान 2000 करोड़ रुपए अतिरिक्त तथा वर्ष 2011-12 के दौरान 3000 करोड़ रुपए अतिरिक्त, वर्ष 2012-13 के दौरान 4000 करोड़ रुपए अतिरिक्त तथा वर्ष 2013-14 के दौरान 6000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि की गई। जून 2012 तक निधि के अंतर्गत बैंक द्वारा 8778.18 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की गई तथा लक्षित समूहों के लिए ग्रामीण आवास हेतु पुनर्वित्त के प्रति पूरी राशि का प्रयोग किया गया। वर्तमान वर्ष 2013-14 के दौरान 31 दिसम्बर, 2013 को समाप्त छमाही के संबंध में बैंक ने इस योजना के अंतर्गत 1595.74 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की है।

7.10 संसाधन संग्रहण तथा प्रबंधन विभाग

31 दिसम्बर, 2013 (2013-14) को समाप्त छमाही के दौरान संसाधनों का संग्रहण

एनएचबी लघु अवधि तथा दीर्घावधि दोनों संसाधन जुटाता है। लघु अवधि संसाधनों में वाणिज्यिक दस्तावेज जारी करना तथा बैंकों से लघु अवधि ऋण शामिल हैं। दीर्घावधिक ऋण में जारी किए गए कूपन बाण्ड, ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ), आवास वित्त कंपनियों से जमा तथा सुनिधि एवं सुवृद्धि मियादी जमा योजनाओं के अंतर्गत लोगों से जमा धन शामिल है। 31 दिसम्बर, 2013 को समाप्त छमाही के संबंध में निवल वृद्धिशील उधार 11,590 करोड़ रुपए था।

31 दिसम्बर, 2013-14 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया उधार 36081 करोड़ रुपए था।

कर-मुक्त बाण्ड: माननीय वित्त मंत्री वर्ष 2013-14 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करते समय राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए 3000 करोड़ रुपए की राशि का कर-मुक्त बाण्ड आबंटित किया है। परिणामस्वरूप सीबीडीटी ने अपने राजपत्र (अधिसूचना सं. 61/2013 फा.सं. 178/37/2013-आईटी 1), दिनांक 08.08.2013 के द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान समग्र रूप से 3000 करोड़ रुपए के कर-मुक्त प्रतिभूति प्रतिदेय गैर-समपरिवर्तनीय बाण्ड जारी करने के लिए प्राधिकृत किया है। 31 दिसम्बर, 2013 को समाप्त छमाही के दौरान कर-मुक्त बाण्ड के निजी उपयोग के जरिए 900 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं।

7.11 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक - वित्तीय वर्ष 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना संसद के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, यह वर्ष 1990 में अपनी स्थापना से ही एमएसएमई क्षेत्र को लगातार प्रोत्साहित कर रहा है, धन उपलब्ध करा रहा है तथा इसे विकसित कर रहा है।

सिडबी ने एमएसएमई पारिस्थितिकीय प्रणाली में विद्यमान विभिन्न गैर-वित्तीय अंतरालों को हल करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें ऋण परामर्शदात्री सेवाएं, ऋण सुविधा, विशेषीकृत वेबसाइट के जरिए सूचना का प्रदर्शन आदि शामिल हैं।

7.12 वित्तीय वर्ष 2013-14 के संबंध में सिडबी के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

बैंक का एमएसएमई का कुल बकाया ऋण जो 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार 56,315 करोड़ रुपए था, 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार 10% बढ़कर 62,304 करोड़ रुपए हो गया। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार सिडबी द्वारा प्रदत्त कुल वित्तीय सहायता 3,36,780 करोड़ रुपए थी, जिससे लगभग 3.5 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा है।

वर्ष के दौरान बैंक की कुल आय पिछले वर्ष के 5,401 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 5,829 करोड़ रुपए हो गई।

7.13 व्यवसाय पहल

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सिडबी ने एमएसएमई वित्तपोषण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कमी को दूर करने तथा ऋण प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सिडबी द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण वित्तपोषण की विशेषताएं नीचे दी गई हैं:-

7.14 अप्रत्यक्ष वित्त

(i) पुनर्वित्त

सिडबी की पुनर्वित्त क्षमता में और वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट के जरिए 5,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के आबंटन को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दिया। सिडबी ने बैंकों के जरिए सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को 2047.03 करोड़ रुपए का संवितरण किया है।

(ii) **विशेष पुनर्वित्त सहायता** - भारतीय रिजर्व बैंक ने नवम्बर 2013 में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र में नकदी के दबाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(4ज) के उपबंधों के अंतर्गत सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सहायता देने की घोषणा की थी। 5,000 करोड़ रुपए की पूरी राशि सिडबी द्वारा आहरित कर ली गई है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रयोजन हेतु इनका उपयोग किया गया है।

7.15 इंडिया माइक्रोफाइनेंस इक्विटी फण्ड

केन्द्रीय बजट 2011-12 के दौरान भारत सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए की मूल निधि के साथ 'इंडिया माइक्रोफाइनेंस इक्विटी फण्ड' सृजित करने की घोषणा की थी, इसका प्रबंधन सिडबी द्वारा किया जाना था।

चूंकि निधि का सृजन निर्धारित समय में किया गया और सूक्ष्म वित्त संस्थान द्वारा बेहतर लेवरेज का सृजन किया गया, भारत सरकार ने आईएमईएफ के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का आबंटन किया है। मार्च 2014 के अंत तक योजना के अंतर्गत बैंक ने 45 सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए 126.75 करोड़ रुपए की राशि की प्रतिबद्धता की है। सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं, प्रलेखन पूरी करने तथा संवितरण पूर्व/निवेश पूर्व शर्तों के अनुपालन के पश्चात आईएमईएफ से सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए सहायता संवितरित की जा रही है। 31 मार्च, 2014 तक प्रतिबद्ध राशि में से 92.25 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है।

7.16 प्रत्यक्ष वित्त

(i) इक्विटी/जोखिम पूंजी

वित्तीय वर्ष 2012-13 के केन्द्रीय बजट में सरकार ने आरंभिक/विकसित स्तर के उद्यमों सहित एमएसएमई को इक्विटी तथा समनरूप वित्तीय उत्पाद की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सिडबी में 5000 करोड़ रुपए की मूल राशि के साथ इंडिया अपॉरच्युनिटी वेंचर फण्ड (आईओवीएफ) गठित करने की घोषणा की थी। आईओवीएफ ने 01 अगस्त, 2012 से कार्य करना आरंभ कर दिया है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार सिडबी ने इस निधि के अंतर्गत कुल 282.46 करोड़ रुपए की राशि की प्रतिबद्धता की है। सिडबी ने विंडो के तहत निधि के उपयोग की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया है।

7.17 अनुषंगी/सहयोगी कंपनियां

- सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड: सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल), सिडबी की सहयोगी कंपनी, जिसकी स्थापना जुलाई 1999 में की गई थी, एक आस्ति प्रबंधन कंपनी है, जो इस समय सूचना आधारित एमएसएमई विशेष रूप से जीवन विज्ञान, स्वच्छता प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में कार्यरत एमएसएमई को वेंचर पूंजी सहायता उपलब्ध कराने के लिए दो वेंचर पूंजी निधि नामतः नेशनल वेंचर फण्ड फॉर साफ्टवेयर एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री (एनएफएसआईटी) तथा एसएमई ग्रोथ फण्ड (एसजीएफ) का प्रबंधन कर रही है। 31 मार्च, 2014 तक दोनों निधियों के अंतर्गत कुल 540 करोड़ रुपए संवितरित किए गए। एसवीसीएल ने अपनी तीसरी निधि अर्थात इंडिया अपॉरच्युनिटी फण्ड (आईओएफ) आरम्भ किया है। निधि ने अप्रैल 2012 में अंतिम क्लोजर किया है और इसकी मूल पूंजी 600 करोड़ रुपए है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार आईओएफ ने 15 कंपनियों में 181.90 करोड़ रुपए की राशि के लिए प्रतिबद्धता की है।

- सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास: बैंकों को एमएसएमई क्षेत्र को अधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार तथा

सिडबी ने जुलाई 2000 में सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) की स्थापना की थी। यह ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के संबंध में बैंकों तथा उधारदात्री संस्थाओं द्वारा दिए गए 100 लाख रुपये तक के ऋण के लिए प्रतिभूति मुक्त/अन्य पक्ष गारंटी मुक्त ऋण गारंटी सहायता उपलब्ध कराती है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत समग्र रूप से लगभग 70,000 करोड़ रुपये की राशि के संबंध में 14 लाख से अधिक गारंटी (इनमें से 97% ऋण 25 लाख रुपये से कम है) का अनुमोदन किया गया है।

- एसएमई रेटिंग एजेंसी आफ इंडिया लि.: सिडबी, दून एंड ब्रैडस्ट्रीट (डीएंडबी) तथा कई सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के सहयोग से सितम्बर 2005 में एमएसई रेटिंग एजेंसी आफ इंडिया लि. (एसएमईआरए) की स्थापना की है, एमएसएमई को समर्पित अन्य पक्ष रेटिंग एजेंसी एमएसएमई की व्यापक पारदर्शी रेटिंग करती है। एसएमईआरए ने 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार 27,756 एमएसएमई की रेटिंग में पर्याप्त सफलता हासिल की है, जिसमें से सूक्ष्म तथा लघु उद्यम 98% से अधिक है।
- भारत सूक्ष्म लघु उद्यम आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लि.: भारत सूक्ष्म लघु उद्यम आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लि. (आईएसएआरसी) देश की पहली एमएसएमई केन्द्रित आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी है, जो निष्क्रिय अनुपयोज्य आस्ति को उत्पादनकारी प्रयोजनों में लगाने के लिए त्वरित समाधान के संबंध में प्रयासरत है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र से एमएसएमई क्षेत्र को अधिक ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी। अप्रैल 2008 में स्थापित आईएसएआरसी का उद्देश्य अनुपयोज्य आस्ति का अर्जन करना तथा एमएसएमई क्षेत्र की अनुपयोज्य आस्ति पर विशेष जोर देते हुए अपनी नवीनतम प्रक्रिया के जरिए उनका समाधान करना है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार आईएसएआरसी के प्रबंधन के अंतर्गत 1180.84 करोड़ रुपये की आस्ति थी।

7.18 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विकलांगों का प्रतिनिधित्व

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विकलांगों का प्रतिनिधित्व अनुबंध-I और II में दिया गया है।

8. ऋण नीति

8.1 शिक्षा ऋण

सरकार देश की जनसंख्या संबंधी विविधताओं को ध्यान में रखते हुए इससे अवगत है कि प्रत्येक मेधावी छात्र को बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने वर्ष 2001 में मॉडल शिक्षा ऋण योजना तैयार की थी और इसे बैंकों को परिचालित किया था। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले छात्रों सहित सभी छात्रों के

लिए है। भारतीय नागरिक जिन्होंने प्रवेश परीक्षा/मेधा आधारित चयन प्रक्रिया के जरिए भारत में या विदेश में मान्यता प्राप्त संस्थाओं में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश सुनिश्चित किया हो, वे इस योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण के पात्र हैं।

छात्रों की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना को समय-समय पर संशोधित किया गया है। आईबीए ने अपने परिपत्र संख्या सीई/220, 27 सितम्बर, 2012 के द्वारा मौजूदा मॉडल शिक्षा ऋण योजना को संशोधित किया है तथा इसे अपनाने हेतु बैंकों को परिचालित किया है। संशोधित शिक्षा ऋण योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- I. बैंक वैसे मेधावी छात्रों, जो प्रबंधन श्रेणी के तहत पढ़ाई करने का चयन करते हैं (जिन्होंने मेधा श्रेणी के तहत सीट के लिए अर्हता प्राप्त की है), को इस योजना के अंतर्गत ऋण हेतु पात्रता पर विचार कर सकता है। संशोधित योजना में नर्सिंग में डिग्री/डिप्लोमा या भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा अनुमोदित किसी अन्य क्षेत्र को भी शामिल किया गया है।
- II. ऋण की मात्रा को रोजगार संभावना के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है।
- III. ऋण की मात्रा के आधार पर अदायगी की अवधि का विस्तार 15 वर्षों तक किया जा सकता है।
- IV. बैंक संस्थाओं/छात्रों की रेटिंग के आधार पर विभेदक ब्याज का प्रस्ताव कर सकता है। पढ़ाई पूरी होने के पश्चात छात्रों का पता लगाने का कार्य शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से किया जाए।

8.2 शिक्षा ऋणों के संबंध में सेवा क्षेत्र मानदण्ड - भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक ने 09 नवम्बर, 2012 को बैंकों को यह सलाह दी है कि उनके 08 दिसम्बर, 2004 के परिपत्र में दी गई सलाह के अनुसार सेवा क्षेत्र मानदण्ड का अनुपालन केवल सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के मामले में ही किया जाए। अतः बैंकों को किसी शिक्षा ऋण आवेदन को इस आधार पर अस्वीकृत न करने की सलाह दी गई है कि बैंक के सेवा क्षेत्र के अंतर्गत उधारकर्ता का आवास नहीं आता है।

8.3 शिक्षा ऋण का कार्यनिष्पादन

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का कुल बकाया शिक्षा ऋण 25,72,716 खातों में 58,256 करोड़ रुपये था। पिछले वर्ष की तुलना में कुल बकाया ऋण में समग्र तथा प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 4,736 करोड़ रुपये तथा 8.84% थी। 31 मार्च, 2004 से 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति के अनुसार बकाया शिक्षा ऋण का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

31 मार्च की स्थिति के अनुसार	खातों की सं.	बकाया राशि (करोड़ रुपए)	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)	
			खातों की सं.	राशि
2010	19,28,350	35,628		
2011*	22,37,031	43,074	17.03	20.03
2012*	24,60,493	49,069	9.99	13.92
2013*	25,09,465	53,520	1.99	9.07
2014*	25,72,716	58,256	2.52	8.84

स्रोत: आईबीए। स्रोत: पीएसबी (31 मार्च, 2014 के आंकड़े अंतिम हैं)।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार बकाया शिक्षा ऋण का बैंक-वार (पीएसबी) ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।

8.4 शिक्षा ऋणों के संबंध में ब्याज सहायता योजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारतीय बैंक संघ की शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों द्वारा अनुसूचित बैंकों से 01 अप्रैल, 2009 के बाद लिए गए शिक्षा ऋण के संबंध में ऋण स्थगन अवधि के लिए ब्याज सहायता प्रदान करने हेतु मई 2010 में एक केन्द्रीय योजना तैयार की थी और सभी अनुसूचित बैंकों को परिचालित किया था। यह योजना शैक्षिक वर्ष 2009-10 के आरम्भ से लागू है और 01.04.2009 को या इसके पश्चात स्वीकृत ऋण की तारीख पर विचार किए बिना संवितरण किया जाना है।

शिक्षा ऋण ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत वर्ष-वार दावों का ब्यौरा

अवधि	खाते	राशि (करोड़ में)
2009-10	644299	296.86
2010-11	898320	735.49
2011-12	983586	1198.88
2012-13	1077505	1681.85
योग	3603710	3913.08

स्रोत: योजना के नोडल बैंक (केनरा बैंक)

8.5 शिक्षा ऋण के संबंध में नई ब्याज सहायता योजना

31.03.2009 तक स्वीकृत/प्राप्त किए गए तथा 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार बकाया सभी शिक्षा ऋणों के संबंध में 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार ब्याज संघटक राहत संबंधी योजना के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। नोडल बैंक अर्थात् केनरा बैंक को 2600 करोड़ रुपए की राशि पहले ही अंतरित कर दी गई है। सभी बैंकों को पात्र छात्रों के खातों में ऋण की राशि जमा करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के अनुरोध दिए गए हैं।

8.6 व्यावसायिक पाठ्यक्रम के संबंध में शिक्षा ऋण योजना

कौशल विकास देश की वृद्धि को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है और 2022 तक देश में लगभग 500 मिलियन लोगों को कौशल विकास/कौशल उन्नयन की आवश्यकता होगी। भारतीय बैंक संघ ने 'व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संबंध में मॉडल शिक्षा ऋण योजना' तैयार की थी। योजना का लक्ष्य भारतीय नागरिकों, जिन्होंने

सरकार के मंत्रालय/विभाग/संगठन या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से सहायता प्राप्त कंपनी/सोसाइटी/संगठन या राज्य कौशल मिशन/राज्य कौशल कारपोरेशन द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त पाठ्यक्रम में नामांकन सुनिश्चित किया है, जिसमें सरकारी संगठन या इस कार्य के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/प्राधिकृत संगठन द्वारा प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री आदि जारी किया जाता है, को बैंकिंग प्रणाली से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

8.7 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार तथा महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों को ऋण प्रदान करना

(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल)

घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा 20 से अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलन-पत्र बाह्य जोखिम (ओबीई) के समतुल्य ऋण राशि, जो भी अधिक हो, का 40% उधार दिए जाने का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत कृषि तथा कमजोर वर्गों के लिए पिछले वर्ष के 31 मार्च के अनुसार एएनबीसी या ओबीई के समतुल्य ऋण राशि, जो भी अधिक हो, का क्रमशः 18% और 10% का उप-लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 20 या इससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के संबंध में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र लक्ष्यों तथा उप-लक्ष्यों को पांच वर्ष की अधिकतम अवधि, 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2018 तक, में प्राप्त किया जाना है।

20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के संबंध में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार समायोजित निवल बैंक ऋण या तुलन-पत्र बाह्य जोखिम के समतुल्य ऋण राशि, जो भी अधिक हो, का 32% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मार्च 2012 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में बकाया अग्रिम 11,29,993 करोड़ रुपए था, जो 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 12,82,212 करोड़ रुपए हो गया, जो 13.4% की वृद्धि दर्शाता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिया गया उधार 5,30,370 करोड़ रुपए है जो 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार एएनबीसी का 15.2% बैठता है। 31 मार्च, 2013 की स्थिति

के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम का क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-IV में दिया गया है।

8.8 महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

महिलाओं द्वारा बैंक ऋण तथा ऋण के अतिरिक्त अन्य सेवाएं प्राप्त करने में सामना की जा रही समस्याओं को हल करने के लिए भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कार्यान्वित किए जाने हेतु वर्ष 2000 में 14 सूत्री कार्य योजना (अब 13 सूत्री कार्य योजना) तैयार की थी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का महिलाओं को उधार देने के लिए अपने एएनबीसी का 5% निर्धारित करने की सलाह दी गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए अनुसार 31 मार्च, 2013 को महिलाओं को ऋण देने के प्रति बकाया राशि 2,70,616.56 करोड़ रुपए है, जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के एएनबीसी का 7.57% है। इसके अलावा, मार्च 2013 के अंत तक सरकारी क्षेत्र के दस बैंकों (केनरा बैंक, देना बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर, यूनियन बैंक आफ इंडिया, युनाइटेड बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ बड़ौदा और बैंक आफ महाराष्ट्र) ने महिलाओं के लिए 38 विशेष शाखाएं खोली हैं। महिलाओं को दिए गए ऋण का ब्यौरा अनुबंध-V(क), अनुबंध-V(ख) और अनुबंध-V(ग) में दिया गया है।

8.9 अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम

(i) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बेहतर वित्तीय सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 01 जुलाई, 2013 को एक समेकित मास्टर परिपत्र जारी किया है, जिसमें उन्हें यह देखने की सलाह दी गई है कि सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न विशेष कार्यक्रमों से प्राप्त होने वाले लाभ समुचित तथा पर्याप्त रूप से अल्पसंख्यक समुदाय को प्राप्त हों। इस मास्टर परिपत्र में अल्पसंख्यक समुदाय को निर्विघ्न ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बैंक में एक पृथक प्रकोष्ठ सृजित करने तथा 121 जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण संबंधी प्रधान मंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत विकास परियोजनाओं के लक्ष्य तथा स्थिति निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु अग्रणी बैंक की भूमिका को भी शामिल करने की परिकल्पना की गई है।

(ii) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई प्रगति संबंधी सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों के पास बकाया ऋण 2,40,838 करोड़ रुपए है, जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिम का 16.09% है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के 15% के लक्ष्य को पहली बार प्राप्त किया गया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अल्पसंख्यक की बहुलता वाले जिलों/क्षेत्रों में वर्ष 2013-14 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा खोली गई नई शाखाएं 1589 थी।

8.10 कमजोर वर्गों को उधार

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार 20 से अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलन-पत्र बाह्य जोखिम के समतुल्य

ऋण राशि, जो भी अधिक हो, का 10% कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित करना अपेक्षित है।

समग्र विकास को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के संशोधित दिशानिर्देश में समस्याग्रस्त व्यक्तियों (किसानों को छोड़कर) को गैर-संस्थागत उधारदाताओं को ऋण चुकाने हेतु प्रति उधारकर्ता 50,000 रुपए से अनधिक राशि के ऋण तथा महिला लाभार्थियों को प्रति उधारकर्ता 50,000 रुपए तक के ऋण को शामिल करके कमजोर वर्गों के क्षेत्र का और विस्तार किया गया है।

कमजोर वर्गों को उधार देने के संबंध में मार्च, 2011, मार्च 2012, मार्च 2013 तथा मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:-

को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार	बकाया राशि	एएनबीसी का %
मार्च 2011	2,42,616.74	10.33
मार्च 2012	2,93,959.99	9.74
मार्च 2013	3,47,352.21	9.83
मार्च 2014*	4,32,284.13*	10.68*

स्रोत: आरबीआई आंकड़े तथा / पीएसबी से अंतिम आंकड़े

कमजोर वर्ग को उधार देने का लक्ष्य, जो एएनबीसी का 10% है, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।

9. सतर्कता

9.1 वित्तीय सेवाएं विभाग में सतर्कता तंत्र

वित्तीय सेवाएं विभाग सरकारी क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों का प्रशासनिक विभाग है। संयुक्त सचिव (एफआई एवं सीवीओ) को विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है। उनकी सहायता के लिए एक निदेशक (सतर्कता) तथा एक अवर सचिव (सतर्कता) कार्यरत हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग में सतर्कता अनुभाग अन्य कार्यों के अलावा सरकारी क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों से संबंधित मामलों के संबंध में कार्यवाई करता है।

(क) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/बीमा कंपनियों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के सतर्कता मामले

1. शिकायतों, अनुमोदन, अभियोजन की स्वीकृति या बोर्ड स्तरीय नियुक्तियों के संबंध में कोई अन्य मामलों के संबंध में सीवीसी/सीटीई/सीबीआई के साथ परामर्श।
2. सरकारी क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति।

(ख) निम्न के संबंध में सीवीसी/सीबीआई/सतर्कता संदर्भ

1. वित्तीय सेवाएं विभाग में सभी अधिकारी/कर्मचारी
2. डीआरटी/डीआरएटी में सरकारी नियुक्तियों

3. बीआईएफआर तथा एएआईएफआर में सदस्यों तथा अध्यक्ष
4. अभिरक्षक के कार्यालय, बीआईएफआर तथा एएआईएफआरके अधिकारियों

(ग) सतर्कता अनुभाग के अंतर्गत संगठन

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 दिनांक 06.06.1992 को लागू हुआ था, जिसके द्वारा (क) अपराधों पर शीघ्र कार्रवाई करने (ख) घोटाले में शामिल होने के संदिग्ध सभी पक्षकारों की सभी परिसंपत्तियों को तत्काल कुर्क तथा जब्त करने और (ग) संपत्ति के उचित तथा समान वितरण के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया गया था।

विशेष न्यायालय में न्यायाधीशों के चार पद तथा विभिन्न स्तरों पर 51 सहायक कर्मचारियों एवं अधिकारियों के पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसे वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नवीकृत किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान दायर किए गए मामले तथा विशेष न्यायालय द्वारा निपटाए गए मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	दायर	निपटाए गए	लंबित
2011	278	255	23
2012	318	296	22
2013	170	92	78

(ख) अभिरक्षक का कार्यालय

विशेष न्यायालय (टीओआरटीएस) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत कर्तव्यों के निर्वहन में अभिरक्षक की सहायता करने के लिए इस समय तीन कार्यालय हैं – इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, मुम्बई कार्यालय का मुख्य कार्य न्यायालयगत मामले के संबंध में कार्रवाई करना है तथा बंगलोर कार्यालय का मुख्य कार्य फेयर ग्रोथ फाइनेंशियल लिमिटेड (एफएफसीएल) तथा फेयर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (एफजीआईएल), जो बंगलोर आधारित अधिसूचित फार्म है, से संबंधित मामलों में कार्रवाई करना है। अभिरक्षक के कार्यालय के लिए अभिरक्षक तथा निदेशक के दो पद सहित 29 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसे वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर नवीकृत किया जाता है।

आरम्भ से लेकर अभी तक विशेष न्यायालय में 12,537 मामले दायर किए गए थे, जिनका बचाव/जिनकी पैरवी अभिरक्षक द्वारा की गई है और विशेष न्यायालय द्वारा 12,344 मामलों का निपटान किया गया है, इस प्रकार कुल 193 मामले शेष रह गए हैं। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार अधिसूचित पक्षकारों का कुल बकाया दायित्व 52,241 करोड़ रुपए है जबकि परिसंपत्ति केवल 2,885 करोड़ रुपए की है। 5,672 करोड़ रुपए की राशि आयकर विभाग/बैंक/वास्तविक शेयरधारकों को जारी/संवितरित की गई है। कुल 22.02 करोड़ जब्त किए गए शेयरों में से 15.42 करोड़ शेयर बेचे गए हैं तथा शेष शेयरों के संबंध में 3,302 करोड़ रुपए की

वसूली की गई है, इनमें 3.09 करोड़ ट्रेडिड शेयर तथा 2.70 करोड़ अनट्रेडिड शेयर हैं जिनका वर्तमान मूल्य 867 करोड़ रुपए है। अभिरक्षक द्वारा अधिसूचित पक्षकारों की 179 अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं, जिनमें से 145 बेच दी गई जिससे 170 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। सीमाकर विभाग के जरिए 169 स्वर्ण आभूषणों की बिक्री करके 5.81 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए तथा भारतीय स्टेट बैंक के जरिए स्वर्ण वस्तुएं की बिक्री करके 19.08 लाख रुपए प्राप्त किए गए। वर्ष 2013-14 के दौरान जारी किए गए 83 डिक्री में वसूल किए जाने वाले लगभग 183 करोड़ रुपए की तुलना में 41 डिक्री को लागू करके 9.74 करोड़ रुपए वसूल किए गए। जब्त किए गए मौजूदा खातों तथा अधिसूचित पक्षकारों की मीयादी जमा की कुल राशि 635 करोड़ रुपए है।

9.2 कार्यनिष्पादन

प्रभावी रोधक सतर्कता सुनिश्चित करके, सतर्कता मामलों से संबंधित विभिन्न कार्यों को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित किया जाता है और सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी के साथ निकट संबंध बनाए रखे जाते हैं। भेजे जाने के लिए अपेक्षित सभी रिपोर्टें निर्धारित अंतरालों में संबंधित प्राधिकरणों जैसे सीवीसी, सीबीआई, डीओपीटी को भेजी जाती हैं। बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में सतर्कता मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए उनके कार्यनिष्पादन की नियमित निगरानी की जाती है तथा यदि कोई मामला सामने आता है, तो अपेक्षित अनुदेश जारी किए जाते हैं। शिकायतों के निपटान की प्रगति, अनुशासनिक/सतर्कता मामलों आदि के लंबित होने की निगरानी मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ समुचित अंतराल पर होने वाली बैठक में की जाती है। सीवीओ, वित्तीय सेवाएं विभाग के स्तर पर अंतिम समीक्षा बैठक दिनांक 23.05.2014 को आयोजित की गई थी।

01.01.2013 – 31.12.2013 की अवधि के दौरान विभाग में कुल 280 सीवीसी संदर्भ प्राप्त हुए थे, इनमें से 198 मामलों का निपटान किया गया। इस अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों/सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं में 11 मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी।

दिनांक 28.10.2013 से 02.11.2013 तक मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) द्वारा विभाग के अधिकारियों को दिनांक 28.10.2013 को शपथ दिलाई गई थी, विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिन्दी तथा अंग्रेजी में निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। इस संबंध में मुख्य सतर्कता अधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

10. पेंशन सुधार

10.1 मुख्य कार्यक्रम तथा योजनाएं

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के जरिए विभाग द्वारा संचालित एक मुख्य योजना एनपीएस-लाइट/स्वावलंबन योजना है – इसे असंगठित क्षेत्र को एनपीएस का लाभ उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत अंशदायी पेंशन योजना के रूप में दिनांक 26.09.2010 को आरम्भ किया गया।

10.2 पेंशन क्षेत्र

पर्याप्त सेवानिवृत्ति आमदनी उपलब्ध कराने के प्रयोजन से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) शुरू की गई थी। इसे 01 जनवरी, 2004 से सरकार के सभी नवनियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों (सशस्त्र बल के अलावा) के लिए अनिवार्य बनाया गया है और इसे 01 मई, 2009 से सभी नागरिकों के लिए भी स्वैच्छिक आधार पर खोल दिया गया है। स्व-धारणीयता, वहनीयता और मापनीयता एनपीएस के विन्यास की विशेषताएं हैं। व्यक्तिगत पसंद के आधार पर, इसकी परिकल्पना ठोस विनियमन द्वारा समर्थित कम लागत वाली और सक्षम पेंशन प्रणाली के रूप में की गई है। पूर्णरूपेण 'निर्धारित अंशदान' वाले उत्पाद के रूप में, जिसमें कोई निर्धारित लाभ का उत्पाद नहीं है, प्रतिफल पूर्णरूपेण बाजार से संबद्ध होगा। एनपीएस में व्यक्तियों को कतिपय विनियामकीय प्रतिबंधों के अधधीन एक निवेश विकल्प के स्थान पर दूसरा विकल्प या एक निधि प्रबंधक के स्थान पर दूसरा निधि प्रबंधक चुनने के निवेश संबंधी विभिन्न विकल्पों और पसंद का प्रावधान है।

2. एनपीएस संरचना पारदर्शी और वेब-समर्थित है। यह एक अभिदाता को अपने निवेश एवं प्रतिलाभ की मानीटरिंग करने की अनुमति देता है। निर्बाध सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अभिदाता को सम्पूर्ण बचत अवधि के दौरान एक एकल पेंशन खाता बनाए रखने की सुविधा दी गई है।

3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), पेंशन क्षेत्र के लिए एक विनियामकीय निकाय के रूप में स्थापित है, यह एनपीएस संरचना के संबंध में अभी तक की गई पहलों को समेकित करने तथा एनपीएस संवितरण नेटवर्क की पहुंच बढ़ाने का कार्य कर रहा है। सभी नागरिकों को एनपीएस उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में उपस्थिति केन्द्रों (पीओपी) के रूप में संस्थागत संस्थाओं, जो पेंशन खाता खोलने और वसूली केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे, सहित एनपीएस बिचौलियों, केन्द्रीकृत रिकार्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) तथा निवेशकों के पेंशन धन का प्रबंधन करने के लिए पेंशन निधि प्रबंधकों की नियुक्ति शामिल है।

4. अब तक, 26 राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अधिसूचित किया है। इनमें से 23 राज्यों ने एनपीएस संरचना के अंतर्गत निधियों का अंतरण आरंभ किया है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के

33.49 लाख से अधिक कर्मचारी एनपीएस में शामिल हैं। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार एनपीएस के तहत 44,272 करोड़ रुपए के कार्पस की देखरेख की जा रही है।

5. अन्य वित्तीय संस्थाओं के अलावा डाक विभाग को भी पीओपी के तौर पर नियुक्त किया है जिससे पीओपी-एसपी नेटवर्क पांच गुना अधिक विस्तारित हो जाएगा। हालांकि, एनपीएस के तहत गैर-आहरणीय पेंशन खाता टीयर-I 01 मई, 2009 से परिचालनरत है, टीयर-II आहरणीय पेंशन खाता 01 दिसम्बर, 2009 से परिचालित किया गया है। इन पहलों से बड़े पैमाने की किफायतों के संबंध में एनपीएस का पूर्ण दोहन करने में तथा कम शुल्क तथा प्रभार और उच्चतर प्रतिलाभ की दृष्टि से अभिदाताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

6. संगठित कंपनियों को अपने मौजूदा और नए कर्मचारियों को एनपीएस ढांचे में लाने हेतु सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोर एनपीएस मॉडल का एक परिष्कृत रूप जिसे 'एनपीएस-कारपोरेट सेक्टर मॉडल' के नाम से भी जाना जाता है, दिसम्बर 2011 से शुरू किया गया है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार 1266 कारपोरेट और 2.62 लाख कर्मचारी इस मॉडल के अंतर्गत नामांकित किए गए हैं। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार एनपीएस-कारपोरेट सेक्टर मॉडल के तहत प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली आस्तियां (एयूएम) 2628 करोड़ हैं।

7. निजी क्षेत्र के पेंशन निधि प्रबंधक तीन आस्ति वर्गों, नामतः (i) इक्विटी (ii) सरकारी प्रतिभूतियां तथा (iii) ऋण जोखिम वाले नियत आमदनी लिखतों, जो इक्विटी में निवेश की 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा की शर्त के अधीन होते हैं, तीन अलग-अलग योजनाओं का प्रबंधन करते हैं। अभिदाता के पास अपने पेंशन धन के मिले-जुले निवेश का निर्णय लेने का विकल्प होगा। यदि अभिदाता आस्ति आबंटन के संबंध में किसी विकल्प का प्रयोग करने में अक्षम/अनिच्छुक है, तो उसका अंशदान पूर्व-निर्धारित पोर्टफोलियो सहित 'स्व-विकल्प' के अनुसरण में निवेशित किया जाएगा। एनपीएस के विवरणों वाला आफर दस्तावेज, जिसमें एनपीएस खाता खोलने के लिए आवेदन प्रपत्र दिया गया है, पीएफआरडीए की वेबसाइट (www.pfrda.org.in) के साथ-साथ अन्य एनपीएस मध्यवर्तियों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

8. **स्वावलंबन योजना** – भारत सरकार, निर्धन कामगारों की वृद्धावस्था आय सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित है और उन्हें नई पेंशन प्रणाली में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने और इसके लिए उन्हें समर्थ बनाने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक रूप से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्वावलंबन योजना नामक एक नई पहल का शुभारंभ 26.09.2010 को किया गया था। यह एक सह-अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रत्येक एनपीएस खाते में 1000 रुपए प्रति वर्ष की धनराशि का योगदान करेगी जिन्हें 1000 रुपए से 12000 रुपए प्रति वर्ष की बचत के साथ खोला गया

हो। सरकार योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों को 5 वर्षों के लिए अंशदान प्रदान करेगी। इस योजना को 2016-17 तक बढ़ाया गया है।

9. यह योजना कुछेक राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), एमएफआई, एनबीएफसी तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों सहित 79 एग्रीगेटर्स के जरिए परिचालित की जाती है। वर्ष 2010-11 के दौरान कुल 3,01,920 अभिदाता, वर्ष 2011-12 के दौरान 6,43,979, वर्ष 2012-13 के दौरान 11,01,079 अभिदाता, तथा वर्ष 2013-14 के दौरान 15,94,700 (अनंतिम, पीओपी-स्वावलंबन को छोड़कर) अभिदाता पंजीकृत किए गए हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित सभी नागरिकों के लिए 61 उपस्थिति स्थानों (पीओपी) की लगभग 36030 सेवा प्रदाता शाखाओं के जरिए एनपीएस उपलब्ध है। पीएसबी से कहा गया है कि वे स्वावलंबन स्कीम के तहत नामांकन बढ़ाने के लिए अपने व्यवसाय प्रतिनिधियों की सेवाओं का उपयोग करें।

10.3 पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013

1. पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) विधेयक, 2013 को संसद द्वारा सितम्बर 2013 में पारित कर दिया गया है तथा पीएफआरडीए अधिनियम, 2013, 01 फरवरी, 2014 से लागू हो गया है।

पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 में पीएफआरडीए को अपनी विनियामकीय और विकासात्मक भूमिका निष्पादित करने में सहायता करने तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के जरिए अब तक कवर न किए गए कार्यशील लोगों को कवर करने के उद्देश्य से सांविधिक दर्जा प्रदान करना अभिप्रेत है।

2. यह महत्वपूर्ण है कि भारत में पेंशन क्षेत्र पहल को प्रभावी रूप से आगे लाया जाए। निर्धारित अंशदायी पेंशन योजनाओं तथा संतुलित बाजार संबद्ध निवेशों में पर्याप्त ब्याज सृजित हो। दीर्घावधिक निवेश संभावना वाले पेंशन निधियों में वित्तीय बाजार के संबंध में स्थायित्व प्रभाव के अंतर्निहित लाभ मौजूद हैं। यह आशा है कि पेंशन क्षेत्र सुधार पहल की सफलता से न केवल आर्थिक विकास के लिए दीर्घावधिक बचत की सुविधा उपलब्ध होने में मदद मिलेगी बल्कि इससे देश में विश्वसनीय तथा वित्तीय रूप से संपोषणीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने में भी सहायता मिलेगी।

11. लोगों की शिकायतों का निपटान

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की केन्द्रीय लोक शिकायत निवारण तथा निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के जरिए 01.01.2013 से 31.12.2013 तथा दिनांक 01.01.2014 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान वित्तीय सेवाएं विभाग में प्राप्त तथा निपटाई गई शिकायतों के संबंध में आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

क्षेत्र	अवधि	सामने लाए गए	प्राप्त	निपटाए गए	बैंकों/बीमा कंपनियों में लंबित/प्रक्रियाधीन	शिकायतों के निपटान की %
बैंकिंग	01.01.13-31.12.13	4983	10835	14148	1670	89.44
	01.01.14-31.03.14	1670	3165	3329	1506	68.80
बीमा	01.01.13-31.12.13	1028	1826	2550	304	89.34
	01.01.14-31.03.14	304	580	738	146	83.48

11.1 सीपीजीआरएएमएस के जरिए शिकायतों के संबंध में कार्रवाई की प्रक्रिया

वित्तीय सेवाएं विभाग में शिकायतें सीपीजीआरएएमएस के जरिए सीधी शिकायतकर्ताओं से ऑन-लाइन, ई-मेल के रूप में या डाक द्वारा लिखित शिकायतों के जरिए प्राप्त हो रही हैं। शिकायतें प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी), मंत्रिमण्डल सचिवालय, पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू), राष्ट्रपति सचिवालय तथा प्रधान मंत्री कार्यालय से भी प्राप्त होती हैं।

वास्तविक रूप में प्राप्त सभी लिखित शिकायतों को स्कैन किया जाता है और इन्हें सीपीजीआरएएमएस में पंजीकृत किया जाता है तथा संबंधित बैंकों, बीमा कंपनियों एवं वित्तीय सेवाएं विभाग में संबंधित अनुभागों को निर्धारित समय में उनका निपटान करने तथा की गई कार्रवाई रिपोर्ट/शिकायतकर्ता को भेजे गए उत्तर सिस्टम पर अपलोड करने के लिए ऑन-लाइन भेजा जाता है। इन मामलों की रिपोर्ट को आगे की अपेक्षित कार्रवाई के लिए तथा अवलोकनार्थ सीपीजीआरएएमएस के जरिए उच्च प्राधिकारियों/नोडल विभाग जैसे डीएआरपीजी, डीपीजी, डीओपीपीडब्ल्यू तथा राष्ट्रपति सचिवालय को ऑन-लाइन भेजा जाता है। सीपीजीआरएएमएस के जरिए शिकायतकर्ता,

शिकायत प्राप्त होने के समय जारी की गई आवृत्ति में दर्ज शिकायत पंजीकरण संख्या की मदद से अपनी शिकायत की स्थिति तथा की गई कार्रवाई को देख सकते हैं।

12. बीमा क्षेत्र

12.1 भारत में बीमा

वित्तीय क्षेत्र का अभिन्न अंग होने के कारण बीमा भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मृत्यु, संपत्ति और दुर्घटना जोखिम के प्रति सुरक्षा प्रदान करने और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यक्तियों एवं उद्यमों को सुरक्षा प्रदान करने के अलावा बीमा क्षेत्र बचत को बढ़ावा देता है और अवसंरचनात्मक विकास एवं देश में दीर्घावधिक चलने वाली परियोजनाओं को दीर्घावधि निधि उपलब्ध कराता है। भारत में जारी आर्थिक बदलाव को सहायता प्रदान करने के लिए भारत में बीमा क्षेत्र का विकास जरूरी है।

12.2 वित्तीय सेवाएं विभाग का बीमा प्रभाग

बीमा प्रभाग सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा उद्योग की नीति और विधायी मामलों के साथ-साथ जीवन और गैर-जीवन बीमा खंडों दोनों के कार्यनिष्पादन की निगरानी करता है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) का भी यह प्रशासनिक प्रभाग है।

12.3 इस क्षेत्र में परिचालनरत सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों निम्नानुसार हैं:-

1. जीवन बीमा निगम
2. नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
3. ओरियन्टल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
4. यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
5. न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
6. भारतीय साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड (राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता)
7. एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (नाबार्ड के साथ सरकारी क्षेत्र की गैर-जीवन बीमा कंपनियों द्वारा शुरू की गई कंपनी)

12.4 बीमा क्षेत्र को संचालित करने वाला विधायी ढांचा

बीमा प्रभाग नीतियां तैयार करने एवं निम्नलिखित अधिनियमों के संचालन के लिए उत्तरदायी है:-

1. बीमा अधिनियम, 1938
2. जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956
3. साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972
4. बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) अधिनियम, 1999
5. बीमांकक अधिनियम, 2006
6. प्रतिभूति और बीमा कानून (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 2010

सरकार ने दिनांक 22.12.2008 को राज्य सभा में बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2008 पेश किया था, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लाना है। स्थायी वित्त समिति, ने यह सूचना दी है कि उन्होंने 13.12.2011 को संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर कतिपय प्रस्तावित सरकारी सुधार को दिनांक 04.10.2012 को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया था।

12.5 इस विभाग का बीमा प्रभाग निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी है:-

1. सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कार्यनिष्पादन की निगरानी
2. सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित नियम और विनियम तैयार करना।
3. सरकारी क्षेत्र के बीमा उद्योग के सतर्कता क्रियाकलापों का समन्वय
4. सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के बोर्ड और इरडा में मुख्य कार्यपालकों और निदेशकों की नियुक्ति
5. आम आदमी बीमा योजना का संचालन

12.6 बीमा क्षेत्र में सुधार:

बीमा क्षेत्र को बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधिनियमन के साथ गैर-सरकारी भागीदारी के लिए खोला गया था। मौजूदा इरडा में एक अध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य हैं। यह प्राधिकरण हैदराबाद, आंध्र प्रदेश स्थित अपने मुख्यालय से कार्य कर रहा है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यों में (i) बीमाकर्ताओं तथा बीमा बिचौलियों को लाइसेंस प्रदान करना; (ii) वित्तीय तथा विनियामक पर्यवेक्षण; (iii) प्रीमियम दरों का विनियमन, और (iv) पालिसीधारकों के हितों की रक्षा करना इत्यादि सम्मिलित हैं। बीमा क्षेत्र के विकास को सुकर बनाने की दृष्टि से प्राधिकरण ने पालिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए; ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के संबंध में उत्तरदायित्वों, सूक्ष्म बीमा तथा एजेंटों, कारपोरेट एजेंटों, ब्रोकरों और अन्य पक्ष प्रशासकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए विनियम जारी किए हैं। इरडा ने बीमा कंपनियों के पंजीकरण, शोधक्षमता अंतर, निवेश तथा वित्तीय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के रखरखाव के लिए विनियामकीय ढांचा भी तैयार किया है।

12.7 बीमा उद्योग में नई संस्थाएं:

वर्ष 2000 में इस उद्योग के खोले जाने के समय से 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार इस उद्योग में भागीदारों की संख्या सात बीमाकर्ताओं (भारतीय जीवन बीमा निगम, सरकारी क्षेत्र के चार साधारण बीमाकर्ताओं तथा राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में साधारण बीमा निगम सहित) सहित जीवन, गैर-जीवन तथा पुनर्बीमाकर्ता खंडों (विशेषज्ञ बीमाकर्ताओं अर्थात् निर्यात गारंटी कार्पोरेशन तथा कृषि बीमा कंपनी सहित) में अब 53 बीमाकर्ता परिचालन कर रहे हैं। पांच साधारण बीमा कंपनियां अर्थात् स्टार हैल्थ एंड एलायंस इश्योरेंस कंपनी, अपोलो म्यूनिख हैल्थ इश्योरेंस कंपनी तथा मैक्स बुपा हैल्थ इश्योरेंस कंपनी, रेलिगेयर हैल्थ बीमा कंपनी और सिगना टीटीके स्वास्थ्य बीमा कंपनी एकल स्वास्थ्य बीमा कंपनी के रूप में कार्य कर रही हैं। इस क्षेत्र के खोले जाने के पश्चात जीवन खंड में अपना परिचालन शुरू करने वाली 23 निजी बीमा कंपनियों में से बीस कंपनियों का विदेशी भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम है। गैर-जीवन खंड में कार्य कर रहे बाईस निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं में से अठ्ठारह कंपनियों का विदेशी भागीदारों के साथ समन्वय है।

12.8 उद्योग का लेखा-जोखा:

(क) **जीवन बीमा उद्योग:** बीमा उद्योग में उदारीकरण के बाद विशेषतया जीवन बीमा क्षेत्र में तेज गति से वृद्धि अनुभव की गई है। प्रथम वर्ष का प्रीमियम जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रतिभूत/बीमाकृत नए कारोबार का मापक है। वर्ष 2011-12 के 113966 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान यह 1,07,361 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2011-2012 के दौरान 9.84% की गिरावट की तुलना में वर्ष 2012-13 में 5.80% की गिरावट दर्ज करता है। वर्ष 2012-13 के दौरान लिंकड तथा गैर-लिंकड व्यवसाय के संबंध में पिछले वर्ष के 15.27 और 84.73 प्रतिशत की तुलना में लिंकड सेंगमेंट में प्रथम वर्ष के प्रीमियम का 10.12% की हामीदारी की गई जबकि गैर लिंकड व्यवसाय 89.88% का था। कुल प्रीमियम जिसमें वर्ष 2012-13 के दौरान प्रथम वर्ष प्रीमियम तथा नवीकरण प्रीमियम शामिल है, वर्ष 2011-2012 में 287072 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2012-13

में कुल प्रीमियम, जिसमें प्रथम वर्ष का प्रमीमियम तथा नवीकरण प्रीमियम शामिल है, 287202 करोड़ रुपए था जो पिछले वर्ष की वृद्धि में 1.57% की गिरावट की तुलना में 0.05% की वृद्धि दर्ज करता है। वर्ष 2012-13 के दौरान लिंक्ड तथा गैर-लिंक्ड व्यवसाय के संबंध में पिछले वर्ष 24.26% तथा 75.74% की तुलना में लिंक्ड सेगमेंट में कुल प्रीमियम का 17.00% एकत्रित हुआ, जबकि गैर-लिंक्ड व्यवसाय में यह 83.00% प्राप्त हुआ था।

जीवन बीमाकर्ताओं ने वर्ष 2012-13 में 1,07,361 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान 1,19,641 करोड़ रुपए के नए बीमा व्यवसाय की हामीदारी की, जो 11.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है। हामीदारी किए गए नए व्यवसाय प्रीमियम में से एलआईसी ने 90124 करोड़ रुपए (75.33 प्रतिशत मार्केट शेयर) की हिस्सेदारी की तथा निजी बीमाकर्ताओं ने 29,517 करोड़ रुपए (24.67 प्रतिशत मार्केट शेयर) की हिस्सेदारी की। इन बीमाकर्ताओं का मार्केट शेयर वर्ष 2012-13 के दौरान क्रमशः 71.36 प्रतिशत तथा 28.64 प्रतिशत था **(2013-14 के आंकड़े अनंतिम हैं)**।

12.9 गैर-जीवन बीमा उद्योग:

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने (विशिष्ट संस्थानों जैसे ईसीजीसी एवं एआईसी और एकल आधार वाली हैल्थ बीमा कंपनियों को छोड़कर) वर्ष 2011-2012 में 54,578 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2012-2013 में 65,023 करोड़ रुपए की सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम की हामीदारी की जो 19.14% की वृद्धि दर्ज करता है। इस प्रीमियम में सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं द्वारा भारत से बाहर किए गए कारोबार शामिल हैं। वर्ष 2011-2012 के 44,451 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012-2013 में निवल प्रीमियम 52107 करोड़ रुपए था। बीमा क्षेत्र के खुलने का एक लाभ समाज के सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य कवर का विस्तार रहा है। वर्ष 2011-2012 में 22.27 प्रतिशत (11,777 करोड़ रुपए) की तुलना में वर्ष 2012-13 में गैर-जीवन बीमा उद्योग द्वारा हामीदारी किया गया सकल प्रीमियम का 22.19 प्रतिशत (13,975 करोड़ रुपए) स्वास्थ्य प्रीमियम था। हाल के वर्षों में स्वास्थ्य बीमा गैर-जीवन बीमा उद्योग में तेजी से वृद्धि करने वाला खंड है और इसमें वर्ष 2012-2013 के दौरान 18.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वर्ष 2000-01 में इस क्षेत्र के खुलने के समय स्वास्थ्य प्रीमियम 519 करोड़ रुपए था, अर्थात् हामीदारी किए गए सकल प्रीमियम का 5.29 प्रतिशत। यह बढ़कर वर्ष 2012-2013 में 13975 करोड़ रुपए हो गया। इसके अलावा, एकल स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने 2011-12 में 1660 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2012-13 में 1726 करोड़ रुपए के प्रीमियम की हामीदारी की।

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 77,583 करोड़ रुपए के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम की हामीदारी की जो वर्ष 2012-13 में 71,203 करोड़ रुपए की हामीदारी की तुलना में 8.96 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है। निजी क्षेत्र ने पिछले वर्ष के 29,677 करोड़ रुपए की तुलना में 34,246 करोड़ रुपए की हामीदारी की थी जिससे 15.39 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त हुई थी जबकि सरकारी क्षेत्र ने पिछले वर्ष के 41,526 करोड़ रुपए की तुलना में 43,292 करोड़ रुपए के प्रीमियम की हामीदारी की थी जो

4.25% की वृद्धि दर दर्ज करता है। (2013-14 के आंकड़े अनंतिम हैं)। सरकारी और गैर-सरकारी बीमाकर्ताओं का मार्केट शेयर वर्ष 2012-13 के क्रमशः 58.32% तथा 41.68% की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान क्रमशः 55.80% और 44.20% था।

12.10 व्याप्ति और सघनता:

बीमा क्षेत्र की संभाव्यता और उसके निष्पादन कार्य का सार्वभौमिक रूप से बीमा व्याप्ति और बीमा सघनता जैसे दो पैरामीटरों के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाता है। बीमा व्याप्ति को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) हेतु दिए गए वर्ष में हामीदारी किए गए प्रीमियम के अनुपात के रूप में निर्धारित किया जाता है। बीमा सघनता कुल जनसंख्या (तुलना की सुविधा के लिए अमेरिकी डालर में अंकित) हेतु दिए गए वर्ष में हामीदारी किए गए प्रीमियम के अनुपात के रूप में निर्धारित है।

वर्ष 2000 में जब इस क्षेत्र को गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए खोला गया था उस समय बीमा व्याप्ति 2.32 (जीवन 1.77 और गैर-जीवन 0.55) थी, जो 2012 में बढ़कर 3.96 (जीवन 3.17 तथा गैर-जीवन 0.78) हो गई। एशिया में कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं, अर्थात् मलेशिया, थाईलैंड और चीन में उसी अवधि के दौरान बीमा व्याप्ति, क्रमशः 4.80, 5.02 और 2.96 था। भारत में बीमा सघनता वर्ष 2000 में 9.9 यूएस डालर थी जो 2012 में बढ़कर 53.2 यूएस डालर (जीवन 42.7 तथा गैर-जीवन 10.5) हो गई। उसी अवधि के दौरान मलेशिया, थाईलैंड और चीन के लिए तुलनात्मक आंकड़े क्रमशः 514, 266 और 179 यूएस डालर थे।

12.11 बीमा क्षेत्र के निवेश:

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, बीमा क्षेत्र द्वारा कुल संचित निवेश 18,67,886 करोड़ रुपए था। वर्ष 2012-13 के दौरान प्रबंधनाधीन आस्तियां (एयूएम) में 11.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। बीमा उद्योग द्वारा किए गए कुल निवेश के लगभग 93.41 प्रतिशत के साथ जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा एक बड़े हिस्से का अंशदान किया जा रहा है। इसी प्रकार, सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ता ने कुल निवेश में 79.59 प्रतिशत के एक बड़े हिस्से का अंशदान कर रहे हैं, यद्यपि हाल के वर्षों में निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं द्वारा निवेश में भी तेजी से वृद्धि हो रही है।

12.12 ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र के व्यवसाय:

ग्रामीण क्षेत्र में जीवन बीमाकर्ताओं ने 113.46 लाख पॉलिसियों की हामीदारी की अर्थात् 2012-13 में उनके द्वारा हामीदारी की गई नई पॉलिसियों का 25.44% (441.57 लाख पॉलिसियों) था। ग्रामीण क्षेत्र में जीवन बीमा निगम ने 25.44 प्रतिशत नई पॉलिसियों की हामीदारी की और गैर-सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने 26.99 प्रतिशत नई पॉलिसियों की हामीदारी की। वर्ष 2012-13 के दौरान हामीदारी की गई नई योजनाओं के तहत कवर किए गए जीवनियों की कुल संख्या (781 लाख) थी, सामाजिक क्षेत्र में 182.44 लाख जीवनियों कवर किया गया जो 23.35 प्रतिशत था। सामाजिक क्षेत्र में एलआईसी ने 132.2 लाख जीवनियों और गैर-सरकारी बीमाकर्ताओं ने 50.24 लाख जीवनियों को कवर किया है।

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में 8,196 करोड़ रुपए के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम की हामीदारी की, अर्थात् वर्ष 2012-13 के दौरान उनके द्वारा सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (64,583 करोड़ रुपए) की हामीदारी की गई जिसका प्रतिशत 12.69 था। ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने अपने सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 12.87 प्रतिशत की हामीदारी की और निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने 12.47 प्रतिशत की हामीदारी की। वर्ष 2012-13 के दौरान सामाजिक क्षेत्र में 2,031 लाख जीवनो को कवर किया गया था। गैर-सरकारी क्षेत्र का अंशदान 361 लाख जीवन थे और सरकारी क्षेत्र का अंशदान 1,670 लाख जीवन थे। बीमा कंपनियां कुल मिलाकर ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्रों में अपने दायित्वों को पूरा कर रही हैं।

12.13 सूक्ष्म बीमा

देश में बीमा कवरेज के संतुलित और तेजी से विस्तार को सुनिश्चित करने के प्रयास में इरडा ने ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्रों में बीमाकर्ताओं के दायित्वों को निर्धारित करने के लिए विनियामक ढांचा तैयार किया है। पॉलिसियों को विनिर्दिष्ट प्रतिशत तक बेचने और क्रमशः जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियों के लिए हामीदारीकृत सकल प्रीमियम के विनिर्दिष्ट प्रतिशत तक हामीदारी करने और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों से संबंधित जीवनो/सम्पत्तियों की विनिर्दिष्ट संख्या कवर करने अथवा निश्चित परंपरागत व्यवसायों के लिए ये विनियमन ग्रामीण आबादी के पक्ष में बीमाकर्ताओं के दायित्वों को लागू करते हैं। इन बाध्यताओं को संबंधित बीमाकर्ता के परिचालन के वर्षों से जोड़ा गया है। भारत सरकार ने ग्रामीण गरीबों के लिए विद्यमान बीमा योजनाओं के जांच के लिए वर्ष 2003 में परामर्श समूह की स्थापना की थी; और इस समूह की सिफारिशों के आधार पर, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने इरडा (सूक्ष्म बीमा) विनियमावली, 2005 जारी की। इरडा ने पहले से ही सूक्ष्म बीमा एजेंटों के रूप में कार्य करने की अनुमति प्राप्त समितियों के रूप में पंजीकृत एनजीओ के अलावा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों सहित गैर-लाभकारी कंपनियों के रूप में पंजीकृत एनजीओ को सूक्ष्म बीमा विनियम के अंतर्गत 13 मार्च, 2008 के अपने परिपत्र के द्वारा सूक्ष्म बीमा एजेंटों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी थी।

सूक्ष्म बीमा व्यवसाय को पूरा प्रोत्साहन देने की दृष्टि से इरडा ने सूक्ष्म बीमा व्यवसाय के विद्यमान विनियामक ढांचे की व्यापक रूप से समीक्षा की है और 26 जुलाई, 2012 को एक एक्सपोजर मसौदा जारी किया है, जिसमें विद्यमान इरडा (सूक्ष्म बीमा) विनियमन, 2005 में संशोधनों का प्रस्ताव किया है। इस समीक्षा का उद्देश्य देश में सूक्ष्म बीमा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक उत्साहवर्द्धक विनियामकीय वातावरण तैयार करना है। इस दिशा में, विद्यमान एकल आधार पर वितरण चैनल को मजबूत बनाए जाने, इस धारा के तहत बीमा कंपनी द्वारा उत्पादों की पेशकश में विविधता को प्रोत्साहित करने, समाज के लक्षित वर्गों को आवश्यक रूप से मिलने वाले उत्पादों को कस्टोमाईज करने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को शामिल करने के लिए कवरेज का विस्तार करने और विनियामकीय निगरानी को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।

इरडा के द्वारा जारी किए गए सूक्ष्म बीमा विनियमों में जरूरतमंद ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। वर्ष 2012-13 के अंत में (वर्ष 2011-12 में 12,797 एजेंटों की तुलना में) सूक्ष्म बीमा क्षेत्र में 17,052 सूक्ष्म बीमा एजेंट परिचालन कर रहे थे। सूक्ष्म बीमा जीवन में उक्त वर्ष में व्यक्तिगत नया कारोबार प्रीमियम (वर्ष 2011-12 में 46.20 लाख पॉलिसियों के अंतर्गत 115.68 करोड़ रुपए की तुलना में) 50.36 लाख पॉलिसियों के माध्यम से 109.68 करोड़ रुपए था और (वर्ष 2011-12 में 101.94 लाख जीवनो के लिए 10.982 करोड़ रुपए की तुलना में) 139.81 लाख जीवनो के लिए 218.83 करोड़ रुपए का समूह कारोबार प्रीमियम में था। वर्ष 2012-13 के लिए सूक्ष्म बीमा पोर्टफोलियो के अंतर्गत अलग-अलग मृत्यु दावों के लिए भुगतान 14,900 पॉलिसियों पर 22.70 करोड़ रुपए (वर्ष 2011-12 में 14509 पॉलिसियों पर 21.09 करोड़ रुपए) था और समूह श्रेणी में 1,42,815 जीवनो पर मृत्यु दावे के रूप में 437.72 करोड़ रुपए का भुगतान (वर्ष 2011-12 में 1,30,261 जीवनो पर 415.97 करोड़ रुपए की तुलना में) था।

12.14 इरडा द्वारा हाल ही में की गई पहलें

बीमा क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा हाल ही में की गई पहलों में निम्नलिखित शामिल है:-

(क) कॉमन सर्विस सेंटर संबंधी दिशानिर्देश

भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डेटवाई), राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के भाग के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) शुरू कर रहा है। सीएससी भारतीय नागरिक के लिए सरकारी, गैर-सरकारी और सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं के लिए फ्रंट-एंड डिलीवरी पॉइंट हैं।

इरडा ने 3 सितंबर, 2013 को कॉमन सर्विस सेंटर संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं जो मैसर्स सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी-एसपीवी) और समस्त ग्रामीण भारत में ग्रामीण स्तरीय उद्यमियों द्वारा प्रबंधित लगभग 1 लाख कॉमन सर्विस सेंटर के इसके नेटवर्क के माध्यम से खुदरा बीमा पालिसियों और सेवाओं की कतिपय श्रेणियों के विपणन के लिए भारत में जीवन और गैर-जीवन बीमाओं को सुकर बनाता है तथा सीएससी नेटवर्क का उपयोग करते हुए ग्रामीण आबादी तक पहुंचता है। इस प्रयास में मैसर्स सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत ग्रामीण व्यक्तियों के रूप में लाइसेंस प्राप्त अर्हता प्राप्त ग्रामीण स्तर के उद्यमियों के माध्यम से अनुमोदित बीमा नीतियों के विपणन के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

प्राधिकरण ने 29 जनवरी, 2014 के परिपत्र के तहत सीएससी संवितरण मॉडल के अंतर्गत जीवन बीमा उत्पादों को फाइल करने वाली जीवन बीमा कंपनियों द्वारा अपनाए जाने के लिए मार्गनिर्देश/प्रक्रियाएं जारी की हैं। इरडा सीएससी के माध्यम से वितरण के लिए दो जीवन उत्पादों के लिए मानक उत्पाद ढांचा लेकर आया है।

(ख) वेब एग्रीगेटर

प्राधिकरण ने वर्ष 2011 में वेब एग्रीगेटर संबंधी दिशानिर्देश जारी किए थे। प्राधिकरण ने वेब एग्रीगेटरों तथा बीमा परिषदों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की थीं और उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और चिंताओं पर विचार किया था। फीडबैक के आधार पर और उचित विचार-विमर्श के पश्चात इरडा (वेब एग्रीगेटर्स) विनियमन, 2013 द्वारा मार्गनिर्देशों को प्रतिस्थापित किया गया। इन विनियमों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42ड. के अधीन निर्धारित सीमाओं के अध्यक्षीन बीमाकर्ताओं और एग्रीगेटरों के बीच विचार किए जाने वाले लीड्स को नीतियों में परिवर्तित करने के लिए पारिश्रमिक
- वेब एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदनों, पात्रता मानदंडों और अपेक्षाओं की प्रक्रियाओं का मानकीकरण
- वेब एग्रीगेटरों के आचरण, कर्तव्य और कार्यों की संहिता का निर्धारण
- अर्हता और प्रशिक्षण अपेक्षाओं का निर्धारण
- अग्रणी प्रबंधन प्रणाली (लीड मैनेजमेंट सिस्टम) की स्थापना को अनिवार्य बना दिया गया है
- टेली-मार्केटियर के रूप में कार्य करने और शर्तों के अध्यक्षीन बीमाकर्ताओं के लिए आउटसोर्सिंग कार्य करने की अनुमति
- वेब एग्रीगेटरों द्वारा आवधिक प्रकटीकरण और रिकॉर्डों के रखरखाव संबंधी निर्धारण

(ग) बीमा दलालों (ब्रोकर्स) के रूप में बैंक

बैंकों को अलग से कोई अनुषंगी स्थापित किए बिना और साथ ही बीमा कारोबार के क्रमिक विकास को बढ़ावा देने और बैंकों के शाखा नेटवर्क की सहायता से भारत में कारोबार का अतिरिक्त विस्तार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बीमा दलाली का कारोबार करने की बैंकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने इरडा (बीमा दलाल के रूप में बैंकों का लाइसेंसीकरण) विनियमन, 2013 को अधिसूचित किया है। इन विनियमों के अंतर्गत आरबीआई अधिनियम, 1934 की दूसरी सूची में सूचीबद्ध अनुसूचित बैंकों को प्रत्यक्ष बीमा दलालों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। बीमा ब्रोकरों के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन करने से पूर्व बैंकों को आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है।

(घ) एजेंसी संवितरण

प्राधिकरण ने जीवन और/या गैर-जीवन बीमा कंपनियों के एजेंटों को अपनी-अपनी मूल बीमा कंपनियों के एजेंट के रूप में कार्य करने के अलावा एकल आधार वाली स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के उत्पादों के संवितरण के लिए अपनी सेवाएं देने की भी अनुमति प्रदान की है। आशा है कि इस अनुमति से भारत में स्वास्थ्य बीमा कवरेज

के विस्तार में मदद मिलेगी। इस अनुमति के अनुसार अब तक जीवन और/या गैर-जीवन कंपनियों के 95,036 एजेंटों ने एकल आधार वाले स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं।

(ड.) बीमा कंपनियों की पहुंच का विस्तार

‘कारोबार के स्थान’ संबंधी विनियमों को 16 फरवरी, 2013 को राजपत्रित किया गया था। बीमाकर्ताओं से बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64फग की अपेक्षाओं का पालन करते समय नए विनियमों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। विनियमों के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नानुसार हैं:-

- i) नया कार्यालय खोलने की अनुमति प्रदान करने के लिए कारोबार के प्रस्तावित नए स्थान के ब्यौरे के साथ बोर्ड से अनुमोदित वार्षिक कारोबार योजना को प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना; और
- ii) पिछले वर्ष के दौरान 1.50 के न्यूनतम शोधक्षमता अनुपात और बीमा अधिनियम के अंतर्गत यथा निर्धारित अनुप्रयोज्य मानदंडों के भीतर प्रबंधन के खर्च को रखने वाले बीमाकर्ता।

ऐसे बीमाकर्ताओं को प्राधिकरण की अनुमति के बिना 2011 की जनगणना के अनुसार टियर-II और उससे नीचे के केंद्रों में कार्यालय खोलने की अनुमति दी जाती है और वे निर्धारित मासिक विवरण में प्राधिकरण को सूचना दे सकते हैं। विनियमों को ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में बीमा की पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है।

(च) भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा विदेश में कार्यालय खोले जाने संबंधी दिशानिर्देश

प्राधिकरण ने जीवन, साधारण और पुनर्बीमा कारोबार के लिए विदेश में बीमा कंपनी (शाखा कार्यालय सहित) खोलने के लिए भारतीय बीमाकर्ताओं को अनुमति देने हेतु मई, 2013 में मार्गनिर्देश जारी किए। विदेश में परिचालन शुरू करने के लिए बीमाकर्ताओं के लिए प्राधिकरण द्वारा पात्रता मानदंड लागू किए गए हैं, जिसमें भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा 3 साल का परिचालनात्मक अनुभव, जीवन, गैर-जीवन और पुनर्बीमा कंपनियों के क्रमशः 500 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए और 750 करोड़ रुपए की निवल क्षमता, प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित शोधक्षमता की अपेक्षा के साथ अनुपालन, पिछले 5 वर्ष में से पिछले 3 वर्ष के लिए लाभ शामिल है। विदेश स्थित कार्यालय को धनशोधन रोधी मार्गनिर्देशों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का अनुपालक भी होना चाहिए। प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए मार्गनिर्देश एवं रिपोर्टिंग ढांचा भी निर्धारित किया गया है।

(छ) बीमा धोखाधड़ी निगरानी ढांचा

21 जनवरी, 2013 के इरडा के परिपत्र संदर्भ इरडा/एसडीडी/एमआईएससी/सीआईआर/ 009/01/2013 के तहत बीमा धोखाधड़ी निगरानी संबंधी विस्तृत ढांचा तैयार किया गया है। यह सभी पुनर्बीमाकर्ताओं पर लागू है और वर्ष 2013-14 से प्रभावी है। आदेश के अनुसार यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक बीमाकर्ता उपयुक्त ढांचा तैयार करेगा जिसे 30 जून, 2013 तक प्रत्येक बीमाकर्ता के कार्यालय में लागू किया जाना अपेक्षित है। बीमा कंपनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके पास बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित धोखाधड़ी रोधी नीति हो।

बीमाकर्ताओं से प्राधिकरण के पास निर्धारित फॉर्मेट में वार्षिक रूप से लेखा-जोखा प्रस्तुत करने की अपेक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त, बीमाकर्ताओं के बीच 'धोखाधड़ी से संबंधित जानकारी को साझा करने' के महत्व की पहचान करते हुए इरडा ने संबंधित साधारण और जीवन बीमा परिषदों के प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीमाकर्ताओं के बीच धोखाधड़ी से संबंधित सूचना की साझेदारी का आदेश दिया है।

(ज) ग्राहक शिक्षा

इरडा ने बीमा समावेशन के संवर्धन के लिए ग्राहक शिक्षा के अपने प्रयास को बढ़ाया है। इरडा ने बीमा जागरूकता के स्तर के मूल्यांकन हेतु स्वतंत्र निकाय राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीईआर) के माध्यम से बेस लाइन अखिल भारत सर्वेक्षण कराया था। एनसीईआर ने वर्ष 2011 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसके अतिरिक्त, अपने बीमा बेमिसाल अभियान के अंतर्गत इरडा ने ग्राहकों के जागरूकता स्तर को बढ़ाने के लिए बहुमुखी दृष्टिकोण अपनाया है और ग्राहक शिक्षा के अपने प्रयास को गति देना जारी रखा है ताकि लोग बीमा के लाभ को समझ सकें; पॉलिसीधारक के रूप में वे अपने अधिकारों एवं दायित्वों को जान सकें, आदि।

वर्ष 2012-13 के दौरान “फर्जी कॉल करने वाला” के खतरे को नियंत्रित करने के लिए अखिल भारत प्रिंट अभियान चलाया गया था जिसके माध्यम से जनता को “फर्जी कॉल करने वालों” के प्रति सचेत किया गया था। वाणिज्यिक वाहनों के लिए मोटर अन्य पक्ष बीमा के क्षेत्र में किए गए सुधारों से ग्राहकों को अवगत कराने के लिए इस अवधि के दौरान इसे प्रकाशित करके एक अभियान चलाया गया था। इन अभियानों को प्रिंट मीडिया के माध्यम से अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषाओं में चलाया गया था। इरडा ने ग्राहकों के लाभ के लिए लाइफ इंश्योरेंस राइडर्स; हाउसहोल्डर्स एवं शॉपकीपर्स पैकेज इंश्योरेंस; और ग्रीवांस रीड्रेसल मैकेनिज्म इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री फॉर दि बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर्स के बारे में तीन हैंडबुक प्रकाशित किए हैं। इसके अलावा पांच नए पोस्टर जारी किए गए हैं जिसमें ग्राहक शिक्षा वेबसाइट, पॉलिसीधारकों के जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियों के लिए सर्विसिंग के आमूल समय, फर्जी कॉल करने वालों के विरुद्ध चेतावनी और आईआईबी वेबसाइट के माध्यम से सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों द्वारा वाहन बीमा स्थिति की जानकारी के बारे में बताया गया है।

(झ) बीमा भंडारण प्रणाली

बीमा भंडारण प्रणाली बीमा पॉलिसियों को अमूर्त करने की इरडा की एक पहल है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इरडा ने बीमा भंडारण एवं बीमा पॉलिसियों के इलेक्ट्रॉनिक निर्गम के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं। तदनन्तर, अगस्त, 2013 में पांच कंपनियों को बीमा भंडारकों के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र दिए गए थे। इस भंडारण प्रणाली को 16 सितंबर, 2013 को जीवन पॉलिसीधारकों के लिए स्वैच्छिक आधार पर औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। पॉलिसीधारकों द्वारा इस सुविधा को तत्काल स्वीकार किए जाने और गैर-जीवन पॉलिसियों तक इसका विस्तार किए जाने की आवश्यकता है।

12.15 धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्त पोषण पर समाघात (सीएफटी)

बीमा क्षेत्र के लिए धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्त पोषण पर समाघात (सीएफटी) संबंधी दिशानिर्देश मार्च, 2006 में जारी किए गए थे। यह क्षेत्र वर्ष 2012-13 में प्रभावी एएमएल/सीएफटी के आठवें वर्ष में प्रवेश किया है। इरडा एएमएल/सीएफटी के मार्गनिर्देशों के क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय के विभिन्न विभागों/एजेंसियों के साथ कार्य करता है और बीमा क्षेत्र में एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों के प्रभावी अनुपालन के लिए विभिन्न पहलें की हैं।

12.16 भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)

बीमा अधिनियम, 1956 नामक संसद के अधिनियम द्वारा 243 कंपनियों को समामेलित करके 1 सितम्बर, 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम को निगमित किया गया था। जीवन बीमा निगम बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956, जीवन बीमा निगम विनियमावली, 1956 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 से संचालित होता है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमा निगम के भारत में 8 अंचल कार्यालय, 113 मंडल कार्यालय, 2048 शाखा कार्यालय, 73 ग्राहक क्षेत्र, 1346 सैटेलाइट कार्यालय और 1261 छोटे कार्यालय हैं।

निगम के फीजी, मॉरीशस तथा यू.के. में भी शाखा कार्यालय हैं। यह विदेशी बीमा बाजार में संयुक्त उद्यम कंपनी, नामतः मनामा (बहरीन) में पंजीकृत जीवन बीमा निगम (अंतर्राष्ट्रीय), बीएससी (सी), नैरोबी में पंजीकृत केनईडिया एश्योरेंस कंपनी लि.; काठमांडु में पंजीकृत जीवन बीमा निगम (नेपाल) लि., कोलंबो में पंजीकृत जीवन बीमा निगम (लंका) लि. और रियाद में पंजीकृत सऊदी इंडियन कंपनी फॉर कापरेटिव इंश्योरेंस (एसआईसीसीआई) के माध्यम से कारोबार करता है। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जीवन बीमा निगम (सिंगापुर) प्रा. लि. दिनांक 30.04.2012 को स्थापित की गई है। उपर्युक्त उद्यमों में से दो संयुक्त उद्यम (जेवी), नामतः केनईडिया एश्योरेंस कं. लि., नैरोबी, केन्या और सऊदी इंडियन कंपनी फॉर को-आपरेटिव इंश्योरेंस (एसआईसीसीआई), रियाद, किंगडम आफ सऊदी अरब समिश्र कंपनियां हैं जो जीवन और गैर-जीवन व्यापार करती हैं; और दो संयुक्त उद्यम, एलआईसी (नेपाल) लि. और एसआईसीसीआई अपने-अपने स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं।

12.17 वर्ष 2013-14 के दौरान कार्यनिष्पादन

- भारतीय जीवन बीमा निगम ने 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार 3,45,11,781 पॉलिसियों के अंतर्गत 90,123.75 करोड़ रुपए का प्रथम वर्ष प्रीमियम (एफवाईपी) प्राप्त किया और एफवाईपी में 17.83% की वृद्धि तथा पॉलिसियों की संख्या में 6.17% की गिरावट दर्ज की। एफवाईपी में निगम का मार्केट शेयर पॉलिसियों की संख्या में 75.33% (पि.व.-71.25%) और 84.44% (पि.व.-83.24%) है।
- 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अनंतिम रूप से निगम की कुल प्रीमियम आय 2,36,000 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए निगम का सकल

निवेश 2,78,000 करोड़ रुपए तथा 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार निवेश का बाजार मूल्य (अनंतिम) 17.24 लाख करोड़ है। संरक्षण अनुपात में 87.16% की तुलना में 90% से अधिक का सुधार हुआ है और समग्र व्यय अनुपात पिछले वर्ष के 15.09% से घटकर 14.3% हो गया है।

- निगम ने राजकोषीय वर्ष 2013-14 के दौरान 1,90,048 एजेंटों की भर्ती की और 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार एजेंटों की संख्या 11,95,916 थी।
- राजकोषीय वर्ष 2013-14 के दौरान निगम के प्रथम बीमा की संख्या 84.62% थी। इसी प्रकार निगम के ग्रामीण बीमा की संख्या 25.45% थी।
- जीवन बीमा निगम ने 65,763 करोड़ रुपए का भुगतान करके 2.43 करोड़ के परिपक्वता दावों का निपटान किया है। इसी प्रकार 7241 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करके 7.51 लाख मृत्यु दावों का निपटान किया गया है। बकाया दावा अनुपात परिपक्वता दावों में 0.32% और मृत्यु दावों में 0.70% है।

(उपर्युक्त वर्णित आंकड़े अनंतिम हैं)

12.18 वित्तीय समावेशन

ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों, में जीवन बीमा का संदेश पहुंचाने के लिए धारणीय एवं सजग प्रयास किए जाते हैं। वित्तीय समावेशन के भाग के रूप में वर्ष 2013-14 के दौरान जीवन बीमा निगम ने 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले गैर-प्रतिनिधित्व वाले शहरों में 1261 छोटे कार्यालय खोले हैं। छोटे कार्यालय ग्राहकों से पॉलिसी सेवा संबंधी अनुरोध प्राप्त करते हैं और प्रीमियम का संग्रह करते हैं।

12.19 शिकायत निवारण

जीवन बीमा निगम की एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (आईसीएमएस) वर्ष 2001 में स्थापित की गई थी। जीवन बीमा निगम ने ग्राहकों हेतु शिकायत/सुझाव आदि पंजीकृत कराने के लिए अपने वेबसाइट पर सुविधा प्रदान की है जो हमारे इन्टरनेट के माध्यम से संबंधित कार्यालयों को स्वतः ही आबंटित हो जाएंगी। ग्राहक ऑनलाइन प्रक्रिया से समाधान में हो रही प्रगति का पता लगा सकते हैं। अक्टूबर, 2011 में हमने इरडा के एकीकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (आईजीएमएस) के साथ अपने सीएमएस को सफलतापूर्वक जोड़ दिया है और ऐसा करके सूचना के 2-वे, रियल-टाइम, आदान-प्रदान और अद्यतनीकरण को सफल बनाया है। नियंत्रक कार्यालय ने एलआईसी के सभी कार्यालय और विभागों को इन्टरनेट के माध्यम से इस प्रणाली से जोड़ा है। भारत सरकार/डीपीजी/वीआईपी आदि से प्राप्त शिकायतों/पत्रों को पंजीकृत किया जाता है और इस प्रणाली के माध्यम से उसकी निगरानी की जाती है। चूंकि सीएमएस पूरी तरह से कार्यप्रवाह आधारित अनुप्रयोग है, इसलिए विनियामक रियल-टाइम में किसी भी शिकायत की स्थिति का पता लगाने में समर्थ है और ग्राहक से किसी फीडबैक/शिकायत के समाधान के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा लिए जाने वाले टर्न-अराउंड टाइम (टीएटी) की निगरानी करने में सक्षम है।

पोर्टल के माध्यम से एसएमएस के रूप में सूचना पॉलिसीधारकों के मोबाइल फोन पर भेजी जाती है। सभी ग्राहकों जिनके मोबाइल नंबर जीवन बीमा निगम के पास उपलब्ध हैं, को उनके देय प्रीमियम और प्रीमियम में चूक संबंधी सूचना एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। वे प्रीमियम प्राप्ति की जानकारी भी प्राप्त करते हैं जब कभी प्रीमियम का एलआईसी शाखा कार्यालय के बाहर की किसी कंपनी के माध्यम से भुगतान किया जाता है। एलआईसी नई पॉलिसियों के पूरा होने पर प्रत्यक्ष मार्केटिंग चैनल के ग्राहकों को भी एसएमएस से जानकारी उपलब्ध कराती है। ऐसे ग्राहकों को ई-मेल के माध्यम से भी नई पॉलिसी के पूरा होने पर उसका विवरण उपलब्ध कराया जाता है।

ऑनलाइन डाटा स्टोर (ओडीएस): वर्ष 2004 में स्थापित ओडीएस ग्राहकों और एजेंटों के रिकॉर्डों का केंद्रीकृत संक्षिप्त डाटाबेस है, जिसका उपयोग सभी प्रकार के लेन-देन के लिए किया जाता है जो इन्टरनेट के माध्यम से होता है। इसे हमारे सभी कार्यालयों से होने वाले सभी प्रकार के वित्तीय लेन-देनों को रियल-टाइम में और गैर-वित्तीय लेन-देनों जैसे पते में परिवर्तन, संशोधनों आदि को दिन के अंत में अद्यतन किया जाता है। ओडीएस निरंतर चलने वाला महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन क्षमता मिशन है जिससे हमारे पोर्टल को ग्राहक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में सहायता मिलती है।

12.20 सामाजिक सुरक्षा योजना-आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई)

समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए भारत सरकार ने अत्यधिक सब्सिडी वाली योजना, नामतः आम आदमी बीमा योजना शुरू की है जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से संचालित किया जाता है। इस सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और आंशिक रूप से गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले नागरिकों को 48 पहचान किए गए व्यवसायों के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की गई है। इस योजना में स्वाभाविक मृत्यु के मामले में 30,000 रुपए की बीमा राशि उपलब्ध कराई जाती है। दुर्घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण अपंगता (दोनों आंखों या दोनों अंगों की हानि सहित) के मामले में 75,000/- रुपए की राशि और दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी अपंगता (एक आंख/एक अंग की हानि) के मामले में 37,500/- रुपए की राशि नामित/हिताधिकारी को देय होगी।

ये सभी लाभ 200 रुपए प्रति सदस्य प्रति वर्ष के नाममात्र के प्रीमियम के भुगतान पर दिए जाते हैं, जिनमें से 100 रुपए का खर्च भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से रखे जा रहे सामाजिक सुरक्षा निधि के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है और शेष 100 रुपए के प्रीमियम का वहन सदस्य और/या नोडल एजेंसी और/या केंद्र/राज्य सरकार के विभागों द्वारा किया जाता है जो नोडल एजेंसी का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, बीमित सदस्यों के 9वीं से 12वीं कक्षा तक (आईटीआई पाठ्यक्रम सहित) पढ़ने वाले प्रति परिवार दो बच्चों के लिए प्रति बच्चा 1200 रुपए वार्षिक की दर से छात्रवृत्ति का अतिरिक्त लाभ दिया जाता है। एएबीवाई योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान शामिल किए गए नए जीवनो की कुल संख्या 1.18 करोड़ है और 31.03.2014 की स्थिति के

अनुसार जीवनों का संचयी कवरेज 4.54 करोड़ जीवन है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) के अंतर्गत 431.91 करोड़ रुपए के कुल 1,30,694 दावों का निपटान किया गया है और 291.01 करोड़ रुपए की 46,61,227 छात्रवृत्तियां दी गई हैं।

12.21 भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी रे)

भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी रे) को 3 नवंबर, 2000 को भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में अनुमोदित किया गया था। भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में जीआईसी रे भारत में गैर-जीवन बीमा कंपनियों को पुनर्बीमा सहायता प्रदान कर रही है। जीआईसी रे 01.04.2012 से भारतीय बीमा उद्योग के बदले मरीन हल पूल, भारतीय आतंकवाद बीमा पूल और वाणिज्यिक वाहनों के लिए मोटर अन्य पक्ष अस्वीकार्यता जोखिम बीमा पूल का भी प्रबंधन करता है। जीआईसी रे का उद्देश्य देश के भीतर प्रतिधारण को बढ़ाए रखना और पर्याप्त पुनर्बीमा क्षमता का विकास करना है। निगम ने भारतीय बीमाकर्ताओं के लिए सभी श्रेणी के कारोबार हेतु अधिकतम सहायता की पेशकश जारी रखी है। 1800 करोड़ रुपए तक का संपत्ति और इंजीनियरिंग जोखिम कवर किया जाता है। जीआईसी रे द्वारा प्रबंधित आतंकवाद पूल की प्रति स्थान (लोकेशन) क्षमता 1000 करोड़ रुपए है।

जीआईसी रे सार्क देशों, अफ्रीकी देशों और मध्य-पूर्व में कंपनियों के पुनर्बीमा कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहा है। इस प्रक्रिया में एफ्रो-एशियाई क्षेत्र में यह मनपसंद पुनर्बीमाकर्ता के रूप में उभरा है। जीआईसी रे अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार कर रही है और अब ब्राजील में “संभावित पुनर्बीमाकर्ता” की हैसियत प्राप्त करके लातिन अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने की योजना बना रहा है। जीआईसी रे का एफ्रो-एशियाई बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता संघ (एफएआईआर) द्वारा संवर्धित नेट कैट पूल के लिए प्रबंधक के रूप में चयन किया गया है।

जीआईसी रे वित्तीय रूप से सुदृढ़ है जैसा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से इसके उच्च दर्जे की रेटिंग से पता चलता है। एएम बेस्ट द्वारा इसे ‘ए’ (सर्वोत्तम) की रेटिंग दी गई है और केयर द्वारा ‘एएए (इन)’ की रेटिंग दी गई है। जीआईसी रे वैश्विक रूप से 5वां सबसे बड़ा उड्डयन बीमाकर्ता भी है। वर्ष 2012-13 के दौरान जीआईसी रे का निवल प्रीमियम पिछले वर्ष के 12,558.24 करोड़ रुपए की तुलना में 13,771.23 करोड़ रुपए था। निवल प्राप्त दावे पिछले वर्ष के 13,986.41 करोड़ अर्थात् 123.6% की तुलना में 10,942.34 करोड़ रुपए अर्थात् 82.10% थे। जीआईसी रे का करोपरान्त लाभ 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार 2,468.74 करोड़ रुपए की करोपरान्त हानि की तुलना में 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार 2,344.62 करोड़ रुपए था। 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार कुल आस्तियां और निवल क्षमता क्रमशः 59,939.89 करोड़ रुपए और 9,661.60 करोड़ रुपए था। निगम की वर्तमान चुकता पूंजी 430.00 करोड़ रुपए है।

दुबई, लंदन, कुआलालांपुर के अपने शाखा कार्यालयों और मॉस्को के अपने प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से जीआईसी रे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उपस्थित है। पुनर्बीमा कारोबार के अलावा जीआईसी रे केनडिया एश्योरेंस कंपनी लि., केन्या; इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस प्रा. लि., सिंगापुर; एशियन रीइश्योरेंस कॉर्पोरेशन, थाईलैंड; ईस्ट अफ्रीका रीइश्योरेंस कंपनी लि., केन्या के शेयर पूंजी में हिस्सेदारी कर रहा है।

12.22 सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां

साधारण बीमा उद्योग का वर्ष 1972 में राष्ट्रीयकरण किया गया था और 107 बीमाकर्ताओं को 4 कंपनियों- नेशनल इश्योरेंस कंपनी लि., न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि., ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लि. और युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि. में समूहबद्ध एवं समामेलित किया गया था। इन चार कंपनियों को भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी), जो पुनर्बीमाकर्ता की भूमिका भी निभाता है, की अनुषंगियों के रूप में स्थापित किया गया था। बीमा क्षेत्र के खुलने के साथ ही वर्ष 1999 में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) भी अस्तित्व में आया और जीआईसी भारतीय पुनर्बीमाकर्ता बन गया और सार्वजनिक क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियां जीआईसी से अलग कर दी गईं।

सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां आग, मरीन (कार्गो और हल), मोटर, कामगारों का मुआवजा, निजी दुर्घटना, उड्डयन, इंजीनियरिंग, देयता, स्वास्थ्य आदि जैसे जीवन से इतर कवरेज प्रदान करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को वर्ष 2011-12 के दौरान 32,263.46 करोड़ रुपए की तुलना में 37,071.81 करोड़ रुपए को कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय हुई, जो 2012-13 के दौरान 14.90% की वृद्धि दर्शाता है। सार्वजनिक साधारण बीमा कंपनियों का बाजार शेयर वर्ष 2011-12 के 58.75% की तुलना में वर्ष 2012-13 में लगभग 57.07% था। मोटर और स्वास्थ्य बीमा वृद्धि के मुख्य कारक रहे हैं। कंपनी वार-ब्यौरा निम्नानुसार है:

12.23 नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड:

यह कंपनी 1906 में निगमित हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसकी प्रदत्त पूंजी 100 करोड़ रुपए है। वर्ष 2011-12 में 7,815.69 करोड़ रुपए के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (जीडीपीआई) की तुलना में वर्ष 2012-13 में इसकी जीडीपीआई 9,194.62 करोड़ रुपए थी जो पिछले वर्ष 25.15% की तुलना में 17.64% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2012-13 में किया गया दावा अनुपात वर्ष 2011-12 के 87.50% की तुलना में 85.57% है। करोपरान्त लाभ वर्ष 2011-12 के 324.76 करोड़ रुपए की तुलना में 2012-13 में 695.70 करोड़ रुपए था। घरेलू परिचालन: इसके पास 1,477 कार्यालय और 15,396 कर्मचारी हैं। विदेशी परिचालन: नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के दो संयुक्त उद्यम, नामतः केनडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, केन्या और इंडिया इंटरनेशनल एश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर हैं। इसका नेपाल में भी विदेशी परिचालन है जिसे क्रिसिल (सीआरआईएसआईएल) द्वारा “एएए/एसटीएबीईएल” की रेटिंग दी गई है।

12.24 न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

1937 में निगमित इस कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी प्रदत्त शेयर पूंजी 200 करोड़ रुपए है। वर्ष 2011-12 के 10,073.88 करोड़ रुपए के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (जीडीपीआई) की तुलना में वर्ष 2012-13 में जीडीपीआई 11,873.49 करोड़ रुपए थी जो पिछले वर्ष के 22.47% वृद्धि की तुलना में 17.86% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2012-13 में किया गया दावा अनुपात वर्ष 2011-12 के 90.01% की तुलना में 86.16% है। करोपरान्त लाभ वर्ष 2011-12 के 179.31 करोड़ रुपए की तुलना में 2012-13 में 843.66 करोड़ रुपए था। घरेलू परिचालन: इसके पास 1,574 कार्यालय और 18,935 कर्मचारी हैं। विदेशी परिचालन: यह कंपनी 22 देशों में 9 शाखाओं, 7 एजेंसियों, 3 अनुषंगी कंपनी और 4 सहयोगी कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से परिचालन करती है। इसे एएम बेस्ट एंड कंपनी (यूरोप) से “ए-” (सर्वोत्तम) रेटिंग दी गई है।

12.25 ओरियन्टल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

1947 में निगमित इस कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी प्रदत्त शेयर पूंजी 100 करोड़ रुपए है। वर्ष 2011-12 के 6,194.60 करोड़ रुपए के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (जीडीपीआई) की तुलना में वर्ष 2012-13 में जीडीपीआई 6,737.66 करोड़ रुपए थी जो वर्ष 2011-12 के 11.21% वृद्धि की तुलना में 8.77% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2012-13 में किया गया दावा अनुपात वर्ष 2011-12 के 85.26% की तुलना में 79.22% है। करोपरान्त लाभ वर्ष 2011-12 के 253.39 करोड़ रुपए की तुलना में 2012-13 में 533.89 करोड़ रुपए था। घरेलू परिचालन: इसके पास 1,526 कार्यालय और 14,742 कर्मचारी हैं। विदेशी परिचालन: “ओरियन्टल” का नेपाल, दुबई और कुवैत में विदेशी परिचालन है। इसे एएम बेस्ट एंड कंपनी (यूरोप) से “बी++” (बहुत अच्छा) रेटिंग दी गई है।

12.26 युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

1938 में निगमित इस कंपनी का मुख्यालय चेन्नई में है और इसकी प्रदत्त शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपए है। वर्ष 2011-12 के 8,179 करोड़ रुपए के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (जीडीपीआई) की तुलना में वर्ष 2012-13 में जीडीपीआई 9,266.04 करोड़ रुपए थी जो वर्ष 2011-12 के 28.27% वृद्धि की तुलना में 13.29% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2012-13 में किया गया दावा अनुपात वर्ष 2011-12 के 79.46% की तुलना में 81.92% है। करोपरान्त लाभ वर्ष 2011-12 के 387 करोड़ रुपए की तुलना में 2012-13 में 527.33 करोड़ रुपए था। “युनाइटेड इंडिया” के 1593 कार्यालय और 16,637 कर्मचारी हैं। आईसीआरए द्वारा इसे “आईएएए” रेटिंग दी गई है।

जहां तक शिकायत निवारण का संबंध है, सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों ने 97.04% शिकायतों (कुल 39,769 में से 38,593) का निवारण किया और 2013 में इसके पास मात्र 1176 शिकायतों का निवारण नहीं हो पाया था। “नेशनल” ने कुल 20,703 शिकायतों में से 98.36% का निवारण किया और शेष शिकायतों की संख्या 339 थी। “न्यू इंडिया” ने कुल 6,125 शिकायतों में से 97% का निवारण किया और 197 शिकायतें निवारण के लिए शेष थी। “ओरियन्टल” ने कुल 5,399 शिकायतों में से 92.96% का

निवारण किया और 380 शिकायतें निवारण के लिए शेष थी। “युनाइटेड इंडिया” ने कुल 7,542 शिकायतों में से 96.55% का निवारण किया और 260 शिकायतें निवारण के लिए शेष थी।

12.27 एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

‘एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड’ (एआईसी) को 20 दिसंबर, 2002 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन भारत में कृषि एवं इससे संबद्ध क्रियाकलापों में लगे व्यक्तियों की बीमा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निगमित किया गया था। इस कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 1500 करोड़ रुपए है। 200 करोड़ रुपए की इस कंपनी की प्रदत्त वित्तीय शेयर पूंजी निम्नलिखित सरकारी निगम/बैंक/कंपनी द्वारा प्रतिशत-वार धारित की जाती है:-

1.	भारतीय साधारण बीमा निगम	35.00%
2.	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाड)	30.00%
3.	नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और इसके नामिती	8.75%
4.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और इसके नामिती	8.75%
5.	ओरियन्टल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	8.75%
6.	युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	8.75%
कुल		100.00%

कंपनी ने 1 अप्रैल, 2003 से कारोबार आरंभ किया था। कंपनी ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) से अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात 01 अप्रैल, 2003 से अपना कारोबार शुरू किया। दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार पूरे देश में इसके कर्मचारियों की संख्या 282 है। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है और 17 क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न राज्यों की राजधानियों में हैं। इसके अतिरिक्त, जिला स्तरों पर इसके 4 एकल व्यक्ति कार्यालय हैं। कंपनी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस), जोकि भारत सरकार के केंद्रीय क्षेत्र का फसल बीमा कार्यक्रम है, का क्रियान्वयन कर रही है और साथ ही अपने अन्य वाणिज्यिक फसल बीमा उत्पादों के साथ-साथ सरकार द्वारा लाए गए प्रायोगिक मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस), प्रायोगिक संशोधित एनएआईएस और प्रायोगिक कोकोनट पाम बीमा योजना (सीपीआईएस) का क्रियान्वयन कर रही है।

इस कंपनी के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रमों के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

12.28 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस)

इस योजना को व्यापक फसल बीमा योजना सीसीआईएस के स्थान पर रबी 1999-2000 मौसम के दौरान लागू किया गया था। कृषि मंत्रालय की ओर से इस योजना को एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा क्रियान्वित किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूखा, बाढ़, ओला, चक्रवात, आग, कीट एवं बीमारियों आदि जैसे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसलों की हानियों के कारण किसानों को होने वाले नुकसान से उनकी रक्षा करना था ताकि हानियों का बीमा किया जा सके और आगामी मौसम के लिए उनकी साख बनी रहे। यह योजना सभी किसानों, कर्जदार और करमुक्त दोनों के लिए उसके खेत के आकार पर ध्यान दिए

बिना उपलब्ध थी। इस योजना में अनाज, बाजरा, दालें, तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी वाली फसलों सहित सभी फसलों के बीमा की परिकल्पना की गई है, जिसके संबंध में पूर्व उपज आंकड़ा उपलब्ध है। एनएआईएस के प्रावधानों के अनुसार खाद्य फसल और तिलहनों के लिए एकसमान एवं अधिकतम सीमा वाला प्रीमियम रेट प्रभाषित किया गया था और वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी वाली फसलों के लिए बीमांकिक दरें निर्धारित की गई थी। छोटे और सीमांत किसानों के लिए 10% की प्रीमियम सब्सिडी की अनुमति दी गई थी जो समान रूप से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। तथापि, कुछ राज्य और संघ राज्यक्षेत्र की सरकारें छोटे और सीमांत किसानों को अपेक्षाकृत अधिक सब्सिडी और अन्य किसानों को सब्सिडी भी प्रदान कर रही थी।

एनएआईएस के अंतर्गत खरीफ 2013 मौसम के दौरान 26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 433 जिलों में फैले 0.80 करोड़ किसानों

को कवर करते हुए 752.2 करोड़ रुपए के सकल प्रीमियम के साथ 21,947.41 करोड़ रुपए की बीमा राशि के 1.02 करोड़ हेक्टेयर का बीमा किया गया था। वर्ष 1999 में शुरुआत से खरीफ 2013 मौसम तक एनएआईएस ने लगभग 21.64 करोड़ किसानों को कवर किया है जिसमें 9524.29 करोड़ के प्रीमियम के बदले 317031.61 करोड़ रुपए की बीमा राशि के 31.50 करोड़ हेक्टेयर का बीमा किया गया था। 30313.54 करोड़ रुपए के सूचित किए गए दावों में से 29099.67 करोड़ रुपए के दावों का अब तक निपटान किया जा चुका है जिससे 5.68 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचा है। दावों के आंकड़ों के बढ़ने की संभावना है क्योंकि खरीफ 2013 मौसम से संबंधित दावों का अभी अंतिम रूप से निपटान किया जाना शेष है। भारत सरकार ने रबी 2013-14 मौसम से इस योजना को वापस ले लिया है और राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (एनसीआईपी) शुरू किया है। तथापि, भारत सरकार संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों से प्राप्त अनुरोध पर 14 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में एनएआईएस को जारी रखे हुए है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस)					
क्र.सं.	मौसम	कवर किए गए किसानों की संख्या	बीमित राशि	प्रीमियम	(रु. लाख में)
			सूचित किए गए दावे		
1	रबी 2010-11	4967878	1101055.62	29816.72	65792.83
2	खरीफ 2011	11554561	2348710.36	71434.90	166537.54
3	रबी 2011-12	5239299	1128393.63	25767.81	54548.20
4	खरीफ 2012	10645405	2718136.05	87823.90	278951.73
5	रबी 2012-13	6136713	1570211.63	44680.56	190410.87
6	खरीफ 2013	10322401	2979601.57	221231.56	347306.73

12.29 राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (एनसीआईपी)

एनएआईएस को वापस लिए जाने के परिणामस्वरूप 01 नवंबर, 2013 को एनसीआईपी को लागू किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। एनसीआईपी की तीन संघटक योजनाएं हैं नामतः संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस), मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डबल्यूबीसीआईएस) और कोकोनट पाम बीमा योजना (सीपीआईएस)। एमएनएआईएस और डबल्यूबीसीआईएस को एआईसी और 10 अन्य बीमा कंपनियों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

12.30 संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस)

एनसीआईपी में निगमित किए जाने से पूर्व इस योजना को रबी 2010-11 से खरीफ 2013 तक प्रायोगिक तौर पर चलाया गया था। संशोधित संस्करण में बहुत सारे सुधार हैं, नामतः प्रमुख फसलों के बीमा यूनिट ग्राम पंचायत या अन्य समान यूनिट हैं; बीमित राशि के 25% तक बाधित/असफल बीजारोपण दावे भुगतान योग्य हैं, चक्रवाती वर्षा से हुई फसलोपरांत हानियों का काटी गई फसलों के लिए खेत के स्तर पर और तटीय क्षेत्रों में दो सप्ताह की अवधि तक कटी हुई और फैलायी गई स्थिति (कट एंड स्प्रेड कंडीशन) के स्तर पर मूल्यांकन किया जाता है, स्थानीय स्तर की आपदाओं जैसे औला और भूस्खलन के मामले में हानियों का मूल्यांकन अलग-अलग खेतों के स्तर पर किया जाता है; भयानक आपदाओं के मामले में किसानों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए अग्रिम के रूप में संभावित दावे

का 25% तक खाते में भुगतान; घोषित प्राकृतिक आपदा के दो वर्ष तक को छोड़कर पिछले 7 वर्ष के औसत उपज के आधार पर शुरुआती उपज पर 80% के न्यूनतम बीमा स्तर (एनएआईएस में 60% के स्थान) पर उपलब्ध है; प्रीमियम दरें बीमांकिक हैं जो प्रीमियम में अपक्रन्ट से समर्थित हैं, जो 40% से 75% के बीच है और जिनका केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है। बीमाकर्ता दावों से संबंधित देयताओं के लिए उत्तरदायी है। एआईसीआईएल अपनी शुरुआत से एमएनएआईएस को क्रियान्वित करता रहा है। खरीफ 2013 के दौरान एआईसी द्वारा प्रायोगिक योजना का 13 राज्यों के 29 जिलों में तथा रबी 2013-14 के दौरान 12 राज्यों के 127 जिलों में एनसीआईपी के भाग के रूप में कार्यान्वयन किया गया।

खरीफ 2013 मौसम के दौरान 492.75 करोड़ रुपए के सकल प्रीमियम वाली 4062.26 करोड़ रुपए की बीमित राशि के साथ 0.15 करोड़ हेक्टेयर का बीमा करते हुए 0.14 करोड़ किसानों को कवर किया गया। रबी 2010-11 से खरीफ 2013 में प्रायोगिक के रूप में शुरू करने से एमएनएआईएस में लगभग 0.51 करोड़ किसानों को कवर किया गया जिसमें 1494.93 करोड़ रुपए के प्रीमियम के प्रति 13496.93 करोड़ की बीमित राशि के लिए 0.57 करोड़ हेक्टेयर का बीमा किया गया। 1428.43 करोड़ रुपए की राशि के दावे देय हो गए जिससे 9 लाख किसानों को लाभ हुआ।

12.31 आशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस)

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	मौसम	बीमित किसान	बीमित राशि	सकल प्रीमियम	देय दावे
1	रबी 2010-11	336724	66679.04	4524.08	1595.88
2	खरीफ 2011	417831	112748.71	11128.92	7673.22
3	रबी 2011-12	617328	163181.19	15506.86	7084.83
4	खरीफ 2012	1605834	438423.01	51101.48	60380.15
5	रबी 2012-13	802901	162435.46	17956.55	4849.26
6	खरीफ 2013	1316210	406225.84	49275.25	61259.13

12.32 मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस)

उपर्युक्त दो उपज गारंटी बीमा योजनाओं के अलावा भारत सरकार ने खरीफ 2007 से अन्य प्रायोगिक योजना नामतः प्रायोगिक मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) शुरू की थी जो अपनी शुरुआत से एनसीआईपी के घटक के रूप में पूर्ण स्कीम बन गई। यह स्कीम प्रीमियम सब्सिडी के बीमांकक आधार पर परिचालित होती है जिसकी सीमा 25 से 50% होती है जिसमें केंद्र एवं राज्य समान रूप से सहभागिता करते हैं। एआईसी ने खरीफ 2007 से शुरू करके सभी पिछले खरीफ एवं रबी मौसमों के दौरान विभिन्न राज्यों में योजना को क्रियान्वित किया है। डब्ल्यूबीसीआईएस पैरामीट्रिक बीमा उत्पाद है जिसे कृषि अवधि के दौरान प्रतिकूल मौसम घटनाओं से कृषकों को बीमा सुरक्षा तैयार करने के लिए तैयार किया गया है जैसे कम या अल्प वर्षा, पाला, गर्मी (तापमान), संगत आद्रता, वायुगति आदि जो फसल उपज को प्रतिकूलतः प्रभावित कर सकती है।

फसल एवं रेफरेंस यूनिट एरिया (आरयूए) को राज्य सरकार द्वारा मौसम के अनुरूप होने से पहले अधिसूचित किया जाता है। प्रत्येक आरयूए रेफरेंस वेदर स्टेशन (आरडब्ल्यूएस) से सम्बद्ध है जिसके आधार पर भुगतान/दावों पर कार्रवाई की गई। रेफरेंस मौसम

केन्द्र (आरडब्ल्यूएस) में किए गए माप की तुलना में वर्तमान मौसम के वेदर मानदंडों में प्रतिकूल विभिन्नताओं के आधार पर भुगतान किया जाता है। डब्ल्यूबीसीआईएस के तहत दावें क्षेत्र आधारित एवं स्वचालित होते हैं। कंपनी ने सेव, नींबू प्रजाति फसल, अंगूर, आम, अनार, काजू आयलपाम, आदि जैसी बारहमासी फसलों सहित 35 विभिन्न फसलों से अधिक का बीमा किया। इस स्कीम को खरीफ 2012 में 13 राज्यों में तथा रबी 2012-13 में 14 राज्यों में क्रियान्वित किया। खरीफ 2013 के दौरान प्रायोगिक योजना को एआईसी द्वारा 112 जिलों में तथा रबी 2013-14 के दौरान 14 राज्यों के 123 जिलों में एनसीआईपी के भाग के रूप में क्रियान्वित किया गया। खरीफ 2013 मौसम के दौरान 901 करोड़ रुपए के सकल प्रीमियम वाली 8840.43 करोड़ रुपए की बीमित राशि के साथ 0.69 करोड़ हेक्टेयर का बीमा करते हुए 0.51 करोड़ किसानों को कवर किया गया। खरीफ 2007 से खरीफ 2013 में प्रायोगिक योजना के रूप में शुरू करने से डब्ल्यूबीसीआईएस में लगभग 3.05 करोड़ किसानों को कवर किया गया जिसमें 5058.28 करोड़ रुपए के प्रीमियम के प्रति 53725.74 करोड़ रुपए की बीमित राशि के लिए 4.19 करोड़ हेक्टेयर का बीमा किया गया। 3511.13 करोड़ रुपए की राशि के दावे देय हो गए जिससे 177 लाख किसानों को लाभ हुआ।

मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) (लाख रुपए में)					
क्र. सं.	मौसम	बीमित किसान	बीमित राशि	सकल बीमा	देय दावे
1	खरीफ 2010	3915052	443617.74	46057.52	15009.02
2	रबी 2010-11	2822499	524668.32	42756.08	28888.11
3	खरीफ 2011	5263741	834181.40	83701.81	35395.58
4	रबी 2011-12	3169805	669468.05	55741.28	58133.95
5	खरीफ 2012	3547486	724024.28	72649.38	54050.94
6	रबी 2012-13	3706628	646507.53	57552.46	78056

12.33 जिप्सा कंपनियों के एजेंसी नेटवर्क का उपयोग करना:

फसल बीमा की पहुंच बढ़ाने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि फसल बीमा की बिक्री के लिए चार जिप्सा कंपनियों के एजेंसी नेटवर्क का उपयोग किया जाए। इस संबंध में इरडा ने एआईसीआईएल तथा चार जिप्सा कंपनियों के बीच सह-बीमा व्यवस्था हेतु अपना अनुमोदन दिया है जो, कि केवल गैर-उधारकर्ता किसानों को कवर करेंगे। सह-बीमा व्यवस्था तथा एमओयू के अनुसार एआईसीआईएल तथा चार

बीमा कंपनियों में व्यापार साझा 51:49 के अनुपात में किया जाएगा। भुगतान किए गए दावों में एआईसी तथा जिप्सा के बीच भागीदारी होती है।

13. लेखापरीक्षा पैरा

वितीय सेवाएं विभाग में लंबित लेखापरीक्षा पैरों का ब्यौरा अनुबंध-VI में दिया गया है।

समूह क और ख (अधिकारियों) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

बैंक का नाम

कर्मचारियों की संख्या

पिछले कैलेंडर वर्ष 2013 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या

बैंक का नाम	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा				अन्य पद्धतियों द्वारा			
	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
इलाहाबाद बैंक	12428	2247	948	1969	1568	265	123	535	1428	259	96	-	-	-	-	-
आन्ध्रा बैंक	10499	1797	785	1610	2045	306	161	603	1748	307	124	-	-	-	-	-
बैंक आफ बड़ौदा	19449	3431	1422	3405	2884	552	196	1097	791	134	78	-	-	-	-	-
बैंक आफ इंडिया	17847	3000	1340	2497	1823	289	175	474	-	-	-	-	-	-	-	-
बैंक आफ महाराष्ट्र	5890	914	434	770	1346	191	98	372	189	31	11	-	-	-	-	-
केनरा बैंक	20736	3643	1410	2313	3757	637	257	1444	508	119	38	-	-	-	-	-
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	16369	2900	1271	2406	2330	300	298	620	-	-	-	-	-	-	-	-
कार्पोरेशन बैंक	7614	1131	415	1252	1062	159	49	392	308	64	14	-	-	-	-	-
देना बैंक	5368	987	478	829	1010	158	43	351	586	89	60	-	-	-	-	-
इंडियन बैंक	8566	1807	663	853	828	142	158	251	495	194	4	-	-	-	-	-
इण्डियन ओवरसीज बैंक	13602	2276	1069	2387	2667	439	165	941	1585	276	130	-	-	-	-	-
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	9891	1653	551	1280	322	65	30	124	941	165	49	-	1	-	-	-
पंजाब नेशनल बैंक	24121	4471	1510	1708	1196	160	67	360	3664	978	196	-	14	1	-	-
पंजाब एंड सिंध बैंक	6220	824	350	695	925	157	75	249	-	-	-	-	-	-	-	-
सिडिकेट बैंक	11499	1883	846	1617	1450	231	97	430	1042	190	72	-	-	-	-	-
यूनियन बैंक	17421	3051	1205	3427	1925	307	140	563	2385	197	83	-	-	-	-	-
युनाइटेड बैंक	7526	1326	551	1065	1071	147	51	322	304	63	17	-	-	-	-	-

यूको बैंक	11839	854	1407	1998	318	127	541	861	191	84	-	-	-	-	-
विजया बैंक	6027	1053	1019	706	140	49	220	692	92	28	-	-	-	-	-
भारतीय स्टेट बैंक	79780	13640	7368	1281	186	110	381	1329	245	127	-	-	-	-	-
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	5444	1070	640	115	17	5	34	142	27	6	-	-	-	-	-
स्टेट बैंक आफ पटियाला	5713	1170	540	77	9	5	20	140	40	3	-	-	-	-	-
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	7145	1188	1328	144	22	7	55	187	27	12	-	-	-	-	-
स्टेट बैंक आफ मैसूर	3358	653	357	69	5	1	29	65	5	1	-	-	-	-	-
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	5133	654	579	110	17	5	37	164	14	-	-	-	-	-	-
नाबार्ड	2787	412	324	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-
सिडबी	875	137	143	9	0	1	2	-	-	-	उ.न.	-	-	-	-
आईडीबीआई	14415	1850	2833	2309	369	85	641	580	67	15	-	-	-	-	-
आरबीआई	7864	1133	429	90	10	09	19	#	#	#	-	-	-	-	-
एकजम बैंक	308	29	39	25	0	2	8	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
एनएचबी	106	11	24	18	2	1	3	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
आईआईएफसीएल	56	5	7	7	1	शून्य	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	365896	62328	24727	47120	35167	5601	2590	20192	3774	1248	-	15	1	-	-

समूह ग (लिपिक) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

बैंक का नाम	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा				अन्य पद्धतियों द्वारा				
	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	
इलाहाबाद बैंक	8531	1907	529	992	1880	371	153	461	368	218	29	-	-	-	-	-	-
आन्ध्रा बैंक	5336	818	349	1313	1393	267	106	523	486	89	23	-	-	-	-	-	-
बैंक आफ बड़ौदा	17850	2644	1322	3171	3757	651	338	1350	-	-	-	-	-	-	-	-	1
बैंक आफ इंडिया	18115	3041	1846	2129	2212	446	256	670	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बैंक आफ महाराष्ट्र	6239	978	429	710	506	106	26	192	170	12	2	-	-	-	-	-	-
केनरा बैंक	18835	3531	1087	2473	3603	761	179	1427	434	115	26	-	-	-	-	-	-
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	15562	2846	1252	2860	4053	698	345	1192	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कार्पोरेशन बैंक	7410	1354	393	1623	2080	418	100	707	71	20	2	-	-	-	-	-	-
देना बैंक	5173	692	555	1026	1214	161	62	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इंडियन बैंक	9304	2010	370	1478	1744	333	58	677	216	72	3	-	-	-	-	-	-
इण्डियन ओवरसीज बैंक	12504	2710	603	2017	1810	327	59	741	114	33	9	-	-	-	-	-	-
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	6307	1446	2789	1432	886	196	48	263	26	11	1	-	-	-	-	-	-
पंजाब नेशनल बैंक	26803	5148	1221	3572	4717	1109	263	988	772	193	44	-	-	-	-	-	-
पंजाब एंड सिंध बैंक	2042	345	59	335	480	114	18	135	41	2	1	-	-	-	-	-	-
सिंडिकेट बैंक	10483	2064	595	1091	1506	262	75	486	-	-	-	-	-	12	40	3	-
यूनियन बैंक	10365	2100	602	2382	1686	302	111	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
युनाइटेड बैंक	6454	1250	418	648	1149	176	94	266	359	58	39	-	-	-	-	-	-
यूको बैंक	8530	1250	510	666	951	126	94	334	371	58	56	-	-	-	-	-	-

विजया बैंक	4410	698	298	722	776	249	117	217	149	36	12	-	-	-	-	-
भारतीय स्टेट बैंक	103883	17488	8528	19298	14519	2600	1627	4721	-	-	-	-	-	-	-	-
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	5190	907	573	820	1183	223	175	205	-	-	-	-	-	-	-	-
स्टेट बैंक आफ पटियाला	6309	1625	69	844	972	262	5	227	72	15	1	-	-	-	-	-
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	7322	1182	497	2194	2062	364	157	746	-	-	-	-	-	-	-	-
स्टेट बैंक आफ मैसूर	5432	833	269	948	729	116	44	208	-	-	-	-	-	-	-	-
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	7039	913	197	1587	2205	278	40	845	-	-	-	-	-	-	-	-
नाबार्ड	671	93	56	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सिज्डी	100	27	8	5	-	-	-	-	7	2	1	-	उ.न.	-	-	-
आईडीबीआई	1199	128	37	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आरबीआई	3916	586	252	554	406	71	28	76	-	-	-	-	-	-	-	-
एक्विजि बैंक																
एनएचबी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आईआईएफसीएल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	341314	60614	25713	57090	58479	10987	4578	18534	3656	934	249	-	41	12	3	1

एक्विजि बैंक में कोई भी कर्मचारी लिपिकीय संवर्ग में नहीं है।

समूह घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

पिछले कैलेंडर वर्ष 2013 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या

कर्मचारियों की संख्या

बैंक का नाम	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा				अन्य पद्धतियों द्वारा			
	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
इलाहाबाद बैंक	1191	743	97	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आन्ध्रा बैंक	3006	766	209	639	26	3	1	5	75	11	3	-	-	-	-	-
बैंक आफ बड़ौदा	7084	2326	682	1202	-	877	183	124	333	-	-	-	1	-	-	1
बैंक आफ इंडिया	4405	1215	454	828	125	16	9	53	-	-	-	-	-	-	-	-
बैंक आफ महाराष्ट्र	2503	941	244	247	63	22	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-
केनरा बैंक	7724	2069	353	1281	543	182	50	160	-	-	-	-	-	-	-	-
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	6086	1695	474	1287	870	130	66	235	-	-	-	-	-	-	-	-
कार्पोरेशन बैंक	3192	1396	212	824	279	136	11	82	-	-	-	-	-	-	-	-
देना बैंक	1948	616	271	230	299	89	16	101	299	-	-	-	-	-	-	-
इंडियन बैंक	1871	647	77	229	44	8	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
इण्डियन ओवरसीज बैंक	4354	1549	153	1150	36	6	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	3435	1285	230	659	181	34	12	55	-	-	-	-	-	-	-	-
पंजाब नेशनल बैंक	9640	2969	574	1895	1259	245	59	382	116	56	5	-	-	-	-	-
पंजाब एंड सिंध बैंक	791	225	27	33	-	-	-	-	102	26	4	-	-	-	-	-
सिडिको बैंक	3564	1170	253	293	9	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
यूनियन बैंक	3815	1311	320	802	13	2	2	5	39	7	-	-	-	-	-	-
युनाइटेड बैंक	2747	591	125	117	-	-	-	-	179	47	8	-	-	-	-	-

यूको बैंक	2744	618	153	191	8	4	1	1	9	1	-	-	-	-	-	-	-
विजया बैंक	2004	520	148	405	32	6	4	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय स्टेट बैंक	35448	9097	2591	6072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्टेट बैंक आफ बीकानेर	2126	364	237	386	15	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एंड जयपुर																	
स्टेट बैंक आफ पटियाला	3194	1228	62	546	43	3	5	12	168	91	1	-	-	-	-	-	-
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	2450	447	139	712	283	48	9	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्टेट बैंक आफ मैसूर	2078	607	132	281	31	11	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	1804	408	75	245	135	12	-	38	49	14	1	-	-	-	-	-	-
नाबार्ड	816	286	101	113	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सिडबी	63	19	13	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आईडीबीआई	935	232	77	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आरबीआई	4127	1153	359	400	62	09	02	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एक्विजि बैंक	2	0	0	0													
एनएचबी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आईआईएफसीएल	1																
कुल	125148	36493	8842	21414	4357	1849	441	1400	1369	253	22	-	1	-	-	-	1

सब स्टाफ वर्ग में केवल 2 कर्मचारी हैं। 1983 से इस वर्ग में कोई भर्ती नहीं की गई है।

समूह घ (सफाई कर्मचारी) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

बैंक का नाम

कर्मचारियों की संख्या

पिछले कैलेंडर वर्ष 2013 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या

बैंक का नाम	कुल	कर्मचारियों की संख्या			सीधी भर्ती द्वारा			पदोन्नति द्वारा			अन्य पद्धतियों द्वारा		
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल
इलाहाबाद बैंक	2069	1383	108	244	195	106	13	48	-	-	-	-	-
आंध्रा बैंक	1548	554	121	588	45	6	4	7	-	-	-	-	-
बैंक आफ बड़ौदा	1020	436	102	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बैंक आफ इंडिया	3285	1554	344	391	5	2	1	2	-	-	-	-	-
बैंक आफ महाराष्ट्र	1493	368	95	312	82	17	10	24	-	-	-	-	-
केनरा बैंक	867	417	42	232	19	8	-	10	-	-	-	-	-
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	3077	1438	292	714	1069	402	113	370	-	-	-	-	-
कार्पोरेशन बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
देना बैंक	353	131	35	128	34	16	3	9	-	-	-	-	-
इंडियन बैंक	670	282	22	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इण्डियन ओवरसीज बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पंजाब नेशनल बैंक	4945	3237	240	698	712	369	56	139	-	-	-	-	-
पंजाब एंड सिंध बैंक	888	687	12	69	90	53	5	23	238	185	4	-	-
सिडिकोट बैंक	2182	1218	116	362	160	97	11	33	-	-	-	-	-
यूनियन बैंक	2470	1107	225	662	590	146	40	203	-	-	-	-	-
युनाइटेड बैंक	1463	696	57	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
यूको बैंक	1708	968	79	179	28	21	6	1	-	-	-	-	-

विजया बैंक	524	212	42	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय स्टेट बैंक	4225	2625	227	279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	764	592	20	42	11	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-
स्टेट बैंक आफ पटियाला	596	205	6	140	36	7	-	9	-	-	-	-	-	-	-
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1460	322	93	669	48	9	9	28	-	-	-	-	-	-	-
स्टेट बैंक आफ मैसूर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	589	151	13	201	289	61	9	126	-	-	-	-	-	-	-
नाबार्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सिडबी	3	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आईडीबीआई	100	18	2	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आरबीआई	1453	611	104	130	16	2	0	1	-	-	-	-	-	-	-
एक्विम बैंक															
एनएचबी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आईआईएफसीएल															
कुल	37752	19213	2397	6812	3429	1330	281	1033	238	185	4	-	-	-	-

समूह क और ख (अधिकारी) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

बैंक का नाम कर्मचारियों की संख्या

पिछले कैलेण्डर वर्ष 2013 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या

	सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा				अन्य पद्धतियों द्वारा			
	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
एलआईसी	56504	9765	37426	4234	4142	669	369	1012	1553	353	154	-
जीआईसी	405	60	20	41	64	11	5	18	45	7	2	-
एनआईएसीएल	8640	1564	480	23	500	3	1	2	459	100	29	-
एनआईसीएल	7061	1295	360	583	328	48	26	108	866	183	35	-
ओआईसीएल	6573	1276	368	674	37	4	5	11	329	53	12	-
यूआईआईसीएल	7865	1545	474	909	409	65	31	146	511	63	23	-
एआईसीएल	252	47	22	52	42	10	4	13	-	-	-	-
कुल	87300	15552	39150	6516	5522	810	441	1310	3763	759	255	-

समूह ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

कर्मचारियों की संख्या

पिछले कैलेण्डर वर्ष 2013 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या

	सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा				अन्य पद्धतियों द्वारा			
	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
एलआईसी	54863	8546	4110	2955	179	88	25	7	2075	528	194	-
जीआईसी	95	23	11	9	--	--	--	--	22	3	1	--
एनआईसीएल	8137	1822	661	816	528	30	25	203	352	52	20	--
एनआईसीएल	6468	1526	461	517	-	-	-	-	-	-	-	-
ओआईसीएल	5884	1386	496	757	537	79	42	169	279	70	47	-
यूआईआईसीएल	7099	1773	523	1084	578	96	44	153	339	41	19	-
एआईसीएल	23	7	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	82569	15083	6266	6142	1822	293	136	532	3067	694	281	-

समूह घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

पिछले कैलेण्डर वर्ष 2013 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या

कर्मचारियों की संख्या

बैंक का नाम

बैंक का नाम	कुल	सीधी भर्ती द्वारा			पदोन्नति द्वारा			अन्य पद्धतियों द्वारा		
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.
एलआईसी	5436	1391	292	1137	10	3	-	1	7	6
जीआईसी	26	5	1	0	-	-	-	-	-	-
एनआईसीएल	2001	937	166	226	-	-	-	-	-	-
एनआईसीएल	1108	366	87	110	-	-	-	-	-	-
ओआईसीएल	1949	873	148	336	-	-	-	-	-	-
यूआईआईसीएल	1943	980	150	352	-	-	-	-	-	-
एआईसीएल	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-
कुल	12467	4553	844	2162	10	3	-	1	7	6
									20	5

बीमा कंपनियों में समूह घ (सफाई कर्मचारी) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

पिछले कैलेण्डर वर्ष 2013 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या

कर्मचारियों की संख्या

बैंक का नाम

बैंक का नाम	कुल	सीधी भर्ती द्वारा			पदोन्नति द्वारा			अन्य पद्धतियों द्वारा		
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.
एलआईसी	611	434	45	53	6	2	1	2	1	-
जीआईसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एनआईसीएल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एनआईसीएल	744	490	44	54	-	-	-	-	-	-
ओआईसीएल	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-
यूआईआईसीएल	82	65	3	4	-	-	-	-	-	-
एआईसीएल	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-
कुल	1501	1051	92	112	6	2	1	2	1	108
									74	5

विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

क्रम सं.	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के नाम	समूह क एवं ख के अधिकारी	सही भर्ती										पदोन्नति					
			कर्मचारियों की संख्या					की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्रूटमेंटों की संख्या					
			कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	कुल
1.			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	इलाहाबाद बैंक		12428	60	16	109	16	16	16	1568	3	-	24	-	-	-	1428	3
2.	आंध्रा बैंक		130	19	7	104	36	2	26	24	5	2	17	-	-	-	12	1
3.	बैंक आफ बड़ौदा		330	70	47	213	30	29	29	87	29	17	41	-	-	-	-	-
4.	बैंक आफ इंडिया		210	20	18	172	-	-	-	33	6	9	18	-	-	-	-	-
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र		5890	6	8	48	2	4	12	10	-	6	4	-	-	-	-	-
6.	केनरा बैंक		400	50	34	315	60	68	50	44	10	4	30	-	-	-	-	-
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया		16369	15	11	253	19	19	20	21	8	-	13	-	-	-	-	-
8.	कार्पोरेशन बैंक		7614	30	29	80	10	11	11	1062	4	2	5	-	-	-	-	-
9.	देना बैंक		83	12	7	64	14	26	12	9	-	-	9	-	-	-	-	11
10.	इंडियन बैंक		8566	15	9	91	6	13	7	828	2	-	9	-	-	-	495	2
11.	इण्डियन ओवरसीज बैंक		220	44	30	146	25	37	25	26	6	1	19	-	-	-	-	-
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स		9891	18	13	145	3	2	3	14	3	-	11	-	-	-	-	-
13.	पंजाब नेशनल बैंक		24121	30	11	285	12	12	12	1210	6	2	19	0	0	0	3664	5
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक		6220	17	10	46	9	9	9	6	-	-	6	-	-	-	-	-

15.	सिंडिकेट बैंक		11499	27	14	246	15	15	15	20	1	2	17	-	-	-	-	-	-
16.	यूनियन बैंक		17421	40	13	132	82	103	20	1925	28	8	17	-	-	-	-	-	-
17.	युनाइटेड बैंक		7526	14	4	82	11	11	11	10	3	3	6	-	-	4	1	0	3
18.	यूको बैंक		11839	10	10	169	19	20	20	21	1	-	20	-	-	19	1	1	17
19.	विजया बैंक		6027	14	7	62	7	7	7	561	-	1	6	-	-	-	-	-	-
20.	भारतीय स्टेट बैंक		504	54	16	434	22	-	22	50	28	-	22	-	-	-	-	-	-
21.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर		5444	5	1	78	1	-	1	115	1	-	1	-	-	-	-	-	-
22.	स्टेट बैंक आफ पटियाला		5713	7	-	47	1	-	1	77	-	-	1	-	-	-	-	-	-
23.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद		7145	15	3	125	22	-	22	21	5	-	16	-	-	2	-	1	1
24.	स्टेट बैंक आफ मैसूर		3358	6	1	27	1	-	-	69	-	-	9	-	1	65	1	1	1
25.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर		5133	4	6	58	1	1	1	110	-	-	3	-	-	-	-	-	-
26.	भारतीय रिजर्व बैंक		7864	16	09	199	2	1	1	--	--	--	--	श्रेणी-III से श्रेणी-I तक तथा श्रेणी-I के भीतर पीछ्युडी को पदेन्ति में कोई आरक्षण नहीं।					
27.	नाबार्ड		70	7	3	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	आईडीबीआई		14415	21	2	234	34	-	35	2309	4	-	101	-	-	-	-	-	-
29.	सिडबी		875	--	--	8	--	--	--	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30.	एक्जिम बैंक		308	1	0	4	2	3	0	25	1	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	एनएचबी		106	-	-	1	-	-	-	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
32.	आईआईएफसीएल		2	शून्य	शून्य	2	शून्य	शून्य	1	1	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल		197721	647	339	4039	462	409	389	10265	154	57	445	-	1	5700	12	9	106

विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

पदेनति

सीधी भर्ती

कर्मचारियों की संख्या

**समूह ग
(लिपिक)**
क्रम बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के नाम

आरक्षित रिक्तियों की संख्या										आरक्षित रिक्तियों की संख्या										की गई नियुक्तियों की संख्या			
		कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1.		8531	42	51	154	19	18	18	1880	15	2	21	3	3	4	368	2	2	3				
2.	इलाहाबाद बैंक	141	37	30	74	28	30	14	27	9	5	13	-	-	-	14	2	3	9				
3.	आन्ध्रा बैंक	385	83	54	248	38	37	37	75	27	10	38	-	-	-	-	-	-	-				
4.	बैंक आफ बड़ौदा	372	62	48	262	-	-	-	61	14	5	42	-	-	-	-	-	-	-				
5.	बैंक आफ इंडिया	6239	12	20	65	5	2	7	12	5	2	5	-	-	-	-	-	-	-				
6.	बैंक आफ महाराष्ट्र	512	91	145	276	63	62	44	64	22	6	36	3	4	4	392	-	-	4				
7.	केनरा बैंक	15562	77	62	323	23	23	28	8	3	17	-	-	-	-	-	-	-	-				
8.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	7410	31	26	108	19	21	15	2080	7	5	14	-	-	-	-	-	-	-				
9.	कापेरिशन बैंक	118	26	16	76	24	28	22	24	5	4	15	-	-	-	-	-	-	-				
10.	देना बैंक	9304	36	39	107	14	14	14	1744	6	1	13	2	2	2	216	-	-	2				
11.	इंडियन बैंक	291	59	102	130	45	45	45	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-				
12.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	6307	8	2	158	3	2	9	18	4	2	10	-	-	-	-	-	-	-				
13.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	26803	91	63	348	47	47	48	4717	37	38	56	0	0	0	772	2	0	14				
14.	पंजाब नेशनल बैंक	2042	11	10	25	3	2	4	5	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-				
15.	पंजाब एंड सिंध बैंक	10483	34	30	185	15	15	15	10	1	4	5	-	-	-	-	-	-	-				
16.	सिडिकेट बैंक	10365	44	39	69	23	31	23	1686	13	3	21	-	-	-	-	-	-	-				
17.	यूनियन बैंक	6454	32	18	79	18	17	16	20	8	-	12	-	-	-	7	2	1	4				
18.	युनाइटेड बैंक	8530	11	1	151	9	9	10	25	4	2	19	3	4	4	23	2	2	19				
19.	यूको बैंक	4410	16	32	63	2	2	5	390	-	-	5	1	1	1	149	1	-	2				
20.	विजया बैंक	1758	436	315	1007	190	175	191	428	164	65	199	-	-	-	-	-	-	-				
	भारतीय स्टेट बैंक																						

21.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	5190	33	17	81	18	34	14	1183	15	14	10	-	-	-	-	-	-	-
22.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	6309	37	16	99	9	10	10	972	11	9	10	-	-	-	-	-	-	-
23.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	7322	59	21	113	28	30	34	68	27	9	32	-	-	-	-	-	-	-
24.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	3432	38	-	87	11	-	11	729	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-
25.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	7039	32	25	99	22	22	22	2205	17	3	26	-	-	-	-	-	-	-
26.	भारतीय रिजर्व बैंक	3916	17	4	91	3	2	8	406	9	2	10	-	-	-	-	-	-	-
27.	नाबार्ड	28	-	4	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	आईडीबीआई	1199	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	सिडबी	100	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	एक्जिम बैंक	एक्जिम बैंक में लिपिकीय संवर्ग में कोई कर्मचारी नहीं है।																	
31.	एनएचबी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	आईआईएफसीएल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	160552	1456	1190	4513	679	678	664	18845	441	210	627	12	14	15	1941	11	8	57

विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

क्रम सं. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के नाम समूह घ स.क. को छोड़कर

कर्मचारियों की संख्या

सीधी भर्ती

पदोन्नति

आरक्षित रक्षितयों की संख्या																						आरक्षित रक्षितयों की संख्या										की गई नियुक्तियों की संख्या																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
आरक्षित रक्षितयों की संख्या																						आरक्षित रक्षितयों की संख्या										की गई नियुक्तियों की संख्या																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
कुल																						वीएच		ओएच		वीएच		ओएच		वीएच		ओएच		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल		वीएच		ओएच		कुल</	

16.	यूनियन बैंक		6285	8	23	57	-	-	-	-	603	1	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	युनाइटेड बैंक		2747	4	1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	यूको बैंक		4452	3	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.	विजया बैंक		2528	6	12	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	125	1	1	1	
20.	भास्तीय स्टेट बैंक		203	17	22	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर		2890	-	1	17	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	स्टेट बैंक आफ पटियाला		3194	2	2	30	-	-	1	-	43	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
23.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद		2450	6	20	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.	स्टेट बैंक आफ मैसूर		2078	3	3	13	-	-	1	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर		1804	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.	भारतीय रिजर्व बैंक		4127	3	7	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.	नाबार्ड		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.	आईबीआई		1035	1	1	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	सिडबी		66	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	एक्विम बैंक		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	एनएचबी		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32.	आईआईएफसीएल																						
	कुल		66588	124	226	1217	49	49	57	शून्य	शून्य	शून्य	17	10	96	2	2	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

पदोन्नति

सीधी भर्ती

कर्मचारियों की संख्या

समूह घ
(स.क.)

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं
के नाम

क्रम
सं.

			आरक्षित रिक्तियों की संख्या										आरक्षित रिक्तियों की संख्या										की गई नियुक्तियों की संख्या			
			कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच		
		1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1.	इलाहाबाद बैंक		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.	आन्ध्रा बैंक		14	-	5	9	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.	बैंक आफ बड़ौदा		9	-	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.	बैंक आफ इंडिया		35	3	5	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.	केनरा बैंक																									
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया		3077	-	-	63	9	9	9	9	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8.	कार्पोरेशन बैंक		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9.	देना बैंक		2	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10.	इंडियन बैंक		670	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11.	इण्डियन ओवरसीज बैंक		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13.	पंजाब नैशनल बैंक		4945	1	3	11	7	7	8	712	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15.	सिडिकेट बैंक		2182	1	1	5	-	2	3	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

[illegible]

विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

क्र. सं.	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के नाम	समूह क और ख के अधिकारी	कर्मचारियों की संख्या	सीधी भर्ती	पदोन्नति	आरक्षित रिक्रतियों की संख्या	की गई नियुक्ति की संख्या	आरक्षित रिक्रतियों की संख्या	की गई पदोन्नति की संख्या

		कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
		1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	एलआईसी	56504	8	13	280	11	11	-	12	284	4	-	7	-	-	-	-	-	-	-
2.	जीआईसी	6	--	--	6	--	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	1
3.	एनआईएसीएल	8640	7	2	48	8	8	11	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	एनआईसीएल	7061	9	3	45	4	4	4	4	9	3	4	2	-	-	-	-	-	-	-
5.	ओआईसीएल	6573	6	3	70	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	यूआईआईसीएल	7865	5	4	68	3	3	3	11	15	1	3	11	-	-	-	-	-	-	-
7.	एआईसीएल	252	2	1	2	1	1	1	1	42	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	कुल	86901	37	26	519	27	19	36	388	9	8	21	21	-	-	-	-	-	-	1

विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

क्र. सं.	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के नाम	समूह 'ग'	कर्मचारियों की संख्या	सीधी भर्ती	पदोन्नति

			आरक्षित रिक्तियों की संख्या					की गई नियुक्ति की संख्या					आरक्षित रिक्तियों की संख्या					की गई पदोन्नति की संख्या				
			कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच		
		1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.	एलआईसी		54863	25	24	698	1	-	1	26	-	-	1	59	-	134	1352	2	-	23		
2.	जीआईसी		1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
3.	एनआईएसीएल		8137	27	15	201		18		14	6	--	8	--	--	2	2	--	--	2		
4.	एनआईसीएल		6468	13	9	177	-		-	-	-	-	-	-	-	-	12	1	1	10		
5.	ओआईसीएल		5884	14	16	164	6	6	6	537	7	3	5	-	-	1	279	-	-	1		
6.	यूआईआईसीएल		7099	29	8	184	6	6	6	15	6	1	8	-	4	-	-	-	-	-		
7.	एआईसीएल		23	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.	कुल		82475	108	72	1426	31	12	13	592	19	4	22	59	4	137	1645	3	1	36		

विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

पदेन्नति

सीधी भर्ती

कर्मचारियों की संख्या

क्र. सं. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के नाम समूह 'घ' सफाई कर्मचारी को छोड़कर

		आरक्षित रिक्तियों की संख्या										आरक्षित शक्तियों की संख्या										की गई पदेन्नति की संख्या	
		कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच				
	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1.	एलआईसी	6047	2	3	56	-	-	-	6	-	-	-	102	5	45	76	2	-	-				
2.	जीआईसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.	एनआईसीएल	2001	2	1	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.	एनआईसीएल	1852	2	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.	ओआईसीएल	2010	3	2	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.	यूआईआईसीएल	2025	3	2	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7.	एआईसीएल	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8.	कुल	13942	12	8	229	-	-	-	6	-	-	-	102	5	45	76	2	-	-				

विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

पदेन्नति

सीधी भर्ती

कर्मचारियों की संख्या

क्र. सं. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के नाम समूह 'घ' सफाई कर्मचारी को छोड़कर

आरक्षित सक्तियों की संख्या																								आरक्षित सक्तियों की संख्या										की गई पदेन्नति की संख्या									
संख्या												संख्या												संख्या																			
			कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच																			
		1.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																							
1.		एलआईसी																																									
2.		जीआईसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
3.		एनआईसीएल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
4.		एनआईसीएल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
5.		ओआईसीएल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
6.		यूआईआईसीएल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
7.		एआईसीएल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
8.		कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			

31.12.2013 तक पहचान किए गए विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व भरे जाने का विवरण (सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/आरबीआई एवं बीमा कंपनियों द्वारा दी गई स्थिति)

समूह	31.12.2013 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या					पिछले कैलेण्डर वर्ष 2013 के दौरान की गई सीधी भर्ती					पदोन्नति									
						आरक्षित रिक्तियों की संख्या			आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या								
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच		वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच				
*समूह 'क' एवं 'ख'	284622	684	365	4558		489	428	425	10653	163	65	466		-	1	1	5700	12	9	107
समूह 'ग'	243027	1564	1262	5939		710	690	6777	19437	460	214	649		71	18	152	3586	14	9	93
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	80530	136	234	1446		49	49	57	2391	17	10	96		104	7	47	318	3	1	2
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	15032	6	21	138		19	21	24	761	-	2	15		-	-	-	-	-	-	-
कुल	62311	2390	1882	12081		1267	1188	7283	33242	640	291	1226		175	26	200	9604	29	19	202

* सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/बीमा कंपनियों में एक समान अधिकारी ग्रेड है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल बकाया शैक्षिक ऋण

(करोड़ रुपए में)

बैंक का नाम	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	
	खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि
इलाहाबाद बैंक	47610	1261.56	49467	1346.94
आंध्रा बैंक	61542	1427.00	57965	1510.53
बैंक ऑफ बड़ौदा	88743	1970.43	89,243	2062.11
बैंक ऑफ इंडिया	122839	2411.80	134540	2652.00
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	27218	552.92	29876	637.33
केनरा बैंक	217434	4266.67	250374	4746.00
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	109762	2526.94	123328	3088.44
कार्पोरेशन बैंक	49897	1150.26	52371	1251.78
देना बैंक	15391	328.27	17235	364.27
इंडियन बैंक	204691	3650.26	180637	3452.40
इंडियन ओवरसीज बैंक	201285	2978.39	220626	3596.80
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	48449	1227.04	48085	1270.79
पंजाब नेशनल बैंक	155879	3588.18	157813	4257.95
पंजाब एंड सिंध बैंक	7003	219.29	7109	232.16
सिंडिकेट बैंक	113138	2555.62	116541	2768.24
यूको बैंक	50571	1140.89	54303	1262.18
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	90807	2081.57	94211	2218.61
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	23285	551.81	24196	530.78
विजया बैंक	34393	669.98	38013	760.20
भारतीय स्टेट बैंक	604339	13753.15	593474	14740.00
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	22449	500.56	22363	515.32
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	29883	614.28	29897	628.37
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	15020	404.65	15814	448.27
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	51425	1122.83	50664	1185.42
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	109705	2394.17	105125	2475.41
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	6707	171.36	9440	253.64
बीएमबी			6	0.29
कुल	2509465	53519.88	2572716	58256.23

स्रोत: पीएसबी (31 मार्च के लिए डाटा अनंतिम है)

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋण

क्षेत्र	खातों की सं. (लाख में)				बकाया राशि (करोड़ रुपए)			
	मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार 31 मार्च की स्थिति के अनुसार							
	2010	2011	2012	2013*	2010	2011	2012	2013*
कृषि	316	339	384	436	3,72,463 (17.3%)	4,14,973 (16.6%)	4,75,148 (15.7%)	5,30,370 (15.2%)
i) प्रत्यक्ष	310	332	375	428	2,65,826 (12.8%)	3,00,190 (12%)	3,66,398 (12.1%)	4,46,085 (12.8%)
ii) अप्रत्यक्ष	6	7	9	8	1,06,637 (5.1%)	1,14,782 (4.6%)	1,11,872 (3.7%)	84,592 (2.4%)
लघु उद्यम	72	74	71	75	2,76,319 (13.3%)	3,69,430 (14.8%)	3,96,343 (13.1%)	4,76,977 (13.7%)
शिक्षा	19	22	24	24	35,855	41,342	46,740	50,954
आवास	37	40	40	39	1,73,184	1,88,472	2,01,672	2,14,759
कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	458	483	531	585	8,37,777 (41.6%)	10,21,496 (40.9%)	11,29,993 (37.4%)	12,82,212 (36.9%)
समायोजित निवल बैंक ऋण	-	-	-	-	20,78,398	24,93,499	30,18,475	34,74,772

स्रोत: आरबीआई * 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार आंकड़े अनंतिम

टिप्पणी:

- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर (ओबीई के सीई) के ऋण समतुल्य राशि अग्रिमों की प्रतिशतता को दर्शाती है। (जो भी उच्चतर हो) (गत वर्ष के 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार)।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण से संबंधित वर्तमान दिशा-निर्देशों (मार्च, 2013 तक लागू) के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ऋण के मुख्य वर्गों में कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र, शिक्षा और आवास शामिल है।
- समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर के ऋण समतुल्य, जो भी अधिक हो, के मात्र 4.5% तक अप्रत्यक्ष कृषि की संगणना की जाती है।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम संबंधी नये दिशा-निर्देशों में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार लघु और सूक्ष्म उद्यमों की संशोधित परिभाषा का ध्यान रखा गया है।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम संबंधी नये दिशा-निर्देशों में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार लघु और सूक्ष्म उद्यमों की संशोधित परिभाषा का ध्यान रखा गया है।

मार्च, 2013 में समाप्त तिमाही के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वहियों में महिलाओं को ऋण का खोरा दर्शाने वाला विवरण																	अनुबंध - V (क)	
(राशि लाख में)																		
बैंक का नाम	निवल बैंक ऋण	महिलाओं के लिए ऋण				महिलाओं के लिए ऋण				प्रथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत महिलाओं को दिए गए ऋण				अन्य				
		महिलाओं के लिए ऋण				गैर-प्रथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत				व्यक्ति ऋण के तहत				लघु उद्योगों के तहत		सरकार द्वारा प्रयोजित कार्यक्रम के तहत		
		खातों की सं.	बकाया राशि	एनबीसी का %	खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि	तहत	खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि	
इलाहाबाद बैंक	10805400.00	669133	565822.00	5.24	643445	404761.00	25688	161061.00	530590	147515.00	18080	49538.00	84714	67271.00	10061	140437.00		
आंध्र बैंक	10032756.55	921207	979161.69	9.76	826103	857159.62	95104	122002.07	225284	339474.65	119642	85340.12	50734	45441.62	430443	386903.23		
बैंक ऑफ बड़ौदा	20349711.00	466351	824313.27	4.05	401615	604761.97	64736	219551.30	6847	3538.02	50035	64649.82	69033	36781.25	275700	499792.88		
बैंक ऑफ इंडिया	20598671.00	689714	2096369.00	10.18	614491	873900.00	75223	1222469.00	336975	78453.00	81052	295845.00	172190	150244.00	426401	424770.00		
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	5621340.00	160532	300724.19	5.35	132570	207952.15	27962	92772.04	9665	2207.17	19989	26204.63	74079	156400.46	28837	23139.89		
केनरा बैंक	22380699.27	1776786	3134027.27	14.00	1701346	1988044.99	75440	1145982.28	43725	19689.01	11805	318158.60	57287	21046.76	1645816	1650197.38		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	15111600.00	679418	758680.00	5.02	467337	508250.00	212081	250430.00	96775	110134.00	58511	96075.00	156242	95620.00	155809	206421.00		
कार्पोरेशन बैंक	10046900.00	246104	495127.00	4.93	215963	392105.00	30141	103022.00	11515	6150.00	27202	91980.00	9446	6157.00	167800	287818.00		
देना बैंक	5686949.00	157636	291214.91	5.12	135446	213340.80	22190	77874.11	21865	7678.39	27406	59106.95	29946	9959.02	56229	154233.85		
इंडियन बैंक	8651172.00	1181658	1168573.38	13.51	1065659	985264.67	115999	183308.71	82511	23922.30	162663	171627.23	9029	5113.80	811456	784601.34		
इंडियन ओवरसीज बैंक	12755870.00	1399738	1771842.10	13.89	1210198	1174178.70	189540	597663.40	106700	109763.40	74078	221177.10	118072	51465.20	911348	791773.00		
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	11197769.00	150147	641403.00	5.73	126068	476928.00	24079	164475.00	33868	13024.00	51407	118380.00	15944	18128.00	24849	327396.00		
पंजाब नेशनल बैंक	27507200.00	834789	1408468.00	5.12	711857	1072633.00	122932	335835.00	72183	50818.00	55156	85432.00	137158	79634.00	447360	856749.00		
पंजाब एंड सिंध बैंक	4555417.00	51527	218317.00	4.79	40567	165633.00	10960	52884.00	1242	9892.00	8820	33825.00	8530	8431.00	21975	113485.00		
सिडिके बैंक	10406683.00	718706	824483.86	7.92	573396	657686.95	145310	166796.91	72523	110958.42	72086	107848.46	10490	6774.02	428787	438880.07		
यूनिफा बैंक ऑफ इंडिया	16363617.00	612695	913372.85	5.58	578024	736979.42	34671	176393.43	51722	54349.56	68310	86491.83	58374	23527.88	399618	572610.15		

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	6387300.00	402986	339503.88	5.31	353950	278089.89	49036	61413.99	174768	84958.00	29518	35891.02	124856	77146.15	24808	80094.72
यूको बैंक	10880700.00	380114	563741.00	5.18	344508	430871.00	35606	132870.00	107476	100366.00	18976	49141.00	83519	50195.00	134537	231169.00
विजया बैंक	5869800.00	262546	452570.00	7.71	244753	387865.00	17793	64705.00	29282	47803.00	33070	86422.00	6682	4634.00	175719	249006.00
भारतीय स्टेट बैंक	75908161.00	3661445	5614675.00	7.40	2791282	3616621.00	870163	1998054.00	1076322	316893.00	26133	314148.00	394442	310997.00	1688827	2985580.00
स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एंड जयपुर	5000097.00	204680	273287.00	5.47	153256	180799.00	51424	92488.00	71520.00	14635.00	6932	2881.00	21779	5250.00	53025	158033.00
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	7705303.00	593995	676695.00	9.00	475752	488182.00	118243	208513.00	831	1121.00	138	1152.00	111808	114237.00	362975	351671.00
स्टेट बैंक ऑफ मसूर	3986703.00	166996	250148.00	6.27	116523	160451.00	50473	89697.00	17094	9026.00	1444	1974.00	5220	2738.00	92765	146713.00
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	6414922.00	124979	352412.00	5.49	93985	264205.00	30994	88207.00	28950	11058.00	4355	33875.00	8374	2862.00	52306	216410.00
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	5604089.00	698766	839013.00	14.97	385620	460096.00	313146	378917.00	85041	76630.00	47004	123509.00	52213	58842.00		201362
आईडब्ल्यूआई	17424071.00	154901	1307712.48	7.51	137063	1120225.61	17838	187486.86	160	53404.27	4310	13718.58	3200	1575.37	124738	901690.40
कुल	357252900.82	17367549	27061656.88	7.57	14540777	18686984.77	2826772	8374672.10	3295434	1803461.19	1078122	2574391.34	1873361	1410471.53	9153551	13180689.91

मार्च, 2013 में समाप्त तिमाही के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बहियों में महिलाओं को ऋण का व्यौरा दर्शाने वाला विवरण																अनुबंध - V(ख)					
(राशि लाख में)																					
बैंक का नाम	सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत दिया गया ऋण																				
	प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)																				
	मध्यम और बड़े उद्योगों के तहत			अन्य			कुल बकाया			प्रतिशत			सर्वण बकाया			महिलाओं के प्रति			प्रतिशत		
खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि
इलाहाबाद बैंक	1598	23598.00	24090	137463.00	49484	60147.00	7422	18478.00	15.00	30.72	20673	10403.00	7803	4367.00	37.74	41.98					
आंध्र बैंक	181	1039.97	94923	120962.10	9744	5561.85	2388	861.69	24.51	15.49	8234	3945.51	4003	2230.92	48.62	56.54					
बैंक ऑफ बड़ौदा	19	923.66	64717	218627.64	36345	48913.31	5750	7006.19	15.82	14.32	26396	9901.35	5234	1902.90	19.83	19.22					
बैंक ऑफ इंडिया	394	925995.00	74829	296474.00	23855	15924.00	3685	2318.00	15.45	14.56	26079	10967.00	7112	2792.00	27.27	25.46					
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2234	17165.20	25728	75606.84	11792	12778.83	2452	2411.38	20.79	18.87	9615	5485.04	2401	978.09	24.97	17.83					
केनरा बैंक	3214	549609.08	72226	596373.20	21088	14877.76	5943	3414.28	28.18	22.95	13150	7560.90	5421	2675.42	41.22	35.38					
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	4924	31269.00	207157	219161.00	94155	75122.00	14502	12371.00	15.40	16.47	67195	24079.00	12412	7922.00	18.47	32.90					
कार्पोरेशन बैंक	54	6339.00	30087	96683.00	7837	9339.00	2158	3329.00	27.54	35.65	3875	2412.00	1569	946.00	40.49	39.22					
देना बैंक	33	12411.79	22157	65462.32	16605	9986.92	3094	1894.33	18.63	18.97	11253	3133.18	3603	1047.58	32.02	33.44					
इंडियन बैंक	46	2117.07	115953	181191.64	7268	9489.11	2726	2926.01	37.51	30.84	7322	3017.37	3727	1321.54	50.90	43.80					
इंडियन ओवरसीज बैंक	1	2335.30	189539	595328.10	8276	7709.56	2017	1902.00	24.37	24.67	8523	3792.54	4375	1974.00	51.33	52.05					
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	59	14100.00	24020	150375.00	14772	17676.00	2247	2788.00	15.21	15.77	10729	3659.00	2643	737.00	24.63	20.14					
पंजाब नेशनल बैंक	27	12361.00	122905	323474.00	55987	34073.00	11948	6503.00	21.34	19.09	30760	15553.00	10639	4050.00	34.59	26.04					
पंजाब एंड सिंध बैंक	0	0.00	10960	52684.00	12076	6724.00	1936	1533.00	16.03	22.80	3251	1243.00	879	342.00	27.04	27.51					
सिलिकेट बैंक	800	4199.69	144510	162597.22	12874	15047.86	2013	1975.83	15.64	13.13	8686	5251.67	1966	1247.24	22.63	23.75					
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	152	20648.63	34519	155744.80	50853	30937.49	8526	4270.78	16.77	13.80	27474	8928.19	7231	2215.55	26.32	24.82					

यूनाइटेड बँक ऑफ इंडिया	873	4076.00	48163	57337.99	45979	62346.96	12297	14349.50	26.74	23.02	28958	16812.11	8754	5663.92	30.23	33.69
यूको बँक	13841	67111.00	21765	65759.00	26292	24399.00	5917	6612.00	22.50	27.10	21634	7609.00	11117	2781.00	51.39	36.55
विजया बँक	78	6686.00	17715	58019.00	6692	3964.00	1981	1079.00	29.60	27.22	4134	2044.00	1759	871.00	42.55	42.61
भारतीय स्टेट बँक	2657	123145.00	867506	1874909.00	167660	132046.00	27426	18744.00	16.36	14.20	92953	35582.00	23584	7014.00	25.37	19.71
स्टेट बँक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	1	1722.00	51423	90766.00	15126	7545.00	1708	682.00	11.29	9.04	21658	4949.00	6584	1394.00	30.40	28.17
स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद	663	1090.00	117580	207423.00	8773	4639.00	1777	803.00	20.26	17.31	6030	2644.00	2378	930.00	39.44	35.17
स्टेट बँक ऑफ मैसूर	0	0.00	50473	89697.00	7354	4475.00	2314	1010.00	31.47	22.57	4429	2366.00	2060	776.00	46.51	32.80
स्टेट बँक ऑफ पटियाला	47	1470.00	30947	86737.00	7801	4897.00	1147	567.00	14.70	11.58	2870	1199.00	738	260.00	25.71	21.68
स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर	998	158683.00	312148	220234.00	4215	1473.00	1685	589.00	39.98	39.99	2324	692.00	929	311.00	39.97	44.94
आईडीबीआई	34	6247.51	17804	181239.35	1840	1013.10	395	197.34	21.47	19.48	2255	1204.19	830	508.99	36.81	42.27
कुल	32928	1994342.90	2793844	6380329.20	724743	621105.75	135454	118615.33	18.69	19.10	470460	194433.05	139751	57259.15	29.71	29.45

स्रोत: आरबीआई

अनुबंध-V(ग)
मार्च, 2013 में समाप्त तिमाही के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बढ़ियों में महिलाओं को ऋण का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

बैंक का नाम	सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत दिया गया ऋण										(शशि लाख में)			
	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना										महिलाओं को दिए गए कुल ऋण - अनुप्रयोज्य आस्तियां			
	कुल बकाया					अन्य					प्रतिशत			
	खातों की सं.	बकाया शशि	खातों की सं.	बकाया शशि	महिलाओं के प्रति	खातों की सं.	बकाया शशि	खातों की सं.	बकाया शशि	कुल बकाया	खातों की सं.	बकाया शशि	खातों की सं.	बकाया शशि
इलाहाबाद बैंक	149133	84837.00	48811	28105.00	32.73	33.13	9253.00	20678	16321.00	64.60	176.39	34300	44570.00	7.88
आंध्र बैंक	6403	3457.86	3112	2356.93	48.60	68.16	77693.91	41231	39992.08	44.01	51.47	67155	32852.23	3.36
बैंक ऑफ बड़ौदा	99731	42063.05	21876	8275.11	21.94	19.67	149406.52	36173	19597.05	31.28	13.12	41008	29927.53	3.63
बैंक ऑफ इंडिया	99149	39230.00	29478	13277.00	29.73	33.84	1240100.00	131915	131857.00	12.27	10.63	59612	133949.00	6.39
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	21916	13039.29	4097	1703.12	18.69	13.06	2021756.63	65129	151307.87	16.12	7.48	18701	10120.54	3.37
केनरा बैंक	35518	19636.50	6417	4222.90	18.07	21.51	45618.37	39506	10734.16	19.29	23.53	79010	114218.99	3.64
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	161917	90850.00	82529	50331.00	50.97	55.40	103932.00	46799	24996.00	20.50	24.05	43612	34419.00	4.54
कार्पोरेशन बैंक	2208	1476.00	1277	1142.00	57.84	77.37	5705.00	4442	740.00	61.99	12.97	26360	20360.00	4.11
देना बैंक	30272	7857.76	10838	3254.07	35.80	41.41	23467.42	12411	3763.04	38.15	16.04	24087	18176.35	6.24
इंडियन बैंक	15469	6824.28	2383	847.31	15.41	12.42	47.69	193	18.94	37.55	39.71	48934	26883.86	2.30
इंडियन ओवरसीज बैंक	51012	19017.00	46112	17814.00	90.39	93.67	35672.00	65568	29775.20	80.22	83.47	41927	30984.00	1.75
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	12705	3749.00	3364	945.00	26.48	25.21	55038.00	7690	13658.00	26.51	24.82	17666	14076.00	2.19
पंजाब नेशनल बैंक	108245	47720.00	40759	16485.00	37.65	34.55	475277.00	73812	52596.00	30.12	11.07	96112	61982.00	4.40
पंजाब एंड सिंध बैंक	7655	5328.00	2224	2313.00	29.05	43.41	23491.00	3491	4243.00	26.62	18.06	6306	4764.00	2.18
सिडिकोट बैंक	11231	6857.48	3429	2232.25	30.53	32.55	9354.74	3082	1318.70	16.93	14.10	8675	8107.32	0.98
यूनिफाइन बैंक ऑफ इंडिया	63053	22649.39	23288	10355.40	36.93	45.72	58148.66	19329	6686.15	24.78	11.50	88970	48630.47	5.32

गुगल स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया	104781	61844.59	62393	31438.24	59.55	50.83	137772	59822.70	41412	25694.49	30.06	42.95	34161	16339.36	4.81
यूको बैंक	50449	23069.00	30507	13518.00	60.47	58.60	51948	38621.00	35978	27284.00	69.26	70.65	17091	26561.00	4.71
विजया बैंक	1770	1154.00	923	669.00	52.15	57.97	5503	7127.00	2019	2015.00	36.69	28.27	32258	28497.00	6.30
भारतीय स्टेट बैंक	255185	95518.00	57654	21550.00	22.59	22.56	646682	663688.00	285778	263689.00	44.19	39.73	415595	242747.00	4.32
स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एंड जयपुर	32665	8104.00	12478	3004.00	38.20	37.07	3582	753.00	1009	170.00	28.17	22.58	31073	11991.81	4.39
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	4576	2990.00	1667	690.00	36.43	23.08	213453	345961.00	105986	111814.00	49.65	32.32	33071	12729.00	1.88
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1944	1840.00	630	351.00	32.41	19.08	982	3735.00	216	601.00	22.00	16.09	7603	2007.00	0.80
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	4707	2358.00	1244	351.00	26.43	14.89	21644	64654.00	5245	1684.00	24.23	2.60	10919	12104.00	3.43
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	4267	2684.00	1751	1395.00	41.04	51.97	65218	76673.00	47848	56547.00	73.37	73.75	36020	21982.00	2.62
आईडीबीआई	2356	1261.47	984	687.99	41.77	54.54	2797	785.26	991	181.05	35.43	23.06	5140	21310.17	1.63
कुल	1338317	615415.67	50025	237313.32	37.38	38.56	3808899	5595781.90	1097931	997283.73	28.83	17.82	1325366	1030289.63	3.81

स्रोत: आरबीआई

लेखापरीक्षा पैरा

क्र. सं.	वर्ष	लेखापरीक्षा पैरा सं.	विषय	की गई कार्रवाई/स्टेटस नोट
1.	2013	9.1	राजीव आरोग्यश्री कम्युनिटी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के चरण 1 से 5 को शामिल करते हुए स्टार हेल्थ एंड इंश्योरेंस कंपनी लि. (स्टार हेल्थ) को जारी भारतीय साधारण बीमा निगम की हामीदारी और संधियों के लाभप्रदता की पुनर्बीमा की जांच की गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पुनर्बीमा संधियों की अविवेकपूर्ण स्वीकृति के फलस्वरूप भारतीय साधारण बीमा निगम को 197.79 करोड़ रुपए तक की हानि हुई। मुख्य टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:- भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा स्वीकार की गई देयता प्रीमियम के अनुरूप नहीं थी क्योंकि स्टार हेल्थ की देयता अनुपात की तुलना में प्रीमियम 1.09:1 से साधारण बीमा निगम के देयता अनुपात की तुलना में प्रीमियम के बदले 1.02:1 था जो 1:4.12 से 1:5.54 के बीच था। इसके अलावा पांच वर्षों में से तीन वर्षों (2008, 2009 एवं 2010) में भारतीय साधारण बीमा निगम का दावा अनुपात अर्जित प्रीमियम का 100 प्रतिशत से अधिक हो गया। 2008 में भारतीय साधारण बीमा निगम ने 104 प्रतिशत की दर पर दावा अनुपात को देखते हुए 21.73 प्रतिशत की नवीकरण प्रीमियम दर बनाई; तथापि उसने प्रीमियम दर को घटाने के कारणों का औचित्य दिए बिना वास्तव में 12.63 प्रतिशत वसूल किया। इसके अलावा, भारतीय साधारण बीमा निगम 104 प्रतिशत से अधिक का दावा अनुपात होने की दशा में अधिक प्रीमियम वसूल करने की शर्त को शामिल न करके अपने हित की रक्षा करने में असफल रहा। (पैरा सं. 9.1)	विभाग ने कृत कार्रवाई टिप्पणी को पुनरीक्षण हेतु 3.7.2013 को सीएजी को भेज दिया है। पुनरीक्षित कृत कार्रवाई टिप्पणी की सीएजी से प्रतीक्षा की जा रही है।
2.	2013	9.2	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि., नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि., दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. तथा युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. को स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ सह-बीमा करार करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण जून 2012 को समाप्त चार वर्ष की अवधि के दौरान 121.81 करोड़ रुपए की हानि हुई। दावे का पर्याप्त भाग चार सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं द्वारा वहन किया गया जिन्होंने अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने के लिए उपयुक्त जांच एवं बैलेन्स किए बिना कम प्रीमियम के वाबजूद सह-बीमा स्वीकार किया। (पैरा सं. 9.2)	इस विभाग ने दिनांक 28.04.2014 को सभी चार बीमा कंपनियों को लेखापरीक्षा टिप्पणियों की जांच करने तथा कृत कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) इस विभाग को भेजने का निदेश दिया है ताकि पुनरीक्षण के लिए इसे सीएजी को प्रस्तुत किया जा सके। उपर्युक्त कंपनियों से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।
3.	2013	2013 की रिपोर्ट सं. 3	कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस), 2008 का आरम्भ, कृषक समुदाय द्वारा उनके द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने में आने वाली कठिनाइयों एवं समस्याओं का निवारण करने तथा उनको नये ऋण हेतु पात्र बनाने में सहायता करने के लिए मई, 2008 में किया गया। योजना के अंतर्गत 'स्वीकार्य राशि' की पूर्ण माफी सीमांत/छोटे किसानों को प्रदान की गई थी जबकि स्वीकार्य राशि की 25 प्रतिशत की एक बारगी राहत अन्य किसानों को प्रदान की गई बशर्ते किसान के द्वारा स्वीकार्य राशि का बकाया 75 प्रतिशत भुगतान किया गया हो। निम्न शर्तों को पूरा करते हुए कृषि ऋणों को योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना था।	भारी ऋण बोझ के कारण किसानों की समस्या को देखते हुए सरकार द्वारा कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस) कार्यान्वित की गई थी। इस योजना से 3.73 करोड़ किसानों को 52,259.86 करोड़ रुपए तक का लाभ हुआ। तथापि, भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक ने अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012 तक योजना का कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा की जिससे योजना के कार्यान्वयन में

* 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 2007 के बीच ऋण वितरण और,

* 31 दिसंबर, 2007 तक बकाया और,

* 29 फरवरी, 2008 तक शेष अभुक्त।

योजना का कार्यान्वयन 30 जून, 2010 तक किया जाना था। भारत सरकार (जीओआई) के स्तर पर, योजना के संचालन तथा कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) वित्त मंत्रालय उच्चतम स्तर पर उत्तरदायी प्राधिकरण था। इसमें मार्गदर्शन को तैयार करना, निधियों जारी करना तथा सम्पूर्ण निगरानी रखना शामिल था। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र के बैंकों में योजना के कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए नोडल एजेंसी था। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) सहकारी क्रेडिट संस्थानों तथा प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के लिए उसी प्रकार से उत्तरदायी था।

मई, 2008 में भारत सरकार ने अनुमान लगाया कि योजना के अंतर्गत लगभग 3.69 करोड़ सीमान्त/छोटे किसानों के खाते तथा लगभग 0.60 करोड़ अन्य किसानों के खाते सम्मिलित किए जाएंगे। पिछले चार वित्तीय वर्षों में भारत सरकार ने लगभग 3.45 करोड़ छोटे/सीमान्त तथा अन्य किसानों से संबंधित 52000 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि माफ की है।

चूंकि ऋण राहत एवं माफी प्रक्रिया में विशाल धनराशि शामिल है निष्पादन लेखापरीक्षा यह जानने के लिए की गई कि योजना के अंतर्गत ऋण माफी तथा राहत के लिए किए गए दावों का प्रबंधन, संबद्ध निर्देशों तथा आवश्यकताओं के अनुसार था। समीक्षा में, अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012 तक 25 राज्यों में 92 जिलों में स्थित ऋणदात्री संस्थानों की 715 शाखाओं में कुल 90,576 लाभार्थियों/किसानों के खातों को क्षेत्रीय लेखापरीक्षा में शामिल किया गया। उन किसानों के 80,299 खाते जिन्हें योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया गया, उन किसानों के 9,334 खाते जिन्होंने 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 2007 तक कृषि त्रण प्राप्त किया किन्तु उन्हें लाभार्थी के रूप में चयनित नहीं किया गया एवं 943 मामले जिनमें शिकायत प्राप्त हुई, को नमूनों में शामिल किया गया।

लाभार्थी स्तर पर समावेशन व बहिष्करण में गलतियां पायी गई। यह पाया गया कि:

- (i) नौ राज्यों में लेखापरीक्षा जाँच परीक्षण में 9,334 खातों में से 1,257 (13.46 प्रतिशत) खाते, वे थे जो कि योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र थे परंतु जिनको ऋणदात्री संस्थानों द्वारा पात्र किसानों की सूची तैयार करते समय शामिल नहीं किया गया।
- (ii) 80,299 खाते जिन्हें ऋण माफी व ऋण राहत दी गई में से 8.5 प्रतिशत मामलों में लाभार्थी न तो ऋण माफी के और न ही ऋण राहत के पात्र थे। ऐसे दावों, का एक अनुपात, 20.50 करोड़ रुपए की राशि अयोग्य उद्देश्यों के लिए स्वीकार किया गया या ऐसे दावों के समयकाल से संबंधित था जो कि योजना लाभों के लिए योग्य नहीं थे।

मार्गदर्शिका के उल्लंघन में, एक निजी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ने

कुछ कमियों का पता चला।

सीएजी के अधिकारियों के साथ बात-चीत के दौरान और एक्जिट कान्फ्रेंस में प्राप्त प्रतिपुष्टि (फीडबैक) के आधार पर सरकार ने 11 जनवरी, 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड दोनों को सलाह दी कि वे विभिन्न उधारदात्री संस्थाओं को निदेश जारी करें। तदनुसार, नाबार्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए क्रमशः 11 जनवरी, 2013 एवं 14 जनवरी, 2013 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं को निदेश जारी किए। चूंकि लाभार्थियों को लाभ उनके बैंक खातों के माध्यम से प्रदान किए गए, सुधारात्मक उपाय में, अन्य बातों के साथ-साथ, अपात्र लाभार्थियों के ऐसे खातों से वसूली, अत्यधिक भुगतान एवं समुचित मामलों में बैंक कर्मचारियों की जिम्मेवारी निर्धारित करना शामिल है।

सरकार ने तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने के एलि 15 फरवरी, 2013 को भी भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को निदेश दिए थे। चूंकि लेखापरीक्षा निष्कर्ष लाभार्थियों के नमूने पर आधारित थे, संस्थाओं को सभी लाभार्थियों के मामलों का सत्यापन करने के निदेश दिए थे। जहां पर क्रीमिनल लाइवेलिटी पायी गई थी संस्थाओं को वहां पर कार्रवाई करने के निदेश दिए गए। उन्हें प्रत्येक माह कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया था। नाबार्ड ने 5 मार्च, 2013 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं को अनुदेश जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी 6 एवं 7 मार्च, 2013 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों/शहरी सहकारी बैंकों को अनुदेश जारी किए थे।

सरकार ने आईसीआईसीआई बैंक को ऋण के लिए प्रतिपूर्ति के बारे में सीएजी की रिपोर्ट में उल्लिखित विशिष्ट कमियों को आरबीआई के साथ भी उठाया था और आईसीआईसीआई बैंक से दंडात्मक ब्याज सहित संपूर्ण राशि को वसूल किया

164.60 करोड़ रुपए की ऋण प्रतिपूर्ति प्राप्त की, जो कि माइक्रो वित्त संस्थान (एमएफआई) को विस्तारित थी।

योजना के सफल प्रबंधन हेतु प्रत्येक दावों के दस्तावेजों का पूर्ण एवं सही रखरखाव आवश्यक था। लेखापरीक्षा ने 8.64 करोड़ रुपए के दावों के 2,824 मामलों में दस्तावेजों में हेर-फेर, ओवर राइटिंग, और परिवर्तन का प्रथम दृष्टया सबूत पाया।

लेखापरीक्षा जाँच में सामने आया कि 4,826 खातों में अर्थात् जांच परीक्षण के लगभग छः प्रतिशत खातों में, किसानों को हक के अनुसार लाभ प्राप्त नहीं हुआ। 3,262 मामलों में 13.35 करोड़ रुपए का कुल अनुचित लाभ दिया गया। दूसरी ओर, शेष 1,564 मामलों में किसान 1.91 करोड़ रुपए के अपने आधिकारिक लाभों से वंचित रहे थे।

मार्गदर्शिका के उल्लंघन में, त्रणदात्री संस्थाओं ने ब्याज/प्रभार से संबंधित दावे किए जो योजना के अंतर्गत अस्वीकार्य थे। यद्यपि 22 राज्यों के 6,392 मामलों में त्रणदात्री संस्थानों ने 5.33 करोड़ रुपए का ब्याज/प्रभार स्वयं वहन नहीं किया, फिर भी उन्हें इस राशि की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की गई। इस तथ्य के बावजूद कि लाभार्थी खातों की कुल संख्या इंगित नहीं की गई थी डीएफएस ने भारतीय रिजर्व बैंक के शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित 335.62 करोड़ रुपए के दावों की प्रतिपूर्ति स्वीकार की।

कई मामलों में पात्र लाभार्थियों को ऋण माफी/राहत प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए थे। 21,182 खातों में (61,793 नमूना जांच खातों में से) जोकि 34.28 प्रतिशत थे, लाभार्थियों को ऋण माफी/राहत प्रमाणपत्र जारी करने का या किसानों से पावती या किसी अन्य प्रकार का सबूत नहीं था। इस प्रकार के प्रमाणपत्र किसानों को नये ऋण लेने का अधिकार देते हैं।

योजना की निगरानी में भी कमी पाई गई, क्योंकि डीएफएस योजना के कार्यान्वयन में, उसके द्वारा समय पर दिए जानेवाले निर्देशों के अनुपालन की निगरानी हेतु पूर्ण रूप से नोडल एजेंसियों पर निर्भर था। परंतु लेखापरीक्षा ने पाया कि नोडल एजेंसियां स्वयं त्रणदात्री संस्थानों के प्रमाणपत्रों तथा आंकड़ों पर निर्भर थी, तथा दावों की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र रूप से ऐसे आंकड़ों तथा प्रमाणपत्रों की जांच का संचालन नहीं किया गया।

और उसे सरकार के खाते में जमा करवाया। इसके अतिरिक्त, दिसम्बर, 2012 में प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक के कार्यालय की टिप्पणियों के आधार पर यह उल्लेख करते हुए कि योजना के अधीन त्रणदात्री संस्थाओं के प्रतिपूर्ति योग्य दावों की पहली किस्त के प्रति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त अस्थायी चल निधि सहायता से उनके द्वारा आहरित राशि के लिए 149.79 करोड़ रुपए के लिए नाबार्ड के दावे को इस आधार पर सरकार ने नाबार्ड से 149.79 करोड़ रुपए भी वसूल कर लिए हैं कि प्रथम किस्त के लिए ब्याज एडीडब्ल्यू डीआरएस, 2008 के कार्यक्षेत्र से बाहर था।

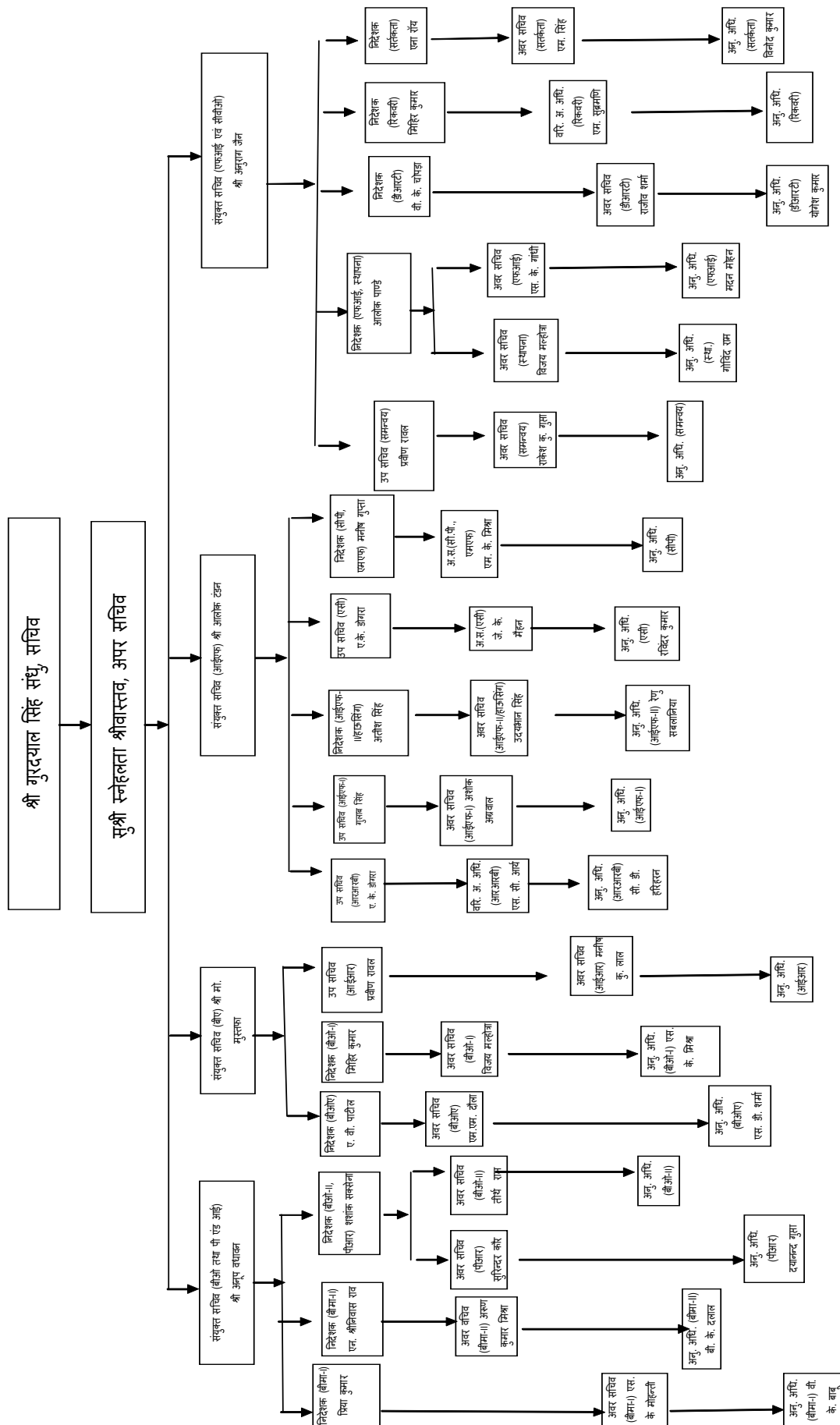
कुछेक मामलों को छोड़कर बैंकों ने पुर्न-सत्यापन कार्य जहां इसे न्यायालय मामलों आदि के कारण पूरा नहीं किया जा सका, पूरा कर लिया है। 31 दिसंबर, 2013 की स्थिति के अनुसार पुर्न-सत्यापन की स्थिति निम्नानुसार है:-

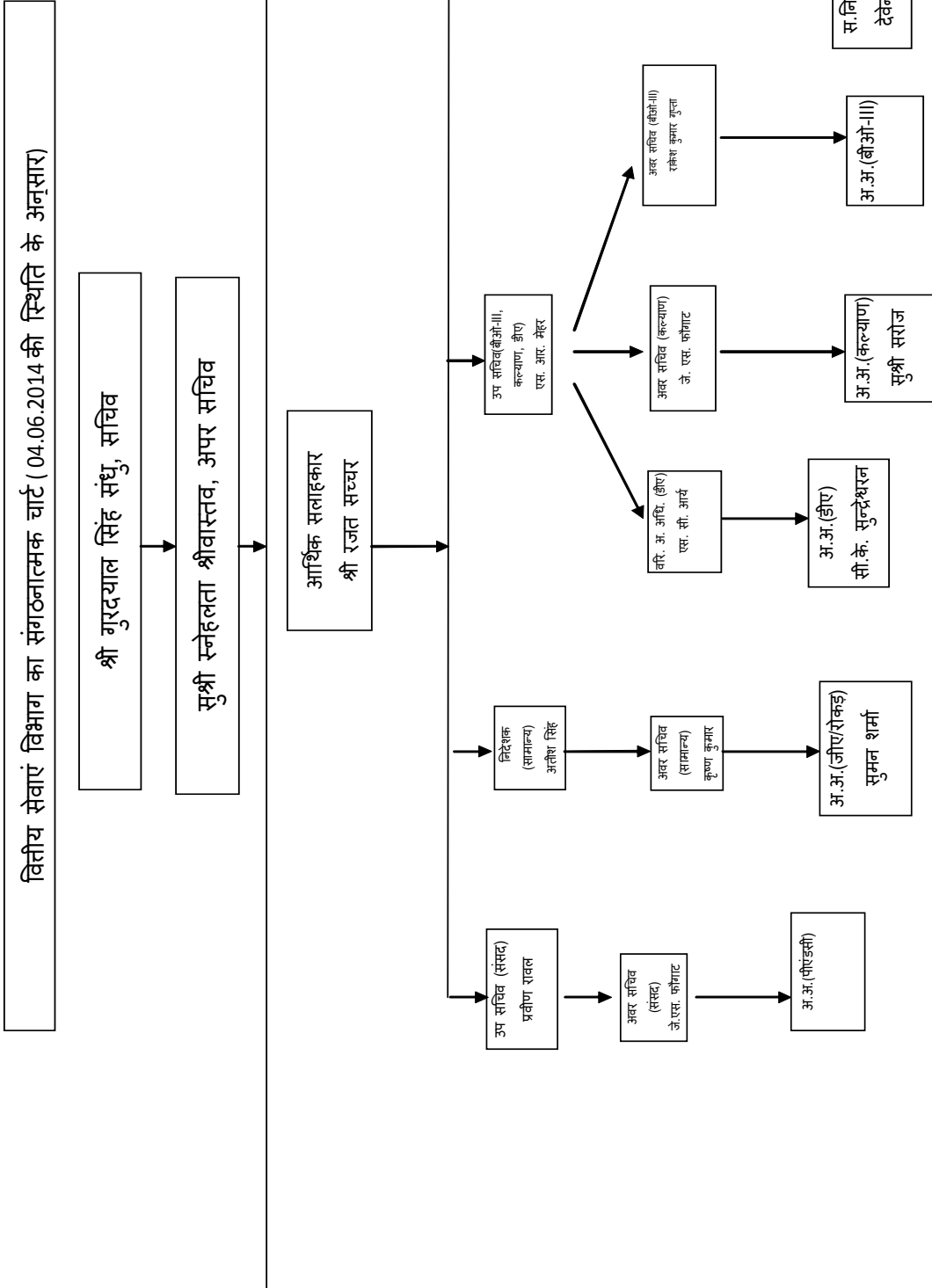
181.90 करोड़ रुपए की राशि वाले 154572 मामलों में जहां अपात्र व्यक्तियों को लाभ प्रदान किए गए थे, 99,710 मामलों में 117.02 करोड़ रुपए की राशि वसूल कर ली गई है।

- 72.35 करोड़ रुपए वाली राशि के 42,350 मामलों में जहां लाभार्थियों को अत्यधिक लाभ प्रदान किए गए, 27,791 मामलों में 38.56 करोड़ रुपए की राशि वसूल कर ली गई है।
- 34.24 करोड़ रुपए की राशि वाले 81,168 मामलों में जहां त्रणदात्री संस्थाओं द्वारा अस्वीकार्य प्रभार/ब्याज का दावा किया गया, 66,595 मामलों में 14.66 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए हैं।
- 34.69 करोड़ रुपए की राशि वाले 81304 मामलों में जहां लाभार्थियों को कम लाभ प्रदान किए गए, 4.13 करोड़ रुपए की राशि वाले 2431 मामलों में त्रणदात्री संस्थाओं द्वारा लाभ रिलीज किए गए हैं।

- 48.14 करोड़ रुपए की राशि वाले 25895 मामलों में जहां पात्र व्यक्तियों को लाभ नहीं दिए गए, 427 मामलों में त्रणदात्री संस्थाओं द्वारा 80.28 लाख रुपए रिलीज कर दिए गए हैं।
- 5473 मामलों में त्रणदात्री संस्थाओं द्वारा स्टाफ के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई/की गई।
- 467 मामलों में त्रणदात्री संस्थाओं द्वारा लेखापरीक्षकों की जिम्मेवारी निर्धारित की गई।
- अभिलेखों में छेड़-छाड़ करने के 4030 मामलों में 22 प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की गई थी।
- 54.80 करोड़ रुपए की दंडात्मक ब्याज सहित आईसीआईसीआई बैंक से 164.60 करोड़ रुपए की वसूली की गई है।
- सरकार ने नाबार्ड से इस आधार पर 149.79 करोड़ रुपए भी वसूल किए कि प्रथम किस्त के लिए ब्याज एडीडब्ल्यूडीआरएस, 2008 के क्षेत्र से बाहर था।

वित्तीय सेवाएं विभाग का संगठनात्मक चार्ट (04.06.2014 की स्थिति के अनुसार)





सार्वजनिक संपर्क हेतु

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दूरभाष संख्या : 23095120, 23092453

Website: http://www.finmin.nic.in/the_ministry/dept_eco_affairs/index.asp

व्यय विभाग

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दूरभाष संख्या : 23095661, 23095613

Website: http://www.finmin.nic.in/the_ministry/dept_expenditure/index.asp

राजस्व विभाग

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दूरभाष संख्या : 23095384, 23095385

Website: http://www.finmin.nic.in/the_ministry/dept_revenue/index.html

विनिवेश विभाग

ब्लॉक, 11 व 14, सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दूरभाष संख्या : 24368528, 24368523, 24368044

Website: <http://www.divest.nic.in>

वित्तीय सेवाएं विभाग

जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दूरभाष संख्या : 23748721, 23748734

Website: http://www.finmin.nic.in/the_ministry/dept_fin_services/fin_services.asp

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली, बजट प्रेस में मुद्रित।

